

4666

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

खण्ड वारह



21 MAY 1965

प्रकाशन विभाग


तिथिपत्र

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

१२

२२


(अप्रैल १९१३ - दिसम्बर १९१४)



21 MAY 1965



4666



21 MAY 1965

तिथिपत्र






सत्याग्रह-संघर्षके दिनोंमें : १९१४

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

१२

(अप्रैल १९१३ - दिसम्बर १९१४)

वै. गांधी
क. ५५२



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

भारत सरकार

जनवरी १९६५ (माघ १८८६)

© नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९६५

4666

साढ़े सात रुपये

कापीराइट

नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे



१० DEC १९६५

निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली - ६, द्वारा प्रकाशित
और जीवणजी डाह्याभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद - १४, द्वारा मुद्रित



भूमिका

गांधीजीके दक्षिण आफ्रिका-कालसे सम्बन्धित पुस्तक-मालाका यह अन्तिम खण्ड है। इसमें अप्रैल १९१३ से दिसम्बर १९१४ तक की सामग्रीका संग्रह किया गया है। अन्तिम सत्याग्रह-संघर्ष, स्मट्स-गांधी समझौता और उसके फलस्वरूप भारतीय राहत विधेयककी रचना और गांधीजीका मातृभूमि गमन इस कालकी मुख्य घटनाएँ हैं।

केप सर्वोच्च न्यायालयके न्यायमूर्ति सर्लने १४ मार्च, १९१३को फैसला दिया था कि गैर-ईसाई विधिके अनुसार सम्पन्न या विवाह-अधिकारीके सामने अपेजीयित भारतीय विवाहोंको दक्षिण आफ्रिका संघमें मान्यता नहीं दी जायेगी। इस फैसलेका नतीजा यह निकला कि हिन्दू और मुसलमान पत्नियोंका दर्जा एक तरहसे रखल औरतोंका और उनकी सन्तानका दर्जा अवैध सन्तानका बन गया। उससे भारतीयोंकी धार्मिक भावनाको गहरी ठेस लगी।

नये प्रवासी विधेयकका मौजूदा अधिकारोंपर बुरा असर पड़ा; उसने नई-नई नियोग्यताएँ भी थोप दीं। नेटाल-भारतीयोंके अधिवास-सम्बन्धी अधिकार गड़बड़ा गये; शिक्षित भारतीयोंकी पत्नियों और सन्तानको भी संघमें प्रवेश पाना मुश्किल हो गया। सन् १९११के अस्थायी समझौते (प्रॉवीजनल सेटलमेंट) में निहित समझौतेका सार-तत्त्व ही था कि भारतीय प्रवासियोंपर ऐसी नियोग्यताएँ नहीं थोपी जायेंगी जो अन्य जातियों या संघके अन्य वर्गोंपर लागू होती हों। परन्तु हुआ यह कि प्रवासी विधेयकने भारतीयोंपर खुद कानूनमें ही जातीय भेदभावसे युक्त बाधा लाद दी। गांधीजीने उसे दक्षिण आफ्रिकासे निवासी एशियाइयोंको निकालनेकी एक जानी-बूझी कोशिशके रूपमें देखा।

गांधीजीने अप्रैल १९१३में गृह-मन्त्रालयको जो अभ्यावेदन-पत्र भेजे थे उनमें इन बातोंपर जोर दिया गया था कि सर्ल-निर्णयके फलस्वरूप उत्पन्न विषम परिस्थितिका निराकरण संघके विवाह-सम्बन्धी कानूनोंमें रद्दोबदल करके ही किया जा सकेगा; वर्तमान अधिकारोंको बहाल करनेके लिए प्रवासी विधेयकको संशोधित किया जाना चाहिए; तीन-पौंडी कर हटा दिया जाना चाहिए; ट्रान्सवालके कानूनमें मौजूद जातीय भेदभावके दोषको दूर किया जाना चाहिए, और मौजूदा कानूनोंके अमलमें उदारतासे काम लेना चाहिए। गांधीजीने स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इन माँगोंको स्वीकार करनेमें असमर्थता प्रकट करेगी, तो भारतीय समाजको सत्याग्रहको सहारा लेना पड़ेगा। इस बारका आन्दोलन थोड़े ही समय चलेगा और उसकी गति तेज होगी। वह समूचे संघमें चलाया जायेगा और उसमें पहली बार नारियाँ भी सत्याग्रहियोंके रूपमें भाग लेंगी। भारतीय नारी जो युगोंसे अपनी सामाजिक परम्पराओंके कारण घरकी चार दीवारीके भीतर रहती आई थी सर्ल-निर्णयकी चुनौती स्वीकार करनेके लिए तैयार हो गई और उसने संघर्षमें कूदनेका निश्चय कर लिया। प्रवासी विधेयकका

द्वितीय वाचन होते-होते, २६ अप्रैलको ही भारतीय नारियोंने अपना तीव्र विरोध और सत्याग्रह छेड़नेका संकल्प घोषित कर दिया था। सरकार इस सबपर भड़क उठी; उसने कहा कि यदि भारतीय समाज अपनी धमकीपर अमल करेगा, तो सरकारको विवश होकर बिना लाग-लपेटके अपनी बात साफ-साफ करनी पड़ेगी। गांधीजीने खुलासा किया कि आन्दोलन इस बातका प्रयास होगा कि ब्रिटिश संविधानकी "सुन्दर कल्पनामें अपनी आस्था बनाये हुए" सत्याग्रही लोग "उसे चरितार्थ करनेके लिए संघर्ष करनेको या उस संघर्षमें मर मिटनेको तैयार हैं।" (पृष्ठ ७१)

लगता है कि सरकारके रुखमें कुछ नरमी आई और वह केप तथा नेटालके कानूनोंके अन्तर्गत मौजूदा अधिकारोंको बहाल करने और कुछ बातोंमें प्रवासी विधेयकको संशोधित करनेपर राजी हो गई। परन्तु भारतीय विवाहोंसे सम्बन्धित अपने विचारोंमें थोड़ी भी रद्दोबदल करनेके लिए वह तैयार नहीं थी। गांधीजीने स्पष्टीकरण किया कि वे केवल भारतमें हिन्दू और मुसलमान धार्मिक विधिसे सम्पन्न हुए विवाहोंको मान्यता दिलाना चाहते हैं। कानूनमें परिवर्तन करके उसे ट्रान्सवालके विवाह-सम्बन्धी कानूनके अनुरूप बनाया जा सकता है, जिसमें यूरोपीय विवाहोंको मान्यता दी गई है। सरकारने इसके लिए शर्त रखी कि तब भारतीयोंको विवाहके पंजीयन-प्रमाणपत्र पेश करने चाहिए। गांधीजीने इसपर स्पष्ट कहा कि भारतमें पंजीयनकी प्रथा न होनेसे न तो ऐसा सम्भव है और न आवश्यक ही, क्योंकि भारतमें विवाहकी विधियाँ समुचित सार्वजनिक समारोहके साथ सम्पन्न की जाती हैं। गांधीजीने प्रवासी विधेयकके संशोधनोंके लिए आग्रह करनेमें केप टाउनके चन्द यूरोपीय संसद-सदस्योंकी मैत्री और सहानुभूति-पूर्ण भावनाओंका काफी उपयोग किया, लेकिन सरकारने जो संशोधन स्वीकार किये वे बहुत अपर्याप्त थे। गांधीजीने २ जूनको एक भेंटके दौरान घोषित किया कि यदि सरकार भारतीयोंकी माँगें नहीं मानती तो सत्याग्रह अनिवार्य हो जायेगा।

लगता है कि सरकार सत्याग्रह फिर शुरू होनेकी सम्भावनासे काफी अधिक चिन्तित थी। संघके गवर्नर-जनरल लॉर्ड ग्लैडस्टनने अपने एक गुप्त खरीतेमें उपनिवेश कार्यालयको लिखा था कि वह भारत सरकारको परिस्थितिकी गम्भीरता समझाये और इससे "गांधी तथा अन्य लोगोंपर अपना प्रभाव डालनेके लिए" कहे, जिससे कि संकट टाला जा सके। उन्होंने लिखा था कि वह तीन-पौंडी करको पूरी तौरपर रद्द करानेकी भरसक कोशिश कर रहे हैं।

जूनके प्रारम्भमें सरकारने केवल स्त्रियोंको करसे मुक्त करनेका फैसला किया। गांधीजीने बतलाया कि तीन-पौंडी कर रद्द करनेका जो वचन गोखलेको दिया गया था उसमें स्त्री और पुरुषोंके बीच ऐसा कोई भेद नहीं किया गया था। प्रवासी विधेयक ११ जूनको पास हुआ और १३ जूनको गांधीजीने कहा कि यदि विधेयकपर सम्राट्की अनुमति मिलना नहीं रोका जाता और १९११के अस्थायी समझौतेके सिलसिलेमें दिये गये आश्वासनको कार्यान्वित नहीं किया जाता तो स्त्री-पुरुष सत्याग्रह शुरू कर देंगे। १६ जूनको ब्रिटिश भारतीय संघने गवर्नर-जनरलसे औपचारिक रूपमें अनुरोध किया कि वह अधिनियमका अनुमोदन न करें। गांधीजीने मँडराते हुए संकटको टालनेकी एक आखिरी

कोशिश की। उन्होंने प्रिटोरिया जाकर २८ जूनको भारतीयोंका दृष्टिकोण पेश किया और यह आश्वासन माँगा कि कमसे-कम अगले वर्ष तो कानून संशोधित कर दिया जायेगा। उन्होंने २ जुलाईको गृह-सचिवसे भेंट की और भारतीयोंकी ये बुनियादी माँगें पेश कीं: केप प्रान्तमें प्रवेशके अधिकारको मान्यता, नेटालमें अधिवास-सम्बन्धी अधिकारोंकी रक्षा, फ्री स्टेटमें प्रवेशार्थियोंसे भूमि, व्यापार, इत्यादिसे सम्बन्धित हलफ-नामेकी माँग न करना और कानूनके संशोधन द्वारा या विवाह-अधिकारियोंको प्रमाणीकरणकी शक्ति देकर भारतीय विवाहोंका वैधीकरण। उन्होंने कहा कि आखिरी माँगके अतिरिक्त अन्य सभी माँगोंको प्रशासकीय कार्रवाई द्वारा पूरा किया जा सकता है। (पृष्ठ १२०)। गांधीजी जनरल स्मट्ससे भी भेंट करनेके लिए तैयार थे, परन्तु जोहानिसबर्गके कोयला-खनिकोंकी हड़तालके कारण जनरल स्मट्स लगातार व्यस्त बने रहे।

गांधीजी ११ अगस्त तक भी औद्योगिक झगड़ा शान्त होनेपर जनरल स्मट्ससे भेंट कर पानेकी राह देखते रहे, परन्तु उनको इसी उत्तरपर सन्तोष करना पड़ा कि गृह-मन्त्रालय उनके २ जुलाईके प्रस्तावोंपर विचार कर रहा है। गांधीजीने ३ सितम्बरको फिर अनुरोध करते हुए कहा कि अपनी माँगोंमें नरमी और संयम बरतनेमें उनका उद्देश्य समझौतेको आसान बनाने और यह दिखलानेका रहा है कि भारतीय लोग संघर्षकी पुनरावृत्तिके लिए 'उतावले' नहीं हो रहे हैं। परन्तु गृह-मन्त्रालयने १० सितम्बरको ऐलान कर दिया कि वह अगले वर्ष भी संसदीय कार्रवाईके जरिये वर्तमान विवाह-कानूनका आधार बदलनेका वचन नहीं दे सकता और उसने विचाराधीन मुकदमेको वापस लेनेसे इनकार कर दिया।

इस प्रकार सत्याग्रह सर्वथा अनिवार्य हो गया; दूसरा कोई चारा नहीं था। गांधीजीके द्वारा इस अवसरपर व्यक्त किये गये इन उद्गारोंसे एक समूचे उस समाजकी मनोव्यथा टपकती है जिसे अधिकारियोंकी जिदके कारण संघर्ष छेड़नेके लिए लाचार होना पड़ा था . . . "एक प्रतिनिधित्वहीन समाज है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती; उसे अतीतमें बहुत गलत समझा गया है; वह एक विचित्र किन्तु तीव्र प्रजातिगत विद्वेषके हाथों तबाह है, और इसलिए वह अपने गौरव और सम्मानकी रक्षा त्याग और कष्ट-सहनके सिवा किसी अन्य उपायसे नहीं कर सकता।" (पृष्ठ १७९-८०) १२ सितम्बरको ब्रिटिश भारतीय संघने सरकारको सत्याग्रहकी पूर्व-सूचना दे दी।

इस बारका सत्याग्रह ट्रान्सवालकी सीमामें अनधिकृत प्रवेश तक ही सीमित नहीं रहना था, परवानोंके बिना ठेले लगाना या व्यापार करना और माँगें जानेपर भी परवाने दिखानेसे इनकार करना भी उसमें शामिल था। स्वाभाविक तथा नैतिक आधारसे कानूनोंका खुले रूपसे उल्लंघन किया जाना था। आन्दोलनकी शुरुआत १५ सितम्बरको की गई थी। कस्तूरबाके नेतृत्वमें १२ पुरुषों और ४ स्त्रियोंका एक दल गिरफ्तार होनेके लिए डर्बनसे फोक्सरस्टको रवाना हुआ। "एक शक्तिमान सरकारके विरुद्ध . . . मुट्ठीभर" अल्पसंख्यकोंके दलका इस प्रकार भिड़ना एक प्रतीकात्मक कार्य था। (पृष्ठ १८६) २० सितम्बरको वे गिरफ्तार किये गये। तीन दिन बाद, कस्तूरबाको कठोर परिश्रम-सहित तीन महीनेके कारावासकी और अन्य सत्याग्रहियोंको

एकसे तीन-तीन महीनेके कारावासकी सजा सुनाई गई। अधिकारियोंकी संघर्षको बदनाम करने और उसमें फूट डालनेकी कोशिशके बावजूद संघर्ष जारी रहा।

१७ अक्टूबरको न्यू कैसिलकी कोयला-खानोंके भारतीय श्रमिकोंने तीन-पाँडी करके विरोधमें हड़ताल कर दी। उस हड़तालके साथ ही, संघर्षका नया और क्रान्तिकारी दौर शुरू हो गया। गांधीजीने हड़तालियोंसे कहा कि वे मालिकों द्वारा दी जानेवाली खुराक लेनेसे इनकार कर दें और या तो अपनेको गिरफ्तार करा दें या फिर फोक्स-रस्टकी सीमाकी ओर प्रयाण करें। गांधीजीने खान-मालिकोंको पूरी बात समझानेके लिए उनकी सभामें भी भाषण किया।

संघर्षका तीसरा दौर "महान कूच"के साथ ६ नवम्बरको शुरू हुआ, जब अन्यायपूर्ण तीन-पाँडी करके विरोधमें दो हजारसे अधिक हड़तालियोंका एक "शानदार जुलूस" उनके नेतृत्वमें ट्रान्सवालमें प्रविष्ट हुआ। ७ और ११ नवम्बरके बीच गांधीजीको तीन बार गिरफ्तार किया गया और दो बार उनको जमानतपर रिहा किया गया। अन्तमें उनको डंडीमें कठोर परिश्रम सहित नौ महीनेके कारावास या ६० पाँड जुर्मानेकी सजा सुना दी गई। उन्होंने जेल जाना पसन्द किया। १४ नवम्बरको उनपर दूसरा मुकदमा चलाया गया और अन्य अपराधोंके लिए तीन महीनेकी सजा दी गई।

इस बीच हड़ताल कोयला खानोंसे बढ़कर रेल, चीनी साफ करनेकी फैक्ट्रियों, गोदी और निगम-कर्मचारियों तक फैल चुकी थी। ८ नवम्बरको ७,००० से ८,००० तक श्रमिकोंके हड़तालमें शामिल होनेका समाचार था। अधिकारियोंने हिंसापूर्ण कार्रवाई भी की और इसके फलस्वरूप, जैसा कि अनिवार्य था, विदेशोंमें जनमत सत्याग्रहियोंके पक्षमें जाग्रत हुआ। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंजने २९ नवम्बरको मद्रासमें भाषण करते हुए सत्याग्रहियोंके प्रति अपनी चिन्ता और सहानुभूति व्यक्त की।

इसके बादके कालमें भारतीयोंकी समस्याके बारेमें सरकारकी नीतिमें कब क्या परिवर्तन आया, यह अधिकारियोंके पत्र-व्यवहारमें, विशेषकर गवर्नर-जनरलकी ओरसे ब्रिटिश उपनिवेश-कार्यालयको भेजे गये गुप्त खरीतोंमें देखा जा सकता है। अधिकारियोंके साथ हुई गांधीजीकी कुछ भेंटोंका विवरण तो केवल उनमें ही मिलता है। गांधीजीके जेल जानेके बादका घटना-क्रम और वास्तवमें तो १८९४ से १९१४ तक दक्षिण आफ्रिकामें चलनेवाले भारतीयोंके समूचे संघर्षका एक संक्षिप्त सिंहावलोकन दिसम्बर १९१४के 'इंडियन ओपिनियन'के 'स्वर्ण अंक'में प्रकाशित एक प्रामाणिक सम्पादकीयमें मिलता है (देखिए परिशिष्ट २८)। इसमें जैसे घटना-क्रम बतलाते हुए कहा गया है "मद्रासमें लॉर्ड हार्डिंजका वह प्रसिद्ध भाषण, जिसमें उन्होंने भारतीय जनमतके स्वरमें स्वर मिलाकर उसका समर्थन किया और फिर उनकी जांच-आयोगकी माँग; लॉर्ड ऐंम्टहिलकी समितिके उत्साहपूर्ण प्रयत्न; साम्राज्य-सरकारका तत्परताके साथ हस्तक्षेप करना; भारतीय समाजकी भावनाका कोई खयाल न करते हुए एक ऐसे आयोगकी नियुक्ति जिसके सदस्य भारतीयोंको कतई सन्तुष्ट नहीं कर सकते थे; नेताओंकी रिहाई; जिनकी आयोगकी उपेक्षा करनेकी सलाह लगभग पूर्णतः स्वीकार कर ली गई; श्री ऐन्ड्र्यूज और पियर्सनका आगमन और समझौतेके लिए उनका अद्भुत कार्य; हरबतसिंह

और वलिअम्माकी मृत्यु; वह तनावपूर्ण स्थिति, जिसमें सिर्फ यूरोपीयोंकी दूसरी हड़तालके कारण ही हलकापन आ सका, क्योंकि श्री गांधीने एक बार फिर तय कर लिया कि जबतक सरकार इस नई मुसीबतमें फँसी हुई है तबतक उसे परेशान न किया जाये; और सरकारके इस स्थितिपर काबू पा जानेपर, सौहार्द्र, विश्वास और सहयोगकी वह भावना, जो महान् भारतीय नेताकी उदारनीतिसे और अपने महान साम्राज्यीय उद्देश्यकी सफलताके लिए प्रयत्न करते हुए श्री ऐन्ड्र्यूजके उनपर स्नेहपूर्ण प्रभावसे निर्मित थी।”

गांधीजीने विदाईके अवसरपर भारतीय समाजके नाम अपने पत्रमें २६ जूनको पास हुए भारतीय राहत अधिनियममें समाविष्ट समझौतेको दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय स्वातंत्र्यका “अधिकारपत्र” (मैग्ना कार्टा) कहा था, क्योंकि वह भारतीयोंके प्रति सरकारी नीतिके परिवर्तनका द्योतक था और उसमें भारतीयोंके इस अधिकारको मान्यता दी गई थी कि उनसे सम्बन्धित मामलोंमें उनकी राय ली जायेगी और उनकी उचित आकांक्षाओंका सम्मान किया जायेगा। इस प्रकार उनके लिए अपनी मातृभूमिके बाद सबसे अधिक पवित्र और प्रिय बन जानेवाले उप-महाद्वीप (पृष्ठ ४९६) — दक्षिण आफ्रिकासे १८ जुलाईको विदाई लेते समय, गांधीजीके मनमें यही भाव था कि उन्होंने जिस कामका बीड़ा उठाया था वह काम पूरा हो चुका है।

गांधीजी ४ अगस्त से १८ सितम्बर तक लन्दनमें रुके। उसी बीच प्रथम विश्व-युद्ध शुरू हो गया। गांधीजी कई बार बीमार पड़नेके बावजूद एक “भारतीय एम्बुलेंस कोर”के संगठनमें सक्रिय रूपसे लगे रहे। उस संकटकी घड़ीमें साम्राज्यके प्रति उनकी राजभक्तिका यह एक प्रतीक था। इस कार्यमें भी एक बार उन्हें सत्याग्रह करनेका अवसर आ पड़ा था। प्रश्न था भारतीयोंके इस अधिकारका कि ‘कोर’की टुकड़ियोंको तैनात करनेके बारेमें भारतीयोंसे परामर्श किया जाना चाहिए और वह भारतीयोंके आत्म-सम्मानसे सम्बन्ध रखता था। गांधीने इसको लेकर सत्याग्रह किया और उनकी जीत हुई।

गांधीजी १९ सितम्बरको भारतके लिए रवाना हुए — उस देशके लिए “जहाँ समूचे संसारके सुख एवं उत्थानके लिए आध्यात्मिक ज्ञानका विशालतम भण्डार मौजूद है।” उन्होंने भारत और ग्रेट ब्रिटेनके सम्बन्धोंको पारस्परिक आदान-प्रदान द्वारा (पृ० ५५६) और दृढ़ बनानेके लिए काम करनेपर जोर दिया — इस बातसे उनके तत्कालीन राजनीतिक दृष्टिकोणका पता चलता है। यात्रा-कालकी अपनी भावनाको उन्होंने वेस्टके नाम जहाजसे लिखे गये पत्रमें व्यक्त किया है। “इतनी बार मुझे भारत जाते-जाते रुक जाना पड़ा है कि एकाएक मनको विश्वास नहीं होता कि मैं भारत जानेवाले जहाजमें बैठा हूँ। और मेरी समझमें नहीं आता कि वहाँ पहुँचकर मुझे स्वयं क्या करना होगा? फिर भी ‘हे सदय प्रकाश, धिरे हुए अन्धकारमें मुझे रास्ता दिखा; मुझे आगे ले चल’ — यही विचार मुझे ढाढस देता है . . .।” (पृ० ५५७-५८)

इस खण्डमें मौजूद निजी पत्रोंसे पता चलता है कि संघर्षकी उथल-पुथलके बीच भी गांधीजी ईश्वर और मोक्षके प्रश्नोंपर विचार करते रहते थे। इन पत्रोंमें देखा

जा सकता है कि आश्रमकी जीवन-पद्धतिने उन्हें कितना प्रभावित किया था; वे अब भारतमें भी इसी जीवन-पद्धतिको अपनाये रखना चाहते थे। यह भी पता चलता है कि अपने 'राजनीतिक गुरु', गोखलेके प्रति उनका लगाव कितना गहरा था। भारत भूमिपर पैर धरनेके बाद गोखलेके सुझावपर उनका वर्षभर तक केवल अध्ययन और निरीक्षणमें लगे रहना तथा अपनी कोई राय न देना — इसका साक्षी है।

दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीके जीवन और उनकी सफलताओंके बारेमें — जिनसे सम्बन्धित साधन-सामग्री इन बारह खण्डोंमें संकलित की गई है — 'इंडियन ओपिनियन'का 'स्वर्ण अंक' (परिशिष्ट २८) लिखता है:

यहाँ यह बात महत्त्वपूर्ण है कि जैसे-जैसे सत्याग्रह-संघर्ष जोर पकड़ता गया और जैसे-जैसे वह पवित्रसे पवित्रतर होता गया, वैसे-वैसे वह यूरोपीय और भारतीय, दोनों समुदायोंके श्रेष्ठतम प्रतिनिधियोंको अधिकाधिक पास लाता गया। हर चरण अपने साथ एक नई विजय और नई मंत्री लेकर आता था। . . . संघर्षका प्रारम्भ भारतीय समाजके प्रति सर्वत्र व्याप्त अविश्वास और तिरस्कारकी व्यापक भावनाके विरोधसे हुआ। अब उस अविश्वास और तिरस्कारका स्थान विश्वास और आदरकी भावनाने ले लिया है। . . . यह आन्दोलन १९०७के ट्रान्सवाल अधिनियम २की मंसूखीकी माँगसे प्रारम्भ हुआ। कानून मंसूख कर दिया गया और इसके समस्त दक्षिण आफ्रिकामें लागू कर दिये जानेकी जो आशंका उत्पन्न हो गई थी, उसका पूर्णतः निवारण हो गया। प्रारम्भमें भारतीयोंको इस उपनिवेशसे निकाल बाहर करनेके उद्देश्यसे उनके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानेकी आशंका थी। समझौतेने साम्राज्यके किसी भी अंगमें भारतीयोंके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानकी सारी सम्भावना समाप्त कर दी। गिरमिटिया मजदूरोंके रूपमें भारतीयोंका आब्रजन, जो दक्षिण आफ्रिकाके अर्थतंत्रका लगभग एक स्थायी अंग माना जाता था, समाप्त कर दिया गया है। घृणित तीन-पौंडी कर समाप्त कर दिया गया है और उसके साथ ही उससे सम्बद्ध कष्टों और अपमानोंका भी अन्त हो गया है। निहित स्वार्थ — जिनके सर्वत्र अस्त हो जानेके आसार दिखाई दे रहे थे — अब सुरक्षित और बरकरार रखे जानेको हैं। अधिकांश भारतीय विवाहोंको, जिन्हें पहले कभी भी दक्षिण आफ्रिकाके कानूनकी मान्यता प्राप्त नहीं थी, अब पूरी तरह कानूनी मान्यता दी जानेको है। परन्तु, इन सबके अलावा जो बात सबसे महत्त्वपूर्ण है वह सत्याग्रहियोंकी कठिनाइयों, कष्टों और बलिदानोंसे उद्भूत समझौते और मेलजोलकी नई भावना है। इस संघर्षने शक्तिकी तुलनामें अधिकार, पशुबलकी तुलनामें आत्म-बल और घृणा तथा अमर्षकी तुलनामें प्रेम तथा विमर्शकी असीम श्रेष्ठताको अत्यन्त स्पष्ट रूपसे सिद्ध कर दिया है।”

वैसे बादके इतिहासने यही सिद्ध किया कि दक्षिण आफ्रिकाकी जातीय समस्याका हल तब भी दूर था; लेकिन गांधीजीने आगे चलकर जिस अस्त्रके बलपर अपने देशकी जनताको मुक्ति दिलाई और साम्राज्यवादी युगकी परिसमाप्ति की, सत्याग्रहके उस अस्त्रका आविष्कार उन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें ही किया और वहीं उसे कारगर बनाया था।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास तथा संग्रहालय (साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐंड मेमोरियल ट्रस्ट, ऐंड संग्रहालय); नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ-संग्रहालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय और भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया), नई दिल्ली; भारत सेवक समिति (सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी), पूना; उपनिवेश कार्यालय (कलोनियल ऑफिस) तथा भारत कार्यालय (इंडिया ऑफिस) पुस्तकालय, लन्दन; श्री छगनलाल गांधी, अहमदाबाद; श्री नारणदास गांधी, राजकोट; श्रीमती राधाबेन चौधरी, कलकत्ता; श्रीमती सुशीलाबेन गांधी, फीनिक्स, डब्लिन; श्री विष्णुदत्त दयाल; श्री सी० एम० डोक; श्री लूइस फिशर; श्री ए० एच० वेस्टके तथा गांधीजीनी साधना, जीवन प्रभात, जीवनना झरना, जीवननुं परोड और महात्मा गांधीना पत्रो, इन पुस्तकोंके प्रकाशकों, तथा इन समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओंके आभारी हैं: केप आर्गंस, केप टाइम्स, हिन्दू, इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नेटाल मर्क्युरी, प्रिटोरिया न्यूज, रैंड डेली मेल, स्टार, टाइम्स ऑफ इंडिया, और ट्रान्सवाल लीडर ।।

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति पुस्तकालय, गांधी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फर्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग) का अनुसन्धान तथा संदर्भ विभाग (रिसर्च ऐंड रेफरेंस डिवीजन), नई दिल्ली, तथा प्रलेखोंकी फोटो-नकलें तैयार करनेमें सहायता देनेके लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालयका फोटो-विभाग; साबरमती संग्रहालय तथा गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, तथा श्री प्यारेलाल नय्यर, नई दिल्ली, हमारे धन्यवादके पात्र हैं।

पाठकोंको सूचना

विभिन्न अधिकारियोंको लिखे गये प्रार्थनापत्र और निवेदन, अखबारोंको भेजे गये पत्र और सभाओंमें स्वीकृत प्रस्ताव, जो इस खण्डमें सम्मिलित किये गये हैं, उनको गांधीजीका लिखा माननेके कारण वे ही हैं जिनका हवाला खण्ड १की भूमिकामें दिया जा चुका है। जहाँ किसी लेखको सम्मिलित करनेके विशेष कारण हैं वहाँ वे पाद-टिप्पणीमें बता दिये गये हैं। 'इंडियन ओपिनियन'में प्रकाशित गांधीजीके वे लेख जो लेखकका नाम दिये बिना छापे गये हैं, उनके 'आत्मकथा' सम्बन्धी लेखोंके सामान्य साक्षी, उनके सहयोगी श्री छगनलाल गांधी और हेनरी एस० एल० पोलककी सम्मति और अन्य उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर पहचाने गये हैं।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही अनुवादकी भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अनुवाद छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारनेके बाद किया गया है और मूलमें प्रयुक्त शब्दोंके संक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। यह ध्यान रखा गया है कि नामोंको सामान्यतः जैसा बोला जाता है वैसा ही रखा जाये। जिन नामोंके उच्चारण संदिग्ध हैं उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा था।

मूल सामग्रीके बीचमें चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने किसी लेख, भाषण, वक्तव्य आदिका जो अंश मूलरूपमें उद्धृत किया है वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छपा गया है, किन्तु यदि ऐसा कोई अंश उन्होंने अनूदित करके दिया है, तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़ कर, साधारण टाइपमें छपा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्टें, न्यायालयोंकी कार्यवाहियाँ तथा वे शब्द, जो गांधीजीके कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं।

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है या जहाँ उसके बारेमें निर्णय किया जा सका है, वहाँ दायें कोनेमें दे दी गई है; किन्तु जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठोंमें की गई है और आवश्यक हुआ है, उसका कारण स्पष्ट कर दिया है। हिन्दी और गुजराती पत्रोंमें जहाँ तिथि विक्रम संवत्के अनुसार दी गई है वहाँ ग्रेगोरियन पंचांगकी तदनु रूप तिथि भी दे दी गई है; कहीं-कहीं आन्तरिक या बाह्य साक्ष्यपर वर्षका निर्णय किया गया है। शीर्षकके अन्तमें सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है।

'सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा' और 'दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनो इतिहास' के अनेक संस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ संख्याएँ भिन्न हैं; इसलिए हवाला देनेमें केवल उनके भाग और अध्यायका ही उल्लेख किया गया है।

तेरह

साधन सूत्रोंमें एस० एन० संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, जी० एन० गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागजपत्रोंका, और सी० डब्ल्यू० कलेक्टेड बक्स ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है।

पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ सामग्री परिशिष्टोंमें दे दी गई है। साधनसूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ अन्तमें दी गई हैं।

चित्र-सूची

सत्याग्रह-संघर्षके दिनोंमें — सन् १९१४	मुख पृष्ठ
“ महान कूच ”	४८ के सामने
कुमारी इलेसिन और कैलेनबैकके साथ	४९ ” ”
जमानत-पत्र	३०४ ” ”
ऐन्ड्र्यूज और पियर्सनके साथ	३०५ ” ”
यूरोपीय समिति द्वारा दिया गया मानपत्र	४७२ ” ”
शहीद-स्मारकका उद्घाटन	४७३ ” ”

21 MAY 1965

विषय-सूची

भूमिका	५
आभार	११
पाठकोंको सूचना	१२
चित्र-सूची	१४
१. पत्र : गृह-मंत्रीको (१-४-१९१३)	१
२. तूफानका संकेत (५-४-१९१३)	२
३. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१४] (५-४-१९१३)	४
४. तार : गृह-मंत्रीको (९-४-१९१३)	७
५. तार : गृह-मंत्रीको (९-४-१९१३)	८
६. पत्र : ई० एफ० सी० लेनको (९-४-१९१३)	८
७. तार : ब्रिटिश भारतीय संघको (९-४-१९१३ के बाद)	१०
८. पत्र : गवर्नर-जनरलके निजी सचिवको (१०-४-१९१३)	१०
९. पत्र : गृह-सचिवको (११-४-१९१३)	११
१०. पत्र : एशियाई पंजीयकको (११-४-१९१३)	१२
११. नया विधेयक (१२-४-१९१३)	१३
१२. वैवाहिक उलझन (१२-४-१९१३)	१४
१३. विधेयकका परिणाम (१२-४-१९१३)	१५
१४. नया और पुराना विधेयक (१२-४-१९१३)	१६
१५. जनूबीका मामला (१२-४-१९१३)	१८
१६. हिन्दुओंसे (१२-४-१९१३)	१९
१७. संघको उत्तर (१२-४-१९१३)	२०
१८. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१५] (१२-४-१९१३)	२१
१९. पत्र : गृह-सचिवको (१४-४-१९१३)	२५
२०. तार : गृह-मंत्रीको (१५-४-१९१३)	२६
२१. पत्र : गृह-सचिवको (१५-४-१९१३)	२८
२२. पत्र : डूमण्ड चैपलिनको (१६-४-१९१३)	२९
२३. कस्तूरवा गांधीसे बातचीत (१९-४-१९१३ के पूर्व)	३०
२४. प्रवासी विधेयक (१९-४-१९१३)	३१
२५. लॉर्ड एंम्टहिलकी समिति (१९-४-१९१३)	३२
२६. नेटाली भारतीयों, सावधान! (१९-४-१९१३)	३३
२७. शिकारीका जाल (१९-४-१९१३)	३४
२८. नया विधेयक (१९-४-१९१३)	३५
२९. श्रीमती पैकहर्स्टका त्याग (१९-४-१९१३)	३६

सोलह

३०. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१६] (१९-४-१९१३)	३७
३१. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (१९-४-१९१३)	३९
३२. तार : कैलरेको (२६-४-१९१३)	४१
३३. तीन पौंडी कर-सम्बन्धी निराशा (२६-४-१९१३)	४१
३४. वह विधेयक (२६-४-१९१३)	४२
३५. नया विधेयक (२६-४-१९१३)	४३
३६. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१७] (२६-४-१९१३)	४४
३७. तार : गुल और गुलमुहम्मदको (२६-४-१९१३)	५०
३८. भाषण : फ्रीडडॉपमें (२७-४-१९१३)	५१
३९. तार : डूमंड चैपलिन तथा अन्य लोगोंको (२७-४-१९१३ के बाद)	५२
४०. तार : लॉर्ड ऐंम्टहिलको (२७-४-१९१३)	५३
४१. भेंट : 'स्टार' के प्रतिनिधिको (२८-४-१९१३)	५४
४२. पत्र : गवर्नर-जनरलके निजी सचिवको (३०-४-१९१३)	५५
४३. विधेयक (३-५-१९१३)	५६
४४. संघर्ष (३-५-१९१३)	५७
४५. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१८] (३-५-१९१३)	६०
४६. पत्र : गृह-सचिवको (७-५-१९१३ के बाद)	६२
४७. भारतीय महिलाएँ सत्याग्रहीके रूपमें (१०-५-१९१३)	६३
४८. स्त्रियोंका प्रस्ताव (१०-५-१९१३)	६४
४९. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१९] (१०-५-१९१३)	६५
५०. पत्र : भवानी दयालको (१२-५-१९१३)	६८
५१. पत्र : डूमंड चैपलिनको (१४-५-१९१३)	६९
५२. द्वितीय वाचन (१७-५-१९१३)	७०
५३. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२०] (१७-५-१९१३)	७१
५४. पत्र : गृह-सचिवको (१९-५-१९१३)	७५
५५. पत्र : गृह-सचिवको (१९-५-१९१३)	७५
५६. विधेयक (२४-५-१९१३)	७६
५७. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२१] (२४-५-१९१३)	७८
५८. तार : डूमंड चैपलिन और दूसरोंको (२४-५-१९१३)	८०
५९. तार : मार्शल कैम्बेलको (२४-५-१९१३)	८१
६०. तार : पैट्रिक डंकनको (२७-५-१९१३)	८१
६१. तार : गृह-मन्त्रीको (२७-५-१९१३)	८२
६२. तार : सर डेविड हंटरको (२७-५-१९१३)	८३
६३. तार : श्राइनर और कैम्बेलको (२७-५-१९१३)	८३
६४. तार : गृह-मन्त्रीको (२७-५-१९१३)	८४
६५. तार : मॉरिस अलेक्जैंडरको (२९-५-१९१३)	८५
६६. तार : सिनेटर श्राइनरको (२९-५-१९१३)	८६

सत्रह

६७. तार : सिनेटर श्राइनरको (३०-५-१९१३)	८६
६८. तार : गृह-मन्त्रीको (३०-५-१९१३)	८७
६९. पत्र : जमनादास गांधीको (३०-५-१९१३)	८८
७०. सम्भावना (३१-५-१९१३)	९१
७१. मुनियनका मामला (३१-५-१९१३)	९२
७२. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२२] (३१-५-१९१३)	९३
७३. वक्तव्य : प्रवासी विधेयकके सम्बन्धमें (२-६-१९१३)	९५
७४. तार : गृह-मन्त्रीको (५-६-१९१३)	९७
७५. विधेयक (७-६-१९१३)	९७
७६. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२३] (७-६-१९१३)	९८
७७. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (७-६-१९१३)	१००
७८. वक्तव्य : तीन पाँडी करके सम्बन्धमें (११-६-१९१३ से पूर्व)	१०२
७९. वक्तव्य : प्रवासी विधेयकपर (१३-६-१९१३)	१०३
८०. विधेयक (१४-६-१९१३)	१०४
८१. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२४] (१४-६-१९१३)	१०६
८२. तार : गवर्नर जनरलको (१६-६-१९१३)	१०८
८३. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (२०-६-१९१३)	१०९
८४. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२५] (२१-६-१९१३)	१११
८५. तार : गो० कृ० गोखलेको (२१-६-१९१३)	११३
८६. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२६] (२८-६-१९१३)	११४
८७. पत्र : गृह-मन्त्रीके निजी सचिवको (२८-६-१९१३)	११५
८८. पत्र : गृह-सचिवको (२-७-१९१३)	११८
८९. पत्र : जमनादास गांधीको (२-७-१९१३)	१२१
९०. पत्र : गृह-सचिवको (४-७-१९१३)	१२३
९१. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२७] (५-७-१९१३)	१२४
९२. जोहानिसबर्गमें उपद्रव (१२-७-१९१३)	१२७
९३. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२८] (१२-७-१९१३)	१३०
९४. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (१२-७-१९१३)	१३२
९५. प्रवासी कानून सम्बन्धी विनियम (१९-७-१९१३)	१३३
९६. नया प्रवासी विधेयक (१९-७-१९१३)	१३५
९७. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२९] (१९-७-१९१३)	१३६
९८. पत्र : जमनादास गांधीको (१९-७-१९१३)	१३९
९९. पत्र : भवानी दयालको (२३-७-१९१३)	१४१
१००. पत्र : एशियाई-पंजीयकको (२३-७-१९१३ के बाद)	१४२
१०१. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३०] (२६-७-१९१३)	१४३
१०२. तार : गो० कृ० गोखलेको (२९-७-१९१३)	१४५
१०३. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको (१-८-१९१३)	१४५

4666



10 DEC 1982

१०४. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३१] (२-८-१९१३)	१४६
१०५. पत्र : जमनादास गांधीको (७-८-१९१३)	१४७
१०६. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३२] (९-८-१९१३)	१४९
१०७. पत्र : प्रवासी-अधिकारीको (१०-८-१९१३)	१५४
१०८. तार : गृह-सचिवको (११-८-१९१३)	१५४
१०९. नये कानूनका एक असर (१६-८-१९१३)	१५५
११०. स्वर्गीय सर आदमजी पीरभाई (१६-८-१९१३)	१५५
१११. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३३] (१६-८-१९१३)	१५६
११२. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३४] (१६-८-१९१३)	१५७
११३. पत्र : मणिलाल गांधीको (१६-८-१९१३ के बाद)	१५९
११४. स्वर्गीय श्री जोसेफ जे. डोक (२३-८-१९१३)	१६०
११५. स्वर्गीय श्री डोक (२३-८-१९१३)	१६४
११६. स्वर्गीय रेवरेंड जोसेफ डोक (२३-८-१९१३)	१६५
११७. पत्र : गृह-सचिवको (२४-८-१९१३)	१६६
११८. भाषण : शोक-सभामें (२४-८-१९१३)	१६९
११९. भारतके पितामह (३०-८-१९१३)	१७१
१२०. और भी मित्र चल बसे (३०-८-१९१३)	१७१
१२१. विवाहके बारेमें एक महत्वपूर्ण फैसला (२३-८-१९१३)	१७२
१२२. पत्र : एशियाई-पंजीयकको (१-९-१९१३ के बाद)	१७३
१२३. पत्र : सहायक गृह-सचिवको (३-९-१९१३)	१७४
१२४. लॉर्ड सभाकी बहस (६-९-१९१३)	१७४
१२५. तार : गृह-सचिवको (१०-९-१९१३)	१७६
१२६. पत्र : गृह-सचिवको (११-९-१९१३)	१७६
१२७. पत्र : गृह-सचिवको (१२-९-१९१३)	१७७
१२८. समझौता न हो सका (१३-९-१९१३)	१८०
१२९. मणिलाल गांधीको लिखे पत्रका अंश (१७-९-१९१३)	१८२
१३०. पत्र : हरिलाल गांधीको (१८-९-१९१३)	१८३
१३१. पत्र : मणिलाल गांधीको (१८-९-१९१३)	१८५
१३२. श्री काळलियाका पत्र (१२-९-१९१३)	१८६
१३३. इसे कैसे किया जाये? (२०-९-१९१३)	१८९
१३४. संघर्ष कैसे किया जाये (२०-९-१९१३)	१८९
१३५. पत्र : 'नेटाल मर्क्युरी' को (२१-९-१९१३)	१९१
१३६. पत्र : गृह-सचिवको (२२-९-१९१३)	१९४
१३७. फोक्सरस्टके सत्याग्रही (२४-९-१९१३)	१९६
१३८. स्वर्गीय श्री हुसेन दाउद (२४-९-१९१३)	१९७
१३९. तीन-पौंडी कर (२४-९-१९१३)	१९८
१४०. अपील-निकाय किसलिए? (२४-९-१९१३)	२००

१४१. तीन पौडी कर (२४-९-१९१३)	२००
१४२. पत्र : क्लीमेंट डोकको (२४-९-१९१३)	२०२
१४३. पत्र : मगनलाल गांधीको (२५-९-१९१३ के बाद)	२०३
१४४. पत्र : दक्षिण आफ्रिकी रेलवेको (२७-९-१९१३)	२०४
१४५. श्री गांधी लगभग गिरफ्तार ! (२७-९-१९१३)	२०६
१४६. पत्र : गृह-सचिवको (२८-९-१९१३)	२०७
१४७. 'भाषण' : फ्रीडडार्पकी सभामें (२८-९-१९१३)	२०८
१४८. पत्र : मगनलाल गांधीको (२९-९-१९१३)	२१०
१४९. भेंट : 'ट्रान्सवाल लीडर' के प्रतिनिधिको (२९-९-१९१३)	२११
१५०. पत्र : 'ट्रान्सवाल लीडर' को (३०-९-१९१३)	२१२
१५१. पत्र : मगनलाल गांधीको (३०-९-१९१३)	२१४
१५२. स्वर्गीय श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद (१-१०-१९१३)	२१५
१५३. विवाह-समस्या (१-१०-१९१३)	२१८
१५४. विवाहका प्रश्न (१-१०-१९१३)	२२१
१५५. हथियारोंके बिना असहाय (१-१०-१९१३)	२२३
१५६. हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद (१-१०-१९१३)	२२४
१५७. पत्र : मगनलाल गांधीको (२-१०-१९१३)	२२८
१५८. पत्र : ऑलिव डोकको (३-१०-१९१३)	२२९
१५९. प्रस्ताव : पाटीदार संघकी सभामें (५-१०-१९१३)	२२९
१६०. पत्र : मगनलाल गांधीको (५-१०-१९१३)	२३०
१६१. व्रतका माहात्म्य (८-१०-१९१३)	२३०
१६२. पत्र : जेल-निदेशकको (९-१०-१९१३)	२३१
१६३. एक अधिकृत वक्तव्य (१५-१०-१९१३)	२३२
१६४. पत्र : हरिलाल गांधीको (१७-१०-१९१३)	२३४
१६५. भेंट : 'इवनिंग क्रॉनिकल' को (१७-१०-१९१३ के बाद)	२३५
१६६. कुलसम बीबीका मुकदमा (२२-१०-१९१३)	२३५
१६७. तार : गो० कृ० गोखलेको (२२-१०-१९१३)	२३६
१६८. तार : गो० कृ० गोखलेको (२२-१०-१९१३)	२३७
१६९. भेंट : 'रैंड डेली मेल' को (२२-१०-१९१३)	२३७
१७०. तार : जनरल बोथाको (२३-१०-१९१३ के पूर्व)	२४०
१७१. तार : अखबारोंको (२३-१०-१९१३)	२४०
१७२. पत्र : गृह-मन्त्रीको (२३-१०-१९१३)	२४१
१७३. पत्र : मगनलाल गांधीको (२४-१०-१९१३)	२४३
१७४. तार : जी० ए० नटेसनको (२५-१०-१९१३ से पूर्व)	२४४
१७५. भाषण : वाणिज्य-मण्डलमें (२५-१०-१९१३)	२४४
१७६. भेंट : 'नेटाल मर्क्युरी' को (२५-१०-१९१३)	२४५
१७७. तार : गृह-मन्त्रीको (२८-१०-१९१३ से पूर्व)	२४७

१७८. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (२९-१०-१९१३)	२४८
१७९. तार : गृह-मन्त्रीको (३०-१०-१९१३)	२४८
१८०. न्याय-सचिवको लिखे पत्रका सारांश (३१-१०-१९१३)	२४९
१८१. प्रवासी अधिकारीको लिखे पत्रका सारांश (३१-१०-१९१३)	२४९
१८२. भेंट : रायटरको (३-११-१९१३)	२५०
१८३. तार : गो० कृ० गोखलेको (४-११-१९१३ से पूर्व)	२५०
१८४. भेंट : 'नेटाल मर्क्युरी'को (५-११-१९१३)	२५१
१८५. तार : गो० कृ० गोखलेको (६-११-१९१३ से पूर्व)	२५१
१८६. लड़ाईके समाचार (६-११-१९१३से पूर्व)	२५२
१८७. तार : गृह-मन्त्रीको (७-११-१९१३)	२५२
१८८. जमानतकी दर्खास्त (८-११-१९१३)	२५३
१८९. भेंट : रायटरको (८-११-१९१३)	२५४
१९०. पत्र : भारतीयोंको (११-११-१९१३)	२५५
१९१. डंडीमें मुकदमा (११-११-१९१३)	२५५
१९२. हड़तालियोंको सन्देश (११-११-१९१३)	२५७
१९३. पत्र : मगनलाल गांधीको (११-११-१९१३)	२५८
१९४. फोक्सरस्टमें मुकदमा (१४-११-१९१३)	२५९
१९५. पोलकके मुकदमेमें गवाही (१७-११-१९१३)	२६१
१९६. पत्र : कुमारी देवी वेस्टको (१४-१२-१९१३)	२६२
१९७. भाषण : जोहानिसबर्गमें (१८-१२-१९१३)	२६५
१९८. भाषण : डर्वनमें (२०-१२-१९१३)	२६६
१९९. भेंट : 'नेटाल मर्क्युरी' को (२०-१२-१९१३)	२६६
२००. भाषण : सार्वजनिक सभामें (२१-१२-१९१३)	२६७
२०१. पत्र : गृह-मन्त्रीको (२१-१२-१९१३)	२७१
२०२. भाषण : मैरिट्सबर्गकी सभामें (२२-१२-१९१३)	२७५
२०३. भाषण : श्रीमती गांधीकी रिहाईपर (२२-१२-१९१३)	२७६
२०४. भाषण : मैरिट्सबर्गकी सार्वजनिक सभामें (२२-१२-१९१३)	२७६
२०५. तार : गो० कृ० गोखलेको (२२-१२-१९१३)	२७७
२०६. पत्र : 'नेटाल ऐडवर्टाइजर' को (२२-१२-१९१३ के बाद)	२७९
२०७. तार : गो० कृ० गोखलेको (२३-१२-१९१३)	२८१
२०८. तार : गो० कृ० गोखलेको (२३-१२-१९१३)	२८२
२०९. तार : लॉर्ड ऐंम्टहिलको (२३-१२-१९१३)	२८३
२१०. तार : लॉर्ड ऐंम्टहिलको (२३-१२-१९१३)	२८४
२११. पत्र : "नेटाल मर्क्युरी" को (२३-१२-१९१३)	२८५
२१२. तार : गो० कृ० गोखलेको (२४-१२-१९१३)	२८६
२१३. तार : गो० कृ० गोखलेको (२४-१२-१९१३)	२८७
२१४. तार : लॉर्ड ऐंम्टहिलको (२४-१२-१९१३)	२८७

श्वकीस

२१५. तार : गृह-मन्त्रीको (२५-१२-१९१३)	२८८
२१६. तार : गो० कृ० गोखलेको (२५-१२-१९१३)	२८९
२१७. तार : गो० कृ० गोखलेको (२६-१२-१९१३)	२९०
२१८. तार : गो० कृ० गोखलेको (२६-१२-१९१३)	२९१
२१९. तार : गो० कृ० गोखलेको (२६-१२-१९१३)	२९१
२२०. पत्र : मार्शल कैम्बेलको (२६-१२-१९१३)	२९२
२२१. भेंट : रायटरको (२७-१२-१९१३ से पूर्व)	२९४
२२२. तार : गो० कृ० गोखलेको (२७-१२-१९१३)	२९५
२२३. तार : गो० कृ० गोखलेको (२७-१२-१९१३)	२९५
२२४. भाषण : मैरिक्सबर्गमें (२७-१२-१९१३)	२९६
२२५. तार : गृह-मन्त्रीको (२९-१२-१९१३)	२९७
२२६. तार : गो० कृ० गोखलेको (२९-१२-१९१३)	२९८
२२७. तार : गो० कृ० गोखलेको (२९-१२-१९१३)	२९९
२२८. भेंट : 'नेटाल मकर्युरी' को (२९-१२-१९१३)	३०२
२२९. तार : गो० कृ० गो० खलेको (३०-१२-१९१३)	३०४
२३०. पत्र : 'नेटाल मकर्युरीको' (३०-१२-१९१३)	३०५
२३१. हिन्दी और तमिल (३१-१२-१९१३)	३०६
२३२. तार : गो० कृ० गोखलेको (३१-१२-१९१३)	३०७
२३३. पत्र : मार्शल कैम्बेलको (१-१-१९१४)	३०८
२३४. तार : गो० कृ० गोखलेको (१-१-१९१४)	३०९
२३५. तार : गो० कृ० गोखलेको (२-१-१९१४)	३१०
२३६. तार : गो० कृ० गोखलेको (२-१-१९१४)	३१०
२३७. तार : गो० कृ० गोखलेको (३-१-१९१४)	३११
२३८. भाषण : सी० एफ० ऐण्ड्र्यूजके स्वागत-समारोहमें (४-१-१९१४)	३१२
२३९. पत्र : मणिलाल गांधीको (४-१-१९१४)	३१२
२४०. भेंट : रायटरके प्रतिनिधिको (४-१-१९१४)	३१३
२४१. पत्र : 'इंडियन ओपिनियन' को (५-१-१९१४ के बाद)	३१४
२४२. अमर-पुरुष हरबर्तसिंह (७-१-१९१४)	३१६
२४३. भेंट : 'प्रिटोरिया न्यूज' के प्रतिनिधिको (९-१-१९१४ से पूर्व)	३१६
२४४. एक महत्वपूर्ण सलाह (१४-१-१९१४)	३१८
२४५. जनरल स्मट्ससे भेंट (१६-१-१९१४)	३१८
२४६. पत्र : गृह-सचिवको (२१-१-१९१४)	३२१
२४७. पत्र : रावजीभाई पटेलको (२१-१-१९१४)	३२३
२४८. तार : गो० कृ० गोखलेको (२२-१-१९१४)	३२४
२४९. भेंट : 'रैंड डेली मेल' के प्रतिनिधिको (२३-१-१९१४)	३२५
२५०. पत्र : भवानी दयालको (२३-१-१९१४)	३२६
२५१. तार : गो० कृ० गोखलेको (२५-१-१९१४ या उससे पूर्व)	३२६

२५२. भाषण : सार्वजनिक सभामें (२५-१-१९१४)	३२७
२५३. तार : गो० कृ० गोखलेको (२६-१-१९१४)	३३१
२५४. पत्र : भारतीय परिवेदना आयोगको (२६-१-१९१४)	३३१
२५५. स्मट्स-गांधी पत्र-व्यवहार (२८-१-१९१४)	३३२
२५६. तार : गो० कृ० गोखलेको (३०-१-१९१४)	३३३
२५७. विवाहकी समस्याके बारेमें विचार (२-२-१९१४)	३३४
२५८. पत्र : मणिलाल गांधीको (३-२-१९१४)	३३५
२५९. देशनिकाला किन्हें होगा ? (४-२-१९१४)	३३६
२६०. प्रवासी अधिनियम (११-२-१९१४)	३३७
२६१. नेताओंसे अपील (११-२-१९१४)	३३९
२६२. विवाहके सम्बन्धमें (११-२-१९१४)	३४०
२६३. प्रवासके महत्वपूर्ण मामले (११-२-१९१४)	३४१
२६४. नाबालिगोंके अधिकार (११-२-१९१४)	३४३
२६५. हमारी आशाएं (११-२-१९१४)	३४४
२६६. पत्र : रावजीभाई पटेलको (१५-२-१९१४ के बाद)	३४६
२६७. आंगलियाकी गवाही (१८-२-१९१४)	३४७
२६८. तार : गो० कृ० गोखलेको (१८-२-१९१४)	३४८
२६९. तार : गो० कृ० गोखलेको (१९-२-१९१४)	३४९
२७०. पत्र : रावजीभाई पटेलको (२१-२-१९१४)	३४९
२७१. तार : गो० कृ० गोखलेको (२४-२-१९१४)	३५०
२७२. पत्र : रावजीभाई पटेलको (२४-२-१९१४)	३५०
२७३. यादगारमें (२५-२-१९१४)	३५१
२७४. एक तरुण महिला सत्याग्रहीकी असामयिक मृत्यु (२५-२-१९१४)	३५२
२७५. पत्र : जमनादास गांधीको (२६-२-१९१४)	३५२
२७६. पत्र : मणिलाल गांधीको (२६-२-१९१४ के आसपास)	३५३
२७७. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (२७-२-१९१४)	३५४
२७८. तार : गो० कृ० गोखलेको (२८-२-१९१४)	३५५
२७९. पत्र : जमनादास गांधीको (२८-२-१९१४)	३५५
२८०. पत्र : मणिलाल गांधीको (२८-२-१९१४)	३५६
२८१. पत्र : खुशालचन्द गांधीको (१-३-१९१४)	३५८
२८२. पत्र : श्री रावजीभाई पटेलको (१-३-१९१४)	३५९
२८३. पत्रका अंश (१-३-१९१४ के आसपास)	३६१
२८४. पत्र : हरिलाल गांधीको (२-३-१९१४)	३६१
२८५. पत्र : सर बेंजामिन राबर्ट्सनको (४-३-१९१४)	३६४
२८६. पत्र : मणिलाल गांधीको (४-३-१९१४)	३६६
२८७. पत्र : देवदास गांधीको (५-३-१९१४)	३६६
२८८. पत्र : सर बेंजामिन राबर्ट्सनको (६-३-१९१४)	३६७

२८९. पत्र : रावजीभाई पटेलको (७-३-१९१४)	३६८
२९०. पत्र : मगनलाल गांधीको (८-३-१९१४)	३७१
२९१. पत्र : छगनलाल गांधीको (११-३-१९१४)	३७३
२९२. पत्र : सी० एफ० ऐण्ड्र्यूजको (१३-३-१९१४)	३७६
२९३. पत्र : मणिलाल गांधीको (१४-३-१९१४)	३७८
२९४. पत्र : जमनादास गांधीको (१७-३-१९१४)	३७९
२९५. आयोगकी रिपोर्टके बारेमें विचार (१७-३-१९१४ के बाद)	३८१
२९६. पत्र : ' इंडियन ओपिनियन ' को (१८-३-१९१४)	३८२
२९७. पत्र : मणिलाल गांधीको (१९-३-१९१४)	३८३
२९८. पत्र : रावजीभाई पटेलको (२१-३-१९१४)	३८४
२९९. पत्र : जमनादास गांधीको (२२-३-१९१४)	३८५
३००. पत्र : मणिलाल गांधीको (२२-३-१९१४)	३८६
३०१. पत्रका अंश (२२-३-१९१४)	३८७
३०२. आयोगकी रिपोर्ट और सिफारिशें (२५-३-१९१४)	३८८
३०३. भाषण : केप टाउनके स्वागत-समारोहमें (२५-३-१९१४)	३९१
३०४. पत्र : महात्मा मुंशीरामको (२७-३-१९१४)	३९१
३०५. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (१-४-१९१४)	३९२
३०६. पत्र : मणिलाल गांधीको (३-४-१९१४)	३९३
३०७. विवाह-सम्बन्धी एक घोषणा (८-४-१९१४)	३९४
३०८. पत्र : ई० एम० जॉर्जेसको (८-४-१९१४)	३९४
३०९. पत्र : ई० एफ० सी० लेनको (८-४-१९१४)	३९५
३१०. पत्र : मणिलाल गांधीको (१२-४-१९१४)	३९६
३११. पत्र : मणिलाल गांधीको (१७-४-१९१४)	३९८
३१२. तार : गृह-मन्त्रीको (२२-४-१९१४)	४००
३१३. पत्रका अंश (२२-४-१९१४)	४००
३१४. तार : गृह-मन्त्रीको (२४-४-१९१४)	४०१
३१५. हिन्द स्वराज्य (२९-४-१९१४)	४०२
३१६. तार : गृह-मन्त्रीको (६-५-१९१४ के पूर्व)	४०३
३१७. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (६-५-१९१४)	४०४
३१८. तार : गृह-मन्त्रीको (७-५-१९१४ के बाद)	४०५
३१९. तार : गृह-मन्त्रीको (१९-५-१९१४)	४०५
३२०. स्वर्गीय श्रीमती मेयो (२०-५-१९१४)	४०६
३२१. तार : गृह-मन्त्रीको (२२-५-१९१४)	४०६
३२२. पत्र : ' ट्रान्सवाल लीडर ' को (२३-५-१९१४)	४०७
३२३. भाषण : प्रार्थना-सभामें (२३-५-१९१४)	४०८
३२४. भेंट : ई० एम० जॉर्जेससे (२७-५-१९१४)	४०८
३२५. पत्र : मणिलाल गांधीको (२८-५-१९१४)	४११



३२६. राहत विधेयक (३-६-१९१४)	४१२
३२७. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (५-६-१९१४)	४१३
३२८. पत्रका अंश (९-६-१९१४)	४१३
३२९. भारतीयोंकी शिकायतें (१०-६-१९१४)	४१४
३३०. पत्र : रावजीभाई पटेलको (१०-६-१९१४)	४१५
३३१. याददाश्तके लिए (१०-६-१९१४ के आसपास)	४१६
३३२. पत्र : ई० एम० जॉर्जेसको (११-६-१९१४)	४१७
३३३. पत्र : रावजीभाई पटेलको (१३-६-१९१४)	४१८
३३४. मणिलाल और जमनादास गांधीको लिखे पत्रका अंश (१३-६-१९१४ को या उसके बाद)	४१९
३३५. पत्र : कुंवरजी मेहताको (१५-६-१९१४)	४२१
३३६. एक ऐतिहासिक बहस (१७-६-१९१४)	४२१
३३७. पत्र : मार्शल कैम्बेलको (२०-६-१९१४)	४२२
३३८. पत्र : गिरमिटिया भारतीयोंको (२२-६-१९१४ के बाद)	४२३
३३९. स्वर्गीय सर डेविड हंटर (२४-६-१९१४)	४२४
३४०. गृह-मन्त्रीके साथ बातचीतके लिए मुद्दे (२७-६-१९१४ से पूर्व)	४२५
३४१. पत्र : ई० एम० जॉर्जेसको (२७-६-१९१४)	४२५
३४२. भाषण : बधाई-समारोहमें (२७-६-१९१४)	४२६
३४३. पत्र : ई० एम० जॉर्जेसको (३०-६-१९१४)	४२९
३४४. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (१-७-१९१४)	४३०
३४५. भाषण : किम्बर्लेके स्वागत-समारोहमें (२-७-१९१४)	४३१
३४६. भाषण : डर्बनकी सभामें (५-७-१९१४)	४३२
३४७. तार : 'हिन्दू' को (६-७-१९१४)	४३२
३४८. तार : गो० कृ० गोखलेको (६-७-१९१४)	४३३
३४९. पत्र : ई० एम० जॉर्जेसको (७-७-१९१४)	४३३
३५०. भाषण : विदाई-सभामें (८-७-१९१४)	४३५
३५१. अन्त (८-७-१९१४)	४३८
३५२. संघर्षकी समाप्ति (८-७-१९१४)	४३९
३५३. मॉरिशसका विवाह-कानून (८-७-१९१४)	४४३
३५४. भाषण : गुजराती समाजकी सभामें (९-७-१९१४)	४४४
३५५. भाषण : गुजराती सभाके उत्सवमें (९-७-१९१४)	४४५
३५६. भाषण : खेलकूद समारोहमें (९-७-१९१४)	४४६
३५७. भाषण : डेड़ों द्वारा आयोजित स्वागत-समारोहमें (९-७-१९१४)	४४९
३५८. भाषण : प्रिटोरियाके विदाई-समारोहमें (१०-७-१९१४)	४५०
३५९. सत्याग्रहका सिद्धान्त और व्यवहार (११-७-१९१४ से पूर्व)	४५१
३६०. भाषण : डर्बनके भोजमें (११-७-१९१४)	४५३
३६१. भाषण : वेरुलममें (१२-७-१९१४)	४५६

३६२. भाषण : वेहलममें (१२-७-१९१४)	४५८
३६३. भाषण : डर्वनकी सभामें (१२-७-१९१४)	४६१
३६४. विदाई सन्देश (१२-७-१९१४)	४६३
३६५. भाषण : जोहानिसबर्गमें (१३-७-१९१४)	४६३
३६६. भाषण : विदाई-भोजमें (१४-७-१९१४)	४६६
३६७. भेंट : 'ट्रान्सवाल लीडर' के प्रतिनिधिको (१४-७-१९१४)	४७०
३६८. पत्र : दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको (१५-७-१९१४ के पूर्व)	४७३
३६९. श्रद्धांजलि : सत्याग्रही शहीदोंको (१५-७-१९१४)	४७७
३७०. भाषण : ट्रान्सवाल भारतीय महिला-संघमें (१५-७-१९१४)	४७९
३७१. भाषण : मुसलमानोंकी सभामें (१५-७-१९१४)	४८०
३७२. भाषण : तमिल समाजकी सभामें (१५-७-१९१४)	४८५
३७३. भाषण : प्रिटोरियामें (१६-७-१९१४)	४८८
३७४. भाषण : गुजरातियोंकी सभामें (१६-७-१९१४)	४९०
३७५. कानूनी स्थिति (१८-७-१९१४ के पूर्व)	४९०
३७६. विदाईका पत्र (१८-७-१९१४)	४९३
३७७. भाषण : केप टाउनके विदाई-समारोहमें (१८-७-१९१४)	४९६
३७८. भेंट : 'केप आर्गस' के प्रतिनिधिको (१८-७-१९१४)	४९८
३७९. धन्यवादका सन्देश (१८-७-१९१४)	४९९
३८०. अन्तिम सत्याग्रह संघर्ष : भूमिका (२३-७-१९१४)	४९९
३८१. अन्तिम सत्याग्रह संघर्ष : मेरे अनुभव (२३-७-१९१४ के बाद)	५०१
३८२. पत्र : छगनलाल गांधीको (२८-७-१९१४)	५११
३८३. पत्र : रावजीभाई पटेलको (२९-७-१९१४)	५१२
३८४. पत्र : छगनलाल गांधीको (७-८-१९१४)	५१३
३८५. भाषण : लन्दनके स्वागत-समारोहमें (८-८-१९१४)	५१४
३८६. पत्र : उपनिवेश-उपमन्त्रीको (१०-८-१९१४)	५१७
३८७. एक गोपनीय गश्ती-पत्र (१३-८-१९१४)	५१८
३८८. पत्र : भारत-उपमन्त्रीको (१४-८-१९१४)	५१९
३८९. पत्र : सी० रावर्ट्सको (२४-८-१९१४)	५२०
३९०. पत्र : मगनलाल गांधीको (२६-८-१९१४)	५२१
३९१. पत्र : मगनलाल गांधीको (३-९-१९१४)	५२२
३९२. पत्र : मगनलाल गांधीको) (१३-९-१९१४)	५२३
३९३. पत्र : छगनलाल गांधीको (१९-९-१९१४)	५२४
३९४. परिपत्र : प्रशिक्षण दलके सम्बन्धमें (२२-९-१९१४)	५२५
३९५. पत्र : डॉ० अब्दुर्रहमानको (१-१०-१९१४)	५२६
३९६. भाषण : इंडियन फील्ड एम्बुलेन्स कोरके सामने (१-१०-१९१४)	५२७
३९७. पत्र : कर्नल आर० जे० बेकरको (१३-१०-१९१४)	५२८
३९८. प्रस्ताव (१३-१०-१९१४)	५३०

छब्बीस

३९९. पत्र : कर्नल आर० जे० बेकरको (१४-१०-१९१४)	५३०
४००. पत्र : सी० राबर्ट्सको (१६-१०-१९१४)	५३२
४०१. जे० ई० ऐंड्र्यूजको लिखे पत्रका अंश (२०-१०-१९१४)	५३४
४०२. पत्र : सी० राबर्ट्सको (२२-१०-१९१४)	५३४
४०३. पत्र : सी० राबर्ट्सको (२५-१०-१९१४)	५३५
४०४. पत्र : मगनलाल गांधीको (२५-१०-१९१४)	५३७
४०५. पत्र : मगनलाल गांधीको (२५-१०-१९१४)	५३८
४०६. पत्र : छगनलाल गांधीको (३१-१०-१९१४)	५३९
४०७. पत्र : 'इंडिया' को (४-११-१९१४)	५३९
४०८. एक परिपत्र (४-११-१९१४)	५४०
४०९. पत्र : छगलाल गांधीको (५-११-१९१४)	५४१
४१०. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (६-११-१९१४)	५४२
४११. पत्र : मगनलाल गांधीको (६-११-१९१४)	५४२
४१२. पत्र : मगनलाल गांधीको (१३-११-१९१४)	५४३
४१३. पत्र : जमनादास गांधीको (१३-११-१९१४)	५४४
४१४. पत्र : प्रागजी देसाईको (१५-११-१९१४)	५४५
४१५. पत्र : ए० एच० वेस्टको (२०-११-१९१४)	५४७
४१६. पत्र : गो० कृ० गोखलेको (२६-११-१९१४)	५४९
४१७. पत्र : मगनलाल गांधीको (४-१२-१९१४)	५५०
४१८. पत्र : मगनलाल गांधीको (१०-१२-१९१४)	५५१
४१९. पत्र : छगनलाल गांधीको (१०-१२-१९१४ के आसपास)	५५३
४२०. हिसाब : भारतीय आहत-सहायक दलका (१८-१२-१९१४)	५५४
४२१. भेंट : रायटरके प्रतिनिधिको (१८-१२-१९१४)	५५५
४२२. भाषण : लन्दनके विदाई-समारोहमें (१८-१२-१९१४)	५५५
४२३. पत्र : ए० एच० वेस्टको (२३-१२-१९१४)	५५७
४२४. पत्र : छगनलाल गांधीको (२३-१२-१९१४)	५५८

परिशिष्ट

१. सर्ल-निर्णयका पूरा पाठ (२१-६-१९१३)	५५९
२. प्रस्ताव : फ्रीडडोपकी सार्वजनिक सभामें (३०-३-१९१३)	५६१
३. गृह-मंत्रीका तार (१५-४-१९१३)	५६२
४. अ० मु० काछलियाका भाषण (२७-४-१९१३)	५६३
५. (१) गृह-मंत्रीका तार (२९-५-१९१३)	५६४
(२) उपनिवेश कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार (२९-५-१९१३)	५६५
६. प्रवास-नियमन विधेयक और अधिनियमका मसविदा (२८-६-१९१३)	५६६
७. प्रवासी अधिनियमके विनियम (२६-७-१९१३)	५७३
८. ई० एम० जॉर्जेसका पत्र (१९-८-१९१३)	५७७
९. उपनिवेश कार्यालयको भेजे गये गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश (२३-१०-१९१३)	५७९

सत्ताईस

१०. उपनिवेश कार्यालयको भेजे गये गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश (६-११-१९१३)	५८०
११. महान कूच (८-११-१९१३)	५८१
१२. जनरल बोथाके भाषणका अंश (१-११-१९१३)	५८३
१३. लॉर्ड ऐंम्टहिल्लके नाम पोलकका पत्र (१२-११-१९१३)	५८३
१४. (१) उपनिवेश कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार (१-१२-१९१३)	५८६
(२) उपनिवेश कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार (१९-१२-१९१३)	५८७
१५. (१) गृह विभागकी ओरसे पत्र (२४-१२-१९१३)	५८८
(२) उपनिवेश कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार (२२-१२-१९१३)	५८९
(३) उपनिवेश कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार (२३-१२-१९१३)	५९०
१६. लॉर्ड हार्डिंजका भाषण (३-१२-१९१३)	५९१
१७. गो० कृ० गोखलेके नाम वाइसरायका तार (२८-१२-१९१३)	५९२
१८. (१) गृह-मंत्रीका तार (५-१-१९१४)	५९३
(२) गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश (३१-१२-१९१३)	५९४
१९. गो० कृ० गोखले द्वारा जारी किया गया वक्तव्य (३१-१२-१९१३)	५९५
२०. गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश (२२-१-१९१४)	५९८
२१. गृह-मंत्रीका पत्र (२१-१-१९१४)	६००
२२. गवर्नर-जनरलसे ऐन्ड्रयूजकी मुलाकात (१३-१-१९१४)	६०१
२३. सॉलोमन-आयोगकी रिपोर्टके अंश (२५-३-१९१४)	६०२
२४. गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश (५-६-१९१४)	६०८
२५. भारतीय राहत-अधिनियम (१९१४)	६१०
२६. ई० एम० जॉर्जेसका पत्र (३०-६-१९१४)	६१३
२७. (१) उपनिवेश कार्यालयके नाम गवर्नर-जनरलका खरीता (४-७-१९१४)	६१३
(२) उपनिवेश कार्यालयके नाम गवर्नर-जनरलका खरीता (१०-७-१९१४)	६१७
२८. संघर्ष और उसके परिणाम (१९१४)	६१९
२९. सी० रॉबर्ट्सका पत्र (१४-८-१९१४ के बाद)	६२८
सामग्रीके साधन-सूत्र	६३०
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त	६३२
शीर्षक-सांकेतिका	५५६
सांकेतिका	५५९

१. पत्र : गृह-मन्त्रीको'

[फीनिक्स]

अप्रैल १, १९१३

[सेवामें
गृह-मन्त्री
केप टाउन]

प्रिय महोदय,

भारतीय विवाहोंकी वैधताके बारेमें जस्टिस सर्लके फैसलेसे^१, और नेटालके प्रवासी-अधिकारीके इस कथित वक्तव्यसे मेरे देशवासियोंमें बड़ा डर पैदा हो गया है कि यहाँके निवासी भारतीयोंकी सन्तान होनेका दावा करनेवाले लड़कों और लड़कियोंको तबतक न आने दिया जायेगा जबतक वे या उनके माता-पिता उनके जन्म-सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दें। और स्वयं सत्याग्रही भी अनुभव करते हैं कि वे अपनी स्थितिपर पुनर्विचार करनेके लिए विवश हैं।

न्यायमूर्ति सर्लके फैसलेके अनुसार, कोई भारतीय विवाह, चाहे वह दक्षिण आफ्रिकामें सम्पन्न हुआ हो या किसी दूसरी जगह, तबतक मान्य नहीं किया जा सकता जबतक वह केप प्रान्तके विवाह-कानूनके अनुसार न हुआ हो; अर्थात् ऐसा हरएक भारतीय विवाह अवैध है जो किसी विवाह-अधिकारीके सामने दर्ज न किया गया हो, या ईसाई रीतिसे सम्पन्न न हुआ हो। मेरी विनम्र सम्मतिमें यह स्थिति असहनीय है और इससे उन अधिकारोंमें बाधा पड़ती है जिनका उपभोग भारतीय अभीतक करते रहे हैं। और मुझे माननीय मन्त्री महोदयका ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित करनेकी आवश्यकता नहीं कि भारतमें हिन्दू, मुस्लिम या पारसी विधियोंसे किये गये विवाहोंको भारतीय कानूनके अनुसार पूरी मान्यता प्राप्त है।

बच्चोंकी बात लें तो यह सभी जानते हैं कि भारतमें बहुत कम बच्चोंकी पैदाइश दर्ज की जाती है। पैदाइश दर्ज कराना सबके लिए अनिवार्य नहीं है। इसलिए इक्का-दुक्का मामलोंको छोड़कर जन्मका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना लगभग असम्भव है।

इन दोनों मामलोंका व्यावहारिक परिणाम है अधिवासी भारतीयोंकी पत्नियों और नाबालिग बच्चोंका प्रवेश बिलकुल रोक देना। इन स्थितियोंमें मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि अन्य कारणोंके अतिरिक्त अस्थायी समझौतेपर^३ पूरा अमल करनेकी दृष्टिसे भी, नये प्रवासी विधेयकको ऐसा बनाना जरूरी है कि पत्नियों-

१. यह पत्र ७-३-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें " करेस्पॉन्डेन्स विद मि० फिशर " (श्री फिशरके साथ पत्र-व्यवहार) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था ।

२. देखिए परिशिष्ट १ ।

३. समझौतेकी शर्तोंके लिए देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ३९-४१ ।

सम्बन्धी जो स्थिति सर्लके निर्णयसे पहले थी, वह यथावत् बनी रहे। बच्चोंके सम्बन्धमें जारी की गई हिदायतें भी रद्द करना जरूरी है।

क्या मैं यह भी कह सकता हूँ कि सरकारको विवाह या बच्चोंकी उम्र या वल्दीयत-सम्बन्धी जो प्रमाण चाहिए, उनके विषयमें वह यदि समाजके प्रमुख लोगोंसे परामर्श कर ले तो उत्तम होगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय समाज पत्नियों और बच्चोंके सम्बन्धमें जालसाजी या धोखाधड़ीसे बचनेकी दृष्टिसे जाँच-पड़तालमें सरकारसे सहयोग करनेके लिए पूरी तरह तैयार है।^१

आपका विश्वस्त
[मो० क० गांधी]

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७४७)की फोटो-नकलसे।

२. तूफानका संकेत

जैसा कि बिलकुल मुनासिब था, जोहानिसबर्गने तूफानका संकेत कर दिया है। ब्रिटिश भारतीय संघने जो विशाल सार्वजनिक सभा^२ बुलाई थी वह पूरी तरह सफल रही। श्री काछलियाने विनयपूर्ण, पर दृढ़ चेतावनी दे दी है कि दक्षिण आफ्रिकामें कुछ ऐसे भारतीय हैं जो अपने तथा अपने देशके सम्मानके लिए अपना सर्वस्व देनेको तैयार हैं। हमें विश्वास है कि सभाने जो प्रस्ताव पास किये हैं उनपर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

ऐसा लगता है कि इस सभाका सरकारपर कुछ प्रभाव पहले ही पड़ चुका है। जोहानिसबर्ग सभाकी रायटरने जो रिपोर्ट दी है उसके तुरन्त बाद ही सर्लके फैसलेकी किसीके इशारेपर सफाई दी गई है। वह तार^३, जिसे हम पूरा छाप रहे हैं, न्यायाधीश सर्लके फैसलेके पूर्ण प्रभावको हल्का करके बतानेकी लंगड़ी और लचर कोशिश है। बाई मरियमकी सचाईपर शंका प्रकट की गई है; और बहुविवाहका सवाल नाहक ही खड़ा कर दिया गया है। किन्तु सर्लका फैसला इतना साफ और सुस्पष्ट है कि उसपर स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है। विद्वान् न्यायाधीशने स्वयं

१. गांधीजीके उक्त पत्रके उत्तरमें श्री फिशरने गृहमंत्रीकी ओरसे उत्तर दिया कि दक्षिण आफ्रिकामें यूरोपीयोंके आनेके बादसे केवल वे ही विवाह वैध माने जाते रहे हैं जो किसी मान्यता-प्राप्त विवाह-अधिकारीके सामने हुए हैं, और सर्लके फैसलेसे किसी नये सिद्धान्तकी स्थापना नहीं हुई है। इसी आधार-पर गृह-मंत्रीने गांधीजी द्वारा उठाये गये विवाह-सम्बन्धी मुद्देको अस्वीकार करते हुए प्रवासी विधेयकमें फेर-बदल करनेसे इनकार कर दिया। बच्चों और पत्नियोंके प्रवेशके विषयमें उन्होंने यह आश्वासन दोहराया कि सरकारका श्रादा चालू पद्धतिको बदलनेका नहीं है।

२. यह सभा मार्च ३०, १९१३ को हुई थी। उसमें पास किये गये प्रस्तावोंके लिए देखिए परिशिष्ट २।

३. इसे यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

ही कहा कि यह एक परीक्षात्मक मुकदमा है। दोनों पक्षोंने भी उसे इसी रूपमें समझा था, और न्यायाधीशके सामने सिर्फ यही सवाल था कि प्रवासी कानूनके मामलोंमें इस्लामके नियमोंके अनुसार की गई शादियोंको केपके न्यायालय मान्यता देंगे या नहीं। इस मुद्देपर माननीय न्यायाधीशने जोर देते हुए असन्दिग्ध निर्णय दिया है कि ऐसी शादियाँ अवैध हैं। यही मुद्दा है जिसपर जोहानिसबर्गकी सभामें विरोध प्रकट किया गया। सरकार इस फैसलेको उसकी तार्किक सीमा तक भले न ले जाये, उसमें इतना साहस भी नहीं है, किन्तु कानूनन यह सम्भव तो हो ही सकता है। सभाके सामने श्री रिचने अपने भाषणमें इस सम्भावनाका स्पष्ट निरूपण किया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारेमें हम तबतक चिन्ता नहीं करते जबतक कि वे हमारे सामने ही आकर खड़ी नहीं हो जातीं; किन्तु दूसरी कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनके घटित होनेकी सम्भावनाओंको हमें किसी भी तरह रोकना चाहिए। कोई भारतीय पति तबतक शान्त नहीं बैठ सकता जबतक उसकी पत्नीकी पद-मर्यादापर शंका उठाये जानेकी सम्भावना है और इस सम्भावनाके वास्तविकतामें बदल जानेपर उसके परिणामोंका खतरा मौजूद है।

इसलिए हमारी समझसे, श्री काछलियाके लिए यह सर्वथा उचित था कि उन्होंने यह सभा बुलाई। उक्त तथाकथित सफाईसे सभाकी माँगोंका बल कम नहीं किया जा सकता। यह भी उचित था कि तमिल लोगोंकी सभा सबसे पहले हुई। पिछले संघर्षमें तमिल लोगोंने ही सबसे ज्यादा कष्ट-सहन किया था। अब वे सबसे आगे हैं। हमें आशा है कि दक्षिण आफ्रिकाके अन्य नगर जोहानिसबर्गके नेतृत्वका अनुसरण और उसकी कार्रवाईका समर्थन करेंगे। और सबके बढ़कर तो, हमें हार्दिक आशा है कि सरकारके सामने जो सुनहला अवसर आया है उसे वह व्यर्थ नहीं जाने देगी और अपने विधेयकपर विचार करते समय इस विशाल सभाके सर्वथा उचित अनुरोधको मान लेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-४-१९१३

३. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१४]

६. कितना और कितनी बार खाया जाये ?

कौन-सी खुराक ठीक है, इसका विचार हम कर चुके हैं। अब हमें यह सोचनेकी जरूरत है कि कितनी मात्रामें और कितनी बार खाया जाये। इसके लिए एक अलग प्रकरण लिखना ही उचित होगा। कुछ अंशोंमें “कितनी बार खाया जाये” यह बात “कितना खाया जाये” के साथ ही जुड़ी हुई है। “कुछ अंशोंमें” कहनेका हेतु यह है कि भोजनक जितना परिमाण मनुष्यको खाना चाहिए उतना वह एक ही बारमें नहीं खा सकता। काना भी नहीं चाहिए। मतलब यह हुआ कि कितना खाया जाये और कितनी बार खाया जाये, ये दोनों बातें आपसमें अभिन्न ही हैं।

कितना खाया जाये, इस विषयमें डॉक्टरोंके अनेक मत हैं। एक डॉक्टरका कथन है कि खूब खाया जाये। उसने भिन्न-भिन्न प्रकारकी खुराकोंके गुणोंके आधारपर भोजनके परिमाण भी दिये हैं। एक अन्य डॉक्टरका कथन है कि मजदूर और मानसिक परिश्रम करनेवालोंकी खुराकका प्रकार और परिमाण अलग-अलग होना चाहिए। तीसरे डॉक्टरका मत है कि मजदूर हो, चाहे महाराजा, दोनोंको एक-सी खुराक खानी चाहिए। यह कोई नियम नहीं है कि गद्दीपर बैठे रहनेवालेका काम कम खुराकमें और मजदूरका अधिकमें ही चल सकता है। किन्तु निर्बल और बलवानकी खुराकका परिमाण कम-अधिक होना चाहिए, यह तो सभी जानते हैं। पुरुष और स्त्रीकी खुराकमें भी भिन्नता होती है। सयाने और बच्चे, बूढ़े और जवान आदिकी खुराकोंकी मात्रामें भी फर्क तो होता ही है। एक अन्य लेखक तो यहाँ तक कहता है कि मनुष्य यदि अपनी खुराक इतनी चबाये कि मुँहमें ही उसका तरल रस बन जाये और वह थूककी तरह अपने-आप गलेसे उतर जाये, तो फिर हमें ५ से १० तोले-भर खुराककी ही जरूरत रहेगी। इस मनुष्यने स्वयं हजारों प्रयोग किये हैं। उसकी पुस्तकोंकी हजारों प्रतियाँ बिकी हैं और उन्हें बहुत लोग पढ़ते हैं। ऐसी स्थितिमें कितना खाया जाये, इसके लिए परिमाण या मात्रा निर्दिष्ट करनेकी बात व्यर्थ है। किन्तु प्रायः सारे ही डॉक्टर ऐसा लिख गये हैं कि १००में ९९ मनुष्य जरूरतसे ज्यादा खुराक लेते हैं। यह बात

१. पहलेके अध्यायोंके लिए देखिए खण्ड ११। इन लेखोंको बादमें पुस्तकके रूपमें प्रकाशित किया गया। इस पुस्तकका हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओंमें अनुवाद हुआ। हिन्दी अनुवादके आधारपर ए० रामा अय्यरने अंग्रेजीमें **ए गाइड टु हेल्थ** नामक पुस्तक लिखी जिसे जुलाई १९२१ में मद्रासके एस० गणेशनने प्रकाशित किया। इस पुस्तकका कई यूरोपीय भाषाओंमें अनुवाद किया गया।

सन १९४२ में पूनाके आगाखॉ पैलेसमें अपनी नजरबन्दीके दौरान गांधीजीने गुजरातीमें एक पुस्तक लिखी जिसका डॉ० सुशीला नैयरने की टु हेल्थ शीर्षकसे अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया। यद्यपि इस पुस्तकका आधार इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित लेख-माला नहीं थी, किन्तु गांधीजीके अनुसार दोनोंमें कोई मौलिक भेद नहीं था।

इतनी साधारण है कि डॉक्टर न भी लिखें तो भी हम सभी इसे जानते हैं। इस भयसे कि कोई स्वेच्छासे कम खाकर अपनी तबीयत खराब न कर ले, ऐसा कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि कमसे-कम इतना तो खाया ही जाना चाहिए। वास्तवमें आवश्यकता तो यह कहनेकी है कि हम सभीको अपनी खुराकपर विचार करके उसे कम कर देना चाहिए।

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, भोजनका खूब चबाकर खाया जाना आवश्यक है। ऐसा करनेसे बहुत थोड़ी खुराकसे हम अधिकसे-अधिक बढ़िया सत्व प्राप्त कर सकेंगे और उससे हमें हर तरहसे लाभ होगा। यह भी बतलाया गया है कि जो मनुष्य उचित भोजन करता है और जितना पचा सके उतना ही खाता है, उसे दस्त भी थोड़ा, बँधा हुआ, कुछ-कुछ साँवला, चिकना, खुश्क और एकदम दुर्गन्ध-रहित होता है। जिसे इस प्रकारका दस्त नहीं होता, अवश्य ही उसने अधिक खाया है, अनुचित भोजन किया है और जो-कुछ खाया है उसे ठीक ढंगसे चबाकर मुँहमें लारके साथ मिलने नहीं दिया है। इस प्रकार मनुष्य अपनी मल-मूत्र आदि हाजतोंके आधारपर यह कह सकता है कि वह अधिक खाये या कम। जिसकी जीभ सुबह खराब हो, जो बेचैनीसे सोता हो, जिसे रातको स्वप्न आते हों, उसने अधिक खाया है। जिसे रातको पेशाबके लिए उठना पड़ता हो, उसने तरल पदार्थ जरूरतसे ज्यादा पिया है। इस प्रकार सूक्ष्म अवलोकन द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी खुराकका परिमाण तय कर सकता है। अनेक मनुष्योंके श्वासोच्छ्वासमें बू आती है। निश्चित ही ऐसे मनुष्यका भोजन ठीक ढंगसे हजम नहीं हो पाया है। कितनी ही बार ज्यादा खानेवाले मनुष्यको फोड़े हो जाते हैं। उसे मुँहासे फूटते हैं। उसकी नाक भरी होती है। इन सारे उपद्रवोंकी हम उपेक्षा कर जाते हैं। कुछ लोगोंको डकारें ही आया करती हैं और बहुतेरोंको अपानवायु। इन सबका अर्थ तो इतना ही है कि हमारा पेट निरा पाखाना बन गया है और हम सभी अपने संडासकी पेटकी साथ-साथ लिये घूमते-फिरते हैं। हमें यदि अवकाश मिले और इस सम्बन्धमें हम गहरा विचार करने बैठें, तो हमें अपनी इन कुटेवोंके प्रति तिरस्कार हुए बिना न रहेगा और हम भूलकर भी अधिक भोजन नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, हम भोजनकी और भोजोंकी बात करना ही छोड़ देंगे। तब हम सामाजिक भोजोंमें शरीक होने और समाजको खिलानेके नियमका कदापि पालन नहीं करेंगे और हमारे आतिथ्य-सत्कारका ढंग ही बदल जायेगा। हम खुद उससे सुखी होंगे और अतिथियोंको भी सुखसे रख सकेंगे। दावतोंका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। दतौन करनेके लिए हम किसीको निमन्त्रण नहीं देते, पानी पीनेके लिए भी नहीं; ठीक इसी प्रकार भोजन भी तो एक शारीरिक व्यवहार ही है। उसे करते हुए इतनी व्यर्थकी खटपट क्यों? मेहमान क्या आये, उनकी और हमारी कमबस्ती आ गई! सच बात तो यह है कि परम्परामें पड़कर हमने अपने मुँहको बिगाड़ रखा है, और खानेका कोई-न-कोई बहाना ढूँढ़ते रहते हैं। मेहमानोंको खूब खिला-पिलाकर उनके यहाँ डटकर दावत उड़ानेकी उम्मीद रखते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे अवसर ढूँढ़कर हम अधिकाधिक पकवान उड़ानेकी तरकीबें सोचते रहते हैं। इस प्रकार डटकर भोजन करनेके एक घंटा बाद यदि हम किसी शुद्ध और स्वच्छ शरीर-

वालेको अपना मंह सूंघनेके लिए कहें और उसकी राय जानना चाहें, तो हमें शरमिन्दा होना पड़गा। ऐसे शौकीन लोग भी हैं कि जो बढ़िया माल खानेके लिए खानेके बाद तुरन्त ही फ्रूट सॉल्ट पीते हैं अथवा खाये हुए को उलटी द्वारा निकालकर पुनः पकवान खाने बैठ जाते हैं।

हम सभी कुछ-न-कुछ ऐसे ही हैं। इसीलिए तो हमारे महापुरुषोंने हमारे लिए उपवास, रोज़े आदिके व्रत निश्चित किये हैं। रोमन कैथॉलिक ईसाइयोंमें भी बहुत उपवास होते हैं। केवल शरीरके आरामके लिए मनुष्य यदि प्रति पक्षमें एक दिन उपवास करे या एक समय भोजन करे, तो इससे कोई हानि नहीं होगी; बल्कि बहुत फायदा होगा। चौमासेमें बहुत-से हिन्दू एक बार भोजन करनेका व्रत रखते हैं। ऐसा करनेमें भी हेतु आरोग्य ही होता है। जब हवामें अधिक नमी हो, सूर्यके दर्शन न हो रहे हों, तो ऐसेमें आँतें पूरा काम नहीं कर पातीं। इसलिए ऐसे समयमें मनुष्यको खुराक भी कम लेनी चाहिए।

अब कितनी बार खाया जाये, इसका विचार करें। हिन्दुस्तानमें असख्य मनुष्य केवल दो बार ही भोजन करते हैं। तीन बार खानेवाला मजदूर वर्ग ही हो सकता है और चार बार खानेवाले तो अंग्रेजियतकी हवा बहनेके बाद पैदा हुए मालूम होते हैं। हाल ही में अमेरिका और इंग्लैंडमें भी कुछ समितियाँ स्थापित हुई हैं। उनका काम केवल इसी बातका उपदेश देना है कि मनुष्यको दोसे अधिक बार नहीं खाना चाहिए। इन समितियोंकी सलाह है कि हमें सुबहका नाश्ता करना ही नहीं चाहिए। रातको जो नींद ली जाती है, वह भी खुराककी जरूरत पूरी करती है। अतः सुबहके समय हमें खानेके लिए नहीं, बल्कि काम करनेके लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये लोग ऐसा मानते हैं कि पहर-भर काम करनेके बाद ही हमें खानेकी बात सोचनी चाहिए। इस प्रकार ये लोग दिनमें दो ही बार भोजन करते हैं। मध्यान्तरमें चाय आदि भी नहीं लेते। इस विषयपर ड्यूवी नामक सुप्रसिद्ध डॉक्टरने एक पुस्तक लिखी है। अपनी इस पुस्तकमें वे बतलाते हैं कि उपवाससे, नाश्ता न करनेसे और कम खाने आदिसे अनेक लाभ हैं। ८ वर्षोंसे मेरा अपना अनुभव तो यह है कि युवावस्था गुजर जानेके बाद तो दोसे अधिक बार खानेकी आवश्यकता बिलकुल ही नहीं रहती। मनुष्यकी काठी बँध चुकने और उसके शरीरकी पूरी बाढ़ हो चुकनेके बाद उसे अधिक बार या अधिक मात्रामें खानेकी आवश्यकता नहीं बच रहती।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-४-१९१३

४. तार : गृह-मन्त्रीको'

[फीनिक्स]

अप्रैल ९, १९१३

गृह-मन्त्री

[केप टाउन]

प्रवासी विधेयक अभी-अभी पढ़ा। भारतीय दृष्टिकोणसे देखनेपर इसके बारेमें गम्भीर आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं। यह अस्थायी समझौतेके विरुद्ध मौजूदा कई अधिकारोंमें दखल देता है। खण्ड तीनसे सर्वोच्च न्यायालयका तत्सम्बन्धी न्याय-क्षेत्र छिन जाता है। जान पड़ता है खण्ड चारके उप-खण्ड १ की धारा (क)से उन शिक्षित भारतीयोंका अधिकार छिन जायेगा जिन्होंने इससे पहले केप या नेटालमें अपनी शिक्षाके आधारपर प्रवेश किया है। वही धारा फ्री स्टेटमें किसी शिक्षा-परीक्षा पासशुदा प्रवासीके निषेधका भी विधान करती है। खण्ड चारका उप-खण्ड तीन नेटाल और केपके भारतीयोंके किसी भी बन्दरगाहसे पुनः प्रवेश कर सकनेके मौजूदा अधिकारोंको काफी हदतक प्रतिबन्धित कर देता है। खण्ड पाँचके उप-खण्ड १ से नेटालके जो भारतीय ठीक-ठीक अर्थोंमें अधिवासी तो नहीं हैं, किन्तु लम्बे असेसे वहाँ रहते हैं वे अबतक के मिले हुए अधिकारोंसे वंचित हो जाते हैं। खण्ड पाँचकी व्यवस्थासे ट्रान्सवाल पंजीयन प्रमाणपत्रों और नेटाल निवास प्रमाणपत्रोंकी कानूनी वकत कम हो जाती है। ऐसा नहीं लगता कि विधेयकसे मौजूदा कानूनके अन्तर्गत केप या नेटालमें शिक्षित भारतीयोंके प्रवेशके अधिकारकी और केपके कानूनोंके अन्तर्गत दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंके केपमें प्रवेशके अधिकारकी रक्षा होती है। अन्तमें सर्लके फैसलेको देखते हुए विधेयकमें ऐसे संशोधनकी जरूरत है जिससे भारतीय धर्मोंके अनुसार किये गये विवाह वैध हो सकें और वैध पत्नियों और नाबालिग बच्चोंकी रक्षा की जा सके। आशा है मन्त्री उक्त आपत्तियोंपर सहानुभूतिसे विचार करेंगे। इस प्रकार सत्याग्रहकी पुनरावृत्ति और उससे होनेवाले कष्टोंसे बचा जा सकता है।^१

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें संशोधित टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५२), की फोटो-नकल से।

१. बिल्कुल ऐसा ही तार संसदके दो सदस्यों, श्री डमंड चैपलिन और सर टॉमस स्मार्टको भी भेजा गया था। इसे बादमें ७-६-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित किया गया। तारपर गांधीजीने अपने हाथसे ये शब्द जोड़ दिये थे: "श्री गांधीका ९ अप्रैल, १९१३ को मन्त्रीके नाम भेजा गया तार।" इसकी एक प्रति गांधीजीने श्री गोपाल कृष्ण गोखलेको भी भेजी थी। इसी प्रकारका एक तार १५ अप्रैलको श्री काछलियाने ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे भेजा था।

२. गृह-मन्त्रीके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ३।

५. तार : गृह-मन्त्रीको

फीनिक्स

अप्रैल ९, १९१३

गृह-मन्त्री
केप टाउन

मेरा आजका तार^१ अब मैं देखता हूँ खण्ड पाँचके उप-खण्ड (छ) से शिक्षित प्रवासियोंकी पत्नियों और नाबालिग बच्चोंकी रक्षा नहीं होती जबकि पहले विधेयकसे होती थी। विधेयकमें यह स्पष्ट नहीं है कि फ्री स्टेटमें शिक्षित प्रवेशार्थियोंको कोई ज्ञापन (डिक्लेरेशन) नहीं देना पड़ेगा; अलबत्ता उनपर व्यापार, खेती-बाड़ी और भूमिके स्वामित्वसे सम्बन्धित प्रतिबन्ध लागू रहेंगे। कृपया सूचित करें कि दूसरे परिशिष्टमें १९०७ के अधिनियम २ को रद्द करनेकी अवधि बढ़ानेके लिए वे शब्द क्यों जोड़े गये हैं जो पिछले विधेयकमें नहीं हैं।^३

गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें संशोधित टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५३), की फोटो-नकलसे।

६. पत्र : ई० एफ० सी० लेनको

फीनिक्स

नेटाल

अप्रैल ९, १९१३

प्रिय श्री लेन,

पत्रोंमें यह सूचना निकली है कि प्रवासी विधेयककी पूरी जिम्मेदारी जनरल स्मट्सपर रहेगी। विधेयकका पूरा पाठ मैंने अभी-अभी देखा है। मैंने सरकारको जो तार^१ भेजा है उसकी नकल संलग्न कर रहा हूँ। इससे जनरल स्मट्सको स्पष्ट हो जायेगा कि केवल सत्याग्रहकी दृष्टिसे भी यह विधेयक कितना अधिक आपत्तिजनक है। आप देखेंगे कि मेरे तारमें लगभग सभी मुद्दोंकी चर्चा है। आपको शायद याद हो कि इनमें से कुछ आपत्तियोंपर विस्तारपूर्वक विचार-विनिमय किया गया था और,

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. गृह-मन्त्रीके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ३।

३. देखिए “तार : गृह-मन्त्रीको”, पृष्ठ ७।

जहाँतक मैं समझता हूँ, जनरल स्मट्सने उन सभीको दूर करनेका वचन दिया था। तारमें एक बात छूट गई है। उनके और मेरे बीच पिछले साल जो पत्र-व्यवहार हुआ था, उसमें मैंने यह पूछा था कि क्या फ्री स्टेटकी संरक्षण (रिजर्वेशन)-सम्बन्धी धाराके अन्तर्गत शिक्षित प्रवेशार्थियोंको कोई ज्ञापन (डिक्लेरेशन) देना पड़ेगा। यदि यह वांछनीय हो, तो उक्त धारामें कुछ ऐसा फेरफार करना होगा जिससे अचल संपत्तिके स्वामित्व और खेती-बारी आदिका निषेध भले ही बरकरार रहे, लेकिन उन लोगोंके सम्बन्धमें ज्ञापनकी शर्त हटा दी जाये जो प्रस्तावित कानूनके अन्तर्गत प्रवासीके रूपमें संघमें आयें।

भारतीय धार्मिक रीतियोंसे विवाहका प्रश्न एक हदतक नया मुद्दा माना जा सकता है। किन्तु क्या यह मुद्दा वास्तवमें नया है? मैंने निश्चय ही सपनेमें भी नहीं सोचा था कि भारतीयोंके विवाहोंको संघकी अदालतोंमें अबतक प्राप्त मान्यता गैर-कानूनी थी। इस बातसे एक क्षणके लिए भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सर्लके फैसलेसे भारतीय समाजके अस्तित्वको धक्का लगा है और उसकी नींव हिल गई है।

आप कृपा करके यह पत्र जनरल स्मट्सके सामने रखें और पूछें कि विधेयककी जिम्मेदारी उनपर न हो तो भी क्या मैं उनसे सहायताकी आशा कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ वे मेरे इस आश्वासनको मान लेंगे कि मैं सत्याग्रहके लिए लालायित नहीं हूँ। सच कहूँ, तो मुझे विधेयकमें भावना और भाषा, दोनोंकी दृष्टिसे अस्थायी समझौतेके पालन किये जानेका इतना विश्वास था कि मैं जूनमें भारत जानेकी तैयारी कर रहा था। मुझे भय है कि यदि आपत्तियाँ दूर न की गईं तो भयंकर संघर्षका फिर छिड़ जाना अवश्यम्भावी है।

हृदयसे आपका,

श्री ई० एफ० सी० लेन
निजी सचिव, जनरल स्मट्स
केप टाउन

[पुनश्च:]

अभी-अभी एक नई बात मालूम हुई है, इसलिए मैंने गृह-मन्त्रीको एक और तार^१ दिया है। उसमें मैंने फ्री स्टेटकी कठिनाई बताई है।

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५४)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए खण्ड २२।

२. देखिए पिछला शीर्षक।



७. तार : ब्रिटिश भारतीय संघको

[फीनिक्स
अप्रैल ९, १९१३के बाद]

बिआस^१
जोहानिसबर्ग

विधेयक पढ़ा। स्वीकार नहीं। केपको पूरे तार^२ भेजे। आशा है लड़ाईके लिए सब तैयार।

गांधी

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५९)की फोटो-नकलसे।

८. पत्र : गवर्नर-जनरलके निजी सचिवको

२१-२४, कोर्ट चैम्बर्स
रिसिक स्ट्रीट
जोहानिसबर्ग
अप्रैल १०, १९१३

परमश्रेष्ठ गवर्नर-जनरल महोदयके
निजी सचिव
प्रिटोरिया
महोदय,

मैं इस पत्रके साथ उन प्रस्तावोंकी^१ तीन-तीन प्रतियाँ आपकी सेवामें भेज रहा हूँ जो गत माह ३० तारीखको फ्रीडडॉर्पके हमीदिया इस्लामिया भवनमें आयोजित ब्रिटिश भारतीयोंकी आम सभामें पास किये गये थे। मैं अनुरोध करूँगा कि परमश्रेष्ठ इन्हें माननीय उपनिवेश-मन्त्री और माननीय भारत-मन्त्रीको प्रेषित करनेकी कृपा करें।

आपका

अ० मु० काछलिया
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स : ५५१/३९

१. ब्रिटिश भारतीय संघका तारका पता।
२. स्पष्ट ही गांधीजीका अभिप्राय उन तारोंसे है जो उन्होंने अप्रैल ९, १९१३ को गृह-मन्त्रीको भेजे थे; देखिए पृष्ठ ७-८।
३. देखिए परिशिष्ट २; और "तूफानका संकेत", पृष्ठ २-३ भी।

९. पत्र : गृह-सचिवको

फीनिक्स

अप्रैल ११, १९१३

सेवामें
गृह-सचिव
केप टाउन
महोदय,

आपका इसी ४ तारीखका कृपापत्र प्राप्त हुआ। मैं मन्त्री महोदयको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वे दो नाम मंजूर कर लिये हैं जिन्हें गत वर्ष शिक्षित प्रवेशार्थियोंकी सूचीमें से निकाल दिया गया था।

मेरा मन्शा यह नहीं है कि मैं भविष्यमें प्रवेशार्थियोंके जो नाम पेश करूँ, हमेशा वे सब स्वीकार ही कर लिये जाने चाहिए। लेकिन मेरा इतना निवेदन अवश्य है कि जबतक समझौता अस्थायी स्थितिमें है तबतक ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेवाले जिन छः व्यक्तियों तक के नाम अपनी प्रातिनिधिक हैसियतसे मैं पेश करूँ, सरकार उन्हें स्वीकार कर ले। ज्यों ही समझौतेको अन्तिम रूप दिया जाये, जैसी कि मैं आशा करता हूँ कि चालू अधिवेशनमें हो जायेगा, त्यों ही प्रवेशार्थियोंके नामोंका चुनाव करनेकी कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाये जो सरकार और भारतीय समाज, दोनोंके लिए सन्तोषजनक हो।

मेरा अपना खयाल है कि प्रवेशार्थियोंके चुनावमें भारत सरकारकी कोई राय नहीं ली जा सकती। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि उसे स्थानीय लोगोंकी आवश्यकताओंका अन्दाज नहीं है। मेरी समझमें यदि समझौतेको अन्तिम रूप देनेके बाद विभिन्न भारतीय संस्थाएँ और दल बहुत-से नाम प्रस्तुत करें तो उनमें से प्रत्येक प्रार्थनापत्रको बारीकीसे देखना और किसी खास सालके लिए पूर्व-निर्धारित संख्यामें प्रस्तुत नामोंमें से प्रवेशार्थियोंका चुनाव करना सरकारका काम होगा।

आपके पत्रसे मुझे यह आभास भी मिलता है कि प्रवेशार्थियोंको अमुक प्रान्तों तक ही सीमित कर दिया जायेगा। मैं इस बातकी ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि समझौतेके अनुसार समस्त संघके लिए जो भी सामान्य विधेयक होगा उसके अन्तर्गत शिक्षित प्रवेशार्थी संघके किसी भी प्रान्तमें प्रवेश कर सकेंगे और बस सकेंगे। हाँ, उसमें स्थानीय नियोग्यताओंका, जो प्रवाससे सम्बन्धित न होंगी, ध्यान रखा जायेगा। निवेदन है कि समझौतेका कुल सार यही है कि प्रवासके मामलेमें नये भारतीय प्रवासियोंको ऐसी कोई नियोग्यता सहनी नहीं पड़ेगी जो दूसरे वर्गों या दूसरी जातियोंपर लागू नहीं है। लेकिन आपके तारसे प्रकट होता है कि इस समय यह मामला मेरे उठाये हुए दूसरे मुद्दोंके साथ-साथ सरकारके विचाराधीन है।

१. ६० एम० जॉर्जेस ।

मैं प्रिटोरियाके प्रवासी-कार्यालयसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिन दो सज्जनोंके नाम स्वीकार कर लिये गये हैं, उनके अनुमतिपत्र मुझे दे दिये जायें।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७६२) की फोटो-नकलसे।

१०. पत्र : एशियाई-पंजीयकको

[फीनिक्स]

अप्रैल ११, १९१३

एशियाई-पंजीयक
प्रिटोरिया
महोदय,

हमें मालूम हुआ है कि आप पंजीकृत भारतीयोंकी पत्नियोंके मामलेमें सबूतके तौरपर भारतके किसी प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेटका इस आशयका प्रमाणपत्र माँगते हैं कि जो स्त्री अमुक पंजीकृत भारतीयकी पत्नी होनेका दावा करती है वह उस मजिस्ट्रेटके सामने पेश की गई गवाहीसे प्राप्त जानकारीके अनुसार उस भारतीयकी पत्नी है; और इस प्रमाणपत्रपर उस पंजीकृत भारतीयकी, यदि वह उस समय भारतमें हो तो, अँगूठा-निशानीकी भी अपेक्षा रखते हैं।

हमें यह भी मालूम हुआ है कि आप नाबालिग बच्चोंके मामलेमें सबूतके तौर पर किसी प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेटका इस आशयका प्रमाणपत्र माँगते हैं कि उसके सामने प्रस्तुत बालक अदालतमें पेश की गई गवाहीसे प्राप्त जानकारीके अनुसार उस व्यक्तिकी सन्तान है जो उसका पिता होनेका दावा करता है; और इस प्रमाणपत्रपर बच्चेकी अँगूठा-निशानी और यदि उसका पिता भारतमें हो तो उसकी अँगूठा-निशानी भी होनी चाहिए।

यदि आप हमें यह बता सकें कि हमें जो जानकारी मिली है वह ठीक है या नहीं, तो हम आपके आभारी होंगे। वैसे हमने यह जानकारी ['इंडियन ओपिनियन' के] अपने गुजराती स्तम्भोंमें प्रकाशित कर दी है; किन्तु यदि हमें आपसे यह सूचना अधिकृत रूपमें मिल सके तो इससे भारतीय दावेदारोंको बड़ी सहायता मिलेगी और वे भविष्यमें अनावश्यक परेशानी और देर-दारसे बच जायेंगे।

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७६४)की फोटो-नकलसे।

११. नया विधेयक

चिर-प्रतीक्षित प्रवासी विधेयक आखिर प्रकाशित कर दिया गया है। इतना तो बिना हिचक कहा जा सकता है कि वह निराशाजनक है, पहले विधेयकसे भी बुरा है और कई महत्वपूर्ण बातोंकी दृष्टिसे उसमें अस्थायी समझौता कार्यान्वित नहीं किया गया है। अन्यत्र उन मुद्दोंकी विस्तृत सूची दी गई है,^१ जिनके सम्बन्धमें इस विधेयकसे समझौतेकी पूर्ति नहीं होती। ऐसा है, यह दुःखकी बात है। सरकारने समझौतेकी शर्तोंके पालनका इरादा इतनी बार जाहिर किया है कि जिन्होंने उस समझौतेको तनिक भी समझा है उन्हें यह विधेयक देखकर भारी मानसिक ठेस लगेगी। विधेयकसे इस सन्देहकी पुष्टि होती है कि सरकार हमें उतना ही देना चाहती है जितना दिये बिना गुजारा नहीं। वह उन लोगोंका भी अहित करना चाहती है जिनके अधिकार संघमें स्थापित हो चुके हैं और वह जैसे-बने-वैसे हमारा सर्वनाश करना चाहती है। इस निर्मम नीतिको कार्यान्वित करनेमें, अपने इस शानदार विधेयकमें वह भरसक आगे बढ़ी है। यदि यह विधेयक इसी रूपमें कानून बन जाता है तो उससे हमारे कुछ प्रिय वर्तमान अधिकार खत्म हो जायेंगे और हमारी असुरक्षित स्थिति और अधिक असुरक्षित हो जायेगी। विधेयकमें फ्री स्टेटकी कठिनाईको हल करनेके बजाय केवल शाब्दिक जाल ही रचा गया है और वह अनीतिपूर्ण चतुराईमें ट्रान्सवालके प्रवासी कानूनके बिलकुल समकक्ष है। ट्रान्सवालके प्रवासी कानूनने, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, एक ऐसा कानूनी जाति-भेद पैदा किया है जिसे ट्रान्सवालके कानूनोंका अच्छा ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियोंके सिवा अन्य कोई भाँप भी नहीं पाया। हमें लगता है कि इसी तरह यह विधेयक भी कानूनी जाति-भेदको जन्म देता है और साधारण व्यक्ति इस बातको समझ भी नहीं पाता।

यदि सरकार झुकती नहीं है और विधेयकमें कोई ठोस सुधार नहीं करती तो फिरसे सत्याग्रह और उसके साथ ही सभी पुरानी परेशानियाँ, और तकलीफें प्रारम्भ हुए बिना नहीं रहेंगी। जो घर अभी फिरसे आबाद हुए हैं, वे फिर बरबाद हो जायेंगे। उन सत्याग्रहियोंको, जो फिर अपने सामान्य घन्धोंमें लग गये हैं, सब कुछ छोड़कर नये सिरेसे दक्षिण आफ्रिकाकी जेलोंमें शाही आतिथ्य स्वीकार करना होगा। हम अब भी आशा करते हैं कि सरकार राहत देनेका कोई मार्ग निकालेगी। किन्तु यदि वह नहीं निकालती तो हमें कष्ट-सहनमें फिर सुख अनुभव करनेका पाठ सीखना ही होगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३

१. देखिए “ विधेयकका परिणाम ”, पृष्ठ १५-१६ ।

१२. वैवाहिक उलझन

विवाहके प्रश्नपर सर्वोच्च न्यायालयकी नेटाल प्रान्तीय शाखाके मास्टरका पत्र, और उसपर ली हुई वकीलकी सम्मति -- दोनोंको अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है।^१ इन दोनोंसे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाजके सामने जो समस्या है, वह कितनी महत्त्वपूर्ण है। मास्टर स्वयं भी अपने रुखका पूरा महत्त्व समझता है, और इसीलिए उसने मृत व्यक्तिकी वसीयतके यूरोपीय प्रबन्धकर्ता (एक्जीक्यूटर) को सुझाव दिया है कि वस्तुस्थितिके निर्धारणके लिए मामलेका सर्वोच्च न्यायालयमें पेश किया जाना ठीक होगा। भारतीय समाजके लिए गैर-ईसाई पद्धतिसे हुए भारतीय विवाहोंकी दृष्टिसे कानूनमें संशोधन करना कितना आवश्यक है, यह बात जितने स्पष्ट रूपमें इस मामलेसे प्रकट हुई है, उतनी अन्य किसी बातसे सम्भव नहीं थी।

हालमें जोहानिसबर्गमें हुई विशाल सभामें जो प्रस्ताव पास किये गये थे उनके बारेमें श्री काछलियाको सरकारका जो उत्तर मिला वह जाहिरमें तसल्लीबख्श है। उसने श्री काछलियाको और उनके जरिये भारतीय समाजको आश्वासन दिया है कि सर्लके फैसलेके बावजूद सरकारका इरादा अभी तक प्रचलित प्रथाको तोड़नेका नहीं है। हम इस आश्वासनको स्वीकार करते हैं, पर इसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। महत्त्वपूर्ण मामलोंमें, किसी वास्तविक कानूनी स्थितिके विपरीत पड़नेवाले आश्वासनोंसे कोई राहत नहीं मिल सकती। क्योंकि प्रस्तुत मामलेमें समस्या प्रतिवर्ष चन्द भारतीय पत्नियोंको संघमें प्रवेश करानेकी नहीं, बल्कि यह मालूम करनेकी है कि भारतीय स्त्रियोंका दर्जा सिद्धान्त-रूपमें क्या है। साफ शब्दोंमें कहे तो सर्ल-फैसलेने उन्हें धर्म-पत्नीत्वके सम्माननीय दर्जेसे उतार कर रखैलका दर्जा दे दिया है। अब कानूनकी निगाहमें श्रीमती काछलिया, श्रीमती नायडू, श्रीमती कामा और श्रीमती गांधी रखैलें हैं, और उनके बच्चे अपने माता-पिताओंकी भद्र और प्रिय पुत्र-पुत्रियाँ नहीं, बल्कि अवैध सन्तानें हैं। यदि कानून उनके प्रियजनोंको समाजका कोढ़ माने और सरकार इनायत फरमा कर वैसा न माने, तो इन लोगोंको इस बातसे क्या सन्तोष मिल सकता है? यह तो हुई सवालके भावना-पक्षकी बात, जो हमारे लिए सबसे अधिक वास्तविक है। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज भावनाको चोट पहुँचाती है वही उसकी वास्तविकतापर भी आघात करती है। जो हो, विवाहके प्रश्नकी स्थिति यही है। जनूबीका मुकदमा^२ हमारे आशयको स्पष्ट कर देता है। सरकारकी कृपा-भावनासे गरीब विधवाको कोई राहत नहीं मिलती। सर्वोच्च न्यायालयके मास्टरको यह विवेकाधिकार नहीं है कि जिस कानूनका पालन कराना है, उसे कार्यान्वित करनेके अतिरिक्त वह कुछ और करे। जबतक सर्ल-फैसला कायम है, तबतक उसे [मास्टरको] जनूबीको

१. इन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

२. देखिए "जनूबीका मामला", पृष्ठ १८-१९।

अपने पतिकी विधवाके रूपमें नहीं, बल्कि उसकी रखैलके रूपमें ही मानना होगा; और इसीलिए जनूबी उत्तराधिकार-शुल्ककी माफी पानेकी हकदार नहीं होगी। सारी सदिच्छाओंके बावजूद सरकार कोई राहत देनेमें असमर्थ है, क्योंकि जिस प्रकार वह प्रवासी अधिकारीको आदेश दे सकती है उस प्रकार मास्टरको आदेश नहीं दे सकती। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि जोहानिसबर्गकी विशाल सभाके अनुरोधके अनुसार कानूनमें संशोधन किया जाये। सरकारके लिए आवश्यक राहत देनेका यह एक सुनहला अवसर है। सरकारने जो प्रवासी विधेयक अभी प्रकाशित किया है, उसमें मामूली-सा संशोधन करके वह ऐसा कर सकती है और यही उसकी सदिच्छाका सर्वोत्तम प्रमाण होगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३

१३. विधेयकका परिणाम

उक्त [प्रवासी] विधेयक अस्थायी समझौतेको कार्यान्वित नहीं करता, क्योंकि वह मौजूदा अधिकारोंको भी छीन लेता है; यह बात समझौतेके विरुद्ध है; कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:

(१) खण्ड ३ न्यायालयके उस अधिकारको छीन लेता है, जिसका मौजूदा कानूनोंके सम्बन्धमें अबतक उपयोग किया जाता था। ये कानून ही अब रद्द किये जा रहे हैं।

(२) जान पड़ता है, खण्ड ४ के उपखण्ड १ की धारा (क) वे सब अधिकार छीन लेती है जो शिक्षा-सम्बन्धी कसौटीमें पास होनेपर केप या नेटालमें प्रवेश करनेवाले शिक्षित भारतीयोंको प्राप्त हुआ करते थे।

(३) खण्ड ४ का उपखण्ड ३ नेटाल और केपके भारतीयोंको किसी भी बन्दरगाहसे होकर पुनः प्रवेश करनेके प्राप्त अधिकारोंपर प्रतिबन्ध लगाता है।

(४) खण्ड ५ का उपखण्ड (च) नेटालके उन भारतीयोंको अधिवासके अधिकारोंसे वंचित करता है जो ठीक अर्थमें अधिवासी तो नहीं हैं, परन्तु वहाँ अपने दीर्घकालीन निवासके कारण अबतक अधिवासके अधिकारोंका उपभोग करते रहे हैं। उक्त उपखण्डके फलस्वरूप नेटालमें निवास करनेवाले हजारों भारतीय "निषिद्ध प्रवासी" हो जायेंगे।

(५) अवधान-धारा (प्राँविजो) खण्ड ५, ट्रान्सवालके पंजीयन प्रमाणपत्रोंके कानूनी प्रभावको काफी हद तक निरर्थक कर देती है। अधिकांश मामलोंमें तिहरे पंजीयनके बावजूद, उक्त विधेयकके अन्तर्गत ये प्रमाणपत्र, लॉर्ड मिलनरके शब्दोंमें, "ट्रान्सवालमें अधिवासका पक्का अधिकार देनेकी क्षमता खो देते हैं", क्योंकि इस विधेयकके अनुसार यदि कोई तीन साल तक ट्रान्सवालसे अनुपस्थित रहता है तो इन प्रमाणपत्रों द्वारा उसे अधिवासका जो अधिकार प्राप्त हुआ था वह रद्द हो जाता है।

(६) यदि कोई अधिवासी तीन वर्ष तक अनुपस्थित रहे तो यही अवधान-धारा नेटालके निवास-सम्बन्धी उसके प्रमाणपत्रोंको भी अवैध करार देती है।

(७) वही अवधान-धारा केप व ट्रान्सवालके भारतीयोंके नेटालकी वर्तमान शिक्षा-कसौटीको पास कर लेनेपर नेटालमें प्रवेश कर सकनेके अधिकारको, और इसी प्रकार नेटाल व ट्रान्सवालके भारतीयोंके केपकी शिक्षा-कसौटीको पास कर लेनेपर केपमें प्रवेश कर सकनेके अधिकारको सीमित करती है।

(८) वही अवधान धारा दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयों द्वारा केपके वर्तमान कानूनके अधीन उसमें प्रवेश कर सकनेके उनके अधिकारका अपहरण करती है।

यदि हम केवल सत्याग्रहके दृष्टिकोणसे विधेयकपर आगे विचार करते हैं तो उसमें निम्नलिखित त्रुटियाँ भी दिखाई पड़ती हैं :

(१) खण्ड ४ के उपखण्ड १ की उपधारा (क) का मन्शा फ्री स्टेटमें शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षा पास कर लेनेवाले नये प्रवासियोंके प्रवेशका निषेध करना जान पड़ता है।

(२) यदि विधेयक ऐसे प्रवेशका निषेध न भी करता हो तो भी हर शिक्षित प्रवासीसे वह ऐसा प्रतिज्ञा-पत्र चाहता है, जिसकी आव्रजक-रूपमें किसी आव्रजकसे अपेक्षा नहीं की जा सकती।

(३) खण्ड ५ की उपधारा (छ) नये प्रवासियोंकी पत्नियों और उनके नाबालिग बच्चों द्वारा अपने पति और पिताके साथ संघमें प्रवेश कर सकनेके अधिकारको स्वीकार नहीं करती।

(४) सर्ल-फैसलेसे भारतीय विवाहों और ऐसे विवाहोंसे उत्पन्न नाबालिग बच्चोंके सम्बन्धमें दक्षिण आफ्रिकाके कानूनोंकी जो त्रुटि सामने आई है, यह विधेयक उसे दूर नहीं करता।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३


१४. नया और पुराना विधेयक

उपर्युक्त विधेयक और १९१२ के उस मसविदेमें जो बादमें निष्फल ठहरा था, अनेक स्थलोंपर विरोध और सामंजस्य पाया जाता है। नये विधेयकका ढाँचा १९१२ के विधानसे बहुत भिन्न है। इस विधेयकका खण्ड १, सन् १९१२ के विधेयकके खण्ड ३ के उपखण्ड १ और २ से मिलता-जुलता है, किन्तु पुराने विधेयकके खण्ड ३ के उपखण्ड ३ को नये विधेयकमें प्रशासन प्रणाली एवं प्रशासनका अधिकार-क्षेत्र — दोनों दृष्टियोंसे खण्ड २ के बारह उपखण्डोंमें बढ़ाया और विस्तृत किया गया है। इनमें प्रवासी निकायके सामने अपील करनेके लिए आवश्यक तन्त्रकी व्यवस्था की गई है। इन निकायोंको, आवास-सम्बन्धी प्रश्नोंके अतिरिक्त अन्य अपीलोंमें निर्णायक अधिकार प्राप्त रहेंगे, बशर्ते कि इन्हें इसके लिए विधेयककी आम शर्तोंके अनुसार मन्त्रीसे निर्देश उपलब्ध हुए हों। खण्ड ३, जो कानूनी अदालतोंके अधिकार-क्षेत्रसे आवासके अलावा अन्य प्रश्नोंको अलग कर देता है, बिलकुल नया है।

१. देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ५४५-४९।

खण्ड ४ सामान्य १९१२ के विधेयकके खण्ड ४ से मिलता-जुलता है, पर इसमें पुराने विधेयकके खण्ड ७ के प्रान्तीय प्रतिबन्धोंका समावेश भी किया गया है। तथापि इसमें दो ऐसी बातें हैं जो इसे उस विधेयकसे सर्वथा भिन्न बना देती हैं। पहली बात यह कि इसमें एक धारा है जिसके अनुसार मन्त्री चाहे तो आर्थिक आधारपर प्रवेशार्थीको प्रवेश देनेसे इनकार कर सकता है। दूसरी बात यह कि शैक्षणिक परीक्षाका रूप वही होगा जो वर्तमान प्रान्तीय कानूनोंमें विहित है। उपखण्ड २ और ३ नये हैं।

खण्ड ५ दोनों विधेयकोंमें एक-से है। अन्तर इतना ही है कि उपखण्ड (च) केवल प्रान्तोंके ही अधिवासियोंको छूट देता है; दूसरे प्रकारके निवासियोंको संरक्षण नहीं दिया गया है। गैर-ईसाई भारतीय विवाहोंकी मान्यताके लिए या इस प्रकारके विवाहोंसे उत्पन्न बच्चोंके संरक्षणके लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंको अधिकार है कि वे बिना किसी रोक-टोकके केप प्रान्तमें जा सकते हैं, किन्तु उनका यह अधिकार इस खण्डकी प्रथम अवधान-धारा द्वारा छीन लिया गया है; जब कि दूसरी अवधान धारा द्वारा अधिकारियोंको यह अधिकार दिया गया है कि जो भारतीय तीन वर्षसे अधिक समय तक देशसे अनुपस्थित रहा हो उसे वे पुनः दक्षिण आफ्रिकामें आनेसे रोक सकते हैं। यह उपबन्ध नया है। दोनों विधेयकोंके ६वें खण्डोंका आशय, भाषामें बहुत अन्तर होते हुए भी, एक-सा ही है। खण्ड ७, मोटे तौरपर १९१२ के विधेयकके खण्ड २८ के उप-खण्ड २ से मूलतः मिलता-जुलता है। दोनोंके खण्ड ८, ९ और १० भी प्रायः एक-से हैं। नये विधेयकका अध्याय ३ सन् १९१२ के कानूनके अध्याय २ से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। इसमें उन विशेष अधिकारोंका वर्णन है जिनके द्वारा निषिद्ध प्रवासियोंको बन्दरगाहोंसे देशमें प्रविष्ट होनेसे रोका जा सकता है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। खण्ड १९ में पुराने विधेयकके खण्ड १८ और १९ दोनोंका समावेश किया गया प्रतीत होता है; किन्तु नये विधेयकमें यह विधान है कि प्रवासी-अधिकारी संघकी सीमामें पाये जानेवाले किसी भी व्यक्तिकी जांच-पड़ताल कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति प्रवासी-अधिकारीको इस मामलेमें सन्तुष्ट नहीं कर देता कि वह "निषिद्ध प्रवासी नहीं है," तो उसके साथ निषिद्ध प्रवासी-जैसा व्यवहार किया जायेगा। उस व्यक्तिको किसी अपील बोर्डके सामने अपील करनेका अधिकार जरूर रहेगा। उपखण्ड २में एक नई प्रणाली दी गई है, जो पुराने विधेयकमें नहीं थी। दोनों विधेयकोंमें खण्ड २० एक-जैसे हैं। यद्यपि नये विधेयकके खण्ड २१ और २२ में प्रायः वे ही उपबन्ध हैं जो कि १९१२ वाले विधेयकके २१वें और २२वें खण्डोंमें हैं, किन्तु वे दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे व्यक्तियोंपर लागू नहीं होते। नये विधेयकके खण्ड २३ के उपखण्ड १ और २ पुराने विधेयक-जैसे ही हैं। उपखण्ड ३ नया है। खण्ड २४ भी वैसा ही है। खण्ड २५ के उपखण्ड १ का प्रथम भाग, जिसमें मन्त्रीको अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्तिको खण्ड ४ के उपबन्धोंसे छूट दे सकता है, नया है। उपखण्ड २में "शिनाख्तका प्रमाणपत्र" शब्द है, "अनुमतिपत्र" (परमिट) नहीं, जैसा कि १९१२के विधेयकके इसी उपखण्डमें था; और उसकी वैधताकी अवधि सीमित नहीं है। किन्तु इस सुविधाको खण्ड ५ के दूसरे उपबन्ध द्वारा व्यर्थ कर दिया गया है। खण्ड २६



सामान्यतः पुराने विधेयकके खण्ड २६ से मिलता-जुलता है और गवर्नर-जनरलको विनियम जारी करनेका अधिकार देता है। दण्डकी व्यवस्था करनेवाला खण्ड २७ दोनों विधेयकोंमें एक-सा ही है। खण्ड २८ भी प्रायः पुराने विधेयकके खण्ड २८ के उपखण्ड १ के समान ही है। अन्तर केवल इतना है कि जो एशियाई खण्ड ४ की शर्तोंसे मुक्त नहीं है, वह चाहे उस खण्डकी सम्पूर्ण परीक्षाओंमें पास हो चुका हो, फिर भी उसे १९०८ के अधिनियम ३६ के अन्तर्गत अपना पंजीयन कराना होगा। खण्ड २९ सन् १९१२ वाले विधेयकके खण्ड १ से मिलता है और जो कानून रद किये जानेवाले हैं उनका उल्लेख करता है। खण्ड ३० प्रायः पुराने विधेयकके खण्ड २ के समान है। खण्ड ३१ विधेयकको, यदि वह अधिनियम बन जाता है तो, आगामी १ जुलाईसे लागू करनेकी व्यवस्था करता है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३

१५. जनूबीका मामला

हम इससे पहले भी इस मामलेपर लिख चुके हैं।^१ इस हफ्ते हमें और भी महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी स्तम्भोंमें प्रकाशित कर रहे हैं।^२ इनमें से एक पत्र प्रान्तीय सर्वोच्च न्यायालयके मास्टरका है, जिसमें वे लिखते हैं कि यद्यपि श्री इस्माइल भायात तथा अन्य सज्जनोंके हलफनामे हैं, पर उन्हें मैं सबूत नहीं मान सकता। न्यासीको यह साबित करना है कि विवाह वैध है। साबित न कर पानेपर पत्नीके हिस्सेपर [उत्तराधिकार-शुल्कमें] भी छूटकी इजाजत नहीं मिलेगी। मास्टरने न्यासीको एक वकीलका मशविरा लेनेकी भी सलाह दी है, क्योंकि यह मामला समूचे भारतीय समाजके लिए महत्वका है। इसलिए इस मामलेपर एक वकीलकी राय ली गई है। वकील श्री टैथमका खयाल है कि बाई जनूबीका विवाह कानूनन वैध नहीं माना जा सकता। कोई विवाह कानूनन वैध तभी माना जा सकता है जब वह ईसाई तरीकोंसे सम्पन्न हुआ हो या पंजीकृत हुआ हो। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जो राय मैंने दी है उससे मुसलमानोंको घबरानेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने विवाह पंजीकृत करा सकते हैं। हमें इस सम्मतिसे आश्चर्य नहीं हुआ है; तथापि उसको पूरी तरह समझ लेना जरूरी है। निश्चिन्त तो वे ही रह सकते हैं जो इस मामलेको नहीं समझते। जो समझते हैं, वे एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं बैठेंगे। श्री टैथमके अनुसार जिन लोगोंके विवाह विधिवत् सम्पन्न हुए थे और उनसे जिनके बच्चे हैं उन्हें अब यह मान लेना चाहिए कि उनकी पत्नियाँ अभी तक कानूनन पत्नियाँ नहीं थीं; और उन्होंने उनको सलाह दी है कि वे अब अपनी पत्नियोंको

१. देखिए “वैवाहिक उल्लंघन”, पृष्ठ १४-१५।

२. इन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

कानूनन पत्नीका दर्जा दिलानेके लिए अपने विवाहको पंजीकृत करवा लें। हमें आशा है कि कोई भी भारतीय ऐसा करनेको राजी नहीं होगा। जो विवाह हो चुका है, उसका फिरसे किया जाना कैसे सम्भव होगा? श्री टैथम कहते हैं कि जिस व्यक्तिके दो पत्नियाँ होंगी वह कानूनकी दृष्टिमें अपराधी माना जायेगा। यह बात यों तो सही है, लेकिन ऐसी है जिसे हम सहन नहीं कर सकते। हम चेतावनी देते हैं कि बाई जनूबीके मामलेके परिणाम इतने गम्भीर हैं कि यदि सरकार मामलेको खत्म कर दे, तो भी अदालतें हमारे बच्चोंको कानूनी वारिस नहीं मानेंगी। सरकार अदालतोंको आदेश नहीं दे सकती। यह मामला कानूनकी व्यवस्थासे सम्बन्धित नहीं है, वरन् उसकी व्याख्यासे सम्बन्धित है; और व्याख्या करना अदालतोंके हाथमें है। हमें शान्त करनेके लिए सरकार सम्बन्धित अधिकारियोंको आदेश देकर हमारी पत्नियोंको प्रवेशकी अनुमति दे सकती है, परन्तु हमारे बच्चोंको कानूनन वारिस माननेका अधिकार तो अदालतोंको है। और यदि हमारे विवाह कानूनन अवैध माने जाते हैं तो अदालतें हमें कोई भी राहत नहीं दे सकेंगी। यह कठिनाई तो कानूनमें संशोधन करके ही दूर की जा सकती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३

१६. हिन्दुओंसे

लोग यह कहते हुए सुने गये हैं कि न्यायाधीश सर्लका निर्णय हिन्दुओं अथवा पारसियोंपर लागू नहीं होता। यह बात बिलकुल निराधार है। इस निर्णयका ठीक अर्थ तो यह है कि जो विवाह इस देशके कानूनके अनुसार सम्पन्न न हुआ हो, वह विवाह विवाह नहीं माना जा सकता। इस निर्णयके कारण अब यह सवाल उठता ही नहीं है कि किसी व्यक्तिके एक पत्नी है अथवा दो। यह बात अच्छी तरह याद रखने योग्य है। हम तो यहाँतक सलाह देंगे कि जबतक इस विवादका कोई हल नहीं निकलता तबतक जो हिन्दू, मुसलमान या पारसी अपनी स्त्रियोंको सत्याग्रहमें शामिल नहीं करना चाहते वे उन्हें यहाँ न बुलायें। हमें आश्चर्य तथा खेद तो इस बातपर होता है कि अभीतक समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय उपर्युक्त निर्णयको सुनकर भड़क क्यों नहीं उठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा सारा शौर्य लुप्त हो गया है! अजीब बात है कि कानून हमारी पत्नियोंको रखैल माने और हम हाथपर-हाथ धरे बैठे रहें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३

१७. संघको उत्तर

जोहानिसबर्गमें ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे विवाहके सम्बन्धमें पारित जो प्रस्ताव सरकारको केप टाउन भेजा गया था,^१ उसका उत्तर श्री काछलियाको मिल गया है। उसमें गृह-मन्त्रीने लिखा है कि वे यह समझ पानेमें असमर्थ हैं कि न्यायाधीश सर्लके निर्णयसे भारतीय समाज इतना उत्तेजित क्यों हो गया है। [उनका कहना है कि] विवाहोंके सम्बन्धमें कानूनकी स्थिति और इस सवालके बारेमें सरकारकी राय क्या है, इससे भारतीय समाज अपरिचित नहीं है। सरकारने बार-बार यह कहा है कि कानूनकी दृष्टिसे स्थिति चाहे जो हो, लेकिन इस कानूनको वह अन्यायपूर्ण ढंगसे लागू नहीं करना चाहती। यदि किसी स्त्रीका विवाह इस्लाम अथवा किसी अन्य धर्मकी रीतिके अनुसार हुआ हो, और विवाहोंके बारेमें दी गई साक्षी सन्तोषप्रद हो तथा अगर यह भी स्पष्ट हो गया हो कि उस व्यक्तिकी दक्षिण आफ्रिकामें अन्य कोई पत्नी नहीं है, तो उसे उतरनेकी आज्ञा दे दी जाती है। अधिकारियोंको हिदायतें दे दी गई हैं कि न्यायाधीश सर्लके निर्णयके बावजूद अबतक ऐसे मामलोंमें जैसा होता आया है वैसा ही होता रहेगा; उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस उत्तरसे पता चलता है कि संघके प्रस्तावोंके प्रभावके सम्बन्धमें रायटरके तारसे हमने जो अनुमान निकाला था, वह ठीक है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सत्याग्रहके प्रस्तावसे सरकार चौंक गई है। तारसे पता चलता है कि फिलहाल तो स्त्रियोंको अधिक परेशान नहीं किया जायेगा। लेकिन हमें आश्चस्त करनेके लिए यह पर्याप्त नहीं है। न्यायाधीश सर्लके निर्णयकी तलवार जबतक हमारे सिरपर लटकती रहेगी तबतक हम चुप होकर नहीं बैठ सकते। अगर सरकारका इरादा अबतक चले आ रहे रिवाजमें कोई परिवर्तन करनेका नहीं था तो उसने न्यायाधीश सर्लके स्पष्ट निर्णय क्यों मांगा? बाई मरियमको किसलिए रोका गया? सरकारके कहनेके अनुसार बाई मरियमकी सौत हिन्दुस्तानमें है। उसके [बाई मरियमके पतिकी] कोई दूसरी पत्नी है या नहीं, सो हम नहीं जानते। लेकिन सरकारको उत्तर देनेके लिए इतना ही पर्याप्त है कि अगर उसकी कोई दूसरी पत्नी है भी तो वह हिन्दुस्तानमें है। इसलिए तारमें जो आश्वासन दिया गया है, वह सरकारको बादमें सूझा है। इसके सिवा, इस सन्दर्भमें जनूबीके मामलेपर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि इस मामलेमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। यदि जनूबीका विवाह वैध नहीं माना जाता, तो उसका अधिकार रद्द हो जाता है, और जबतक कानूनमें संशोधन नहीं किया जाता तबतक हमें राहत देनेकी सत्ता न तो सरकारको है, न अन्य किसीको। वह [राहत] तो केवल संसद ही दे सकती है। संसदसे हमें यह राहत दिलानेका काम सरकारका है। अभी तो संसदका अधिवेशन भी चालू है। प्रवासी विधेयक अभी इसके

१. देखिए "पत्र : गवर्नर-जनरलके निजी सचिवको", पृष्ठ १०।

सामने पेश है। इसलिए अगर सरकारकी नीयत साफ है तो उसके लिए हमें न्याय दिलवानेका यह सुनहला अवसर है और अगर हम इरादेके पक्के हैं, अगर संघ इरादेका पक्का है तो सरकारको भी सच्चा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर हमारा संकल्प सच्चा है तो हम जगह-जगह सभाएँ करके संघके प्रस्तावोंको बल प्रदान करेंगे तथा अगर संघका संकल्प सच्चा है तो वह अपनी माँगसे एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा — भले ही उसे [लोगोंका] समर्थन प्राप्त हो या न हो।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३

१८. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१५]

७. कसरत

मनुष्यके लिए जितनी आवश्यकता हवा, पानी और अन्नकी है उतनी ही कसरतकी भी है। यह अवश्य सच है कि बिना कसरत किये भी मनुष्यका अनेक वर्षों तक निर्वाह हो सकता है; हाँ, किन्तु खुराक, हवा, पानी और अन्नके बिना वह नहीं जी सकता। जिस प्रकार खुराकका हमने एक विशेष अर्थ किया है उसी प्रकार कसरतका भी करना होगा। कसरतका मतलब केवल गिल्ली-डंडा, फुटबॉल-किकेट अथवा घूमना-फिरना आदि ही नहीं है। कसरतका ठीक मतलब है शारीरिक और मानसिक काम। जिस प्रकार खुराक हमारे हड्डी-मांसके लिए और मनके लिए भी जरूरी है, ठीक उसी प्रकार कसरत भी शरीर और मन के लिए आवश्यक है। यदि शरीरको व्यायाम न मिले, तो वह बीमार होगा और मनको भी व्यायाम नहीं मिले, तो वह शिथिल हो जायेगा। मूढ़ता भी एक प्रकारका रोग ही गिना जायेगा। यदि हम बड़े-बड़े पहलवानोंके लिए, जो कुश्ती लड़नेमें नामी हैं किन्तु जिनके मन गँवारों-जैसे ही हैं, नीरोगी शब्दका उपयोग करें, तो यह हमारा अज्ञान ही गिना जायेगा। अंग्रेजीकी एक कहावतके अनुसार “तन्दुरुस्त शरीरमें तन्दुरुस्त मन”वाले व्यक्तिको ही नीरोगी माना जाना चाहिए।

ऐसे व्यायाम कौन-से हो सकते हैं? प्रकृतिने तो हमारे लिए ऐसी योजनाएँ कर रखी हैं कि हमें निरन्तर व्यायाम करना ही पड़ता रहे। यदि हम शान्तिपूर्वक थोड़ा विचार करें, तो हमें मालूम होगा कि दुनियाका एक बहुत बड़ा भाग खेती-पर अपना निर्वाह करता है। किसानके घरमें सभीको पर्याप्त व्यायाम मिल जाता है। वह प्रतिदिन आठ-दस या उससे भी अधिक घंटे तक खेत आदिमें काम करता है, तभी उसे खाना और कपड़ा प्राप्त होता है। उसे मनकी भी कोई अलहदा कसरत नहीं करनी पड़ती। किसान तो मूढ़ दशामें काम कर ही नहीं सकता। उसे जमीनकी मिट्टीकी पहचान होनी चाहिए; ऋतुओंके परिवर्तनकी जानकारी रखनी चाहिए; दक्षतापूर्वक हल चलाना आना चाहिए और सूर्य तथा सितारोंकी गतिकी भी साधारण जानकारी

होनी चाहिए। भले ही कैसा भी बुद्धिमान शहरी आदमी हो, जब वह किसी किसानके घर जाता है तो दीन बन जाता है। किसान बतला सकेगा कि बीज कैसे बोया जाता है। उसे अपने आसपासके हर गली-कूचेका ज्ञान है, मनुष्योंकी जानकारी है, सितारे आदि देखकर वह रातको भी दिशाएँ पहचान सकता है, पक्षियोंकी आवाज और उनकी गतिके आधारपर वह बहुत-कुछ जान जाता है। यदि अमुक पक्षी किसी विशेष समयपर एक-साथ दिखाई दें और किल्लोल करें, तो किसान कह सकेगा कि यह बरसात अथवा अन्य किसी मौसमके आगमनकी निशानी है। इस प्रकार किसानको अपने लिए आवश्यक खगोल, भूगोल और भूगर्भ आदि शास्त्रोंका ज्ञान होता है। उसे अपने बच्चोंका पोषण करना है, अतः मानव-धर्मशास्त्रका भी उसे साधारण ज्ञान है। और चूँकि वह प्रायः पृथ्वीके विशाल खुले खण्डमें रहता है, इसलिए ईश्वरके महत्त्वका भी अनुभव सहज ही कर पाता है। शरीरसे तो वह सबल है ही। वह अपना वैद्य भी आप ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका मन भी ठीक तरहसे सुशिक्षित है।

परन्तु यह सम्भव नहीं कि सभी किसान हों। फिर ये प्रकरण कुछ किसानके उपयोगके लिए नहीं लिखे जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि जो लोग व्यापारी हैं अथवा इस प्रकारका अन्य कोई धन्धा करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। इस प्रश्नका हमें विवेकपूर्ण जवाब मिल सके, और किसानकी जीवनचर्यासे हम, जो कि किसान नहीं हैं, अपनी जीवनचर्याकी तुलना कर सकें और जान सकें कि जिस हद तक हम लोग एक कृषकका जीवन नहीं बिता पाते, उस हद तक हम लोग उसकी अपेक्षा कम ही नीरोग रहेंगे। इसीलिए किसानकी जीवनीका थोड़ा-कुछ वर्णन यहाँ कर दिया गया है। एक किसानके जीवनके आधारपर हम देख सकते हैं कि मनुष्यको ८ घंटे शारीरिक काम करना चाहिए और वह कार्य ऐसा हो, जिसे करते हुए हमारी मनः-शक्तिको भी व्यायाम मिलता रहे। यह ठीक है कि व्यापारी आदि वर्गोंको भी कुछ हद तक मनका व्यायाम मिलता है, परन्तु वह एकांगी ही होता है। व्यापारी किसानकी तरह खगोल, भूगोल या इतिहास जाननेवाला नहीं होता। उसे तो केवल भाव-तावकी ही खबर होती है। प्रतिपक्षीको दक्षतापूर्वक किस प्रकार माल बेचा जाये, इसकी उसे जानकारी है। लेकिन इतने-भरसे उसकी मनःशक्तिको पूरा व्यायाम नहीं मिलता। अवश्य ही उसे अपने धन्धेमें कुछ शारीरिक हलचल करनी पड़ती है, पर वह भी अपर्याप्त ही मानी जायेगी।

इस प्रकारके मनुष्योंके लिए पश्चिमी लोगोंने क्रिकेट आदि खेल खेलनेकी सिफारिश की है; वर्षके त्योहारोंको मनाते समय अमुक त्योहारोंपर अमुक प्रकारके खेल और अपने मानसिक विकासके लिए जिन पुस्तकोंमें अधिक मगजपच्ची न करनी पड़े, ऐसी पुस्तकें पढ़नेकी पद्धति चलाई है। यह एक मार्ग है। इसपर जरा विचार कर लें। इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रकारके खेलोंमें समय बिताते हुए अवश्य ही व्यायाम मिलता है, पर इनसे मनुष्यका मन नहीं सुधर सकता। यह बात अनेक उदाहरण देकर समझाई जा सकती है। क्रिकेट खेलनेवालों अथवा फुटबॉलके अच्छे खिलाड़ियोंकी संख्याको देखें तो उनमें कितने ऐसे मिलेंगे जिनकी मानसिक शक्ति अच्छी है? हिन्दुस्तानमें

उन राजाओंके मनोबलके बारेमें हमने क्या देखा है जो बड़े खिलाड़ी हैं। दूसरी ओर जो लोग बड़े मनोबलवाले हैं, उनमें खिलाड़ी कितने हैं? अपने अनुभवके आधार-पर हम देखते हैं कि मनोबलवाले लोगोंमें से बहुत कम ही खिलाड़ी नजर आते हैं। विलायतमें आजकल खेलोंपर जोर है। खेलोंको अत्यधिक महत्त्व देनेवाले ऐसे लोगोंको उन्हींके एक महान कवि किप्लिंगने अक्ल और इंग्लैंडका दुश्मन कहा है। इधर हमारे हिन्दुस्तानमें मनोबल-सम्पन्न सज्जनोंने दूसरा ही रास्ता अपनाया जान पड़ता है। ये लोग मनकी कसरत तो करते हैं, किन्तु उस परिमाणमें शरीरको बहुत ही कम या बिलकुल ही व्यायाम नहीं देते। ऐसे लोग अल्पजीवी हो जाते हैं। निरी मगजमारीके कारण इनके शरीर क्षीण हो जाते हैं, शरीरमें कोई-न-कोई रोग घर कर लेता है और उस समय जब कि उनका अनुभव देशके लिए बड़े कामका साबित हो सकता है, वे हमारे बीचसे चले जाते हैं। इसके आधारपर हम देख सकते हैं कि केवल मनकी अथवा निरी शरीरकी कसरत ही पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार अनुत्पादक कोरा व्यायाम अथवा खेलों द्वारा प्राप्त व्यायाम भी समुचित नहीं कहा जा सकता। जो व्यायाम मन और शरीर—दोनोंको साथ-ही-साथ और धीरे-धीरे सुशिक्षित बनाते चलते हैं वे ही सच्चे व्यायाम हैं। उन्हें करनेवाला मनुष्य ही स्वस्थ रह सकता है और यह मनुष्य केवल किसान ही हो सकता है।

तो अब उसे क्या करना चाहिए जो किसान नहीं है? क्रिकेट आदि खेलोंसे मिलनेवाला व्यायाम तो उचित व्यायाम नहीं है। अतः हमें अब ऐसे व्यायामकी खोज करनी चाहिए जिससे किसानके-जैसा ही लाभ प्राप्त हो। व्यापारी अथवा दूसरे लोग अपने घरके आसपास बाड़ी बना सकते हैं और दो-चार घंटे खेती आदिका काम कर सकते हैं। फेरीवाले लोगोंको अपने धन्वेके साथ व्यायाम मिल जाता है। यह सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए कि हम पराये घरमें रहते हैं तो उसकी जमीनमें कैसे काम करें। यह तो तंग मनकी निशानी है। किसीकी भी जमीनमें यदि हम खोदने और बोनका काम करें, तो उससे हमें लाभ ही होगा। ऐसा करनेसे हमारा घर सुधरेगा और हमें दूसरेकी जमीनको ठीक ढंगसे रखनेका सन्तोष भी प्राप्त होगा। अब उन लोगोंके लिए दो शब्द लिखनेकी जरूरत है जो न तो कसरत कर सकते हैं और न जिन्हें यह खयाल ही किसी प्रकार रुचता है। जमीनमें काम करनेके अलावा दूसरा सर्वोत्तम व्यायाम घूमनेका है। इसे व्यायामोंका राजा कहा जाता है और यह ठीक है। हमारे फकीर और सन्त बहुत तन्दुरुस्त होते हैं। इसके अनेक कारणोंमें एक कारण तो यह भी है कि वे गाड़ी, घोड़े आदि वाहनोंका उपयोग नहीं करते। वे अपनी सारी मुसाफिरी पैदल ही करते हैं। थोरो^१ नामक एक महान अमेरिकी हुए हैं। उन्होंने घूमनेके व्यायामके सम्बन्धमें एक अत्यन्त विचारणीय ग्रन्थ लिखा है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य इस बहानेसे घरसे बाहर नहीं निकलता कि उसे समय ही

१. हेनरी डेविड थोरो (१८१७-६२); प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, प्रकृतिवादी और दार्शनिक। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं जिनमें प्रकृति-विषयक वाल्डेन और लाइफ इन द वुड्स, और एक्सकर्शनस, नामक दो पुस्तकें भी हैं। देखिए खण्ड ७, पृष्ठ २२०-२२

नहीं मिलता है और बिना किसी प्रकारकी हलचल किये लिखने आदिका ही काम करता है, उसके लेख आदि भी वैसे ही सुस्त होते हैं, जैसा वह स्वयं होता है। अपने अनुभवका उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने जो अच्छीसे-अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, वे उस समय लिखी हैं जब वे अधिकसे-अधिक घूमा करते थे। प्रतिदिन चार-पाँच घंटे घूमना तो उनके लिए कोई बात ही नहीं थी। हमें जब सचमुच भूख लगी हो, उस समय जिस प्रकार हम काम नहीं कर सकते, वैसे ही व्यायामके सम्बन्धमें भी होना चाहिए। अपने मानसिक कामकी माप करना हम नहीं जानते। इसीलिए हम यह नहीं देख पाते कि शारीरिक व्यायामके अभावमें जो मानसिक कार्य किये जाते हैं वे नीरस और निर्जीव होते हैं। घूमनेसे शरीरके हर भागमें खूनका दौरा तेजीसे होता है। उससे प्रत्येक अंगकी कसरत हो जाती है और सारे अंगोंका ठीक-ठीक गठन सम्भव होता है। याद रखना चाहिए कि घूमनेमें हाथ-पाँवोंका संचालन गतिके साथ हो। घूमनेसे हमें शुद्ध हवा भी मिलती है और बाहरके भव्य दृश्य भी हम देख पाते हैं। हमेशा एक ही स्थानपर या एक ही गलियोंमें नहीं घूमना चाहिए, बल्कि खेतों और कुंजोंमें घूमने जाना चाहिए। इससे प्रकृतिकी शोभाके महत्त्वको भी हम आँक सकेंगे। दो मील घूमना कोई घूमना नहीं है। दस-बारह मील घूमें तो घूमना माना जायेगा। जो लोग प्रतिदिन ऐसा नहीं कर सकते, वे प्रति रविवारको खूब घूम सकते हैं। एक बीमार किसी अनुभवी वैद्यके यहाँ दवा लेने गया। उसे अजीर्णकी तकलीफ थी। वैद्यने उसे सदा थोड़ा-बहुत घूमनेकी सलाह दी। बीमारने कहा कि उसमें जरा भी ताकत नहीं है। वैद्यने सोचा कि बीमार कुछ डरपोक है। वह उसे अपनी गाड़ीमें ले चला और मार्गमें अपना चाबुक जान-बूझकर नीचे गिरा दिया। भलमनसाहतके नाते बीमारको चाबुक लेनेके लिए नीचे उतरना पड़ा। इतनेमें वैद्यजीने अपनी गाड़ी जोरसे हाँक दी। बेचारे बीमारको हाँफते-हाँफते गाड़ीके पीछे भागना पड़ा। जब वह काफी दूर भाग चुका, तब वैद्यजीने गाड़ीको घुमाया और बीमारको उसमें बिठाया और उसे समझाकर कहा कि घूमना ही तुम्हारे लिए दवा है; मुझे इसीलिए इस क्रूरतापूर्ण ढंगसे तुम्हें घुमा कर दिखाना पड़ा। बीमारको खूब कसकर भूख लग आई थी, अतः उसने और सब भूल कर वैद्यके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और घर पहुँच कर जी भरकर भोजन किया। जिन लोगोंको घूमनेकी आदत नहीं है और जिन्हें बदहजमी तथा उससे उत्पन्न अन्य रोग होते हैं, ऐसे लोगोंको चाहिए कि वे घूमनेका प्रयोग कर देखें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-४-१९१३

१९. पत्र : गृह-सचिवको^१

अप्रैल १४, १९१३

न्यायमूर्ति श्री सर्लके हालके फैसलेके बारेमें मेरे इसी २ तारीखके तारके^२ उत्तरमें आपका ५ तारीखका पत्र प्राप्त हुआ।

निवेदन है कि न्यायमूर्ति श्री सर्लके फैसलेसे पहले हमारे समाजके सम्मुख यह बात कभी स्पष्ट नहीं हुई थी कि गैर-ईसाई लोगोंके जो विवाह दक्षिण आफ्रिकामें पंजीकृत नहीं हुए हैं वे दक्षिण आफ्रिकाकी अदालतों द्वारा मान्य नहीं किये जायेंगे। न्यायमूर्ति श्री वेसेल्सका फैसला,^३ जो कुछ समय पहले दिया गया था, ऐसे फैसलेसे बहुत-कुछ मिलता-जुलता था; किन्तु उसका सम्बन्ध भारतके विविध महान धर्मोंके रीति-रिवाजोंके अनुसार सम्पन्न विवाहोंकी अपेक्षा बहुविवाहोंकी वैधता अथवा अवैधता से अधिक था। जैसा कि माननीय मन्त्रीने देखा होगा, न्यायमूर्ति सर्लका फैसला किसी नजीरपर आधारित नहीं है; उनके सामने पेश मुकदमा परीक्षणात्मक माना गया था और विवाह कानूनके सम्बन्धमें उनका यह फैसला बिलकुल नया है।

इसके अतिरिक्त, अबतक हिन्दू, मुसलमान और पारसी विवाहोंपर आपत्ति नहीं की गई और कई डिवीजनोंके प्रधान अधिकारी (मास्टर) उनको मान्य करते रहे हैं। किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि जबसे उक्त फैसला दिया गया है, नेटाल प्रान्तीय डिवीजनके प्रधान अधिकारीने एक मृत मुसलमानकी जायदादपर उसकी विधवा पत्नीके उत्तराधिकारके सम्बन्धमें मुसलमानी विवाहोंकी वैधतापर आपत्ति की है।^४

मेरा संघ सरकारके प्रति इस आश्वासनके लिए कृतज्ञ है कि सरकार कानूनको कड़े या मनमाने तरीकेसे लागू करना नहीं चाहती; किन्तु उक्त फैसलेको ध्यानमें रखते हुए मैं आशा करता हूँ कि सरकार समाजके उस रुखको समझ लेगी जो सभामें इस आश्वासनको स्थितिकी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए काफी न मानकर व्यक्त किया गया है। अब कानूनकी निगाहमें गैर-ईसाई भारतीय पत्नियाँ पत्नियाँ नहीं हैं; बल्कि रखैल हैं। मुझे विश्वास है कि यदि भारतीय समाज भारतीय पत्नियोंके दर्जेको इतने अपमानजनक रूपसे हीन बना देनेपर रोष प्रकट करता है — और वह रुष्ट तो हुआ है — तो सरकार इस मनःस्थितिको समझेगी। जैसा कि हम बता चुके हैं, इस फैसलेके कानूनी नतीजे, जिन्हें हमारी समझमें प्रशासकीय कार्रवाईसे दुरुस्त करना सरकारके अधिकारमें नहीं है, इतने गम्भीर हैं कि उनको ध्यानमें रखकर कानूनमें परिवर्तन करना वांछनीय है।

१. इस पत्र पर अ० मु० काछलियाके हस्ताक्षर थे।
२. यह उपलब्ध नहीं है।
३. देखिए खण्ड ११, पृष्ठ २३९-४० तथा २५८-५९।
४. देखिए “जनूबीका मामला”, पृष्ठ १८-१९।

इसलिए मेरा संघ आशा करता है कि सरकार कृपा करके इस मामलेमें समाजकी भावनाओंका विचार करेगी और न्यायमूर्ति सर्लके अप्रत्याशित फैसलेसे जो अनर्थ हो गया है, उसका परिमार्जन करनेके लिए नये प्रवासी विधेयकको प्रस्तुत करनेके अवसरका लाभ उठायेगी।^१

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

२०. तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स]

अप्रैल १५, १९१३

गृह-मन्त्री

मुकम्मल जवाबके^२ लिए सरकारका शुक्रिया। मगर उत्तर असन्तोषजनक। बोर्डोंके बारेमें अभीतक समाजका अनुभव बिलकुल खराब। सर्वोच्च न्यायालय जानेके अधिकारको हम बहुत महत्त्व देते हैं। पिछले दोनों विधेयकोंमें फ्री स्टेटमें प्रवेशका अधिकार सिद्धान्ततः मान्य किया गया था। चाहे खण्ड चारका उपखण्ड तीन सुविधाजनक भी हो, वह अमलमें मौजूदा कानूनका स्पष्टतः परित्याग है। वर्तमान नेटाल प्रवासी अधिनियममें तीन सालके निवासको अधिवासके बराबर माना गया है। नेटालके बारेमें ऐसी धाराको कायम रखनेसे कोई नया अधिकार नहीं मिल सकता। नेटालमें कोई भारतीय कितने ही वर्ष तक बाहर रहे, किन्तु यदि वह अपने पूर्व-अधिवासको नेटाल अधिनियममें की गई उदार व्याख्याके अनुसार सिद्ध कर सके तो वह कानूनन फिर प्रविष्ट हो सकता है। अस्थायी समझौतेका मन्शा यह कभी नहीं था कि यदि नये विधेयकसे यूरोपीयोंके अधिकार कम किये जा सकते हैं तो भारतीयोंके अधिकार भी कम किये जा सकते हैं। असलमें यूरोपीयोंकी बहुत बड़ी संख्या इस व्यवस्थासे प्रभावित नहीं होती; किन्तु इससे तीन सालसे ज्यादा बाहर रहनेवाले प्रत्येक भारतीयके निवासके अधिकार निश्चय ही चले जायेंगे।

१. गृह-सचिवने ९ मईको इस पत्रका उत्तर देते हुए गांधीजीको सूचित किया था कि ऐसा कोई कानून बनाना यूरोपीय सभ्यताके सिद्धान्तोंके विरुद्ध होगा, जिसके द्वारा एक पुरुषको कई स्त्रियोंसे विवाह करनेकी अनुमति देनेवाली विवाह पद्धति मान्य हो और जिसके कारण दक्षिण आफ्रिकामें किसी भी प्रकारसे रोमन-डच कानूनके अन्तर्गत सम्पन्न वैध विवाहोंकी वर्तमान स्थिति बदलती हो। गृह-मन्त्रीने अपने इस कथनके सम्बन्धमें कि सर्लने अपने निर्णयमें जो-कुछ कहा है वह स्थिति तो दक्षिण आफ्रिकामें वर्षोंसे मौजूद है, गांधीजीकी शंकाका समाधान करते हुए केपकी अदालतके १८६०के निर्णय और उसी साल पास किये गये एक कानूनका हवाला भी दिया था।

२. देखिए परिशिष्ट ३।

निवेदन करता हूँ यह स्थिति विलकुल अस्वीकार्य है। अन्तरप्रान्तीय आवागमनका अधिकार एक बहुत ही ठोस अधिकार है और उसे वर्तमान विधेयकके असरसे आसानीके साथ [उसमें संशोधन करके] बरकरार रखा जा सकता है। सम्बन्धित लोग केवल प्रशासनिक उदारताके वचनसे सन्तुष्ट नहीं हो सकते। मेरी सम्मतिमें सर्लके फैसलेके प्रभावको पूरी तरह केवल कानून बनाकर ही दूर किया जा सकता है। निवेदन है पहले विधेयककी भाँति स्पष्ट व्याख्याके द्वारा शिक्षित भारतीयोंकी पत्नियों और नाबालिग बच्चोंकी रक्षा की जाये। यदि मन्त्री यह मंजूर करें कि फ्री स्टेटमें शिक्षित भारतीयोंका प्रवेश कानूनी तौरपर सम्भव है तो प्रवेश करनेपर उनसे ज्ञापन लेना स्पष्टतः अनावश्यक है और यदि उसपर आग्रह किया जायेगा तो निःसन्देह वह ऐसा प्रवास ज्ञापन होगा जो दूसरे प्रवासियोंको नहीं देना पड़ता। वस्तुतः फ्री स्टेटमें प्रवेश अनावश्यक, किन्तु प्रवासके सम्बन्धमें सैद्धान्तिक समानताके पालनके लिए सामान्य विधेयकमें प्रवेशका अधिकार रखना आवश्यक। आपके उत्तरमें दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंके केपमें प्रवेशके वर्तमान अधिकारोंका प्रश्न शामिल नहीं। सत्याग्रहके उल्लेखको धमकी मानने और मन्त्रीके नाराज होने पर खेद है। धमकी देने या मन्त्रीको नाराज करनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं। किन्तु सत्याग्रह फिर आरम्भ होनेकी सम्भावना बताकर मैंने केवल सत्यका उल्लेख किया है। मेरा खयाल था कि अबतक दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार और जनताने यह जान लिया होगा कि प्रतिनिधित्वहीन समाजका सत्याग्रह और वह भी ऐसा जैसा मेरे देशके लोग करते हैं, अपना तीव्र रोष बताने और अपनी शिकायतें दूर करानेका एक निर्दोष और उचित तरीका है। यदि इससे दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार या जनता नाराज होती है तो मेरे साथी कार्यकर्त्ताओंके और मेरे सामने उसके परिणाम भुगतनेके सिवा कोई चारा नहीं है। यह उद्देश्य हमें अपने प्राणोंके समान, बल्कि प्राणोंसे भी ज्यादा प्यारा है। हम उसके लिए कष्ट भोगनेको तैयार हैं।^१

गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७६६) की फोटो-नकलसे।

१. गृह-मन्त्रालयने उत्तरमें लिखा कि तारमें उठाये गये मुद्देपर मन्त्री महोदय विचार कर रहे हैं।

२१. पत्र : गृह-सचिवको

[फीनिक्स]

अप्रैल १५, १९१३

महोदय,

भारतीय विवाहोंके सम्बन्धमें लिखे गये मेरे इसी १ तारीखके पत्रके^१ उत्तरमें आपका १० तारीखका पत्र मिला।

माननीय गृह-मन्त्रीके प्रति उचित सम्मान रखते हुए, मेरा नम्र निवेदन है कि यदि मैंने श्री सर्लके फैसलेको ठीक समझा है तो उसमें निश्चय ही एक नये सिद्धान्तकी स्थापना की गई है। अभीतक गैर-ईसाई भारतीय विवाहोंको प्रवासी विभाग और सर्वोच्च न्यायालयके सर्वोच्च अधिकारी (मास्टर), दोनोंने ही मान्य किया है। जिन लोगोंके विवाह उनके अपने-अपने घर्मोंकी प्रथाओंके अनुसार हुए हैं उनके बच्चे अबतक अन्तःराज्यीय जायदादोंमें वैध उत्तराधिकारी माने गये हैं। किन्तु श्री सर्लके फैसलेके अनुसार ऐसे बच्चे अब उनके उत्तराधिकारी नहीं माने जा सकते। जैसा कि साथ नत्थी की गई रिपोर्टसे प्रकट होगा, सर्वोच्च न्यायालयके नेटाल प्रान्तीय डिवीजनके सर्वोच्च अधिकारी इस प्रश्नको उठा भी चुके हैं।

मैं यह जानता हूँ कि विवाह-अधिकारियोंके सम्मुख पंजीकृत सभी विवाह आवश्यक रूपसे ईसाई-विवाह नहीं होते। किन्तु ज्यादातर गैर-ईसाई भारतीयोंके विवाह, विवाह-अधिकारियोंके सम्मुख सम्पन्न नहीं होते। जान पड़ता है, संघके वैध निवासी भारतीयोंके इन विवाहों और भारतमें सम्पन्न और भारतीय कानूनके अनुसार वैध माने गये अन्य सभी विवाहोंपर श्री सर्लके फैसलेका विपरीत प्रभाव पड़ा है।

मुझे विश्वास है, सरकार यह अपेक्षा नहीं रखती कि ये विवाह फिरसे संघके विवाह-अधिकारियोंके सम्मुख सम्पन्न हों या पंजीकृत किये जायें जिससे वे इस देशके कानूनकी निगाहसे भी वैध माने जा सकें। सरकार प्रवासी अधिकारियोंको वर्तमान व्यवहारमें बाधा न डालनेका आदेश देकर हमारे साथ इस मामलेमें जो रियायत करना चाहती है, मैं उसपर कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। किन्तु इस प्रकार जो राहत दी जायगी, वह पूरी तरह कारगर नहीं होगी। जिसका यह एक कारण तो है ही कि किसी भी प्रशासकीय कार्रवाईसे उन कानूनी परिणामोंको नहीं रोका जा सकता, जिनका श्री सर्लके फैसलेसे पैदा होना निश्चित है।

मैंने अपने पत्रमें बहुपत्नीत्वका प्रश्न नहीं उठाया। इस प्रश्नसे सम्बन्धित मुद्दा उतना बड़ा या व्यापक नहीं है; श्री सर्लके फैसलेसे सम्बन्धित मुद्दा ज्यादा बड़ा है। किन्तु चूँकि आपके पत्रसे यह ध्वनि निकलती है कि दक्षिण आफ्रिकी कानूनमें बहुपत्नीत्व मान्य नहीं है, मुझे मन्त्री महोदयका ध्यान नेटालके १९०७ के अधिनियम २ की

१. देखिए "पत्र : गृह-मन्त्रीको", पृष्ठ १-२।

ओर आकर्षित करनेकी अनुमति दीजिए जिसमें गिरमिटिया भारतीयोंमें प्रचलित बहुपत्नी प्रथा मान्य की गई है। मेरा संकेत इस अधिनियमके खण्ड ६ और ७ की ओर है, जिनकी नकलें मन्त्री महोदयकी जानकारीके लिए मैं इस पत्रके साथ नत्थी करता हूँ।

मेरी विनम्र सम्मतिमें श्री सर्लके फैसलेसे उत्पन्न प्रश्न संघके विवाह कानूनोंमें संशोधन करके ही प्रभावकारी रूपसे तय किया जा सकता है ताकि उससे गैर-ईसाई धर्मोंकी प्रथाओंके अनुसार और गैर-ईसाई पुरोहितोंके सम्मुख सम्पन्न होनेवाले विवाह वैध हो जायें।^१

आपका,
मो० क० गांधी

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७६८) की फोटो-नकलसे।

२२. पत्र : ड्रमंड चैपलिनको

[फीनिक्स]

अप्रैल १६, १९१३

प्रिय श्री चैपलिन,

प्रवासी विवेकके सम्बन्धमें गृह-मन्त्रीको जो लम्बा तार^१ मुझे देना पड़ा था, मैंने उसकी प्रति आपको भेजनेकी छूट ले ली थी। पोलकको लिखे गये आपके पत्रसे जाना कि वह आपको समयपर मिल गया था और आप उसपर विचार कर रहे हैं। अब मैं आपको मन्त्री महोदयके और मेरे बीच हुए अगले पत्र-व्यवहारकी नकलें भेज रहा हूँ। इन नकलोंमें आप वह पत्र-व्यवहार भी देखेंगे जो न्यायाधीश सर्लके अभी हालके फैसलेके सम्बन्धमें किया गया है। उनके इस फैसलेसे सभी भारतीय विवाह अवैध हो जाते हैं। इसलिए मैंने जो मुद्दे उठाये हैं, उनमें से एक मुद्देमें यह मांग की गई है कि वर्तमान कानूनमें ऐसा सुधार कर दिया जाये जिससे फैसलेसे पूर्व जो कानूनी स्थिति मौजूद समझी जाती थी, वह फिर कायम हो जाये।^२ दूसरे मुद्दोंके बारेमें मुझे टिप्पणी करनेकी आवश्यकता नहीं है। ये मुद्दे वे ही हैं जिनपर, आपको याद होगा, जोहानिसबर्गमें श्री गोखलेके ठहरनेके दिनोंमें श्री हॉस्केनके घरपर सभामें चर्चा की गई थी।

१. उत्तरमें मई ९ को गृह-मन्त्रीकी ओरसे लिखा गया था: “ मन्त्री महोदयको १९०७ के नेटाल अधिनियम २ की व्यवस्थाकी पूरी जानकारी, लेकिन वह तो एक विशेष वर्गके लोगोंपर लागू किये जानेके उद्देश्यसे निर्मित विशेष कानून है, और उस विशेष वर्गके लोगोंके बारेमें यह खयाल नहीं किया गया था कि वे दक्षिण आफ्रिकाके स्थायी निवासी बन जायेंगे। ”

२. देखिए “ तार : गृह-मन्त्रीको ”, पृष्ठ ७ ।

३. देखिए पिछला शीर्षक ।

मैं पूरी आशा करता हूँ कि यदि इस विधेयकको पास किया ही जाना है तो ऐसे संशोधनोंके साथ पास किया जायेगा जो समाजकी उठाई गई आपत्तियोंके निराकरणके लिए आवश्यक हों।

आपका सच्चा,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७७०) की फोटो-नकलसे।

२३. कस्तूरबा गांधीसे बातचीत^१

[अप्रैल १९, १९१३ से पूर्व]^२

जब श्रीमती गांधीने विवाह-सम्बन्धी कठिनाई समझ ली, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वे श्री गांधीसे बोलीं: “तब तो, इस देशके कानूनोंके अनुसार मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ।” श्री गांधीने उत्तर दिया, हाँ, यही बात है और हमारे बच्चे हमारे उत्तराधिकारी नहीं हैं। श्रीमती गांधीने कहा: “तब चलिए, हम लोग भारत चलें।” श्री गांधीने उत्तर दिया, यह तो कायरताकी बात होगी और उससे कठिनाई दूर न होगी। श्रीमती गांधीने पूछा: “तब क्या मैं स्वयं भी संघर्षमें सम्मिलित होकर गिरफ्तार नहीं हो सकती?” श्री गांधीने उन्हें बताया कि वे सम्मिलित तो हो सकती हैं, किन्तु यह कोई छोटी बात नहीं है। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उन्हें इस तरहके कष्टका अनुभव नहीं है और यदि उन्होंने संघर्षमें सम्मिलित होनेके बाद कमजोरी दिखाई तो वह लज्जाकी बात होगी। किन्तु श्रीमती गांधी टससे-मस नहीं हुईं। अन्य महिलाएँ भी उनसे अपने बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध और आश्रममें रहनेके कारण पीछे नहीं रहना चाहती थीं। उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा: “हमारा विचार भी श्रीमती गांधीके समान ही पक्का है; यदि हमारा विचार पक्का न होता तो भी यह कैसे हो सकता है कि श्रीमती गांधी जेल जायें और हम लोग बाहर बनी रहें?” इस प्रस्तावने सबको चिन्तामें डाल दिया। यह निश्चय बहुत महत्वपूर्ण है।^३

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३

१. यह “न्यूज ऑफ द स्ट्रगल” (“संघर्षके समाचार”) शीर्षक स्तम्भसे उद्धृत किया गया है, जो इंडियन ओपिनियनमें प्रति सप्ताह प्रकाशित होता था। देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ३९ भी। उसमें इस घटनाका विवरण कुछ विस्तारसे दिया गया है।

२. गांधीजीने १९ अप्रैलको श्री गोखलेको श्रीमती कस्तूरबा गांधीके संघर्षमें शामिल होनेके निर्णयकी सूचना दी थी, लेकिन साथ ही इस बातको न कहनेका अनुरोध भी किया था; देखिए “पत्र: गो० कृ० गोखलेको”, पृष्ठ ३९-४०। तिथिका अनुमान श्शी आधारपर लगाया गया है।

२४. प्रवासी विधेयक

इस विधेयकका इसी २४ तारीखको द्वितीय वाचन होगा। तब हमें उसके बारेमें सिर्फ पढ़नेपर जितना मालूम होता है, उससे कहीं अधिक जानकारी हो सकेगी। परन्तु दक्षिण आफ्रिकाके एशियाई समाजपर पड़नेवाले उसके घातक प्रभावको समझने और जाननेके लिए हमें उस इतिहासको देखना पड़ेगा जो कुछ पुराना हो चुका है। जो लोग इस देशके भारतीय आन्दोलनमें दिलचस्पी रखते हैं उन्हें याद होगा कि सरकारने १९०७ के अधिनियम २ तथा १९०८ के अधिनियम ३६ की मनमानी व्याख्या करके कानून-सम्मत अधिवासी भारतीयोंके, एक विशिष्ट वर्गके नाबालिग बच्चोंकी बहुत बड़ी संख्याको ट्रान्सवालमें प्रवेश या पुनः प्रवेश करनेसे रोकनेके लिए कितना घोर प्रयत्न किया था। यदि सरकारको अपने प्रयत्नमें सफलता मिल जाती तो ट्रान्सवालके अधिवासी भारतीयोंकी आबादीका एक बड़ा हिस्सा ट्रान्सवाल छोड़ने तथा सर्वनाशका सामना करनेको विवश हो जाता। हर्षकी बात है कि स्व० छोटाभाई द्वारा सार्वजनिक हितकी भावनासे की गई कार्रवाईके फलस्वरूप यह प्रयत्न विफल हो गया। वे बहुत अधिक खर्चा उठाकर अपने पुत्रका मामला अपील न्यायालयमें ले गये और वहाँ उन्होंने मुकदमा जीत लिया।^१ उसी समयसे सरकारकी हर नई कार्रवाईको भारतीय बड़े ही सन्देहकी दृष्टिसे देखते हैं और ताजी घटनाओंने तो उनके इस सन्देहको पुष्ट ही किया है। पत्नियों और बच्चोंके बारेमें सरकार द्वारा जारी की गई गश्ती-चिट्ठियोंके द्वारा अधिवासी भारतीयोंकी संख्या घटानेका दूसरा प्रयत्न किया गया। और अब संसदके सामने जो विधेयक है, वह सरकारकी इसी नीतिको कानूनका रूप देना चाहता है। उसकी हर प्रतिबन्धक धाराका अध्ययन इस कटु अनुभवके प्रकाशमें करना होगा। क्योंकि याद रखना चाहिए कि विधेयककी आवश्यकता यूरोपीयोंके आव्रजनसे उत्पन्न किसी कठिनाईको हल करनेके लिए नहीं है। वह यदि पूर्ण रूपसे नहीं तो प्रमुख रूपसे सत्याग्रहियोंको सन्तुष्ट करने, और भारतीय बस्तियोंके विषयमें साम्राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारके बीच हुए समझौतेको कार्यान्वित करनेके लिए प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इसके बावजूद, समझौतेकी शर्तों और उसमें निहित भावनाको कार्यान्वित करने, तथा अधिवासी एशियाई आबादीके प्रति जहाँ-जहाँ मौजूदा कानून बहुत सख्त हैं, वहाँ उन्हें उदार बनानेके बदले यह विधेयक दक्षिण आफ्रिकाको उसकी अधिवासी एशियाई आबादीसे मुक्त करनेकी एक निश्चित नीतिका प्रतिनिधित्व करता है। जनरल बोथाने कहा है कि उनकी सरकार अधिवासी एशियाइयोंके साथ न्याय और

१. छोटी अदालतने यह निर्णय दिया था कि पंजीयन-प्रमाणपत्रमें उनके लड़केका नाम दर्ज रहनेसे उसे पंजीयनका अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ३६१, ३७१-७२, ४०२, ४०४-५।

उदारताकी नीति बरतनेकी इच्छा रखती है। किन्तु, उनके इस कथनकी व्याख्या तो उपर्युक्त विचारके प्रकाशमें ही करनी होगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

२५. लॉर्ड एंम्टहिलकी समिति

लॉर्ड एंम्टहिलकी^१ समितिने उपनिवेश-मन्त्रीको जो आवेदन भेजा है वह एक वजनदार और विस्तृत दस्तावेज है। इससे कोई भी दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंसे सम्बन्धित घटनाओंका संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूपमें अध्ययन कर सकता है। समितिने कुछ मामलोंके दृष्टान्त देकर स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि संघ-सरकारकी नीति दक्षिण आफ्रिकासे अधिवासी भारतीय आबादीको निर्मूल कर देनेकी है। दक्षिण आफ्रिकाके प्रवासी कानूनों-पर जिस प्रकार अमल किया जा रहा है, उसके कारण भारतीयोंका यहाँ रहना अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। और अगर कहीं प्रवासी कानून हमारा विनाश करनेमें असमर्थ हो जाते हैं तो वहाँ नेटालका परवाना कानून हमारे कण्ठोंका कारण बन जाता है। समितिका पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उत्तर देना स्थानीय सरकारके लिए कठिन होगा।

समितिने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो साम्राज्य-सरकार और स्थानीय सरकार, दोनोंको आश्चर्यमें डाल देगा। स्थानीय सरकारने कितनी ही बार कहा है कि दक्षिण आफ्रिकाका कानून बहुपत्नीत्वको स्वीकार नहीं करता। किन्तु समिति यह सिद्ध करनेमें सफल हुई है कि वह १९०७ तक मान्य रहा है और सो भी एक कानूनके अधीन। नेटालके १९०७ के अधिनियम २ के खण्ड ६ और ७ में व्यवस्था है कि :

खण्ड ६ — १८९१ के भारतीय प्रवासी कानूनके खण्ड ६८ की धाराएँ, इस कानूनके लागू होनेके बाद, उपनिवेशमें आनेवाले भारतीय प्रवासियोंकी विवाह-पंजिकाकी प्रामाणिक प्रतिलिपियोंमें उल्लिखित सभी विवाहोंपर लागू होंगी — फिर चाहे ऐसा कोई विवाह बहुपत्नीक विवाह ही क्यों न हो।

खण्ड ७ — इस कानूनके लागू होनेके पूर्व उपनिवेशमें आये हुए किसी भी भारतीय प्रवासीकी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, दरखास्तपर भारतीय प्रवासियोंका संरक्षक उसके विवाहका पंजीयन करेगा, बशर्ते कि वह प्रवासी अपनी विवाह-पंजिकाकी प्रामाणिक प्रतिलिपि पेश कर सके और इस बातको सिद्ध कर सके कि उस कागजमें उल्लिखित व्यक्ति वही है; फिर चाहे कोई विवाह बहुपत्नीक विवाह ही क्यों न रहा हो, अथवा उस पुरुषका उक्त कानूनकी व्यवस्थाओंके अनुसार इस उपनिवेशमें किसी दूसरी भारतीय स्त्रीके साथ विवाह क्यों न हुआ हो।

१. दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति, लन्दन, के अध्यक्ष। देखिए खण्ड ८ पृष्ठ ८७ पा० टि० १।

यह सत्य है कि उस समयकी सरकारके लिए बहुपत्नीक विवाहको मान्यता न देना असुविधाजनक था, क्योंकि वहाँका प्रभावशाली वर्ग चाहता था कि गिरमिटिया भारतीय यहाँ बुलाये जायें। पर आज स्वतन्त्र भारतीय अधिवासियोंके बहुपत्नीक विवाहको मान्यता देना सरकार असुविधाजनक मानती है क्योंकि वे अनधिकार प्रवेश करनेवाले जो ठहरे। देखें, स्थानीय सरकार इस उलझनसे कैसे निकलती है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

२६. नेटाली भारतीयों, सावधान !

अस्थायी रूपसे प्रान्तसे चले जानेवालोंके अधिकारोंकी हिफाजतके लिए प्रमाणपत्र जारी करनेके सम्बन्धमें जो सरकारी विज्ञप्ति अन्यत्र प्रकाशित की जा रही है, वह दरअसल मौतका फंदा है और हमें आशा है कि एक भी भारतीय उसमें नहीं फँसेगा। विज्ञप्ति जो-कुछ करना चाहती है, उसका नेटाल प्रवासी अधिनियममें कहीं कोई विधान नहीं है। नया प्रवासी विधेयक लागू न हो तो भी यह नेटाल-कानूनको केप-कानूनके रंगमें रगनेका एक निर्लज्ज प्रयास है। विज्ञप्तिसे मालूम होगा कि जो भारतीय उक्त प्रमाणपत्र लेता है उसे केवल एक सालकी अवधि मिलेगी और यदि वह पुनः परीक्षाकी कठिनाईसे बचना चाहता है तो उसे इसी अवधिके अन्दर लौट आना होगा। इस प्रमाणपत्रके लिए एक पाँड शुल्क भी देना पड़ता है और चूँकि उपयोगके तुरन्त बाद उसे वापस जमा कर देना होगा इसलिए नेटालसे प्रत्येक बारकी अनुपस्थितिका अर्थ न केवल नये सिरेसे जाँच है बल्कि हर बार एक पाँडका नया शुल्क भी देना है। इस प्रकार मान लीजिए कि एक व्यापारीको चार बार नेटालसे बाहर केपके लिए जाना पड़ता है और वह अवकाशके इन टिकटोंसे लाभ उठाना चाहता है तो उसे उनके लिए ४ पाँड देने पड़ेंगे। यह एक सरासर अन्यायपूर्ण कर है। गरीबोंसे पैसा वसूल करनेके लिए ईजाद किया गया यह तरीका दुष्टतापूर्ण है। हमें तंग करके देश छोड़कर चले जानेके लिए विवश करनेकी सरकारकी इस सबसे नई कोशिशके विरुद्ध एक जबरदस्त विरोधपत्र भेजना भारतीयोंका कर्तव्य है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

२७. शिकारीका जाल

संघ-सरकार शिकारीकी तरह हमारे लिए अनेक जाल बिछाती रहती है। उनमें से हम किसीमें भी क्यों न फँस जायें, उसे तो उसका शिकार मिल ही जायेगा। एक ओर बच्चोंपर सख्ती, दूसरी ओर स्त्रियोंका अपमान, तीसरी ओर व्यापारिक परवानोंकी परेशानी, चौथी ओर नया विधेयक और अब उसने नेटालवासियोंको फँसानेके लिए अपने जालमें सुगन्धित किन्तु जहरीला चारा रखकर उसको भारतीय जनताके समुद्रमें फैलाया है। उसमें जितनी मछलियाँ आ जायें, सरकारकी उतनी बन आयेगी। ११ अप्रैलके 'गजट' में एक सूचना है; उसमें कहा गया है कि जो लोग कुछ समयके लिए नेटाल छोड़कर बाहर जाना चाहते हों उन्हें, यदि वे चाहें तो, इस बातका अनुमतिपत्र मिल सकता है। यह अनुमतिपत्र किसे दिया जायेगा और किसे नहीं, इसका निर्णय अधिकारीकी मर्जीपर है। अधिकारी जो जानकारी माँगता है वह जानकारी उसे दे दी जाये तो प्रार्थी भारतीय एक पाँड देकर अनुमतिपत्र ले सकेगा। इस अनुमतिपत्रमें एक शर्त यह है कि उस व्यक्तिको एक वर्षके भीतर वापस आ जाना चाहिए। यदि वह एक वर्षके भीतर वापस आ गया तो उसे अधिकारी [जहाजसे] परीक्षा लिये बिना ही उतरने देगा। एक वर्षकी अवधि हो चुकनेपर अनुमतिपत्र रद्द हो जायेगा। उसका एक बार उपयोग करनेके बाद वह अधिकारीको वापस दे दिया जाना चाहिए ताकि उसका पुनः उपयोग न हो सके। यहाँ प्रलोभन इस बातका दिया गया है कि लौटनेपर परीक्षा नहीं ली जायेगी। किन्तु अनुमतिपत्र देनेके पहले उसे इतना हैरान किया जायेगा कि बादमें एक वर्षके दरम्यान कुछ और करनेकी जरूरत ही क्या बच जायेगी! अनुमतिपत्र लेनेवाले व्यक्तिको इसके जो नतीजे भोगने होंगे, अब हम उनकी जाँच कर लें। पहली बात तो यह है कि उसे यह एक पाँडका जुर्माना भरना पड़ेगा और फिर जितनी बार वह जायेगा-आयेगा उतनी बार भरना पड़ेगा। दूसरे, हर बार अधिकारी उसकी परीक्षा लेगा और तीसरे, यदि ऐसे अनुमतिपत्र ज्यादा भारतीयोंने लिये तो सरकार कह सकेगी कि नये विधेयकमें जो तीन वर्ष बाहर रहनेकी अनुमति देनेकी व्यवस्था है यह छूट तो जरूरतसे ज्यादा है। इसके सिवा, एक वर्षकी अवधिके खिलाफ क्या आपत्ति उठाई जा सकती है? दूसरी ओर इस सारी हानिकी तुलनामें अनुमतिपत्र न लेनेके लाभ बहुत हैं। जानेवाला व्यक्ति निश्चिन्त होकर बाहर रह सकता है और जब वापस आये तब उपयुक्त प्रमाण देकर प्रवेश कर सकता है। यदि वह अपने प्रमाण तैयार कर लेनेके बाद ही बाहर जाये तो फिर उसे बहुत ही कम अड़चन होगी। और एक बड़ा लाभ यह होगा कि ऐसे अनुमतिपत्र न लेनेवाले व्यक्तिसे हमारे समाजका कोई नुकसान नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि इस अनुमतिपत्रके लालचमें एक भी भारतीय नहीं पड़ेगा। हम यह भी चाहते हैं कि जो पाठक इस टिप्पणीको पढ़ें वे दूसरे भारतीयोंको सारी बात ठीक-ठीक समझा दें और इस जालमें न फँसनेके लिए कहें। डर्बनके नेताओंको चाहिए कि वे इस सूचनाका तत्काल विरोध करें और

सरकारको साफ और सख्त शब्दोंमें यह लिखें कि हमारा समाज इस सूचनाको भारतीयोंके लिए लाभकारी नहीं, बल्कि हानिकारक और अपमानजनक मानता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

२८. नया विधेयक

हम प्रत्येक उत्तरदायी भारतीयको इस विधेयकपर गम्भीरतासे विचार करनेकी सलाह देते हैं। इसके द्वारा सरकारने दुर्भावपूर्वक किन्तु बहुत ही चतुराईके साथ भारतीय समाजके प्रत्येक अंगपर आघात किया है। अगर यह विधेयक अपने वर्तमान रूपमें पास हो गया तो हम इस देशमें रह ही नहीं सकेंगे। जो भारतीय यहाँ बहुत दिनोंसे रहते आनेके कारण निर्भय हो गये थे उन्हें भी यह विधेयक चौकन्ना कर देगा। कोई अमीर है या गरीब, शिक्षित है या अशिक्षित, यहाँ पैदा हुआ है या बाहर, सरकारने इसे देखे बिना सबके ऊपर प्रहार किया है। हम जानते हैं कि सरकार मीठे शब्दोंसे यह आश्वासन देकर कि कानून बन जानेपर भी अमलमें नहीं लाया जायेगा, हमें भुलावेमें डालना चाहेगी। यदि कोई भारतीय उसके जालमें फँसा तो पीछे पड़तायेगा। इस विधेयकके और न्यायाधीश सर्लके निर्णयके फलस्वरूप हम वारिसोंके होते हुए भी लावारिस माने जायेंगे। हमारी पत्नियोंकी स्थिति रखैल औरतोंकी-सी हो जायेगी। हम दक्षिण आफ्रिका छोड़कर अथवा [दक्षिण आफ्रिकाके] जिस प्रान्तमें रह रहे हों उसे छोड़कर किसी अन्य प्रान्तमें तीन बरसके लिए बाहर चले गये तो वापस आनेका हमारा अधिकार पूरी तरहसे नष्ट हो जायेगा। हम जो व्यापार पीछे छोड़ जायेंगे या जो सम्बन्धित कागजात अपने साथ ले जायेंगे वे किसी भी कामके नहीं माने जायेंगे। यहाँ ऐसी परिस्थितियोंमें हम कबतक टिक सकते हैं? इस विधेयकके द्वारा जड़मूलसे हमारा नाश करनेकी भूमिका तैयार की जा रही है। हमें खेद इस बातका है कि इतना सब होनेपर भी समस्त दक्षिण आफ्रिकामें, जोहानिसबर्गको छोड़कर, भारतीय सोये हुए हैं। हम जानते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर [दक्षिण आफ्रिकाके] हरएक भागमें एक-एक समझदार और निःस्वार्थ भारतीय भी काम करनेके लिए सामने आ जाये तो समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय जाग उठेंगे। जो इस बातको समझता है कि हमारी नींद हमारा सर्वनाश किये बिना नहीं रहेगी, ऐसे प्रत्येक भारतीयका यह कर्तव्य है कि वह इस नींदसे अपनेको तथा दूसरोंको जगाये। "मुझे क्या लेना-देना है?" — यह सोचकर जो भी भारतीय बैठा रहेगा वह अन्य भारतीयोंके साथ खुद भी डूब जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

२९. श्रीमती पैकहर्स्टका त्याग

इंग्लैंडकी स्त्रियोंको मताधिकार दिलानेके लिए संघर्षरत प्रसिद्ध महिला श्रीमती पैकहर्स्टके नामसे सभी भारतीय परिचित हैं। इस महिलाने लड़नेमें सब सीमाओंका अतिक्रमण कर दिया है। वे महिलाओंको लूटपाट करने तथा जान-मालको हानि पहुँचाने तक की सलाह देती हैं। हम इस सबके विरुद्ध हैं, लेकिन उनकी बहादुरीके सम्बन्धमें कोई सन्देह नहीं है। उनके पास धन है, समझदारी है; इन सबको उन्होंने अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए समर्पित कर दिया है। वे जवान नहीं हैं। उन्होंने कभी दुःख नहीं देखा। उनके शरीरको दुःख सहनेकी आदत नहीं रही। ऐसा होते हुए भी वे कष्ट-सहन करनेमें हमेशा सबसे आगे रहती हैं। कुछ दिन हुए, इनके उकसानेसे वित्त-मन्त्री श्री लॉयड जॉर्जका मकान जला दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ले ली। उनपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें तीन वर्षकी सजा हुई। जेलमें भी, अधिकारियोंको परेशान करना और इस प्रकार उन्हें अपनेको छोड़ देनेपर मजबूर करना इन स्त्रियोंका उद्देश्य है। इसीलिए, यद्यपि श्रीमती पैकहर्स्टको भोजनमें तरह-तरहके व्यंजन देनेका प्रबन्ध था, उन्होंने खानेसे इनकार कर दिया और आठ दिनों तक उपवास किया जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया। इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया है। और अब यह बहादुर महिला मरणासन्न अवस्थामें अस्पतालमें पड़ी हुई है। संघर्षके इस तरीकेको सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता। सत्याग्रहीका उद्देश्य तो जेल जाना और वहाँ रहना है। दूसरोंको हानि पहुँचानेकी बात वह स्वप्नमें भी नहीं सोच सकता। लेकिन अगर श्रीमती पैकहर्स्टके संघर्षके तरीकेका विचार न करें और उनके कष्टोंका ही स्मरण करें तो उनसे हम बहुत-कुछ सीख सकते हैं। अनेक कठिनाइयोंके बावजूद, यह महिला तथा इनकी साथी स्त्रियाँ अभीतक थकी नहीं हैं और न आगे थकेंगी। वे मृत्यु-पर्यन्त जूझेंगी। हम कह सकते हैं कि वे नामसे महिला हैं, किन्तु कामसे पुरुष। भारतीयोंको इस साहसका अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि हम जिन निर्यागताओंसे पीड़ित हैं, उनके मुकाबले इस बातकी क्या विसात है कि इंग्लैंडकी स्त्रियोंको मताधिकार प्राप्त नहीं है?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

१. श्रीमती एमिलिन पैकहर्स्ट (१८५८-१९२८); इंग्लैंडमें महिला मताधिकार आन्दोलनकी नेता

३०. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१६]


८. पोशाक

जिस प्रकार खुराक स्वास्थ्यका आधार है, उसी तरह कुछ हदतक पोशाक भी। गौरी औरतें अपनी मान्यताके अनुसार सौन्दर्य-रक्षाके लिए ऐसी पोशाक पहनती हैं कि जिससे उनकी कमर और उनके पैर तंग बने रहें। इससे वे लोग नाना प्रकारके रोगोंका शिकार होती हैं। चीनमें औरतें अपने पैरोंको बचपनसे ही ऐसा कसकर रखती हैं कि हमारे बच्चोंके पैर भी उनके पैरोंसे बड़े होते हैं। इससे भी चीनी औरतोंके स्वास्थ्यको घक्का पहुँचता है। इन दोनों उदाहरणोंके आधारपर पाठक सहज ही समझ सकते हैं कि पोशाकसे आरोग्यका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध अवश्य रहता है। परन्तु पोशाकका चुनाव हमारे अपने ही हाथकी बात नहीं होती। हम अपने बड़ोंकी पोशाक-जैसी पोशाक पहनते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आजकी हालतमें इसकी आवश्यकता भी है। लोग पोशाकका प्रधान हेतु भूल गये हैं; और दिनों-दिन वह हमारे धर्म, देश, जाति, वर्ग आदिकी सूचक बनती जा रही है। जैसे, मुनीम और मजदूर आदि कर्मचारियोंकी पोशाकें भिन्न होती हैं। जब इस तरहके भेद बतानेकी दृष्टि तक इसमें रखी जाती है, तब स्वास्थ्यके सम्बन्धमें पोशाकपर विचार करना थोड़ा गौण जान पड़ता है। इसपर थोड़ी चर्चा कर लेनेमें लाभ ही होगा।

पोशाकमें जूतों और गहनों आदिका भी समावेश मान लेना चाहिए।

अब जरा देख लें कि पोशाकका मूल हेतु क्या है। अपनी प्राकृतिक स्थितिमें मनुष्य कपड़ा बिलकुल ही नहीं पहनता। स्त्री और पुरुष, दोनों गुह्यांगोंको छोड़कर सारा शरीर खुला रखते हैं। इससे उनकी चमड़ी सख्त और मजबूत हो जाती है। वे हवा और पानीको ठीक ढंगसे सहन कर सकते हैं। उन्हें एकाएक सर्दों आदि नहीं हो पाती। हवाके प्रकरणमें हम यह बात देख चुके हैं कि हम वायुका सेवन केवल नाकके जरिये करते हैं। किन्तु बात केवल इतनी ही नहीं है। हवाका सेवन हम अपनी चमड़ीके अगणित रोम-छिद्रोंसे भी करते हैं। वास्तवमें वस्त्र पहनकर हम अपनी चमड़ीके इस महान कार्यमें बाधा डालते हैं। ठंडे मुल्कके लोग जैसे-जैसे आलसी बनते गये, वैसे-वैसे उन्हें अपने शरीरको ढकनेकी जरूरत महसूस होती गई। वे ठंडको बरदाश्त नहीं कर सके और फिर यह रिवाज ही बन गया। लोगोंने अन्तमें पोशाकको आभूषण ही मान लिया। और इसके बाद वस्त्रोंके द्वारा समाज आदिकी पहचान भी की जाने लगी।

सच बात तो यह है कि प्रकृतिने मनुष्यको चमड़ी देकर आवश्यक पोशाक प्रदान कर रखी है। हमारी यह मान्यता कि नग्न स्थितिमें शरीर कुरूप दिखाई देता है, निरा भ्रम है। नग्न स्थितिके चित्र ही सर्वाधिक सुन्दर चित्र हैं। वस्त्रोंको पहनकर और शरीरके सारे अंगोंको ढककर हम मानो प्रकृतिके दोषोंकी ओर संकेत करते



हैं। ज्यों-ज्यों हमारे पास अधिक पैसा होता है, त्यों-त्यों हम टीप-टाप भी अधिक करने लगते हैं। कोई इस तरह और कोई उस तरह अपने रूपको सँवारना चाहता है। और फिर शीशेमें अपना रूप देखकर मुस्कराता है कि वाह, मैं कितना खूब-सूरत हूँ! एक लम्बी परम्पराके कारण हम सबकी दृष्टि यदि विकृत न हो गई होती तो हम सहज ही देख पाते कि मनुष्यका सुन्दरसे-सुन्दर रूप तो उसकी नगनावस्थामें ही निहित है और उसीमें उसका स्वास्थ्य भी है। हमने जिस हृद तक वस्त्र धारण किये उसी हृद तक हमने अपने रूपको खण्डित किया, समझिए। जैसे इतना ही बस न हो, इसलिए पुरुष और स्त्री, दोनों जेवर भी पहनते हैं। कुछ पुरुष तो पैरोंमें बेड़ी पहनते हैं, कानोंमें बालियाँ लटकाते हैं और हाथोंमें अँगूठियाँ रखते हैं। ये सारे गन्दगीके घर हैं और यह समझना तो बहुत कठिन है कि शोभा उनमें कहाँ है। स्त्रियोंने तो इसमें हृद ही कर दी है। अपने पैरोंसे जिनका बोझ न ढोया जा सके, ऐसे कड़े और झाँझर, कानोंमें अगणित बालियाँ, नाकमें फूल और हाथोंमें तो जितने लादे जायें उतने गहने — यह सब पहनकर शरीरपर काफी मैल चढ़ा लिया जाता है। कानों और नाकमें तो मैलकी सीमा ही नहीं रहती। इस गन्दी हालतको श्रृंगार मानकर हम लोग इसपर पैसा खर्च करनेको बाध्य हो जाते हैं। अपने जीवनमें चोर-डाकुओंका जोखिम बढ़ाते हुए भी नहीं डरते। यह सच ही कहा गया है कि अपने ही अभिमानसे उत्पन्न मूर्खतापूर्ण दुःख झेलकर हम उसकी जो कीमत भरते हैं, वह बहुत भारी है। कान पक जायें, तो भी स्त्रियाँ अपनी बालियाँ नहीं निकालने देतीं। हाथोंमें फोड़े हो जायें या उनमें पीव पड़ जाये तो भी चूड़ियाँ नहीं निकलवाई जा सकतीं। अँगुली पक चुकी है, परन्तु कोई पुरुष या स्त्री हीरेकी अँगूठीको निकलवा दे, तो उसके रूपमें खामी न आ जाये! ऐसे उदाहरण तो सभी लोगोंने अपनी नजरोंसे देखें होंगे।

पोशाकके सम्बन्धमें अधिक सुधार करना मुश्किल है। फिर भी गहनोंको तो छुट्टी दी ही जा सकती है। उन वस्त्रोंको भी, जो जरूरतसे अधिक मालूम होते हैं, छोड़ा जा सकता है। यह भी सम्भव है कि ऋतु और रिवाजके अनुसार कुछ-एक वस्त्रोंको रखकर बाकी छोड़े जा सकें। जिस मनुष्यका मन इस वहमसे मुक्त हो चुका है कि पोशाक मनुष्यका भूषण है, वह तो इसमें अनेक सुधार करके अपने स्वास्थ्यको और अच्छा बना सकता है।

और आजकल तो यूरोपकी पोशाकको उचित मानकर पहननेकी हवा चल पड़ी है। उसका रोव पड़ता है और लोग सम्मान भी देते हैं। किन्तु इन सब बातोंका विचार करनेके लिए यह उचित स्थान नहीं है। यहाँ तो इतना-भर कहना जरूरी है कि यूरोपकी पोशाक वहाँके ठंडे देशोंमें भले ही उचित हो, अपने देशकी दृष्टिसे हिन्दुस्तानी पोशाक — हिन्दू और मुसलमान — दोनोंके लिए समुचित है। हमारे वस्त्र ढीले होनेसे हवाका आवागमन ठीक होता है। सफेद वस्त्र होनेसे उनपर सूर्यकी किरणें बिखरकर पड़ती हैं। काले रंगके कपड़ोंमें सूर्यकी गरमी अधिक लगती है, क्योंकि उनपर जो किरणें पड़ती हैं, वे बिखर नहीं पातीं।

हम अपना सिर तो हमेशा ढके ही रहते हैं। बाहर निकलनेपर तो अवश्य ही ढक लेते हैं। पगड़ी तो हमारा रूढ़ पहनावा हो गया है। फिर भी प्रसंगवश यदि

सिर खुला रखें तो लाभ होगा। बालोंको बढ़ाना और पट्टे निकालना, यह तो पागलपन जाहिर करता है। और यदि फोड़े-फुंसियाँ हो जायें, तो उसके कारण उनकी सार-सँभाल करनेमें भी अड़चन पड़ती है। पगड़ी पहननेवाला भी अपने सिरके बालोंको अन्य लोगोंकी तरह बढ़ाये, इसे तो नासमझी ही कहना चाहिए।

पैरोंकी ओर लापरवाही करनेसे भी हम अनेक रोगोंके चंगुलमें पड़ जाते हैं। बूट आदि पहननेवालोंके पैर नाजुक हो जाते हैं। उनमें पसीना छूटता है और बदबू उठती है। जब कोई मनुष्य अपने बूट और मोजे खोलता है, तो जिसकी घ्राणेन्द्रिय ठीक है, वह उसके पास खड़ा भी नहीं रह सकेगा। उसके पैरोंसे कुछ ऐसी बदबू निकलती है! हम तो अपने जूतोंको काँटाखा या पगरखा कहते हैं। अतः जब काँटोंमें चलना हो या गर्मी और ठंडेमें घूमना हो, केवल तभी हमें जूते पहनेकी जरूरत है और सो भी ऐसे नहीं कि वे पूरे पैरोंको ढक दें; केवल तलुवोंको ही ढकें। अतः जब जरूरत महसूस हो, तो हमें केवल चप्पल ही पहननी चाहिए। जिसे सिरदर्दकी बीमारी हो, शरीरकी कमजोरी हो, पैरोंमें दर्द हो और जो जूते पहननेका आदी हो उसे बिना जूतोंके घूमने-फिरनेका प्रयोग करके देखना चाहिए। इससे उसे शीघ्र ही मालूम होगा कि पैरोंको खुला रखनेसे, जमीनसे उनका स्पर्श रखनेमें और पसीनेसे मुक्त रखकर हम कितना बड़ा लाभ उठा सकते हैं। चप्पल तो जूतोंका एक बड़ा सुन्दर प्रकार है और वह सस्ती भी पड़ती है। आफ्रिकामें पाइनटाउनसे जरा आगे ट्रैपिस्ट लोग^१ हर-एककी आवश्यकतानुसार चप्पल बना देते हैं। फीनिक्समें भी चप्पल बनाई जाती हैं। जो लोग केवल चप्पलसे ही काम चलानेकी हिम्मत न कर पायें उन्हें चाहिए कि जब-जब वे अपने पैरोंको खुला रख सकें, अवश्य रखें। और जब-जब बिना बूटके काम न चल सकता हों और पैरोंके लिए कुछ-न-कुछ पहनना आवश्यक हो, तब केवल चप्पलका ही उपयोग करें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-४-१९१३

३१. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

फीनिक्स

अप्रैल १९, १९१३

प्रिय श्री गोखले,

इस समयतक आप लन्दन खाना हो चुके होंगे। मैं पूरी आशा करता हूँ कि वहाँ आपको कुछ विश्राम मिलेगा। मुझे अखबारोंसे यह जानकर दुःख हुआ कि आपको स्नायु-दुर्बलता हो गई थी। ऐसे ही अवसरोंपर मेरा मन आपके निकट होनेको विकल हो उठता है।

यहाँकी स्थितिके बारेमें श्री पोलक आपको विस्तारसे लिखेंगे। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि यदि संघर्ष हुआ तो उसमें इस बार पहलेसे ज्यादा कष्ट-सहन करना

१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८२-८९।

पड़ेगा। जहाँतक मैं जानता हूँ, हम आर्थिक सहायताके लिए भारतकी जनतासे अपील न करेंगे। यदि मुझे व्यक्तिगत रूपसे परिचित लोग कुछ भेजना चाहेंगे तो मैं उस सहायताको कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लूँगा। हमारी योजना दक्षिण आफ्रिकामें घर-घर जाकर धन माँगनेकी होगी। मेरा खयाल है, उससे हमें इतना धन मिल सकेगा कि जेलसे बाहर रहनेकी अवधिमें उससे हमारे खाने-पहननेकी समस्या हल हो जायेगी। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी चन्देके लिए कोई सार्वजनिक अपील न करें।^१ अभी मेरे पास ३०० पौंड बचे हैं। इन्हें मैं संकट-कालके लिए बहुत सँभाल कर रखे हूँ। महिलाओं-सहित फीनिक्स बस्तीके ज्यादातर निवासी संघर्षमें शामिल होंगे। स्त्रियाँ यह अनुभव करती हैं कि वे अब जेल जाये बिना नहीं रह सकतीं; फिर आफ्रिका जैसी जगहमें उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। श्रीमती गांधीने स्वतः ऐसा प्रस्ताव किया है^२ और मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता। श्रीमती गांधीके इस इरादेकी बात अभी जाहिर नहीं की गई है। आप भी कृपा करके इसकी चर्चा फिलहाल कहीं न करें।

मुझे आशा है, आप लन्दन-समितिके^३ लिए जो-कुछ कर सकेंगे, अवश्य करेंगे। जैसा मैंने वचन दिया था, मैं चन्दा जमा करनेमें जुटा हुआ हूँ। अपने पास एक अच्छी रकम जमा होते ही मैं उसे आपके पास भेज दूँगा। हमने माँड पोलकको^४ इस महीनेसे रुपया भेजना बन्द कर दिया है।

माँडने अपनी दक्षिण आफ्रिका-यात्राके सम्बन्धमें जो व्यवहार किया है, सम्भवतः उसके बारेमें वह आपसे बातचीत करेगी। मैंने उसे लिखा था^५ कि उसने मुझे धोखा दिया और आपको भी। हमारे बहुत घनिष्ठ सम्बन्धोंके टूट जानेपर भी वह समितिमें अपना काम सन्तोषजनक रूपसे कर रही है। उसका खयाल है कि वह महज गलत-फहमीका शिकार हो गई है। मैं इसपर विश्वास करनेके लिए तैयार नहीं हूँ और मैंने उससे ऐसा कह भी दिया है। काश, मैं आपको दुःखजनक स्मृतियोंसे बचा सकता। लेकिन माँडके और मेरे बीच जो-कुछ हुआ है, उसे आपको बतानेके लिए मैं बाध्य था।

आप अपने स्वास्थ्यके बारेमें, और जो चिकित्सा आप करा रहे हैं उसके विषयमें एक पंक्ति लिख सकें तो आभारी होऊँगा। क्या आप जुस्टकी जुंगवॉर्न और कुनेकी संस्थाको देखनेके लिए कुछ समय निकाल सकेंगे?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२६) से।

सौजन्य : सर्वेड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी।

१. इस विषयपर श्री गोखलेके विचारके लिए देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ३८।

२. देखिए “कस्तूरबा गांधीसे बातचीत”, पृष्ठ ३०।

३. दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति।

४. श्री एच० एस० एल० पोलककी बहन; वे पहले दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिकी अवैतनिक सहायक मन्त्राणी थीं।

५. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

३२. तार : कैलरेको

[फीनिक्स
अप्रैल २६, १९१३]

कैलरे

संसदमें विधेयकका दूसरा वाचन आरम्भ।^१ आशा है समितिका तार गया होगा। समिति इसकी नकल चैपलिन, अलेक्जेंडर, स्मार्ट, मेरीमैनको तारसे भेजे। आशा है भारतीय स्त्रियोंका विरोधपत्र भेज दिया गया होगा।

गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७८७) की फोटो-नकलसे।

३३. तीन पौंडी कर-सम्बन्धी निराशा

प्रामाणिक सूत्रसे मालूम हुआ है कि राजनीतिक स्थितिकी मजबूरियोंके कारण इस अधिवेशनमें १८९५ के अधिनियम १७ के अन्तर्गत लिये जानेवाले ३ पौंडी करको रद्द करनेके लिए सरकार कोई विधेयक नहीं लाना चाहती। भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोंको गिरमिटकी अवधि समाप्त होनेपर नेटालमें स्वतन्त्र रहनेके लिए यह कर देना पड़ता है। इस समाचारसे न केवल उन लोगोंको, जिनपर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, बल्कि समस्त भारतीय समाजको धक्का लगेगा और गहरी निराशा होगी, क्योंकि वह सही ही, इस करको अपने सम्मान और सामाजिक सन्निष्ठापर लगाया गया कर मानता है। चूंकि जनरल बोथा और जनरल हर्ट्सॉग दलगत झगड़ेमें व्यस्त हैं इसलिए सारे देशका काम-धाम ठप हो जाना लाजिमी है। जनरल बोथाने यह रुख अपनाया है कि वे अपने प्रतिद्वन्द्वीसे साम्राज्यके हितमें लड़ रहे हैं। जनरल बोथाने माननीय श्री गोखलेको अलिखित वचन दिया था कि वे इस करको जल्दी ही रद्द कर देंगे। लगता है, उनके उक्त रुखमें और उस अलिखित वचनको निभानेकी उनकी असमर्थतामें जो असंगति है उसे जनरल बोथा अनुभव नहीं करते। यह रहस्य किसीसे छुपा नहीं है कि श्री गोखलेकी यात्राके दौरान ही सरकारके इरादोंकी सार्वजनिक घोषणा क्यों नहीं की गई। कारण सिर्फ यह था कि मन्त्रिगण कोई निश्चित वादा करनेके पूर्व नेटालके सदस्योंकी भावनाका पता लगा लेना चाहते थे। सदनमें वित्तीय-सम्बन्ध-विधेयकपर दिये गये जनरल स्मट्सके वक्तव्यसे विदित होता है कि अधिकांश सदस्योंकी रायमें इस करको जारी रखना अन्यायपूर्ण है और वे इसके जारी रखनेके, विरुद्ध हैं। तब

१. दूसरा वाचन २६ अप्रैल, १९१३ को प्रारम्भ हुआ।

सरकारके पास इस टालमटोलके लिए कोई उचित बहाना भी नहीं रह गया है और स्पष्ट है कि कर न हटानेका कारण उसकी कायरता है; वह डरती है कि फ्री स्टेटके प्रतिक्रियावादी, जिन्हें रंग-विद्वेषके पागलपनकी जगजाहिर हठधर्मिताके सिवा इस सवालमें और कोई दिलचस्पी नहीं है, कहीं और विरोध न खड़ा करें। हम अच्छी तरह जानते हैं कि श्री गोखले, जो इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं, साम्राज्य-सरकारके मन्त्रियोंको अपनी तथा भारतीय समाजकी आशाओंके प्रति विश्वासघातके इस भ्रष्ट आचरणपर कुछ खरी-खरी सुनायेंगे। अपने वचनकी लाज बचानेके लिए सरकार कमसे-कम इतना तो कर ही सकती है कि वह यह हिदायत जारी कर दे कि जबतक संसदके अगले अधिवेशनमें इस करको रद्द करनेके लिए आवश्यक कानून पास नहीं हो जाता तबतक के लिए कर और उसका बकाया नहीं माँगा जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-४-१९१३

३४. वह विधेयक

प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयकका स्पष्टतः चारों ओरसे विरोध हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय तक जानेके अधिकारको, कुछ-एक असाधारण मामलोंको छोड़ कर, वापस लेनेकी बातपर 'नेटाल विटनेस' ने जो अत्यन्त कटु आलोचना की है, वह बहुत ही उपयुक्त है। अब अधिकारी-वर्ग अपने-अपने क्षेत्रमें तानाशाहों-जैसी स्वेच्छाचारितासे ही सन्तुष्ट नहीं हैं। दक्षिण आफ्रिकाकी जनतासे अब एक ऐसी दोषाक्षम नौकरशाहीके हाथमें अपनी स्वतन्त्रता सौंप देनेके लिए कहा जा रहा है जो महामहिम सम्राटके न्यायाधीशोंकी आलोचना और शंकाओंका सामना करनेमें डरती है। जब कि नेटाल और केपके वर्तमान परवाना-निकायों द्वारा भारतीय हितोंपर भयंकर आघात किये जानेकी घटनाएँ प्रति-दिन हो रही हैं, उस समय ऐसे प्रवास-निकायोंको, जिनके निर्णयोंपर अपील नहीं हो सकेगी, जनता — बल्कि भारतीय जनता — पर थोपनेके सरकारी प्रयत्नकी घोर उद्धततापर हमें ज्यादा कहनेकी जरूरत नहीं। हम दक्षिण आफ्रिकामें बड़ी तेजीसे एक ऐसी नौकरशाहीकी ओर बढ़ते जा रहे हैं जिसके विरुद्ध सर जेम्स रोज-इन्सने अभी हालमें बहुत कड़े शब्दोंमें विचार व्यक्त किये थे। यह विश्वास करना कठिन है कि स्वाधीनता और स्वतन्त्रताकी श्रेष्ठ परम्पराएँ रखनेवाले दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेशी लोग संघमें बाहरसे प्रवेश तथा आन्तरप्रान्तीय आवागमनके ऊपर नियन्त्रणका अधिकार एक पूर्णतः स्वच्छन्द तथा स्थायी नौकरशाहीके हाथमें सौंप देंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-४-१९१३

३५. नया विधेयक

सम्भव है कि इस टिप्पणीके लिखे जानेके पहले ही विधेयकके सम्बन्धमें और भी समाचार मिल गये होंगे। इस समय तो ऐसा दिखाई देता है कि विधेयक कुछ ऐसे कारणोंसे, जो हमारे संघर्षसे सम्बद्ध नहीं हैं, रद्द हो जायेगा। जनरल बोथाके खेमेमें फूट पड़ गई है। जनरल हर्टसाँगके समर्थकोंने लड़नेका अपना इरादा जाहिर कर दिया है। उन्होंने ब्लूमफाँटीनमें एक सभा करके जनरल हर्टसाँगके समर्थनमें एक प्रस्ताव पास किया। इसलिए इसकी सम्भावना अब कम ही दिखाई देती है कि ऑरेंज फ्री स्टेटके सदस्य जनरल बोथाका समर्थन करेंगे। केपमें भी कुछ सदस्य जनरल हर्टसाँगकी सहायता करेंगे ही। कुछ-एक ट्रान्सवालमें भी होंगे। तब जनरल बोथा (केवल) अपने दलके बलपर राज्य चला सकेंगे, ऐसा नजर नहीं आता। अगर वे यूनियनिस्ट (संघवादी) पक्षका समर्थन प्राप्त करनेकी कोशिश करेंगे तो यह न केवल उनके लिए शर्मकी बात होगी, वरन् इससे जनरल हर्टसाँगकी शक्ति और भी बढ़ जायगी तथा बोअरोंमें जनरल बोथाका समर्थन करनेवाले व्यक्ति बहुत ही कम रह जायेंगे। बहुत-से लोगोंका खयाल है कि ऐसी कठिन परिस्थितिमें जनरल बोथाके हाथमें राज्यकी बागडोरका रहना सम्भव नहीं है। अगर यह खयाल ठीक हो तो इसके दो परिणाम हो सकते हैं। एक तो यह कि जनरल बोथा वर्तमान संसदको भंग करवाकर फिरसे चुनाव करायें। दूसरा यह कि वे जनरल हर्टसाँगके पक्षकी समस्त माँगें स्वीकार कर लें। दोनों स्थितियोंमें इसकी सम्भावना बहुत कम है कि यह संसद कुछ काम कर सकेगी। समाचारपत्रोंका भी यह कहना है कि जनरल हर्टसाँगके समर्थकोंने दो आपत्तियाँ उठाई हैं। एक तो यह कि आजतक जूलू लोगोंके घनिष्ठ मित्र समझे जानेवाले तथा उनके हितोंका ध्यान रखनेवाले श्री सावरको जनरल बोथाने जूलू मामलोंका मन्त्री नियुक्त किया है; और दूसरा यह कि उन्होंने साम्राज्यीय सरकारके विचारोंका ध्यान रखते हुए भारतीयोंको राहत देनेका निश्चय किया है। इस प्रकार हम भी उनके बीच झगड़ेका एक कारण बन गये हैं। इसमें हमारे लिए खुश होनेकी कोई बात नहीं; क्योंकि उपर्युक्त कारण तो एक बहाना-भर है। अनजान बोअर लोगोंका इस बातसे भ्रममें पड़ जाना सम्भव है; लेकिन इन दोनों बातोंमें सत्यका अंश अवश्य है। किन्तु ऐसा होनेपर भी इसमें न तो अपना और न ही जूलू लोगोंका भला है। श्री सावर मन्त्री होकर जूलू लोगोंको गाड़ी-भर घन दे देंगे, ऐसी बात नहीं है और जनरल बोथा साम्राज्यीय सरकारको खुश करनेके लिए हमें राज्य सौंप देंगे, सो बात भी नहीं है। वे हमें क्या देनेको तैयार हैं, यह तो हमने देख लिया है। लेकिन जनरल बोथाने हमारे सम्बन्धमें साम्राज्यीय सरकारको जो मीठा वचन दिया है, उसे जनरल हर्टसाँगके समर्थक जान-बूझकर जनरल बोथाके विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सबसे हमें कोई लाभ होनेकी आशा नहीं है। और अगर जनरल हर्टसाँगके हाथमें सत्ता आ भी जाये तो हमें उससे थोड़ी-बहुत भी प्राप्ति होनेवाली नहीं है। हमें तो उतना

ही मिलेगा जितना हम अपनी शक्ति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सत्याग्रहका बल देश-कालकी सीमासे परे होता है। ऐसा ही अजेय और उत्तम है यह बल!

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-४-१९१३

३६. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१७]

९. गुप्त प्रकरण

स्वास्थ्यके इन प्रकरणोंको जिन्होंने ध्यानपूर्वक पढ़ा है, उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस प्रकरणको विशेष ध्यानके साथ पढ़ें और इसपर गहरा विचार करें। आगे और प्रकरण भी होंगे और वे भी उपयोगी होंगे, यह मैं मानता हूँ। किन्तु इस विषयपर इतना महत्वपूर्ण और कोई प्रकरण नहीं होगा। मैं यह भी सूचित कर चुका हूँ कि इन प्रकरणोंमें ऐसी एक भी बात मैंने नहीं लिखी है जिसका व्यक्तिगत अनुभव मुझे न हो, अथवा जिसे अत्यन्त दृढ़तापूर्वक मैं स्वयं न मानता होऊँ।

स्वास्थ्यकी अनेक कुंजियाँ हैं और वे सबकी-सब अत्यन्त आवश्यक हैं। परन्तु उसकी सबसे मुख्य कुंजी ब्रह्मचर्य है। अच्छी हवा, बढ़िया खुराक, स्वच्छ जल आदिसे हमें स्वास्थ्य मिलता है। किन्तु जिस प्रकार जितना पैसा कमाया जाये, उतना ही उड़ा दिया जाये, तो दारिद्र्य नहीं कटता, ठीक उसी प्रकार जितना स्वास्थ्य प्राप्त किया जाये, उतना ही खो दिया जाये, तो हमारे पास मूल पूंजी बहुत कम बच रहेगी। इसलिए स्त्री और पुरुष, दोनोंको स्वास्थ्यरूपी धन संचित करनेके लिए ब्रह्मचर्यकी पूरी आवश्यकता है। इसमें किसीके लिए शंकाकी गुंजाइश नहीं। जो अपने वीर्यकी रक्षा करता है वही वीर्यवान् या बलवान् गिना जायेगा।

अब सवाल यह है कि ब्रह्मचर्य है क्या? पुरुष स्त्रीसे और स्त्री पुरुषसे भोग न करे, यही ब्रह्मचर्य है। “भोग न करे” — यानी विषयकी इच्छासे परस्पर एक-दूसरेका स्पर्श भी न करें। इतना ही नहीं, बल्कि इस सम्बन्धका विचार भी मनमें न लायें। ऐसा स्वप्न भी न आये। न तो पुरुष स्त्रीको देखकर पागल हो और न स्त्री पुरुषको देखकर। प्रकृतिने हमें जो गुप्त शक्ति प्रदान की है, उसे नियन्त्रित करके और उसे अपने शरीरमें संचित रखकर उसका उपयोग हमें अपने स्वास्थ्यकी वृद्धिमें करना चाहिए — केवल शरीरका स्वास्थ्य ही नहीं, मन, बुद्धि और स्मरण-शक्तिका भी।

हमारे चारों ओर जो एक कौतुक चल रहा है, जरा उस ओर भी देखें। छोटोंसे लेकर बड़े तक, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, सभी एक बड़ी हदतक इस मोहमें डूबे हुए हैं। इस प्रसंगमें हम सभी एकदम पागल हो जाते हैं। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। हमारी आँखोंके आगे पर्दा पड़ जाता है। हम लोग कामान्ध हो उठते हैं। कामान्ध पुरुषों, स्त्रियों और लड़के-लड़कियोंको मैंने एकदम पागलपनकी स्थितिमें देखा है। मेरा अपना अनुभव भी कुछ भिन्न नहीं है। जब-जब मैं ऐसी स्थितिमें पहुँचा हूँ, तब-तब

अपना होश-हवास भूल गया हूँ। वास्तवमें यह वस्तु ही ऐसी है। इस प्रकार रत्ती-भर सुखके लिए हम अपना मन-भर बल पल-भरमें खो बैठते हैं। और जब हमारा वह नशा उतर जाता है, तब हमारी हालत रंककी-सी हो जाती है। दूसरे दिन प्रातः-काल हमारा शरीर भारी हो जाता है और हमें सच्चा आराम महसूस नहीं होता। हमारी देह शिथिल और मन अस्थिर हो जाता है। इस सबको व्यवस्थित करनेके लिए हम दूधके काढ़े पीते हैं, भस्में फाँकते हैं, याकूतीका सेवन करते हैं, वैद्योंके पास जाकर पौष्टिक दवाइयाँ माँगते हैं और किस खुराकसे हमारी काम-शक्ति बढ़ेगी, इसकी खोजमें लगे रहते हैं। यों दिनपर-दिन बीतते चले जाते हैं। और ज्यों-ज्यों वर्ष गुजरते हैं, त्यों-त्यों हम शरीर और मनसे होन होते जाते हैं और बुढ़ापेमें अनुभव करते हैं कि हम अपनी बुद्धि खो बैठे हैं।

सच देखा जाये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बुढ़ापेमें तो मन्द होनेके बजाय बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए। हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि इस देह द्वारा प्राप्त किया हुआ अनुभव खुद हमारे लिए और दूसरोंके लिए भी उपयोगी हो। जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है, उसकी ऐसी स्थिति होती है। उसे मृत्युका भय नहीं होता। और मृत्युके समय वह ईश्वरको नहीं भूलता। वह न तो छटपटाता है और न बहाना ही करता है। वह तो हँसते हुए चेहरेसे इस देहको छोड़कर मानो अपने मालिकको अपना हिसाब देनेके लिए जाता है। जो इस प्रकार मरते हैं, वे ही खरे पुरुष और खरी स्त्रियाँ हैं। ऐसा माना जाना चाहिए कि सचमुच उन्हीं लोगोंने अपना स्वास्थ्य सँजोया।

साधारण तौरपर हम लोग यह विचार नहीं करते कि इस संसारमें भोग-विलास, ईर्ष्या, बड़प्पन, आडम्बर, क्रोध, अवैर्य, वैर आदिका मूल और एकमात्र कारण यही है कि हम ब्रह्मचर्यका भंग करते हैं। हमारा मन हमारे हाथोंमें न रहे और रोज ही यदि हम एक या अधिक बार इस प्रकार बालकसे भी बढ़कर नासमझ बन जायें, तो फिर जाने-अनजाने कौन-सा अपराध हमारे हाथों नहीं बन पड़ेगा? कौन-सा घोर कृत्य करते हुए हम न हिचकेंगे?

किन्तु इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले कहाँ दिखाई देते हैं? यदि सभी इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन करने लगे तो दुनियाका सत्यानाश ही हो जाये — सम्भव है, कोई इसमें ऐसी धर्म-चर्चा छोड़ दें। यदि धर्म-दृष्टि छोड़कर केवल दुनियावी दृष्टिसे भी विचार करें, तो मेरा खयाल है कि इन दोनों बातोंके मूलमें हम अपनी कायरता और अपने भयको काम करते हुए पायेंगे। क्योंकि हम ब्रह्मचर्यका पालन करना नहीं चाहते, अतएव उसमें से भाग निकलनेका बहाना ढूँढ़ते रहते हैं। ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले इस दुनियामें बहुत पड़े हैं, किन्तु ढूँढ़नेपर वे सहज ही हाथ लग जायें, तो उनका क्या मूल्य रह जायगा। हीरेको प्राप्त करनेके लिए हजारों मजदूर घरतीके अन्तरमें जुटे रहते हैं और इसके बाद भी कंकड़-पत्थरोंके पर्वत-जैसे अम्बारमें से केवल इने-गिने हीरे हाथ लगते हैं। तब फिर हम हिसाब लगाकर देख लें कि ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले हीरोंको खोजनेके लिए कितना प्रयत्न आवश्यक न होगा। ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए यदि पृथ्वी नेस्तनाबूद भी हो जाये, तो हमारा उससे क्या सम्बन्ध है? हम

कोई ईश्वर तो हैं नहीं। जिसने इस पृथ्वीको बनाया है, वही इसकी सार-सँभाल करेगा। दूसरे लोग ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं या नहीं, यह सवाल तो हमें करना ही नहीं चाहिए। व्यापार, वकालत आदि धन्धोंमें प्रवेश करते समय तो हम यह विचार कभी नहीं करते कि सभी लोग यदि वकील या व्यापारी बन जायेंगे, तो कैसे चलेगा। अन्तमें, जो-कोई ब्रह्मचर्यका पालन करेगा, उस स्त्री या पुरुषको उचित समयपर इन दोनों प्रश्नोंका जवाब मिल जायेगा। मतलब यह कि उन्हें उन्हींके-जैसे बहुतसे अन्य लोग भी मिलेंगे और सभी लोगोंके ब्रह्मचर्यका पालन करनेपर इस पृथ्वीका क्या होगा, यह बात भी वे दिनकी तरह साफ-साफ देख सकेंगे।

लेकिन उपर्युक्त विचारोंको संसारके जंजालमें फँसे हुए लोग अमलमें कैसे लायें? विवाहित लोग क्या करें? जिनके बच्चे हैं, वे क्या करें? जो लोग काम-वासनाको वशमें नहीं कर सकते, वे क्या करें? हमने यह तो देख लिया कि उत्तमसे-उत्तम बात क्या है। अब हमें चाहिए कि उस आदर्शको हम अपने सामने रखें और उसका हूबहू या कुछ कम अनुसरण करें। जब हम किसी बालकको अक्षर लिखवाते हैं, तब सुन्दरसे-सुन्दर अक्षरोंका नमूना उसके सामने रखते हैं और वह बालक उस नमूनेके आधारपर अपनी शक्ति-भर उसकी पूरी या अधूरी नकल करता है। इसी प्रकार हम भी अखण्ड ब्रह्मचर्यका आदर्श अपने सामने रखें, तब हमारे लिए उसके अनुरूप प्रयत्न करना सम्भव हो सकेगा। विवाहित हैं तो क्या हुआ? प्रकृतिका नियम तो यह है कि जब स्त्री या पुरुषको प्रजोत्पत्तिकी इच्छा हो, तभी वे ब्रह्मचर्यका व्रत तोड़ें। इस प्रकार कोई दम्पति विवेकपूर्वक वर्षमें या चार-पाँच वर्षमें अपने व्रतसे स्वलित हों, तो वे कुछ पागल नहीं माने जायेंगे और उनके पास वीर्यरूपी धरोहर अच्छे परिमाणमें संचित रहेगी। जो केवल प्रजोत्पत्तिके लिए कामोपभोग करते हों, ऐसे स्त्री-पुरुष क्वचित् ही दिखाई पड़ते हैं। बाकी हजारों लोग तो भोग-विलासके ही आकांक्षी हैं। वे तो यही चाहते हैं और तदनुसार करते हैं। परिणाम यह होता है कि जो सन्तान उत्पन्न होती है, वह उनकी इच्छानुसार नहीं होती। विषयोपभोग करते समय हम लोग इतने मदान्ध हो जाते हैं कि अपने सहयोगीका विचार भी नहीं करते। इसमें स्त्रीकी अपेक्षा पुरुष ज्यादा गुनहगार है। अपने पागलपनमें उसे इतना भी खयाल नहीं रहता कि उसकी स्त्री निर्बल है और प्रजोत्पत्तिका भार उठानेकी, सन्तानके लालन-पालनकी, उसमें यथोचित शक्ति है या नहीं। पश्चिमके लोगोंने तो इस दिशामें हृद ही कर दी है। वे लोग तो अपने भोग-विलासके लिए और होनेवाली सन्तानके बोझसे अपने सिरको बचानेके लिए अनेक प्रकारके उपचार करते हैं। इन उपचारोंके सम्बन्धमें ग्रन्थ लिखे गये हैं और पश्चिममें इस बातका प्रतिपादन करनेवाले पेशेवर लोग भी मौजूद हैं जो यह बतलाते हैं कि विषयोपभोग करते हुए भी प्रजोत्पत्ति किस प्रकार नहीं हो सकती। गनीमत है कि ऐसे पापसे अभीतक तो हम लोग मुक्त हैं। परन्तु हम लोग अपनी स्त्रियोंपर इस प्रकार बोझ लादते हुए जरा विचार नहीं करते और इस बातकी परवाह भी नहीं करते कि हमारी सन्तान निर्बल, वीर्यहीन, स्त्रैण और बुद्धिहीन होती जा रही है। जब-जब सन्तान उत्पन्न होती है, हम लोग ईश्वरका

अहसान मानते हैं। वास्तवमें अपनी दयनीय दशाको ढकनेका यह एक बहाना-भर है। निर्बल, लूली, विषयी तथा क्षुद्र सन्तान पाकर उसे हम ईश्वरीय कोप क्यों न मानें? इसमें उत्सव किस बातका मनाया जाये। बारह वर्षकी कन्या माता बन जाये, इसे ईश्वरका महान कोप क्यों न माना जाये। नये उगे हुए पौदोंमें यदि फल लग जाये, तो वे निर्बल हो जाते हैं। इसे हम समझते हैं और इस बातका प्रयत्न करते हैं कि उनमें इतनी जल्दी फल न लगें। ऐसा होते हुए भी किसी किशोर स्त्रीको किशोर वरसे सन्तान उत्पन्न हो जाये, तो हम उत्सव मनाते हैं। क्या यह भीतमें सिर दे मारने-जैसा नहीं है? हिन्दुस्तानमें या इस संसारमें शक्तिहीन मनुष्य चींटियोंकी तरह बढ़ जाये, तो इससे हिन्दुस्तानका या दुनियाका क्या उद्धार होनेवाला है? इस बातमें तो पशु हमसे बहुत अच्छे हैं कि जब उन्हें प्रजोत्पत्तिकी प्रवृत्ति होती है, वे तभी मिलते हैं। स्त्री-पुरुषके संयोगके बाद पूरे गर्भकालमें तथा सन्तानोत्पत्तिके बाद बच्चा दूध पीना छोड़कर बड़ा हो जाये, इस बीचका सारा समय पवित्रतापूर्वक पाला जाना चाहिए। स्त्री और पुरुष, दोनोंको चाहिए कि वे इस अवधिमें ब्रह्मचर्यका पालन करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम तो इस बातका जरा भी विचार किये बिना सहवास करते रहते हैं। हमारे मन इतने रुग्ण हैं। यही तो असाध्य रोग है। यह रोग हमारा मृत्युसे मिलन करवाता है। और जबतक मृत्यु नहीं आ जाती, तबतक हम पागल मनुष्यकी तरह भटकते रहते हैं। विवाहित स्त्री-पुरुषोंका यह कर्तव्य है कि वे अपने विवाहका अनुचित अर्थ न करें। उसके शुद्ध अर्थमें तो सचमुच ही जब सन्तान न हो, तो अपने उत्तराधिकारीकी इच्छासे ही सम्भोग करें।

हमारी दशा तो अत्यन्त दयनीय है और उसमें इस प्रकार निर्वाह करना अत्यन्त कठिन है। हमारी खुराक, हमारा रहन-सहन, हमारी बातचीत, हमारे आसपासके दृश्य, ये सारेके-सारे विषय-वासनाको जाग्रत करनेवाले हैं और जब कि विषय-वासनाका हमपर अफीम-सा नशा चढ़ा हुआ ही होता है, फिर यह कैसे सम्भव है कि हम विचार करके इस स्थितिसे अपना उद्धार करें? लेकिन जो बात की ही जानी चाहिए, उसके सम्बन्धमें इस प्रकारका प्रश्न करनेवाले व्यक्तिके लिए यह लेखमाला नहीं है। यह तो उन लोगोंके लिए है जो विचारपूर्वक, जो-कुछ किया जाना चाहिए, उसे करनेका प्रयत्न करनेको कटिबद्ध हो उठते हैं। जो अपनी जैसी-कुछ स्थिति है, उसीमें सन्तोष माने बैठे हैं वे तो इस सबको पढ़नेमें भी ऊब उठेंगे। किन्तु इस लेखका हेतु उन्हींकी मदद करना है जो अपनी दयनीय दशाको देख सके हैं और उससे कुछ हद तक तंग आये हुए हैं।

ऊपर जो-कुछ लिखा जा चुका है, उससे यह देखा जा सकता है कि जो लोग अभीतक अविवाहित हैं उन्हें तो इस कठिन कालमें विवाह करना ही नहीं चाहिए और यदि विवाह करना अनिवार्य ही हो, तो शक्ति-भर बहुत देरसे विवाह करना चाहिए। पच्चीस-तीस वर्ष तक विवाह नहीं करेंगे, नवयुवकोंको इस प्रकारका प्रण ले लेना चाहिए। ऐसा करनेसे स्वास्थ्य-प्राप्तिके अलावा जो अन्य लाभ प्राप्त होंगे, उनका विचार तो हम यहाँ कर ही नहीं सकेंगे। किन्तु हर-कोई स्वयं ही उन्हें प्राप्त करके जान सकेगा।

जो माता-पिता इन लेखोंको पढ़ें, उनसे हमारा यह कहना है कि वे अपने बच्चोंका बचपनमें ही विवाह या सगाई करके पापके भागी न बनें। जो ऐसा करते हैं वे अपने बच्चोंका हित देखनेकी अपेक्षा अपना ही अन्ध स्वार्थ खोजते हैं। वे इस प्रकार खुदको बड़ा साबित करना, अपनी न्याति-जातिमें नाम कमाना या लड़केका विवाह करके तमाशा देखना चाहते हैं। यदि बालकका हित ही ध्यानमें हो, तो उसकी ध्यानसे देखभाल करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए और उसे शारीरिक शिक्षण देना चाहिए। इस जमानेमें बालकोंका विवाह करके, उन्हें संसारी खटपटकी जवाबदेहियोंमें उलझा देनेसे बढ़कर उनका और बड़ा अहित क्या हो सकता है?

अन्तमें, स्त्री या पुरुष, जो एक बार विवाहित हो चुके हों और मृत्युने जिनको अलग-अलग कर दिया है, वे तो विधुर अथवा विधवाके अनुकूल व्रतका ही पालन करें। ऐसा करनेसे उन्हें स्वास्थ्य-लाभ होगा। कई डॉक्टरोंका ऐसा विचार है कि जवान स्त्री-पुरुषोंको वीर्य-स्खलनका अवसर प्राप्त होना ही चाहिए। दूसरे कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो यह कहते हैं कि किसी भी स्थितिमें वीर्यपात करनेकी आवश्यकता नहीं है। जब डॉक्टरोंमें आपसमें ही इस प्रकारके मत-मतान्तर हैं तब हम उनसे मार्गदर्शन पाकर यह समझें कि डॉक्टर भी हमारे विचारोंका समर्थन कर रहे हैं, विषयमें और लीन हो जायें — ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे खुदके अनुभव और अन्य लोगोंके, जिनके अनुभवोंसे मैं परिचित हूँ, आधारपर मैं निर्विन्द रूपसे यह कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य-साधनके लिए विषय-भोगकी आवश्यकता कदापि नहीं होती। इतना ही नहीं, उलटे विषयोपभोगसे — वीर्यपातसे — स्वास्थ्यको अत्यन्त हानि पहुँचती है। अनेक वर्षोंसे मन और तनकी बँधी हुई संयम-शक्ति एक बारके ही वीर्यपातसे इतनी अधिक नष्ट हो जाती है कि उसे पुनः प्राप्त करनेमें एक लम्बा समय चाहिए। और इसके बाद भी पहले-जैसी स्थिति तो हो ही नहीं पाती। टूटे हुए काँचको जोड़कर उससे काम भले ही लिया जाये, लेकिन वह टूटा तो है ही।

वीर्यकी सुरक्षाके लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, ऊपर बताये मुताबिक स्वच्छ खुराक और शुद्ध विचारोंकी पूरी आवश्यकता है। इस प्रकार नीति और आरोग्यका सम्बन्ध बड़ा घनिष्ठ है। पूर्ण रूपसे नीतिवान् मनुष्य ही पूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकता है। जो लोग यह समझकर कि “जागे तभी प्रभात” इस लेखका पूर्ण रूपसे मनन करेंगे और इन सुझावोंको व्यवहारमें उतारेंगे उन्हीं लोगोंको इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। जो थोड़े समयके लिए भी ब्रह्मचर्यका पालन करेंगे, वे भी अपने मन और तनमें बड़ी हुई शक्तिका अनुभव कर सकेंगे, और एक बार इस पारस-मणिको हस्तगत करनेके बाद वे उसे प्राणोंकी तरह यत्नपूर्वक सँभाल कर रखेंगे। और यदि वे उसमें थोड़ी भी ढील करेंगे, तो शीघ्र ही अनुभव कर पायेंगे कि उन्होंने एक बड़ी भारी भूल की है। मैंने तो ब्रह्मचर्यके अगणित लाभ देखनेके बाद भी भूलें की हैं और उनके बड़े कटु परिणाम अनुभव किये हैं। ऐसी भूलोंके पूर्वकी अपने मनकी उदात्त स्थिति और भूलोंके बादकी मनकी दयनीय दशा, इन दोनोंका मेरी आँखोंके सामने चित्र-सा खड़ा होता रहता है। फिर भी इन भूलोंके द्वारा ही मैं इस पारस-मणिकी कीमत आँक सका हूँ। नहीं जानता कि अब भी इसका अखण्ड रूपमें पालन कर सकूँगा या नहीं। किन्तु



On March Through Volkswart,

“महान-कव”



कु० सोजा इलेसिन और कैलेनबैकके साथ

ईश्वरकी सहायतासे पालन कर सकूंगा, ऐसी आशा करता हूँ। इसके द्वारा मुझे जो मानसिक और शारीरिक लाभ हुए हैं उन्हें मैं ही जानता हूँ। बचपनमें ही मेरा विवाह हो चुका था। उसी उम्रमें मैं अन्धा बन चुका था। बचपनमें ही सन्तान हो चुकी थीं और तब कई वर्षोंके बाद आँखें खुलीं। और जागृत होकर जब देखा तो अपनेको घमासान संघर्षके बीच पाया। अतः यदि लोग मेरे अनुभवके आधारपर जागृत हो सकेंगे और अपनेको बचा सकेंगे, तो इस प्रकरणको लिखकर मैं अपनेको कृतार्थ हुआ, समझूंगा। अनेक लोग कहते हैं कि मुझमें बड़ा उत्साह है और मैं मानता भी हूँ। मेरे मनको लोग निर्बल नहीं मानते। कई लोग तो मुझे हठधर्मी भी कहते हैं। वैसे मेरे शरीर और मनमें अनेक रोग रहे हैं। लेकिन जो लोग मेरे सम्पर्कमें आये हैं, उनकी अपेक्षा मैं अधिक स्वस्थ माना जाता हूँ। मैं अपनी यह हालत लगभग २० वर्ष तक — या कुछ अधिक ही — विषयोपभोगमें लिप्त रहनेके बाद हासिल कर सका हूँ। यदि इन २० वर्षोंको भी बचा सका होता, तो आज मेरी स्थिति क्या होती, यह बात भी त्रैराशिक द्वारा ही जानने योग्य है। मेरी खुदकी मान्यता तो यह है कि वैसा होता, तो आज मेरे उत्साहका पार ही न रहता और मैं जनताकी सेवामें और अपने स्वार्थमें भी ऐसा कुछ उत्साह प्रदर्शित कर सकता कि यदि कोई उसकी होड़में उतरता, तो उसकी परीक्षा ही हो जाती। मेरे इस खण्डित उदाहरणसे भी इतना सार निकल सकता है; तब फिर जिन लोगोंने अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रतका पालन किया है, उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक बलका अन्दाज तो वे ही लगा सकते हैं जिन्होंने उन्हें देखा है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

इस प्रकरणके पाठक इतना तो समझ ही सके होंगे कि जब विवाहितको भी ब्रह्मचर्य पालनकी सलाह दी जा रही है और विधुर पुरुषोंको विशुद्ध विधुर-जीवनका पालन करनेकी सलाह दी गई है, तब फिर अन्य पुरुष या स्त्रीके लिए अन्यत्र कहीं भी विषयोपभोग करनेकी गुंजाइश तो हो ही नहीं सकती। पराई स्त्री अथवा विषयपर कुदृष्टि डालनेसे जो घोर परिणाम हो सकते हैं, उनका विचार स्वास्थ्यके इस प्रकरणमें नहीं किया जा सकता। वह तो धर्मका या गहरी नीतिका ही विषय हो सकता है। यहाँ तो इतना-भर कह सकता हूँ, परनारी और वेश्यागामी पुरुष उपदंश आदि अनेक ऐसे घृणित रोगोंसे पीड़ित और सड़ते हुए देखे जाते हैं जिनका नाम लेना भी अनुचित होगा। प्रकृतिकी यह बड़ी कृपा है कि वह ऐसे स्त्री-पुरुषोंपर शीघ्र ही वार कर देती है। इतना होते हुए भी इन लोगोंकी आँखें नहीं खुलतीं और वे अपने रोगोंकी दवाकी खोजमें डॉक्टरोंके पीछे मारे-मारे फिरते हैं। परनारी-गमन न हो तो ५० प्रतिशत वैद्य और डॉक्टर बेकार हो जायें। इन रोगोंने मनुष्य जातिको ऐसा-कुछ जकड़ रखा है कि विचारशील डॉक्टरोंका मत है कि उनकी अनेक खोजोंके बाद भी यदि परनारी-गमनका यह घृणित व्यापार चलता रहा, तो मानव-जातिका अन्त बहुत शीघ्र हो जायगा। इसके फलस्वरूप होनेवाले रोगोंकी दवाएँ ऐसी कुछ जहरीली होती हैं कि उनसे यद्यपि यह लगता है कि रोग नष्ट हो रहा है, किन्तु दूसरे कई रोग शरीरमें घर कर लेते हैं और उनका परिणाम पीढ़ी-दर-पीढ़ी भुगतना पड़ता है।

अब विवाहित लोगोंको ब्रह्मचर्य पालनका उपाय बताकर हम इस प्रकरणको, जो कि अपेक्षासे अधिक लम्बा हो चुका है, समाप्त करेंगे। केवल हवा और पानीके नियमोंका पालन करनेसे विवाहित स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकेंगे। उन्हें तो अपनी स्त्रीके साथका एकान्त सेवन ही छोड़ देना चाहिए। विचारपूर्वक देखा जाये, तो अपनी पत्नीके साथ विषयभोगके अलावा एकान्तकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। रात्रिके समय स्त्री और पुरुषको जुदा-जुदा कमरोंमें सोना चाहिए। दोनोंको दिनमें अच्छे कार्यों और अच्छे विचारोंमें निरन्तर व्यस्त रहना चाहिए। अपने सुविचारोंको प्रोत्साहन मिल सके, ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और ऐसे पुरुषोंके चरित्रोंका मनन करना चाहिए, और बराबर यही विचार करते रहना चाहिए कि भोगोंमें दुःखको छोड़कर और कुछ है ही नहीं। जब-जब किसीके मनमें विषयकी इच्छा उठ आये तब-तब उसे ठंडे जलसे स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करनेसे शरीरकी यह कामाग्नि कोई अन्य अच्छा रूप धारण कर लेगी और यह पुरुष और स्त्री, दोनोंके लिए, हितकर होगा। ऐसा करनेसे उनके सच्चे सुखमें वृद्धि भी होगी। यह सब करना अत्यन्त कठिन है, किन्तु कठिनाइयोंपर विजय प्राप्त करनेके लिए ही तो हम लोगोंका जन्म हुआ है। जिन्हें स्वास्थ्य प्राप्त करना है, उन्हें तो ऐसी-ऐसी कठिनाइयोंपर विजय पानी ही होगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-४-१९१३

३७. तार : गुल और गुलमुहम्मदको

[जोहानिसबर्ग]

अप्रैल २६, १९१३ के बाद]

गुल

७, विटेनसिगल

आदम गुलमुहम्मद

८, क्लूफ स्ट्रीट

[केप टाउन]

आशा है आप प्रवासी विधेयकके विरुद्ध आपत्ति पेश करेंगे। विधेयककी बहसका विवरण पढ़ा जिसमें कहा गया है भारतीय आम तौरसे इसे मंजूर कर लेंगे।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७७२) की फोटो-नकलसे।

३८. भाषण : फ्रीडडॉर्पमें^१

[जोहानिसबर्ग
अप्रैल २७, १९१३]

श्री गांधीने, जो फीनिक्ससे विशेष रूपसे इसी प्रयोजनसे आये थे, विधेयकका मन्शा और उद्देश्य समझानेके बाद कहा, मुझे आशा है कि सरकार हमारी नम्र प्रार्थना मंजूर कर लेगी। परन्तु यदि वह स्वीकार नहीं करती, तो उस स्थितिमें याचिका आदिके दूसरे सभी उपायोंके विफल होनेपर हमें सत्याग्रहका सुपरीक्षित अस्त्र उठाना पड़ेगा। यह तीसरा आन्दोलन होगा, और मुझे कोई सन्देह नहीं है कि यह सबसे शानदार भी होगा, हालाँकि इसमें पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक कष्ट सहन करना होगा और यह लम्बी अग्नि-परीक्षा होगी। परन्तु हम स्वाभिमानी हैं, और इससे बचनेकी कोशिश नहीं कर सकते। अपनी नारी-जातिके सम्मानके लिए, अपने धर्मके लिए और अपनी जन्म-भूमिके सुयशके लिए हमें हर तरहका खतरा उठानेको तैयार रहना चाहिए। हम न अपनेको और न सरकारको धोखा देना चाहते हैं। श्री गांधीने कहा कि यह स्पष्ट है कि भावी आन्दोलनमें सैकड़ों लोगोंके जेल जानेकी बात नहीं सोची जा सकती। परन्तु मुझे मालूम है कि संख्याकी दृष्टिसे जो कमी होगी वह थोड़े-से लोगोंकी ईमानदारी और अपराजेय इच्छा-शक्तिसे पूरी हो जायेगी। जो लोग जेल-जीवनके कष्ट नहीं सह सकते, वे भी आन्दोलनमें हाथ बँटा सकते हैं। वे सभाएँ कर सकते हैं, चन्दा इकट्ठा कर सकते हैं, और अपना समय देकर जेल जानेवालोंके परिवारोंकी देखभाल कर सकते हैं। ऐसा काम भी जरूरी होगा। संसारका कोई भी देश एक ही बारमें अपने सारे बच्चोंको युद्धके मैदानमें नहीं भेज सकता। फिर हमारी सेना तो एक शान्ति-सेना है। यद्यपि हम फौजी शब्दका प्रयोग करते हैं, किन्तु सैनिकसे हमारी समानता उसी हद तक है, जिस हद तक वे स्वयं ही कष्ट-सहन करते हैं। एक सच्चा सत्याग्रही दूसरोंको कभी चोट नहीं पहुँचा सकता। उसके इरादे कभी भी बदलेकी भावनाके नहीं होते। ऐसी सेनामें पूरा समाज शामिल हो जायेगा, ऐसी उम्मीद करना सम्भव नहीं है। परन्तु युद्धके मैदानमें सच्चे सत्याग्रही चाहे पाँच सौ हों, चाहे पचास, चाहे पाँच और चाहे केवल एक ही, विजय हमारी है।

प्रस्ताव^२

ब्रिटिश भारतीयोंकी यह आम सभा ब्रिटिश भारतीय संघकी समिति द्वारा सरकारके प्रवासी विधेयकके विरुद्ध अपनी आपत्तियाँ भेजनेका अनुमोदन करती है। यह

१. ब्रिटिश भारतीय संघकी एक सभा फ्रीडडॉर्प, जोहानिसबर्गके एक निकटवर्ती कस्बेमें प्रवासी विधेयकपर विचार करनेके लिए हुई थी। इसके अध्यक्ष श्री अ० मु० काछलिया थे। उनके भाषणके पाठके लिए, जो बादमें गवर्नर-जनरलको भेजा गया था, देखिए परिशिष्ट ४।

२. यह प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास हुआ था।

विवेक दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके सम्मान, धार्मिक भावना और समाजके अस्तित्वपर कुठाराघात करता है, अतः यह सभा गम्भीरतापूर्वक संकल्प करती है कि यदि सरकार प्रार्थना स्वीकार नहीं करती तो सत्याग्रह, जो १९११ से अबतक बन्द रहा था, फिर शुरू किया जायेगा और तबतक जारी रहेगा जबतक सत्याग्रहियोंके कष्ट-सहनसे सरकार और दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंको [भारतीय] समाजकी ईमानदारी का, और परिणामस्वरूप राहत देनेकी जरूरतका, अनुभव नहीं हो जाता।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३

३९. तार : डूमंड चैपलिन तथा अन्य लोगोंको

[जोहानिसबर्ग
अप्रैल २७, १९१३ के बाद]^२

डूमंड चैपलिन
माननीय मेरीमैन
सर टॉमस स्मार्ट
मॉरिस एलेक्जेंडर
थियो श्राइनर
केप टाउन

प्रवासी विधेयकके विरुद्ध लगभग प्रत्येक प्रमुख भारतीय मण्डल द्वारा विरोधी पत्र भेजे जा चुके हैं। यदि विधेयकको संशोधन द्वारा भारतीय माँगें पूरी किये बगैर पास किया गया तो सत्याग्रहकी पुनरावृत्ति निश्चित। यदि सामान्य विधेयक भारतीयों द्वारा सुझाये गये संशोधनों सहित पास नहीं हो सकता तो ट्रान्सवाल प्रवासी कानूनमें ऐसे संशोधन आसानीसे किये जा सकते हैं, जिनसे १९०७ का एशियाई अधिनियम रद्द हो जाये और उसमें निहित प्रजातिगत भेद दूर हो जाये इसके अलावा एक ऐसा विवाह-विधेयक लाया जाये जिसके द्वारा भारतीय विवाहोंको सर्ल-निर्णयसे पूर्वकी तरह मान्यता प्राप्त हो और कानूनी करार दिया जा सके।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७७३) की फोटो-नकलसे।

१. इसके बाद सभामें एल० डब्ल्यू० रिच और एच० कैलेनवैक बोले।

२. ऐसा लगता है कि यह तार और लॉर्ड एंस्टहिलकी भेजा गया तार (देखिए अगला शीर्षक), ये दोनों ही २७ अप्रैलकी फ्रीडोर्पमें हुई आम सभाके बाद भेजे गये थे।

४० तार : लॉर्ड एंस्टहिलको^१

[जोहानिसबर्ग

अप्रैल २७, १९१३ के बाद]

श्री गोखलेका सुझाव है कि विधेयक-सम्बन्धी आपत्तियाँ आपको तार द्वारा सूचित कर दूँ। आपत्तियाँ इस प्रकार हैं: विधेयक समझौतेके खिलाफ बैठता है; वर्तमान अधिकारोंकी शकल बदलता है; अकल्पित नियोग्यताएँ लादता है; और सर्वोच्च न्यायालयकी सत्ताके स्थानपर ऐसे निकायोंको आरूढ़ करता है जिनके सदस्य प्रतिवर्ष हटाये जा सकते हैं और जिनके हाथमें अधिवासके मामलोंको छोड़कर पूरी सत्ता रहेगी। यह शिक्षित भारतीयोंको, ट्रान्सवालसे केप या नेटालमें प्रविष्ट होनेके लिए शैक्षणिक परीक्षाके आधारपर प्राप्त वर्तमान अधिकारोंसे वंचित करता है। यद्यपि समझौतेके अनुसार सामान्य विधेयकके अन्तर्गत नये शिक्षित भारतीयोंको प्रवासके सम्बन्धमें दूसरोंकी तरह पूरे अधिकार प्राप्त होने चाहिए, तथापि इस विधेयकका मंशा फ्री स्टेटमें उनका प्रवेश निषिद्ध करवा देना है। चाहे जिस बन्दरगाहसे होकर प्रवेश करनेके वर्तमान अधिकारको किसी एक निर्धारित बन्दरगाहसे प्रवेश तक सीमित करता है। एक लम्बे अरसेसे रहते चले आनेवाले नेटाली भारतीयोंको अधिवास-सम्बन्धी उन अधिकारोंसे जो अबतक वे भोग रहे थे, केपके कानूनके कठोरतम खण्डका प्रयोग करके वंचित करता है। यह विधेयक वर्तमान वैधानिक स्थितिके विपरीत है। नेटाल, ट्रान्सवालके उन भारतीयोंको, जो अपने-अपने प्रान्तोंसे तीन वर्षसे अधिक कालके लिए अनुपस्थित रहे हों, निषिद्ध प्रवासी करार देता है। दक्षिण आफ्रिकामें पैदा हुए भारतीयोंके केपमें प्रवेश करनेके अधिकारको छीनता है। हालका फैसला जमे हुए दस्तूरके खिलाफ बैठता है। ईसाई प्रथाके अनुसार न किये गये या विवाह-अधिकारियोंके समक्ष न किये जानेवाले विवाहोंको — चाहे ये विवाह भारतमें हुए हों चाहे यहाँ — अवैध ठहराता है। इस प्रकार अधिकांश धर्मपत्नियोंको रखैलोंकी श्रेणीमें डालता है। इस विधेयकका मन्शा उन शिक्षित भारतीयोंको, जो वर्तमान शैक्षणिक परीक्षा पास करनेके बाद आये थे, यदि वे अन्यथा अधिवासी नहीं हैं तो, पुनः प्रवेशके अधिकारसे वंचित करना है। यद्यपि यह विधेयक सत्याग्रहियोंकी माँगें पूरी करनेके इरादेसे खास तौरपर गढ़ा गया है तथापि यदि यह विधेयक

१. मसविदेपर लॉर्ड एंस्टहिलका नाम नहीं है; परन्तु लगता है, यह तार उन्हींको भेजा गया था।

इन सब आपत्तियोंको ध्यानमें रखकर संशोधित न किया गया तो सत्याग्रहका फिरसे चालू किया जाना निश्चित है।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७७४) की फोटो-नकलसे।

४१. भेंट : 'स्टार' के प्रतिनिधिको'

[जोहानिसबर्ग

अप्रैल २८, १९१३ या उससे पूर्व]

'स्टार'के एक संवाददाताको भेंट देते हुए श्री गांधीने बताया कि प्रवासी विधेयक भारतीय समाजको तबतक ग्राह्य नहीं होगा जबतक उसमें मौजूदा अधिकारोंकी रक्षा तथा प्रजातिगत भेदकी समाप्तिके सम्बन्धमें समझौतेका मूल सिद्धान्त समाविष्ट नहीं किया जाता।

यह बिलकुल सच है कि फ्री स्टेटके भारतीय समाजकी कोई स्थानीय मांगें नहीं हैं। और यह भी सच है कि फ्री स्टेटमें किसी भी भारतीयके प्रवेशकी सम्भावना नहीं है, परन्तु हम चाहते हैं कि सिद्धान्त-रूपमें प्रवेशका अधिकार सामान्यतया सुरक्षित रहे। पहले विधेयकके पास न होनेका कारण यह था कि सरकार इन मुद्दोंको मानते हुए एक कानून बनाना चाहती थी। पिछले वर्षके विधेयकमें इसकी व्यवस्था थी, और हमने यह भी स्वीकार कर लिया था कि जो भारतीय फ्री स्टेटमें प्रवेश करेंगे उनपर स्थानीय नियोग्यताएँ — जैसे अचल सम्पत्ति रखने, और खेती-बारी तथा व्यापार करनेका निषेध — लागू होंगी। यदि हम मौजूदा विधेयकको मान लेते हैं तो निश्चित ही भारतीयोंकी स्थिति सत्याग्रह शुरू होनेसे पहले जैसी थी, उससे भी कहीं अधिक बुरी हो जायेगी।

ऐसा लगता है कि सरकारकी इच्छा प्रान्तीय कानूनकी सर्वाधिक बुरी बातोंको एक जगह ले आनेकी है; उदाहरणार्थ केपमें "अधिवास" शब्दका अर्थ अपेक्षाकृत अधिक संकीर्ण है, और वही अर्थ वह नेटालमें लागू करना चाहती है। यह एक ऐसी आकस्मिक घटना है जो पाँच-छः साल पहले कदापि सम्भव नहीं हो सकती थी। केपकी स्थितिको अच्छा बना कर उसे नेटालकी बराबरीपर लानेके बजाय, सरकार नेटालकी स्थितिको बुरा बनाकर उसे केपकी स्थितिके समान कर देना चाहती है।

जाहिर है कि श्री गांधी यह मानते हैं कि एक सामान्य प्रवासी कानूनके विषयमें यह आशा करना बिलकुल बेकार है कि वह विभिन्न प्रान्तोंके भारतीय समाजोंके विचारोंके अनुकूल होगा। इस प्रश्नके उत्तरमें कि समस्याका सबसे सहज हल क्या होगा, श्री गांधीने अपने विचार प्रान्तीय कानूनमें संशोधन करनेके हकमें व्यक्त किये और सुझाव दिया

१. गांधीजी यूरोपीय समिति और ब्रिटिश भारतीय संघकी कार्यकारिणी समितिसे परामर्श करनेके लिए जोहानिसबर्ग गये थे। भेंटकी यह रिपोर्ट स्टारसे लेकर ३-५-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित की गई थी।

कि जहाँतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, प्रवासी कानूनमें से जाति-भेद हटा देना चाहिए; इससे कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा; और कहा कि १९०७ का अपमानजनक एशियाई कानून भी रद्द कर दिया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि यदि श्री फिशरका विधेयक कानून बन गया तो भारतीय उसकी व्यवस्थाओंका विरोध करनेके लिए कृत-संकल्प हैं। उन्होंने श्री गोखलेको, जो लन्दनमें हैं, पहलेसे ही सूचना दे दी है ताकि वे साम्राज्य-सरकारके सामने स्थितिको स्पष्ट कर सकें।

भारतीयों और सरकारके बीच सम्बन्धोंमें तनावकी स्थिति [उपनिवेशमें] उत्तर-दायी सरकारकी स्थापनाके तुरन्त बाद ही उत्पन्न हुई और सत्याग्रह आन्दोलन १९०६ से लेकर १९१० में जनरल स्मट्सके साथ समझौता होने तक जारी रहा।

[अंग्रेजीसे]

स्टार, २८-४-१९१३

४२. पत्र : गवर्नर-जनरलके निजी सचिवको

जोहानिसबर्ग

अप्रैल ३०, १९१३

परमश्रेष्ठ गवर्नर जनरल महोदयके
निजी सचिव,
केप टाउन
महोदय,

इस पत्रके साथ मैं उस प्रस्तावकी^१ तीन-तीन प्रतियाँ आपकी सेवामें भेज रहा हूँ जो गत माहकी २७ तारीखको फ्रीडडॉपमें सम्पन्न ब्रिटिश भारतीयोंकी आम सभामें सर्वसम्मतिसे पास किया गया था। यह सभा मेरे संघके तत्त्वावधानमें हुई थी। परम श्रेष्ठसे अनुरोध है कि वे इस प्रस्ताव और सभामें दिये गये अध्यक्षके भाषणकी^२ जो प्रतियाँ इसके साथ भेजी जा रही हैं, माननीय उपनिवेश-मन्त्री और माननीय भारत-मन्त्रीको प्रेषित करनेकी कृपा करें।

आपका

अ० मु० काछलिया

अध्यक्ष,

ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकॉर्ड्स : ५५१/३९

१. देखिए " भाषण : फ्रीडडॉपमें ", पृष्ठ ५१-५२ ।

२. देखिए परिशिष्ट ४ ।

४३. विधेयक

जोहानिसबर्गकी सार्वजनिक सभा ऐन मौकेपर ही हुई है। उसका प्रस्ताव अत्यन्त सामयिक है। सभाकी रचना, ट्रान्सवालके अधिकांश भागोंसे आये हुए प्रतिनिधियोंकी संख्या, और श्री फिशरको भेजे गये सन्देशोंसे मन्त्री महोदयपर यह प्रकट हो गया होगा कि जबतक वे श्री काछलियाके तारमें बताई गई दिशामें विधेयक संशोधित करने-सम्बन्धी ब्रिटिश भारतीयोंकी प्रार्थना स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं होते तबतक भारतीय सन्तुष्ट नहीं किये जा सकते। इसलिए अपने मूल्यवान विधेयकके द्वितीय वाचनके अवसरपर श्री फिशरका यह कहना समझमें नहीं आता कि यह विधेयक भारतीय समाजको सन्तुष्ट कर देगा। बहसके दौरान श्री चैपलिनने बहुत बढ़िया भाषण दिया और सामयिक चेतावनी देते हुए कहा कि यह विधेयक निरर्थक है और यूनियनिस्ट दल उसे तबतक स्वीकार नहीं कर सकता जबतक कि श्री फिशर यह निश्चित आश्वासन नहीं देते कि भारतीय सन्तुष्ट हैं। यद्यपि विधेयक एक मंजिल आगे बढ़ा दिया गया है, हमारा खयाल है कि वह तृतीय वाचनकी मंजिल तक कभी नहीं पहुँचेगा। किन्तु सत्याग्रहियोंके लिए तो यही अच्छा होगा कि वे अपनेको तैयार रखें। यह आशा की जाती है कि यदि संघर्ष पुनः छेड़ा गया तो आगामी संघर्ष शुद्धतम, अन्तिम और सबसे शानदार होगा। थोरोके समान हमारा भी विश्वास है कि “सच्चाईके पक्षमें विजय प्राप्त करनेके लिए केवल एक सच्चा सत्याग्रही भी काफी है।” सच्चाई हमारे साथ है। सच्चाई उस सरकारके पक्षमें नहीं हो सकती जिसे अपने पवित्र वचनोंका कोई खयाल नहीं। और हमारे बीच अनेक सच्चे सत्याग्रही हैं। हम भी एक आदर्श सत्याग्रहीकी परिभाषापर पूरे न उतरें, न सही; परन्तु हमें इतना विश्वास है कि हमारे समाजमें ऐसे अनेक लोग हैं जो उस हद तक आदर्शके निकट पहुँच सकते हैं जिस हद तक किसी मनुष्यके लिए सम्भव है। इस महान् कर्त्तव्यका भार ऐसे ही लोगोंके ऊपर है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३

४४. संघर्ष

सत्याग्रहका प्रस्ताव

जोहानिसर्वगकी सार्वजनिक सभाने नये विधेयकके सम्बन्धमें सत्याग्रहकी लड़ाई लड़नेका प्रस्ताव किया है और यदि सरकार हमारी मांग स्वीकार नहीं करती तो इसमें अब कोई सन्देह नहीं है कि सत्याग्रह पुनः शुरू किया जायेगा। यह सभा मामूली नहीं थी। इसमें भारतीय बड़ी संख्यामें उपस्थित हुए थे और हरएक शहरसे वहाँके नेतागण आये थे। अब यदि लड़ाई शुरू होती है तो ऐसी सम्भावना है कि उसकी योजना कुछ भिन्न प्रकारकी होगी। पहलेकी लड़ाईमें हम यह नहीं कह सकते थे कि कौन जेल जायेगा और कौन नहीं जा सकेगा।^१ हमारे पास समाजकी शक्ति या अशक्तिको जाननेका साधन नहीं था, लेकिन अब हमें इसका अनुभव हो चुका है। अब हम सामान्यतः इस बातका अनुमान कर सकते हैं कि जेलमें कौन-कौन और कितने लोग जायेंगे। सरकार भी हमारी शक्तिसे परिचित है। पिछली बार हम हरएकसे जेल जानेकी आशा करते थे। हम हरएकसे इस बातका आग्रह भी करते थे। वह तालीम हासिल करनेका समय था। जो लोग आग्रह करते थे और जिनसे आग्रह किया जाता था उन दोनोंके लिए वह एक नई स्थिति थी। अब हम इस सम्बन्धमें अपने अनुभवके बलपर कहीं ज्यादा समझदार हो गये हैं।

लड़ाईकी योजना

इसलिए श्री काछलियाने इस बातको स्पष्ट कर दिया है कि अब न तो हम भ्रममें रहना चाहते हैं और न सरकारको भ्रममें रखना चाहते हैं। सभाने प्रस्ताव भी ऐसा किया है कि प्रस्तावका समर्थन करनेवाला जबतक स्वयं अपनी जेल जानेकी इच्छा घोषित न करे तबतक जेल जानेके लिए बाँधा नहीं है। सत्याग्रहको पसन्द करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति प्रस्तावके साथ अपनी सहमति प्रकट कर सकता है और इस तरह प्रस्तावमें भाग ले सकता है। प्रस्तावको स्वीकार करनेवाला समाजसे और सरकारसे केवल इतना ही कहता है कि वह सत्याग्रहकी लड़ाईका औचित्य और आवश्यकता स्वीकार करता है। वह सरकारका विरोध करेगा और स्वयं जेलमें न जाये तो भी जेलमें जानेवालोंको पैसेसे अथवा दूसरी तरहसे मदद करेगा। जेल-यात्रियोंके कुटुम्बियोंकी सँभाल करेगा। लड़ाईसे सम्बन्धित दूसरे उपयोगी कार्य करेगा, यदि आर्थिक दृष्टिसे गरीब होगा तो शारीरिक श्रम करके संघर्षमें मदद पहुँचायगा। हमेशा अपना कुछ-न-कुछ समय उसे आगे बढ़ानेमें देगा। कानूनका कोई भी लाभ खुद नहीं उठायेगा और किसी भी प्रकार सरकारके अन्यायका समर्थन नहीं करेगा।

१. तात्पर्य १९०९ के सत्याग्रह आन्दोलनसे है, जिसके बाद भारतीयोंकी बड़े पैमानेपर गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार लोगोंमें स्वयं गांधीजी भी शामिल थे; देखिए खण्ड ९।

केप और नेटाल

यह लड़ाई अकेले ट्रान्सवालकी नहीं है, समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी है, इसलिए केप और नेटालको भी जाग जाना चाहिए। जोहानिसबर्ग इस लड़ाईकी नींव डाले, यह तो उचित है; किन्तु केप और नेटाल बैठे रह जायें तो उनका ऐसा करना उनके लिए लज्जाजनक होगा। केप और नेटालसे भी जेल जानेवाले लोग मिलने चाहिए। और इन दोनों प्रान्तोंमें जोहानिसबर्गकी जैसी सभाएँ भी होनी चाहिए। सरकार हमें भले अलग-अलग रखे, किन्तु हम तो अपने कार्यसे अपनी एकता (यूनियन) प्रदर्शित कर ही सकते हैं।

पिछली लड़ाईसे तुलना

पिछली लड़ाईमें हमने देखा कि जो लोग जेल नहीं गये उनमें से कुछने समाजके इस कार्यमें रुकावट डाली और वे सत्ताधीशोंसे भी मिल गये। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने रुकावट तो नहीं डाली किन्तु वे मुंह छिपाकर बैठे रहे और उन्हें जो दूसरी मदद करनी चाहिए थी वह भी उन्होंने नहीं की। इस बार जो प्रस्ताव हुआ है, उससे ये दोनों कठिनाइयाँ दूर हो जानी चाहिए। समाजके खिलाफ किसी भी कारणसे कोई किसी प्रकारकी हलचल करता है तो वह समाजका और उस हद तक अपना भी अहित करता है। लोगोंके छिपकर बैठे रहनेसे हमारी शक्तिमें उतनी कमी हुई, हमारी लड़ाईको उससे धक्का लगा; किन्तु उस समय हम किसी दूसरी तरह लड़ भी नहीं सकते थे। हम सबकी अग्नि-परीक्षा हो रही थी। तब हम एक-दूसरेमें फर्क नहीं कर सकते थे। अमुक व्यक्ति जेल नहीं जा सकेगा, ऐसा कहनेपर उस व्यक्तिका अपमान होता था और समाजमें उसकी अप्रतिष्ठा होती थी। यह ठीक भी था। अब हमारी परीक्षा हो चुकी है। हम आगसे गुजर चुके हैं। जो जेल नहीं जायेगा उसकी अप्रतिष्ठा नहीं होगी; उसे शरमाना नहीं पड़ेगा। उसमें उतना बल नहीं है, यह बात उसने और समाजने देख ली है। जो लोग जेल जानेको तैयार हैं उन्हें इस बातका गर्व नहीं करना है। उन्हें ऐसा नहीं समझना है कि वे कोई बड़ा काम कर रहे हैं। हम सब एक ही शरीरके अंग हैं। आँख देखनेका काम कर सकती है, इसका यह मतलब नहीं है कि वह पैरोंका तिरस्कार करे। पैर आँखकी तरह देखनेका कार्य नहीं कर सकते, किन्तु उसमें उन्हें निराश होनेका कोई कारण नहीं। पैर अपने विशेष गुणके अनुसार अपना कार्य करते हैं और आँख अपने गुणके अनुसार। शरीरको दोनोंकी जरूरत है। किन्तु यदि उनमें से कोई अपने गुणके अनुसार शरीरको उसका बोझ वहन करनेमें मदद नहीं करता तो अवश्य लज्जित होनेका कारण है। ऐसी स्थितिमें शरीरको भी हानि पहुँचती है और उस अंगको भी। जेल जाने या न जानेवालोंपर भी यही बात लागू होती है।

जेल जानेवालोंसे

अब दो शब्द जेल जानेवालोंसे। इस बार यदि लड़ाई शुरू होती है तो वह लड़ाई बड़ी होगी। यदि समाज जेल-यात्रियोंके पीछे एक-मत होकर खड़ा रहा तो बहुत सम्भव है कि लड़ाई जल्दी ही समाप्त हो जाये। किन्तु सामाज एक-मत रहे या न रहे, कोई मदद

करे या न करे, सत्याग्रही तो अपनी टेक नहीं छोड़ सकेंगे। इसलिए उन्हें समझ रखना चाहिए कि इस बारकी लड़ाईमें, हो सकता है, उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़े। इसके सिवा सत्याग्रहियोंमें और दूसरे लोगोंमें मुकाबलेकी बात नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति जेल जाये या न जाये, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते सुने गये हैं कि सेठ लोग जायेंगे तो हम भी जायेंगे; यदि वे नहीं गये तो हम गरीब क्यों मरें। तमिल कहते हैं कि गुजराती लोग लड़ाईमें शामिल होंगे तभी हम होंगे। हिन्दू कहते हैं, मुसलमान शामिल होंगे तो हम होंगे। व्यापारी कहते हैं कि हम तो अपने हितकी रक्षा भली-भाँति कर सकते हैं; किन्तु यदि फेरीवाले आगे आये तो समाजकी खातिर हम भी आ जायेंगे। जो लोग इस तरहकी बातें करते हैं, उनमें से किसीको सत्याग्रही नहीं कहा जा सकता। जिसे व्यापारमें रस है वह व्यापार करेगा; वह दूसरोंकी होड़में नहीं बढ़ेगा। सत्याग्रही वही हो सकता है जिसे सत्याग्रहमें रस मिलता है। उसे समझना चाहिए कि वह संघर्षमें किसीपर उपकार करनेके लिए नहीं उतरा; बल्कि इसलिए उतरा है कि सत्याग्रहका महत्त्व उसकी समझमें आ गया है, सत्याग्रह उसे भाता है और उसमें सत्याग्रहके निर्वाहकी शक्ति है। सत्याग्रह करनेमें पहले उसीका हित है और उसके इस हितमें समाजका हित निहित है। स्वदेशाभिमानीके कार्यका अपने हित और देशके हितसे कोई विरोध-भाव नहीं होता। यदि वह इन दोमें विरोध मानता है तो वह स्वदेशाभिमानी नहीं है। माँ अपने पुत्रकी सेवा करती है तो ऐसा करके वह उसपर अपनी प्रभुता नहीं चाहती। इसी प्रकार पुत्र अपनी माँकी सेवा करके इस बातका गर्व नहीं करता। जिसने देशको या धर्मको अपना सब-कुछ समर्पित कर दिया है, वह अपना कर्तव्य समझकर ही ऐसा करता है; वह उसीमें अपना हित मानता है— फिर इसमें ऐसी विशेषताकी क्या बात है? दूसरे क्या कर रहे हैं, यह सवाल क्यों उठाना चाहिए? दूसरोंसे द्वेष क्यों करना चाहिए? सत्याग्रही सत्याग्रहके लिए शर्तें नहीं लगा सकता। उसने तो अपना तन-मन-धन सब अर्पित कर दिया है। इसलिए न तो वह धनके नाशसे डरता है, न उसे शरीरके नाशका भय लगता है। उसने तो मृत्युके साथ सौदा किया है; उसके लिए बीचकी स्थिति है ही नहीं। जो ऐसा मानता है, वही लड़ाईका निर्वाह कर सकता है। जो ऐसा मानता है, वह मर कर भी जियेगा। और हम आशा करते हैं कि जिसमें ऐसा प्रखर उत्साह न हो वह इस बार जेल जानेके लिए आगे न आयेगा। हमारा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे विचार रखनेवाले पचास, पाँच, या एक भारतीय भी मिल जाये तो हमारी माँग प्राप्त कर लेनेके लिए यह काफी होगा।

जेल न जानेवालोंसे

अन्तमें कुछ शब्द हम जेल न जानेवालोंसे कहेंगे। अब कोई किसीको लज्जित नहीं करेगा। किन्तु इसलिए जेल जानेकी जरूरत नहीं है, ऐसा मान कर कोई भारतीय बैठा नहीं रह सकता। एक भी भारतीय काफी होगा, इसलिए दूसरोंको यह मानकर बैठे नहीं रहना चाहिए कि उन्हें जानेकी जरूरत नहीं है। जेल जानेवाला अकेला होते हुए स्वयं भले सन्तोष माने किन्तु न जानेवालेको तो अपने मनमें स्वयं शरमाना

ही चाहिए। हमें दूसरे लज्जित करें, इसकी अपेक्षा हमारे अपने अन्तरकी लज्जा हमारे लिए अधिक दुःखदायी होती है। यदि किसीमें शक्ति हो तो उसे जेल जानेकी इच्छा करनी ही चाहिए। और न जा पाये तो शरमाना ही चाहिए। जानेकी शक्ति होते हुए भी न जाना ठीक नहीं है। जो प्रस्ताव किया गया है, उसका यह अर्थ भी नहीं है। प्रस्तावका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति जाना तो चाहता है, लेकिन लाचारीके कारण नहीं जा सकता तो वह दोषी नहीं है। इस तरह अपनी किसी लाचारीके कारण न जा सकनेवाले भारतीयोंपर बड़ी जिम्मेदारी आती है। उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। वे अथक परिश्रम करके इस लड़ाईको दूसरी तरहसे मदद पहुँचायेंगे। ऐसे भारतीयोंको समझना चाहिए कि लन्दनकी हमारी समितिके खर्चकी जिम्मेदारी उठानेसे हमारी लड़ाईको बल मिलेगा। यह भी सम्भव है कि उस समितिकी सहायताके कारण संघर्ष शुरू ही न करना पड़े, इसलिए उस समितिका आर्थिक बोझ उठानेके लिए आजसे ही अपनी जेबोंमें हाथ डालें और समितिकी स्थितिको मजबूत करें। इसका यही मौका है। श्री गोखले विलायतमें सदा नहीं बैठे रहेंगे। यदि समितिकी नींव इस समय मजबूत न की गई तो बादमें अवसर बीत जायेगा। इसलिए जेल न जानेवालोंका यह एक तात्कालिक कर्तव्य है और हमें आशा है कि नेटाल, केप तथा ट्रान्सवाल—तीनों स्थानोंसे इस सम्बन्धमें मदद मिलेगी। यदि लड़ाई शुरू हो तो हम जेल-यात्रियोंके कुटुम्बियोंकी फिक्र करेंगे और उनका काम सँभालेंगे, ऐसा निश्चय करके आजसे ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इस दृष्टिसे यह खोज निकालना चाहिए कि जेल कौन-कौन जायेगा और इस खोजके साथ ही उनकी सहायता करनेकी व्यवस्थाका प्रयत्न करने लगना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इस बार लड़ाईका रंग खूब निखरेगा, वह ज्यादा उज्ज्वल और ज्यादा शुद्ध होगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३

४५. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१८]

कुछ उपचार : १. हवा

स्वास्थ्य-रक्षा किस प्रकारकी जाये, उसका मूल आधार क्या है और उसे बनाये रखनेके लिए क्या करना जरूरी है—इसकी चर्चा हम कर चुके। सभी मनुष्य यदि अपना स्वास्थ्य बनाये रखनेके सारे नियमोंका पालन करें और स्वास्थ्य-सम्पादनके लिए अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करें तो जो प्रकरण अब आगे लिखे जा रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं हो; क्योंकि ऐसे लोगोंको शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि होना सम्भव ही नहीं है। लेकिन ऐसे स्त्री-पुरुष शायद ही मिल सकते हों। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति बिरले ही होते हैं, जिन्हें कभी कोई रोग न हुआ हो। साधारण मनुष्य तो सदैव व्याधियोंसे ग्रस्त रहता है। यहाँ पहले भागमें बतलाये हुए नियमोंका जिस हद तक पालन किया जायेगा, उसी हद तक स्वास्थ्य प्राप्त हो सकेगा। पर ऐसे स्वस्थ मनुष्यको

भी कभी कोई रोग हो जाये और यदि उसे साधारण उपचारोंका अनुभव हो तो वह बिना घबराये और वैद्यों, हकीमोंके पीछे मारे-मारे फिरनेके बजाय स्वयं तत्काल कुछ उपाय कर सके, ये अगले प्रकरण इसी हेतुसे लिखे जायेंगे।

हम देख चुके हैं कि हवा स्वास्थ्य-सम्पादन करनेमें सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण वस्तु है, उसी प्रकार हवा रोगोंका नाश करनेके लिए भी बड़ी कीमती चीज है। उदाहरणके लिए यदि किसी मनुष्यकी संधियाँ जकड़ गई हों और उसे गर्म हवाकी भाप दी जाये तो तत्काल पसीना छूटेगा और उसकी संधियाँ नरम पड़ जायेंगी। इस प्रकार जो भाप दी जाती है उसे "टरकिश बाथ" कहते हैं।

जिस मनुष्यका शरीर आगसे झुलसता-सा प्रतीत हो, उसे एकदम वस्त्रहीन करके खुली हवामें सुलाया जाये तो उसकी गर्मीकी तीव्रता तत्काल कम हो जायेगी, और उसकी बेचैनी दूर होगी। जब उसका शरीर ठंडा हो जाये तब उसे वस्त्र उढ़ा दिया जाये; इससे पसीना आयेगा और उसका बुखार उतर जायेगा। हम लोगोंकी ऐसी कुछ धारणा है कि बुखार हो और रोगी मारे गर्मीके व्याकुल हो रहा हो तो भी दरवाजे और खिड़कियाँ बन्द ही रखी जानी चाहिए और उसके कान और सिर ढके रहने चाहिए, और उसे भरपूर कपड़े ओढ़े रहना चाहिए। यह मान्यता सरासर भ्रमपूर्ण है। इससे तो रोगीकी व्याकुलता बढ़ती है और वह निर्बल पड़ जाता है। रोगीको इस प्रकार ढाँप देनेसे बार-बार पसीना आता है और बुखार देखनेपर थर्मामीटरका पारा ठीक तापमान बताता नहीं जान पड़ता। इससे रोगी कमजोर हो जाता है। गर्मीका बुखार हो तो ऊपर सुझाया हुआ उपचार करते हुए किसीको भी डरनेका कारण नहीं है। इसका लाभ तो वह तत्काल ही देख सकता है। इससे हानि होनेकी तो कुछ भी सम्भावना नहीं है। हाँ, इतनी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि खुला रखा जानेपर रोगी कांपने न लगे। रोगी यदि ठंड महसूस करे तो समझ लेना चाहिए कि दाह अत्यन्त तीव्र नहीं है। रोगी यदि नगनावस्थामें बाहर खुला न रह सके तो भी उसे खुली हवामें कपड़े उढ़ाकर सुलानेमें तो कभी नुकसान नहीं हो सकता।

लम्बी मुद्दतके बुखार या किसी दूसरे रोगके लिए हवा बदलना एक अक्सीर इलाज है। वायु-परिवर्तनका रिवाज भी हवाके इलाजका ही एक अंग है। अनेक बार घर बदल देनेका भी रिवाज है। कई लोगोंकी मान्यता है कि जिस घरसे बीमारी दूर होती ही नहीं, उसमें भूत-प्रेत होते हैं। यह तो निरा बहम ही है। भूत-प्रेत तो हवाकी विकृतिमें बसे होते हैं। सो, घरके बदल देनेपर वायु-परिवर्तन भी हो जाता है—यही बड़ा लाभ है। वायुका हमारे शरीरके साथ कुछ ऐसा गाढ़ा सम्बन्ध है कि उसमें थोड़ा भी परिवर्तन होनेपर उसका बुरा या भला परिणाम इसपर हुए बिना नहीं रहता। पैसेवाले लोग दूर देशोंमें जा सकते हैं, किन्तु गरीब यदि पासके गाँव या दूसरे घरमें जाये तो भी लाभ हो सकता है। रोगीको एक कमरेसे दूसरे कमरेमें ले जाने पर भी थोड़ा लाभ तो हो ही सकता है। परिवर्तन चाहे घरका हो, कमरेका हो या गाँवका, परन्तु हम जिस स्थानको छोड़कर जा रहे हैं, वहाँसे उस स्थानकी आबो-हवा अच्छी होनी चाहिए, यह सुझानेकी आवश्यकता नहीं। नम आबो-हवाके कारण जो बीमारी

होती है वह और अधिक आर्द्र वायुमण्डलवाले स्थानमें जानेसे दूर नहीं हो सकती। कई बार ऐसा होता है कि हवा बदलनेका परिणाम ठीक नहीं होता। इसका कारण यह होता है कि वायु-परिवर्तन बिना समझे-बूझे किया जाता है। इसके सिवा और भी अनेक बार लाभ नजर नहीं आता। कारण यह होता है कि आब-हवा तो ठीक होती है किन्तु दूसरी आवश्यक बातोंका पालन नहीं किया जाता जिनके कारण वायु-परिवर्तनसे होनेवाले लाभ भी नहीं मिल पाते। पाठकोंको हम हिदायत करना चाहते हैं कि इस लेखमालाके प्रथम भागमें हवाके सम्बन्धमें जो प्रकरण लिखा जा चुका है, उसीके साथ मिलाकर इस प्रकरणको पढ़ा जाये। पिछले प्रकरणमें हमने स्वास्थ्यके साथ हवाका क्या सम्बन्ध है, यह बतलाया है और हवाके सम्बन्धमें सामान्य चर्चा की है। इस प्रकरणमें इलाजके नाते हवाका विवेचन किया गया है। अतः पिछले प्रकरणको इसीके साथ पढ़नेपर बात ठीक तौरसे समझी जा सकेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-५-१९१३

४६. पत्र : गृह-सचिवको^१

[जोहानिसबर्ग]

मई ७, १९१३ के बाद]

मेरे इसी ४ तारीखके^२ तारके उत्तरमें आपने ७ तारीखको जो पत्र भेजा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मेरी समितिको भय है कि सरकारने श्री सर्लके फैसलेका जो अर्थ लगाया है, वह भारतीय समाज द्वारा किये गये अर्थसे भिन्न है। आप कहते हैं कि “आपने अपने तारमें न्यायमूर्ति श्री सर्लके अभी हालमें दिये गये फैसलेका उल्लेख किया है, जो बहु-पत्नीक विवाहको मान्यता देनेवाले रीति-रिवाजों द्वारा सम्पन्न विवाहोंके प्रश्नके सम्बन्धमें है।”

मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि मेरे संघके लेखे श्री सर्लका फैसला बहु-पत्नीक विवाहोंके सम्बन्धमें कदापि नहीं है। मेरी समितिके विनम्र मतसे न्यायमूर्ति सर्लका निर्णय साफ कहता है: “इस मामलेमें कुल प्रश्न ही यह है कि इस्लामी रिवाजके अनुसार विवाहित पत्नी प्रवासी अधिनियमके अर्थके अन्तर्गत पत्नी है या नहीं।” और जो बात इस्लामी रिवाजके अनुसार किये गये विवाहोंपर लागू होती है, वह हिन्दू-धर्मके रिवाजों या पारसी धर्मके रिवाजोंके अनुसार किये गये विवाहों या ईसाई-धर्मके अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्मके रिवाजोंके अनुसार किये गये उन सभी विवाहोंपर, जो अधिकारीके

१. कुमारी सोंजा श्लेसिनके हस्ताक्षरसे भेजे गये इस पत्रका मसविदा अनुमानतः गांधीजीने तैयार किया था।

२. देखिए अगला शीर्षक।

सम्मुख पंजीकृत नहीं किये गये हों, लागू होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बहु-विवाहका प्रश्न बिलकुल नाहक उठाया गया है।

मेरी समितिको विश्वास है कि सरकार इससे उत्पन्न प्रश्नके फौरी तकाजेको समझकर संघके विवाह-सम्बन्धी कानूनोंको संसदके वर्तमान अधिवेशनमें ही इस प्रकार संशोधित कर देगी जिससे भारतीय विवाहोंको कानूनमें मान्य करनेकी पहली प्रथा पुनः स्थापित हो सके।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-५-१९१३

४७. भारतीय महिलाएँ सत्याग्रहीके रूपमें

ट्रान्सवाल भारतीय महिला संघ (ट्रान्सवाल इंडियन विमेन्स एसोसिएशन) ने माननीय गृह-मन्त्रीको निम्नलिखित तार भेजा है :

ट्रान्सवाल भारतीय महिला संघकी समितिने सर्ल-निर्णयको देखते हुए दक्षिण आफ्रिकाकी अधिवासिनी भारतीय महिलाओं अथवा संघमें निवासके अधिकारी अपने पतियोंके साथ प्रवेश करनेकी अधिकारिणी महिलाओंकी स्थिति-पर सावधानीके साथ विचार किया है और वह इस निष्कर्षपर पहुँची है कि उक्त निर्णयसे भारतीय नारियोंके सम्मानको धक्का लगा है। इसलिए समिति सम्मानपूर्वक विश्वास करती है कि सरकार कानूनमें ऐसा संशोधन कर देगी जिससे भारतीय धार्मिक रीति-रिवाजके अनुसार किये गये भारतीय विवाह, जो भारतमें वैध माने जाते हैं, यहाँ भी वैध मान्य कर लिये जायेंगे। मुझे सरकारको यह भी सूचित करना है कि संघकी सदस्याओंकी भावना इस बारेमें इतनी तीव्र है कि यदि सरकार इस प्रार्थनाको स्वीकार करनेमें असमर्थ होगी तो वे सर्ल-निर्णय द्वारा किये गये अपमानको सहन करनेकी अपेक्षा सत्याग्रह करेंगी और अपने समाजके पुरुषोंके साथ कैद भुगतेंगी।^१

सोंजा श्लेसिन,
अवैतनिक मन्त्री

हमें मालूम हुआ है कि उक्त तार जोहानिसबर्गकी हिन्दू-धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म माननेवाली चालीससे अधिक भारतीय महिलाओंके निर्णयपर भेजा गया था।

१. इस तारपर ४ मई, १९१३ की तारीख पड़ी है, और अनुमानतः इसका मसविदा भी गांधीजीने ही तैयार किया था। इसके नीचे दी गई सामग्री इंडियन ओपिनियनमें सम्पादकीय "टिप्पणी" के रूपमें प्रकाशित की गई थी।

इनमें से अधिकतर महिलाओंने यह विचार दृढ़तापूर्वक प्रकट किया है कि यदि सरकार उनकी प्रार्थना स्वीकार न करेगी तो वे जेल जायेंगी। 'इंडियन ओपिनियन' के पाठकोंको यह बात ज्ञात है कि संघकी अवैतनिक मन्त्री (कुमारी सोंजा श्लेसिन) भारतीय नहीं बल्कि यूरोपीय हैं। वे हमारे साथ बहुत समयसे काम कर रही हैं। वे इस प्रकार दक्षिण आफ्रिकाके अधिकांश यूरोपीयोंके एशियाई-विरोधी विद्वेषके विरुद्ध अपनी आपत्ति प्रकट कर रही हैं। वे भारतीय महिला संघके अवैतनिक मन्त्रीका काम उसकी स्थापनाके दिनसे ही कर रही हैं। कुमारी श्लेसिनको इस कार्यसे प्रेम है, किन्तु उन्हें अपना यह पद अच्छा नहीं लगता। उनका खयाल है कि इस पदको किसी भारतीय महिलाको सँभालना चाहिए। किन्तु वे यह भी मानती हैं कि उनकी भारतीय बहनोंको अंग्रेजी भाषाका और दक्षिण आफ्रिकाकी राजनीतिका उतना ज्ञान नहीं है जितना उक्त संस्थाके, जिसका मार्ग-दर्शन और जिसकी सेवा वे स्वयं इतने दिनोंसे करती रही हैं, मन्त्रीको होना आवश्यक है। कुमारी श्लेसिन जो काम कर रही हैं उसकी योग्यता उन्होंने श्री गांधीके कार्यालयमें रहनेसे और इस प्रकार सन् १९०६ में सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ होनेके दिनसे ही, उस आन्दोलनके निकट सम्पर्कमें आनेसे, प्राप्त कर ली है। कुमारी श्लेसिन, दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके हितार्थ काम करनेवाले यूरोपीय कार्यकर्ताओंके समान यह सिद्ध करती हैं कि मानव-प्रकृति समान है, चाहे मनुष्यकी चमड़ी गेहूँआ हो या गोरी; और दक्षिण आफ्रिका भी तटस्थ लोगोंसे रहित नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-५-१९१३

४८. स्त्रियोंका प्रस्ताव

विवाहके जिस सवालने पिछले कई सप्ताहोंसे हमारे देशभाइयोंको आन्दोलित कर रखा है, उसके सम्बन्धमें जोहानिसबर्गकी भारतीय स्त्रियों द्वारा पास किया गया महत्वपूर्ण प्रस्ताव सत्याग्रह आन्दोलनमें एक नये मोड़की ओर संकेत करता है। यह प्रस्ताव श्री फिशरको बाकायदा तार' द्वारा भेजा जा चुका है, और यदि मन्त्री महोदय अब भी सर्ल-निर्णयसे उत्पन्न शिकायतकी आग्रहपूर्वक उपेक्षा करें तो अब यह जान-बूझकर किया गया कहलायेगा। वे विश्वास करें कि भारतीय स्त्रियाँ जेल जानेको लालायित नहीं हैं, और न समाजके पुरुष अपनी स्त्रियोंकी जेल-यात्राकी सम्भावनाको शान्ति-भावसे देखते हैं। इसलिए, यदि भारतीय महिलाएँ सत्याग्रह करें तो उनके मनमें निश्चय ही कोई ऐसी शिकायत होनी चाहिए जो, कमसे-कम उनकी निगाहमें, बहुत गम्भीर है। हम अपनी इन वीर बहनोंको बधाई देते हैं, जिन्होंने सर्ल-फैसलेके अपमानको स्वीकार करनेकी अपेक्षा सरकारसे युद्ध करनेका साहस किया है। यदि वे अन्ततक अपने निश्चयपर दृढ़ रहीं तो अपना, अपनी जन्मभूमिका, और सच पूछिए तो उस

१. देखिए पिछला शीर्षक ।

देशका भी, जिसे उन्होंने अपनाया है, गौरव बढ़ायेंगी।^२ हम जानते हैं, वे भली भाँति समझती हैं कि उनके तारका मतलब क्या है।

हम यह भी आशा करते हैं कि भारतीय समाजके पुरुष सदस्य इस विषयमें अपने कर्तव्यको समझेंगे। लड़ाईको शीघ्र खत्म कर देना ज्यादातर उन्हींके हाथमें है। “अनाक्रमक प्रतिरोधियोंकी संख्या जितनी ही अधिक होगी उतनी ही जल्दी लड़ाई खत्म होगी,” यह बात गणितके सिद्ध सूत्रके समान है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-५-१९१३

४९. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [- १९]

२. जल-चिकित्सा

हवा अपना काम अदृश्य रूपसे करती है। अतः हवाके उपचारोंकी खूबियोंको हम समुचित रूपसे नहीं परख सकते। पर जलका कार्य और उसका परिणाम तो हम देख ही सकते हैं। इस प्रकार इस चिकित्साकी खूबियाँ जल्दी नजर आ जाती हैं।

भापके द्वारा जल-चिकित्सा होती है, यह थोड़ा-बहुत सभी जानते हैं। बुखारमें बीमारको भाप दी जाती है। सिरका शूल यदि अत्यन्त तीव्र हो तो भाप देनेसे वह अनेक बार मिट जाता है। संधिवातसे यदि जोड़ अकड़ गये हों और बीमारको झटपट राहत देनी हो तो उसे वाष्प-स्नान देकर फिर तुरन्त ही ठंडे जलसे नहलानेसे बड़ा लाभ होगा। शरीरमें यदि इतने फोड़े हो गये हों कि मरहम लगाना या पुलटिस बाँधना सम्भव न हो तो भाप दी जानेपर फोड़ोंका तनाव एकदम कम पड़ जाता है।

अत्यन्त थका हुआ व्यक्ति यदि भापसे अथवा गरम पानीसे स्नान करके उसी समय ठंडे पानीसे नहा ले तो उसका शरीर हलका हो जायेगा और थकावट दूर हो जायेगी। जिस मनुष्यको नींद न आती हो वह भाप लेकर ठंडे पानीसे स्नान कर ले और खुली हवामें सो जाये, तो सम्भवतया उसे जल्दी ही नींद आ जायेगी।

भापका जहाँ-जहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रायः गरम पानीका भी प्रयोग किया जा सकता है। अतः भाप और गरम पानीके बीच कोई भेद करनेकी जरूरत नहीं है। यदि पेटका दर्द हो तो पेटपर गरम पानीका सेंक करनेसे उसी क्षण आराम होगा। खूब उबलता हुआ पानी शीशीमें या हाँडीमें भरकर और पेटपर मोटा कपड़ा रखकर सेंक किया जा सकता है। अनेक बार कै करनेकी जरूरत होती है। खूब गरम पानी पीनेसे भी उल्टी हो जाती है। जिस मनुष्यको कब्ज रहती हो, वह यदि सोते समय और प्रातःकाल उठकर मुँह धोनेके बाद गर्म पानी पी ले तो सम्भव है, कब्ज दूर हो जाये। सर गॉर्डन स्प्रिंगका, जो किसी समय केपके प्रधान थे, बड़ा अच्छा स्वास्थ्य था। किसीने उनसे पूछा कि इसका रहस्य क्या है? उन्होंने इसका जवाब

२. इन अग्रगामी महिला सत्याग्रहियोंने अपना कर्तव्य किस प्रकार पूरा किया, इसके लिए देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४० ।

देते हुए कहा कि मैं सोते समय एक प्याला और सबेरे उठनेपर भी एक प्याला गरम जल पीता हूँ, उसीसे मेरी ऐसी अच्छी तन्दुरुस्ती है। कई लोगोंको चाय पीनेके बाद ही हाजत होती है। अज्ञानवश ये लोग समझते हैं कि इसका कारण चाय है। परन्तु सच देखा जाये तो चाय तो नुकसान करती है; कारण तो वह गरम पानी है जो चायके साथ है।

भाप लेनेके लिए खास ढंगकी चौखट होती है, किन्तु साधारण रूपसे उसकी जरूरत नहीं होती। बेंतकी एक कुर्सी या लकड़ीका स्टूल ले लिया जाये और उसके नीचे स्पिरिट या मिट्टीके तेलका चूल्हा या जलते हुए कोयले या लकड़ीकी सिगड़ी रख ली जाये। इसपर एक छोटा भगौना पानी भरकर रखा जाये और उसका मुँह ढक दिया जाये। कुर्सीपर एक कम्बल या लटकती चादर डाल दी जाये। यह वस्त्र सामनेके हिस्सेकी ओर इस प्रकार ढँका रहे कि बीमार सिगड़ी या भापसे जलने न पाये। फिर बीमारको कुर्सीपर बिठा दीजिए और उसके चारों ओर खादीका मोटा कपड़ा या कम्बल लपेट दीजिए। अब भगौनेका ढक्कन हटा दीजिए, ताकि बीमारको भाप लगने लगे। हम लोगोंमें तो बीमारका सिर भी ढक देनेका रिवाज है, किन्तु ऐसा करनेकी आवश्यकता नहीं है। शरीरमें जो गरमी आने लगती है वह सिर तक चढ़ जाती है और चेहरेपर पसीनेकी बूँदे झलक उठती हैं। यदि बीमारकी ऐसी हालत है कि वह उठ नहीं सकता तो उसे बेंतके या लोहेके पलंगपर लिटाकर भाप दी जाये। यदि इस प्रकार भाप दी जाये तो भी कम्बलोंको इस ढंगसे रखा जाये कि भाप या गरमी बाहर न निकल जाये। इस बातको सावधानी तो बराबर रखनी ही चाहिए कि बीमार कहीं जल न जाये; और न कम्बल आदि वस्त्र ही जल पायें। यदि बीमारकी हालत बहुत नाजुक हो तो उसे भाप देते समय थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। भाप देनेमें जिस प्रकार फायदे हैं, वैसे ही नुकसान भी हैं। भाप लेनेके बाद मनुष्य सदैव निर्बल हो जाता है। यद्यपि यह निर्बलता अधिक देर तक नहीं टिकती, पर यदि कोई सदैव भाप लेनेकी आदत रखे तो वह मनुष्य अवश्य ही दुबला हो जाता है; अतः भापका प्रयोग अत्यन्त सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। शरीरके किसी खास भागमें भी भाप दी जा सकती है; जैसे, यदि सिर दर्द कर रहा हो तो सारे शरीरको भाप देनेकी जरूरत नहीं। केवल एक सँकरे मुँहकी हाँड़ी या केटलीमें पानीको उबाला जाये और उसपर सिर रखकर उसे कपड़ेसे आधा ढक दिया जाये जिससे नथुनोंसे होकर भाप सिरमें चढ़ सके। यदि नाक बन्द हो गई हो तो इस प्रकार भाप लेनेसे झट खुल जाती है। यदि शरीरके अमुक भागमें सूजन हो तो उतने ही हिस्सेको भाप दी जाये।

साधारण रूपसे गरम पानी और भापके इन लाभोंके बारेमें अनेक लोग जानते हैं, किन्तु शीतल जलके फायदे जाननेवाले बहुत थोड़े लोग देखनेमें आते हैं। ठंडे जलमें जो लाभदायक परिणाम हैं वे गर्म जलमें नहीं हैं। ठंडे पानीका परिणाम हमारे लिए प्रायः शक्ति प्रदान करनेवाला होता है, यह कहा जा सकता है। ठंडे जलका उपचार तो निर्बलसे-निर्बल मनुष्यके लिए भी किया जा सकता है। बुखारपर, शीतलाके लिए, फोड़ा-फुंसी आदि चर्म-रोगोंके लिए पानीमें भीगी चादर लपेटनेका इलाज तो अक्सीर ही है। उसका परिणाम लगभग चमत्कारिक होता है। और इसकी आजमाइश तो

कोई भी व्यक्ति, बिना किसी जोखिमके, कर सकता है। मनुष्यको यदि चक्कर आया हो, सन्निपात हो गया हो तो ऐसे समयमें बर्फकी पट्टी सिरपर रखनेसे बीमारको राहत मिलती है। जिसे कब्जकी शिकायत रहती हो, ऐसे मनुष्यके पेटपर यदि बर्फसे भीगा कपड़ा लपेटा जाये तो पेट साफ हो जानेकी सम्भावना है। जिस मनुष्यको वीर्यपातकी बीमारी हो वह यदि अपने पेटपर रोज ठंडे पानीकी पट्टी बाँधकर सोये तो अनेक बार लाभ होता है। शरीरके किसी भी भागसे खून गिरता हो तो उस स्थानपर बर्फके पानीकी पट्टी रखी जानेपर खून गिरना बन्द हो जायेगा। जिसे नकसीर फूटती हो, वह यदि लगातार ठंडे पानीके छींटे सिरपर दे तो जल्दी ही लाभ होगा। किसीको नाकका कोई रोग हो, जुकाम, कफ हो गया हो, जिसके सिरमें टीस उठती हो, ऐसा मनुष्य यदि दोनों समय नाकमें पानी चढ़ाये तो उसे अत्यन्त लाभ होगा। एक नथुनेको बन्द करके दूसरे नथुनेसे पानी चढ़ाया जा सकता है और तब बन्द किये हुए नथुनेसे उसे निकाला जा सकता है। और दोनों नथुनोंसे पानी चढ़ाकर गलेसे भी निकाला जा सकता है। वैसे यदि नाक साफ है और नाकसे चढ़ाया हुआ पानी पेटमें चला जाये तो भी उसमें भयकी कोई बात नहीं है। नाकमें पानी चढ़ाकर उसे साफ करनेकी आदत बहुत अच्छी है। जिसे इस प्रकार नाकसे पानी खींचनेकी कला न मालूम हो वह पिचकारीके सहारे पानी चढ़ा सकता है। परन्तु दो-चार बार ही प्रयत्न करने पर पानी खींचनेकी यह हिकमत सध जायेगी। इसे सीख लेना प्रत्येक मनुष्यके लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे सहज उपायसे ही सिरकी अनेक व्याधियाँ जल्दी दूर हो जाती हैं। नाकसे यदि बदबू आती हो तो भी यह इलाज कारगर है। कुछ लोगोंकी नाकमें छीछड़े पड़ते हैं, उसके लिए भी नाकसे पानी लेनेकी यह प्रक्रिया रामबाण है।

अनेक लोग एनिमा लेनेमें हिचकिचाते हैं। कइयोंका यह भी कहना है कि इससे शरीर निर्बल पड़ जाता है। किन्तु यह बिल्कुल भ्रम है। एकदम पेट साफ करनेके लिए एनिमासे बढ़कर दूसरा कोई इलाज नहीं। ऐसे अनेक रोग हैं, जिनमें दूसरा कोई इलाज कारगर नहीं होता; लेकिन एनिमा उस हालतमें भी काम कर जाता है। इससे मल तो एकदम साफ ही हो जाता है, और शरीरमें नया जहर इकट्ठा नहीं हो पाता। जिसे बादी हो, वायु हो अथवा पेटकी खराबीके कारण और कोई रोग हुआ हो, उसे एनिमा द्वारा पौंड-भर पानी लेकर देखना चाहिए। उससे तत्काल ही इत्मीनान हो जायेगा। इस विषयमें एक मनुष्यने एक किताब लिखी है। अनेक उपचार किये जानेके बावजूद यह आदमी बदहजमीसे मुक्त नहीं हो पाता था। उसका शरीर क्षीण हो चला था और पीला तथा निस्तेज पड़ता जा रहा था। एनिमा शुरू करनेके बाद उसकी भूख खुली और थोड़े ही समयमें उसकी तबीयतमें बहुत सुधार हो गया। कामला-जैसा रोग तो एनिमासे सहज ही नष्ट किया जा सकता है। हमेशा एनिमा लेना पड़े तो ठंडे जलका ही लेना ठीक होगा। गर्म जलका एनिमा बार बार लेनेसे निर्बलता आ जानेकी सम्भावना है; किन्तु यह दोष एनिमाका नहीं है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-५-१९१३

५०. पत्र : भवानी दयालको

फीनिक्स

नेटाल

१२ मई, १९१३

'इंडियन ओपिनियन'

संपादक :

एच० एस० एल पोलक

भाईश्री पू. भवानी दयाल,

तुम्हारा खत मीला है। सब तो छापने जैसा नहीं है। क्योंकि उसमें नयी बात या दलील नहीं है। इसलिये सत्याग्रह पसन्द करनेवाला भाग इ० ओ० में दिया जावेगा। उसका तरजुमा इंग्लिसमें करना उचित नहीं लगता है। इंग्रेजी वाचकवर्गके लिये तुम्हारा लिखान नहीं है। एक प्रति इ० ओ० का भेज दूंगा।

हिन्दु कोन्फरन्समें अगर 'स्वामी'को निमंत्रण भेज देवे या तो यह कोन्फरन्स उसका भी आश्रय लेवे जो उसमें कुछ भी हिस्सा सुझ हिन्दु नहीं ले सकते हैं।

मोहनदास गांधीके वंदेमातरम्

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित मूल प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७४३) से।
सौजन्य : विष्णुदत्त दयाल

१. इंडियन यंग मेन्स एसोसिएशन (भारतीय युवक संघ) के अध्यक्ष; भवानी दयाल संन्यासीके नामसे बादमें ख्याति प्राप्त करनेवाले प्रसिद्ध आर्य समाजी प्रचारक, जिन्होंने प्रवासी भारतीयोंके लिए बहुत काम किया। जनवरी २८, १९१४ से लेकर कुछ समय तक उन्होंने इंडियन ओपिनियनके हिन्दी संस्करणका सम्पादन किया।

२. इंडियन ओपिनियन।

३. यह १७-५-१९१३ के अंकमें प्रकाशित किया गया।

४. 'स्वामी'से आशय सम्भवतः स्वामी शंकरानन्दसे है जो एक आर्यसमाजी प्रचारक थे और १९०८-१० में दक्षिण आफ्रिका गये थे। १९१३ में जब यह पत्र लिखा गया, उस समय भी वे दक्षिण आफ्रिकामें थे। देखिए खण्ड ८ और ९।

५१. पत्र : डूमंड चैपलिनको

[फीनिक्स
मई १४, १९१३]

प्रिय श्री चैपलिन,

श्री फिशरका वक्तव्य निश्चय ही अजीब है।^१ साम्राज्य-सरकारने विधेयकके पूरे मसविदेको कदापि न देखा होगा। मेरी रायमें, संघ-सरकारने पहलेकी तरह ही इंग्लैंडको उसका सार-संक्षेप भेजा होगा, जिसमें विवादास्पद धाराओंकी अपनी व्याख्या दी होगी। यदि ऐसा है, तो उसने छल करके साम्राज्य-सरकारकी मंजूरी ली है। जो भी हो, मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे पत्रमें^२ बताये गये वर्तमान अधिकारोंमें से किसी अधिकारमें खलल पड़ता है और विवाहोंके सम्बन्धमें कानूनी स्थिति जैसी सर्लके निर्णयसे पूर्व थी वैसी नहीं कर दी जाती, तो सत्याग्रह अवश्य फिरसे आरम्भ किया जायेगा और इस बार उसका स्वरूप निश्चय ही व्यापक होगा, अर्थात् यह कि वह ट्रान्सवाल तक सीमित नहीं रह सकता। आपने शायद यह भी देखा होगा कि विवाहोंका प्रश्न तय नहीं हुआ तो स्त्रियाँ भी संघर्षमें सक्रिय भाग लेंगी। मुझे विश्वास है कि आप इस मामलेमें इस स्पष्ट-लेखनका बुरा नहीं मानेंगे।

मैं आपको और यूनियनिस्ट (संघवादी) दलके नेताओंको विधेयकके दूसरे वाचनके समय सहानुभूतिपूर्ण भाषण देनेके लिए घन्यवाद देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आप और वे, विधेयककी शेष अवस्थाओंमें भी वैसे ही जागरूक रहेंगे। मेरा तो यही विचार है कि यदि सरकारने हमारी सब माँगें मंजूर न कीं तो सर्वोत्तम हल ट्रान्सवालके कानूनमें सुधार करना ही होगा।

आपका विश्वस्त

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७८१) की फोटो-नकल से।

१. श्री फिशरने प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकको द्वितीय वाचनके लिए पेश करते हुए इस प्रस्तावित कानूनको तथा एशियाईयोंके प्रवेशको रोकनेके लिए बनाये गये दक्षिण आफ्रिकी सरकारके अन्य कानूनोंसे सही ठहराया था और कहा था कि भारतीयों तथा अन्य रंगदार लोगोंके बाहुल्यसे इस देशमें अनेक आर्थिक, सामाजिक, नैतिक एवं राजनीतिक समस्याएँ उठ खड़ी होंगी, क्योंकि भारतीय एक भिन्न सभ्यताका प्रतिनिधित्व करते हैं। विवाह-सम्बन्धी प्रश्नपर उन्होंने अपना फतवा देते हुए कहा था कि यहाँ तो वे ही विवाह मान्य होंगे जो रोमन-डच कानूनके अनुसार तथा दक्षिण आफ्रिकाकी अनुरूप रीतिसे सम्पन्न हों। उन्होंने यह भी बताया था कि विधेयकपर साम्राज्य-सरकारकी सामान्य स्वीकृति मिल गई है।

२. देखिए “पत्र : गृह-सचिवको”, पृष्ठ २८-२९।

५२. द्वितीय वाचन

यूनियनिस्ट (संघवादी) दलके एकमत होकर विरोध करनेपर भी प्रवासी विधेयकका द्वितीय वाचन बिना किसी मत-विभाजनके हो गया। यदि हम बोथा-मन्त्रिमण्डलके तौर-तरीकोंसे परिचित न होते तो परिणाम हमें चकित करनेवाला लगता। माननीय श्री फिशरने यह वादा करके द्वितीय वाचन निर्विघ्न सम्पन्न करा लिया कि विधेयकमें सुधार करनेके लिए विरोधी-दल जो-कुछ सुझाव पेश करेगा, उसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा; इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इस कानूनके लिए हमें साम्राज्य-सरकारकी सामान्य स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। हम आशा कर सकते हैं कि समितिके स्तरपर इसपर बड़ी जोरदार बहस होगी और जबरदस्त संशोधन भी पेश किये जायेंगे। किन्तु सम्भव है, इससे हमारा उद्देश्य तनिक भी सिद्ध न हो। अपनी मांगोंकी पूर्ण स्वीकृतिके अलावा हम और किसी बातसे सन्तुष्ट नहीं हो सकते—सो इसलिए नहीं कि हम समझौता नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि बातका सम्बन्ध जहाँ जीवन-मरण या सम्मानसे हो, वहाँ समझौतेका कोई सवाल नहीं उठता। सत्याग्रही प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि वे अपनी मांगोंकी पूर्तिके रूपमें कोई ऐसी बात स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे वर्तमान अधिकारोंको धक्का लगता हो। वे कुछ ऐसी घातुके बने हुए हैं कि दूसरोंके अधिकारोंका सौदा करके अपनेको जेल-जीवनके कष्टोंसे बचानेकी बात सोच ही नहीं सकते।

श्री फिशरकी भाषासे यह स्पष्ट है कि वे दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंको हमारे विरुद्ध उठ खड़ा होनेके लिए भड़काना चाहते हैं और हमें भी सत्याग्रह आन्दोलन चलानेको प्रेरित करना चाहते हैं। यद्यपि अधिकांश वक्ता विवादमें उनके विधेयकके विरुद्ध बोले और उन्होंने श्री फिशरसे सत्याग्रहियोंको सन्तुष्ट करनेका अनुरोध किया; फिर भी उन्होंने अकारण ही कह डाला कि सत्याग्रह आन्दोलनका खतरा सरकारको "स्पष्ट व्यवहार" पर उतरनेके लिए बाध्य कर सकता है। हम चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट व्यवहारपर उतरे। निश्चय ही हम किसी प्रकारकी सन्दिग्धवावस्था नहीं चाहते; और प्रवासी विधेयकमें सामान्य ढंगके नियमोंकी वकालत करके हम किसी ऐसी बातको प्रश्रय नहीं दे रहे हैं जिसे वाक्-छल कहा जा सके। हम तो इस प्रकार केवल ब्रिटिश संविधानके उस शानदार हिस्सेको बरकरार रखनेकी मांग कर रहे हैं जो इस बातकी अपेक्षा करता है कि किसी बुरी प्रथाको, वह चाहे कितनी भी प्रचलित हो, कानूनमें स्थान नहीं दिया जायेगा। लॉर्ड एंम्टहिलके शब्दोंमें, सिद्धान्त अच्छा होना चाहिए, फिर उसपर अमल करनेमें कोई असफल ही क्यों न रहे। सिद्धान्तकी दृष्टिसे सरल रेखा-जैसी कोई चीज नहीं खींची जा सकती। परन्तु सिर्फ इसी कारणसे कि हम कोई ऐसी रेखा खींचते हैं जो सर्वथा सरल न होकर पर्याप्त रूपसे ही सरल है, यह नहीं माना जा सकता कि हमने वाक्-छलका सहारा लिया, क्योंकि इस रेखाको खींचते समय भी हमारे सामने—सिद्धान्त रूपमें ही सही—वही सच्ची परिभाषा थी। अपने सिद्धान्तको

बरकरार रखना अपनी अन्तरात्माके आदेशका पालन करना है; और उसपर पूरी तरह अमल न कर पाना मानव-प्रकृतिकी दुर्बलताको स्वीकार करना है। इसलिए यदि सरकार ब्रिटिश संविधानके उस सिद्धान्तको ही छोड़ना चाहती है जिसपर स्वयं उसका अस्तित्व निर्भर है तो वह खुशीसे ऐसा करे। उस अवस्थामें “स्पष्ट व्यवहार”से काम लेनेमें वह असमर्थ रहेगी, इतना ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्वकी जड़पर भी कुठाराघात करेगी। और सत्याग्रही, जो अब भी उस संविधानकी सुन्दर कल्पनामें अपनी आस्था बनाये हुए हैं, उसे चरितार्थ करनेके लिए संघर्ष करनेको या उस संघर्षमें मर मिटनेको तैयार हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-५-१९१३

५३. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२०]

२. जल-चिकित्सा (जारी)

अनेक प्रयोगोंके बाद क्यूनी नामक जर्मनने यह खोज की कि रोगों [को दूर करने] के लिए जलके कुछ विशेष प्रकारके उपचार बढ़ियासे-बढ़िया इलाज हैं। इस विषयपर उनकी पुस्तकोंका अनेक भाषाओंमें अनुवाद हो चुका है। भारतमें भी उसके अनुवाद हो चुके हैं। उसकी मान्यता यह है कि सारे रोगोंका मूल पेट है। यदि पेटमें [अनावश्यक] गर्मी हो तो बाहर शरीरमें फोड़े, वात या अन्य प्रकारके रोग फूट निकलते हैं अथवा बुखारके रूपमें बाहर निकलकर वह गर्मी सारे शरीरको उत्पन्न कर देती है। क्यूनीसे पूर्वके लेखकोंने भी जल-चिकित्साके सम्बन्धमें बहुत लिखा है। ‘जलके उपचार’ नामक एक बहुत ही पुरानी पुस्तक भी है। पर क्यूनीके पूर्ववर्ती किसी [चिकित्सक]ने भी रोगकी एकतापर इतना जोर नहीं दिया। सम्पूर्ण रोगोंकी उत्पत्ति पेटके जरिये होती है, यह किसीने नहीं बताया। क्यूनीकी मान्यता पूरी तरह सही है, यह मान लेना हमारे लिए आवश्यक नहीं है और न इस सम्बन्धमें अधिक ऊहापोहमें पड़ना ही जरूरी है। पर इतना तो स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि अनेक रोगोंके सम्बन्धमें क्यूनीके विचार और उपचार कारगर उतरते हैं। ऐसा हजारों लोगोंका अनुभव है। डर्बनके मजिस्ट्रेट स्व० श्री ट्राइटनको धनुर्वात हो गया था। वे अपंग बन चुके थे। उन्होंने अनेक डॉक्टरोंसे इलाज करवाया। किन्तु उन सबमें असफल होनेपर उन्हें किसीने क्यूनीके पास जानेकी सलाह दी। वहाँ जाकर वे रोगमुक्त हुए और फिर अनेक वर्षों तक डर्बनमें रहे। वे सदैव लोगोंको क्यूनीके उपचारोंको आजमाकर देखनेकी सलाह दिया करते थे। नेटालमें स्वीटवाटर्स नामक स्टेशनके पास क्यूनीके उपचारोंका प्रयोग करनेवाली संस्था भी है। यह तो उसके प्रसारका एक छोटा-सा उदाहरण है; ऐसे अनेक उदाहरण देखनेमें आते हैं।

क्यूनीका कथन है कि पेटका दाह पेटको ठंडक पहुँचानेसे ही ठीक होगा। और उसके लिए वे बतलाते हैं कि पेट और उसके आसपासवाले भागोंको ठंडक मिल सके, इतनी अच्छी तरह ठंडे जलसे स्नान (बाथ) लेना चाहिए। इस प्रकारके बाथ सहूलियतके साथ लिये जायें, उसके लिए उन्होंने टीनके विशेष प्रकारके टब ईजाद किये हैं; किन्तु उनके बिना भी हम अपना काम चला सकते हैं। पुरुष या स्त्रीके कदके अनुसार छत्तीस इंचके या उससे कुछ छोटे-बड़े टीनके पत्तरके लम्बे और अण्डाकार वर्तन मिलते हैं, वे क्यूनीका बाथ लेनेके लिए पर्याप्त हैं। ऐसे टबमें लगभग पौन हिस्से तक ठंडा पानी भर दिया जाये और फिर रोगीको उसमें इस प्रकार बिठा दिया जाये कि उसके पैर बाहरकी ओर एक तिपाईपर रहें और घड़ पानीके बाहर रहे — सिर्फ उसकी नाभिसे लेकर जांघों तक का भाग ही जलमें रहे। रोगीको जलमें एकदम नग्न होकर ही बैठना चाहिए। यदि उसे ठंड लगने लगे तो पैरों और सरपर कम्बल ओढ़ा देना चाहिए। वह कमीज आदि भी पहने रह सकता है और उसे पानीके बाहर ही रखा जा सकता है। यह बाथ ऐसे कमरेमें लेना चाहिए जहाँ उजाला, हवा और धूप आती हो तथा बाथ लेते समय भी आ रही हो। टबमें बैठ जानेपर रोगी पानीके भीतर ही एक खुरदरा तौलिया पेड़पर हलके हाथसे फेरता रहे अथवा किसी दूसरेसे फिरवाये। इस प्रकार यह बाथ पाँच मिनटसे लेकर तीस मिनट या उससे भी अधिक समय तक लिया जा सकता है। ऐसे बाथसे अनेक बार तत्काल लाभ होता है। रोगीको यदि बादी हो तो उसे एकदम अपानवायु छूटने लगती है या डकारें आने लगती हैं। यदि बुखार हो तो पाँच मिनट बाथ लेनेके बाद ही थर्मामीटरका पारा एक-दो या अधिक डिग्री तक अवश्य नीचे उतर आता है। इससे पाखाना भी साफ होगा। थका हुआ हो तो उसकी थकावट उतर जायेगी। जिसे नींद बिलकुल ही न आती हो उसका मस्तिष्क शान्त हो जायेगा और उसे नींद आ जायेगी। जिसे तन्द्रा हो वह सजग हो जायेगा और उसमें चेतनता व्याप्त होगी। यों ऊपरी तौरसे देखते हुए इन्हें विरोधी परिणाम कह सकते हैं; पर कारण ऊपर आ ही चुका है। बड़ा आलस्य या अधिक जागृति एक ही निमित्तके दो भिन्न परिणाम हैं — उनके बीच विरोध तो ऊपरी ही है। अतिसार या दस्त और बद्धकोष्ठ या कब्ज — दोनों ही अपचनके परिणाम हैं। कुछ लोगोंको उससे कब्ज हो जाता है तो कुछको पेचिश। इन दोनोंपर ही टब-बाथका बड़ा हितकर परिणाम होता है। बवासीर-जैसा अत्यन्त पुराना रोग भी इस प्रकारके कटि-स्नानसे और इसीके साथ खुराक-सम्बन्धी उपचारोंसे मिट सकता है। मुँहसे यदि लार बहती हो तो इस उपचारके शुरू करनेसे यह शिकायत दूर हो सकती है। निर्बल मनुष्य कटि-स्नान लेनेसे सशक्त हो जाता है। कइयोंका संधिवात इससे मिट चुका है। रक्तस्रावके लिए यह बाथ बहुत लाभदायक है। इसी प्रकार रक्त-विकारमें भी उपयोगी है। जिसका सर दर्द करता हो वह यह बाथ ले तो उसका सरदर्द एकदम हलका पड़ जायेगा। स्वयं क्यूनी तो इस बाथको कैसर-जैसे भयंकर रोगोंमें भी अमूल्य मानते हैं। गर्भवती स्त्री यदि यह बाथ ले तो उसे प्रसूतिके समय बहुत कम वेदना होगी। यह बाथ बालक, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष सभी ले सकते हैं।

इसके सिवा बाथ लेनेका एक दूसरा तरीका भी है, जो अनेक रोगोंके लिए अक्सीर इलाज है। इसे "बेट शीट पैक" कहा जाता है। इसका भाषानुवाद होगा "गीली चादरकी लपेट"। इसे लेनेका तरीका इस प्रकार है। मनुष्य सीधा सो सके, इतना लम्बा एक टेबल या तख्त, जहाँतक हो सके, खुली हवामें रखे। इसपर चार कम्बल या हवाकी तेजीके अनुसार कम-अधिक कम्बल लटकाकर बिछा दिये जायें। इनपर ठंडे पानीमें भिगोकर निचोड़े हुए गाढ़े मोटे खादीके स्वच्छ वस्त्र बिछा दिये जायें। सिरहाने कम्बलके नीचे एक तकिया रहे। अब रोगी अपने सारे कपड़े उतार दे। यदि उसे कमरपर कोई छोटा-सा रूमाल या कपड़ा लपेटना हो तो लपेट सकता है। उपर्युक्त ढंगसे तैयार की गई चादरपर उसे चित्त लिटाइए। दोनों हाथ बगलमें रहें और दोनों ओरसे चादर और कम्बल उसके शरीरपर, एकपर-एक लपेट दिये जायें। पैरोंकी ओरका हिस्सा पैरोंपर बराबर लिपटा रहे। यदि घूप हो तो रोगीके मुंह और सरपर भीगा रूमाल लपेट दिया जाये। नाक हर हालतमें खुली रखें। रोगी एक क्षणके लिए तो सिहर उठेगा, परन्तु तुरन्त ही बड़ा आराम और शरीरको भली लगनेवाली उष्मा भी महसूस करेगा। इस स्थितिमें रोगी ५ मिनटसे लेकर एक घंटे तक या अधिक भी रह सकता है। अन्तमें उसे इतनी अधिक गरमी लगने लगती है कि उसे पसीना छूटने लगता है। अनेक बार तो रोगीको इसी हालतमें नींद आ जाती है। रोगीको जब गीली चादरसे बाहर निकाला जाये तो उसे ठंडे जलसे नहला देना चाहिए। चमड़ीके तो अनेक रोगोंपर यह मुफीद इलाज है। खुजली, दाद, फुंसियाँ, पित्ती, शीतला या साधारण फोड़े और बुखार आदिमें यह "चादर लपेट" बड़ा काम करती है। शीतला कैसी भी भयंकर क्यों न हो, इस इलाजसे प्रायः जाती रहती है। फोड़े हुए हों तो एक या दो बाथ लेनेसे ही वे भी अच्छे हो जाते हैं। इस बाथको लेने-लिवानेकी प्रक्रिया बड़ी सरलतासे सीखी जा सकती है। और सभी अपने व्यक्तिगत अनुभवसे इसकी उपयोगिता आंक सकते हैं। यह बाथ लेनेपर चादरमें रोगीकी चमड़ीका सारा मैल उतर आता है; अतः एक बार उबलते हुए पानीमें धोये बिना उसे अन्य किसी रोगी व्यक्तिके लिए कदापि काममें नहीं लाना चाहिए।

अन्तमें जलके इन उपचारोंके सम्बन्धमें इतना याद रखना जरूरी है कि यदि केवल बाथ ही लिये जायें और खुराक या कसरत आदिका ध्यान न रखा जाये तो सम्भव है, उससे सम्पूर्ण या कोई भी लाभ न हो। संधिवातवाला मनुष्य क्यूनीका बाथ या चादर लपेट तो ले किन्तु जो नहीं लेना चाहिए ऐसी खुराक लेता रहे, खुली हवाका सेवन न करें, गन्दगीमें ही पड़ा रहे और शरीरको व्यायाम न दे, तो वह अकेले स्नानसे आराम नहीं पा सकेगा। जलका यह उपचार स्वास्थ्यके दूसरे सारे नियमोंका पालन करनेके साथ ही सहायक हो सकता है। यदि अन्य नियमोंका भी साथ-ही-साथ पालन किया जाये तो पानीके इस उपचारसे रोगी बड़ी तेजीसे अच्छा होने लगता है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-५-१९१३

५४. पत्र : गृह-सचिवको^१

[फीनिक्स

मई १९, १९१३]^२

महोदय,

मेरे पिछले माहकी ३० तारीखके पत्रके उत्तरमें भेजा गया आपका इसी ६ तारीखका कृपा-पत्र प्राप्त हुआ।

मैं देखता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय सत्याग्रहके उल्लेख-मात्रसे बुरा मानते हैं।^३ मुझे दुःख है; किन्तु उसका उल्लेख तथ्य बतानेके लिए अनिवार्य था। घमकी देनेकी कदापि कोई इच्छा नहीं थी। सत्याग्रहका पुनरारम्भ कोई घमकी नहीं है, बल्कि एक निश्चित बात है, लेकिन तभी जब दुर्भाग्यवश सरकार वर्तमान माननीय मन्त्रीके पूर्ववर्ती द्वारा दिये गये पवित्र वचनको पूरा करना असम्भव समझे या वह उसके लिए अनिच्छुक हों। वचन सरकारकी ओरसे दिया गया था और पिछले साल उसने उसे दुहराया भी था। संघ द्वारा उठाया गया प्रत्येक मुद्दा अस्थायी समझौतेकी शर्तोंसे पैदा है। इसके अलावा, मैं यह कहनेके लिए विवश हूँ कि मेरा संघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है, उसको प्रभावित करनेवाले वर्तमान कानूनोंको अमलमें लानेके मामलेमें सरकारने अबतक जो नीति अपनाई है वह नीति आपके पत्रमें व्यक्त इस समाजके प्रति सर्वथा न्यायपूर्ण व्यवहार करनेकी “इच्छा” के बिल्कुल विपरीत है। जो पत्नियाँ दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले अपने पतियोंके पास या जो बच्चे यहाँ रहनेवाले अपने माता-पिताओंके पास पहुँचना चाहते हैं, उनके साथ, तथा, जैसा कि नेटालमें होता है, जो लोग अपने पूर्व-निवासके आधारपर पुनः-प्रवेश करना चाहते हैं या, जैसा कि केपमें होता है, जो लोग अपने अनुपस्थितिके अनुमतिपत्रोंमें उल्लिखित अवधिके समाप्त हो जानेपर पुनः-प्रवेश करनेकी कोशिश करते हैं या जो ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेके लिए अस्थायी अनुमतिपत्र चाहते हैं, उन सबके प्रति जो व्यवहार किया जाता है वह मेरे देशवासियोंके विचारमें न केवल अनुचित है, बल्कि कठोर और अन्यायपूर्ण भी है। यहाँ यह भी कह दिया जाये कि यदि ट्रान्सवालमें भारतीय समाजका अस्तित्व स्वर्ण-कानून और कस्बा-कानूनके सम्मिलित प्रभावके बावजूद मिट नहीं गया है तो इसका श्रेय सर्वोच्च न्यायालयको है, न कि सरकारको, जिसने अत्यन्त अनुदारतापूर्वक इन कानूनोंका

१. यह पत्र श्री अ० मु० काछलियाके हस्ताक्षरोंसे भेजा गया था।

२. मूल मसविदेपर कोई तारीख नहीं है। लेकिन इंडियन ओपिनियनमें पत्रकी यही तिथि बताई गई है। पूरा पत्र-व्यवहार इंडियन ओपिनियन के २४-५-१९१३ के अंकमें प्रकाशित हुआ था।

३. गृह-सचिवने मई ९ को अपने पत्रमें लिखा था: “श्री फिशरको इस बातका खेद है कि प्रवासी विधेयकका उल्लेख करते समय आपके संघने तथा अन्य भारतीय संगठनोंने सत्याग्रह पुनः आरम्भ करनेकी धमकी देना उचित समझा।”

ऐसा अर्थ लगानेका प्रयत्न किया जो उनमें निहित ही नहीं है। विवाह-सम्बन्धी परेशानी भी सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई गई शत्रुतापूर्ण नीतिका ही परिणाम है। वह दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाली प्रार्थीकी एकमात्र पत्नीको अपने पतिके पास आनेकी अनुमति देकर अदालतका निर्णय टाल सकती थी। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि यूरोपीय समाज सरकारपर जो भी दबाव डाल सकता है, उसके फलस्वरूप मेरी विनम्र सम्मतिमें, एक सर्वनाशको छोड़ दें तो, मेरे समाजपर इससे ज्यादा बड़ा कोई अत्याचार नहीं किया जा सकता। और यदि सत्याग्रह अर्थात् मेरे समाजके आत्मपीड़नके जबाबमें ऐसे कदम उठाये जायें कि दक्षिण आफ्रिकामें उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाये, तो मुझे पूरा विश्वास है कि समाज ऐसी बरबादीको अपने गौरव, धर्म भाव और आत्मसम्मानकी बरबादीके मुकाबले कहीं ज्यादा पसन्द करेगा।

आपका

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७५५) की फोटो-नकल से।

५५. पत्र : गृह-सचिवको^१

[फीनिक्स]

मई १९, १९१३

भारतीय विवाहोंकी वैधताके बारेमें लिखे गये मेरे गत माहकी १४ तारीखवाले पत्रके^२ उत्तरमें आपका इसी ९ तारीखका कृपापत्र मिला।

हमारी समझमें मेरी समितिने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि उसकी मांगमें बहुपत्नीक विवाहका प्रश्न इसलिए नहीं उठाया गया है; बहुपत्नीक विवाहपर तो स्वयं इस प्रश्नके गुण-दोषोंके आधारपर विचार किया जा सकता है। सर्लके फैसलेमें तो भारतीय धर्मोंमें विहित विधियोंके अनुसार भारत या दक्षिण आफ्रिकामें सम्पन्न हुए विवाहोंको ही अमान्य कर दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदयको सादर सूचित करना चाहता हूँ कि भारतीय धार्मिक संस्कारोंमें बहुपत्नीक विवाहका उल्लेख नहीं आता और सभी भारतीय धर्मोंमें बहुपत्नीक विवाह मान्य भी नहीं है। मेरा संघ केवल इतनी ही मांग करता है कि प्रमुख भारतीय धर्मोंके अनुसार भारत या दक्षिण आफ्रिकामें सम्पन्न एक पत्नीक विवाहको सर्लके फैसलेसे पूर्व जो कानूनी मान्यता प्राप्त थी वह यथावत् प्राप्त रहे। जिस-किसी मामलेमें मेरे किसी देशवासीके एकसे अधिक पत्नियाँ हैं, अथवा यदि वह एकसे अधिक पत्नी लाता है तो उस मामलेमें भी सरकारने जिस उदारताका वचन दिया है, तबतक उसी उदारतासे काम लिया जाये जबतक ऐसे विवाहोंको कानूनी मान्यता देनेका उपयुक्त अवसर उत्पन्न नहीं हो जाता।

१. यह पत्र अ० मु० काछलियाके हस्ताक्षरोंसे भेजा गया था।

२. देखिए “पत्र : गृह-सचिवको”, पृष्ठ २५-२६।

मैं सविनय आशा करता हूँ कि मेरे संघ द्वारा अपनाई गई स्थिति अब स्पष्ट हो गई होगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-५-१९१३

५६. विधेयक

पिछले सोमवारसे समितिमें प्रवासी विधेयककी जैसी प्रगति हुई है उसपर से तो ऐसा जान पड़ता है कि वह देशका कानून बन जायेगा। श्री फिशरने श्री काछ-लियाको लिखे अपने असन्तोषजनक पत्रके बावजूद अपने तौर-तरीकोंकी गलती समझ ली है। उस पत्रको हम इस अंकमें प्रकाशित कर रहे हैं। वस्तुतः उन्होंने स्वयं ही ऐसे संशोधन पेश किये हैं जिन्हें पेश करनेकी कोई इच्छा उन्होंने अपने तारों तथा अन्य पत्र व्यवहारमें जाहिर नहीं की थी। इन संशोधनोंमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं: केप तथा नेटालके कानूनोंके अन्तर्गत आन्तरप्रान्तीय प्रवासके जो वर्तमान अधिकार हैं उनकी बहाली तथा स्थायी रूपसे यहाँ बसे हुए भारतीयोंके तीन वर्षकी अनुपस्थितिके बाद भी लौटनेके जिस अधिकारपर बन आई है, उसकी स्थापना। संशोधनोंका ठीक-ठीक असर क्या पड़ेगा, यह कहना तबतक असम्भव है जबतक कि उसका पूरा मसविदा हमारे सामने न हो।

श्री अलेक्जेंडर, रंग-द्वेषके कारण जो मसले लोक-अप्रिय तथा उपेक्षित रहे हैं उनके समर्थनमें निःस्वार्थ-भाव और पूरे उत्साहसे आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने एक औचित्यपूर्ण संशोधन पेश किया जिससे विवाह कानून-सम्बन्धी हमारी माँगकी कदाचित् पूर्ति हो जाती; पर उन्हें मन्त्री-महोदयसे संदिग्ध और भ्रम पैदा करनेवाला उत्तर मिला। श्री चैपलिनने एक सुविचारित भाषण द्वारा श्री अलेक्जेंडरका समर्थन किया। मन्त्री-महोदयने यह कहकर सदस्योंकी आँखोंमें धूल झोंक दी कि चूँकि हम लोग दक्षिण आफ्रिकामें बहुपत्नीक विवाहको मान्य कराना चाहते हैं इसलिए हमने विवाह-अधिकारीको स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया है। यह पूर्ण रूपसे स्पष्ट हो गया है कि सर्ल-निर्णयके द्वारा प्रत्येक गैरईसाई भारतीय विवाहको, यदि उसका पंजीयन न कराया गया हो तो, अवैध करार दिया गया है। विवाह-अधिकारीकी नियुक्तिसे यह समस्या दूर नहीं होगी; हाँ, यदि भारतीयोंसे यह अपेक्षा की जाती हो कि वे वर्तमान विवाहोंका पंजीयन करायेँ और इस प्रकार प्रकारान्तरसे स्वीकार करें कि पंजीयनसे पूर्व ये विवाह अवैध थे तब तो बात दूसरी है। और यह एक ऐसी अपमानजनक स्थिति है जिसे कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। इस नियुक्तिसे भारतसे आनेवाली पत्नियोंकी दिक्कतें भी दूर नहीं होतीं। यूरोपीय विवाह यूरोपमें कैसे सम्पादित हुए हैं, इसकी परवाह न करते हुए उन्हें कानूनी मान्यता देनेकी व्यवस्था निम्नलिखित रूपसे की गई:

ऐसे सब विवाह, जो इस राज्यके बाहर ऐसे लोगोंके बीच हुए हों जिनमें से एक या दोनों विवाहके समय इस राज्यके निवासी न हों, मान्य होंगे और इस

राज्यमें भी उसी प्रकार वैध माने जायेंगे जिस प्रकार उस देशमें माने जाते हैं जहाँ वे सम्पन्न हुए हों। और यदि किसी वारिस या अन्य सम्बद्ध पक्षों द्वारा ऐसे विवाहोंकी वैधतापर एतराज किया जाये तो किसी भी अदालतमें उक्त विवाहकी पंजियों या प्रमाण-पत्रोंको पेश करके, बशर्ते कि उस देशमें ऐसे पंजियोंको रखने या प्रमाणपत्र देनेकी प्रथा हो, अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पेश करके या गवाहों द्वारा, या अन्य सभी साधारण मामलोंमें कानून द्वारा मान्य किसी दूसरे प्रमाणको उपस्थित करके उसकी वैधता सिद्ध की जा सकती है।

और ऐसे विवाहोंमें, अनुमानः बहुपत्नीक विवाह भी आ सकते हैं; और वे किसी भी विधिसे सम्पादित हो सकते हैं। तब फिर यही मान्यता भारतीय विवाहोंको क्यों नहीं दी जानी चाहिए?

फिर, यह स्पष्ट है कि श्री फिशरने जस्टिस गार्डिनरके हालके फैसलेका अध्ययन नहीं किया है। उस फैसलेके अनुसार कोई भारतीय पत्नी, जबतक उसके विवाहका पंजीयन न हुआ हो, अपने पतिके विरुद्ध गवाही देनेकी जिम्मेदारीसे बरी नहीं है। कमसे-कम यहाँ बहुपत्नीक विवाहका सवाल खड़ा होनेकी कोई आशंका भी नहीं थी। पर तथ्य तो यह है कि जब श्री फिशरको किसी अटपटी स्थितिका सामना करना पड़ता है तब उन्हें किसी भी तरह सदनको धोखेमें डालनेमें संकोच नहीं होता।

प्रवासी विधेयक इस समय समितिके विचाराधीन है; हो सकता है, वह वहाँसे ऐसे रूपमें बाहर आये जिससे हमारी विवाह-सम्बन्धी माँगको छोड़कर अन्य सब माँगोंकी पूर्ति हो जाये। श्री फिशर विवाहवाली कठिनाईको प्रशासनिक रूपमें हल करना चाहते हैं। 'नेटाल मर्क्युरी' के संसदीय संवाददाताके शब्दोंमें, "प्रशासनिक समाधानके खिलाफ एतराज यह है कि उसके अधीन किसी अधिवासी भारतीयको बाहरसे पत्नी लानेका स्वाभाविक अधिकार, अधिकार न रहकर सरकारकी मेहरबानीका रूप ग्रहण कर लेगा — और वह मेहरबानी भी एक अधिकारीके विवेक और उसकी सनकपर निर्भर करेगी।" हम श्री फिशरको चेतावनी देते हैं कि यदि यह एक सवाल भी बिना हल किये छोड़ दिया गया तो सत्याग्रहका पुनः आरम्भ किया जाना निश्चित है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-५-१९१३

५७. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२१]

३. मिट्टीका इलाज

हमने जल-चिकित्साके सम्बन्धमें थोड़ी जानकारी हासिल की। जलके इन उपचारोंकी अपेक्षा मिट्टीका इलाज अनेक बातोंमें अधिक चमत्कारपूर्ण पाया गया है। अपने शरीरका एक बड़ा भाग मिट्टीका ही बना हुआ है। अतः मिट्टीका हमपर असर हो, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। मिट्टीको प्रायः सभी लोग पवित्र मानते हैं। दुर्गंधको दूर करनेके लिए हम मिट्टीसे जमीन लीपते हैं; सड़ाँधपर मिट्टी डालते हैं। यदि हाथ गंदे हों तो मिट्टीसे धोकर पवित्र करते हैं, और गुह्य भागोंको भी मिट्टीसे धोते हैं। साधु-संन्यासी तो शरीरपर मिट्टीका लेप ही किये रहते हैं। इस देशके आदिवासी फोड़े-फुंसियोंपर मिट्टीका उपयोग करते हैं। पानीको साफ करनेके लिए भी हम उसे रेती या मिट्टीसे नित्यारते हैं। अन्तमें मुर्दे भी मिट्टीमें दफनाये जाते हैं ताकि हवा खराब न होने पाये। मिट्टीकी ऐसी जग-जाहिर महिमा हम प्रत्यक्ष देखते रहते हैं, और इसके आधारपर हम मोटे तौरपर अनुमान लगा सकते हैं कि मिट्टीमें अनेक विशेषताएँ और उत्तम गुणोंकी सम्भावना है।

क्यूनीने जिस प्रकार जलके सम्बन्धमें बड़े चिन्तनके बाद बहुत-कुछ उपयोगी साहित्य लिखा है, ठीक उसी प्रकार जुस्ट नामक एक जर्मनने मिट्टीके सम्बन्धमें लिखा है। वे तो यहाँ तक कहते हैं मिट्टीके उपचारसे असाध्य रोग भी मिट सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक बार उनके पासके एक गाँवमें किसी मनुष्यको साँपने काट लिया। कई लोगोंने तो उसे मरा हुआ ही मान लिया, पर गाँवके किसी व्यक्तिने जुस्टकी सलाह लेनेको कहा। और, लोगोंने उनकी सलाह ली। जुस्टने उस मनुष्यको मिट्टीमें दबा दिया और थोड़ी देरमें उसे होश आ गया। यह घटना असम्भव नहीं हो सकती। कोई कारण नहीं है कि जुस्ट गलत बात लिखें। मिट्टीमें दबानेसे बहुत-सी गर्मी मिट्टीने खींच ली होगी, यह तो स्पष्ट ही है। और मिट्टीमें रहनेवाले अनेक अदृश्य कीटाणुओंने शरीरपर क्या कार्य किया होगा, इसे जान सकनेका तो हमारे पास कोई साधन नहीं है। पर यह तो प्रतीत होता है कि मिट्टीमें जहर आदिको सोख लेनेकी शक्ति है। फिर भी कहनेका यह हेतु नहीं है कि चूँकि जुस्टने लिखा है, इसलिए सर्पदंशवाले सभी लोग मिट्टीके उपचारसे उठ खड़े होंगे। पर ऐसे प्रसंगपर मिट्टीका उपचार किया जाना जरूरी है। बरं या बिच्छू आदिके डंकपर मिट्टीका प्रयोग करनेकी बात अधिक ग्राह्य होगी। इनके दंशपर तो मैंने स्वयं भी आजमाइश की है और उससे तत्काल आराम होता जान पड़ा है। ऐसे मौकेपर ठंडे जलमें भिगोकर मिट्टीका गाढ़ा-गाढ़ा लेप कर दिया जाता है और उसपर पट्टी बाँध दी जाती है।

नीचे दिये जा रहे उदाहरण मेरे व्यक्तिगत अनुभवपर आधारित हैं। पेटकी मरोड़में पेटपर मिट्टीका लेप बाँधनेसे मरोड़ दो-तीन दिनमें ही चली गई है। सरके दर्दमें भी मिट्टीकी पट्टी रखनेसे तत्काल आराम हुआ है। आँखोंमें कंकर चलता हो

तो आँखोंपर मिट्टीकी पट्टीसे वह बैठ जाता है। यदि मूढ़ मार लगी हो और सूजन आ गई हो तो इससे सूजन समाप्त हो जाती है। मैं स्वयं अनेक वर्षों तक फ्रूटसॉल्ट आदि लेता था और तभी स्वस्थ रह पाता था। सन् १९०४में मिट्टीके अक्सीर गुणका मुझे पता चला। तबसे मैंने फ्रूटसॉल्ट आदि जो छोड़ा सो फिर किसी दिन नहीं लेना पड़ा। जिसे बद्धकोष्ठ रहता हो उसके लिए तो पेड़पर मिट्टीकी पट्टी बड़ी गुणकारी सिद्ध होती है। पेटमें यदि दर्द हो तो मिट्टीकी पट्टी बाँधनेसे वह कम हो जाता है। अतिसार भी मिट्टी बाँधनेसे ठीक हो जाता है। तेज बुखारवालेके पेड़ और सरपर यदि मिट्टीकी पट्टी बाँधी जाये तो उसका बुखार एक-दो घंटेमें ही कम हो जायेगा। फोड़े, खुजली और दाद आदिपर मिट्टीके लेपका अनेक बार बहुत अच्छा असर होता है। फोड़ोंसे मवाद निकल जानेके बाद मिट्टीके उपयोगसे अधिक लाभ देखनेमें नहीं आता। आगसे जले हुए स्थानपर तुरन्त मिट्टीका लेप लगा देनेसे जलन कम पड़ जाती है और छाला नहीं उठ पाता। बवासीरवालेको भी मिट्टीकी पट्टीसे लाभ होता है। बरफ पड़नेके कारण अनेक बार हाथ-पाँव लाल सुख हो जाते हैं और उनपर सूजन आ जाती है। इनपर तो मिट्टीकी पट्टी अपना असर किये बिना नहीं रहती। एक्जिमापर भी मिट्टी गुणकारी साबित हुई है और शरीरके जोड़ोंके दर्दमें मिट्टीके प्रयोगसे तुरन्त फायदा होता है।

इस प्रकार मिट्टीके अनेक अनुभूत प्रयोगोंके आधारपर मैंने घरेलू उपचारके तौरपर मिट्टीको एक अमूल्य वस्तु पाया है।

यह बात नहीं है कि सभी प्रकारकी मिट्टी एक-सा गुण करनेवाली हो। लाल मिट्टी अधिक गुणकारी साबित हुई है। मिट्टी हमेशा अच्छे स्थानसे ही खोद कर लेनी चाहिए। जिस मिट्टीमें गोबर आदि मिला हो उसे काममें नहीं लेना चाहिए। मिट्टी अधिक चिकनी भी नहीं होनी चाहिए। कुछ चिकनी और कुछ दरदरी मिट्टी ही अच्छी होती है। उसमें घास-फूस, जड़ें आदि नहीं होनी चाहिए। अनेक बार मिट्टीको बारीक छलनीसे छान लेना उपयोगी होता है। मिट्टी हमेशा ठंडे पानीमें ही भिगोई जाये। रोटीके लिए आटा जितना सख्त गूँधा जाता है, मिट्टी भी उतनी ही सख्त रखनी चाहिए और ज्यादातर किसी महीन वस्त्रमें बाँधकर जिस हिस्सेपर जरूरत हो, उसपर रखना चाहिए; ध्यान रहे कि वस्त्र फटा न हो। मिट्टीके शरीरपर सूख जानेके पहले उसे हटा लेना चाहिए। साधारण तौरपर एक पट्टी दोसे तीन घंटे तक चलती है। एक बार काममें ली गई मिट्टी दुबारा काममें नहीं ली जानी चाहिए। एक बार काममें लिया हुआ कपड़ा अवश्य फिरसे धोकर काममें लिया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें पीब आदि न लगा रहे। मिट्टी पेड़पर रखी गई हो तो पट्टीके ऊपर एक गर्म वस्त्र डालकर उसपर फिर एक पट्टी बाँध देनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्यको एक डिब्बेमें मिट्टी भरकर रख लेनी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़नेपर उसका उपयोग किया जा सके और ऐन वक्तपर मिट्टीकी तलाश न करनी पड़े। बिच्छूके डंक आदिपर तो मिट्टी जितनी जल्दी रखी जा सके उतना ही शीघ्र लाभ करती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-५-१९१३

५८. तार : डूमंड चैपलिन और दूसरोंको

[फीनिक्स

मई २४, १९१३]

डूमंड चैपलिन
पैट्रिक डंकन
सर डेविड हंटर
थियो श्राइनर
माननीय मेरीमैन
मॉरिस अलेक्जेंडर
संसद-भवन
केप टाउन

मन्त्रीका यह वक्तव्य गलत है कि भारतीय बहुपत्नीक-विवाहको कानूनन मान्य करनेकी मांग करते हैं। भारतीयोंकी मांग केवल यह है कि भारत या दक्षिण आफ्रिकामें सम्पन्न गैर-ईसाई विवाहोंको कानूनी मान्यता हो। विवाह-अधिकारियोंकी नियुक्तिसे केवल भावी विवाह और सो भी केवल दक्षिण आफ्रिकामें सम्पन्न विवाहोंका प्रश्न हल होगा। ट्रान्सवालके १८७१ के विवाह कानूनमें यूरोपमें हुए विवाहोंको, उनका रूप चाहे कुछ भी हो, खास तौरसे मान्यता दी गई है। भारतीय विवाहोंके सम्बन्धमें भी ऐसी व्यवस्थासे काम चल जायेगा। इस तथ्यकी ओर भी ध्यान खींचें कि समितिमें पास संशोधनोंसे १९०६ के केप अधिनियम ३० के खण्ड ४, उपखण्ड 'च,' अनुच्छेद 'क' के अन्तर्गत दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंके केप प्रवेशके अधिकारोंकी रक्षा नहीं होती। उनसे फ्री-स्टेटके सैद्धान्तिक अधिकारकी कठिनाई भी दूर नहीं होती। निवेदन है यदि वर्तमान अधिकारोंमें हेरफेर हुआ या फ्री-स्टेटकी या विवाहोंकी कठिनाई हल नहीं होती तो सत्याग्रह अवश्य होगा।^१

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७८४) की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजीने मार्शल कैम्बेलको २४ मईको जो तार भेजा था (देखिए अगला शीर्षक), उससे पता चलता है कि यह तार उसी दिन भेजा गया था।

२. इसके उत्तरमें पैट्रिक डंकनने मई २६ को निम्नलिखित तार दिया था: "आपका तार मिला। गैर-ईसाई भारतीय विवाहोंको कानूनी मान्यता दे देनेपर बहुपत्नीक-विवाहोंको कानूनी मान्यता न देना मुश्किल हो जायेगा।"

५९. तार : मार्शल कैम्बेलको

[फीनिक्स]

मई २४, १९१३

सिनेटर मार्शल कैम्बेल
केप टाउन

आपके तारके लिए धन्यवाद। यदि इस अधिवेशनमें कर हटा दिया जाये तो सरकार अविश्वास और अपयशसे बच जायेगी। इससे भारतीयोंके साथ देरसे ही सही न्याय होगा। अलेक्जैंडरको तार दिया है कि विवाह-सम्बन्धी संशोधनसे समाधान नहीं होता। भारतमें तो शायद ही कोई विवाह पंजीकृत होता है इसलिए जबतक पंजीयनवाली धारा निकाली न जाये तबतक कोई राहत न मिलेगी। अलेक्जैंडर भारतीय कानून और रिवाज नहीं जानते। यदि आपको दिये गये मन्त्री महोदयके आश्वासनका कुछ अर्थ है तो वे निःसन्देह अब भी विधेयकमें ऐसा संशोधन कर देंगे जिससे भारतीय विवाह वैध हो जायेंगे, दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंका केप प्रवेशका अधिकार बहाल हो जायेगा और उनके जो थोड़े-से मौजूदा अधिकार हैं वे कायम रहेंगे। दूसरोंके अधिकारोंको बेचकर अपने-आपको जेलसे या उससे भी बड़े कष्टोंसे बचानेके लिए कोई समझौता करनेके लिए तैयार नहीं। यदि आप सरकारसे न्याय करा सकें और उसके वादोंको पूरा करा सकें तो असहाय लोग आपके कृतज्ञ होंगे। कृपया फीनिक्सके पतेपर तार दें।

गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७८६) की फोटो-नकल से।

६०. तार : पैट्रिक डंकनको

[फीनिक्स]

मई २७, १९१३

पैट्रिक डंकन
केप टाउन

तारके लिए धन्यवाद। संशोधनसे कानूनमें केवल एक ही पत्नी मान्य की जा सकती है जैसा जस्टिस वेसेल्सने जसातके मामलेमें किया था।

१. देखिए “ तार : डुमंड चैपलिन और दूसरोंको ”, पृष्ठ ८० तथा श्शी पृष्ठपर पाद-टिप्पणी २ भी।

मन्त्री महोदय द्वारा स्वीकृत कलका संशोधन काफी नहीं, क्योंकि इसमें धार्मिक रीतियोंसे विवाह करनेके अतिरिक्त पंजीयन करानेका भी विधान है। भारतमें विवाहोंको दर्ज करानेकी प्रथा नहीं है।

गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९२)की फोटो-नकलसे।

६१. तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स]

मई २७, १९१३

गृह-मन्त्री
केप टाउन

मन्त्री महोदयका ध्यान १८७१के ट्रान्सवाल विवाह कानूनकी ओर दिलाता हूँ जो दक्षिण आफ्रिकाके बाहर सम्पन्न यूरोपीय विवाहको मान्यता देता है चाहे वे किसी विधिसे हुए हों। ऐसी ही व्यवस्थासे भारतीयोंकी माँग पूरी हो सकती है। नम्र निवेदन है कि भारतीयोंकी माँग बहुपत्नीक-विवाहको कानूनी मान्यता देनेकी नहीं। जो संशोधन हुए उनसे १९०६के केप कानून ३०के खण्ड ४ उपखण्ड 'च' अनुच्छेद 'क' के अन्तर्गत दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंके केपमें प्रवेश करने सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित होते नहीं दिखते। और न तो फ्री स्टेटमें सैद्धान्तिक अधिकारकी समस्या दूर हुई दिखती है। अस्थायी समझौतेमें शामिल प्रश्न यदि तदनुसार सुलझाये बगैर छोड़े गये तो मन्त्री महोदयको नाराज करनेका खतरा उठाकर निवेदन है कि सत्याग्रह निश्चित है।'

गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९३) की फोटो-नकलसे।

१. मन्त्री महोदयने उसी दिन पत्रका उत्तर देते हुए लिखा कि भारतीय विवाहोंको मान्यता देने-वाला संशोधन सर डेविड हंटर तथा अन्य लोगोंके इस आश्वासनपर स्वीकार किया गया कि इससे भारतीयोंकी माँग बिल्कुल पूरी हो जायेगी। केपके सवालको उन्होंने नया सवाल बताया और १९१२के फरवरी महीनेके पत्र-व्यवहारमें उल्लिखित आन्तरप्रान्तीय प्रवासकी समस्याके सम्बन्धमें कहा कि यह तो निबट गई है। फ्री स्टेट-सम्बन्धी मुद्देके बारेमें उन्होंने और अधिक जानकारी माँगी और यह आशा व्यक्त की कि भविष्यमें सत्याग्रहका जिक्र नहीं किया जायेगा।

६२. तार : सर डेविड हंटरको

[फीनिक्स
मई २७, १९१३]

सर डेविड हंटर
केप टाउन

तार^१ और सहानुभूतिके लिए धन्यवाद। स्वीकृत संशोधन दुर्भाग्यवश पर्याप्त नहीं क्योंकि इसमें विवाह-पंजीयनकी व्यवस्था है। भारतमें विवाह दर्ज करानेकी प्रथा नहीं। पंजीयनवाली धारा नितान्त अनावश्यक है और मेरे कलके तारमें^२ उल्लिखित ट्रान्सवाल कानूनमें नहीं है। दूसरे मुद्दे भी अभी मंजूर नहीं किये गये।

गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९६) की फोटो-नकलसे।

६३. तार : श्राइनर और कैम्बेलको

[फीनिक्स
मई २७, १९१३]

सिनेटर श्राइनर
सिनेटर मार्शल कैम्बेल
केप टाउन

सिनेटमें प्रस्तुत प्रवासी विधेयक १९११में जनरल स्मट्स और भारतीय समाजके बीच हुए अस्थायी समझौतेको पूरा नहीं करता। यह १९०६के केप कानून ३० खण्ड ४ उपखण्ड 'च' अनुच्छेद 'क' के अधीन दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंके केपमें प्रवेशके अधिकारका अपहरण करता है। विधेयकमें जैसा संशोधन कल हुआ है उससे विवाहकी समस्या हल नहीं होती क्योंकि यह विवाहोंका पंजीयन चाहता है। भारतमें पंजीयनकी कोई प्रथा नहीं है। ट्रान्सवालका विवाह कानून यूरोपीयोंके दक्षिण आफ्रिकाके बाहर

१. मई २६ के अपने तारमें सर डेविडने लिखा था: "सरकारने आज वह संशोधन स्वीकार कर लिया जिससे विवाहका प्रश्न हल हो गया। विधेयकका द्वितीय और तृतीय वाचन समाप्त हो गया है और मेरे विचारसे भारतीयोंके मित्रों द्वारा प्राप्त इन रियायतोंकी उपलब्धिपर हम अपनेको हार्दिक बधाई दे सकते हैं।"

२. यह तार उपलब्ध नहीं है, फिर भी देखिए "तार : डूमंड चैपलिन और दूसरोंको", पृष्ठ ८०।

किसी भी रीतिसे सम्पन्न हुए विवाहोंको मान्यता देता है। वैसी ही व्यवस्था भारतीय विवाहोंके सम्बन्धमें होनेसे मामला हल होगा। बहुपत्नीक विवाहोंके बारेमें यह व्यवस्था जोड़ी जा सकती है कि कानून उन्हें मान्यता नहीं देगा। मैं नहीं समझा कि विधेयक नेटालके भारतीयों द्वारा तीन सालका नेटाल अधिवासका प्रमाण देनेपर नेटालमें वापस आनेके हकको सुरक्षित रखता है या नहीं। समझौतेमें यह माना गया था कि प्रवासी विधेयकमें कोई जातिभेद नहीं होगा। प्रस्तुत विधेयक इस शर्तको तोड़ता प्रतीत होता है क्योंकि इसमें दूसरोंके विपरीत भारतीयोंसे स्वविवरण देनेकी शर्त है। यदि यह शर्त न हो तो फ्री स्टेटकी समस्या शायद हल हो जाये यद्यपि इस प्रकार प्रवेश करनेवाले भारतीयोंको जमीन रखने या व्यापार करने या खेती करनेका अधिकार तो फिर भी नहीं होगा। आशा है आप समझौतेको अमलमें लानेके लिए प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप कर सकेंगे और इस प्रकार सत्याग्रहका पुनरारम्भ रोकेंगे

गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०५) की फोटो-नकलसे।

६४. तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स]

मई २७, १९१३^१

गृह-मन्त्री

[केप टाउन]

सन्देशकी मैत्रीपूर्ण ध्वनिके लिए मन्त्रीको धन्यवाद देता हूँ। सत्याग्रह के उल्लेखसे भावनाओंको ठेस पहुँचानेकी कोई इच्छा नहीं। कलके संशोधनसे विवाह-सम्बन्धी कठिनाई दूर न होगी, क्योंकि उसमें धार्मिक कृत्यके अतिरिक्त पंजीयनकी बात भी आती है। भारतमें विवाह दर्ज करानेकी प्रथा नहीं। मेरे कलके तारमें उल्लिखित ट्रान्सवाल-सम्बन्धी खण्डके आधारपर संशोधन करनेसे समस्या हल होगी। भारतमें वैध माने गये विवाह जहाँतक एक पत्नीका सम्बन्ध है यहाँ भी वैध माने जायें। यह सच है दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंका जिक्र नहीं किया गया था। क्योंकि मेरी निगाह केप कानूनकी विशेष धाराकी ओर नहीं गई, किन्तु समझौता मेरे २२ अप्रैल १९११ के पत्रपर^२ और उसी तारीखके जनरल स्मट्सके

१. यह तार ७-६-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें, प्रकाशित हुआ था और उसमें इसकी तारीख २८ मई बताई गई है। ऐसा सम्भव है कि गांधीजीने तारका मसविदा मई २७को तैयार किया हो, लेकिन उसे भेजा अगले दिन, यानी मई २८ को हो।

२. देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ३९-४१।

उत्तरपर आधारित है और मेरे उस पत्रमें वर्तमान अधिकारोंको कायम रखनेका विशेष रूपसे उल्लेख है। यह समाज वर्तमान अधिकारोंको त्यागनेकी कल्पना कभी नहीं कर सकता। मुझे डर है कि बहसमें जो सदस्य बोले वे भ्रमवश ऐसा मान रहे थे कि दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंको केपमें दाखिल करनेकी कोई नई कोशिश हो रही है। नेटालमें जन्मे भारतीयोंकी केपमें जानेकी कोई बड़ी इच्छा कभी नहीं रही। लेकिन उन्हें वर्षोंसे प्राप्त अधिकारसे वंचित किया जाये, यह अकल्पनीय है। इस मामलेकी चर्चा माननीय गोखलेने खास तौरसे की थी। समझौतेका सार जाति-भेद हटानेके अलावा वर्तमान अधिकार कायम रखना है। फ्री स्टेटके सम्बन्धमें हमारी माँग है कि प्रवासके विषयमें भारतीयोंके विरुद्ध कोई कानूनी जातीय भेदभाव न हो। इसलिए शिक्षित प्रवासियोंके लिए फ्री स्टेट कानूनके खण्ड आठ परिच्छेद तैतीसके अन्तर्गत ज्ञापन देना जरूरी नहीं होना चाहिए। यह मुद्दा पिछले सालके पत्र-व्यवहारमें स्पष्ट कर दिया गया था। विधेयकका संशोधित रूप देखे बिना कहना असम्भव है कि दूसरे मुद्दे संतोषजनक रूपसे तय किये गये हैं या नहीं। यदि विधेयकपर सीनेटमें विचार देरसे हो और मन्त्री बातचीतकी सुविधा और समझौतेकी दृष्टिसे वहाँ मेरी उपस्थिति चाहें तो मैं वहाँ प्रसन्नतापूर्वक आऊँगा और उनसे मिलूँगा। कृपया मन्त्री महोदयको विश्वास दिलायें। मेरी हार्दिक इच्छा है कि अपने देशवासियोंकी प्रतिष्ठाके अनुकूल कोई स्थायी हल निकालनेमें सरकारकी सहायता करूँ।^१

गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९५) की फोटो-नकलसे।

६५. तार : मॉरिस अलेक्जेंडरको

[फीनिक्स]

मई २९, १९१३

ऐडवोकेट अलेक्जेंडर

संसद-भवन

केप टाउन

तारके^२ लिए धन्यवाद सिनेटर श्राइनरको तार^१ दे रहा हूँ। भारतमें विवाहका पंजीयन अनावश्यक, क्योंकि भारतीय विवाह बड़ी निष्ठा और

१. इस तारके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ५ (१)।

२. मई २८ के अपने तारमें अलेक्जेंडरने लिखा था: “आपका तार मिला। सिनेटर श्राइनरसे सलाह की है। आप तारसे उन्हें सूचित करें कि अवांछनीय स्त्रियोंके प्रवेशको रोकनेका पंजीयनकी जगह आप क्या उपाय रखेंगे। भारत सरकारको प्रार्थनापत्र भेजकर पंजीयनकी व्यवस्था करानेका अनुरोध क्यों नहीं किया जा सकता।”

३. देखिए अगला शीर्षक।

विस्तृत विधि-विधानोंके साथ होते हैं। इतना अरसा हो गया दक्षिण आफ्रिकामें एक भी अवांछनीय भारतीय स्त्रीके आनेका उदाहरण नहीं मिला है।

गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०२) की फोटो-नकलसे।

६६. तार : सिनेटर श्राइनरको

[फीनिक्स]

मई २९, १९१३

सिनेटर श्राइनर

संसद-भवन

केप टाउन

अलेक्जेंडर कहते हैं कि विवाह-पंजीयनके अभावमें अवांछनीय स्त्रियोंका प्रवेश रोकनेका अपना हल मैं तारसे सूचित करूँ। मेरे खयालसे भारतमें विवाहोंका दर्ज कराना अनावश्यक है क्योंकि भारतीय विवाह बड़ी निष्ठा और विस्तृत विधि-विधानोंके साथ होते हैं। इसके अलावा अवांछनीय भारतीय स्त्रियोंके प्रवेशका खतरा बहुत कम है। इस लम्बे अरसेमें दक्षिण आफ्रिकामें एक भी ऐसी भारतीय स्त्रीके आनेका उदाहरण नहीं है यद्यपि सर्लके फैसलेसे पहले भारतीय स्त्रियाँ पतिके मौखिक बयानके बलपर बेरोकटोक प्रविष्ट होती थीं। वतमान सशाघन भारतीय पत्नियोंकी रक्षाकी दृष्टिसे बिलकुल निकम्मा है।

गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०३) की फोटो-नकल से।

६७. तार : सिनेटर श्राइनरको

फीनिक्स

मई ३०, [१९१३]

सिनेटर श्राइनर

केप टाउन

तारके लिए धन्यवाद। इससे पहले इसलिए नहीं लिखा कि जबतक बिलकुल मजबूर न हो जाऊँ आपको परेशान करनेसे झिझकता था। जनरल स्मट्सके और मेरे बीचका २२ अप्रैल १९११ का पत्र-व्यवहार उस अस्थायी समझौतेका आधार था जो २९ अप्रैल १९११ के 'इंडियन ओपिनियन' में छपा है। आपको प्रतिलिपि भेजनेके लिए सम्बन्धित

पक्षको तार दे रहा हूँ। यह शायद केप टाइम्समें प्राप्य है। गृह-मन्त्रालयके पास पूरा पत्र-व्यवहार है। साम्राज्य सरकारकी ब्ल्यू बुक संख्या सी० डी० ५५७९ तारीख—मार्च १९११, विशेष रूपसे पृष्ठ सत्रह, भी देखें जिसमें श्री हरकोर्टका दिया हुआ यह तार है कि ऐसा कोई भी हल जिससे केप कालोनी और नेटालमें भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिको हानि पहुँचे या वह कमजोर हो महामहिमकी सरकारको स्वीकार नहीं होगा। श्री फिशरने मुझे तार दिया है जिसमें एक गैरमुमकिन बात कही है कि दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंको केपमें मौजूदा केप अधिनियमके अन्तर्गत बिना परीक्षा दिये प्रवेशके वर्तमान अधिकारसे वंचित कर दिया जायेगा। विवाह काजी और अन्य पुरोहितोंके द्वारा सम्पन्न होते हैं—यह पर्याप्त रजिस्ट्रेशन है और विभिन्न जातियोंके मुखियोंके प्रमाणपत्र सदैव प्रस्तुत किये जा सकते हैं। भारतके मजिस्ट्रेटोंको जैसे प्रमाणपत्र आप बताते हैं वैसे प्रमाणपत्र देनेका अधिकार नहीं है और न वे इसके लिए बाध्य हैं। एक ताजे मामलेमें बम्बईके एक मजिस्ट्रेटने उक्त कारणोंसे ऐसे प्रमाणपत्र देनेमें असमर्थता बताई। संशोधनमें ऐसी ही साक्षी आवश्यक हो जो विवाहके देशमें उपलब्ध और मान्य हो। ट्रान्सवालके १८७१ के कानूनकी विवाह-सम्बन्धी धारा ऐसी है जिसका उल्लेख मैंने पहले तारमें किया है।^१

गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०६) की फोटो-नकलसे।

६८. तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स]

मई ३०, १९१३

गृह-मन्त्री
केप टाउन

मैं मन्त्री महोदयको विस्तृत उत्तरके लिए धन्यवाद देनेके साथ-साथ सादर यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि अभीतक स्वीकृत संशोधनोंसे मुख्य प्रश्न तय नहीं होते। मुझे विश्वास है कि विवाह-सम्बन्धी संशोधन बिलकुल निकम्मा है क्योंकि उसमें विवाहोंका पंजीयन करानेकी कठिन शर्त आती है। इसलिए यदि सरकार पंजीयनवाली धाराको नहीं निकाल सकती तो संशोधनको वापस लेना ही ज्यादा ईमानदारीकी

१. देखिए “ तार : झास्तर और कैम्बेलको ”, पृष्ठ ८३-८४ ।



बात होगी। दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंके सम्बन्धमें कहूंगा कि यदि मूल मसविदेमें वर्तमान अधिकारोंकी रक्षा की गई होती तो केपमें कोई प्रश्न न उठता। निश्चय ही संघीय प्रवासी विधेयककी कोई सार्वजनिक माँग नहीं की गई थी। भारतीयोंकी कठिनाई ट्रान्सवाल प्रवासी विधेयकमें केवल संशोधन करके दूर की जा सकती थी। तब भारतीय केप, नेटाल और फ्री स्टेटके मुद्दोंको न उठाते जिन्हें अब संघ विधेयकपर विचार करते समय उठाना उनका कर्तव्य है। किन्तु यदि यूरोपीय जनता या सरकार चाहे कि जेल अथवा बदतर कष्टोंसे बचनेके लिए सत्याग्रही अपने भाइयोंके वर्तमान अधिकारोंको बेच दें तो वे ऐसा असम्मानजनक सौदा करनेसे इनकार कर देंगे। वर्तमान विधेयक साधारण विधेयक नहीं है जिसे संसद स्वतन्त्रतासे कानूनका रूप दे सके। यदि सरकार समझौतेकी शर्तोंका पालन करना चाहती है तो वह उन शर्तोंके अनुरूप कोई विधेयक ही प्रस्तुत कर सकती है और यदि संसद उसे मंजूर न करे तो मेरी विनीत सम्मतिमें वह इसे वापस लेनेके लिए नैतिक दृष्टिसे बँधी है। मैं विश्वास करता हूँ जिस स्पष्टतासे मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं उसके लिए मन्त्री महोदय मुझे क्षमा करेंगे।

गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें संशोधित हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०७) की फोटो-नकल से।

६९. पत्र : जमनादास गांधीको

बैशाख वदी १० [मई ३०, १९१३]^१

चि० जमनादास,^२

अपनी आशाके अनुसार मैं फिर तुम्हें पत्र नहीं लिख सका। इतना ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। तुम्हारे दो पत्र आ चुके हैं, इसलिए लिख रहा हूँ। ज्यादा तो फिर भी नहीं लिख सकूंगा।

तुम्हारे पत्रमें मैंने कोई कठोर शब्द नहीं देखे।

यहाँसे मगनलाल या और कोई नहीं आ सकते। अतः मेरी समझमें नहीं आता कि तुम लड़ाईमें कैसे शामिल हो सकते हो। इस विषयमें अधिक समाचार तुम्हें

१. देखिए परिशिष्ट ५ (१)।

२. मालूम पड़ता है कि यह पत्र जमनादास गांधीके दक्षिण आफ्रिकासे, दिसम्बर १९१२ में, भारत रवाना हो चुकनेके बाद लिखा गया था।

३. गांधीजीके चचेरे भाई खुशालचन्द गांधीके पुत्र।

छगनलाल या मगनलाल देंगे। तुम साथ रहो, ऐसा मैं चाहता तो हूँ। लेकिन हमेशा हमारा मनचाहा कैसे हो सकता है?

तुम्हारे पत्रका सवालवाला हिस्सा क्रमके अनुसार अंकित करके वापस भेजता रहा हूँ। इससे मुझे कुछ कम लिखना पड़ेगा और तुम [मेरे उत्तर] ठीक-ठीक समझ सकोगे।

१. [यदि ईश्वरका अस्तित्व नहीं है तो फिर मोक्षका क्या मतलब?]

यह कहना मोक्षका आशय न समझनेके बराबर है। हम मोक्षका पूरा अर्थ नहीं समझ सकते। उसका तो अनुभव ही करना होगा। उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वर्णन करनेके लिए हमारे पास योग्य इन्द्रिय नहीं हैं। जितना अर्थ समझा जा सकता है वह है, अनेक प्रकारके देहोंमें जन्म और उससे उत्पन्न होनेवाले क्लेशोंसे छुटकारा। फिर भी यह कहनेकी जरूरत नहीं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वरका अर्थ हम अपनी ज्ञानकी सीमाके अनुसार करते हैं।

ईश्वर न तो फल देनेवाला है और न वह कर्ता है। किन्तु यदि देहधारी आत्माओंके मुक्त होनेके बाद किसी एक ही आत्माकी कल्पना की जा सकती हो तो वह ईश्वर है। और वह जड़ वस्तु नहीं है बल्कि शुद्ध चेतन है। अद्वैतवादियोंकी भी यही मान्यता है। राजा-जैसे किसी सत्ताधारी ईश्वरकी कल्पना किसी भी कालमें और किसी भी स्थितिमें आवश्यक मालूम नहीं होती। उसकी आवश्यकता मानकर हम आत्माकी अनन्त शक्तकी सीमा बाँधते हैं।

२. दूसरे शास्त्रोंका जैसा और जितना अनर्थ किया गया है वैसा ही और उतना ही बाइबलका भी किया गया है और किया जा रहा है। टॉल्स्टॉयपर दोष लगानेवाले अज्ञान हैं। मैरी कॉरेलीका क्या हुआ था, उसके बारेमें मुझे कोई जानकारी नहीं है। किन्तु उसे जादूगरनी कहना अज्ञानमात्र है।

३. [मैंने न गायको कभी मारा है न मारूँगा। फिर भी अगर कोई गाय मुझे मारने दौड़े और सो भी तब जब मैं उसके रास्तेमें भी नहीं हूँ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? और उसके मुझपर इस हमलेका सबब भी क्या हो सकता है?]

गायके हमें मारने आनेका कारण यह है कि हम गायसे और इसी प्रकार अन्य जीवोंसे डरते हैं। इसलिए इसमें दोष हमारा ही है। भयमात्र दोष है और जबतक यह दोष हममें है तबतक ऐसी व्याधियोंसे हम बच नहीं सकते। जबतक हम गायसे डरते हैं तबतक उचित यही होगा कि हम उसके रास्तेमें न आयें और यदि अनायास आ जायें तो हमें उसका आक्रमण सह लेना चाहिए। गायको मारकर हम उसका या अपना उपकार नहीं कर सकते।

४. [यह कैसे कहा जा सकता है कि निर्भय वृत्तिसे गुफामें निवास करनेवाले साधु पुरुषको बाघ मार नहीं डालेगा?]

प्रसंग आ जानेपर निर्भयतापूर्वक बाघकी गुफामें रहनेवालेको बाघ कभी नहीं खायेगा। उसकी गुफामें रहनेका प्रसंग कैसे आ सकता है, उस बातपर विचार करना चाहिए।

१. प्रश्न महात्मा गांधीजीना पत्रो नामक पुस्तकसे दिये गये हैं।

२. (१८६४-१९२४) प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका।

५. यूरोपमें प्रचलित विवाहकी पद्धतिको मैं पसन्द ही नहीं करता। जब लड़का विवाह योग्य हो जाये तब लड़की चुननेका काम माँ-बापको ही करना चाहिए। इसीमें बुद्धिमानी है। और यह बात पच्चीस वर्ष या उससे भी ज्यादा बड़ी उम्रके लड़कोंपर भी लागू होती है। बेशक माँ-बापको लड़केके साथ सलाह तो करनी ही चाहिए।

६. [क्या “अश्वत्थामा मारा गया” कहकर धर्मराजने पाप नहीं किया? भगवान् कृष्णने उन्हें ऐसा कहनेकी सलाह क्यों दी?]

इससे मैं इतना ही सार निकालता हूँ कि धर्मराज-जैसे लोगोंसे भी भूल हो जाती है। अतः हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। यदि हम ऐसा मानें कि स्थूल रूपधारी श्री कृष्णने स्थूल रूपधारी युधिष्ठिरको ऐसी सलाह दी तो श्री कृष्णकी अपूर्णता माननेमें कोई हानि नहीं है। किन्तु यदि हम श्री कृष्णको परमात्मा-रूप मानें तो हमें इस सारी कहानीका कुछ आन्तरिक अर्थ करना होगा। यह अर्थ हरएक व्यक्ति नीति-धर्मकी अपनी-अपनी कल्पनाके अनुसार निकालेगा। शास्त्रोंको सर्वथा सम्पूर्ण माननेकी जरूरत नहीं। यदि हम नीतिके अखण्ड नियम समझ लें और शास्त्रोंका अर्थ तथा उनका उपयोग इन नियमोंको ध्यानमें रखकर करें तो फिर भूल होनेकी सम्भावना नहीं रहती।

७. [क्या यह आवश्यक है कि सारी दुनियाके लिए एक ही धर्म हो?]

सारी दुनियाके लिए कोई एक ही धर्म न तो कभी हो सकता है और न उसकी आवश्यकता है — मुझे तो ऐसा ही लगता है।

८. ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी प्रकारकी सात्विक खुराक हर स्थितिमें ली जा सकती है। जो खुराक मजदूरके लिए सात्विक है, वह क्षयके रोगीके लिए भी सात्विक होगी, ऐसा नहीं माना जा सकता।

मुझे अधिक समय नहीं है, किन्तु तुम्हारे एक पत्रका उत्तर पूरा हो गया। कुमारी श्लेसिनको लिखे अपने पत्रमें तुमने व्याकरणकी बहुत-सी गलतियाँ की हैं। मैंने छगनलालको उसकी नकल रखनेके लिए कहा था। यदि छगनलालने नकल रखी है तो मैं उसे सुधार कर वापिस भेजूंगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४६) से।

सौजन्य : नारणदास गांधी

७०. सम्भावना

अब श्री फिशरके विधेयकके अन्तर्गत हमारे देशवासियोंकी ठीक क्या स्थिति होगी — इसे निश्चित रूपमें बता सकना कठिन है। यह तो मानना ही होगा कि कुछ संशोधन (हम उन्हें रियायत कहनेसे इनकार करते हैं) निःसन्देह ठीक दिशामें किये गये हैं। किन्तु यदि सत्याग्रहको पुनः जारी नहीं होने देना है, और यदि १९११ के अस्थायी समझौतेकी शर्तोंका पालन करना है, तो अभी बहुत-कुछ और किया जाना चाहिए। वर्तमान अधिकारोंमें से एकका भी त्याग नहीं किया जा सकता। सत्याग्रही दूसरोंके अधिकारोंको बेचकर शान्ति और जेलसे बचनेका सौदा नहीं कर सकते — वे ऐसी हिम्मत ही नहीं कर सकते। इसपर भी, १९०६ के केप प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत, आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंको केपमें प्रवेश करनेका जो अधिकार आज प्राप्त है, उसे इस विधेयकके जरिये छीना जा रहा है। दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीय, यानी वस्तुतः नेटालमें जन्मे भारतीय, केप जानेके लिए तरस नहीं रहे हैं। इन तमाम वर्षोंमें उन्होंने ऐसी इच्छा शायद ही कभी जाहिर की हो। परन्तु इसके कारण वे केपमें प्रवेश कर सकनेका अपना अधिकार नहीं छोड़ सकते। सत्याग्रही ऐसे विधेयकका साथ भी नहीं दे सकते जो उन्हें ऐसे अधिकारसे वंचित करता है।

श्री फिशरने ऐडवोकेट श्री अलेक्जेंडर द्वारा प्रस्तुत विवाह-सम्बन्धी संशोधन स्वीकार कर लिया है, इससे तो हमें यही मानना चाहिए कि इस मुद्देपर उनकी इच्छा हमारी बात माननेकी है। पर श्री अलेक्जेंडरका दोष न होते हुए भी संशोधनमें एक घातक त्रुटि रह गई है। इसमें कहा गया है कि जिस जगह विवाह हुआ हो वहाँ उसका पुनः पंजीयन कराया जाये। श्री अलेक्जेंडर नहीं जानते कि भारतमें विवाहका पंजीयन करानेकी कोई प्रणाली नहीं है। इसलिए उसका पंजीयन प्रमाणपत्र पेश करना सम्भव नहीं है। इस असम्भव शर्तके कारण संशोधनका उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है।

अवांछनीय स्त्रियोंका प्रवेश रोकनेकी दृष्टिसे भी विवाहोंका पंजीयन जरूरी नहीं है। पहली बात तो यह है कि संशोधन सम्बन्धित पक्षोंपर अपने-अपने धर्मके अनुसार विवाह करनेकी शर्त लगाता है। भारतीय विवाह बड़े पवित्र ढंग और विस्तृत विधिसे सम्पन्न होते हैं तथा कई दिनों तक, और कई मामलोंमें तो महीनों तक चलते हैं। वस्तुतः यूरोपीय ईसाई विवाहोंमें विवाहके पूर्व उसकी जो घोषणा की जाती है, मामूली भारतीय विवाहोंमें भी उससे कहीं ज्यादा विज्ञप्ति और धूमधाम होती है और यह प्रचार तथा धूमधाम पंजीयनकी किसी भी प्रणालीसे कहीं अधिक कारगर व्यवस्था है। दूसरे, यह एक सुविदित तथ्य है कि पिछले तीससे भी अधिक वर्षोंसे लेकर अभी हाल तक भारतीय स्त्रियाँ केवल अपने पतियोंके जबानी वक्तव्यपर इस देशमें प्रवेश करती रही हैं; फिर भी इस अवधिमें किसी अवांछनीय भारतीय स्त्रीके यहाँ आनेका शायद ही कोई उदाहरण हो। इसलिए सिनेटमें विधेयकपर विचार होते समय पंजीयन-सम्बन्धी धाराको निकाल देनमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

और यदि विवाह-सम्बन्धी यह सवाल तय हो गया और वर्तमान अधिकारोंमें से किसीका अपहरण नहीं किया गया, तथा यदि फ्री स्टेट सम्बन्धी कठिनाई सन्तोषजनक रीतिसे हल हो गई, तो केवल दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंके वर्तमान अधिकारका एक सवाल बच रहेगा। हम यही आशा कर सकते हैं कि सिनेट इस मौकेपर जैसा अपेक्षित है वैसा कार्य करेगी; सरकार एक पवित्र समझौतेको पूरा करनेकी आवश्यकता समझेगी; और इस अधिकारको पुनः बहाल कर दिया जायेगा। पर यदि ऐसा न हुआ तो हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सत्याग्रही इस एक ही सवालके लिए लड़ेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-५-१९१३

७१. मुनियनका मामला'

इस मुकदमेके दौरान पेश हुई शहादत और वेरुलमके मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई गई निर्दयतापूर्ण सजाका विवरण हम इन स्तम्भोंमें पिछले पखवारे प्रकाशित कर चुके हैं। यह सर डेविड हंटरकी सहानुभूति ही है कि उन्होंने विधानसभामें इस मुकदमेको अपने प्रश्नका विषय बनाया। सर डेविडके अत्यन्त उचित सवालका श्री साँवरने रुखा, बेमुरीवत और दर्पपूर्ण जवाब दिया। सवाल और जवाब दोनों ही अन्यत्र दिये गये हैं। पाठकगण उन्हें पढ़कर स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं। हमारे सामने तो स्पष्ट है कि श्री साँवरने उक्त जवाब सिर्फ इसीलिए दिया कि इस मामलेका सम्बन्ध एक ऐसे गरीब, उपेक्षित भूतपूर्व गिरमिटियासे था जिसकी जातिका एक भी प्रतिनिधि विधानसभामें नहीं है, और जहाँ श्री साँवर और उनके सहयोगियोंकी ही बात चलती है। फिर, यह जाति ऐसे पूर्वग्रहका शिकार बनी हुई है, जिसके कारण कोई भी बिना किसी भयके उसको मनमाने ढंगसे अपमानित कर सकता है। यदि यह मामला किसी यूरोपीयका होता, तो श्री साँवर इतनी लापरवाहीके साथ जाँचको टालनेकी हिम्मत न करते, न वे मामलेके प्रति अपना अज्ञान व्यक्त कर उसमें गौरव अनुभव करते; और न यह कहते कि विधानसभाको, जो हर हालतमें राज्यके छोटेसे-छोटे प्रजाजनकी भी भलाईके लिए अन्तिम रूपसे उत्तरदायी है, मजिस्ट्रेटों द्वारा किये गये निर्णयोंकी आलोचना करनेका अधिकार नहीं है।

पर सच है कि विनाशके पूर्व दम्भ और पतनके पूर्व दर्प आ ही जाता है। इधर जब श्री साँवर अपना हृदयहीन उत्तर दे रहे थे, उधर न्यायमूर्ति हॉथॉर्नने मजिस्ट्रेटकी कार्रवाईपर पुनर्विचार शुरू कर दिया और उन्होंने उसे इतना अनियमित और गैर-कानूनी ठहराया कि मुनियनकी केवल सजा ही रद्द नहीं कर दी, उसे अपीलका

१. मुनियन नामक एक भारतीय महिलापर तीन-पौंडी करकी बकाया राशि अदा न करनेका आरोप लगाया गया था। बकाया राशि अदा कर देनेपर भी उसे न्यायालयकी अवमाननाके अभियोगपर १४ दिनोंके सपरिश्रम कारावासकी सजा दी गई थी।

खर्च भी दिलाया गया। अपने सामने पेश होनेवाले उन अभागे व्यक्तियोंके कल्याणकी अपेक्षा मजिस्ट्रेटको अपना आदेश मनवानेकी ही अधिक चिन्ता थी; उसने अपने प्रति-हिंसापूर्ण निर्णयका कारण बतलाते हुए कहा कि मुनियनको यह सजा दूसरोंको सबक देनेके लिए ही दी गई है ताकि हुक्मकी तामील की जाये। श्री साँवर अपने उलटे स्वभावके आगे लाचार हैं और हमारा ख्याल है कि वे अब भी मजिस्ट्रेटके निर्णयको सही बताते हुए जाँचके बारेमें अपनी टालमटोल करनेका समर्थन करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-५-१९१३

७२. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२२]

४. बुखार और इसका इलाज

हम मुख्य-मुख्य उपचारोंके सम्बन्धमें चर्चा कर चुके हैं; अतः अब हम कुछ रोगोंके सम्बन्धमें भी विचार कर सकते हैं और ऐसा करते हुए हम उन उपचारोंकी चर्चा भी कर सकेंगे जिनके लिए अलहदा प्रकरण लिखनेकी जरूरत नहीं है।

बुखार शब्दका प्रयोग हम शरीरमें उठनेवाली किसी भी उष्णताके लिए कर लेते हैं; परन्तु अंग्रेजी डॉक्टरोंने उसके अनेक भेद किये हैं और बड़े-बड़े पोथे लिखकर अनावश्यक विस्तार किया है। अपनी लौकिक रूढ़िके और इन प्रकरणोंमें जैसा बतलाया गया है उसके अनुसार प्रायः सब प्रकारके बुखारोंमें एक-सा ही इलाज काम कर सकता है। साधारण बुखारसे लेकर प्लेगकी गिल्टीके बुखार तक में मैंने एक ही इलाज किया है और मेरा खयाल है, उसके परिणाम भी ठीक ही उतरे हैं, सन् १९०४ में आफ्रिकामें भारतीय समाजके बीच महामारी फूट निकली।^१ उसमें तेईस लोगोंपर रोगका आक्रमण हुआ। केवल चौबीस ही घण्टेमें २१ व्यक्ति मर गये और केवल दोको प्लेगके अस्पताल तक पहुँचाया जा सका। इन दोमें से केवल एक ही जीवित रह सका और इसी मरीजपर मिट्टीके पुल्टिसका इलाज किया गया था। पर इतनेसे ही यह नहीं कहा जा सकता कि इस रोगीपर मिट्टीका ही असर हुआ। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मिट्टीसे उसे कोई हानि नहीं हुई। इन बीमारोंके फेफड़ोंमें सूजन आई और बुखार आया। ये बेहोशीकी स्थितिमें थे। इनमें से एककी छाती-पर मिट्टीकी पुल्टिस रखी गई थी। उसके कफमें खून आता था। अस्पतालमें ले जानेके बाद, डॉक्टरके बतलानेपर मुझे मालूम हुआ कि इस मरीजको पहले बहुत ही थोड़ी खुराक दी गई थी और सो भी केवल दूध।

बुखारकी उत्पत्ति प्रायः पेटकी खराबीसे ही होती है। अतः सबसे पहला उपाय तो एकदम उपवास करना ही होना चाहिए। कमजोर या ज्वराक्रांत मनुष्य कुछ न

१. देखिए खण्ड ४ पृष्ठ १६२-६७।

खाये तो अधिक निर्बल हो जाता है, यह तो निरा भ्रम है। खुराक तो उतनी ही उपयोगी है जितनी पचाई जा सके और उसका खून बन सके। बाकी तो पेटमें सीसेकी तरह पड़ी रहती है, यह हम पिछले प्रकरणोंमें देख ही चुके हैं। बुखारवाले रोगीकी जठराग्नि अत्यन्त मन्द पड़ जाती है। उसकी जीभ काली या कुछ सफेद हो जाती है। ओंठ सूखते रहते हैं। भला ऐसी स्थितिमें रोगी क्या पचा सकता है? उसे यदि खानेको दिया जाये तो अवश्य ही उसका बुखार बढ़ेगा और खाना एकदम बन्द कर दिया जाये तो उसके जठरको अपना कार्य करनेका मौका मिलेगा। अतः रोगीको एक या अधिक दिनोंका उपवास करवाना चाहिए। इसके बाद या इस बीच भी उसे क्यूनीके बाथ देने चाहिए। कमसे-कम दो बाथ तो उसे हर रोज लेने ही चाहिए। यदि बाथ लेनेकी शक्ति न हो तो उस स्थितिमें पेड़पर मिट्टीकी पट्टी रखनी चाहिए। सिर दर्द करता हो या बहुत गरम हो तो सिरपर भी मिट्टीकी पट्टी रखनी चाहिए। रोगीको कपड़े उढ़ाकर किन्तु भरसक खुली हवामें रखा जाये और जब उपवास समाप्त करनेका समय आये तो उसे गर्म या ठण्डा, सन्तरेका पानी देना चाहिए। सन्तरेको निचोड़कर उसका रस निकाला जाये, और उसे छानकर उसमें आवश्यकतानुसार उबलता हुआ या ठण्डा जल मिला लिया जाये। जहाँतक बन सके शक्कर न मिलाई जाये। सन्तरेके इस पेयका परिणाम बड़ा अच्छा होगा। यदि रोगीके दाँत खट्टे न पड़ जाते हों और वह ले सके तो उसे इसी प्रकार तैयार किया हुआ नीबूका जल देना चाहिए। फिर दूसरी बार वह एक या आधा, अच्छी तरह कुचला, केला ले सकता है। केलेको इस प्रकार कुचलकर उसमें एक चम्मच जैतूनका तेल और आधा या एक चम्मच नीबूका रस मिला दिया जाये। इन तीनोंको अच्छी तरह मिलाकर रोगीको दिया जाये। प्यास लगनेपर उसे उबालकर ठण्डा किया हुआ पानी या नीबूका जल पीनेको दिया जाये। उबाले बिना तो पानी दिया ही न जाये। यदि ठण्डा पानी दिया जाये तो वह भी उबालकर ठण्डा किया हुआ होना चाहिए। स्वच्छ जल प्राप्त करनेका उपाय अगले प्रकरणोंमें बताया गया है, उसे देख लिया जाये। रोगीको कपड़े बहुत कम पहनाये जायें और उन्हें सदैव बदला जाये। यदि रोगी ठीक प्रकारसे ओढ़े हुए हो तो अधिक कपड़े पहननेकी आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकारके उपचारसे टाइफाइड-जैसे सख्त बुखारवाले रोगी भी पूर्ण रूपसे स्वस्थ हो चुके हैं। इतना ही नहीं वे आज भी बड़ी अच्छी तन्दुरुस्तीमें हैं। कुनैनसे लोग रोग-मुक्त तो हो जाते हैं परन्तु वे दूसरे रोगोंसे पीड़ित हो जाते हैं। विशेष रूपसे 'मलेरिया ज्वर' वाले रोगी कुनैनसे ठीक होते हैं, ऐसा माना जाता है; परन्तु मलेरिया उनका पिण्ड सदाके लिए शायद ही छोड़ता है। जो ऊपर लिखे अनुसार प्राकृतिक उपचार करते हैं, ऐसे मलेरियाके रोगियोंको मैंने पूर्ण रूपसे स्वस्थ हुआ देखा है।

बुखारके दिनोंमें बहुत लोग दूधपर रहते हैं, पर मेरा अनुभव बताता है कि बुखारकी शुरुआतमें दूध लेना हानिकारक है। उसे पचाना भी भारी पड़ता है। यदि दूध देना ही पड़े तो गेहूँकी काफीके साथ या थोड़े-से चावलके आटेके पानीके साथ उबाल कर दिया जाये, यह समुचित जान पड़ता है। किन्तु अत्यन्त उग्र या सख्त बुखारमें तो इस प्रकार भी दूध नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे समयमें तो नीबूका

पानी ही चमत्कारिक वस्तु साबित हुआ है। और जब रोगीकी जीभ साफ हो जाये तो उसे केलेकी खुराक दी जाये। केला भी ऊपर बताई गई पद्धतिसे तैयार करके दिया जाय। रोगीको यदि दस्त न हो तो जुलाब देनेकी अपेक्षा थोड़ा सुहागा डालकर गरम जलका एनिमा दे दिया जाये, जिससे पेट साफ होगा और इसके बाद जैतूनका तेल-मिश्रित खुराक पेटको साफ बनाये रखेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-५-१९१३

७३. वक्तव्य : प्रवासी विधेयकके सम्बन्धमें^१

[डबन

जून २, १९१३]

यदि इस विधेयकका कई महत्त्वपूर्ण बातोंमें संशोधन नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि सत्याग्रहका पुनः आरम्भ किया जाना अनिवार्य हो जायेगा। सन् १९११ के अस्थायी समझौतेमें दो मुख्य शर्तें हैं, जिन्हें सरकारको पूरा करना है। एक तो यह कि भारतीयोंकी माँगें पूरी करनेके उद्देश्यसे जो भी नया कानून बनाया जाये उसमें भारतीयोंके वर्तमान अधिकार ज्योंके-त्यों कायम रखे जायें, और दूसरा यह कि, अवयस्कोंके अधिकारोंसे सम्बन्धित अंशको छोड़कर, १९०७ का ट्रान्सवाल अधिनियम सं० २ रद्द कर दिया जाये, तथा इस प्रकारके किसी कानूनमें कोई प्रजातिगत भेदभाव न रखा जाये। विधेयकके संशोधित रूपसे भी ये दोनों शर्तें टूटती हैं। साम्राज्य सरकारने ७ अक्टूबर, १९१० को भेजे अपने खरीतेमें जो घोषणा की थी, उससे भी हमारे इस दावेकी पुष्टि होती है कि वर्तमान अधिकारोंको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। खरीतेमें यह बात अलगसे कही गई है कि सम्राट्की सरकार (ट्रान्सवालके विवादका) ऐसा कोई हल स्वीकार न करेगी जिससे केप कालोनी और नेटालमें रहनेवाले भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिपर कोई आँच आती हो या जिसके कारण वह किसी प्रकारसे कमजोर होती हो। और श्री हरकोर्टने अपने १५ फरवरी, १९११ के तारमें उस सालके प्रवासी विधेयककी चर्चा करते हुए इस बातपर फिर जोर दिया था। निम्न तथ्योंपर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान अधिकारोंको खतरा पैदा हो गया है :

वर्तमान केप प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंको केपमें प्रवेशका निर्बाध अधिकार प्राप्त है। अब यह अधिकार छीना जा रहा है।

१. केप टाउनसे गवर्नर-जनरल लॉर्ड ब्लैडस्टनने इस वक्तव्यकी नकल ४ जून, १९१३ को उपनिवेश-मन्त्रीको भेज दी थी। यह ३ जून, १९१३ के केप टाइम्स और नेटाल मर्क्युरीकी सम्पादकीय टिप्पणियोंके साथ ७ जून, १९१३ के इंडियन ओपिनियनमें भी छपा गया था।

यदि इस विधेयकमें समुचित संशोधन नहीं किया गया तो अधिकारका इस तरह छीना जाना एक बहुत गम्भीर शिकायतकी बात बन जायेगा और यदि सत्याग्रही जेलके कष्ट या किसी अन्य सम्भाव्य दण्डसे बचनेके लिए यह सौदा मंजूर कर लेंगे तो वे अपनी सारी इज्जत खो देंगे। मैं नहीं जानता कि विधेयकके संशोधित रूपमें अन्य कौन-कौनसे घातक दोष हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, सम्भव है, अधिवास और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालयमें अपीलके अधिकारका प्रश्न भी अत्यन्त असन्तोषजनक स्थितिमें छोड़ दिया गया हो।

मेरे विचारमें श्री अलेक्जेंडरने जो विवाह-संशोधन प्रस्तुत किया—और जिसे मन्त्री महोदयने स्वीकार कर लिया वह उस उद्देश्यको ही विफल कर देता है जिसके लिए श्री अलेक्जेंडरने उसे लोक-सेवाकी भावनासे प्रेरित होकर प्रस्तुत किया था। उसमें एक असम्भव शर्त पूरी करने, अर्थात् विवाह जहाँ सम्पन्न हो उसी स्थानपर उसका पंजीयन करानेकी बात है। इसके अतिरिक्त विवाहमें धार्मिक रीतियोंके समुचित निर्वाहका प्रमाण देना भी उसमें आवश्यक होगा। किन्तु भारतमें विवाहोंको सरकारी तौरपर दर्ज करानेकी प्रथा ही नहीं है। तथ्य तो यह है कि अभी हालमें भारतसे आये हुए एक व्यक्तिने बम्बईमें एक मजिस्ट्रेटसे विवाहका प्रमाणपत्र मांगा था। किन्तु मजिस्ट्रेटने यह कहकर प्रमाणपत्र देनेसे इनकार कर दिया कि कानूनन उसे ऐसा करनेका अधिकार नहीं है। यह विधान किसी उद्देश्यसे आवश्यक भी नहीं है। धार्मिक विधि ऐसे कर्मकांडी रीति-रिवाजों और धूम-धड़ाकेके साथ सम्पन्न की जाती है कि गुप्त सम्बन्धोंसे बचनेका उससे कोई अच्छा उपाय सम्भव ही नहीं है। और अन्तमें, सरकार विवाह-सम्बन्धी प्रश्नपर जितनी कड़ाई बरतती रही है, पिछले अनुभवको देखते हुए उसकी कोई जरूरत नहीं है। दक्षिण आफ्रिकाके अपने गत २० वर्षोंके अनुभवसे जहाँतक मैं जानता हूँ, अवांछनीय वर्गकी एक भी भारतीय स्त्रीने प्रवासी कानूनके अन्तर्गत प्रवेश नहीं किया है।

जान पड़ता है, सरकारने समझौतेकी दूसरी शर्त भी तोड़ दी है, क्योंकि उन भारतीय प्रवासियोंको, जिन्हें सम्भवतः फ्री स्टेटमें प्रवेश दिया जा सकता है, एक ऐसा हलफनामा देना होगा जो किसी यूरोपीय प्रवासीको नहीं देना पड़ता। यह हलफनामा अत्यन्त आपत्तिजनक और अत्यन्त क्षोभजनक होगा, क्योंकि उस प्रान्तमें प्रवेश करनेका अधिकार केवल शिक्षित भारतीयोंको होगा और यह उनके लिए बिल्कुल अनावश्यक है। यह वास्तवमें सिर्फ इस आशयका एक बयान है कि हलफ लेनेवाला व्यक्ति न जायदाद खरीदेगा, न व्यापार करेगा और न खेती। ये नियोग्यताएँ तो उसपर लगी ही हुई हैं, फिर वह ऐसा हलफनामा दे या न दे। स्मरण होगा कि फ्री स्टेटकी कठिनाई ही पहले दोनों अवसरोंपर स्थायी समझौतेके मार्गमें बाधा बनी थी।^१ यदि श्री फिशर इसे महत्त्वहीन बतलाकर और इसकी उपेक्षा करके विवादका हल करना चाहते हों तो यह नहीं हो सकता। आशा तो यही की जा सकती है कि सिनेट निगरानी रखनेवाली सभाके रूपमें और प्रतिनिधित्वहीन हितोंके संरक्षककी हैसियतसे इस

१. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४९९-५०५ और खण्ड ११।

विधेयकमें ऐसे संशोधन करनेपर जोर देकर अपने कर्तव्यको पूरा करेगा जिनसे अस्थायी समझौतेका, भाषा और भाव, दोनों दृष्टियोंसे पूर्ण पालन हो सके।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मकर्युरी, ३-६-१९१३

७४. तार : गृह-मन्त्रीको

[डर्बन

जून ५, १९१३ के बाद]

गृह-मन्त्री और अनेक संसद-सदस्य

मैं देखता हूँ कि ३-पौंडी कर सिर्फ भारतीय औरतोंपर से हटाया जा रहा है; मैं समझता हूँ कि फिलहाल उसे पुरुषोंपर से हटानेका कोई इरादा नहीं है। इससे उन हजारों भारतीयोंको बहुत बड़ा सदमा पहुँचेगा जिन्हें श्री गोखलेके आगमन-कालमें विश्वास दिलाया गया था कि उक्त कर सभी स्त्री-पुरुषोंपर से हटा लिया जायेगा।^१ नेटालके सर्वाधिक जिम्मेदार लोगोंने श्री गोखलेसे भेंट की थी। मेरी जानकारीमें उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसने करके पक्षमें बात की हो अथवा इसके हटानेपर आपत्ति की हो। मैं आशा करता हूँ कि अब भी सरकार और संसद इस करको पूरी तरह हटानेकी आवश्यकताको समझेगी और जो न्याय कब-का मिल चुकना था मिलेगा।

मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८०९) की फोटो-नकलसे।

७५. विधेयक

अन्यत्र प्रकाशित श्री फिशर और श्री गांधीके बीच हुए पत्र-व्यवहारसे^१ स्पष्ट हो जायेगा कि श्री फिशर हमें लगभग उन सभी अधिकारोंसे वंचित करनेका पूरा इरादा कर चुके थे, जिनका उपभोग विभिन्न प्रान्तोंके वर्तमान प्रवासी कानूनोंके अन्तर्गत हम करते आ रहे हैं। सिर्फ एक अधिकार हमारे लिए छोड़ा जानेवाला था और वह यह था कि जो लोग विभिन्न प्रान्तोंमें इस समय सशरीर निवास कर रहे हैं वे अपने-अपने प्रान्तोंकी सीमाके अन्दर बने रह सकते हैं। लेकिन इसमें भी अपना प्रान्त

१. श्री गोखले नवम्बर, १९१२ में दक्षिण आफ्रिका आये थे। बात उसी समय की है। और जब बादमें तीन-पौंडी करको मंखू कर देनेवाले कानूनपर चर्चा हो रही थी तब मंखूकी महिलाओं तक सीमित रखनेकी कोई बात नहीं थी।

२. देखिए गृह-मन्त्री और गृह-सचिवको भेजे गये पत्र और तार, पृष्ठ १-२, ७-८, २६-२९, ८२-८३, ८४-८६, ८७-८८।

छोड़नेपर पुनः-प्रवेशकी गुंजाइश बहुत ही कम थी। परन्तु यूनियनिस्ट दलके सदस्योंके दृढ़ विरोध तथा सत्याग्रहके भयके कारण विधेयकमें कुछ मामूली संशोधन कर दिये गये हैं। कितना अच्छा होता कि यूनियनिस्ट सदस्य अपनी दृढ़ता अन्त तक कायम रखते ! लेकिन श्री फिशर यह कहकर उन्हें बहकानेमें सफल हो गये कि साम्राज्य-सरकार विधेयकको पहले ही स्वीकार कर चुकी है। किन्तु पत्र-व्यवहारसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संशोधनोंके बावजूद, यह विधेयक भारतीय सवालका कोई हल पेश नहीं करता और साथ ही इसमें बहुत सारी बातोंकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। यदि इन्हें तय न किया गया तो निश्चित ही फिर सत्याग्रह आरम्भ हो जायेगा। यदि श्री फिशर सोचते हैं कि हम अपने निहित अधिकारोंके अपहरणके बावजूद उनका विधेयक स्वीकार कर लेंगे तो इसका यह मतलब हुआ कि वे निश्चय ही भारतीय समाजको निरा मूर्ख समझते हैं। उनकी यह धमकी कि यदि हम इस विधेयकको स्वीकार नहीं करते, तो वे वैवाहिक संशोधन वापस ले लेंगे, एक जिम्मेदार मन्त्रीके सर्वथा अयोग्य है। या तो संशोधन किसी दोषको दूर करनेके लिए लाया गया है, और या फिर वह निकम्मा है। अगर वह दोष दूर करनेके इरादेसे लाया गया हो, तो संशोधनकी आवश्यकता-पर हमारे समाजके रुखसे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। किन्तु सच तो यही है कि संशोधन सर्वथा निरर्थक है। एक प्रभावहीन संशोधन द्वारा हमें भ्रममें डालकर यह विश्वास दिलानेकी कोशिश करना कि हमारी इच्छाओंका सम्मान किया जा रहा है, बेईमानी है। ज्यादा ईमानदारीकी बात यह होती कि हमसे साफ-साफ कह दिया जाता कि हमारे विवाहोंको मान्य नहीं किया जायेगा। फिर, यह वैवाहिक कठिनाई तो विधेयकके अनेक दोषोंमें से केवल एक है और जबतक सिनेट साहसपूर्ण उपायोंका अवलम्बन करनेको तैयार न हो, तबतक कथित रूपसे सत्याग्रहियोंको सन्तुष्ट करनेके लिए बनाया गया यह विधेयक तो केवल उन्हें फिर लड़ाई शुरू करनेपर मजबूर करेगा— फिर उसकी चाहे जो कीमत क्यों न चुकानी पड़े।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३

७६. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२३]

५. कब्ज, संग्रहणी, आँव और बवासीर

इस प्रकरणमें चार रोग साथ ही लिये गये हैं। साधारण तौरसे इस बातपर आश्चर्य होगा। किन्तु इन चारों रोगोंमें परस्पर निकटका सम्बन्ध है और हमारा उपचार, जिसमें औषधिका उपयोग नहीं किया जाता, इन चारोंके लिए प्रायः एक-सा ही है। जठरपर जब अधिक बोझ डाल दिया जाता है तो कड़ियोंको अपनी-अपनी तासीरके मुताबिक कब्ज हो जाता है यानी पाखाना नियमित रूपसे या बराबर नहीं होता और आता भी है तो अत्यन्त काँखना पड़ता है। यह स्थिति यदि अधिक समय तक चलती रही तो खून आने लगता है। इसमें कभी आँव आने लगता है और कभी

बवासीर हो जाती है। किसी-किसीको दस्त भी होने लगता है। यदि दस्त बहुत और बार-बार तथा थोड़े परिमाणमें हो तो इसे संग्रहणी कहा जाता है। किसी-किसीको मरोड़ होने लगता है और रक्त गिरने लगता है तथा पेटमें दर्द रहता है।

इनमें से कोई भी रोग हो, रोगीकी भूख कम हो जाती है। शरीर निस्तेज हो जाता है। ताकत नहीं रहती, श्वासमें बदबू आने लगती है, जीभ खराब रहती है। कड़ियोंका सिर दर्द करने करता है और कड़ियोंको अन्य दर्द भी उठ जाते हैं। कब्ज एक ऐसा सामान्य रोग है कि इसके लिए अनेक दवाएँ और फँकियाँ बनी हैं। मदर सीगल्स सिरप, फ्रूट सॉल्ट आदि दवाओंका मुख्य कार्य ही कब्जको दूर करना है। और चूँकि इनसे कब्ज दूर होता प्रतीत होता है, अतः लोग ऐसी दवाओंके पीछे भागते रहते हैं। साधारण हकीम या डॉक्टर भी यही कहेगा कि कब्ज आदि रोगोंका मूल कारण बदहजमी है और वह यह भी बतलायेगा कि यदि बदहजमीके कारणोंको दूर किया जाये तो रोग शान्त हो जायेगा। इन लोगोंमें जो लोग ईमानदार हैं वे साफ यही कहेंगे कि हमारे मरीज अपनी बुरी आदतोंको छोड़ना नहीं चाहते और रोगको दूर करना चाहते हैं, इसीलिए हमें ये फँकियाँ, चूर्ण और काढ़े आदि देने पड़ते हैं। आजकल जो विज्ञापन निकलते हैं उनमें तो यह भी ऐलान किया जाता है कि हमारी दवा खानेवालेको खुराकमें या अपनी आदतोंमें किसी प्रकारकी तब्दीली करनेकी आवश्यकता नहीं होगी। केवल हमारी दवाके सेवनसे ही वे स्वस्थ हो जायेंगे। पर इन प्रकरणोंके पाठककी समझमें इतना तो आ ही गया होगा कि इस प्रकारके विज्ञापन धोखेधड़ीसे भरे होते हैं। जुलाब आदिका परिणाम तो सदैव बुरा ही होता है। हल्केसे-हल्का जुलाब भी कब्जको भले ही दूर करे, शरीरमें दूसरे ज़हर उत्पन्न करता है। मनुष्य यदि अपनी कुटेवोंको जारी ही रखे तो उसे कब्ज, संग्रहणी आदि रोग न रहा हो तो कोई-न-कोई नया रोग अवश्य हो जायेगा।

अब हम ऊपर लिखे रोगोंके इलाजकी बात करें। पहला उपाय तो यह है कि इन सभी रोगोंके रोगीको अपनी खुराक घटानी चाहिए। उसे बहुत भारी खुराक यानी ज्यादा घी, शकर या उबाले हुए गाढ़े दूध आदिके पकवान नहीं लेने चाहिए। यदि उसे बीड़ी, शराब, भांग आदिके व्यसन हों तो उन्हें छोड़ना ही चाहिए। मैदेकी रोटी खानेकी आदत हो तो उसे छोड़ दे। चाय, काफी और कोको भी छोड़ दे। खुराकमें ताजा मेवा प्रधान रूपसे लेना चाहिए और उसके साथ शुद्ध जैतूनके तेलका सेवन करना चाहिए।

उपचारके प्रारम्भमें ही छत्तीस घंटेका उपवास करना चाहिए। इस बीच भी और इसके बाद भी सोते समय मिट्टीकी पट्टी पेड़पर रखनी चाहिए और दिनमें एक-दो बार क्यूनी बाथ लेना चाहिए। रोज कमसे-कम एकसे दो घंटे तक घूमना चाहिए। इतना करनेवालेको तुरन्त लाभ दृष्टिगोचर होगा, इसमें जरा भी शंका नहीं है। ऐसे उपचारसे भयंकर दस्त, सख्त कब्ज, तीव्र मरोड़ और पुरानी तथा उग्र बवासीर-जैसे रोग दूर होते हुए मँने देखे हैं। बवासीरके सम्बन्धमें इतना कहना जरूरी है कि जबतक खून आता रहे, खुराक बिलकुल न ली जाये और जब कुछ लेनेकी तबीयत हो तब उबले हुए जलमें सन्तरेका रस मिलाकर और छानकर लिया जाये।

ऐसा करनेसे उग्रसे-उग्र आँव थोड़े ही समयमें बन्द हो जायेगी और रोगीको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। मरोड़ होते समय यदि बहुत तीव्र ऐंठन होती हो तो एक बोतलमें खूब गरम पानी डालकर या गरम ईटसे पेटपर सेंक करनेसे ऐंठन बन्द हो जायेगी। रोगीको इन रोगोंमें भी खुली हवाकी उसी प्रकार जरूरत है जैसे हमेशा होती है।

कब्जके लिए नीचे लिखा मेवा विशेष रूपसे लाभदायक माना जाता है : अंजीर, फ्रेंच प्लम्स, मस्काटेल रेसिन, मोटी दाख, काली मुनक्का, सन्तरा और ताजे अंगूर। इन सबका यह अर्थ कदापि नहीं है कि भूख न हो तो भी मेवे खाये ही जायें। ऐंठनके समय और मुँह खराब हो, ऐसे समय ये मेवे भी नुकसान ही पहुँचायेंगे। उपर्युक्त कथनका इतना ही अर्थ है कि जब भी खानेकी जरूरत महसूस हो तो, उस समय, ये ऊपर गिनाये मेवे विशेष लाभदायक होंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३

७७. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

फीनिक्स

नेटाल

जून ७, १९१३

प्रिय श्री गोखले,

आपका कोई भी पत्र क्यों नहीं आया सो मैं भलीभाँति समझ गया। इसका कारण जानकर मुझे बहुत दुःख हुआ और इच्छा हुई कि शुश्रूषाके लिए मैं आपके साथ होता। यही खुशीकी बात है कि अब आपकी तबीयत पहलेसे बहुत अच्छी है। भारतके सब लोग तो आपको पूरी तरह कभी नहीं समझ पायेंगे, और चूँकि आपकी-सी कार्य-शक्ति पाना बहुत कठिन है, लोगोंके मनमें ईर्ष्या जाग उठती है। मैं तो यही कहूँगा कि आप उस ओरसे उदासीन रहें।

आपके नीम हकीमकी हैसियतसे मैं निश्चय ही आपके स्वास्थ्य, भोजन इत्यादिके बारेमें सभी कुछ जानना चाहता हूँ।

मैं जानता हूँ कि पोलक आपको नियमित रूपसे पत्र लिखते रहे हैं। इसलिए मैं आपको लम्बा पत्र लिखकर कष्ट नहीं देना चाहता। यदि समय मिले तो आप इस हफ्तेका 'इंडियन ओपिनियन' जरूर देख लें। उसमें श्री फिशरके और मेरे बीचका पूरा पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ है। यूनिवर्सिटी दलके सदस्योंने पहले तो बड़े जोशसे टक्कर ली; किन्तु अन्तमें वे ढीले पड़ गये। फिशरने यह कहा कि साम्राज्य सरकारने इस कानूनको ज्योंका-त्यों मंजूर कर लिया है और लोगोंने इसपर विश्वास कर लिया। मुझे भरोसा नहीं होता कि वह किसी भी दशामें विधेयकके प्रारूपको ज्योंका-त्यों मंजूर कर सकती है। यदि आप 'इंडियन ओपिनियन' में प्रकाशित उस बहसको ध्यानसे

पढते आये हैं तो आपने देखा होगा कि कई वक्ताओंने आपके नामका बार-बार उपयोग किया और उससे ज्यादातर हमारा ही काम बना। निश्चय ही आपका यहाँ आना अनेक प्रकारसे लाभदायी सिद्ध होगा।

सिनेटमें विधेयकका दूसरा वाचन हो गया है। सम्भव है, कुछ फेरफार किये गये हों। लेकिन मेरी समझमें अब डब्ल्यू० पी० श्याइनर वे सभी संशोधन मंजूर नहीं करा सकेंगे जो संघर्षका फिरसे छिड़ना रोकनेके लिए आवश्यक हैं। शायद यह तो मैं आपको लिख ही चुका हूँ कि श्रीमती गांधी, श्रीमती डॉक्टर, छगनलालकी पत्नी और मगनलालकी पत्नी संघर्षमें सम्मिलित हो रही हैं। कृपया फिलहाल इसे अपने तक ही रखिए। बस्ती (फीनिक्स) से तो इस बार कई लोग सम्मिलित हो ही रहे हैं। यदि संघर्ष छिड़ा, और उसका छिड़ना लगभग निश्चित है, तो फिर कह नहीं सकता, मैं भारत कबतक वापस लौटूंगा।

पोलकने अपना दफतर खोल दिया है। मुझे रिचके खर्चकी कोई चिन्ता नहीं है और पोलक अपना खर्च जल्दी ही निकालने लगेगे। लन्दन समितिको पिछले मार्च महीनेसे पैसा भेजना बन्द कर दिया गया है। इसलिए अब एकमात्र भार 'इंडियन ओपिनियन' का रह गया है और यदि संघर्ष फिर छिड़ा तो मेढके परिवारका पालन-पोषण भी करना होगा। इसके अलावा, केवल नैमित्तिक चालू खर्च रह जायेगा। मेढके खर्चके लिए मैं दक्षिण आफ्रिकामें चन्दा माँगना पसन्द न करूँगा; किन्तु दूसरे खर्च या तो हमें यहाँसे निकालने होंगे या बन्द कर देने होंगे। मैं लन्दन समितिके लिए आपके हवालेकी जानेवाली रकम बराबर इकट्ठी कर रहा हूँ। आशा है आप नये सिरेसे उसका संगठन कर डालेंगे। समितिको तीन साल तक कायम रखनेके लिए ६०० पाँड इकट्ठा करनेकी जरूरत है; यदि उसमें कुछ कमी रह गई तो हमारे मित्र रुस्तमजीने उसे पूरा कर देनेका वचन दिया है। मेरा खयाल है कि दक्षिण आफ्रिकामें रुस्तमजीसे अधिक विश्वसनीय कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। इस बातसे आपकी टोपी और छातेकी याद आ गई। आशा है, वे आपको सही-सलामत मिल गये होंगे।

कैलेनबैक कुछ दिनके लिए यहाँ आये हुए हैं।

आशा है, आपका स्वास्थ्य इस समय अच्छा होगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

हस्तलिखित मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२७) से।

सौजन्य: सर्वेड्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी।

१. सत्याग्रही सुरेन्द्रराय मेढ।

२. पारसी रुस्तमजी, नेटालके एक प्रमुख भारतीय व्यापारी और सत्याग्रही; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५ भी।

७८. वक्तव्य : तीन-पौंडी करके सम्बन्धमें^१

[डर्बन

जून ११, १९१३ से पूर्व]

देखता हूँ, सरकार संसदसे यह कर केवल स्त्रियोंपर से हटानेको कहना चाहती है। स्पष्ट ही, इससे यह प्रकट होता है कि फिलहाल उसका इरादा इसे पुरुषोंपर से हटानेका नहीं है। श्री गोखले न्यूकैसिल, डंडी, मैरिट्सवर्ग, डर्बन, इसीपिंगो और अन्य स्थानोंमें नेटालके अधिकांश लोकनायकोसे मिले थे। मैं भी इन सब भेंटोंके समय उपस्थित था। और मुझे याद नहीं आता कि किसी भी व्यक्तिके इस करके पक्षमें कुछ कहा हो या इसके हटाये जानेपर आपत्ति की हो। श्री स्मट्सने हाल ही में संसदके नेटाली सदस्योंसे सलाह लेनेकी बात कही थी। इसलिए यदि अब यह कर पुरुषों और स्त्रियों, दोनोंपर से नहीं हटाया जाता, तो यही माना जायेगा कि नेटाली सदस्य उन्हें इस भारसे मुक्त नहीं देखना चाहते। मेरे विनम्र मतसे यह प्रश्न नेटालकी प्रतिष्ठाका प्रश्न है। मुझे ऐसे कई अवसर याद हैं जब उन्होंने टाउन हॉलमें इससे कम महत्त्वके प्रश्नोंको लेकर सभाएँ की हैं। जहाजोंके आने-जानेकी सुविधासे सम्पन्न अपना सुन्दर बन्दरगाह नेटालको बहुत प्रिय है; हमें विश्वास है कि उसे अपनी प्रतिष्ठा उससे भी ज्यादा प्यारी है। तब क्या डर्बनके लोक-सेवक टाउन हॉलमें सभा करके संसदसे इस अन्यायपूर्ण करको हटानेकी माँग न करेंगे? वे भारतीयोंकी आकांक्षाओं या इस प्रान्तमें मेरे देशभाइयोंके अस्तित्वके चाहे कितने भी विरोधी क्यों न हों, उन्हें चाहिए कि वे सम्मिलित रूपसे नेटालके यशकी रक्षाके निमित्त हमें वह न्याय दिलायें, जो हमें कब-का मिल चुकना था।

मुझे भारतीयोंकी उन दो विशाल सभाओंका भली-भाँति स्मरण है, जिनमें श्री गोखले बोले थे। इनमें से एक इसीपिंगोके लॉर्ड्स ग्राउंडमें हुई थी और दूसरी माउंट एजकम्बमें,^२ जहाँ श्री गोखले माननीय मार्शल कैम्बेलके अतिथि थे। श्री कैम्बेलकी जागीर (एस्टेट) में होनेवाली सभामें पूरे १०,००० गिरमिटिये और भूतपूर्व गिरमिटिये उपस्थित थे और लॉर्ड्स ग्राउंडमें ५,००० से अधिक। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि चूँकि यूरोपीय लोगोंने इस करको हटानेके सम्बन्धमें श्री गोखलेके सम्मुख कोई विरोध नहीं प्रकट किया है इसलिए सम्भव है, यह कर जल्दी ही हटा लिया जाये। बादमें मन्त्रियोंसे मिलनेके उपरान्त उन्होंने घोषित किया कि उन्हें इस करको हटानेका आश्वासन मिल चुका है; और यह जानकारी इन हजारों अभागों स्त्री-पुरुषोंको दे दी गई। वेरुलमके एक व्यक्तिके यहाँतक विश्वास करनेकी "घृष्टता" दिखाई कि यह कर हटा ही दिया गया है; और वेरुलमके मजिस्ट्रेटने उसे इस अपराधमें कड़ी कैदकी

१. यह १४-६-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें उद्धृत किया गया था।

२. देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ४१०।

सजा सुना दी।^१ ये लोग जब यह सुनेंगे कि उनकी स्त्रियाँ आखिर इस करसे मुक्त कर दी जायेंगी, किन्तु उन्हें स्वयं यह कर चुकाते ही रहना पड़ेगा, तब वे क्या सोचेंगे ?

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, ११-६-१९१३

७९. वक्तव्य : प्रवासी विधेयकपर

डर्बन

जून १३, १९१३

यदि श्री हरकोर्टके वक्तव्यका प्रकाशित विवरण^२ सही है तो कहना पड़ेगा कि उनका जवाब चकित कर देनेवाला है। यदि उन्होंने विधेयकको उसके मूल रूपमें देखा है तो यह न मानना कि साम्राज्य-सरकारने भारतीयोंको असहाय छोड़ दिया है और संघ-सरकारको प्रसन्न करनेके लिए वह अपने खरीतोसे खुद ही मुकर गई है, एक असम्भव बात होगी। तथापि मैं आशा करता हूँ कि साम्राज्य-सरकारने विधेयक देखा नहीं है और किये गये संशोधनोंके क्या-क्या असर होंगे उसे यह बताया नहीं गया है। साथ ही यह बात बिलकुल साफ है कि दक्षिण आफ्रिका संघकी सरकारने भारतीयोंके प्रति विश्वासघात किया है, १९११ के समझौतेको तोड़ा है और श्री गोखलेको दिये गये अपने आश्वासनको ही झुठला दिया है—इतना ही नहीं, उसने साम्राज्य-सरकारको ईमानदारीके साथ यह बता देनेके बजाय कि उसका समझौतेकी शर्तों या एकाधिक खरीतोंमें व्यक्त की गई साम्राज्य-सरकारकी इच्छाओंको पूरा करनेका इरादा नहीं है, उसे धोखा दिया है।


विधेयकके मूल मसविदेमें डाउनिंग स्ट्रीटमें बैठे हुए अधिकारियोंकी चिन्ता दूर करनेकी इच्छाका लेश भी दिखाई नहीं पड़ता।

इस विधेयक द्वारा जातीय भेदभाव हटा दिया गया है, यहाँतक कि प्रवासके सम्बन्धमें भी, ऐसा कहना जान-बूझकर तथ्योंको गलत रूपमें पेश करना है। वास्तवमें श्री फिशरका मुझे दिया गया तार पूरी तरह मेरे ही कथनका समर्थन करता है। १९११ से ही फ्री स्टेटकी समस्या जाति-भेदकी समस्या रही है। श्री फिशरने उसे दूर नहीं किया है और वे साफ-साफ अपने तारमें कहते हैं कि वे उसे प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा हल करेंगे। यदि इस प्रकारका प्रस्ताव १९११ में स्वीकार किया जा सकता तो उस सालका विधेयक कानून बन गया होता। परन्तु इसे न तब स्वीकार किया गया था और न अब किया जा सकता है।

संघ-सरकारमें यदि जरा भी सम्मानकी भावना है तो वह कानूनकी नजरमें जो जातीय भेदभाव वर्तमान है उसे हटाने और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए वह जो भी कानून

१. देखिए “ मुनियनका मामला ”, पृष्ठ ९२-९३ ।

२. यह वक्तव्य श्री हरकोर्टने ११ जूनको कामन्स सभामें दिया था ।



बनाये उसमें यह ध्यान रखनेके लिए बाध्य है कि मौजूदा अधिकारोंमें कोई परिवर्तन न किया जाये। उसने समझौतेकी इन दो बातोंमें से एक भी पूरी नहीं की है।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री हरकोर्ट भी इस खयालमें है कि विधेयकमें जो थोड़े-बहुत संशोधन किये गये हैं वे संघ-सरकारकी प्रेरणासे या न्याय करनेकी उसकी इच्छाके कारण हुए हैं। वस्तुतः ये संशोधन तो संसदके विरोधी दल द्वारा जबरदस्ती करवाये गये हैं। विरोधी दलका यह कार्य जितना प्रशंसनीय है उतना ही वह मन्त्रिमण्डलके लिए अप्रत्याशित भी। यदि विरोधी दल थोड़ा और मजबूत और दृढ़ होता तो संघ-सरकारकी अनिच्छाके बावजूद एक ऐसा कानून बन गया होता जिसमें १९११ के अस्थायी समझौतेको स्थायित्व प्राप्त हो जाता।

फिलहाल, अब यदि विधेयकपर शाही मंजूरी रोक नहीं ली जाती, और समाजको ताजा आश्वासन नहीं दिया जाता कि १९११ के समझौतेकी शर्तोंपर पूरी तरह अमल किया जायेगा, और विवाह-सम्बन्धी कठिनाई दूर की जायेगी, तो इस बार स्त्री-पुरुष दोनों ही सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह आरम्भ होता है या नहीं, शायद इस तरफसे संघ-सरकार उदासीन है, परन्तु मैं इसे किसी समाजके नागरिक या राजनीतिक जीवनमें पैदा हो जानेवाली बुराइयोंका सर्वोत्तम इलाज मानता हूँ और मुझे विश्वास है कि यदि हम अपने प्रति सच्चे रहे, तो इसकी सफलता निश्चित है।

सरकारने अभी-अभी केवल स्त्रियोंपरसे ३ पाँड़ी कर हटा लेनेका प्रस्ताव रखा है। इससे भारतीय समाजके प्रति उसकी निरन्तर शत्रुता और दुर्भावना असन्दिग्ध रूपसे व्यक्त होती है।

[अंग्रेजीसे]

केप आर्गंस, १३-६-१९१३

८०. विधेयक

अब यह विधेयक किसी भी क्षण इस देशका कानून बन सकता है और सम्भव है कि पहली अगस्तसे भारतीय ऐसे कई अधिकारोंसे वंचित हो जायें जिनका वे अबतक उपभोग करते आये हैं। अबतक जो संशोधन पास हुए हैं उनके बारेमें, या विधेयकके पूरे प्रभावके बारेमें, निश्चयपूर्वक कुछ कहना सम्भव नहीं है। श्री डब्ल्यू० पी० शाइनरको, जिन्होंने हम लोगोंका पक्ष लेकर कठिन लड़ाई लड़ी, विवाह-सम्बन्धी संशोधनमें कुछ सुधार करानेमें सफलता मिली, और श्री फिशरकी इस धमकीके बावजूद भी कि वे न केवल पंजीयनकी धारा वापस नहीं लेंगे, बल्कि यदि हम लोगोंने पूरे विधेयकको मंजूर नहीं किया तो सम्पूर्ण संशोधनको निकाल कर मूल मसविदेको ही रहने देंगे, पंजीयन-सम्बन्धी अंश निकाल दिया गया जान पड़ता है। जबतक पूरा पाठ सामने नहीं आता तबतक हम यह तय नहीं कर सकते कि इस नई धाराका नवीनतम रूप कैसा है।

परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यदि वैवाहिक कठिनाई दूर हो गई हो तब भी विधेयकमें अन्य बहुत-सी बातें इतनी अपमानजनक हैं कि सत्याग्रहियोंको उनका प्रतिरोध करनेके लिए मजबूर होना पड़ेगा। मालूम पड़ता है कि विधेयकमें सर्वोच्च न्यायालयके

अधिकारक्षेत्रके सवालकी स्थिति बड़ी ही असन्तोषजनक रह गई है। यह नेटालके भारतीय अधिवासियोंको पुनः-प्रवेशकी उन सब सहूलियतोंसे वंचित कर देता है जो अभीतक उनको प्राप्त रही हैं। अभीतक नेटालमें तीन सालके पूर्व-निवासके बलपर वे प्रवेश पा जाते थे, अब वे शायद वैसा न कर सकेंगे। इसी तरह जो गिरमिटिया भारतीय ३ पाँडी कर दे चुके हों वे भी शायद अब वहाँ अधिवासके अधिकारका दावा नहीं कर सकेंगे। दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीय अब केप अधिनियमके अन्तर्गत सम्भवतः केपमें प्रवेश न कर पायें। फ्री स्टेटवाली कठिनाई भी पूर्ववत् बनी हुई है। इससे मालूम होता है कि यह एक ऐसा विधेयक है जिसको स्वीकार करना जुर्म है और जिसका प्रतिरोध करना कर्तव्य है।

फिर भी यह उल्लेखनीय है कि विधेयक यद्यपि स्पष्टतः भारतीय-विरोधी था, तो भी उसे दोनों सदनोंमें तूफानोंके बीचसे गुजरना पड़ा और रियायतें, चाहे वे जैसी भी हों, एक अनिच्छुक और कठोरहृदय मन्त्रीसे मुश्किलसे प्राप्त की जा सकीं। सिनेटमें दो अवसरोंपर कुछ धाराओंके सम्बन्धमें मत लेनेपर पक्ष और विपक्षमें बराबर मत आये। यह भविष्यके लिए शुभ लक्षण है और सत्याग्रहके अच्छे प्रभावका सूचक है। इसने सदस्योंकी एक बहुत बड़ी संख्याके मनमें भारतीय मामलोंकी जानकारी प्राप्त करनेकी भावना तीव्र कर दी है।

किन्तु जहाँ संघीय-संसदके कुछ सदस्य उत्साहपूर्वक हमारे पक्षमें बोले वहाँ जान पड़ता है, सम्राट्की सरकारने हमारी पूर्ण उपेक्षा की, और संघ-सरकारके विचारोंको पूरी तरह स्वीकार कर लिया। यद्यपि यह अविश्वसनीय-सा लगेगा, पर वस्तुतः सम्राट्की सरकारने विधेयक जिस रूपमें प्रकाशित हुआ था, उसी रूपमें, मंजूर कर लिया था और इस प्रकार वह अपने ही खरीतोंसे मुकर गई। यदि श्री हरकोर्टके वक्तव्यकी रिपोर्ट ठीक है तो जान पड़ता है, उनका विश्वास यह है कि संघ-सरकार हम लोगोंके साथ पूरा न्याय करना चाहती है। विधेयकके मूल मसविदेपर, या संसदमें जो-कुछ हुआ, उसपर से ऐसी राय नहीं बनाई जा सकती है। मूल मसविदा इससे ज्यादा सख्त नहीं हो सकता था; दक्षिण आफ्रिकाके समाचारपत्रोंकी भी यही राय थी। और विधेयक पेश करनेवाले मन्त्रीका रुख तो अत्यधिक प्रतिकूल था ही।

पर यदि सम्राट्की सरकारने हमें धोखा दिया है और अपनी थातीकी उपेक्षा की है तो इससे हमें दुःखी नहीं होना चाहिए। उसे तो साम्राज्यकी यूरोपीय प्रजाके एक अत्यल्प किन्तु ऊँचमी अंशका प्रतिनिधित्व करनेवाली संघ-सरकारको ही खुश करनेकी पड़ी हुई है, और ब्रिटिश ताजमें सबसे भासमान रत्न माना जानेवाला भारत तो ऐसे सहनशील लोगोंका देश है, जिन्हें, मानो, खुश करनेकी जरूरत ही नहीं — लाड़-प्यार तो दूर रहा। वास्तवमें अपनी सर्वोच्च अदालत हम खुद ही हैं। यदि हम स्वयं अपने प्रति सच्चे हैं तो कोई सन्देह नहीं कि दूसरे भी इसे जान लेनेपर हमारे प्रति सच्चे हो जायेंगे — लेकिन, उससे पहले कदापि नहीं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-६-१९१३

८१. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२४]

६. संक्रामक रोग: शीतला-१

बुखार आदि कुछ-एक बीमारियोंके सम्बन्धमें हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। सभी बीमारियोंके विषयमें सूक्ष्म विवेचन करना इन प्रकरणोंका हेतु नहीं है। और जब समस्त रोगोंका, ज्यादातर, एक ही कारण माना जाता है और उन समस्त रोगोंका इलाज भी प्रायः एक-सा ही गिना जाता है तो फिर प्रत्येक रोगपर जुदा-जुदा लिखनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। शीतला-जैसे संक्रामक रोगकी उत्पत्तिका भी हम एक ही कारण मानते हैं, अतः उसकी चर्चा भी भिन्न रूपसे करना जरूरी नहीं है; तो भी शीतलाके सम्बन्धमें एक प्रकरणको स्थान देना अनुचित नहीं होगा।

शीतलाके निकलनेपर हम बहुत भयभीत हो जाते हैं। उसको लेकर अनेक भ्रम प्रचलित हैं। हिन्दुस्तानमें तो शीतलाके लिए एक विशेष देवी ही प्रतिष्ठित है और इस रोगके हो जानेपर असंख्य लोग मनोतियाँ मानते हैं। इस रोगकी उत्पत्ति भी अन्य रोगोंकी तरह रक्त-दोषसे होती है और यह रक्त-दोष जठरके ज्वरसे प्रारम्भ होता है। शरीरमें भरा हुआ जहर शीतलाके जरिये बाहर निकलता है। यदि यह विचार ठीक है तो शीतलासे भयभीत होनेका कोई कारण नहीं। यदि यह रोग संक्रामक हो तो उन सभी लोगोंको, जो शीतलाके रोगीको स्पर्श करते रहते हैं, यह हो जाना चाहिए। पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। अतः शीतलासे छूतका भय माननेकी आवश्यकता नहीं है। तथापि सावधानी तो रखनी ही चाहिए। शीतलाकी छूत लगती ही नहीं बिलकुल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। जिसका शरीर उसकी छूतको ग्रहण करने योग्य हो गया है, ऐसा मनुष्य यदि शीतलाके रोगीका स्पर्श कर ले तो उसपर अवश्य ही रोगका संक्रमण हो जायेगा और इसीसे जहाँ-जहाँ शीतला निकलती है वहाँ अनेक लोग उसके शिकार बन जाते हैं। बीमारीके इस प्रकार संक्रामक होनेसे ही गौ-शीतलाका टीका लगाया जाता है और लोगोंको यह विश्वास दिलाया जाता है या बहकाया जाता है कि गौ-शीतलाका टीका लगावा लेनेसे शीतला अत्यन्त हल्की निकलती है और रोगका आक्रमण भी नहीं होता। शीतलाके टीकेका अर्थ इतना ही है कि गायके थनपर शीतलाकी पीब लगा दी जाती है। और जब थन पक उठता है तो इससे पीब लेकर चमड़ीके जरिये हमारे शरीरमें दाखिल करके हमारे शरीर-पर शीतलाका दाना उठा दिया जाता है ताकि महाशीतलासे हमारा छुटकारा हो जाये। पहले यह माना जाता था कि इस प्रकार एक बार शीतलाका टीका लगवा लेनेसे मनुष्यको फिर शीतला नहीं निकलती। परन्तु अनुभवसे देखा गया है कि शीतलाका टीका लगवा देनेके बाद भी मनुष्य बहुत दिनों तक उससे मुक्त नहीं रह पाते। इससे यह निष्कर्ष निकला कि एक मुद्दतके बाद तो शीतलाका टीका पुनः लगवा ही लेना चाहिए। अब तो यह प्रथा-सी हो गई है कि जब-जब किसी इलाकेमें शीतलाका

प्रकोप हो तब उस स्थानके सारे मनुष्योंको — चाहे उन्हें पहले टीका लगाया जा चुका हो या नहीं — टीका लगवा ही लेना चाहिए। इस प्रकार अनेक मनुष्य पाँच-छः या उससे भी अधिक बार टीका लगवाते हुए देखे जाते हैं।

शीतलाका टीका एक बड़ा जंगली रिवाज प्रतीत होता है। इस जमानेमें प्रचलित वहमोंमें से यह भी एक है। और इस प्रकारके वहम तो जंगली कहे जानेवाले लोगोंमें भी देखनेमें नहीं आते। इस वहमके हिमायतियोंको इतनेसे सन्तोष नहीं हो पाता कि जिसकी इच्छा हो वह यह टीका लगवाये; वे इसका लगवाना सभीके लिए अनिवार्य मानते हैं। जो लोग नहीं लगवाते उनपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, और उन्हें सख्त सजा दी जाती है। टीकेका यह आविष्कार १७९८ में हुआ। अतः इसे कुछ प्राचीन वहम नहीं कहा जा सकता। इस बीच तो लाखों मनुष्य उसके शिकार बन चुके हैं। जिन्हें यह टीका लगाया जाता है, वे शीतलासे बच गये माने जाते हैं, यद्यपि ऐसा मान लेनेके लिए कोई सबल आधार नहीं है। यदि टीका न लगवाया होता तो शीतला अत्यन्त उग्र रूपमें निकलती — ऐसा कोई नहीं कह सकता। उल्टे टीका लगे हुए लोगोंको शीतला निकलनेके उदाहरण हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यदि अमुक मनुष्यने टीका लगवा लिया होता तो वह शीतलासे मुक्त रहता।

टीका लगवाना तो एक बड़ा गन्दा उपाय है। गायकी शीतलाकी पीब हमें लगाई जाती है, इतना ही नहीं, मनुष्योंकी शीतलाका टीका भी लगाया जाता है। साधारणतः पीबको देखकर कइयोंको कै हो जाती है। यदि यह हाथमें लग जाता है तो लोग साबुनसे हाथ धोते हैं। यदि किसीसे इसे खानेके लिए कहा जाये तो ऐसी बातस ही उसे उबकाई उठने लगेगी। यदि कोई मनुष्य ऐसा मजाक भी करे तो हम उससे लड़ने-पर उतारू हो जायेंगे। ऐसा होते हुए भी शायद ही किसीने विचार किया होगा कि टीका लगवाकर हम पीब यानी सड़ा हुआ रक्त ही ग्रहण करते हैं। सभी जानते हैं कि बीमारीकी हालतमें कई बीमारोंको दवा या पेय-खुराक त्वचाके जरिये दी जाती है और उसका प्रभाव मुँह द्वारा खाई हुई खुराकसे भी अत्यन्त तेजीसे होता है। मुँहसे सेवन की गई वस्तु एकदम रक्तसे नहीं मिल पाती, परन्तु त्वचाके द्वारा लिया गया पदार्थ एकदम रक्तसे जा मिलता है। और किंचित्-मात्र लिये गये पदार्थका असर भी तत्काल होता है। इस प्रकार देखा जाये तो शरीरपर शीघ्र प्रभावशील होनेकी दृष्टिसे तो त्वचाके द्वारा ली गई दवा या खुराक खाई हुई ही मानी जायेगी। और हम शीतलासे बचनेके लिए पीब भी खा जाते हैं। कहावत है कि डरपोक मौतसे पूर्व ही मर चुके होते हैं। ठीक इसी प्रकार शीतलाके रोगसे हम मर जायेंगे या कुरूप बन जायेंगे, इस भयसे हम टीका लगवाकर पहले ही मर चुकते हैं।

इस प्रकार पीब ग्रहण करनेमें मैं तो मानता हूँ कि हम सभी धर्म-भ्रष्ट होते हैं। मांसाहारी लोगोंको भी रक्त पीनेकी मनाही है। और फिर देखा जाता है कि जीवित प्राणीका रक्त या मांस तो खाया ही नहीं जाता। यह टीका तो फिर जीवित और निर्दोष प्राणीका रक्त होता है और उसे सड़ाया जाता है और तब हमें त्वचाके जरिये खिलाया जाता है। अतः एक आस्तिक मनुष्य तो इस प्रकार रक्त सेवन करनेकी

अपेक्षा यह पसन्द करेगा कि उसे हजार बार शीतला निकले या एकाएक मृत्यु हो जाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-६-१९१३

८२. तार : गवर्नर-जनरलको

जोहानिसबर्ग

जून १६, १९१३

परमश्रेष्ठ लॉर्ड ग्लैडस्टन

[गवर्नर-जनरल
प्रिटोरिया]

संसदमें प्रवासी विधेयकके पास होनेकी बातको ध्यानमें रखते हुए मेरा संघ आपका ध्यान भारतीय समाजकी दृष्टिसे इन आपत्तियोंकी ओर आकर्षित करना चाहता है। विधेयक अस्थायी समझौतेपर अमल नहीं करता। वह समझौतेके विपरीत मौजूदा अधिकारोंका अपहरण करता है। सर्वोच्च न्यायालयमें अपील करनेके मौजूदा अधिकारमें कटौती करता है। तीन सालके पूर्व-निवासके बलपर नेटालके निवासी भारतीयोंको उस प्रान्तमें फिर प्रवेश करनेकी जो सुविधाएँ अभी हैं उनसे उन्हें वंचित करता है। जिन्होंने तीन-पौंडी कर दे दिया है, उन गिरमिटिया भारतीयोंको भी इस विधेयकके अन्तर्गत प्रान्तमें निवासका हक नहीं होगा। दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंको केपके वर्तमान कानूनके अन्तर्गत केपमें प्रवेश करनेका जो अधिकार है यह उसे छीनता है। फ्री स्टेटकी समस्या पहले-जैसी ही है क्योंकि शिक्षित भारतीय प्रवासियोंको हलफनामा देना होगा जो किसी भी अन्य प्रवासीसे प्रवासीके नाते नहीं लिया जायेगा। अतएव मेरा संघ विनम्र निवेदन करता है कि विधेयकपर आप अपनी अनुमति रोक लें और इस प्रकार मेरा संघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है उसे उन तमाम तकलीफों, कष्टों और आत्मत्यागसे बचायें जो फिरसे आन्दोलन छिड़नेके फलस्वरूप समाजको झेलना पड़ेगा।'

अ० मु० काछलिया
अध्यक्ष,

ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : सी०-डी० ६९४०/१३

१. इंडियन ओपिनियनके २१-६-१९१३ के अंकमें तार विस्तृत रूपमें प्रकाशित हुआ था। लॉर्ड ग्लैडस्टनने जून १७ को इसकी प्राप्ति स्वीकार की और एक प्रति अपने मन्त्रियोंको भेजी। लेकिन जरथुखी अनुमनकी ओरसे पारसी रुस्तमजीने जो तार दिया, उसके जवाबमें गवर्नर-जनरलने उन्हें सूचित किया कि मैं पिछले सप्ताह ही विधेयकपर अपनी सहमति दे चुका हूँ।

८३. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

फीनिक्स

नेटाल

जून २०, १९१३

प्रिय श्री गोखले,

यह विधेयक बहुत बुरा है; और इसके विरोधमें सत्याग्रह करना आवश्यक है। आपको यह पत्र मिलते-मिलते शायद हममें से कुछ लोग जेल पहुँच जायें। मेरा इरादा अगले हफ्ते जोहानिसबर्ग जानेका है। वहाँसे अपनी आपत्तियोंके बारेमें मैं एक अन्तिम पत्र श्री फिशरको लिखूँगा और अनुरोध करूँगा कि उन आपत्तियोंको अगले साल दूर कर दिया जाये। यदि वे ऐसा करनेका एक निश्चित, लिखित वचन दे देंगे तो संघर्ष स्थगित कर दिया जायेगा। वे ऐसा वचन देंगे, इसकी आशा बहुत कम है। अब जो संघर्ष होगा, वह निःसन्देह बहुत ही भयंकर होगा और लम्बा चलेगा, इसलिए पेशतर इसके कि मैं अपने साथी सत्याग्रहियोंसे संघर्ष आरम्भ करनेके लिए कहूँ, मैं संघर्षके पुनरारम्भके कारण आनेवाले दुःखोंको टालनेके लिए बुद्धिसम्मत सभी वैध तरीकोंको अपनाना चाहता हूँ।

विधेयकमें निम्नलिखित दोष हैं :

- (१) जान पड़ता है कि [इसमें] फ्री स्टेटकी कठिनाई जैसीकी-तैसी छोड़ दी गई है और इसीलिए जातीय भेदभाव भी बना रहेगा।
- (२) वर्तमान अधिकारोंमें बाधा आती है, क्योंकि
 - (क) सर्वोच्च न्यायालयमें अपीलका अधिकार बदल दिया गया है;
 - (ख) दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंका केपमें प्रवेशका अधिकार छीन लिया गया है।
 - (ग) कर . . .^१ देनेवाले भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोंका अधिवासका अधिकार छीन लिया गया मालूम होता है।
 - (घ) विवाहोंकी वर्तमान स्थिति बहुत-कुछ बदल गई है, यद्यपि संशोधनसे उत्तेजनामें बहुत कमी हुई है।

मुझे अभी-अभी श्री श्राइनरकी कृपासे संशोधित विधेयक मिला है। सम्भव है, इसमें दूसरे दोष भी हों। मैं आपको अगले हफ्ते पूरा वक्तव्य^२ तैयार करके भेजूँगा। खत बहुत लम्बा न हो जाये इसलिए मैं ऊपर बताये गये मुद्दोंको यहाँ स्पष्ट नहीं करूँगा।

१. यहाँ मूल पढ़ा नहीं जा सका।

२. यह उपलब्ध नहीं है; देखिए "पत्र : गृह-मन्त्रीके निजी सचिवको", पृष्ठ ११५-१८।

और अब आपके प्रश्नोंके बारेमें।

१. आपने देख ही लिया होगा कि विधेयकपर सम्राट्ने स्वीकृति दे दी है।
२. सत्याग्रह शायद अगले महीनेके शुरूमें आरम्भ किया जायेगा।
३. अपनेको गिरफ्तार कराने और जेल जानेके लिए हम नये अधिनियमको तोड़कर सब प्रान्तोंमें प्रवेश करेंगे और प्रमाणपत्र या अन्य कोई कागज नहीं दिखायेंगे। संघर्षमें शिक्षित और अशिक्षित सभी लोग भाग लेंगे।
४. मैं इस समय जहाँतक समझ सकता हूँ, संघर्ष १३ स्त्रियों और १०० पुरुषोंसे शुरू होगा। सम्भव है, बादमें संख्या बढ़ती जाये।
५. बहुत रुपया इकट्ठा होनेकी आशा तो नहीं है; किन्तु पर्याप्त मात्रामें खाना और कपड़ा माँगकर इकट्ठा करनेमें मुझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती। यदि हम सब जेल चले गये तो माँगनेका जिम्मा खुद कैलेनवैकने लिया है। इसका पूरा भरोसा किया जा सकता है कि जबतक उनके शरीरमें प्राण हैं, वे एक भी परिवारको भूखा नहीं रहने देंगे। यदि भारत या दूसरी जगहोंसे बिना माँग रुपया नहीं आता तो हम पैदल जायेंगे-आयेंगे और तब तारों और केबिलों (समुद्री तारों) पर बिलकुल पैसा खर्च न किया जायेगा। इस समय जोहानिस-बर्गका सारा सार्वजनिक कार्य कुमारी श्लेसिन करती हैं; किन्तु अपनी आजीविकाके लिए वे दूसरी जगह काम करती हैं। मैं लन्दन-समितिके लिए विशेष रूपसे पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ जो आपकी मर्जीपर रहेगा। मैं दूसरे आर्थिक रूपसे भी मुक्त हो रहा हूँ। 'इंडियन ओपिनियन'के कर्मचारियोंकी संख्या न्यूनतम कर दी गई है और वे अपने साधनोंपर गुजारा करने लगेंगे। मेरी कुछ व्यतविगत जिम्मेदारियाँ डॉक्टर मेहता^१ पूरी कर रहे हैं।
६. संघर्षके एक साल तक चलनेकी आशा है; किन्तु यदि हमारे पास मेरे अनुमानसे अधिक लोग हुए तो सम्भव है, यह संघ-संसदके अगले अधिवेशन तक ही बन्द हो जाये। हम तो ऐसा मानकर तैयारी कर रहे हैं कि लड़ाई लम्बी चलेगी।
७. समाजको इस संकटमें से निकाल ले जानेके लिए कितने पैसेकी आवश्यकता होगी, इस प्रश्नका उत्तर देना कठिन है। मैंने जो न्यूनतम अनुमान किया है, उसके अनुसार नकद पैसेकी हमें कोई जरूरत नहीं होगी। किन्तु मुझे जब पैसा मिलेगा, मैं उसका उपयोग संघर्षको जल्दी खत्म करने और परिवारों एवं 'इंडियन ओपिनियन'को सहायता देनेमें करूँगा। नेटाल और केपके कुछ लोग संघर्षमें निश्चय ही सम्मिलित होंगे।

आपसे मेरी प्रार्थना यह है: कृपया हमारे बारेमें चिन्ता न करें, सार्वजनिक रूपसे धन न माँगे और इस कार्यके लिए अपने स्वास्थ्यको हानि न पहुँचायें। इस प्रार्थनामें मेरा स्वार्थ है। मैं आपसे भारतमें प्रत्यक्ष रूपसे मिलने, आपके अधीन काम करने, और कहूँ तो, आपके चरणोंमें रहकर वह सब सीखनेके लिए उत्सुक हूँ जो

१. डॉ० प्राणजीवन मेहता; जब गांधीजी लन्दनमें विद्याध्ययन कर रहे थे, तभीसे उनके मित्र।

मैं सीखना चाहता हूँ, और जो मुझे अवश्य सीखना है। यदि मैं कुछ बातोंमें गलती-पर हूँ तो अपना भ्रम दूर करना चाहूँगा और यदि मैं ठीक हूँ, किन्तु हम परस्पर सहमत नहीं हैं तो मैं चाहता हूँ कि वह भ्रम भी दूर हो जाये। यदि मुझे आपका कोई पत्र न मिले तो भी आपके सम्बन्धमें मुझे कोई गलतफहमी नहीं होगी। किन्तु जब-कभी आपके पास समय हो और आप स्वस्थ हों, तो मैं आपके पत्रों और परामर्शका स्वागत करूँगा और उन्हें मूल्यवान समझूँगा। उनसे मुझे सान्त्वना मिलेगी।

श्री हॉलका पत्र मिलनेके बाद मैंने यह निश्चय किया था कि आपको सीधा पत्र न लिखूँगा; किन्तु आपका पत्र आनेपर मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा।

पोलकके नाम आपके तारके सम्बन्धमें मुझे दूसरा पत्र लिखना होगा। यदि किसी तरह आना सम्भव हुआ तो वे आ जायेंगे। मुख्य विचार दो बातोंका है—पैसेका, और उनके परिवारका। उनसे कल सारी स्थितिपर बातचीत होगी और फिर उन्हीं-पर छोड़ दूँगा कि वे डर्बन लौटनेपर आपको पत्र लिख दें। चिट्ठियाँ रवाना करनेके लिए मेरी अपेक्षा उन्हें एक दिन अधिक मिलेगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२८) से।

सौजन्य : सर्वेड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी।

८४. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२५]

६. संक्रामक रोग [जारी] : शीतला-२

शीतलाके टीकेसे होनेवाले दुष्परिणामोंके सम्बन्धमें इंग्लैंडमें अनेक विचारशील लोगोंने खोज की है और इसके विरोधमें अभी वहाँ एक मंडलकी स्थापना हुई है। इस मंडलके सदस्य शीतलाका टीका नहीं लगवाते। शीतलाका टीका लगवानेके अनिवार्य कानूनका ये लोग विरोध करते हैं। कई तो इसके लिए जेल भी जा चुके हैं। वे दूसरोंको भी समझाते हैं कि शीतलाका टीका न लें। इस सम्बन्धमें अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं, और अनेक वाद-विवाद चल रहे हैं। शीतलाके टीकेका विरोध करनेके जो कारण दिये जाते हैं वे निम्न प्रकार हैं:

१. गायके थनसे जिसपर वास्तवमें बछड़ेका हक है, लस निकालनेकी क्रिया द्वारा लाखों जीवित पशुओंके साथ महान क्रूरताका व्यवहार किया जाता है। यह निर्दयता मानवकी दयावृत्तिको शोभा नहीं देती, अतः उस लससे कुछ लाभ भी होता हो तो भी उसे त्याग देना चाहिए। मनुष्यमात्रका यह कर्त्तव्य है।
२. इस लससे लाभ नहीं होता, इतना ही नहीं; बल्कि इसे लेनेसे मनुष्यके शरीरमें दूसरे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी मान्यता है कि शीतलाके टीकेका प्रचलन होनेके बाद दूसरे रोग अधिक फैले हैं।

३. यह लस मूलमें मनुष्यके रक्तसे बना है, अतः यह सम्भव है कि उस सारे लसमें उस मनुष्यके दूसरे रोगोंके कीटाणु हों।
४. टीका लगानेसे मनुष्य रोगमुक्त हो ही जाता है, यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसके आविष्कारक डॉ० जेनरका प्रारम्भमें यह कहना था कि एक हाथमें एक दाना खुदवानेसे मनुष्य सदाके लिए रोगमुक्त हो जाता है। फिर कहने लगे कि दोनों हाथोंपर टीका लगानेसे मुक्त हो जायेगा। इसके बाद दोनों हाथोंमें एक-एकसे अधिक दाने खुदवाये जाने लगे। और जब इतना कर लेनेपर भी रोग होने लगा तब यह माना जाने लगा कि एक बार चेचक निकलवा लेनेके बाद सात वर्षसे अधिकके लिए [इस रोगसे] मुक्तिका विश्वास नहीं दिलाया जा सकता; और अब सातके बदले तीन वर्ष माने जाते हैं। इस प्रकार स्वयं डॉक्टर ही कुछ निश्चित नहीं कह सकते। दरअसल चेचकका टीका लगवानेवाले व्यक्तिको चेचक कदापि नहीं निकलेगी, यह बात तो मिथ्या ही है। टीका लगवा चुकनेपर जिन्हें चेचक नहीं निकली यदि वे टीका न लगवाते तो उन्हें चेचक निकल ही आती, यह भी कोई साबित नहीं कर पाया।
५. अन्तमें वे कहते हैं कि [शरीरमें] इस लसका प्रवेश करवाना एक घृणित रिवाज है। गन्दगीके द्वारा गन्दगी दूर की जा सकती है। ऐसी मान्यता मूर्खतापूर्ण है।

इस प्रकार अनेक दलीलों और उदाहरणोंके द्वारा उपर्युक्त संस्थाने अंग्रेज जनताके मनको प्रभावित किया है। इंग्लैंडका एक ऐसा शहर है कि जहाँकी आबादीका एक बहुत बड़ा भाग चेचकका टीका बिलकुल नहीं लगवाता और इस हिसाबसे उस शहरकी जनतामें यह रोग कम नजर आता है। इस संस्थाके लगनशील सदस्योंने यह साबित कर दिखाया है कि चेचकको लेकर यह भ्रम बनाये रखनेमें डॉक्टरोंका स्वार्थ है। उन लोगोंको प्रतिवर्ष जनताकी ओरसे हजारों पाँड टीका लगानेके कार्यमें मिल जाते हैं। अतः जाने या अनजाने चेचकके टीके द्वारा होनेवाली हानिको वे देख नहीं पाते। कई डॉक्टरोंने तो स्वयं यह मत जाहिर किया है और उन्हींमें बहुतेरे ऐसे हैं जो चेचकके टीकेके सख्त खिलाफ हो चुके हैं।

चेचकका टीका यदि इस प्रकार हानिकर है तो हमें उसे क्यों लगवाना चाहिए? इसका जवाब मैं तो निर्भयतापूर्वक "ना" कहकर ही दूँगा। इतना होते हुए भी इसमें अपवाद तो है ही। जान-बूझकर अपनी मर्जीसे किसीको भी टीका नहीं लगवाना चाहिए, इतना तो मैं दृढ़ताके साथ कह सकता हूँ। पर जहाँ-जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ चेचक निकलवाना कानूनन जरूरी है। इस मुल्कमें (आफ्रिकामें) यह कानून तोड़ना एक बड़ी जोखिम उठाने-जैसा होगा। क्योंकि यदि हम उसका विरोध करें तो हमारे सिर जान-बूझकर सार्वजनिक स्वास्थ्यको जोखिममें डाल देनेका इलजाम मढ़ दिया जायेगा—पहलेसे जो इलजाम हैं सो तो है ही। अतः ऐसी स्थितिमें अपना फर्ज क्या हो सकता है? जहाँ आबादीका एक बड़ा हिस्सा चेचकके टीकेको कानूनन मानता है और हम उसी इलाकेमें रहते हों तो उस इलाकेका भय दूर करनेके लिए वहाँके जैसा प्रचलित इलाज करवाना हमारा फर्ज हो जाता है। और जो लोग

इसमें मेरे बताये कारणोंसे धार्मिक आपत्ति मानते हों उन्हें तो अकेले भी इसके विरुद्ध खड़े हो जाना चाहिए और जो संकट आये उन्हें उठा लेना चाहिए। वह मनुष्य, जो केवल यह मानता हो कि टीका न लगवानेसे स्वास्थ्यको हानि न होगी, एकाएक ऐसे कानूनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। ऐसे मनुष्यको तो [इस सम्बन्धमें] बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसमें यह शक्ति होनी चाहिए कि वह अपनी मान्यताएँ दूसरोंको समझा सके। उसे जनताका मत परिवर्तित करनेके लिए तैयार होना चाहिए। पर जो मनुष्य ऐसा न कर सके वह तो अपना स्वास्थ्य बनाये रखनेकी दृष्टिसे भी जनमतके विरुद्ध नहीं जा सकता। बहुतेरे कार्य ऐसे हैं जो हमें पसन्द नहीं होते, फिर भी हम जिस समाजमें रहते हैं उसकी खातिर हमें करने पड़ते हैं। समाजकी सुख-सुविधाके सामने हमें अपनी व्यक्तिगत सुविधाओंको दरकिनार करना पड़ता है। बहुमतके सम्मुख एक व्यक्ति खड़ा हो सके, ऐसा अवसर तो धर्म या नीतिकी बात होनेपर ही आ सकता है। यही साधारण नियम है। जो मनुष्य अपना कोई मत ही नहीं रखता किन्तु इस प्रकारके लेखोंसे प्रभावित होकर और अपनी आलसी वृत्तिको उत्तेजित करनेके लिए टीका न लगवाना चाहे उसे तो कानूनका ही पालन करना चाहिए।

और फिर टीका न लगवानेवालेको स्वच्छता आदिके नियमोंको समझते हुए उनका भी बराबर पालन करना चाहिए। जो मनुष्य शीतलाका लस लगवाना तो न चाहे, किन्तु विषय-भोगके जरिये विष ग्रहण करता हो या स्वास्थ्यके अन्य नियमोंका उल्लंघन करके दुःख भोगता हो उसे उस देश या समाजका विरोध करनेका अधिकार नहीं है जिसमें चक्का टीका स्वास्थ्य-सम्पादनका नियम माना जाता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-६-१९१३

८५. तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन

जून २१, १९१३

गोखले

लन्दन

मन्त्रीको अन्तिम पत्र^१ देनेके लिए ट्रान्सवाल जा रहा हूँ। यदि जवाब सन्तोष-प्रद हुआ और नया समझौता किया गया तो सत्याग्रह नहीं होगा। कानूनमें चार घातक आपत्तियाँ मौजूद दिखती हैं।^२ मुझे खास आशा नहीं है। समझौता न होनेपर, जुलाईके प्रारम्भमें सत्याग्रह शुरू। तब पोलक रवाना हो सकते हैं। यदि सम्भव हो तो उनके आने-जाने व एक साल रहनेके

१ और २. देखिए " पत्र : गृह-मन्त्रीके निजी सचिवको ", पृष्ठ १५-१८ ।

खर्चके लिए जो परिवारके यहाँ साथ रखनेके भत्तेको मिलाकर अनुमानतः एक हजार पाँड होगा भारतमें चन्दा किया जाये। यह चन्दा यहाँ कर पाना फिलहाल असम्भव है।

गांधी

मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८४३)की फोटो-नकलसे।

सौजन्य : सर्वेस ऑफ़ इंडिया सोसायटी।

८६. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२६]

६. संक्रामक रोग [जारी] : शीतला-३

इस प्रकार शीतलाका विवेचन करते हुए हमने टीकेकी हानियाँ देखीं। अब यह समझ लेना जरूरी है कि इस रोगकी रोक-थाम कैसे की जाये। जो मनुष्य इन प्रकरणोंमें बताया गये हवा, जल और खुराकके नियमोंका विवेकपूर्ण पालन करेगा उसे शीतला निकलनेकी कोई सम्भावना नहीं है। क्योंकि शीतलाके विषका प्रतिकार करनेकी ताकत तो उसके रक्त ही में होती है।

जिसे शीतला निकल आई हो उसके लिए गीली चादरकी लपेट (वेट शीट पैक)का प्रयोग बड़ा चमत्कारिक इलाज है। बीमारको कमसे-कम [दिनमें] तीन बार गीली चादरमें सुलाना चाहिए। ऐसा करनेसे बीमारके शरीरकी तीव्र उष्णता कम हो जायेगी और निकले हुए चेचकके दाने थोड़े ही दिनोंमें नरम पड़ जायेंगे। इन दानोंपर मरहम आदि लगानेकी भी कोई जरूरत नहीं है। यदि शरीरमें ऐसे एक-दो स्थानपर ही शीतला हो, और वहाँ मिट्टीकी पट्टी रखी जा सकती हो तो रखी जानी चाहिए। खुराकमें रुचिके अनुसार चावल, नीबू और हलका ताजा मेवा लिया जाये। “हलका मेवा” लिखनेका हेतु यह है कि जब शीतलाका दाह तेज हो तब खजूर, बादाम आदि पौष्टिक मेवे न लिये जाय। गीली चादरकी लपेटसे एक सप्ताहके भीतर दाने नरम पड़ने ही चाहिए। यदि वे नरम न पड़ें तो समझना चाहिए कि शरीरमें अभी विष बाकी है और वह निकल रहा है। शीतला कोई बड़ा भारी रोग है, यह माननेका कारण नहीं है। बल्कि वह तो शरीरमें भरे हुए रोगके बाहर निकलनेका और उसके परिणामस्वरूप उस हदतक शरीरके दुस्त होनेका लक्षण-भर है।

यही मन्तव्य अनेक रोगोंपर लागू होता है। पर शीतला-जैसे रोगोंके लिए विशेष रूपसे उचित जान पड़ता है। बीमारियोंके हट जानेपर बीमार कमजोर हो जाता है और कितने ही रोगी बादमें भी किसी-न-किसी रोगसे पीड़ित रहते हैं। इसका कारण वह मूल बीमारी नहीं होती बल्कि बीमारीके लिए किये गये इलाज होते हैं। बुखारमें कुनेनके सेवनसे प्रायः कान बहरे हो जाते हैं। किसी-किसीको “क्विनिनिज्म” नामका भयंकर रोग हो जाता है। व्यभिचारसे होनेवाले रोगोंको दूर करनेके उपचारोंमें पारा आदि होते हैं और इससे जो रोग पैदा हो जाते हैं, उनसे रोगी सदाके लिए

पीड़ित रहता है। यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है। अतः दवाओंके सेवनसे रोग नहीं मिटता। इतना ही नहीं, बल्कि ये दवाइयाँ दूसरे रोगोंका कारण बन जाती हैं। दस्तको बन्द करनेके जुलाब लेनेवालेको बवासीर आदि रोग हो जानेके अनेक उदाहरण देखनेमें आते हैं। रोग हो जानेपर उसके कारणकी खोज की जाये, उसे दूर किया जाये और रोगसे छुटकारा पाया जाये तथा भविष्यमें प्राकृतिक नियमोंका पालन किया जाये। इसके-जैसी पोषण प्रदान करनेवाली कोई भस्म नहीं है — यह निर्विवाद है। लोहा आदि धातुओंको फूँककर उसकी भस्म बनायी जाती है। इनको अक्सीर इलाज मान लेना भी भ्रम ही है। इनका कुछ असर होता है, इसका तो स्पष्ट अनुभव होता है; परन्तु ये जिस हद तक शरीरको ठीक करते जान पड़ते हैं उसी हद तक मनोविकार पैदा करते हैं अतः मूल रूपमें मनुष्यके लिए हानिकारक ही होते हैं। शीतलाकी बीमारीके लिए ऐसी दवाइयाँ अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। शीतलाके रोगियोंको प्रायः शीतला फिरसे नहीं निकलती। इतना ही नहीं, बल्कि उसके बाद रोगीका शरीर बड़ा स्वस्थ हो जाता है। कारण, शरीरका सारा विष निकल जाता है।

जब शीतला नरम पड़े और दाने सूखने लगे तब बीमारकी चमड़ीपर जैतूनका तेल लगाया जाये और उसे रोज स्नान कराया जाये। ऐसा करनेसे शीतलाके दाग प्रायः मिट जायेंगे और नई चमड़ी आने लगेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-६-१९१३

८७. पत्र : गृह-मन्त्रीके निजी सचिवको^१

जोहानिसबर्ग

जून २८, १९१३

गृह-मन्त्रीके
निजी सचिव,
प्रिटोरिया
प्रिय महोदय,

मैंने प्रवासी-नियमन अधिनियम (इमीग्रेंट्स रेग्यूलेशन ऐक्ट) के अध्ययनका प्रयत्न किया है और मैं कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि यह मूल विधेयकसे अच्छा है।^१ किन्तु सादर निवेदन है कि यह कमसे-कम चार बातोंमें १९११ के अस्थायी समझौतेको कार्यान्वित नहीं करता। मेरी विनीत सम्मतिमें, यदि इन चार मुद्दोंके बारेमें शिकायत

१. यह १३-९-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें, “रिवाइवल ऑफ़ पैसिव रेजिस्टेंस” (“सत्याग्रहका पुनरारम्भ”) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

२. विधेयकके मसविदे और अधिनियमके ‘गजट’ में प्रकाशित रूपकी विस्तृत तुलना इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुई थी; देखिए परिशिष्ट ६।

दूर कर दी जाये, तो सरकारकी नीतिमें कोई परिवर्तन हुए बिना भी समझौतेकी शर्तोंका — मेरे देशवासी उसका जो अर्थ समझते हैं उस अर्थमें — पालन, केवल पालन हो जायेगा।

उक्त चार मुद्दे निम्नलिखित हैं :

(१) इसमें "अधिवासी" (डोमिसाइल) शब्दकी जो परिभाषा की गई है उसके अनुसार, जान पड़ता है, १८८५ का भारतीय प्रवासी कानून संशोधन अधिनियम लागू होनेके बाद आये हुए भारतीय गिरमिटिये और उनके वंशज निषिद्ध प्रवासी हो गये हैं।

(२) यदि उक्त व्याख्या ठीक हो तो दक्षिण आफ्रिकामें जन्म लेनेपर भी इस श्रेणीमें आनेवाले वंशज आगेसे केप प्रान्तमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

(३) जो स्त्रियाँ दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय धार्मिक विधियोंके अनुसार ब्याही गई हैं और फिर जो भारत जानेके बाद वहाँसे अपने पतियोंके साथ लौटेंगी उनका दर्जा वही नहीं होगा जो भारतमें ही [विवाहित]^१ स्त्रियोंका होता है। और न इस संशोधनमें उन सैकड़ों स्त्रियोंके लिए ही कोई व्यवस्थाकी गई है जो गैर-ईसाई धर्मोंके अनुसार ब्याही गई हैं।

(४) जान पड़ता है, फ्री स्टेटकी कठिनाई जैसी पहले थी वैसी ही बनी रहेगी।

पहले मुद्देके बारेमें इस तथ्यको ध्यानमें रखते हुए कि मन्त्री महोदयने दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंके केपमें प्रवेश करनेके अधिकारको मान्यता दी है, बशर्ते कि वे दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीय माता-पिताओंकी सन्तान हों, पर उन गिरमिटिया माता-पिताओंकी सन्तान न हों जो १८९५ का नेटाल अधिनियम १७ लागू होनेके बाद गिरमिटमें बँधे थे।^२ मुझे लगता है कि यदि सरकार १८९५ का अधिनियम लागू होनेके बाद गिरमिटमें बँधनेवाले भारतीयोंकी दक्षिण आफ्रिकामें जन्मी सन्तानके दर्जेको भी मान्य कर ले तो यह उसके लिए एक मामूली बात होगी। मुझे विश्वास है कि सरकारका मन्शा न उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोंमें इस प्रकार विभेद पैदा करना है और न ऐसे गिरमिटिया भारतीयोंके अधिवासके अधिकारको मान्यता दे देनेसे सरकारकी नीतिपर ही कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसे भारतीयोंकी संख्या सात हजारसे ऊपर नहीं हो सकती। सच कहें तो, यह संख्या नेटालकी भारतीय आबादीकी तुलनामें, जो १,३३,००० कूती जाती है, कोई खतरनाक स्थायी वृद्धि नहीं मानी जा सकती, खास तौरसे इस बातको ध्यानमें रखते हुए कि इन लोगोंकी जरूरत नेटालके यूरोपीयोंको है।

भारतीय समाजके लिए पहले और दूसरे, दोनों ही मुद्दे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। यदि ये लोग तीन पौंडी वार्षिक कर दे रहे हैं, तो नेटालकी अदालतोंके फैसलेके अनुसार इनको नेटालमें स्थायी निवासीके रूपमें रहनेका अधिकार है। क्या वे अब निषिद्ध प्रवासी माने जायेंगे? मेरा खयाल है कि सरकार उन्हें निर्वासित नहीं करना चाहती;

१. यहाँ मूलमें शब्द साफ पढ़नेमें नहीं आता।

२. मूलमें ही वाक्य अपूर्ण रह गया जान पड़ता है।

परन्तु तब क्या वह अधिनियमकी व्यापार करने या जमीन रखनसे सम्बन्धित धाराओंको लागू करना चाहती है ?

विवाहके प्रश्नके बारेमें मैंने जो कठिनाई बताई है वह मेरी विनम्र सम्मतिमें स्पष्ट और विचारणीय है।

जनरल स्मट्स और मेरे बीच हुए पत्र-व्यवहारके अन्तिम मुद्देके सम्बन्धमें यह सन्देश प्रकट किया गया था कि आसंरक्षण-सम्बन्धी धाराके बावजूद क्या ऐसे भारतीयोंको भी परिच्छेद ३३के खण्ड ८ में उल्लिखित हलफनामा देना पड़ेगा जिनको नये अधिनियमके अन्तर्गत इस प्रान्तमें प्रवेश करनेकी अनुमति दी जा सकती हो। मैं समझता हूँ कि फ्री स्टेटके लोग भी यह नहीं चाहते कि भारतीय प्रवासीसे अपमानजनक हलफनामा माँगा जाये; बल्कि यह चाहते हैं कि उसे जमीन रखना, तथा खेती या व्यापार करना कानूनी तौरपर मना हो। यदि कानूनमें ही खास तौरसे इसका उल्लेख कर दिया जाये, तो उनका उस धाराको निकालनेपर आपत्ति करना उचित नहीं होगा, जिसके अन्तर्गत हलफनामा देना आवश्यक है।

फिलहाल, और समझौतेके उद्देश्यसे, मैं सर्वोच्च न्यायालयका क्षेत्राधिकार हटानेका (मैं मानता हूँ कि अब यह आंशिक रूपसे ही हटता है) और अधिनियमकी उन दूसरी कड़ी धाराओंका प्रश्न नहीं उठाता जिनके कारण यह अधिनियम पहलेके उन प्रान्तीय कानूनोंके मुकाबले बहुत ज्यादा अनुदार हो जाता है जिनकी जगह इसे रखा जा रहा है।

यदि श्री फिशर समझते हों कि सरकारके लिए भारतीय समाजकी बात मानना और अगले वर्ष आवश्यक संशोधन करनेका आश्वासन देना सम्भव है और यदि उनका खयाल हो कि इन मुद्दोंपर स्वयं मुझसे बातचीत करना कुछ भी लाभप्रद है तो मैं उनसे खुशीसे मिलूंगा। आशा है, श्री फिशर मेरे पत्रपर उसी भावनासे विचार कर सकेंगे जिस भावनासे मैंने उसे लिखा है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी इच्छा कोई बड़ा संकट उत्पन्न करनेकी नहीं है; किन्तु यदि सरकार और भारतीयोंके बीच समझौता न हो सका तो निश्चय ही संकट उत्पन्न हो जायेगा।

यदि भेंट होती है तो उसमें इसपर बातचीत करना आवश्यक होगा कि यदि विवाह एक-पत्नीक विवाह नहीं है तो उन विवाहिता स्त्रियोंके प्रवेशमें और शिक्षित भारतीयोंके प्रवेशको नियन्त्रित करनेके तरीकेके सम्बन्धमें अधिनियमपर कैसे अमल किया जायेगा। पत्र बहुत लम्बा न हो जाये, इसलिए और इसलिए भी कि मेरा खयाल है कि यदि कानूनको ही सुधारा जा सके तो उसपर किये जानेवाले अमलको सुधारना अपेक्षाकृत सुगम है, यहाँ मैं इन मुद्दोंपर विचार नहीं करता।

कहनेकी जरूरत नहीं कि पूरा पत्र यह मानकर लिखा गया है कि सरकार और मेरे बीच तारों या पत्रों द्वारा जिन अधिकारोंके बारेमें चर्चा हो चुकी है उनके अतिरिक्त अन्य किसी भी वर्तमान अधिकारमें यह अधिनियम कोई हेरफेर नहीं करता।^१

१. देखिए खण्ड ११।

२. लगता है कि गांधीजीने यह पैरा बादमें अपने ही हाथसे जोड़ा था।

4666



मैं अपने साथी कार्यकर्ताओंको कोई सलाह देनेसे पहले आपका उत्तर जान लेना चाहता हूँ। इसलिए उत्तर तारसे देनेकी कृपा करें।'

आपका विश्वस्त,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८११) की फोटो-नकलसे।

८८. पत्र : गृह-सचिवको

[जोहानिसबर्ग]

जुलाई २, १९१३

महोदय,

आज सुबह मेरी और आपकी जो बातचीत हुई थी, उसके मुद्दोंको मैं आपकी इच्छानुसार लिखित रूप दे रहा हूँ :

१. दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयों और केप प्रवासी कानूनके अन्तर्गत उनके केपमें प्रवेश करनेके अधिकारके सम्बन्धमें मेरा विचार यह है कि नये कानूनके खण्ड ५के अन्तर्गत इसी खण्डके उपबन्धके कारण ऐसे लोग प्रवेश नहीं पा सकते। यदि सरकारका मन्शा, अबतक की भाँति, उनके अधिकारको उसी हालतमें मान्यता देनेका है जब वे दक्षिण आफ्रिकामें अपना जन्म सिद्ध कर दें तो वह इसे, कोई नया कानून पास किये बिना, ऐसे विनियम बनाकर भी कर सकती थी, जो उन्हें इस कानूनके खण्ड १की धारा (क) के प्रभावसे बरी कर देते। ध्यान देनेकी बात है कि यदि ऐसे भारतीय केपकी साधारण शैक्षणिक परीक्षा पास कर लें तो वे धारा ५के उपखण्ड २के अनुच्छेद (क) के अनुसार इस प्रान्तमें प्रवेश कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि उपनिवेशमें जन्मे अधिकांश भारतीय गवर्नमेंट इंडियन स्कूलोंकी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और उनमें केप-परीक्षामें बैठनेकी पर्याप्त योग्यता है। यह भी सुविदित है कि जबसे केप-कानून लागू है तबसे दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न शायद ही किसी ऐसे भारतीयने, जो केप प्रान्तका न हो, वहाँ जाकर बसनेका प्रयत्न किया हो। कारण यह है कि वहाँ उसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है।

२. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सन् १८९५के संशोधन कानूनके अन्तर्गत नेटालमें प्रवेश करनेवाले गिरमिटिया भारतीयोंके सम्बन्धमें नेटालकी अदालतोंने यह मत व्यक्त किया है कि अपने गिरमिटकी अवधि समाप्त कर लेनेपर ये लोग नेटालमें बसनेको स्वतन्त्र हैं, और यदि ये अपनेको दुबारा गिरमिटबद्ध न करते तो भी इन्हें निषिद्ध प्रवासी नहीं माना जा सकता। अदालतोंने यह भी कहा है कि तीन वर्षके गिरमिट-मुक्त निवासके बाद उन्हें अन्य भारतीयोंकी भाँति अधिवासके अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु ऐसा लगता है कि इस वर्तमान कानूनमें "अधिवासी"

१. इस पत्रके बाद २ जुलाईको दोनोंकी भेंट भी हुई थी। गांधीजीने चर्चामें उठे मुद्दोंको लिखित रूप दे दिया था; देखिए अगला शीर्षक।

शब्दकी जो परिभाषा की गई है, उसका इन भारतीयोंपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम नेटालमें प्राप्य सबसे अच्छी कानूनी सलाह ले चुके हैं; उसके अनुसार ऐसे भारतीय इस परिभाषाके अन्तर्गत नहीं आते और नये कानूनका उनके अधिकारोंपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी, मैं अपने देशभाइयोंको यह सलाह देनेकी जिम्मेवारी अपने सिरपर नहीं लेना चाहता कि वे सिर्फ इस कानूनी सम्मतिको मानकर चलें। मेरी हार्दिक इच्छा है कि भविष्यमें सामने आनेवाले जिन मुद्दोंका पूर्वाभास कमसे-कम मुझे हो जाये, उनपर विचार किये बिना अथवा उन्हें पूरी तरह समझे बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फिर भी, यदि सरकार "अधिवास" शब्दकी वैसी ही व्याख्या करती है जैसी कानूनी सलाहकारने की है तो इस आशयका कोई आश्वासन दे देनेसे यह मामला तय हो जाता है। अब मैं यह बात आपके सामने अपनेतई साफसे-साफ शब्दोंमें रख दूँ। हम गिरमिटिया भारतीयोंको कोई नया हक दिलानेकी कोशिश नहीं कर रहे हैं; किन्तु हम उनके वर्तमान अधिकारको पूर्ण रूपसे सुरक्षित रखनेके लिए उत्सुक हैं। और भारतीयोंकी मान्यताके अनुसार यह अधिकार इस प्रकार है : यदि कोई ऐसा गिरमिटिया भारतीय — जिसने सन् १८९५के बाद सेवाका अनुबन्ध किया है — अपने अनुबन्धकी अवधि समाप्त होनेपर मुक्त हो जाता है और फिर दुबारा गिरमिटमें बँधे बिना तीन साल तक इस प्रान्तमें रहता है और फिर भारत जाकर पुनः वापस आता है तो उसे नेटालके मौजूदा प्रवासी कानूनके अन्तर्गत, अपने तीन वर्षके निवासके आधारपर, इस उपनिवेशमें प्रवेश करनेका अधिकार है।

३. फ्री स्टेटके सम्बन्धमें मैंने आपका ध्यान जनरल स्मट्ससे प्राप्त एक पत्रकी ओर दिलाया था। इस पत्रमें उन्होंने बताया है कि उनके विचारमें सम्भवतः फ्री स्टेटमें ज्ञापनकी जरूरत नहीं है। यदि सरकारके कानूनी सलाहकारोंके अनुसार कानूनी स्थिति ऐसी ही है तो इस आशयका एक वक्तव्य प्रकाशित कर देनेसे यह कठिनाई दूर हो जायेगी। अब मैं यह निवेदन करनेकी घृष्टता करता हूँ कि नये कानूनके खण्ड १९ के अनुसार जिस ज्ञापनकी आवश्यकता होगी, सम्भव है कि उसके पीछे, पर नये कानूनके खण्ड २८ के साथ-साथ, अन्य सारी नियोग्यताएँ भी छपी रहें। उस अवस्थामें किसी ब्रिटिश भारतीयको फ्री स्टेटके लिए प्रवासी करार देते समय इस ज्ञापनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

४. विवाहके प्रश्नके सम्बन्धमें निवेदन यह है कि सर्ल-निर्णयको^१ ध्यानमें रखते हुए संघमें हुए या होनेवाले भारतीय विवाहोंको कानूनी करार देना आवश्यक है। नये कानूनकी विवाह-सम्बन्धी धारामें से "संघके बाहर" शब्द-समुच्चयको निकालकर, इस कानूनको संशोधित कर देनेसे उक्त उद्देश्य पूरा हो जा सकता है। या फिर इसका एक उपाय यह भी हो सकता है कि विभिन्न प्रान्तोंके विवाह-कानूनोंमें संशोधन करके सरकारको विभिन्न सम्प्रदायोंके लोगोंके लिए विवाह-अधिकारी नियुक्त करनेकी सत्ता

दे दी जाये, और फिर ये अधिकारी सम्बन्धित लोगोंको उनके अपने-अपने धर्ममें विहित ढंगसे सम्पन्न विवाहोंके सम्बन्धमें जो प्रमाणपत्र दें उन्हें सही सबूत माना जाये।

नये कानूनमें किये गये विवाह-सम्बन्धी संशोधनके विषयमें मेरा खयाल है कि उससे केवल एक-पत्नीक विवाहोंको ही मान्यता मिलेगी, और मैं यह भी समझता हूँ कि अभी कानूनी तौरपर कुछ किया भी नहीं जा सकता। किन्तु, इस आशयका कोई आश्वासन दे देना आवश्यक है कि किसी भी भारतीय प्रवासीकी एक पत्नीको— यदि दक्षिण आफ्रिकामें उसकी कोई और पत्नी नहीं हो, भारतमें चाहे जितनी हो— प्रवेश देनेका जो प्रचलन है उसे जारी रखा जायेगा।

और तब सवाल रह जायेगा बहुपत्नीक विवाहका। मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे मामले बहुत नहीं हैं, किन्तु जो भारतीय पहलेसे ही दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए हैं उनकी एकाधिक पत्नियोंको प्रवेश देना आवश्यक है। नये बहुपत्नीक विवाहोंको प्रशासनिक मान्यता देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगोंकी एक सूची आसानीसे तैयार की जा सकती है जिनके इस संघके भीतर या बाहर एकाधिक पत्नियाँ हैं। स्वभावतः मेरा यह कथन ऐसे विवाहोंसे उत्पन्न सन्तानोंपर भी लागू होता है। यह बता दूँ कि सन् १९११के जुलाई महीनेमें जनरल स्मट्सने ऐसा आश्वासन दिया था कि बहुपत्नीक विवाहके विशिष्ट मामलोंपर सरकार विचार करेगी।

मैं समझता हूँ, अब मैंने वे सभी मुद्दे लिख डाले हैं जिनपर हमने बातचीत की थी। यदि आप ऐसा सोचते हों कि इसमें कुछ छूट गया है या मुझे इसमें कुछ और जोड़ना चाहिए तो कृपया वैसा सूचित करें। मुझे तो स्पष्ट दीख रहा है कि इस कठिनाईका हल बहुत आसान है, क्योंकि विवाहकी समस्याको छोड़कर अन्य सारी बातें संसद द्वारा कोई कानून बनाये बिना ही निबटाई जा सकती हैं।

यदि कोई निबटारा हो जाता है तो नये प्रवेशार्थियोंको प्रवेश देनेके तरीके तथा विभिन्न प्रान्तोंके लिए उनकी संख्यापर विचार करना आवश्यक होगा। अब मैं यह निवेदन करूँगा कि यदि मेरे सुझाव जनरल स्मट्सको स्वीकार्य हों तो आप कृपया मुझे टेलीफोन कर दें, ताकि मैं प्रिटोरिया आ सकूँ और समझौतेकी शर्तोंसे युक्त एक अन्तिम पत्र मुझे दिया जा सके। मैं यह निवेदन इस खयालसे कर रहा हूँ कि यदि मुझे कोई पत्र दिया गया और उसकी भाषा किसी स्थलपर सन्दिग्ध हुई तो उसके समाधानके लिए आगे पत्र-व्यवहार करना आवश्यक न हो। इसके अलावा उस अवसरपर नये प्रवेशार्थियोंके प्रश्नपर भी विचार किया जा सकता है। मैं आपको इस बातका महत्त्व तो बता ही चुका हूँ। मुझे भरोसा है कि आप शीघ्र ही उत्तर देनेकी कृपा करेंगे।^१

मैं यह पत्र श्री प्रागजी देसाईके^२ हाथों भेज रहा हूँ। आप जो सन्देश भेजना चाहें, इनकी मार्फत भेज सकते हैं। और यदि आप मुझसे टेलीफोनपर बातें करना

१. इंडियन ओपिनियनमें उन दिनों प्रकाशित एक समाचारसे ज्ञात होता है कि जोहानिसबर्गमें नागरिक अशान्तिके कारण जनरल स्मट्सने कुछ दिनोंके लिए बातचीत स्थगित कर दी थी। फिर शान्ति स्थापित होनेपर अगस्त ११, १९१३ को गांधीजीने पत्र-व्यवहार प्रारम्भ किया।

२. प्रागजी खंडुभाई देसाई, एक सत्याग्रही।

चाहें तो १६३५ नम्बर मिलायें। मैं जहाँ-कहीं भी होऊँगा, वहाँसे शीघ्र ही टेलीफोन-पर आ जाऊँगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३

८९. पत्र : जमनादास गांधीको

ज्येष्ठ वदी १४, १९६९ [जुलाई २, १९१३]

चि० जमनादास,

साँपके काटनेके बारेमें तुमने कुछ सवाल पूछे हैं और [इस प्रसंगमें] दूसरोंके अनुभवोंका उल्लेख किया है। इस सम्बन्धमें मैं जो-कुछ कहूँ, उसे अनुमान-मात्र समझना। उसमें कुछ भी अनुभवपर आधारित नहीं है। तुम्हें जो उदाहरण हाथ लगे हैं, वे बहुत महत्त्व देने लायक नहीं हैं। [झाड़-फूंक करनेवाला] आदमी अपना सिर बड़े जोरसे दायें-बायें हिलाने लगता है—हो सकता है इस बातमें कुछ तथ्य हो। किन्तु ज्यादातर यह चीज ढोंग ही होती है। साँप और बिच्छूके काटनेके ऐसे इलाजोंके बारेमें भी मेरा यही खयाल है। सम्भव है, उसमें कुछ सत्य हो, किन्तु इस प्रकारकी खोजमें पड़ना मैं ठीक नहीं समझता। हमारी सारी प्रवृत्ति केवल आध्यात्मिक होनी चाहिए। सबकुछ—यहाँतक कि आरोग्य भी—इसके भीतर आ जाता है। इतना निश्चित है कि जो व्यक्ति आत्माकी खोजमें लगा हुआ है, उसे बाकी सब अपने-आप मिलता जाता है।

ऊनी कपड़े कई लोग बारहों महीने पहनते हैं। वे नाँन-कंडक्टर (विसम्वाहक) हैं सही, किन्तु गर्मीके महीनेमें ऊनी कपड़े पहनना ठीक नहीं, क्योंकि उससे शरीर नाजुक बनता है। शरीरको समशीतोष्ण रखनेके बजाय यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम उसे ऐसा बनायें कि वह गर्मी-सर्दी दोनोंको सह सके।

ईश्वर है भी और नहीं भी है। शाब्दिक अर्थकी दृष्टिसे वह नहीं है। जिस आत्माको मोक्ष प्राप्त हो गया है, वह ईश्वर है और इसलिए उसे सम्पूर्ण ज्ञान है। भक्तिका सच्चा अर्थ तो आत्माकी खोज है। जिस समय आत्मा अपनको पहचान लेता है, उस समय भक्तिका लय हो जाता है और उसके स्थानमें ज्ञान प्रकट होता है।

नरसी' आदि भक्तोंने आत्माकी ऐसी ही भक्तिपूर्ण खोज की थी। कृष्ण, राम आदि अवतार थे, किन्तु हमारे पुण्य भी यदि उसी कोटिके हों, तो हम भी उन-जैसे हो सकते हैं। जो आत्मा मोक्ष-प्राप्तिकी सीमापर पहुँच गया है, वह अवतार-रूप है। किन्तु, यह माननेका कोई कारण नहीं है कि उसने अपने उसी जन्ममें सम्पूर्णता प्राप्त कर ली है।

१. गुजरातके सन्त कवि नरसी मेहता ।

कृष्ण, राम, बुद्ध, ईसा आदिमें बड़े कौन हैं, यह कहना कठिन है। हरएकका कार्य भिन्न था और हरएकने अपना कार्य एक भिन्न कालमें और भिन्न परिस्थितियोंमें किया। केवल चरित्रका विचार करें तो शायद बुद्ध इन सबसे बड़े थे। लेकिन कैसे कहें? उनका वर्णन भक्तोंने अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार किया है। कृष्णको वैष्णवोंने पूरी कलाओंसे युक्त माना है, और मानना ही चाहिए। उसके बिना अनन्य भक्ति नहीं उपजती। ईसाके विषयमें भी ईसाई लोग ऐसा ही मानते हैं। हिन्दुस्तानमें [अवतारोंमें] कृष्ण अन्तिम थे, इसलिए उनकी विशेष महिमा मानी गई।

ईश्वर नहीं है, ऐसा कहनेवाले लोगोंके मार्ग-भ्रष्ट हो जानेका भय है। क्योंकि तब उन्हें यह भी कहना पड़ेगा कि आत्मा नहीं है। अवतारकी आवश्यकता है और हमेशा रहेगी। ऐसा माना जाता है कि जब लोगोंमें बहुत निराशा फैल जाती है और अनीतिका प्रसार होता है, तब अवतार होता है। दुष्ट लोगोंके समाजमें सर्व-सामान्य नीतिका पालन करनेवाले चन्द लोग अपने लिए [भगवानसे] सहायताकी याचना करते हैं। ऐसे समयमें नीतिका पालन करनेवाला ऐसा कोई बलवान व्यक्ति, जो दुष्टोंसे दबता नहीं, बल्कि दुष्ट ही जिससे दबते-डरते हैं, अपने जीवन-कालमें या मृत्युके बाद अवतार-रूप मान लिया जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनेको जन्मना अवतार माने, ज्यादातर तो यह बात सम्भव नहीं मालूम देती।

धर्मोंकी तुलना करना अनावश्यक है। हमें अपने धर्मको प्रौढ़ मानकर दूसरे धर्मोंको समझनेकी कोशिश करनी चाहिए। साधारणतः धर्मोंकी तुलना करनेमें दया-धर्मको माप-दण्ड माना जा सकता है। जिस धर्ममें दयाको ज्यादा स्थान दिया गया है, वहाँ धर्म अधिक है। “दया धर्मको मूल है” — धर्मकी बात सबको समझानेके लिए यह पहला सूत्र है। “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या,” यह दूसरा सूत्र है। जो सबको भा जाये, ऐसा एक भी सूत्र मिलना कठिन है। किन्तु ऐसा लगता है कि आत्माकी शोधमें लगे व्यक्तिको योग्य कालमें ऐसा कोई योग्य वचन सहज ही मिल जाता है।

जात-पाँतके भेदकी जरूरत है भी और नहीं भी है। लेकिन जबरदस्ती उसका पालन करवाना जरूरी नहीं। परिया लोगोंको उत्तेजन देकर गा. . .ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया।

सच पूछिये, तो जितने मनुष्य हैं उतने ही धर्म हैं। जबतक मनुष्योंके मनमें भेद हैं, तबतक धर्म भिन्न-भिन्न रहेंगे ही। जो व्यक्ति अपनी और दूसरेकी आत्मामें ऐक्य देखता है, वह विभिन्न धर्मोंमें भी ऐक्य देखेगा।

आत्मा जब शरीरके बन्धनसे मुक्त हो जाये, तब यह कहा जा सकता है कि उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्षकी स्थिति कैसी होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इन्द्रियगम्य नहीं है। वह केवल अनुभव की जा सकती है। प्रेत आदि योनियोंका मतलब है दुष्ट योनियाँ, और जो दुष्ट कार्य करते हैं, वे उन योनियोंमें जाते हैं।

दुग्धोपचारकी पुस्तक सरसरी निगाहसे देख गया हूँ। मुझे जँची नहीं। लेकिन मेरे मनकी दशा ही ऐसी है। कोई यह सिद्ध कर दे कि मांसमें शरीरको लाभ पहुँचानेवाले गुण हैं, तो भी मांस त्याज्य ही है। दूधके विषयमें भी मेरा यही विचार

है। वह मांसका ही रूप है और मनुष्यको उसे पीनेका अधिकार नहीं। बच्चा माँका दूध पीता है, इसलिए मनुष्यको गायका दूध पीना चाहिए, यह बात तो अज्ञानकी सीमा है।

मोहनदासके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महात्मा गांधीजीना पत्रो

९०. पत्र : गृह-सचिवको

[जोहानिसबर्ग]

जुलाई [४], १९१३

प्रिय श्री जॉर्जस,

आपके इसी ३ तारीखके नोटके लिए धन्यवाद। श्री पोलकके बारेमें आपसे हुई बातचीतको ध्यानमें रखते हुए कृपया कल शनिवारको आप जितनी जल्दी हो सके, फोन कर लें। मैं लगभग ढाई बजे तक दफ्तरमें रहूँगा। मेरा टेलीफोन नम्बर १६३५ है।

मैंने आपके पास नेटालके उन गिरमिटिया भारतीयोंके मुकदमेसे सम्बन्धित कागजात भेजनेकी बात कही थी जो ३ पौंडी कर दे रहे हैं। मुकदमा है—सुब्रायन बनाम मुख्य प्रवासी-अधिकारी; यह 'नेटाल रिपोर्ट्स'के पृष्ठ ६३८ पर दिया गया है। मुकदमेका सार, जो मुझे तारसे भेजा गया है, इस प्रकार है:

सुब्रायनने गिरमिटियाके रूपमें काम किया था। उसका गिरमिट १९०६में खत्म हुआ था। उसके बाद उसने मई १९११ तक [३ पौंडी] कर दिया। फिर वह अपना कारबार अपनी पत्नीको सौंपकर कुछ दिनोंके लिए भारत चला गया। सुब्रायन नवम्बर, १९१२ में लौट आया, किन्तु उसपर १९०३ के नेटाल अधिनियमके खण्ड ५, उपखण्ड (क) के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा दिया गया। अदालतने खण्ड ३२, उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत निर्णय दिया कि कर देनेके बाद सुब्रायनका स्वतन्त्र भारतीयके रूपमें नेटालमें निवास खण्ड ३२ में "गिरमिट"के तुरन्त बाद दिये गये—“या ऐसे ही” शब्दोंके अर्थके अन्तर्गत नहीं आता और वह खण्ड ४के अन्तर्गत अधिनियमके अमलसे छूट पानेका अधिकारी है।

मेरा खयाल है, आप इस बातसे सहमत होंगे कि इस मामलेसे मेरी बातका पूरा-पूरा समर्थन होता है।

आपका सच्चा,

श्री ई० एम० जॉर्जस

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८२३) की फोटो-नकलसे।

११. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [- २७]

७. अन्य संक्रामक रोग

शीतलाके सम्बन्धमें हम विस्तारपूर्वक विचार कर चुके। इसके बाद इसके मौसरे भाई छोटी माता, मसूरिका आदि रह जाते हैं। प्लेग, हैजा और संक्रामक आँव-पेचिश आदि भी छूतके ही रोग हैं। छोटी माता और मसूरिका आदिसे हम इतना भय नहीं खाते, क्योंकि वे न तो इतने घातक होते हैं और न उनसे शरीर ही कुरूप हो जाता है। इसके सिवा और परिणाम तो शीतलाकी तरह ही होते हैं। उसका विष भी शीतलाकी तरह ही संक्रामक होता है। इन रोगोंके लिए ठंडे जलके उपचार, गीली चादरकी लपेट आदि अकसीर इलाज हैं। इन बीमारियोंमें खुराक एकदम हलकी और सादी होनी चाहिए। यदि ताजे फलोंपर रहा जा सके तो ये रोग बड़ी शीघ्रतासे मन्द पड़ जाते हैं।

[प्लेग की] ग्रन्थि-ज्वर [वाली किस्म] एक भयंकर रोग है। अंग्रेजीमें इसे “ब्यूबनिक प्लेग” कहते हैं। सन् १८९६ से भारतमें लाखों लोग इस रोगके शिकार हुए हैं। यद्यपि भगदड़ खूब मची, पर डॉक्टर इसका कोई इलाज नहीं खोज पाये। आजकल इस रोगके लिए भी शीतलाकी तरह टीके लगाये जाते हैं और इससे लोगोंके शरीरमें प्लेगका हलका-सा बुखार पैदा किया जाता है; डॉक्टर लोग समझाते हैं कि ऐसा कर देनेसे प्लेग नहीं हो पाता। पर यह शीतलाके टीके-जैसा ही ढोंग है और उतना ही दोषपूर्ण है। जिसने शीतलाका टीका लगवाया है, यदि वह टीका नहीं लगवाता तो उसे रोग हो ही जाता, यह नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार प्लेगका टीका लगवानेवाला भी यदि टीका न लगवाये तो उसे प्लेग हो ही जायेगा, कोई दावेके साथ ऐसा नहीं कह सकता। अभीतक प्लेगकी कोई दवा ही नहीं है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि मिट्टी और पानीके प्रयोग इसमें कारगर ही हों। हाँ, जिन्हें मृत्युका भय नहीं है और जो ईश्वरपर आस्था रखते हैं उन्हें नीचे दिये उपाय सुझाये जा सकते हैं :

१. बुखार आते ही या प्लेगका कोई चिह्न दिखाई देते ही गीली चादरकी लपेट लेनी चाहिए।
२. गाँठपर मिट्टीका गाढ़ा लेप लगाया जाये।
३. रोगीको खाना बिलकुल न दिया जाये।
४. यदि खुश्की हो तो नीबूका पानी दिया जाये।
५. रोगीको खुली और स्वच्छ हवामें सुलाया जाये।
६. रोगीके पास एक मनुष्यके सिवा और किसीको न जाने दिया जाये।
७. रोगी यदि इलाजसे बच सकता है तो वह इस इलाजसे अवश्य बच जायेगा।

प्लेगके ज्वरकी उत्पत्ति क्यों होती है, यह अभीतक निश्चित नहीं है। अनेक लोगोंका मत है कि इसका प्रसार चूहोंके जरिये होता है। यह बात बेबुनियाद नहीं जान पड़ती। जहाँ प्लेग हो, वहाँ मकानको साफ रखनेकी जरूरत है। धान्य आदि इस प्रकार रखा जाये कि चूहोंको खानेको कतई न मिले तो वे आये ही नहीं। चूहोंके बिल आदि बन्द कर दिये जायें और जिस घरसे चूहोंको न भगाया जा सके, उस घरको अवश्य छोड़ दिया जाये।

पर यह रोग हो ही नहीं, इसके लिए सर्वोत्तम बात तो यह है कि प्रारम्भ ही से पवित्र और शुद्ध खुराक ली जाये, मिताहार किया जाये, व्यसन छोड़ दिये जायें। व्यायाम किया जाये, खुले वायुमण्डलमें रहा जाये, घर आदिको स्वच्छ रखा जाये और अपनी स्थिति इस प्रकार रखी जाये कि प्लेगकी छूत हमें छू भी न सके। यह स्थिति हमेशा ही रखी जाये पर यदि यह सम्भव न हो तो भी जिन दिनों प्लेग फैल रहा हो उन दिनों तो ऐसा किया ही जाना चाहिए।

ग्रन्थि-ज्वरसे भी भयंकर और उसीके साथ फूट पड़नेवाला रोग है [प्लेगकी दूसरी किस्म] हब्बा-डब्बा ज्वर जिसे अंग्रेजीमें "न्यूमोनिक प्लेग" कहते हैं। इसमें बीमारको श्वासोच्छ्वासमें बड़ी तकलीफ होती है। बुखार भी बड़ा तेज चढ़ता है। रोगी प्रायः बेहोश ही रहता है। इस काल-ज्वरसे तो मनुष्य किस्मतसे ही बच पाता है। इस प्रकारकी महामारी जोहानिसबर्गमें १९०४ में फैली थी और कुल २३ रोगियोंमें से केवल एक रोगी बच पाया था। इसके बारेमें हम पहले कुछ बता चुके हैं। इस ज्वरके लिए भी ग्रन्थि-ज्वरवाले उपचार लागू पड़ते हैं। परन्तु इसमें मिट्टीकी पट्टी छातीके दोनों भागोंपर रखनेकी आवश्यकता है। यदि इतना समय भी न हो कि बीमारको गीली चादरकी लपेट दी जाये तो उसके सिरपर मिट्टीकी पतली-पतली पट्टी रखी जाये। उपचारकी अपेक्षा इस रोगके रोकथामके उपाय ही सरल और सीधे हैं। ऊपर लिखे अनुसार उनका प्रयोग करना बुद्धिमानीकी बात होगी।

हैजेका रोग हमें अत्यन्त भयंकर जान पड़ता है; किन्तु वास्तवमें यह रोग प्लेगके आगे बहुत मामूली है। हैजेमें 'वेट शीट पैक' काम नहीं देता। कारण यह है कि रोगीके शरीरमें पहलेसे ही ऐंठन होती रहती है और उसकी पिंडलियों आदिमें गोले चढ़ते रहते हैं। ऐसे समय पेटपर मिट्टीकी पट्टी रखकर देखनी चाहिए। और जहाँ-जहाँ ऐंठन और गोले चढ़नेका भान होता हो वहाँ गर्म जलकी बोतलें रखनी चाहिए। बीमारके पैरों आदिपर सरसोंके तेलकी मालिश करनी चाहिए। खाना तो उसे दिया ही नहीं जा सकता। रोगी घबराने न पाये, अतः आसपासके लोगोंको चाहिए कि वे उसे हिम्मत बँधायें। यदि उसे लगातार दस्त हो रहे हों तो बार-बार खटियासे उठानेके बजाय खटियापर ही किसी उथले, बर्तनमें, जिसका किनारा तेज न हो, दस्त करा लेना चाहिए। यदि ये इलाज झटपट काममें लाये जायें तो रोगीको हानि पहुँचनेकी सम्भावना बहुत कम हो जाती है। हैजेके रोगसे बचनेके तो बड़े सीधे और सहज उपाय हैं। हैजा प्रायः गर्मियोंमें होता है। लोग एकदम कच्चे या सड़े हुए फल खा लेते हैं। साधारण तौरपर फल खानेकी हममें आदत नहीं है। गर्मियोंमें अनेक प्रकारके फल पकते

हैं और सस्ते होनेके कारण उन्हें लोग ज्यादा खा लेते हैं। दूसरी खुराक तो चलती ही रहती है। अतः इन फलोंका एकाएक बड़ा हानिकारक परिणाम होता है। हम लोगोंको पेट दुखने आदिकी शिकायत तो बनी ही रहती है; ऐसेमें जब किसीका शरीर और बरदाश्त नहीं कर पाता तो उसे हैजा हो जाता है। अन्य लोगोंके शरीरकी हालत भी ऐसी ही होती है। अतः एकको होनेपर दूसरोंको भी हैजा पकड़ लेता है। रोगीके मलकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाती; इसलिए उसपरके कीटाणु हवाको दूषित करते रहते हैं। इसपर गर्मियोंमें जल भी स्वच्छ नहीं होता। चारों ओर सूखापन होता है। अतः जल भी मैला और कीटाणु-दूषित हो जाता है। और उसका सेवन भी बिना छाने या उबाले किया जाता है। ऐसी स्थितिमें रोग क्यों न हो। प्रकृतिने हमारा शरीर बड़ा मजबूत बनाया है, इसीसे हमारा निर्वाह होता रहता है, नहीं तो हमारी चर्चाको देखते हुए तो हमारा फैसला बहुत ही शीघ्र हो जाना चाहिए।

अब हैजेकी हालतमें बरती जानेवाली सावधानीका विचार करें। यह अत्यन्त जरूरी है कि खुराक हलकी और बहुत थोड़ी खाई जाये। अच्छे फल अवश्य खाये जायें परन्तु उनको अच्छी तरहसे देख लिया जाये। लालचमें या स्वादके वशीभूत होकर दाग लगे आम या अन्य फल बिलकुल न खाये जायें। स्वच्छ हवाका सेवन अवश्य करते रहें। पानी तो सदा उबाला हुआ और स्वच्छ मोटी खादीसे छाना हुआ ही पीना चाहिए। रोगियोंका मल जमीनमें गाड़ देना चाहिए और उसपर सूखी मिट्टी फैला देनी चाहिए। यह नियम बना लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति शौचके बाद वहाँ राख डाल दिया करे। इससे भयकी गुंजाइश बहुत कम रह जायेगी। सच देखा जाये तो इस नियमका हमेशा पालन किया जाना चाहिए। बिल्ली भी जमीनको खरोंचकर उसमें पाखाना करती है और फिर उसपर अपने पंजोंसे मिट्टी डाल देती है। केवल हम ही ऐसा नहीं करते और ऐसा करनेमें स्पर्शस्पर्श या धिनका भाव रखकर रोगोंके शिकार बन जाते हैं। राख न मिले तो सूखी मिट्टीका उपयोग करना चाहिए। यदि मिट्टीके ढेले हों तो उन्हें फोड़कर चूरा कर लेना चाहिए।

संक्रामक अतिसार छूतके रोगोंमें सबसे कम खतरनाक है। इसमें यदि पेड़पर मिट्टी बराबर रखी जाये और रोगीका खाना बिलकुल बन्द कर दिया जाये तो रोग नष्ट हो जायेगा। रोगीके मैलेको ऊपर बतलाये मुताबिक जमीनमें दबा देना अत्यन्त जरूरी है। पानीके सम्बन्धमें भी हैजेकी तरह ही सावधानी रखनेकी जरूरत है।

अन्तमें, इन छूतके रोगोंमें बीमारको तथा उसके मित्रों और सगे-सम्बन्धियोंको जरा-भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। भयसे रोगीके जल्दी मर जाने और उसके सम्बन्धियों तथा दूसरोंको भी रोग हो जानेकी सम्भावना रहेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-७-१९१३

९२. जोहानिसबर्गमें उपद्रव

हड़तालका इतिहास

जोहानिसबर्गमें सोनेकी खानोंके क्षेत्रमें गोरे मजदूरोंने एक बहुत बड़ी हड़ताल की। ऐसी हड़ताल पहले कभी देखनेमें नहीं आई। यह सोमवारको समाप्त हुई। उसमें लगभग ४०,००० मजदूरोंने काम करना बन्द कर दिया था। ऐसा कहा जा सकता है कि कारण बिलकुल तुच्छ था; राईका पहाड़ बन गया। एक खानमें चालीस नये मजदूरोंकी नियुक्ति की गई थी। मालिकोंने इन नये मजदूरोंसे हर शनिवार पन्द्रह मिनट अधिक काम करनेके लिए कहा। मजदूरोंने ऐसा करनेसे इनकार किया। मालिकोंने जिद की, जो सरासर भूल थी। आग भड़की। मजदूर-संघके मन्त्रीने नोटिस दिया कि अगर मजदूरोंसे पन्द्रह मिनट अधिक काम करनेके लिए कहा गया तो मजदूर हड़ताल कर देंगे। यह मन्त्री खानमें नौकर नहीं था। उसके पत्रको कोई महत्त्व नहीं दिया गया। इससे मजदूर संघका अपमान हुआ। आगमें घी पड़ा। मजदूरोंने हड़ताल कर दी। अब मालिकोंकी समझमें आया। उन्होंने नये मजदूरोंको उनकी शर्तोंपर वापस लेना स्वीकार किया। लेकिन बाजी हाथसे निकल चुकी थी। अब मजदूर क्यों कर मानते? मन्त्रीके अपमानको उन्होंने अपना अपमान समझा। आग और भड़की। दूसरी खानोंके मजदूर भी उसी संघके सदस्य थे। उन्होंने भी हड़ताल कर दी। एकके बाद एक करके सब खानें बन्द होने लगीं। जो कोई मजदूर कामपर जाता था उसे बलपूर्वक रोका जाता था। बेनोनीमें मजदूरोंने लूट-मार आरम्भ कर दी। मैनेजर आदिके घरोंमें आग लगा दी। बड़ी-बड़ी सभाएँ हुईं। रोषपूर्ण भाषण दिये गये। सरकार सोई हुई थी। पुलिसकी भी व्यवस्था नहीं थी। जो थी, वह अपर्याप्त थी। इससे मजदूरोंका साहस बढ़ा। इसके लिए बहुत-से लोग सरकारको दोष देते हैं।

लपटें जोहानिसबर्ग तक पहुँचीं। शुक्रवारको हद हो गई। जान और माल खतरेमें पड़ गये। सरकारने समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी पुलिसको बुलाया। इस बीच खून-खराबी तो होती ही रही। मजदूरोंकी आँखोंमें खून था। वे लाल पताका और बिल्ले धारण किये हुए थे। उन्होंने ट्रामोंमें काम करनेवाले व्यक्तियोंको डराया-धमकाया। अधिकारियोंने समझसे काम लिया और ट्रामें बन्द कर दीं। मजदूरोंमें श्रीमती फिट्ज्जेराल्ड नामकी एक स्त्री है, वह सबसे आगे थी। पचास व्यक्तियोंकी एक टुकड़ी ले जाकर उसने दूकानदारोंको धमकाया और दूकानें बन्द करवा दीं। जोहानिसबर्गका कारोबार बन्द हो गया। लोगोंने डरके मारे घरोंमें अनाज आदि इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक थैले कोयलेकी कीमत दस शिलिंग तक जा पहुँची।

बात यहीं तक सीमित न रही। रातको श्रीमती फिट्ज्जेराल्ड और उसके साथी रेलवे स्टेशनपर गये। स्टेशनके दरवाजे और खिड़कियाँ आदि तोड़ डाले। टिकिट-घर और गोदामको जलाकर राख कर डाला। पुलिसकी परवाह न की। एक वतनी कर्मचारी उसमें जलकर मर गया। उसके पश्चात् यह टोली रातके लगभग नौ बजे

‘स्टार’ समाचारपत्रके कार्यालयमें गई। कई व्यक्ति खिड़कियाँ तोड़कर अन्दर घुस गये। समाचारपत्रोंका एक ढेर बनाकर उसमें आग लगा दी और पल-भरमें वह सुन्दर इमारत राख बन गई। यह समाचारपत्र बड़े संकटमें पड़ गया है। मंगलवार तक वह प्रकाशित न हो सका। आग बुझानेवाले आये, लेकिन मजदूरोंने उन्हें लौटा दिया। उसके बाद उन्होंने गोला-बारूदकी दूकानको लूटा। वहाँसे बन्दूक और गोला-बारूद प्राप्त करके लड़नेको तैयार हो गये। अन्य दूकानें भी लूटी गईं। तीन-चार भारतीय दूकानोंको भी लूटा गया। यह काम मजदूरोंका नहीं, बल्कि गुण्डोंका जान पड़ता है। अन्धेरगर्दीमें कौन किसकी सुनता है?

इस बीच सरकार चेत गई। जोहानिसबर्गमें जहाँ देखो वहाँ पुलिस हो गई। मुख्य इमारतोंपर पुलिस तैनात कर दी गई। शनिवार दोपहरको हड़तालियोंने रैंड क्लबपर आक्रमण किया। पुलिसने उन लोगोंको धमकी दी, अनुरोध किया। उपद्रवकारी नहीं माने। उनके सरोसे ऊपर आसमानमें गोलियाँ चलाई गईं लेकिन वे नहीं डरे। इसपर पुलिसने सीधे उनके शरीरपर बन्दूकें तानीं। गोलियोंकी बौछार हुई और उसमें अपराधी और निरपराधी दोनों ही तरहके व्यक्ति मारे गये। खूनकी धारा बह चली। अनेक व्यक्ति मरे और अनेक घायल हुए। रेड क्रॉसवाले आये और हताहतोंको अस्पताल ले गये। अब भय फैल गया। दौड़-भाग होने लगी। रैंड क्लब बच गया। इस बीच किसीने अफवाह उड़ा दी कि श्री चडलेने क्लबमें से गोली चलाई थी। तुरन्त ही लोग प्रतिशोध लेनेके लिए उनकी महल-जैसी बड़ी दूकानपर गये। वहाँ उन्होंने खिड़कियोंके शीशे आदि तोड़ दिये और लूट-मार की।

इसी परिस्थितिमें जनरल बोथा और जनरल स्मट्स जोहानिसबर्ग आये। हड़तालियोंके नेताओंसे मिलकर उन्होंने सुलहनामा लिखवाया और उसपर दोनों जनरलोंने तथा हड़तालियोंके तीन नेताओंने हस्ताक्षर किये। समझौतेमें शर्तें इस प्रकार हैं: खानमें [काम करनेवाले] मजदूर वापस लिये जायेंगे; अन्य हड़ताली मजदूरोंको भी वापस लिया जायेगा, हताहतोंकी जिम्मेदारी सरकार लेगी तथा जहाँतक बन पड़ेगा वह उनके सम्बन्धियोंको मुआवजा देगी। अन्य कष्टोंकी भी सरकार जाँच करेगी। मजदूर नेताओंने यह माँग भी की कि जिन व्यक्तियोंने जनताको उकसाया और लूटमारमें भाग लिया उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। जनरल बोथाने कहा कि उनसे जो बन पड़ेगा, वे करेंगे। लेकिन न्यायमें दखल देनेके सम्बन्धमें वे वचन नहीं दे सकते। फिलहाल लगभग एक सौ व्यक्ति पकड़े गये हैं। श्रीमती फिट्जजेराल्ड भी गिरफ्तार कर ली गई हैं। समाचारपत्र निकलने बन्द हो गये थे। ‘स्टार’ के अतिरिक्त अन्य सभी [पत्र] मंगलवारसे निकलने लगे हैं। अन्य काम भी शुरू हो गये हैं और यह लिखते समय ऐसा लगता है, मानो जोहानिसबर्गमें कभी कुछ घटित ही न हुआ हो। मनुष्य अपने कष्टों और विपत्तिको कितनी जल्दी भूल जाता है!

सोमवारको जोहानिसबर्गमें शोक मनाया गया। झंडे झुका दिये गये, सारे मृतकोंको शामके चार बजे दफनाया गया। अनुमान है कि उनके पीछे लगभग तीस हजार व्यक्तियोंकी भीड़ थी। इन व्यक्तियोंकी आँखोंसे अभी कल ही खून टपक रहा था। सोमवारको ये ही लोग शोकमें डूबे हुए, अर्थियोंके पीछे-पीछे, धीमी चालसे चल रहे थे।

हड़ताली नेताओंकी मुश्किलें तो अब शुरू हुई हैं। हड़तालियोंमें अनेक इन नेताओंको दोष देते हैं और कहते हैं कि सरकारने उनको धोखा दिया है। कुछ कहते हैं कि नेताओंने उनके साथ विश्वासघात किया है। कुछ अभी तक लड़ना चाहते हैं। नेताओंने जो किया है, उसे अधिकांश लोगोंने स्वीकार कर लिया है। भिन्न-भिन्न संघोंके मत लिये गये हैं। रेलवेमें काम करनेवाले लोग भी पहले उत्तेजित थे, लेकिन बादमें शान्त हो गये। अनेक लोगोंका विचार है कि सरकार अपनी शर्तोंका किस तरह पालन करेगी, यह देखना चाहिए; और इस प्रकार दैनिक कामकाज शुरू हो गया है। मजदूरोंकी एक सभा हुई, जिसमें कहा गया है कि इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार सरकारने एशियाइयोंको धोखा दिया है, उसी प्रकार वह मजदूरोंको भी धोखा न दे। इस आशंकाके उत्तरमें एक नेताने कहा कि अगर मजदूर लोगोंमें बल कायम रहा तो सरकार विश्वासघात नहीं करेगी और करेगी तो अबकी बार इससे भी बड़े पैमानेपर हड़ताल की जायेगी।

सरकारके विशेष अनुरोधपर तथा इस बातका विचार करके कि लोगोंकी भावनाएँ उत्तेजित न हों, दोनों मुख्य समाचारपत्रोंने अबतक इस भयंकर हड़तालकी टीका करके इसके गुण-दोष नहीं बताये हैं।

इंग्लैंडमें श्री हरकोर्टपर दबाव डाला जा रहा है। दक्षिण आफ्रिकामें साम्राज्य-सरकारकी सेनाएँ तैनात हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि इन सेनाओंका उपयोग इस कामके लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री हरकोर्टसे प्रश्न पूछा गया कि लॉर्ड ग्लैड्स्टनने इस सेनाका उपयोग कैसे किया? कुछ लोग ग्लैड्स्टनको दोष देते हैं। इस प्रकार, इस विद्रोहका इतिहास अभीतक पूरा नहीं हुआ है। अभी तो कोई नहीं कह सकता कि कौन जीता और कौन हारा? अनुमान किया जाता है कि लूटपाट और आगजनीकी घटनाओंसे जोहानिसबर्गमें लगभग पचास हजार पाँडकी हानि हुई। व्यापार, रेलवे, ट्रामों आदिको जो नुकसान हुआ वह अलग। अट्टारह व्यक्तियोंकी मृत्यु हुई। कुल मिलाकर चार सौ व्यक्ति घायल हुए। अब भी लगभग दस घायल व्यक्ति चिन्ता-जनक स्थितिमें अस्पतालमें पड़े हुए हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-७-१९१३

९३. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२८]

८. प्रसूति

साधारण रोगोंके सम्बन्धमें हम विचार कर चुके हैं। इन प्रकरणोंके लिखनेका हेतु यह तो नहीं है कि दुनिया-भरमें पाये जानेवाले सारे रोगोंके विषयमें लिखा जाये या जानकारी दी जाये। बल्कि हेतु कुछ प्रसिद्ध रोगोंके उपचारकी चर्चा करते हुए यह बता देना है कि सभी रोगोंका मूल कारण एक ही है और इसलिए उनका उपचार भी एक-सा ही है। जो लोग रोगोंसे घिरे हैं और मृत्युसे भयभीत हैं उनके हाथमें चाहे जैसी पुस्तकें दी जायें वे तो वैद्य-हकीमोंके पास जायेंगे ही। ये प्रकरण अधिकसे-अधिक इतना ही बता सकते हैं कि साधारण रोगोंसे पीड़ित मनुष्य किस प्रकार अच्छे हो सकते हैं और स्वास्थ्यके नियमोंका पालन करके पुनः बीमार पड़ने या किसी भयंकर रोगके फंदेमें पड़नेसे बचे रह सकते हैं। वैसे इतना कर सकनेकी हिम्मत भी थोड़े ही लोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोगोंके लिए ही ये संक्षिप्त लेख उपयोगी हो सकते हैं। इन प्रकरणोंका यह भी एक हेतु है। अब हम बच्चा और जच्चाकी सार-सँभाल तथा आकस्मिक दुर्घटनाओंकी थोड़ी चर्चा करके इन प्रकरणोंको समाप्त करनेकी स्थितिमें पहुँच जाते हैं।

प्रसूतिको हमने एक हौआ ही बना रखा है। जो नीरोग है उसके लिए प्रसूति बिलकुल खतरनाक नहीं होती। ग्रामीणोंके बीच तो यह मामूली बात मानी जाती है। उनमें गर्भवती स्त्रियाँ अन्ततक काम करती रहती हैं और बच्चेके जन्मके समय उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसे उदाहरण भी देखनेमें आये हैं कि भरवाड़ स्त्रियाँ तो बच्चेको जन्म देकर तुरन्त ही काम करने लगती हैं। दूसरे प्राणियोंमें तो हम देखते ही हैं कि माँको कोई विशेष कष्ट नहीं होता।

तो शहरकी स्त्रियाँ ही क्यों कष्ट भोगती हैं? बच्चेको जन्म देते समय उन्हें असह्य वेदना क्यों होती है। बच्चेके जन्मसे पहले और बादमें भी उनकी विशेष सार-सँभाल क्यों की जाती है? हम जरा इन प्रश्नोंपर विचार करें।

शहरकी स्त्रीकी रहन-सहन बिलकुल अस्वाभाविक होती है। उसकी खुराक, उसका पहनावा-ओढ़ावा प्राकृतिक नियमोंके एकदम विरुद्ध होता है; पर सबसे बड़ा कारण दूसरा ही है। जब किशोर अवस्थाकी बालिका गर्भ धारण करे, गर्भ धारण करनेके बाद भी पुरुष उसका सहवास न छोड़े और बच्चेका जन्म होनेपर ज्यों ही वह जच्चा-खाना छोड़े, उसके साथ पुनः वही व्यवहार जारी हो जाये, और परिणामस्वरूप कुछ ही समय बाद वह पुनः गर्भ धारण कर ले तो ऐसी स्थितिमें वह स्त्री दुःख क्यों नहीं भोगेगी? ऐसी भयानक और करुणाजनक हालत लाखों बालिकाओं और स्त्रियोंकी

देखनेमें आती है। शहरकी ऐसी जिन्दगी और नरकमें कोई फर्क नहीं हो सकता। पुरुष जबतक इस प्रकार राक्षस बना है तबतक स्त्रीको आराम नसीब हो ही नहीं सकता। कई पुरुष हैं जो इसमें स्त्रीको दोषी बताते हैं, परन्तु इस लेखका उद्देश्य दोषोंकी तुलना करना नहीं है। दोष तो दोष ही है, चाहे वह एक पक्षका हो या दोनोंका। और उसे जान लेनेपर माता-पिताओंको—किशोर वरों और बाला स्त्रियोंको सचेत हो जाना चाहिए। जबतक बाल-अवस्थामें विषय, गर्भावस्थामें विषय तथा बालकके जन्मके तुरन्त बाद किया जानेवाला भोग-विलास नहीं रोका जाता तबतक प्रसूतिका सुखपूर्वक होना असम्भव ही है। माताको अनेक बार अधिक कष्ट नहीं भोगना पड़ता और [प्रसूतिके बाद] डेढ़ मास तक कमजोरी रहती है, ऐसी मान्यताके आधारपर स्त्रियाँ प्रसूतिके सर्वसाधारण कष्ट सहन कर लेती हैं, और उन्हें उस हालतका विस्मरण हो जाता है। अतः दिनों-दिन निस्तेज, निर्बल और नामर्द सन्तान उत्पन्न होती जाती है। यह परिणाम भयंकर है और इसकी रोकथामका अथक प्रयत्न सभीको करना चाहिए। यदि एक ही स्त्री या एक ही पुरुष इस अनाचारको त्याग सके तो उतना ही सही। इससे भी सारे जगतका लाभ है। यह कार्य ही ऐसा है कि इसमें किसीको किसीकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

उपर्युक्त चर्चाके आधारपर पहली सावधानी तो यह हुई कि गर्भवती स्त्रीके साथ पुरुषका सहयोग एकदम बन्द किया जाये। इसके बाद आनेवाले नौ महीनोंमें स्त्रीपर अनेक जिम्मेदारियाँ हैं। इतना तो ध्यानमें रहना चाहिए कि बालकके चाल-चलनका आधार माताके इन नौ महीनोंके आचरणपर अवलम्बित है। माँ प्रेमल होगी तो बच्चा भी प्रेमल होगा। यदि माँ क्रोधी होगी तो बच्चा भी क्रोधी होगा। अतः इन नौ महीनोंमें स्त्रियोंको अपनी अन्तर्वृत्ति बहुत परिष्कृत रखनेकी जरूरत है। स्त्रीको इन दिनों पुण्य कृत्योंमें लगे रहना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। दयाकी भावना बढ़ानी चाहिए। मनोवृत्ति उदार रखनी चाहिए। चिन्ता और भयसे मुक्त रहना चाहिए। पशुवृत्तिका तो मनमें प्रवेश भी नहीं होने देना चाहिए। निरर्थक बातोंमें समय नहीं बिताना चाहिए। असत्य-भाषण नहीं करना चाहिए। यदि इन सारे नियमोंका पालन किया जाये तो पैदा होनेवाला बच्चा तेजस्वी हुए बिना न रहेगा।

जैसे मनकी स्थितिको शुद्ध रखना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार शरीरकी स्थिति भी शुद्ध रखनेकी जरूरत है। गर्भावस्थामें माताको अधिक श्वास लेना पड़ता है। अतः ऐसे वातावरणमें रहना चाहिए जहाँ हवा विशेष रूपसे अच्छी हो। अन्न नियमपूर्वक बढ़िया और सुपाच्य खाना चाहिए। पिछले प्रकरणोंमें सूचित स्वास्थ्यप्रद खुराककी योजना की जानी चाहिए। इस कालमें जैतूनका तेल, केले और गेहूँके बने पदार्थ जितने हजम हो सकें उतने लेने चाहिए। यदि कब्ज हो तो दवाके लिए न दौड़कर जैतूनका तेल अधिक लेना चाहिए। यदि मतली होती हो तो पानीमें नीबूका रस—बिना चीनीके—लेना चाहिए। मिर्च मसाले आदि तो इन नौ महीनोंमें त्याग ही दिये जाने चाहिए।

गर्भावस्थामें अनेक स्त्रियोंको रुचि-अरुचि और इच्छा-अनिच्छाकी प्रवृत्ति खूब होती है। इस प्रवृत्तिको दूर करनेका उपाय यह है कि स्त्रीको कटि-स्नान लेना चाहिए।

यह "बाथ" लेनेसे शरीर-बलमें वृद्धि होगी, कान्ति निखरेगी और प्रसव-कालमें वेदना बहुत ही कम होगी। अनेक स्त्रियोंका ऐसा ही अनुभव है। रुचि-अरुचिकी इस प्रवृत्तिके समय मनपर अंकुश भी रखना चाहिए। एकाध बार यदि किसी वस्तुपर मन दौड़े तो उसको एकाध बार टाल देनसे उसे भुलाया जा सकता है। माता और पिताको हर क्षण उदर-स्थित बालकका ही विचार करना चाहिए।

पतिका यह कर्तव्य है कि इस कालमें स्त्रीके साथ झगड़ा-फसाद करके उसे घबराहटमें न डाले। वह उसे बराबर सुखी और प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करे। यदि काम-काजका बोझ अधिक हो तो पतिको चाहिए कि वह उसे कम करनेका प्रयत्न करे। अत्यन्त आवश्यक है कि कुछ समय रोज खुली हवामें घूमने जाया जाये। गर्भाविस्थाके समय माँके पेटमें कोई भी दवा न जाये, इस बातका ध्यान रखना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-७-१९१३

९४. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

"माउन्टेन व्यू"

[जोहानिसबर्ग]

जुलाई १२, १९१३

प्रिय श्री गोखले,

मुझे आशा है, आपको मेरा भेजा हुआ तार^१ यथासमय मिल गया होगा। चूंकि समझौता अनिश्चित था, और आपके तार जरूरी थे इसलिए आपके पास पोलकको भेजना ही सर्वोत्तम समझा गया। यह पत्र लिखते समय तक जनरल स्मट्ससे कोई निश्चित सूचना नहीं मिली है। मेरे एक निजी पत्रके^२ उत्तरमें उनके सचिवने एक तार दिया है कि संकटके कारण जनरल स्मट्सको मेरे उठाये हुए मुद्दोंपर विचार करनेका अवकाश नहीं है। मन्त्रिमण्डलमें आन्तरिक मतभेद भी है।

समझौता होनेकी अवस्थामें मैंने पोलकको यह सुझाव दिया है कि वे अपनी सेवाएँ पूरी तरह आपको अर्पित कर दें। यदि आप उनसे अपने सचिवका काम ले सकें तो मैं जानता हूँ कि वे इसमें अपनेको सम्मानित अनुभव करेंगे और उन्हें इस कामके लिए मुक्त किया जा सकता है। यदि आपका खयाल हो कि उन्हें लन्दन-समितिका मन्त्री बनाया जाये, तो आप उनकी नियुक्ति उस रूपमें कर दें।

उनके खर्चके सम्बन्धमें स्थिति यह है। श्री हस्तमजीने उनके प्रारम्भिक व्ययके लिए लगभग २५० पाँड दिये हैं। मैं उनका माहवारी खर्च, मेरे पास अब भी जो थोड़ा-सा पैसा बचा है, उसमें से दे रहा हूँ। श्रीमती पोलकके खर्च और श्री पोलकके

१. देखिए "तार : गो० कृ० गोखलेको", पृष्ठ ११३-११४।

२. यह उपलब्ध नहीं है।

दफ्तरका किराया देनेके लिए ३५ पाँड प्रतिमासकी आवश्यकता है। मार्ग-व्यय और अन्य व्यय मिलाकर अबतक लगभग ५० पाँड खर्च हो चुका है। इसलिए मैंने उनसे आपको यह सुझाव देनेके लिए कहा है कि यदि सम्भव हो तो मुझे फिलहाल कमसे-कम ३०० पाँड भेज दिये जायें।

किन्तु यदि पैसा इकट्ठा करनेमें आपको तनिक भी [चिन्ता]' या कष्टकी सम्भावना हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके बारेमें परेशान न हों। मैं किसी-न-किसी तरह पोलकके लौटने तक काम चला लूँगा। मैंने अपने तारोंमें आपके सामने अपनी स्थिति रखना अपना कर्तव्य समझा है। किन्तु आपको इन तारोंसे परेशान होनेकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो स्वार्थवश यही सोचता हूँ कि आप अभी कमसे-कम कुछ वर्ष हमारे बीच रहें। हमारी परेशानीके कारण आपके किसी अकल्याणसे मुझे जितना दुःख होगा उतना अन्य किसी बातसे नहीं। संघर्ष फिर आरम्भ होनेकी स्थितिमें भी यह कतई जरूरी नहीं है कि आप अगस्तमें, या स्वास्थ्य-लाभ होनेसे पहले भारत जायें। मैंने सत्याग्रहियोंसे बात कर ली है और उन्होंने मुझे आपको यह सूचित करनेके लिए कहा है कि वे संघर्ष लम्बा चलनेकी सम्भावनासे भयभीत नहीं हैं। मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि यदि मन्त्रिमण्डलीय संकट न आये या हड़तालें न हों और यदि संघर्ष फिर आरम्भ हो तो वह बहुत तीव्र और त्वरित होगा।

मझे आशा है कि आप मेरी इस भयंकर लिखावटको पढ़ सकेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२९) से।

सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ।

९५. प्रवासी कानून-सम्बन्धी विनियम

प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत विनियम बनाये जा चुके हैं और उन्हें संघके 'गज़ट' में प्रकाशित कर दिया गया है।^१ अभी इन विनियमोंका अर्थ समझा सकने योग्य समय हमारे पास नहीं है। हमें इनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर इनके सम्बन्धमें क्या किया जा सकता है, इसका निश्चय करना पड़ेगा। अधिनियमके अमलका आधार ये विनियम ही होंगे। चाहे कितना ही सीधा कानून क्यों न हो, उसे विनियमोंके द्वारा कष्टप्रद बनाया जा सकता है तथा कष्टप्रद कानूनको विनियम बड़ा नरम बना सकते हैं। हम विनियमोंको पढ़ गये हैं, और उनसे इतना अन्दाज तो लग ही जाता है कि उनमें कोई ऐसा विनियम नहीं है जो भयंकर सिद्ध हो। लेकिन हम यह भी देख सके हैं कि इन विनियमोंमें अभी बहुत-कुछ भरना बाकी है; इसलिए सम्भव है कि पूरक विनियम

१. मूलमें यहाँ कुछ कटा-फटा है।

२. विनियमोंकी व्याख्या और सम्बन्धित कागजातोंके लिए देखिए परिशिष्ट ७।

बादमें प्रकाशित किये जायें। इस सम्बन्धमें कुछ सज्जनोंने हमारा ध्यान कानूनके १९ वें खण्डकी ओर खींचा है और कहा है कि या तो हमने इस खण्डके प्रभावको नजरअन्दाज कर दिया है अथवा हम उसे समझ ही नहीं सके हैं। यह खण्ड हमारे ध्यानमें है। हम एक बार फिर इस खण्डका अक्षर-अक्षर पढ़ गये हैं। उसमें कुछ भी खतरनाक चीज हमारे देखनेमें नहीं आई। उस खण्डका भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है :

प्रत्येक व्यक्ति जो संघमें प्रविष्ट हो अथवा उसकी सीमामें पाया जाये, अगर [प्रवासी] अधिकारी चाहे तो उसे उसके सम्मुख उपस्थित होना पड़ेगा और बताना होगा कि वह संघ अथवा अमुक प्रान्तके लिए निषिद्ध प्रवासी नहीं है। [प्रवासी] अधिकारी विनियमोंके अनुसार उस व्यक्तिसे हलफ लेनेको कह सकता है। संघमें दाखिल होने अथवा रहनेके हकको साबित करनेके लिए दस्तावेज अथवा अन्य प्रमाण माँग सकता है और [इस सम्बन्धमें] अगर प्रवासी अधिकारी कोई परीक्षा लेना चाहे अथवा अन्यथा जाँच करना चाहे तो ऐसा करनेके लिए वह [व्यक्ति] बँधा हुआ है। [प्रवासी] अधिकारीको, अगर उस व्यक्तिके किसी रोगसे ग्रस्त होनेका सन्देह हो तो, डॉक्टरी मुआयना करानेका भी अधिकार है। इस प्रकार लिये गये हलफनामेके ऊपर कोई टिकट लगानेकी जरूरत नहीं है। यदि इस तरह परीक्षा लेनेके बाद प्रवासी अधिकारीको लगे कि वह व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी नहीं है तो वह उसे छोड़ देगा; लेकिन जो व्यक्ति ऊपर लिखे अनुसार परीक्षा न दे, अथवा परीक्षा देनेके बाद भी अधिकारीके विचारानुसार बाधित पुरुष जान पड़े, उस व्यक्तिको प्रवासी अधिकारी उतरने नहीं देगा, और उसको लिखित सूचना देगा कि यदि उसे प्रवास निकाय (इमिग्रेशन बोर्ड) में अपील करनी हो तो करे। यदि वह व्यक्ति स्टीमरपर है, तो उसे अपीलका नोटिस तत्काल ही देना पड़ेगा; अन्यथा प्रवासी अधिकारीका लिखित उत्तर प्राप्त करनेके तीन दिनके अन्दर अपीलका नोटिस देना होगा।

हमारी समझमें १९ वें खण्डका अर्थ ऊपर लिखे अनुसार है और इस अर्थको देखते हुए हमें खण्डमें कोई आपत्तिकी बात दिखाई नहीं पड़ती। इस खण्डका अमल बहुत अत्याचारपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऐसे तो बहुत-से खण्ड हैं। इस खण्डके अधीन सरकार प्रवासी अधिकारीको हमसे अँगुलियोंके निशान अथवा अन्य बेहूदी निशानियाँ लेनेकी शक्ति दे सकती है; लेकिन प्रवासी अधिकारीको यह शक्ति सरकारने इस खण्डकी रूसे नहीं दी है। इस तरहका खण्ड पुराने कानूनमें भी है। विनियम बनाकर उनके अधीन इस खण्डकी रूसे अगर सरकार अत्याचारपूर्ण प्रमाण माँगे तो निस्सन्देह हमें उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन यह अलग प्रश्न है और वह १९ वें खण्डसे उत्पन्न नहीं होता। कानूनके द्वारा ऊपर लिखे अनुसार यह अधिकार सरकारको मिलना चाहिए और इस सम्बन्धमें हम कोई आपत्ति नहीं उठा सकते। जबतक ऐसा अधिकार नहीं मिलता तबतक कानून अमलमें आ ही नहीं सकता। हमें इस कानूनके दुरुपयोगका विरोध निरन्तर करते रहना चाहिए। और हम ऊपर कह आये हैं कि उस तरह १९ वें खण्डके अनुसार भी जो विनियम बनाये गये हैं उनमें हमें ऐसा कुछ नजर नहीं

आया जो भय उत्पन्न करता हो। विनियमोंका विशेष अध्ययन करके और अच्छी तरहसे अर्थ समझनेके बाद हम समाजको और भी सलाह दे सकेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-७-१९१३

९६. नया प्रवासी विधेयक

आपत्तिजनक धाराएँ

श्री गांधी जोहानिसबर्गसे लौट आये हैं। जनरल स्मट्सने उनके नाम एक सन्देश भेजा है; उसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल रेलवेमें काम करनेवाले गोरे मजदूर जो हलचल कर रहे हैं उसके कारण उन्हें बिलकुल अवकाश नहीं मिल पाता। उसके कुछ शान्त होनेपर वे इस विधेयककी ओर ध्यान देंगे। इस विधेयकमें जिन मुद्दोंपर फैसला होना बाकी है, वे नीचे दिये जा रहे हैं :

१. जो गिरमिटिया मजदूर १८९५के बाद आये हैं, गिरमिटकी मीयाद पूरी होनेके पश्चात्, यहाँ [नेटालमें] रहनेका उनका अधिकार डूबता दीख पड़ रहा है।
२. दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे सभी भारतीयोंको केपमें किसी भी समय प्रवेश करनेका जो हक अभीतक हासिल था सो छिनता नजर आ रहा है।
३. भारतीयोंके दक्षिण आफ्रिकामें हुए विवाह वैध माने जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, विधेयकमें आये हुए "एक-पत्नीक" शब्दका अर्थ सरकार द्वारा यह न लगाया जाना चाहिए कि यहाँ आनेवाली स्त्री भारतमें अपने पतिकी एकमात्र पत्नी है। जबतक उस व्यक्तिकी दक्षिण आफ्रिकामें दूसरी पत्नी न हो तबतक उस आनेवाली स्त्रीके दाखिल होनेमें अड़चन नहीं होनी चाहिए और फिर जो व्यक्ति दक्षिण आफ्रिकामें असेंसे बसे हुए हैं और जिनके देशमें या यहाँ दो पत्नियाँ हैं, उन दोनों पत्नियोंको [दक्षिण आफ्रिकामें] आने तथा वहाँसे जानेका अधिकार मिलना चाहिए।
४. नये प्रवासीके रूपमें, [ऑरेंज] फ्री स्टेटमें प्रवेश करनेवाले भारतीयसे वहाँ लिया जानेवाला ज्ञापन तलब नहीं किया जाना चाहिए।
५. चालू वर्षमें जिन भारतीयोंको प्रवेश करनेकी परवानगी मिलनी चाहिए उनके सम्बन्धमें भी निर्णय हो जाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-७-१९१३

९७. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२९]

९. बच्चोंकी सार-सम्हाल

यह लेख दाईसे सम्बन्धित कार्योंकी तफसील देनेके विचारसे नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ हम बच्चेका जन्म हो जानेके बादके समयका विचार करेंगे। जो पिछले प्रकरणोंको समझ चुके हैं वे जान सकेंगे कि प्रसूति-कालम भी जच्चा और बच्चा दोनोंका दम अँघेरी कोठरीमें, मैली-कुचैली गुदड़ीमें और जहाँ हवा न आती हो तथा नीचे अँगीठी आदि रखकर नहीं घोंटा जाना चाहिए। प्रसूताको अँघेरेमें रखनेका रिवाज चाहे जितना पुराना क्यों न हो—हानिकारक ही है। बिछौनेके नीचे आग रखनेका रिवाज भी अनावश्यक और जोखिमसे भरा है। सर्दिके मौसममें प्रसूताको अवश्य ही अधिक गर्मीकी जरूरत है और उसके लिए उसे ओढ़ना अधिक चाहिए। कमरेमें यदि सर्दी अधिक हो तो अँगीठी, बाहर निर्धूम करके कमरेमें ले जाई जाये और इस प्रकार हवा गर्म रखी जाये। परन्तु खटियाके नीचे अँगीठी रखनेकी तो कतई जरूरत नहीं है। प्रसूताके बिछौनेमें गर्म जलकी बोतल रखनेसे भी उसे गर्मी मिलेगी। जच्चाको गन्दे और मैले कपड़ोंमें सुलाना भी निरा भ्रम है और उसमें खतरा है। प्रसूतिसे उठनेपर सारे वस्त्रोंको अच्छी तरहसे धोकर काममें लाया जा सकता है।

बच्चेकी तन्दुरुस्ती माताके स्वास्थ्यपर निर्भर है। अतः ऊपर बताई गई सावधानी रखनेके बाद माताको जैसी अनुकूल पड़े वैसी खुराक देनी चाहिए। गोंद आदिके सेवनसे कोई लाभ होता है, ऐसा नहीं जान पड़ता। प्रसूता यदि गेहूँकी चीजें, और केला आदि फलोंके साथ जैतूनके तेलका सेवन करे तो उसके शरीरमें गर्मी रहेगी और दूध बढ़ेगा। जैतूनके तेलसे उसके दूधमें रेचक गुण होगा और बच्चेका पेट साफ रहेगा। शिशुको कोई भी तकलीफ जान पड़े तो माताके स्वास्थ्यकी जाँच की जानी चाहिए। बच्चेको दवा देना तो उसे हाथसे खो देनेके समान है। बच्चेका पेट अत्यन्त नाजुक होता है। और दवाका जहर उसे झट लग सकता है। ऐसेमें माताको ही दवा लेनी चाहिए; इससे औषधिके गुण सूक्ष्म रूपसे माँके दूधमें उतर आयेंगे। अनेक बार बच्चेको खाँसी और बुखार हो जाता है। ऐसी अवस्थामें घबराना नहीं चाहिए बल्कि एक-दो दिन राह देखकर कोई विशेष कारण हो तो उसे दूर करना चाहिए ताकि रोग दूर हो जाये। भाग-दौड़ करने और दवा-दारू करनेसे बच्चेकी तबीयत खराब ही होगी।

बच्चेको सदा कुनकुने पानीसे नहलाना जरूरी है। कपड़े तो उसे भरसक कम ही पहनाने चाहिए। कुछ महीनों तक तो कोई कपड़ा न हो तो विशेष अच्छा। उत्तम तो यह होगा कि एक छोटी-सी नरम चादरमें उसे लपेट रखा जाये और उसपर गरम वस्त्र ओढ़ा दिया जाये। इससे बच्चेको वस्त्र आदि पहनानेकी असुविधा बचेगी और वस्त्र भी कम खराब होंगे। इससे उसकी काठी भी नाजुक होनेके बजाय मजबूत

होगी। उसकी नालपर एक बड़ा कपड़ा लपेट कर उसपर पट्टी बाँध दी जाये। नालमें घागा बाँधकर उसे बच्चेके गलेमें डाल दिया जाता है; यह खराब रिवाज है। पट्टी सुबह-शाम खोली जानी चाहिए। नालके चारों ओर यदि कुछ गीला भाग नजर आये तो उसपर चावलका छना हुआ बारीक साफ आटा रुईके फाहेसे लगाना चाहिए जिससे गीलापन सूख जायेगा।

बच्चेको जबतक माताका दूध भरसक मिलता हो, उसे दूसरी कोई भी खुराक देनेकी आवश्यकता नहीं है। जब दूध कुछ कम उतरने लगे तब गेहूँ भून और पीसकर उसका आटा, गरम पानीमें थोड़ा गुड़ मिलाकर, बच्चेको दें। यह दूध-जैसा ही गुण करेगा। इसके बदले आधा केला कुचलकर और उसमें आधा चम्मच जैतूनका तेल डालकर दोनोंको फेंटकर बच्चेको दिया जाये। यह भी बच्चेके लिए बड़ा फायदेमन्द होगा। यदि गायका दूध देना हो तो प्रारम्भमें तीन भाग जल और एक भाग दूध उबालकर दिया जाये। इसमें भी थोड़ा शुद्ध गुड़ डाला जाये। देखा गया है कि गुड़के स्थानपर चीनी मिलानेसे नुकसान होता है। बच्चेको धीरे-धीरे ताजा मेवा अधिकाधिक देनेकी व्यवस्था की जाये तो उसका रक्त जन्मसे ही शुद्ध होगा और बच्चा तेजस्वी तथा सशक्त बनेगा। दाँत आते ही अथवा उससे भी पहले अनेक माताएँ बच्चेको दाल, भात, सब्जी आदि देने लगती हैं, पर इसमें शंका नहीं कि यह बच्चेके लिए अत्यन्त हानिकर है। चाय-काफी तो बच्चोंको हरगिज न दी जाये।

बालक जब ठीक बड़ा हो जाये, यानी चलना सीख ले तब उसे वस्त्र आदि पहनाये जायें। जूतोंकी आवश्यकता नहीं। उसे काँटों आदिमें तो चलना नहीं पड़ता, अतः बिना जूतोंके रहनेसे उसके पैर मजबूत होंगे और जूतोंमें कसे रहनेके कारण रक्तसंचारमें होनेवाली रुकावट नहीं होगी। निरी शोभाके लिए बच्चेको रेशमी, ऊनी चुस्त पायजामा, सिरपर टोपी आदि पहना देना तो जंगली और हानिकारक रिवाज है। प्रकृतिने उसे जो शोभा दी है, हम उसमें वृद्धि करनेका प्रयत्न कर सकते हैं, यह मान लेना तो निरा अभिमान और अज्ञान है।

बच्चेकी शिक्षा उसके जन्मसे ही शुरू हो जाती है। और यही मानना चाहिए कि उसके खरे गुरु तो माता-पिता ही हैं। बच्चेको धमकाना, उसके शरीरको [वस्त्रादिसे] लाद देना, उसके पेटको ठूस-ठूसकर भरना आदि भी शिक्षाके नियमोंका उल्लंघन ही है। चिड़चिड़े माता-पिताका बच्चा चिड़चिड़ा बनेगा, नाजुक माता-पिताका बालक नाजुक होगा। वह अलफाज भी माता-पिताके ही सीखेगा। माता-पिताके मुँहसे शुद्ध शब्द निकलेंगे तो वह भी शुद्ध बोलेगा। माता-पिता अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चा भी। माता-पिताके मुँहसे यदि अपशब्द निकलेंगे तो बच्चा भी उन्हें सीख जायेगा। माता-पिता अनीतिका आचरण करेंगे तो बालक भी अवश्य ही अनीति ही ग्रहण करेगा। जैसा बाप वैसा बेटा और जैसा वृक्ष वैसा फल — यह कहावत ठीक ही है। बापसे मतलब यहाँ माता-पिता दोनोंसे है। बालक खान-पान भी उन्हींसे सीखेगा। जो सीख बच्चा घरमें हासिल करेगा, भविष्यमें उसे फिर वह नसीब न होगी।

यह सारा विचार करते हुए इसका अन्दाज किया जा सकता है कि माता-पिताका फर्ज कितना नाजुक है। मनुष्य-मात्रका सर्वप्रथम कर्त्तव्य यह है कि वह अपनी

सन्तानको शुद्ध आचरण सिखाये और ऐसा कुछ करे कि बालक अपने लिए और माता-पिताके लिए भी शोभास्पद बने। वृक्ष और उसके फलके सम्बन्धमें हम देखते ही हैं। केलेके वृक्षसे केला ही पैदा होगा और जो अच्छा वृक्ष होगा उसका फल भी उत्तम ही पकेगा। अच्छे व्यक्तियोंके बालक अच्छे ही होंगे। किन्तु मानव-प्राणियोंमें इस नियमका उलटा दिखाई पड़ता है। पवित्र जान पड़नेवाले माता-पिताकी सन्तान अपवित्र और स्वस्थ दीखनेवाले माँ-बापके बच्चे रोगी। ऐसा होनेका प्रधान या एकमात्र कारण यही है कि हम माता-पिताके पदके योग्य न होते हुए भी स्वच्छन्दतापूर्वक माँ-बाप बन बैठते हैं। ऐसेमें बालकके हितकी कौन सोचे? नीतिवान् माता-पिताका तो यह फर्ज है कि वे अपने बच्चेका ठीक ढंगसे पालन-पोषण करें। इसके लिए माता-पिता दोनोंको वास्तविक शिक्षाकी आवश्यकता है। जहाँ माता-पिता ऐसी शिक्षा पाये हुए नहीं हैं और यदि वे अपनी भूल महसूस करते हों तो उन्हें चाहिए कि वे अपने बालकोंको अन्य सुशिक्षित — नीतिपरायण लोगोंको सौंप दें। पाठशालामें जाकर बच्चे सदाचरण सीखेंगे, ऐसी आशा करना व्यर्थ ही है। सदाचरणकी शिक्षाका मार्ग तो केवल एक ही है और वह यह कि बच्चोंको निरन्तर ऐसे वातावरणमें रहना नसीब हो। घरपर एक प्रकारकी शिक्षा और पाठशालामें अन्य प्रकारकी — ऐसेमें बच्चे कभी नहीं सुधर पायेंगे। ऊपर लिखे विचारोंके आधारपर यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा प्रदान करनेका कोई खास समय होता है। बच्चा जन्म लेता है, उसी क्षणसे उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है, और उसी समयसे उसे शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक या धार्मिक शिक्षा मिलने लगती है। शब्द-ज्ञान भी उसे, बोल फूटते ही प्राप्त होने लगता है। अक्षरज्ञान भी वह खेल-खेल ही में माता-पितासे ही प्राप्त कर सकता है। पिछले जमानेमें इसी प्रकार होता था। स्कूलमें दाखिल करनेका रिवाज तो अब चल पड़ा है। बच्चोंके प्रति अपना कर्तव्य माता-पिता यदि ठीक तौरसे पालें तो वे कितने ऊँचे उठ सकते हैं, इसका अन्दाज करना भी सम्भव नहीं है। पर यदि बच्चोंको अपने खिलौनोंकी तरह रखकर उनपर नाहक लाड़ बरसाया जाये, अनुचित प्रेमके वशीभूत हो हम उन्हें मिठाई, सुन्दर सुहावने वस्त्र आदिके द्वारा बचपनसे ही बिगाड़ चलें, मिथ्या स्नेहके कारण उन्हें जैसा चाहे करने दें, स्वयं धनके लालचमें पड़े रहें और बच्चोंमें भी पैसेकी लालसा जगायें; विषयोंमें गर्क होकर बच्चोंके सम्मुख भी वैसा ही उदाहरण पेश करें, आलसी रहकर उन्हें भी आलसी बनायें; गन्दे रहकर उन्हें गन्दगी सिखायें, झूठ बोलकर झूठ सिखायें तो फिर हमारी सन्तान यदि निर्बल, अनीतियुक्त, झूठी, विषयी, स्वार्थी और लालची बन जाये तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात है? इन बातों-पर विचारवान् माता-पिताओंको बहुत-कुछ सोच-विचार करना चाहिए। भारतवर्षका आधा भविष्य माता-पिताके हाथमें है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-७-१९१३

९८. पत्र : जमनादास गांधीको

[फीनिक्स]

आषाढ वदी १ [जुलाई १९, १९१३]^१

चि० जमनादास,

तुम्हारे दो पत्र एक-साथ मिले। मैं तो विवाह करनेकी सलाह देता हूँ। इसका कारण यह है कि मेरे लेखे तुममें तीव्र आत्मबल नहीं है। तुम हठपूर्वक विवाहसे इनकार करते रहो तो इससे तुम्हारे माता-पिताको अत्यन्त दुःख होगा और उससे भी ज्यादा दुःख तुम्हारे [भावी] ससुरको होगा। यह सब तुम कर सकते हो, किन्तु इसके लिए तुम्हें काफी ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। ज्ञान हो जायेगा तब तुम न तो मुझसे सवाल पूछोगे, और न तुम्हारे माता-पिता या अन्य कोई तुम्हारे शब्दोंका गलत अर्थ करेंगे। तुम दृढ़तापूर्वक यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे जो विचार आज हैं वे ही सदा रहेंगे। बुद्धदेवको जिस दिन [केवल] परोक्ष-ज्ञान हुआ उसी दिन वे अपनी स्त्रीको सोता हुआ और माता-पिताको रोता हुआ छोड़कर चले गये। फिर भी दुनियाने उनके कार्यकी सराहना की है। तुम्हारा विचार तो फिलहाल मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा-पर आधारित है। इसलिए मैंने तुम्हारी स्थितिको ध्यानमें रखकर तुम्हें अभीष्ट सलाह दी है। किन्तु मेरी शर्त तुम याद रख सकते हो। मैंने तुमसे यह कहा है कि तुम्हें विवाह तो करना ही पड़ेगा; किन्तु यदि तुम उसके साथ विषय-भोग न करो तो तुम्हारा और उसका उद्धार हुए बिना न रहेगा। और यह उदाहरण दूसरोंके लिए भी उत्तम सिद्ध होगा। विवाह करके अपनी स्त्रीके विषयमें भी अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करना विवाह किये बिना उसका पालन करनेकी अपेक्षा ज्यादा कठिन है। तुम्हारे मनपर ब्रह्मचर्यकी महिमाकी छाप गहरी पड़ी होगी, तभी तुम इसका पालन कर सकोगे। और इसका सम्भव होना पिछले जन्मोंमें संचित महापुण्यके आधारपर ही होगा। ऐसी शक्ति तुममें हो तो तुम्हें यह करना चाहिए। अपने विचार तुम्हें विनयपूर्वक अपने माता-पिताको और उनके द्वारा ससुरको बताना चाहिए। तुम्हें उनसे कहना चाहिए — “मेरा विचार अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करनेका है। मुझे ऐसा लगता रहता है कि विवाह न करूँ तो अच्छा। यदि आप मेरे विचार समझ सकते हैं तो मेरी मदद कीजिए। किन्तु यदि आपको यह सब बालिश बुद्धिका लक्षण मालूम होता हो तो मैं आपकी आज्ञा मानकर विवाह कर लूँगा। किन्तु मैं स्त्री-संग नहीं करूँगा। मैं उससे भी ब्रह्मचर्यका पालन कराने और अपने कार्यमें उसे सहचरी बनानेका प्रयत्न करूँगा। हम एक शय्यापर भी नहीं सोयेंगे। मुझे उसका जितना खयाल करना चाहिए मैं जरूर करूँगा और उसके प्रति स्वच्छ प्रीति रखूँगा।” ऐसे वचन तुम ज्ञानपूर्वक कह

१. यह पत्र जमनादास गांधीके दक्षिण आफ्रिकासे दिसम्बर, १९१२ में भारत चले जानेके बाद लिखा गया प्रतीत होता है।

सको तो उनका प्रभाव पड़ेगा और बादमें यह सब जाहिर करनेके बाद विवाह करने-पर भी उस स्त्रीके साथ विषय-भोग करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जायेगा। तुमने प्रजा-पालन आदिको उपाधि-रूप माना है; तुम देखोगे कि ऐसा करनेमें तुम इस दोषसे भी बच जाते हो।

अभी समझीता नहीं हुआ है। हो जायेगा, ऐसा मानता हूँ। वैसा हो गया तो भी अभी सितम्बरसे पहले यहांसे निकलना सम्भव नहीं होगा। रवाना होते समय मैं तुम्हें तार करूँगा।

हमारे-जैसे लोगोंपर अनुचित आहारका असर तुरन्त ही क्यों हो जाता है, इसका कारण तुमने ठीक-ठीक समझाया है। बुद्धदेवने ज्यों ही भिक्षासे प्राप्त मांसका भक्षण किया, त्यों ही उनका शरीरपात हुआ। श्रीमती वेसेन्टके आहारमें कभी अनजाने अंडे आ जायें तो वे कै कर डालती हैं।

वालजी फौजदारके लड़केके लिए नाकसे पानी लेनेका प्रयोग अच्छा, बल्कि उत्तम, रहेगा। इसके सिवा उसे अपने आहारमें फेरफार करना चाहिए। उसे पहले एक या दो दिनका उपवास करना चाहिए। कुछ दिनतक केवल फलाहार करना चाहिए और वह भी दिनमें एक ही बार। कूनेकी बताई हुई विधिसे [कटि-] स्नान करना चाहिए और रातका भोजन तो बिलकुल छोड़ देना चाहिए। घी पिघलाकर और उसमें कपूरका चूर्ण मिलाकर संधना चाहिए। रोज ऐसा तीन-चार बार किया जाये। तम्बाकू सूंघनेमें भी दोष नहीं है। उसका उपयोग औषधिके रूपमें और विचारपूर्वक किया जाये तो हर्ज नहीं।

सर आइज़क न्यूटनकी खोजके विषयमें तुम्हारा कहना बिलकुल दुरुस्त है। अभी-अभी विख्यात विज्ञान-शास्त्री वैलेसने भी यही कहा है। वे कहते हैं कि इन सारी खोजोंसे लोगोंके नीति-बोधमें कोई सुधार नहीं हुआ है।

दूधके विषयमें किसीने कोई विचार न किया हो, ऐसा माननेका कारण नहीं है। मेरा तो खयाल है कि कई लोग दूधके बिना काम चला लेते होंगे। परन्तु जैसा मैंने लिखा था,^१ किसी महापुरुषने भारतमें मांसके त्यागका जो परिवर्तन कराया वह इतना महत्वपूर्ण था कि दूधके विषयमें विचार करने या लिखनेकी बात, मालूम होता है, किसीको सूझी ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि यह हमारा अज्ञान हो। न तो हमने सब-कुछ पढ़ा है और न सब-कुछ देखा है। इसलिए इस विषयमें यही दृष्टि उत्तम है—भूतकालमें विचार हुआ हो या न हुआ हो किन्तु यह बात हमारी बुद्धिको जँचती है या नहीं? इसके सिवा दूधके त्यागको किसीने न तो पाप बताया है, न कोई ऐसा मानता ही है। स्वामी रामतीर्थका^२ शिक्षण कई जगह मुझे स्थूल प्रतीत हुआ है। कहीं-कहीं तो अनीतियुक्त भी मालूम हुआ है। यात्राके विषयमें उनके विचार बहुत सतही हैं। उनकी तुलनामें मलबारीने^३ कहीं ज्यादा अच्छे विचार प्रकट किये हैं।

१. देखिए खण्ड ११, “पत्र: जमनादास गांधीको”, पृष्ठ ५०९।

२. (१८७३-१९०६); प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि और संत।

३. (१८५४-१९१२); बहरामजी मेरवानजी मलबारी; कवि, पत्रकार और समाज-सुधारक।

भारतके धर्मात्मा व्यक्तिको बाहर जाकर अमेरिकामें कोई उपदेश करनेकी आवश्यकता नहीं है। कर्मयोगने हमारी सीमा बाँध दी है; उसका उल्लंघन करना मोह और ममत्वका सूचक है।

जापान और अमेरिका विकास कर रहे हैं, यह मैंने माना ही नहीं है। यदि कोई मनुष्य अकारण अपने शरीरका बलिदान कर देता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई सत्कार्य किया है। उसके मूलमें ममत्व था और इसलिए उसे पापकर्म कहना होगा।

जहाँ पत्नी-पतिके धर्म भिन्न होते हैं वहाँ एकता नहीं आ सकती।

मुद्रणालय और समाचारपत्र भी दोषपूर्ण चीजें हैं। चूँकि हम यह जानते हैं इसलिए हमें इस किस्मके नये और बड़े काम हाथमें नहीं लेने चाहिए। इस विषयपर मैंने 'हिन्द स्वराज्य'में लिखा है। वह आज भी सही मालूम होता है।

मणिलालने. . . की घटनाके बारेमें तुम्हें लिखा है। इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता। उससे हम कई सबक सीख सकते हैं।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४७) से।

सौजन्य : नारणदास गांधी

९९. पत्र : भवानी दयालको

[फीनिक्स]

आषाढ कृष्ण ५ [जुलाई २३, १९१३]

भाई श्री भवानी दयाल,

तुम्हारा खत मीला है। जोहानिसबर्गसे मेरा जानेका एकदम [तय] होनेके लीये मैं खबर देने न सका। इसलीये माफी चाहता हूँ।

जो पत्रव्यवहार मुलकी प्रधानके साथ चल रहा था वह खलास नहीं हुआ है। परन्तु प्रिटोरियेसे मुझे तार मीलाके जबतक स्ट्राइकका हंगामा चलता है तबतक सरकार दूसरा काम पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। हंगामके बाद फेर मेरा आनेका होगा उस वखत मालूम हो जायेगा की लड़त चलेगी या समाधानी होगी।

स्वामी मंगलानंद पूरी जहेलमें जानेके लीये या तो धर्म बोध करनेके लीये आवे यह सलाह मैं न दे सकता हूँ।

१. मैं

२. मुलकी प्रधान — घानी गृह-मन्त्री ।

३. मौसम, अवधि — तात्पर्य जोहानिसबर्गकी हड़तालकी अवधिसे है; देखिए पृष्ठ १२७-२९ ।

४. समझौता ।

५. जेलमें ।

६. श्श 'तो' को निकाल कर पढ़िए ।

रा० रा० सत्तादेवजी^१ मुसाफरीके लीये कोई वखत आने सकेगे।

मोहनदास गांधीका वंदेमातरम्

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७३५) से।

सौजन्य : विष्णुदत्त दयाल

१००. पत्र : एशियाई-पंजीयकको

[फीनिक्स

जुलाई २३, १९१३के बाद]

एशियाई-पंजीयक

प्रिटोरिया

महोदय,

[विषय :] मुहम्मद ई० भायात : ४१/ई०/८५७

आपके गत २३ जुलाईके पत्रके सन्दर्भमें मैंने हाल ही में जोहानिसबर्गसे टेलीफोन-पर आपसे जैसा कहा था उसके अनुसार मैंने श्री लेनके साथ हुआ अपना पत्र-व्यवहार देख लिया है। मैं आपका ध्यान उनको लिखे गये अपने ११ अप्रैल, १९१२के पत्र^२ और उसी वर्ष ८ मईको सरकारी तौरपर भेजे गये उनके उत्तरकी ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि दोनोंको एक साथ रखकर पढ़नेके बाद मेरी यह व्याख्या असंगत नहीं ठहरती कि अनुमतिपत्रोंको अनिश्चित काल तक (जाहिर है, मन्त्री जबतक चाहे तभीतक) बार-बार नया कराते रहना पड़ेगा। हमेशाकी तरह आज भी मेरा विचार स्थायी प्रमाणपत्रोंकी माँग करनेका है। परन्तु मैं नया कानून पास हो जानेकी राह देख रहा था। हालाँकि नया विधान अब पास हो चुका है, पर दुर्भाग्यवश अभीतक कुछ प्रमुख मसले तय होने बाकी हैं। उनका कोई सन्तोषप्रद हल निकल आनेपर मैं इस बालकके बारेमें समुचित निवेदन करूँगा। मेरा अनुरोध है कि इस बीच अनुमतिपत्रकी अवधि और बढ़ा दी जाये। मैंने देखा है कि आपने पिछले महीनेकी २६ तारीखके अपने पत्रमें भायातको लिखा था कि बालकके अनुमतिपत्रकी अवधि बढ़वानेके लिए उनको १० पाँड जमा कर देने चाहिए। मेरा खयाल है कि १९०८ के अधिनियम ३६ के अन्तर्गत आपको जो सत्ता प्रदान की गई थी वह अब भी यथावत है। यदि आप मेरी व्याख्यासे सहमत हों, तो पैसा जमा कराना आवश्यक नहीं है। आशा है कि मेरे इस निवेदनको देखनेके बाद आप अपने उस पत्रमें कही गई पैसा जमा करानेकी बातपर आग्रह नहीं करेंगे।

१. शायद "सत्तादेवजी" लिखना चाहते हों।

२. देखिए खण्ड ११, पृष्ठ २५३-५४।

मैं आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि बालक अभी सत्रह वर्षका नहीं हुआ है; वह सोलहसे भी कम है।

आपका,

हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८४८) की फोटो-नकलसे।

१०१. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३०]

१०. दुर्घटनाएँ : जलमें डूबना

कुछ रोगोंके सम्बन्धमें हम सहज रूपसे चर्चा कर गये। दुर्घटनाएँ भी समय-समयपर होती रहती हैं। उनके सम्बन्धमें भी प्रत्येक मनुष्यको साधारण जानकारी होनी चाहिए जिससे ऐसे समयमें — जब कि किसीके प्राण संकटमें हों — मदद की जा सके। इस प्रकारकी जानकारी बालकोंको बचपन ही से दी जाये तो उनमें दयाकी वृत्तिका विकास हो सकेगा।

सर्वप्रथम तो हम डूबे हुए व्यक्तिकी हिफाजतकी बात लें। इंग्लैंडमें इस प्रकारकी दुर्घटनाएँ ही जानेपर सहायता करनेके लिए एक परोपकारी मण्डलकी स्थापना की गई है। उसने अनेक हिदायतें, प्रकाशित की हैं। उन्हींके आधारपर कुछ-एक परिवर्तन-परिवर्धनके साथ नीचे दिये सुझाव लिये गये हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्वासके रुक जानेपर मनुष्य शायद ही पाँच मिनट जी पाता है। अर्थात् डूबते हुए मनुष्यको जब पानीसे बाहर निकाला जाता है तब वह लगभग मरा हुआ जान पड़ता है। डूबे हुएको सचेत करने और सजग रखनेके लिए शीघ्र उपाय किये जाने चाहिए। इसमें दो बातोंकी ओर ध्यान रखना चाहिए। एक तो कृत्रिम श्वासोच्छ्वास शुरू करके डूबे हुएको ठीक तौरसे श्वास लेनेकी स्थितिमें लाया जाये; और दूसरे उसे, गर्मी पहुँचाई जाये। उपचारोंका विचार करते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि उस व्यक्तिकी सार-सँभाल तत्काल ही जहाँके-तहाँ, ऐसे स्थानमें जहाँ कोई साधन उपलब्ध नहीं होते, करनी होती है। ऐसी स्थितिमें दो-तीन व्यक्तियोंकी जरूरत पड़ती है। ऐसे अवसरपर मदद करनेवाले व्यक्ति प्रत्युत्पन्नमति, धैर्यवान और तत्पर होने चाहिए; मदद करनेवाले ही यदि घबरा जाये तो कुछ भी नहीं बन पड़ेगा। और यदि ये सभी व्यक्ति अपने-अपने मनकी करना चाहें या आपसमें सलाह-मशविरा ही करते रहें तो मरीजको बचाना कठिन हो जायेगा। सहयोगियोंको अपने बीच सबसे होशियार व्यक्तिको मार्ग-दर्शनके लिए चुनकर कार्य आरम्भ कर देना चाहिए।

मरीजको पानीसे बाहर निकाल लेनेके बाद पहले तो तुरन्त उसके गीले वस्त्र उतार देना चाहिए। लोगोंको अपने पासके सूखे वस्त्रोंसे उसका शरीर पोंछ डालना चाहिए। इसके बाद उसके ललाटपर सहारा देकर धीमेसे उसे उलटा लिटा दिया जाये। फिर उसकी छातीको हाथसे दबा कर उसके मुँहसे कचरा, पानी आदि निकालें और यदि जीभ बाहर निकल आये तो उसे पकड़ रखें। हाथमें रूमाल

आदिके बिना जीभ पकड़कर नहीं रखी जा सकती। जीभको बाहर निकाल कर जबतक मरीजमें चेतनाका संचार हो तबतक उसे बाहर ही पकड़े रखना चाहिए। अब मरीजको सीधा लिटा दिया जाये, परन्तु सिर और घड़का ऊपरी भाग पैरोंकी अपेक्षा कुछ ऊँचा रखा जाये। अब मरीजके सिरके पास किसीको घुटनोंके बल बैठना चाहिए, और मरीजके दोनों हाथोंको धीरेसे उठाकर अपनी ओर सीधा और लम्बा करना चाहिए। ऐसा करनेसे उसकी पसलियाँ कुछ ऊँची उठेंगी और बाहरकी वायु मरीजके शरीरमें प्रवेश कर सकेगी। फिर तुरन्त मोड़कर मरीजके हाथ सीनेपर दबाये जायें। ऐसा करनेसे पसलियाँ दबेंगी और मरीजके शरीरसे श्वास बाहर निकलेगा। चुल्लूसे छातीपर गर्म और ठंडे पानी भी मारते रहना चाहिए। आसपास साधन हों और यदि आँच जलाई जा सके या कहींसे लाई जाये तो मरीजको सेंक करके उसे गर्मी पहुँचाई जाये। अपने पासके वस्त्र मरीजको ओढ़ा दिये जायें। मरीजके शरीरकी मालिश जारी रखी जाये, जिससे उसके शरीरमें गर्मी पैदा हो सके। ये सारे ही उपाय बहुत देर तक करते रहना पड़ता है। एकदम आशा नहीं छोड़ देनी चाहिए। डॉक्टर वेहिंग कहते हैं कि इस प्रकार करते रहनेपर मरीजको ५ घंटोंके बाद भी श्वास जारी हुआ है। अतः तत्परता और शीघ्रतापूर्वक यह क्रिया जारी रखी जाये। मरीजमें चेतना व्याप्त हुई जान पड़े तो झट ही उसे कोई गर्म पेय दिया जाये। नारंगीका रस गर्म पानीमें मिलाकर या दालचीनी, लौंग और मिर्चका काढ़ा देनेसे मरीज चेतन होगा। मरीजकी नाकमें तम्बाकू सुँघानेपर भी कभी-कभी लाभ होनेकी सम्भावना है। मरीजके चारों ओर भीड़ करके किसीको खड़ा नहीं रहना चाहिए; क्योंकि सर्वाधिक आवश्यक बात यह है कि मरीजको अधिकसे-अधिक हवा मिल सके।

मरीज अब जीवित नहीं रहा—साधारण रूपसे इसकी पहिचान इस प्रकार है: उसका श्वासोच्छ्वास बन्द हो जायेगा और छातीपर हाथ या नली रखनेपर घड़कन प्रतीत नहीं होगी। नाड़ी बन्द हो जायेगी। आँखें अघखुली होंगी। पलकें फूली हुई होंगी। जबड़े भिचे होंगे। अँगुलियाँ टेढ़ी होंगी। जीभ दाँतोंके बीच होगी। मुँहसे झाग गिरने लगेगा। नाकसे पानी झरने लगेगा और सारा शरीर निस्तेज हो जायेगा। उसके मुँहके पास पंख ले जानेपर उस [पंख]में कोई कंपन नहीं होगा। शीशा रखनेपर उसपर उच्छ्वासका कोहरा नहीं जमेगा। यदि इनमें से बहुतेरे चिह्न एक साथ हों तो सम्भवतः प्राण जाता रहा है, यही मानना पड़ेगा। डॉक्टर मूर कहते हैं कि ये सारे चिह्न हों तो भी एकाध बार प्राण बचा रह जाता है। प्राण चले जानेकी ठीक निशानी यह होती है कि शरीरमें विकृति शुरू होने लग जाये। यह सब समझ लेनेपर हमें इतना तो जान ही लेना चाहिए कि मरीजकी हिफाजत बड़ी देर तक करनेके बाद ही आशा छोड़नी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-७-१९१३

१०२. तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन

जुलाई २९, १९१३

गोखले

लन्दन

औद्योगिक संकटसे समझौतेकी बातचीतकी प्रगति रुकी।

गांधी

मल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८४४) की फोटो-नकलसे।

१०३. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको

[जोहानिसबर्ग

अगस्त १, १९१३]

प्रिय हेनरी,

देखता हूँ, आपने काममें तनिक भी ढील नहीं आने दी है। आप बड़ी चतुराईके साथ अपना अभीष्ट उत्तर तो हासिल कर ही चुके हैं। जान पड़ता है, रायटरके तारमें भी आपका हाथ है। मुझे इस सबसे आश्चर्य नहीं होता। आप अपने कार्यमें बिलकुल तन्मय हो सकते हैं, इसका मुझे इतनी बार अनुभव हुआ है कि मैं इसका आदी हो गया हूँ।

यहाँकी हड़तालसे सारे काम ठप हो गये हैं। फिलहाल मन्त्रिमण्डलसे हमारे लिए कुछ अपेक्षा करना व्यर्थ है। किन्तु जब भी बातचीत शुरू होगी, उसपर आप वहाँ जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा।

मेरे पास मुश्किलसे १५० पौंड बचे हैं। समझमें नहीं आता, परेशानीकी यह लम्बी अवधि कैसे कटेगी। संघर्ष आरम्भ हो जानेपर तो निधिकी चिन्तासे मुक्त हो जायेंगे, क्योंकि तब [परिवारोंका] निर्वाह माँग-जाँच कर हो जायेगा। किन्तु अनिश्चयकी इस अवस्थामें बहुत कठिनाई हो रही है। यदि श्री गोखले स्वस्थ हों, तो आप स्थितिके सम्बन्धमें उनसे बातचीत करें। हम सार्वजनिक अपील तो किसी भी अवस्थामें नहीं करना चाहते। कोई गुप्तदानी सारी दिक्कत दूर सकता है। किन्तु आप अपनी बुद्धिसे, जो मुनासिब हो, करें। यदि कोई दानी हो तो उसे बता दीजिए कि वह कुछ देगा उसका उपयोग कष्टमें पड़े परिवारोंके लिए नहीं, बल्कि मुझे निश्चिन्त भावसे काममें लगे रहने और हमने अपने ऊपर जो दायित्व ले रखे हैं उनका कुछ ज्यादा आसानीसे निर्वाह करनेकी सुविधा प्रदान करनेके लिए किया जायेगा; इसके अलावा,

१२-१०

उसके बलपर जब हम चाहेंगे, सत्याग्रह संघर्ष भी आसानीसे आरम्भ कर सकेंगे। मैंने आपको आर्थिक स्थिति बता दी है, किन्तु आपको इससे चिन्तित होनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुछ कर सकें, तो करें। यदि न कर सकें तो मैं कोई-न-कोई व्यवस्था कर लूंगा। अभी हमारे पास बैंकमें जेवर जमा है जो हमें भेंटमें मिले थे। यदि आवश्यकता हुई तो मैं उन्हें भी काममें लानेमें नहीं झिझकूंगा।

सबको प्यार।

हृदयसे आपका
भाई

[पुनश्च:]

आप विनियमोंसे सम्बन्धित टिप्पणियाँ पढ़ लें। फिरसे आन्दोलन आरम्भ होनेपर आप उसका उपयोग कर सकें, इस दृष्टिसे मैंने सिनेटकी बहस उद्धृत कर दी है। इससे फिशरकी साख बिलकुल उठ जाती है।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९३०) से।

१०४. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३१]

११. दुर्घटनाएँ : जलना

किसी मनुष्यके कपड़े आदिमें आग लग जानेपर हम घबरा जाते हैं। यह तो जलेपर और दागने-जैसी बात है। जले हुए व्यक्तिको मदद पहुँचानेके बदले हम उसे घोर यन्त्रणा पहुँचाते हैं। अतः यह जान लेना हमारा फर्ज है कि आगसे जले हुए मनुष्यका किस ढंगसे उपचार किया जाये।

यदि वस्त्र आग पकड़ ले तो स्वयं उस व्यक्तिको घबराना नहीं चाहिए बल्कि जलता छोर झटपट हाथोंमें लेकर उसे मसलकर बुझा देना चाहिए। यदि सारे वस्त्रोंने आग पकड़ ली हो तो तत्काल धूलमें लोटने लगना चाहिए या शतरंजी आदि कोई मोटा वस्त्र उसे तुरन्त लपेट लेना चाहिए। पानी हो तो पानी उँडेल लेना चाहिए। आगके बुझते ही सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि शरीर जला है या नहीं। जहाँ जला हो, सम्भव है, वहाँ कपड़ा चिपक गया हो। इसे खींचकर हटाना नहीं चाहिए बल्कि जहाँ कपड़ा चिपका हो उतना स्थान छोड़कर बाकी कपड़ा कैंचीसे काटकर अलग कर देना चाहिए—ऐसी सावधानीसे कि चमड़ी न खिचे। इसके बाद झटपट साफ मिट्टी जुटाई जाये और उसमें ठंडा पानी मिलाकर उसका लेप तैयार करके मिट्टीकी पट्टी चढ़ाई जाये। यह करते ही जलन एकदम ठंडी पड़ जायेगी और रोगीका दर्द घट जायेगा। कपड़ा यदि चिपका रह गया है तो भी पट्टी बाँधनेमें कोई हर्ज नहीं है। मिट्टीकी पट्टी सूखते ही बदल दी जाये। ठंडे जलके प्रयोगसे डरनेका कोई कारण नहीं है।

१. गांधीजीने प्राप्त उपहारों और दानमें मिले आभूषणोंसे १९०१ में एक न्यास स्थापित किया था। यहाँ तात्पर्य उसीसे है।

जिन्हें ये उपाय ठीक न जान पड़ें उनके लिए नीचे लिखे उपचार भी हैं। इन्हें जान लेना चाहिए। ये उपचार एक अंग्रेजी लेखककी पुस्तकसे लिये गये हैं। केलेका पत्ता लेकर उसपर जैतूनका तेल या मीठा तेल चुपड़ दिया जाये और इसे जले अंग-पर बांध दिया जाये। पत्तेके स्थानपर तेलमें डुबोकर मुलायम पतला कपड़ा बांधा जाये तो भी काम देगा। अलसीका तेल और चूनेका पानी बराबर मात्रामें अच्छी तरह मिलाकर उपयोगमें लाया जाये। यह भी लाभदायक है। यदि चिपका हुआ कपड़ा न निकले तो कुनकुने दूध और पानीसे उसे तर किया जाये। खूब तर हो जानेपर वह छूट जायेगा। यदि तेलकी पट्टी बांधी गई हो तो प्रथम बार उसे दो दिनके बाद खोला जाये और फिर उसे प्रतिदिन खोला और बांधा जाये। यदि छाले आ गये हों तो उन्हें फोड़ देना चाहिए, पर उनके ऊपरकी त्वचाको न खींचें।

जलनेपर यदि त्वचा लाल-भर हुई हो तो मिट्टीकी पट्टीसे बढ़कर कोई इलाज नहीं है। जलन तो इससे एकदम शान्त हो जायेगी।

अँगुलियोंके बीचमें जला हो तो ध्यानपूर्वक साफ पट्टी इस प्रकार बांधी जाये कि अँगुलियाँ एक-दूसरेसे मिलने न पायें। अनेक बार दाहक तेजाब आदिके पड़ जानेसे भी आदमी जल जाता है। ऐसे प्रसंगोंपर ऊपर सुझाये उपचार उपयोगी होंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-८-१९१३

१०५. पत्र : जमनादास गांधीको

[जोहानिसबर्ग]

श्रावण सुदी ६, [अगस्त ७, १९१३]

चि० जमनादास,

तुम लिखते हो कि बाथ [कूने द्वारा प्रचारित कटि-स्नान आदि] के विषयमें हरिलालने तुमसे जो-कुछ कहा है उससे तुम भड़क गये हो। भड़कनेका कोई कारण नहीं है। हरिलालने जो-कुछ कहा, बिना जाने कहा है। इतनी ज्यादा सावधानी रखनेकी बिलकुल जरूरत नहीं है। तापक्रम आदि नापनेकी झंझटमें मैं पड़ता ही नहीं। शरीरकी गर्मीसे पानीकी गर्मी कम होनी चाहिए। बाकी जानकारी अनुभवसे मिलती रहती है। जहाँ-जहाँ कूनेका बाथ लागू पड़ता मालूम हो वहाँ-वहाँ उसका प्रयोग निःसंकोच करना चाहिए।

टमाटर, नीबू आदि बुखारका घर माने जाते हैं। उसका कारण यह है कि डटकर भोजन करनेके साथ-साथ ये वस्तुएँ ली जाती हैं और बीमारी आ जानेपर दोष इन वस्तुओंको दिया जाता है। दूसरे, जिस मनुष्यका रक्त मिर्च, काली मिर्च, मसाला,

१. मा३म पड़ता है, यह पत्र दक्षिण आफ्रिकासे जमनादास गांधीके दिसम्बर १९१२ में भारत चले जानेके बाद लिखा गया होगा।

दाल आदि वस्तुएँ खा-खाकर उष्ण हो गया होता है, वह जब नीबू आदि खाता है तो पहले-पहले कोई संकट पैदा हो सकता है। बादमें यदि वह मसाला आदि छोड़कर आवश्यकताके अनुसार नीबू आदिका सेवन करे तो इसमें सन्देह नहीं कि उसका रक्त शुद्ध हो जायेगा। बहुत गर्मीवाली जगहसे निकलकर कोई मनुष्य ठंडी हवाका सेवन करे, तो शरीर अकड़ जाता है; सम्भव है कि मिर्च आदि खानेवाले मनुष्यपर नीबू ऐसा ही असर करता हो।

ब्राह्मणोंको पूज्य माननेके सम्बन्धमें मुझे याद आता है कि मैं तुम्हें लिख चुका हूँ। मैं अच्छी पाठशालाके खिलाफ नहीं हूँ। किन्तु ऐसा जरूर मानता हूँ कि जिसमें बहुत ज्यादा बालक हों, ऐसी पाठशाला अच्छी नहीं हो सकती। इसके सिवा पाठशाला तो वही है जहाँ बालक चौबीसों घण्टे रहें। अन्यथा उन्हें दो प्रकारका शिक्षण मिलता है।

मैं आ जाऊँगा तब प्रेस जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। श्री पोलक अपना घन्घा करेंगे। कुमारी श्लेसिन तो अभीसे अन्यत्र नियुक्त हो गई हैं। श्री कैलेन-बैक शायद मेरे साथ आयेंगे। कुमारी मेरी फिलहाल फीनिक्समें ही रहेगी। मणिलाल साथ आयेगा।

हमारे सब शास्त्र विचारपूर्वक और ज्ञानपूर्वक लिखे गये हैं, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। चार्वाक-दर्शन भी शास्त्र माना गया है। जिसमें शुद्ध ज्ञान है, वही शास्त्र है, ऐसा अर्थ करें तो यह कहा जा सकता है कि समस्त शास्त्र ज्ञानपूर्वक ही लिखे गये हैं। इस विचारके अनुसार जिन शास्त्रोंमें नरमेघ आदिका उल्लेख हो, उन्हें अज्ञानपूर्ण मानना चाहिए। ऐसी बातें, सम्भव है, शुद्ध शास्त्रोंमें बादमें प्रक्षिप्त कर दी गई हों। यह सारी खोज करनेकी आत्मारथीको कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो इतिहासके पण्डितोंके कामकी चीज है। हमें तो लिखे या बोले गये शब्दोंसे सारकी बात ग्रहण करनी है। सब शास्त्रोंको शास्त्र मानकर उनकी अनर्थकारी बातोंमें भी अर्थ ढूँढ़नेकी और उन्हें सिद्ध करनेकी झंझटमें हम क्यों पड़ें?

भारतमें और अन्यत्र ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ-साथ चलते आये हैं। इसीलिए हम देखते हैं, धर्मके नामपर अन्याय-मूलक रिवाज चलते हैं; जैसे कालीके सामने पशु-बलि आदि। इन अनिष्टकारी रिवाजोंको दूर करनेकी खटपटमें भी फिलहाल हम नहीं पड़ सकते। हमारा पहला सूत्र यह है कि हम आत्माको जानें। इतना पाठ पढ़ने और जाननेके बाद बाकी सब-कुछ हमारी समझमें अपने-आप आता चला जायेगा।

यदि विभीषण प्रभु रामचन्द्रके पास निःस्वार्थ बुद्धिसे गये तो उनका ऐसा करना बिलकुल ठीक था। अपने सगे भाईके दोष भी प्रभुसे कौन छिपाना चाहेगा? और भाईके दोष दूर करनेके लिए प्रभुकी सहायता माँगना भी ठीक ही है।

तुमने 'भागवत्' का जो श्लोक उद्धृत किया है, हमें उसके शब्दार्थका आग्रह नहीं करना चाहिए। कृष्णकी लीला तो कृष्ण ही जानते हैं। वे यदि कामनापूर्वक भी कुछ करते हों तो भी हम स्थूल देहधारी प्राणी वैसा नहीं कर सकते। उनकी प्रभुता उन्हें [नियमोंके बन्धनसे] छूट देती है; हम ऐसी छूट नहीं ले सकते। इसके सिवा यह भी

याद रखना चाहिए कि कृष्णके विषयमें भागवत्कारने अपने ज्ञानकी सीमाके अनुसार ही तो लिखा है। कृष्णके वास्तविक स्वरूपको कोई नहीं जानता।

फिलहाल तुम्हें अपने जीवनका उपयोग माता-पिताकी सेवा, शारीरिक श्रम और अध्ययनमें करना चाहिए।

मैं स्थायी रूपसे कहाँ रहूँगा, सो कहा नहीं जा सकता। मैं नहीं जानता, वहाँ मेरी तसवीर मिलेगी। उसका आग्रह करनेकी जरूरत नहीं है। श्री कैलेनबैककी मिल सकती है।

मैंने मोक्ष-प्राप्तिकी परीक्षा अभी पार नहीं की। अपने सभी मनोविकार मैंने अभी नहीं जीते। अभी स्वादेन्द्रियको भी जीत लिया है, ऐसा नहीं माना जा सकता। मेरी यह कहनेकी शक्ति भी नहीं है कि किसी भी हालतमें विषयेन्द्रिय मेरे वशमें ही रहेगी। स्त्री-पुत्रादि और कुटुम्बके प्रति मेरी आसक्ति अभी बिलकुल क्षीण नहीं हुई है। मेरे विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि मैं मोक्षकी प्राप्तिके लिए दृढ़ प्रयत्न कर रहा हूँ।

तुम्हारे उन सब पत्रोंका जवाब, जिन्हें मैं कई दिनसे अपने साथ लिए घूम रहा था, आज पूरा हो गया। अभी भी जो योग्य मालूम हो, सो पूछना।

मैं पिछले दस दिनसे जोहानिसबर्गमें हूँ। समझौता न हो तो संघर्ष पुनः आरम्भ करनेके लिए आया हूँ। क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। प्रिटोरियासे जवाबकी राह देख रहा हूँ। श्री गोखलेकी इच्छाके अनुसार श्री पोलक विलायत गये हैं।

अपना दैनिक कार्यक्रम सूचित करना। भाई कोटवालको पत्र लिखना। उनका पता है — कोटवाल घर, थाणा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४८) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य : नारणदास गांधी

१०६. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३२]

१२. दुर्घटनाएँ : सर्प-दंश

साँपसे मनुष्य सदा ही भय खाता आया है। साँपके सम्बन्धमें भ्रान्तियोंका भी पार नहीं है। साँपका नाम आते ही हम भयभीत हो उठते हैं। रातके समय उसका नाम लेना हो तो उसे [गुजरातमें] “मोटा जीव” कहते हैं। हिन्दुओंमें तो उसकी पूजा होती है। नागपंचमीका दिन सर्प-पूजनका ही दिन माना जाता है। सर्वसामान्य यह मान्यता है कि शेषनागके फनपर पृथ्वीका भार है। भगवान भी शेषशायी अर्थात् शेषनागपर शयन करनेवाले माने जाते हैं। शिव तो सर्पकी माला ही पहनते हैं। “सहस्रमुखी शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकता” — यह कहा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि साँपमें बुद्धि और ज्ञान भी है। कुछ ऐसी ही मान्यता ईसाई धर्ममें

भी है। “सर्पकी बुद्धि जैसी हमारी बुद्धि होनी चाहिए” — अंग्रेजीमें तो ऐसा कह कर तुलना की गई है। नल राजाको कर्कोटक नामक नागने डसकर उनपर उपकार किया था। अपने जहरसे उसने नलको कुरूप बना दिया, जिससे जंगलोंमें भटकते हुए उनपर कोई कुदृष्टि न डाल सके। बाइबिलमें सर्पको शैतानका रूप माना है। सर्प ही ने हीवाको प्रलोभन दिया था।

सर्पके सम्बन्धमें इस प्रकार अनेक मान्यताएँ और दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। उसके प्रति भयकी बात तो समझमें आ सकती है। यदि पूरी तरह उसका जहर चढ़ जाये तो मृत्यु अवश्यम्भावी है; और मृत्युको कौन चाहता है? इसीलिए लोग सर्पसे डरते हैं। भय ही के कारण उसे पूजते हैं, यह भी समझा जा सकता है। साँप यदि छोटा-सा प्राणी होता तो इतना भयंकर होते हुए भी सम्भवतः इतना पूजा न जाता। परन्तु चूँकि वह मोटा, विशाल, सुन्दर और विचित्र प्रकारका प्राणी है, अतः उसकी पूजा भी होती है।

उसमें बुद्धिका आरोप क्यों किया गया है, यह बात विचारणीय है। आजकलके विशेषज्ञ तो कहते हैं कि उसमें बुद्धि नामको भी नहीं है। वे तो कहते हैं कि सर्पको जहाँ देखा जाये, मार दिया जाये। भारतवर्षमें प्रतिवर्ष २०,००० व्यक्ति सर्पदंशसे मरते हैं। ये सरकारी आँकड़े हैं। मेरे खयालसे तो इससे भी अधिक लोग मरते होंगे। प्रत्येक जहरी साँपको मारनेपर सरकार इनाम देती है; पर इनाम रखनेसे कोई फायदा हुआ या नहीं, यह देखना होगा। इतना तो साधारण अनुभव है कि साँप यों नहीं काटता। वह तभी काटता है जब उससे छेड़छाड़ की जाये। क्या यह उसके बुद्धिसम्पन्न होनेका लक्षण नहीं है? यदि यह लक्षण बुद्धिका न हो तो उसकी निर्दोषताका माना जायेगा। अपने बचावमें ही तो वह दाँतोंका प्रयोग करता है। मनुष्य भी तो यही करता है। भारतवर्षको या किसी अन्य स्थानको सर्प-रहित करनेका प्रयत्न नितान्त असम्भव है। यह हो सकता है कि किसी खास स्थानसे साँपोंको दूर कर दिया जाये। उस विशेष स्थानमें आनेवाले साँपोंको मार डाला जाये तो दूसरे साँप आने बन्द हो जायेंगे। वे समझ जाते हैं कि उस स्थानमें जाना मौतके पंजोंमें ही पड़ना है। परन्तु ऐसा तो किसी मर्यादित स्थानके लिए ही किया जा सकता है। हिन्दुस्तान-जैसे विशाल देशके लिए यह प्रयास सम्भव नहीं हो सकता। अतः साँपोंको मारकर जड़-मूलसे नष्ट कर देना तो पैसा पानीमें फेंक देनेके समान है।

साँपोंको भी वही ईश्वर पैदा करता है और उसके सारे कार्योंको समझ लेनेकी शक्ति हममें नहीं है। उसने शेर, सिंह, साँप, बिच्छू आदिको इस कल्पनासे तो नहीं बनाया होगा कि मनुष्य इन्हें मार डाले। यदि सर्प भी सामूहिक रूपसे यह विचार करें कि मनुष्य तो जहाँ देख पाता है वहीं हमें मार डालता है। तब क्या मनुष्यको ईश्वरने साँपोंको मारनेके लिए ही पैदा किया है? तो जिस प्रकार यह कल्पना गलत है ठीक उसी प्रकार साँपोंके सम्बन्धमें हमारे विचार भी निरर्थक ही माने जाने चाहिए।

यूरोपमें सेंट फ्रांसिस नामक एक महायोगी हो चुके हैं। वे जंगलोंमें साँपोंके बीच घूमते-फिरते थे; तो भी वे उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचाते थे। बल्कि वे उनके साथ मित्र-भाव रखते थे। भारतके जंगलोंमें भी हजारों फकीर जोगी बास करते हैं। वे शेरों,

भेड़ियों आदिके बीच निर्भयतापूर्वक घूमते-फिरते हैं, फिर भी उन्हें किसी प्रकारकी हानि होती हो, सो नजर नहीं आता। यह कहा जा सकता है कि उनमें भी कुछ की सर्पों और हिंसक जानवरोंसे मौत तो होती ही होगी; यह सम्भव है। पर इतना तो हम जानते ही हैं कि सर्पादि जन्तु इतने अधिक हैं और उनकी तुलनामें जोगी-फकीर इतने कम हैं कि यदि ये प्राणघाती इनके पीछे ही पड़ जायें तो उनमें से एक भी जिन्दा न बचे। इन जोगी-फकीरोंके पास इन जन्तुओंका मुकाबला करनेके साधन भी नहीं रहते, इतना तो हम मानते हैं और जानते भी हैं। अतः यह साबित होता है कि कितने ही भयंकर माने जानेवाले प्राणी अनेक योगियों और फकीरोंके साथ मैत्री रखते हैं अथवा उन्हें भयमुक्त रखते हैं। मेरी तो यह भी मान्यता है कि यदि हम प्रत्येक प्राणीके प्रति अपनी वैर-भावनाको त्याग दें तो वे जीव भी हमारे प्रति वैर-भाव न रखें। दया या प्रेम मानवका महान् गुण है। इनके बिना वह ईश्वरका भजन ही नहीं कर सकता। दया तो धर्मका मूल ही है, इसका दर्शन हमें सारे धर्मोंमें थोड़ा-बहुत होता रहता है।

हो सकता है, साँपोंकी उत्पत्ति या उनके स्वभावकी क्रूरता हमारे ही स्वभावकी प्रतिच्छाया हो। मनुष्योंमें क्या हिंसक वृत्ति कम है? हमारी जीभमें तो सर्पदंश भरा ही रहता है। हिंसक जानवर शेर, भेड़ियों ही की तरह हम अपने भाई-बन्धुओंको मार डालते हैं। धर्म-ग्रंथोंमें कहा गया है कि जब मनुष्य निर्दोष बन जायेगा तब बाघ और बकरी भी आपसमें मित्रतासे रहेंगे। जबतक हमारे भीतर ही शेर-बकरीका युद्ध चल रहा है तबतक इस विश्व-देहमें भी वह विग्रह चलता रहे, इसमें आश्चर्यकी क्या बात है? हम तो विश्वके दर्पण हैं। हमारे शरीर-जगतमें विश्वके समस्त भाव समाये हुए हैं। यदि उन्हें बदल दिया जाये तो संसारकी भावनामें भी परिवर्तन हो जायेगा यह स्पष्ट है। जो-जो व्यक्ति अपने मनोभाव बदलते जाते हैं उनके लिए संसार भी परिवर्तित होता जाता है। यही ईश्वरकी महान् माया है। यह एक विचित्रता है और इसीमें हमारे सुखका मूल स्रोत है। अतः दूसरे क्या करते हैं, इसकी राह देखनेकी हमें आवश्यकता नहीं रह जाती।

सर्पदंशपर इस प्रकार विस्तारसे लिखनेका हेतु यह है कि सर्पदंशके भौतिक उपाय-भर बतलानेके बजाय उसमें जरा गहरा उतरा जाये तो इस प्रकारके समग्र खतरोंसे बचनेका विशेष चमत्कारी उपाय हमारे हाथ लगता है। और उस उपायको यदि एक पाठक भी ग्रहण करनेका प्रयत्न करें तो हम अपना प्रयास सफल मानेंगे। हम आगे ही कह आये हैं कि आरोग्यके इन प्रकरणोंको लिखनेका हेतु केवल शरीर-आरोग्यकी हिफाजत रखना ही नहीं, बल्कि सब प्रकारके स्वास्थ्य-सम्पादनके साधनोंका विचार करना है।

आजके शोधकर्ता भी इतना कहने लगे हैं कि जिस मनुष्यका शरीर स्वस्थ है, जिसका रक्त परितप्त नहीं है और जिसका आहार सात्विक है, ऐसे मनुष्यको एकाएक साँपका जहर नहीं चढ़ पाता। ठीक इसके विरुद्ध जिस व्यक्तिका खून शराब आदिके पीनेसे अथवा खूब मसालेदार या गर्म तासीरवाला भोजन करनेसे संतप्त हो, ऐसे व्यक्तिके

शरीरमें साँपके जहरका प्रसार एकदम हो जाता है और उसकी मृत्यु चटपट हो जाती है। यह सब वैद्यों एवं वैज्ञानिकोंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। एक लेखकने तो यहाँतक कह दिया है कि जो मनुष्य नमक आदिका सेवन छोड़ देता है और केवल फलादिपर निर्वाह करता है उसका खून इतना शुद्ध हो जाता है कि वह किसी भी प्रकारके जहरका सामना कर सकता है। यह अन्तिम बात किस हदतक सत्य है, यह अनुभवपूर्वक नहीं कहा जा सकता। और जिस व्यक्तिके एक-दो वर्षके लिए नमकका त्याग किया हो, उसका यह मान लेना उचित न होगा कि जो रक्त अनेक वर्षोंके दुरुपयोगसे दूषित हो चुका है वह एक-दो वर्षोंके सदाचरणसे एकाएक सशक्त हो गया है।

ऐसे प्रयोग भी करके दिखाये जा चुके हैं कि जो व्यक्ति भयभीत है और जो क्रोधसे आगबबूला हो रहा है, उसे यदि जहर चढ़े तो उसका असर तत्काल और बहुत शीघ्र होता है। गुस्से या भयके समय मनुष्यकी नाड़ीकी गति अत्यन्त तेज होती है और हृदयका स्पंदन भी अधिक होता है। इसका अनुभव प्रत्येक मनुष्य स्वयं कर सकता है। जब-जब रक्ताभिसरण बड़ी तेज गतिसे होता है तब-तब वह अधिक गर्म हो जाता है और क्रोधादिकी गतिसे झूठी गर्मी उत्पन्न होती है और इसलिए वह हानिकारक होती है। क्रोध भी एक प्रकारका बुखार ही है, इसमें शंकाकी गुंजाइश नहीं है। अतः हम इतना तो देख ही सकते हैं कि सर्पादिके जहरका सरलसे-सरल बचाव तो यह होगा कि हम सात्विक, अर्थात् प्रकृतिने जो खुराक हमें दी है उसे आवश्यक मात्रामें लें, क्रोध न करें, भयभीत न हों, साँप भी डस जाये तो “हाय मरे” कहकर यथोचित उपचार करनेसे पूर्व ही न मर जायें। हमें अपने स्वच्छ जीवनकी अमोघ शक्तिपर विश्वास रखना चाहिए और अन्ततोगत्वा इस विवेकके साथ धीरज रखना चाहिए कि भगवानने जितने दिनतक के लिए जीवन दिया है उतने दिन तक ही उसका निर्वाह होगा।

सर्पदंशसे होनेवाली बहुत-सी मीतें केवल भयसे या गलत उपचारके कारण होती हैं। यह कथन पोर्ट एलिजाबेथ म्यूजियमके प्रधान अधिकारी श्री फिट्ज साइमनका है। उन्होंने साँपोंके सम्बन्धमें अनेक वर्षोंतक अध्ययन किया है। साँपोंके जहरके उन्होंने अनेक प्रयोग भी किये हैं; भिन्न-भिन्न जातिके साँपोंकी जानकारी भी दी है; और उनके उपचार भी बतलाये हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने केवल दहशत खा जानेसे लोगोंको संकटमें पड़ते देखा है और कई केवल खतरनाक इलाजोंके कारण मृत्युको प्राप्त हुए हैं।

सर्पमात्र जहरीले नहीं होते। और जहरीले सर्पोंमें भी सभीके जहरसे तत्काल मृत्यु नहीं होती। बड़े जहरी सर्पको भी अपने जहरकी पूरी थैली हमारे खूनमें खाली करनेका अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए साँपके डसते ही मनुष्यको एकदम भयभीत हो जानेकी आवश्यकता नहीं है। आजकल तो इसका इतना सहज इलाज प्रचलित है कि उसे साँप-काटा व्यक्ति स्वयं ही तुरन्त कर सकता है। इलाज इस प्रकार है :—

साँप जिस स्थानपर काटे पहले उससे जरा ऊपर कसकर रूमाल बाँध दिया जाये। मजबूत पेंसिल या लकड़ीके टुकड़ेसे बल देकर उसे सरलतासे बाँधा जा सकता है।

बाँधनेका हेतु यही है कि जहर नसोंसे होकर आगे न बढ़ने पाये। इसके बाद एक पैनी नोकवाले चाकूसे दंशके स्थानपर लगभग आधा इंचका घाव करके खून निकाल दिया जाये। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट नामक क्षारके बैंगनी चूर्णको उस स्थानपर मला जाये। यह चूर्ण बहुत बड़ा अचूक इलाज माना जाता है। एक ओर जिसमें चूर्ण रखा जा सके और जिसके दूसरी ओर नोकदार छोटा चाकू रहता है, ऐसी डेढ़-एक इंच लम्बी लकड़ीकी नली भी एक शिलिंगमें मिलती है। यदि इलाजके ये साधन पासमें न हों तो घायलके घावको उसके पास मौजूद दूसरा व्यक्ति या स्वयं रोगी ही चूसने लगे और चूसा हुआ थूकता जाये। जिसके मुँहमें छाले वगैरा हों उसे चूसनेका यह काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि चूसनेमें जहर आता है; [मुँह कटा-फटा हो तो जहर उसकी नसोंमें चला जाएगा।] यह उपचार सर्पदंशके पाँच-सात मिनटके अन्दर ही हो सके तभी कारगर हो सकेगा। जहरके एक बार खूनमें दौड़ जानेके बाद उसका उतरना बहुत कठिन हो जाता है। मिट्टीके प्रयोग करनेवाले जुस्ट लिखते हैं कि उन्होंने सर्पदंशसे लगभग-मृत मनुष्यको मिट्टीके प्रयोगसे ठीक किया है। मिट्टीका एक गड्ढा करके घायलको उसमें सुलाया और उसे गर्मी प्रदान की और जहर चूस लिया; घायल उठ खड़ा हुआ। जुस्ट ऐसे दूसरे उदाहरण भी देते हैं। सर्पदंशका मुझे व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, पर मिट्टीके अन्य अनेक प्रयोग करनेके कारण मिट्टीपर मेरी अटल श्रद्धा हो गई है। जिस स्थानपर दंश हो उस स्थानपर घाव करके पोटेशियम परमैंगनेट भर देनेके बाद अथवा चूस लेनेके बाद बीमारको तत्काल आधा इंच मोटी और काफी लम्बी-चौड़ी मिट्टीकी पट्टी बाँध दी जाये। जैसे कि हाथमें दंश हो तो सारे हाथपर ही मिट्टी चढ़ा देना ठीक होगा। हरएक मनुष्यको चाहिए कि वह एक पीपेमें मिट्टी भरकर अपने घरमें सदा तैयार रखे। मिट्टी महीन और छानी हुई हो तो अधिक ठीक। इसे घरके बाहर, घूममें एक ऊँचे स्थानपर, जहाँ पानी न भरे, पीपेमें रखना अधिक अच्छा होता है। फटे हुए वस्त्रोंकी पट्टियाँ भी तैयार कर रखनी चाहिए। यह तैयारी सिर्फ सर्पदंशके ही लिए नहीं है बल्कि अनेक दुर्घटनाओं, चोटों और जख्मोंके काम पड़ती है।

बीमार यदि बेहोश होने लगे या उसका श्वासोच्छ्वास बन्द हो तो डूबे हुए व्यक्तिके लिए कृत्रिम श्वासोच्छ्वासके जो उपचार बतलाये गये हैं उनकी योजना करनी चाहिए। बेहोशी आने लगे तो उसे गर्म पानी या लौंग और दालचीनीका काढ़ा दिया जाये। बीमारको खुली हवामें रखा जाये, पर उसे जाग्रत रखा जाये। यदि उसका शरीर ठंडा होता जान पड़े तो उसके शरीरके आसपास गर्म पानीकी बोतलें रखी जायें अथवा गर्म पानीमें भिगोकर निचोई हुई फलालेनकी तहदार पट्टियाँ रखकर गर्मी पहुँचाई जाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-८-१९१३

१०७. पत्र : प्रवासी-अधिकारीको

[जोहानिसबर्ग
अगस्त १०, १९१३]

प्रवासी-अधिकारी
प्रिटोरिया
महोदय,

मुझे पता चला है कि गत सप्ताह पुरुषोत्तम मावजी नामके एक भारतीयसे, भारतको जाते समय, उनका पंजीयन-प्रमाणपत्र वापस ले लिया गया था। यह प्रमाण-पत्र उन्होंने १९०८ के अधिनियम ३६ के अन्तर्गत प्राप्त किया था। क्या आप कृपा करके मुझे यह सूचित करेंगे कि मुझे जो जानकारी मिली है वह सही है या नहीं; और यदि सही है तो श्री पुरुषोत्तम मावजीसे नये अधिनियमके किस खण्डके अन्तर्गत उनका प्रमाणपत्र वापस लिया गया है ?

आपका आज्ञाकारी सेवक

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८५४) की फोटो-नकलसे।

१०८. तार : गृह-सचिवको

[जोहानिसबर्ग
अगस्त ११, १९१३]

पिछले सप्ताह श्री लेनको लिखा।^१ पता चला कि वे छुट्टीपर हैं। कृपया तसदीक करके तार दें कि क्या अब जनरल स्मट्स मेरे प्रस्तावोंपर विचार कर सकेंगे। जरूरत हुई तो उनसे मुलाकात करने आ जाऊंगा। तार फीनिक्स दें।^१

[गांधी]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३

१. १५ अगस्तके तारमें एशियाई पंजीयकने गांधीजीसे तार करके पूछा कि पुरुषोत्तमका पंजीयन प्रमाणपत्र किस जगह और किसने वापस लिया था। देखिए “नये कानूनका एक असर”, पृष्ठ १५५ और “पत्र: एशियाई पंजीयकको”, पृष्ठ १७३ भी।

२. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

३. उत्तरमें तार और उसके बाद एक पत्र भेजा गया था। देखिए परिशिष्ट ८।

१०९. नये कानूनका एक असर

हमें मालूम हुआ है कि पुरुषोत्तम भावजी नामके एक ब्रिटिश भारतीयको, जो (ट्रान्सवालके) १९०८ के कानून ३६की शर्तोंके अनुसार बाकायदा पंजीकृत हैं, पंजीयन-प्रमाणपत्रसे वंचित कर दिया गया है। जब वह भारत जा रहे थे तो एक अधिकारीने उनसे प्रमाणपत्र ले लिया और कहा कि यदि ट्रान्सवालसे रवाना होनेके एक सालके अन्दर ही वे वापस आ जायेंगे तो प्रमाणपत्र उन्हें लौटा दिया जायेगा। हम आशा तो यही करते हैं कि हमारी यह सूचना सही नहीं है; किन्तु यदि सही है, तो जान पड़ता है कि किसी जरूरतसे ज्यादा उत्साही अधिकारीने यह गलती कर डाली है। किन्तु यदि सरकार कानूनकी ऐसी ही व्याख्या करती हो जिससे ट्रान्सवालके पंजीयन कानूनके अन्तर्गत प्राप्त अधिकारोंपर आंच आये तो यह सरकारके खिलाफ एक और शिकायतकी बात होगी तथा फिरसे संघर्ष आरम्भ करनेका एक और उचित कारण होगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-८-१९१३

११०. स्वर्गीय सर आदमजी पीरभाई

हमें रायटरके तारोंसे यह जानकर अत्यन्त शोक हुआ है कि बम्बईके एक बहुत बड़े दानी सज्जन, सर आदमजी पीरभाई, अब नहीं रहे। वे एक धनी व्यापारी थे; और अपने धनका उपयोग करना जानते थे। वे बम्बईके एक विख्यात आरोग्य-भवन (सैनटोरियम)के स्वामी भी थे। पर उनकी दानशीलता किसी विशेष संस्था या व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं थी। उनकी दान-भावना बहुत उदार थी। पाठकोंको याद होगा कि सर आदमजीके पुत्र श्री करीमभाईने कुछ साल पहले नेटालकी यात्रा की थी। तबसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयों तथा स्वर्गीय सर आदमजीके बीच एक सम्बन्ध स्थापित हो गया था और दक्षिण आफ्रिकाके जो भारतीय उनसे मिलने जाते थे वे उनके मामलोंमें स्नेहपूर्ण दिलचस्पी लेते थे। हम मतात्माके परिवारकी इस भारी क्षतिमें उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-८-१९१३



१११. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३३]

१३. दुर्घटनाएँ : बिच्छू आदिके डंक

मुहावरा है, "जैसे बिच्छूने डंक मार दिया हो।" बिच्छूके डंककी वेदना कुछ ऐसी ही तीव्र होती है। सर्पदंशसे बिच्छूका डंक मनुष्यको अधिक कष्ट देता है, पर तो भी साँपसे हम अधिक भय खाते हैं, क्योंकि साँपके दंशमें मृत्युका भय होता है। बिच्छूके डंकसे मृत्यु कदाचित् ही होती है। डॉ० मूर लिखते हैं कि जिस मनुष्यका खून शुद्ध है उसे बिच्छूके डंकसे बहुत वेदना नहीं होती।

बिच्छूके और इस प्रकारके अन्य जहरी जीवोंके डंकोंके उपाय सरल हैं। जहाँ डंक लगा हो उस स्थानको नोकदार तेज चाकूसे अथवा सर्पदंशके लिए एक खास शस्त्र मिलता है उससे कुरेदकर रक्त बहने दिया जाये और फिर उस स्थानको चूसकर थूक दिया जाये। वेदना आगे न फैले, इसके लिए डंकसे थोड़ी दूरपर पट्टी बाँधी जाये और मिट्टीकी मोटी पट्टी भी बाँध दी जाये। मिट्टीकी पट्टीसे, सम्भव है, ज्यादातर वेदना एकदम कम हो जाये।

कई पुस्तकोंमें लिखा है कि डंकके स्थानपर समभाग पानी और सिरकेमें कपड़ा भिगोकर उसकी पट्टी रखी जाये। या नमकके पानीसे डंकवाला भाग लगातार धोया जाये। यदि वह अंग पानीमें डुबाया जा सके तो उसे डुबोकर रखा जाये। पर इन सारे उपचारोंमें मिट्टीकी पट्टी ज्यादा परिणामकारक उपाय है। दुर्भाग्यसे जिसे बिच्छूका डंक लगेगा, वह इस बातको अनुभव कर सकेगा। याद रखना चाहिए, मिट्टीका लेप जहाँतक बन सके, मोटा होना चाहिए। इसके लिए दो सेर मिट्टी भी अधिक न मानी जाये। मान लें कि अँगुलीमें बिच्छूने डंक मारा है तो कोहनी तक मिट्टीकी पट्टी दी जाये। यह अधिक नहीं है। एक लम्बे बर्तनमें मिट्टीको घोलकर उसमें हाथ डुबाकर रखा जाये तो वेदना हलकी पड़ जायेगी। कनखजूरा, बरं आदिके लिए भी यही इलाज ठीक माना जाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-८-१९१३

पूर्णाहुति

स्वास्थ्य-सम्बन्धी ये प्रकरण पिछले कई महीनोंसे क्रमशः प्रकाशित हो रहे थे। यह उनकी आखिरी किस्त है। यदि मुझे अवकाश मिल पाया तो कुछ-एक सादी वस्तुओंके गुण एवं उपयोगकी एक तालिका इसकी पूर्तिके रूपमें देनेका मेरा इरादा है। परन्तु जिन प्रकरणोंके लिखनेका मैंने विचार किया था वे तो पिछले प्रकरणसे पूर्ण हो चुके हैं। अपने पाठकोंसे विदा लेनेके पूर्व इन प्रकरणोंके लिखनेके उद्देश्यकी छानबीन पुनः एकबार कर लेना उचित जान पड़ता है।

ये प्रकरण किसलिए लिखे गये? यह प्रश्न मैं अपने मनसे बार-बार करता रहा हूँ। मैं वैद्य या हकीम नहीं हूँ। इन विषयोंका मेरा ज्ञान साधारण है। कहीं मेरे ये सुझाव अघकचरे अवलोकन और चिन्तनका परिणाम तो नहीं हैं! वास्तवमें है तो ऐसा ही; चिन्तन और अवलोकन दोनों ही अघूरे हैं; इनका अन्त ही नहीं है। प्रतिदिन ही कुछ-न-कुछ नया देखनेमें आता है और नया सोचने-समझनेको मिलता है। तो फिर यह प्रयास किसलिए? इस प्रकार मेरा मन ऊहापोहमें लगा रहा।

पर चिकित्सा-शास्त्र भी तो अपूर्ण प्रयोगोंपर ही आधारित है। इसमें बहुतेरी नीम-हकीमी है, यह कहा ही जा चुका है। अतः इतनी सारी नीम-हकीमीमें ये प्रकरण भी मान लिये जायें तो हर्ज नहीं होगा। ये लिखे निर्दोष हेतुसे गये हैं। रोग होनेपर औषधि बताना इनका हेतु नहीं है; रोगके प्रतिकारका मार्ग-निर्देशन ही मोटे तौरपर इनका उद्देश्य है। थोड़ा विचार करनेपर यह जाना जा सकता है कि रोगोंके प्रतिकारके उपाय बड़े सरल हैं। उनकी जानकारीके लिए किसी विशेष ज्ञानकी जरूरत नहीं है। पर उस मार्गपर चलना कठिन कार्य है। कुछ-एक रोगोंके बारेमें लिखना तो मैंने ठीक ही समझा—और वह यह बतलानेके लिए कि प्रायः सारे रोगोंका मूल एक ही है और इसलिए उनका इलाज भी एक-सा ही होना चाहिए। यह भी है कि बहुत सावधान रहनेके बाद भी अनेक बार ऐसा होता है कि इन प्रकरणोंमें लिखी व्याधियाँ हो ही जाती हैं। इनके थोड़े-बहुत इलाज तो प्रायः सभी जानते-बताते हैं। मेरा अनुभव भी इन्हींमें शामिल कर लिया जाये, तो हानिकी कोई सम्भावना नहीं होगी।

पर मुख्य बातपर चर्चा करना बाकी है। स्वास्थ्यकी आवश्यकता क्या है? हमारी जीवनचर्या तो कुछ ऐसी ही जान पड़ती है, जैसे उसकी कोई जरूरत ही नहीं हो। इतना तो स्पष्ट है कि शरीरको हूँटपुँट बनाकर उसे ऐश-आराममें लगा दिया जाय, अथवा पृथ्वीपर केवल वही परम प्राप्तव्य है, ऐसा मान लिया जाये और उसे शक्तिशाली देख-देखकर उसपर गुमान किया जाये—यदि स्वास्थ्य प्राप्त करनेका इतना ही हेतु हो तो इससे तो ऐसे स्वास्थ्यकी अपेक्षा शरीर कुष्ठसे आक्रान्त हो जाये यही अधिक समुचित होगा।

सभी धर्मोंने इस शरीरको ईश्वर-मिलनका, उसे पहचाननेका साधन माना है। इसे देव-मन्दिर ही कहा गया है। हमें यह किरायेपर मिला है और इसके किरायेके रूपमें हमें केवल उस प्रभुकी स्तुति — इबादत — भर करनी है। किराये पट्टेकी दूसरी शर्त यह है कि इसका दुरुपयोग न किया जाये। इसे बाहर और भीतरसे स्वच्छ रखा जाये और हमें यह जिस हालतमें मिला है उसी हालतमें उस मालिकको एक निश्चित मुद्दतमें वापिस लौटा देना है। यदि हम किराये पट्टेकी सारी शर्तोंका ठीक तौरसे पालन करें तो मुद्दत पूरी होनेपर मालिक हमें इनाम बख्शता है, और अपना वारिस बना देता है।

जीवमात्रके शरीर है और उसका गठन प्रायः एक-सा है। मतलब यह कि उसे सुनने, देखने, सूँघने और भोगनेके साधन दिये गये हैं। परन्तु मानव-देहको तो “रत्न चिन्तामणि” कहकर उसका गुणगान किया गया है। “रत्न चिन्तामणि”का अर्थ यह है कि यह ऐसा रत्न है जिससे मनोवांछित प्राप्त किया जा सकता है। पशुदेह द्वारा जीव ज्ञानपूर्वक भक्ति नहीं कर सकता। जहाँ ज्ञानपूर्वक भक्ति न हो वहाँ मुक्ति नहीं हो सकती और जहाँ मुक्ति न हो वहाँ सच्चा सुख नहीं है और उसके बिना वास्तविक दुःखका नाश भी सम्भव नहीं है। इस शरीरका सदुपयोग हो, अर्थात् इसे ईश्वरका भवन बनाया जाये तभी यह कामका है; अन्यथा यह हाड़-मांस और रक्तका एक घृणित पिण्ड-मात्र है। उससे निकलनेवाला पानी और श्वास विषैला है। शरीरके असंख्य छोटे-मोटे छिद्रोंसे निकलनेवाली किसी भी वस्तुका हम संग्रह करना नहीं चाहते। उनका खयाल करते हुए, उन्हें देखते हुए और उसका स्पर्श करते हुए हमें कै होने लगती है। बड़े परिश्रमके बाद ही हम कीड़े पड़नेसे उसे बचा पाते हैं। इसी [देह]के जरिये हम हजारों ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे शरारत, ढोंग, स्वेच्छाचार, कपट, चोरी आदि। इस ‘हँड़िया’को हमेशा नित नये पदार्थ चाहिए। और इस सबके बाद भी यह ऐसी क्षणभंगुर है कि प्रहार-सहनकी शक्ति तो इसमें वास्तविक हँड़ियासे भी कम है। क्षणभरमें ही तो इसका नाश हो जाता है।

शरीरकी ऐसी स्थिति ठीक ही है। जिस वस्तुका अच्छेसे-अच्छा उपयोग हो सकता है उसके दुरुपयोगकी सम्भावना भी उसमें रहती ही है। यदि ऐसा न हो तो उसकी कीमत ही नहीं आँकी जायेगी। हम सूर्यके तेजकी परीक्षा करनेकी क्षमता रखते हैं; क्योंकि सूर्यके अभावमें अन्धकार कैसा होता है, उसे भी हम देख सकते हैं। और जिस सूर्यके बिना हमारा जीवन क्षण-भरको भी नहीं टिक सकता, उसी सूर्यमें ऐसी शक्ति है कि वह हमें जलाकर खाक कर सकता है। राजा बड़ा भला भी हो सकता है और अधम भी।

इस शरीरपर काबू पानेके लिए ईश्वर जी-जानसे प्रयत्नशील है। इसी प्रकार राक्षस या शैतान भी जी-तोड़कर जुटा है। जब वह ईश्वरके आधीन रहता है तब वह रत्नके समान है और जब वह शैतानके कब्जेमें होता है तब तो नरककुण्ड ही बन जाता है। जो विषय भोगनेमें मग्न रहता है, जिसमें सड़नेवाले और सड़ांध पैदा करनेवाले खाद्य दिन-भर भरे जाते हैं, जिसमें से दुर्गन्ध आती रहती है, जिसके हाथ-पाँव आदि अंग चोरी करनेमें प्रवृत्त होते हैं, जिसकी जीभ अकथनीयको कहनेमें, और

अग्राह्यको ग्रहण करनेमें, जिसके कान न सुनने योग्यको सुननेमें, जिसकी आंखें अदर्शनीयको देखनेमें और जिसकी नाक न सूंघने योग्यको सूंघनेमें प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे शरीरको तो नरकसे भी बदतर मानना चाहिए। नरकको तो सभी नरक मानते हैं; किन्तु यद्यपि देहका उपयोग नरककी तरह किया जाता है, फिर भी हम से स्वर्ग ही मानते रहते हैं। शरीरके सम्बन्धमें ऐसा-कुछ राक्षसी दम्भ या ढोंग चला आ रहा है। पाखानेको पाखाना समझकर उसका उपयोग समझा जा सकता है परन्तु यदि महलका उपयोग पाखानेकी तरह किया जाये तो विपरीत परिणाम होगा ही। अतः यदि शरीर शैतानके कब्जेमें हो तो उसके स्वास्थ्यकी कामना करनेकी अपेक्षा उसके नाशकी इच्छा करना ही हितकर है।

स्वास्थ्यके इन प्रकरणोंके द्वारा यह बतलानेका प्रयत्न किया गया है कि ईश्वरीय नियमोंका पालन करनेसे ही शरीर नीरोग रह सकता है। शैतानके नियमोंके वशीभूत होकर शरीरको कभी स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। जहाँ सच्चा स्वास्थ्य है, वहीं सच्चा सुख है और सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करनेके लिए हमें अपनी स्वादेन्द्रिय — जीभपर विजय प्राप्त करनी ही चाहिए। यदि इतना-भर हम कर पायें तो दूसरी विषयेन्द्रियाँ स्वयं ही काबूमें आ जायें। जिसने अपनी इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लिया है, वह सारे संसारको वशमें कर सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ईश्वरका वारिस, उसका अंश बन जाता है। न राम 'रामायण'में है और न कृष्ण 'गीता'में, खुदा भी 'कुरान'में नहीं है और न ईसा 'बाइबिल'में — ये सभी मानवके अपने चरित्रमें समाये हुए हैं और चरित्र नीतिमें तथा नीति सत्यमें समाहित है; और सत्य ही शिव है। आप चाहे जिस नामसे इसे पुकारें, यह वही है। और आरोग्यके इन प्रकरणोंमें इसी तत्त्वकी यत्र-तत्र झाँकी दीख पड़े, यही इस प्रयासका मूल हेतु है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-८-१९१३

११३. पत्र : मणिलाल गांधीको

फीनिक्स जाते हुए ट्रेनमें

[अगस्त १६, १९१३के बाद]

चि० मणिलाल,

आशा है, तुम 'इंडियन ओपिनियन'की फाइल साथ ले गये हो। आलस्यसे हमेशा डरते रहना।

सुबह, बलपूर्वक ही क्यों न हो, चारके पहले उठना। मैं आजकल अस्वस्थ हूँ, इसलिए इस विषयमें कमजोर साबित हो रहा हूँ। किन्तु इस कारण मेरी इस अनियमितताकी तुम नकल न करना।

१. पत्रमें उल्लिखित स्वास्थ्य-सम्बन्धी लेखोंमें अन्तिम लेख इंडियन ओपिनियनके १६-८-१९१३के अंकमें प्रकाशित हुआ था।

निर्धारित सभी काम रोजके-रोज पूरे कर डालनेकी आदत बनाओ। हरएक कार्य सोच-विचारकर, समझदारीके साथ करना चाहिए। श्री रिचके पूछनेपर उसी समय तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार उचित उत्तर देना चाहिए था। अब जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाये और कार्यक्रममें नियमितता आ जाये तब किसी दिन शामके समय एक-दो घंटेके लिए उनके पास हो आना। अगले हफ्तेके दो-चार दिन बीतने तक न जाना ज्यादा ठीक रहेगा।

गणितके कुछ सवाल हर दिन करनेके नियमका पालन करना। हमने जितने घंटे रखे हैं उनमें गणितके सवालोंका. . .।'

. . . और उसका समावेश आरोग्य सम्बन्धी पुस्तिकाकी विषय-सूचीमें हो सकेगा।

मुझे प्रतिदिन, रविवारके दिन भी, नियमपूर्वक पत्र लिखते रहना और अपने मनमें आये हुए विचारोंकी सूचना देना।

दूसरोंका भला करनेमें सदा उत्साह रखना। पिछली रात तुम्हें तुरन्त लालटेन लेकर जानेकी बात सूझनी थी। आये हुए मेहमानका आदर-सत्कार तत्परता और प्रेमके साथ करना चाहिए। ठंड या धूपसे शरीरकी रक्षा करते रहना; किन्तु उसका कष्ट न मानना।

वहाँ हमारा चमड़ेका बटुआ रह गया है — वही जो श्री कैलेनबैक ले गये थे। कुछ टोकरियाँ भी हैं। इन सब चीजोंको सँभालकर रखना; वे हमारे काम की हैं।

गेहूँ तो है ही; इसलिए रोटियाँ बनानेमें पहले उसे पीसकर उसका उपयोग करना। बादमें आटा मँगाना ज्यादा ठीक रहेगा; इस आटेकी रोटी [भी] सामान्यतः ठीक रहती है।

बापूके आशीर्वाद

,गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०१) से।

सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी

११४. स्वर्गीय श्री जोसेफ जे० डोक'

श्री डोक अब नहीं रहे। यह बड़ा भयानक विचार है। अभी उसी दिन तो मित्रोंने उन्हें विदा दी थी और वे मनमें आशा और उत्साह लेकर कांगोके पास रोडे-शियाके पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रके लिए रवाना हुए थे और अब वे ही परमगतिको प्राप्त हो गये हैं। उन्होंने इस नश्वर शरीरका त्याग उस समय किया जब उनके निकट उनका कोई भी सम्बन्धी नहीं था। यहाँतक कि अपने लड़के क्लीमेंटको भी, जो उनके साथ गया था, उन्होंने वापस लौटा दिया था। पर श्री डोककी ऐसी मृत्युमें हमें उनके जीवनका सार मिल जाता है। उन्होंने किसीके साथ अपने अनन्य

१. यहाँ पत्रके दो पृष्ठ नहीं मिलते।

२. यह "इंडियन ओपिनियनके लिए विशेष रूपसे लिखित संस्मरण" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

सम्बन्धका दावा नहीं किया। उनके लिए सचमुच प्रत्येक मनुष्य मित्र और बन्धु था। मृत्युके समय उनके आसपास केवल वे ही लोग थे जो उन्हीं दिनों उनके सम्पर्कमें आये थे। उनका जीवन, मानो, कर्मयोगका उपदेश था। तत्परताके साथ अपना कर्तव्य करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। हमें उनके जीवनसे सभी मनुष्योंसे प्रेम करनेकी सीख मिलती है। उन्होंने अपने प्रेमपूर्ण कार्यके लिए नये क्षेत्रोंकी खोज करते हुए देह-त्याग किया। और जिस प्रकार वे [भेद-भाव माने बिना] प्रेम करते थे उसी प्रकार आज उनकी मृत्युपर न केवल उनके सम्प्रदायके यूरोपीय सज्जन, न केवल अंग्रेज, बल्कि बहुत-से वतनी, चीनी तथा भारतीय मित्र भी शोक मना रहे हैं। जहाँ धार्मिक पुरुष भी रंगके प्रति स्थानीय पूर्वग्रहसे मुक्त नहीं हैं, वहाँ श्री डोक जाति, रंग या धर्मके भेदको न माननेवाले चन्द व्यक्तियोंमें से थे। मरकर भी श्री डोक उन सब लोगोंके हृदयमें अपने प्रेम और उदारताके कार्योंसे जीवित हैं, जिन्हें उनके सम्पर्कमें आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ।

श्री डोककी शक्ति अक्षय थी और कार्यक्षेत्र अनेक। धर्मोपदेशके अपने क्षेत्रमें वे श्रेष्ठ वक्ता थे और उनकी लगन सच्ची थी। वे कोई ऐसी बात नहीं कहते थे जिसे वे स्वयं न मानते हों। वे आचरणके किसी ऐसे नियमका अनुगमन करनेकी सलाह नहीं देते थे जिसके लिए वे खुद मरनेको तैयार न हों। इसीलिए उनके उपदेशका प्रभाव पड़ता था। वे एक योग्य लेखक थे। उन्होंने अपने पितामहके संस्मरण लिखे थे। वे पत्रिकाओंमें लिखते रहते थे। उन्होंने 'ऐन इंडियन पेट्रियट इन साउथ आफ्रिका' (दक्षिण आफ्रिकामें एक भारतीय देशभक्त) नामसे एक पुस्तक लिखी जो भारतीय सत्याग्रह आन्दोलनकी कथाका लोकप्रिय इतिहास है। लॉर्ड एंम्टहिलने इसकी अत्यन्त प्रशंसात्मक भूमिका लिखी। श्री डोकके लिए यह कार्य विशुद्ध प्रेम-भावनासे किया गया निष्काम कर्म था। भारतीयोंके उद्देश्यमें उनका विश्वास था और उन्होंने जिन विभिन्न रूपोंमें इसकी पूर्तिमें मदद पहुँचाई, यह पुस्तक भी उनमें से एक थी। अभी कुछ ही दिन पहले उनकी किताब 'दी सीक्रेट सिटी' (रहस्य नगरी) — कारूका एक रोमांस — छपी थी। यह पुस्तक कल्पना-प्रसूत साहित्यका एक अद्भुत उदाहरण है। इस किताबका दूसरा संस्करण हो चुका है, और वह डच भाषामें अनूदित भी हुई है। वे सत्याग्रहके भारतीय आन्दोलनसे इतने प्रभावित हुए थे कि इन दिनों आचार-संहिताके रूपमें सत्याग्रहपर एक विस्तृत पुस्तक लिखनेमें लगे हुए थे। इसे लिखनेके लिए इस विषयसे सम्बन्धित बहुत-सी पुस्तकोंका उन्होंने विशेष अध्ययन भी किया था।

वे कलाकार भी साधारण कोटिके नहीं थे। उनके बनाये कुछ चित्र तो संग्रहणीय हैं। उन्होंने न्यूजीलैंडके एक समाचारपत्रके लिए जो अनेक व्यंग-चित्र बनाये थे उनमें उनका अदम्य विनोदी स्वभाव देखा जा सकता है।

श्री डोक थे तो क्षीणकाय किन्तु उनका मन वज्रोपम था। उनके जबड़ोंसे उनकी दृढ़ता व्यक्त होती थी। वे किसी व्यक्तिसे नहीं डरते थे; क्योंकि वे ईश्वरसे डरते थे। अपने धर्ममें उनका अत्यन्त प्रबल विश्वास था, परन्तु वे दुनियाके सभी बड़े धर्मोंका आदर करते थे। वे महज जबानी जमाखर्चवाली ईसाइयतको नापसन्द करते थे; उनका मत था कि हृदयगत ईसाइयतके द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करना सम्भव है।

जोहानिसबर्गके अपने प्रायः सम्पूर्ण निवास-कालमें उन्होंने भारतीयोंके लिए जो विशेष कार्य किया, वह पाठकोंको भली-भाँति मालूम है और उन्हें यहाँ दोहरानेकी जरूरत नहीं है। किन्तु यह बात बहुतोंकी मालूम नहीं होगी कि वे भारतीय कार्यके लिए बिना बुलाये अपने-आप ही आये थे। वे सदा एक साधक रहे; सदा दुर्बलों और उत्पीड़ितोंके मित्र रहे। इसलिए ज्यों ही वे जोहानिसबर्ग आये, उन्होंने उन समस्याओंकी खोज शुरू कर दी जिनमें जनताका ध्यान लगा था। उन्होंने पाया कि भारतीयोंकी समस्या भी उनमें से एक है, इसलिए वे तुरन्त भारतीय नेताओंसे मिले, उनसे स्थितिकी जानकारी प्राप्त की, सवालके दूसरे पहलूका अध्ययन किया और भारतीय प्रयोजनको पूर्णतः न्याय्य-पाकर अपूर्व उत्साह और निष्ठासे उसमें लग गये। अपने सम्प्रदायकी श्रोतामण्डलीमें उनकी लोकप्रियता नष्ट होनेका खतरा पैदा हो गया, किन्तु यह खतरा उन्हें डिगा नहीं सका। जब इस पत्र [इंडियन ओपिनियन]के सम्पादक महोदय भारत गये हुए थे उस समय श्री डोक ही इसका पथ-प्रदर्शन करते रहे और लगभग छः मासकी उस अवधिमें एक भी ऐसा सप्ताह नहीं गुजरा जब श्री डोकने अपने योग्यतापूर्वक लिखे और जानकारीसे भरपूर अग्रलेख पत्रको न भेजे हों। इसके अलावा श्री कैलेनब्रैकके साथ उन्होंने ब्रिटिश भारतीय संघकी कार्रवाइयोंका, उसके इतिहासके अत्यन्त नाजुक समयमें, मार्गदर्शन किया। जब वे अपने गिरजेके कार्यसे अमेरिका जाने लगे तब कृतज्ञ [भारतीय] समाजने उनके सम्मानमें प्रीतिभोज दिया था, जिसकी अध्यक्षता श्री हॉस्केनेने की। उस अवसरपर श्री डोकने जो शब्द कहे थे वे आज भी सुननवालोंके कानोंमें गूँज रहे हैं। श्री डोकके विषयमें सचमुच यह कहा जा सकता है कि वे अच्छी तरह जिये और अच्छी तरह मरे। यह विचार उनके परिवारके सदस्योंको सांत्वना और धीरज प्रदान करेगा कि उनके अलावा और भी बहुत-से लोग उनके देहावसानपर शोक मना रहे हैं। उनकी मृत्युसे उनके परिवारकी जितनी क्षति हुई है उतनी ही उन लोगोंकी भी हुई है जो श्री डोकसे प्रेम करने लगे थे।

स्वर्गीय रेवरेंड जोज़ेफ जे० डोक ५ नवम्बर, १८६१को चडली (डेवनशायर)में पैदा हुए थे। वे दो भाई थे। उनके पिता चडलीके बैपटिस्ट पादरी थे। उनके बड़े भाई स्वर्गीय विलियम एच० डोक, जो उनसे लगभग ढाई साल बड़े थे, आफ्रिकामें धर्म-प्रचारक (मिशनरी) थे, और १८८२के अन्तमें यहीं उनकी मृत्यु हुई थी।

अपने दुर्बल स्वास्थ्यके कारण स्वर्गीय रेवरेंड डोक बहुत कम स्कूली शिक्षा ले पाये थे। १६ सालकी उम्रमें उनकी माँका देहान्त हो गया। जब वे १७ सालके थे तब उनके पिताने पादरीके पदसे इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह इनकी नियुक्ति हुई। २० सालकी उम्रमें वे दक्षिण आफ्रिका आये, जहाँ वे थोड़े समय तक केप टाउनमें रहे। बादमें वे दक्षिण आफ्रिकाके बैपटिस्ट संघ द्वारा ग्रेट रीनेटमें एक नया धर्म-कार्य आरम्भ करनेके लिए भेजे दिये गये। वहाँ १८८६ ई०में उनकी भेंट कुमारी बिग्ससे हुई जिनसे उन्होंने विवाह कर लिया। उसके कुछ समय बाद ही वे चडली लौट गये। चडलीसे श्री डोकको सिटी रोड बैपटिस्ट गिरजेका पादरी बनाकर ब्रिस्टल भेज दिया गया और तबसे १८९४ तक वे वहाँ रहे। इस बीच कुछ दिनोंके लिए वे मिन्न,

फिलिस्तीन और भारतकी यात्रापर गये। १८९४में श्री डोक अपने कुटुम्बके साथ न्यूजीलैंड चले गये। वहाँ वे क्राइस्टचर्चके आक्सफोर्ड टेरेस बैपटिस्ट गिरजेके धर्माधिकारी (मिनिस्टर) के रूपमें साढ़े सात साल रहे और १९०२में इंग्लैंड लौटे। पादरीके रूपमें अपने कर्तव्योंके अलावा श्री डोक चीनियोंके लिए एक कक्षा भी चलाते थे जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई और जिसे उनके उत्तराधिकारी अभीतक चला रहे हैं।

१९०३के अन्तिम दिनोंमें श्री डोकको ग्रैहम्सटाउन बैपटिस्ट गिरजेका भार सँभालनेको कहा गया, इसलिए उन्होंने पुनः दक्षिण आफ्रिकामें अपना काम शुरू किया। ग्रैहम्स-टाउनमें चार साल काम करनेके बाद वे सेन्ट्रल बैपटिस्ट गिरजेके धर्माधिकारी होकर रैंड आये। मृत्युपर्यन्त वे इस पदपर रहे। जीवन-भर, विशेषतः अपने भाईकी मृत्युके बादसे, श्री डोककी महत्त्वाकांक्षा धर्मप्रचारका काम करनेकी थी, किन्तु स्वास्थ्य तथा कौटुम्बिक परिस्थितियोंके कारण उनका मार्ग अवरुद्ध रहा; जीवनके अन्तिम दिनोंमें जरूर ऐसा लगा कि वह खुल गया है। अपने पुत्र क्लीमेंटके साथ उन्होंने पश्चिमोत्तर रोडेशियाके एक एकान्त स्थलमें स्थित मिशन स्टेशनकी यात्रापर जानेका निश्चय किया। यह स्थान कांगोकी सीमाके बिलकुल निकट है। २ जुलाईको वे दोनों इस यात्रापर रवाना हुए। इस यात्रामें करीब छः सप्ताह लगते। दक्षिण आफ्रिकाकी बैपटिस्ट मिशन सोसा-इटी द्वारा उन्हें उमतलीके निकट स्थित एक दूसरे मिशन स्टेशनको भी जाकर देखनेको कहा गया। वे लोग उसकी बावत कुछ व्योरा चाहते थे इसलिए उन्होंने श्री डोककी रोडेशिया यात्राका लाभ उठा लेना चाहा। श्री डोकने एनडला जिलेके प्रवासका खूब आनन्द लिया और उनका स्वास्थ्य बराबर अच्छा रहा। पर उनके पाँवमें छालोंके कारण तकलीफ हो गई। लगभग ३५० मीलकी दूरी पार करनी थी और इसलिए उन्होंने ज्यादातर मार्ग “मचिल्ला” — एक पालकी या बहूंगी-जैसी चीज, जिसे दो वतनी कंधोंपर ढोते हैं — द्वारा पार किया। किन्तु कठिनाइयोंके बावजूद वे बहुत खुश थे और उनको अपने मिशनकी सफलताकी पूरी-पूरी आशा थी। एक दुभाषियेकी सहायतासे उन्होंने बहुत-से गाँवोंमें व्याख्यान दिया। यात्रासे वापस आनेपर भाषण देनेके विचारसे उन्होंने बहुत-कुछ लिखा और बहुत सारे फोटो-चित्र भी खींचे। वे ४ अगस्तको ब्रोकेन हिल पहुँचे और ७ अगस्तको बुलावायो नामक स्थानपर अपने पुत्रसे अलग हुए, क्योंकि उसे व्यापारिक मामलोंको देखनेके लिए घर बुलाया गया था। बुलावायोमें चन्द दिन रुकने और प्रतीक्षा करनेके बाद श्री डोक उमतलीकी ओर चले और ९ तारीखकी सुबह अपनी ट्रेन-यात्राके अन्तिम बिन्दुपर पहुँच गये। वहाँ रेवरेंड वूडहाउससे उनकी भेंट हुई और दिनका अधिकांश भाग मिशनरी मामलोंपर विचार-विनिमय करनेमें व्यतीत हुआ। तीसरे पहर उनका दल श्री वेबर नामक एक मित्रके घर पहुँचा। मित्र कस्बेसे बाहर गये हुए थे। श्री डोक बहुत अस्वस्थ अनुभव कर रहे थे इस कारण वे लोग रातको वहीं रुक गये। दूसरे दिन सुबह, सूर्योदयके पहले ही, श्री डोक उठे, पर उन्हें लगा कि वे बहुत अधिक अस्वस्थ हैं। इसलिए उन्होंने मिशन स्टेशन जानेका विचार बिलकुल त्याग दिया। श्री डोकने बताया कि उनकी पीठमें भयंकर पीड़ा है, और उन्हें उसके कारण फिर बिस्तरेपर लेट जाना पड़ा। उन्हें ज्वरकी

सामान्य औषधियाँ दी गईं पर चूँकि उन्हें बुखार-जैसा नहीं था, इसलिए निष्कर्ष निकाला गया कि उनका रोग ज्वरके कारण नहीं है। डॉक्टर बुलाया गया, जिसने उन्हें तुरन्त उमतली अस्पताल ले चलनेका आदेश दिया। वे “मचिल्ला” द्वारा वहाँ ले जाये गये। वहाँ वे अच्छेसे-अच्छे डॉक्टरों और नर्सोंकी देख-रेखमें रहे। १२ तारीखको श्री डोकके कुटुम्बको एक तार भेजा गया, जिसमें कहा गया था कि उनपर प्लूरिसीका मामूली हमला हुआ है, पर उसमें कोई खतरा नहीं है और किसीको आनेकी जरूरत नहीं है। शुक्रवार १५ की शामको श्रीमती डोकको एक दूसरा तार मिला कि श्री डोक आंत्र ज्वर (इंटेरिक) से सख्त बीमार हैं। श्रीमती डोकने तुरन्त शनिवारको रातकी ट्रेनसे जानेकी तैयारी की, किन्तु शनिवारकी सुबह फिर तार मिला कि पिछली शामको ७ बजे श्री डोक चल बसे। दूरीके कारण उनका पार्थिव शरीर जोहानिसबर्ग नहीं लाया गया। पिछले रविवारको शामके ४ बजे उमतलीमें ही उनका अन्तिम संस्कार कर दिया गया; और जोहानिसबर्गके ब्रैपटिस्ट गिरजेमें ठीक उसी समय प्रार्थना की गई।

रैंडमें रहते समय, श्री डोकका अनेक धार्मिक संस्थाओंसे विशेष सम्बन्ध था।

अपनी विधवा पत्नीके अतिरिक्त श्री डोक अपने पीछे तीन पुत्र — विली, क्लीमेंट और कम्बर — और एक लड़की, ऑलिव, छोड़ गये हैं। सबसे बड़ा लड़का विली अमेरिकामें मेडिकल मिशनरीके रूपमें शिक्षा ग्रहण कर रहा है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन २३-८-१९१३

११५. स्वर्गीय श्री डोक

श्री जोसेफ जे० डोककी मृत्युसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजने अपने सबसे सच्चे मित्रोंमें से एकको खो दिया है। यद्यपि श्री डोकका सामान्य सार्वजनिक कार्य काफी विस्तृत और ठोस था, किन्तु उसका विवरण देनेके लिए यह उपयुक्त स्थान नहीं है। फिर भी हम दिवंगत आत्माको अपनी तुच्छ श्रद्धांजलि भेंट करते समय उन्होंने जो महान् कार्य हमारे लिए किया, उसका विचार किये बिना नहीं रह सकते। श्री डोकने जबसे इस कामको हाथमें लिया, उन्होंने अपना तन-मन उसमें लगा दिया और कभी कोई शिथिलता नहीं आने दी। श्री डोकका स्वभाव था कि जिस विषयको वे हाथमें लेते उसपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते थे। इसलिए इस विषयपर भी उनकी गिनती दक्षिण आफ्रिकाके सबसे अधिक जानकार लोगोंमें होने लगी थी। वे सत्याग्रहियोंको इतना चाहते थे, मानो वे उनके अपने धर्म-भाई हों। गरीबसे-गरीब भारतीयके लिए भी इस पुण्यात्मा अंग्रेजका द्वार खुला रहता था। हमारा समाज जिस संकट-कालसे गुजरा है, उसमें वे बराबर अपनी कलम और वाणीका उपयोग हमारे पक्षमें करते रहे। वे सत्याग्रही बन्धियोंको जेलमें जाकर देखनेका कोई भी अवसर हाथसे नहीं जाने देते थे। उन्होंने समाज तथा इस पत्रके इतिहासके एक बड़े गाढ़े समयमें अपने हृदयकी विशालताका परिचय देते हुए और अपनी बड़ी-बड़ी असुविधाओंकी

परवाह न करते हुए हमारे सम्पादकीय विभागका निदेशन अपने हाथमें लिया था । और उस कालमें उनके सम्पर्कमें आनेवाले सभी लोग जानते हैं कि वे कितने सतर्क कितने सचेष्ट, कितने सज्जन और कितने सहनशील व्यक्ति थे । हम, भारतीय समाजके लोग, उनके कुटुम्ब तथा उनके धर्म-भाइयोंके साथ मिलकर एक ऐसे श्रेष्ठ पुरुषके इस क्षणभंगुर संसारसे उठ जानेपर शोक मना रहे हैं । हम श्रीमती डोक तथा उनके परिवारके प्रति सादर अपनी समवेदना प्रकट करते हैं ।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-८-१९१३

११६. स्वर्गीय रेवरेंड जोसेफ डोक

इस उदार और महान् व्यक्तिका देहावसान हो गया है, यह वाक्य लिखते समय भी लेखककी लेखनी काँप रही है और उसके हृदयमें अनेक प्रकारके विचार उठ रहे हैं । मनुष्यके रूपमें श्री डोक एक श्रेष्ठ मनुष्य थे, और यदि उन्हें अंग्रेजके रूपमें देखें तो वे एक ऐसे अंग्रेज थे कि यदि सभी अंग्रेज उनके जैसे हो जायें तो भारतीयों और अंग्रेजोंके बीच जरा भी कटुता न रहे । पादरीके रूपमें वे ईश्वरपर विश्वास रखनेवाले व्यक्ति थे । और हालाँकि अपने धर्ममें उनकी अडिग आस्था थी, फिर भी वे दूसरे धर्मोंकी निन्दा नहीं करते थे । इतना ही नहीं, वे अन्य धर्मोंके महत्त्वको भी जाननेका प्रयत्न किया करते थे । दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय समाजकी श्री डोकने जो महान् सेवा की है उसके लिए भारतीय समाज उन्हें सदा याद रखेगा । १९०७ में जब सत्याग्रहका संघर्ष जोरोंसे चल रहा था, श्री डोक न्यूजीलैंडसे ट्रान्सवालमें आये ही आये थे । किन्तु तभीसे वे भारतीय प्रश्नमें बहुत दिलचस्पी लेने लगे और अपने जीवनके अन्त तक उन्होंने भारतीयोंके प्रति अपनी सहायता जारी रखी । हमारी समस्याका जितना स्पष्ट ज्ञान श्री डोकको था उतना एक या दो अंग्रेजोंको छोड़कर अन्य किसी अंग्रेज या किसी भारतीयको शायद ही हो । उन्होंने भारतीय समस्यासे सम्बन्धित सब कानूनों और प्रलेखोंका अध्ययन कर लिया था; और वे इस विषयपर किसी भी व्यक्तिसे बहस करनेमें समर्थ थे । उन्होंने भारतीयोंके प्रति अपनी सहानुभूतिको कभी नहीं छिपाया । उनके यहाँ प्रत्येक भारतीयके साथ — चाहे वह अमीर हो या गरीब — समान रूपसे व्यवहार किया जाता था । उनकी अनेक इच्छाओंमें एक यह थी कि वे हमारी समस्याका सन्तोषजनक हल देखें; इसकी प्राप्तिके लिए वे स्वयं हर प्रकारका दुःख उठानेके लिए तैयार रहा करते थे । ऐसे शुभचिन्तक मित्रकी मृत्युपर कौन शोक न करेगा ? हम श्री डोकको ढालके रूपमें जानते आये हैं । वह ढाल अब जाती रही है । हमारा कर्तव्य स्पष्ट है । मित्रकी मृत्युके बाद हमें उसके नातेदारोंको नहीं भूलना चाहिए । हमें चाहिए कि हम उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करें । लेकिन हमारा सबसे बड़ा फर्ज तो यह है कि श्री डोकने हम लोगोंको जैसा मान रखा था हम वैसे बनें, और वैसे रहें । श्री डोकका खयाल था कि हम लोग सच्चे

सत्याग्रही हैं, हम अपने सम्मान और धर्मकी खातिर अपने प्राण तक न्योछावर करनेको तैयार रहते हैं, यदि हमारे साथ कोई बदी करता है तो हम उसका बुरा नहीं चाहते बल्कि न्याय ईश्वरपर छोड़कर अपने प्रति दुर्भाव रखनेवालोके लिए भी हम प्रेम-भाव रखते हैं और प्रेमरूपी खड्ग लेकर हम उनसे लड़ते हैं। हम सब ऐसे नहीं हो सकते और न बन सकते हैं, परन्तु ऐसा बननेका प्रयत्न तो हम सब कर ही सकते हैं। यदि हममें से थोड़े भी वैसे बन कर रह सकें, तो कहा जा सकेगा कि हम श्री डोककी स्मृतिका यथोचित रूपसे आदर करते हैं और ईश्वर हमारे बीच दूसरा डोक भेजेगा। सन्तसे भेंट होनेपर कोई व्यक्ति सन्त नहीं बन जाता; सच्ची बात तो यह है कि खुद सन्त बननेपर ही सन्त मिला करते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-८-१९१३

११७. पत्र : गृह-सचिवको

जोहानिसबर्ग

अगस्त २४, १९१३

आपके इसी १९ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद।

मैं श्री डोकके स्मरणमें होनेवाली प्रार्थना (मेमोरियल सर्विस) में भाग लेनेके लिए जोहानिसबर्ग आया हूँ और यहाँ कुछ दिन ठहरूँगा। इसलिए यदि जनरल स्मट्स मेरा प्रिटोरिया आना ठीक समझें तो मैं प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ सकूँगा। आपके पत्रमें जिन मुद्दोंकी चर्चा है, उनके सम्बन्धमें जनरल स्मट्सके विचारार्थ निम्न विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

यह बिलकुल ठीक है कि मैंने दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंके सम्बन्धमें १९१२ के पत्र-व्यवहारमें यह मुद्दा नहीं उठाया था। यह बात मेरी निगाहसे चूक ही गई थी; किन्तु बादमें एक मित्रने इसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और मैंने इस मित्रको विश्वास दिलाया कि चूँकि १९११ का अस्थायी समझौता जिस पत्र-व्यवहारमें दिया गया है उसमें ब्रिटिश भारतीयोंके समस्त मौजूदा अधिकारोंकी रक्षाकी व्यवस्था है, इसलिए ऐसी किसी कठिनाईकी आशंका करनेकी आवश्यकता नहीं है। मैं बिना किसी झिझकके स्वीकार करता हूँ कि मेरे देशवासियोंको पूरे संघमें, या ट्रान्सवालमें भी, जो अधिकार प्राप्त हैं, मैं उन सबकी पूरी जानकारी रखनेका दावा नहीं करता। इस तथ्यकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कि दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न बहुत कम भारतीयोंने इस अधिकारसे लाभ उठाया है, मैंने यह दिखानेका प्रयास किया है कि यदि उक्त अधिकार कायम रखा जाये तो सरकारके ऐसा भय करनेका कोई कारण नहीं है कि दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीय एकाएक बड़ी संख्यामें आकर केपमें बस जायेंगे। भारतीयोंके दृष्टिकोणसे मैं इस तथ्यपर जोर देना चाहता था कि हम एक

१. देखिए परिशिष्ट ८।

भावनाके लिए लड़ रहे हैं; और वह यह है कि इस सम्बन्धमें केपके पुराने विधान-मण्डलने जो उदार और उचित दृष्टिकोण अपनाया था उसे यथावत् रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुझे उस दृष्टिकोणकी ओर जनरल स्मट्सका ध्यान फिर खींचना चाहिए। मैं पहले ही यह निवेदन कर चुका हूँ कि केपके सदस्योंने इस मुद्दे-पर इसलिए जोर दिया था कि माननीय श्री फिशरने, यदि धृष्टता न समझें तो कहूँ कि तथ्योंको जाने बिना ही, यह धारणा बना रखी थी कि दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीय केपमें बहुत बड़ी संख्यामें आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आपके पत्रसे यह भाव झलकता है, मानो मैं प्रान्तीय सीमाओंको बिलकुल समाप्त कर देनेकी मांग कर रहा हूँ। यद्यपि यह एक उचित इच्छा होगी; किन्तु मैंने इसकी मांग नहीं की है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह अस्थायी समझौतेका अंग नहीं है।

मुझे प्रसन्नता है कि दूसरे मुद्देके बारेमें सरकारी व्याख्या भारतीयोंकी व्याख्याके समान ही है।

फ्री स्टेटकी कठिनाईके सम्बन्धमें मैंने जो मुद्दा उठाया है, उसे समझा नहीं गया। मैंने यह बात केवल कहनेके लिए ही नहीं कही है कि इस नियोग्यताकी ओर प्रवेशार्थियोंका ध्यान खींचा जाये। मैंने तो यह निवेदन किया है कि अधिनियमकी भाषासे यह मालूम होता है कि उक्त ज्ञापनका फ्री स्टेटकी सीमापर लिया जाना आवश्यक है। यदि सरकार भी अधिनियमकी ऐसी ही व्याख्या करती हो तो फ्री स्टेटकी कठिनाई कोई कानूनी फेरफार किये बिना दूर की जा सकती है। फ्री स्टेटके लोगोंकी चिन्ता दूर करनेके उद्देश्यसे मैंने यह सुझाव दिया था कि इस प्रान्तके समुद्र-तटपर पहुँचनेके प्रथम बन्दरगाहपर प्रवेशार्थियोंको दिये जानेवाले ज्ञापनके प्रारूपपर ही फ्री स्टेटकी नियोग्यताएँ सूचित कर दी जायें। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मैंने यह मान लिया है कि नये अधिनियमके अन्तर्गत किसी भी भारतीयको कानूनी तौरपर फ्री स्टेटमें प्रवेश करनेकी अनुमति दी जा सकती है।

चौथे मुद्देके बारेमें निवेदन है कि दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले भारतीयोंके जो विवाह-संस्कार इस संघमें सम्पन्न हो चुके हैं या भविष्यमें होंगे उनकी वैधताके प्रश्नका व्यावहारिक महत्त्व बहुत अधिक है। इस अत्यन्त जटिल समस्याके समाधानके लिए यह आश्वासन देना आवश्यक है कि आगामी अधिवेशनमें इस उद्देश्यसे एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। बहुपत्नीक प्रथाके सम्बन्धमें मैंने यह नहीं कहा है कि बहुपत्नीक विवाहोंको सामान्य रूपसे मान्य कर लिया जाये। मेरा कथन तो केवल यही है कि अबतक जिस प्रथाका अनुगमन होता रहा है उसको जारी रखते हुए अभी जिन अधिवासी भारतीयोंके एकाधिक पत्नियाँ हैं, उनकी सभी पत्नियोंको यहाँ प्रवेशकी अनुमति होनी चाहिए। और आपके साथ किये गये पत्र-व्यवहारमें मैंने जिस पत्रका हवाला दिया है, उसमें यही आश्वासन दिया गया था।^१ ऐसी पत्नियोंकी संख्या इस समय आसानीसे मालूम की जा सकती है और फिर यह छूट इस प्रकार प्राप्त संख्या तक ही सीमित रह सकती है।

१. देखिए “पत्र : गृह-सचिव को”, पृष्ठ ११९-२०।

मैं देख रहा हूँ कि नेटालमें नये अधिनियमको लेकर मुकदमे शुरू हो गये हैं। कहना पड़ता है कि मैं जिस पत्रका उत्तर दे रहा हूँ उसमें दिये गये आश्वासनसे विवाहके इस मामलेका मेल नहीं बैठता। कारण, कुलसमवीबी, निःसन्देह, दक्षिण आफ्रिका-में अपने पतिकी एकमात्र पत्नी है। मैं नम्रतापूर्वक सुझाव देता हूँ कि यह मुकदमा वापस ले लिया जाये और इस महिलाको मुक्त कर दिया जाये। दूसरे मामले अधिवाससे सम्बन्धित हैं। जान पड़ता है, सरकारका कहना यह है कि जहाँ तथ्यों या अधिवास प्रमाणपत्रके मालिककी प्रामाणिकताके सम्बन्धमें कोई विवाद न हो, वहाँ भी, यदि वह अपने अधिवासके प्रान्तसे दीर्घ काल तक बाहर रहा हो तो, उसका अधिकार रद्द कर दिया जाये। यदि सरकार नये अधिनियमकी व्याख्या ऐसी करती है तो उससे लोगोंके वर्तमान तथा प्राप्त अधिकारोंको खतरा है। और यदि इस बारेमें निर्णय भारतीय समाजके विरुद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जो नितान्त असह्य होगी और अस्थायी समझौतेसे तथा माननीय जनरल बोथा और अन्य मन्त्रियोंकी इस घोषणासे भी मेल नहीं खायेगी कि सरकार यहाँ बसी हुई भारतीय आबादीको परेशान करना नहीं चाहती। इसलिए मैं यह सुझाव भी देनेका साहस करता हूँ कि ये मुकदमे उठा लिये जायें। मैंने यह मान लिया है कि आपको इन मुकदमोंका अच्छी तरह पता है। इनकी खबर 'इंडियन ओपिनियन' के इसी अंकमें छापी गई थी।

मैं शीघ्र ही इसके उत्तरकी प्रार्थना करता हूँ।

आपका,

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३

१. सितम्बर १० को इसका गांधीजीको यह उत्तर मिला था : “मुझे गृह-मन्त्रीने आपके २४ अगस्तके पत्रका उत्तर देनेका आदेश दिया है। पहले मुझेके सम्बन्धमें, उन्हें खेद है कि उन्हें मेरे उसी महीनेकी १९ तारीखके पत्रमें कही हुई बातोंसे अधिक कुछ नहीं कहना है। दूसरे मुझेके सम्बन्धमें कोई अन्य कार्रवाई करनेकी आवश्यकता नहीं है। तीसरे मुझेके बारेमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि जो भी हलफनामा देना पड़ेगा वह संघमें प्रवेश करनेपर देना पड़ेगा, फ्री स्टेटकी सीमापर नहीं। विवाहके प्रश्नके सम्बन्धमें, वे कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे सकते कि अगले अधिवेशनमें आपके द्वारा सुझाये गये ढंगपर विवाह कानून बना दिया जायेगा। स्पष्ट है कि इससे दक्षिण आफ्रिकाके वर्तमान कानूनका समस्त आधार ही बदल जायेगा। आपने किसी भी व्यक्तिकी एकाधिक पत्नियोंको प्रवेश देनेके आश्वासनका जिक्र किया है। यह बात भी समझमें नहीं आती, क्योंकि मुझे इस विभागसे भेजे गये पत्रोंमें ऐसी कोई बात नहीं मिलती। क्या आप इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं? और आपने डर्बनमें की गई जित्त अपीलोंका उल्लेख किया है वे तो प्रत्यक्ष ही अब भी न्यायालयके विचाराधीन हैं, इसलिए मन्त्री महोदय हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे।”

११८. भाषण : शोक-सभामें^१

[जोहानिसबर्ग

अगस्त २४, १९१३]

श्री गांधीने कहा कि श्री डोकने भारतीय समाजके लिए जो महान् कार्य किया, उसके लिए समाज उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है। वे इस समाजके उत्तम मित्रोंमें से एक थे। यह बात प्रत्येक व्यक्तिके सम्बन्धमें नहीं कही जा सकती कि उसके जीवनकी सफलताने मृत्युको आच्छादित कर दिया और उसके लिए मृत्युकी कोई वकत नहीं बची। किन्तु श्री डोकके सम्बन्धमें यह बात निःसन्देह कही जा सकती है। श्री डोककी मृत्युपर दरअसल शोक प्रकट करनेकी जरूरत नहीं है। उनका जीवन पूर्णतः समर्पणका जीवन था। उन्होंने अपना सर्वस्व अपने स्रष्टाके चरणोंपर समर्पित कर दिया था। अब वे पुनः अपने स्रष्टाकी सेवाके लिए स्वर्गिक दीप्तिसे युक्त, तथा और भी सुन्दर शरीर लेकर उठ खड़े होंगे। किन्तु, श्री डोककी मृत्युपर शोक न हो, इसके लिए हमारे पास उन्हींकी जैसी समर्पणकी भावना चाहिए। मेरी आत्मा तो शायद देहकी चिन्तासे मर गई है, इसलिए मेरे लिए एक ऐसे शरीरी मित्रकी बड़ी आवश्यकता थी। अतः मैं एक सच्चे मित्र और चतुर सलाह देनेवालेके लिए शोक प्रकट करता हूँ। श्री गांधीने अपने एक देशवासी द्वारा अपने ऊपर किये गये आक्रमणका^१ उल्लेख करते हुए कहा कि सही या गलत, आक्रमणकारीका खयाल था कि मैंने समाजके साथ अन्याय किया है, और इस अन्यायका परिमार्जन, उसके विचारसे, केवल मुझपर आक्रमण करके ही किया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि :

मैं अपने एक मित्रके कार्यालयमें असहाय अवस्थामें पड़ा हुआ था। तभी मैंने श्री डोकको अपने पास खड़े देखा। उस अपराह्नमें उन्होंने मुझसे जो शब्द कहे वे इतने मधुर थे कि मुझे अबतक याद हैं। उनके शब्द कुछ इस प्रकार थे : “आप अस्पताल ले जाया जाना पसन्द करेंगे या मेरे घर ? मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी और मेरे परिजनोंको आपके मेरे घर चलनेसे बड़ी खुशी होगी और हम सभी आपका कष्ट दूर करनेके लिए यथा-साध्य पूरा प्रयत्न करेंगे। “ मुझे चुननेमें तनिक भी आगा-पीछा नहीं करना पड़ा, और मुझे अपने चुनावपर कभी खेद नहीं हुआ। मुझे वह संध्या याद है, जब मेरे अनुरोधपर समस्त परिवारने [अंग्रेजीका] सुन्दर भजन “लीड काइंडली लाइट” गाकर सुनाया था। उस भजनकी ध्वनि मैं कभी नहीं भूलूंगा, वह मेरे मनसे कभी दूर

१. यह शोक-सभा स्मरण प्रार्थना (मेमोरियल सर्विस) सभा थी; प्रार्थना ग्रैहम्सटाउन बैपटिस्ट चर्च, जोहानिसबर्गमें श्री जे० जे० डोकके सम्मानमें की गई थी। श्री डोक इस चर्चके पेस्टर थे। गांधीजी सभामें भाग लेनेके लिए फीनिक्ससे आये थे। देखिए पिछले शीर्षकका दूसरा अनुच्छेद।

२. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ९२-९४; और दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय २२।

नहीं होगी। वह आज भी मेरी स्मृतिमें उतनी ही ताजी है जितनी कि उस महान संध्यामें—जब मैं ऐसे लोगोंसे घिरा था जो मेरे लिए अपरिचित नहीं रह गये थे—वह मेरे प्राणोंको सांत्वनाप्रद लगी थी। रातमें, चाहे १२ बजे हों, चाहे १ या २, मैं अक्सर श्री डोकको जानबूझकर खुले छोड़ दिये गये दरवाजेमें से झाँकते देखता। वे इस प्रकार बीच-बीचमें यह देखनेके लिए झाँक लेते थे कि मुझे कोई कष्ट तो नहीं है या मुझे किसी वस्तुकी आवश्यकता तो नहीं है। यद्यपि उस परिवारके लिए मैं अजनबी था और मैंने उसकी कभी कोई सेवा नहीं की थी फिर भी समस्त परिवार मुझे खिलाने-पिलाने, मेरी शुश्रूषा करने, मुझे सांत्वना देनेके लिए मेरी सेवामें तत्पर रहता था।

श्री गांधीने आगे फिर कहा कि मुझे निश्चय ही इस बातपर गर्व है कि मुझे श्री डोक-जैसा मित्र प्राप्त था। श्री डोक ऐसे लोगोंकी सहायताके लिए बराबर तत्पर रहते थे जिन्हें उनकी सहायताकी आवश्यकता होती थी। और जिन्हें उनकी सहायताकी आवश्यकता थी उन्हें श्री डोकके पास नहीं जाना पड़ता था, बल्कि स्वयं श्री डोक ही उनके पास पहुँच जाते थे। वक्ताने यह भी कहा कि श्री डोककी अपने धर्ममें गहरी आस्था थी और उन्होंने मुझे ईसाई बनानेका प्रयत्न भी किया। मैंने उनसे कहा कि एक हिन्दूके रूपमें मेरा विश्वास यह है कि ईसाइयतका पूरा रूप तभी देखनेको मिल सकता है जब उसकी व्याख्या हिन्दुत्वके प्रकाशमें और उसकी सहायतासे की जाये। किन्तु, श्री डोकको इससे सन्तोष नहीं हुआ। वे सत्यको जिस रूपमें पहचानते थे और जिससे उन्हें तथा उनके परिवारको इतनी आन्तरिक शान्ति मिलती थी, वे उसको मेरे मनमें उतारनेका कोई अवसर नहीं चूकते थे। श्री डोककी ईसाइयत आधुनिक सम्यताके दोषोंसे युक्त ईसाइयत न थी। वे मूल ईसाइयतपर आचरण करते थे। वे जिस बातका प्रचार करते थे उसपर स्वयं आचरण भी करते थे। मेरा खयाल है कि वे प्राचीन कालके बलिदानी वीरोंकी भाँति अपने विश्वासोंके लिए टिकटीसे बाँधकर जीवित जला दिया जाना भी पसन्द करते। हम जिस बन्धनसे एक सूत्रमें बँधे हुए थे वह था ईसा मसीहके बुराईका प्रतिरोध न करनेके सिद्धान्तमें हमारा समान विश्वास। आजकल तो यह सिद्धान्त अनेक अपवादोंके बोझसे दबा हुआ है। श्री डोकके विचारमें घृणाको जीतनेका मार्ग प्रेम था और बुराईको जीतनेका रास्ता अपने आचरणमें अच्छाईको अधिकसे-अधिक उतारना था। मेरी यह कामना है कि श्री डोकके गुण उनके बच्चोंमें भी आयें और उनकी पत्नीको इस विचारसे सहारा और सांत्वना मिले कि उनके पति ऐसे उदारचेता व्यक्ति थे जिनकी स्मृतिमें आज इतने लोग और इतनी प्रजातियाँ श्रद्धावन्त हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-८-१९१३

११९. भारतके पितामह

पाठकोंको याद दिलानेकी जरूरत नहीं कि आगामी गुरुवार, ४ सितम्बरको भारतके पितामहकी नवासीवीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारतके इस महानतम पुत्रके प्रति पुनः अपनी शुभकामनाएँ प्रकट करते हुए हमें हर्ष होता है। श्री दादाभाई नौरोजी जितनी सार्वजनिक सेवा कर चुके हैं वह एक व्यक्तिके लिहाजसे बहुत ज्यादा है; और इस सेवाके बाद अब वे विश्राम ले रहे हैं। अपने देशबन्धुओंके हितमें बीते उनके कर्मठ जीवनकी स्मृति-मात्रसे हमें अपने छोटे-छोटे कामोंमें निरन्तर उत्साह प्राप्त होता रहता है। ऐसे ही व्यक्तियोंके जीवनसे कोई राष्ट्र समृद्ध होता है — भौतिक दृष्टिसे नहीं, बल्कि उन अन्य सब बातोंकी दृष्टिसे जिनसे राष्ट्रीय सम्मान और कर्तव्यनिष्ठाका निर्माण होता है। जो लोग उन्हें बधाईका सन्देश भेजना चाहें, लेकिन उनका तारका पता न जानते हों, वे “दादाभाई नौरोजी, वरसोवा, बम्बई” के पतेपर सन्देश भेजें। हम इस अंकके साथ एक विशेष परिशिष्ट भी दे रहे हैं, जिसमें दादाभाईका चित्र दिया गया है।

[अंग्रजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-८-१९१३

१२०. और भी मित्र चल बसे

जान पड़ता है कि विधिका यही विधान है कि दक्षिण आफ्रिका, एकके बाद एक, शीघ्रताके साथ, अपने सर्वोत्तम व्यक्तियोंको खोता जाये। अभी श्री डोककी मृत्युका समाचार मिला ही था कि रैंडके प्रेस्बिटीरियन चर्चके सुविख्यात पादरी डॉ० रॉस और ‘नेटाल मर्क्युरी’ के लोकप्रिय सम्पादक श्री मिलीगनकी मृत्युकी दुःखद सूचना मिली। डॉ० रॉसने गत वर्ष ही अपने पदसे अवकाश लिया था। वे एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने जोहानिसबर्गके जन-सेवकके रूपमें क्या किया, इस बारेमें हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे। पर हम इस तथ्यका कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख किये बिना नहीं रह सकते कि डॉ० रॉसने ट्रान्सवालके भारतीयोंके संघर्षकी जानकारी हासिल की थी और वे श्री हॉस्केन की समितिमें शामिल हुए थे। वे भारतीय समारोहोंमें प्रायः उपस्थित रहते थे और हमारे प्रति स्पष्ट शब्दोंमें अपनी सहानुभूति प्रकट करनेसे कभी झिझकते नहीं थे। हम जानते हैं कि जब सत्याग्रह अपनी चरम सीमापर था तब उन्होंने जनरल स्मट्ससे

१. भारतीयोंके लक्ष्यके प्रति सहानुभूति रखनेवाले यूरोपीयोंकी एक समिति जिसके नेता विधान सभाके सदस्य श्री विलियम हॉस्केन थे। उसने “ब्रिटिश भारतीयोंके संघर्षमें उनका समर्थन करने” और उनको न्याय दिलानेका संकल्प किया था; देखिए खण्ड ९, पृष्ठ १३१, ५२३।

व्यक्तिगत तौरपर पत्र-व्यवहार भी किया था और उनसे सत्याग्रहियोंकी मांगें स्वीकार करनेका अनुरोध किया था।

भारतीयोंके उद्देश्यके लिये की गई श्री मिलीगनकी सेवाओंसे भारतीय अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने 'मर्क्युरी' की सर्वोत्तम परम्पराओंका निर्वाह किया और जिस पदकी प्रतिष्ठा स्वर्गीय सर जॉन रॉबिन्सन' और स्व० श्री रैमसे कॉलिन्सने बढ़ाई थी उसका योग्यतापूर्वक निर्वाह किया; यह कोई सरल कार्य नहीं था। प्रवासी अधिकारियोंकी मनमानीके बारेमें मृतात्मा द्वारा अपने पत्रमें लिखा एक मर्मवेधी अग्रलेख हमने अभी पिछले हफ्ते ही उद्धृत किया था। वे प्रत्येक न्यायपूर्ण लक्ष्यकी हिमायतमें अपनी लेखनीका उपयोग करनेके लिए सदा तत्पर रहते थे।

ऐसे व्यक्तियोंके देहावसानसे दक्षिण आफ्रिकाने, निश्चय ही, बहुत-कुछ खो दिया है। और इस क्षतिकी पूर्ति करना कठिन होगा। हम मृतात्माओंके परिवारोंके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं।

[अंग्रजीसे]

इंडियन ओपिनियन ३०-८-१९१३

१२१. विवाहके बारेमें एक महत्वपूर्ण फैसला

बाई मंछी नामकी एक भारतीय स्त्रीको, जो अपने पतिके साथ [केप कालोनीमें] प्रवेश कर रही थी, प्रवासी-अधिकारीने प्रविष्ट नहीं होने दिया। इसके निषेधमें उसके पति भगवान भीखाने, उसको केपमें उतरने देनेकी [सर्वोच्च न्यायालयसे] आज्ञा [इंटर-डिक्ट] हासिल कर ली। चूंकि उनका भारतमें सम्पन्न विवाह अमान्य कर दिया गया था, वकीलने उसे बाई मंछीके साथ यहाँ विवाह कर लेनेकी राय दी। जब वकीलने मजिस्ट्रेटको इस सम्बन्धमें पत्र लिखा, तब मजिस्ट्रेटने उत्तरमें लिखा कि इस विवाहकी रजिस्ट्री नहीं की जा सकती, क्योंकि वह स्त्री निषिद्ध प्रवासी है। इसपर उस स्त्रीके पतिने अपील दायर की। न्यायमूर्ति गार्डिनरने गत सप्ताह उसके पक्षमें अपना निर्णय दिया। न्यायाधीशने कहा कि कानूनके अन्तर्गत किसी भी व्यक्तिके विवाहकी रजिस्ट्री की जा सकती है। दोनों पक्षोंको महज इतना साबित कर देना है कि जो कानून यहाँ प्रचलित है उसकी रू से वे दोनों विवाह करनेके अधिकारी हैं। कोई व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी है या नहीं यह प्रश्न विवाहके समय उठाया ही नहीं जा सकता इसलिए मजिस्ट्रेटको यह आदेश दिया गया है कि स्त्रीके वैध या अवैध [प्रवासी] होनेका सवाल उठाये बिना विवाहकी रजिस्ट्रीकी अनुमति दे दी जाये, बशर्ते कि कोई अन्य कारण विरुद्ध न दीख पड़ रहे हों। इस फैसलेका परिणाम यह निकलता है कि अगर कोई भारतीय अपनी स्त्रीको साथ ले जाये और उसे प्रवासी अधिकारी प्रविष्ट न होने दे तो वे दोनों जहाजसे उतरनेके पश्चात् आपसमें विवाह कर सकते हैं। विवाहके

१. सर जॉन रॉबिन्सन (१८३९-१९०३); नेटालके प्रधान-मन्त्री और उपनिवेश सचिव, १८९३-९७।

उपरान्त वह स्त्री यहाँ रह सकेगी या नहीं, यह प्रश्न दूसरा है। इस बातका निपटारा उपर्युक्त अदालती निर्णय नहीं करता। और विवाह इस प्रकार फिर किया जा सकता है या नहीं, यह एक भिन्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो व्यक्ति किसी स्त्रीसे एक बार विवाह कर चुकनेपर इस आशयका बयान देता है कि उसके साथ उसका विवाह नहीं हुआ है, और वह पुनः उसके साथ शादी करता है तो उसका यह कृत्य यह सिद्ध करता है कि उसे अपने मानापमानकी परवाह नहीं है और इसलिए उसका यह काम कायरतापूर्ण है। गरीब व्यक्तियोंको धीरज रखकर यह समझना चाहिए कि इस मामलेका निपटारा किसी-न-किसी दिन अवश्य होगा। इस बीच यदि उनको न्याय न मिले तो उनके लिए श्रेयस्कर मार्ग वही है कि वे अपनी पत्नियोंको भारतमें ही रखें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-८-१९१३

१२२. पत्र : एशियाई-पंजीयकको

[जोहानिसबर्ग,
सितम्बर १, १९१३ के बाद]

एशियाई-पंजीयक
प्रिटोरिया
महोदय,

संदर्भ : पुरुषोत्तम मावजी, १७१६७

मेरे गत मासकी १०^१ तारीखके पत्रके उत्तरमें भेजा गया आपका उसी मासकी १५ तारीखका तार। मुझे खेद है कि उत्तर देनेमें विलम्ब हुआ। उत्तर देनेसे पहले मुझे पूछताछ करनी पड़ी, और फिर देखा कि मुझे जो सूचना दी गई है वह भ्रामक है। चूंकि पुरुषोत्तम मावजी भारत चले गये हैं, इसलिए यह निश्चय करना कठिन है कि वास्तवमें हुआ क्या था। किन्तु अब अनुमान किया जाता है कि पुरुषोत्तम मावजीने ट्रान्सवालके प्रमाणपत्रका नहीं बल्कि नेटालके प्रमाणपत्रका उल्लेख किया था।

आपका,

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५८५४) की फोटो-नकलसे।

१. मूल पत्रमें " १५ " तारीख पड़ी है जो निश्चय ही भूल है। देखिए " पत्र : प्रवासी अधिकारीको", पृष्ठ १५४।

१२३. पत्र : सहायक गृह-सचिवको

[जोहानिसबर्ग]
सितम्बर, ३, १९१३

[महोदय,]

मैंने आपको आज टेलीफोनसे सूचित किया था कि मैं कल फीनिक्स जा रहा हूँ। किन्तु वहाँके लिए खाना होनेसे पहले मैं, जिस उत्सुकता और अधीरताके साथ मेरे कई साथी कार्यकर्ता किसी अन्तिम उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी ओर जनरल स्मट्सका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे तो पहला पत्र लिखनेके लिए ही वे मुझे दोषी ठहराते हैं। उनकी अधीरता स्वाभाविक है। हमारे सारे काम बन्द पड़े हैं। कई लोगोंको इस दुविधाके कारण नौकरीके अच्छे-अच्छे प्रस्ताव भी अस्वीकार करने पड़े हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जनरल स्मट्सके सम्मुख जो अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनमें इसको भी उचित स्थान दिया जायेगा। यदि अगले मंगलवार तक अर्थात् आपके दिये हुए दिन तक कोई निश्चित उत्तर प्राप्त न हो तो क्या श्री जॉर्जसेके पत्रको अन्तिम उत्तर माना जा सकता है? मैं यह उल्लेख भी कर दूँ कि यदि बातचीत विफल हो जाती है तो संघर्ष और अधिक व्यापक प्रश्नको लेकर आरम्भ किया जायेगा। समझौता करनेके उद्देश्यसे और यह दिखानेकी गरजसे कि हम संघर्षको फिर आरम्भ करनेके लिए व्याकुल नहीं हैं, मेरे पत्रोंमें कई महत्वपूर्ण बातें छोड़ दी गई हैं।

मुझे आशा है कि यह पत्र जिस भावनासे लिखा गया है उसे जनरल स्मट्स ठीक मानेंगे।

[आपका,]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३

१२४. लॉर्ड सभाकी बहस

लॉर्ड ऐंम्टहिलने संघके प्रवासी कानूनपर लॉर्ड सभामें जिस बहसका^१ आरंभ किया था, अब हमें उसका पूरा पाठ मिल गया है। यह बहस एकाधिक कारणोंसे स्मरणीय है। इसमें मद्रासके भूतपूर्व गवर्नर तथा कार्यवाहक वाइसराय लॉर्ड ऐंम्टहिल, बम्बईके भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम,^२ और भारतके भूतपूर्व वाइसराय लॉर्ड कर्जनने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं। लॉर्ड सिडेनहम तो अभी हालमें ही भारतसे लौटे हैं और इसलिए वे इस

१. लॉर्ड ऐंम्टहिलका भाषण इंडियन ओपिनियन के २०-९-१९१३ और उसके बादके चार अंकोंमें क्रमशः प्रकाशित हुआ था।

२. जॉर्ज सिडेनहम क्लार्क (१८४८-१९३३); ब्रिटिश सेनानी और प्रशासक; सैनिक मामलों, खास तौरपर किलेबन्दीके विशेषज्ञ; बम्बईके गवर्नर, (१९०७-१३)।

सवालपर भारतकी नब्ज पहचानते हैं। ये सभी सज्जन हमारी ओरसे बड़े ओजस्वी ढंगसे बोले और उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी माँगें पूर्णतः न्याय्य हैं। उन्होंने कोई सामान्य वक्तव्य देकर ही सन्तोष नहीं कर लिया, बल्कि इनमें से हरएकने सवालके व्यौरोंके विषयमें अपने अधिकार और ज्ञानका ऐसा परिचय दिया, जो ऐसे विवादोंमें कम ही देखनेको मिलता है। लॉर्ड एंम्टहिलने इस दिशामें कैसा महान् प्रयत्न किया है, कितनी सावधानी और सतर्कता बरती है, इस सबसे तो हम वर्षोंसे परिचित हैं। लॉर्ड महोदयने हमारे सवालको अपना बना लिया है। किन्तु, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड सिडेनहमका इस विषयपर आश्चर्यजनक अधिकार देखकर बड़ा सन्तोष और आश्वासन मिलता है। उनका इस सवालमें दिलचस्पी लेना हमारे भविष्यके लिए शुभ लक्षण है। और इससे लॉर्ड एंम्टहिलको भी उस उद्देश्यकी हिमायत करनेमें बल मिलेगा, जिसे वे न्यायसंगत और साम्राज्यके हितकी दृष्टिसे इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि अनेक कार्योंमें व्यस्त रहते हुए भी वे उसपर निरन्तर व्यक्तिगत रूपसे ध्यान देते रहते हैं।

इस बहससे यह भी मालूम हो गया कि लॉर्ड कूके पास कोई कैफियत नहीं थी। उन्होंने जो 'न शक्नोमि' वाला (नान पासमस) रुख अपनाया वह बहुत ही खतरनाक है। हमारी नम्र सम्मतिमें स्वशासित उपनिवेशोंके घरेलू मामलोंमें साम्राज्य-सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करनेके सिद्धान्तको हृदसे ज्यादा खींचा जा रहा है, और अब यह उस जगह पहुँच गया है कि इससे साम्राज्यका स्थायित्व ही खतरेमें है। यदि स्वशासित उपनिवेश इतने स्वतन्त्र हैं कि वे साम्राज्यकी परम्पराओं और हितोंको ठुकरा सकते हैं, तो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यका अंग कहना एक उपहासकी बात है। यदि वे लेते-ही-लेते रहना चाहते हैं और देना कभी नहीं चाहते तो यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चल सकती और न यह उस साम्राज्यकी सुरक्षाकी दृष्टिसे ही श्रेयस्कर है, जिसका अंग होनेका वे दम भरते हैं। अंग्रेजीके बड़े-बड़े समाचारपत्रोंने बताया है और इसका हवाला हम दे चुके हैं कि अपनी मुसीबतकी घड़ियोंमें संघ-सरकार साम्राज्य-सरकारकी सेनाकी मदद लेनेको तैयार बैठी रहती है। तब क्या उससे यह आशा करना उचित नहीं होगा कि वह एक साधारण-सा न्याय करके उस गम्भीर परिस्थितिसे निकलनेमें साम्राज्य-सरकारकी तत्परताके साथ मदद करे जो भारतीय साम्राज्यके शासनके सिलसिलेमें उसके सामने उपस्थित है। भारत किसी दिन निश्चय ही इस प्रश्नका कोई सन्तोषजनक उत्तर माँगेगा और उसे प्राप्त करके रहेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-९-१९१३

१. अर्थात्, 'मुझसे नहीं बनेगा।'

१२५. तार : गृह-सचिवको

[डर्वन]

सितम्बर १०, १९१३

तारके' लिए धन्यवाद। मतभेदोंको कम करनेकी हर कोशिशके बावजूद, मुझे लगता है कि इस उत्तरसे संघका पुनरारम्भ अनिवार्य हो जाता है। बहु-पत्नीक विवाहके सम्बन्धमें संघका ५ जुलाई, १९११ का पत्र और गृह-मंत्रीका उसी महीनेकी १० ता० का उत्तर देखें।^१

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३

१२६. पत्र : गृह-सचिवको

११०, फील्ड स्ट्रीट

डर्वन

सितम्बर ११, १९१३

गृह-सचिव
प्रिटोरिया
महोदय,

प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तर्गत बनाये गये विनियमोंके सम्बन्धमें पिछले मासकी १५ तारीखको लिखे गये मेरे पत्रके उत्तरमें आपका उसी मासकी २१ तारीखका पत्र प्राप्त हुआ।

अंजुमनकी ओरसे, सादर निवेदन है कि अंजुमन द्वारा उठाई गई अधिकांश आपत्तियाँ सिद्धान्तोंसे सम्बन्धित हैं, व्योरेसे नहीं। निश्चय ही समयका सिद्धान्तोंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल एक वर्षकी सीमित अवधि तक लागू रहनेवाले शिनाख्तके प्रमाणपत्रका महत्व उन स्थायी प्रमाणपत्रोंकी अपेक्षा बहुत कम होगा जो पुराने नेटाल अधिनियमके अन्तर्गत जारी किये गये हैं और इस बातका महत्व समय बीतनेसे बिलकुल कम नहीं होगा। इसी प्रकार एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें जानेपर लगाये गये एक पौंडी शुल्कपर भी समयका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे अंजुमनकी विनम्र सम्मतिमें उसकी ओरसे उठाई गई आपत्तियोंपर शीघ्र ही अनुकूल विचार किया जाना चाहिए।

१. देखिए "पत्र : गृह-सचिवको", पा० टि० १, पृष्ठ १६८।

२. इसके बाद गांधीजीने १० सितम्बरको जो तार दिया, उसके उत्तरमें इस बातका उल्लेख करते हुए ई० एम० जॉर्जोंने १९ तारीखको उन्हें लिखा कि "मैं ठीकसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस आश्वासनके बारेमें कह रहे हैं। इसलिए यह पूछताछ कर रहा हूँ। इस विषयमें पिछले पत्र-व्यवहारको देखते हुए मुझे लगता है कि आप प्रवासी अधिकारीके १० अगस्त, १९११ के पत्रकी जो व्यापक व्याख्या कर रहे हैं, उसकी न तो कभी कल्पना ही की गई थी और न वह मन्त्री महोदयको स्वीकार होगा।"

प्रवासी अधिकारियोंकी अपील-निकायोंके सदस्योंके रूपमें नियुक्तिके सम्बन्धमें कहना यह है कि यद्यपि ये अधिकारी आरम्भिक अवस्थामें अलग-अलग मामलोंको स्वयं तय नहीं करेंगे, फिर भी उन्हें निकायोंमें लेनेपर गम्भीर आपत्ति उठाई जा सकती है। सरकारके निर्देशोंके अनुसार अधिनियमके प्रशासनके लिए ये अधिकारी सरकारके प्रति उत्तरदायी हैं और मेरी समितिका खयाल है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियोंको भी वे ही निर्देश देंगे। इसलिए ये ऐसे निष्पक्ष न्यायाधीश तो नहीं माने जा सकते जो अपने सम्मुख प्रस्तुत मामलोंके सम्बन्धमें पहलेसे कोई धारणा बनाये बिना उनपर विचार कर रहे हों। अतः मेरी समितिका आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि इन अधिकारियोंकी नियुक्तियाँ रद्द कर दी जायें, जिससे इन अपील-निकायोंकी कार्यवाहीमें दिलचस्पी रखनेवाले लोगोंके मनमें इतमीनान पैदा हो सके और उनके निर्णयोंमें उनका विश्वास जम सके।

आपका
अध्यक्ष,
जरथुस्ती अंजुमन

टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८५८) की फोटो-नकलसे।

१२७. पत्र : गृह-सचिवको'

[जोहानिसबर्ग
सितम्बर १२, १९१३]

महोदय,

माननीय मन्त्री महोदयकी जानकारीके लिए ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे मुझे यह निवेदन करना है कि आपका श्री गांधीके नाम भेजा ९ सितम्बरका तार^१ पढ़नेके बाद संघने अत्यन्त अनिच्छापूर्वक और खेदके साथ फिर सत्याग्रह आरम्भ करनेका निर्णय किया है। इसका कारण यह है कि श्री गांधीने आपको भेजे अपने पत्रमें, जिसे मेरे संघने भी देखा है, जो मुद्दे रखे थे उन्हें सरकार या तो मान नहीं सकती या मानना नहीं चाहती।

जिस समाजका प्रतिनिधित्व मेरा संघ करता है, दुर्भाग्यसे उस समाजके सामने जो परिस्थिति आ खड़ी हुई है, मैं संक्षेपमें उस परिस्थितिको स्पष्ट करना चाहता हूँ।

निश्चय ही अंग्रेजोंका आधिपत्य होनेके बादसे इस प्रान्तमें रहनेवाले भारतीयोंकी स्थिति गणतन्त्री शासनके दिनोंमें जैसी थी उससे भी बदतर होती चली गई है। इस स्थितिकी चरम-परिणति हुई सन् १९०६ में प्रस्तुत किये गये विधेयकके रूपमें। उस विधेयकमें अन्धकारपूर्ण अतीतका सार तो पड़ा था ही, उससे यह आभास भी मिलता था कि भविष्य भी अन्धकारमय हो जायेगा। और यद्यपि साम्राज्य-सरकारने

१. यह २०-९-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें " भारतीयोंकी माँगें " शीर्षकसे छपा था

२. देखिए " पत्र : गृह-सचिवको ", पृ० टि० १, पृष्ठ १६८ ।

अपने विशेषाधिकारका उपयोग करके उस विधेयकको अस्वीकृत कर दिया, किन्तु उत्तरदायी सरकारने लगभग आते ही उसे अधिनियमका रूप देकर पास कर डाला। इस कानूनका नाम १९०७ का अधिनियम २ हुआ। इस कानूनको भारतीय समाजने अपमानजनक माना; यह कानून जिन परिस्थितियोंमें पास किया गया उनसे ऐसा आभास होता था कि ट्रान्सवालमें भारतीयोंके सम्मानपूर्ण जीवनके प्रति जानबूझकर शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई जा रही है; इसलिए मेरे देशवासियोंने १९०६ के सितम्बर महीनेमें शपथपूर्वक सत्याग्रहका रास्ता अपनानेका निश्चय किया।^१ सभी जानते हैं कि संघर्षमें मेरे ३,५०० देशभाई जेल गये, १०० से अधिक निर्वासित करके भारत भेज दिये गये और दो को तो इस संकट-कालमें जो यातनाएँ सहनी पड़ीं उनके कारण उन्हें अपने प्राणोंसे भी हाथ धोना पड़ा। कितने ही परिवार बेघरबार हो गये और उनकी जीविकाके लिए सार्वजनिक चन्देका सहारा लेना पड़ा। तब सन् १९११ का अस्थायी समझौता आया। भारतीयोंको लगा कि अब उन सारी चीजोंके मिलनेकी आशा तो की जा सकती है जिनके लिए वे कष्ट सहते रहे हैं, साथ ही इस समझौतेसे उनके प्रति मंत्रीकी एक ऐसी भावनाका आभास भी मिलता है कि जब भारतीय प्रवासियोंपर लगभग पूरी रोक लग ही गई है तो, यहाँ आबाद भारतीयोंकी स्थिति वैसी डाँवाडोल नहीं रहेगी जैसी आजतक रही है, और यह आशा भी की जा सकती है कि धीरे-धीरे उनका दर्जा ऊपर उठेगा और दक्षिण आफ्रिकामें जिस नई राष्ट्रीयताका निर्माण हो रहा है उसके वे कभी स्थायी अंग बन सकेंगे। इसके अतिरिक्त संघके प्रतिष्ठित हो जानेसे भी उसे कुछ आशा बँधी; यद्यपि इससे उसके मनमें काफी आशंका भी उत्पन्न हुई और सत्याग्रहियोंपर तो केवल ट्रान्सवालकी जिम्मेदारीके बजाय समस्त संघकी जिम्मेदारी आ पड़ी।

किन्तु जल्दी ही समाजका भ्रम दूर हो गया। उन वर्तमान कानूनोंका प्रशासन लगातार कठोर होता चला गया जिनका भारतीय समाजसे विशेष सम्बन्ध था। केप परवाना अधिनियम, नेटाल परवाना अधिनियम, ट्रान्सवालके स्वर्ण-कानून और कस्बा-कानून तथा प्रान्तोंके वर्तमान प्रवासी कानूनोंका अमल जितनी सख्तीसे पहले कभी नहीं हुआ, किया जाने लगा। जो भावना "उत्तरी" भावनाके नामसे मशहूर है, वह नेटाल और केपके प्रशासनमें भी खुलकर खेलने लगी। इस प्रकार समझौतेके होते-न-होते उसकी आत्मापर पदाघात किया जाने लगा।

फिर सन् १९१२ के विधेयकसे, जो पास नहीं किया गया, यह प्रकट हुआ कि आत्मा तो आत्मा, अब शब्दोंका भी उल्लंघन होगा। मूल मसविदेमें गम्भीर दोष थे और वह समझौतेके दोनों सिद्धान्तों—अर्थात् प्रजातिगत प्रतिबन्धोंका हटाया जाना और संघ-भरमें भारतीयोंके वर्तमान अधिकारोंकी रक्षा—के विरुद्ध जाता था। मैं इतना अवश्य स्वीकार करना चाहता हूँ कि इन दोषोंकी ओर ध्यान दिलाने ही मन्त्री महोदय आपत्तिजनक धाराओंको नया रूप देनेके लिए राजी हो गये थे। किन्तु वह विधेयक अस्वीकृत हो गया और भारतीय समाजको यह नया आश्वासन दिया गया कि समझौते-पर अमल किया जायेगा।

उसके बाद माननीय श्री गोखलेकी स्मरणीय यात्रा हुई। फिर बड़ी-बड़ी आशाएँ बँधी। स्थिति पूर्णतः स्पष्ट कर दी गई। जिम्मेदार राजनीतिज्ञोंने घोषणाएँ कीं जिनसे लगा कि अगले अधिवेशनमें एक सन्तोषजनक विधेयक पास कर दिया जायेगा और कुछ भूतपूर्व गिरमिटिया स्त्री-पुरुषोंपर जो अन्यायपूर्ण तथा निर्विवाद रूपसे अनुचित तीन पौंडी कर लगा हुआ था, उसे उठा लिया जायेगा। माननीय श्री गोखलेने सार्वजनिक सभाओंमें घोषणा की कि उन्हें पूरा विश्वास है कि यह कर स्त्री और पुरुष दोनोंपर से हटा दिया जायेगा।

किन्तु पिछले अधिवेशनसे तमाम आशाओंपर पानी फिर गया। प्रवासी विधेयकके मसविदेमें १९११ के समझौतेकी लगभग सभी शर्तें तोड़ दी गईं और यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय समाजको सरकारसे कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। यदि उससे बनता तो वह विधेयकको ज्योंका-त्यों पास करा लेती। किन्तु संसदके दोनों सदनोंमें सभी वर्गों द्वारा इसका अप्रत्याशित विरोध किया गया और इसीलिए अधिनियम मूल विधेयककी अपेक्षा अधिक अच्छा है। सरकारने प्रयत्न किया कि तीन पौंडी कर केवल स्त्रियोंपर से उठाया जाये; इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वह किसी भी तरह उसे पुरुषोंपर से हटानेके लिए तैयार नहीं है।

सरकारकी शत्रुतापूर्ण भावनाके इन निराशाजनक लक्षणोंके बावजूद श्री गांधीको पुनः समझौता-वार्ता प्रारम्भ करनेका अधिकार दिया गया। और जो प्रस्ताव रखे गये वे यदि स्वीकार कर लिये जाते तो सन् १९११ के उक्त अस्थायी समझौतेकी शर्तें केवल शाब्दिक रूपमें पूरी हो गई होतीं। समाजने सोचा था कि यदि ऐसा समझौता भी हो जाता है तो भयंकर सत्याग्रह टल जायेगा; और फिर सरकारका ध्यान अन्य शिकायतोंकी ओर खींचनेके लिए ऐसे उपायोंका सहारा लिया जा सकता है जिनके कारण व्यक्तियों और समाजको अधिक कष्ट न उठाना पड़े।

किन्तु सरकार तो कुछ और ही सोच रही थी। उसने श्री गांधीके अधिकांश प्रस्ताव नामंजूर कर दिये; इतना ही नहीं, वह नेटालमें नये अधिनियमके सख्त अमल और अधिनियमके अन्तर्गत पास किये गये विनियमोंसे, जिनमें से कुछ कठोर और अन्यायपूर्ण हैं, यह भी ज़ाहिर किये दे रही है कि वह केवल नये प्रवासियोंका प्रवेश ही नहीं रोकना चाहती, बल्कि जिन्हें नय अधिनियमके बननेसे पहले पुनः प्रवेश करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती थी उन अधिवासी निवासियोंको भी नहीं आने देना चाहती। वह सम्बन्धित प्रान्तोंमें अधिवासी भारतीयोंकी पत्नियोंके प्रवेश करनेमें भी बाधाएँ डाल रही है।

इन स्थितियोंमें, अब समाजके सम्मुख फिर सत्याग्रह आरम्भ करनेके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं रह गया है। यह सत्याग्रह अब स्वभावतः केवल इस प्रान्त तक ही सीमित नहीं रहेगा; और इस अवसरपर इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेंगे। समाजके नेता इस मामलेमें अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह समझते हैं। वे यह भी जानते हैं कि उनको और उनके देशवासियोंको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। किन्तु उन्हें ऐसा लगता है कि उनका समाज एक प्रतिनिधित्वहीन समाज है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती; उसे अतीतमें बहुत गलत समझा गया है; वह एक विचित्र

किन्तु तीव्र प्रजातिगत विद्वेषके हाथों तबाह है; और इसलिए वह अपने गौरव और सम्मानकी रक्षा त्याग और कष्ट-सहनके सिवा अन्य किसी उपायसे नहीं कर सकता।

सत्याग्रहको सरकारने शिकायतें दूर करवानेका एक वैध उपाय मान लिया है, इसलिए सरकारको यह भरोसा दिलानेकी जरूरत नहीं कि समाज देशके कानूनको नहीं तोड़ना चाहता। वह उन कानूनोंके अन्तर्गत आनेवाले कर्त्तव्योंको, जिनका पालन वह अपनी प्रतिष्ठा और अपने आत्मसम्मानको अक्षुण्ण रखते हुए नहीं कर सकता, पूरा न करनेकी सजा भुगतकर उनकी सत्ताको स्वीकार करेगा।

अन्तमें, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह संघर्ष तबतक जारी रखा जायेगा जबतक :

- (१) प्रवासी अधिनियमसे प्रजातीय भेदभावका कलंक नहीं धुल जाता;
- (२) इस अधिनियमके पास होनेसे पहले जो अधिकार वर्तमान थे, वे फिर बहाल और कायम नहीं किये जाते;
- (३) भूतपूर्व गिरमिटिया पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंपर से तीन पौंडी कर नहीं हटा दिया जाता;
- (४) दक्षिण आफ्रिकामें विवाहित स्त्रियोंका दर्जा सुरक्षित नहीं कर दिया जाता;
- (५) और जबतक इस पत्रमें उल्लिखित वर्तमान कानूनोंके प्रशासनमें आम तौरपर उदारता और न्यायकी भावना व्याप्त नहीं हो जाती।

साथ ही विनम्र निवेदन है कि जबतक सरकार समाजके विभिन्न प्रान्तीय नेताओंसे सलाह नहीं करती तबतक इन कानूनोंपर निर्विघ्न और न्यायपूर्ण अमल सम्भव नहीं है।

[आपका,]

अ० मु० काछलिया

अध्यक्ष

ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल, १५-९-१९१३

१२८. समझौता न हो सका

हमने पहले यह समाचार दिया था कि सरकार तथा श्री गांधीके बीच समझौतेकी बात चल रही है। अब हमें उक्त बातचीतके टूट जानेकी खबर देनी पड़ रही है। सत्याग्रह अब फिरसे छिड़ेगा। इसमें भी कोई ईश्वरीय रहस्य होगा। दिखाई-तो यही पड़ता है कि संघर्षमें लाभ है। यदि समझौता हो जाता तो उससे केवल १९११ की शर्तोंके शब्दोंका ही पालन होता, लेकिन उस समझौतेका उद्देश्य नष्ट हो जाता; क्योंकि उससे समझौतेके शब्दोंका पालन होता, आत्माका नहीं। यह ठीक है कि उससे दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे हुए लोगोंको केप जानेका अधिकार मिलता, शादी-विवाहके सम्बन्धमें निर्णय हो जाता, और रंगभेदका नाम भी हट जाता। परन्तु भारतीय समाजकी दृष्टिसे इतना ही काफी न होता। सरकारने इस अपर्याप्त वस्तुको अस्वीकार

करके हमपर उपकार ही किया है। हमें संघर्षमें जूझना है; यह संघर्ष जातिभेद रूपी उस असुरके संहारका संघर्ष है जो इस सरकार और गोरोंके शरीरमें बसा हुआ है। जाति-भेदका यह राक्षस सरकारके ट्रान्सवालके स्वर्ण-कानून तथा नये प्रवासी कानूनके अमलमें दीन-दुःखी और निराधार भारतीयोंसे तीन-पौंडी कर लेनेके दुराग्रहमें और हमारी स्त्रियोंके प्रति व्यवहारमें दृष्टिगोचर होता है। इन सबकी दवा उन सभी कानूनोंको रद्द करने या बदलवानेकी अपेक्षा इस राक्षसी-वृत्तिके उन्मूलनमें ही है। इस राक्षसको मार डालनेका एकमात्र मार्ग यही है कि हम स्वयं मर-मिटनेको तैयार हो जायें। मृत्युमें ही जीवन निहित है। मृत्यु ही हमारा उद्धार कर सकती है। मरकर ही सही बात समझाई जा सकती है। बलिदानकी छाप ही ऐसी है कि जहाँ पड़ेगी अंकित हो उठेगी। गोरोंका तिरस्कार करने-भरसे हम उन्हें नहीं जीत सकते; और न गोरोंको मारकर ही हम जीत सकेंगे। हम उनके शरीर भले ही नष्ट करें परन्तु यदि उनमें वास करनेवाला राक्षस जीवित रहा तो वह एकसे अनेक बन जायगा। वृक्षकी डालियोंको काटनेसे तो वृक्ष और भी हरा-भरा हो उठता है, नष्ट तो वह जड़ काटने ही से होगा। ठीक उसी प्रकार गोरोंके शरीरसे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा सम्बन्ध तो उनकी राक्षसी-वृत्तिसे है। इस वृत्तिको पलटनेका सच्चा प्रयास ही सत्याग्रह है। ईश्वरीय नियम ही कुछ ऐसा है कि कठोरसे-कठोर मनुष्य हो, वह भी अपने दुश्मनको अकारण दुःख भोगते हुए देखकर पिघल उठता है, और ऐसा दुःख सहनेको सत्याग्रही ही तत्पर रहता है। दूसरा भी उपाय है परन्तु वह असम्भव है। गोरोंके हृदयमें हमारे प्रति जो तिरस्कार-भावना है उसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। हममें अनेक दोष हैं। हम झूठ बोलते हैं, असत्य-आचरण करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, गन्दे ढंगसे रहते हैं। हम सबके-सब इन सारी बुरी आदतोंको छोड़ कर ही गोरोंके मनसे तिरस्कार दूर कर सकेंगे। किन्तु यह बात असम्भव है। जो भारतीय अनेक कुटेवोंसे ग्रसित हैं वे ऐसे लेख पढ़ेंगे ही नहीं। यदि कोई यह लेख पढ़कर उन्हें समझाना चाहे तो समझा भी नहीं सकेगा। सत्याग्रहीको इनके लिए भी मरना है। अज्ञानसे अन्धे हमारे ऐसे बन्धु तभी कुछ सीख पायेंगे। एककी मौतसे दूसरे सीखें, यह तो दुनियामें सदासे चला आया है। अपने बलिदानका स्वयं लाभ न उठानेमें अपना कल्याण है। यह कठोर वचन मनन करने योग्य है। जीवनके सच्चे उपभोगका यह महामन्त्र है। ऐसी वृत्ति रखनेवाले सत्याग्रही ही आगामी संघर्षमें विजय पायेंगे। जो इसमें शरीक नहीं हो सकते उनसे हमारा निवेदन है कि वे इसका विरोध न करें, और अन्य जो भी सहायता बन पड़े करें। समाजके हितको ध्यानमें रखें। यदि आपसे भला न बन पड़े या उचित न बोला जाये तो मौन रहें। आप निर्बल हैं तो अपनी निर्बलतासे दूसरोंको निर्बल न बनायें; यह भी पारस्परिक सहयोग ही होगा। इस बारके संघर्षका कोई 'प्रोग्राम' या कार्यक्रम है ही नहीं। वह बादमें मालूम होगा। यह संघर्ष तो ऐसा है कि इसके द्वारा सरकारका मन, जो हमारे विरुद्ध है, ठीक होना चाहिए। तीन पौंडका जहरी कर तो हटाया ही जाना चाहिए। असहाय भारतीयोंका यह हमपर ऋण है। हमपर यह श्री गोखलेका भी कर्ज है।

उन्हें दिये हुए वचनका यदि सरकार पालन नहीं करती तो इसे हमारे प्रति विश्वासघात ही माना जायेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्वर्ण अवसरका अधिकांश भारतीय लाभ उठावेंगे; और जो संघर्षमें उतरेंगे उन्हें ईश्वर — खुदा — आवश्यक बल और श्रद्धा प्रदान करेगा; यह अवश्यम्भावी है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-९-१९१३

१२९. मणिलाल गांधीको लिखे पत्रका अंश

[डर्बन]

बुधवार, सितम्बर १७, १९१३

चि० मणिलाल,

. . . 'बा आदि सब लोग सोमवारके दिन बड़ी हिम्मतके साथ गये. . . तमोगुणके सिवा रजोगुण और सतोगुण हैं। तमोगुणकी प्रधानता होनेसे मनुष्य अन्धा, अज्ञानी और आलसी बना रहता है। रजोगुण उसे अविचारी, साहसी और दुनियावी बातोंमें उत्साहपूर्ण बनाता है। यूरोपके लोगोंमें रजोगुणकी प्रधानता है। हमारी भी अधिकांश प्रवृत्तियाँ रजोगुण प्रधान हैं। सत्व गुणवाला व्यक्ति शान्त, स्थिर-बुद्धि और विचारवान होता है। वह दुनियाके प्रपंचमें नहीं पड़ता और अपना मन हमेशा ईश्वरकी ओर उन्मुख रखता है। इस सात्विक वृत्तिको [अंग्रेजीमें] 'सूदफास्टनेस' कहा गया है सो ठीक है। 'सूद-फास्ट' यानी शान्त, 'नेस' प्रत्यय जोड़नेसे इस शब्दकी संज्ञा बन गई और अर्थ हो गया शान्ति। वृत्तियाँ शान्त होनपर ही आत्मदर्शन सम्भव होता है और जिस वृत्तिसे आत्मदर्शन सम्भव होता है वह है सात्विकी वृत्ति। परमात्मा अपने त्रिगुणातीत रूपमें तो भली या बुरी कोई प्रवृत्ति नहीं करता। किन्तु माया चतन्य रूपमें है। परमात्मा तो तीनों गुणोंसे अतीत है किन्तु वह अर्जुनको ज्ञान देनेकी प्रवृत्तिका आचरण करता है। उस समय उसकी इस प्रवृत्तिके मूलमें सात्विक वृत्ति होती है। और चूंकि प्रवृत्तिमात्र उपाधि है इसलिए उसके इस रूपको सत्वगुणकी उपाधिवाला रूप कहा गया है। अपना मन खूब स्थिर रखना।

[गुजरातीसे]

जीवननुं परोढ़

१. २. पुस्तकमें पत्रके ये अंश छोड़ दिये गये हैं।

१३०. पत्र : हरिलाल गांधीको

[डबन]

भाद्रपद कृष्ण ३, [सितम्बर १८, १९१३]^१

चि० हरिलाल,

तुमने पत्र लिखते रहनेके अपने वचनका पालन नहीं किया। एसा वचन तुमने एकाधिक बार दिया है और उसे हर बार तोड़ा है।

तुम्हारी तबीयत बिगड़नेकी खबर सुनकर बहुत दुःख हुआ। मुझे इसका डर था। मैंने तुम्हें इसकी चेतावनी भी दी थी। तुम मेरी अनुमति लेकर गये किन्तु यह तो तुम जानते ही हो कि मेरी इच्छा तुम्हें जाने देनेकी नहीं थी। आज भी तुम्हारा रहन-सहन या तुम्हारे विचार मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शिक्षा उल्टी है। तुमने चंचीका अहित किया है और बच्चोंका भी अहित कर रहे हो; किन्तु मैं स्नेहपूर्वक तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ इसलिए किसी प्रकारकी आज्ञा नहीं देना चाहता। अनुनय-विनय करके ही तुमसे काम लेना चाहता हूँ। तुम्हारी पितृ-भक्तिके आधारपर तुमसे कुछ करानेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसमें रोषकी बात नहीं है; मैं ऐसा कर्तव्य समझकर करता हूँ। आज भी तुम्हें मेरी यही सलाह है कि तुम परीक्षाका मोह छोड़ दो। उसमें उत्तीर्ण हो जाओगे तो मुझे उससे कोई खुशी नहीं होगी। और यदि अनुत्तीर्ण हो गये तो तुम्हें बहुत क्षोभ होगा। किन्तु जो तुम्हें पसन्द हो वही रास्ता चुनना। यदि परीक्षाका लालच छोड़ सको, और यह पत्र मिलने तक यदि संघर्ष चल रहा हो, तो चंचीको लेकर यहाँ आ जाना — दोनोंके जेल जानेके विचारसे^२ — चंची अब और किसी कारणसे यहाँ नहीं आ सकती। यदि लड़ाई जल्दी समाप्त हो गई तो मैं शीघ्र ही वहाँ आ जाऊँगा तब हम लोग मिलेंगे और बातचीत करेंगे।

तुम्हारे डिस्पेप्सिया [मन्दाग्नि] का एक ही इलाज है — १५ मील रोज पैदल चलना। रुचिके अनुसार भोजनमें कोई चबा कर खाने योग्य चीज लिया करो। आरोग्य-पर लिखे गये प्रकरण^३ यदि तुमने पढ़े हों तो उनमें बताये हुए प्रयोग करनेसे यह बीमारी बिलकुल निःशेष हो जायेगी। तुम्हारी मनःशक्तिका क्षय हुआ है, उसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। वहाँका शिक्षण निरर्थक है क्योंकि उसके पीछे कोई चिन्तन

१. पत्रके चौथे अनुच्छेदमें जिन गिरफ्तारियोंका उल्लेख है, वे सितम्बर १६, १९१३ को हुई थीं।

२. श्री गोखलेने हरिलालको दक्षिण आफ्रिका लौटनेसे रोक लिया था और दिसम्बर २६ को गांधीजीको तारसे सूचित कर दिया था कि “बम्बईमें हरिलाल मुझसे मिला। उसने बताया कि आपने उसे दक्षिण आफ्रिकामें संवर्षमें भाग लेनेके लिए तत्काल बुलाया है। मैंने जिम्मेदारी लेकर उसे भारतमें शिक्षण प्राप्त करते रहनेके लिए रोक लिया है। हस्तक्षेप क्षमा करें।”

३. अभिप्राय उन दिनों इंडियन ओपिनियनमें क्रमशः प्रकाशित होनेवाले आरोग्य विषयक प्रकरणोंसे है।

नहीं है। तुमने हजारों पढ़े-लिखे लोगोंकी बुद्धिकी मन्दताका विचार ही नहीं किया, इसलिए मैं [अपनी बात] किससे कहूँ और क्या कहूँ? तुमने ऐसी कोई चीज सीखी ही नहीं जिससे तुम्हारा मनोबल पुष्ट होता। जहाँ परीक्षा पास करना ही उद्देश्य हो जाता है वहाँ परिणाम बुरा होगा ही। यह बात श्री रानडेने ३० वर्ष पहले कही थी। जरा सोचो तो कि सामान्य बी० ए० पास लोगोंका क्या हाल है। बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ पास करनेके बाद यदि तुम्हारा शरीर रोगी अथवा मन निर्बल हो गया तो तुम क्या कर सकोगे। क्या तुमने कभी बारीकीके साथ इस बातका अवलोकन किया है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है।

बा, रामदास, काशी, सन्तोक, छगनलाल, कबु, गोविन्दु^१, रेवाशंकर^२, शिवपूजन, रावजीभाई, मगनभाई, सैम, सेठ रुस्तमजी, सॉलोमन^३, आदि जेल जानेके लिए निकल पड़े। मंगलवारके दिन उन्हें फोक्सरस्टमें गिरफ्तार किया गया। यह पत्र मैं गुरुवारके सवेरे लिख रहा हूँ। कल क्या हुआ इसका तार अभी नहीं आया है।^४ देवदास फीनिक्समें है। वह बहुत कार्यकुशल हो गया है। मैं सवेरे ३-३० पर उठता हूँ। देवदास ४-३० पर उठता है। ५ बजेसे पढ़ना और अन्यान्य कार्य शुरू हो जाते हैं। उसका शरीर भी इस बीचमें कुछ पुष्ट हुआ है। इस कार्यक्रममें फर्क तो होता ही रहता है। अभी जो लड़के यहाँ हैं वे रविवारके सिवा बाकी दिनों हमेशा अलोना खाते हैं। वे संघर्षकी अवधि तक यह नियम पालते रहनेका इरादा रखते हैं। बच्चोंकी देखभाल मगनलाल और मिस वेस्ट^५ करेंगे। मैं शनिवारको^६ जे० बी० [जोहानिसबर्ग] जाऊँगा। तब जोहानिसबर्गवाले गिरफ्तार होनेकी कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश सबके अन्तमें गिरफ्तार होनेकी रहेगी। मैंने गिरफ्तार होनेकी युक्ति ढूँढ़ निकाली है। उसमें जरा ज्यादा हिम्मतकी जरूरत है। ईश्वर मुझे वह हिम्मत दे — मनमें ऐसी रटन निरन्तर चलती रहती है। मणिलाल जे० बी० में है; वह इस समय कठिन व्रत पाल रहा है और इस प्रकार प्रायश्चित्त कर रहा है। वह जे० बी० से जेल जायेगा। जेल जानेके विचारसे बाके साथ जेकी^७ भी गई है। जेकीने भी अपना जीवन बिल्कुल बदल डाला है। मेढ़ और देसाई भी जे० बी० में हैं। जमनादास जेल जानेके लिए अधीर हो रहा है। मैं बहुत करके उसे आनेका तार करूँगा। अभी निश्चय नहीं किया। मैंने तुमसे अपने परीक्षापत्र भेजनेके लिए कहा था, वे तुमने भेजे नहीं हैं, यह याद रखना।

१. फीनिक्स प्रेसमें एक कम्पोजीटर ।
२. रतनसी सोढाके पुत्र ।
३. जोजेफ़ रायप्पनका भतीजा सॉलोमन रायप्पन जो १९१२ में शिक्षित भारतीयोंके नाते प्रवेश पानेवालोंमें से एक था ।
४. मामलंका निर्णय २३ सितम्बरको हुआ था और सभी १६ मख्याग्रहियोंको ३-३ महीनेकी सख्त सजा दी गई थी ।
५. ए० एच० वेस्टकी बहन कुमारी एडा वेस्ट ।
६. वास्तवमें गांधीजी गुरुवार २५ सितम्बरको डर्बन रवाना हुए ।
७. जयकुँभर, डॉ० प्राणजीवन मेहताकी पुत्री ।

मैं गंगा भाभीके निर्वाहकी व्यवस्था करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मेरा वहाँकी बात सोचना बेकार साबित हो गया है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी कदम उठाओ मेरा या मेरे विचारोंका खयाल किये बिना उठाओ।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५४०)की फोटो-नकलसे।

१३१. पत्र : मणिलाल गांधीको

[डर्वन]

गुरुवार, [सितम्बर १८, १९१३]^१

चि० मणिलाल,

तुम्हारे पत्र आये हैं। आज भी मुझे लिखनेका विशेष अवकाश नहीं है। बा और दूसरे लोग फोक्सरस्टमें गिरफ्तार हो गये हैं। कल अदालतमें पेश होनेवाले थे। क्या हुआ इस बातको जाननेके लिए मैं तारका रास्ता देख रहा हूँ।^२ मैं तुम्हें उसकी खबर देना चाहता था लेकिन मिली ही नहीं। तुम्हारी निराशा जितनी बढ़ेगी मैं उतना ज्यादा दुःखी हो जाऊँगा। मैंने तुम्हें जो वचन दिया है उससे मैं हटा नहीं हूँ। मैंने कोई बड़ा फर्क नहीं किया है। मैं अपनी आत्माको निर्विकार बनानेके प्रयत्नोंसे दुःखी नहीं हो सकता। व्रतोंसे मुझे कोई कष्ट नहीं होता; उससे मुझे सुख ही होता है। इसमें तुम्हारा चिन्तित होना अज्ञानका सूचक है। दुःख तो मुझे तुम्हारे दुर्वर्तनसे ही हो सकता है। मेरा सुख-दुःख तुम्हारे आचारपर निर्भर है। मैं क्या कर रहा हूँ इसका विचार करते रह कर तुम मेरा दुःख दूर नहीं कर सकते। तुम्हें खुद क्या करना चाहिए इसका विचार करो तो तुम मुझे सुखी कर सकोगे।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०७) से।

सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी।

१. पत्रमें उल्लिखित बा की गिरफ्तारी मंगलवार सितम्बर १६ को हुई थी।

२. मुकदमा सितम्बर २३ को चला।

१३२. श्री काछलियाका पत्र'

जो वापस नहीं लिया जा सकता वह कदम उठाया जा चुका है। रायटरकी शानदार समाचार-एजेंसी द्वारा ब्रिटिश संसारको मालूम हो गया है कि दक्षिण आफ्रिकाके मुठ्ठी-भर भारतीयोंने सत्याग्रह-संघर्षकी घोषणा कर दी है; अर्थात्, एक नगण्य अल्पसंख्यक जन-समुदाय एक शक्तिमान सरकार और ऐसी यूरोपीय आबादीके सामने जा डटा है, जिसकी तादाद उसकी तुलनामें बहुत अधिक है और जिसे इस उपमहाद्वीपमें ऐसी सुविधाएँ प्राप्त हैं जो भारतीयोंको शायद अभी पीढ़ियों तक प्राप्त नहीं हो सकेंगी। दरअसल, इस बारका सत्याग्रह संघर्ष सिर्फ दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार और यूरोपीयोंके खिलाफ ही नहीं, साम्राज्य-सरकारके खिलाफ भी है। लॉर्ड एंम्टहिलने लॉर्ड सभामें दिये गये अपने महत्वपूर्ण भाषणमें यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि साम्राज्य-सरकारने अपने कर्तव्यका पालन किया होता तो [दक्षिण आफ्रिकामें] कानून बनानेका ढंग कुछ और ही होता; और वह तटस्थ रहती तो भी शायद प्रवासी अधिनियम पास न हुआ होता। इसलिए जबतक हम सत्याग्रह द्वारा उसकी आँखें खोल नहीं देते और जबतक उसे स्पष्ट रूपसे यह दिखाई नहीं देने लगता कि उसने अपने न्यासके प्रति अक्षम्य उपेक्षाका कैसा अनुचित भाव अपना रखा है तबतक हम उससे किसी सहायताकी आशा नहीं कर सकते।

श्री काछलियाने इसे अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि इस जबर्दस्त और भयानक कदमके उठानेकी जरूरत क्यों पड़ी। यह एक ऐसा कदम है जिसका अर्थ हमारे सैकड़ों देशबन्धुओंका विनाश हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें समाजकी माँगें बता दी हैं। उनकी माँगें ये हैं: (१) प्रवासी कानूनसे प्रजातिगत भेदभावको दूर किया जाये; (२) इस कानूनके पूर्व जो अधिकार [भारतीयोंको प्राप्त] थे उनको सुरक्षित रखा जाये; (३) सम्पूर्ण संघमें भारतीयोंसे सम्बन्धित जितने भी कानून हैं, उनके प्रशासनमें न्याय एवं उदारता बरती जाये; (४) तीन पौंडी कर उठा दिया जाये; और अन्तमें, (५) सरकारकी भारतीयोंसे सम्बन्धित सारी कार्रवाईमें जो एक विरोधी भावना दिखाई पड़ती है, उसके बदले इस समाजके प्रति सद्भावनापूर्ण रुख अपनाया जाये। ऊपर मैंने लॉर्ड एंम्टहिलके जिस भाषणका उल्लेख किया है, उसमें उन्होंने भी ये ही माँगें पेश की थीं।

अब हम यथासाध्य संक्षेपमें इनमें से हरएक मुद्देको देखें। 'नेटाल मर्क्युरी' ने अपनी सम्पादकीय टिप्पणीमें, जो अन्य बातोंमें प्रशंसनीय है, प्रजातिगत प्रतिबन्धके बारेमें एतराज करनेपर नाराजी प्रकट की है। आम तौरपर हमारे इस सहयोगीकी जानकारी प्रामाणिक हुआ करती है, किन्तु हमें ऐसा जान पड़ता है कि यह टिप्पणी किसी ऐसे सज्जन द्वारा लिखी गई है जिसे अभी इस विषयका पूरा ज्ञान नहीं हो

पाया है। प्रजातिगत प्रतिबन्धोंकी समाप्ति सन् १९१० से ही सभी पक्षोंका सम्मिलित उद्देश्य रहा है। सच तो यह है कि संघ सरकारने इस कानूनका बचाव ही यह कह कर किया कि इसमें कोई प्रजातिगत प्रतिबन्ध नहीं है, और साम्राज्य सरकारने भी इसपर अपनी स्वीकृति यही मानकर दी थी। और फिर, इस मामलेमें इस त्रुटिके दूर कर दिये जानेका अर्थ हर मामलेमें प्रजातिगत समानताकी स्थापना भी नहीं है। प्रजातिगत प्रतिबन्धोंको दूर करनेका मतलब सिर्फ उस स्थितिपर वापस लौट जाना है जो १९०६ में थी। इसमें प्रवासकी दृष्टिसे कानूनमें प्रजातिगत समानताका उल्लेख किया गया है। इस समानताके स्वीकार कर लिये जानेपर भी—और देर-सबेर उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा—सभी प्रान्तोंमें अन्य अनेक कानूनोंकी हद तक प्रजातिगत असमानता रहेगी। लॉर्ड एंम्टहिलने स्पष्ट रूपसे दिखा दिया है कि इस कानूनमें प्रजातिगत असमानता मौजूद है, यद्यपि सरकारने बार-बार इस तथ्यका जोरदार प्रतिवाद किया है। यह कानून भारतीय प्रवासियोंको एक अनावश्यक और अपमानजनक ज्ञापनके लिए मजबूर करता है, किन्तु यूरोपीय प्रवासियोंको इसपर मजबूर नहीं करता। यह ज्ञापन उन कानूनी नियोग्यताओंकी स्वीकृति-मात्र है जो फ्री स्टेटके भारतीयोंपर थोपी गई हैं। किन्तु, जैसा कि सरकार स्वयं मानती है, इस स्वीकृतिके बिना भी ये नियोग्यताएँ बनी ही रहेंगी। इस प्रजातिगत प्रतिबन्धको कायम रखनेका मुख्य कारण संघ-संसदके फ्री स्टेटवासी सदस्योंकी अविवेकपूर्ण जिद ही है। सरकार अपने इन समर्थकोंको नाराज नहीं करना चाहती। अन्यथा, प्रजातिगत प्रतिबन्धके हटनेसे सरकारका कुछ बनता-बिगड़ता नहीं है, और न इससे फ्री स्टेटकी आबादीमें एक भी भारतीयकी वृद्धि होनेकी आशंका ही है। सच पूछा जाये तो प्रजातिगत प्रतिबन्धकी समाप्ति वर्तमान अधिकारोंका ही एक अंग है। इसके अन्य ऐसे अधिकारोंसे अलग माने जानेका कारण यह है कि १९११ से पूर्व संघर्ष केवल प्रजातिगत भेदभावके सवालपर केन्द्रित रहा।

नये कानूनमें जिन मौजूदा अधिकारोंपर प्रहार किया है, उनमें से कुछ ये हैं: दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंका उस केप कानूनके अन्तर्गत, जो अब रद्द कर दिया गया है, केवल अपने जन्मके आधारपर केपमें प्रवेश करनेका अधिकार; दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले भारतीयोंकी गैर-ईसाई विधिसे विवाहित पत्नियोंका कानूनी पत्नियाँ माने जानेका अधिकार, जो पहले उन्हें प्राप्त था या माना जाता था कि उन्हें प्राप्त है; नेटालवासी भारतीयोंका, चाहे जितने समय तक नेटालसे बाहर रहने और यह प्रमाणित कर देनेपर कि उनके पास जो अधिवास प्रमाणपत्र है उसके वे प्रामाणिक मालिक हैं, पुनः वहाँ लौट आनेका अधिकार। हम यहाँ उन छोटे-मोटे मौजूदा अधिकारोंकी बात नहीं कर रहे हैं, जो कानून द्वारा छीने गये हों या छीने जा सकते हों।

तीन पौंडी कर अनेक दृष्टिकोणोंसे सबसे अधिक व्यथा पहुँचानेवाली चीज है। यह जिस वर्गपर लादा गया है वह एक अत्यन्त असहाय वर्ग है, और जब श्री गोखले पिछले साल दक्षिण आफ्रिका आये थे उस समय सभी क्षेत्रोंसे इस करकी निन्दा की गई थी; और लॉर्ड एंम्टहिलके दावेके अनुसार, “दक्षिण आफ्रिकाके मन्त्रियोंने श्री गोखलेसे निश्चित वादा किया था कि तीन पौंडी कर उठा दिया जायेगा और फिर उन लोगोंने गवर्नर-जनरलसे यह कहा भी था कि हमने श्री गोखलेसे

ऐसा वादा किया है।” हमारी मान्यता है कि श्री गोखलेको दिया गया वचन भारतीय समाजको दिया गया वचन है। इसलिए जबतक यह कर हटा नहीं दिया जाता, तबतक सत्याग्रह संघर्ष चलाते रहना हमारा पुनीत कर्तव्य है।

मौजूदा कानूनोंका प्रशासन दिन-ब-दिन कठोर होता गया है, तब फिर भारतीयोंसे चुप बैठे रहनेकी आशा कैसे की जा सकती है। पहले भारतीय पत्नियाँ बिना किसी फजीहत और ज्यादा पूछताछके प्रवेश पा जाती थीं। अब सरकारने प्रवासी-अधिकारियोंको आदेश दे रखा है कि वे उनसे अधिकसे-अधिक विश्वसनीय प्रमाण माँगे और इसपर भी हर तरहकी निरर्थक विघ्न-बाधाएँ उपस्थित की जाती हैं। इसका सबसे ताजा नमूना कुलसम बीबीका मामला है। समाजने भारतीय पत्नियोंको प्रवेश देनेकी प्रक्रियामें ऐसी सख्ती बरतनेका कभी कोई कारण नहीं दिया। हमपर कभी किसी आपत्तिजनक चरित्रकी स्त्रीको लानेका या हमारी स्त्रियोंके किसी [आर्थिक] होड़में शामिल होनेका कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पहले जो लोग अपना अधिवासका अधिकार सिद्ध करना चाहते थे उनसे [जमानतके तौरपर] केवल १० पौंड माँगा जाता था। किन्तु अब २५ पौंडकी अनुचित रकम जमा करनेको कहा जाता है। पहले पर्यटन-पास (विजिटिंग पास) देनेमें काफी उदारता बरती जाती थी, किन्तु अब उसमें भी बड़ी कंजूसी की जाने लगी है। हम ऐसे मामले जानते हैं जिनमें लड़कोंको अपने माता-पिताओंके पास जाने और व्यापारियोंको कर्जकी रकम उगाहनेके लिए अन्य प्रान्तोंमें जानेके अनुमतिपत्र नहीं दिये गये हैं। किसी भारतीय महाजनके लिए अपनी बकाया रकमें उगाहनेके उद्देश्यसे ट्रान्सवाल जानेका अनुमतिपत्र जारी करवा सकना सरल बात नहीं है। शासनकी प्रवृत्ति यह है कि दक्षिण आफ्रिकामें बसी हुई भारतीय आबादीके जीवनको यथा-सम्भव असह्य बनाकर उसे यहाँसे उखाड़ फेंका जाये। ट्रान्सवालमें स्वर्ण-अधिनियम और कस्बा-कानूनका तथा नेटाल और केपमें व्यापारिक परवानोंसे सम्बन्धित कानूनोंका प्रशासन बहुत ही त्रिन्दनीय रहा है। इसलिए श्री काछलियाने इस बातपर जोर दिया है कि हमसे सम्बन्धित कानूनोंकी प्रशासन-पद्धतिमें परिवर्तन होना चाहिए।

और श्री काछलिया द्वारा इच्छित सुंधार शायद तबतक सम्भव नहीं हैं जबतक कि सरकार तथा दक्षिण आफ्रिकावासी यूरोपीयोंका रुख अपेक्षाकृत नरम और अधिक विवेक-सम्मत नहीं हो जाता। यदि सरकारकी तयोरियाँ हमपर चढ़ी ही रहीं और यूरोपीय समुदायने हमारे विनाशके उद्देश्यसे प्रस्तावोंके द्वारा हमें समस्त नागरिक सुविधाओंसे अनिवार्यतः वंचित कर देनेकी माँग जारी रखी तो इसके जवाबमें हमें भी यह दिखा देना होगा कि हम अपने सम्मान तथा दक्षिण आफ्रिकामें अपने सम्मानपूर्ण अस्तित्वके लिए मर मिटना जानते हैं। और इसके लिए हमें शरीर-बलसे नहीं जूझना है, बल्कि स्वेच्छ्या कष्ट-सहनका वह तरीका अपनाना है जो मनुष्यको निष्कलुष बनानेके साथ-साथ उसे गौरव भी प्रदान करता है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-९-१९१३

१३३. इसे कैसे किया जाये ?

चूँकि इस बार संघके सभी प्रान्तोंमें सत्याग्रह चलाया जायेगा, इसलिए वह अपेक्षा-कृत सरल होगा; यहाँ बात कष्टोंके कम होनेकी नहीं है; सम्भव है कष्ट पहलेसे भी अधिक हों, किन्तु गिरफ्तारी पहलेसे अधिक आसानीके साथ हो सकेगी। अभी तक सत्याग्रही ट्रान्सवालकी सीमा पार करके गिरफ्तार होते थे। वर्तमान संघर्ष भी इसी तरह शुरू हुआ है। यह तो साफ है कि सीमा पार करके प्रतिरोध प्रकट करनेके तरीकेका यह अर्थ नहीं है कि हम प्रान्तीय सीमाओंको तोड़नेकी माँग करते हैं। बल्कि हम तो संघर्षका कारण दूर होते ही विभिन्न प्रान्तोंकी सीमाएँ पार कर चुकनेके बाद भी अपने-अपने अधिवासके प्रान्तोंमें लौट जायेंगे। सत्याग्रही अपने निजी तथा व्यक्तिगत अधिकारोंके लिए नहीं लड़ रहे हैं—लड़ ही नहीं सकते।

परन्तु सीमा पार करना काफी खर्चीला पड़ता है। जो लोग इस आन्दोलनमें सक्रिय भाग लेना चाहें वे शान्ति एवं शालीनताके साथ बिला-परवाना फेरी लगाकर या व्यापार करके, और यदि परवाना हो भी तो उसे न दिखाकर गिरफ्तार हो सकते हैं। उन्हें हर बार पुलिस या अदालतोंको सूचित कर देना चाहिए कि उनका इरादा इस प्रकार कानून तोड़नेका नहीं है, परन्तु जबतक सरकारसे कोई समझौता नहीं हो जाता तबतक वे देशके उन कानूनोंका पालन करानेमें अधिकारियोंकी सहायता नहीं करेंगे जिनका कोई नैतिक या स्वाभाविक आधार न होकर केवल कृत्रिम आधार है। संघर्ष कोई एक दिनमें समाप्त होनेवाला तो है नहीं। प्रत्येक सत्याग्रही स्वयं सोच सकता है कि उसके लिए किस तरह गिरफ्तार होना सर्वोत्तम रहेगा। अगर हममें अपने तथा अपने देशके सम्मानकी खातिर कष्ट झेलनेकी दृढ़ इच्छा होगी तो समय और अनुभव हमें सही रास्ता भी दिखा देंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-९-१९१३

१३४. संघर्ष कैसे किया जाये ?

यह तीसरी लड़ाई दक्षिण आफ्रिका-भरमें छिड़ेगी इसलिए हमारा ख्याल है कि इसमें जेल जाना एक सहज-सी बात बन जायेगी। पर इसका मतलब यह नहीं कि जेलके कष्ट इस बार कम होंगे। वे तो, हो सकता है, बढ़ भी जायें। किन्तु जेल जानेके मार्ग पहलेकी तरह मुश्किल नहीं होंगे। आजतक तो यह था कि सब लोग ट्रान्सवालमें प्रवेश करके ही जेल जाते थे परन्तु इस बार ऐसा करनेकी आवश्यकता नहीं है। [अब तो] प्रत्येक गांव और प्रत्येक प्रान्तमें यदि थोड़े-बहुत भारतीय भी संघर्षके प्रति विवेकपूर्वक ध्यान दें तो वे सब इसमें कुछ-न-कुछ हाथ बँटा ही

सकते हैं और संघर्षमें मदद कर सकते हैं। सबसे सीधा रास्ता तो फेरीवालोंके लिए है। जो लोग फेरीका ही घन्वा करते हैं वे और वे लोग भी जिनका यह पेशा नहीं है—ये सब बिना परवाना फेरी शुरू कर सकते हैं। इसमें सजा भी कम होती है। और मालके नीलाम होनाका भय भी नहीं है। इसमें जरूरी लगे तो विश्राम भी लिया जा सकता है। इस प्रकार यह हलचल गाँव-गाँवमें छिड़ जाये तो हम एक बड़ा भारी संघर्ष चला सकेंगे। सारे दक्षिण आफ्रिकामें अशान्ति मच जायेगी और राज्याधिकारियोंका ध्यान पूर्ण रूपसे इसकी ओर खिंच सकेगा। जिनके पास परवाने हैं वे भी ऐसा कर सकते हैं। पुलिस बार-बार परवाना देखना चाहती है। हमारे पास परवाना है पर हम न बतायें तो हमें गिरफ्तार करना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। दूकानदार और उनके नौकर भी यही रास्ता अपनाकर गिरफ्तार हो सकते हैं। इस प्रकार विचार करें तो हमें प्रतीत होता है कि यह मार्ग बहुत ही सरल और सीधा है। इसमें कष्ट भी कम हैं। इसमें पहल हमारे ही हाथों रहती है और जब चाहे आराम भी लिया जा सकता है। फेरीवालों और दूकानदारोंको इतना याद रखना चाहिए कि इस संघर्षमें सबसे बड़ा स्वार्थ उन्हींका है। व्यापारपर ही सरकारकी और गोरे लोगोंकी अधिकसे-अधिक कड़ी नजर है। यदि हम व्यापार न करें तो हमारे प्रति इतना ईर्ष्या-द्वेष न रहे। पर इस देशमें व्यापार तो हमारा जीवन-आधार ही है। और यह तो स्मरण रखनेकी बात है कि ज्यों-ज्यों हमारा मान बढ़ता है, वैसे-वैसे हमारे दुःख कम होते हैं। अतः व्यापारियोंको जो यह बड़ा और सरल अवसर हाथ लगा है। उसका वे लाभ उठायेंगे, मेरा यह विश्वास है। यह बतलानेकी आवश्यकता ही नहीं है कि यह संघर्ष तो अकेला एक भारतीय भी अपने गाँवमें छेड़ सकता है। ऐसा एकाध शूरवीर हो तो वह जेल जाते समय अपना नाम हमें लिख भेजे। जो लोग सीमा पारकर गिरफ्तार होते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि ऐसा करनेसे उन्हें अपने हक नहीं मिल पायेंगे। सत्याग्रहका संघर्ष व्यक्तिगत हकोंके लिए नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत अधिकारोंका तो सत्याग्रहके साथ सदासे बैर रहा है। स्वार्थ और सत्याग्रह दोनों एक साथ नहीं चल सकते।

और सहायता कैसे दी जा सकती है ?

हम ऊपर देख चुके हैं कि इस संघर्षमें सर्वोत्तम मदद तो जेल जाकर ही पहुँचाई जा सकती है; पर हम जानते हैं कि सारे भारतीयोंमें जेल जानेकी शक्ति नहीं है। ऐसे लोग क्या करें, इसका विचार भी हमें करना चाहिए। इस सम्बन्धमें हमें जो विचार सूझते हैं उन्हें नीचे दिया जा रहा है।

१. जो लोग जेल जाते हैं, उनके घन्घे और कुटुम्बियोंका ध्यान रखकर पीछे रहे हुए लोगोंके भरण-पोषणकी व्यवस्था की जा सकती है।
२. इस बार हम भारतसे भी पैसेकी माँग नहीं करेंगे और अब तो पैसा भी हमारे पास थोड़ा ही बचा है, अतः सत्याग्रह फंडमें धनकी मददकी जा सकती है।
३. जो लोग पैसा नहीं दे सकते वे अनाज आदि दे सकते हैं।
४. सभी प्रान्तोंमें गाँव-गाँवमें सभाएँ होनी चाहिए और उनमें भी श्री काञ्चलियाके पत्रको मान्यता देनेवाले प्रस्ताव पास करना चाहिए और उन प्रस्तावोंको तार

या पत्रों द्वारा स्थानीय सरकार और साथ ही बड़ी सरकारको भी भेजा जाना चाहिए।

५. संघर्षका स्वागत करनेवाले तार [ब्रि० भा० संघको] भेजना चाहिए।
 ६. जहाँ सभाएँ नहीं हो सकतीं ऐसे स्थानोंसे संस्थाओं द्वारा तार और पत्र सरकारको भेजना चाहिए।
 ७. अपने गाँवके गोरे निवासियोंके साथ इस सम्बन्धमें चर्चा करनी चाहिए और उन्हें इ० ओ० के संघर्ष सम्बन्धी अंक देकर जानकारी देनी चाहिए।
 ८. हर एक भारतीयको प्रमाद छोड़कर इस बातकी जानकारी कर लेनी चाहिए कि यह संघर्ष किसलिए चल रहा है और उसका हेतु क्या है?
 ९. संघर्ष सम्बन्धी इ० ओ० के अंकोंकी प्रतियाँ भारत और विलायतमें विभिन्न स्थानोंपर भेजना चाहिए।
 १०. लन्दन समितिके लिए चन्दा इकट्ठा करनेमें मदद करना चाहिए।
 ११. प्रत्येक भारतीयको चाहिए कि वह संघर्षके निमित्त अपना कोई-न-कोई समय दे और उस समयमें संघर्ष सम्बन्धी कुछ-न-कुछ कार्य करे।
- इन कार्योंमें से बहुत-से काम प्रत्येक भारतीय व्यक्ति और संस्था कर सकती है। इनमें जितना कुछ किया जा सके उतना प्रत्येक व्यक्ति और संस्थाको करना चाहिए। अभी तुरन्त और अनायास जो किया जा सकता है वह यह है कि स्थान-स्थानपर सभाएँ की जायें, प्रस्ताव पास किये जायें और उन्हें दोनों सरकारोंके पास भेज दिया जाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-९-१९१३

१३५. पत्र : 'नेटाल मक्युरी' को'

[डर्बन]

सितम्बर २१, १९१३

महोदय,

आपने अपने गत शनिवारके अंकमें भारतीय स्थितिपर अपने प्रिटोरियाके संवाद-दातासे प्राप्त जो विशेष लेख छापा है उससे यह पता चलता है कि उसके लेखकको इस सम्बन्धमें "जानकारी" है। इसलिए इसे जनता सरकारकी ओरसे की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा मानेगी। इस कारण आप मुझे कदाचित् उसकी कुछ अत्यन्त स्पष्ट भूलें सुधारनेकी अनुमति देंगे। लेखकका कहना है कि सरकारने चार विवादग्रस्त बातोंमें से दो मान ली हैं। यह बात केवल अंशतः ही सत्य है। फ्री स्टेटकी कठिनाई

१. स्पष्ट है कि गांधीजीने इस पत्रकी एक नकल इसके साथ-साथ इंडियन ओपिनियनको भी भेजी थी जिसमें वह २४ सितम्बरके अंकमें प्रकाशित किया गया था।

कानूनमें प्रजातीय प्रतिबन्धकी कठिनाई है। जनरल स्मट्सके पिछले तारसे इस कथनकी पुष्टि होती है कि उक्त कठिनाई दूर हो गई है, किन्तु वस्तुतः वह दूर नहीं हुई है। आवश्यकता इस बातकी है कि जिस प्रकार भूतपूर्व गिरमिटियोंके अधिकारके बारेमें उठाये गये मुद्देके बारेमें स्वीकार किया गया था उसी प्रकार यहाँ भी यह स्वीकार किया जाये कि नये अधिनियमके अनुसार फ्री स्टेटमें इसके अन्तर्गत प्रवेश करनेवाले किसी भी भारतीयको कानूनी तौरपर ऐसा ज्ञापन देना आवश्यक नहीं है जो किसी अन्य प्रवासीके लिए आवश्यक न हो। यह कहना कि ऐसी घोषणा भारतीयोंको संघमें प्रवेश करनेपर ही करनी होगी, बिल्कुल अवान्तर है। मुद्दा यह है कि, केवल प्रवासकी हदतक जिन शर्तोंपर यूरोपीय प्रवेश कर सकते हैं उन्हीं शर्तोंपर भारतीयोंको भी प्रवेश मिलना चाहिए। प्रशासनिक भेदभाव तो निःसन्देह रहेगा किन्तु उससे प्रवासियोंकी संख्याका नियमन होगा, प्रवेशके कानूनी तरीकेका नहीं। इस मामलेका स्वरूप देखते हुए यह मुद्दा कुछ-कुछ प्राविधिक है। अभीतक यह संघर्ष इस बातको ध्यानमें रखकर चलाया जा रहा है कि समानताके सिद्धान्तपर आधारित ब्रिटिश संविधानमें कोई बुनियादी अन्तर न हो। मेरे देशवासियोंके चार वर्षतक कष्ट सहन करनेपर सन् १९१०में भारतीय पक्षको शाब्दिक रूपमें स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु उसकी भावना इस नये अधिनियममें भी नहीं आ पाई है, क्योंकि उसमें फ्री स्टेट-सम्बन्धी धारा अस्पष्ट रखी गई है।

दूसरी कठिनाई विवाहके सवालसे सम्बन्धित है; वह भी दूर नहीं की गई है। आपके संवाददाताने कहा है कि मैंने बहु-पत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता देनेकी माँग की है, और इस प्रकार मैं देशके विवाह-सम्बन्धी उस कानूनको उलट देना चाहता हूँ जो ईसाई सिद्धान्तपर आधारित है। मेरे और सरकारके बीच हुए पत्र-व्यवहारपर^१, जो १३ सितम्बरके 'इंडियन ओपिनियन' में प्रकाशित किया गया है, एक निगाह डालनेसे यह प्रकट हो जायेगा कि मैंने ऐसी कोई माँग नहीं की है। मैंने केवल यही कहा है कि नये कानूनमें भारतीयोंके दक्षिण आफ्रिकामें सम्पन्न विवाह उसी प्रकार वैध मान लिये जायें जिस प्रकार भारतमें सम्पन्न विवाह माने जायेंगे। मैंने नये अधिनियममें विवाह-सम्बन्धी धाराकी शब्दावलीके दोषको सुधारनेका सुझाव दिया था और ऐसा करनेके दो तरीके बताये थे -- अर्थात् या तो नये अधिनियममें थोड़ा संशोधन कर दिया जाये या विवाहोंके एक-पत्नीक रूपमें किसी तरहका फेरफार किये बिना संघके विवाह-सम्बन्धी कानूनोंमें वैसा ही परिवर्तन कर दिया जाये। प्रिटोरियाके संवाददाताने "एक-पत्नीक विवाह" के अर्थका प्रश्न उठाया है। इस प्रश्नका निबटारा सर्वोच्च न्यायालय जल्दी ही कर देगा। यदि इस वाक्यांशका अर्थ वह नहीं हुआ जो विवाह-सम्बन्धी धाराको स्वीकार करते समय अभीष्ट था, तो इसमें दोषी सरकार ही होगी। प्रश्न उसीने उठाया है, भारतीय समाजने नहीं। सामान्य व्यक्तिकी निगाहमें ऐसे लाखों भारतीय विवाह-सम्बन्ध, जिनमें

१. इसमें अन्य पत्रोंके साथ-साथ ये पत्र भी सम्मिलित थे: २८ जूनको गृह-मंत्रीके निजी सचिवको लिखा गया पत्र, २ जुलाई और २४ अगस्तको गृह-सचिवको लिखे गये पत्र और ३ सितम्बरको सहायक गृह-सचिवको भेजा गया पत्र। ये पत्र तिथिक्रमसे यथास्थान दिये गये हैं।

एक पुरुषने केवल एक ही स्त्रीसे विवाह किया है, एक-पत्नीक विवाह हैं। यदि इस वाक्यांशका अर्थ कुछ और है, तो सरकारने सिनेट, साम्राज्य-सरकार और भारत-सरकार तथा भारतीय समाज सबको धोखा दिया है। इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह विवाहका प्रश्न हमारे लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय, हमें अपनी स्त्रियोंका सम्मान भी उसी प्रकार चावसे सुरक्षित रखने देंगे जिस प्रकार वे अपनी स्त्रियोंके सम्मानको सुरक्षित रखते हैं।

तीन पौंडी व्यक्ति-करके बारेमें मैं देखता हूँ, आपका संवाददाता बहुत सोच-विचार कर ऐसा नहीं कहता कि यह एक नया मुद्दा है। उसे सन् १९११ के पत्र-व्यवहारमें वर्णित आरक्षण-धारापर एक निगाह-भर डालनी है, और फिर उसे मालूम हो जायेगा कि इसे नया मुद्दा नहीं माना जा सकता। यह नया इसी अर्थमें है कि अभी हालकी बातचीतमें सम्मिलित नहीं किया गया था। यह ठीक तरहसे किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि बातचीत केवल नये अधिनियमके सम्बन्धमें हुई थी। यदि इस बातचीतके आधारपर कोई समझौता हुआ होता तो समाज प्रार्थनापत्र आदिके द्वारा इस करको हटानेका अनुरोध करना जारी रखता, किन्तु चूँकि बातचीत असफल हो गई, इसलिए समाजके सम्मुख सामान्य मानवीयताके इस मामलेको संघर्षमें सम्मिलित करनेका द्वार खुला हुआ था। लॉर्ड एंम्टहिलने कहा है कि संघ-सरकारने श्री गोखलेको यह कर हटानेका निश्चित वचन दिया था। यदि सरकार अपने वचनका पालन करना चाहती है, तो उसे केवल ऐसा कहना ही काफी है और उस मुद्देके सम्बन्धमें कोई संघर्ष नहीं किया जायेगा। यदि वह इसका पालन नहीं करना चाहती है तो भारतीय तभी एक स्वतन्त्र और आत्म-सम्माननी समाजके साथ रहनेके अधिकारी होंगे, जब उनमें इतनी शालीनता और नैतिक-बल हो कि वे अपने एक प्रमुख देशवासीको दिया गया वचन पूरा करवानेके लिए और अपने गरीब और असहाय देशवासियोंको उस भारसे, जो उनपर डालना कदापि उचित न था, मुक्त करवानेके लिए कारावास या उससे भी अधिक कष्ट सहन कर सकें। मुझे लगता है कि उनपर इस भारको लादनेके पापमें दक्षिण आफ्रिकाकी स्वतन्त्र भारतीय आबादीका भी उतना ही हाथ है जितना यूरोपीयोंका है।

और अन्तमें यह कि आपके संवाददाताने सलाह दी है कि हमें जो-कुछ दिया गया है उसे हम कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लें और जो चीज देनेसे इनकार किया गया है उसे महत्त्वहीन मान लें और तब हम चाहें तो अपनी बाकी शिकायतोंको प्रार्थनापत्रों आदिके द्वारा दूर करवानेके लिए जोर दे सकते हैं। उसने यह भी कहा है कि तब हमें वतनी भूमि अधिनियम-जैसे किसी विशेष कानूनका वरदान मिल सकता है और उसके द्वारा हमारे लिए एक क्षेत्र सुरक्षित किया जा सकता है जिसमें हम जमीन आदि खरीद सकते हैं। इस सबसे मुझे ईसपके न्याय-प्रिय भेड़ियेकी कहानी याद आ जाती है। संवाददाता मुझे इस तुलनाके लिए क्षमा करे। हम इधर वर्षोंसे प्रार्थनापत्र देते आ रहे हैं, किन्तु वे सब व्यर्थ गये हैं। हमसे हमारे अधिकार एक-एक कर छिनते चले गये हैं। और एक भारतीय रक्षित क्षेत्रका अर्थ यह है कि हमें इस समय नेटाल और केपमें जमीनें रखने और खरीदनेका जो महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है और ट्रान्सवालमें जमीनके स्वामित्वका जो अधिकार परिवर्तित रूपमें मिला हुआ है उसे हम त्याग दें और

अपने-आपको एक बाड़ेमें बन्द हो जाने दें और तब हम सत्याग्रह न करनेके पुरस्कारके रूपमें प्राप्त इस कृपाके लिए सरकारको धन्यवाद दें—वह सत्याग्रह न करनेके लिए, जिसमें किसी अन्यके लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए ही कष्ट है; किन्तु जिससे यदि कोई दूसरी वस्तु नहीं मिलती तो कमसे-कम हमारे पुंसत्वकी रक्षा तो होती ही है।

आपका

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २५-९-१९१३

१३६. पत्र : गृह-सचिवको

[डर्बन]

सितम्बर २२, १९१३

प्रिय श्री जॉर्जेस,

आपने विवाह-सम्बन्धी प्रश्नपर इसी १९ तारीखको जो पत्र^१ लिखा है उसके लिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। मैंने अपनी मूल माँगको अधिक व्यापक नहीं करना चाहा है। तथापि मैं स्थितिको फिरसे यथासम्भव स्पष्ट करनेका प्रयत्न करूँगा।

निवेदन यह है कि अगले अधिवेशनमें संसदसे उन एकपत्नीक विवाहोंको वैध करार देनेवाला अधिकार प्राप्त कर लिया जाना चाहिए जो गैर-ईसाई भारतीयोंके बीच भारतीय पुरोहितों द्वारा सम्पन्न हुए हैं या अब आगे सम्पन्न होंगे। कानून बनाना केवल इसलिए आवश्यक हो गया है कि नये अधिनियमकी विवाह-सम्बन्धी धारा पूरी स्थितिपर विचार किये बिना जल्दीमें तैयार की गई थी। दक्षिण आफ्रिकामें विवाहित भारतीय स्त्रियोंका दर्जा रखनेका हो गया है और उनके बच्चे अपने माँ-बापके वैध उत्तराधिकारी नहीं बचे हैं। जो राहत अब माँगी जा रही है यदि वह शीघ्र ही नहीं दी जाती तो यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। मेरी समझसे श्री सर्लके निर्णय, तथा नेटाल सर्वोच्च न्यायालयके मास्टरकी कार्रवाई और जस्टिस गार्डिनरके निर्णयका^२ सम्मिलित प्रभाव यही होता है। मैंने अगले अधिवेशनमें स्थितिमें सुधार करनेका वचन देनेकी प्रार्थना की है, क्योंकि मेरी नम्र रायमें यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बहुपत्नीक विवाहके सम्बन्धमें मैंने कानूनी मान्यताकी माँग नहीं की है; बल्कि केवल यह कहा है कि सरकार उनके कानूनी दर्जेको किसी भी तरह मान्य न करे, किन्तु मन्त्री महोदय अपने अधिकारोंके अन्तर्गत एकाधिक पत्नियोंको प्रविष्ट होने दें। प्रवेशकी अनुमति केवल उन्हीं भारतीयोंकी एकाधिक पत्नियोंको दी जाये जिनका विवाह पहले ही हो चुका है और जो अब असन्दिग्ध रूपसे संघके

१. देखिए पृष्ठ १७६ पाद-टिप्पणी २।

२. देखिए “विवाहके बारेमें एक महत्वपूर्ण फैसला”, पृष्ठ १७२।

अधिवासी हैं। इससे सरकारको जिस कार्यके प्रति उदारता बरतनी है वह भी सीमित हो जाता है और वह यह भी जान सकती है कि उसे ऐसी कितनी स्त्रियोंको प्रवेशकी अनुमति देनी होगी। यह सब किस प्रकार किया जा सकता है, मैं इसकी एक योजना पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूँ।

मेरे विनम्र मतसे, १० अगस्त, १९११ के उस पत्रमें, जिसका उल्लेख आपने अपने पत्रमें किया है, इसकी यही व्याख्या की गई है। ब्रिटिश भारतीय संघने बहुपत्नीक विवाहका प्रश्न उठाया था और उसके उत्तरमें आश्वासन देते हुए उक्त पत्र प्राप्त हुआ था। शायद आप जानते ही हैं कि प्रवासी-अधिकारीने एकाधिक पत्नियोंको वस्तुतः प्रवेशकी अनुमति दी है, और बहुपत्नीक विवाह ट्रान्सवालके पंजीयन प्रमाणपत्रोंपर दर्ज भी किये गये हैं।

चूँकि “एकपत्नीक विवाह” के अर्थके सम्बन्धमें सन्देह उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय समाज इसका अर्थ यह करता है: “एकपत्नीक विवाह” वह है जिसमें एक पुरुषका विवाह केवल एक स्त्रीसे होता है, फिर चाहे विवाह किसी भी धर्मके अन्तर्गत हो और चाहे उस धर्ममें किसी परिस्थिति-विशेषमें बहुपत्नीक विवाहकी अनुमति हो या न हो।

मैं देखता हूँ कि आपके पत्रके दूसरे अनुच्छेदसे यह भाव झलकता जान पड़ता है कि आपके पिछले तारका मैंने जो उत्तर दिया था उसमें उन अन्य मुद्दोंकी मैंने कोई चर्चा नहीं की जिनका तारमें उल्लेख था, यद्यपि वैसा किया जा सकता था। मैंने जान-बूझकर उन मुद्दोंकी चर्चा नहीं की, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। किन्तु यदि जनरल स्मट्स अन्य मुद्दोंपर विचार करनेके लिए अब भी तैयार हों तो मैं निश्चय ही उनके सम्बन्धमें फिर निवेदन करनेको तैयार हूँ। मैं यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकता कि यह मतभेद दुर्भाग्यवश ऐसे मुद्दोंको लेकर उत्पन्न हुआ है जो भारतीय समाजके लिए तो बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु सरकारके लिए या संघकी प्रधान आवादीके लिए जिनका कोई महत्त्व नहीं है।

सरकारके काममें बाधा डालनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है और मैं अपने देशवासियोंके प्रति अपने कर्तव्यका खयाल रखते हुए यथासम्भव सरकारकी सेवा करनेके लिए भी अत्यन्त उत्सुक हूँ; कृपया मुझे सदा ऐसा ही व्यक्ति समझें।

[आपका,]

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३

१. २७ सितम्बरको इस पत्रकी पहुँच देते हुए श्री जॉर्जसेने लिखा था: “मैंने आपका पत्र मन्त्री महोदयके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया और उन्होंने इस मामलेपर पूरा विचार करनेके बाद मुझे यह उत्तर देनेके लिए कहा है कि वे पिछले महीनेकी १९ तारीखको आपको लिखे गये मेरे निजी पत्रके खण्ड चारमें उल्लिखित ढंगका विधेयक संसदके अगले अधिवेशनमें प्रस्तुत करनेके विषयमें कोई आश्वासन देनेमें असमर्थ हैं।”

१३७. फोक्सरस्टके सत्याग्रही

पिछले हफ्ते हमने समाचार दिया था कि सत्याग्रहियोंसे कहा गया है कि प्रिटोरियासे वारंट आ जानेपर उन्हें निर्वासित कर दिया जायेगा। अब जो ज्यादा विस्तृत विवरण मिला है, उससे पता चला है कि पिछले गुरुवारको^१ प्रवासी-अधिकारीने दलके प्रवक्ताको^२ बुलाकर उससे कहा कि प्रिटोरियासे मुझे इस आशयका आदेश आया है कि आप सबको कानून द्वारा निर्धारित फार्म भरनेके लिए दे दिया जाये। प्रवक्ताने कहा कि मुझे खेद है कि हमारा दल इस अनुरोधको स्वीकार नहीं कर सकता। तब क्या वे परीक्षामें बैठेंगे? [अधिकारीके इस प्रश्नके] उत्तरमें प्रवक्ताने कहा कि हम वह भी नहीं कर सकते।

“तब आप सब निषिद्ध प्रवासी हैं” — ऐसा कहते हुए अधिकारीने सबके नाम जारी किये गये एक मुकर्रर डंगके नोटिस उसके हाथमें थमा दिये और फिर सबको अपने निर्णयसे अवगत कराकर कहा कि आप तीन दिनके अन्दर इस निर्णयके विरुद्ध अपील-निकायमें अपील कर सकते हैं। किन्तु, प्रवक्ताने बताया कि दल अपील करना ही नहीं चाहता। तब अधिकारीने कहा कि उस हालतमें वारंट आ जानेपर सबको निर्वासित कर दिया जायेगा। इसपर प्रवक्ताने कहा कि हम लोगोंको हिरासतमें ले लिया जाये, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम मुक्त रहकर भी अपनी यात्रा जारी न रख सकें। किन्तु अधिकारीने कहा कि मैं आप लोगोंको हिरासतमें नहीं ले सकता। दूसरे दिन दलने अधिकारीको सूचित किया कि यदि हमें हिरासतमें नहीं ले लिया जाता तो हम जोहानिसबर्गके लिए प्रस्थान कर देंगे।

अधिकारीने कहा कि “तब मैं आप लोगोंको रोकूंगा, किन्तु जेलमें नहीं डालूंगा।” इसपर प्रवक्ताके हस्ताक्षरसे अधिकारीको निम्नलिखित पत्र भेजा गया:

मुझे और मेरे साथियोंको आपने गत मंगलवार, तारीख १६ से जोहानिसबर्ग-यात्रापर आगे बढ़नेसे रोक रखा है। मैंने आपसे उसी समय कहा था कि यदि आप हमें रोकना या गिरफ्तार करना चाहते हैं तो हमें जेलमें रखकर ही वैसा कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने फोक्सरस्टवासी मित्रोंके लाख आग्रह करनेपर भी उनके घर नहीं टिकना चाहते। किन्तु आपने कहा कि इतने बड़े दलके लिए आपके पास पुलिस चौकीम जगह नहीं है, इसलिए सरकारसे इस सम्बन्धमें कोई आदेश प्राप्त होने तक हम बाहर ही रहें। आप यह तो मानेंगे ही कि आपको आदेश प्राप्त करनेका समय देनेके लिए हम काफी इन्तजार कर चुके हैं।

शुक्रवारको जब मैंने आपसे यह कहा कि यदि आप हमें हिरासतमें नहीं रख सकते तो हम अपने-आपको जोहानिसबर्ग प्रस्थान करनेके लिए स्वतंत्र समझेंगे, तब

१. सितम्बर १८।

२. छगनलाल गांधी।

आपने हमें सूचित किया कि आप ऐसा करनेसे तो हमें रोकेंगे, किन्तु जबतक सरकारसे कोई आदेश प्राप्त नहीं हो जाता तबतक हमें हिरासतमें नहीं रख सकते।

अतः, अब मैं आपको सूचित करता हूँ कि यदि आपने हमारे दलको अपने अधिकार में नहीं ले लिया तो सोमवारको काफिर-मेलसे हम जोहानिसबर्गके लिए प्रस्थान कर देंगे। और यदि आपने उस अवसरपर हमें जबरदस्ती रोकनेकी कोशिश की तो सत्याग्रही होनेके नाते उस समय तो हम मान जायेंगे, किन्तु यदि उसके बाद आपने हमें मुक्त कर दिया और गिरफ्तारी आदिसे पकड़कर रोक नहीं रखा तो हम किसी और साधनसे अपनी यात्रा जारी रखेंगे।

बादमें फोक्सरस्टसे आये तारोंसे मालूम हुआ है कि इस नोटिसका जादूका-सा असर हुआ। सोमवारको १० बजे नेटालकी सीमापर सारे दलको निर्वासित कर दिया गया। इस निर्वासनका अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि निर्वासित किये जानेवाले लोगोंको एक छोटी-सी उथली नदीके बीचकी एक [काल्पनिक] रेखाके पार कर दिया जाता है। सो दलको निर्वासित करके निर्वासन-अधिकारीने अभी अपनी पीठ फेरी नहीं थी कि सभी सत्याग्रही सीमाका उल्लंघन करके फिर इस पार आ गये और गिरफ्तार कर लिये गये। वहाँसे उन्हें सीधे चार्ज ऑफिस (अभियोग कार्यालय) ले जाया गया।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३

१३८. स्वर्गीय श्री हुसेन दाउद

हम बड़े दुःखके साथ युवक हुसेन दाउदके निधनका समाचार दे रहे हैं। वे बहुत दिनोंसे बीमार थे; और यद्यपि उन्हें अत्यन्त दक्ष डॉक्टरी सहायता तथा एक स्नेहमय पिताकी निरन्तर निष्ठापूर्ण शुश्रूषाका लाभ प्राप्त था, फिर भी वे सोमवारकी रातको चल बसे। हमारा विचार है कि श्री हुसेनमें दक्षिण आफ्रिकाका एक महानतम भारतीय बननेकी सम्भावनाएँ विद्यमान थीं। हम संतप्त परिवारके प्रति समवेदना प्रकट करते हैं। अगले अंकमें हम मृतात्मापर एक विशेष स्मरण-लेख^१ और उनका एक चित्र देनेकी आशा करते हैं। चूँकि यह अंक खास तौरसे सत्याग्रह आन्दोलनके समाचार देनेके लिए प्रकाशित किया जा रहा है, इसलिए इसमें स्मरण-लेख देना सम्भव नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३

१. देखिए "स्वर्गीय श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद", पृष्ठ २१५-१७।

१३९. तीन-पौंडी कर

अनेक कारणोंसे हम इस रक्त-करको ही इस लड़ाईका केन्द्र-बिन्दु समझते हैं, और तीन-पौंडी करको इस नामसे पुकारनेमें हमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। यह कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए था। इस करका इतिहास नेटालके लिए कोई श्रेयकी बात नहीं है। अगर हम नेटालके स्वतन्त्र भारतीय अधिवासियोंने उस समय अपने कर्त्तव्यका पूरा निर्वाह किया होता तो यह कर कभी न लगता। यदि नेटालके राज-नयिक, जिनके हाथोंमें उस समय सत्ता थी और जो दूसरी बातोंमें खासे-अच्छे थे, बागान-मालिकों और भूस्वामियोंके प्रभावमें न आ गये होते तो भी यह कर न लग पाता। यहाँ यह याद दिला देना शायद उचित होगा कि मूलतः तो तत्कालीन सरकारका इरादा गिरमिट-मुक्त भारतीयोंपर २५ पौंडका वार्षिक कर लगाने और उसकी गैर-अदायगीको दण्डनीय अपराध ठहरानेका था। यद्यपि भारत सरकारका रुख काफी नरम था और वह बहुत हदतक स्थानीय सरकारकी बातें माननेको तैयार भी थी, फिर भी उसने इस कर-राशिको बहुत अधिक माना। निदान उसे घटाकर ३ पौंड कर दिया गया; और इसकी गैर-अदायगीको दण्डनीय अपराध ठहरानेके प्रस्तावको तो भारत-सरकार सुननेके लिए ही तैयार नहीं थी। इसलिए १८९५ में उक्त कर, एक विधेयक पास करके, लगा दिया गया, और शर्त यह रखी गई कि यदि गिरमिट-मुक्त भारतीय अपने गिरमिटकी अवधि समाप्त हो जानेपर भारत लौट आता है या पुनः गिरमिटमें बँध जाता है तो वह इस करसे मुक्त रहेगा, किन्तु यदि वह इन दो बातोंमें से एक भी नहीं करता और नेटालमें स्वतंत्र व्यक्तिके रूपमें बसना चाहता है तो उसे तथा उसके कुटुम्बको कर देना पड़ेगा और यह कर सरसरी अदालती कार्रवाईसे वसूल कर लिया जायेगा। इसकी पहली वसूली सन् १९०० में शुरू हुई और तबसे स्त्री-पुरुष तथा बच्चे सबको, कमोवेश कठोरताके साथ, अपनी स्वतन्त्रताके बदले यह घृणित दण्ड चुकानेके लिए परेशान किया जाता रहा है। हम इसे दण्ड ही कहेंगे, क्योंकि मानी हुई बात है कि यह कोई राजस्व-उत्पादक कर नहीं है। इसका स्पष्ट उद्देश्य उन असहाय लोगोंको, जो दलालोंके बेहूदा प्रलोभनोंपर भुखमरीसे बचनेके लिए भारतसे यहाँ आये हैं, पुनः गिरमिटमें बँधने अथवा स्वदेश लौट जानेको विवश करना है। यद्यपि नेटाल और भारतकी सरकारोंके बीच यह समझौता था कि उस करकी गैर-अदायगी कोई दण्डनीय अपराध नहीं मानी जायेगी, विधि-अधिकारियोंने यह युक्ति ढूँढ़ना शुरू किया कि किस प्रकार इन लोगोंको जेल भेजा जा सकता है, और उन्होंने पाया कि उक्त समझौतेका अतिक्रमण करनेके लिए और कर न देनेपर इन लोगोंको जेल भेजनेके लिए मजिस्ट्रेट अदालत कानून (मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स ऐक्ट) की लघु ऋण-सम्बन्धी धाराका उपयोग फलप्रद ढंगसे किया जा सकता है। अदालतके किसी आदेशकी अवज्ञा अदालतका अपमान है, जिसके लिए अवज्ञा करनेवाले व्यक्तिको जेलकी भी सजा दी जाती है। इस धारामें इस आशयका एक अग्रवाद है कि यदि कोई कर्जदार यह दिखा दे कि साधन-हीन होनेके कारण वह

उस ऋणको चुकानेमें असमर्थ रहा है जिसे चुकानेकी उसे आज्ञा दी गई है, तो उसे जेलकी सजा नहीं भी दी जा सकती। किन्तु हम जानते हैं कि अधिकांश मामलोंमें मजिस्ट्रेटोंने, जो अन्ततः सर्वशक्तिमान बागान-मालिकोंके समाजके बीच रहनेवाले मानव-जातिके ही सदस्य हैं, गरीबीके साक्ष्यपर अविश्वास करके गैर-अदायगीके लिए इन लोगोंको जेलकी सजा दी है। इस तरहका सबसे ताजा मामला सरजूका है। उसने पिछले तीन वर्षोंसे यह कर नहीं दिया है। जितना दे सकता था, उतना उसने दिया और फिर अपनी असमर्थता प्रकट की। किन्तु उसकी दलील अस्वीकार कर दी गई और उसे ३० दिनोंका सपरिश्रम कारावास भोगना पड़ा। और फिर यह कारावास उसे अदा-यगीसे मुक्त भी नहीं करता। अगर कोई पुलिस अधिकारी समझे कि उसके पास साधन हैं तो कर न अदा करनेपर वह पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है और पुनः दण्डित हो सकता है। इस प्रकार हमारे विचारमें गैर-अदायगीके लिए गरीब स्त्री-पुरुषोंको जेल भेजनेके उद्देश्यसे मजिस्ट्रेट अदालत-कानूनका सहारा लेकर स्थानीय सरकारने भारत सरकारके साथ विश्वासघात किया है।

परन्तु उस समय तो कोई भी आदमी यही सोचता कि गिरमिट प्रथा बन्द हो जानपर यह कर उठा दिया जायेगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई। निष्ठुर मालिकोंको गिरमिटपर मजदूर रखनेका स्वाद मिल गया है, इसलिए वे उससे कम किसी और चीजसे सन्तुष्ट होनेवाले नहीं हैं—और स्वतन्त्र मजदूरोंसे तो कदापि नहीं। इसलिए यह कर बना रहा।

और तब आई स्थितिकी पराकाष्ठा। नेटालके प्रमुख व्यक्तियोंने श्री गोखलेको विश्वास दिलाया कि वे स्वयं भी इसे नहीं चाहते और यह कर उठा दिया जायेगा। संघ-सरकारने हमारे इन विशिष्ट देशबन्धुसे पक्का वादा किया कि वह यह कर उठा देगी। फिर भी, संसदके पिछले अधिवेशनमें उसने अपना वादा तोड़ दिया।

कौन कह सकता है कि स्थानीय भारतीय समाजने सत्याग्रह आन्दोलनका आश्रय लेनेका निर्णय करनेमें थोड़ी भी जल्दबाजी की है? वह किसी भी समय उचित ही होता, किन्तु इस समय तो उसका दोहरा औचित्य है। यदि हमारी ही तरह हमारे पाठकोंको भी ज्ञात होता कि इस विश्वासघातसे — सरकार द्वारा कर न हटायें जानकी बातसे — श्री गोखलेको कैसा धक्का लगा और किस प्रकार सख्त डॉक्टरी हिदायतोंके बावजूद सरकार तथा जनताको अपने कर्त्तव्यके प्रति जगानेके लिए उन्होंने भारत लौटनेका निश्चय किया — अगर उन्हें मालूम होता कि इस बातके लिए उनपर कितना असाधारण जोर डाला गया कि वे अपना इंग्लैंडसे प्रस्थान करनेका कार्यक्रम स्थगित कर दें, तो हरएक भारतीय अपने समस्त वैयक्तिक हितोंका खयाल छोड़कर इस करकी समाप्तिके लिए मृत्युपर्यन्त लड़नेको तैयार हो जाता। [इसकी समाप्तिके लिए संघर्ष करना] अपने देशके प्रति, श्री गोखलेके प्रति और उन गरीबोंके प्रति, जो गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंके मालिकोंकी स्वर्ण-बुभुक्षाके शिकार हो रहे हैं, दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले प्रत्येक भारतीयका सीधा-सादा और बुनियादी कर्त्तव्य है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३

१४०. अपील-निकाय किसलिए ?

एक-दो व्यक्तियोंको अपनी अपीलमें सफलता मिल गई; इसी आधारपर 'नेटाल मर्चुरी' ने अपनी सम्पादकीय टिप्पणीमें यह विचार व्यक्त किया है कि अपील-निकायोंसे भारतीयोंको बड़ा लाभ है। यदि अपील-निकायोंकी स्थापना किन्हीं अपेक्षाकृत बुरे साधनोंके स्थानपर की गई होती तो यह बात सही हो सकती थी। परन्तु, तथ्य तो यह है कि इनका सम्बन्ध एक ऐसी स्थितिसे है जिसका पहले कभी अस्तित्व ही नहीं था। तात्पर्य यह कि इस कानूनके पास होनेसे पहले जो लोग अपने अधिवास-प्रमाणपत्रोंके निर्विवाद स्वामी थे वे अधिकारी तौरपर पुनः प्रवेश पा जाते थे। अब कानूनने इन प्रमाणपत्रोंका प्रभाव समाप्त करके इन निकायोंके लिए एक घन्टा पैदा कर दिया है। ये निकाय ऐसे अधिकांश मामलोंको नामंजूर कर देते हैं, जो पहले सर्वथा सुरक्षित थे, और यदा-कदा एक-दो मामलोंपर स्वीकृति भी दे देते हैं। इस प्रकार कानून इस समाजसे उसके सभी अधिकार छीन लेता है और तब फिर अपील-निकायोंको उनमें से कुछको पुनः प्रतिष्ठित करनेकी अनुमति देता है। अगर इस दयाके लिए ही किसीको कृतज्ञ होना हो तब तो उसे उस चोरके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए जो चुराये हुए मालका कुछ हिस्सा वापस कर देता है। यों निकायोंके रूपमें इनके विरुद्ध हमें कुछ नहीं कहना है। श्री बिन्स तथा श्री मॉरिस इवान्सकी नियुक्तियाँ वस्तुतः प्रशंसनीय हैं। किन्तु जैसे किसी मरीजका अंग काटनेकी इच्छासे उसे बेहोशीकी दवा सुंघाई जाती है, यदि इसी तरह [समाजका अंग काटनेके लिए] अच्छीसे-अच्छी नियुक्तियाँ भी की जायें तो उससे क्या लाभ है? और ऐसी उपमा देना भी किसी हदतक सरकारकी तारीफ करना है; क्योंकि दूसरे मामलेमें तो रोगी अपनी भलाईके लिए स्वेच्छासे ऑपरेशन करवाता है, जब कि पहले मामलेमें वह अनिच्छापूर्वक शिकार बनाया गया है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३

१४१. तीन-पौंडी कर

हमारे लिए यह सौभाग्यकी बात है कि सत्याग्रह जिन सवालकोंको लेकर किया जा रहा है, उनमें तीन-पौंडी करका सवाल भी शामिल है। इस सवालका पिछला इतिहास यहाँ स्मरणीय है। इस करकी चर्चा पहली बार सन् १८९४ में शुरू हुई। नेटालकी सरकारने भारतमें एक शिष्टमण्डल भेजा। भारतीयोंने उसी समय इस करका सख्त विरोध किया। सरकारका इरादा पहले तो २५ पौंडका वार्षिक कर लगानेका था और उसने मांग की थी कि यदि कोई भारतीय उसका भुगतान न कर सके तो सरकारको उसे जबरदस्ती भारत वापस भेज देनेकी सत्ता मिलनी चाहिए। हमारे

आन्दोलनके कारण भारत सरकारने ये दोनों बातें अस्वीकार कर दीं और यह प्रस्ताव किया कि जो भारतीय गिरमिटकी अपनी अवधि पूरी होनेके बाद दूसरी गिरमिटका करार न करे वह या तो भारत वापस चला जाये या वह, उसकी स्त्री और बच्चे सब प्रति-व्यक्ति तीन पौंडका वार्षिक कर दें। जो कर न दे उससे, यदि उसके पास कोई सम्पत्ति हो तो, सरकार उसकी सम्पत्ति बेचकर कर वसूल कर सकती है, किन्तु उसे जेलमें नहीं डाल सकती। भारतीयोंने इस बातका भी सख्त विरोध किया; सन् १८९६ में भारतमें इस सम्बन्धमें लोगोंने सभाएँ भी कीं। किन्तु यह कर कायम रहा। बादमें कुछ समय तक तो जो लोग यह कर देते थे उनसे उसे वसूल किया गया, किन्तु जो नहीं दे सकते थे उन्हें जेल भेजनेकी कोई बात नहीं थी। मगर आखिर सरकारने कर न देनेवालोंको जेल भेजनेकी एक कुटिल युक्ति ढूँढ निकाली। युक्ति यह थी: मजिस्ट्रेटोंकी अदालतोंसे सम्बन्धित कानूनमें एक धारा ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति अदालतके निर्णयकी तामील नहीं करता तो ऐसा माना जाता है कि उसने अदालतकी मान-हानि की और इसके लिए उसे जेल भेजा जा सकता है। इस धाराके अन्तर्गत पहले तो भारतीयोंको कर भुगतान करनेका हुक्म दिया जाता था और यदि वह कर नहीं भरता था तो उसे अदालतकी मान-हानि करनेके अभियोगमें अदालतमें खड़ा किया जाता था। उस स्थितिमें उपाय यह था कि वह अपनी गरीबी साबित करे और तब अदालत उसे छोड़े। किन्तु अदालत ऐसे गरीब आदमीकी कोई शहादत क्यों स्वीकार करने लगी! फल यह हुआ कि भारत सरकारके साथ जो समझौता हुआ था वह टूट गया। हमारे साथ विश्वासघात हुआ। सैकड़ों भारतीय जेल गये। कितनी ही स्त्रियों और युवकोंको जेल जाना पड़ा। क्या हमें इसका पाप न लगा होगा? यदि हमने जितना परिश्रम और प्रयत्न किया उससे ज्यादा किया होता तो ये गरीब लोग १५ वर्षसे इस करका जो असह्य बोझ ढोते आये हैं, क्या वे उससे मुक्त न हो गये होते? क्या इन गरीबोंके हजारों पौंड बच न गये होते? ये सारी बातें सोचकर हमारा हृदय विदीर्ण हो उठना चाहिए। हमारे आँगनमें ही इन गरीबोंके दुःखकी यह चिल्लाहट उठती रही, किन्तु हमने उसे सुना नहीं। इस पापका बोझ हमारे सिरपर कितना पड़ा होगा, यह कौन कह सकता है? हरएक धर्मकी आज्ञा है कि जो दुःख हमारी नजरमें आये उस दुःखमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। हमने ऐसा नहीं किया। आज उसका अवसर है।

हमारा विश्वास है कि यदि हमारे समाजके अधिकांश लोग इसके लिए लड़ें तो यह कर जरूर रद्द हो जाये। यदि कम लोग लड़ेंगे तो देर लगेगी। किन्तु इस करका रद्द होना तो निश्चित ही है। यह लड़ाई ऐसी है कि उसमें सब भारतीय बहुत आसानीसे और उत्साहपूर्वक भाग ले सकते हैं। आजतक गिरमिटसे मुक्त हजारों भारतीयोंसे हम कुछ भी माँग नहीं कर सकते थे। इस लड़ाईमें तो वे भी सम्पूर्ण उत्साहसे भाग ले सकते हैं। हमें विश्वास है कि यदि ऐसा हरएक भारतीय, जो न तो जेल जा सकता है और न पैसा दे सकता है, अपना एक घंटा बचाकर गरीब और अपढ़ भारतीयोंको इस करके अन्यायकी बात समझाये तो हमारी लड़ाई बड़ा रंग ला सकती है। कर जानेवाला ही है, ऐसा मानकर किसीको चुपचाप बैठे नहीं रहना चाहिए। हरएकको अपनी

शक्तिके अनुसार इसमें ज्यादासे-ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। इस लड़ाईमें से हमारा समाज बहुत-कुछ सीख सकेगा और बहुत ऊँचा उठ सकेगा। लक्ष्मी घर बैठे हमारे भाल-पर विजय-तिलक लगाने आये, उस समय अपना मुँह छिपाना या घोनेके लिए चले जाना जागरूक पुरुषका लक्षण नहीं है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९१३

१४२. पत्र : क्लीमेंट डोकको

फीनिक्स

नेटाल

सितम्बर २४, १९१३

प्रिय क्लीमेंट,

तुम्हारा पत्र तो मुझे मिला, परन्तु सूची नहीं मिली। मैं तुम्हें २५ प्रतियाँ, [तुम्हारे] पिताजीके मित्रों और कांग्रेसमें बाँटनेके लिए भेज रहा हूँ; चाहो तो और मँगा सकते हो। संस्मरणकी प्रतियोंका यूरोपीय मित्रोंसे मूल्य लेनेका विचार कभी नहीं रहा। विचार तो यह था कि भारतमें काफी संख्यामें इन्हें बाँटनेके लिए भारतीय लोग इसकी प्रतियाँ खरीदें।

तुमने श्रीमती गांधीके समाचार पूछे; धन्यवाद। आजकल वे फीनिक्सकी तीन अन्य भारतीय महिलाओंके साथ फोक्सरस्ट जेलमें हैं।

‘दी सीक्रेट सिटी’^१ अत्यन्त आह्लादजनक है। खाली समयमें मैं इसको पढ़ता रहा हूँ। उसे लगभग समाप्त कर चुका हूँ।

कल मैं जोहानिसबर्ग जा रहा हूँ।

आशा है, तुम्हें ‘इंडियन ओपिनियन’ की प्रति मिलती होगी और तुम उसे नियमित रूपसे पढ़ते होगे।

सबको यथायोग्य।

हृदयसे तुम्हारा,

मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ७४३) की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजी द्वारा रेवरेंड जे० जे० डोक-सम्बन्धी संस्मरण-पुस्तिकाकी प्रतियाँ; देखिए “स्वर्गीय श्री जोसेफ जे० डोक”, पृष्ठ १६०-६५।

२. रेवरेंड डोक-रचित एक पुस्तक; देखिए पृष्ठ १६१।

१४३. पत्र : मगनलाल गांधीको

रेलगाड़ीमें

[सितम्बर २५, १९१३ के बाद]^१

चि० मगनलाल,

आज मैं बड़ी परेशानीमें पड़ गया। रेलके लिए दौड़ा, लड़कोंको हैरान कर डाला, मेरे कारण सब लोगोंको देर हुई। इसके बाद मैंने फिर भूल की और पुरुषोत्तमको भेजा। इस सबको जब सोचा तो बहुत बेचैन हुआ। मेरे ऐसे कामोंमें, भी जिन्हें मैं अपनी आत्माके लिए [कल्याणकारी] मानता हूँ, दोष है। मेरे मोह और लोभ जबरदस्त हैं। जल्दबाजी करना, अपने कामके लिए दूसरोंको परेशान करना, यह आत्मार्थिके लक्षण नहीं हैं। अच्छा हो कि वह अपने ऊपर अपनी शक्तिके बाहर काम न ले; उसे नहीं लेना चाहिए। कैसी दीन दशा है? यह सब शुरूमें कहीं चूक हो जानेसे होता है। मैंने यह भी सोचा कि यदि मैंने भोजन करना टाल दिया होता तो मैं सारा काम सावकाश और स्वस्थ चित्तसे कर सकता था। ऐसा करता तो तुम लोगोंमें से किसीको हैरान करनेकी जरूरत न हुई होती। आत्मार्थी मनुष्यको अपने लिए किसी भी प्रकारकी उग्र सेवा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा स्कूल छुड़वाना और लड़कोंको इस तरह दौड़ाना मेरी मानसिक स्थितिकी हीनता प्रकट करते हैं। मैं इसे जानता तो था लेकिन आज इसका स्पष्ट ज्ञान हुआ। मैं मन-ही-मन रास्तेमें बहुत लज्जित होता रहा, पछताता रहा। मैं जो अपनेको कुछ विशिष्ट मानता था, आज अपनेको बहुत दयनीय अनुभव कर रहा हूँ। यह मैं तुमसे इसलिए कहता हूँ कि तुम मुझमें कई गुणोंको आरोपित करते हो। मेरे दोषोंको देखनेकी जरूरत है ताकि तुम उनसे बच सको। दक्षिण आफ्रिकाके लड़ाई-झगड़ोंमें व्यस्त, मैं बिलकुल मुक्त तो केवल भारतमें ही हो सकता हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन अब यदि मैं अपने सिरपर और कोई बोझ लूँ तो उस समय तुम मुझे टोकना। तुम तो भारतमें अभी मेरे साथ रहोगे ही। यदि मैं जेल-चला गया तब तो स्वस्थताका अनुभव कर ही सकूंगा। नहीं गया तो शायद वहाँ फिर वापस आना होगा। अब आगे यहाँ आजके जैसा ही कभी कुछ हो तो तुम मुझे सावधान करना। कैलेनबैकका काम रोटीके बिना चल सकता था और मेरा मूंगफलीकी चटनीके बिना। बच्चोंको खिलानेका मोह न किया होता तो भी काम चल जाता। अथवा यह सब लोभ रखे होते और मैंने खुद खानेका लोभ न किया होता तो भी सब ठीक हो जाता। लेकिन मैंने तो सब घोड़ोंपर चढ़नेका एक साथ आग्रह रखा; इसीलिए ईश्वरने मुझे सबक सिखाया। ऐसी घटना मेरे साथ कुछ पहली ही बार घटित नहीं हुई है; किन्तु इस बार उसका विशद ज्ञान हुआ है। अब इस सम्बन्धमें मैं कुछ करूंगा।

१. ऐसा जान पड़ता है, गांधीजीने ट्रांसवाल जाते हुए इसे लिखा था। वे डर्बनसे २५ सितम्बरको रवाना हुए थे और २७ सितम्बरको जोहानिसबर्ग पहुँचे थे।

घरका सामान ठिकानेसे रखना या रखवाना। जहाँ हमारे औजार रहते हैं, वहाँ मैले, गोदड़े पड़े हुए हैं, उन्हें बाकूसे धुलवा लेना। श्रीमती सामसे उन्हें दुरुस्त करवा लेना और ठीक तह करके रखना।

लड़कोंको फिलहाल तो नाम लिखनेमें प्रवीण होने देना। देवी बहनके सिरसे यह बोझा आधा कम कर देना ठीक रहेगा। अन्तमें तो सारा बोझा दूर कर देना है। छोटम और नवीन उसे परेशान करें तो उन्हें खींचकर अपने पास रखना। लॉर्ड एंम्टहिल-सम्बन्धी काम तो अब तुम्हें ही करना पड़ेगा।

डर्बनमें मैंने यह खबर सुनी कि पुरुषोंको फोक्सरस्टसे मैरिट्सबर्ग ले जायेंगे। ऐसा हो जाये तो ठीक है। यह एक बड़ा अनुभव होगा और चूँकि रुस्तमजी सेठ वहाँ हैं ही, इसलिए मुकाबला कड़ा होगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

बच्चे ३०० नाम यदि इस बार पूरे न कर सकें तो रविवार या सोमवारको उनकी सहायता करके तुम्हीं उन्हें पूरे करा देना। बद्रीके लिए मैंने एक जैकेट बनाया था; वह वहाँ होगा; उसे पोलकके पास भिजवाना है।

रुस्तमजी सेठकी ओरसे दिये गये दो मुस्तियारनामे वहाँ हैं। उनमें सोमवार, फीनिक्सकी तारीखमें तुम अपनी और देवी बहनकी गवाही भरकर सुरक्षित रखना। बने तो उन्हें फाइल करा देना। अन्यथा जब मैं आऊँगा, कळंगा।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखी मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४९) से।
सौजन्य : श्री राधाबहन चौधरी।

१४४. पत्र : दक्षिण आफ्रिकी रेलवेको

[जोहानिसबर्ग]

सितम्बर २७, १९१३

सेवामें

जनरल मैनेजर

दक्षिण आफ्रिकी रेलवे

[महोदय,]

मैं दो अन्य भारतीयोंके साथ गुरुवारको काफिर मेलसे, डर्बनसे ट्रान्सवाल जा रहा था। हम सब तीसरे दर्जेमें यात्रा कर रहे थे। हम गलियारेवाले एक तीसरे दर्जेके डब्बेमें बैठे थे। ये डब्बे सामान्यतः नेटालकी गाड़ियोंमें लगाये जाते हैं। जिस डब्बेमें हम बैठे थे उसमें मेरे साथियोंको और मुझे एक कंडक्टरने बिठाया था। लेडीस्मिथ स्टेशनपर एक नया कंडक्टर आया और मुझसे बोला कि हमें अपना डब्बा छोड़कर दूसरे डब्बेमें जाना पड़ेगा। कारण पूछनेपर मुझे बताया गया कि जिस डब्बेमें हम बैठे

ये वह केवल यूरोपीयोंके लिए था। मैंने कंडक्टरका ध्यान एक ऐसे डब्बेकी ओर खींचा जिसपर यूरोपीयोंका लेबिल लगा था। मैंने इस तथ्यकी ओर भी उसका ध्यान दिलाया कि हमारे डब्बेपर कोई लेबिल नहीं लगा था और बताया कि मैं नेटाल लाइनपर ऐसे डब्बोंमें कई बार यात्रा कर चुका हूँ। मैंने उसे यह भी सूचित किया कि डर्बनमें कंडक्टरने मुझे इस डब्बेमें बिठाया था; किन्तु उस नये कंडक्टरने कहा कि मुझे उसके निर्देश मानने होंगे, अन्यथा स्टेशन मास्टरसे उस डब्बेमें, जिसमें मैं था, बैठे रहनेकी अनुमति लेनी होगी। इसपर मैं स्टेशन मास्टरसे मिला; किन्तु उसने कुछ रुखाईके साथ कहा कि मुझे जैसा कंडक्टर कहे वैसा करना चाहिए और यह भी कहा कि कंडक्टर यात्रियोंको कोई कारण बताये बिना जितनी बार चाहे जगह बदलनेके लिए कह सकता है। मैंने इस मामलेमें स्टेशन मास्टरसे बहस नहीं की; चुपचाप गया और जिस डब्बेमें बैठा था फिर उसीमें जाकर बैठ गया तथा आगे क्या होता है, इसकी प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच मेरे एक मित्रने, जो संयोगसे प्लेटफार्मपर थे, और मुझे जानते थे कि मैं कौन हूँ, यह बात चुपचाप कंडक्टरको बता दी। बादमें कंडक्टरने मुझसे कहा कि मैंने आपसे दूसरी जगह जानेको केवल इसलिए कहा था कि नियम यही है और उसका पालन होना चाहिए। मैंने तब कंडक्टरसे कहा कि जब उसे यह मालूम हो गया है कि मैं कौन हूँ, तब भी उसका कर्तव्य है कि नियमोंको न माननेके जुर्ममें वह मुझे गिरफ्तार करा दे। किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। मुझे उस समय प्लेटफार्मपर उपस्थित भारतीयोंने बताया कि ऐसी कठिनाइयाँ भारतीय यात्रियोंके सामने बहुधा आती रहती हैं। मैं नहीं जानता कि कंडक्टरने जो-कुछ मुझसे कहा, उसमें कहाँतक सचाई है। मैं तो यही आशा कर सकता हूँ कि उसने प्रशासनके निर्देशोंको गलत समझा है, क्योंकि मेरी विनम्र सम्मतिमें भले ही कोई तीसरे दर्जेमें ही सफर क्यों न कर रहा हो, यदि उसे बिना परेशानी, और जब-तब यह जानकारी कराये बिना कि सर्वोत्तम डब्बे तो सदा यूरोपीयोंके लिए सुरक्षित होते हैं, यात्रा न करने दी जाये तो यह बहुत बेजा बात है।

मुझे आशा है कि आप कृपाकर इस मामलेमें जाँच करेंगे और जो-कुछ आवश्यक समझेंगे, करेंगे। मैं अनुभव करता हूँ कि उच्च अधिकारियों, जैसे स्टेशन मास्टरों, से यह कह दिया जाना चाहिए कि वे अपना उत्तरदायित्व समझें और यात्रियोंसे, वे यूरोपीय न भी हों तो भी, शिष्टताका व्यवहार करें। मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि स्टेशन मास्टरसे शिष्ट-व्यवहारकी अपेक्षा करनेसे पहले मुझे अपना परिचय देना जरूरी था।

[आपका,
मो० क० गांधी]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-१०-१९१३

१४५. श्री गांधी लगभग गिरफ्तार !

[सितम्बर २७, १९१३]^१

पिछले गुरुवारको^२ श्री गांधी कुछ सत्याग्रहियोंके साथ ट्रान्सवालके लिए रवाना हुए। अपने साथियों-सहित वे तीसरे दर्जेमें बैठे। तीसरे दर्जेमें भी कुछ डब्बे साफ और सुविधाजनक रहा करते हैं। ऐसे ही एक डब्बेमें रेलवे अधिकारीने श्री गांधी और उनके साथियोंको बैठा दिया था। जब वे लेडीस्मिथ पहुँचे तो कंडक्टरने उन्हें हुक्म दिया कि वे लोग उस डब्बेसे निकलकर पासवाले डब्बेमें चले जायें। श्री गांधीने कहा कि हम लोग ऐसा हरगिज न करेंगे, और इसी डब्बेमें सफर करते हुए ट्रान्सवाल पहुँचेंगे।

कंडक्टरने कहा, “मैं कहता हूँ, तुम्हें जाना ही होगा।”

श्री गांधी बोले, “हमें डर्बनमें रेलवे कंडक्टरने ही इस डब्बेमें बैठाया है।” कंडक्टरने कहा, “बहस मत करो। मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग इस डब्बेसे निकलो; यह डब्बा यूरोपीय लोगोंके लिए है और यह गाड़ी मेरे कब्जेमें है।”

श्री गांधी अधिक हुज्जतमें नहीं पड़े और अपने साथियोंके साथ वे उसी डब्बेमें यात्रा करनेका निश्चय करके वहीं बैठे रहे और कंडक्टरका आदेश न माननेके कारण गिरफ्तार किये जानेकी उम्मीद करने लगे। उन्हें लगा कि जेल जानेका यह एक सहज मौका हाथ लग गया है। बहुतेरे भारतीय वहाँ खड़े यह सब देख रहे थे और प्रसन्न थे कि इस कदमका परिणाम ठीक ही निकलेगा। किन्तु श्री विंडनने, जो वहाँ मौजूद थे, सब काम बिगाड़ दिया। कंडक्टर श्री गांधीको पहचानता नहीं था। श्री विंडनने उसके पास जाकर उनका नाम बता दिया। अतः कंडक्टर चुप रह गया और कुछ देर बाद दूसरे कंडक्टरोंके समक्ष श्री गांधीसे बहुत बातें करता रहा और यह बताता रहा कि वह तो अपना फर्ज अदा कर रहा था। श्री विंडनने इस प्रसंगपर मित्र होते हुए भी शुद्ध-भावसे, किन्तु अपनी नासमझीके कारण, शत्रुका ही काम किया। यदि इस बार श्री गांधी लेडीस्मिथमें पकड़ लिये जाते तो रेलवे-सम्बन्धी अनेक प्रश्नोंका फैसला हो जाता और अनायास ही हमारे संघर्षको भी बल मिलता। वे सारे भारतीय, जो प्लेटफार्मपर थे, इससे बड़े निराश हुए और विंडनको भी बादमें यह प्रतीत हुआ कि यदि वे बीचमें न पड़े होते तो ठीक होता।

इस घटनाके सम्बन्धमें श्री गांधीने रेलवेके जनरल मैनेजरके पास शिकायत लिख भेजी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस प्रकारकी तकलीफें भारतीयोंको सदा उठानी पड़ती हैं, यह बात उनसे स्टेशन आने-जानेवाले भारतीयोंने स्वयं कही है। लेडीस्मिथके

१. देखिए अन्तिम अनुच्छेदमें पिछले शीर्षकका उल्लेख।

२. सितम्बर २५।

स्टेशन मास्टरने भी किसी प्रकारकी राहत न देते हुए जो ओछापन दिखाया था, इस शिकायतमें उसका भी उल्लेख है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३

१४६. पत्र : गृह-सचिवको

[जोहानिसबर्ग]

सितम्बर २८, १९१३

प्रिय श्री जॉर्जेस,

पता नहीं आपको यह पत्र लिखना उचित है या नहीं। परन्तु चूँकि आप [इस बातके] इच्छुक रहे हैं कि सत्याग्रहकी पुनरावृत्ति न हो और चूँकि मैंने आपसे बातचीतके दौरान बहुधा कहा है कि सरकारसे छिपाने लायक कोई बात मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इस समय जो-कुछ हो रहा है उससे आपको भी परिचित करा दूँ।

मैंने आपके पिछले पत्रका उत्तर फीनिक्ससे भेजा था^१; यदि आपने उसका उत्तर अभीतक दिया न हो और देना चाहते हों, तो कृपया जोहानिसबर्गके पतेपर लिखें, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनोंतक तो यहीं रहूँगा।

आन्दोलन तत्परताके साथ शुरू हो चुका है। आप जानते ही हैं कि सोलह सत्याग्रहियोंको, जिनमें चार स्त्रियाँ भी हैं, तीन महीनेके सपरिश्रम कारावासकी सजा मिल चुकी है।^२ यहाँ भी सत्याग्रही मेरे आनेकी राह देख रहे थे और अब यहाँ कार्रवाई शुरू होनेमें देर नहीं है।

इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि संघर्ष जिन माँगोंको लेकर फिरसे शुरू हुआ है वे ऐसी हैं कि उन्हें सरकार मजेमें स्वीकार कर सकती थी। मैं चाहता हूँ कि इसे भली-भाँति समझ लें कि हम जो कदम आगे उठाने जा रहे हैं वह बहुत संगीन है। मैं जानता हूँ कि उसमें बड़ा खतरा भी है। मुझे यह भी मालूम है कि एक बार शुरू हो जानेपर फिर आन्दोलनके प्रसारको निर्धारित सीमाओंमें रखना मुश्किल हो सकता है। मैं यह भी जानता हूँ कि इतना बड़ा कदम उठानेकी सलाह देकर मैं अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी ओढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसे कदमको उठानेकी सलाह दिये बिना रह भी नहीं सकता जिसे मैं केवल आवश्यक ही नहीं शिक्षाप्रद भी समझता हूँ, और जो अन्तमें भारतीय समाज और सरकार दोनोंके लिए बहुमूल्य सिद्ध होगा। और यह कदम है, जिन लोगोंपर तीन-पाँड़ी कर लगाया गया है, उनसे मैं कहूँ कि वे मुस्तैदी और दृढ़ताके साथ कर अदा करनेसे बराबर इनकार करें और उसकी गैर-अदायगीके लिए दण्ड भुगतनेको तैयार रहें। और इससे भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि अभी जो लोग गिरमिटिया हैं और इसी कारण

१. देखिए “ पत्र : गृह-सचिवको ”, पृष्ठ १९४-९५। स्पष्ट है कि जॉर्जेसका २७ सितम्बरवाला उत्तर तबतक गांधीजीको नहीं मिला था।

२. देखिए “ पत्र : हरिलाल गांधीको ”, पृष्ठ १८४।

जिनको गिरमिटकी अवधि पूरी होनेपर तीन पीण्ड कर देना पड़ेगा उनसे कहा जाये कि जबतक कर वापस न लिया जाये, तबतक वे हड़ताल रखें। लॉर्ड एंम्टहिलने श्री गोखलेकी सहमतिसे लार्ड सभामें घोषणा की थी कि सरकार इसे वापस लेनेका निश्चित वचन दे चुकी है; और यह बात लॉर्ड ग्लैड्स्टनसे भी कही गई थी—इसे देखते हुए गिरमिटिया भारतीयोंको मेरी ऐसी सलाह पूर्णतः उचित जान पड़ती है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवसे जानता हूँ कि यह कर लोगोंको सबसे अधिक नागवार गुजरा है और मुझे यह व्यक्तिगत रूपसे मालूम है कि वे इस कारण बहुत ही क्षुब्ध हैं। परन्तु उन्होंने इसे लगभग विरक्त भावसे चुपचाप सहन कर लिया है और मैं ऐसा कोई कदम उठाना या सलाह देना पसन्द नहीं करता जिससे उनके मनकी शान्ति भंग हो। क्या मैं अब भी, जबकि संघर्ष चल रहा है, जनरल स्मट्ससे प्रार्थना नहीं कर सकता कि वे पेश किये गये मुद्दोंपर और तीन पौंडी करके प्रश्नपर पुनः विचार करें और, उनके विचार चाहे इस पत्रके अनुकूल हों या प्रतिकूल, मैं इस आश्वासनकी आशा करता हूँ कि इस पत्रको धमकीके रूपमें कदापि नहीं माना जायेगा।

[आपका,]

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३

१४७. भाषण : फ्रीडडॉर्पकी सभामें

[जोहानिसबर्ग]

सितम्बर २८, १९१३]

श्री गांधीने भाषण आरम्भ करते हुए कहा कि मैं आज ही तीसरे पहर दो सभाओंमें भाषण कर चुका हूँ। उनमें से एक सभामें लगभग पचास भारतीय महिलाएँ ऐसी थीं, जिनपर प्रवासी अधिनियमका प्रभाव पड़ता था। वे सब अपनी उन बहनोंका रास्ता अपनानेका निश्चय कर चुकी हैं, जो वेरीनिगिंगमें तीन महीनेका सपरिश्रम कारावास काट रही हैं। (तालियाँ।) उन सभीने, जिनमें से कुछके साथ गोदके बच्चे भी थे, फैसला किया कि वे जेल-जीवनकी सभी कठिनाइयाँ बर्दाश्त करेंगी। वे अपने सम्मानकी खातिर कष्ट झेलनेके लिए तैयार हैं और सभामें उपस्थित लोगोंको यह सुनकर सन्तोष और शायद आश्चर्य भी होगा कि चेतावनी दिये जाने और जेल-जीवनके कष्ट बढ़ा-चढ़ाकर बतलाये जानेके बावजूद वे महिलाएँ अपने निश्चयपर अटल रहीं। चन्द दिनोंमें ही वे सम्राट्की सरकारकी जेलोंमें पहुँच जायेंगी। (तालियाँ।)

श्री गांधीने भारतीय समाज द्वारा की गई प्रार्थनाओं और सत्याग्रह पुनः शुरू करनेके कारणोंपर प्रकाश डाला।

१. देखिए “लार्ड सभाकी बहस”, पृष्ठ १७४-७५।

[उन्होंने कहा :] मेरा खयाल है कि हमारी माँगें बहुत ही सीधी-सादी हैं। महत्त्वकी दृष्टिसे सबसे पहली माँग यह है कि तीन पौंडी व्यक्ति-कर हटा दिया जाये। यह कर किसी वक्त गिरमिटिया रह चुकनेवाले सभी भारतीयों, उनकी पत्नियों और उनकी अवस्था-प्राप्त सन्तानको चुकाना पड़ता है और इस प्रकार प्रतिवर्ष छः प्राणियोंके परिवारपर यह कर १८ पौण्ड होता है। जैसा कि लॉर्ड एंम्टहिलने लार्ड सभामें कहा है, इस करको रद्द करनेका वचन संसदके पिछले सत्रमें दिया जा चुका था। यह वचन गोखलेको, जब वे दक्षिण आफ्रिका पधारे थे, तब दिया गया था। दूसरा प्रश्न है विवाह-सम्बन्धी कठिनाईका। इस सम्बन्धमें बड़े ऊटपटांग वक्तव्य मेरे देखनेमें आये हैं। कहा गया है कि हम दक्षिण आफ्रिकाके विवाह-सम्बन्धी कानूनका पूरा आधार ही बदलनेको कोशिश कर रहे हैं और बहुपत्नीक विवाहको कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं। हम जो चाहते हैं उसमें और इसमें जमीन-आसमानका अन्तर है। हम तो केवल यही माँग रहे हैं कि सर्ल-निर्णयसे पहले जो स्थिति थी उसीको बहाल किया जाये, अर्थात् हमारी अपनी धार्मिक विधियोंके अनुसार सम्पन्न एकपत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता दी जाये। इसका अर्थ दक्षिण आफ्रिकाके विवाह-सम्बन्धी कानूनके आधारमें कोई रद्दोबदल करना हरगिज नहीं है। हाँ, हमने यह माँग अवश्य की है कि यहाँके अधिवासी भारतीयोंकी मौजूदा एकाधिक पत्नियोंको आने दिया जाये, परन्तु हमने उनकी स्थितिको कानूनी मान्यता देनेकी माँग नहीं की है। पहले भी ऐसा किया जाता रहा है, और हम उसे केवल जारी रखनेकी बात कह रहे हैं। इसका बहुत ही कम भारतीय महिलाओंसे सम्बन्ध है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण आफ्रिकाके कानूनमें बागानके मालिकोंके हितके खयालसे गिरमिटिया भारतीयोंके मामलेमें बहु-पत्नीक प्रथाको, वास्तवमें, कानूनी मान्यता तक दी गई है। परन्तु हम स्वतन्त्र रूपसे बसे भारतीयोंकी एकाधिक पत्नियोंको वैसी कानूनी मान्यता देनेकी माँग नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज यह है कि दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंका, उनके जन्मस्थानके कारण केपमें प्रवेशका अधिकार बरकरार रहना चाहिए। चौथा प्रश्न फ्री स्टेट-सम्बन्धी समस्याका है। इसका तो निबटारा लगभग हो ही चुका है। हमारा तो कहना है कि नये अधिनियमका यह अर्थ कदापि नहीं है कि फ्री स्टेटमें प्रवेश पानेवाले भारतीयको एक प्रवासीके रूपमें भू-सम्पत्ति रखने, फार्म चलाने या व्यापार करनेपर फ्री स्टेट द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धोंके सिलसिलेमें ज्ञापन देना ही पड़ेगा। यदि सरकार भी कानूनकी यही व्याख्या करती है, तो कोई झगड़ा नहीं रह जाता। यदि सरकार उसे स्वीकार कर ले, तो सारी समस्या ही हल हो जाये। (तालियाँ ।)

[प्रस्ताव]^१

ब्रिटिश भारतीय संघके तत्वावधानमें की गई यह सभा श्री काछलिया द्वारा सरकारको लिखे गये पत्रमें उनके द्वारा अख्तियार किये गये रुखकी ताईद करती है

१. कैलेनबैक, एल० डब्ल्यू० रिच और जोसेफ रायप्पनके भाषणोंके बाद, इस सभाने यह प्रस्ताव पास किया, जिसे शायद गांधीजीने तैयार किया था। वह प्रस्ताव कुछ शाब्दिक रद्दोबदलके साथ १-१०-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें भी प्रकाशित हुआ था।

और वेरीनिगिंगमें सम्राट्की जेलमें कैद नेटालसे आये हुए नेताओंको बधाई देती है। यह सभा सत्याग्रह आन्दोलनको तुरन्त शुरू करने और श्री काछलियाके पत्रमें किये गये अनुरोधोंके स्वीकार होनेकी घड़ी तक उसे जारी रखनेका भी संकल्प करती है। यह सभा संघ-सरकारसे सादर निवेदन करती है कि वह अनुरोध मंजूर करके समाजके साथ न्याय करे। यह सभा साम्राज्यीय सरकार और भारत सरकारसे भी सहायताके लिए प्रार्थना करती है और इसे भरोसा है कि इंग्लैंड और भारतके प्रमुख विचारक राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षाके इस प्रयासमें समाजका समर्थन करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल, २९-९-१९१३

१४८. पत्र : मगनलाल गांधीको

[जोहानिसबर्ग]

सोमवार [सितम्बर २९, १९१३]

चि० मगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे खिन्न होनेका कोई कारण नहीं है। तुम आधा खाकर ही उठ बैठे होते तो भी काम पूरा नहीं हो सकता था और गड़बड़ी भी बचाई नहीं जा सकती थी। मेरे दोष तुम्हारे संयमसे कैसे दूर हो सकते हैं! उन्हें दूर करना तो मेरे ही हाथ है।

मणिलाल, मेढ और प्रागजी आज फेरीवाले बनकर फेरी करनेके लिए निकले हैं। मैं उनकी गिरफ्तारीकी खबरकी बाट जोह रहा हूँ।

यहाँसे स्त्रियाँ काफी संख्यामें मिलेंगी। वे आजकलमें ही निकलेंगी। सुना है कि फोक्सरस्टसे स्त्रियों तक को मैरिट्सबर्ग ले जाया गया है। सत्याग्रह कोष इकट्ठा करनेकी जरूरत मालूम होती है। लोग स्वेच्छया चन्दा दे जाते हैं। नीचे दी गई रकमोंकी प्राप्ति स्वीकार करना :

श्रीमती नूर मुहम्मद बाबुल १-१-०

जोगी फकीर बैजलपुरवाला १-०-०

वहाँ तुम्हें कहीं भी सूखे हुए केले मिल जायेंगे। उन्हें चूल्हेमें भी सुखा लिया जा सकता है। किन्तु बा तो मैरिट्सबर्ग गई मालूम होती है। इसलिए बात तो तभी बनेगी जब हमें वहाँ खुराक पहुँचानेकी अनुमति मिलेगी। खलबट्टेकी जरूरत नहीं। सरौतेसे छोटे-छोटे टुकड़े करके चक्कीमें पिसवा लेना। छगनलालका पत्र यहाँ आया था; भेज रहा हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५८६८) की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें सूचित दानकी प्राप्ति इंडियन ओपिनियनके ८-१०-१९१३ के अंकमें प्रकाशित हुई थी

२. तात्पर्य "पत्र : मगनलाल गांधीको", पृष्ठ २०३-०४ में उद्धिखित स्थितिसे है

१४९. भेंट : 'ट्रान्सवाल लीडर' के प्रतिनिधिको

[जोहानिसबर्ग
सितम्बर २९, १९१३]

श्री गांधीने . . . स्थितिके बारेमें पूरे विस्तारके साथ स्पष्ट चर्चा की। उनका खयाल है कि ट्रान्सवालकी समस्त जनता पूर्णतर अधिकारोंके लिए भारतीयोंकी मांगका समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि उनकी तो जिस किसीसे भी बात हुई उसने सहानुभूति ही दिखाई।

[संवाददाता :] तब आपके खयालसे संसद देशकी भावनाओंका सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करती ?

[गांधीजी :] जी, हाँ; उसमें तो पेशेवर राजनीतिज्ञ लोग [भरे हुए] हैं।

श्री गांधीने कहा कि भारतीय आज भी अपने उद्देश्यके प्रति सदाकी तरह निष्ठावान और दृढ़ हैं। सम्भव है, संख्यामें बहुत न हों, लेकिन उनकी लगन वैसी ही उत्कट बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान संकट उनकी आत्मशुद्धिके लिए ही आया है। यह पूछा जानेपर कि सत्याग्रहियोंकी संख्या कम क्यों होगी, उन्होंने कहा कि बहुतेरे ऐसे हैं जो ट्रान्सवालकी जेलोंके कष्टोंका अनुभव प्राप्त कर चुके हैं और वे दुबारा जेल नहीं जाना चाहते।

[सं० :] कुछ दूकानदार भी तो आपका साथ देनेके लिए आगे नहीं आ रहे हैं ?

[गांधीजी :] वे जेल भले ही न जायें, लेकिन रुपये-पैसेसे हमारी मदद करेंगे।

[सं० :] क्या आपकी आर्थिक स्थिति आज भी उतनी ही अच्छी है जितनी पिछले आन्दोलनके समय थी ?

[गांधीजी :] जी नहीं; आज हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि इस बार ३,००० लोगोंके जेल जानेकी बात नहीं है। अब एक दूसरा ही तरीका अपनाया जायेगा। थोड़े-थोड़े समयके लिए लोगोंको एक बड़ी संख्यामें जेल भेजनेके बजाय इस बार सौ या कुछ इतने ही लोग मोर्चा लेंगे और चूँकि लगता है, सरकार अधिकसे-अधिक दण्ड देनेपर उतारू है इसलिए यदि उन सत्याग्रहियोंको तीन या चार बार ही गिरफ्तार किया गया तो भी उनको एक लम्बे असें तक जेलमें रहना पड़ेगा। अन्य प्रान्तोंमें रहनेवाले उनके सहकर्मी उनकी सहायता करेंगे। फ्री स्टेटमें वे केवल एक संवैधान्तिक अधिकारके लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इसपर भेंटकर्ताने कहा : अँगुली पकड़कर पहुँचा पकड़नेके लिए।



वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ अर्थोंमें शायद है भी।'

[अंग्रेजीसे]

ट्रान्सवाल लीडर, ३०-९-१९१३

१५०. पत्र : 'ट्रान्सवाल लीडर' को^२

[जोहानिसबर्ग]

सितम्बर ३०, १९१३

सेवामें

सम्पादक

'ट्रान्सवाल लीडर'

महोदय,

मुझे यकीन है कि आप मुझे सत्याग्रह आन्दोलनके सम्बन्धमें अपने संवाददाता द्वारा की गई कई गलतव्ययानियोंको ठीक करनेकी अनुमति देंगे। इसमें शक नहीं कि सभी गलतव्ययानियाँ जानबूझकर नहीं की गई हैं, लेकिन उनके किये जानेके निमित्त तो निःसन्देह आपके संवाददाता ही हुए हैं। आपने समाचार छापा है कि "भारतीय सत्याग्रह आन्दोलन ठप्प होने जा रहा है।" यदि एक भी सत्याग्रही पर्याप्त लगनके साथ सत्याग्रह चलाता रहा तो यह कथन गलत साबित हुए बिना न रहेगा और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि जबतक संघर्ष करनेके लिए एक भी सत्याग्रही बचा रहेगा, हम जिन माँगोंके लिए आज संघर्ष कर रहे हैं वे ठुकराई नहीं जा सकतीं और यह उस एक सत्याग्रहीकी शक्तकी बदौलत नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जिस सत्यके लिए संघर्ष कर रहा है उस सत्यकी शक्ति अजेय है। आपने अग्रलेखमें यह तो स्वीकार किया है कि हमारी माँगें न्यायपूर्ण हैं, और हमसे केवल यह कहा है कि हम सत्याग्रह पुनः आरम्भ करनेके बजाय धैर्यपूर्वक प्रार्थनापत्र भेजते रहनेका तरीका अपनायें। ज्यादा अच्छा रास्ता कौन-सा है, यह तो अपनी-अपनी रायकी बात है। मेरे विचारसे तो जिन मसलोंपर विवाद है वे समाजके लिए बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं; और चूँकि प्रार्थना-पत्रोंको पेश करनेका रास्ता कारगर सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए सत्याग्रहका मार्ग ही शेष रह जाता है।

१. इसके बाद गांधीजीने बतलाया कि पहले तो इस प्रश्नके बारेमें ऑरेंज फ्री स्टेटकी जनताको पूरी-पूरी बात समझानी चाहिए। गांधीजीने संवाददाताके इस कथनका खण्डन किया कि कई भारतीय व्यापारी सत्याग्रहके विरुद्ध हैं; देखिए अगला शीर्षक।

२. यह पत्र ट्रान्सवाल लीडरमें प्रकाशित उस समाचारके प्रतिवादस्वरूप लिखा गया था जिसमें गांधीजीके साथ की गई भेंटका विवरण (देखिए पिछला शीर्षक) देते हुए कहा गया था कि कई प्रभावशाली भारतीय दूकानदार सत्याग्रहके विरुद्ध हैं। एल० डब्ल्यू० रिच और एच० कैलेनबैक द्वारा लिखे गये इसी तरहके पत्र इंडियन ओपिनियनके १५-१०-१९१३ के अंकमें इस पत्रके साथ प्रकाशित किये गये थे।

अब तथ्योंपर आइए। आपके द्वारा प्रकाशित विवरणमें कहा गया है : "ट्रान्स-वाल-भरके भारतीय दूकानदारोंने आन्दोलनसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है और श्री गांधीको रुपये-पैसेकी मदद देनेसे भी हाथ खींच लिया है; धनके अभावमें आन्दोलन अवश्य ही असफल हो जायेगा।" परन्तु हकीकत यह है कि रविवारकी विशाल सभामें जोहानिसबर्गके लगभग सभी भारतीय दूकानदार उपस्थित थे और ट्रान्सवालके सभी प्रमुख नगरोंके भारतीय दूकानदारोंकी ओरसे सभाके उद्देश्योंके समर्थनमें हमारे पास तार आये थे, और जिन नगरोंको अपने प्रतिनिधि भेजनेके लिए मुश्किलसे चौबीस घण्टेकी पूर्व-सूचना मिली थी, उन नगरोंके प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होने आ गये थे। यदि समाजमें कोई मतभेद होगा भी तो इस बातपर कि सत्याग्रहियोंकी माँगें बहुत कम हैं, न कि इसपर कि वे बहुत अधिक हैं; क्योंकि मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका आग्रह सत्याग्रहको बहुत ही जोर-शोरसे चलानेका है। वे दोषी नहीं ठहराये जा सकते, परन्तु निःसन्देह वे नर्मदलवाले वर्गके प्रतिनिधि नहीं माने जायेंगे। मुझे नहीं मालूम, वे कौन-से प्रभावशाली मुसलमान व्यापारी हैं जिन्होंने आपके संवाददातासे यह कहा कि शिकायतकी लगभग कोई गुंजाइश नहीं है और स्वर्ण-कानून सम्मेलनमें जो लोग शरीक हुए थे वे सत्याग्रहके खिलाफ हैं। आपके संवाददाता यदि चाहें तो खुशीसे आन्दोलनका हार्दिक समर्थन करनेवाले ट्रान्सवालके प्रमुख दूकानदारोंकी नामावली देख सकते हैं। नामावली मेरे पास रखी हुई है। हाँ, यह सही है कि उन सभीने जेल जानेकी ख्वाहिश जाहिर नहीं की है, परन्तु वे रुपये-पैसेकी मदद पहुँचानेके लिए अवश्य तैयार हैं। आपके द्वारा प्रकाशित विवरणमें की गई गलत-बयानियोंका खण्डन और अधिक विस्तारसे करनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड़का स्वाद तो खानेपर ही मिल सकता है। यह तो समय ही बतलायेगा कि आन्दोलन धनके अभाव या सत्याग्रहियोंकी कमीके कारण ठप होता है या नहीं। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूँगा, जैसा मैंने कल आपके संवाददाताको समझानेका प्रयास किया था, कि आन्दोलनकी सफलता लाजिमी तौरसे रुपये-पैसेकी सहायतापर निर्भर नहीं किया करती। वास्तवमें, सत्याग्रहके बारेमें मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि जबतक सत्याग्रहको किसी भी प्रकारकी आर्थिक सहायतापर आश्रित रहना पड़ता है तबतक वह अपने शुद्ध रूपमें नहीं आता। वह तो मूलतः एक धार्मिक शक्ति है, पर मैं यह दावा नहीं करता कि सत्याग्रह—जिसमें मैं भी एक विनम्र सहकर्मी हूँ—विशुद्धतम अवस्था प्राप्त कर चुका है। उस अवस्था तक पहुँच जानेपर, वह सार्वजनिक सभाओं, प्रस्तावों या इंग्लैंड और भारत तक से अपीलें करने-जैसे सार्वजनिक प्रदर्शनोंका मुहताज नहीं रहेगा। हमारा आदर्श तो यह है कि सत्य अपने-आपको प्रतिष्ठित करनेके लिए ऐसे साधनोंका मुखापेक्षी न बने। हम इस आदर्श तक पहुँचनकी कोशिश कर रहे हैं और हमारे हाथमें इतना ही है कि हम यह प्रयत्न करते-करते अपने प्राण चले जाने दें।

अन्तमें, मैं यह कहना चाहूँगा कि आपका यह कथन, कि “सत्याग्रही तपस्याका मूल्य माँगते हैं, जबरदस्ती ओढ़े हुए कारावासका मुआवजा चाहते हैं, [उनकी] शहादतकी जड़में रुपया-पैसा है,” एक बर्बर दोषारोपण है; साथ ही उन स्त्री-पुरुषोंके प्रति अत्यन्त निष्ठुरतापूर्ण अन्याय-स्वरूप है, जिन्होंने पिछले आन्दोलनके दौरान कष्ट भोगे हैं और जो आगे भी भोगनेको तैयार हैं। किसको कितना दिया गया है, इसका विवरण कुछ दिन पहले प्रकाशित किया गया था और जिस-किसीकी इच्छा हो वह स्वयं आकर उसका निरीक्षण कर सकता है। सत्याग्रहियोंको उनकी सेवाओंके बदले कभी कोई रकम नहीं दी गई। जो लोग जेल गये थे उनपर आश्रित रहनेवाले लोगोंको निर्वाह-खर्च दिया गया है और वह भी जीवनकी केवल उन आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए जिनके बिना काम नहीं चल सकता। आपके संवाददाताको चाहिए कि वह सूचना देनेवाले लोगोंसे अपन-अपने कथनोंकी पुष्टिके लिए तथ्य जुटानेको कहे। वैसे ईमानदारीके खयालसे आपके संवाददाताको चाहिए तो यह था कि वह इतने विश्वासके साथ और इतने जोरदार ढंगसे ऐसा विवरण प्रकाशित करनेसे पहले तथ्योंकी जाँच कर लेता। और उसके लिए सबसे आसान यह होता कि वह कमसे-कम मेरे पास आकर पूछ ही जाता कि मैं उनको सही मानता हूँ या गलत। उसने यह तो स्वीकार किया है कि उसके किन्हीं भी प्रश्नोंके उत्तर देनेमें मैंने जरा भी लाग-लपेटसे काम नहीं लिया था।

आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

ट्रान्सवाल लीडर, १-१०-१९१३

१५१. पत्र : मगनलाल गांधीको

सितम्बर ३०, १९१३

चि० मगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। श्रीमती ब्लेयरको अखबार भेज देना।

मैं घरमें जो कमीज पहनता हूँ, उसमें घड़ी रह गई है। ढूँढ़कर अच्छी तरह रख लेना।

कल मणिलाल, मेढ, और प्रागजीने बहुत प्रयत्न किया, किन्तु गिरफ्तार न हो सके। वे आज फिर फेरी करने निकले हैं। स्त्रियाँ भी आजकलमें रवाना होंगी।

तुम लिखना कि तुम्हें किस तरहकी परेशानी रहती है। शान्ति उत्पात तो नहीं करती?

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

यदि तुम्हें बंडीकी जेबमें या अन्यत्र रावजीभाईका पत्र मिले तो भेज देना। उसमें गोर्धनभाईके सम्बन्धमें कुछ लिखा है। भायातके कागजात मिल गये हैं। रुस्तमजी सेठका मुख्तयारनामा प्रमाणित करनेके लिए भेजता हूँ। उसपर गवाहकी तरह अपना दस्तखत करके रख लेना। कुछ लेख भी भेजता हूँ। उमर सेठके नामका मुख्तयारनामा उमर सेठको भेज देना और उसपर पाँच टिकट लगानेके लिए लिख देना। मेढ, प्रागजी और मणिलाल गिरफ्तार हो गये हैं।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५३) से।
सौजन्य : राधाबेन चौधरी।

१५२. स्वर्गीय श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद'

गुलाब भरे-यौवनमें ही झर गया। समूचे राष्ट्रको शोक-मग्न छोड़कर युवक हुसेन अपने जीवनके वसंतकालमें ही चल बसे। उम्र उनकी केवल २२ साल थी पर दिमाग उनका ऐसा था जो किसी ४२ सालके प्रौढ़ व्यक्तिको भी शोभा दे। सचमुच ही देवतागण जिन्हें बहुत अधिक प्यार करते हैं उन्हें उठा लेते हैं। यदि श्री हुसेन दाउद अपने जीवनके शिशिरकाल तक जीवित रहते तो मुझे विश्वास है कि वे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके इतिहासपर अपनी छाप छोड़ जाते। ऐसी बात नहीं कि इसी अवधिमें अपने जीवनकी पवित्रतासे उन्होंने उसे प्रभावित नहीं किया। पर वे जो कुछ कर सके वह तो भविष्यमें वे जो कुछ करते, उसकी छाया-मात्र है। वह एक सत्योपासक युवक थे और केवल उसीके लिए जीते थे। उन्हें शब्दाडम्बर, पाखण्ड और प्रवंचनासे बहुत चिढ़ थी, फिर चाहे ये दोष उनके गुरुजनोंमें ही क्यों न हों। बचपनसे ही उनकी यह इच्छा थी कि वे जो बात कहें उसका पालन अवश्य करें। वे मूर्तिमान निर्मलता थे। कुसंगति उनपर कोई असर नहीं डाल सकती थी। उनके साथी कितने ही पतित क्यों न हों, वे उन लोगोंको प्रभावित कर पाते थे। एक बार श्री दाउद मोहम्मद-ने उन्हें लिखा कि वे लन्दनमें युवकोंको आकर्षित करनेवाले फंदों और बुरी संगतसे सावधान रहें। इससे वे बहुत रुष्ट हुए और प्रायः इन शब्दोंमें पत्र लिखा—“पिताजी, आप अपने बेटेको नहीं जानते। जालोंका हुसेनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। बुरे साथी उन्हींको पथ-भ्रष्ट करते हैं जिन्हें अपनी स्थितिका ज्ञान नहीं है। आपके पुत्रको अपनी स्थितिका ज्ञान है। वह सत्यके लिए जीता है और उसीके लिए मरेगा।” ऐसे खरे चरित्रके साथ ही उनमें अपन देश, भारतके प्रति उत्कट उत्साह था; और अपने इस देशका अस्तित्व केवल उनकी कल्पनामें ही था। उन्होंने कभी उसे देखा नहीं था; पर इतना ही काफी था कि वह उनके पूर्वजोंका देश है। उन्होंने

१. यह लेख “विशेष संस्मरण” के रूपमें गांधीजीने इंडियन ओपिनियनमें लिखा था; देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ३० भी।

उसके बारेमें पढ़ा था और उसके प्रति उनके मनमें प्रेमकी भावना इतनी प्रबल थी जिसे दबाया नहीं जा सकता था। जब पिछली १६ तारीखको श्री रुस्तमजी एक सत्याग्रहीके रूपमें निकलनेके पूर्व उनके पास गये तो तरुण हुसेनने कहा — “श्री रुस्तमजी! यदि मैं इस रोगशय्यासे उठ सका तो आप मुझे जेलमें पायेंगे। सत्य तथा न्यायके लिए जेलमें मरना पड़े तो वह मौत भी कितनी शानदार होगी।” प्राण-रक्षाके लिए मृत्युसे वे जूझ रहे थे, पर उनकी इस इच्छामें स्वार्थ लेशमात्र नहीं था। वे अपने देश तथा मानवताकी सेवाके लिए जीवित रहना चाहते थे।

यद्यपि उनके पिता श्री दाऊद बहुत बड़े व्यापारी रहे हैं, किन्तु हुसेन जब बहुत छोटे थे तभीसे व्यापारसे घृणा करने लगे थे। वे धन-सम्पत्तिकी उपेक्षा करते थे। वे अध्ययन करना चाहते थे। श्री दाऊद मुहम्मदने उन्हें मेरे पास फीनिक्समें रख दिया था और सारा आश्रम इस लड़केके बहुमूल्य गुणोंकी कदर करने लगा था। वे मेरे कुटुम्बके एक प्रिय सदस्य बन गये थे। किन्तु फीनिक्स उनके लिए पर्याप्त नहीं था। उन्हें वहाँका जीवन पसन्द था, किन्तु वे अपनी साहित्यिक और काव्यात्मक रुचियोंके लिए व्यापक क्षेत्र चाहते थे। वे अपने देशके लिए लड़ना चाहते थे। उन्हें किसी आह्वानका अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा (जो मेरी समझसे गलत था) कि यदि उन्हें कुछ भलाई करनी है तो उनका लन्दन जाना और बैरिस्टर बनना जरूरी है। वे अपने पिताकी आँखोंके तारे थे। वे सबकी शुभ-कामनाओंके साथ लन्दन गये। लन्दनमें भी उन्होंने शीघ्र ही अपनेको, जहाँ भी गये, प्रिय बना लिया। वे पूरे मनोयोगसे अध्ययनमें लग गये। मैं जानता हूँ कि वे अक्सर हैम्पस्टेड हीथ जाया करते थे और वहाँके स्निग्ध लॉनपर बैठकर अपने प्रिय कवियोंको पढ़ते हुए स्वप्नोंमें खो जाते थे। वे स्वयं भी कविताएँ लिखते थे, और कविताके पारखियोंने मुझे बताया है कि उनकी रचनाएँ काफी अच्छी होती थीं।

किन्तु विधिका यही निर्णय था कि हुसेनको जीना नहीं है। जिस भयंकर रोगसे उनका शरीर अन्ततः नष्ट हुआ उसने लन्दनमें ही उनके शरीरको खोखला करना शुरू कर दिया था। उन्होंने विविध चिकित्साएँ आजमाईं। वे विशेषज्ञोंकी देखरेखमें रहे। कुछ समयके लिए उनका रोग सुधरा, पर वे रोगमुक्त नहीं हुए। वे डबन लौटे और यहाँ उन्हें अपना स्वास्थ्य पहलेसे अच्छा लगा। डॉ० ऐडम्सने, जो हुसेनको बहुत प्यार करते थे, असाधारण लगनसे उनकी चिकित्सा की। उनकी दशा कुछ सुधरी, लेकिन बस, कुछ ही सुधरी। वे इंग्लैंड जाने और अध्ययन करनेको उत्कंठित थे। वह भारत गये और उसे श्रद्धाकी आँखोंसे देखा। मुझे लिखे अपने अनेक पत्रोंमें से एकमें उन्होंने कहा कि मैं भारतकी प्रस्तर-कला नहीं, बल्कि उसके हृदयको देखना चाहता हूँ। उन्होंने अपने पिता तथा अनेक प्रतिष्ठित लोगोंके संग अरबकी पवित्र धर्म-भूमिकी यात्रा की। इस तीर्थ-यात्राका उनपर स्थायी असर पड़ा। अपने एक पत्रमें पैगम्बरकी उन शक्तियोंकी चर्चा करते हुए वे आनन्द-विह्वल हो गये, जो साल-दर-साल लाखों व्यक्तियोंको इस विशेष विधिसे सृष्टि-रचयिताके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनेके लिए बुला सकती हैं। वहाँसे यह दल कुस्तुनतुनियाको रवाना हुआ। उस समय इटलीसे लड़ाई चल रही थी। तरुण हुसेन सचमुच ही अपने पिताके पथदर्शक और मित्र थे। इस यात्रामें


सारी मण्डली उन्हींपर निर्भर रही। तुर्कीके बड़ेसे-बड़े व्यक्तियोंसे वे लोग मिले। उस अजनबी मुल्कमें भी वे जिसके सम्पर्कमें आये उसके प्यारे बन गये। वहाँ उन्होंने अपने पितासे विदा ली। उनका दूसरा तीर्थस्थान लन्दन था। अपना अध्ययन पूरा करनेके लिए उन्हें वहाँ अवश्य जाना था। पर दुष्ट रोगने उनका पिंड नहीं छोड़ा था। वे फिर एकाएक गिर गये। श्री दाउद मोहम्मदको तार मिला कि हुसेन लौट रहे हैं। और इतनेसे ही सब स्पष्ट हो गया। पिताको मालूम हो गया कि पुत्र उनकी गोदमें मरनेके लिए आ रहा है। और वह अन्तिम क्षण तक चैतन्य रहकर अपने पिताकी गोदमें मरे—ऐसे पिताकी गोदमें जिसका प्रेम असाधारण था (मैं कहनेवाला था कि अलौकिक था)। श्री दाउद मोहम्मदने हुसेनकी बड़ी सेवा-शुश्रूषा की। पाँच महीनेसे भी कुछ ज्यादा समय तक यह प्रेमालु पिता हुसेनकी शय्याके पाससे नहीं हटा। जब भी मैं डर्बन जाता तो तरुण रोगीको देखनेके लिए श्री दाउदके घरकी तीर्थ-यात्रा करनेका सौभाग्य जरूर प्राप्त करता था। श्री दाउद अपने पुत्रकी सेवा-शुश्रूषा जिस लगनसे करते थे और पुत्र भी जिस प्रकार केवल उन्हींकी सुश्रूषापर पूरा भरोसा करता था, उसे देख कर आत्मा तृप्त हो जाती थी। डॉ० मैकेंजी तथा उनके सहायक डॉ० ऐडम्स हुसेनकी चिकित्सा कर रहे थे। किन्तु तुर्कीसे लौटनेके बाद हुसेनने जो खाट पकड़ी तो फिर कभी नहीं छोड़ी।

शव-यात्राका जुलूस बहुत विशाल था। हजारों लोग अर्थीके पीछे-पीछे चल रहे थे। मुसलमानोंके सिवा भारतके सभी प्रान्तोंके हिन्दू, इस श्रेष्ठ युवककी स्मृतिमें अपना सम्मान समर्पित करनेके लिए होड़ लगा रहे थे। उपनिवेशमें जन्मे भारतीय बहुत बड़ी संख्यामें उस व्यक्तिकी स्मृतिके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने आये थे, जो उन्हींकी भाँति दक्षिण आफ्रिकामें पैदा हुआ था। मंगलवारको जब अन्तिम-संस्कार हुआ प्रायः सारे दिन स्पेशल ट्रामगाड़ियोंमें भर-भर कर लोग आते रहे। कारपोरेशनकी सहमतिसे दो घंटेके लिए डर्बनकी सारी भारतीय दूकानें और भारतीय बाजार बन्द रखे गये। इस अत्यन्त होनहार युवककी स्मृतिको जो स्वतःस्फूर्त सम्मान मिला वह अन्य किसी भारतीयको कभी नहीं मिला था। उनकी मृत्युपर कुछ समयके लिए हम सभी यह भूल गये कि हम हिन्दू, मुसलमान, पारसी या ईसाई हैं। वे मर कर भी हमें यह अनुभव करा रहे हैं कि अन्ततोगत्वा हम सब भारतके बेटे हैं—हम सब भाई-भाई हैं, और एक ही माँकी सन्तान हैं। मुझे श्री हुसेनके चरित्रपर इतना लिखनेमें सुख मिला है। मैं उन्हें जितनी अच्छी तरह जानता था उतना अन्य कोई नहीं जानता था। मुझे बहुत कम ऐसे युवकोंसे—युवक ही क्यों, बूढ़ोंसे भी—मिलनेका सौभाग्य मिला है जिनका चरित्र हुसेनके जैसा निष्कलंक हो। मेरे लिए हुसेन मरे नहीं हैं। वे अपने चरित्रके कारण जीवित हैं। मेरी कामना है कि सम्पूर्ण दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय युवक मेरी इस नम्र श्रद्धांजलिको उसी भावनासे ग्रहण करें जिस भावनासे वह अर्पित की गई है, और हम सब लोग श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मदने जो उदाहरण हमारे सामने रखा है उसका अनुकरण करें।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३

4666
4666



१५३. विवाह-समस्या

इस बारकी लड़ाई समाजकी दृष्टिसे इतने महत्वपूर्ण मामलोंसे सम्बन्ध रखती है कि उनमें से हरएकपर विशेष ध्यान देना जरूरी है। पिछले हफ्ते हमने तीन-पौंडी करके सवालपर विचार किया था। इस सप्ताह हम विवाहके सवालपर विचार करेंगे। चूंकि इसके कारण हमारी स्त्रियाँ भी लड़ाईमें शामिल हो गई हैं, इसलिए यह सवाल भूतपूर्व गिरमिटिया पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंसे जबर्दस्ती वसूल किये जानेवाले वार्षिक करसे भी अधिक महत्वपूर्ण है।

वैवाहिक कठिनाई सर्ल-निर्णयसे शुरू होती है। इसलिए यह जरूरी है कि इस ऐतिहासिक फैसलेसे पूर्व क्या स्थिति थी, इसे समझ लिया जाये। जस्टिस सर्लको कुछ पता न था कि उनके फैसलेका इस उपमहाद्वीपमें रहनेवाले भारतीयोंपर क्या असर होगा। इस फैसलेके पहले भारतीय पत्नियाँ अपने पतियोंकी विधिवत् विवाहित पत्नियाँ मानी जाती थीं। विभिन्न प्रान्तोंके सर्वोच्च न्यायालयोंके मास्टर, बिना वसीयतवाली जायदादोंके मामलोंमें ऐसी पत्नियों तथा उनकी सन्तानके दावोंको मान्यता देते थे। कभी किसी भारतीयको यह सन्देह करनेका कारण नहीं मिला था कि दक्षिण आफ्रिकाकी अदालतों द्वारा विवाहोंकी वैधतापर इस कारण आपत्तिकी जायेगी कि वे ईसाई प्रणालीसे सम्पन्न नहीं हुए हैं या उन विवाहोंका पंजीयन दक्षिण आफ्रिकामें नहीं हुआ है। पर संघ सरकारने एशियाइयोंका पहलेसे भी अधिक दमन करनेकी अपनी नीतिके अनुसार, और समाजके पुरुषोंपर ही अपने आक्रमणसे सन्तुष्ट न होकर, हमारी स्त्रियोंके प्रति भी शत्रुवत् रवैया बरतनेका निश्चय किया। किसी अत्युत्साही कानून-अधिकारीने पता चलाया कि दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार उनके विवाहोंको अवैध करार देकर अधिवासी भारतीयोंकी पत्नियोंका प्रवेश रोका जा सकता है। इसलिए अधिकारियोंने केपमें ऐसी एक महिलाके प्रवेशाधिकारको चुनौती दी। और सरकार द्वारा पहली बार उठाये गये इस मामलेपर जस्टिस सर्लसे फैसला देनेको कहा गया। जस्टिस सर्लने निर्णय दिया कि जिन धर्मोंमें बहुपत्नी विवाह जायज है, उन सभी धर्मोंकी रीतिसे किये गये विवाह अवैध हैं और चूंकि एक स्थायी अधिवासी भारतीयकी पत्नी होनेका दावा करनेवाली वह स्त्री मुसलमान है, इसलिए संघकी अदालतें उसके विवाहको मान्यता नहीं दे सकतीं। सर्वोच्च न्यायालयके नेटाल प्रान्तीय डिवीजनके मास्टरने इस निर्णयका अनुसरण किया। मास्टरने एक मृत भारतीयकी एकमात्र पत्नीका उत्तराधिकार-शुल्कसे छूटका दावा इस आधारपर रद्द कर दिया कि उसका विवाह संघके कानूनोंके अनुसार नहीं हुआ था। इस बातमें जस्टिस गार्डिनरने तो हृद ही कर दी। खूनके जुर्ममें गिरफ्तार एक भारतीयके मुकदमेमें जब उसकी पत्नीने अपने पतिके खिलाफ गवाही देनेकी जिम्मेदारीसे छूट पानेके लिए अर्जी दी तो जस्टिस गार्डिनरने उसके विवाहको मान्य करनेसे इनकार कर दिया। इस प्रकार गैर-ईसाई भारतीयोंको सहसा यह जानकारी हुई कि दक्षिण आफ्रिकामें उनकी पत्नियोंका दर्जा महज रखेलोंका है और

उनके बच्चे अवैध माने जाते हैं। पाठकको याद रखना चाहिए कि अपनी इस भयानक स्थितिकी जानकारीसे हमारी स्वाभिमानी जातीय भावनाओंको ठेस पहुँची है, और इससे प्रत्येक भारतीय पत्नी और प्रत्येक भारतीय बच्चेके प्रवेशका मार्ग भी बड़ी सफाईके साथ रुक गया है। सरकारने जानबूझकर सर्ल-निर्णयकी स्थिति उत्पन्न की थी; किन्तु वह उस निर्णयको कार्यरूप देनेका पर्याप्त साहस नहीं कर पाई, नहीं तो एक भी भारतीय पत्नी या उसके बच्चे इस देशमें प्रवेश न कर पाते। वह एक ऐसा अन्याय होता जिसे दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंकी मानवीयता भी सहन न कर पाती। इसलिए इस प्रकार हमें अपनी दयापर आश्रित करनेके बाद सरकारने कृपापूर्वक घोषित किया कि किसी अधिवासी एशियाईकी पत्नीके प्रवेश विषयक प्रशासनकी अबतक की नीतिमें उस फैसलेका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि उस आदमीकी दक्षिण आफ्रिकामें वही एक पत्नी हो। याद रखना चाहिए कि सरकारकी यह कथित क्षमाशीलता, ऊपर बताये गये सर्ल-फैसलेके अन्य परिणामोंसे, उन पत्नियों और बच्चोंकी रक्षा नहीं कर सकती थी जिन्हें एहसान करके प्रवेश करने दिया गया था। अपनी पत्नियोंके प्रवेशके बावजूद भारतीय इस बातसे सन्तुष्ट नहीं हो सकते थे कि उन पत्नियोंका कानूनी दर्जा छीन कर उन्हें पूर्णतया अनिश्चित कानूनी स्थितिमें डाल दिया जाये। वे फैसलेमें निहित अपने स्त्री-समाजपर लगे कलंकको बर्दाश्त करनेके लिए तैयार न थे। इसलिए सरकारने संघ-संसदमें विचाराधीन प्रवासी विधेयकमें बड़े बेमनसे, और निहायत कंजूसीके साथ, किस्तोंमें, पहले श्री अलेक्जेंडरका, और फिर सिनेटर श्राइनरका संशोधन स्वीकार किया। किन्तु ये संशोधन चूँकि जल्दबाजीमें तैयार किये गये थे इसलिए उनसे यदि राहत मिली भी तो आंशिक ही। उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके बाहर, किसी भी धार्मिक रीतिसे सम्पन्न, एकपत्नी-विवाहको वैध बना दिया। किन्तु इन संशोधनोंने भी दक्षिण आफ्रिकामें विवाहित या भविष्यमें विवाहित होनेवाली स्त्रियोंका दर्जा अनिश्चित ही छोड़ दिया। अब भारतीयोंका कथन इतना ही है कि दक्षिण आफ्रिकामें सम्पन्न भारतीय विवाहोंको भी वही मान्यता दी जाये जो भारतमें सम्पन्न हुए विवाहोंको दी गई है। और यह, जैसा कि सरकारको भी बताया जा चुका है, प्रवासी अधिनियममें जरा-सा परिवर्तन करके या संघके विवाह-कानूनोंमें संशोधन करके किया जा सकता है।

हमने संशोधनोंसे मिली राहतके बारेमें “यदि मिली भी तो” शब्द इस्तेमाल किये हैं। सरकारने कुलमुम बीबीके मामलेमें, जो इस समय सर्वोच्च न्यायालयके सामने पेश है, जैसा रख अपनाया है, उसे देखते हुए यह विशेषण आवश्यक हो गया है। डर्बनके प्रवासी अधिकारीने, निश्चय ही सरकारके आदेशपर, यह सवाल उठाया है कि जो धर्म बहुपत्नी विवाहकी अनुमति देता है, क्या उसके अन्तर्गत हुए विवाहको एकपत्नी विवाह कहा जा सकता है, फिर भले ही इस प्रकार विवाहित वह पत्नी अपने पतिकी एकमात्र पत्नी हो। सरकारको यह सवाल नहीं उठाना चाहिए था किन्तु स्पष्टतः वह यह दिखाना चाहती है कि जो संशोधन किये भी गये वे शुद्ध मनसे नहीं किये गये। प्रकटतः वे भारतीय विवाहोंके बारेमें कानून बनानेकी भारतीयोंकी माँगकी पूर्तिके लिए किये गये थे। श्री अलेक्जेंडरके संशोधनसे उसकी पूर्ति नहीं हुई थी, इसलिए श्री श्राइनर-

का संशोधन स्वीकार किया गया। सरकारको मालूम था कि भारतके सबसे बड़े दो धर्म, अर्थात् हिन्दू धर्म और इस्लाम, बहुपत्नी विवाहका निषेध नहीं करते, इसलिए यदि उसने संशोधनोंको यह मान कर स्वीकार किया था कि 'एकपत्नी विवाह' वाला विशेषण लगानेपर कानूनमें इन दो महान् धर्मोंकी विधिसे व्याही औरतें फिर भी शामिल नहीं होंगी, तो उसने निश्चय ही संसद और भारतीय समाजको धोखा दिया। हम सोचते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सरकारकी व्याख्या माननेसे इनकार कर देगा, किन्तु यदि इसका निर्णय इससे विपरीत हुआ तो सारे भारतीय विवाहोंको कानून-सम्मत बनानेके लिए प्रवासी अधिनियमको बदलना आवश्यक हो जायेगा। इस अन्तिम घड़ीमें भी यह सरकारके हाथमें है कि वह मुकदमेको वापस ले ले और अदालत द्वारा निर्णयका आग्रह न करे।

अब रहा एकाधिक पत्नियोंके प्रवेशका सवाल; यह प्रवेशके बाद उनके कानूनी दर्जेके सवालसे अलग है। परम्परा सदासे यही रही है कि अधिवासी भारतीयोंकी ऐसी पत्नियोंको प्रवेश करने दिया जाये। ट्रान्सवालमें तो ऐसे सम्बन्धोंका रजिस्ट्रीके प्रमाणपत्रोंपर भी उल्लेख किया जाता है। इस परम्परामें व्याघातका पहला धक्का १९११में, जस्टिस वेसेल्सके एक निर्णयसे लगा था। उसे भी सरकारने ही निमन्त्रित किया था। उस फैसलेके फलस्वरूप ब्रिटिश भारतीय संघने सरकारसे पत्र-व्यवहार^१ किया और सरकारने आश्वासन दिया कि जिन मामलोंमें लोगोंको कठिनाई उठानी पड़ी है उनपर वह विचार करेगी। इस पत्र-व्यवहारसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सवाल हल हो गया, क्योंकि एकाधिक पत्नियोंके बारेमें भारतीयोंकी माँग यह नहीं है कि उन्हें कानूनी तौरपर मान्यता मिले बल्कि यह है कि अधिवासी भारतीयोंकी वर्तमान एकाधिक पत्नियोंको संघमें प्रवेश करनेका अधिकार मिले। किन्तु सरकारका रवया अब अपने पत्रमें दिये गये आश्वासनसे पीछे हटनेका लगता है। हम इस पत्र-व्यवहारको अपने अगले अंकमें प्रकाशित करेंगे जिससे पाठक स्वयं निर्णय कर सकें कि पत्र-व्यवहारसे क्या उसके सिवा कोई अर्थ निकलता है जो भारतीय समाजने लगाया है।

संक्षेपमें, समाजकी, बहुत मामूली, तीन माँगें हैं :

(१) दक्षिण आफ्रिकामें अबतक सम्पन्न, और आगे सम्पन्न होनेवाले एकपत्नी विवाहोंको कानूनसम्मत बनाया जाये; (२) "एकपत्नी" शब्दके अन्तर्गत उन धर्मोंकी विधियोंसे सम्पन्न विवाहोंको भी शामिल किया जाये जिनमें बहुपत्नी विवाहका निषेध नहीं है, बशर्ते कि जिस स्त्रीके वैवाहिक सम्बन्धको मान्यता दी जानेवाली हो, वह अपने पतिकी अकेली पत्नी है; (३) अधिवासी भारतीयोंकी वर्तमान एकाधिक पत्नियोंको बिना पत्नियोंका कानूनी दर्जा दिये, प्रवेश करने दिया जाये; और उन्हें निवास-सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्राप्त हों।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३

१. देखिए खण्ड ११, पृष्ठ ११५ और ११७।

१५४. विवाहका प्रश्न

गत सप्ताह जिस प्रकार हम तीन पौंडी खूनी कानूनकी चर्चा कर चुके हैं, उसी प्रकार अब विवाहके सम्बन्धमें भी सोच-विचार करना जरूरी है। इस संघर्षमें कोई एक ही मुद्दा मुख्य हो, ऐसी बात नहीं है किन्तु अनेक मुद्दे हैं और जो [प्रत्यक्ष रूपसे] परस्पर सम्बन्ध रखते नहीं जान पड़ते। जिन-जिन प्रश्नोंको लेकर हम लड़ रहे हैं उन्हें समझ लेना भारतीय समाजके लिए जरूरी है। विवाहके प्रश्नको तीन भागोंमें बाँटा जा सकता है।

प्रथम तो यही सवाल है कि हिन्दू-मुसलमान या पारसी धर्मानुसार जो विवाह हो चुके हैं; वे कानूनके अनुसार ठीक नहीं हैं। न्यायमूर्ति सर्लके निर्णयसे पूर्व भारतीय विवाहोंके बारेमें यहाँ कतई कोई समस्या नहीं थी। सारे विवाह अदालतोंसे मंजूरशुदा माने जाते थे। परन्तु न्यायमूर्ति सर्लके निर्णयके बाद सब-कुछ बदल गया है। यह निर्णय सरकारने जानबूझकर लिया। जो स्त्रियाँ संघ-राज्यसे पूर्व नहीं थीं वे उसके निर्माणके पश्चात् होने लगीं। सरकारकी नीयत ही यह रही है कि जैसे भी बने भारतीयोंके चरण दक्षिण आफ्रिकासे हटाये जायें। अबतक सरकारने औरतोंकी ओर पंजा नहीं बढ़ाया था परन्तु अब उसकी प्रपंची दृष्टि उनपर भी पड़ने लगी है। औरतोंका आगमन बन्द किया जाये तो उनके बच्चोंका भी आना बन्द हो जायेगा, ऐसा खूनी विचार सरकारने किया जान पड़ता है। इसीलिए सरकारी अधिकारियोंने कानूनकी छानबीन की और इसमें उन्हें मालूम हुआ कि भारतीय विवाह दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार जायज नहीं हैं ऐसा साबित किया जा सकता है और यदि ऐसा हो सके तो सरकारकी मुराद एक बड़ी हद तक पूरी हो। इसके आधारपर सरकारने एक स्त्रीके हकोंपर हमला किया और न्यायमूर्ति सर्लकी अदालतमें मामला आया। उन्होंने निर्णय दिया कि जिस धर्ममें एकसे अधिक स्त्रियोंसे विवाह करनेकी छूट है उस धर्मके अनुसार यद्यपि एक ही स्त्रीसे विवाह हुआ हो तो भी उस विवाहको दक्षिण आफ्रिकाका [विवाह-] कानून स्वीकृति नहीं दे सकता। इस निर्णयके बाद ही नेटालकी अदालतके मास्टरने फैसला दिया कि जो विवाह ईसाई-धर्मके रिवाजके मुताबिक न हुआ हो ऐसे विवाहमें पतिकी मृत्युके बाद वह विधवा, उसके बाल-बच्चे उत्तराधिकारके करसे मुक्त नहीं हो सकेंगे। साथ ही न्यायमूर्ति गार्डिनरने लेडी स्मिथमें यह निर्णय दिया कि इस प्रकारसे विवाहित स्त्रीको अपने पतिके विरोधमें गवाही न देनेका हक प्राप्त नहीं होता। इन तीनों निर्णयोंका परिणाम तो यह हुआ कि भारतीय स्त्री और उसके बच्चे इस मुल्कमें न आ सकें। और यहाँ जो स्त्रियाँ रहती हैं वे मात्र रखेल स्त्रियाँ गिनी जायें तथा उनके बाल-बच्चे अपने माँ-बापके वारिस न माने जायें। सरकार कानूनन ऐसी स्थितिका भी निर्माण करके ऊपरसे अब यह जताना चाहती है कि वह ऐसी मेहरबान है कि नये कानूनके रहते हुए भी पहले ही की तरह, प्रति व्यक्तिकी एक-एक स्त्रीको आने दिया जायेगा। पर मतलब तो इसका यही हुआ कि स्त्रियोंको निवासका आदेश तो

हो किन्तु उनकी गिनती रखेले स्त्रियोंमें ही रहे। इससे उन्हें अदालतोंसे कोई अधिकार नहीं मिलेंगे और उनके वारिसोंको तो कतई नहीं। भला भारतीय इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। (भारतीय इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे)। सरकारके साथ [इस सम्बन्धमें] सख्त लिखा-पढ़ी हुई। उसने प्रथम श्री अलेक्जेंडर और फिर श्री श्राइनर द्वारा सुझाये गये फेरफार नये कानूनमें किये। परन्तु ये परिवर्तन उसने न तो प्रसन्न मनसे ही किये और न विचारपूर्वक ही; ये व्यावहारिक भी नहीं थे। अतः इनमें खामियाँ रह गईं और अन्तमें परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तानमें किये गये विवाह वैध माने गये। परन्तु इस मुल्कमें हुए विवाह और आगे होनेवाले भी— जो हमारे धर्मानुसार हों— कानूनन जायज न रहे। अतः हम सरकारसे यह माँग करते हैं कि उसने भारतमें हुई शादियोंके सम्बन्धमें जो निर्णय लिया है वही निर्णय दक्षिण आफ्रिकामें हुई तथा भविष्यमें यहाँ होनेवाली शादियोंकी निस्वत ले। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसा किस प्रकार किया जाये।

दूसरा सवाल यह है कि कानूनमें जो परिवर्तन किया गया है उसके आधार-पर एक स्त्रीसे किया गया विवाह कानूनी माना जाये। कुलसुम बीबीके मामलेमें सरकारने जानबूझकर यह सवाल खड़ा किया है कि जिसकी शादी ऐसे धर्मके अनुसार हुई हो जो एकाधिक स्त्रियोंसे विवाहकी मान्यता देता है, ऐसी शादियोंको नये कानूनकी स्वीकृति नहीं है। यदि यह मतलब सही है तो जो हानि न्यायमूर्ति सर्लके निर्णयसे हुई है वह दूर नहीं होती और सरकारने [हमारे साथ] धोखा ही किया है, यह माना जायेगा। सरकारको यह मालूम था कि हमने जो माँग की थी वह हिन्दू और मुसलमान धर्मोंके अनुसार की गई शादियोंके विषयमें थी। और अब यदि उन्हीं शादियोंको नामंजूर करनेका विचार सरकारने कर लिया है तो न केवल उसने हमें बल्कि संसदको, शाही-सरकारको और भारत-सरकारको भी धोखा दिया है। कुलसुम बीबीका सवाल हमने नहीं, स्वयं सरकारने उठाया है। इस सम्बन्धमें सरकार निर्णय माँगती है। सम्भवतः ऐसा नहीं होगा और जो ऐसा हो तो सरकारको नीचा देखना पड़ेगा और कानूनमें पुनः ऐसा परिवर्तन करना होगा जिससे हमारे धर्मोंके अनुसार की गई शादियोंका समावेश उसके अन्तर्गत हो।

तीसरा प्रश्न है एकसे अधिक [विवाहित] स्त्रियोंका। यह प्रश्न १९११ में उठा था। किसी भारतीयके एकसे अधिक पत्नियाँ हों तो उन्हें आने दिया जाता था। किन्तु सरकारने यह प्रश्न उठाया और न्यायमूर्ति वेसेल्सने निर्णय दिया कि यहाँके [दक्षिण आफ्रिकाके विवाह-] कानूनके मुताबिक एक ही पत्नी आ सकती है। इस सम्बन्धमें श्री काछलियाने सरकारको पत्र लिखा। सरकारसे उत्तर मिला कि इस प्रकारके मामलोंपर सरकार ध्यान देगी। इससे हमने सन्तोष मान लिया। हमारी माँग बहु-पत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता देनेकी नहीं थी किन्तु अधिक स्त्रियोंको इस मुल्कमें आनेकी अनुमति देनेकी बाबत थी। सरकार अब कह रही है कि उसके १९११ के पत्रका जैसा अर्थ हम लगा रहे हैं वैसा नहीं लगाया जा सकता; और हम तो यह मानते हैं कि उसका दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता।

इस प्रकार सरकारसे हमारी तीन मांगें हैं। प्रथम तो यह कि इस मुल्कमें जो विवाह हमारे अपने धर्मके अनुसार हुए हैं तथा आगे भविष्यमें होनेवाले हैं, वे कानूनसे जायज माने जायें। दूसरी यह कि "एकपत्नी विवाह" में हमारे धर्मानुसार हुए विवाहका समावेश होना चाहिए। तीसरी यह कि जिस भारतीयने एकसे अधिक स्त्रियोंके साथ विवाह किया हो, उन स्त्रियोंको भी इस मुल्कमें प्रवेशकी अनुमति होनी चाहिए।

सरकार यदि इतनी मांगें पूरी न करे तो हम एक पलके लिए भी निश्चिन्त होकर न बैठें। यह वार स्त्रियोंपर भी है और इसलिए उन्हें भी संघर्षमें उतरना पड़ा है। इससे अपने धर्मका भी अपमान होता है और अपने समाजकी बदनामी होती है। इस दृष्टिसे शादीका यह प्रश्न खूनी-कर [तीन-पौड़ी कर] से भी बढ़-चढ़कर है। वह कौम जो अपनी स्त्रियोंका सम्मान न रख सके और अपनी सन्तानकी सम्हाल न कर सके — वह कौम कहलानेका दावा नहीं कर सकती। वह कौम नहीं पशु है। पशु भी अपने बच्चेका बचाव करनेके लिए सींग मारता है। तब जो मर्द हैं वे क्या बैठे रहेंगे और पहनने-ओढ़ने तथा ऐश-आराममें मशगूल रहेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३

१५५. हथियारोंके बिना असहाय

भारतीयोंको हथियार रखनेके परवाने नहीं दिये जाते, इस विषयपर इस अखबारमें संवाददाताओंने बड़ी चर्चा की है। हमारी उनसे सहानुभूति है। किन्तु हमारी धारणा यह है कि मनुष्यको हथियारकी जरूरत नहीं है। परन्तु यह बात तो जिसने धनका संग्रह करना छोड़ दिया हो उसके सम्बन्धमें लागू हो सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो व्यापार करते हैं और दूसरोंके आक्रमणसे बचना चाहते हैं उनका काम हथियारके बिना नहीं चल सकता। स्पष्ट है कि संवाददाताओंके पत्रों आदिसे काम नहीं चलेगा। नेतागण इस दिशामें परिश्रम करें तभी कुछ हो सकता है। पर इस बीच हम अपने आलोचकोंसे कहना चाहते हैं कि वे (इस सम्बन्धमें) सरकारको लिखे गये पत्र और उनके उत्तर हमें भेजते रहें। कहाँ-कहाँ लूट-पाट हुई, उसका पक्का सबूत; आसपासकी बस्ती कैसी है — आदि सारी हकीकत साफ अक्षरोंमें हमें लिख भेजी जाये तो हम कदम उठानेको तैयार हैं। हमें यह अवसर भी इसके उपयुक्त लगता है। उपयुक्त समयपर सत्याग्रहकी इस लड़ाईमें अनेक बातोंका समावेश किया जा सकता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३

१५६. हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद'

भाई हुसेनकी अकाल मृत्युसे यहाँकी भारतीय जनता विधवा बन गई है; यह बात मैं विचारपूर्वक ही लिख रहा हूँ। वैसे सामान्यतः यह सवाल उठ ही सकता है कि एक बाईस वर्षका जवान, जिसे अनेक भारतीय न देख ही पाये हैं और न पहचानते ही हैं, जिसने लोगोंको कभी बड़े-बड़े भाषण या उपदेश नहीं दिये, उसके इस प्रकार चले जानेसे 'जनता विधवा हो गई' ऐसा कहना क्या अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। किन्तु मेरा जवाब यही है कि भाई हुसेन जैसा सदाचरण मैंने बहुत थोड़े नवयुवकों या बड़ी उम्रके लोगोंमें देखा है। उसकी तुलनामें ठीक उतर सकनेवाला कोई प्रौढ़ व्यक्ति मुझे तो दक्षिण आफ्रिका-भरमें दिखाई नहीं देता। मैं अनेक नवयुवकोंको जानता हूँ किन्तु उनमें भी भाई हुसेन जैसा कोई होगा इसके बारेमें मुझे सन्देह ही है। कोई उससे बढ़कर हो तो उसे मैं निश्चय ही नहीं जानता। भाई हुसेनने सत्यको अपनी जिन्दगीका आधार बना रखा था। उसका जीवन ही सत्यके लिए था। झूठ, दगा, कपट और दम्भसे भाई हुसेनको अत्यन्त घृणा थी। जिस स्थानपर छल-कपटका व्यवहार होता है उसके लिए वहाँ बैठना भी दूभर था। किसी जगह लोग झूठ बोल रहे हैं—यह उसे दीख-भर जाय, तो फिर वहाँ उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था—उसे पंख हों तो वह वहाँसे उड़ जाये—ऐसा उसका स्वभाव था। हमारे साधारण वर्गोंमें जो मिथ्याचार चलता है उसके प्रति इस युवकको इतनी ग्लानि थी कि उसने अनेक बार डर्बनसे हट जाना चाहा था। किसी मनुष्यके भला होनेकी बात वह सुन पाता और विश्वास कर पाता तो उसपर वह मुग्ध हो उठता। वह ऐसा ही सरल था। उसका हृदय एक गरीब भोली गायके जैसा था। मैंने तो उसके व्यक्तित्वपर पापका एक छींटा भी नहीं पाया। उसकी-सी निर्दोष बुद्धि और शुद्ध हृदय तो अन्यत्र अलभ्य ही है। ऐसा एक खिलता हुआ गुलाब मुरझा गया है किन्तु उसकी महक आज भी शेष है। वह खुशबू आज भी हमारे मनमें समाई हुई है। भाई हुसेनके सम्पर्कमें जो भी व्यक्ति आये हैं उन सबके पास वह अपनी खुशबू छोड़ गया है। कुसंगति तो हुसेनको छू तक न पाई। एक बार श्री दाउद मुहम्मदने हुसेनको लिखा, "बेटा! विलायतके प्रलोभनोंसे बचते रहना और बुरी सोहबतके पास न फटकना।" इसका जो जवाब श्री हुसेनने दिया था वह मुझे याद है। "अब्बाजान! आप अपने पुत्रको नहीं पहचानते। कुसंग हुसेनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और न आपका यह पुत्र विलायतके किसी प्रलोभनमें फँस ही सकता है।" यह उसके जवाबका भावार्थ था। इतनी दृढ़ताके साथ लिखना हुसेनका ही काम था। वह स्वयं तो पारस-मणि था, कुधातुको छूदे तो कुधातु सोना हो जाये। यह सब लिखते हुए मैं कोई अतिशयोक्ति कर गया हूँ, पाठक ऐसा न मान बैठें, यह मेरी प्रार्थना है। और ऐसे सद्गुणोंके साथ ही भाई हुसेनके हृदयमें स्वदेशके प्रति प्रेमाग्नि सदैव

प्रज्वलित रहा करती थी। हिन्दुस्तानके उसने दर्शन तो नहीं किये थे, किन्तु उसका चित्र उसने अपने सपनोंमें खींच रखा था। यह नवयुवक भारत और भारतीयोंके लिए मरनेको सदैव तैयार रहता। उसके हृदयमें यह लगन समाई हुई थी कि भारतीय किस प्रकार आगे बढ़ें और उनका तेज प्रकट हो। मैं मानता हूँ कि वह एक कट्टर मुसलमान था परन्तु दूसरे धर्मोंके प्रति उसके मनमें तनिक भी तिरस्कार-भावना नहीं थी। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसी, सारे भारतीय उसकी निगाहमें एक-जैसे थे। उसके लिए तो इतना काफी था कि वे अच्छे मनुष्य हैं। भारतीय होनेके नाते वे सब उसके लिए भाईके समान थे। ऐसे गुणोंके आगारके गुजर जानेपर इस कथनको कि हम वैधव्यको प्राप्त हो गये हैं, कौन अतिशयोक्तिपूर्ण मानगा?

भाई हुसेनने दाउद मुहम्मद जैसे महान व्यापारीके यहाँ जन्म लिया था किन्तु उसे व्यापारके प्रति बचपनसे ही अरुचि थी। उसका इरादा शिक्षा प्राप्त करनेका हुआ। पिताने उसे मेरे पास फीनिक्स भेज दिया। वह शीघ्र ही सारे फीनिक्स-वासियोंका दुलारा बन गया। उसके सरल स्वभावकी सुगन्ध शीघ्र ही फैल गई। मेरे कुटुम्बमें तो वह ऐसा हिलमिल गया था कि मुझे मानो पाँचवाँ पुत्र ही मिल गया हो। कुछ-एक मास फीनिक्समें रहनेपर उसने मुझे लिखा, “मुझे फीनिक्स पसन्द है। मैं अपना जीवन यहीं बिताना चाहता हूँ; किन्तु अभी तो मेरी इच्छा विलायत जानेकी है। जैसा कि मैं कह ही चुका हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं वहाँ बिगड़ूंगा नहीं। अतः अब आप मुझे इजाजत दें और अब्बाजानसे भी इजाजत दिलवा दें।” फीनिक्स उसे पर्याप्त नहीं जान पड़ता था। उसे तो खूब अध्ययन करना था। उसे अपनी काव्य-शक्तिकी आज-माइश करनी थी। ‘है बहारे बागे दुनिया’ गज़ल लिखकर उसने मुझे भेजी थी। फीनिक्समें तो उसने यह गीत सबको सिखा दिया था। इस गीतकी अन्तिम पंक्तिमें “याद कर तू ऐ नजीर” के स्थानपर उसने ‘याद कर तू ए हुसेन’ लिखकर भेजा था। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि यह गज़ल मेरी लिखी हुई नहीं है किन्तु इसमें व्यक्त विचार अवश्य मेरे भी हैं। उसे तो नजीर बनना था। वह विलायत गया। उसका इरादा बैरिस्टर बननेका था। वह बैरिस्ट्री पढ़े यह मोह मुझे नहीं था, अतः मैंने उसे समझाया। उसने कहा यह सब आपके लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं। मुझे तो आप बैरिस्टर बन जाने दें। मैंने पूछा, “बैरिस्टर बनकर क्या करोगे भाई?” उसने कहा “सो आप देख लीजिएगा।” मेरे यह पूछनेपर कि “वकालत करके धन कमाना है?” — उसने ऊँचे स्वरमें कहा “जी नहीं!” जिसकी झनकार आज भी मेरे कानोंमें गूँज रही है। “मुझे तो देशसेवा करनी है। मैं वकील बनकर और ज्ञानोपार्जन करके फीनिक्समें रहूँगा और अपने देशवासी भाइयोंके दुःखमें हाथ बँटाऊँगा।” दाउद सेठने भाई हुसेनको विलायत भेजा। उसने वहाँ पहुँचते ही अध्ययन शुरू कर दिया और डट कर अभ्यास किया। लन्दनके पास एक सुन्दर मैदान है। वहाँ जाकर वह एकान्तमें बैठता और ध्यानस्थ हो जाता। उसकी यह स्थिति समाधिसे मिलती-जुलती होती। वह अपने प्रिय काव्योंमें लीन हो जाता। वहाँ बैठकर लिखी गई अपनी रचनाएँ वह कभी-कभी मुझे भी दिखाता। मैंने हुसेनकी एक दो रचनाएँ अंग्रेजी काव्यके मर्मज्ञोंको दिखाई और उन्हें वे पसन्द आईं। उन्होंने मुझे इस सम्बन्धमें बतलाया कि हुसेनमें काव्य-शक्तिके विकासके

बीज अवश्य मौजूद हैं। लन्दन जैसे शहरमें उसने एकान्तको पसन्द किया। जहाँतक मैं जानता हूँ, वह विलायतके लाखों प्रलोभनोंमें से किसी एकमें भी नहीं फँसा।

पर क्रूर काल भाई हुसेनके पीछे लगा हुआ था। मैं विलायतमें था तभी उसमें क्षयके लक्षण प्रतीत होने लगे थे। मैं चौंका। वायु-परिवर्तन किया गया। वहाँके अच्छेसे-अच्छे डॉक्टरकी सलाह ली गई, पैरिसके डॉक्टरको भी दिखाया किन्तु रोग तो घर कर चुका था। तबीयत कुछ सुधरी और फिर पलटा खा गई। हुसेनका तेज मुरझाने लगा। उसका जोश जाता रहा; कष्टने उसे घेर लिया। उसे जीनेकी बड़ी इच्छा थी; ऐशो-इशरतके लिए नहीं, मुल्ककी खिदमतके लिए। वह दक्षिण आफ्रिका आया। पुनः तबीयतमें सुधार दीख पड़ा। वह भारत गया। उसने वहाँसे लिखा, “मैं हिन्दुस्तानके महल देखने नहीं उसका दिल देखने आया हूँ और उसे देख रहा हूँ।” वहाँसे वह मक्का-शरीफ गया। वहाँ उसने अपना विशुद्ध हृदय खुदाके सामने खोल दिया। उसके दिल-पर हज-यात्राका बड़ा असर पड़ा। वहाँसे भेजे पत्रोंमें वह लिखता है, “जिस पैगम्बरने इस पवित्र स्थानमें दीनके लिए करोड़ों लोगोंमें प्रतिवर्ष हज करनेकी प्रेरणा भर दी है उसकी शक्ति कितनी अपार होनी चाहिए। उसकी पैगम्बरीमें भला किसे सन्देह हो सकता है? यहाँ आकर मेरा मन बहुत सुखी हुआ है।” इसके बाद वह इस्तम्बूल गया। वहाँ बलगेरियाकी लड़ाई चल रही थी। यहाँ हुसेन अपने पिता एवं दूसरे साथियोंका मित्र, मार्ग-दर्शक तथा परामर्शदाता बन गया। वहाँके बड़े-बड़े अधिकारियोंके मन भी उसने हर लिये और भारत तथा भारतीयोंका नाम उज्ज्वल किया। ये लोग एक नवयुवकपर क्यों मुग्ध हुए होंगे? मैं तो कहूँगा कि उसकी सत्यनिष्ठाके तेजके कारण। इसके बाद बाप-बेटे बिछुड़े। दाउद सेठ डर्बन आ गये। भाई हुसेनको विलायतमें अपनी शिक्षा पूरी करनी थी; लेकिन खुदाकी मर्जी कुछ और ही थी। [एकाएक हुसेनको खाँसीमें] खून आने लगा। तबीयत एकदम गिर गई। दाउद सेठको तार मिला कि वापस आ रहा हूँ। उन्होंने अपना सिर ठोक लिया और समझ लिया कि अवश्य ही हुसेनकी बीमारी भयंकर है अन्यथा वह वापस क्यों लौटता। बीमारीका यह दौर अन्तिम साबित हुआ। डर्बन आकर उसने जो खाट पकड़ी सो फिर उठ ही न पाया। अच्छेसे-अच्छे डॉक्टरोंका इलाज किया गया। स्वयं पिताने नर्सका कार्य किया। जैसी सेवा इस पिताने अपने पुत्रकी की वैसी सेवा करनेवाले बाप मैंने थोड़े ही देखे हैं। हुसेन तो दाउद सेठकी आँखकी पुतली था। वे रात-दिन [उसकी चारपाईके पास] उसे निहारते बैठे रहते। उन्होंने क्षणभरके लिए भी हुसेनको नहीं छोड़ा। परन्तु तकदीरके सामने तदवीर बेचारी क्या करती? किस्मत सदैव दो डग आगे चलती है और उसके ये डग कुछ ऐसे बड़े-बड़े होते हैं कि उन तक पहुँच पाना असम्भव है।

जब-जब मैं डर्बन जाता, तब-तब तीर्थ-स्थान समझकर कांगोला जाता। एक बार मैंने हुसेनकी आँखोंमें आँसू देखे। मैंने पूछा, “क्यों भाई मरना ठीक नहीं लगता?” हुसेनने मुसकराते हुए जवाब दिया, “मुझे मौतका डर नहीं है,” और तब रो पड़ा, “पर मैं कुछ भी तो कर नहीं पाया, मुझे देश-सेवा करनी है।” मैंने उसे यह कहकर दिलासा दिया, “भाई तूने तो देश-सेवा बहुत की है। हिन्द यदि तेरे जैसे जवानोंको जन्म दे तो उसकी दशा आज ही ठीक हो जाये। तू चल बसेगा तो भी मेरे लिए तो तू जीता

ही रहेगा। यह शरीर यदि ब्रेकाम हो गया है तो नष्ट हो जायेगा। रूह तो अमर है। मेरे खयालसे तो तुझे दूसरा, इससे भी भव्य, शरीर प्राप्त होगा और उससे भारतकी अधिक सेवा होगी।” पर हुसेनको इससे पर्याप्त धीरज नहीं आया। वह तो “जो हाथ सो साथ” का विश्वासी था। इसी देहसे वह कुछ करना चाहता था। उसने अपने सत्यका कुछ चमत्कार तो दिखाया था? अब और अधिक कितना दिखाता? दक्षिण आफ्रिकामें आजतक किसीकी भी श्मशान-यात्राको जो सम्मान नहीं मिला था वह हुसेनकी मयतको मिला। हजारों भारतीय बातकी-बातमें एकत्रित हो गये। मुसलमान, हिन्दू, ईसाई सब बड़ी संख्यामें उपस्थित हुए। उन्हें विशेष रूपसे कोई बुलाने नहीं गया था। सुनते ही स्वयं आ पहुँचे। हुसेनने अपनी मृत्युके अवसरपर सिद्ध कर दिया कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई — जिन्होंने भारतमें जन्म पाया था — सभी एक ही हैं। उस मंगलवारको इनमें कोई भेद दीख नहीं पड़ता था। उस भारतरत्नकी याददाश्तमें मद्रास, बम्बई और उपनिवेशमें जन्मे छोटे-बड़े सभी आ पहुँचे। श्री दाउद मुहम्मदके निवासस्थानके समीप विशेष ट्रामगाड़ियाँ आ-आ कर रुकने लगीं। दो घंटेके लिए भारतीयोंकी दूकानें बन्द हो गईं। निगमकी अनुमतिसे भारतीय बाजार भी दो घंटेके लिए बन्द रहा।

इस प्रकार भाई हुसेनने सत्यमय जीवन जीकर यह साबित कर दिखाया कि इस कठिन कलिकालमें भी सत्यकी ही जय होती है। हुसेन मरा नहीं है, वह तो अपने चरित्र की सुवासकी बदौलत जीवित रहेगा। हुसेनके गुणोंका वर्णन करते मेरी कलम थकती ही नहीं। उसके चरित्रकी उज्ज्वलताके अनेक उदाहरण मेरे मनमें आते रहते हैं। मेरा विश्वास है कि पाठकगण मेरे इस लेखके हेतुको समझ जायेंगे। सारे भारतीय हुसेन जैसे बनें। वयोवृद्ध हों या जवान — हिन्दू हों या मुसलमान — हम सभी भाई हुसेनके चरित्रका अनुकरण करें। उसकी स्मृतिमें, उसके पदचिह्नोंपर थोड़ा-सा भी चल पायें तो हममें से भेद-बुद्धि लोप हो जायेगी। हम सत्यकी ओर अभिमुख हों और अपना सर्वस्व देशको अर्पित कर दें। ता० १६ को भाई रुस्तमजी जब पुनः जेल जाने लगे तो भाई हुसेनसे मिलने गये; मरणशय्यापर पड़े हुए भाई हुसेनने कहा, “चाचा! आप तो जा रहे हैं, पर यदि रोगशय्यासे मैं उठ पाऊँ तो मैं भी जेलके लिए आपके साथ हो लूँ। यदि मुझे देशकी खातिर जेलमें मरना नसीब हो जाये तो क्या ही अच्छा हो!” ईश्वर करे भारतमें ऐसे सैकड़ों हुसेन जन्मे!

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१३

१५७. पत्र : मगनलाल गांधीको

टेंट्स

“माउंटेन व्यू”

पो० बॉक्स २४९३

जोहानिसबर्ग

आश्विन सुदी ३ [अक्टूबर २, १९१३]

चि० मगनलाल,

जोहानिसबर्गकी पाठशालाकी कोई रिपोर्ट या खबर आये तो उसे बिलकुल न छापना। हबीब मोटनको समाजसे निकालनेकी जरूरत है। अंग्रेजी सामग्री अधिक हो जाये तो विज्ञापनका जो अन्तिम पृष्ठ होता है उसे छोड़कर अंग्रेजीके पृष्ठ सात रखे जायें।

‘स्टार’ के कलके तारसे मालूम होता है कि स्त्रियोंने भी उपवास आरम्भ किया है। दुःखोंका अनुभव हितकर होता है।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

गुरुवार—प्रातः

तुम्हारा पत्र मिला। आज बाराह स्त्रियाँ गिरफ्तार होनेके लिए मैरिट्सबर्ग गई हैं। श्री कैलेनबैक उनके साथ गये हैं। अन्य दो स्त्रियाँ आज फेरी करनेपर पकड़ी गई हैं। जमनादासका पत्र निराशापूर्ण है। यह हुकम दे दिया गया है कि सदरा और कस्ती दे दी जायें और चेचकका टीका न लगाया जाये।

जमनादासको अकेला ही बुलानेके लिए तार देनेका विचार किया है। आज या कल तार दूंगा। लेख भेजे हैं। इसमें से जितना उपयोगमें लेना हो उतना ले लेना है।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५९०१) की फोटो-नकलसे।

१. अक्टूबर २।

२. राजू और विली मुरगन।

३. देखिए “पत्र : मगनलाल गांधीको”, पृष्ठ २३०।

४. यह उपलब्ध नहीं है।

21 MAY 1965

१५८. पत्र : ऑलिव डोकको

जोहानिसबर्ग

अक्तूबर ३, १९१३

प्रिय ऑलिव,

कुमारी श्लेसिन पहली व्यक्ति थीं जिन्होंने मुझे कल याद दिलाया कि मेरी आयु एक साल और घट गई। तुम्हारे पत्रने दूसरी बार यही याद दिलायी। मेरे जन्म-दिनको याद रखनेके लिए तुम्हें अनेक धन्यवाद।

माँको मेरी याद दिलाना और कहना कि यदि मैं उनसे मिलने नहीं आ सका हूँ तो उसका अर्थ यह नहीं कि मुझे परिवारकी सुख नहीं रहती। पिताजीको याद करनेके विशेष कारण हैं और उस यादके साथ-साथ तुम सबकी याद हो आई है। लेकिन माताजी जानती हैं कि मैं दिखावा पसन्द नहीं करता। जब कभी भी मेरी वहाँ जरूरत हो, या मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप सब मुझे उसकी आज्ञा दे सकते हैं।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू०५६५८) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : सी० एम० डोक।

१५९. प्रस्ताव : पाटीदार संघकी सभामें^३

जोहानिसबर्ग

अक्तूबर ५, १९१३

पाटीदार संघकी यह सभा निश्चय करती है कि उसकी रायमें 'ट्रान्सवाल लीडर' की यह खबर अनुचित और असत्य है कि भारतीय समाजका व्यापारी-वर्ग सत्याग्रहके विरुद्ध है और सम्भवतः समाजके केवल कुछ बहुत ही गरीब लोग संघर्षमें भाग लेंगे। यह सभा तन-मनसे आन्दोलनके साथ है और सरकारको भेजे गये श्री काछलियाके पत्रसे सहमत है। वह आन्दोलनमें धन और जनकी सहायता देनेका जिम्मा लेती है और सरकारसे प्रार्थना करती है कि वह समाजकी उचित माँगोंको स्वीकार करके, जो लोग जेल जा चुके हैं उनके कष्टोंको समाप्त करे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-१०-१९१३

१. पादरी जे० जे० डोककी पुत्री।

२. इस सभामें गांधीजीने भाषण दिया था। उसके बाद कुछ भारतीयोंने तत्काल जेल जानेका निश्चय प्रकट किया। किन्तु गांधीजीके भाषणकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। सभामें जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया उसका मसविदा अनुमानतः गांधीजीका तैयार किया हुआ था।

१६०. पत्र : मगनलाल गांधीको

[जोहानिसबर्ग]

रविवार, [अक्टूबर ५, १९१३]^१

चि० मगनलाल,

आज मैं तुम्हें कुछ अधिक-सी सामग्री भेज रहा हूँ। उसे पूरी-पूरी छापनेके सिवा चारा नहीं है। आजकी सभा बहुत अच्छी हुई। सत्याग्रह निधिमें पौंड २२-७-६ की प्राप्ति स्वीकार करना; “पाटीदार मण्डल (जोहानिसबर्ग) की ओरसे”^२—ऐसा लिखना। रिपोर्टमें सारे नाम देने चाहिए।^३ उनसे मैंने कह दिया है कि नाम दिये जायेंगे। जाफर का तार आया है। मालूम होता है कि शायद यही गज्जर है। क्योंकि गज्जरने फिर यहाँ तार भेजे हैं। तुम्हारे उत्साहके सम्बन्धमें मुझे इतना ही कहना है कि अपनी तबीयत सम्भालना। रस्तमजी सेठसे कस्ती छीन ली गई है—इस सम्बन्धमें की गई रिपोर्ट वहाँसे ही ली जाये, ऐसा मुझे भी लगता है।

सोलह-वाली टुकड़ी अपनी टेक रखेगी।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ४३६५) की फोटो-नकलसे।

१६१. व्रतका महात्म्य

किसी कार्यको करनेका निश्चय किया जाये और उसे करनेमें प्राणों तक के जानेकी नौबत आ जाये तो प्राण चले जाने दिये जायें, इसे व्रत कहा जाता है। इस प्रकारके व्रत लेनेकी टेव प्रत्येक मनुष्यको डालनी चाहिए। इससे मनुष्य दृढ़ [मनोवृत्तिवाला] बन सकता है और महान् कार्य करनेमें समर्थ होता है। सरल और सादे व्रतोंके बाद मनुष्य आगे चलकर कठिन व्रत ले सकता है। प्रतीत होता है कि ऐसा ही [कठिन व्रत] कांगोके हबिशियोंने लिया है। पिछले तीन वर्षोंसे गोरे लोग वहाँके हबिशियोंसे रबर निकलवानेकी जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। परन्तु उन लोगोंका कहना है कि हमारे बाप-दादोंका यह संकल्प है कि वे ज़ोंसे रबर बटोरनेका काम न किया जाये। इसलिए अब वे उस संकल्पको तोड़ नहीं सकते। वचन [पालन] के लिए मनुष्यने अनेक कष्ट भोगे हैं, इसके अनेक उदाहरण इतिहासमें मिलते हैं। सत्याग्रह धारण करना भी एक महान् व्रत है। जो [व्रत] लिया गया है वह प्राणके साथ ही जा सकता है, यही इसकी खूबी है। इसीसे कहा जा सकता है कि सत्याग्रहमें हार तो होती ही नहीं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-१०-१९१३

१. इसी तारीखको पाटीदार संवकी सभा हुई थी; देखिए पिछला शीर्षक।

२ और ३. यह इंडियन ओपिनियन ८-१०-१९१३ और १५-१०-१९१३ के अंकोंमें प्रकाशित किया गया था।

१६२. पत्र : जेल-निदेशकको'

[जोहानिसबर्ग]

अक्टूबर ९, १९१३

[महोदय,]

जोहानिसबर्गके फोर्ट जेलमें पिछले सप्ताह अपनी सजा पूरी करनेवाले, सर्वश्री मेढ और अन्य ब्रिटिश भारतीय सत्याग्रहियोंकी शिकायत है कि डॉ० विसरने उनके साथ अकारण ही अत्यन्त असभ्य और अपमानजनक व्यवहार किया था। डॉक्टरकी परीक्षाके लिए उनसे दूसरे कैदियोंके सामने ही बिलकुल नंगा होनेको कहा गया। उन्होंने डॉक्टरसे सादर निवेदन किया कि ऐसा करना उनकी नैतिकता और शिष्टताकी भावनाके विरुद्ध है, किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि एक अलग कमरेमें उनकी परीक्षा की जाये तो उसके लिए वे तैयार हैं। इस निवेदनपर डॉ० विसर भभक उठे और उन्होंने अत्यन्त अपमानजनक शब्दोंका प्रयोग किया। उनके शब्द थे : " . . . कुली लोग "। डॉक्टरने उनपर अवज्ञाका आरोप भी लगाया, परन्तु मेरी समितिको सूचित किया गया है कि इस आरोपपर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जेल सुपरिन्टेन्डेन्टसे इसकी शिकायत करनेपर उनकी परीक्षा अलगसे की गई। समितिको आशा है कि इस शिकायतकी जाँच कराई जायेगी और ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिससे आगेसे कोई अफसर किसी [साधारण] कैदीसे भी वैसी भाषाका प्रयोग न कर सके, कहा जाता है, जिसका प्रयोग डॉ० विसरने किया।

इन रिहा सत्याग्रहियोंने यह भी शिकायत की है कि उनको भोजनके साथ पहलेकी भाँति न तो घी दिया गया था और न कोई वनस्पति तेल। मेरी समितिकी जानकारीके अनुसार उनको भोजनमें भात, मकईका दलिया, सब्जियाँ और थोड़ी-सी रोटी दी जाती है। निवेदन है कि हमारी समितिने पिछले सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान ही यह सिद्ध कर दिया था कि मानव-शरीरको स्वस्थ रखनेके लिए थोड़ा-बहुत घी और वनस्पति तेल नितान्त आवश्यक है। मेरी समितिकी जानकारीके अनुसार वतनी कैदियोंको अब भी उनकी खुराकमें एक वक्त चर्बी दी जाती है। इसीलिए सादर निवेदन है कि मांस या चर्बी न खा सकनेवाले ब्रिटिश भारतीय कैदियोंको पहलेकी भाँति ही प्रतिदिन एक औंस घी देनेके आदेश जारी कर दिये जायें।

आपका,

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-१०-१९१३

१. इस पत्रके साथ ही समाचारपत्रोंको भेजा गया ७ अक्टूबरका वह पत्र भी प्रकाशित किया गया था जिसमें सुरेन्द्र बी० मेढ, प्रागजी के० देसाई और मणिलाल गांधीने सम्पादकोंसे अनुरोध किया था कि वे उनके साथ किये गये पाशविक व्यवहारके विरोधमें आवाज उठाये।

१६३. एक अधिकृत वक्तव्य

भारतीय सत्याग्रह आन्दोलनकी वर्तमान स्थिति निम्नलिखित वक्तव्यम स्पष्ट की गई है। इसे अधिकृत रूपसे रायटरकी एजेंसी और प्रेसको भेजा गया है। भारतीय समाजकी मांगें ये हैं :

(१) तीन पौंडका वह सालाना कर हटाया जाये जो भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयों— मर्द, औरत और बच्चों— को नेटालमें दुबारा गिरमिटसे मुक्त रहनेकी कीमतके रूपम देना पड़ता है।

(२) (क) संघके विवाह-कानूनमें एक ऐसा संशोधन किया जाये जिससे भारत अथवा दक्षिण आफ्रिकामें हिन्दू और मुस्लिम धर्ममें निर्धारित रीतियोंसे सम्पन्न भारतीयोंके एकपत्नी-विवाहोंकी वैधता मान ली जाये। यद्यपि ये दोनों ही धर्म बहुपत्नी-विवाह प्रथाकी अनुमति देते हैं, तथापि आंकड़ोंसे जाहिर होता है कि केवल एक प्रतिशत भारतीय विवाह बहुपत्नीवाले होते हैं।

(ख) पहलेसे अधिवासी भारतीयोंकी मौजूदा एकाधिक पत्नियों (जो कुल मिलाकर १०० से अधिक नहीं हैं) और उनके बच्चोंको सरकार प्रवेश करने दे। संघके उद्घाटनके वक्त ऐसी ही स्थिति थी। यह मांग नहीं है कि बहुपत्नी-प्रथाको कानूनी मान्यता दी जाये।

(३) दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंको केप प्रान्तमें प्रवेशका अधिकार फिर हासिल हो। यह अधिकार उन्हें प्रवासी विधेयक पेश होनेके समय प्राप्त था और उसे बने रहने देनेका अर्थ व्यवहारतः इतना ही होगा कि नेटाल और ट्रान्सवालसे प्रतिवर्ष केपमें मुश्किलसे एक दर्जन भारतीय प्रविष्ट होंगे।

(४) सरकार कहती है कि प्रवासी-अधिनियममें कोई जाति-भेद नहीं है। अतएव सरकारको यह स्वीकार कर लेना आवश्यक है कि फ्री स्टेटकी सरहदपर कानूनन किसी भारतीयसे ऐसा शिनाख्ती-ज्ञापन नहीं मांगा जायेगा जिसे देना किसी यूरोपीयके लिए उतना ही आवश्यक न हो। कार्य-रूपमें इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय अवश्य ही फ्री स्टेटमें प्रवेश करेंगे ही, इसका इतना ही अर्थ होगा कि कोई भारतीय प्रवेश करे तो उसपर जमीन रखने तथा खेती-बाड़ी और व्यापार करनेका निषेध लागू होगा।

(५) एक घोषणा की जाये कि मौजूदा कानून, जैसे कि ट्रान्सवालका स्वर्ण-कानून और कस्बा-अधिनियम, केप और नेटालके परवाना कानून और प्रवासी अधिनियम आदि, के अमलमें उदारतासे काम लिया जाये और निहित अधिकारोंका उचित ध्यान रखा जायेगा। सरकारकी नीति, उदाहरणके लिए, यह है कि जो भारतीय अधिक समय तक प्रान्तसे गैर-हाजिर रहे हों, उनके पास पूर्व अधिवासके समुचित प्रमाण होनेके बावजूद उन्हें अपने-अपने प्रान्तोंमें पुनः प्रवेश करनेसे रोक दिया जाये। यह स्थिति असहनीय है।

पहलेवाले मुद्देपर श्री गोखलेसे एक निश्चित वादा किया गया था। बाकी सवाल १९११ के अस्थायी समझौतेसे पैदा होते हैं।

भारतीय क्या नहीं चाहते

भारतीय बराबरीके राजनीतिक अधिकारोंके लिए नहीं लड़ते। वे मानते हैं कि वर्तमान पूर्वग्रहको देखते हुए भारतसे आनेवाले नये प्रवासियोंकी संख्या अत्यन्त सीमित कर दी जानी चाहिए किन्तु साथमें ऐसी व्यवस्था रहे कि प्रतिवर्ष भारतीय समाजकी जो क्षति हो उसकी पूर्तिके लिए पर्याप्त संख्यामें और लोग प्रवेश कर सकें।

सत्याग्रह

चूँकि प्रार्थनाओंसे, आवेदनोंसे या बातचीतसे कोई भी राहत नहीं मिल सकी, अतः १५ सितम्बरको समाजके बारह आदमी और चार औरतोंका एक जत्था फोक्सरस्टमें अपनेको गिरफ्तार करानेके लिए नेटालसे खाना हुआ ; इस प्रकार उस दिन भारतीयोंने सत्याग्रहका आरम्भ किया।

आन्दोलन फैल रहा है। ३५ सत्याग्रही जेलमें पहुँच चुके हैं—यह संख्या उससे बड़ी है जो पहलेवाले दो आन्दोलनोंके आरम्भमें थी या जब १९११ के अस्थायी समझौतेके फलस्वरूप सत्याग्रह स्थगित हुआ था। प्रतिदिन बड़ी संख्यामें आदमी और औरतें गिरफ्तारीके लिए आगे आ रहे हैं। कई औरतें अपने साथ बच्चोंको ले गई हैं क्योंकि वे या तो अभीतक ऊपरका दूध नहीं पीते, या उनकी देखभाल और ढंगसे नहीं हो सकती। गिरफ्तारीके लिए लोग सरहद पार करते हैं या बिना परवाना फेरी लगाते हैं, या परवाना या अनुमतिपत्र दिखानेसे इनकार करते हैं और या अन्य ऐसे नागरिक नियमोंको भंग करते हैं जिनसे नैतिक नियमोंका उल्लंघन न होता हो। फ्री-स्टेटकी सरहद अछूती छोड़ दी गई है क्योंकि जहाँतक बचाया जा सके जनमतको भड़कानेका कोई मन्शा नहीं है और यह दिखानेकी पूरी इच्छा है कि भारतीय फ्री-स्टेटके पूर्वग्रहोंका आदर करना चाहते हैं। आन्दोलनमें यह भी होगा कि गिरमिटिया भारतीयोंको तबतकके लिए काम स्थगित करनेकी सलाह दी जाये जबतक कि तीन पौंडवाला कर हटा नहीं लिया जाता। गिरमिटिया भारतीयोंको आम संघर्षमें भाग लेनेके लिए नहीं बुलाया जायेगा। श्री गोखलेको दिये गये उस वायदेके आधारपर, जिसपर लॉर्डसभाका ध्यान लॉर्ड ऐंम्टहिल द्वारा खींचा गया था, भारतीय नेताओंने इन आदमियोंको सभाओंमें हजारों लोगोंके सामने आश्वासन दिया था कि संसदके विगत अधिवेशनमें कर समाप्त कर दिया जायेगा। सत्याग्रहियोंकी माँगोंके समर्थनमें केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लन्दन, वुडस्टॉक, डर्बन, मैरित्सबर्ग, टोंगाट, वेस्लम और जोहानिसबर्गमें (ट्रान्सवालके सभी मुख्य शहरोंकी ओरसे) सभाएँ की गई हैं और इसी प्रकारकी सभाएँ अन्य केन्द्रोंमें भी की जा रही हैं।

राहत देनेका रास्ता

यदि सरकार राहत देना चाहती है तो विवाह तथा तीन पौंडी करके मामलेमें नया कानून बनाना जरूरी होगा। बाकी सब मुद्दे, बिना कानून बनाये, आसानीसे थोड़ा हेर-फेर करके सुलझाये जा सकते हैं। विवाहकी समस्या प्रवासी कानूनमें संक्षिप्त संशोधन

द्वारा हल की जा सकती है और उससे संघके सामान्य विवाह कानूनमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-१०-१९१३

१६४. पत्र : हरिलाल गांधीको

[डर्बन]

आश्विन बदी २ [अक्टूबर १७, १९१३]^१

चि० हरिलाल,

तुम्हारा पत्र नहीं मिला इससे मनमें दुःख होता है। तुमने इस सम्बन्धमें आलस्य करके दुहरा अपराध किया है। बापके प्रति इतना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। इसमें भूल करना पहला अपराध है, और तुमने नियमपूर्वक पत्र लिखनेका वचन दिया है सो उसे भंग करना दूसरा अपराध है। तीन डाकें आ चुकी हैं; किन्तु एकमें भी तुम्हारा पत्र नहीं आया है। भाई सोराबजी^२ और रतनसी^३ तुम्हारे बाद गये हैं; उनके पत्र तुम्हारी अपेक्षा अधिक आये हैं। चंची तुमसे अधिक पत्र लिखती है। तुम्हारा पत्र न आनेसे बा भी दुःखी होती है।

तुम दोनों गिरफ्तार होनेके लिए आ सकते हो। चंची लड़ाईके दिनोंमें तभी आये जब उसमें जेल जानेका साहस हो। तुम्हें परीक्षाकी राह न देखनी चाहिए, मैं अपनी यह सलाह तो दे ही चुका हूँ। यदि तुम्हारी अपनी ही इच्छा हो तो मैं बाधा डालना नहीं चाहता। पैसा डॉक्टरसे^४ ले लेना। सम्भव है जब तुम आओ तब मैं जेलमें होऊँ। मेरा खयाल है कि मैं किसी-न-किसी तरह गिरफ्तार हो जाऊँगा।^५ मैं वैसे प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि तुम्हें यह पत्र पहुँचनेसे पहले समझौतेका समाचार मिल जाये तो तुम्हारे आनेकी आवश्यकता न रहेगी।

मेरी कामना है कि तुम नीरोग और निश्चिन्त रहो।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३७) की फोटो-नकलसे।

१. इसमें जेल जानेका उल्लेख है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह १९१३ में लिखा गया होगा।
२. सोराबजी शापुरजी अडाजानिया, देखिये खण्ड १०।
३. सोदा, देखिये खण्ड १०
४. डॉक्टर प्राणजीवन मेहता।
५. गांधीजी नवम्बर ७, १९१३ को गिरफ्तार किये गये थे।

१६५. भेंट : ईवनिंग क्रॉनिकलको

[जोहानिसबग

अक्तूबर १७, १९१३ के बाद]

श्री फिशरके वक्तव्यके सम्बन्धमें 'ईवनिंग क्रॉनिकल' (जोहानिसबग) के संवाददाताके भेंट करनेपर श्री गांधीने कहा कि संसदके पिछले अधिवेशनमें माननीय श्री फिशर यही कहते रहे कि जबतक सत्याग्रहकी बात की जाती है, वे कुछ नहीं बेंगे। किन्तु वे देते रहे। उन्होंने अपनी यह धमकी भी वापस ले ली कि यदि भारतीयोंने अधिक अच्छा व्यवहार पानेकी अपनी माँग वापस न ली तो वे विवाह-सम्बन्धी धारामें किया गया मामूली-सा संशोधन भी वापस ले लेंगे। अपनी उस धमकीके बावजूद श्री फिशरने सीनेटमें उसी संशोधनको स्वीकार कर लिया जिसे भारतीयोंने सुझाया था। इसलिए मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि श्री फिशरकी बातोंको महत्व नहीं देना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३

१६६. कुलसम बीबीका मुकदमा

इस मुकदमेकी अपील अदालतमें ले जानेकी हलचल डर्बनमें चल रही है। इसके लिए रुपया इकट्ठा करनेके उद्देश्यसे एक बाइस्कोपका प्रदर्शन भी किया गया है। मुकदमेका ऊपरकी अदालतमें जाना ठीक ही है। किन्तु इससे कोई विशेष लाभ होगा, समाजको ऐसा मान लेनेका कारण नहीं है। मुकदमा हमारे विरुद्ध भी जा सकता है और हमारे पक्षमें भी। यदि इसका परिणाम शुभ हो तो भी जिस स्त्रीका विवाह दक्षिण आफ्रिकामें सम्पन्न हुआ है वह तो खेल ही मानी जायेगी, यह स्मरण रखना चाहिए। इसलिए जो लोग इस संघर्षको समझते हैं उन्हें चाहिए कि वे उसमें तनिक भी ढील

१. लन्दनमें रायट्रके संवाददाता द्वारा भेंट करनेपर श्री फिशरने कहा था: " भारतीयोंसे सम्बन्धित मामले मेरे विभागके सुपुर्दे हैं और किसी महत्त्वपूर्ण मुद्देके सम्बन्धमें कानूनको बदलना असम्भव है। सच तो यह है कि दक्षिण आफ्रिकामें लोगोंकी भावना कानूनको और कठोर बनानेके पक्षमें है। सरकार कानूनको ज्योंका-त्यों कायम रखकर सन्तोष करेगी। भारतीयोंकी माँग पूरी करनेके लिए जहाँ सम्भव होगा हम प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे; किन्तु दक्षिण आफ्रिकाकी जनभावना और आवश्यकताओंका तो ध्यान रखना ही होगा। इसलिए भारतीयोंको अपने हितकी दृष्टिसे कुछ सावधान और नरम होना चाहिए। कोई अस्थायी व्यवस्था तभी सम्भव है जब भारतीय सैद्धांतिक प्रश्नोंको छोड़ दें और एक व्यावहारिक रवैया अपनाएँ। "

न आने दें। इस संघर्षको निरन्तर चलानेमें ही कल्याण है। कोई भी देख सकता है कि सभी हमारी माँगोंको वाजिब मानते हैं। इसका एक ताजा उदाहरण संसद-सदस्य श्री ऑरका है। श्री ऑरने मैरिक्सबर्गमें भाषण देते हुए कहा कि तीन-पौंडी कर रद्द किया जाना चाहिए और विवाहोंके सम्बन्धमें भी हमारे प्रति पूरा न्याय किया जाना चाहिए। अदालत चाहे जो अर्थ करे; किन्तु संसद तो साफ-साफ समझती थी कि जिस व्यक्तिके एक पत्नी है, उस एक पत्नीको लानेमें उसे अड़चन नहीं होनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-१०-१९१३

१६७. तार : गो० कृ० गोखलेको

जोहानिसबग

अक्टूबर २२, १९१३'

गोखले

पूना

लगभग सौ कैद। नेटाल कोयला खानोंमें लगभग दो हजार गिरमिटिया और स्वतंत्र मजदूर परिवार हड़तालपर। तीन पौंडी करको रद्द करनेके सरकारी वचनके बाद ही हड़ताली कामपर लौटेंगे। उनसे आम संघर्षमें शामिल होनेको नहीं कहा गया। कुछ अत्यन्त वीर महिलाओं सहित लगभग सौ व्यक्ति गिरफ्तारीके लिए अधीर। हड़ताल मुख्यतया उनके ही प्रस्तावके कारण। सीमा पार करते हुए गिरफ्तार न होनेपर वे घूम-घूमकर मजदूरोंको स्थितिसे अवगत करते रहे हैं। बहुधा मारपीटकी सीमा तक बढ़ जानेवाली उत्तेजनाके बावजूद बल या प्रतिहिंसापूर्ण कार्रवाई नहीं। अन्य कोयला खानोंमें हड़ताल फैलनेकी सम्भावना। अधिकाधिक यूरोपीयोंकी राय कर रद्द करनेके पक्षमें होती जा रही है। 'यूनियनिस्ट' दल सम्भवतः इस आशयका अधिकृत प्रस्ताव पास करे कि संघर्षका प्रभाव बढ़ रहा है। पोलक न्यूकैसिलमें हैं, गुरुवारको डर्बन पहुँचेंगे।

गांधी

मूल अंग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४८४५) की फोटो-नकलसे।

१. लगता है कि इस तारका मसविदा अक्टूबर २१ को तैयार किया गया था लेकिन इसे भेजा दूसरे दिन गया था; देखिए अगला शीर्षक।

१६८. तार : गो० कृ० गोखलेको

जोहानिसबर्ग
अक्टूबर २२, १९१३

गोखले
पूना

कलके तारमें उल्लिखित महिलाओंमें से ग्यारह महिलाओंको छः शिशुओं सहित न्यूकैसिलमें हड़तालियोंसे बात करनेपर आवारागर्दीका आरोप लगाकर तीन माहकी सख्त कैद।

गांधी

मूल अंग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४८४६) की फोटो-नकलसे।

१६९. भेंट : 'रैंड डेली मेल' को

[जोहानिसबर्ग
अक्टूबर २२, १९१३]

भारतीयोंकी जो सार्वजनिक सभा गत रविवारको डर्वनमें हुई थी, उसके सम्बन्धमें श्री मो० क० गांधीने कल 'मेल' के एक प्रतिनिधिसे कहा कि जो विवरण एक स्थानीय समाचारपत्रमें छपा है वह अधूरा है और गलत भी। उन्होंने कहा कि यह सच है कि सभामें गड़बड़ी मची थी और मन्त्रियोंमें से एकने, अपना त्यागपत्र देते समय, एक लम्बा वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्यमें मेरी बड़ी निन्दा की गई थी और यह कहा गया था कि मैंने जो कुछ भी काम गत २० वर्षोंमें किया है वह न केवल बिल्कुल बेकार है, बल्कि भारतीय समाजके लिए बहुत हानिकारक भी है; यहाँतक कि उस मन्त्रीके विचारसे मैं भारतीय समाजको दासताके पाशमें बांधनेमें सहायक हुआ हूँ।

[गांधीजी :] मेरा अपना खयाल तो यह है कि उस सभामें उपस्थित व्यक्तियोंमें से कुछको छोड़कर और किसीने उस व्यक्तिकी बातपर विश्वास नहीं किया होगा। परन्तु मैंने देखा कि वहाँ आपसी फूटके तत्त्व मौजूद थे और दोनों पक्ष उत्तेजित होते जा रहे थे।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. ये महिलाएँ थीं : श्रीमती भवानी दयाल, श्रीमती थम्बी नायडू, श्रीमती एन० पिल्ले, श्रीमती के० एम० पिल्ले, श्रीमती ए० पी० नायडू, श्रीमती पी० के० नायडू, श्रीमती के० सी० पिल्ले, श्रीमती एन० एस० पिल्ले, श्रीमती रामलिंगम. कुमारी एम० पिल्ले और कुमारी एम० बी० पिल्ले।

३. अक्टूबर १९।

मुझे लगा कि ऐसी परिस्थितिमें सभाको समाप्त करा देना ही सबसे अच्छा मार्ग होगा इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदयसे निवेदन किया कि सभा खत्म कर दी जाये। उन्होंने फौरन ही सभा भंग कर दी। सभामें मचाई गई वह गड़बड़ी वास्तवमें भारतीय समाजके अन्दर दरार डालनेकी कोशिश थी, और उसका सत्याग्रहके प्रश्नसे कदापि कोई सम्बन्ध नहीं था क्योंकि मेरे खयालसे, सत्याग्रहके सम्बन्धमें कोई मतभेद न था। ऐसे बहुतसे सवाल खड़े कर दिये गये थे जिनका वर्तमान संघर्षसे कोई सरोकार नहीं था।

इस सभाके विसर्जित हो जानेके पश्चात् उक्त मन्त्रीके कामको नापसन्द करनेवालोंने तुरन्त एक जुलूस निकाला; रस्तमजीके यहाँ एक सभा हुई जिसमें एक नया संगठन खड़ा किया गया। भारतीय समाजके दो अत्यन्त प्रतिष्ठित मुसलमान सज्जन, श्री दाउद मुहम्मद और श्री उमर हाजी आमद झवेरी, क्रमशः उसके अध्यक्ष और मन्त्री चुने गये। इस सभामें वर्तमान संघर्षका समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया। चन्दा भी किया गया ताकि गिरफ्तार होनेके लिए श्री गांधीके साथ जानेवाले सत्याग्रहियोंका किराया-भाड़ा इत्यादि चुकाया जा सके। उपस्थित लोगोंमें बहुत उत्साह था और ऐसा विश्वास था कि इस संगठनमें वे सब भारतीय शामिल होंगे जो बहुत शान्तिप्रिय और सन्तुलित विचारोंवाले हैं। व्यक्तिगत रूपसे मेरा खयाल है कि यदि यह नया संघ [सत्याग्रहकी] शुद्ध प्रणालीसे चलाया जायेगा तो इस संगठनके, यहाँतक कि इस संघर्षके, विरोधी समझे जानेवाले व्यक्ति भी अन्ततोगत्वा आकर इसमें मिल जायेंगे। यह बात कि नेटालमें इस आन्दोलनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं इस बातसे प्रमाणित होती है कि जेल जानेवालोंकी सबसे बड़ी संख्या नेटालसे ही आई है। आज मरित्सबर्ग और न्यूकैसिल जेलोंमें लगभग १०० भारतीय हैं। इनमें से अधिकांश व्यक्ति नेटालके ही हैं और उनमें भारतीय समाजके प्रत्येक वर्गके लोग हैं।

इसके अलावा नेटालमें एक हड़ताल भी चल रही है; लक्षण ऐसे नजर आ रहे हैं कि आगे चलकर यह बहुत बड़ी हड़तालका रूप धारण कर लेगी। अभीतक इस हड़तालका प्रभाव छः खदानोंपर पड़ा है। और हड़ताली भारतीयोंकी संख्या २,००० है। मैं यह भी कह दूँ कि मैंने आशा की थी कि हड़ताल तो होगी ही, परन्तु यह आशा न की थी कि लोग इस तरह आकर इतनी बड़ी संख्यामें, और खुद अपनी मर्जीसे ही हड़ताल कर देंगे।

जैसा कि लोगोंको मालूम ही है, वेरीनिंगिंगमें जिन स्त्रियोंने अपनेको गिरफ्तार करानेकी कोशिश की थी वे वहाँ असफल रहीं, और वे सीमा-पार करके नेटालके अन्दर दाखिल हो गईं; वहाँ भी उन्हें रोका-टोका नहीं गया। जब वे नेटालमें प्रविष्ट हुईं, उस समय उनसे आठ पुरुष भी आ मिले जिनमें से किसीको नेटालकी सीमापर पकड़ा नहीं गया था। तब उनसे यह कहा गया कि वे न्यूकैसिल जायें और वहाँ पहुँचकर खदानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंको स्थिति समझाते हुए उन्हें हड़ताल करनेको प्रेरित करें और कहें कि जबतक भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयों, उनकी पत्नियों और उनके बच्चोंसे वसूल किया जानेवाला तीन पौंडी सालाना कर हटानेका वचन न मिल जाये तबतक हड़ताल जारी रखें।

इन बहादुर स्त्रियोंकी, जिन्होंने कभी संकट नहीं झेले थे, और जिन्होंने कभी सार्वजनिक सभाओंमें व्याख्यान नहीं दिये थे, उपस्थितने बिजली-जैसा काम कर दिखाया और खनिकोंने हड़ताल कर दी।

हड़ताल शुद्ध सत्याग्रहकी पद्धतिसे चलाई जा रही है और हड़तालियोंको हिदायत कर दी गई है कि वे किसी भी हालतमें बदला लेनेकी भावनासे या अपनी शरीर-रक्षाके लिए शरीर-बलका प्रयोग न करें। मैं उस व्यक्तिसे मिला जिसे डैनहॉजरमें कल बड़ी निर्दयतापूर्वक पीटा गया था। उसका कहना है कि वह पानी लेने गया था और उस अहातेके एक प्रबन्धकने उसे मारा। यह व्यक्ति काफी तगड़ा है और अपनी रक्षा करनेमें पूर्णतया समर्थ है परन्तु उपर्युक्त आदेश जारी हो जानेके कारण उसने अपनी रक्षा नहीं की और बिना चूँ किये सख्त मार सहता रहा। अब उसकी देख-भाल न्यूकैसिलमें की जा रही है। अवश्य ही इस मामलेमें वह अपना बयान देगा। अलबता यह मामला अपने ढंगका अकेला नहीं है।

इस समय हम लोग मारपीट, अपमान इत्यादि सब-कुछ सहन कर रहे हैं। लोगोंसे हम हड़ताल करनेको इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकारके प्रदर्शनके द्वारा तीन-पाँड़ी करका खात्मा कराया जा सकता है। संसदके पिछले सत्रके अवसरपर यह कहा गया था कि नेटालमें गिरमिटिया मजदूरोंका उपयोग करनेवाले उद्योग-मालिकोंमें से अधिकांश इस करके समाप्त किये जानेके खिलाफ हैं। मेरा खयाल है कि इस करको हटा देनेमें इन्सानियतकी जो भावना है वह इन मालिकोंके दिलोंमें एक ही तरीकेसे जमाई जा सकती है और वह यह है कि मजदूर लोग हड़ताल करें। ज्यों ही सरकार इस बातका वादा करनेको तैयार हो जायेगी कि संसदके आगामी सत्रमें इस करको हटा दिया जायेगा, हड़ताली लोग कामपर जाने लगेंगे। यदि उसने इस प्रकारका वादा किया तो लॉर्ड एंम्टहिलके शब्दोंमें, वह केवल अपने उस वचनको पूरा करेगी जो उसने श्री गोखलेको, मन्त्रियों और उनके बीच होनेवाले वार्तालापके अवसरपर, दिया था।

मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि सरकार इस बातसे अनभिज्ञ न थी कि हड़ताल भी हमारे कार्यक्रमका एक अंग है। मैंने सरकारको इसी आशयका एक पत्र भी २८ सितम्बरको भेजा था।^१

[अंग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल, २३-१०-१९१३

१. देखिए "पत्र: गृह-सचिवको", पृष्ठ २०७-०८। हड़तालकी स्थितिके बारेमें सरकारी दृष्टिकोण उस खरीतेमें सन्निहित है जो गवर्नर जनरलने उपनिवेश कार्यालयको २३ अक्टूबर, १९१३ को लिखा था। देखिए परिशिष्ट ९।

२. इस रिपोर्टका अन्तिम भाग रैंड डेली मेलकी निम्नलिखित टिप्पणी है: "... जिन स्त्रियोंका उल्लेख ऊपर किया गया है वे न्यूकैसिलमें गिरफ्तार कर ली गई हैं। हड़ताल बढ़ती जा रही है। यह अब नेटालमें कोयलेकी खानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि गन्नेके खेतों और चायबागानों तथा रेलवे तकमें फैलती जा रही है।"

१७०. तार : जनरल बोथाको

[न्यूकैसिल

अक्तूबर २३, १९१३के पूर्व]

हमने सुना है कि आपने कोयला खानोंके मैनेजरोंसे कहा कि भारतीयोंको आम संघर्षके लिए ही हड़तालकी सलाह दी गई है और यह कि स्वार्थ-मय उद्देश्योंसे हड़तालियोंको धोखेमें डाला गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई इरादा न कभी था और न है। हड़तालकी सलाह केवल तीन पाँडी करके सम्बन्धमें दी गई है। यह कदम इसलिए जरूरी हुआ कि इसे रद्द करनेका जो वचन माननीय गोखलेको दिया गया था, वह पूरा नहीं किया गया। साथ ही यह प्रदर्शन गत सत्रमें दिये गये सरकारके इस वक्तव्यके प्रति भी विरोध प्रकट करता है कि नेटालके अधिकांश मालिक करके रद्द किये जानेके खिलाफ हैं। यदि सरकार अगले अधिवेशनमें रद्द करनेका वचन दे सकें तो हड़तालियोंको कामपर जानेकी सलाह दे दी जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३

१७१. तार : अखबारोंको^१

[न्यूकैसिल

अक्तूबर २३, १९१३]

हम हड़तालियोंको यह सलाह दे रहे हैं कि वे खानें छोड़कर अपनेको गिर-फ्तार करायें, और गिरफ्तार न हो सकें, तो फोक्सरस्टको कूच करें। हम जब काम नहीं करते तो खानोंकी खुराकपर निर्वाह करना अनुचित समझते हैं। आन्दोलनके तुरन्त आरम्भ होनेकी सम्भावना।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९१३

१. यह जोहानिसबर्गसे भेजे गये राष्ट्रके एक तारका अंश है। इसके अनुसार गांधीजीने यह कहा था कि भारतीयोंने और भी खानोंमें हड़ताल कर दी है और इनमें से बहुतसे गिरफ्तार कर लिये गये हैं। देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४१ भी।

१७२. पत्र : गृह-मन्त्रीको

[जोहानिसबर्ग]
अक्तूबर २३, १९१३

माननीय गृहमन्त्री
प्रिटोरिया
महोदय,

मेरे संघने मुझे निर्देश दिया है कि आपका ध्यान निम्नलिखित तथ्योंकी ओर सादर आकर्षित करूँ। मेरे संघको सूचना मिली है कि :

१. सितम्बर २७को या उसके आसपास अब्दुल फजल खाँ नामक एक ब्रिटिश भारतीयको जोहानिसबर्गमें १९१३ के प्रवासी कानूनके खण्ड ४ (१ क) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। यह खण्ड इस प्रकार है :

इस उप-खण्डके किसी अनुच्छेदमें वर्णित कोई व्यक्ति जो संघमें प्रवेश करता है या संघमें पाया जाता है, अथवा जो व्यक्ति यद्यपि एक प्रान्तका कानूनन निवासी है, किसी दूसरे प्रान्तमें, जिसका वह कानूनन निवासी नहीं है, प्रवेश करता है या वहाँ पाया जाता है तो वह संघ या उस दूसरे प्रान्त (जिसका मामला हो) में निषिद्ध प्रवासी होगा, अर्थात् कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियोंका वर्ग-विशेष जिसे मन्त्री आर्थिक कारणोंसे, या जीवन-स्तर या रहन-सहनकी आदतोंके कारण संघके अथवा संघके किसी प्रान्त-विशेषके लिए अयोग्य समझें।

२. उक्त फजल खाँने स्थानीय प्रवासी अधिकारीके निर्णयके विरुद्ध अपील की और १३ अक्तूबरको प्रिटोरियामें बोर्डकी बैठकमें इस अपीलकी सुनवाई हुई और खारिज कर दी गई।

३. अपीलकी सुनवाईके समय सबूत पेश किये गये। उनको न गलत बताया गया और न उनका खण्डन किया गया। इन सबूतोंसे देखा जा सकता है कि :

(क) फजल खाँ नं० २ डिबीजनमें भारतीय ट्रान्सपोर्ट दस्तेके एक सामान्य सैनिककी हैसियतसे पहले-पहल १९००में ट्रान्सवाल आया था।

(ख) नवम्बर १९०२में उसे अच्छी रिपोर्टके साथ सैनिक सेवासे निवृत्ति मिली और उसके बाद वह इस प्रान्तमें लगभग एक साल यानी कि १९०३ के अन्त तक रहा।

(ग) इसके बाद वह केप टाउन चला गया जहाँ उसने मेसर्स जैगर ऐंड कम्पनी, ओलसन ऐंड कम्पनी, और पीटरिन ऐंड कम्पनीके अलावा अन्य कई जगहोंपर काम किया। वह केप टाउनमें लगभग आठ या नौ साल रहा। इस बीचमें केवल कुछ महीनेके लिए वह नौकरीके सिलसिलेमें जर्मन दक्षिण-पश्चिमी आफ्रिका गया था।

१. अंग्रेजी हिज्जेके अनुसार यह फजल खाँ है। अनुमान है कि नाम फजल खाँ रहा होगा।

(घ) इसके बाद उक्त फज़ल खाँ केपसे रेलगाड़ीके जरिये ट्रान्सवाल वापस आया, और उसने इस प्रान्तमें बिना किसी अड़चन या रुकावटके प्रवेश किया।

(ङ) जब वह जर्मन दक्षिण-पश्चिमी आफ्रिकामें था उसी समय फज़ल खाँके सेवा निवृत्तिका प्रमाणपत्र और कुछ अन्य ऐसे ही ढंगके कागजात गुम हो गये।

५. जिस दिन फज़ल खाँकी अपील खारिज की गई, जैसा अनुच्छेद ३ में कहा जा चुका है, उसके तुरन्त बाद उसे निर्वासनके लिए प्रिटोरिया जेल भेज दिया गया। परन्तु उसे जेल ले जाये जानेसे पहले उसके वकील, श्री रिचने मुख्य प्रवासी अधिकारीसे भेंट की और उससे कहा कि फज़लखाँको वापस केप प्रान्त भेजा जाये। श्री रिचने उन प्रमुख मालिकोंके नाम भी बताये जिनके यहाँ फज़ल खाँ काम कर चुका है।

६. अगले दिन सायंकाल फज़ल खाँको निर्वासित करके नेटाल भेज दिया गया। उसे अपने कपड़े और अपना अन्य सामान ले सकनेका अवसर भी नहीं दिया गया और न उसके वकीलको ही कोई सूचना दी गई। नेटालसे उसे तुरन्त भारत भेज दिया गया।

७. मुझे आपका ध्यान इस बातकी ओर दिलानेको कहा गया है कि केप प्रान्तको वापस भेजे जाने सम्बन्धी फज़ल खाँके अधिकारके दावेकी कोई जाँच नहीं की गई। केपमें वह इतने वर्षों तक रह चुका था, और मेरे संघकी विनम्र रायमें उसके दावेकी जाँच तो की ही जानी चाहिए थी, भले ही जाँचके फलस्वरूप फज़ल खाँको ट्रान्सवालमें कुछ सप्ताह और जेलमें रखना पड़ता।

८. मेरा संघ यह भी चाहता है कि इस प्रकारके अचानक निर्वासनसे जो गम्भीर कठिनाइयाँ पेश होती हैं, उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँ। निर्वासित व्यक्तिको पैसे और कपड़ोंका प्रबन्ध करनेका अवसर नहीं दिया जाता और वे लगभग जैसेके-तैसे निर्वासित कर दिये जाते हैं। यदि खाँके वकीलको कुछ घंटे पूर्व सूचना दे दी गई होती, तो उसके मित्र उसके कपड़े और कम्बल उसे पहुँचवा देते और साथमें कुछ पैसा भी दे देते जो उसे यात्रामें सहायक होता।

९. मेरा संघ विश्वास करता है कि इस मामलेके तथ्योंकी आप पूरी जाँच-पड़ताल करेंगे और ऐसे कदम उठाये जायेंगे कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाकी पुनरावृत्ति न हो।

आपका,
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय संघ

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९०४) की फोटो-नकलसे।

१७३. पत्र : मगनलाल गांधीको

[न्यूकैसिल]

आश्विन बदी ९ [अक्तूबर २४, १९१३]

चि० मगनलाल,

चि० जमनादासकी बात मैं भूला बिल्कुल नहीं हूँ। किन्तु तबसे एक क्षणकी भी फुरसत नहीं मिली है। इसके साथ जो पत्र है, उनकी व्यवस्था करना। तैयब शकूरका पता तुम्हारे पास है। ठक्कर दामोदर आनन्दजी और खेतसीको भी मेरी ओरसे पत्र लिखना। उनका ठीक नाम-पता मुझे मालूम नहीं है। तुम्हारे पास है। जमनादास उनसे मिलेगा, यह भी लिखना। पत्र न लिखनेसे उनको बुरा लगेगा। [जहाज] बेरा कब पहुँचेगा, यह पता लगाना और यह पत्र कब पहुँचेगा, यह भी देखना। यदि ऐसा लगे कि पत्र समयपर न पहुँचेगा तो बेराको कम्पनीकी मारफत तार देना। यह तार अंतर्देशीय [इन्लैंड] होता है और उसका खर्च कम लगता है। तैयब शकूरको तार देना कि वे जमनादासको उतार लें और हमारे नाम रुपया लिखकर उसे बुला-वायोका टिकट दिला दें एवं राह-खर्चके लिए जितना चाहिए उतना रुपया दे दें।

न्यूकैसिलमें बहुत बड़ा काम हो रहा है। दो हजार लोगोंको पैदल ट्रान्सवालमें ले जानेकी कोशिश हो रही है। जो हो जाये, सो ठीक है। मैं कुछ [सामग्री] भेज सकूंगा या नहीं, यह कह नहीं सकता। यहाँसे तार और चिट्ठी तो मन्त्री भेजता रहेगा। मेढ यहीं हैं। प्रागजी फोक्सरस्टमें हैं। मणिलाल गिरफ्तार हो गया है। मुझे पत्र नीचेके पतेसे लिखना :

३७, म्योरहीजन स्ट्रीट

न्यूकैसिल

‘इंडियन ओपिनियन’ की एक नकल श्री लाजारसके नामसे ऊपर दिये गये पते-पर भेज देना। स्ट्रियोंका ब्लाक इस अंकमें देना आवश्यक है। मुतुसे कहना। ब्लाकके सम्बन्धमें वेस्टसे कहना। उसे पत्र लिखनेका अवकाश नहीं है।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५९०६) की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें स्त्री सत्याग्रहियोंके चित्रका उल्लेख है जो ता० २९-१०-१३ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित किया गया था। तारीखका निर्णय इसी आधारपर किया गया है।

२. यह उपलब्ध नहीं है।

१७४. तार : जी० ए० नटेशनको^१

डर्बन

[अक्टूबर २५, १९१३ से पूर्व]

खबर बिलकुल गलत। देशभरमें सभाएँ उनमें आन्दोलनका जोरदार समर्थन किया जा रहा है। समाजके सभी वर्गोंसे लगभग एक सौ स्त्री और पुरुष जेलमें पहुँच चुके हैं।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, २५-१०-१९१३

१७५. वक्तव्य : वाणिज्य-मण्डलमें^२

[डर्बन]

अक्टूबर २५, १९१३

आज सुबह कोयला, चीनी और कृषि उद्योगोंके प्रतिनिधियोंकी एक संयुक्त बैठकमें श्री गांधीने कहा कि कोयलाकी खानोंमें वर्तमान हड़तालका कारण केवल यह है कि संघ सरकारने तीन पौण्डी वार्षिक करको रद्द करनेका जो निश्चित वचन बार-बार दिया था उसे उसने पूरा नहीं किया। श्री गांधीने कहा कि श्री गोखलेको निश्चय ही ऐसा वचन या आश्वासन दिया गया था और नीली पुस्तिकामें प्रकाशित लॉर्ड सभामें लॉर्ड एम्प्टहिल द्वारा दिये गये वक्तव्यकी रिपोर्टसे इसकी पुष्टि होती है। कर हटानेके विषयमें पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चोंमें भेद नहीं किया गया था। श्री गांधीने

१. यह तार रायटरके उस तारका खण्डन करते हुए दिया गया था जो टाइम्स ऑफ इंडियामें २१-१०-१९१३ को प्रकाशित किया गया था और जिसमें कहा गया था कि स्थानीय भारतीय समाजमें निश्चित रूपसे फूट पड़ गई जान पड़ती है; किन्तु यह विश्वास किया जाता है कि बहुमत सत्याग्रहका समर्थन करेगा।

२. भारतीय मजदूरोंको नौकर रखनेवाले प्रमुख मालिकोंकी एक बैठक अक्टूबर २५ को वाणिज्य-मण्डलमें हुई थी जिसमें गांधीजीने हड़तालकी स्थितिके सम्बन्धमें वक्तव्य दिया था। नेटाल्के कोयला-खान-मालिकोंके संघ द्वारा अक्टूबर २५ को गृह-मन्त्रीके नाम भेजे गये तारसे ही यह उद्धरण लिया गया है। गांधीजीके वक्तव्यका अलगसे कोई विवरण नहीं मिलता।

कहा कि सरकार जैसे ही अपने वचनको पूरा करनेका आश्वासन देगी, वैसे ही भारतीयोंसे आन्दोलन बन्द करके कामपर लौट जानेके लिए कह दिया जायेगा।'

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९१३

१७६. भेंट : 'नेटाल मर्क्युरी' को

डर्वन

अक्टूबर २५, १९१३

... सभाके बाद श्री गांधीसे 'नेटाल मर्क्युरी' के एक प्रतिनिधिने पूछा कि क्या इस बातमें कुछ सच्चाई है कि हड़ताल समाप्त होनेवाली है।

[गांधीजी:] नहीं, हड़ताल अभी जारी है। मेरे पास डानहॉजर जिलेसे, और डंडी तथा न्यूकैसिलसे तार आये हैं कि वह जारी है। बात यह है कि आदमियोंको कोयलेकी खानोंसे हटाना था ताकि वे नेटालमें अपनेको गिरफ्तार करा सकें, या, यदि वैसे न हो तो, ट्रान्सवालकी सीमामें प्रवेश करके वहाँ गिरफ्तार हो सकें। चूँकि यह सभा होनेवाली थी इसलिए यह आन्दोलन स्थगित कर दिया गया। इसलिए स्थिति यह है कि हालाँकि लोग खानोंसे हटे नहीं हैं, लेकिन वे हड़तालपर हैं।

खान छोड़कर चले जानेके प्रस्तावित आन्दोलनके पीछे भाव यह था कि खान-मालिकोंसे खुराक लेना और फिर भी काम न करना ठीक बात नहीं है। मैंने स्वयं यह महसूस किया कि जबतक लोग वास्तवमें खानोंको छोड़ कर नहीं चले जाते तबतक हड़तालमें दम नहीं होगा। आगे क्या होगा, सो तो सभाके निर्णयपर निर्भर करेगा। मैं उसे पहलेसे नहीं बता सकता। कुछ भी हो, हड़ताल जारी रहेगी। मेरा अनुमान है कि लगभग ३,००० लोग हड़तालपर ह। किन्तु इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल ठप हो जाये; उनके पास कुछ वतनी मजदूर हैं। इन वतनी मजदूरों तथा यूरोपीयोंकी सहायतासे थोड़ा-बहुत काम हो रहा है, हालाँकि कामका अधिक भाग रुका पड़ा है।

मैंने अखबारोंमें इस आशयकी रिपोर्ट देखी है कि हम शायद वतनियोंसे भी हड़ताल करनेको कहेंगे। परन्तु हमारा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं है। हम ऐसे तरीकोंमें

१. तारमें आगे कहा गया था : "श्री गांधीको सुननेके पश्चात् बैठकने तय किया कि संघ सरकारसे पूछा जाये कि क्या तीन-पौंडी करके सम्बन्धमें उसने वह आश्वासन दिया था जिसका जिक्र श्री गांधीने किया है और जिसकी परिपुष्टि लॉर्ड सभामें दिये गये लॉर्ड एंम्पहिलके वक्तव्यसे होती है; और क्या उक्त आश्वासन पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों, सभीपर लागू होता है; और यदि नहीं तो उसकी क्या शर्तें हैं। संघ यह भी जानना चाहेगा कि तीन-पौंडी करके सम्बन्धमें अब सरकारका क्या मंशा है। चूँकि हड़ताल दिन-दिन फैलती जा रही है, इसलिए संघ आभारी होगा यदि यह सूचना तुरन्त भेज दी जाये, ताकि अगली संयुक्त बैठकमें उसके आधारपर विचार किया जा सके।"

२. सभा वाणिज्य मण्डलमें हुई। देखिए पिछला शीर्षक।



विश्वास नहीं करते। हमारा मालिकोंसे कोई विरोध नहीं है, परन्तु चूंकि ऐसा माना जाता है कि मालिकोंने — कमसे-कम उनमें से कुछ लोगोंने — कर रद्द किये जानेका विरोध किया था, इसलिए यह प्रदर्शन जरूरी हो गया है। सरकारके यह वायदा करते ही कि संसदके आगामी अधिवेशनमें कर रद्द कर दिया जायेगा, हड़तालियोंको काम शुरू करनेकी सलाह दे दी जायेगी।

यह इरादा बिल्कुल नहीं है कि हड़तालियोंसे आम संघर्षमें भाग लेनेको कहा जाये, क्योंकि तीन पौण्डी करके अतिरिक्त और भी शिकायतें हैं जिन्हें दूर करानेके लिए आम जनताका सत्याग्रह जारी रहेगा। अन्य शिकायतें हैं: विवाहका प्रश्न; अधिवास सम्बन्धी अधिकारोंका प्रश्न; मौजूदा कानूनोंका कठोर प्रयोग, जैसे कि ट्रान्सवालमें स्वर्ण-कानूनका; दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंका जन्मके कारण केपमें प्रवेश कर सकनेका हक; और सामाजिक भेदभावका सैद्धान्तिक प्रश्न। यदि तीन पौण्डी करको हटा लेनेका वायदा कर दिया जाये तो भी इन शिकायतोंके खिलाफ सत्याग्रह जारी ही रहेगा; हाँ, हड़ताल नहीं होगी।

मैं यह भी बता दूँ कि हड़तालमें शामिल न होनेवालोंको किसी भी तरह डराया या धमकाया नहीं गया। हड़ताल बिल्कुल स्वेच्छासे की गई है, और जहाँतक मैं देख पाया हूँ, स्वतःस्फूर्त हड़तालके लिए इतना ही काफी था कि वस्तुस्थिति लोगोंके सामने रख दी जाये।

उन हड़तालियोंकी राहतके लिए, जिनकी मदद हमको करनी है, हर जगह चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है। डर्बनमें ११० बोरे चावल, दाल और अन्य चीजोंका वायदा किया गया है और इसका अधिकांश रेलगाड़ीसे खाना भी किया जा चुका है। और चन्देका काम अभी किया जा रहा है।'

यदि सभा अपने उद्देश्यमें असफल हुई तो निश्चय ही हम हड़तालका दायरा बढ़ानेकी कोशिश करेंगे। परन्तु मैं यह कह सकनेमें बिल्कुल असमर्थ हूँ कि उसे कितनी सफलता मिलेगी। जहाँ-कहीं भी गिरमिटिया भारतीय अथवा भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंकी तरह काम कर रहे हैं, हम उन्हें हड़ताल करनेकी सलाह देंगे।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मवर्युरी, २७-१०-१९१३

१. परिस्थितिके विस्तृत विवरणके लिए देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४२ और ४३।

१७७. तार : गृह-मन्त्रीको

[न्यू कैसिल
अक्तूबर २८, १९१३ से पूर्व]

नेटालके कोयला खान संघको दिया गया सरकारका जवाब पढ़ा। मन्त्रीका ध्यान श्री काछलिया और सितम्बर २८ के मेरे पत्रमें उल्लिखित श्री गोखलेको दिये गये वचनकी ओर सादर आकृष्ट करता हूँ। तब कोई खण्डन नहीं किया गया। हालाँकि करको रद्द करनेका सवाल केवल इस समय सत्याग्रहका विषय बनाया गया है, पर निश्चय ही यह बादमें सोची गई बात नहीं है; और यह सरकारके पास मौजूद लिखित सबूतोंसे भी प्रमाणित किया जा सकता है। हमने बार बार कहा है कि गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंका सत्याग्रहके अन्य मुद्दोंसे सम्बन्ध नहीं होगा। नेटालके स्वतन्त्र भारतीय अवश्य सामान्य माँगोंके लिए संघर्ष कर रहे हैं। विवाह, दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंका केपमें प्रवेश, प्रवासी कानून, परवाना कानून आदि प्रश्नोंका अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा नेटालपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यह देखते हुए कि पर्याप्त समय रहते नोटिस दे दिया गया था, सरकार हड़तालकी शिकायत नहीं कर सकती। जो भी हो मन्त्रियोंसे अनुरोध है कि हड़तालको एक धमकी नहीं, बल्कि करके विरुद्ध तीव्र भावनाकी जोरदार अभिव्यक्ति मानें। सैकड़ों गरीब, असहाय और अपेक्षाकृत अज्ञानी लोग काल्पनिक और अननुभूत कष्टों अथवा अपने-आपमें गम्भीर किन्तु केवल सिद्धान्तोंपर आधारित शिकायतोंपर ध्यान नहीं देंगे। अतएव मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय करके प्रश्नपर उसके गुण-दोषोंकी दृष्टिसे विचार करें।^१

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९१३

१. इसके जवाबमें सरकारने लिखा : “आपके तारके सम्बन्धमें सूचित किया जाता है कि सरकारने श्री गोखले अथवा किसी अन्य व्यक्तिको वैसा कोई वचन नहीं दिया है जैसा कि श्री गांधी कहते हैं कि दिया गया है।”

१७८. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

न्यूकैसिल

अक्तूबर २९, १९१३

प्रिय श्री गोखले,

पोलक आपको संघर्षकी प्रगतिसे अवगत रखते ही हैं। मैं जल्दी ही हड़तालियोंके साथ गिरफ्तार होनेके लिए कूच कर रहा हूँ। इस पत्र द्वारा मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कृपया लन्दनमें श्री पोलकके निवासकी सुविधा कर दें। उस हालतमें वे सार्वजनिक कार्य कर सकेंगे और लन्दन-समितिको भी संभाल सकेंगे। मैं समझौता होते ही दक्षिण आफ्रिका छोड़ दूंगा और उनका ख्याल है कि मेरे चले जानेके बाद वे दक्षिण आफ्रिकामें रहकर कारगर ढंगसे काम नहीं कर सकेंगे। मैं उनके इस ख्यालसे सहमत हूँ। श्री दुवने उन्हें लन्दनमें बसनेका निमन्त्रण दिया है। किन्तु यह तो तभी हो सकता है जब उन्हें भारतके ऐसे कुछ वकीलोंसे मदद मिलती रहे जिनका प्रिवी कौंसिलके मुकदमोंसे सम्बन्ध रहता है। आप जानते ही हैं, वे वहाँ प्रिवी कौंसिलमें एजेंटके रूपमें वकालत करना चाहते हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९३१) से।

१७९. तार : गृह-मन्त्रीको

[चार्ल्सटाउन

अक्तूबर ३०, १९१३]

गृह-मन्त्री

प्रिटोरिया

न्यूकैसिल भारतीय समितिको पता चला है कि जेल डॉक्टरने भारतीय सत्याग्रही महिलाओंके ब्लाउज उतार कर और बाँह पकड़ कर जबर्दस्ती टीके लगाये। महिलाओंको घी भी नहीं दिया जाता। अनुरोध है कि जाँच की जाये और शीघ्र राहत दी जाये।^१

गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९१३

१ इसके उत्तरमें जेल-निदेशकने लिखा कि न्यूकैसिलके मजिस्ट्रेटको यह निर्देश दे दिया गया है कि यदि सत्याग्रहियोंको टीका लगवानेमें धार्मिक आपत्ति हो तो उनको जबर्दस्ती टीका न लगाया जाये।

१८०. न्याय-सचिवको लिखे पत्रका सारांश^१

[चार्ल्सटाउन
अक्टूबर ३१, १९१३]

श्री गांधीने ३१ तारीखको चार्ल्सटाउनसे न्याय-सचिवको एक पत्र लिखकर सूचित किया कि भारतीय बहुत बड़ी संख्यामें गिरफ्तारीके लिए आगे आ गये हैं और चूंकि सरकारके पास उनको रखने और खिलानेका कोई इन्तजाम नहीं है इसलिए वहाँकी भारतीय समिति सरकारके खर्चपर उनके खाने-ठहरनेका प्रबन्ध कर रही है। श्री गांधीने सुझाव दिया कि सभी लोगोंको गिरफ्तार कर लिया जाये; और कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो न चाहते हुए भी वे ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेके लिए अपना कूच जारी रखनेपर विवश होंगे। उन्होंने सरकारको चेतावनी दी कि वह सरहदपर भारतीयोंको स्वतन्त्र न रहने दे। श्री गांधीने कहा कि सत्याग्रहियोंकी इच्छा इस बातकी पूरी चौकसी रखनेकी है कि एक भी भारतीय चोरी-छुपे प्रवेश न करने पाये।^२

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३

१८१. प्रवासी-अधिकारीको लिखे पत्रका सारांश^३

[चार्ल्सटाउन
अक्टूबर ३१, १९१३]

श्री गांधीने उसी दिन एक पत्र प्रिटोरिया-स्थित प्रवासी अधिकारीको लिखा था। इसमें बताया गया था कि यद्यपि सत्याग्रही यह घोषित करते हैं कि वे अपील नहीं करना चाहते। फिर भी समस्त सत्याग्रहियोंको ट्रान्सवालकी सीमापर अपील करनेके लिए तीन दिनका नोटिस दिया जाता है और उन्हें इच्छानुसार इधर-उधर घूमने दिया जाता है। श्री गांधीकी रायमें अधिनियमकी रूसे सभी स्थितियोंमें चेतावनी देना जरूरी नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३

१. मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।
२. हड़तालकी स्थितिसे निपटनेकी सरकारी नीति क्या थी, इसका जिक्र गवर्नर जनरल द्वारा ६ नवम्बरको उपनिवेश मन्त्रालयको भेजे गये खरीतेमें किया गया है; देखिए परिशिष्ट १०।
३. मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

१८२. भेंट : रायटरको'

[चार्ल्सटाउन
नवम्बर ३, १९१३]

श्री गांधीने भेंट किये जानेपर कहा कि वे १,५०० लोगोंको गिरफ्तार होनेके लिए ट्रान्सवालमें ले जानेका विचार करते हैं। यदि वे गिरफ्तार न किये गये तो वे आगे चले जायेंगे और सम्भवतः लॉलीके पास श्री कैलेनबैंकके टॉल्स्टॉय फार्ममें ठहर जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३

१८३. तार : गो० कृ० गोखलेको

[चार्ल्सटाउन
नवम्बर ४, १९१३ से पूर्व]

पाँच हजार लोग हड़तालपर, जिनमें से चार हजारको खिलाना होता है। इनमें तीन हजार स्त्रियाँ हैं और छः सौ बच्चे। तीन सौ जेलमें हैं और अन्य दो सौ गिरफ्तार कर लिये गये हैं। पन्द्रह सौ हड़ताली चार्ल्सटाउनमें हैं और बाकी गिरफ्तार होनेके निमित्त सीमा पार करनेसे पूर्व न्यूकैसिलमें इकट्ठे हो रहे हैं। हड़तालियोंमें उत्साह बढ़ रहा है। कई जगह पादरी लोग हमारी शिकायत दूर करवानेके लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, ५-११-१९१३

१. गांधीजीने कूच करनेवालोंके साथ चार्ल्सटाउनमें पड़ाव डाला था। वहाँ रायटरके संवाददातासे उनकी भेंट हुई थी जिसका केवल एक संक्षिप्त विवरण उपलब्ध है।

१८४. भेंट : 'नेटाल मर्क्युरी' को

[चार्ल्सटाउन
नवम्बर ५, १९१३]

श्री गांधीने खुशी-खुशी भेंट की; किन्तु उन्हें इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना था कि वे और उनके साथी अब भी कृत-संकल्प हैं और अगले दिन ट्रान्सवालमें प्रवेश करेंगे। और यदि उन्हें रोका न गया तो वे सीधे टॉल्स्टॉय फार्म पहुँचने तक बढ़ते जायेंगे। उसके बाद वे वहाँ उस समय तक शान्तिपूर्वक रहेंगे जबतक सरकारसे उनकी कोई सन्तोषजनक शर्तें तय नहीं हो जातीं। कूचकी सब व्यवस्था कर बी गई है और कूचके रास्तेमें आठ विभिन्न स्थानोंमें भोजनके भण्डार खोल दिये गये हैं। श्री गांधीने कहा, हमारा उद्देश्य गिरफ्तार होना है। किन्तु हम हर काम बिलकुल खुले रूपमें करना चाहते हैं और हमने सरकारको सारी तफ़्सील बता दी है।'

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३

१८५. तार : गो० कृ० गोखलेको

[चार्ल्सटाउन
नवम्बर ६, १९१३ से पूर्व]

हड़ताल जारी है। सरकार सत्याग्रहियोंको गिरफ्तार नहीं कर रही है। मासिक खर्च ७,००० पौंडसे ज्यादा है। प्रतिमास सामान और नकदीके रूपमें १००० पौंड तक स्थानीय चन्दा आनेकी आशा है। मैं गुरुवारको^१ चार हजार लोगोंको लेकर ट्रान्सवालमें जा रहा हूँ। बहुत कष्टोंका सामना करना पड़ रहा है। जो शिविर बनाये गये हैं उनमें कई बच्चे पैदा हुए हैं। कूचमें दो बच्चे मरे भी।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, ७-११-१९१३

१. गांधीजीने अन्तिम क्षण तक संघर्षको टालना चाहा। विस्तृत विवरणके लिए देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४३।

२. नवम्बर ६।

१८६. लड़ाईके समाचार

[चार्ल्सटाउन
नवम्बर ६, १९१३ से पूर्व]

ट्रान्सवाल-कूचके दौरान श्री एम० सी० देसाईने गिरमिटिया मजदूरोंकी बड़ी सेवा-शुश्रूषा की। उन्होंने लोगोंको चाय दी और थकी हुई स्त्रियोंको आश्रय दिया। स्टैंडर्टनमें स्थानिक भारतीय समाजने १,००० टीन जाम दिया और लोगोंकी मदद की। वाल स्टेशनपर श्री पटेलने मदद की; उन्होंने जो लोग बीमार हो गये थे उन्हें अपने घरमें आश्रय दिया। श्री बदात दो मंजिलों तक लोगोंके लिए रोटी आदि लेकर आगे-आगे ट्रेनमें गये। श्री वलीपीर भाईने पहली मंजिल तक के लिए सामान ढोनेके लिए अपनी गाड़ी दी। डॉ० ब्रिसकोने यात्रियोंके लिए लगभग ४ पाँड मूल्यकी दवा मुफ्त दी। इंगोगोके श्री सीदातने न्यू कैसिलसे कूच करनेवाले यात्रियोंको चाय-बिस्कुट आदि दिये। इस तरह हरएक जगह भारतीयोंने यात्रियोंकी मेहमानी की। चार्ल्सटाउनके भारतीय समाजने भी इस दिशामें काफी योग दिया और देता रहता है। श्री शेख मकदूम हमेशा अपना सारा समय इसीमें लगाते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३

१८७. तार : गृह-मन्त्रीको

[पामफोर्ड
नवम्बर ७, १९१३]

मुझे खुशी है कि सरकारने सत्याग्रह आन्दोलनके मुख्य संचालकको अन्ततः गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इन्सानियतकी दृष्टिसे, गिरफ्तारी इस अवसरपर अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारको शायद ज्ञात है कि कूच करनेवालोंमें १२२ औरतें और पचास सुकुमार बच्चे हैं। सभी लोग स्वेच्छासे अघपेट खुराकपर कूच कर रहे हैं। पड़ावोंमें ठहरनेकी व्यवस्था नहीं होती। ऐसी परिस्थितियोंमें मुझे उनसे अलग करना न्यायकी सभी भावनाओंका उल्लंघन करना है। पिछली रातको गिरफ्तार होनेपर लोगोंको कोई सूचना दिये बिना मैं चला आया। वे शायद क्रुद्ध हो उठें। अतएव अनुरोध है कि या तो मुझे लोगोंके साथ कूच करनेकी अनुमति दी जाये या सरकार उन्हें रेलगाड़ीसे टॉल्स्टॉय फार्म भेज दे और उनके लिए पूरी खुराक मुहैया करे। जिस व्यक्तिमें उन्हें पूरा भरोसा है, उसे

उनसे दूर कर देना, और सरकार द्वारा उनके भोजन आदिके लिए प्रबन्ध न करना, मेरी रायमें एक ऐसा कार्य है जिसपर पुनर्विचार करनेपर आशा है सरकार अपना कदम वापस ले लेगी। मुझे विश्वास है कि कूचके दौरान अवांछनीय घटनाएँ हों या कोई मर जाये, विशेषतया दुधमुँहे बच्चोंवाली औरतोंमें से कोई मरे तो जिम्मेदारी सरकारकी होगी।^१

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९१३

१८८. जमानतकी दरखास्त^२

स्टैंडर्टन

नवम्बर ८, १९१३

अभियुक्तने अपना अपराध स्वीकार करनेसे पूर्व कहा कि मैं पहलेसे ही जमानतपर हूँ, और फिर प्रार्थना की कि उसकी जमानत मंजूरकी जाये। अभियुक्तने कहा, जमानतपर रिहाईकी प्रार्थनाका मेरा उद्देश्य यह है कि मैं कूच करनेवालोंको गन्तव्य स्थान तक पहुँचा सकूँ। सरकारी वकीलने कहा कि अभियुक्त यदि प्रदर्शनमें आगे भाग लेनेसे विरत न हो तो उसकी जमानत मंजूर न की जाये। अभियुक्तने कहा कि मैं यह आश्वासन देनेके लिए तैयार नहीं हूँ।^३

[अंग्रेजीसे]

स्टार, ८-११-१९१३

१. स्पष्ट है कि यह तार गांधीजीके जमानतपर रिहा होनेके बाद भेजा गया होगा।

२. गांधीजीपर निषिद्ध लोगोंको ट्रान्सवालमें प्रवेशके लिए उकसाने या उसमें उन्हें सहायता देनेका आरोप लगाया गया था।

३. ट्रान्सवाल लीडरमें छपी एक खबरके अनुसार जब सरकारी वकीलने गांधीजीकी जमानतकी प्रार्थनाका विरोध किया तब मजिस्ट्रेटने बताया कि कानूनमें प्रत्येक कैदी, जिसे मृत्यु-दण्ड नहीं दिया गया है, अपनी पेशीके लिए जमानतकी अनुमति दिये जानेका अधिकारी होता है और कहा कि “श्री गांधीको उस अधिकारसे वंचित नहीं किया जा सकता।” तब गांधीजी ५० पौंडके मुचलकेपर छोड़ दिये गये और मुकदमा २१ तारीखके लिए मुलतवी कर दिया गया। गांधीजी ज्यों ही रिहा किये गये, त्यों ही दलने आगे कूच किया। इससे आगेके कूचका विस्तृत आँखों देखा हाल परिशिष्ट ११ में देखिए।

१८९. भेंट : रायटरको'

स्टैंडर्टन

नवम्बर ८, १९१३

श्री गांधी . . . ने उत्तर दिया कि उन्हें विश्वास है, सरकार करको रद्द कर देगी। वे निश्चयपूर्वक जानते हैं कि सरकारने श्री गोखलेसे कहा था कि वह करको रद्द करना चाहती है।

[गांधीजी:] यदि सरकार कर दिये जानेका कोई उचित कारण बता सके तो भारतीय इसे दे देंगे। किन्तु इसे देनेका कोई उचित कारण अभी तक नहीं बताया गया है। [कूच करनेवालोंकी] भीड़ बहुत अनुशासित और पूर्णतः नियन्त्रित है।

[अंग्रेजीसे]

स्टार, ८-११-१९१३

१९०. पत्र : भारतीयोंको'

[नवम्बर ११, १९१३ से पूर्व]

आजके जैसा संघर्ष फिर कभी नहीं छिड़नेका। संघर्ष अपनी पराकाष्ठापर पहुँच गया है। गरीब गिरमिटिया भारतीयोंने अपूर्व साहस दिखाया है और असीम दुःख उठाया है। कितने लोग डेढ़ रतल रोटी और एक मुट्ठी शक्करपर निर्वाह करके रोज २४ मील पैदल चल सकते हैं? यह काम हमारे गरीब भाइयोंने कर दिखाया है। वे घोड़ोंकी टापोंसे कुचले गये हैं; उन्होंने गोरोंके मुक्के और ठोकरें सही हैं; स्त्रियाँ दो-दो माहके बच्चोंको गोदमें लिये और गठरियाँ सिरपर लादे कड़ी दोपहरीमें पैदल चली हैं। सबको धूप, जाड़ा और वर्षाका सामना करना पड़ा है—यह सब किसकी खातिर? भारतकी खातिर। इस प्रकारके बलिदानके परिणाम-स्वरूप तीन-पौंडी कर तो खत्म होगा ही, साथ ही भारतका मान बढ़ेगा।

ट्रान्सवालके कूचको मैं पूर्ण रूपसे सफल मानता हूँ। उसका उद्देश्य सत्याग्रहियोंका अपने-आपको गिरफ्तार कराना था और वे सबके-सब गिरफ्तार हो गये हैं।

१. गांधीजी फोक्सरस्टसे लगभग २,००० सत्याग्रहियोंके साथ स्टैंडर्टन आये थे। जिन ८५ भारतीयोंने हेटिंगस्पूट कोषला-खदान छोड़ दी थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रायटरके एक प्रतिनिधिने गांधीजीसे भेंट की थी और यह पूछा था कि “ उनके खयालसे इस प्रदर्शनका परिणाम क्या होगा ? ”

२. गांधीजीने अपना यह संदेश नवम्बर ११, १९१३ को डंडी जेल ले जाये जानेके पूर्व भेजा था।

परन्तु संघर्ष रंग तो अब लायेगा। इसमें वे लोग भाग ले सकते हैं जो जेल नहीं जाना चाहते। उन्हें केवल इतना ही संकल्प करना है कि वे स्वयं भूखे रहकर हड़ताल करनेवालोंको भोजन देंगे। भारतसे रुपया आये या न आये, हमारे यहाँसे ही पूरा भोजन जुटाना चाहिए। हड़तालियोंको प्रोत्साहन देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि उन्हें कोई चाहे जितना मारे-पीटे वे बदलेमें हाथ न उठाये। इतना तो प्रत्येक भारतीय कर ही सकता है। ऐसा अवसर फिर हाथ नहीं आनेका। प्रत्येक भारतीय यह ठान ले सकता है कि वह दिनमें जितनी बार भोजन करता हो उससे एक बार कम करेगा, और बचे हुए पैसोंसे भूखोंको भोजन दिया करेगा। हर स्थानके व्यापारियोंको चाहिए कि यदि कोई हड़ताली वहाँ आ पहुँचे तो वे उसे भोजन और आश्रय दें और फिर उसे वहाँ भोज दें जहाँ बड़ी तादादमें हड़तालियोंको भोजन देनेकी व्यवस्था है। इस महान् अनुष्ठानमें जो भारतीय यथाशक्ति योग नहीं देगा उसे मैं अभागा मानूँगा।

भारतीयोंका सेवक,
सत्याग्रही

मोहनदास करमचन्द गांधी

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३

१९१. डंडीमें मुकदमा

[डंडी

नवम्बर ११, १९१३]

इसी माहकी ११ तारीखको श्री गांधीपर डंडीके रेजिडेंट-मजिस्ट्रेट श्री जे० डब्ल्यू० क्रॉसकी अदालतमें तीन अपराध लगाये गये जिनमें एक आरोप गिरमिटिया प्रवासियोंको प्रान्त छोड़ देनेके लिए भड़कानेका था। अदालत भारतीयों और यूरोपीयोंसे खचाखच भरी थी। महान्यायवादीकी विशेष हिदायतपर श्री डब्ल्यू० डेलजल टर्नबुल सरकारी पक्षकी ओरसे, और एडवोकेट जे० डब्ल्यू० गॉडफ्रे श्री गांधीकी ओरसे अदालतमें उपस्थित हुए। श्री गांधीने अपराधोंको स्वीकार किया।

श्री टर्नबुलने अभियोगसे सम्बन्धित कानून पढ़ा और सामला न्यायाधीशपर छोड़ दिया।

श्री गॉडफ्रेने कहा कि मैं प्रतिवादीसे वचनबद्ध हूँ कि चाहे जो हो किसी भी रूपमें सजा कम न करनेकी प्रार्थना करूँ। श्री गांधी जिन परिस्थितियोंमें मजिस्ट्रेटके सम्मुख उपस्थित हुए हैं उनसे सब लोग परिचित हैं। मैं तो यह कहकर केवल प्रतिवादीकी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि मजिस्ट्रेटको एक कर्त्तव्य पूरा करना होता है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना कर्त्तव्य निर्भीकतासे पूरा करे और

इसलिए यदि उसे लगे कि मामलेकी परिस्थितियोंमें यह सजा न्यायोचित है तो उसे कैदीको बड़ीसे-बड़ी सजा देनेमें संकोच नहीं करना चाहिए। श्री गांधीने अदालतकी अनुमति ली और निम्नलिखित बयान दिया :—

वकालतके पेशेका एक सदस्य और नेटालका एक पुराना अधिवासी होनेके नाते, मेरी समझमें मुझे अपने और जनताके प्रति न्याय बरतते हुए कहना चाहिए कि मेरे खिलाफ लगाये गये अभियोगोंका यह अर्थ निकलता है कि मुझपर डाली गई जिम्मेदारीको मैंने स्वीकार किया। मेरी मान्यता है कि जिस प्रदर्शनके लिए ये लोग प्रान्तसे बाहर ले जाये गये उसका उद्देश्य अच्छा था। मुझे कहना चाहिए कि मालिकोंसे मेरा कोई विरोध नहीं है और मुझे इस बातका अफसोस है कि इस आन्दोलनमें उनका भारी नुकसान हो रहा है। मैं मालिकोंसे भी अपील करता हूँ और खुद तो महसूस करता ही हूँ कि कर ऐसा है जो हमारे देशवासियोंको बहुत भारी पड़ रहा है और उसे हटा दिया जाना चाहिए। मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि श्री स्मट्स और प्रोफेसर गोखलेके बीच मान्य स्थितिको ध्यानमें रखते हुए मुझे उनकी सम्मान रक्षाके लिए एक जोरदार प्रदर्शन करना होगा। मैं उन कष्टोंसे भली भाँति परिचित हूँ जो स्त्रियों और गोदके बच्चोंको झेलने पड़ते हैं। कुल मिलाकर, मैं समझता हूँ कि जिस पेशेका मैं सदस्य हूँ मैंने उसके सिद्धान्तों और प्रतिष्ठाका अतिक्रमण नहीं किया है। मैं महसूस करता हूँ कि मैंने अपने देशवासियोंको यह सलाह देकर अपने कर्त्तव्यका पालन किया है, और उन्हें फिरसे यही सलाह देना मेरा कर्त्तव्य है कि जबतक कर नहीं हटाया जाता तबतक वे काम छोड़ दें और दानसे प्राप्त अन्नपर गुजारा करें। मुझे अच्छी तरहसे मालूम है कि कष्ट सहे बिना उनकी शिकायतें दूर होना असम्भव है।

इसके बाद मजिस्ट्रेटने निम्नलिखित फंसला सुनाया :— इस मामलेमें अभियुक्तने तीन अभियोगोंको स्वीकार किया है और कानूनके जिस खण्डके अन्तर्गत अभियुक्तपर आरोप लगाया गया है उसके अनुसार प्रत्येक प्रवासीको प्रान्त छोड़नेके लिए उकसाने या उकसानेकी कोशिश करनेके अपराधमें उकसाये गये प्रतिव्यक्तिपर २० पाँडका जुर्माना किया जा सकता है। श्री गांधी एक शिक्षित सज्जन हैं, और उन्हें वकालतके पेशेका एक सदस्य होनेका सम्मान प्राप्त है। तथा उन्होंने जो भी किया है वह अपने कार्योंके परिणामको जानते हुए किया है। फिर मजिस्ट्रेटने उन परिस्थितियोंका जिक्र किया जिनमें भारतीय इस प्रान्तमें लाये गये और उन शर्तोंका भी उल्लेख किया जिनपर वे गिरमिटकी मियाद पूरी होनेके बाद बने रहनेको राजी हुए थे। मजिस्ट्रेटने जनरल स्मट्स द्वारा भारतीयोंको दिये गये तथाकथित वादेके सम्बन्धमें भारतीयोंके इरादेका भी उल्लेख किया। नेटालके संसद सदस्योंने स्त्रियों और बच्चोंकी हदतक करको हटानेकी बात मान ली थी लेकिन पुरुषोंपर से नहीं। अतएव भारतीयोंको दिया गया वचन सरकारने नहीं तोड़ा। मैं समझता हूँ कि इसी आधारपर श्री गांधीने भारतीयोंको

हड़ताल करनेकी सलाह दी थी। हड़ताल करना कानूनकी अवज्ञा करना है और सरकारकी स्थिति यह है कि जबतक भारतीय हड़तालपर हैं तबतक उसके लिए कर हटानेके सम्बन्धमें किसी कानूनपर विचार करना असम्भव है। प्रतिवादी अपने धमकी-भरे आचरणसे लोगोंकी तबाही और अपने कष्ट ही बढ़ा रहा है। इसलिए मैं भारतीयोंको सत्याग्रह समाप्त करने और सरकारको आवेदनपत्र देनेकी सलाह देता हूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि भारतीय उन यूरोपीयोंकी सहानुभूति भी खो रहे हैं जो कर हटानेके सम्बन्धमें उनके साथ हैं। श्री गांधी-जैसे सज्जनके आचरणपर जानबूझकर कानूनका उल्लंघन करनेके लिए सजा सुनाना एक दुःखद कर्त्तव्य है, लेकिन मुझे अपने कर्त्तव्यका पालन करना है, और उनके वकील श्री गॉडफ्रेने मुझे निर्भयतापूर्वक अपने कर्त्तव्यका पालन करनेको कहा है। चूंकि अभियुक्तने अभियोगोंको स्वीकार कर लिया है अतः मैं (मजिस्ट्रेट) उसे मानकर निम्नलिखित सजा देता हूँ: पहले जुर्मपर: २० पाँड या तीन महीनेकी सख्त कैद; दूसरे जुर्मपर २० पाँड या तीन महीनेकी सख्त कैद जो पहली सजाके समाप्त होनेपर शुरू होगी; तीसरे जुर्मपर २० पाँड या तीन महीनेकी सख्त कैद जो दूसरी सजाके समाप्त होनेपर शुरू होगी।

श्री गांधीने स्पष्ट और शान्त आवाजमें कहा:

मैं जेल जाना पसन्द करूँगा।^१

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३

१९२. हड़तालियोंको सन्देश^२

[डंडी

नवम्बर ११, १९१३]

तीन-पाँडी कर रद्द हुए बिना हड़ताल बन्द नहीं होगी। मुझे कैदकी सजा देनेके बाद, अब सरकार शालीनताके साथ कर रद्द किये जानेके सम्बन्धमें ऐलान कर सकती है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३

१. इष्टमित्रोंकी एक बहुत बड़ी भीड़ बाहर गांधीजीकी प्रतीक्षा कर रही थी परन्तु पुलिस उन्हें गुप्त रूपसे निकाल ले गई और कोई भी जान नहीं पाया कि वे कैसे ले जाये गये।

२. मुकदमेके बाद जे० डब्ल्यू० गॉडफ्रेने गांधीजीसे भेंट की। उन्होंने कहा कि “मैं प्रसन्न और आश्चस्त हूँ।” गांधीजीने यह सन्देश भी उनके ही हाथों भेजा था।

१९३. पत्र : मगनलाल गांधीको

डंडी जेल

मंगलवार, नवम्बर ११, १९१३]

चि० मगनलाल,

मुझे ९ माहकी जेलकी सजा हुई है; दूसरी दो जगहोंमें यदि छः-छः माहकी सजा हो तो कुल मिलाकर २१ माहकी हो जायेगी। ऐसा हुआ तो मैं अपनेको अत्यधिक भाग्यशाली मानूंगा। वेश बदले बिना ही सजा हो गई यह अच्छा हुआ; ज्यादा झंझटसे बच गया। हड़ताल शुरू होनेके बाद आज पहला दिन है जब मुझे कुछ अवकाश मिला है। जमनादासके बारेमें कुछ खबर तो जरूर मिली होगी। मेरे नामपर जो पैसा है उसपर कहीं सरकारकी नजर न पड़े इस डरसे मैंने श्री कैलेनबैकको लिखा है कि यह पैसा तुम्हारे और वेस्टके नामपर कर दिया जाये। श्री गोखले जो पैसा भेजें उसकी भी ऐसी ही व्यवस्था करना। जो भी चैक काटे जायें उनपर तुम्हें नजर रखनी है। कुमारी श्लेसिन या अन्य जो कोई भी बाहर होगा तुम्हें हिसाब देगा। पैसेपर उमर सेठ और काछलिया सेठकी देखरेख रहनी चाहिए। जबतक हड़ताल चल रही है, खर्च ज्यादा तभी तक होगा। यदि लोग मेरी गैरहाजिरीमें भी अपना कर्तव्य बखूबी करते रहे, तो तीन पौंडी करका सवाल अवश्य हल हो जायेगा।

मेरे जेल जानेके परिणाम-स्वरूप तुम्हारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, और मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जेल जाते हुए अब मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए। आजके मामलेमें, बच निकलनके लिए, कानूनमें बहुत गुंजाइश थी। किन्तु मैं इस गुंजाइशका लाभ कैसे ले सकता था? ऐसा करता तो मोहका दोषी होता। बाहर रहकर ज्यादा काम कर सकूंगा, ऐसा सोचूँ तो यह अभिमान होगा। इसीलिए मैं अपने निश्चयपर दृढ़ रहा। जेम्स गॉडफ्रेने आग्रह किया कि उसे मेरे मामलेकी पैरवी करने दी जाये, इसलिए उन्हें वैसा करने दिया। उन्होंने कहा है कि वे मामलेकी पूरी रिपोर्ट भेजेंगे। गुरुवारके दिन मुझे डंडीसे फोक्सरस्टके मुकदमेके लिए ले जाया जायेगा।

यदि तुम मुझे कोई पत्र लिखना चाहो, तो लिखकर श्री बदातको भेजना। उस हालतमें वह सम्भवतः मुझे मिल जायेगा।

डॉक्टरने आजसे ही मेरे आहारके लिए फल आदिका हुक्म कर दिया है। इसलिए अब कोई कष्ट होनेकी सम्भावना नहीं है। कूचका विवरण लिखना सम्भव हुआ, तो लिख भेजूंगा। अद्भुत अनुभव हुआ। उससे प्रेरित होकर कल मैंने यह निश्चय किया कि जबतक कर खत्म करनेका वचन नहीं मिलता तबतक दिनमें एक ही बार खाऊँगा। अंग्रेजी तिथिकी गणनाके अनुसार चार माह पूरे हो चुके हैं। इस

व्रतमें मैंने नींबू या नारंगीका पानी पीनेकी छूट रखी है। और ज्यादा नहीं लिख सकता।

मोहनदासके आशीर्वाद

मगनलाल के० गांधी,
फीनिक्स, नेटाल।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० २५३८) की फोटो-नकलसे।

१९४. फोक्सरस्टमें मुकदमा

[फोक्सरस्ट

नवम्बर १४, १९१३]

श्री गांधी अदालतमें असिस्टेंट मजिस्ट्रेट श्री जूस्टके सामने पेश हुए। उनपर प्रवासी नियमन अधिनियमके खण्ड २० के अन्तर्गत अभियोग लगाया गया था। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया, परन्तु पोलडट नामक एक सत्याग्रहीको औपचारिक गवाहके रूपमें पेश किया गया।

गवाहने कहा कि मैं बैलेनगीख खान-क्षेत्रमें काम करता हूँ और मुझे याद है कि चालू महीनेमें बहुत-से भारतीयोंके साथ मैंने ट्रान्सवालकी सीमामें प्रवेश किया था। पोलडटने कहा कि श्री गांधी चार्ल्सटाउनसे जोहानिसबर्ग तक उनका नेतृत्व कर रहे थे। पोलडटने श्री गांधीकी शिनाख्त की, और कहा कि यही नेता थे। पोलडटने कहा, मैं जानता हूँ कि मुझे इस प्रान्तमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि मैं एक निषिद्ध प्रवासी हूँ।

श्री गांधीने कहा कि मैं गवाहसे दो प्रश्न पूछना चाहूँगा।

पोलडटने ट्रान्सवालमें क्यों प्रवेश किया?

पोलडटने कहा कि मैंने तीन पौंडी करके खिलाफ विरोध-प्रदर्शनके लिए ट्रान्सवालमें प्रवेश किया।

यदि उक्त तीन पौंडी कर हटा लिया जाता तो क्या पोलडट अपनी खानको वापस लौट जाता?

पोलडटने कहा, हाँ; यदि सरकार तीन पौंडी कर हटानेको राजी हो जाती तो मैं वापस चला जाता।

श्री गांधीसे पूछा गया कि क्या वे कोई बयान देना चाहते हैं?

श्री गांधीने तब अदालतको सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि अभियुक्त शपथ लेकर एक बयान देना चाहता है।

मोहनदास क० गांधीने शपथ ग्रहण करनेके बाद कहा:

मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने न केवल इस गवाहको, वरन् सैकड़ों अन्य भारतीयोंको भी, जिनके बारेमें मैं यह जानता था कि वे निषिद्ध प्रवासी हैं, सलाह दी कि वे

१. इंडियन ओपिनियनमें इस बयानको अप्रत्यक्ष शैलीमें दिया गया है। यह वक्तव्य ट्रान्सवालकी अदालतके रेकार्डसे लिया गया है।

नेटालसे सीमा पार करके ट्रान्सवालमें प्रवेश करें। ऐसा करनेके अपने इरादेकी सूचना मैंने गृहमन्त्रीको काफ़ी पहले दे दी थी, और फोक्सरस्टमें प्रवासी अधिकारीसे मैंने खास तौरपर भेंट करके उन्हें उस दिनकी तारीख भी सूचित कर दी जिस दिन मेरा इरादा सीमा पार करनेका था। मैंने सरकार और प्रवासी अधिकारी दोनोंको बताया कि ऐसा करनेमें मेरा इरादा सिर्फ उस तीन-पाँड़ी करके प्रति विरोध प्रदर्शित करनेका है जो सम्बन्धित व्यक्तियोंको बहुत भारी पड़ रहा है; मैं चाहता हूँ कि सीमा पार करनेवाले जत्थेके साथ मैं स्वयंको गिरफ्तार भी करवाऊँ। मैंने सरकार और प्रवासी अधिकारीको विश्वास दिलाया कि मेरी यह इच्छा कदापि नहीं है कि सीमा पार करनेवालोंमें से एक भी आदमी ट्रान्सवालमें रुके और वहाँ बस जाये। मैंने यह भी कहा कि चूँकि मेरे साथ सीमा पार करनेवालोंकी संख्या बहुत बड़ी है, मेरे लिए यह नितान्त असम्भव होगा कि मैं हर समय उन्हें जहाँ-तहाँ घूमनेसे रोक सकूँ; इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इन लोगोंकी जिम्मेदारी ले ले। ट्रान्सवालमें इस पूरे कूचके दौरान मैंने लोगोंको बराबर नियन्त्रणमें रखनेकी कोशिश की, और उन्हें इधर-उधर होनेसे रोका। मेरा दावा है कि इस फौजी दस्तेके, यदि इसे फौजी दस्ता कहा जा सके तो, एक भी भारतीयने अपना दस्ता नहीं छोड़ा। मैंने हाइडेलबर्गमें सुना था कि फोक्सरस्टमें एक अवधान-समिति (विजिलेंस कमिटी) का संगठन किया गया है जिसका उद्देश्य, मैं समझता हूँ, सरकारसे प्रवासी-कानूनपर अमल करवाना है। इसलिए इस समितिका, और मेरे तथा मेरे साथ काम करनेवालोंका उद्देश्य समान है। अदालतके माध्यमसे मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि वर्तमान आन्दोलनका यह मन्शा कदापि नहीं है कि भारतीय ट्रान्सवालमें निवासके उद्देश्यसे प्रवेश करें। अपनी समझमें मैं ईमानदारीसे यह दावा कर सकता हूँ कि ट्रान्सवालमें मेरे सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवनके पीछे यही भावना रही है कि चोरी-छिपे प्रवेश और गैरकानूनी निवासको रोकनेमें मैं सरकारकी सहायता करूँ। फिर भी मैंने अपना अपराध स्वीकार किया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने बड़े पैमानेपर कानूनके उस खण्डका उल्लंघन किया है जिसके अन्तर्गत मुझपर अभियोग लगाया गया है। मैं यह भी जानता हूँ कि मैंने जो कदम उठाये हैं वे जबरदस्त जोखिमसे भरे हुए हैं, और जिन लोगोंने मेरी सलाह मानी है उनको व्यक्तिगत रूपसे भयंकर कष्ट उठाने पड़ेंगे, परन्तु दक्षिण आफ्रिकाके २० सालके अनुभवपर आधारित बहुत गम्भीर चिन्तनके बाद मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि ऐसे कष्ट-सहनसे कम कोई भी चीज सरकार और उस संघके निवासियोंकी अन्तरात्माको नहीं हिला सकेगी जिसके कानूनोंका तथाकथित उल्लंघन करनेके बावजूद मैं उसका एक समझदार और कानून माननेवाला नागरिक होनेका दावा रखता हूँ।

इसके बाद अदालत पन्द्रह मिनटके लिए स्थगित हो गई ताकि न्यायाधीश अपने निर्णयपर विचार कर लें।

वापस आनेपर श्री जूस्टने तीन महीनेकी कैदकी सजा सुना दी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९१३

१९५. पोलकके मुकदमेमें गवाही

[फोक्सरस्ट,
नवम्बर १७, १९१३]

श्री गांधीने गवाहीमें कहा कि ट्रान्सवालमें कूच करनेका निर्णय करनेमें श्री पोलककी राय नहीं ली गई थी। श्री पोलकका इरादा १४ नवम्बरको भारतके लिए रवाना होनेका था, और मुझे पता था कि डर्बनसे उनकी रवानगीके सारे प्रबन्ध किये जा चुके हैं। यदि ग्रेलिंगस्टाड पहुँचनेसे पूर्व गवाह (अर्थात् श्री गांधी) कैद न हो जाता तो श्री पोलकने निश्चय ही उस स्टेशनसे साथ छोड़ दिया होता। परिस्थितियोंको देखते हुए श्री गांधीने सोचा कि श्री पोलक जुलूसका नेतृत्व करें और उसे गन्तव्य-स्थान तक पहुँचा दें ताकि लोग तितर-बितर न हो जायें। श्री गांधीकी रायमें यदि श्री पोलक सहायता देने या उकसानेके दोषी थे, तो फिर तो वे सरकारी घुड़सवार भी दोषी थे जो मार्गमें कूच करनेवालोंके साथ चल रहे थे। श्री गांधीके विचारमें श्री पोलकने अपने कार्यसे राज्यकी और अपनी जातिकी सेवा की थी। कूच करनेवालोंको श्री पोलकके सुपुर्द इसलिए किया गया था, क्योंकि श्री काछलिया उस समय तक घटनास्थलपर नहीं पहुँचे थे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९१३

१. पोलकपर असिस्टेंट मजिस्ट्रेट जूस्टकी अदालतमें प्रवासी अधिनियमके खण्ड २० के अन्तर्गत अभियोग लगाया गया था। पोलकने अपराध स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया। गांधीजी और कैलेनबैक सहित पाँच आदमियोंकी गवाही ली गई। राइफिलमैन जूवर्टने गवाहीमें कहा कि उसने बेलफोरमें पोलकको गांधीजीसे आवश्यक निर्देश लेते देखा था, और उसके खयालसे पोलक आन्दोलनके नेताओंमें से थे। कांस्टेबिल कीनने बताया कि पोलकने भारतीयोंके सामने भाषण करते हुए उन्हें चार्ल्स टाउन लौट जानेकी सलाह दी थी। कैलेनबैकने कहा कि पोलकका इरादा डर्बन लौट जानेका था। उनका उद्देश्य अपनी भारतको रवानगीके सिलसिलेमें गांधीजीसे कुछ बातें करनेका था। पोलकको अपराधी करार देते हुए मजिस्ट्रेटने उन्हें तीन महीनेकी सादी कैदकी सजा दी।

१९६. पत्र : कुमारी देवी वेस्टको

ब्लूमफॉन्टीन जेल,
दिसम्बर १४, १९१३

कैदीका नाम : मो० क० गांधी

संख्या : १७३९

किसको भेजा गया :

पूरा नाम : कुमारी देवी वेस्ट

पेशा : स्कूल अध्यापिका

डाकका पता : इन्टरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस

निकटतम कस्बा : फीनिक्स, नेटाल

प्रिय देवी,

और लोग कहाँ हैं, यह मैं नहीं जानता, इसलिए मेरा तुम्हें पत्र लिखना ही सबसे अधिक उपयुक्त है।

मैं यहाँ बिलकुल प्रसन्न और ठीक हूँ। सालके इन दिनोंमें यहाँ फीनिक्सकी-सी ही गर्मी रहती है।

आशा है, तुम और दूसरे लोग स्वस्थ होंगे, और देवदास, प्रभुदास तथा अन्य लड़के फीनिक्ससे महिलाओंके चले जानेके बाद जो व्यवस्था लागू की गई थी उसका पालन कर रहे होंगे और उससे उनका विकास हो रहा होगा। देवदासने विभिन्न अवसरों-पर मुझे जो वचन दिये हैं, उसे उनकी याद दिलाना। उससे पूछना कि क्या उसे उन सबका स्मरण है। जब तुम या कोई दूसरा मुझे पत्र लिखे तो मैं चाहूँगा कि मुझे लड़कोंका दैनिक कार्यक्रम सूचित कर दिया जाये। क्या शान्ति परेशान कर रहा है? नवीन कहना मानता है या नहीं? और क्या शिवप्रसाद और छोटू पहलेकी ही तरह चंचल और चपल हैं? मैं आशा करता हूँ रुखी तुम्हें या मगनलालको ज्यादा परेशान न करती होगी। कृष्णा, राधा और केशू भी मेरे खयालसे बाहर नहीं हैं; किन्तु वे तो मगनलालके साथ रहनेके आदी हैं, इसलिए उनके बारेमें खास पूछताछ करनेकी आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है, रुस्तम वेस्ट बड़ा हो रहा होगा और वह श्रीमती पाइवेल और श्रीमती वेस्टकी दृष्टिमें अब भी संसारका सबसे सुन्दर बच्चा होगा।

श्रीमती सामसे कहना कि उन्होंने श्री सामके नाम जो सन्देश भेजा था मैं उसे भूला नहीं हूँ। लेकिन वे जानती ही हैं कि मुझे उसे उनतक पहुँचानेका अवकाश या अवसर नहीं मिल पाया। किन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वे जल्दी ही श्री सामसे मिलेंगी और प्रस्तावित विवाह-सम्बन्धमेंके बारेमें उनकी स्वीकृति ले लेंगी। इससे मुझे यह बात भी याद आ गई कि मुत्तुने भरसक पूरी तरह सहायता देनेका वचन दिया था और मुझे आशा है कि वे उसका पालन कर रहे होंगे।

कुमारी श्लेसिन वहाँ होंगी तो बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही होंगी।

जब महिलाएँ और लड़के वापस आ जायें तो श्रीमती गांधीसे कहना कि उनके चले जानेके बादसे अब जो दिनचर्या बन गई है, वे उसमें फेरफार न करें। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मुझे आशा है कि रामदास और दूसरे लड़के भी उस दिनचर्याको अपना लेंगे। तुम इसका उत्तर उन लोगोंके वापस आनेपर देना जिससे तुम मुझे उनके सम्बन्धमें पूरी जानकारी दे सको। मैं इसके उत्तरके अतिरिक्त दूसरा कोई पत्र नहीं लूंगा।

मुझे आशा है कि श्रीमती गांधीका पुराना रोग फिर नहीं उभड़ा होगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अन्य महिलाएँ कैसी रहीं, मुझे यह भी सूचित करना। जेकी बहनको उन वचनोंपर दृढ़ रहना चाहिए जो उन्होंने मुझे दिये हैं। उनसे कहना कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मुझे उनका खयाल न आता हो। जहाँतक भोजनका सम्बन्ध है मैं उन्हें किन्हीं वचनों या व्रतोंके बन्धनमें नहीं बाँधता। जो चीज उनके शरीरके अनुकूल आये, वे उसे खा सकती हैं। किन्तु उन्हें महज स्वस्थ ही नहीं बल्कि खूब हट्टा-कट्टा भी होना चाहिए। यदि डॉक्टर मेहताने निश्चित रूपसे केश बढ़ानेसे मना न किया हो, तो उन्हें अपने केश भी बढ़ा लेने चाहिए।

काशी और सन्तोक इस सामूहिक कुटुम्बमें शामिल हो सकतीं और श्रीमती गांधी अपनी सहमति दे देतीं तो कितना अच्छा होता।

मुझे आशा है, मगनलालने मेरी खोई हुई तमिल पुस्तक ढूँढ़ ली होगी। यदि न ढूँढ़ी हो तो वह गोविन्दूसे पूछे और उसे लेकर सुरक्षित रख ले। मेरे अवकाशका ज्यादातर समय तमिल पढ़नेमें लगता है। थोड़ा-सा वक्त प्रतिदिन आहारके पोषक-तत्वों, और लोकप्रिय एवं अपेक्षाकृत हानि-रहित औषधियोंके प्रयोगोंके विषयमें एक किताब लिखनेमें लगाता हूँ।^१

राजकोटमें जमनादासपर जो कुछ खर्च हुआ हो सो, उसके राहका खर्च तथा ऊपरसे १० पाँड श्री खुशालभाई (राजकोट) को मनीआर्डरसे भेज दिया जाये। इस १० पाँडमें से वे मेरी विधवा भाभीको २० रुपया प्रतिमास देते रहें। खुशाल-भाईको यह भी लिख दिया जाये कि वे मेरी बहिनको अपना खर्च घटाकर ५ या १० रुपये प्रतिमास कर लेनेपर राजी करें। इसमें से आवश्यक हो तो ५ रुपये मेरी भाभीके निर्वाह-व्ययमें बढ़ाया जा सकता है। भेजी गई यह सारी रकम संकटकालीन खर्चकी मदमें डाली जा सकती है।

कुमारी श्लेसिन श्री मैकिंटायरको याद दिला दें कि वे रुपयोंकी किस्त देना शुरू करें। किस्तोंमें अदायगीका वादा उन्होंने बहुत पहले किया था।

यदि जमनादास वहाँ हो तो वह भोजन और दूसरी आदतोंमें मगनलालका अनुगमन करे। तब वह ठीक रहेगा। मैं यह जाननेके लिए चिन्तित हूँ कि उसका शरीर और मन कैसा रहता है।

छगनलाल जितना ले सके उतना जैतूनका तेल ले, और जितना बन सके उतना बागवानीका काम करे। वह सब मौसमोंमें खुलेमें सोये और प्रातःकाल उठकर तथा रातमें

१. गांधीजीने यह पुस्तक पूरी की या नहीं, और वह प्रकाशित हुई अथवा नहीं, इसका कोई पता नहीं है।

सोनेसे पहले गहरी साँसें ले। वह हररोज पन्द्रह मिनट तक जैतूनके तेलसे अपनी छाती और पीठपर मालिश करे। यह मालिश धीरे-धीरे किसी मजबूत आदमीसे करानी चाहिए। मालिश मगनलाल या रामदासको करनी चाहिए। उसे (छगनलालको) क्षय रोगके ऊपर डॉ० कार्टनका शोध-निबन्ध पढ़ना चाहिए। मेरा खयाल है, वह लेख मैंने मगनलालको पढ़नेके लिए दिया था। मुझे आशा है कि श्री दाउदने मगनलालको वे पुस्तकें लौटा दी होंगी जो हसनको दी गई थीं। मैं चाहता हूँ कि उनमें से आहार-चिकित्सा मुझे भेज दी जाये।

मैंने फोक्सरस्ट जेलके जेलरको ये चीजें लौटा दी थीं; एक बंडल जिसमें श्री कैलेनब्रैक और मेरे कम्बल थे और मेरा चमड़ेका लिखनेका केस, उत्तर रामचरित, एडीसनके निबन्ध और दयानन्द द्वारा किये गये ऋग्वेद, आदिके भाष्य। जेलरने इन चीजोंको वापस फीनिक्स भेजनेका वचन दिया था। यदि वे तुम्हारे पास हों तो उनमें से एडीसनके निबन्ध श्रीमती पोलकको लौटा दिये जायें। मुझे आशा है श्रीमती पोलक बच्चों सहित ठीक होंगी और उनकी जरूरतकी सब चीजें उन्हें दी जा रही होंगी।

जो मासिक हिसाब तैयार करते हैं, वह फीनिक्स बस्तीके न्यासियों (ट्रस्टियों) को ही बराबर दिया जाना चाहिए। क्या श्री उमर बस्तीमें आते हैं? यदि नहीं, तो उन्हें उनके वादेकी याद दिला देना।

श्री बद्रीके मुकदमेका क्या हुआ? तुम श्री बद्री या श्री एफ० एस० टैथमसे, जिन्हें श्री पोलकने मुकदमा सौंपा है, पूछताछ कर सकती हो। श्री इस्माइल पारेखने मुझे लिखा था कि मुकदमा अनिश्चित समयके लिए स्थगित किया जा सकता है।

श्री खुशालभाईको यह भी लिखना कि मैं जब कभी भारत आऊँगा अपनी भतीजी तुलसीका हिसाब निपटा दूँगा। यदि मैं १८ महीनेके भीतर न लौटा तो उसे निपटानेकी कोई अन्य व्यवस्था करूँगा। ब्याजके बारेमें मुझे सन्देह है। मैं यह भी कह दूँ कि मैंने डॉ० मेहताको लिखा था कि वे मेरी भाभीको मासिक रकम भेजते रहें। यदि वे यह रकम भेजने लगे हों तो खुशालभाईको १० पाँड भेजनेकी जरूरत नहीं है।

श्रीमती गांधीसे मेरा आग्रह है कि वे मेरे बारेमें चिन्तित न हों। अपने स्वास्थ्यका खयाल रखकर वे मुझे अपना स्वास्थ्य अच्छा रखनमें ज्यादा सहायता देंगी। उनके स्वास्थ्यका मूल-मन्त्र यही है कि वे बताया गया आहार ही करें।

तुम सबको बहुत-बहुत प्यार,

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

[पुनश्चः]

यह पत्र सब लोग पढ़ लें और फिर कुमारी श्लेसिन जहाँ भी हों, वहाँ उनके पास भेज दिया जाये। श्री कोतवालको पत्र लिखो तो मेरी याद लिखना। मुझे आशा है कि लालचन्द मदद दे रहा होगा। उसका स्वास्थ्य कैसा है, और छोटा बच्चा कैसा है?

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९१३) की फोटो-नकलसे।

१९७. भाषण : जोहानिसबर्गमें^१

जोहानिसबर्ग
दिसम्बर १८, १९१३

पुराने 'गेइटी थियेटर' की एक सभामें बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि रिहा कर दिये जानेकी मुझे कोई खुशी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जेलका एकाकीपन और शान्ति अधिक प्रिय है क्योंकि वहाँ मुझे चिन्तन-मननका अवसर और समय मिल जाता है। किन्तु रिहा हो जानेपर अब मैं वही काम फिर शुरू करूँगा जो जेल जानेसे पहले तक कर रहा था। उन्होंने कहा, जहाँतक मेरा सवाल है, मैं सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय आयोग (इंडियन कमीशन) से सन्तुष्ट नहीं हूँ। मुझे इसमें सन्देह है कि यदि मैं और अन्य लोग उसके सामने बयान दें तो उसका कोई प्रभाव होगा, या बयान देना भारतीय आबादीके हितमें होगा। तथापि यह निश्चय हुआ है कि मैं, श्री पोलक और श्री कैलेनबैक सुबह डर्बनके लिए रवाना हों। वहाँ पहुँचनेपर ही हम निश्चय करेंगे कि आयोगका जो वर्तमान स्वरूप है, उसे देखते हम उसे स्वीकार करें या नहीं। उन्होंने कहा, मैं बिलकुल सन्तुष्ट नहीं हूँ। जिसके अधिकांश सदस्य सरकारी पक्षके हों, या जिसके सारे ही सदस्य सरकारी हों, और इसीलिए जिसका फैसला दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके हितोंके विपरीत होगा, ऐसे आयोगको स्वीकार करनकी अपेक्षा मैं फिर जेल जाना, और भारतीयोंका मामला उसके गुण-अवगुणके ऊपर छोड़ देना पसन्द करूँगा। श्री गांधीने निश्चयपूर्वक यह कहनेसे इनकार किया कि वे आयोगके सामने बयान नहीं देंगे, लेकिन उनका इरादा वंसा ही कुछ था, क्योंकि आयोगके सदस्य भारतीयोंके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इस बारका मेरा जेलका अनुभव पिछले बारके जेल-अनुभवसे भिन्न रहा। मेरे साथ बहुत सौजन्यपूर्ण व्यवहार किया गया और मैं सार्वजनिक रूपसे यह कहना चाहूँगा कि जेल अधिकारियोंने मेरे आरामका बहुत खयाल रखा।^२

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३

१. भारतीय जांच आयोगकी सिफारिशपर गांधीजी, पोलक और कैलेनबैकको प्रिटोरिया ले जाया गया और १८ दिसम्बरको बिना किसी शर्त रिहा कर दिया गया। उसी दिन शामको जोहानिसबर्ग पहुँचनेपर उनके सम्मानमें एक स्वागत-समारोहका आयोजन किया गया। यह भाषण उसी अवसरपर दिया गया था।

२. गांधीजीके बाद पोलक, कैलेनबैक और विलियम हॉस्केनने भी सभामें भाषण दिया और सर्वसम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि वर्तमान आयोगके सामने बयान न दिये जायें।

१९८. भाषण : 'डर्वनमें'

डर्वन

दिसम्बर २०, १९१३

श्री गांधीने श्रोताओंको बताया कि अब एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लेनेका समय आ गया है। उन्होंने कहा, मेरा विचार अगले दिन होनेवाली एक विशाल सभामें आपकी सुविचारित रायके आधारपर मत लेनेका है। उन्होंने यह संकेत दिया कि जिस प्रश्नपर उन्हें निर्णय करना होगा वह यह है कि क्या एक ऐसे आयोगके सामने गवाही देना सम्मानजनक है जो भारतीयोंकी इच्छा या रायका कोई खयाल किये बगैर बनाया गया है, और यह भी कि क्या उस आयोगके सदस्योंको ईमानदार और पक्षपात-रहित माना जा सकता है?

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३

१९९. भेंट : 'नेटाल मर्क्युरी' को

[डर्वन

दिसम्बर २०, १९१३]

'मर्क्युरी' के एक प्रतिनिधिको भेंट देते हुए श्री गांधीने कहा कि श्री कैलेनबैंक और श्री पोलकके साथ मेरे आगमनपर होनेवाली सभामें हमारे स्वागतके लिए हमने धन्यवाद दिये। उन्होंने कहा, मेरी रिहाई एक आश्चर्यकी बात हुई, और जेलके बाहर आनेपर ही मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी रिहाई आयोगके सदस्योंकी सिफारिशके कारण हुई है।

हम महसूस करते हैं कि हमारी रिहाई हमारे कन्वेपर एक बड़ी जिम्मेदारी डालती है किन्तु आयोगका संगठन जिस प्रकारका है, उसे देखकर मुझे लगता है कि सदस्योंकी नामजदगीमें भारतीय समाजसे सलाहका न लिया जाना बहुत बड़ी चालाकी है। १९०७ से लेकर अबतक सारे सत्याग्रहपीछे प्रधान भावना यही रही है कि भारतीय समाजसे सम्बन्धित मामलोंमें सरकारको उसकी राय व भावनाओंका ध्यान रखना चाहिए। जाहिर है कि सरकारने आयोगके मामलेमें यह नहीं किया। बिना हमारी सलाह लिए अपने मनके सदस्य नामजद करनेपर हमें आपत्ति है।

१. डर्वन स्टेशन पहुँचनेपर गांधीजी, पोलक और कैलेनबैंकको मालाएँ पहनाई गईं और उन्हें एक जुद्धसमें नेटाल भारतीय कांग्रेसके दफ्तर ले जाया गया जहाँ उन्होंने उपस्थित लोगोंके सामने भाषण दिया।

श्री एसेलेन और कर्नल वाइलीके सम्बन्धमें श्री गांधीने कहा कि इन दोनों सज्जनोंके अतीव सुखद संस्मरण मेरे मनमें हैं और मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि वे आयोगमें अपना कर्तव्य ईमानदारीसे निभायेंगे, किन्तु वे अपनी कट्टर एशियाई-विरोधी भावनाके लिए प्रसिद्ध हैं; उससे ऊपर उठ सकने योग्य उदारता उनमें नहीं है। चूँकि वे आयोगके सदस्य नामजद कर ही दिये गये हैं, मैं उनकी नियुक्तिपर आपत्ति नहीं करूँगा; किन्तु भारतीय समाजके साथ न्याय करनेके लिए इतना तो होना ही चाहिए कि आयोगके निर्णयोंपर इन सदस्योंके सम्भावित कुप्रभावोंका निवारण करनेके लिए कुछ ऐसे यूरोपीय सदस्य भी नियुक्त किये जायें जिनके मनमें एशियाई-विरोधी भावना नहीं है।

जबतक सरकार यह न्यायोचित माँग नहीं मानती, हमारा आयोगको स्वीकार करना या उसकी कार्यावाहीमें मदद देना सम्भव नहीं है। हमने निश्चय किया है कि जबतक हमारा यह निवेदन स्वीकार नहीं किया जाता, हम आयोगके सामने कोई बयान नहीं देंगे, और फिरसे गिरफ्तारी कराने और जेल जानेके लिए अपनी गतिविधियाँ जारी करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २२-१२-१९१३

२००. भाषण : सार्वजनिक सभाम^१

[डर्बन

दिसम्बर २१, १९१३]

श्री गांधीके उठनेपर उनका हर्षध्वनिसे स्वागत किया गया और मंचके समीपके किसी व्यक्तिने उनके हाथमें एक गुलदस्ता दिया। उन्होंने इस बातका उल्लेख किया कि मैं पहले किसी भारतीय भाषामें बोलना पसन्द करता परन्तु सर्वश्री पोलक और कैलेन-बैंककी उपस्थितिमें जो हमारे साथ जेल गये, मुझे आभार व्यक्त करनेके लिए पहले उसी भाषामें बोलना चाहिए जो वे जानते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो पोशाक मैं पिछले २० वर्षोंसे पहन रहा था उसे मैंने बदल दिया है। पोशाकमें यह परिवर्तन करनेका निर्णय मैंने उस समय किया जब अपने देशवासियोंपर गोली चलनेकी बात सुनी। गोली चलाया जाना उचित था या नहीं, यह अलग बात है; तथ्य यह है कि उनपर गोलियाँ चलाई गईं और वे गोलियाँ मेरे (श्री गांधी) कलेजेको चीरती हुई निकल गईं। मैं महसूस करता हूँ कि यदि उन गोलियोंमें से एक मुझे भी लगती तो कितने गौरवकी

१. नेटाल भारतीय संघके तस्वावधानमें हुई एक सार्वजनिक सभामें गांधीजीने भाषण दिया था। इस सभामें छः-सात हजार लोग शामिल हुए थे जिनमें कुछ प्रमुख यूरोपीय भी थे। अध्यक्षता श्री अब्दुल कादिरने की थी।

बात होती, क्योंकि भारतीयोंको हड़ताल करनेकी सलाह देकर मैंने भी उस घटनामें भाग लिया था। इसलिए तो मैं स्वयं ही क्या एक हत्यारा नहीं हूँ? मेरी आत्माने हत्याके अपराधसे तो मुझे मुक्त कर दिया है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मुझे उन भारतीयोंके लिए शोक मनाना चाहिए जो मेरे साथी देशवासियोंके लिए एक छोटा-सा उदाहरण होगा। मैं समझता हूँ कि मुझे कमसे-कम संघर्षकी समाप्ति काल तक शोक मनाना चाहिए और सो भी केवल आन्तरिक ही नहीं वरन् बाह्य रूपमें भी। वह साथी-देशवासियोंके लिए उदाहरणस्वरूप होगा और मैं उन्हें यह बता सकूंगा कि उनके लिए अपने आचरण और बाह्य स्वरूपसे यह प्रदर्शित करना बहुत आवश्यक है कि वे शोक मना रहे हैं। किन्तु इसके लिए मैं यूरोपीयोंकी शोकसूचक पोशाक अपनानेको तैयार नहीं हूँ। अपने यूरोपीय दोस्तोंकी भावनाओंका ख्याल करके कुछ परिवर्तनके साथ मैंने एक गिरमिटिया भारतीयकी पोशाकसे मिलती-जुलती पोशाक अपना ली है। मैं अपने साथी देशवासियोंसे अनुरोध करूंगा कि वे संसारको यह दिखानेके लिए कि वे शोक मना रहे हैं, शोकका कोई चिह्न अपना लें तथा आन्तरिक रूपसे भी शोक मनायें। और शायद मेरा आप सबको अपना आन्तरिक शोक मनानेका तरीका बताना ठीक होगा; वह है—दिनमें एक बार भोजन करनेका नियम। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी शर्तपर नहीं बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोगकी सिफारिशपर रिहा किये गये हैं। आयोगकी नियुक्ति इस उद्देश्यसे की गई कि सिर्फ यूरोपीयोंको ही नहीं वरन् भारतीय समाजको भी हर प्रकारकी सुविधा हो कि वह आयोगके सामने अपनी बातके सबूत पेश कर सकें। सरकारने आयोगकी नियुक्ति की इसे मैं ठीक और उचित बात समझता हूँ, परन्तु भारतीय दृष्टिकोणसे आयोगपर बहुत बड़ी आपत्ति की जा सकती है, और यहाँ मैं अपनी नम्र राय दूंगा कि आयोगको ऐसे रूपमें स्वीकार करना जिसमें भारतीयोंका कोई भी प्रतिनिधित्व न हो, असम्भव है। वे अनेक कष्टोंके लिए संघर्ष कर रहे हैं और संघर्षके पीछे भावना यही है कि सरकार भारतीयोंके हितोंसे सम्बन्धित प्रत्येक बातमें उनकी राय लेनेके अधिकारको पूरी तरहसे मान ले। जबतक सरकार इस हदतक झुकनेको तैयार नहीं, जबतक वह भारतीयोंकी भावनाओंको ठीकसे समझने और आदर करनेको तैयार नहीं, तबतक साम्राज्यके वफादार और मानवीय नागरिक होनेके नाते भारतीयोंके लिए यह सम्भव नहीं कि वे उन आयोगों या कानूनोंका हुक्म मानें जो उनके सिरपर थोप दिये गये हों। यह गम्भीर सैद्धान्तिक आपत्तियोंमें से एक है। दूसरी आपत्ति यह है कि आयोग एक वर्गका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भारतीय भी इसमें अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। चाहे यह सम्भव नहीं है तो वे कमसे-कम ऐसे निष्पक्ष लोग तो चाहते ही हैं जिन्होंने अबतक उनके हितोंको चोट पहुँचानेवाले मत व्यक्त न किये हों और जो आयोगके सामने सोचने विचारनेके लिए स्पष्ट, उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण रख सकें। (तालियाँ)। मैं समझता हूँ कि

श्री एसेलेन और श्री वाइली प्रतिष्ठित सज्जन होते हुए भी सम्भवतः जाँचपर स्पष्ट प्रकाश नहीं डाल सकेंगे क्योंकि उनकी अपनी मानवीय सीमाएँ हैं और वे अपने आपको अपने एशियाई विरोधी विचारोंसे, जिन्हें वे अनेक बार व्यक्त कर चुके हैं, पृथक नहीं कर सकते। यदि सरकार भारतीयोंका प्रतिनिधित्व कर सकनेवाले लोगोंको नामजद करती, और इस प्रकार उनकी भावनाओंका आदर करती तथा जो कैदी अभी जेलमें हैं उन्हें रिहा कर देती, तो मैं समझता हूँ कि वे सरकारकी, और इसलिए साम्राज्यकी भी मदद कर सकते और सम्भवतः और अधिक कष्ट सहें बिना इस समस्याको समाप्त कर सकते। लेकिन सम्भव है, उन्हें शायद अभी और कष्ट सहना पड़े। शायद उनके पाप इतने बड़े हैं कि उन्हें और अधिक तपस्या करना लाजिमी हो।

इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपनेको उस पुकारकी प्रतिक्रियाके लिए तैयार रखेंगे। शायद सरकार हमारी उचित और न्यायसंगत प्रार्थनाओंको ठुकरा दे और तब फिरसे संघर्षकी गतिको बढ़ानेके लिए हमें और अधिक तपस्यामें से गुजरना होगा यहाँतक कि सरकार सेनाको यह आदेश दे दे कि वह हमें भी गोलियोंसे छलनी कर दे। मेरे दोस्तो! क्या आप इसके लिए तैयार हैं? (आवाजें: 'हाँ')। क्या आप हमारे उन देशभाइयोंके भाग्यका अनुसरण करनेको तैयार हैं जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिये हैं। ('हाँ' की आवाजें) तब यदि सरकार हमारी माँग पूरी न करे, तो मैं आज यह योजना प्रस्तुत कर रहा हूँ: हम सब नये सालके पहले दिन फिरसे संघर्ष करने, कैद-भुगतने और कूच करनेके लिए तैयार हो जायें। (करतल ध्वनि)। शुद्धि करनेका एकमात्र तरीका यही है और यह भीतर व बाहरसे शोक मनानेका एक ऐसा ठोस ढँग है जो कि भगवानके सामने भी न्यायोचित ठहरेगा। यही सलाह हम अपने स्वतन्त्र व गिरमिटिया देशभाइयोंको देते हैं कि वे हड़ताल करें और चाहे इसका अर्थ उनके लिए मृत्यु ही हो, मुझे पूरा विश्वास है कि वह उचित क्रदम होगा।

उन्होंने आगे कहा कि यदि आप शान्त जीवनको स्वीकार करते हैं, तो न केवल ईश्वरके कोपभाजन होंगे, वरन् यूरोपीय संसारके उस समूचे भागके अपमानके भी भागी बनेंगे जो ब्रिटिश साम्राज्यको बनाता है। (हर्षध्वनि)। मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्त्री, पुरुष और सयाना बच्चा संघर्षके लिए तैयार रहेगा। मेरे विचारसे यह संघर्ष मानव स्वतंत्रताका संघर्ष है और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिके अपने-अपने धर्मका भी। अतः मैं आशा करता हूँ कि लोग इसमें भाग लेते हुए अपने स्वार्थ, अपने वेतन, व्यापार बल्कि अपने परिवार और शरीरकी भी परवाह नहीं करेंगे। यह मुख्यतः एक धार्मिक संघर्ष है (हर्षध्वनि); क्योंकि कोई भी संघर्ष जिसमें अपनी आत्माकी स्वतन्त्रता और बलका प्रश्न हो वह एक धार्मिक संघर्ष ही हो सकता है। अतएव मैं आशा करता हूँ कि आप आह्वान किये जानेपर संघर्षमें कूद पड़नेके लिए तैयार रहेंगे और उन लोगोंकी बात नहीं सुनेंगे जो विचलित हों और जो ठहरनेको या संघर्षसे विमुख होनको कहें। यह संघर्ष ऐसा है जिसमें एक बिलकुल स्पष्ट प्रश्न अन्तर्हित है जो नितान्त सादा है।

किसीकी भी न सुनिये, बल्कि अपनी आत्माके आदेशका पालन कीजिये और बिना सोचे आगे बढ़िये। अब समय सोचनेका है और एक बार दृढ़ निश्चय कर लेनेके बाद उसपर मृत्युपर्यन्त अटल रहिये।^१

प्रस्ताव

(१) नेटाल भारतीय संघके तत्त्वावधानमें नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा निश्चय करती है कि समाज अपने गौरवकी दृष्टिसे सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त किये गये आयोगके सामने बयान न दे क्योंकि आयोगके सदस्योंके चुनावमें समाजकी राय नहीं ली गई और उसमें विशेष रूपसे उस समाजका प्रतिनिधित्व करनेवाला कोई भी सदस्य नहीं है जिसके हितोंपर आयोगकी जाँचका जबर्दस्त प्रभाव पड़ेगा।

(२) यह सभा सरकारसे सादर आग्रह करती है कि सदस्योंमें माननीय श्री डब्ल्यू० पी० श्राइनर और माननीय सर जेम्स रोज-इन्स, या यूरोपीय जातिके ऐसे अन्य प्रमुख लोगोंको जो दक्षिण आफ्रिकामें रहते हैं, शामिल किया जाये जिनकी नामजदगी दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समाजको भी स्वीकार होगी।

(३) यह सार्वजनिक सभा, यदि सरकार इस भारतीय दृष्टिकोणको मान ले कि आयोगमें कुछ ऐसे सदस्य और शामिल किये जायें ताकि इसकी जाँचका जिन सबके हितोंपर प्रभाव पड़ता है उन सभीको समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये, तो वह यह भी निवेदन करती है कि वे सभी सत्याग्रही जो इस समय जेलोंमें हैं, तत्काल रिहा कर दिये जायें और भारतीय समाज अपनी ओरसे सत्याग्रहको उस समय तक के लिए स्थगित करनेको तैयार है जबतक कि आयोगकी जाँचके परिणाम प्रकाशित न हो जायें। फिर भी यदि सरकार सभाकी विनीत प्रार्थनाओंको माननेसे इनकार कर दे तो उस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामें समाज तुरन्त ही नये जोश और निश्चयके साथ संघर्ष शुरू करनेको बाध्य होगा।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मक्युरी, २२-१२-१९१३

१. इसके बाद फिर सभामें कैलनवैक, पोलक, रिच और नेटालके भारतीय मिशनके अध्यक्ष रेवरेंड बैलीने भाषण दिये।

२०१. पत्र : गृह-मन्त्रीको

[डर्वन
दिसम्बर २१, १९१३]

महोदय,

समाचार पत्रोंसे ज्ञात हुआ है कि हमें दी गई सजाकी अवधि पूरी होनेसे पहले ही जेलसे हमारी रिहाई उस आयोगके सदस्योंकी सिफारिशका फल है जिसे नेटालमें गिरमिटिया और स्वतंत्र भारतीयोंकी हड़तालके कारणों तथा भारतीयोंसे सम्बन्धित अन्य मामलोंकी जाँचके लिए हाल ही में नियुक्त किया गया है। आयोगके सदस्यों द्वारा कि गई सिफारिशके कारणों और सरकार द्वारा उस सिफारिशके स्वीकार किये जानेकी, हम कद्र करते हैं, और हम हड़तालके कारणोंकी जाँचमें आयोगकी सहायता करनेके इच्छुक हैं। उपर्युक्त उद्देश्यसे आयोगकी नियुक्तिके लिए हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, लेकिन हमें खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि जबतक आगे बताई जानेवाली हमारी आपत्तियाँ सरकार दूर नहीं कर देती तबतक हम आयोगको जो सहायता दे सकते हैं, नहीं दे सकेंगे। हमने निश्चित रूपसे पता चला लिया है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजको आयोगमें अपनी ओरसे कोई सदस्य नामजद करनेका अवसर नहीं दिया गया। हम यह बताना चाहेंगे कि १९०७ में सत्याग्रह आन्दोलनके मूलमें आरम्भसे ही सरकारसे यह तथ्य स्वीकार करानेकी भावना रही है कि भारतीय समाजसे सम्बन्धित मामलोंमें उसकी इच्छाओं और भावनाओंका ध्यान रखना जरूरी है। केवल उसी हालतमें समाजसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपनेको प्रभावित करनेवाले कानूनों या अन्य व्यवस्थाओंको खुशी-खुशी स्वीकार करे और उनका पालन करे। हमें लगता है कि आयोगके सदस्योंका चुनाव करते हुए सरकारने एक बात न करके भारी भूल की। उसने भारतीय समाजको आयोगकी सदस्यताके लिए दक्षिणके ऐसे दो गण्य-मान्य लोगोंके नाम देनेका अवसर नहीं दिया, जो, समाजके खयालसे, उसके हितोंका संरक्षण और विशिष्ट प्रतिनिधित्व करते। हमारी नम्र सम्मतिमें, भारतीय समाज द्वारा आयोगके स्वीकार किये जानेमें यह एक गम्भीर और बुनियादी आपत्ति है।

इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि श्री एवालड एसेलेन, के. सी., और कर्नल वाइलीकी नियुक्तिसे प्रकट होता है कि सरकार, पता नहीं किस कारणसे, आयोगको एक पक्षीय बनाना चाहती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि श्री एसेलेनने बहुत जोरदार शब्दोंमें अपने एशियाई-विरोधी उद्गार व्यक्त किये हैं और कर्नल वाइलीने तो इससे आगे जाकर अभी हालमें भी कहा है कि भूतपूर्व गिरमिटियोंपर लगाया जानेवाला तीन-पाँडी कर बरकरार रखा जाये। फिर, हड़तालके सिलसिलेमें सेनाने जो-कुछ किया आयोगको उसकी भी जाँच करनी होगी। हमारा विचार है कि चूँकि सेनाके साथ कर्नल वाइलीका सम्बन्ध एक जानी-मानी बात है, इसलिए स्वभावतः वे एक हितबद्ध व्यक्ति हैं।

दक्षिण आफ्रिकी राजनयिकोंके रूपमें तो श्री एसेलेन और कर्नल वाइलीके खिलाफ हमें कुछ नहीं कहना है। प्रथम हस्ताक्षरकर्त्ता श्री एसेलेन और कर्नल वाइली दोनोंसे जो व्यावसायिक सम्बन्ध रहा है, उसका स्मरण करके उसे अब भी आनन्दका अनुभव होता है। उसी प्रकार जुलू विद्रोहके दौरान जब भारतीय आहत-सहायक दलका^१ गठन करके उस संकट-कालमें उसकी सेवाएँ सरकारको प्रदान की गई थीं, उस समय उक्त दलके साजट-मेजरकी हैसियतसे प्रथम हस्ताक्षरकर्त्ताको कर्नल वाइलीके अधीन काम करनेका जो अनुभव प्राप्त हुआ, वह भी एक सुखद स्मृति ही है। अस्तु, हमें इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनसे जहाँतक बन पड़ेगा, वे आयोगमें निष्पक्ष पंचोंकी तरह बरताव करेंगे; लेकिन हम अपने मनसे यह दुःशंका दूर नहीं कर सकते कि सामान्य मानवीय कमजोरियोंके शिकार वे भी हैं और फलतः वे भी अपनेको पूर्वगृहीत धारणाओंसे सर्वथा मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है: हमें इन दोनों सज्जनोंके आयोगके सदस्य नियुक्त किये जानेपर चाहे जितना खेद हो, मगर उसपर आपत्ति करनेका हमारा कोई इरादा नहीं है। किन्तु, आयोगके निष्कर्षोंपर पड़नेवाले उनके पूर्वग्रहोंके सम्भावित प्रभावको संतुलित करनेके खयालसे हमारा नम्र निवेदन है कि दक्षिण आफ्रिकाके ऐसे कुछ गण्य-मान्य सज्जनोंको आयोगके सदस्योंके रूपमें नियुक्त करना अत्यन्त आवश्यक है, जिनकी कोई ऐसी ख्याति नहीं है कि वे एशियाई-विरोधी पूर्वग्रहोंसे ग्रस्त हैं; और इस उद्देश्यसे हम माननीय सर जेम्स रोज-इन्स तथा माननीय डब्ल्यू० पी० श्राइनरके नाम सुझानेकी धृष्टता करते हैं।

हमने मुक्त होते ही, क्षण-भरकी देर किये बिना, भारतीय समाजकी भावनाको टटोलना शुरू किया, और हमें यह देखकर आश्चर्यके साथ-साथ बड़ी खुशी भी हुई कि हम समाजको क्या-कुछ सलाह देंगे, इसका अनुमान वह पहलेसे ही लगाये बैठा था, और उसने सरकारके पास इन नामजदगियोंके खिलाफ बड़े जोरदार विरोध-पत्र भी भेजे थे तथा उसे उपर्युक्त नाम भी सुझाये थे। हमने यह भी पाया कि इससे भी आगे बढ़कर विरोधके तौरपर ३६ सत्याग्रहियोंने, जिनमें से पांच औरतें थीं, नेटालसे फोक्सरस्टमें प्रवेश किया था, और उन्हें गिरफ्तार करके कैदकी सजा दी गई थी। हमें मालूम हुआ है कि अदालतमें अपने बयानके दौरान उन्होंने मुख्य मजिस्ट्रेटको सूचित किया कि स्वेच्छया गिरफ्तार होनेमें उनका उद्देश्य आयोगको जो पक्षपातपूर्ण रूप दिया गया है, उसके खिलाफ सम्मानपूर्वक अपना विरोध प्रकट करना था; और हमने यह भी पाया कि सत्याग्रहियोंके दो और दल इसी उद्देश्यसे फोक्सरस्टके लिए प्रस्थान कर चुके थे।

अतः, हमारी स्थिति बहुत सहज और स्पष्ट थी। नेटाल भारतीय संघने आज एक सार्वजनिक सभा बुलाई थी। उस सभामें हमें आमन्त्रित किया गया था। वहाँ हमें कुल इतना ही करना पड़ा कि जो विरोध-पत्र भेजा जा चुका था, हमने सभाको उसकी संपुष्टि करनेकी सलाह दे दी और हम हर्षके साथ सूचित करते हैं कि शीघ्र ही ऐसा कर भी दिया गया। हम आशा और अनुनय करते हैं कि सरकार कृपापूर्वक इस निवेदनको स्वीकार कर जिन सज्जनोंके नाम सुझाये गये हैं, उन्हें आयोगके सदस्यके रूपमें चुन लेगी।

१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १४७-५२।

अगर ये नाम स्वीकार कर लिये गये तो हमारा निवेदन है कि इससे पूर्व कि हम आयोगके सामने गवाही दें और समाजको भी उसके पास गवाहीके लिए उपयोगी जो वेशुमार तथ्य हैं, उन्हें पेश करनेकी सलाह दें, अभी जो सत्याग्रही साधारण जेलोंमें या जेलोंके रूपमें परिवर्तित खानोंके अहातोंमें सजा भुगत रहे हैं उन्हें छोड़ देना आवश्यक होगा। हमें आशा है कि सरकार इस प्रार्थनाके औचित्यको महसूस करेगी, क्योंकि हमारे लिये यह बात सर्वथा अशोभनीय होगी कि जिन लोगोंने अंशतः हमारी सलाहपर जेल-जीवनको अपनाया है वे तो वहीं पड़े रहें और हम मुक्त विचरण करें; और फिर जबकि सत्याग्रहियोंके भाई-बहन जेल-जीवनकी कठिनाइयाँ झेल रहे हों उस समय, आयोगकी जाँच समाप्त होने तक के लिए, उन्हें जेल-यात्राके लिए सामने आनेसे रोकना भी हमारे लिए सम्भव नहीं होगा।

यदि आयोगमें नियुक्तिके लिए ऊपर जो नाम सुझाये गये हैं, उन्हें स्वीकार कर लिया गया और सत्याग्रही कैदियोंकी रिहाईके सम्बन्धमें हमारी प्रार्थना मान ली गई तो हम समाजको आयोगकी जाँचकी कार्रवाई तक के लिए सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित रखनेका सुझाव देंगे। फिर, अगर सरकारने हमारे सुझाव स्वीकार करके हमारे लिए आयोगके सामने गवाही देना सम्भव कर दिया तो हमें और समाजके अन्य सदस्योंको, प्रमाण जुटाने तथा लोगोंको जाँचकी अवधि तक अपने-अपने अनुबन्धोंके अधीन काम जारी रखनेकी सलाह देनेके उद्देश्यसे, जिन जमींदारियों और कोयला-खानोंमें भारतीय लोग काम करते हैं, उनमें जानेकी पूरी छूट होनी चाहिए।

हम समझते हैं, आयोगको उन सारी शिकायतोंकी जाँच करने — जैसाकि श्री गोखले-के पत्रमें बताया गया है, जिनके कारण सत्याग्रह आन्दोलन पुनः प्रारम्भ करना पड़ा — और अपनी सिफारिशों सरकारकी सेवामें पेश करनेके पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं।

अन्तमें, हमने समाजको जो सलाह दी है, उसे भी यहाँ लिख देनेकी इजाजत माँगते हैं। हमारी सलाह यह है कि अगर आयोगका आकार, हमने उसे जिस ढंगसे बढ़ानेका सुझाव दिया है, उस ढंगसे बढ़ा दिया गया तब तो उसका जो भी निष्कर्ष होगा उससे मजदूरों तथा अन्य लोगोंके साथ दुर्व्यवहार और सेनाकी कार्रवाइयोंसे सम्बन्धित आरोपोंके विषयमें जो विवाद है उसका अन्तिम निपटारा हो जायेगा, लेकिन समाजने जिन शिकायतोंको दूर करानेके लिए प्रार्थना की है उनसे सम्बन्धित सिफारिशें वह अपनी माँगोंकी अवहेलना करके स्वीकार नहीं करेगा। अगर सरकार दुर्भाग्यवश हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकी तो पुनः कैदके लिए तैयार हो जानेके अलावा हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं रह जायेगा। हम सत्याग्रही लोग सिर्फ इसलिए अपने कर्तव्यसे विमुख होकर हाथपर-हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते कि हमें अपनी कैदकी अवधि समाप्त होनेसे पहले ही छोड़ दिया गया है।

हम अक्सर कहते रहे हैं, और एक बार फिर कहना चाहते हैं कि सत्याग्रहियोंकी हैसियतसे हम आन्दोलनमें हड़तालीके रूपमें या अन्य किसी रूपमें भाग लेनेवाले किसी भी व्यक्तिकी ओरसे की गई हिंसात्मक कार्रवाईका समर्थन नहीं करते — प्रतिशोधके तौरपर की गई हिंसात्मक कार्रवाईका भी नहीं। हमने बड़े जोरदार ढंगसे बार-बार यह सलाह दी है, और इस सलाहपर अमल भी किया गया है कि अगर सत्याग्रहके

दौरान सत्याग्रहियोंके साथ कोई हिंसात्मक कार्रवाई की जाये तो उन्हें चाहिए कि वे उसे खुशी-खुशी झेल लें, भले ही उसके परिणाम-स्वरूप उनकी मृत्यु ही क्यों न हो जाये। उपर्युक्त विचार एक बार फिर व्यक्त कर देना हमारे लिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि हम देखते हैं, हमारे जेल जानेके बाद यह आरोप लगाया गया है कि कुछ जमींदारियोंमें हड़तालियोंने हिंसात्मक तरीकेसे काम लिया।

इस पत्रके अन्तिम दो हस्ताक्षरकर्ता यूरोपीय होनेके नाते सरकारको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दक्षिण आफ्रिकाके अपने भारतीय सह-प्रजाजनोंके साथ अपना भाग्य जोड़ कर उन्होंने राजकी और यूरोपीय साथियोंकी सेवा ही की है। ऐसा उन्होंने बड़ी बारीकीसे छानबीन करनेके उपरान्त ही किया है और हर स्तरके भारतीयोंके साथ बहुत निकट सम्पर्क करके वे यह समझ गये हैं कि भारतीय समाज जिन कष्टोंसे राहतकी माँग कर रहा है वे बहुत ही त्रासदायी हैं और उनके निवारणके लिए उसने जरूरतसे ज्यादा समय तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय समाजकी माँगें पूरी करनेमें देर करनेसे दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंकी इस ख्यातिको धक्का लगानेका खतरा है कि वे एक सभ्य समाजके सदस्य और स्वायत्त शासनके योग्य पात्र हैं। इसी कारण हमने भारतीयोंके उद्देश्योंको पूरी तरह अपना लिया है, और चूँकि सरकारके लिए नया वर्ष दक्षिण आफ्रिकाके समस्त निवासियोंकी सुख-शान्तिका प्रतीक है, या होना चाहिए, हमारा अनुरोध है कि वह इस प्रार्थनाको स्वीकार करके भारतीय समाजकी शिकायत दूर करनेकी अपनी इच्छाका प्रमाण दे।

आपके,

मो० क० गांधी

एच० एस० एल० पोलक

एच० कैलेनबैक

[पुनश्चः]

हम शीघ्र उत्तरकी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रतिकूल उत्तर मिलनेकी स्थितिमें हमें नये सालके नये दिन तक अन्य प्रबन्ध कर लेना है।^१

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३

१. दिसम्बर २४ के अपने पत्रमें गृह-मन्त्रीने गांधीजीकी शर्तोंको अस्वीकार कर दिया। देखिए परिशिष्ट १५।

२०२. भाषण : मैरिट्सबर्गकी सभामें^१

मैरिट्सबर्ग

[दिसम्बर २२, १९१३]

श्री गांधीने धूमधाम करनेवालोंको एक तरहसे फटकारा और इस बातपर जोर दिया कि हमारे देशभाइयोंका जो खून बहा है, यह समय उसके लिए शोक मनानेका है, न कि समारोह करने और खुशियाँ मनानेका। फिर भी, आपने [हमारे प्रति] जो स्नेह प्रदर्शित किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तम्बाकू, पान और अन्य विषयोंका परित्याग करके अपनी सहानुभूति प्रकट करें। मैं तो यहाँतक महसूस करता हूँ कि इस शोकके समयमें महिलाओंको सुन्दर वस्त्रों और आभूषणोंको उतार कर अलग रख देना चाहिए।^२

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २३-१२-१९१३

१. श्रीमती कस्तूरबा गांधी, श्रीमती छगनलाल गांधी श्रीमती मणिलाल डॉक्टर, श्रीमती मगनलाल गांधी और सॉलोमन रायप्पनके मैरिट्सबर्ग जेलसे रिहा होनेपर एक जुलूस निकाला गया जो एक स्वागत समारोहमें समाप्त हुआ। रिहा सत्याग्रहियोंकी ओरसे गांधीजीने सभामें भाषण दिया। गुजरातीमें उनके भाषणकी रिपोर्टके लिए देखिए अगला शीर्षक।

२. कैलनबैक, एल० एच० ग्रीनने और श्रीमती पोलकने भी भाषण दिये। थोड़ी देर बाद एक सार्वजनिक सभा हुई।

२०३. भाषण : श्रीमती गांधीकी रिहाईपर

मैरिट्सबर्ग

[दिसम्बर २२, १९१३]

यह समय हमारे लिए भारी शोक करनेका है। हम इस समय समारोहों और उत्सवोंमें भाग नहीं ले सकते। फिर भी मेरी पत्नी और अन्य स्त्रियोंका जो स्वागत किया गया है उसके लिए मैं उनकी ओरसे आभार-प्रदर्शन करता हूँ। जब मेरे भाई गोली-बारके शिकार हुए हैं, तब इस स्वागतमें इतना भाग लेते हुए भी मेरे मनमें बहुत संताप उत्पन्न होता है। मैं जेलमें था तब इन सब झगड़ोंसे मुक्त था। (इसी समय एक बालक रोने लगा। उसके रोनेको सुनकर) गांधीजीने कहा कि यह रोना हमारे शोककी तीव्रताका सूचक है। इस समय भारतीय भाई और बहन अलग-अलग तरहसे शोक मना कर असहाय विधवाओं और उनके बच्चोंके प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। पुरुष तम्बाकू पीना, पान-सुपारी खाना या ऐसे ही अन्य व्यसनोका त्याग कर सकते हैं और बहिनें गहने और कीमती कपड़े पहनना छोड़ सकती हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९१३

२०४. भाषण : मैरिट्सबर्गकी सार्वजनिक सभामें

मैरिट्सबर्ग

[दिसम्बर २२, १९१३]

डर्बनमें रविवारको सार्वजनिक सभा हुई। उसमें श्री गांधीने स्वीकृत प्रस्तावोंका स्पष्टीकरण किया और कहा कि सत्याग्रह सत्यकी निरापद खोज है। उन्होंने सब उपस्थित भारतीयोंसे प्रार्थना की कि वे सत्यकी खातिर, आवश्यकता हो तो, मरनेके लिए तैयार रहें।^१

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २३-१२-१९१३

१. इसके बाद पी० के० नाथडूने प्रस्ताव पेश किया जिसमें रविवारको डर्बनकी सभामें स्वीकृत प्रस्तावोंकी पुष्टि की गई थी। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

२०५. तार : गो० कृ० गोखलेको^१

डबन,
दिसम्बर २२, १९१३

माननीय गोखले
सर्विडिया
पूना सिटी

कमीशनकी सिफारिशपर हम बृहस्पतिवारको बिना शर्त रिहा कर दिये गये। सरकारको सूचित करते हुए पत्र^२ लिखा कि जबतक समाजसे सम्बन्धित मामलोंमें सलाह करनेके उसके अधिकारको मान्यता प्रदान नहीं की जाती और एकपक्षीय कमीशनमें सन्तुलन बनाये रखनेके लिये आइनर और अपील-जज रोज-इन्स अथवा समाज द्वारा स्वीकृत व्यक्ति नियुक्त नहीं किये जाते, और जबतक जेल और खदानोंमें बन्द चार हजार सत्याग्रही रिहा नहीं कर दिये जाते तबतक हम कमीशनके सम्मुख गवाही देकर सहायता देनेमें असमर्थ। तभी हम सत्याग्रहको कमीशनकी जाँच पूरी होने तक रोक रखनेकी सलाहको मान लेंगे। यह भी कहा है जाँचमें सब शिकायतोंकी जाँच की जानी चाहिए और भले ही जाँचके परिणाम-स्वरूप पाशविकता तथा सैनिक कार्रवाई सम्बन्धी मतभेद सदाके लिए समाप्त हो जायें लेकिन यदि सितम्बरमें लिखे काछलियाके पत्रमें^३ सत्याग्रहियोंकी जिन माँगोंकी चर्चा की गई है, अन्तिम निर्णय उनकी अवज्ञा करता जान पड़ा तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। सरकारको आगे यह भी बताया गया है कि अगर हमारी

१. गांधीजीने नेटाल मवर्युरीको जो भेंट दी थी उसका राषट्र द्वारा किया गया सारांश श्री गोखलेको प्राप्त हुआ था। देखिए पृष्ठ २६६-६७। २१ दिसम्बरको रातके दस बजे गोखलेने निम्नलिखित तार भेजा : “ राषट्रने आपकी भेंटका सारांश तार द्वारा भेजा। सौलोमनके भाषणके बाद जाँचका बहिष्कार करना भारी भूल होगी; आप भारत सरकार और इंग्लैंडके बहुतसे मित्रोंकी सहानुभूति खो देंगे। सबसे अच्छे वकील नियुक्त करें और स्वयं आप तथा पोलक गवाही देनेमें सहायता दें। जाँचमें सत्याग्रहियोंकी आम शिकायतें शामिल नहीं लेकिन पाशविक कृत्योंके आरोपोंके समर्थनमें गवाही देनेके लिए इस स्वर्ण अवसरको खोना नहीं चाहिए। नम्र सुझाव कि ऐसेलन और वाश्लीके खिलाफ विरोधपत्र लिखें जिसमें दोनोंके विरुद्ध उठाई गई आपत्तियोंको पूर्णतः स्पष्ट करें और सापत्ति उपस्थित हों।”

२. देखिए “ पत्र : गृह-मन्त्रीको”, पृष्ठ २७१-७४।

३. देखिए “ पत्र : गृह-सचिवको”, पृष्ठ १७७-८०।

प्रार्थना अस्वीकार की गई तो हम पुनः गिरफ्तार होंगे तथा समाजको और भी कड़े संघर्षमें जूझनेकी सलाह देंगे। आज सार्वजनिक सभा हुई, लगभग छह हजार लोग उपस्थित। उपर्युक्त सलाहका अनुमोदन करते हुए सर्व-सम्मतिसे प्रस्ताव पास। ट्रान्सवाल अन्य केन्द्र एकमत। सभामें बताया गया कि प्रतिकूल उत्तर मिलनेपर लोग अपर्याप्त खुराकपर डर्वनसे प्रिटोरिया पैदल कूच करने और पुनः गिरफ्तार होनेके लिए तैयार रहें। उस मार्गसे हजारोंके शामिल होनेकी आशा। सभाको गोलियाँ चलनेकी सम्भावनासे आगाह किया था फिर भी लोगोंने शपथपूर्वक तत्परता व्यक्तकी। चर्चा कौंसिलों, कुछ प्रभावशाली यूरोपीयोंने कमीशनके अस्वीकार किये जानेका समर्थन किया है। प्रिटोरियासे डर्वनकी यात्राके दौरान सभी मुख्य स्टेशनोंपर भारतीयोंके प्रतिनिधि हमसे मिले। अत्यधिक उत्साह और वर्तमान कमीशनके प्रति तिरस्कारकी भावना सर्वव्यापक। रिहा होनेपर पता चला लोगोंने बड़ी संख्यामें अप्रत्याशित रूपसे कष्ट सहन करनेकी शक्तिका परिचय दिया। प्रभावशाली नेतृत्वके अभावमें गिरमिटिया भारतीयोंकी पूर्ण सहयोग, अनुशासन और संकल्पसे कार्य करनेकी योग्यताको देखकर हम चकित रह गये। भारतीयोंसे शीघ्रातिशीघ्र प्रबल सहयोग देनेके लिए कहें।^२

गांधी
कैलेनबैक
पोलक

[अंग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

२. इस तारका उत्तर श्री गोखलेने अगले दिन दिया : “चूँकि रिहाई बिना किसी शर्तके अतः अत्यावश्यक कि सारी स्थिति और घटनाओंकी पूरी जानकारीके साथ पोलक इंग्लैंड रवाना हो जायें। इंग्लैंडके समाचारपत्रोंको अच्छी तरह अवगत रखना नितान्त आवश्यक। संसदका अधिवेशन २ फरवरीको। रैमजे मैकडॉनल्ड विशेष रूपसे गिरमिट प्रथा और हड़तालको दबानेके लिए अपनाये गये तरीकोंके प्रश्नको उठा रहे हैं।” देखिए “तार : गो० कृ० गोखलेको”, पृष्ठ ३०३ और पाद-टिप्पणी भी।

२०६. पत्र : 'नेटाल ऐडवर्टाइजर' को

[दिसम्बर २२, १९१३ के बाद]^३

इन सत्याग्रहियोंमें से बहुतोंको मैं अनेक वर्षोंसे जानता हूँ और उनके निकट सम्पर्कमें आ चुका हूँ। इसलिए कह सकता हूँ कि वे निराधार बातें कहनेवाले व्यक्ति नहीं हैं। श्री रुस्तमजी भी, जो कि दक्षिण आफ्रिकाके पुराने और प्रतिष्ठित निवासी हैं; इस टुकड़ीमें थे। उन्होंने इससे पहलेके संघर्षोंमें प्रमुख भाग लिया था। उस अवसरपर उन्हें फोक्सरस्ट, हाइडेलबर्ग, डीपक्लूफ और जोहानिसबर्गकी जेलोंका अनुभव प्राप्त हुआ था। अबकी बार फोक्सरस्टमें सजाका हुकम पा चुकनेपर पीटरमैरिट्सबर्गकी जेलमें लाये गये और बादको डर्बनकी जेल भेज दिये गये। मैरिट्सबर्गकी जेलका भी उन्हें कुछ अनुभव हुआ था, परन्तु उनके कथनानुसार डर्बनकी जेलमें जो अनुभव हुआ वह बहुत ही कटु था।

श्री रुस्तमजीका कथन है, और अन्य सत्याग्रही भी ऐसा ही कहते हैं, कि वतनी वार्डर सत्याग्रहियोंको तनिक भी हिचके बिना मारते-पीटते थे। और प्रागजी देसाईको इतना मारा कि वे जमीनपर गिर गये और फिर वार्डर वहाँसे उन्हें उनकी कोठरी तक घसीटकर ले गये। इस चोटके इलाजके लिए उन्हें ग्यारह दिन अस्पतालमें रहना पड़ा था। श्री रुस्तमजीको सदरा^१ और कस्ती^२ पहननेकी इजाजत मिले, इसके लिए उन्हें तथा उनके साथियोंको अनशन करना पड़ा था। कोई भी खरा पारसी इन चीजोंके बिना एक कदम भी नहीं धर सकता। वतनी वार्डरोंने रुस्तमजीको मारा-पीटा, यह बात सुपरिन्टेन्डेन्टके कान तक पहुँचाई गई, लेकिन उसने सुनी-अनसुनी कर दी। एक छोटेसे बालकको, अपनी कतारके बाहर खड़ा होनेके कारण पीटा गया।

एक अवसरपर इस प्रकारके व्यवहारका विरोध करनेके खयालसे अनेक सत्याग्रहियोंने उपवास किया। जिस लड़केका जिक्र ऊपर किया गया है उसको चार दिनके अनशनके बाद जबर्दस्ती भोजन कराया गया हालाँकि [जबर्दस्ती भोजन कराये जाते समय] वह चीखता ही रहा। समाचार है कि जेलके डॉक्टरने इस बर्बरतापूर्ण कार्यकी निन्दा करते हुए कहा कि इस प्रकार जबर्दस्ती भोजन करानेकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कैदी शाकाहारी है, इस बातकी बिल्कुल परवाह किये बिना उसे दूधमें अंडा मिलाकर पिलाया गया।

१. नेटाल ऐडवर्टाइजरने यह पत्र इसलिए नहीं छापा कि एक जाँच-आयोगकी नियुक्ति हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद इस पत्रका अनुवाद गुजरातीमें किया गया और पाठकोंके लिए ३० ओ० में छापा गया।

२. पारसी रुस्तमजीको तथा उनके साथियोंको, जिनका इस पत्रमें जिक्र आया है, २२ दिसम्बर १९१३ को रिहा कर दिया गया था।

३. छोटा कुर्ता जो पारसी कर्मकांडके अनुसार नित्य धारण की जानेवाली धार्मिक पोशाक है।

४. पारसियोंका जनेऊ।

कैदियोंको बहुत गन्दे कपड़े पहननेको दिये जाते थे। यह उनके स्वास्थ्यके लिए हानिकर होता था। जो खाना दिया जाता था वह अब्बल तो पर्याप्त नहीं होता था, दूसरे वह अधपका होता था और साथ ही जंग लगे टीनके तसलोंमें दिया जाता था। कैदियोंका कथन है कि ऐसे भोजनके कारण हममें से बहुतेरोंको पेचिशकी बीमारी हो गई थी। अभीतक उस जेलमें बहुत-से कैदी पेचिशके मरीज हैं। भोजनमें झींगुर तथा छोटे-छोटे कीड़े दिखाई देनेपर जब इसकी सूचना अधिकारियोंको दी गई तब यह उत्तर मिला कि जेल कोई होटल नहीं है और होटलोंमें जो भोजन मिलता है उसमें भी कीड़े रह जाते हैं।

सत्याग्रहियोंमें से अधिकांश सुशिक्षित व्यक्ति हैं। इन्हें पुस्तकें पढ़नेकी आदत है; तिसपर भी उन्हें जेलके पुस्तकालयसे कोई पुस्तक पढ़नेको नहीं दी जाती और न उनको अपनी पुस्तकें ही पढ़ने दी जाती थीं।

एतराज किये जानेपर भी जेलके छोटे-बड़े सभी अधिकारी सत्याग्रहियोंको “कुली” कहकर सम्बोधित किया करते थे। सत्याग्रही कैदी इसका जितना ही विरोध करते थे अधिकारी उन्हें उतना ही अधिक “कुली” कहकर पुकारते थे। उनका यह भी कथन है कि जेलका मौजूदा डॉक्टर हमारे स्वास्थ्यकी जरा भी परवाह नहीं करता। इन तीन महीनोंमें मजिस्ट्रेट केवल एक बार जेल आया। उसने कैदियोंकी फरियादोंको नहीं सुना। भारतीय कैदियोंको पैरोंमें पहननेके लिए सामान्यतया सैंडलें और मोजे दिये जाते हैं। परन्तु यहाँ अधिकांश कैदियोंको ये चीजें नहीं दी गईं, यहाँतक कि महिला कैदियों तक को नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि कैदियोंको फी कैदी एक कम्बल — सो भी फटा हुआ — दिया गया। उन्हें अपने वकीलोंसे मुलाकात करनेका अवसर नहीं दिया गया और न उन्हें जेल-निदेशकके नाम पत्र भेजनेकी अनुमति ही दी गई।

मैंने अपने देशवासियोंसे उनकी जो रामकहानी सुनी है उसका यह संक्षिप्त विवरण-मात्र है। इस विषयमें सरकारके पास जो हलफिया बयान भेजे जानेवाले हैं वे तैयार किये जा रहे हैं। परन्तु यह मामला बहुत गम्भीर है। इसकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। जो बातें मैंने इस पत्रमें लिखी हैं, उनमें अतिशयोक्ति नहीं की गई है। और उसे छापनेके पूर्व आप चाहें तो इसे सम्बन्धित अधिकारियोंको दिखा सकते हैं। श्री रुस्तमजी और उनके साथी कैदी इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते कि इस मामलेकी बिना किसी लाग-लपेटके पूरी-पूरी, स्वतन्त्र और निष्पक्ष ढंगसे चर्चा और जाँच की जाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९१४

२०७. तार: गो० कृ० गोखलेको

डर्बन

दिसम्बर २३, १९१३

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

पूना

मैरिट्सवर्ग गये। वहाँ सार्वजनिक सभामें डर्बनके कलके प्रस्तावोंका समर्थन किया गया। जबतक कमीशनमें और लोगोंके शामिल किये जानेका सुझाव, कैदियोंकी रिहाई, स्वीकृत नहीं तबतक कमीशनको मान्यता प्रदान करना असम्भव। लोग व्यग्र और उत्साहसे भरे हुए। वे उपर्युक्त शर्तोंके अलावा कमीशनको स्वीकार करनेके सुझावको नहीं मानेंगे। उनके मनमें सरकारके प्रति तनिक भी विश्वास और आशाका भाव नहीं। लगता है कमीशन आम शिकायतोंकी जांच भी करेगा। कुछ भी हो हमारे पत्रमें गृहीत चलता है कि वह जांच करेगा; यदि हमारी धारणा गलत हो तो हम जांचकी मांग करते हैं। रुस्तमजी, और चार महिलाओं सहित १६ प्रमुख सत्याग्रही कैदकी अवधि समाप्त होने पर रिहा। रुस्तमजी और अन्य सत्याग्रहियोंका कहना जेल-व्यवहार अमानुषिक, क्रूर; ये समाजके बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियोंमें से हैं। रुस्तमजीका, जिन्हें पिछली कारावासकी लम्बी अवधिके दौरान बहुत-सी जेलोंका अनुभव हुआ है, कहना है, डर्बन जेलमें वर्तमान व्यवहार अत्यन्त क्रूर। मजिस्ट्रेट उदासीन, शिकायतोंकी सुनवाईके लिए शायद ही कभी जेल जाते हैं। गर्वनर लगभग पहुँचके बाहर। भूख हड़तालसे पहले वार्डर अशिष्ट, बर्बर। जानबूझकर निरन्तर अपमान करते हैं। शिकायतें दर्ज करनेसे इनकार करते हैं। वतनी वार्डर सत्याग्रहियोंको बिना किसी भयके मारते-पीटते रहते हैं। प्रागजी देसाईको, जिनसे आप परिचित हैं, बिना किसी कारण इतना पीटा गया कि वे गिर पड़े, तब [उन्हें] कोठरीमें घसीट कर ले जाया गया, [चिकित्सा] सहायता मिलने से पहले काफी देर पीड़ामें पड़े रहे, अस्पतालमें ग्यारह दिन लगे। सोलह वर्षीय फीनिक्स स्कूलके विद्यार्थी-पर बुरी तरह हमला। रुस्तमजी, मणिलाल गांधी और अन्य सभीको, जिन्हें आप जानते हैं, ठोकरें मारी गई, निर्मम व्यवहार किया गया, अपमानित किया गया, कुत्ती कहकर पुकारा गया। कई बार शिकायत करनेके बावजूद लोगोंको जुराबें और कई लोगोंको चप्पलें नहीं दी गई। जुराबें मांगनेपर जेलके बहुत ही गन्दे कपड़े दिये गये। इसकी शिकायतें करनेपर ध्यान नहीं दिया गया और खिल्ली उड़ाई गई। जेल-पुस्तकालयकी पुस्तकें नहीं दी गई। अपनी पुस्तकें पढ़नेसे रोका गया। लगातार जंग लगी तश्तरियाँ और बर्तन जारी किये गये। भोजन घटिया किस्मका, घी अशुद्ध। अधपकी सेम दी गई, फलस्वरूप पेचिश, जिससे कुछ स्त्रियाँ जो अब भी डर्बन जेलमें हैं, पीड़ित।

भोजनमें शींगुर और कीड़े पाये जानेपर भी भोजन दुबारा नहीं दिया गया। ऐसे दुर्व्यवहारके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बहुत लोगोंने भूख हड़ताल की। उपवास चार दिन तक चला। चौथे दिन उनमें से एकको, जो शाकाहारी था, बलपूर्वक अण्डे मिलाकर दूध पिलाया गया। जेलरके राहत देनेके वचनपर भूख हड़ताल खत्म। राहत नहीं दी गई। हड़तालके दौरान कैदियोंने गवर्नरसे मिलनेकी मांग की जो चौबीस घंटेसे पहले दिखाई नहीं दिया। पहले भी मैरिक्सबर्गमें राशन और धी दिये जानेसे पूर्व तीन दिन तक भूख हड़ताल की गई थी। रस्तमजीने जो खराबियां जाहिर की हैं उनसे सनसनी पैदा होगई है।^१ आवश्यकता पड़नेपर रिहा हुए सत्याग्रहियों द्वारा तुरन्त फिरसे गिरफ्तार होनेका पक्का इरादा। जांचका अनुरोध करते हुए सरकारको पेश करनेके लिए हलफिया बयान तैयार किये जा रहे हैं।^२

गांधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

२०८. तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन

दिसम्बर २३, १९१३

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी,
पूना

मन्त्रियोंसे मिलने हम प्रिटोरिया नहीं गये। जबतक मांगोंके समर्थनमें भारतीय शीघ्रातिशीघ्र आन्दोलन नहीं करेंगे तबतक सरकारके राजी होनेकी सम्भावना कम। आज एक अनुप्रेरित तार^१ प्रकाशित जिसका कहना है कमीशनकी नियुक्ति स्थानीय भारतीयोंको नहीं, साम्राज्यीय और भारत सरकारोंको तुष्ट करनेके लिए। आन्दोलनको कृत्रिम, भारतके उग्रवादियोंके संकेतपर संचालित और उसका उद्देश्य भारत सरकारको लज्जित करना कहा गया है। आन्दोलन बहुत ही तेजीसे चल रहा है इसलिए उसे स्थानीय सरकार द्वारा बदनाम करनेके जबर्दस्त प्रयत्न किये जा रहे हैं। मेरी निश्चित धारणा लोग इतने अधिक क्रोधित कि अगर उनसे वर्तमान कमीशन माननेको कहा गया तो वे नेताओंको मार डालेंगे। हमारी रिहाईसे पूर्व अधिकांश केन्द्रोंने कड़ा विरोध

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. इसका सारांश समाचारपत्रोंमें प्रकाशनार्थ भेज दिया गया था और २९-१०-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें भी प्रकाशित हुआ था।

३. देखिए अगला शीर्षक।

किया और बहुतोंने सरकारसे मांग की कि सदस्य बढ़ाये न जायें बल्कि एसेलेन और वाइली बदल दिये जायें। अगर हमारे मनोनीत सदस्य नियुक्त कर भी दिये जाते हैं तब भी लोगोंको एसेलेन और वाइलीको स्वीकार करनेको प्रेरित करनेके लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता। महत्वपूर्ण प्रश्नोंपर [समाजसे] सलाह करनेके अधिकारको मान्यता देना संघर्षका मल-मुद्दा। इस नाजुक हालतमें हक छोड़ दें तो सत्याग्रह मर जायगा। एसेलेनने हालमें विधानसभाके सदस्य मेलरसे निजी रूपसे भारतीयोंके खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक बातें कहीं। मेलरने सार्वजनिक रूपसे एसेलेनके नियुक्त किये जानेका विरोध किया क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक सभाओंमें एशियाई विरोधी विचारोंको जोरदार शब्दोंमें व्यक्त किया है। उनका वस्तुतः केन्द्रीय मन्त्रियोंसे इतना घनिष्ठ राजनैतिक सम्पर्क है कि उन्हें मन्त्रिमण्डलका गैरसरकारी सदस्य कहा जा सकता है। वाइलीने आन्दोलनके दौरान कहा, कर बिल्कुल नहीं हटाया जाना चाहिए। ये सेनामें कर्नल हैं इनकी कार्रवाइयोंकी जाँच होनी चाहिए। अनेक भूस्वामियोंके कानूनी सलाहकार और १८९६से माने हुए एशियाई विरोधी, जब लोगोंको स्वतन्त्र भारतीयोंको लानेवाले जहाजोंको डुबा देनेकी सलाह दी गई थी। कमीशनका बहिष्कार करते हुए भी इन आरोपोंके समर्थनमें भारतीयोंकी गवाहियाँ प्रकाशित की जा सकती हैं। यह बात विशिष्ट कि वर्तमान कमीशन राहत देनेके लिए नहीं, बल्कि लोगोंकी आँखोंमें धूल झाँकनेके लिए बनाया गया।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

२०९. तार : लॉर्ड एंम्टहिलको

डर्बन

दिसम्बर २३, १९१३

लॉर्ड एंम्टहिल

किसीके इशारेपर प्रकाशित आजके तारसे पता चलता है कि आयोगकी नियुक्ति स्थानीय भारतीयोंको सन्तुष्ट करनेके लिए नहीं बल्कि केवल साम्राज्यीय तथा भारतीय सरकारको सन्तुष्ट करनेके लिए की गई है। उसमें यह भी कहा गया है कि आन्दोलन बनावटी है, इसका संचालन गर्म दलवाले भारतीयोंके आदेशोंके अनुसार किया जा रहा है और उद्देश्य भारत सरकारको

१. ये एस० एस० कूरलैंड और नादेरी थे। अन्य लोगोंके अलावा कर्नल वाइलीके नेतृत्वमें भारतीय विरोधी प्रदर्शनोंके विस्तृत विवरणके लिए देखिए, खण्ड २, पृष्ठ १६६-९०।

उलझनमें डालना है। स्थानीय सरकार आन्दोलनको निश्च ठहरानेके लिए बहुत परिश्रम कर रही हैं। आन्दोलन इतने जोरोंपर है कि उसका नियन्त्रण करना कठिन है। जन साधारण इतने आवेशमें हैं कि यदि वर्तमान आयोगको अंगीकार करनेकी सलाह दी जायेगी, तो वे नेताओंका खून कर देंगे। हम लोगोंकी रिहाईके पूर्व सरकारके पास अनेक केन्दोंसे जोरदार विरोध भेजा गया था। बजाय इसके कि वर्तमान सदस्योंकी जगह अन्य सदस्य रखे जायें लोगोंको इस बातपर राजी कराना कि इनको बनाये रखकर कुछ और सदस्योंकी भी नियुक्ति कर दी जाये, कठिन जान पड़ता है। संघर्षका मूल तत्त्व यह है कि महत्वपूर्ण मामलोंमें परामर्श देनेका अधिकार स्वीकार कर लिया जाये। यदि इस नाजुक मौकेपर यह अधिकार छोड़ दिया जाये तो सत्याग्रहकी मूल बात ही खत्म। अगर हमारी माँगोंके समर्थनमें इंग्लैंडमें तत्परताके साथ आन्दोलन नहीं शुरू किया गया तो सरकार द्वारा हमारी माँगोंके स्वीकृत होनेकी सम्भावना नहीं। परिणाम अकथनीय विपत्तियाँ, परेशानियाँ और मौतें।

गांधी
पोलक
रिच
कैलेनबैक

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स सी० ओ० ५५१/५२

२१०. तार : लॉर्ड एंस्टहिलको^१

[डर्बन
दिसम्बर २३, १९१३]^१

वेरीनिंगिंगके भारतीयोंने सार्वजनिक सभामें घोषित किया कि वे ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा किये गये सत्याग्रहियोंके संकल्पमें उसके साथ हैं, और उन्होंने उन वीर भाई-बहिनोंको बधाई दी जो भारतकी प्रतिष्ठाके निमित्त कैद भुगत

१. इसकी एक नकल बम्बईके इम्मार्टल नामक पत्रको भेजी गई थी।

२. तारके मसविदेपर कोई तारीख नहीं दी गई है। २७-१२-१९१३ के टाइम्स ऑफ इंडियामें डर्बनकी २५ दिसम्बरकी यह खबर छपी है: “श्री गांधी और अन्य लोगोंने कउ लॉर्ड एंस्टहिलको तार दिया है कि लोगोंमें इतना अधिक रोष व्याप्त है कि यदि वर्तमान आयोगको स्वीकार करवानेका प्रयत्न किया गया तो वे नेताओंको मार डालेंगे।” यह उल्लेख २३ दिसम्बरके तारका है; देखिए, इससे पहला शीर्षक। सम्भव है कि इस शीर्षकका मसविदा भी लगभग उसी समय बनाया गया हो; यद्यपि इसे वस्तुतः भेजा कब गया था सो शत नहीं है।

रहे हैं। साथ ही आशा प्रकट की कि संघ सरकार राहत देगी और इंग्लैंड तथा भारत सहायता करेंगे।

अस्वात

अध्यक्ष

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९०२) की फोटो-नकलसे।

२११. पत्र : "नेटाल मर्क्युरी" को

११०, फील्ड स्ट्रीट

डर्बन

दिसम्बर २३, १९१३

महोदय,

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सार्वजनिक सभामें रविवारको पास किये गये प्रस्तावों और सरकारको मेरे और मेरे साथियों द्वारा लिखे गये पत्रपर आपने आज सुबहके अपने अग्रलेखमें जो रवैया अपनाया है उससे साम्राज्यका हित नहीं होगा। आपको हमारा तिल तो दिखाई पड़ता है, मगर सरकारका ताड़ नहीं दिखाई पड़ता। मैं यह नहीं मानता कि सार्वजनिक सभामें बोलनेवाले वक्ताओंकी भाषा सख्त या अपमानजनक थी। अपने अधिकारोंपर जोर देनेको ही अपमानजनक समझा जाये तो बात दूसरी है। आप हमें जिस न्यायका हकदार मानते हैं, सरकार उसे देनेसे केवल इनकार ही नहीं करती, उससे इनकार करनेका उसका तरीका भी अत्यन्त अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण है। आजके पत्रोंमें प्रकाशित अनुप्रेरित तारको ही लीजिए। उसके अनुसार आयोगकी नियुक्ति हमें शान्त करनेके लिए नहीं—हम तो ध्यान देनेके काबिल ही नहीं हैं—वरन् साम्राज्य सरकार तथा भारत सरकारको सन्तुष्ट करनेके लिए हुई है। हमपर आरोप लगाया जाता है कि हम भारतके उग्र-पन्थियोंके इशारेपर चलनेवाली कठपुतलियाँ हैं और झूठमूठका आन्दोलन चला रहे हैं। क्या आप ऐसा समझते हैं कि हमारी जगह यदि आप होते तो आप किसी भी हालतमें एक ऐसे राहत देनेवाले कानूनका फायदा उठाते जो राहत देनेका दिखावा-भर करता है? मैं निवेदन करता हूँ कि यदि हममें जरा भी आत्म-सम्मान बाकी है तो सरकारका रुख जान लेनेके बाद, यदि तारमें व्यक्त रुख ही उसका रुख है, हमने जो निश्चय किया है उससे एक इंच भी पीछे हटना सम्भव नहीं है। हमें शान्ति तबतक नहीं मिल सकती जबतक हम सरकारको हमारी भावनाओंके प्रति अपना तिरस्कारपूर्ण अवहेलनाका रवैया बदलनेपर विवश न कर दें।

हमसे अपनी प्रार्थनामें परिवर्तन करनेकी बात कहकर आप हमसे एक सिद्धान्तका त्याग करनेकी माँग करते हैं। सिद्धान्त यह है कि जिन मामलोंका हमपर खास असर पड़ता है उसमें हमारी सलाह ली जाये। यह एक ऐसी माँग है जिसके लिए हम संघर्ष करते रहे हैं, और अब प्राण तक दे रहे हैं; दूसरी ओर, सरकार हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमें हमारा हक ही देगी, और सभ्य संसारकी नजरोंमें उसका सम्मान बढ़ेगा।

आप कहते हैं कि अपने वर्तमान रवैयेके कारण भारतीय समाज अपने दक्षिण आफ्रिकी मित्रोंकी सहानुभूति गँवा रहा है। यह चेतावनी समाजको कई अवसरोंपर दी जा चुकी है। और फिर भी उसके उद्देश्यकी सच्चाईके कारण हमें हर बार न केवल उस सहानुभूतिको बनाये रखनेमें, बल्कि बढ़ानेमें भी सफलता मिली है। हो सकता है कि इस बार उसे बनाये रख सकनेका हमारा भरोसा ठीक न हो। यदि ऐसा हो तो मुझे बहुत ही दुःख होगा। मैं उक्त मित्रोंकी सहानुभूतिको मूल्यवान समझता हूँ; परन्तु समाजके उद्देश्यको उससे कहीं अधिक मूल्यवान मानता हूँ। उस उद्देश्यकी पूर्ति करनेमें यदि हमें उनकी सहानुभूतिसे हाथ धोना पड़े, तो हमें फिलहाल सन्तोष करना चाहिए और अन्तमें सत्यकी विजयमें विश्वास रखना चाहिए, जो हमारे पक्षमें है।

आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २४-१२-१९१३

२१२. तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन
दिसम्बर २४, १९१३

गोखले
सर्विडिया
पूना सिटी

आपकी भावनाको समझता हूँ।^१ अगर उससे कुछ मदद मिले तो अपना जीवन अर्पित कर दूंगा। यह संघर्ष वाइसराय, साम्राज्यीय मन्त्रियों [अथवा] अन्य लौकिक सत्तासे स्वतन्त्र। रविवारको भगवानको साक्षी रखकर ली गई प्रतिज्ञा अपरिवर्तनीय। बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियोंमें लोगोंकी हिम्मत बनी रही तो इससे न्यायप्राप्तिमें, जो देर-सबेर मिलकर ही रहेगा, मदद मिलेगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हममें से कोई, विशेषकर मैं लोगोंसे बिना परिवर्तनके कमीशनको स्वीकार करनेके लिए कहूँ तो उचित रूपसे ही, खून हो जायगा। शपथ-ग्रहण करनेसे पूर्व यह प्रश्न पूछे जानेपर कि यदि आपने अथवा वाइसरायने संघर्ष त्यागनेका अनुरोध किया तो क्या मैं कदम पीछे हटा लूंगा, मैंने कहा एक बार शपथ ग्रहण कर लेनेपर कोई व्यक्ति मुझे अपना निश्चय बदलनेपर राजी नहीं कर सकता। महसूस करता हूँ कि यहाँ हमारी स्थिति अच्छी हो रही है। लेकिन वाइसरायकी अस्वीकृति-के बाद चाहे जनतापर हमारा प्रभाव बना रहे अथवा लुप्त हो जाये,

१. संकेत स्पष्टतः गोखलेकी इस चिन्ताकी ओर है कि कमीशनका बहिष्कार करनेसे वाइसराय और इंग्लैंडके बहुतसे मित्र नाखुश हो सकते हैं। देखिए “तार : गो० कृ० गोखलेको”, पृष्ठ २७७, पाद टिप्पणी १।

संघर्ष तबतक जारी रहना चाहिए जबतक हम कुछ लोग प्रयत्नमें मर न जायें। इस लम्बे आध्यात्मिक संघर्षकी सारी अवधिमें हमने अबतक उपर्युक्त महत्वपूर्ण सिद्धान्तको सफलतापूर्वक निभाया है। संघर्षके दौरान साम्राज्यीय मन्त्रियोंने बार-बार हमारा खण्डन किया और बादमें स्थानीय मन्त्रियोंकी भाँति उसने माँगें स्वीकार की। हम पीछे कदम हटानेमें असमर्थ। भगवानसे प्रार्थना कि वह आपको भीषण संकटके दौरान बल प्रदान करे और आप रास्ता ढूँढ़नेमें सफल हों।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी

२१३. तार : गो० कृ० गोखलेको^१

डर्बन

दिसम्बर २४, १९१३

गोपनीय

आज सात प्रतिनिधि पादरियोंने हम तीनोंसे लम्बी बातचीत की। उन्होंने सरकारको मध्यस्थताके सुझावका तार दिया। यदि वह स्वीकार नहीं किया गया तो वे खुले आम हमारी माँगें पूरी करानेका आन्दोलन करेंगे। 'रैंड डेली मेल' ईस्ट लन्दनका खरीता सरकारको मान लेनेका जोरसे आग्रह करता है। हाँस्केनने माँगोंके समर्थनमें एक सार्वजनिक अपील जारी की है।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी

२१४. तार : लॉर्ड एंस्टहिलको

डर्बन

दिसम्बर २४, १९१३

लॉर्ड एंस्टहिल

रिचका तार^१ देखा। स्वर अन्तिम चेतावनीका नहीं है। 'केप टाइम्स' स्वीकार करता है कि माँगें उचित और भाषा नम्र है, लेकिन उसी पत्रमें अल्टीमेटमकी ध्वनिपर आपत्ति। गम्भीर उत्तेजनाके

१. यह तार, अन्तिम दो वाक्योंको हटाकर, लॉर्ड एंस्टहिलको भी भेजा गया था।

२. लॉर्ड एंस्टहिलने रिचको तार भेजकर गांधीजीको संदेश दिया था कि मौजूदा परिस्थितिमें उनका रख सत्याग्रहकी भावनाके अनुकूल नहीं है, उसके कारण १० वर्षोंके किये-करायेपर पानी फिर जायगा।

बावजूद हमने संयत भाषाको तनिक भी नहीं छोड़ा। विकल्प सत्याग्रह ही होगा, वह तो हमने अपने हर पत्रमें कहा है। उसीको घमकी माना गया है। 'रैंड डेलीमेल' के जोहानिसबर्ग ईस्ट लन्दन खरीतेमें सरकारसे कहा गया है कि वह मांगोंको मान ले और अपने साम्राज्यीय दायित्वको स्वीकार करे। हमारे पत्रके समर्थनमें हॉस्केनने सार्वजनिक अपील निकाली। चर्च कौंसिलें भी ऐसे ही प्रयास कर रही हैं। हम सत्याग्रहकी परम्पराओंको बनाये रखनेकी भरसक चेष्टा करेंगे और इस प्रकार आपका विश्वास और शक्तिशाली समर्थन प्राप्त करते रहेंगे।

गांधी
पोलक
कैलेनबैक

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : सी० ओ० ५५१/५२

२१५. तार : गृह-मन्त्रीको

डर्बन

दिसम्बर २५, १९१३

अत्यावश्यक

गृह-मन्त्री

प्रिटोरिया

पोलक, कैलेनबैक और मेरे संयुक्त पत्रके सरकारी उत्तरका पाठ अखबारोंमें देखा। समझौतेकी ध्वनिकी कद्र करता हूँ और आशा करता हूँ कि स्थिति असाध्य नहीं है। मैं जनरल स्मट्सको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा भारतीयों और गोरोंको कष्टोंसे बचानेकी है। भारतीय मजदूरोंके मालिकोंको, जिनमें से कुछके प्रति मैं बहुत आदरभाव रखता हूँ, नुकसान न होन देनेके लिए मैं यथाशक्ति सभी कुछ करनेको तैयार हूँ। परन्तु मैं अपनी अन्तरात्माके सुझाये मार्गपर चलनेके लिए मजबूर हूँ; यदि उससे कुछ लोगोंको कष्ट होता है तो मुझे उसके प्रति उदासीन रहना पड़ेगा। यदि जनरल स्मट्ससे मुलाकात सम्भव हो तो मैं भेंटके लिए आनेको तैयार हूँ। मैं उनके समक्ष जो सुझाव रखूंगा यदि वे स्वीकार कर लिये गये तो गत्यवरोध दूर हो जायेगा और सरकारकी शान तथा भारतीयोंकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। अपना पत्र प्रकाशित करनेका हमारा एकमात्र कारण यही था कि हमारी अपील सरकार और जनता दोनोंके लिए है। फिर सरकारी तौरपर कोई कारण बताये बिना हमारी रिहाईका अर्थ हम लोगोंने यह लगाया कि भारतीय

समाजसे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मामलोंमें सरकार उससे औपचारिक अथवा अनौपचारिक सलाह-मशवरा करनेके लिए इच्छुक नहीं है। मेरी समझमें हमारे पत्रको भ्रमवश ही चुनौती मान लिया गया है; आशा है मन्त्री महोदय मेरे इस कथनको ठीक मानेंगे कि वह पत्र न तो चुनौती है न धमकी। हमने तो तरीकेकी निन्दा की है। सरकारने कृपापूर्वक स्वीकार किया है कि हमने उसे सूचित कर दिया था कि कुछ मौकोंपर समाजकी भावना ऐसी होती है कि राहत न देनेपर सत्याग्रह अर्थात् आत्मपीड़नका जारी रहना या पुनरारम्भ किया जाना निश्चित है। मैं आशा करता हूँ कि जनरल स्मट्स मुझे भेंट मंजूर करते हुए मिलनेका समय निश्चित कर देंगे। उत्तर मिलने तक मैं यह तार समाचारपत्रोंको न भेजूंगा।^१

गांधी

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स (सी० ओ० ५५१/४६)

२१६. तार : गो० कृ० गोखलेको^२

डबन

दिसम्बर २५, १९१३

सरकारसे हमारे पत्रका उत्तर मिल गया। यद्यपि आयोगमें वद्विकी माँग अस्वीकृत कर दी गई है, लेकिन बातचीतकी गुंजाइश रखी है। व्यक्तिगत भेंटकी प्रार्थना की है।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी

१. गृह-मन्त्रीने २९ दिसम्बरको तारसे यह उत्तर दिया : “आपका २५ का तार मिला। भारतीय प्रश्नपर नेतागण अधिक सद्भावपूर्ण रूप अपना रहे हैं, यह देखकर मन्त्री महोदयको प्रसन्नता। भेंटके अनुरोधके वारेमें मन्त्री महोदय चाहते हैं कि विगतमें हुई गलत फहमियोंको देखते जिन मुद्दोंपर बात करनी है उन्हें औपचारिक रूपसे लिख दिया जाये। हर उचित सुझावपर सरकार सावधानीसे विचार करनेको तैयार है।” देखिये “पत्र : गृह-मन्त्रीको”, पृष्ठ २७१-७४।

२. ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा ही एक तार दूसरे दिन लॉर्ड एंम्टहिलको भी भेजा गया था। उन्होंने अपने पत्रमें इसकी और इससे पहलेके तारोंकी प्राप्ति स्वीकार की थी। उसमें यह भी लिखा गया था कि “वे जो-कुछ किया जा सकता है वह सब कर रहे हैं।”

२१७. तार : गो० कृ० गोखलेको

डबन

दिसम्बर २६, १९१३

मेरे बारेमें अपनी जानकारीके आधारपर कृपया महाविभवको विश्वास दिलायें कि मैं अपनी सरकारको परेशानीमें न डालनेकी पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनके दृढ़ समर्थनके परिणामस्वरूप ब्रिटेनसे सम्बन्ध बनाये रखनेके पक्षमें ऐसी सूक्ष्म भावना पैदा हो गई है जैसी शायद किसी घोषणा या आयोगसे सम्भव न होती। उनका ऐलान सुस्पष्ट और साहसपूर्ण। उसकी ईमानदारीकी ध्वनिने यूरोपीयों तथा भारतीयोंको बहुत प्रभावित किया है। प्रस्तावित निजी मुलाकातके बारेमें गृह-मन्त्रीसे किसी भी क्षण उत्तरकी आशा कर रहा हूँ। अन्य स्थानीय प्रभावशाली तत्त्व हमारे पक्षमें कार्यरत। आप जानते ही हैं गृह-मन्त्रीने उत्तरमें कहा है कि सरकारका इरादा निष्पक्ष कमीशन बनानेका है और फिर भी नियुक्तिके समय बागान-मालिकोंकी सलाह नहीं ली गई। अगर भेंट दी गई तो उस अवसरपर, अन्यथा कूचके पूर्व, सार्वजनिक रूपसे मान लूँगा कि सरकारने अपना निष्पक्षताका दावा वापस ले लिया है, उसपर पक्षपात पूर्ण रवैये तथा इस बातसे मुकर जानेका आरोप लगाऊँगा कि वह इस बुनियादी स्थितिको प्रतिष्ठित कर देगी कि औपचारिक (अथवा) अनौपचारिक रूपसे हमारी भावनाका ख्याल रखा जाये और आदर किया जाये। तनाव, सन्देह तथा क्षोभकी वर्तमान स्थितिमें समाजको सन्तुष्ट करनेके लिए मेरी प्रार्थना है कि हमारे पक्षका केवल एक व्यक्ति अतिरिक्त सदस्यके रूपमें नियुक्त किया जाये; क्योंकि बागान-मालिकोंको एक सदस्य मनोनीत करनेका अधिकार दिया गया है। सत्याग्रही कैदियोंकी मुक्तिके सम्बन्धमें किसी कठिनाईकी आशंका नहीं। यदि हिंसात्मक कार्रवाईके लिए किसी तथाकथित सत्याग्रहीको सजा हुई हो, तो उसकी रिहाईकी माँग हम नहीं करते। 'प्रिटोरिया न्यूज' ने सरकारसे आग्रहपूर्वक निवेदन किया है कि वह प्रार्थना स्वीकार कर ले। क्या महाविभव संघ सरकारसे यह मध्यम मार्ग स्वीकार करनेका आग्रह करेंगे। इस मार्गसे न हमारे सिद्धान्तोंपर आंच आयगी और न सरकारकी शान और प्रतिष्ठामें ही अन्तर आयगा; साथ ही भावी स्थायी समझौतेका मार्ग सुगम हो जायेगा। इधर हम लोग ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेके लिए प्रयत्नशील हैं कि हमें आयोगको स्वीकार करने

१. भारतके वाइसराय लॉर्ड हार्डिंजके भाषणकी ओर स्केत है; देखिए परिशिष्ट १६।

और आन्दोलन स्थगित करनेका सौभाग्य प्राप्त हो सके। उधर आप भी यही प्रयत्न करनेकी कृपा करें। इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है कि आयोग हमारे सभी कष्टोंपर विचार करेगा।^१

गांधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी

२१८. तार : गो० कृ० गोखलेको^२

डर्बन

दिसम्बर २६, १९१३

शपथमें पहली जनवरीका समावेश नहीं। मुनासिब समय तक हड़ताल स्थगित करनेका वचन पादरी लोगोंको दे दिया है। अभीतक गृह-मन्त्रीसे कोई सूचना नहीं मिली।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी

२१९. तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन

दिसम्बर २६, १९१३

सर्विडिया पूना मिटी

वेस्ट मेरा तार देने गये थे, वहीं चन्देके विषयमें आपका तार^१ मिला। उन्होंने उत्तरमें सूचित किया कि रकम अपने पास ही रखें क्योंकि स्थानीय सरकार किस हदतक दमन करेगी यह किसीको ज्ञात नहीं है। फौजी कानूनके

१. श्री गोखलेने दूसरे ही दिन निम्न लिखित उत्तर तार द्वारा भेजा था: “आपके तारके मजमूनसे मैंने कल वाइसरायको अवगत कराया। उनसे प्रार्थना की कि वे अपना समर्थन प्रदान करें, मध्यम मार्गका सुझाव भी पेश किया; उन्होंने कहा है कि तारके लिए अनेक धन्यवाद, लॉर्ड कृ० तारका मजमून भेजा जा रहा है।”

२. यह तार श्री गोखलेके उसी दिन भेजे गये निम्नलिखित तारका उत्तर था: “तार द्वारा अविलम्ब सूचित कीजिए कि क्या शपथमें संवर्ध पुनः प्रारम्भ करनेके लिए पहली जनवरी निश्चित रूपसे रखी गई है? क्या मुलाकातकी मंजूरी मिल गई है?”

३. गोखलेका २६ दिसम्बरका तार यह था: कल बम्बईसे सात हजार और मद्राससे एक हजार तार द्वारा भेज रहा हूँ।

अन्तर्गत सरकार चाहे जिसकी चाहे जो चीज छीन सकती है। फौजी कानून लागू होनेकी प्रबल सम्भावना। बेहतर है आप कोष अपने ही पास रखें, माँगनेपर भेजते जायें। आन्दोलन अप्रत्याशित रूपसे फैल रहा है। लोग दिन-भर मुझे घेरे रहते हैं। कूचका स्थगित किया जाना निश्चित ही है। सुलहकी उम्मीद कायम रहते मैं वह प्रारम्भिक प्रबन्ध भी नहीं कर रहा हूँ जो कूचमें भाग लेनेवाले करीब पाँच हजार लोगोंके लिए आवश्यक होगा। ज्यों-ज्यों त्रस्त और पीड़ित कृतसंकल्प नारी-पुरुष आगे बढ़ेंगे संख्या बढ़कर बीस हजार होनेकी सम्भावना है। शनिवारको मैरिट्सवर्गकी सार्वजनिक सभामें उपस्थित रहूँगा। आपके तारोंका मजमून लोगोंके पास भिजवा रहा हूँ। आपके तारोंकी हिदायतोंपर तुरन्त ध्यान दिया जायेगा।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी

२२०. पत्र : मार्शल कैम्बेलको

११०, फील्ड स्ट्रीट

डर्बन

दिसम्बर २६, १९१३

प्रिय श्री मार्शल कैम्बेल,^१

अभी दो या तीन दिन पहले सुना कि आप इंग्लैंडसे वापस आ गये हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब मुझे समाचार मिला कि तटवर्ती क्षेत्रमें सबसे पहले आपके मजदूरोंने हड़ताल की तब मुझे बड़ी चिन्ता हुई। एक महत्वपूर्ण सभामें मुझसे प्रश्न किया गया था कि मैं गन्नेके फार्मोंमें भी हड़तालकी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। मेरा उत्तर था कि हम लोग हड़तालको कोयलेकी खानों तक ही सीमित रखनेकी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें आशा है कि राहत दिलानेके लिए उतना ही प्रदर्शन पर्याप्त होगा। जब मैं न्यूकासिलमें कोयला खानोंके हड़तालियोंको राहत पहुँचानेका काम संभाल रहा था, उस समय डर्बनमें काम करनेवाले मेरे सहयोगियोंने मुझसे पूछा कि समुद्र-तटवर्ती क्षेत्रोंमें काम करनेवाले उन भारतीयोंको क्या उत्तर दिया जाये जो आन्दोलनमें शरीक होना चाहते हैं। मैंने जोर देकर स्पष्ट किया कि अभी उनका हड़ताल करना उपयुक्त नहीं है। उसके बाद मुझसे पुनः उसकी चर्चा की गई और मैंने वही बात कही और अपनी गिरफ्तारीसे पूर्व लिखे गये मेरे पत्रोंमें^२ से एक इस आशयका

१. देखिए “भाषण : मैरिट्सवर्गमें”, पृष्ठ २९६।

२. चेयरमैन, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, नेटाल एस्टेट, लिमिटेड।

३. ये पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

था कि तीन-पौड़ी कर विषयक कानूनको रद्द करानेमें आपके प्रयत्नोंके लिए हम लोग आपके इतने ऋणी हैं कि हड़तालके लिए आपके मजदूरोंसे सबसे अन्तमें ही कहा जायेगा। परन्तु मैं बिल्कुल निश्चित रूपसे कह सकता हूँ कि मेरी गिरफ्तारीके बाद मेरे कार्यकर्ताओंके लिए हड़तालियोंको नियन्त्रणमें रखना असम्भव हो गया। और आन्दोलन न केवल अनियन्त्रित हो गया बल्कि उसने अत्यन्त बृहत् रूप धारण कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आप हम लोगोंकी भावनाओंको समझें। यदि मैं मुक्त होता और हड़ताल करानेमें हाथ बँटाता तो निश्चय ही मैं भी आपके आदमियोंको हड़तालमें शामिल करानेका प्रयत्न करता। परन्तु जैसा कि मैं ऊपर निवेदन कर चुका हूँ आपके मजदूरोंका नम्बर सबके बाद आता।

जैसा कि आप जानते हैं, स्वाभिमान और प्रतिष्ठाकी खातिर और मेरे मूक और असहाय देशवासियों—गिरमिटिया भारतीयों—के कष्टोंको दूर करानेके उद्देश्यसे चलाये गये इस संघर्षमें हम लोगोंके लिए यह सम्भव न था कि हम अपने कष्ट-सहनके बारेमें कुछ सोचते या उसकी कोई सीमा निर्धारित करते। इस संघर्षमें कष्ट झेलने और अपना सर्वस्व गँवा देनेके लिए खुद अपने ही स्त्री-बच्चोंको आमन्त्रित करनेमें हमने आगा-पीछा नहीं किया है। इसलिए न्यायतः हमसे इस बातकी आशा कदापि नहीं की जा सकती थी कि हम व्यक्तिगत रूपसे अलग-अलग मित्रों और शुभचिन्तकोंके हितोंका खयाल रखेंगे। इस प्रकारके हमारे सभी संघर्षोंमें दोषी और निर्दोष, दोनों प्रकारके लोगोंको कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि जो आप हमारे प्रति सदा रखते आये हैं उस बहुमूल्य सहयोग-भावना और सहानुभूतिसे मैं और मेरे देशवासी वंचित नहीं होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यद्यपि जनरल स्मट्सने हम लोगोंकी प्रार्थना नामंजूर कर दी है तथापि इस समय उनके साथ नाजुक बातचीत हो रही है। यदि आपको अवकाश हो और आप उस बातचीतमें दिलचस्पी ले सकें तो मुझे मिलनेका समय और स्थान सूचित कर दें ताकि मैं आपसे मिल कर स्थिति-पर विचार-विमर्श कर सकूँ।^१

जो भावनाएँ मैंने इस पत्रमें व्यक्त की हैं, श्री कैलेनबैक तथा श्री पोलक भी उनसे सहमत हैं। उन दोनों सज्जनोंके मनमें श्री गोखलेके सम्मानमें दिये गये आपके भोजकी सुखद स्मृति बनी हुई है।

आपका,

मो० क० गांधी

माननीय मार्शल कैम्बेल

माउंट एज्कम्ब

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, ५-१-१९१४

१. मार्शल कैम्बेलके प्रत्युत्तरके लिए देखिए, "पत्र : मार्शल कैम्बेलको", की पाद टिप्पणियाँ, पृष्ठ ३०८ ।

२२१. भेंट : रायटरको^१

[डर्वन
दिसम्बर २७, १९१३ से पूर्व]

सरकार द्वारा भेजे गये उत्तरके^१ सम्बन्धमें जब रायटरके संवाददाताने गांधीजीसे मुलाकात की, तब उन्होंने कहा कि सरकारने जो उत्तर भेजा है उसमें नरमीकी झलक है और मैं उसका लाभ उठानेकी कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, यह कहना तो कठिन है कि क्या होगा किन्तु मैं सरकारके साथ निजी तौरपर पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ; और मेरा खयाल है कि इस गतिरोधसे निकलनेकी सम्भावना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपनी शानको जरा भी कम किये बगैर भारतीय समाजके इस उत्कट निवेदनको मान सकती है कि उसके हितोंको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सरकारकी इस घोषणासे कि वह किसी भी हालतमें यह नहीं चाहती कि आयोगका स्वरूप एकपक्षीय हो, कुछ आशाका संचार होता है।

श्री गांधीने कहा कि इस विराट् संघर्षमें जो कष्ट यूरोपीयों तथा मेरे देशवासियों, दोनोंको सहने पड़ेंगे उनके सम्बन्धमें मैं दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे दिलमें जितनी चिन्ता भारतीयोंके कष्टोंके बारेमें हो रही है, उतनी ही यूरोपीयोंके लिए भी। मैं अपने उत्तरदायित्वको पूर्ण रूपसे समझता हूँ; इसलिए मैं सत्याग्रहको फिरसे आरम्भ न करना पड़े, इसका भरसक प्रयत्न करूँगा।

श्री गांधीने कहा, मैं संघ-सरकार तथा सम्राट्की सरकार, दोनोंके प्रति समान रूपसे उतना ही वफादार होनेका दावा करता हूँ जितना कोई भी राजभक्त कर सकता है; और चूँकि मेरी निष्ठा व्यक्तियोंके प्रति न होकर संविधानके प्रति है, अतएव उसपर सरकारकी कार्रवाइयोंसे, मेरे लेखे वे चाहे जितनी निष्ठुर क्यों न हों, कोई असर नहीं पड़ता।

उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण आफ्रिकाके नागरिकोंसे अपनी इस घोषणापर विश्वास करनेकी प्रार्थना करता हूँ कि मैं जहाँतक बनेगा सत्याग्रह न छिड़ने देकर लोगोंको उसके कष्टोंसे बचानेकी पूरी कोशिश करूँगा; अलबत्ता संघर्ष टालनेके लिए मैं अन्तरात्माके विरुद्ध नहीं जाऊँगा। जब मैं जेलसे रिहा हुआ, तब मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि तटवर्ती क्षेत्रके बागान-मालिकोंको, जिनमेंसे कुछके प्रति मेरे मनमें बहुत आदर है, क्षति उठानी पड़ी है। मैं यही आशा करता हूँ कि सरकार मेरे भेजे हुए निजी पत्रकी कद्र

१. यह ३१-१२-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ था।

२. देखिए परिशिष्ट १५ (१)।

करेगी। मैं यह भी आशा कर रहा हूँ कि यूरोपीय जनता मुझपर भरोसा करके मुझे समर्थन प्रदान करेगी।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २७-१२-१९१३

२२२. तार : गो० कृ० गोखलेको^१

डर्बन

दिसम्बर २७, १९१३

रॉबर्टसनके आगमन तक संघर्ष अवश्य ही स्थगित रखा जायेगा। क्या हम सार्वजनिक स्वागत कर सकते हैं? वर्तमान समझौता-वार्ता विफल होनेपर क्या हम घोषणा कर सकते हैं कि [संघर्ष] पुनः आरम्भ करनेसे पहले [उनके] आगमनकी प्रतीक्षा करेंगे। इस बीच हम गवाही भी नहीं देंगे।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी

२२३. तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन

दिसम्बर २७, १९१३

यदि रॉबर्टसन २९ ता० को रवाना हो जायें तो मैं उनके पहुँचनेके एक सप्ताह बाद तकके लिए कूच स्थगित कर देनेका वचन देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस बीच इंग्लैंड और भारत दोनों देश जनरल स्मट्सपर मेरे उस प्रस्तावको स्वीकार करनेकी दिशामें जोर डालेंगे जो मैंने कलके अपने पत्रमें उनके सामने रखा है—अर्थात् मेरी प्रार्थना रॉबर्टसनके आनेके सवालको अलग रखकर मान ली जाये। कुमारी हाबहाउसने जो सरकारकी बहुत बड़ी हितचिन्तिका हैं, मुझे तार भेजा है कि मैं कूच स्थगित रखूँ। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वे बीचमें पड़ रही हैं। इसी प्रकार यहाँ भी सहानुभूति प्राप्त

१. यह तार गोखलेके निम्नलिखित तारके उत्तरमें था जो गांधीजीको उसी दिन मिला था :
“अनुमान कि यदि राबर्टसन २९ ता० को रवाना हों तो लगभग ८ ता० को पहुँचेंगे। परन्तु जबतक आपका निश्चित वादा नहीं मिलता कि इससे पहले उन्हें वहाँ कमसे-कम एक सप्ताहका मौका देनेके बाद ही आप सत्याग्रह आरम्भ करेंगे तबतक प्रस्थान स्थगित। इस बीच वाशरराय लॉर्ड कू को लिख रहे हैं कि कमीशनकी बैठक सप्ताहान्त तक स्थगित कर दी जाये। क्या आप वचन देते हैं? स्पष्ट शब्दोंमें तार दीजिए। वर्तमान समझौता-वार्ता विफल होनेपर संघर्ष स्थगित करनेका कारण घोषित करने, साथ ही कमीशनकी बैठक स्थगित न होनेपर जाँचमें भाग न लेनेको स्वतन्त्र। रॉबर्टसनका स्वागत वांछनीय।” देखिए अगला शीर्षक भी।

हो रही है। वाइसराय और लार्ड क्रू संघ-सरकारके दबावके कारण इस परिस्थितिको उलट-पुलट न कर दें जैसा कि प्रवासी विधेयकके पास किये जानेके अवसरपर किया था; उस समय दोनोंने संघ-सरकार द्वारा उठाये कदमको सही और हमारे कामको गलत कहा था। आपसे उत्तर पानेपर घोषित करूंगा कि राॅबर्टसन आनेवाले हैं, इसलिए वाइसराय महोदयकी इच्छाका पालन करते हुए हमने कूच स्थगित कर दिया है, परन्तु मैंने अभी हालमें नियुक्त आयोगके विषयमें न कोई आश्वासन दिया है और न मैं उस आयोगकी बैठकोंमें किसी भी प्रकारसे सहयोग कर रहा हूँ। घोषणा तबतक न की जायगी जबतक स्मट्सके साथ चल रहे वार्तालापके परिणामके बारेमें मैं निराश नहीं हो जाता। ऐन्ड्रयूजका^१ स्वागत यथोचित रूपसे किया जायेगा; राॅबर्टसनका भी।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

२२४. भाषण : मैरिट्सबर्गमें^३

मैरिट्सबर्ग

[दिसम्बर २७, १९१३]

अत्यन्त संयत और नरम लहजेमें भाषण करते हुए श्री गांधीने सूचित किया कि भारतीयोंकी शिकायतोंके सिलसिलेमें अत्यन्त महत्वपूर्ण ढंगकी वार्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि भारतीयोंको इस वार्ताका अन्तिम निष्कर्ष निकलने तक प्रतीक्षा करनी होगी। उन्होंने भारतीयोंको तैयार रहनेकी सलाह देते हुए कहा कि सम्भव है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि उन्हें (भारतीयोंको) अपनेको गिरफ्तार करानेके लिए डर्बनसे ट्रान्सवालके लिए होनेवाले कूचमें शामिल होनेको कहा जाये। श्री गांधीने कहा कि कूच १ जनवरीसे शुरू हो, ऐसा मेरा अनुमान नहीं है। सम्भव है वह १५ जनवरीसे पहले शुरू न हो। कूच शुरू हुआ तो उन्हें रसद व्यवस्थाके लिए आवश्यक प्रबन्ध करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अपने भाषणके दौरान श्री गांधीने दावा किया कि हम लोग केवल मानवताके बुनियादी अधिकार और सामान्य न्याय पानेकी कोशिश कर रहे हैं।^४

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-१२-१९१३

१. उत्तरमें तार द्वारा श्री गोखलेने वाइसराय और उनके बीच जो तार-व्यवहार हुआ उसका सारांश भेजा; वाइसरायके तारके लिए देखिए परिशिष्ट १७।

२. 'दीनबन्धु' चार्ल्स फ्रेजर ऐन्ड्रयूज (१८७१-१९४०)।

३. इस सभामें लगभग १,००० भारतीय उपस्थित थे। सभाकी यह रिपोर्ट नेटाल मर्व्युरीसे लेकर इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित की गई थी।

४. सभामें पारसी रुस्तमजी और एच० एस० एल० पोलकने भी भाषण किया।

२२५. तार : गृह-मन्त्रीको

[डबंन]

दिसम्बर २९, १९१३

तारके^१ लिए गृह-मन्त्री महोदयको धन्यवाद। सविनय निवेदन है कि [आयोगमें] एक सदस्य खेतोंके मालिकों तथा अन्य लोगों द्वारा भेजा जाय और एक भारतीय समाज द्वारा। इससे सन्देह दूर हो जायेगा और जिन बातोंसे भारतीय समाजका बहुत गहरा सम्बन्ध है, उन बातोंके बारेमें भारतीयोंकी भावनाओंकी उपेक्षा करनेका सरकारका इरादा नहीं है, ऐसा मान लिया जायगा। हम इस आशयका वक्तव्य सार्वजनिक रूपसे प्रकाशित करवा देंगे कि हम सरकारके इस आश्वासनको स्वीकार करते हैं कि उसका इरादा आयोगको एकपक्षी स्वरूप देनेका नहीं था और हमारी हार्दिक प्रार्थनापर उसने आयोगमें अतिरिक्त सदस्योंकी नियुक्ति की है—एक सदस्य हमारे हितोंका प्रतिनिधित्व करेगा। खेतोंके मालिकों और दूसरोंको भी वही [एक-एक सदस्य भेजनेका] अधिकार दिया गया है। निवेदन है कि मैं अपने देशवासियोंको यह परामर्श सहर्ष दूंगा कि यदि सरकार मेरा विनम्र सुझाव मान ले तो वे एक सदस्यी आयोगकी, जिसमें सर विलियम सॉलोमन सरकारके एकमात्र सदस्य होंगे, स्वीकार कर लें। गत २४ वीं तारीखके उसके उत्तरकी ध्वनिसे मैं समझता हूँ कि जो वास्तविक सत्याग्रही इस वक्त कारावासमें सजा काट रहे हैं—वे तथाकथित सत्याग्रही नहीं जिनपर हिंसाका अभियोग लगाया गया हो—उनकी रिहाईके सम्बन्धमें कोई कठिनाई न होगी। उसी उत्तरकी ध्वनिसे यह भी झलकता है कि आयोगका अधिकार-क्षेत्र विस्तृत कर दिया जायेगा; फलतः आयोग सब प्रकारकी शिकायतोंकी जाँच कर सकेगा और आयोगकी बैठकके पहले दिन सर विलियम सालोमनने जो वक्तव्य दिया था, उससे सामंजस्य स्थापित हो जायगा। इस माँगके स्वीकृत होते ही हम तबतक के लिए सत्याग्रह स्थगित कर देनेका वचन दे देंगे जबतक आयोग अपना निर्णय नहीं दे देता। यदि सरकार मेरे प्रस्तावपर जरा भी अनुकूल दृष्टि डालनेकी कृपा करती है तो मैं अब भी आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मुझे भेंटका अवसर दिया जाये। यह भेंट मोटी-मोटी बातोंपर समझौता करानेमें सहायक होगी। हम लोगोंके वार्तालापका विवरण आशुलिपि द्वारा तैयार करा लिया जा सकता है, ताकि बादमें किसी किस्मका भ्रम न रह सके। यदि सरकार नय वर्षके आरम्भके एक-दो दिन पूर्व ही मुझे यह घोषित करनेका अधिकार दे दे कि मेरी प्रार्थना उसने स्वीकार कर ली है तो तनाव कम हो जायेगा और मेरे देशवासियोंके दिलोंमें नूतन

१. देखिए पा० टि० १, पृष्ठ २८९।

वर्षके सम्बन्धमें आशाका संचार होने लगेगा; साथ ही सरकारके न्यायोचित कार्यके लिए वे कृतज्ञ होंगे।^१

गांधी

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स (सी० ओ० ५५१/४६)

२२६. तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन

दिसम्बर २९, १९१३

सविडिया

पूना सिटी

कोई अन्य उपाय सम्भव नहीं। यदि हमें लॉर्ड क्रूकी भारतकी सहानुभूति खोनी ही पड़े तो हमें सन्तोष करना चाहिए। मुझे पूरी आशा है आप कृपा करके हमारे सम्बन्धमें बहुत चिन्तित न होंगे। हम लोग खूब प्रसन्न हैं। हमने कष्ट मांगा था और हम उसको सहेंगे। स्थिति गम्भीर। कूच स्थगित करना कठिन। लोग चेतावनियोंके बावजूद पहलेसे सामान बच रहे हैं। बाहरी सहायता बन्द होनेके बावजूद जहाँ इतनी लगन है वहाँ आशा होती है। विवरण^२ बादमें भेज रहा हूँ।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया : फाइल नं० ४५

सौजन्य : सर्वेड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

१. देखिए परिशिष्ट १८ (१) और १८ (२) ।

२. देखिए अगला शीर्षक ।

२२७. तार : गो० कृ० गोखलेको'

डर्वन

दिसम्बर २९, १९१३

सर्विडिया
पूना सिटी,

आयोगमें आज तो केवल ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त हैं जो पक्षपातपूर्ण भावना रखते हैं। दक्षिण आफ्रिकाके सभी समाचारपत्र इस

१. यह तार श्री गोखलेके गांधीजीके नाम २८ दिसम्बर १९१३ को भेजे गये इस तारके उत्तरमें भेजा गया था :

“अब यह जरूरी हो गया है कि आप देशके सामने वहाँकी स्थिति विस्तारपूर्वक रखें। सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप मुझे अविलम्ब तार द्वारा सब कैफियत प्रकाशनार्थ भेज दें। उसमें चार सौ — आवश्यक जान पड़े तो अधिक भी — शब्द हों, उसमें सब बातें साफ-साफ और सम्बद्ध रूपसे आ जायें। पहले तो आप एसेलेन-चायलीके खिलाफ अपने एतराज लिखें और साथ ही उन बातोंको व्यक्त करें जिनके कारण आपके मनमें सामान्यतया उस आयोगके प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ है। दूसरे, दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले आपके शुभचिन्तक यूरोपीयोंकी उस आयोगके बारेमें क्या भावना है और उनकी क्या सम्मति है; तीसरे, संक्षेपमें परन्तु प्रभावकारी शब्दोंमें, उस निर्दयतापूर्ण व्यवहारका उल्लेख कीजिए जो सत्याग्रही कैदियोंके — जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं — साथ किया जा रहा है। चौथे, अन्य कोई बात जिसके कारण रविवारकी सार्वजनिक सभाके पूर्व भारतीय समाजमें रोष फैला हुआ था। पाँचवें, सभामें जो घोषित किया गया था वह तथा उसके कारण। छठे यदि कोई ऐसा पत्र-व्यवहार हुआ हो जिसका उल्लेख किया जाना उचित हो। सातवें, मौजूदा हालत और आगेके आसार। आखिरी बात यदि आप भारतको कोई सन्देश देना चाहते हों उसका भी समावेश कर दें। आप जो वक्तव्य भेजें वह सद्भाव-सूचक हो, उसमें दृढ़ताका पुट अवश्य हो, ऐसा हो जिसमें वाइसराय महोदयके द्वारा अबतक दिये गये समर्थनकी सराहना हो और जिसे पढ़कर यहाँ लोगोंके दिलोंमें आशा बँधे। वक्तव्य आगामी मंगलवारको प्रातःकाल तक यहाँ अवश्यमेव पहुँच जाये।” ३० दिसम्बर १९१३ को साढ़े नौ बजे सबेरे गांधीजीको श्री गोखलेका यह तार मिला : “वक्तव्यमें कुछ परिवर्द्धन करके उसे प्रकाशित कर रहा हूँ। पिछले तारोंसे कुछ और बातें लेकर उसमें जोड़ दी जायेंगी।” श्री गोखलेने उस वक्तव्यको ३१ दिसम्बरको प्रकाशित करा दिया। उन्होंने गांधीजीको तार द्वारा यह सूचित किया :

“आज वक्तव्य सम्पादित रूपमें समाचारपत्रोंको भेज दिया है; उसमें पिछले तारोंकी कुछ बातें जोड़ दी हैं। वक्तव्यमें आपने जिन भावनाओंको रखा है वे ज्योंकी-त्यों रहने दी गई हैं; भाषा यहाँकी आवश्यकताओंके खयालसे कहीं-कहीं बदल दी गई है। आशा है परिणाम बहुत ही अच्छा निकलेगा। बम्बईने कल तार द्वारा सात हजार रुपये भेजे हैं, मद्रास एक हजार भेज रहा है। मैं राबर्ट्सनसे कल बम्बईमें उनकी रवानगीके पूर्व मिलना चाहता था परन्तु डॉक्टरकी इजाजत नहीं मिली। उन्हें मैं अपने इस मामलेके बारेमें एक विशेष पत्र श्री शास्त्रीके हाथों भेज रहा हूँ।”

जो वक्तव्य गोखलेजीने समाचारपत्रोंको भेजा था उसके लिए देखिए परिशिष्ट १९।

आयोगमें एक अतिरिक्त सदस्यके लिये जानेके औचित्यपूर्ण भावनासे सहमत हैं। यह किसीसे छिपा नहीं है कि एसेलन वाइली एशिया-विरोधी भावनाके बड़े जबरदस्त पोषक हैं। आयोगके अध्यक्षके प्रारम्भिक वक्तव्यके अनुसार, आयोग केवल दुर्व्यवहार-सम्बन्धी मामलोंकी जांच पड़ताल ही नहीं करेगा बल्कि नीति-सम्बन्धी बातों की भी: जैसे, लोगोंके कष्ट आदि। यद्यपि अध्यक्षकी ईमानदारीके बारेमें किसीको सन्देह नहीं हो सकता, तथापि वह नीति सम्बन्धी मामलोंमें अपने सहयोगियोंपर नियन्त्रण रखनेमें असमर्थ हैं। यह आयोग केवल न्यायिक नहीं है बल्कि राजनीतिक भी है यह उसमें की गई नियुक्तियोंसे ही स्पष्ट है। भारतीय स्थिति सदासे यही रही है, उसने जिन मामलोंमें भारतीय समाजका बहुत गहरा सम्बन्ध है उन मामलोंमें भारतीय समाजसे परामर्श किये जानेका— फिर वह औपचारिक रूपसे हो अथवा अनौपचारिक रूपसे—आग्रह किया है। इस आयोगके सदस्योंको नियुक्त करते समय भारतीय भावनाओंका खयाल नहीं रखा गया इतना ही नहीं, उनकी तिरस्कारपूर्वक उपेक्षा की गई है। यूरोपीय रेलवे कर्मचारियोंके दुखड़ोंसे सम्बन्धित गत्यवरोधके दौरान, लोगोंको अपना प्रतिनिधि जनमत द्वारा चुन लेनेकी अनुमति दे दी गई थी। हम केवल अनौपचारिक विचार-विमर्शकी याचना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे तीन नेताओंको उनकी रिहाईके पूर्व, रिहाईका कारण नहीं बताया गया था। और न आयोगके सम्बन्धमें उनकी राय ली गई थी। उनकी रिहाईके पूर्व आयोगके सदस्योंकी नियुक्तिके विरोधमें सैकड़ों सार्वजनिक सभायें की गई थीं, परन्तु उनकी ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया। सत्याग्रहियोंपर कोड़ोंकी मार पड़ते देखकर और उनपर गोलियां चलाई जानेके कारण लोगोंका रोष बहुत बढ़ गया है। इसे वे अनुचित मानते हैं, जेलोंमें मर्मभेदी कष्ट दिये जानेकी सूचनायें प्राप्त हुईं। इसपर सत्याग्रहियोंने अपने साथ सामान्यतया मानवतापूर्ण व्यवहार किये जानेके उद्देश्यसे भूख हड़तालका रास्ता लिया। जेलोंके दुर्व्यवहारमें वार्डरों द्वारा अपमानित किया जाना, जुलू वार्डरोंका कैदियोंपर प्रायः हाथ छोड़ बैठना और किताबों, चप्पलों, मोजों तथा कम्बलोंका न दिया जाना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त उन्हें जुलू लोगोंके द्वारा प्रायः बुरे ढंगसे तैयार किया गया खराब भोजनका दिया जाता है। इस सबके फलस्वरूप असन्तोष फैला और जब लोगोंने यह जाना कि आयोगका गठन जिस ढंगसे किया गया है उससे भारतीय समाजकी भावनाओंकी पूर्ण अवहेलना की जा रही है तब वह रोष और भी बढ़ा। लोगोंको ऐसा भी प्रतीत हुआ कि इस प्रकारकी नियुक्तियोंका अर्थ यह है कि सरकार न्याय करनेको तैयार नहीं है। नेताओंकी रिहाईका अर्थ यह नहीं लगाया गया कि सरकारने कोई मेहरबानी की है, बल्कि यह लगाया गया कि समाजको चुनौती दी गई है। इसलिए आयोगके सदस्योंकी संख्या बढ़ानकी अर्जी

खानगी तौरपर भेजनेके बजाय खुले तौरपर इसकी मांग पेश की गई और उन मांगोंके नामंजर किये जानेपर जो परिस्थिति सामने आयेगी उसका भी अन्दाज दिया। खयाल है कि ऐसी परिस्थितिमें इस आयोगको मंजूर कर लेनेका अर्थ यह ठहराया जायेगा कि भारतीय समाजने अपने स्वाभिमानका बलिदान कर दिया है। गत इक्कीसवीं तारीखको जो सार्वजनिक सभा हुई थी उसमें धार्मिक भावनाओंसे प्रेरित होकर इस आशयके प्रस्ताव पास किये गये थे कि हम लोग शपथपूर्वक यह निश्चय करते हैं कि यदि सरकार हमारी उपर्युक्त मांगें जिनमें एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त निहित है, मंजूर नहीं करती तो हम उस आयोगको अंगीकार न करेंगे; प्रत्युत संघर्षको पुनः छेड़ देंगे। वाइसराय महोदयके मद्रासमें दिये गये मानवतापूर्ण भाषण और उनके द्वारा हमारे उद्देश्यके दृढ़तापूर्वक किये गये समर्थनके लिए भारतीय समाज उनका अत्यन्त कृतज्ञ है और उसके मनमें आशाका संचार हो रहा है। घोर संकटके समय भारत और इंग्लैंडकी जनताके द्वारा किये गये समर्थनसे भी उसे सान्त्वना मिली है। यहाँ रहनेवाले यूरोपीय मित्रगण इस बातकी कोशिश कर रहे हैं कि यह गत्यवरोध दूर हो जाये और आयोगमें कुछ और निष्पक्ष नियुक्तियाँ हों तथा भारतीय समाजके साथ विचार-विमर्श करनेके उद्देश्यसे भेजी गई प्रार्थना स्वीकार कर ली जाये। आशा तो यही है कि भारत हमारी प्रार्थनाका जिसे सब लोग पूर्णतः न्यायोचित मान रहे हैं — जोरदार समर्थन करेगा। इस सम्बन्धमें शिष्टाचारके नामपर आपत्ति की गई है। परन्तु प्रस्तुत संकटमय स्थितिके अवसरपर महज शिष्टाचारके खयालसे हमारा रुके रहना असम्भव है। सरकारने (भारतीय) आयोगकी नियुक्तिके सम्बन्धमें समाजकी राय न लेकर और उसमें ऐसे व्यक्ति नियुक्त करनेकी, जिनकी नियुक्तिके सम्बन्धमें सरकारको पता लग चुका था कि बहुत कड़ा विरोध होगा, भारी भूल की है। उसका फल हमें क्यों भोगना पड़े? हम फकत विलियम सॉलोमनके सामने अपनी गवाहियाँ देनेको तैयार हैं। ये महोदय हमसे भारतीयों-पर हंटरोकी मार फौज द्वारा उनके साथ किये गये व्यवहार तथा अन्य प्रकारसे उनके तिरस्कृत होने आदि आरोपोंके बारेमें पूछताछ करें। परन्तु दुर्व्यवहारके मामलोंको सिद्ध करनेकी अपेक्षा समाजकी अधिक दिलचस्पी उसके कष्टोंके निवारणकी ओर है। अन्तमें हम अपने देशवासियोंको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ परिस्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि यदि नेता लोग जनताकी असली मांगसे कम लेनेपर राजी हो जानेकी दिशामें जरा भी झुके तो इसका नतीजा यह होगा कि उनके प्राणोंपर आ बीतेगी और वह उचित ही होगा। जनरल स्मट्सने हमारे पत्रका उत्तर देते हुए हमसे कहा है कि मांगोंको लिखित रूपमें पेश करनेपर विचार किया जायगा। हमने अपने सुझाव उनके पास

तार द्वारा भेज दिये हैं। ये सुझाव बीचका रास्ता निकालनेमें सहायक हो सकते हैं।

गांधी

[अंग्रजीसे]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : फाइल सं० ४५

सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

२२८. भेंट : 'नेटाल मर्व्युरी' को'

[डर्बन

दिसम्बर २९, १९१३]

[गांधीजी:] भारतीय कांग्रेसमें पास किये गये प्रस्तावोंकी प्रति हमें मिली है, उन प्रस्तावोंके परिणाम-स्वरूप हमारी स्थिति निश्चित ही मजबूत होती है, क्योंकि कांग्रेसने अपना जोरदार समर्थन, सर्वसम्मतिसे, प्रदान किया है और उसने हमारी इस प्रार्थनाको कि आयोगमें भारतीयोंके हितोंका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पूर्णरूपसे उचित ठहराया है। अतएव, मैं यही आशा कर सकता हूँ कि कुछ तो कांग्रेसके समर्थनके कारण और कुछ उन प्रयासोंके फलस्वरूप जो प्रतिष्ठित यूरोपीय हितैषीगण सरकार द्वारा हमारी प्रार्थनाको स्वीकार करानेकी दिशामें कर रहे हैं और कुछ इस प्रार्थनाको दक्षिण आफ्रिकाके समस्त अखबारोंने अपने-आप न्यायपूर्ण कहकर अनुमोदित किया है इसलिए—यह प्रार्थना सरकार द्वारा स्वीकृत होकर ही रहेगी।

यदि हमारी प्रार्थनाके सम्बन्धमें सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता तो आयोगसे किसी भी रूपमें सहयोग करना हमारे लिए सम्भव न होगा। परन्तु फिलहाल, उन मित्रोंके कहनेसे जो बीचमें पड़े हैं, और इस बातको देखते हुए कि सरकारके साथ हमारी लिखा-पढ़ी तार द्वारा चल रही है, हमने पहली जनवरीको प्रिटोरियाके लिए प्रस्तावित कूच न करनेका निश्चय किया है। हम जानते हैं कि सम्मानपूर्ण समझौता करनेकी दिशामें हमने भरसक प्रयत्न किया है। हमें यह भी मालूम है कि इस प्रकारके समझौतेकी कोई आशा नहीं है। इस वक्त तो कूच केवल स्थगित है, परन्तु जो-जो प्रमाण मुझे दिनपर-दिन प्राप्त हो रहे हैं उनसे मेरी यही धारणा बन रही है कि

१. नेटाल मर्व्युरीके प्रतिनिधिने गांधीजीसे मुलाकातके दौरान यह पूछा था कि दक्षिण आफ्रिका पर भारतीय राष्ट्रीय महासभा (इंडियन नेशनल कांग्रेस)के कराची अधिवेशनमें, (२६ से २८ दिसम्बर तक) पास किये गये प्रस्तावोंका प्रभाव क्या होगा। इन प्रस्तावोंमें तीन बातें कही गई थीं; एक तो यह कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके साथ अब भी जो वर्ताव किया जा रहा है, उसका यह महासभा विरोध करती है; दूसरी यह घोषणा थी कि ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बद्ध उन देशोंके लोग, जिनमें भारतीयोंको ब्रिटिश नागरिक होनेके स्वत्व नहीं दिये जा रहे हैं, भारतमें किसी भी पदपर नियुक्त होनेके अधिकारी न होंगे; तीसरा प्रस्ताव इस आशयका था कि गिरमिट-प्रथा बन्द कर दी जाये।

स्थिति गम्भीर है। मुझे दीख पड़ रहा है कि गरीब लोगोंने तैयारियाँ शुरू कर ही दी हैं, और जो लोग जाकर उनसे यह कहते हैं कि कूच पहली जनवरीको शुरू न होगी, वे उनकी बातपर विश्वास तक नहीं करते। इसलिए मैं अपने दस्तखतसे एक पर्चा छपवाकर बँटवानेका प्रयत्न कर रहा हूँ, उस पर्चे द्वारा प्रत्येक व्यक्तिको यह सूचना प्राप्त हो जायगी कि हम फिलहाल कूच स्थगित कर रहे हैं।

यह पूछा जानेपर कि क्या आप पुनः पहली जनवरीके दिन हड़ताल शुरू करनेकी बात भारतीयोंसे कहनेका इरादा रखते हैं, श्री गांधीने कहा :

हम पहली जनवरीको हड़ताल शुरू करनेकी बात उनसे नहीं कह रहे हैं। परन्तु यदि सरकारके साथ समझौता करनेके हमारे सब प्रयत्न विफल हुए तो और किसी उद्देश्यसे नहीं, बल्कि जेल-यात्राके खयालसे ही, हड़ताल करानेकी दिशामें कोई कसर न उठा रखी जायेगी। मैं आशा करता हूँ कि प्रस्तावित कूचकी नौबत न आयेगी। ऐसा सोचनेके लिए मेरे पास कारण भी हैं परन्तु सरकारके भेजे हुए जो पत्र मेरे पास हैं वे इतने नाजुक हैं कि इस वक्त कुछ भी कह सकना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री गांधीने आगे चलकर कहा कि जेलसे रिहा हुए सत्याग्रहियोंने अपने कष्टोंकी जो राम-कहानी सुनाई, उससे भारतीयोंका रोष बढ़ा है। और मुझे इससे बड़ा दुःख हुआ है। गांधीजीने डर्बन जेलमें किये जानेवाले "बर्बरतापूर्ण और पाशविक व्यवहार" के सम्बन्धमें कही गई बातोंको विस्तारसे बताया और कहा कि वतनी वार्डर सत्याग्रहियोंको मारते-पीटते थे, शिकायतोंपर ध्यान नहीं दिया जाता था और बहुतेरे सत्याग्रहियोंको पेचिश हो गई थी। लोगोंने यह भी कहा कि पहननेके लिए सत्याग्रहियोंको जेलके बिना धुले कपड़े दिये जाते थे, उन्हें किताबें नहीं दी जाती थीं और जिम्मेदार अधिकारीगण उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। कहा जाता है कि कैदियोंपर स्नानके पश्चात् कृमि-नाशक पानी उड़ोला जाता था। इस प्रकारके आरोप भी लगाये जा रहे हैं कि बहुतसे कैदियोंको अपनी धर्म-सम्बन्धी भावनाओंकी रक्षाके लिए भूख-हड़ताल करनी पड़ी थी। गांधीजी इन सब आरोपोंकी जाँच-पड़तालके लिए सरकारके पास भेजनेकी दृष्टिसे, हलफनामोंके रूपमें बयान एकत्रित कर रहे हैं।

नेटाल मक्युरी, ३०-१२-१९१३

२२९. तार : गो० कृ० गोखलेको^१

[डर्बन
दिसम्बर ३०, १९१३]

सर्विडिया
पूना सिटी

विश्वास करें मेरी ओरसे दिये गये आपके वचनका पालन करनेमें मुझे मरनेमें भी हिचक नहीं। कूचको स्थगित करनेके कारण नहीं बताये लेकिन जनतासे कहा कि हम कमसे-कम १५ तारीख तक उसे स्थगित रखेंगे। विश्वास दिलाता हूँ हम रॉबर्टसनके आनेके बाद और भी एक सप्ताह प्रतीक्षा करेंगे। स्मट्सके अन्तिम उत्तर मिलनेपर, यदि वह सन्तोषप्रद हुआ तो, वक्तव्य देना पड़ेगा। वाइसरायके प्रतिनिधि आ रहे हैं अतः हम सम्मानवश ही सही तबतक कोई कार्रवाई न करेंगे जबतक उन्हें स्थितिका पूरा अध्ययन करनेका अवसर नहीं मिल जाता। प्रेसके तारोंसे मालूम हुआ अस्वस्थ होनेके कारण आप कांग्रेससे अनुपस्थित रहे। कृपया सूचना देते रहें।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया : फाइल सं० ४५

सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

१. यह सन्देश रायटर द्वारा प्रेषित किया गया था। एक दिन पहले श्री गोखलेने गांधीजीको यह तार दिया था: “रायटरका तार कि आपने १५ तारीखसे फिर संघर्ष आरम्भ करनेकी घोषणा की है। रॉबर्टसन पहली तारीखको रवाना होकर ११ तारीखके आसपास पहुँच रहे हैं। आपका वचन मुझे २८ तारीखको ही मिला तथा रॉबर्टसनको कल अपरान्हमें वाइसरायका निर्देश प्राप्त हुआ, इस कारण रवाना होनेमें देरी। वे आज कार्यभार सौंप रहे हैं और कल नागपुरसे रवाना हो रहे हैं। मैंने आश्वासन दिया है। आप रॉबर्टसनके पहुँचनेके बाद एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करेंगे। मुझे विश्वास है आप मेरी बात रखेंगे।”

RECOGNIZANCE.

Be it remembered, that on the 8 day of November 1913, personally came before me

and acknowledged ~~themselves~~ himself to owe to our Lord the King, the said

the Sum of Fifty pounds and the said

the sum of ✓ Sterling, of good and lawful Money of this Colony to be made of their several Goods and Chattels, Lands and Tenements, respectively, to the use of our said Lord the King, his Heirs and Successors, if the said

M K Gandhi shall make default in the Condition underwritten.

The Condition of this Recognizance is that if the said


M K Gandhi shall appear in the Court of the Resident Magistrate for the district of at Salandit on the 21 day of Nov 1913 to answer a Charge of

Ranseo 20 At (1) Oct. 22/1913 and at all such times and places to which the case may be postponed, then this Recognizance shall be null and void, or else remain in full force.

M K Gandhi

Taken and acknowledged the Day and Year above written before me, the aforesaid





ऐन्ड्र्यूज और पियर्सनके साथ

२३०. पत्र : 'नेटाल मर्क्युरी' को

डर्बन

दिसम्बर ३०, १९१३

महोदय,

आपके पत्रके आजके अंकमें प्रकाशित पहली सम्पादकीय टिप्पणीको पढ़नेपर मेरे लिए यह आवश्यक हो गया है कि मैं उसके उत्तरमें कुछ शब्द कहूँ। आशा है आप मुझे अपना वक्तव्य देनेकी अनुमति प्रदान करेंगे।

आपका खयाल है कि अपेक्षित कूचके प्रारम्भ होनेमें विलम्ब होनेका अधिक प्रबल कारण यह है कि "स्थानीय भारतीय समाजका बहुत बड़ा भाग उस संघर्षमें, जिसमें स्वयं भारतीयोंने बहुत बड़ी क्षति उठाई है, उसके दुबारा चालू होनेपर शामिल होनेको तैयार नहीं दीख पड़ रहा है"। इस देरको लेकर आपने अन्य कई निष्कर्ष भी निकाले हैं। फिलहाल मैं उनके बारेमें कुछ न कहूँगा। परन्तु मैं आपसे यह बात निश्चित रूपसे कह रहा हूँ कि यदि आपकी यह धारणा है कि कूचके शुरू किये जानेपर—चाहे जब शुरू हो—भारतीय समाज उसमें भाग लेनेको तैयार नहीं दीख पड़ रहा है तो आपको किसीने भ्रान्त कर रखा है। इसके विपरीत, आज जो कठिनाई उपस्थित है वह कूचको विलम्बसे शुरू करनेके कारण ही है, और मुझे तथा मेरे सहयोगियोंको विवश होकर विशेष सन्देश-वाहक भेजने और विशेष पत्रों बँटवाने पड़ें हैं ताकि लोगोंको मालूम हो जाये कि फिलहाल कूच कुछ असेंके लिए मौकूफ रखना अत्यावश्यक है। मैं यह मानता हूँ कि यह अनुमान लगाना कि यहाँका भारतीय-समाज कूचमें भाग लेगा या नहीं—व्यर्थ है, क्योंकि निकट भविष्यमें यह बात, अगर सम्भव हुआ तो, सामने आयेगी ही। मैं इस सम्बन्धमें अपनी निजी राय प्रकट कर रहा हूँ ताकि जनता इस मिथ्याभासका शिकार न बन जाये कि यह आन्दोलन भारतीय समाजके कुछ ही लोगों तक सीमित रखा गया है।

इसलिए आपके सौजन्यपर मेरे अतिक्रमण करनेका मुख्य कारण आपके पत्रके द्वारा दक्षिण आफ्रिकाकी जनताको यह सूचित कर देना है कि दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए हम भारतीयोंने अनेक बार स्पष्ट रूपसे कहा है कि विवेकशील पुरुषोंकी तरह, स्थानिक परिस्थितियोंका लिहाज रखते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओंको सीमित ही रखना हमारा फर्ज है; हमारा फर्ज यह भी है कि हम यहाँ व्यापक रूपसे फैले हुए पूर्वग्रहको—फिर वह कितना ही अनौचित्यपूर्ण क्यों न हो—एक वस्तुस्थितिके रूपमें मान लें और ऐसा मान लेनेपर हमने ऐलानिया तौरपर कहा है—और आपके पत्रके माध्यमसे मैं फिर खुले आम कह रहा हूँ—कि मैं और मेरे सहयोगी किसी ऐसे आन्दोलनमें भाग न लेंगे जिसका लक्ष्य संघमें ब्रिटिश भारतीयोंका अप्रतिबंधित आव्रजन हो या निकट

१. उपलब्ध नहीं हैं।

१२-२०

भविष्यमें राजनैतिक मताधिकार पाना हो। हमने ये सब बातें महान् राष्ट्रीय महासभाके उस वार्षिक अधिवेशनके बावजूद कही हैं, जो अभी-अभी कराचीमें समाप्त हुआ है और जिसमें पूर्ण औचित्यके साथ यह माँग की गई है—और यह माँग करना उसके लिए लाजमी भी था—कि समस्त ब्रिटिश राज्यमें सम्राट्के प्रजाजनोको जाति, रंग या मजहबका खयाल किये बिना पूर्ण नागरिक स्वत्व मिलें और उन स्वत्वोंपर स्थानीय परिस्थितियोंका प्रभाव न पड़ने दिया जाये और जो पड़ने देना कदापि उचित नहीं है। मेरे खयालसे यह तो सभी मानेंगे कि ये स्वत्व आगे चलकर मिलेंगे ही। यद्यपि सत्याग्रह निश्चय ही उसकी गतिको बढ़ाता है परन्तु इनका प्राप्त होना गति बढ़ानेके द्वारा नहीं बल्कि लोकमत शिक्षित करनेके द्वारा सम्भव है। उनका प्राप्त होना इस बातपर भी निर्भर है कि भारतीय समाज ब्रिटिश साम्राज्यकी नागरिकतासे उत्पन्न होनेवाले सभी कर्तव्योंका पालन इस प्रकार करे कि ये स्वत्व उसे अनिवार्य रूपसे प्राप्त हो जायें। अगर मेरी सलाहका कुछ महत्व है तो इस बीच मैं यही सलाह दे सकता हूँ कि भारतीय समाजके प्रयत्न अपने सभी खोये हुए नागरिक स्वत्वोंको या ऐसे अधिकारोंको—जिनसे वह अभीतक वंचित रखा गया है—प्राप्त करनेकी दिशामें केन्द्रीभूत हों। मेरी धारणा है कि अगर हम अपने नागरिक स्वत्वोंकी हानिके खिलाफ सत्याग्रह करनेके द्वारा, अपना जोरदार विरोध प्रकट नहीं करते और अगर हम यूरोपीय जनताके सामने अपने आत्मत्याग और बलिदानके द्वारा यह नहीं सिद्ध कर देते कि हम अपने आत्मसम्मान और अपनी प्रतिष्ठाको उतना ही महत्व देते हैं जितना कि संसारका कोई भी राष्ट्र—तो यह कदापि घटित नहीं हो सकेगा।

आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्चुरी, ३१-१२-१९१३

२३१. हिन्दी और तमिल

सत्याग्रहका संघर्ष जैसा अबकी बार चला और इस समय भी चल रहा है, तवा-रीखमें शायद ही उसकी मिसाल मिले। उसका सच्चा श्रेय इस देशमें बसनेवाले हिन्दी और तमिल भाषा-भाषी भाइयों और बहनोंको है। उनका आत्म-बलिदान सबसे बढ़-चढ़ कर है। उनमें से कितने तो गोरे सिपाहियोंकी गोलीके भी शिकार बन चुके हैं। उनके सम्मानमें और उनकी स्मृतिके रूपमें हमने इस पत्रमें तमिल तथा हिन्दीमें समा-चार देनेका निश्चय किया है। कुछ वर्ष पूर्व हम इन दोनों भाषाओंमें [अपना] अखबार निकालते थे, परन्तु कई अड़चनोंके कारण हमें वह बन्द कर देना पड़ा था। यद्यपि वे अड़चनें आज भी दूर नहीं हो पाई हैं तो भी जिस कौमके लोगोंने ऐसे संघर्षमें इतना बड़ा आत्म-बलिदान दिया है उसके सम्मानमें—असुविधा उठाकर भी—हमें कमसे-कम इतना तो करना ही चाहिए। इसे अपना कर्तव्य मानकर हम इन दोनों भाषाओंमें

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ १९१ ।

(समाचार) छापना प्रारम्भ कर रहे हैं जबतक संघर्ष चलेगा यह क्रम चालू रहेगा। इन भाषाओंमें पुनः छापना शुरू करनेमें हमारा हेतु किसी व्यापारिक उद्देश्यसे जोखिम उठानेका नहीं है। संघर्षके खत्म हो जानेपर यह चालू रखा जायेगा या नहीं, इसका निर्णय (तत्कालीन) परिस्थितियोंका विचार करके ही किया जा सकेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-१२-१९१३

२३२. तार : गो० कृ० गोखलेको'

डर्वन

दिसम्बर ३१, १९१३

सर्विडिया

पूना सिटी

पोलकके इंग्लैण्ड जानेके प्रश्नपर पूरा विचार किया गया। आशा थी उन्हें भेज सकूंगा। हम सब स्थितिको देखते हुए यहाँ उनकी मौजूदगी जरूरी समझते हैं। यदि आयोगकी सदस्य-संख्या बढ़ाई गई तो गवाही देनेके लिए उनका यहाँ रहना जरूरी। यदि कूचका फैसला किया गया तो प्रत्येक नेता आवश्यक। पोलकने भी शपथपूर्वक घोषणा की थी। मैकडॉनल्डको भेजा जानेवाला वक्तव्य तैयार हो रहा है। सात हजार प्राप्त हुए।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : फाइल सं० ४५

सौजन्य : सर्वेण्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

१. उसी दिन गांधीजीको श्री गोखलेका एक तार मिला था जिसके उत्तरमें यह तार भेजा गया था। श्री गोखलेका तार इस प्रकार था : “मैंने रैम्जे मैकडॉनल्डको वचन दिया है कि पोलक उन्हें तुरन्त गिरमिटिया प्रथा और तीन पौंडी करके सम्बन्धमें पूरा विवरण और साथ ही हमारी हड़तालका और उसे दबानेके लिए सरकार द्वारा अपनाये गये तरीकोंका पर्याप्त रूपसे विस्तृत ब्यौरा भी भेजेंगे। श्री मैकडॉनल्ड अभिभाषणपर होनेवाली बहसमें प्रश्न उठानेकी आशा करते हैं। इसलिए पोलकको यथासम्भव शीघ्र विवरण भेजना चाहिए। मैंने सुझाव दिया था कि पोलक फरवरीके शुरूमें इंग्लैंड जायें। आपने इसका उत्तर नहीं दिया।” देखिए “तार : गो० कृ० गोखलेको”, पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ २७७।

२३३. पत्र : मार्शल कैम्बेलको

११०, फील्ड स्ट्रीट

डब्लिन

जनवरी १, १९१४

प्रिय श्री मार्शल कैम्बेल,

पिछले महिनेकी ३० तारीखके आपके पत्र और उसकी स्पष्टवादिताके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हालकी घटनाओंने मेरे मित्रोंके बीच एक दरार पैदा कर दी है जो समय और मेरे संगत आचरणसे ही कभी भरी जा सकेगी। मैं तो अपनी ओरसे आपको इतना आश्वासन-भर दे सकता हूँ कि मुझे अपने ऐसे किसी भी आदमीकी खबर नहीं है जिसे यह इजाजत दी गई हो कि वह लोगोंको हिंसा करनेकी सलाह या उत्तेजना दे। सत्याग्रहका मर्म यही है कि अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियोंमें भी हिंसात्मक तरीकोंको न अपनाया जाये। मैं जानता हूँ कि मुझे यह कहनेकी अनुमति तो आप देंगे ही कि श्री गोखलेने या भारतीय समितिने आपका जो आतिथ्य ग्रहण किया था, वह श्री गोखले को या हमको अपना सार्वजनिक कर्तव्य करनेसे नहीं रोकता।

हमने जो हड़तालकी और जो सजाएँ काटीं उनका मंशा गिरमिटिया भारतीयोंके साथ आम तौरपर होनेवाले दुर्व्यवहारका विरोध करना नहीं, बल्कि भारतके एक महानतम प्रतिनिधिको दिये गये वचनको सरकार द्वारा भंग करने और सभीके द्वारा जिसकी निन्दा की गई है ऐसे एक क्रूरतापूर्ण करको स्थायी तौरपर थोपनेके अन्यायका विरोध करना था। आपके पत्रमें सत्याग्रहकी बेहिसाब^१ बुराई की गई है, लेकिन गत छः

१. मार्शल कैम्बेलने अपने ३० दिसम्बरके पत्रमें, अन्य बातोंके साथ लिखा था : “ . . . उनको (गिरमिटिया मजदूरोंको) कुछ ऐसे व्यक्तियोंने, जो मेरे खयालसे आपके ही आदमी थे, मारपीटकी धमकी देकर काम छोड़कर बाहर आनेपर मजबूर किया था। उनमें से दो गिरफ्तार किये गये थे और उनपर जुर्माने भी किये गये थे। ”

२. यह मार्शल कैम्बेल द्वारा अपने पत्रमें लिखे गये इस वाक्यके संदर्भमें कहा गया है : “ श्री गोखले, आपकी समिति और विक्टोरिया काउंटीके दस-पन्द्रह हजार भारतीयोंने भी, अभी बारह महीने नहीं हुए हैं, मेरा आतिथ्य ग्रहण किया था और मेरा नमक खाया था। ”

३. कैम्बेलने लिखा था : “ मेरी रायमें उससे इतना ही हुआ है कि आपकी नीतिकी भारी भूल और साफ हो गई है। यही नहीं निर्दोष और दोषी दोनों ही को समान रूपसे कष्ट सहनेपर विवश करनेवाला कोई भी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता; प्रतिष्ठापकोंके आदर्श चाहे जितने ऊँचे रहे हों, उसमें निहित अन्याय अन्तमें उसे विनाशके गर्तमें पहुँचा कर ही रहेगा। आप मुझे एक मित्रके नाते ही इस स्पष्टवादिताके लिए क्षमा करेंगे कि आपके नेतृत्वमें चलनेवाले कई लोग आपकी नीतिकी कमजोरीको दिन-दिन अधिक स्पष्ट रूपमें समझते जा रहे हैं और इसी निष्कर्षपर पहुँच रहे हैं कि गिरमिटिया मजदूरों जैसे मुख्यतः सन्तुष्ट लेकिन अज्ञानी लोगोंके एक बड़े समुदायको लम्बी-चौड़ी बातोंसे उत्तेजित करके, उनमें व्यावहारिक किस्मकी आशाएँ जगाकर और हिंसापूर्ण धमकियाँ देकर उनको ऐसे कुछ राज-नीतिक अधिकार हासिल करनेके लिए इस्तेमाल करना जिनके हासिल हो जानेपर भी उनको कोई लाभ नहीं होगा, एक ऐसी नीति है जो, यदि अत्यन्त ही शिष्ट भाषाका प्रयोग किया जाये तो भी, बुद्धिमानी और दूरदर्शितापूर्ण नहीं कही जा सकती। ”

वर्षोंसे समाजके पास अपने कष्टोंके निवारणके एकमात्र अस्त्रके रूपमें एक सत्याग्रह ही रहा है; और हालाँकि शुरूमें हर कदमपर जैसी आपने की है उसकी वैसी ही निन्दा की गई है; पर अन्तमें समय बीतनेके साथ-साथ सार्वजनिक कार्य करनेवाले लोगोंने संघर्षके बारेमें सोच-विचार करनेके बाद उसे औचित्यपूर्ण ही ठहराया है। जिस राहतको पानेके लिए सत्याग्रहका अस्त्र प्रयोगमें लाया गया था, मोटे तौरपर वह राहत मिल भी चुकी है। इस बार उसका क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक रहा है। उसके फलस्वरूप इस बार कहीं अधिक लोगोंको अधिक बड़े कष्ट उठाने पड़े हैं और इसीलिए इस बार लोगोंमें, विशेषकर उससे सीधे प्रभावित होनेवाले लोगोंमें, अधिक रोष पैदा हुआ, हालाँकि वह अप्रत्याशित नहीं था। आशा है कि सरकार अत्यधिक सोच-विकारके बाद पेश किये गये हमारे प्रस्तावोंके सम्बन्धमें कोई भी निर्णय करनेमें युक्तिकी अपेक्षा बुद्धिमत्ता और न्याय-शीलतासे ही अधिक काम लेगी। लेकिन यदि वैसा न हुआ और यदि सरकारने हमारी प्रार्थना ठुकरा दी, तो मुझे भय है कि मुझे नापसन्द होते हुए भी संघर्षको फिरसे छेड़ना अवश्यम्भावी हो जायेगा। इस समय भारतीयोंका पथ-प्रदर्शन करनेवाले नेताओंकी बुद्धिमत्ता या बुद्धि-हीनताका निर्णय तो आगे आनेवाली पीढ़ियाँ ही कर सकेंगी

आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, ५-१-१९१४

२३४. तार : गो० कृ० गोखलेको'

डर्बन
जनवरी १, १९१४

सर्विडिया,
पूना

उमतली पहुँचने ही वाला है। तार द्वारा स्वास्थ्य सूचित कीजिये। कई लोग जाननेके लिए चिन्ताकुल।

गांधी

[अंग्रजीसे]

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इण्डिया : फाइल संख्या ४५।

सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी।

१. सी० एफ० ऐंड्रयूज और डब्ल्यु० डब्ल्यु० पियरसन उमतली जहाजसे यात्रा कर रहे थे। वह २ जनवरीको डर्बन पहुँचा था; यह तार श्री गोखलेके दिसम्बर ३१, १९१३ के उत्तरमें दिया गया था। देखिए अगला शीर्षक।

२३५. तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन
जनवरी २, १९१४

सर्विडिया
पूना

ऐंड्र्यूज और पियर्सनका^१ यथोचित सम्मान^२ हुआ। तबीयत ठीक है। उनका स्नेह स्वीकार करें। यात्रा कष्टप्रद रही।

गांधी

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया : फाइल संख्या ४५
सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी।

२३६. तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन
जनवरी २, १९१४

रेवरेण्ड सी० एफ० ऐंड्र्यूज और रेवरेण्ड डब्ल्यू० पियरसन आ गये हैं। भारतीय समाजने बड़े उत्साहसे उनका स्वागत किया। उनकी यात्रा बड़ी कष्टप्रद रही। अब हम आयोगमें एक और सदस्य—कमसे कम एक ऐसा यूरोपीय सदस्य जिसकी निष्पक्षतापर हमें भरोसा हो—बढ़वानेकी कोशिश कर रहे हैं। आवश्यक होनेपर, बागानके मालिकोंको अपनी ओरसे एक सदस्य नामजद करनेकी अनुमति दी जायेगी। पूरे हृदयसे आशा करता हूँ कि इस बातमें भारत हमारा समर्थन करेगा। अनुरोध है कि आप सभीसे हमारे लिए अत्यधिक चिन्तित न होनेके लिए कह दें। रिहा होकर आनेपर हमने पाया कि हमारे समाजके एक बड़े समुदायने धैर्य और कष्ट सहनकी अद्भुत क्षमताका परिचय दिया था और किसी प्रभावशाली नेतृत्वके बिना भी अनुशासनके साथ निश्चयपूर्वक काम करनेकी गिरमिटिया भारतीयोंकी अप्रत्याशित क्षमता देखकर तो हम अवाक् रह गये। अपनी विपत्तिमें भी हम

१. विलियम विन्स्टान्ले पियरसन, भारतीयोंके प्रति सक्रिय रूपसे सहानुभूति रखनेवाले एक ईसाई मिशनरी; कुछ समय तक शान्तिनिकेतनमें शिक्षक भी रहे थे।

२. गांधीजी जहाजसे ऐंड्र्यूज और पियरसनको लेने कुछ अन्य लोगोंके साथ घाट तक गये थे।

प्रसन्नचित्त हैं और आगे आनेवाली घटनाओंकी राह देख रहे हैं। और उनके लिए तैयार हो रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, ५-१-१९१४

२३७. तार : गो० कृ० गोखलेको^१

डर्बन

जनवरी ३, १९१४

सर्विडिया

पूना

गॉडफ्रेको समस्याकी जानकारी अधूरी, ज्ञान अधकचरा। उसे आपके साथ रहकर सीखनेके लिए कहा है। स्थगन कालमें कृपया आराम कर लीजिए। रायटरने सारांश नहीं भेजा। ऐंड्रयूज चाहते हैं मैं उनके साथ फीनिक्समें एक सप्ताह रहूँ। मैंने सहमति दे दी है आपकी मंजूरी मिलनेकी शर्तपर। चाहता हूँ कि हरिलाल आ जाये। उसने पूरे संघर्षके दौरान सत्याग्रहीके रूपमें काम करनेकी शपथ ली है। उसे अपना दायित्व निभानेकी अनुमति होनी चाहिए। मेरी रायमें जेल और अन्य चीजोंका अनुभव बड़ा शिक्षाप्रद।

गांधी

नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया : फाइल संख्या ४५

सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

१. यह गोखलेके २ जनवरीके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था : “ रॉबर्टसन कल रवाना हो गये। पहुँचनेपर स्वागत-समारोह करनेकी आपकी इच्छा उनको बतला दी। उनका खयाल है कि एक छोटेसे शिष्टमण्डलका उनसे मिलना ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रदर्शनसे गलतफहमी पैदा हो सकती है। उन्होंने सन्देश दिया है कि वे समाजके लिए भरसक कोशिश करेंगे। समाचारपत्रोंमें गॉडफ्रेके बम्बई पहुँचनेका समाचार है। तार दें कि उसपर किस हद तक भरोसा कर सकते हैं। हृदयमें पानी जमा होनेसे कष्ट, जिससे शरीर बेहद कमजोर हो गया है। कई दिन बिस्तरमें रहना पड़ेगा। विभिन्न तारोंके आधारपर तैयार किया गया लगभग दो हजार शब्दोंका आपका वक्तव्य कल प्रकाशित किया गया। उससे लोकमत काफी जोरसे आपके पक्षमें बन रहा है। क्या रायटरने तार द्वारा सारांश भेजा ? ”

२३८. भाषण : सी० एफ० ऐंड्रूजके स्वागत-समारोहमें^१

[डर्वन

जनवरी ४, १९१४]

श्री गांधीने कहा कि अध्यक्षका भाषण यदि हिन्दी या गुजरातीमें हो तो पिछले बीस वर्षोंसे दुभाषियेका काम करना मेरा कर्तव्य ही रहा है। इस मौकेपर भी मुझे वही करनेको कहा गया है। अध्यक्षने कहा है कि यह थोड़ा-सा स्वर्ण आन्दोलनके प्रति हमारे लोगोंकी हार्दिक सहानुभूतिको व्यक्त करता है। वे शायद जेल न जा सकें, परन्तु वे यह जताना चाहते हैं कि हृदय और आत्मासे वे आन्दोलनके साथ हैं। डर्वनके हिन्दुओंने भारतसे आये अपने अतिथियोंका जोरदार स्वागत किया। जब अखबारोंमें उनके आनेकी सूचना दी गई तो उससे उन्हें निराशाकी घड़ीमें नई आशा मिली। उन्होंने अनुभव किया कि उनके आन्दोलनपर परमेश्वरकी छाया है। सभापतिने एक शिकायतका उल्लेख किया है जिसकी ओर मैं श्री ऐंड्रूज और श्री पियर्सनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। शिकायत यह है कि उनके कई जाति भाइयोंको, जिन्हें अधिवासका अधिकार प्राप्त है, प्रवासी अधिकारीने प्रवेश करने देनेसे मना कर दिया। अधिकारीने उनके बंधानमें थोड़ी-सी कमजोरीका लाभ उठाकर उन्हें गरीबीका सामना करनेके लिए अपने दोस्तोंसे दूर वापस भारत भेज दिया।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९१४

२३९. पत्र : मणिलाल गांधीको

११०, फील्ड स्ट्रीट

डर्वन

जनवरी ४, १९१४

प्यारे बेटे,

तुम्हारा पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पहली बात तो यह कि रिहा होनेके बाद मुझे एक मिनटकी भी फुरसत नहीं मिली और मुझे एक दिन भी पूरी नींद नहीं मिली। दूसरी बात यह कि इतने सारे लोगोंको लिखना था कि मैंने सोचा कि मैं तुम सबको नहीं लिखूँ; तुम लोग इसका कारण भी समझ लोगे। परन्तु तुम्हारे

१. शतवारको सुबह ऐंड्रूज और पियर्सनका भारतीय फेरीवालोंके संघकी ओरसे विक्टोरिया स्ट्रीटपर सरत हिन्दू संघ धर्मशालामें स्वागत किया गया। गांधीजीको सत्याग्रह कोषके लिए ६० पौंडकी राशि दानमें दी गई।

पत्रने मुझे तुम्हें लिखनेपर विवश कर दिया है। मेरा खयाल है कि रिहा होनेपर तुम मुझसे और अपनी माँसे मिलोगे।^१ रामदास चंगा दीखता है; उसने अच्छा काम किया है, देवदास बड़ा बहादुर निकला। उसने दायित्व निभानेकी अपनी शक्तिका जैसा परिचय दिया है उसकी आशा नहीं थी। प्रभुदासने भी लगभग उतनी ही क्षमता दिखाई है, परन्तु उसमें देवदास जितनी फुर्ती नहीं है। घरमें सभी महिलायें स्वस्थ हैं और तुमसे मिलनेको उत्सुक हैं। मुझे अफसोस है कि तुम अधिक नहीं पढ़ पाये। मेरा खयाल है कि यदि तुम अधिक पुस्तकोंके लिए मजिस्ट्रेटको लिखो तो वह मंजूरी दे देगा। तुम उसे याद दिला सकते हो कि जोहानिसबर्गकी और दूसरी सभी जेलोंमें तुमने जो पुस्तकें चाही थीं उनको मँगानेकी अनुमति दे दी गई थी। तुमको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ब्लूमफॉन्टीनमें मैं अध्ययनमें जुट गया था और अपने अध्ययनमें बाधा पड़नेका मुझे हार्दिक दुःख होता था। मैं ठोस अध्ययनमें करीब आठ घण्टेका समय लगाता था, खास तौरपर तमिलकी पढ़ाईमें। अधिकारियोंने कृपापूर्वक मुझे सभी प्रकारकी सुविधायें दे रखी थीं। तुमको शायद मालूम होगा कि तुम्हारे जेल जानेसे पहले जमनादास आ गया था। वह क्रिस्टियानामें है। हरिलाल शायद जल्द ही लौट आये। रुपया मेढके पिताको भेजा गया था। हम सभीकी ओरसे स्नेह।

तुम्हारा

बापू

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५६८४) की माइक्रोफिल्मसे।
सौजन्य : लुई फिशर

२४०. भेंट : रायटरके प्रतिनिधिको

डर्वन

जनवरी ४, १९१४

गन्नेके सुविख्यात बागान-मालिक सिनेटर कैम्बेल और श्री गांधीके बीच हुए पत्र-व्यवहारके सम्बन्धमें रायटरके एक प्रतिनिधिसे भेंटमें श्री गांधीने कहा कि मैंने श्री कैम्बेलसे अपना सहयोग और सहानुभूति देते रहनेका अनुरोध किया है।

श्री कैम्बेलने जवाबमें कहा कि मैं अपनी इस रायपर कायम हूँ कि तीन पाँड़ी कर हटा दिया जाना चाहिये और अब भी उन भारतीयोंका समर्थन करता हूँ जो कठोर प्रशासन और परवाना कानूनोंसे राहत पाना चाहते हैं परन्तु फिर भी मैंने श्री गांधीसे अपील की है कि अराजकता न होने दें और एक ऐसे आयोगको माननेसे इनकार न करें, जिसके सदस्य न्यायप्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति हों।

१. मणिलाल गांधी उस समय सत्याग्रह आन्दोलनमें भाग लेनेके अपराधके लिए तीन महीनेकी सजा काट रहे थे।

श्री गांधीने जवाब दिया कि हड़ताल और उसके बादकी गिरफ्तारियाँ तो सरकारके उस वचन-भंगके विरोधस्वरूप हैं जो उसने श्री गोखलेको तीन पौंडी करके बारेमें दिया था, न कि गिरमिटिया भारतीयोंके प्रति होनेवाले साधारण व्यवहारके विरोधमें। श्री गांधीने कहा, कि मुझे भय है कि यदि सरकारने भारतीयोंकी प्रार्थनाओंको ठुकरा दिया तो सम्भव है फिर वही तरीके अपनाने पड़ें जो पहले अपनाये गये थे।^१

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ५-१-१९१४

२४१. पत्र : 'इंडियन ओपिनियन' को

[डर्वन

जनवरी ५, १९१४ के बाद]

सम्पादक

'इंडियन ओपिनियन',

भाई हरबतसिंहके सम्बन्धमें जो इस सोमवारको^२ संसारसे विदा हो गये हैं, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। यह मानकर कि 'इंडियन ओपिनियन' के पाठकोंको उनका परिचय पाकर अच्छा लगेगा मैं उक्त जानकारी नीचे दे रहा हूँ।

दो माह पूर्व, जब मैं फोक्सरस्ट जेलमें था, उस समय भाई हरबतसिंहने भी जेलको पावन किया। वे उन ३७ भारतीय कैदियोंमें से एक थे जिन्होंने चार्ल्स टाउनमें एक मुद्दत तक [गिरफ्तार होनेकी] राह देखनेके बाद फोक्सरस्टकी सीमामें प्रवेश करके जेल जाना पसन्द किया था। मैंने जब इनमें भाई हरबतसिंहको देखा तो मेरा हृदय हर्षसे फूल उठा। मैं तब मन-ही-मन अपने [द्वारा शुरू किये गये इस] कामको लेकर सोचमें पड़ गया। पहले मेरा हृदय तो इसलिए भर आया था कि ऐसे सत्तर वर्षकी उम्रके वृद्धको भी, जिसने लगभग तीस वर्ष नेटालमें मजदूरकी स्थितिमें गुजारे हैं, भारतका, भारतके स्वाभिमानका और प्राचीन तपश्चर्याका भान है और अपनी वृद्धावस्थामें भी आरामकी जिन्दगी बसर करनेके बजाय उसने जेलके कष्टोंको सहन करना पसन्द किया। और सोचमें इसलिए पड़ गया कि "ओ मन! अगर तेरा यह काम अपने निर्दोष और अपढ़ होते हुए भी ज्ञानी बन्धुओंको गुमराह करनेवाला निकला तो तेरी कितने पापोंकी जिम्मेदारी होगी? जब तुझे तेरी यह भूल मालूम होगी तब यदि तूने पश्चात्ताप किया भी तो वह किस काम आयेगा। तुझसे प्रेरणा पाकर जो लोग मृत्युको प्राप्त हो गये थे वे जीवित नहीं हो उठेंगे। और जिन्होंने तेरे निर्दिष्ट मार्गपर चलकर जेलके दुःख भोगे हैं वे उन्हें भूल नहीं सकेंगे।" इन विचारोंसे मनमें उदासी आ गई। किन्तु फिर विचार उठे कि "यदि तूने शुद्ध बुद्धिसे अपने बान्धवोंको जेल जानेकी सलाह दी है तो तू निर्दोष समझा जायगा। यज्ञके बिना धरती नाशको

१. देखिए "पत्र : मार्शल कैम्बेलको", पृष्ठ ३०८-०९।

२. हरबतसिंहकी मृत्यु ५ जनवरीको हुई। देखिए अगला शीर्षक भी।

प्राप्त होती है—यह उक्ति तो ठीक है किन्तु यज्ञका मतलब निरी लकड़ियाँ जलाना और उनमें घी आदिका हवन करना ही नहीं है। भले ही उससे वायु शुद्ध होती हो, पर उससे जीवनको परिपूर्णता नहीं मिल सकती। जब हम अपनी हड्डियोंको काष्ठकी तरह जलायें, अपने रक्त रूपी घृतका होम करें और अपने ही मांसकी बलि दें तभी सच्चा यज्ञ सिद्ध हुआ माना जायेगा और तभी पृथ्वी टिकी रह सकेगी। इस प्रकारके यज्ञ — आत्म-बलिदान — के बिना पृथ्वीका निर्वहन सम्भव नहीं। आत्म बलिदानके बिना कभी कोई कौम तरक्की नहीं कर सकी है; तब हम ही क्या इसके अपवाद हैं? कदापि नहीं। यही सोचकर मैंने इतमीनान कर लिया कि हरबतसिंह-जैसे वृद्ध भारतीय, भारतके हितमें जेलोंको भर दें और उन्हींमें मर-मिट जायें तो कोई चिन्ताकी बात नहीं है। मैंने हरबतसिंहसे पूछा भी था कि उन्होंने अपनी इस उत्तर अवस्थामें जेलमें आना कैसे पसन्द किया? उन्होंने जवाब दिया, “जब आप सभी, स्त्रियाँ आदि तक जेल जा रहे हैं तब मैं ही जेलसे बाहर रह कर क्या करूँ? जब आप चार्ल्स टाउन गये तब मैंने अपना छोटा-सा खेत छोड़ दिया और वहाँ जानेका निर्णय कर लिया। और जब मेरे साथी जेलमें आये तो मैं भी आ पहुँचा।” मैंने पूछा, “पर भाई! जेलमें ही यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो?” जवाबमें इस विवेकशील भारतीयने कहा, “हो जाये तो हो जाये, मैं बूढ़ा जो हूँ; मेरे जीनेसे लाभ ही क्या है?”

इस वृद्ध भारतीयको सख्त सजा दी गई। मेरा खयाल है कि सत्याग्रहके पहले संघर्षके समय जब कैदियोंको सादी कैद दी गई थी तब सरकारकी ओरसे अदालतोंको आगाह किया गया था कि किसी भी सत्याग्रही भारतीयको सादी कैद न दी जाये। और इसीलिए प्रथम सादी कैदके बाद किसी भी भारतीयको सादी सजा नहीं दी गई। यह तो किस्मत अच्छी रही कि फोक्सरस्टमें जेलरका हरबतसिंहके साथ व्यवहार नरम रहा। हरबतसिंह जेलके बगीचेमें पानी देने जाते थे और उनमें कुछ ऐसा उत्साह था कि उसे देखकर जवान सत्याग्रही कैदी भी शरमिन्दा हो उठते थे।

ऐसे भारतीयके उदात्त मरणसे किस भारतीयकी आँखोंसे हर्षके आँसू नहीं टपक पड़ेंगे? मुझे आशा है कि जब हरबतसिंहकी अर्था निकलेगी तो उसके साथ प्रत्येक भारतीय श्मशान तक चलकर जायेगा।^१ इस प्रकार सम्मान देकर हम हुतात्माकी स्मृतिको संजोयेंगे—इतना ही नहीं [ऐसा करके] भारतका सम्मान करेंगे और खुद भी सम्मानित होंगे।^२

मैं हूँ,

भारतका गिरमिटिया

मोहनदास करमचन्द गांधी

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९१४

१. ८ तारीखको शव-यात्रामें, सभी धर्मके भारतीयोंके अतिरिक्त, यूरोपीय भी शामिल हुए थे।

२. देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४५।

२४२. अमर-पुरुष हरबतसिंह

हरबतसिंह एक गिरमिटिया भारतीय थे। उनकी आयु सत्तर वर्षकी थी। उनका [यहाँ] कोई सगा-सम्बन्धी न था। गत सोमवारको उनका देहावसान हो गया। समस्त भारतीय समाज उनके लिए शोक प्रकट करता है। इस विशाल देशमें उनका एक भी अपना न था; अब इस देशमें रहनेवाले डेढ़ लाख भारतीय उनके सगे-सम्बन्धी हो गये हैं। साधारण परिस्थितियोंमें एक भी भारतीय जिसके मरनेके बारेमें कुछ न जान पाता, इस असाधारण परिस्थितिमें मरनेके कारण उससे सारा हिन्दुस्तान परिचित हो जायेगा। आप पूछेंगे, इसका क्या कारण है। उत्तर यह है कि हरबतसिंह सत्याग्रही थे और जिस प्रकार सत्य अमर है उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक सत्यका पालन करनेवाले भी अमर हो जाते हैं। जैसे सूर्य ढँपनेसे छिप नहीं जाता वैसे ही कोई सत्यको चाहे जितना छिपानेका प्रयत्न करे वह प्रकट होकर ही रहता है। सत्यका रंच-मात्र पालन करनेवाला मनुष्य भी छिपा नहीं रहता। बहुत पुराने गिरमिटिया होनेके कारण हरबतसिंहको ३ पौंडका कर नहीं देना पड़ता था। फिर भी अपने अन्य भाइयोंको संघर्ष करते देखकर उन्होंने भी उसके लिए निकलना पसन्द किया।

इस समाचारके मिलते ही कि उनकी लाशको दफना दिया गया है, हमने सरकारसे इसे लौटा देनेका अनुरोध किया। इस लेखके प्रकाशित होने तक [सरकारकी] स्वीकृति मिल चुकेगी। मृत शरीर मिलनेके बाद उसका दाह-संस्कार किया जायेगा। हमें उम्मीद है कि प्रत्येक भारतीय शव-यात्रामें शामिल होगा।

हरबतसिंहने इस महान संघर्षमें शरीक होकर अपना नाम अमर कर दिया है। हमारी कामना है कि उनकी जैसी हिम्मत और सद्बुद्धि प्रत्येक भारतीयको प्राप्त हो।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९१४

२४३. भेंट : 'प्रिटोरिया न्यूज' के प्रतिनिधिको^१

[प्रिटोरिया
जनवरी ९, १९१४ से पूर्व]

[गांधीजी] मैं आपको इस समय जो गोपनीय बातचीत चल रही है, उसके बारेमें कुछ नहीं बता सकता।

[संवाददाता] रेलवे हड़तालके बारेमें आपका क्या विचार है?
रेलवे हड़तालसे मेरा कुछ सरोकार नहीं है।

१. ९ जनवरीको सुबह गांधीजी सी० एफ० ऐंड्यूजके साथ स्मट्ससे बातचीतके लिए प्रिटोरिया आये। समाचारपत्रके एक संवाददाताने गांधीजीसे सत्याग्रहके विषयमें बातचीत की।

सो तो मालूम है, परन्तु उसके प्रति आपका रुख क्या है?

मेरा कोई रुख नहीं है। ऐसी विषम-स्थितिमें हम-जैसे उपेक्षित लोगोंका, जिनका कोई वोट न हो, क्या रुख हो सकता है?

मेरा मतलब यह है कि सरकार इस समय परेशानीमें पड़ी हुई है; तो क्या आप इसका लाभ उठाकर अपना सत्याग्रह और हड़ताल-आन्दोलन फिर शुरू करेंगे?

श्री गांधी विचार-निमग्न दिखाई दिये; वे एक क्षण रुककर बोले:

यह हमारी नीति कभी नहीं रही।

सो सब छोड़िए, स्पष्ट कहिये। पहले आपकी नीति क्या थी, इसकी परवाह किये बिना यह बताइये कि इस मौकेपर आप क्या करने जा रहे हैं?

जहाँतक मेरा सवाल है ऐसे मौकेपर मैं सरकारको और परेशानी देनेवालोंमें शामिल नहीं होऊँगा। हमने गत जुलाईमें^१ रैंडके खनिकोंकी हड़तालके दरमियान जो नीति अपनाई थी इस समय भी हम वही अपनाएंगे। उस समय हमने संघर्ष स्थगित कर दिया था, जरूरत पड़ी तो हम फिर वैसा ही करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे तथा रेलवेके लोगोंके मसलोंको लेकर कोई गलतफहमी न हो; यदि हम इस समय सत्याग्रह शुरू करें तो गलतफहमी हो सकती है। बहरहाल, मैं सरकारकी स्थितिका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता...।

मुझे आशा है कि जो बातचीत अभी चल रही है उससे, और दक्षिण आफ्रिकामें हमारे यूरोपीय दोस्तोंके आवेदनोंसे फिर सत्याग्रह करनेकी जरूरत नहीं रह जायेगी। और चाहे जो हो (यह बहुत जोर देकर), मन्त्री महोदयका जवाब हमें अनुकूल मिले अथवा प्रतिकूल, हम तबतक कार्यवाही नहीं शुरू करेंगे जबतक रेलवेका मामला निबट नहीं जाता। मैं इसके लिए आपको व्यक्तिगत आश्वासन देता हूँ।^२

[अंग्रेजीसे]

प्रिटोरिया न्यूज, ९-१-१९१४

4666



१. देखिए "जोहानिसबर्गमें उपद्रव", पृष्ठ १२७-२९।

२. १४-१-१९१४के इंडियन ओपिनियनमें इस कथनका सारांश छपा गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड ग्लैडस्टनने उपनिवेश कार्यालयको इस भेंटकी कतरन भेजी थी और यह भी लिखा था कि श्री गांधीने व्यक्तिगत आश्वासन दिया है कि मैं और मेरे साथी रेलवे हड़तालका निपटारा होने तक कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। इस निर्णयका इंग्लैंड और दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंपर भी बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा।



२४४. एक महत्त्वपूर्ण सलाह^१

मैंने सुना है कि कई भारतीय भाई अपनी पहली गिरमिट खत्म होनेपर फिर दूसरी बार गिरमिटमें बँध जाते हैं। सभी भाई यह तो जानते ही होंगे कि दूसरी बार गिरमिटमें बँधना आवश्यक तो नहीं है। तीन पौंडी करकी छूट हो जानेपर दूसरी बार गिरमिट स्वीकार करनेका कारण ही नहीं बचेगा। इसलिए इस संघर्षके चलनेकी अवधिमें दूसरी गिरमिट मंजूर करके गुलामी स्वीकार न करें। जिन लोगोंके हाथमें यह अखबार नहीं पहुँच पाता और जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते—मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक पढ़ा-लिखा व्यक्ति उनतक यह बात पहुँचाना अपना कर्त्तव्य समझेगा।

मोहनदास करमचन्द गांधी

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१-१९१४

२४५. जनरल स्मट्ससे भेंट^२

प्रिटोरिया

जनवरी १६, १९१४

श्री गांधीने गत शुक्रवारको जनरल स्मट्सके सामने जो मूल प्रस्ताव रखा था, वह इस प्रकार था :

उन्होंने चार मुद्दोंपर निश्चित आश्वासन देनेको कहा :

(क) तीन पौंडी कर : जनरल स्मट्सने उनसे पूछा कि यदि परवानेकी व्यवस्था बनी रहे किन्तु उससे सम्बन्धित शुल्क लेना बन्द कर दिया जाये तथा १८९५ के नेटाल अधिनियम १७ की व्यवस्थाओंमें और कोई रद्दोबदल न किया जाये तो क्या आप

१. इंडियन ओपिनियनके इसी अंकके हिन्दी विभागमें इसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया था।

२. गांधीजी और जनरल स्मट्सकी १६ जनवरीकी भेंटमें जो बातचीत हुई थी, उसका अधिकृत विवरण, गवर्नर-जनरल लॉर्ड ग्लैडस्टन द्वारा उपनिवेश मन्त्रीको २२ जनवरीको भेजे गये एक गुप्त खरीतेसे, लिया गया है। भेंटका अन्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं। गवर्नर-जनरलने इसका विवरण देते हुए लिखा था : “ इस देशमें मेरी सरकार और भारतीय समाजके बीच मुख्य-मुख्य विवादग्रस्त मुद्दोंपर शीघ्र ही समझौता होनेकी सम्भावना गत सप्ताहसे स्पष्ट ही बढ़ गई है। वैसे बाधाएँ अभीतक हैं और उनको अन्देखा करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा, और दोनों पक्षोंकी परस्पर सहमतिसे कोई विधान पास करनेसे पहले कुछ ऐसी भी बाधाएँ सामने आ सकती हैं जिनका अभी कोई अनुमान नहीं है, या बहुत ही हल्का-सा

सन्तुष्ट हो जायेंगे। श्री गांधीने कहा कि इस तरह हमारी शर्तें तो पूरी हो जायेंगी, लेकिन यदि परवानेकी व्यवस्था रखनी ही है तो परवाने स्थायी किस्मके होने चाहिए; उनके साल-दर-साल बनवानेकी अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए।

(ख) विवाहका प्रश्न : उन्होंने बिलकुल स्पष्ट ढंगसे यह तो नहीं बतलाया कि वे ठीक-ठीक क्या चाहते हैं, लेकिन जनरल स्मट्सका अपना अनुमान था कि वे जो चाहते हैं वह अनुचित नहीं है और यदि वस्तुतः एक ही विवाह करनेवाले पतियोंकी पत्नियोंको संबैधानिक रूपसे मान्यता दे दी जाये तो शायद भारतीय सन्तुष्ट हो जायेंगे।

(ग) दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंका केप प्रान्तमें प्रवेश : श्री गांधीने इसके सम्बन्धमें कानून पास करनेका आग्रह नहीं किया। वे केवल यह आश्वासन चाहते थे कि कानून इस तरह लागू किया जाये कि केपमें प्रवेशके इच्छुक भारतीयोंको शैक्षणिक परीक्षामें न बैठना पड़े। यह इस शर्तपर कि थोड़ेसे भारतीय ही इस प्रकार प्रवेश करेंगे और यदि उनकी संख्या अधिक हुई तो उनको परीक्षामें बैठना पड़ेगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि समझौतेके ठीक-ठीक शब्द क्या थे, लेकिन मुझे यकीन है कि उसका सार यही था।

(घ) ऑरेंज फ्री-स्टेटके कानूनके अन्तर्गत अपेक्षित शिनाख्ती ब्यौरा बतलाना : जनरल स्मट्सने बतलाया कि सरकारने पहले ही श्री जॉर्जसके १९ अगस्तके पत्र (सी० डी०

आभास है। लेकिन कुल मिलाकर परिस्थिति अब पहलेसे कहीं अधिक आशापूर्ण हैं। यह मेरी पदावधिके दौरान श्कनी आशापूर्ण कभी नहीं थी।”

“जनरल स्मट्स और श्री गांधी, जनरल स्मट्स और सर बेंजामिन रॉबर्टसन और सर बेंजामिन रॉबर्टसन तथा श्री गांधीकी अनेक बार व्यक्तिगत रूपसे भेंट हो चुकी है। श्री ऐंड्रयूज, मन्त्री महोदय और सर बेंजामिन रॉबर्टसनसे भी बातचीत कर चुके हैं। जनरल स्मट्सने अत्यन्त धैर्य और मैत्रीपूर्ण ढंगसे बात की। कई वर्षोंसे श्री गांधीके साथ कई बार विवाद चलनेके बावजूद उनके प्रति जनरल स्मट्सका रवैया बड़ा सहानुभूतिपूर्ण बना हुआ है। वे श्री गांधीको एक असाधारण व्यक्ति मानते हैं, जिनकी विलक्षणताएँ मन्त्री महोदयके लिए चाहे जितनी असुविधापूर्ण हों, पर उनका अध्ययन करनेवालेके लिए उनमें आकर्षण तो है ही। सर बेंजामिनने बड़ी कुशलता, न्यायपूर्णता और तर्कसंगतिका परिचय दिया है। उन्होंने जनरल स्मट्स ही नहीं, प्रधान मन्त्रीके साथ भी बड़े अच्छे सम्बन्ध बना लिये हैं, और उन्होंने मन्त्रिमण्डलके अन्य सदस्योंसे परिचय करके उनके साथ मैत्री स्थापित कर ली है और उनकी दृढ़ता तथा कौशलपूर्ण सूझबूझने श्री गांधीको अत्यधिक प्रभावित किया है और उनको कुछ सीमाओंमें रखा है। श्री गांधीसे वार्ता चलाना किसी भी यूरोपीयके लिए आसान काम नहीं है। पाश्चात्य वातावरणमें पले हुए लोग यह नहीं समझ पाते कि श्री गांधीकी अन्तरात्मा कब, किस तरह सोचेगी, और इसके कारण कई बार ऐसी जगह बात अटक जाती है जहाँ उसके अटकनेकी बिलकुल आशंका नहीं होती। लगता है कि उनके नैतिक और बौद्धिक दृष्टिकोणमें आध्यात्मिकता और बुद्धि-कौशलका एक विचित्र-सा योग है, जो साधारण ढंगसे सोचने-विचारनेवालोंकी समझमें नहीं आता। फिर भी व्यावहारिक ढंगसे चीजोंको कैसे किया जाये, इसके बारेमें काफी हदतक समझौता हो गया है।”

७१११, पृष्ठ ५१) में इसके बारेमें श्री गांधीका सुझाव स्वीकार करनेकी सहमति प्रकट कर दी थी। श्री गांधीने कहा कि उन्होंने उस पत्रके उल्लिखित अनुच्छेदका वंसा अर्थ नहीं लगाया था, लेकिन यदि उसमें थोड़ा-सा शाब्दिक संशोधन कर दिया जाये तो कठिनाई दूर हो जायेगी।^१

श्री गांधीने बतलाया कि यदि जनरल स्मट्स उनके चारों मुद्दोंके बारेमें स्पष्ट रूपसे एक लिखित आश्वासन दे दें, तो वे भारतीयोंकी शिकायतोंके समूचे प्रश्नको निबटा हुआ मान लेंगे। तब आयोगको आम शिकायतों या नीतिके सम्बन्धमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। उस स्थितिमें आयोगकी जाँच-पड़तालका क्षेत्र सत्याग्रह आन्दोलनकी हालकी घटनाओं और हड़ताल और उस आन्दोलन तथा उसके दमनके तरीकेके कारण लगाये जानेवाले विभिन्न आरोपों तक ही सीमित रहेगा। उसके आधारपर वे और उनके मित्र आयोगके सामने उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करनेके लिए तैयार रहेंगे। और यदि सर जेम्स रोज-इन्स या श्री श्राइनरको आयोगमें सम्मिलित कर लिया जाये तो वे आश्वासन न मिलनेपर भी आयोगके सामने उपस्थित होकर उसके विचारके लिए सम्मिलित सभी विषयोंके सम्बन्धमें साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। मेरा खयाल है कि उस दशामें वे भारतीयोंकी सभी, १८८५ से आजतक की सभी, शिकायतोंको व्यौरेवार ढंगसे उठायेंगे। उन्होंने यह भी सूचित किया कि आयोगके सामने उनका प्रारम्भिक वक्तव्य ही कमसे-कम दो दिन चलेगा।

और यदि उनके किसी भी वैकल्पिक प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया गया तो वे आयोगसे कोई सरोकार नहीं रखेंगे और वे अपने आपको कुछ भी करनेके लिए स्वतन्त्र मानेंगे; हालाँकि उस स्थितिमें भी वे अपने इस वचनको निभायेंगे कि वर्तमान औद्योगिक झगड़ोंका निवटारा न होने तक वे फिरसे सत्याग्रह आन्दोलन छोड़कर सरकारको परेशानीमें नहीं डालेंगे।

जनरल स्मट्सने बतलाया कि आयोगके वर्तमान गठनमें कोई भी परिवर्तन करनेपर उनको स्पष्ट ही कुछ आपत्तियाँ हैं। उन्होंने श्री गांधीको यह समझानेकी कोशिश की कि आश्वासन माँगनेके बदले आयोगके सामने अपनी शिकायतोंके चारों मुद्दे पेश करना उनके अपने ही हितमें रहेगा। इससे यदि सरकार आयोगकी सिफारिशोंको आधार बनाकर ही सुधारका कानून बनाना चाहे तो सरकारको कहीं ज्यादा आसानी होगी। सर विलियम सॉलोमन और श्री एसेलेनसे व्यक्तिगत तौरपर बातचीत करनेके बाद मन्त्री महोदयको पक्का विश्वास हो गया है कि आयोग सुधारके कानूनकी सिफारिश अवश्य करेगा और इसलिए न्यायाधिकरणके सामने इन मुद्दोंके सम्बन्धमें अपने विचार स्पष्ट न करनेका अवसर हाथसे खोना श्री गांधीके लिए अविवेकपूर्ण होगा।^१

१. लॉर्ड ग्लेडस्टनने इसपर कहा था: “श्री गांधीके पहले दो मुद्दोंके बारेमें ही नया विधान बनानेकी जरूरत पड़ेगी।”

पर श्री गांधी यही आग्रह करते रहे कि वे अपनी प्रतिज्ञाके दायित्वोंको अटल मानते हैं। जनरल स्मट्सने तब उनके प्रस्तावोंपर विचार करके यथाशीघ्र उत्तर देनेके वचनके साथ भेंट समाप्त की।^१

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स ५५१/५४

२४६. पत्र : गृह-सचिवको^२

प्रिटोरिया

जनवरी २१, १९१४

सेवामें
गृह-सचिव
प्रिटोरिया
महोदय,

मैं फीनिक्स छोड़नेसे पहले जनरल स्मट्सको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अधिक व्यस्त होते हुए भी भेंटके दौरान बड़े धैर्य और बड़े स्नेहके साथ मुझसे बातें कीं। मेरे देशवासी उनके इस अनुग्रहको कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करेंगे।

मैं समझता हूँ कि मन्त्री (भारतीय जाँच-आयोगके सम्बन्धमें) मेरे दोनों सुझाव स्वीकार करनेमें असमर्थ हैं। उनको न तो मेरा यह सुझाव स्वीकार्य है कि (१) नीति विषयक प्रश्नोंकी जाँच करते समय भारतीय हितोंका प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य सम्मिलित कर लिया जाये; और न यह कि (२) केवल इन प्रश्नोंपर विचार करनेके लिए एक दूसरा आयोग नियुक्त किया जाये जिसमें भारतीय प्रतिनिधि शामिल हों, और उस स्थितिमें वर्तमान आयोग केवल एक न्यायिक आयोग ही बना दिया जाये, मैंने तीसरा सुझाव भी रखा था लेकिन सरकारके निर्णयको देखते हुए उसे यहाँ दोहरानेकी आवश्यकता नहीं। यदि सरकारने मेरे एक भी सुझावको ठीक मान लिया होता तो मेरे देशवासी वर्तमान आयोगके काममें हाथ बँटा सकते थे। परन्तु इस आयोग- (जिसका रूप राजनीतिक है और न्यायिक भी) के समक्ष दी गई मुख्य गवाहियोंके सम्बन्धमें बड़ी ईमानदारीसे उनकी कुछ आपत्तियाँ हैं और उनके लिए ये आपत्तियाँ अब एक पवित्र और धार्मिक रूप ग्रहण कर चुकी हैं। मैं संक्षेपमें कह दूँ कि उनकी इन आपत्तियोंका आधार यह प्रबल भावना है कि नीति-विषयक प्रश्नोंपर विचार करते समय भारतीय समाजसे या तो परामर्श किया जाना चाहिए था या उसे प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था।

१. बादकी वार्ताके लिए, देखिए परिशिष्ट २०।

२. इसे २८-१-१९१४के इंडियन ओपिनियनमें पुनः प्रकाशित किया गया था।

मैंने देखा है कि मन्त्री भी इन आपत्तियोंको बिल्कुल बेमतलब नहीं मानते। वे इनको सदाशयतापूर्ण आपत्तियाँ मानते हैं। लेकिन अपना निर्णय बदलनेमें वे असमर्थ हैं। फिर भी चूँकि उन्होंने मुझे भेंटका अवसर देकर विचार-विमर्शके सिद्धान्तको स्वीकार करनेकी कृपा की है इसलिए मैं भी अपने देशवासियोंको राय दे सकता हूँ कि वे आयोग द्वारा किसी निष्कर्षपर पहुँचने और आगामी सत्रके दौरान विधान प्रस्तुत होने तक सक्रिय प्रचार करके आयोगके काममें बाधा न डालें और सक्रिय रूपसे सत्याग्रह आरम्भ करके सरकारकी स्थिति कठिन न बनायें।

यदि विचार-विमर्शके सिद्धान्तके बारेमें सरकारी दृष्टिकोणका मेरा विवेचन सही है तो हम आगे भी सर बेंजामिन रॉबर्ट्सन, जिनको वाइसरायने अपनी शालीनतापूर्ण दूरदर्शिताके बलपर आयोगके सामने गवाही देनेका काम सौंपा है, की सहायता कर सकेंगे।

नेटालमें भारतीयोंको हड़तालके समय उनके साथ हुए दुर्व्यवहारके आरोपोंके प्रश्नके सम्बन्धमें भी यहाँ कुछ कह देना आवश्यक है। आयोगके जरिये उनको सिद्ध करनेका मार्ग ऊपर बताये गये कारणोंसे हमारे लिए बन्द हो चुका है। हमारे पास प्रामाणिक साक्ष्य है, लेकिन उसे प्रकाशित करके अवमानके आरोपोंके सम्बन्धमें की गई कार्रवाईको गलत ठहराना मुझे व्यक्तिगत रूपसे नापसन्द है। इन आरोपोंके बावजूद मैं तो पुराने जख्मोंको बिल्कुल नहीं कुरेदूंगा। मैं मन्त्री महोदयको आश्चस्त करता हूँ कि सत्याग्रही होनेके नाते हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि व्यक्ति विशेषके साथ की गई ज्यादतियोंका प्रश्न न उठाया जाये।^१ परन्तु हमारे मौन रहनेका कहीं गलत अर्थ न लगा लिया जाये, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मन्त्री हमारी सदाशयताको मान्यता दें और आयोगके सामने इन आरोपोंके सम्बन्धमें गलत प्रकारकी गवाहियाँ पेश न करके अपना सहयोग दें।

और, सत्याग्रह स्थगित करनेके साथ ही हमारी प्रार्थना है कि साधारण जेलों या जेल घोषित कर दिये गये खान-अहातोंमें^२ इस समय सजा काटनेवाले वास्तविक सत्याग्रहियोंको रिहा कर दिया जाय।

अन्तमें यहाँ उन बातोंको दोहराना असंगत नहीं रहेगा जिनके बारेमें राहत माँगी गई है। वे इस प्रकार हैं:

(१) तीन-पौड़ी कर इस ढंगसे रद्द किया जाये कि उससे विमुक्त किये जानेवाले भारतीयोंका दर्जा लगभग वही रहे जो १८९१ के नेटाल कानून २५ के अन्तर्गत मुक्त किए गये गिरमिटिया भारतीयोंका है।

(२) विवाह सम्बन्धी प्रश्न।

(मैंने ये दोनों मुद्दे मौखिक रूपसे पेश किये हैं। इनके बारेमें नई वैधानिक व्यवस्था दरकार है।)

१. देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४८।

२. चूँकि सभी सत्याग्रहियोंको रखनेके लिए जेलोंमें स्थान नहीं रह गया था, इसलिए सरकारने खानोंके अहातोंका जेलोंकी तरह इस्तेमाल किया था।

(३) केपमें प्रवेशका प्रश्न।

(इसके बारेमें मन्त्री महोदयको बतलाये गये स्पष्ट संरक्षणकी बातको ध्यानमें रखते हुए केवल प्रशासकीय राहत अपेक्षित है।)

(४) ऑरेंज फ्री स्टेटका प्रश्न।

(इसके लिए तो पहलेसे दिये गये आश्वासनमें केवल कुछ मौखिक परिवर्तन करना पड़ेगा।)

(५) और यह आश्वासन कि वर्तमान कानून, विशेषकर उसके भारतीयोंको प्रभावित करनेवाले भागको, उसमें निहित अधिकारोंका समुचित ध्यान रखकर, न्यायपूर्ण ढंगसे लागू किया जायेगा।

तीसरे, चौथे और पाँचवें मुद्दोंके बारेमें तो कठिनाई है नहीं; इसलिए मेरा सुझाव है कि निवासी भारतीय जनताके प्रति सरकारके सद्भावके प्रतीक-स्वरूप इन मुद्दोंके बारेमें अपेक्षित राहत अभी दे दी जाये।

मुझे आशा है और भरोसा भी कि मन्त्री महोदय मेरे द्वारा पेश किये गये मुद्दोंको स्वीकार कर लेंगे। तब मैं भी अपने देशवासियोंको इस पत्रमें व्यक्त की गई भावनाके अनुरूप परामर्श देनेके लिए तत्पर रहूँगा।^१

आपका,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल, २३-१-१९१४

और कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५४ भी

२४७. पत्र : रावजीभाई पटेलको

प्रिटोरिया

बुधवार, पौष वदी १०, [जनवरी २१, १९१४]

प्रिय श्री रावजीभाई,

मैं श्री ऐंड्र्यूजके साथ आज ही जोहानिसबर्ग जानेका विचार करता था किन्तु वैसा हो नहीं सका। जनरल स्मट्सने मेरे पत्रका जो जवाब दिया है वह सन्तोषजनक नहीं है। उसमें यथासम्भव सुधार करा लेनेकी आशासे कल भी रुक रहा हूँ। सन्तोषजनक जवाब मिल जाये तो भी यह तो नहीं मान लूँगा कि समझौता हो चुका; पर तो भी उस दिशामें यह एक बड़ा कदम अवश्य होगा। इतना समय नहीं है कि सब कुछ समझा सकूँ। अभी तत्काल फिर सर वेंजामिनसे मिलने जा रहा हूँ।

मगनभाईका रोग पिंड नहीं छोड़ रहा है यह जानकर मुझे आश्चर्य होता है। उसके रोगकी गतिविधिका निरीक्षण करनेके लिए भी फीनिक्समें निश्चित होकर कुछ

१. गृह-मन्त्रीके उत्तरके लिए, देखिए परिशिष्ट २१; तथा दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ४९।

समय रहना चाहता हूँ। तुमसे जो बन पड़े सो करना। जनरल स्मट्ससे सन्तोषजनक जवाब प्राप्त होनेपर ही थोड़ा अवकाश मिलनेकी सम्भावना है। बच्चे पुनः नियमित बन सकें इस ओर पूरा ध्यान रखना।

मोहनदासके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महात्मा गांधीजीना पत्रो और जीवननुं परोढ़

२४८. तार : गो० कृ० गोखलेको^१

जोहानिसवर्ग

जनवरी २२, १९१४

सरकार और मेरे बीच पत्र-व्यवहार। अस्थायी समझौतेका वचन। सरकार आयोगके सम्बन्धमें पेश किये गये^२ तीनों प्रस्तावोंमें से किसीको भी स्वीकार करनेमें असमर्थ लेकिन शीघ्र हल निकालनेकी इच्छा भी व्यक्त। उसे सलाह-मशविरा करने और पूरा-पूरा अवसर देनेका सिद्धान्त स्वीकार। हम गवाही देकर प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकते लेकिन रॉबर्टसनकी यथासम्भव सहायता करेंगे। सरकारकी कठिनाईको समझते हुए हम आगामी सत्रके दौरान प्रस्तावित विधान लानेके आश्वासनपर सत्याग्रह स्थगित करते हैं। आरोपोंके सम्बन्धमें सत्याग्रहीके नाते हम अपनी प्रामाणिक गवाहियाँ देकर पुराने जख्मोंको नहीं कुरेदेंगे। सरकार हमारी सदाशयता मानती है और आरोपोंके सम्बन्धमें खुद भी गलत किस्मकी गवाहियाँ नहीं देगी। सभी बन्दी रिहा कर रही है। अपने कार्यको अनुमोदन देनेके लिए समाजके सामने रख रहा हूँ। हमने सभी स्थितियों और आपकी और वाइसरायकी भावनाओंपर भी विचार किया है। मैंने और ऐंड्रयूजने मिलकर समझौतेका मसविदा तैयार किया।^३ स्मट्ससे पिछली भेंटके समय ऐंड्रयूज उपस्थित थे। शनिवारको शायद डर्बन पहुँच जाऊँ।^४

गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९२९) की फोटो-नकलसे।

१. इसका विस्तृत वृत्तान्त जनवरी २४, १९१४के हिन्दू और टाइम्स ऑफ इंडियाके अंकोंमें प्रकाशित हुआ था।

२. आयोगके गठनसे सम्बन्धित प्रस्तावोंके व्यौरके लिए देखिए “भाषण : सार्वजनिक सभामें”, पृष्ठ ३२७-३०।

३. ऐंड्रयूजने स्मट्स और सर बेंजामिन रॉबर्टसनसे बातचीत की थी। उन्होंने जनवरी १३ को गवर्नर-जनरलसे निजी तौरपर मुलाकात की थी, उसका विवरण गवर्नर-जनरलने एक खरीतेके साथ कलोनियल ऑफिस भेजा था, देखिए परिशिष्ट २२।

४. अस्थायी समझौतेके आशयके अधिकृत विवरणके लिए देखिए परिशिष्ट २०।

२४९. भेंट : 'रैंड डेली मेल' के प्रतिनिधिको

[जोहानिसबर्ग
जनवरी २३, १९१४]

कल 'मेल' के एक प्रतिनिधिने श्री मो० क० गांधीसे मौजूदा स्थितिके बारेमें एक विवरण देनेको कहा। श्री गांधी नंगे पाँव रहते हैं और सादे सफेद कपड़े पहनते हैं। यह इस बातका संकेत देते हैं कि अब भारतीय दृष्टिकोण कितना धार्मिक स्वरूप लेता जा रहा है। श्री गांधीने अपना दफ्तर १५ ऐन्डर्सन स्ट्रीटपर खोला है; यहाँसे वे अपने उन देशभाइयोंसे जो जेलमें हैं सम्पर्क रखते हैं, और बाकी संसारसे भी तार-फोन द्वारा सम्पर्क बनाये रखते हैं।

[गांधीजी:] जिस भावनासे भारतीय आयोगमें भारतीय-हितोंका प्रतिनिधित्व न होनेके कारण उत्पन्न गतिरोधको सुलझानेका प्रयत्न कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि यूरोपीय जनता उसे समझेगी; और मुझे यह भी आशा है कि मैं अपने देश-वासियोंको मेरे साथ कारावासमें हुए दुर्व्यवहारके आरोपोंके सम्बन्धमें जो रख अपनानेकी सलाह दे रहा हूँ उसे समझ कर वे भी तदनुसार रख अपनायेंगे।

हमारा सत्याग्रहको मुलतवी करना और आरोपोंके सम्बन्धमें किसी प्रकारका कदम न उठाना जनता और सरकारको उन पाँचों मुद्दोंपर, जिन मुद्दोंके औचित्यके कारण सत्याग्रहका आरम्भ किया गया और मेरी रायमें जिन्हें लगभग समस्त संसारकी सहानुभूति मिली है, शान्तिसे विचार करनेकी स्वतन्त्रता देता है। कोई भी विवेकी व्यक्ति इस बारेमें सन्देह नहीं कर सकता कि भारतीय विवाहोंको कानूनी मान्यता दिलाना या ३ पाँडी करको बिना शर्त समाप्त करवाना हमारा हक है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सत्याग्रहके अन्य मुद्दोंको केवल प्रशासनिक हलकी जरूरत है। जैसा आप पत्रसे देखेंगे कि ये मुद्दे हूबहू वही हैं जिन्हें पिछले वर्ष सत्याग्रहके पुनरारम्भसे पहले श्री काछलियाने, सरकारको लिखे गये पत्रमें, गिनाया था। अन्तमें मैं कहना चाहूँगा कि सरकार द्वारा हमारे सत्याग्रही बन्दियोंको रिहा किये जानेकी हम कद्र करते हैं।

[अंग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल २४-१-१९१४

२५०. पत्र : भवानी दयालको

बॉक्स, ११५६

प्रिटोरिया

शुक्रवार, [जनवरी २३, १९१४]^१

भाई श्री भवानी दयाल,

.में उम्मीद रखता हूँ कि तुमारी तबीयत ठीक होगी, तुमारा काम जहलमें बहुत अच्छा रहा यह बात सुन मैं बहोत खुश हुआ था। तुमारा सन्देशा मेरेको मीला था, तुमारे लीये फीनिक्समें जगा तैयार है। तुमारे वहाँ सहकुटुम्ब रहना। समाधानीकी जो बात चलती है उस वारेमें खबर भी पोलाकके पाससे मिलेगी।

मोहनदास गांधीका वंदेमातरम्

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६८९) से।

सौजन्य : विष्णु दत्त दयाल

२५१. तार : गो० कृ० गोखलेको

[डर्बन

जनवरी २५, १९१४ या उससे पूर्व]^२

अस्थायी समझौता सम्पन्न। औपचारिक घोषणाके कारण आयोगकी तो नहीं, रॉबर्टसनकी मदद करेंगे। आयोगके बाद विधान बनानेका सरकारी वचन। तबतक सत्याग्रह स्थगित। भारतीयोंसे परामर्शका सिद्धान्त मान्य। सरकार रॉबर्टसन दोनों सन्तुष्ट। बन्दी रिहा हो रहे हैं। समझौतेके लिए अब अधिक अनुकूल अवसर।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें संशोधित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९२८) की फोटो-नकलसे।

१. भवानी दयालजी शनिवार, जनवरी १७, १९१४को जेलसे रिहा हुए थे। जान पड़ता है यह पत्र इस तिथिके बाद पड़नेवाले शुक्रवारको ही लिखा गया था। इंडियन ओपिनियनके हिन्दी विभागका संपादकत्व भी उन्होंने उसके २८-१२-१९१४के अंकसे संभाला था।

२. अस्थायी समझौता सम्पन्न होनेके तुरन्त बाद गांधीजीने २५ जनवरीको एक सार्वजनिक सभामें उसकी व्याख्या की थी; देखिए अगला शीर्षक। सम्भवतः यह तार २५ जनवरी या उससे पहले भेजा गया था।

२५२. भाषण : सार्वजनिक सभामें^१

[डर्वन
जनवरी २५, १९१४]

श्री गांधीने अस्थायी समझौतेकी शर्तोंकी व्याख्या करनेसे पहले सभाको बतलाया कि श्री ऐण्ड्र्यूजको इंग्लैंडसे एक पत्र मिला है, जिसमें उनकी प्रिय माताके मरणासन्न होनेका समाचार है, जबकि उनको आशा थी कि इंग्लैंड पहुंचकर वे अपनी माताके दर्शन करेंगे। श्री गांधीने यह भी बतलाया कि प्रिटोरियामें समझौतेके सिलसिलेमें अत्यधिक परिश्रम करनेके कारण श्री ऐण्ड्र्यूजको ज्वर आ गया था। इस सबके बावजूद भी श्री ऐण्ड्र्यूजका आग्रह था कि वे सभामें अवश्य शरीक होंगे।

श्री गांधीने पूरे विस्तारके साथ अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी, दोनोंमें भाषण किया। बादमें उनके भाषणका तमिलमें अनुवाद किया गया। श्री गांधीने कहा कि आशा है कि अंग्रेजीमें भाषण सुननेवालोंने समाचारपत्रोंमें जो-कुछ प्रकाशित हुआ है, वह सब पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं सरकारके साथ हुए समझौतेका आशय आपको बतलाता हूँ। जनरल स्मट्ससे पहली मुलाकातके समय मैंने उनके सामने तीन प्रस्ताव रखे थे, जिनमें से किसी एकके भी स्वीकृत हो जानेपर समाज कुछ समय पहले इसी आधारपर की गई अपनी औपचारिक प्रतिज्ञाको भंग किये बिना आयोगके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था। ये वैकल्पिक प्रस्ताव थे : या तो सरकार एक दूसरा आयोग नियुक्त करे और वर्तमान आयोगका क्षेत्र केवल दुर्व्यवहार और क्रूरताके सम्बन्धमें लगाये गये आरोपोंकी न्यायिक जाँच करने तक सीमित कर दे और दूसरा आयोग शिकायतोंपर विचार करे और समाज दोनों ही आयोगोंके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करे; या आयोगमें भारतीय हितोंका प्रतिनिधित्व करनेके लिए एक और सदस्य शामिल किया जाये, जो क्रूरताके सम्बन्धमें लगाये जानेवाले आरोपोंसे भिन्न, खास तौरपर शिकायतोंके विवरणकी सुनवाईके लिए ही आयोगमें बैठे, जिससे कि इस आयोगके कार्य स्पष्टतः दो भागों—न्यायिक और राजनीतिक कामों—में अलग-अलग बँट जायें; या फिर वर्तमान आयोगका क्षेत्र केवल न्यायिक जाँच-पड़ताल तक ही सीमित कर दिया जाये और समाजकी ओरसे आयोगके सामने किसीके पेश होनेसे पहले ही सरकारको श्री काछ-लियाके पत्रमें^२ उल्लिखित समाजके अनुरोधको—उसके पाँचों मुद्दोंको स्वीकार कर लेना चाहिए अर्थात् (१) तीन-पौंडी कर रद्द करना; (२) भारतीय पत्नियोंका दर्जा बहाल करना, उनको वही दर्जा देना जो सल्लेके निर्णयसे पहले था; (३) दक्षिण आफ्रिकामें

१. नेटाल भारतीय संघके तत्त्वावधानमें तीन हजारसे अधिक भारतीयोंकी एक सार्वजनिक सभा गांधीजी और स्मट्सके बीच हुए अस्थायी समझौतेके ब्यौरेपर विचार करने और उसपर कार्रवाई करनेके लिए की गई थी। इमाम अब्दुल कादिर नावज़ीरने उसकी अध्यक्षता की थी।

२. देखिए “पत्र : गृह-सचिवको”, पृष्ठ १७७-८०।

जन्मे भारतीयोंके केप-प्रवेशके अधिकारको बहाल करना; (४) ऑरेंज फ्री स्टेट सम्बन्धी जातीय भेदभावके बारेमें जो थोड़ी-सी कठिनाई रह गई है उसे दूर करना; और (५) प्रदत्त अधिकारोंका उचित सम्मान करते हुए वर्तमान कानूनोंको न्यायोचित ढंगसे लागू करना। अन्तिम तीन मुद्दोंपर तो प्रशासनिक रूपसे कार्रवाई की जा सकती है; और पहले दो मुद्दोंके लिए कानूनको संशोधित करना पड़ेगा। मैंने जनरल स्मट्सके सामने इस समस्याको हल करनेका सबसे सरल और कम समय-साध्य तरीका पेश किया था। जनरल स्मट्सने कहा था कि वे इसपर विचार करेंगे और इसपर विचार करने तथा मन्त्रि-मण्डलसे परामर्श करनेके बाद उन्होंने श्री ऐन्ड्र्यूजकी उपस्थितिमें कहा था कि सरकार इनको स्वीकार करनेके लिए तो तैयार है; लेकिन वह चाहती है कि आयोग भी इनकी छानबीन कर ले; और यों तो उसे समाजके प्रतिनिधियोंसे मिलनेमें खुशी होती लेकिन अब इस अवस्थापर आयोग सम्बन्धी प्रस्तावोंके सिलसिलेमें उनसे मुलाकात करना सम्भव नहीं।

इससे तो गतिरोध पैदा हो जायेगा। इसका अर्थ है कि या तो सत्याग्रह और उसके साथ होनेवाली कार्रवाई फिर शुरू की जाये या फिर सरकार जो भी करनेको कहती है उसके करनेका अवसर उसे मिलने तक के लिए सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाये। और मुझे कभी श्री ऐन्ड्र्यूजसे सलाह-मशविरा करनेके बाद इस निष्कर्षपर पहुँचनेमें अधिक कठिनाई नहीं हुई कि सत्याग्रह स्थगित कर देना ही समाजके लिए उचित होगा। मैं इस निष्कर्षपर इसलिए पहुँचा कि मेरी समझसे सरकारने ठीक ही रख अपनाया है और सरकार इस बातको समझने और उचित महत्त्व देनेके लिए भी तैयार है कि समाज आयोगकी कार्रवाईमें भाग न लेनेका अपना पवित्र दायित्व निभानेके लिए वचनबद्ध है। समाजके इस रखपर सरकारने कोई नाराजी भी जाहिर नहीं की। मैंने इसपर जनरल स्मट्सको यह सुझाव दिया था कि यदि समाज सत्याग्रह स्थगित करता है तो सरकारके लिए यही उचित होगा कि वह सत्याग्रही बन्दियोंको रिहा कर दे। तब फिर क्रूरताके सम्बन्धमें लगाये गये आरोपोंका प्रश्न बच रहता है। वह बड़ा गम्भीर है। यदि समाज आयोगके न्यायिक पक्षके बारेमें भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेगा तो उन आरोपोंका क्या होगा? और यह तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि वर्तमान परिस्थितिमें तो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकती। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे पास जितने भी साक्ष्य हैं उन सबको पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया जाये और सबको खुली छूट दे दी जाये कि जो भी चाहे समाजपर मानहानिका दावा कर सकता है, जिससे आरोप साबित करनेके दौरान समाज अपनी बात सबके सामने सिद्ध कर सके। यों एक सत्याग्रहीके नाते हमें मुकदमेमें पड़नेकी कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार निरर्थक क्षोभ टाला जा सकता है; और जो लोग खुद अपने दिमागसे सोचते हैं और सत्याग्रहका इतिहास जानते हैं वे तो समाजके कार्योंका औचित्य समझ ही लेंगे। लेकिन समाजके कार्योंका औचित्य यदि सरकार समझ ले और यदि समाज मानहानिके दावेके सिलसिलेमें होनेवाली कानूनी कार्रवाईमें सफाई पेश न करनेका अपना उद्देश्य सरकारको

समझा सके तो फिर उसे दुनियाके यह कहनेकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि "समाजके पास कोई प्रमाण है ही नहीं और वह इसीलिए अब न्यायालयमें जानेसे डरता है; आरोप तो भारतकी जनताकी भावनाएँ उभारनेके लिए ही वहाँ प्रचारित किये गये थे।" हमको ऐसी आलोचना सुननेके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि लोग तो अच्छेसे-अच्छे कामकी भी नुकताचीनी करते ही हैं। परन्तु यदि सरकार समाजके रुखको समझ ले, तो मेरा खयाल है कि सत्याग्रहियोंके नाते ऐसा ही करना हमारे लिए उचित रहेगा। हम सच्चे सत्याग्रही नहीं हैं; हमने कानूनका सहारा लेकर न्यायालयोंमें अपने कार्योंकी सफाई पेश की है; खरा सत्याग्रही ऐसा नहीं करता। परन्तु हम अभी विशुद्ध सत्याग्रहकी अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं। जो भी हो, हमें अपने सामने ऐसा आदर्श रखना चाहिए कि हम किसी दिन उस अवस्था तक पहुँच सकें और सच्चे विशुद्ध सत्याग्रही कहलायें। उस अवस्था तक पहुँचनेसे पहले हम अपनेको विशुद्ध सत्याग्रही नहीं कह सकते। लेकिन यह सोचकर हाथपर-हाथ रख कर बैठनेकी भी जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने महसूस किया कि हम फिलहाल यह कदम उठा सकते हैं और इसीलिए मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि सरकारके सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया जाना चाहिए। सरकारने मुझको उत्तरमें जो पत्र लिखा कुल मिलाकर उसका आशय यही है कि सरकारने सलाह-मशविरेके सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया है, आरोपोंके प्रश्नको बिलकुल ही न उठानेके समाजके तात्पर्यको भी मान्यता दी है। आयोगके सामने साक्ष्य पेश न करनेका समाजका मंशा भी उचित माना है, और यह आश्वासन दिया है कि वह समाज द्वारा रखे गये प्रस्तावोंके अनुकूल ही मामलेका निबटारा करना चाहती है और सो भी आयोगके माध्यमसे ही। हमारा खयाल है कि हमारे समाजकी माँगें इतनी न्यायोचित हैं और पिछले कुछ महीनोंके दौरान हमने जो कष्ट सहन किये हैं उनके कारण वे इतनी पवित्र और इतनी दृढ़ बन गई हैं कि उनके लिए आयोगसे सिफारिश करानेमें कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि सर बेन्जामिन रॉबर्ट्सनकी मौजूदगी हमारे आत्म-विश्वासको बढ़ाती है क्योंकि उनके नामके साथ एक भारी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और चूँकि वे अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे नहीं बल्कि वाइसरायके प्रतिनिधिकी हैसियतसे आये हैं, इसलिए आयोगके सामने वे जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे उसका निःसन्देह बड़ा महत्व होगा। ऐसी परिस्थितिमें हमें चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं, क्या होगा यह सोचकर डरनेकी जरूरत नहीं। जबतक सत्याग्रह-जैसा विशुद्धतम अस्त्र हमारे पास है तबतक किसी भी सत्याग्रहीको डरनेका कोई कारण नहीं। भविष्य तो हर तरह हमारे कामोंपर निर्भर है और हम दृढ़ बने हुए हैं; इसलिए मैं बिना किसी हिचकके कहता हूँ कि समझौतेको स्वीकार किया जाना चाहिए। आशा है कि सभा हमारे इस कदमकी ताईद करेगी। लेकिन मैंने समाजकी ओरसे इसकी स्वीकृतिका वचन नहीं दिया है। अन्य अवसरोंपर मेरे दिमागमें बात बिलकुल साफ थी और मैं जानता था कि समाज क्या चाहता है। परन्तु इस अवसरपर एक नई परिस्थिति सामने आ गई थी और ऐसी हालतमें समाजसे इसकी परिपुष्टि करा लेना मुझे बिलकुल जरूरी जान पड़ा। इस विषयपर मुझे भी अधिक सोचनेका समय नहीं मिल पाया था इसलिए मैं समाजकी

ओरसे वचन कैसे दे सकता था? मैंने जनरल स्मट्ससे यही कहा था कि मैं अपने देशवासियोंको अपने पत्रकी भावनाके अनुरूप सलाह दे सकता हूँ, परन्तु मैंने समाजकी ओरसे कोई वचन नहीं दिया, इसलिए आप लोग बिलकुल स्वतन्त्र हैं और यदि आप चाहें तो समझौतेको अपने दिमागसे बिलकुल रद्द कर दें, परन्तु मेरा अपना विश्वास है कि इसे स्वीकार किया जा सकता है। समझौता हर तरहसे सम्माननीय और गरिमापूर्ण है और इसे स्वीकार करनेसे काफी कष्टोंसे बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि हो सके तो हम चाहते हैं कि वाइसरायको भी अपने प्रति मैत्रीपूर्ण बना लें। परन्तु यदि अन्तःकरण गवाही न दे, यदि हमने जो शपथ ली है उसके यह प्रतिकूल जान पड़े तो हम किसी दूसरेका मत स्वीकार नहीं करेंगे, फिर वह मत चाहे वाइसरायका हो, या श्री गोखलेका, अन्य मित्रोंका अथवा सारी दुनियाका। परन्तु यदि अपनी शपथ निभाते हुए और अपने अन्तःकरणको सन्तुष्ट रखते हुए भी हम किसीकी बात मान सकते हैं तो हमें अपने मित्रों और विशेष तौरसे एक इतने भले वाइसराय, जिनके मुकाबले लॉर्ड रिपन और लॉर्ड विलियम बेन्टिकके अलावा शायद कोई दूसरा वाइसराय नहीं हुआ, की आशाएँ पूरी करनेकी अधिकसे-अधिक कोशिश करनी चाहिए और फिर अभी यह भी तो मालूम नहीं कि वाइसराय हमारे लिए आगे और क्या-क्या करनेकी बात सोच रहे हैं। वाइसरायकी यही छाप हमारे मनपर पड़ती है और श्री ऐंड्रयूजने उनके उत्तम गुणोंके बारेमें जो कुछ मुझे बतलाया है उससे यह और भी परिपुष्ट होती है। इस स्थितिमें हमें वाइसरायकी इच्छाओंका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अपनी शपथको भंग किये बिना भी हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे प्रतिष्ठित देशवासी, जिनको भारत पूजनीय मानता है और जिनके प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यक्त कर चुके हैं और जो बीमारीके दौरान पलंगपर पड़े-पड़े भी हमारे लक्ष्यके लिए प्रयत्नशील रहे हैं और जिनके किये वह विश्वविदित होनेके साथ-साथ भारतके कोने-कोनेमें गूँज गया है, वे श्री गोखले भी यही चाहते हैं। लॉर्ड एंस्टहिल भी कहते रहे हैं: “वे उच्च आदर्शको लेकर संघर्ष कर रहे हैं; उनकी विजय निश्चित है; पर अभी उनको आगे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए; वे अपने पक्षकी न्यायपूर्णता यथेष्ट रूपसे प्रदर्शित कर चुके हैं; उन्होंने ब्रिटेनकी जनताके अन्तःकरण तक अपनी आवाज पहुँचा दी है; मगर अब उनको आयोगके प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हुए उसके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर देना चाहिए।” उनकी इस बातको हम स्वीकार नहीं कर सके थे, पर इस वर्तमान व्यवस्थाको हम स्वीकार कर सकते हैं। यह समझौता हर दृष्टिसे अच्छा, गरिमापूर्ण और स्वीकार्य है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१-१९१४

१. पोलक, सी० एफ० ऐंड्रयूज और कैलेनबैकके भाषणोंके बाद, पारसी रुस्तमजीने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया था, जो सर्वसम्मतिसे पास हुआ था: “नेटाल भारतीय संघके तत्त्वावधानमें हुई ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा सरकार और श्री गांधीके बीच सम्पन्न हुए अस्थापी समझौतेकी शर्तोंको सुननेके पश्चात् इसके द्वारा श्री गांधी द्वारा उठाये गये कदमकी तार्किकता करती है और पूरे हृदयसे आदरके साथ आशा करती है कि श्री गांधीके पत्रमें उल्लिखित भारतीय समाजका अनुरोध मान लिया जायेगा।”

२५३. तार : गो० कृ० गोखलेको

डर्बन

जनवरी २६, १९१४

डर्बन, प्रिटोरिया, जोहानिसबर्ग और अन्य शहरोंमें भारतीयोंकी सार्वजनिक सभाओंमें समझौतेका निर्विरोध अनुमोदन।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, २८-१-१९१४

२५४. पत्र : भारतीय परिवेदना आयोगको

डर्बन

जनवरी २६, १९१४

अध्यक्ष

भारतीय परिवेदना आयोग

डर्बन

[महोदय,]

हमें मालूम हुआ है कि हमारी सजाओंकी अवधि पूरी होनेके पूर्व ही हमें पिछले माहकी १८ तारीखको कारावाससे मुक्त करनेका कारण भारतीयोंकी शिकायतोंसे सम्बन्धित आयोग (भारतीय परिवेदना आयोग) की सिफारिश है। इसमें इसका मन्शा यह है कि भारतीय समाज अपना मामला तैयार करने और उसे आयोगके सामने पेश करनेमें हम लोगोंसे जो सहायता लेना चाहे, ले सके। इसलिए हमें इस बातका बहुत ही अधिक खेद है कि हम लोग इस अवसरका लाभ उठानेमें असमर्थ हैं और इसके कारण हममें से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता [गांधीजी] और गृहमन्त्रीके बीच हुए पत्र-व्यवहारमें पहले ही बताये जा चुके हैं। हम समझते हैं कि उस पत्र-व्यवहारका आशय आयोगको पहले ही ज्ञात हो चुका है। तथापि अवसर देनेके लिए हम आयोगके कृतज्ञ हैं।

हमें हार्दिक विश्वास है कि उस पत्र-व्यवहारमें बताई परिस्थितियोंमें आयोगके सामने हमारा उपस्थित न होना अशिष्टताका कार्य नहीं समझा जायेगा।

मो० क० गांधी

एच० एस० एल० पोलक

एच० कैलनबैक

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१-१९१४

१. देखिए अगला शीर्षक ।

२५५. स्मट्स-गांधी पत्र-व्यवहार

इन पत्रोंका हमने [इस अंकमें] अन्यत्र अनुवाद दिया है। हमें आशा है कि उन्हें प्रत्येक भारतीय ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। उनके ऊपर विस्तारसे चर्चा करनेके लिए हमारे पास न तो जगह है और न समय ही। इन दोनों पत्रोंका सारांश निम्नलिखित है:

- (१) आयोगके सम्मुख एक भी भारतीयको गवाही नहीं देनी चाहिए।
- (२) आयोगमें संशोधन-परिवर्धन करनेके हमारे अनुरोधको सरकारने अस्वीकार कर दिया है।
- (३) इसलिए यदि भारतीय गवाही देंगे तो समाजकी प्रतिज्ञा भंग होगी।
- (४) सरकारने इस बातको स्वीकार किया है कि कमीशनके सम्मुख गवाही न देनेका हमारा उद्देश्य पवित्र एवं धार्मिक है।
- (५) चूंकि हम आयोगके सम्मुख कोड़े आदि पड़नेके सम्बन्धमें गवाही नहीं दे सकते इसलिए दूसरी अदालतमें भी [इस सम्बन्धमें] गवाही देनेसे इनकार करना हमारी निर्बलताका द्योतक नहीं है। बल्कि इससे हम और भी अच्छे सत्याग्रही साबित होते हैं। हमारे इस खैयेकी सरकार प्रशंसा करती है।
- (६) इधर कुछ दिनोंसे हम इस बातपर जोर देते रहे हैं कि हमसे सम्बन्धित विषयोंपर कार्रवाई करते समय सरकारको हमसे सलाह लेनी चाहिए; हमारी यह माँग स्वीकार कर ली गई है।
- (७) अतएव हमारा सर बेन्जामिन रॉबर्ट्सनके सम्मुख अपनी बात रखना उचित ही होगा।
- (८) सरकारने बताया है कि उसका इरादा हमारी माँगोंको स्वीकार करके जहाँ आवश्यकता हो वहाँ कानूनमें परिवर्तन करके हमें सन्तुष्ट करनेका है, और सरकारको पूरी आशा है कि यह निकट भविष्यमें होनेवाले संसदके अधिवेशनमें सम्भव हो सकेगा।
- (९) ऐसी परिस्थितिमें हमारे लिए यह उचित ही होगा कि हम सरकारको उसकी यह इच्छा पूरी करनेका अवसर दें और फिलहाल सत्याग्रहको फिरसे आरम्भ न करें।
- (१०) सरकार अपनी ओरसे कोड़े मारने तथा अन्य अत्याचारपूर्ण कार्रवाइयोंके सम्बन्धमें आयोगके सम्मुख नकारात्मक गवाही नहीं दे सकती।
- (११) इस समय जेलोंमें कैद सत्याग्रहियोंको सरकार रिहा कर देगी।

सरकारका कहना है कि वह [भारतीयोंको] जो कुछ देना चाहती है वह कमीशनकी माफत देगी।

यदि सरकार ऊपर कहे अनुसार कार्य करती है तो हम मान लेंगे कि इस महान संघर्षका अन्त आ गया है। लेकिन यदि सरकार ऐसा न करे तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तब और भी अधिक शक्ति लगाकर काम कर सकेंगे। हमने जो कदम उठाये हैं उनसे वाइसराय सन्तुष्ट हुए हैं और यहाँके समाजमें अन्यथा जो उत्तेजना फैल सकती थी वह नहीं फैली है। इससे यह भी साबित होता है कि हमें सलाह देनेवाले भाई-बन्धुओंकी सलाहका हम निरादर नहीं करते। और यदि हमें फिरसे संघर्ष करना पड़ा तो संसारके सम्मुख सत्याग्रहकी प्रभा और अधिक बिखरेगी तथा हम सरकारके अन्याय और अत्याचारोंको विशेष रूपसे प्रकाशमें ला सकेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१-१९१४

२५६. तार : गो० कृ० गोखलेको^१

डर्बन

जनवरी ३०, १९१४

कांग्रेसी सभामें सौसे भी ऊपर व्यक्ति। गहरे मतभेद। बहुमतने साक्ष्य प्रस्तुत करनेके विरुद्ध मत दिया। आयोगके सामने अभी तक केवल तीन गिरमिटिया भारतीय पेश। संघर्षके आरम्भसे ही सत्याग्रहका विरोध करनेवालोंके हाथ कांग्रेसी सभाकी बागडोर। सभाको स्थानीय जनता महत्व नहीं देती। आम यूरोपीयोंकी भावना हमारे पक्षमें होती जा रही है। सीनेटके एक प्रभावशाली सदस्य द्वारा कल फीनिक्समें गांधीजीसे व्यक्तिगत भेंट। अत्यन्त मैत्रीपूर्ण। वे समझौतेके लिए हर सहायताको तैयार। बीतेको बिसारनेकी सलाह। चिन्ता की बात नहीं।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ़ इंडिया, २-२-१९१४

१. यह तार गांधीजी और सी० एफ० पेंड्युजने भेजा था।

२. डर्बनकी इस सभाके वारेमें रायटरकी दक्षिण आफ्रिका प्रेस एजेंसीने २८ जनवरीको निम्नालिखित समाचार प्रस्तुत किया था : “ आज रात नेटाल भारतीय कांग्रेसकी एक सभामें निर्णय किया गया कि भारतीय जॉच आयोगके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये। यह संस्था गांधीकी समर्थक नहीं है। ” रैंड डेली मेल, २९-१-१९१४।



२५७. विवाहकी समस्याके बारेमें विचार^१

फरवरी २, १९१४

मुसलमानों और हिन्दुओंके एक पत्नी विवाहोंको प्रवासी कानूनमें संशोधन करके या एक विशेष कानून द्वारा कानूनी बना दिया जायेगा। नये कानून द्वारा पंजीयनकी एक व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिसके अन्तर्गत पहलेके सभी एक पत्नी विवाहोंको पंजिकाओंमें दर्ज कर लिया जायेगा। तत्सम्बन्धी धर्मोंके पुजारियों और मुल्लाओंके पास ऐसी पंजिकायें रहेंगी और उनको सरकारी तौरपर अधिकृत विवाह-अधिकारी मान लिया जायेगा। ऐसे विवाह उसी दिनसे वैध माने जायेंगे जिस दिन वास्तवमें विवाहकी विधि सम्पन्न हुई होगी, चाहे वह दक्षिण आफ्रिकामें सम्पन्न हुई हो, या भारतमें। भविष्यमें होनेवाले विवाह भी यही पुजारी या मुल्ला अपनी-अपनी धार्मिक रीतिसे सम्पन्न करायेंगे, साथ ही, उनको पंजिकाओंमें दर्ज कर लिया जायेगा और फिर वर तथा वधूके जीवनपर्यंत दोनोंमें से किसीका भी अन्य किसी व्यक्तिके साथ विवाह इस प्रकार दर्ज नहीं किया जा सकेगा और न दोमें से किसी एकके जीवित रहते उसे वैध ही माना जायेगा।

वैधानिक रूपसे इसका नतीजा यह होगा कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही एकसे अधिक स्त्रीसे विवाह नहीं कर पायेंगे; लेकिन यह कानून उसे ऐसी कई स्त्रियाँ रखनेसे नहीं रोकेगा, जिनको वह अपनी पत्नियाँ तो कह सकता है पर जिनको कानूनी तौरपर रखल ही माना जायेगा। श्री गांधी कहते हैं कि यूरोपमें विवाहोंकी वर्तमान स्थिति यही है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे चाहते हैं कि राज्य बहुपत्नी विवाहोंको मान्यता दे। लेकिन उनको आपत्ति इस बातपर है कि विवाहके समय वर या वधू किसी भी पक्षके लिए ऐसी घोषणा करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए कि वह भविष्यमें किसी भी अन्य व्यक्तिको जीवन साथी नहीं बनायेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी घोषणा करना अपने धर्मको छोड़नेके बराबर ही होगा।

पहले सम्पन्न हुए विवाहके सिलसिलेमें एक ही विवाहिता पत्नी होनेकी घोषणा तभी की जा सकती है जब उसकी एक ही पत्नी हो।

तलाक

जिस विवाहको दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अन्तर्गत कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ हो, उसका विच्छेद दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार ही किया जा सकता है। दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार व्यभिचारी या छोड़कर भाग जानेवाली स्त्रीको ही तलाक दिया जा सकता है।

टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९३०) की फोटो-नकलसे।

१. इस लेखकी टाइप शुद्धा प्रतिका शीर्षक है, "श्री गांधीकी स्थिति", और यह स्पष्ट ही गांधीजीसे बातचीत या भेंट करनेके बाद लिपिबद्ध किये गये गांधीजीके विचारोंका सार प्रस्तुत करता है।

२५८. पत्र : मणिलाल गांधीको

[फीनिक्स]

मंगलवार, [फरवरी ३, १९१४]^१

चि० मणिलाल,

तुम्हारे दोनों पत्र मुझे मिल गये। तुमसे बात नहीं हो सकी इसका मुझे भी खेद है। मिर्चे खाई इसका निःसन्देह मझे बहुत बुरा लगा है। यह सम्भव है कि अभी उसका असर मालूम न पड़े परन्तु तामसी भोजनका अनिष्ट परिणाम हुए बिना नहीं रहता, यह ध्यान रहे। अपनी इन्द्रियोंको तुम जीत सकोगे तो भविष्यमें तुम्हें लाभ होगा यह मेरी मान्यता है। मैं यह नहीं देख पाया कि जेलके अनुभवसे तुम्हारी आत्मिक-स्थिति सुधरी हो। तुम्हें विचारवान होनेकी बड़ी जरूरत है। श्री ऐंड्रयूजके सम्पर्कमें हो यह तो अलम्य लाभ है। इस अवसरपर अत्यन्त पवित्र जीवन बिता कर इसका लाभ लो यह मेरी इच्छा है। फिलहाल तो भी ऐंड्रयूज तुम्हारे सम्बन्धमें बड़ा सन्तोष व्यक्त करते हैं।

पैसेंका पूरा हिसाब रखना। श्री ऐंड्रयूजका कोई भी काम करते हुए शरमाना नहीं। उनके पांव भी दाबना। एक बार मैं दाब चुका हूँ। इसलिए जानता हूँ कि उन्हें यह अनुकूल पड़ता है। उनके जूतोंको पोंछकर उनका फीता बांधना। मुझे पत्र हमेशा देना चाहिए। इसमें भूल न हो। तुम्हारा मिलना-जुलना किस-किससे होता है और कब क्या काम होता है इसकी दैनंदिनी रखना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

बा की तबीयतके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेढ और देसाई आज यहीं हैं। लालबहादुरसिंह आदि भी हैं।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १००) से।

सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी

१. गांधीजीने मणिलालको श्री ऐंड्रयूजके साथ नेटालके दौरेमें (३० जनवरी और ५ फरवरीके बीच) उनका सहचारी बनाकर भेज दिया था। पत्रकी हिदायतोंसे यह उसी प्रसंगमें लिखा गया जान पड़ता है।

२५९. देशनिकाला किन्हें होगा ?

सत्याग्रह और शरीरबलके बीच, कई बार, ऊपरी तौरसे इतना कम भेद नजर आता है कि हम उसे देख ही नहीं पाते और सत्याग्रही तथा असत्याग्रही यानी शरीरबलके हिमायती, दोनों दुविधामें पड़ जाते हैं। नेटालमें हमने हड़ताल की, वह हमारे हितैषियों एवं मित्रोंमें से अनेकोंको नहीं जँची। उनकी मान्यता रही कि इसमें हम सत्याग्रहकी मर्यादाका उल्लंघन कर रहे हैं। और हाल ही रेलवेके गोरोंने जो हड़ताल की है उसे बहुतेरे भ्रमवश सत्याग्रह मान बैठे हैं। किन्तु उनकी हड़ताल और हमारी हड़तालकी भूमिकाओंमें उत्तर-दक्षिण जैसा अन्तर था और है। हमने जो हड़ताल की उसमें हमारा हेतु सरकारको तंग करनेका नहीं था। हम तो उस मार्गका अनुसरण करते हुए जेल जाकर दुःख भोगना और तपश्चर्या करना चाहते थे और उसका परिणाम भी यह दीख पड़ता है कि हम लगभग जीतके द्वारपर हैं। हमारी यह जीत भी भिन्न प्रकारकी है। हम कोई राजगद्दी नहीं माँगते। हम तो अपना स्वाभिमान—अपना धर्म—निवाहना चाहते हैं। हम तो स्वयं अपने आपपर चाहे जितना दुःख पड़े कदापि प्रतिपक्षीको शारीरिक कष्ट देना अथवा उसका पद नहीं छीनना चाहते। रेलवेवालोंकी स्थिति इससे एकदम विपरीत है। उन्होंने अपने स्वाभिमानकी रक्षाके लिए संघर्ष नहीं छोड़ा है। धर्मसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने तो अपने वेतन आदिकी वृद्धि और अपनी आर्थिक स्थितिके सुधारकी बात सोची। उन्होंने जो हड़ताल की वह जेल जानेके हेतुसे नहीं बल्कि सरकारको दबानेके इरादेसे की। सरकार यदि शस्त्र-बलका उपयोग करे और इन हड़तालियोंसे बने, तो वे भी शस्त्रबलसे उसका मुकाबिला करना चाहेंगे। बन पड़े तो वे राजगद्दी छीनकर उसका भी उपभोग करना चाहेंगे। उनका तो अन्तिम उद्देश्य ही यह है। इसीलिए तो वे अपनेसे बढ़कर शरीरबलका प्रयोग कर सकनेवालोंके समक्ष दीन बने हुए हैं। सरकारने भी बेधड़क होकर अदालतों आदिमें ले जाये बिना ही उन्हें गुप्त रूपसे रातों-रात देशकी सीमाके बाहर कर दिया है। और फिर भी सारा जगत् उनके कार्यकी सराहना करता है और उन्हें बहादुर गिनता है। हमें देश-निकाला देनेपर सरकार एकदम जुल्मी कहलायेगी और यदि वह ऐसा करे भी तो उसे हँसते-हँसते सहन करना हमारा कर्त्तव्य होगा। सत्याग्रह और असत्याग्रहके बीच इस प्रकार एक महान् भेद है। हर भारतीयको यह भेद जान-समझ लेना चाहिए। सत्याग्रह कोई हार-जीतकी बाजी नहीं है। उसमें तो हार-जैसी कोई चीज ही नहीं है और शरीरबल तो हार-जीतका खेल है, जिसमें अधिक शक्तिशालीकी ही जीत होती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-२-१९१४

२६०. प्रवासी अधिनियम

इस अधिनियमकी व्याख्यासे प्रतिदिन नई कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। सबसे हालकी व्याख्या दाउद इस्माइल और दया पुरुषोत्तम बनाम प्रवासी अधिकारीके मामलेमें न्यायमूर्ति ब्रूमके निर्णयमें निहित है। न्यायमूर्ति ब्रूम द्वारा की गई अधिनियमकी व्याख्याके अनुसार जो लोग संघमें प्रवेश करना चाहते हों उनके सम्बन्धमें पिछले सालके अधिनियमके अन्तर्गत प्रवासी अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णयपर सर्वोच्चन्यायालय निषेधाज्ञा भी जारी नहीं कर सकता। हम जिस मामलेपर विचार कर रहे हैं उसके सम्बन्धमें यही हुआ है। इसलिए यदि न्यायमूर्ति ब्रूमका निर्णय चलता है, तो जैसाकि प्रस्तुत मामलेमें हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय छोटे अधिकारियोंकी मूर्खताके कारण होनेवाली न्यायकी हत्या रोक सकनेमें असमर्थ होगा। जैसा कि न्यायमूर्ति ब्रूमने स्वयं कहा, प्रस्तुत मामलेमें न्यायका उद्देश्य केवल इसीलिए पराजित नहीं हुआ कि अदालतसे अनुचित रूपसे सहायताकी प्रार्थना की गई, बल्कि इसलिए भी हुआ कि निषेधादेश देनेवाली अदालतने अनुचित रूपसे सहायता दी। यदि कानूनका सही अर्थ ऐसा ही है तो प्रत्येक भारतीय पूर्णतः प्रवासी अधिकारियोंकी दयापर निर्भर है। पीड़ित पक्षके लोगोंको अदालत केवल इतनी ही सान्त्वना दे सकी कि उन्हें सरकारी पक्षका खर्च नहीं बर्दाश्त करना पड़ा, यद्यपि उन्होंने मुकदमा अनियमित ढंगसे दायर किया था। यह ठीक है कि अदालतको विवश होकर ही वैसा निर्णय देना पड़ा। परन्तु हम अनन्तकाल तक ऐसी सहानुभूतिपर जीवित नहीं रह सकते, जिसका कोई उपयोगी परिणाम न निकले। यह मामला तो इसी प्रकारके अनेक मामलोंका एक नमूना मात्र है। अधिनियमकी प्रत्येक धारा — यहाँ तक कि रक्षात्मक धाराएँ भी — ज्ञान अथवा अज्ञानवश, अधिवासी भारतीय जनताको तंग करनेके लिए बनाई गई प्रतीत होती है। फलतः यह कानून व्यवहारमें न केवल भारतीयोंके आवाजनाका निषेध करता है बल्कि संघमें बसी भारतीय आबादीकी कानूनसम्मत स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र आवागमनमें भी हस्तक्षेप करता है।

अधिनियमके अन्तर्गत नेटालके लिए जो अपीलेट बोर्ड बनाया गया था और जो अब खत्म हो गया है, उसने हालमें जिस मामलेका निर्णय किया है उसे ही लीजिए। उसमें श्री विसने बोर्डका निर्णय सुनाते हुए बड़ी हिचकिचाहटसे एक ऐसे आदमीको राहत प्रदान की जिसके पास पुराने अधिनियमके अन्तर्गत जारी किया गया अधिवासका प्रमाणपत्र था और उस प्रमाणपत्रसे वह पूर्णतः पहचान लिया गया था। तब यह हिचकिचाहट क्यों थी? किसी भारतीयसे यह क्यों कहा जाना चाहिए कि वह याद करे और बताये कि पन्द्रह साल पहले क्या हुआ था? जायदाद-पत्र एकबार दे देनेके बाद फिर उनपर आपत्ति नहीं की जा सकती। वे स्वामित्वके पक्के प्रमाण होते हैं। तब अधिवास-प्रमाणपत्रके साथ दूसरी तरहका व्यवहार क्यों किया जाता है? ये प्रमाणपत्र बाकायदा पूरी छानबीन, और कई मामलोंमें तो बहुत परेशान करनेवाली जाँचके बाद दिये गये थे। अब किस अधिकारसे उनपर ऐतराज किया जाता है? अगर यह

अधिनियम प्रवासी अधिकारियोंको ऐसे अधिकार देता है तो जितनी जल्दी उसे संशोधित कर दिया जाये उतना ही सरकार और इस कानूनसे पीड़ित लोगों, दोनोंके लिए, अच्छा होगा।

पर, उपर्युक्त कानूनी कार्रवाइयोंसे भी ज्यादा अमंगलसूचक तो जो चीज है वह शायद कठोरताके साथ अधिनियमको लागू किया जाना है। यह स्पष्ट है कि यदि अधिकारियोंने पुनःप्रवेशके इच्छुक लोगोंके प्रति—उन लोगोंके प्रति नहीं जो संघमें प्रवासके इच्छुक थे—अपने कर्तव्यका पालन किया होता तो ये मुकदमे हर्गिज न उठते। केप और बसूटोलैंडके लोगोंके खिलाफ तो, जिन्हें अन्य प्रान्तोंमें जाते समय निरन्तर फ्री स्टेटसे गुजरना पड़ता है, अधिनियमको अमल देनेमें अधिकारी, निश्चित रूपसे, पागलों-जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हर बार उनसे अस्थायी परवाना लेनेकी उम्मीद करना उनके ऊपर अनुचित कर लगाना है और परवानोंके लिए प्रार्थनापत्र देनेवालोंको अनावश्यक रूपसे तंग करना है। भारतीय यात्रियोंको कहीं भी बिना रोकटोकके जाने देनेके पुराने रिवाजसे प्रशासनको कभी कोई कठिनाई नहीं होती थी, और उसे ही जारी रखना चाहिये।

एक लड़केके साथ प्रिटोरियामें हुई घटना भी इसी प्रकारकी है। अधिनियमका मतलब कुछ भी हो, यह निश्चित है कि जो लड़का असन्दिग्ध रूपसे अपने पिताका पुत्र है और जिसकी माँ मर गई है, उसे ट्रान्सवालमें प्रवेशका अधिकार है। सरकार प्रायः इस बातके लिए वचनबद्ध है कि कमसे-कम प्रशासनिक रूपसे वह ऐसे बच्चोंको दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले अपन माता-पिताओंके पास आने दे। प्रिटोरियावाले मामलेमें अपीलैट बोर्डने अधिनियमकी व्याख्या भी भारतीय प्रार्थीके पक्षमें की है। फिर भी सरकार सन्तुष्ट नहीं है। उसे तो उस अपीलैट बोर्डके निर्णयोंको भी उलटनेका प्रयत्न करना है जिसे उसीने नियुक्त किया है और जिसे जो अधिकार दिये गये हैं वे प्रशासन द्वारा पीड़ित लोगोंकी अपेक्षा मुख्यतः प्रशासनका ही बचाव करनेके उद्देश्यसे दिये गये हैं। यह तथ्य कि सरकार अधिनियमकी उदार व्याख्याको चुनौती दे रही है, प्रकट करता है कि वह जिस सख्तीके साथ अधिनियमको अमलमें ला रही है उसी सख्तीके साथ उसकी व्याख्या भी कराना चाहती है। अगर हमें इस देशमें मनुष्यके रूपमें रहना है तो इस कुत्सित भावनाके विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी ही होगी।

[अंग्रजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४

२६१. नेताओंसे अपील

श्री आंगलिया तथा श्री दादा उसमानके बयान हमने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं और हम विचारपूर्वक ही लिख रहे हैं कि इन दोनों नेताओंने कौमको नुकसान पहुँचाया है। आयोगके सदस्य उनका बखान करें, इसका कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने जो गवाही दी है उससे ऐसा लगता है मानो परवानों और प्रवासके सम्बन्धमें जिन कष्टोंका उन्होंने उल्लेख किया है, वे केवल उतने ही हैं। इस प्रकारका बयान देकर उन्होंने [हमारी माँगकी] एक सीमा बाँध दी। गनीमत इतनी है कि उनका बयान समाजकी ओरसे कही गई अन्तिम बात नहीं है। उनकी माँग स्वीकृत हो जाये तो भी बहुत-सी बातें बाकी रह जाती हैं। और जबतक उन सबके विषयमें निबटारा नहीं हो जाता तबतक भारतीय समाजकी ओरसे सत्याग्रह छिड़ जानेकी सम्भावना सदैव ही बनी रहेगी। यदि इनका विचार साक्ष्य पेश करनेका ही था तो उनका कर्तव्य था कि सारी बातें एकत्रित करके किसी विश्वासपात्र वकीलसे उसका सार निकलवानेके बाद ही उन्हें पेश करते। वैसे समाजके प्रति उनका सर्वोपरि कर्तव्य तो यह था कि हजारों लोगों द्वारा पास आयोगके बहिष्कारके प्रस्तावको मानकर चुप रह जाते। और यदि बयान देना ही था तो फिर उन्हें सतर्कतासे सभी बातोंकी जाँच कर लेनी थी। उनकी गवाहियोंका जो कटु परिणाम हुआ है वह यह है कि श्री विनकॉलने हमारे विरुद्ध बहुत सख्त बयान दिया। श्री विनकॉलने जो तथ्य पेश किये यदि वे ठीक होते तो हमारे लिए फिर कुछ भी कर सकना सम्भव न रहता, किन्तु हम जानते हैं कि उनका बयान सही नहीं है। और उनके दिये हुए कई तथ्य बिलकुल गलत हैं। जो लोग नेता कहलाते हैं उन्हें अपना कर्तव्य ध्यानमें रखना चाहिए। उन्हें बयान देने ही थे, तो पर्याप्त साक्षियाँ पेश करके प्रमाणित भी करना था। जब आयोगके समाप्त हो जानेका समय आ गया तो उन्हें जैसे-तैसे, तत्काल जिम्मेदारीसे बरी हो जानेकी दृष्टिसे श्री सुकरकी तरह ऐसा नहीं करना चाहिए था। आयोग बैठनेको है यह खबर एक माह पहले मालूम हो गई थी। अतः उन्हें तभीसे तैयारी शुरू कर देनी थी ताकि सप्रमाण बयान पेश कर सकते। इन्हीं कारणोंको लेकर हमें यह मानना पड़ता है कि इन दोनों नेताओंने समाजके प्रति अपना कर्तव्य पालन करनेके बजाय उसे हानि पहुँचानेवाला कार्य ही किया है। साथ ही उनका आभार भी मानते हैं कि उन्होंने आयोगके सामने समाजकी कच्ची-पक्की बातें नहीं रख दीं। श्री आंगलियाने कहा कि उन्हें समस्त जाने-माने प्रतिष्ठित भारतीयोंकी ओरसे बोलनेका अधिकार है। ऐसे किन प्रतिष्ठित भारतीयोंकी ओरसे वे बोले? और यदि श्री आंगलियाका दावा सही है तो उन प्रतिष्ठित भारतीयोंपर हमें दया आती है और हमें उनके लिए दुःख है। हमारी रायमें ऐसा कहकर श्री आंगलियाने भूल की है तथा अपनी स्थिति और अपने दायित्वका कोई खयाल नहीं किया।

श्री सुकरके सम्बन्धमें हम कुछ नहीं कहना चाहते। यह नौजवान सज्जन तो अपने दर्पमें ही चूर हैं। और श्री ऐय्यरके बारेमें भी क्या कहें? उन्होंने बिना समझे-

बूझे ही बयान दे डाला है। यह अवश्य उनकी भलमनसाहत है कि उन्होंने जो कुछ कहा उसे किसीका प्रातिनिधिक वक्तव्य नहीं बताया। उन्होंने साफ कहा कि वे किसीकी ओरसे बयान नहीं दे रहे हैं और उनकी कही गई बातोंकी जिम्मेदारी भी उनकी अपनी है। अतः उनकी गवाहीसे किसी बड़ी हानिकी सम्भावना नहीं है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४

२६२. विवाहके सम्बन्धमें

हम जानते हैं कि इस देशमें आज विवाहका प्रश्न अत्यधिक गम्भीर होता चला जा रहा है। इस प्रश्नको लेकर आयोग भी दुविधामें पड़ गया है। उसे लेकर स्थानीय कानूनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करनेका प्रश्न खड़ा हो गया है। श्री आंगलिया आदिने इस सम्बन्धमें जो बयान दिये हैं, हमारी समझमें वे भ्रमपूर्ण हैं। यह प्रश्न इतना जटिल है कि इन्हें इसमें हाथ ही नहीं डालना चाहिए; और यदि डाला ही था तो पूरी समझदारीके साथ हाथ डालते। इस प्रश्नके मूलमें क्या है, जरा इसपर विचार करें। श्री काछलियाने जो पत्रव्यवहार किया है उसका सार तो यह है कि जिस भारतीयका विवाह एक ही स्त्रीसे हुआ है उसीका विवाह कानूनी तौरसे जायज माना जाये। और जिसके एकसे अधिक पत्नियाँ हों और वह यदि पुराना निवासी हो तो उसकी सभी पत्नियोंको तथा अवयस्क सन्तानोंको सरकार मेहरबानीके तौर पर दाखिल होने दे। यदि कोई भविष्यमें दो शादियाँ करता है तो उसे भी अपनी एक पत्नीको लेकर इस मुल्कमें प्रवेश करनेकी अनुमति मिले। इसमें उपर्युक्त अन्तिम दो प्रकारकी स्त्रियोंको अन्य कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा कहकर हम भविष्यके लिए किसी बन्धनमें नहीं बँध जाते। आयोग कुछ ऐसी माँग करता नजर आता है कि वह पुरुष जिसके एक ही पत्नी है यदि अपने विवाहको कानूनन जायज करवाना चाहता है तो उसे, जबतक उसकी पहली पत्नी जीवित है, दूसरी शादी न करनेकी शपथ लेनी चाहिए; उसका विवाह तभी एक पत्नी विवाह माना जायेगा। श्री गांधीने इस दलीलके विरुद्ध एक सख्त आपत्ति उठाई है और कहा है कि इस प्रकारके शपथ-पत्रपर हस्ताक्षर करनेका मतलब तो विवाह या शादीके बारेमें हिन्दू और मुसलमान धर्मको न माननेके बराबर होगा। यह दूसरी बात है कि कानून एक ही -- प्रथम -- पत्नीको मान्यता दे। इसमें हिन्दू या मुसलमान किसीके भी अपने धर्मके विरुद्ध आचरण करनेकी बात नहीं आती। ऐसे विवाहको जायज मान लेनेसे तो सैकड़ों भारतीयोंके अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं क्योंकि सैकड़ों भारतीय केवल एक ही स्त्रीसे विवाह करते हैं। और एक पत्नीकी स्वीकृतिके लिए सरकार वचन-बद्ध है। यहाँका कानून भी इसे मान्य करता है। आयोग हो या कोई और हमें भविष्यके लिए बाँध रखनेका किसीको अधिकार नहीं है। निश्चित ही, एक पत्नी विवाह कानूनन मान्य

हो जानेसे दूसरा विवाह करनेकी परिपाटी मन्द पड़ जानेकी सम्भावना है। और ऐसा कौन पति होगा जो एक स्त्रीको धर्म-पत्नी और दूसरीको रखैल कहलवाना चाहेगा?

हम ऊपर जो बातें स्पष्ट कर चुके हैं उनसे कम कोई बात स्वीकार करना सम्भव नहीं है। और इससे अधिक पा सकना भी प्रायः असम्भव है। अतः हमारे लेखे अधिक पानेके लिए सत्याग्रह छोड़ना उचित नहीं हो सकता। यदि उपरोक्त सुझावोंके अनुसार माँगें प्राप्त हो सकें तो सम्भव है हमारे धर्मोंका सम्मान बना रहे और सैकड़ों गरीब भारतीयोंके बाल-बच्चे सुखी हो सकें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४

२६३. प्रवासके महत्त्वपूर्ण मामले

नेटालमें प्रवास-सम्बन्धी दो महत्त्वपूर्ण मुकदमे हुए हैं। हमें अन्य बातोंके विषयमें लिखना था इसलिए उनके सम्बन्धमें जानकारी देनेका हमें अबतक अवसर नहीं मिल सका था। अब अवसर मिला है। एक मामलेका निर्णय न्यायमूर्ति ब्रूमने दिया है। यह मामला विचित्र है। इसमें तो ऐसा मौका था कि इससे सम्बन्धित भारतीयोंको यह देश बिलकुल ही छोड़ देना पड़ता। परिस्थिति यह थी : प्रार्थी, एक भारतीय, पिछले अक्टूबरमें देशसे आया, उसे प्रवासी-अधिकारीने प्रवेश करनेकी मनाही कर दी। प्रार्थीने उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाही नहीं की। और वह भारत वापस चला गया। जनवरी महीनेमें प्रार्थी फिर आया। प्रवासी अधिकारीने उसे फिर रोका। इस बार प्रार्थीके वकीलने सर्वोच्च न्यायालयसे निषेधादेश प्राप्त कर लिया जिसके परिणामस्वरूप प्रवासी अधिकारी प्रार्थीको प्रवेश न करन देनमें असमर्थ रहा। आखिरकार महान्यायवादीने मामलेकी पूरी जाँच की और उसे पता चला कि प्रार्थीको गलत तरीकेसे निकाल दिया गया था जबकि उसे तो नेटालमें निवासका अधिकार था। महान्यायवादीके इस प्रकार कबूल करनेपर उसे निवासका हक तो मिल गया किन्तु प्रवासी-अधिकारीको निषेधादेश मिलने तक प्रार्थीका जो खर्च हुआ उसे कौन दे, अदालतके सम्मुख इस प्रश्नका निबटारा करना अभी बाकी था। इसका फैसला न्यायमूर्ति ब्रूमने दिया कि प्रवासी अधिकारीके आदेशके विरुद्ध [सर्वोच्च न्यायालयसे] निषेधादेश प्राप्त करनेका अधिकार कानूनमें नहीं है। कानूनके मुताबिक अधिकारीके आदेशका निषेध तो केवल घूसखोरी और भ्रष्टाचारमें ही हो सकता है। इस मामलेमें यह स्थिति नहीं थी। फिर भी अदालतको यह प्रतीत हुआ कि अधिकारीने प्रार्थीको निकाल बाहर करनेमें जल्दबाजी और भूलकी है। अतः कानूनके मुताबिक भी यदि निषेधादेश नहीं मिलता तो अन्याय होता और प्रार्थीका हक मारा जाता। अतः अदालतने निर्णय दिया कि खर्च दोनों पक्ष स्वयं आपसमें बाँटकर सहन कर लें। इस निर्णयसे हमारा हित नहीं होता। न्यायालय यदि अधिकारीकी बेहूदा जल्दबाजीको लेकर बीचमें न पड़े तो अधिकारी स्वच्छन्दता और मगरूरीसे मनमाने हुकम निकालते रहें। जहाँ लोगोंके हकका प्रश्न हो उसमें यदि

व्यवस्थापकोंको निरंकुश सत्ता दे दी जाये तो अन्याय हुए बिना नहीं रह सकता। न्यायमूर्ति ब्रूमका निर्णय उचित है यह नहीं कहा जा सकता। निषेधादेश देनेकी सत्ता तो अदालतको सदा ही है और इसी प्रकारका अवसर पुनः आये तो हम मानते हैं कि मामलेको सीधे ब्लूमफॉन्टीन ले जाना चाहिए। इस बीच सरकारसे लिखा-पढ़ी भी की जानी चाहिए।

दूसरा मामला श्री बीन्सके फैसलेका है। श्री बीन्स अब प्रवासी अपील अदालत छोड़ चुके हैं। जिस विषयपर हम लिखना चाहते हैं यह उनका अन्तिम फैसला है। इस निर्णयमें न्याय किया तो गया है परन्तु यह न्याय अनिच्छापूर्वक किया गया है और भारतीय समाजपर डंक तो मारा ही है। न्यायमूर्ति ब्रूमने अन्याय किया है किन्तु उन्होंने उसे प्रसन्नतापूर्वक नहीं किया है। इस प्रकार न्यायासनपर बैठनेवाले दो व्यक्तियोंके मत भिन्न-भिन्न हैं। श्री बीन्सने जिस तफसीलपर फैसला दिया है, वह साधारण है। इस मामलेमें प्रार्थिके पास १८९६ का प्रमाणपत्र था। इसी प्रमाणपत्रके आधारपर वह दो बार भारत गया और वापस लौटा। जब वह तीसरी बार आया तब अधिकारीने उसे रोक दिया और इसलिए अपील दायर की गई। बीन्स साहबने अशोभनीय ढंगसे कहा कि प्रार्थी झूठा है; किन्तु उसे निकाल बाहर करनेकी उनकी हिम्मत नहीं हुई। जो मनुष्य दो बार आ-जा चुका है उसे किस प्रकार भगाया जा सकता है? इस कारण और चूंकि अधिकारीको यह स्वीकार करना पड़ा कि प्रमाणपत्र भी इसी व्यक्तिने लिया था, इसलिए भी बीन्स साहब अपना निर्णय उसके विरुद्ध न दे सके। पक्षमें फैसला देते हुए भी वे कह बैठे कि अधिकारीने जो रोक लगाई वह तो ठीक ही किया। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामले तो फौजदारी अदालतमें पेश किये जाने चाहिए। और इसी इरादेसे उन्होंने प्रार्थिके बारेमें सारे प्रमाण सरकारी वकीलके पास भेज दिये हैं। ऐसी विकट है हमारी स्थिति। कानून भी सख्त और उसका अमल भी सख्त; तिसपर नीचेकी अदालतोंमें सुनवाई होना भी कठिन। इतना सब होते हुए भी इस मामलेका यह नतीजा तो निकल ही सकता है कि जो लोग अपने ही प्रमाणपत्रोंके आधारपर प्रवेश कर चुके हैं उन्हें एकाएक निकाल देनेमें अधिकारियोंको मुश्किल अवश्य पड़ेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४

२६४. नाबालिगोंके अधिकार

प्रिटोरियामें हाल ही एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रवास-सम्बन्धी मुकदमा हो गया है। प्रवासी-अधिकारीने एक मुसलमान लड़केको प्रवेश करने देनेसे रोक दिया। इस सम्बन्धमें उसने जो अन्य बेटुके कारण बतलाये उनकी तो हम यहाँ चर्चा ही नहीं करना चाहते। हम तो केवल कानूनी पेचीदगीकी छानबीन करेंगे। प्रवेश-निषेधका कारण यह था कि वह बालक मुसलमानी विवाहसे उत्पन्न हुआ था और मुसलमानी विवाहको कानून मान्यता नहीं देता है अतः उससे उत्पन्न सन्तान प्रवेशकी हकदार नहीं है। इस निर्णयके विरुद्ध प्रार्थीने अपील दायर की। यह अपील प्रिटोरियामें नियुक्त नये निकायके समक्ष पेश हुई। इससे सम्बद्ध कानूनके खण्डके अनुसार प्रवेशके हकदार पुरुषकी पत्नी तथा उसके वयस्क बच्चे प्रवेश कर सकते हैं। और इस प्रकार प्रवेश पानेवालोंमें कानून द्वारा मान्य एक-पत्नीक विवाह प्रणालीके अनुसार ब्याही गई स्त्री तथा उस व्यक्तिकी सन्तानें भी शामिल हैं। अदालतने इस खण्डका अर्थ प्रार्थीके हितमें किया। अदालतकी दलील यह थी, “औरत तो वही प्रवेश पा सकती जो कानूनन विवाहिता हो परन्तु यह नियम नहीं है कि बच्चे केवल उसीके आ सकें। बच्चे तो विवाहित या अविवाहित माता-पिताके भी आ सकने चाहिए। इसमें उन बच्चोंका समावेश आप ही हो जाता है जो कानूनन विवाहित दम्पतिके हैं। इसमें उन बच्चोंका प्रवेश निषेध नहीं है जो उन दम्पतियोंके हैं जिनका विवाह कानूनन जायज नहीं है पर जो साथ रहते हैं।” इसी दलीलके आधारपर अदालतने अपना फैसला प्रार्थीके पक्षमें दे दिया।

अदालतकी इस दलीलसे हम धोखेमें न आयें। यह दलील कोई बहुत वजनदार दलील नहीं मानी जा सकती। यदि अदालतकी यह दलील उचित है तो वह स्त्रियों-पर भी लागू होगी। कानूनके इस खण्डमें “स्त्री” और इसी प्रकार “बच्चे” शब्दका दो स्थानोंमें उल्लेख है। अदालतमें एक स्थानपर तो “बच्चे” शब्दका प्रयोग भिन्न रूपसे किया है परन्तु “स्त्री” शब्दका प्रयोग दोनों स्थानोंपर एक-सा ही किया है। ऐसा करते हुए अदालतने जो दलील पेश की है वह यद्यपि ठीक है परन्तु वजनदार नहीं है। अतः अदालतके इस निर्णयसे हम निश्चिन्त नहीं हो सकते। लेकिन अदालतने जो अर्थ किया है वह यदि ठीक ही हो तो हमें स्वीकार करना होगा कि विवाहके प्रश्नको लेकर बच्चोंके सम्बन्धमें हमारी माँगका बल कुछ कम हो जायेगा। बिना विवाहके पैदा हुए बच्चोंको आनेका हक प्राप्त हो जाता है तो उससे सारे हक प्राप्त हो जाते हैं, यह नहीं माना जा सकता।

अदालतका फैसला प्रवासी-अधिकारीको ठीक नहीं जँचा इसलिए उसकी माँगपर मुकदमा सर्वोच्च-न्यायालयमें जायगा। अब वहाँ जो हो जाये सो ठीक। यह मुकदमा प्रवासी-अधिकारी यानी सरकार ही ऊपर ले जायेगी। अतः इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारकी नीति स्पष्ट नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि कानूनका अर्थ भी वह सख्त करना चाहती है और इन उपायोंके जरिये हमारा उन्मूलन करना चाहती है। हमें यह

समझना चाहिए कि हमने ऐसी मनोवृत्तिके विरुद्ध सही सत्याग्रह किया है। पर केवल एक बार सत्याग्रह करनेसे ही हमारे दुःखोंका अन्त नहीं होगा बल्कि जब-जब हमारे कष्ट असहनीय हो उठें तब-तब हमें इस हथियारका प्रयोग करना होगा। ऐसा बारंबार करने पर ही सरकारको हमारी ताकतका अन्दाजा होगा और वह हमारी समुचित माँगोंसे परिचित होगी तथा अपना हठ छोड़ेगी।

इस मुकदमेसे हम यह भी देख पाये हैं कि नये अपील निकायके बननेसे बड़ा सुधार हुआ है। हमें दृढ़ विश्वास है कि पुराना अपील निकाय उपर्युक्त फैसला हरगिज नहीं देता। पुराना अपील निकाय तो जैसा [निर्णय] उसने कुलसम वीबीके मुकदमेमें डर्बनमें किया था वैसा ही [निर्णय] वह इस लड़केके मामलेमें प्रिटोरियामें भी करता।

इस मामलेमें प्रार्थी जिस चतुराईसे लड़ा है हम उम्मीद करते हैं, कि वह इसी खूबीसे सर्वोच्च-न्यायालयमें भी लड़ेगा। यह मामला मजबूत नहीं है, हमने यह कहा है पर इसका मतलब यह नहीं कि इस मामलेमें कोई दलील ही नहीं। यदि सर्वोच्च-न्यायालय उदार दिलसे विचार करेगा तो प्रार्थीके पक्षमें दी गई दलील कायम रखेगा और यदि ऐसा हुआ तो सारी स्त्रियोंके बच्चे आ सकेंगे। और यदि निर्णय [हमारे] विरुद्ध हो जाये तो भी हमें निराश होनेका कोई कारण नहीं है; क्योंकि हम विवाह सम्बन्धी जो महान संघर्ष कर रहे हैं उसमें इसका फैसला भी हो जाता है। इस मुकदमेके आधारपर हम यह अच्छी प्रकारसे जान सकते हैं कि हमारा संघर्ष कितना जबरदस्त है और उसमें से कितने महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलनेकी सम्भावना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४

२६५. हमारी आशाएँ

एक सज्जनका पत्र है:

आपको अच्छा अवसर हाथ लगा है। फिर ऐसा अवसर हाथ नहीं आयेगा। इस समय भारत आपको जैसा सहयोग दे रहा है, और आज चारों ओर जैसी सहानुभूति है भविष्यमें फिर ऐसा सुयोग आते नहीं दिखता। अतः आज सम्पूर्ण नागरिक अधिकारोंकी माँग करनी चाहिए। इस माँगमें सभी बातें आ जानी चाहिए। ताकि हमारी जनताको पुनः कष्ट न उठाने पड़ें। अतः जो मामले सामने हैं उनके अलावा जमीन-सम्बन्धी अधिकार, स्वर्ण-कानून, टाउनशिप ऐक्ट, डर्बनमें परवानेकी छूट, ट्रान्सवालके परवाने आदि प्रश्न हैं इनके विषयमें भी भविष्यमें कोई अड़चन खड़ी न हो। इनके अलावा मताधिकार, नये स्टेशनोंपर यहूदियोंको दूकानें रखनेकी अनुमति और भारतीयों-पर उसकी रोक, रेलके आरक्षित डिब्बोंमें बारह-बारह मनुष्योंका ठूँसा जाना, आदि बातें हैं जिनकी जानकारी आपको भी होगी। अतः मुझे लिखनेकी आवश्यकता तो नहीं है फिर भी मैं सहज ही लिखे दे रहा हूँ। मतलब यही है कि ऐसा अवसर पुनः नहीं आयेगा अतः हमें अपने अधिकार प्राप्त कर लेने चाहिए।

इस पत्रका मिलना ठीक ही हुआ। जैसा एक व्यक्ति लिखता है वैसा ही बहुतेरे अन्य लोग भी सोचते होंगे, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन हमें कहते हुए खेद होता है कि ऐसी आशाएँ सफल नहीं होंगी। क्योंकि हर बातकी तरह सत्याग्रहकी भी एक सीमा तो है ही। उससे कितना ग्रहण किया जा सकता है यह समझ लेना ही सत्याग्रहकी सफलताकी प्रथम सीढ़ी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्यके मार्गसे असत्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम यदि माँगोंको बढ़ाते हैं तो यह असत्य होगा। सत्याग्रहसे तो अनेक वस्तुएँ मिल सकती हैं; परन्तु यदि हम अनिवार्य रूपसे सत्यका आग्रह न रखें तो वे कदापि नहीं मिलेंगी। उदाहरणार्थ हमें ट्रान्सवालमें जमीन-सम्बन्धी हक मिलने चाहिए। परन्तु इस संघर्षमें हमारी यह माँग नहीं है, अतः इस अवसरपर हम यह माँग नहीं कर सकते। निकट भविष्यमें भी यह माँग करने योग्य ताकत हमें समाजमें दिखाई नहीं देती। इस बारके सत्याग्रहमें गिरमिटिया भारतीयोंने तो धरती ही हिला दी। इन्हींके बलसे भारत गूँज उठा। परन्तु इस ताकतसे जमीनके हक प्राप्त नहीं किये जा सकते। मताधिकारके लिए हममें अनेक बातोंकी कमी है। उसे दूर किये बिना मताधिकार मिल भी जाये तो वह निरर्थक है, ऐसा हम मानते हैं। हमें इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि मताधिकारके लिए हमें अभी बहुत समय लगेगा। उसके लिए तो स्वयं भारतको स्वतंत्र रूपसे जागृत होना पड़ेगा। स्वर्ण-कानून, परवाना आदि बातोंके लिए खण्ड ५ में व्यवस्था है। किन्तु इस खण्डसे भी स्वर्ण-कानून या परवाने की तकलीफें रफा नहीं होंगी। यदि इन बातोंकी हृदयक सरकारकी ओरसे हमें ऐसा विश्वास मिल जाये कि इनका अमल न्यायोचित ढंगसे होगा तो यह एक तरीका हो सकता है और हम बिना सत्याग्रह किये ही राहत प्राप्त कर सकते हैं। रेल आदिके कष्टोंके लिए भी स्वयं हममें दम चाहिए। यदि किसी डिब्बेमें ६ लोग बैठे हों तो सातवाँ व्यक्ति बहादुर होना चाहिए। यदि वह दूसरे डिब्बेकी माँग करे तो कंडक्टरको देना ही पड़ेगा। जबतक हम स्वयं लतियाये जानेके लिए तैयार हैं तो मारनेवाला तो तैयार बैठा ही है। यदि ऐसी बातोंमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं खबरदार नहीं रहेगा तो वह कुचल दिया जायेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता पत्र लिखे जा सकेंगे; और यह जवाब भी मिल जायेगा कि “भविष्यमें ध्यान रखा जायेगा।” किन्तु कंडक्टरोंकी मनमानी फिर भी चलती रहेगी। ये शब्द तो प्रत्येक संघर्षके समय घोषित किये गये हैं कि “फिर ऐसा मौका नहीं आयेगा, ऐसा संघर्ष बार-बार नहीं होता।” किन्तु १९०७ के संघर्षसे १९०८ का संघर्ष भारी हुआ। उससे भी भारी १९१३ का हुआ। १९०७-८ में जितने लोग जेल गये उससे कहीं बहुत अधिक १९०८-११ में गये। और १९१३ में तो हृद ही हो गई। और अब आगे जब कभी संघर्ष छिड़ेगा तो उससे भी अधिक अच्छा छिड़ेगा। यह हमारे ही हाथमें है। हमारे सामने बढ़ियासे-बढ़िया भोजन रख दिया जाये तो भी हम आवश्यकतानुसार ही खा सकते हैं। यदि अधिक खा लिया जाये तो हानि होगी, और मृत्यु भी हो सकती है। यही बात उचित अवसरकी है। सुअवसर है तो भी हमारी जो माँगें हैं हमें उन्हींको पाकर सन्तोष करना होगा और तभी भविष्यमें आनेवाला मौका इससे बढ़कर होगा। हमारा विश्वास है कि यदि हम अपनी माँगोंमें जरा भी वृद्धि करें तो यहाँ और भारत दोनों ही स्थानोंमें सहानुभूति खो बैठेंगे। “समाजपर फिर संकट न आये”

ये शब्द तो भीरुता भरे हैं। बिना कष्टके तो समाज मजबूत नहीं बन पायेगा। आगे बढ़नेमें प्रत्येक कदमपर कष्ट होगा ही। जो कुछ उठाना पड़ा है वह कष्ट नहीं है; उसे आवश्यक परिश्रम मानना चाहिए। इस प्रकारके कष्ट हमपर न पड़ें ऐसी इच्छा रखना प्राकृतिक नियमोंके भंग होनेकी कामना करनेके समान है। कोई भी कार्य बिना मेहनतके सफल हुआ हो ऐसा उदाहरण हमने इस पृथ्वीपर नहीं देखा और न इतिहासमें ही पड़ा है।

अन्तमें भारतीयोंको विचारपूर्वक यह समझनेकी आवश्यकता है कि हम जो माँग पहले कर चुके हैं उसमें कम-अधिक न करना ही सत्याग्रहका प्रथम सूत्र है। और दूसरा सूत्र यह है कि जो-कुछ सत्याग्रहसे प्राप्त हुआ है वह सत्याग्रहसे ही स्थायी रखा जा सकता है। सत्याग्रहके जरिये मिलने योग्य वस्तु सत्याग्रहके द्वारा अवश्य प्राप्त होती है। सत्याग्रहमें “हार” शब्द है ही नहीं यह इसका तीसरा सूत्र है। यदि इतना समझ लिया जाये तो गलतफहमी दूर हो जाये और समाज बहुत आगे बढ़ जाये; यह हमारा दृढ़ मत है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९१४

२६६. पत्र : रावजीभाई पटेलको

[केप टाउन]

रविवार, [फरवरी ५, १९१४ के बाद]

भाई श्री रावजी भाई,

आपसे मेरा पिछले जन्मका कोई लेना-देना है। नहीं तो मुझे आपका इतना प्यार पानेका क्या अधिकार है? और फिर जब मैं बड़े संकटमें था तब आपने जो प्रेम दिखाया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह आप दोनोंकी आत्माको और भी अधिक तेजस्वी बनाये, यही मेरी कामना है। और आप यह कामना करें कि उस प्रेमके अनुभवसे आत्माकी शक्तके विषयमें मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो। एक जरा-सी प्रतिज्ञा, अर्थात् तपश्चर्याके प्रति आदर भाव यदि इतना सब प्राप्त कर सकता है तो तपश्चर्यापर आचरण करनेसे कितना प्राप्त होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस बातको समझना उतना ही सरल है जितना त्रैशिक-नियमोंको समझना। यह वास्तवमें ऐसा ही है। प्रतिज्ञा न लेता तो मुझे शुद्ध प्रेमका अनुभव नहीं होता, और जितनी जल्दी सत्यका पता चला उतनी जल्दी उसका पता न चलता और बच्चे भी निर्दोष साबित न होते।^१

१. फीनिक्सकी एक अध्यापिका धैरतवेनने कुछ विद्यार्थियोंके साथ पकौड़े खाकर आश्रमके नियमोंका उल्लंघन किया था। यद्यपि गांधीजीके पूछनेपर उसने इस बातको माननेसे इनकार कर दिया, लेकिन जिस दिन पश्चात्तापके लिए गांधीजीने अनिश्चित काल तक उपवास रखनेका निश्चय किया उसके एक दिन बाद उसने अपने अपराधको स्वीकार कर लिया।

चि. . . की मैंने जिस ऊँचाईपर कल्पना की थी वह अब वहाँसे नीचे उतर आई है। फिर भी मेरा मन कहता है कि वह पुण्यात्मा तो है ही। उसमें सद्गुण बहुत हैं। उनको विकसित करना हमारा कर्तव्य है। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसे उस (कृत्य) की याद न आये। उसे गृह-कार्यमें कुशल होनेमें प्रोत्साहन देना। बालकोंमें से उसका कोई अपमान न करे इसका ध्यान रखना। . . . रातकी कथाको जारी रखना। बालकोंको पाँच बजे उठानेकी जिम्मेदारी रा . . . के ऊपर है . . . । मगनभाईकी तबीयतका समाचार नियमपूर्वक मिलना चाहिए।

मोहनदासके यथायोग्य

[गुजरातीसे]

महात्मा गांधीजीना पत्रो और गांधीजीनी साधना

२६७. आंगलियाकी गवाही

श्री आंगलिया हमारे द्वारा की गई टीकापर श्री गांधीको इस प्रकार लिखते हैं : मैंने जो गवाही दी है आपने अपने "इंडियन ओपिनियन"में उसकी टीका की है। मैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूँ। मुझे बड़ा खेद है कि मेरी पूरी गवाही गुजरातीमें प्रकाशित होनेके पूर्व ही आपने अपनी राय उसपर दे दी है। क्या ऐसा करना आपके और आपके पदके योग्य है? तो भी मैं मानता हूँ कि यह पत्र समाजका है और आप भी कहते हैं कि समाजकी सेवा करना आपका काम है। अतः आप यदि समाजकी सेवा ठीक तौरसे करना चाहते हैं तो आगामी अंकमें इस गवाहीको पूरा-पूरा छाप दें। और इसके बाद आप चाहें जैसी टीका करें। पर जबतक आप इसे प्रकाशित नहीं कर देते तबतक लोग इसपर अपना निर्णय किस प्रकार दे सकेंगे?

पूरी गवाही प्रकाशित करनेका इरादा तो हमारा है ही। वैसे स्थानीय अखबारोंमें प्रकाशित गवाही सभी देख चुके होंगे ऐसा हम मानते हैं। पर हमारे पास तो अक्षरशः रिपोर्ट है। इस रिपोर्टके मुताबिक गुजरातीमें पूरी गवाही छाप देनेका विचार है जिससे किसी प्रकारका अन्याय न हो। हमने स्वयं भी अखबारोंमें प्रकाशित गवाही पढ़कर ही अपनी टीका की है। और यदि अक्षरशः गवाही पढ़नेपर हमें अपना अभिप्राय बदलनेकी जरूरत महसूस हुई तो हम अवश्य वैसा करेंगे। चूंकि अखबारोंमें प्रकाशित ब्यौरा हमें ऐसा कुछ खराब लगा कि गवाहीकी पूरी प्रति देख लेने तक रुकना हमें ठीक नहीं जान पड़ा। समयपर सचेत कर देना हमने अपना कर्तव्य समझा। यदि अखबारोंमें प्रकाशित गवाही सही नहीं थी तो श्री आंगलिया तथा श्री दादा उस्मानका यह फज था कि वे अखबारको उचित सुधार करनेके लिए उस समय पत्र लिखते। खैर, हमने

१. और २. प्रस्तुत साधन सूत्रमें इन स्थानोंपर कुछ हिस्से छोड़ दिये गये हैं।

यह तो लिखा ही है कि गवाहीकी मूल-प्रति पढ़ जानेके बाद हम उसपर विशेष रूपसे टीका करने जा रहे हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८-२-१९१४

२६८. तार : गो० कृ० गोखलेको

केप टाउन

फरवरी १८, १९१४

गोखले

सर्विडिया

पूना

सिटी हॉलमें ऐन्ड्र्यूज द्वारा रवीन्द्रनाथ ठाकुरपर भाषण। अध्यक्षपदसे ऐन्ड्र्यूजके कामके प्रति सार्वजनिक रूपसे सहानुभूति व्यक्त। प्रमुख संसद सदस्यों सहित बड़ी संख्यामें प्रतिष्ठित श्रोतागण उपस्थित। वाइसरीगल लॉज शिमला जैसा भाषण। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मेरीमैन द्वारा भारतीय जीवनका उच्चतर पक्ष और अधिक समझनेकी आवश्यकतापर जोर। ऐन्ड्र्यूज द्वारा इसकी बड़ी सही व्याख्या। आजकल ऐसी व्याख्यासे बढ़कर कोई सेवा नहीं। संकटके वर्तमान समयमें ऐसा भाषण सुनकर गवर्नर जनरल द्वारा हार्दिक सन्तोष व्यक्त। उन्होंने ऐन्ड्र्यूजकी शान्ति और समझौतेके उद्देश्यसे की गई सेवाओंके लिए धन्यवाद दिया और विश्वास प्रकट किया कि समझौता सन्निकट। स्वयं ऑक्सफोर्डमें भारतीय इतिहासका विशेष अध्ययन किया उसी सिलसिलेमें भारत-भ्रमण भी। ठाकुर द्वारा अभिव्यक्त भारतीय उच्चतर पक्षकी भूरि-भूरि सराहना। अभिलाषा व्यक्त की कि लोग भारतके कुलियोंका नहीं बल्कि ऐन्ड्र्यूज द्वारा बताये उच्चादर्शोंका अधिक अध्ययन करेंगे। लॉर्ड ग्लैड्स्टन द्वारा भावपूर्ण उद्गार। बड़ी सुखियोंके साथ भाषणकी समीक्षाएँ। बहुत अच्छा असर। यह तार सविस्तार प्रकाशित कीजिए।

गांधी

प्राप्त अंग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४८५१) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

२६९. तार : गो० कृ० गोखलेको

केप टाउन
फरवरी १९, १९१४

गोखले
सर्विडिया
पूना

'केप टाइम्स' में अग्रलेखके साथ ऐन्ड्र्यूजका पूरा भाषण प्रकाशित। गवर्नर-जनरलके समापन-भाषणके अन्तिम शब्दोंका समाचार निम्नलिखित रूपमें : ठाकुरका व्यक्तित्व भारतके आदर्शपूर्ण राष्ट्रीय जीवनकी चरम अभिव्यक्ति। सभ्यता और जीवनकी उच्चतर अवस्था तक पहुँचनेके प्रयासमें भारत शायद ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य भागोंसे कहीं ऊँचा। उनका विश्वास कि ऐन्ड्र्यूजका भाषण भारत और दक्षिण आफ्रिकाके बीचकी समस्याके समाधानमें बहुत उपयोगी। उन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें अधिक सौहार्द्र उत्पन्न करनेके ऐन्ड्र्यूजके सभी प्रयत्नोंके लिए धन्यवाद दिया।

गांधी

प्राप्त अंग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ४८५२) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

२७०. पत्र : रावजीभाई पटेलको

केप टाउन
माघ वदी १२, संवत् १९७० [फरवरी २१, १९१४]

भाईश्री रावजीभाई,

आपका पत्र मिला...। चि० मणिलालको यहाँसे भेजना उद्देश्य नहीं था। उसे यहाँके विलासपूर्ण वातावरणसे हटाना था...। चि० जमनादासको भी इसी कारण वहाँ भेजा गया है...। मैं यह मानता हूँ कि जिसे ब्रह्मचर्यका पालन करना हो उसे वैभवशाली वातावरणमें नहीं रहना चाहिए। बा की तबीयत अच्छी रहती जान पड़ती है। इस बातका विशेष ध्यान रखना कि लड़के वहाँ फिरसे परिश्रमी हो जायें और सवेरे जल्दी उठनेमें जरा भी प्रमाद न करने पायें। मगनभाईकी तबीयत कैसी रहती है? विस्तारसे समाचार देना। इमाम साहबकी पत्नीको असुविधा न हो, ऐसा उपाय करना। उनके

१. पटेल ।

लिए किसी विशेष प्रकारके भोजनकी जरूरत महसूस हो तो मैं समझता हूँ कि वह बनाया जाये अथवा उसे बनानेकी इजाजत दी जाये। यह उचित होगा।

श्री ऐंड्रयूजने निस्सन्देह बहुत बड़ा काम किया है।

मोहनदासके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महात्मा गांधीजीना पत्रो और जीवननुं परोढ़

२७१. तार : गो० कृ० गोखलेको

केप टाउन

फरवरी २४, १९१४

रैवरेण्ड श्री ऐंड्रयूज शनिवारको इंग्लैंड रवाना। जानेसे पहले चर्च कौंसिलकी एक बैठकमें भाषण। उसमें बोलनेके लिए मुझे भी आमन्त्रण। वाइस चांसलर (उपकुलपति) की अध्यक्षतामें श्री ऐंड्रयूज द्वारा रवीन्द्रनाथ और उनके सन्देशके बारेमें विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंके समक्ष भी एक भाषण। भारतीय समाजने सार्वजनिक सभामें उनको विदाई दी। कई अंग्रेज श्रोता भी उपस्थित थे। उनके कामका आम असर अत्यन्त अनुकूल रहा। सर्वश्री ऐंड्रयूज और पियर्सनके शिष्टमण्डलके लिए भारतीय हृदयसे कृतज्ञ। कई यूरोपीयोंने, जिनमें मन्त्री लोग भी हैं, इस यात्राके परिणामपर सच्चा सन्तोष व्यक्त किया। श्री ऐंड्रयूजने चारों ओर सहानुभूति और स्नेहका वातावरण बनाया और शीघ्र समझौतेकी दिशामें अधिक योग दिया।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

सर्वेण्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

२७२. पत्र : रावजीभाई पटेलको

केप टाउन

माघ वदी ३०, [फरवरी २४, १९१४]

भाईश्री,

जे. . . के बारेमें लिखा हुआ तुम्हारा पत्र मैंने डॉक्टरको भेज दिया है और म. . . वाले पत्रको पढ़कर फाड़ दिया है। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा पत्र उसके हाथमें देनेसे उसपर गलत असर होता। अब सोचता हूँ कि अपने यही उद्गार तुम स्वयं उसे लिख भेजो। उसके बारेमें मेरा बहुत बुरा खयाल बन गया है — तुमने जो विवरण

१. यह पत्र १९१४ में उस समयका लिखा हुआ जान पड़ता है जब गांधीजी स्मट्सके साथ समझौता-वार्तिके लिए केपमें थे।

लिखकर भेजा है उससे भी कहीं अधिक ! मुझे ऐसा लगा कि यदि वह तुम्हारा पत्र पढ़ता तो तुमपर, जितना तुम सोचते हो, उससे कहीं अधिक नाराज होता और स्वयं पापका भागी बनता। इसलिए पहले तो मैं यह सोचता रहा कि यह पत्र उसे भेजूं अथवा नहीं और अन्तमें उपर्युक्त निश्चय किया।

इसमें तो कोई सन्देह नहीं, जिनपर हमें श्रद्धा हो उनसे कोई चीज छिपाने अथवा उनके मनपर अपने बारेमें झूठी छाप डालनेसे कभी अपना भला नहीं होता। इसीलिए जे० और . . . के पापको घोर पाप माना है। अपने जबरदस्त पाखण्डके कारण ही वे ऐसे घोर पाप कर सके हैं। यदि उनका धोखा देनेका मन न होता तो वे आवेशमें पशु बनकर, फिर एकदम मनुष्य बन जाते, और विषय-भोगको छोड़ देते। जान पड़ता है, [एक] अब ठीक रास्तेपर आता जा रहा है और दूसरा मोहजालमें फँसा हुआ और दंभमें डूबा हुआ है।

[मोहनदासके आशीर्वाद]

[गुजरातीसे]

महात्मा गांधीजीना पत्रो

२७३. यादगारमें

दूसरे स्तम्भमें हम सत्याग्रहकी वेदीपर अपने प्राणोंका उत्सर्ग करनेवाली एक अन्य हुतात्मा कुमारी वलिअम्मा मूनसामीकी दुःखजनक मृत्युका समाचार प्रकाशित कर रहे हैं। कुमारी वलिअम्मा बीस वर्षसे कम अवस्थाकी एक तरुण महिला थीं। वे उन निष्ठावान भारतीय महिलाओंमें से थीं जिन्होंने एक ऐसे विवाह-कानूनके विरोधमें जेल-यात्रा की, जो उनके माता-पिताके विवाहका अपमान करता था और खुद उनके जन्म-पर कलंक लगाता था। घर लौटनेके दो ही दिन बाद उनका आकस्मिक और अप्रत्याशित निधन अत्यन्त शोकजनक है। भारतकी इस श्रेष्ठ कन्या-रत्नने निश्चल मनसे अपने सरल कर्तव्यका पालन किया। उसने स्त्रियोचित धैर्य, स्वाभिमान और गुणका ऐसा उदाहरण उपस्थित किया है जिसको, हमें विश्वास है, भारतीय समाज कभी नहीं भूलेगा। हम भारतकी इस हानिपर शोक प्रकट करते हैं और वलिअम्माके कुटुम्बके प्रति अपनी अत्यन्त सम्मानपूर्वक सहानुभूति प्रकट करते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५-२-१९१४

२७४. एक तरुण महिला सत्याग्रहीकी असामयिक मृत्यु

हमें यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख होता है कि जेलमें लम्बी बीमारी भोगनेके बाद घर आकर इसी २२ तारीखको जोहानिसबर्गके श्री आर० मूनसामी मुदलियारकी सबसे बड़ी कन्या, कुमारी वलिअम्मा, का देहान्त हो गया। मालूम हुआ है कि सजा मिलनेके बादसे ही वे शय्याग्रस्त हो गई थीं और रिहाईके बाद भी काफी बीमार बनी रहीं। स्वर्गीया कुमारी वलिअम्माका जन्म १८९८ में जोहानिसबर्गमें हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलमें शिक्षा पाई। पिछले २९ अक्टूबरको वे सत्याग्रहकी लड़ाईमें शामिल हुईं और महिलाओंके एक दलके साथ न्यूकैसिल रवाना हुईं। बादमें उन्होंने चार्ल्सटाउन, डंडी, लेडीस्मिथ, डेनहॉज़र, मैरिक्सबर्ग, टोंगाट और डर्वनके कार्यमें मदद दी। उन्होंने ट्रान्सवालकी सीमाको पुनः पार किया, और अपनी माता तथा अन्य लोगोंके साथ उन्हें फोक्सरस्टमें २२ दिसम्बर, १९१३ को तीन मासके सपरिश्रम कारावासकी सजा हुई, और अस्थायी समझौतेकी शर्तोंके अनुसार इस माह ११ तारीखको उन्हें रिहा कर दिया गया।

उनके पिता ट्रान्सवालके प्रारम्भिक भारतीय अधिवासियोंमें से हैं। वे भी एक बार सत्याग्रहीके रूपमें जेल भोग चुके थे। पिछली लड़ाईके समय वे बहुत बीमार थे और एक आपरेशनके बाद अस्पतालसे हाल ही में लौटे थे। हम [वलिअम्माके] माता-पिताके शोकमें सम्मिलित हैं और उनकी अपूरणीय क्षतिके प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५-२-१९१४

२७५. पत्र : जमनादास गांधीको

[केप टाउन]

फाल्गुन सुदी २, १९७० [फरवरी २६, १९१४]

चि० जमनादास,

देखता हूँ, तुमने और मणिलालने इस बार मुझे समझनेमें भूल की है। यदि मुझे तुम्हें रखनेमें तुम्हारा भला दीख पड़ता तो मैं अपने स्वार्थकी दृष्टिसे भी तुम्हें जानेकी अनुमति नहीं देता। यहाँ के वातावरणके विरुद्ध मैं नहीं लड़ सकता था। वातावरणका कैसा सूक्ष्म प्रभाव होता है, इस बातका तुमने विचार नहीं किया। डॉ० गुलकी कीमत मैं तुम सबसे अधिक जल्दी पहचान सका हूँ। लेकिन जैसे तुम्हारी कीमत जानते हुए भी मैं तुमको निर्बल और बालक मानता हूँ और दूसरोंको तुम्हारी देखरेखमें

रखते हुए हिचकिचाता हूँ वैसे ही तुम-जैसे निर्मल युवकोंको मैं डॉ० गुलके साथ रखते हुए झिझकता हूँ। डॉ० गुल स्वयं जानते हैं कि वे भी निरे बालक हैं और अपने दोषोंको पहचानते हैं, इसी कारण उन्होंने अपने सगे भाईको अपनेसे दूर रखा है। . . .^१ उद्धत और रागी स्वभावके हैं। तुम भी उनके समान उद्दण्ड और रागी स्वभावके हो जाओ, यह मैं नहीं चाहता। तुममें हंसकी विवेक-बुद्धि नहीं है। अगर वह होती तो मुझे इतनी सख्त बातें कहनेकी कोई जरूरत ही न पड़ती। तुम्हारे प्रति मेरे मनमें जो अत्यधिक स्निग्धता है, वही तुम्हें इसबार जलानेवाली प्रतीत हुई। ऐसा होता ही है। अब तुम शान्त हो जाओ। मैंने बिना सोचे-समझे कदम नहीं उठाया है। तुम मुझपर वकीलकी तरह बहस करनेका जो आरोप मढ़ते हो, सो उचित नहीं है। एक बार पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था। मुझे अपने विषयमें ऐसा अनुभव होता जाता है कि विश्लेषण करनेकी और अच्छे बुरेको पहचाननेकी मुझमें विशिष्ट शक्ति है। इसीसे मेरे द्वारा किया गया सूक्ष्म तर्क, सामने बैठे हुए व्यक्तिको, वकालत करनेके समान लगता है। फिर भी यदि तुम अपने बचावमें अथवा मेरी भूल सुधारनेके लिए कुछ कहना चाहो तो निश्चिन्त होकर कहना। यह तुम्हारा कर्तव्य है। मेरी आज्ञा है कि तुम मुझे हमेशा पत्र लिखा करो। बा की तबीयत [अभी] वैसी ही है। खतरा टला नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
जीवननुं परोढ

२७६. पत्र : मणिलाल गांधीको

[केप टाउन
फरवरी २६, १९१४के आसपास]^२

. . .^३मेरे ऊपर निर्दयताका आरोप लगाकर तुमने अनजानमें ही पाप किया है। . . .^४मैं पन्द्रह दिनके अन्दर ही निर्दय बन गया? ऐसा दूसरोंको तो नहीं लगा। फीनिक्समें भी किसीको ऐसा नहीं लगा। बा का तो कहना है कि मैं उसके प्रति अत्यन्त कोमल बन गया हूँ। अगर मैं तुम्हारे प्रति निर्दय बन जाऊँ तो मुझमें यदि कोई साधुता है तो वह जाती रहेगी और मैं समझूंगा कि मेरा जीवन व्यर्थ ही गया।

लेकिन अभी फिलहाल, मैं तुम्हें निर्दय जान पड़ूंगा, उसमें कोई सन्देह नहीं। . . .^५ जिस मोहके वशीभूत होकर मैं तुमपर छाये हुए मोहको देखनेमें असमर्थ रहा वह अब नष्ट हो गया है और [उसके स्थानपर] केवल निर्मल प्रीति रह गई है। वह प्रीति अभी तुम्हें निर्ममता ही जान पड़ेगी क्योंकि मुझे एक वैद्यकी भाँति तुम्हें कड़वी औषधि पिलानी पड़ रही है। मैं तुम्हें . . .^६ पूर्ण बनानेके लिए अधीर हो रहा हूँ।

१. मूल सूत्रमें ही यहाँ कुछ शब्द नहीं मिलते।

२. यह पिछले शीर्षक—“पत्र : जमनादास गांधीको”—के साथ ही लिखा गया जान पड़ता है।

३, ४, ५, ६. मूल सूत्रमें ही यहाँपर कुछ शब्द नहीं मिलते।

अधीर होना मेरा दोष है। उस हदतक मैं मुग्ध प्रेमी हूँ। तुम मेरे बच्चे हो इसलिए यह मोह अभी गया नहीं है। इस मोहके टूट जानेपर तुम्हें जो निर्दयता मुझमें दिखाई देती है वह भी कदाचित् दिखाई नहीं देगी। उस दिनके आने तक तुम मुझे निभाओ।

अब तुम्हारे पत्रकी विरोधोक्तिके सम्बन्धमें। मेरे कटु वचन बोलनेके कारण [जैसा कि तुम कहते हो] तीन दिन तक तुम केप टाउन देखने नहीं गये। लेकिन तुमने जाते समय मेरे कटु वचन कहनेके बावजूद केप टाउन देखनेकी इच्छा प्रकट की थी। ये कटु वचन तो रविवारको भी [जैसेके-तैसे] थे। क्या मुझे निर्दयी मानकर तुम मेरे साथ रहकर कुछ सीख सकते थे? तुमने टेबल माउंटेन घूमनेकी तीव्र इच्छा प्रकट की थी। तब मैंने तुम्हें जो यह कहा कि तुम और भी [चीजें] देखोगे, उसमें तुम्हें क्या बुराई दिखाई दो?

लेकिन हुआ सो हुआ। मेरे दोषोंको न देखना तुम्हारा कर्तव्य है। बच्चोंमें इतनी भक्ति होनी चाहिए कि वे बापके दोषोंको न देखें और उसके गुणोंका ही विचार करें। तुममें भी वैसी श्रद्धाकी कामना करता हूँ। मैं तुम्हें साधु नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें शुद्ध आचरण करते हुए देखना चाहता हूँ। तुममें सत्य, शील, सरलता, कोमलता, गरिमा, नम्रता और साधुता देखनेकी इच्छा करता हूँ। तुममें संसारके साधारण सुखोंके प्रति विरक्तिकी भावना देखना चाहता हूँ। लेकिन ये सारी बातें तो तुममें नजर नहीं आतीं। मैं कोई काम करता हूँ इसलिए तुम्हें भी वही काम करना चाहिए सो बात नहीं। लेकिन यह कामना करता हूँ कि तुम मेरे मार्मिक उद्गारोंको समझकर अपना जीवन सफल बनाओ।

यह पत्र चि. जमनादासको भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
जीवननुं परोढ

२७७. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

केप टाउन

फरवरी २७, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

फिलहाल मैं केप टाउनमें घटनाओंका रुख देख रहा हूँ। मैं संघर्षके बारेमें कोई सूचना देकर आपको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता। मैं जितना भी संक्षेपमें लिख सकता हूँ, लिखूंगा।

सर्वश्री ऐन्ड्र्यूज और पियर्सन सचमुच अच्छे लोग हैं। हम सब उन्हें बहुत चाहते हैं। सर बेंजामिनने हमें निराश कर दिया है। उन्होंने कोई भलाई तो की ही नहीं है; पर वे नुकसान काफी कर सकते हैं। वह कमजोर हैं और किसी भी प्रकारसे सच्चे नहीं हैं। सारी तफसील तो वे शायद अभी तक नहीं समझ पाये हैं। और निस्सन्देह वे जाने-अनजाने हममें फूट डाल रहे हैं। श्री ऐन्ड्र्यूज आपको उनके बारेमें

सब कुछ बतायेंगे। परन्तु मैंने सोचा कि मुझे भी सर वेंजामिनके बारेमें अपने खयालत आपको बता देने चाहिए।

यदि मार्चमें समझौता हो जाता है तो मैं अप्रैलमें भारतके लिए रवाना हो जाना चाहता हूँ। मेरे साथ शायद करीब २० आदमी, औरतें और बच्चे होंगे, जो मेरे साथ रहेंगे। इनमें वे विद्यार्थी बच्चे भी शामिल हैं जिनके आनेकी सम्भावना है। मुझे पूनामें कहीं रहना चाहिए—सर्वेन्ट्स ऑफ इंडियाके क्वार्टरोंमें या किसी और जगह? आप क्या चाहते हैं? अपने परिवारके लोगोंसे एक बार भेंट कर चुकनेके बाद ही मैं जैसा आप ठीक समझेंगे करनेको तैयार रहूँगा। ऐसी सम्भावना है कि मेरे साथ रहनेवाले लोगोंकी संख्यामें कुछ वृद्धि हो जाये, क्योंकि मेरे कुटुम्बके कुछ सदस्य शायद मेरे जीवन और कार्यमें हिस्सा बँटाना चाहें। कृपया आप अपनेको मुझे सोसाइटीके क्वार्टरोंमें रखनेको बाध्य न मानें। मैंने अपने-आपको आपके सुपुर्द कर दिया है। मैं आपके चरणोंमें बैठकर सीखना, और आवश्यक अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके नेतृत्वमें आपके पास रहूँ अथवा न रहूँ, भारत आनेके बाद एक वर्ष तक ईमानदारीसे मौन रहनेके समझौतेका पालन करूँगा। मौन रहनेकी शपथमें, जैसा कि मैंने उसे समझा है, दक्षिण आफ्रिकाका प्रश्न शामिल नहीं है और आपकी इच्छापर किसी ऐसी योजनाकी प्रगतिके लिए, जिसके बारेमें हम दोनों ही एकमत हों, यह शपथ भंग भी की जा सकती है।

आप मेरी वर्तमान आकांक्षा जानते हैं। आज तो वह बस यही है कि मैं आपके समीप एक सेवक और परिचारक बनकर रहूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्तिकी आज्ञा माननेका सच्चा अनुशासन पाना चाहता हूँ जिसके प्रति मेरे मनमें स्नेह और आदर है। मैं जानता हूँ कि दक्षिण आफ्रिकामें मैं आपका अच्छा सचिव साबित नहीं हुआ। मुझे आशा है कि सचिवकी तरह मेरी सेवाएँ स्वीकार की गईं तो मैं मातृभूमिमें बेहतर काम करूँगा।

यूरोपकी जलवायु और अपेक्षाकृत शान्त वातावरणमें आपके स्वास्थ्यको लाभ हो, यह मेरी कामना है।

यह पत्र आपको लगभग मार्च महीनेके मध्यमें मिलेगा। यदि आप मुझसे मेरे कार्यक्रमके सम्बन्धमें कुछ कहना आवश्यक समझें तो आप तार तो देंगे ही। मैं यह भी मानता हूँ कि आप यह नहीं चाहेंगे कि आपके लौटनेसे पहले मैं पूना जाऊँ। फिर भी यदि आप कहेंगे तो मैं अवश्य चला जाऊँगा।

यदि मैं भारतके लिए अप्रैलमें रवाना हो सका, तो जो रकम आपने भेजी है, मैं उसका उपयोग सब लोगोंकी यात्रा-टिकट खरीदनेमें करूँगा। ये सभी टिकट डेकके होंगे। मेरे पास अपना कोई जरिया नहीं है, और फीनिक्स तो पैसेकी कोई मदद कर ही नहीं सकता। उसका कोष बिल्कुल खाली हो चुका है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७४)की फोटो-नकलसे।

२७८. तार : गो० कृ० गोखलेको

[केप टाउन]

फरवरी २८, १९१४

[गोखले]

सर्विडिया

पूना

खातेमें लगभग अठारह हजार शेष।

मूल तार (सी० डब्ल्यू० ४८५४) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी।

२७९. पत्र : जमनादास गांधीको

[केप टाउन]

फाल्गुन सुदी ३, १९७० [फरवरी २८, १९१४]

चि० जमनादास,

एक [पत्र] के सिवाय तुम्हारी ओरसे फिर न कोई तार और न कोई पत्र ही मिला। लगता है, तुम्हारे मनमें गुस्सा भरा है। किम्बल्लेसे लिखा गया तुम्हारा पत्र उचित नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा व्यवहार यहीं अवज्ञापूर्ण था, तब पत्रकी शिकायत करना व्यर्थ है! तुम दोनोंके पत्रोंसे पता चलता है कि तुम्हें केप टाउन अनुकूल नहीं पड़ा. . .^१ फीनिक्समें मैं किसीके व्यवहारसे क्यों परेशान नहीं हुआ? भूलता हूँ, एक अपवाद है। कुमारी श्लेसिन। लेकिन वह तो अन्तमें अपना दोष देख सकी। पहले तो उसने मुझे परेशान ही किया। [लेकिन] तुम दोनों तो मेरे, दोष देखनेमें ही लग गये। कामना करता हूँ कि गम्भीरतासे विचार करो ताकि तुम्हारा मन शान्त हो जाये। मैं आज मणिलालको पत्र नहीं लिख रहा हूँ इसलिए यही पत्र उसको भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

जीवननुं परोढ

१. यहाँ मूल सूत्रमें ही कुछ शब्द नहीं हैं।

२८०. पत्र : मणिलाल गांधीको

७ 'बिटेनसिंगल'

[केप टाउन]

फाल्गुन सुदी ३, [फरवरी २८, १९१४]

चि० मणिलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें दुःख होता है, यह मैं समझता हूँ। कोई पूछता है कि कैसे आये तो तुम्हें कारण बतानेकी हिम्मत नहीं पड़ती। "मेरा रहन-सहन पसन्द नहीं आया, इसलिए वापूने एकान्तमें रहनेके लिए भेज दिया है", ऐसा कहनेमें कोई दिक्कतकी बात नहीं है। बा की सेवा-टहलसे छुट्टी दी, अपने आरामकी परवाह किये बिना तुम्हें जानेकी अनुमति दी, यह सब अत्यन्त निर्मल प्रेमके कारण ही सम्भव हुआ होगा, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए। तुम्हारी सेवा-भावनासे अधिक मुझे तुम्हारे सदाचरणकी आकांक्षा है। तुम यदि सदाचरणसे न फिसले तो समझूंगा कि मुझे सब-कुछ मिल गया। बा को भी यही समझाता हूँ कि तुम्हारा जाना ठीक ही हुआ। पिछले चार दिनोंसे देख रहा हूँ कि भोजनकी मेजपर दिनमें तीन बार मांस परोसा जाता है। मैंने खानेका समय बदल दिया है और अपना खाना जल्दी खा लेता हूँ। मुझे कल मेजपर मांस देखना पड़ा, उससे मन, बहुत अकुलाया और मैं दुःखी हुआ। अब तो मैंने निश्चय किया है, जहाँतक हो सके, अपना [खानेका] समय उनके साथ रखूंगा ही नहीं। इसमें उनका दोष नहीं है। वे शुद्ध मनसे कहते हैं कि मैं अपने खानेका समय बदल लूँ। पहले मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी, जितनी अब होने लगी है। यह अच्छी निशानी है। और वे सब-कुछ पकाते हैं, इसमें उनका दोष नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ऐसी स्थितिमें नहीं डालना चाहता। मेरे साथ बा न हो तो मैं पकी हुई कोई चीज ही न खाऊँ। अब तो सब-कुछ पकाया जाता है। बन [मीठी मोटी रोटी] बनाया जाता है, मुरब्बा बनता है और मूँगफलीको भी पकाया जाता है। मैंने उपर्युक्त कारणोंसे तुम्हें [वहाँ] भेजा, सो बात नहीं। लेकिन वह सब देखकर लगता है, ठीक ही हुआ। जबतक श्री ऐंड्रयूज थे तबतक वे तुम्हारे लिए ढाल-स्वरूप थे, लेकिन तुम्हारी खातिर मांस न पकता, ऐसा सम्भव न होता। तुम्हारे जानेसे तुम्हारा हित ही है। बा की अथवा मेरी सेवा अगर तुम्हें करनी होगी तो तुम्हें वैसा अवसर अवश्य मिलेगा। तुम्हारी दृढ़ इच्छा होगी, तभी वह अवसर मिलेगा अथवा मैं अपने स्वार्थके वशीभूत होकर तुमसे सेवा करवा कर बिगाड़ना चाहूँ तब मिलेगा। दूसरा विकल्प न हो इसलिए

१. इस पत्रमें पेन्ड्यूजका जिक्र आया है उससे लगता है कि यह उनके २१ फरवरी, १९१४ को दक्षिण आफ्रिकासे रवाना होनेके बाद लिखा गया है। उस वर्ष फाल्गुन सुदी ३ को फरवरीकी २८ तारीख पड़ी थी।

तुम्हारे प्रयत्नोंपर ही सेवा निर्भर करती है। इस पत्रके रहस्यपर समझकर विचार करना। बापूपर रोष न करना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५०)से।
सौजन्य : राधाबेन चौधरी।

२८१. पत्र : खुशालचन्द गांधीको

[केप टाउन]

फाल्गुन सुदी ४, [मार्च १, १९१४]

आदरणीय श्री खुशालभाई,

मेरी बात मानकर आपने चि० जमनादासको भी भेज दिया है, इससे मेरी खुशीका कोई पार नहीं है। चि० जमनादास जिस उत्साहसे आया उसीसे जेल गया और वहाँ अपनी बहादुरी दिखाई। जेल जाते समय और जेलमें भी उसने जिस हिम्मत और सूझ-बूझका परिचय दिया है; वह पहली बार जेल जानेवाले व्यक्तियोंमें शायद ही मिले। मुझे अभी तो ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आता। जमनादासका व्यवहार तो ऐसा-कुछ रहा जैसे वह [जेलके कष्टोंका] अनुभव पहले कर चुका हो। इसका मतलब यह है कि उसने दूसरोंके अनुभवोंपर बारीकीसे ध्यान देकर उनसे शिक्षा ली है। कई लोग ऐसे होते हैं, जो जबतक स्वयं ठोकर न खा लें तबतक सीख नहीं पाते। परन्तु जमनादासमें मैंने दूसरोंके अनुभवसे सीख सकनेका गुण देखा है। अत्यन्त मनन-शील होनेके कारण वह थोड़ा ढुलमुल जरूर है, पर यह बात समयके साथ जाती रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। उसका स्वास्थ्य ठीक है।

उसके विवाहके सम्बन्धमें अभी कुछ कहनेके बदले अच्छा तो यह होगा कि हम जब मिलेंगे तभी चर्चा करें। आपके लिखनेका मतलब मैं समझ गया हूँ। सारी परिस्थितिका विचार करके ही जो करना ठीक होगा, करेंगे। मेरी समझमें आपकी अनिवार्य आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें नारणदास^१ पूर्ण समर्थ है। मेरा खयाल है, अपनी सेवाके लिए यदि आप किसी पुत्रको अपने पास रखना चाहें तो एक पुत्र काफी है। इस विषयमें भी हमारा साथ बैठकर विचार करना ही ठीक होगा। यदि यहाँ समझौता हो गया तो अप्रैलमें निकल पानेकी उम्मीद है। और यदि संघर्ष फिर छिड़ गया तो विचार करनेकी कोई बात ही नहीं रह जाती। उस हालतमें जमनादासको भी पूरी तरह संघर्षमें उतरना होगा। जमनादासके अन्तरमें जो रत्न भरे हैं उन्हें बाहर प्रकट करनेकी मेरी बड़ी अभिलाषा है। मैं देखता हूँ कि आपके सबके-सब पुत्र^२ अपने

१. श्री खुशालचन्दका तीसरा पुत्र।

२. जमनादासके अतिरिक्त छगनलाल, मगनलाल और नारणदास।

कुटुम्ब, समाज और जगतको सुशोभित करनेवाले हैं। इनमें भी कर्म-संयोगसे चि० जमनादास सबसे आगे निकलता दिखता है। कुदरतके नियमसे भी ऐसा ही होना चाहिए। जमनादास चारों भाइयोंमें छोटा है। मतलब यह कि जमनादासके जीवको आप दोनोंने जब आकर्षित किया उस समय आप दोनोंकी आत्मिक स्थिति विशेष परिपक्व हो चली थी। स्वाभाविक ही है कि जमनादासकी आत्मिक स्थिति भी वैसी ही हो। उसे अन्य तीनों भाइयोंकी अपेक्षा दूसरे अनेक विशेष अनुकूल संयोग भी प्राप्त हैं। खैर, पर यह सब तो मेरी कल्पनाएँ हैं। हमारा कर्त्तव्य तो यह है कि अपनी सन्तानमें जो-कुछ अच्छाई दीख पड़े उसे प्रेरित करके उसका विकास करें। शेष तो सारा उनके प्रारब्ध-योगपर आधारित है।

आपकी दोनों बहूएँ भी आपके लड़कोंकी ही तरह हैं। काशी^१ और संतोकसे^२ मिलकर मैं यह मानता हूँ कि अपने पूर्व पुण्योंके योगसे ही मैं ऐसे कोमल बच्चोंके सम्पर्कमें आया हूँ। ये सबके-सब मुझे सन्तोष देनेके लिए अथक प्रयत्न करते हैं। इन्होंने यहाँ मेरा काम बहुत ही सहल कर दिया है।

मेरे भाग्यका विशेष उत्कर्ष हुआ प्रतीत होता है कारण आदरणीय श्री काला-भाई^३ भी अपने पुत्रको मुझे सौंपना चाहते हैं। मैं भी जवाबदारियाँ लेनेसे हार मानने-वाला नहीं हूँ। और मेरा मन कहता है कि मुझे ईश्वरपर पूर्ण विश्वास है।

मोहनदासके दण्डवत्

[पुनश्चः]

चि० हरिलाल महीना-भर पहले आपके पास था; इसलिए उसके नामका पत्र^४ आपके पतेपर ही भेज रहा हूँ।

मोहनदासके दण्डवत्

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३७) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : नारणदास गांधी

२८२. पत्र : रावजीभाई पटेलको

केप टाउन

फाल्गुन सुदी ४, १९७० [मार्च १, १९१४]

प्रिय श्री रावजीभाई,

आपका पत्र मिला। नेपाल^५ मुक्त हो गया। उसकी पत्नी बड़ी कठोर है, यह मैं जानता हूँ। मृत्यु हमें अपने कर्त्तव्यकी ओर प्रेरित करती है और इस देहके प्रति

१ और २. क्रमशः छानलाल और मगनलालकी पत्नियाँ।

३. लक्ष्मीदास; गांधीजीके सबसे बड़े भाई।

४. देखिए "पत्र : हरिलाल गांधीको", पृष्ठ ३६१-६३।

५. एक गिरमिटिया भारतीय, जिसकी मृत्यु बीमारीकी हालतमें आग लगनेके कारण हुई थी।

लगभग तिरस्कार पैदा करती है। परन्तु मृत्युसे डरनेकी जरूरत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य जलकर मरता है तो भी अधिक [देर तक] दुःख नहीं भोगता। दुःख असह्य होते ही वह मूर्छित हो जाता है। जो लोग देहके प्रति विशेष आसक्त होते हैं, वे पीड़ाका अधिक अनुभव करते हैं। आत्म-तत्त्वको पहचाननेवाले लोग मौतसे नहीं घबराते। नेपालकी तरह हजारों लोग, हजारों जीव आज भी हर क्षण जल कर मर रहे होंगे। ब्रह्माण्डमें नेपालकी गिनती भी छोटे जीवोंमें समझिए। जब हम आग जलाते हैं या रातको दीपक उजालते हैं तब क्या नेपालसे भी बड़े कितने ही जीवोंके नाशका कारण नहीं बन जाते होंगे?

ब्रह्मा-जैसे किसी महान जीवकी कल्पना करिए। उसकी दृष्टिमें तो हम चींटीसे भी सूक्ष्म होंगे। उसकी आँखकी परिधि ही इतनी विशाल होगी कि हम उसे मच्छर-पिस्सूकी तरह दीख पड़ते होंगे। उसने नेपालको जला दिया तो क्या हुआ? और ऐसा उसने यही मानकर किया होगा कि नेपाल-जैसे क्षुद्र जन्तुओंको उस-जैसे महान् जीवके सुखके लिए जीवित जला देना चाहिए। हमारी दृष्टिमें नेपाल हमारे-जैसा ही प्राणी था, अतः हमें उसपर दया आती है और भय होता है कि कहीं हमारी गति भी ऐसी न हो। लेकिन हम जो दलील, उन चींटी, खटमल, मक्खी आदि असंख्य जन्तुओंके विषयमें बुद्धिमानीपूर्वक देते हैं, जिन्हें हम खाली आँखसे देख भी नहीं सकते, सम्भवतः विशेष बुद्धिवाला ब्रह्मा हमारे सम्बन्धमें ठीक वैसा ही मानकर व्यवहार करता होगा। यदि हम इतना समझ पायें तो नेपाल आदिकी घटनाओंसे हम नीचे लिखी सीख ले सकते हैं:

१. हम स्वयंपर दया करें और सारे प्राणियोंको अपने ही जैसा समझकर उनपर दया करें और अपने सुखके लिए किसी भी प्रकारकी हिंसासे बचें।
२. शरीरके प्रति आसक्ति न रखें और मृत्युका तनिक भी भय न मानें।
३. यह देह अत्यन्त क्षणभंगुर है, यही विचार करके इसी क्षण मोक्षके साधन जुटानेमें लग जायें।

यों कह जानेमें ये तीनों ही सूत्र बड़े सहज हैं, किन्तु मनन करनेपर ये कठिन हैं और मननके बाद इन्हें जीवनमें उतारना तो खाँड़ेकी धारपर चलने के समान है।

अभी सुबहका समय है। विचारोंका प्रवाह इसी धारामें बहता चला जा रहा है, क्योंकि वा फिरसे बीमार है और मैं उसे मृत्युके भयसे मुक्त करनेके प्रयत्नमें हूँ।

मोहनदासके यथायोग्य

[गुजरातीसे]

जीवननुं परोढ

२८३. पत्रका अंश^१

[केप टाउन
मार्च १, १९१४के आसपास]^२

. . . बच्चेको बचाया। वह बहुत चिन्ता करती है पर उससे लाभ क्या? यदि उसने गुस्सेको पचाया होता, थोड़ा भी विचार किया होता, देखा-भाला होता, तो यह विकट परिणाम न होता। हमें हर कार्यके बारेमें सोचना चाहिए और तब धैर्य-पूर्वक उसे करना चाहिए। ऐसा करें तो न हमें कोई धोखा दे सकेगा और न हम किसीकी देखा-देखी ही करेंगे और आगे बढ़ते चले जायेंगे। इसी प्रकार तुम भी दृढ़ बनोगे, तभी किसी प्रकारका पुरुषार्थ कर सकोगे। और तुम्हारा तो यह दुहरा फर्ज है, इसका भी खयाल रखो।

बा की तबीयतके बारेमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वह खटियासे उठ खड़ी हो, तभी समझो। आज तो वह उठकर बैठना भी चाहती है तो सहारेकी आवश्यकता होती है। प्रायः तो वह नीमका रस ही लेती है। कभी-कभी अंगूर या नारंगी का रस लेती है। पर है वह शान्त। तुम्हें सेवाका सुयोग नहीं मिलता इसकी चिन्ता नहीं करना। इन सबका बदला. . .

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५४) से।
सौजन्य : राधाबेन चौधरी

२८४. पत्र : हरिलाल गांधीको

[केप टाउन]
फाल्गुन सुदी ५ [मार्च २, १९१४]^३

चि० हरिलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे प्रत्येक पत्रमें क्षमा-याचना और अपने पक्षमें दलीलें, दोनों बातें रहती हैं। मुझे तो अब यह सब निरा ढोंग लगता है। वर्षोंसे तुम पत्र लिखनेमें आलसी रहे हो। और वर्षोंसे क्षमा भी मांगते चले आ रहे हो। क्या उम्र-भर तुम ऐसा ही करते रहोगे और मैं माफी देता रहूँगा? ऐसी माफीका क्या अर्थ

१. इसका मात्र-दूसरा पृष्ठ ही उपलब्ध है।

२. यह पत्र मार्च १, १९१४के आसपास लिखा गया जान पड़ता है। गांधीजीने श्री रावजीभाईको १ तारीखको जो पत्र (पिछला शीर्षक) लिखा था, उसमें नेपालकी मृत्युकी चर्चा है।

३. पत्रमें गांधीजीके कस्तूरबाके साथ केप टाउनमें होनेका उल्लेख है, इससे लगता है कि यह पत्र सन् १९१४में लिखा गया होगा।

है? माफी माँगनेवाला फिर वही गलती न करे, यही माफीकी सार्थकता है। मेरे माफ करते चले जानेका मतलब तो इतना ही हुआ कि तुम पुत्रका अपना फर्ज पूरा न करो तो भी मुझे तो पिताका फर्ज अदा करते ही रहना चाहिए। खैर; वह मैं वश-भर अदा करता ही रहूँगा। मैं तो अब यह भी नहीं मानता कि तुम हम दोनोंसे मिलनेके लिए बड़े अधीर हो रहे हो। तुम यहाँ आनेवाले थे, मुझे तो यह बात भी बनावटी लगती है। आनेमें क्या ढोल बजाने पड़ते हैं? और अब तो, जैसा तुम भी लिख रहे हो, आना व्यर्थ है। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे विचारोंमें बड़ा अन्तर है। तुम पुत्रकी दृष्टिसे जिसे अपना फर्ज समझते हो, मेरी समझमें वह उससे भिन्न है। अस्तु; तुम्हारा फर्ज क्या है, इसे समझनेका हक मुझे नहीं है। अपने निश्छल मनसे तुम जिसे फर्ज समझो, यदि उतना-भर करते जाओ तो भी मुझे सन्तोष होगा। और तुम्हारे कार्योंसे मैं या अन्य लोग भी यह जान सकेंगे कि तुम अपना फर्ज शुद्ध मनसे समझ पाये हो या नहीं। ऐसा लगता है कि तुमने मेरा फर्ज क्या है, इसपर भी विचार किया है और इसमें भी हमारी दृष्टि भिन्न है। पर मेरा फर्ज क्या है, इसे समझनेका अधिकारी तो मैं ही हो सकता हूँ। कुछ भी हो, तुम अपने विचार मुझपर प्रकट करते रहना।

तुम्हारे पत्रका जवाब मैंने नहीं दिया था। मुझे वह जेलसे छूटनेके बाद मिला। उसमें जो बातें थीं उनके सम्बन्धमें मैंने कार्रवाई कर ही दी थी। यानी मैंने रेवाशंकर-भाईको लिख ही दिया था कि वे तुम्हारे साथ चर्चा कर लें और जो-कुछ अधिक पैसा तुम्हें देना आवश्यक हो, दे दें।

चंचीके बारेमें तुम मेरी राय पूछते हो। अपनी पढ़ाईके सम्बन्धमें भी सलाह चाहते हो और दूसरी ओर तुम मेरी उन सारी शर्तोंको तोड़ते रहते हो जिनके पालनका तुमने मुझसे वादा किया था। मेरा तुम्हें यह आदेश था कि तुम अपने स्वास्थ्यको बिगाड़कर पढ़ाईमें न जुटो। पर तुम अपनी तबीयतको सम्हाल कर न रख सके। रामदास और मणिलाल तुमसे आगे निकल गये हैं। पर इसमें आश्चर्य ही क्या है? रामदासने तो बड़ी मेहनत की है और उसने शरीर भी अच्छा बना लिया है। मणिलालमें भी ताकत तो खूब है पर वह यदि दुष्ट विषय-वासनामें आसक्त न होता तो विशेष ताकतवर बन पाता। मेरे खयालसे तुम्हारी अपेक्षा इन दोनोंकी पढ़ाई भी अधिक हो गई है। तुम्हारा मन अब बम्बई जानेपर तुला है। और इसमें रेवाशंकर-भाईकी भी सम्मति है, ऐसा लिख रहे हो। पर इस सम्मतिका मेरी दृष्टिमें कोई मूल्य नहीं है। यदि हीरेकी परखकी बात होती तो मैं उसे शिरोधार्य करता पर पढ़ाईके सम्बन्धमें उनकी बात मैं कैसे मान लूँ? मुझे लगता है, तुम बड़ी गफलतमें हो। ऐसी हालतमें मैं क्या करूँ? तुम्हें डावरकी पढ़ाई ही जँचती है, यह देखकर मैं तो दंग रह जाता हूँ। और मैट्रिकुलेशनकी परीक्षा पास करके कौन-सा गढ़ जीत लोगे? मैं तो यह भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। मेरी सलाह तो यह है कि जरा धीरजके साथ सोचो। मैं आता हूँ तबतक रुको। इस बीच जो पढ़ना हो पढ़ो, पर नया कुछ न करो। बादमें जो चर्चा करनी हो मेरे साथ भी कर लेना।

तुम्हें यदि अपनी मर्जीके मुताबिक ही पढ़ाई करनी है तो तुम्हें चंचीको मेरे पास रखना होगा और तुम्हें मुझसे अलहदा रहना होगा। तुम्हारी आवश्यकताओंकी पूर्ति मैं करूँगा। चंचीकी चिन्ता तो तुम तब करना जब कमाने लगो। और यदि तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो मेरे साथ रहो और मेरे दाहिने हाथ बनो। इन सब बातोंके बारेमें तुम स्वयं सोचना। मेरी इच्छा क्या है, इसका जरा भी विचार न करना। मेरी जो राय है उसकी दूसरी सलाहोंके साथ तुलना करके जैसा ठीक जँचे करना। तुम्हारे प्रति मैं एक शंकित पिता हूँ। तुम्हारे लक्षण मुझे जरा भी पसन्द नहीं हैं। मुझे इसमें भी शंका है कि तुम्हारा हम लोगोंके प्रति प्रेम है। यह बात अत्यन्त कठोर है, परन्तु तुम्हारे पत्रोंमें मुझे बड़ी कृत्रिमता लगती है। यदि इसमें मुझसे कहीं गलती हो रही है तो मैं कुक्षेत्रमें हूँ, ऐसा समझ कर और श्रवणने जिस प्रकार अपने माता-पिताके प्रति उदारताका बरताव किया था, उसी प्रकार तुम भी मुझे क्षमा कर देना। साधारण बालक भी माँ-बापके प्रति अपना स्नेह किसी-न-किसी रूपमें तो व्यक्त करते ही हैं, पर तुममें तो स्नेहका नाम भी नहीं है। और तो भी मैं एक ऐसा गुमानी बाप हूँ कि अपने बच्चोंमें पूर्णत्वकी प्रतिष्ठा किये बैठा हूँ। सचमें यह भूल है, मोह है। पर यह छोड़कर . . . पूर्ण नहीं की . . .। तुमने वादा किया था, फिर भी पिछले वर्षके परीक्षा-सम्बन्धी कागजात तुमने नहीं भेजे। इस वर्षके भी भिजवाने हैं, इतना याद रखनेका कष्ट भी तुमने नहीं किया। तुम्हें पत्र लिखते हुए मुझे क्रोध आने लगता है और रोना भी। मेरा ऐसा अज्ञान है, मूढ़ावस्था है। मुझे तुम्हारे प्रति इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अवश्य ही मैं इससे मुक्त हो सकूँगा, पर जबतक नहीं हो पाता, मुझे निबाह लेना।

अब तुम्हारे लिए इतनी सीख बहुत हो चुकी। और नहीं लिखूँगा। मुझे अपना मित्र समझकर तुमने मेरे प्रति मित्रभाव रखा तो भी काफी होगा। मेरी तो यही इच्छा है कि तुम्हारा चरित्र सुधरे और तुम अपनी आत्मोन्नति कर सको।

सम्भवतः मैं वहाँ अप्रैलमें आ सकूँ। अभी तो केप टाउनमें हूँ। बा मेरे साथ ही है। वह तो जीवन और मरणके बीच पड़ी है। कलतक तो तबीयत बहुत ही खराब थी। आज फिर कुछ सुधरी है। शरीर पिंजर-मात्र रह गया है। मुझे किसी भी प्रकारका कष्ट तो नहीं देती; पर उसका जीभपर काबू अभी तक नहीं हो पाया है, उसीसे पिसती है और कष्ट भोगती है। सारा दिन उसीकी खटियाके पास बैठा रहता हूँ। आज और कल दो दिनोंके बीच दो टमाटरका रस और एक चम्मच [जैतूनका] तेल पेटमें गया होगा।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५४३) की फोटो-नकलसे।

१. यहाँ मूल सत्रमें ही कुछ शब्द नहीं हैं।

२८५. पत्र : सर बेंजामिन रॉबर्टसनको

७, बिटेनसिंगल

केप टाउन

मार्च ४, १९१४

प्रिय सर बेंजामिन,

श्री पोलककी टिप्पणीको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद उन तरीकोंका उल्लेख कर देना उचित होगा जिनसे कई मामलोंमें राहत दी जा सकती है।

प्रवास : सम्बन्धित कानूनके अमलको नरम बनाकर राहत दी जा सकती है; क्योंकि सभी प्रान्तोंपर एक ही कानून लागू होता है। और यह राहत विनियमोंको इच्छित दिशामें संशोधित करके दी जा सकती है। अन्तरप्रान्तीय आवागमन और यात्रा-अनुमतिपत्र केवल माँगनेसे ही मिल जाने चाहिए। इसके लिए कुछ न लिया जाये और यदि लिया ही जाये तो बहुत थोड़ा; लागत-मात्र ले लेनेके विचारसे उसपर एक शिल्लिंगके टिकटसे अधिक नहीं लगना चाहिए।

ट्रान्सवाल प्रमाणपत्रोंकी तरह शिनाख्तके प्रमाणपत्र भी सावधिक न होकर स्थायी होने चाहिए। इन मामलोंमें ट्रान्सवालको अन्य प्रान्तोंसे अधिक सुविधा क्यों होनी चाहिए?

बच्चोंको वापस करने और उनके लौट जानेका प्रश्न निश्चित रूपसे तय होना चाहिए।

जिन पत्नियोंको प्रशासनिक तरीकेसे प्रवेश मिल सकेगा उनसे क्या प्रमाण चाहिए, यह स्पष्ट कर दिया जाये। वैसे तो, यह जरूरी है कि विनियमोंकी एक-एक धारा श्री जॉर्जसके साथ देखी जानी चाहिए और फिर उनपर जनरल स्मट्सके साथ विचार किया जाना चाहिए।

विक्रेता परवाना : यह एक जटिल प्रश्न है। तीन प्रान्तोंमें तीन भिन्न-भिन्न प्रकारके कानून हैं और उनपर सीधे संघ सरकार द्वारा अमल नहीं कराया जाता। अंशतः उनका नियन्त्रण प्रान्तीय सरकारोंके और अंशतः नगरपालिकाओंके हाथमें है। प्रत्येक नगरपालिकाकी अपनी रीति है और उप-नियम हैं। अधिकसे-अधिक यह किया जा सकता है कि सरकार उत्तरदायी संस्थाओंके नाम एक विज्ञप्तिपत्र दे जिसमें सब धान बाईस पैसेरीकी नीति अपनाएके खतरोंके प्रति चेतावनी हो। यह तरीका सफलतापूर्वक स्वर्गीय एस्कम्बने^१ अपनाया था। १८९६ का नेटाल परवाना कानून इन्हींके द्वारा प्रणीत हुआ था। किसी भी दिन यदि संघ प्रशासनका रुख सुधरता है तो यह बात स्थानीय प्रशासनकी निगाहमें आये बिना नहीं रहेगी।

१. सर हैरी एस्कम्ब (१८३८-९९); प्रमुख वकील, जिन्होंने गांधीजीके नेटालके सर्वोच्च न्यायालयके वकील संघमें प्रवेश पानेकी वकालत की। वे १८९७ में कुछ महीनोंके लिए नेटालके मुख्यमंत्री थे।

ट्रान्सवालके स्वर्ण-कानून : यदि संघ सरकार “निहित अधिकारों” को जो अर्थ मैन दिया है उसे स्वीकार कर ले तो वह इसमें निश्चित रूपसे राहत दे सकती है; वह अपने खरीतोंमें उसे मान्यता देनेका वायदा भी कर चुकी है। “निहित अधिकारों” का अर्थ मैं भारतीय और उसके वारिसका उस नगरमें, जिसमें वह स्वयं भी रहता है और व्यापार करता है, रहने और व्यापार करनेका अधिकार समझता हूँ; भले ही वह उस क्षेत्रके भीतर अपने निवास या व्यापारका स्थान कितनी ही बार क्यों न बदले।

ट्रान्सवालका १८८५ का कानून : सरकार बिना किसी आशंकाके आसानीसे कानूनमें निर्धारित बस्तियों या बाड़ोंमें स्वामित्वके अधिकारका लाभ देकर कानूनके अमलको नरम, बल्कि न्यायोचित बना सकती है। इस सम्बन्धमें मेरे विचारसे सरकारका पुरानी बस्तियोंको समाप्त कर देना बहुत ही खतरनाक बात होगी।

शिक्षा : सरकार द्वारा इस मामलेकी दुःखद उपेक्षा की गई है। नेटालके स्कूल निकम्मे हैं और केप और ट्रान्सवालमें जो थोड़े-बहुत स्कूल हैं वे भी किसी कामके नहीं हैं। देशी भाषाओंकी उपेक्षा की जा रही है और भारतीय अभारतीय बन रहे हैं; वे ठीक तरहसे यूरोपीय भी नहीं बन पाते।

भावी प्रवेश : समाजकी जरूरतोंके लिए आवश्यक नये लोगोंकी प्रवेश-संख्या अभी तक सिवाय ट्रान्सवालके और कहीं निर्धारित नहीं की गई है। मैंने संघके लिए कमसे-कम ४० का सुझाव दिया है। यह पिछले पाँच वर्षोंके औसतसे कहीं कम है।

इन मुद्दोंमें से प्रत्येक सत्याग्रह घोषणाके ५वें खण्डके अन्तर्गत आ जाता है। उन्हें आयोग नहीं निपटा सकता। परन्तु मेरी नम्र रायमें उन्हें निपटानेका सबसे अच्छा तरीका होगा आप और जनरल स्मट्समें उनपर पूरी बातचीत। दक्षिण आफ्रिकाके प्रश्नके बारेमें, यदि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय और वाइसराय सच्ची शान्तिका अनुभव करना चाहते हैं तो, हमारे पक्षमें भारत सरकारको अपना पूरा जोर लगाना होगा।

इस पत्रकी एक नकल मुझे भेजनेकी कृपा करें। मेरे पास यहाँ कोई टाइप करनेवाला नहीं है।

आपका,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी नकल (एस० एन० ५९४५ और ५९५४) की फोटो-नकलसे।

२८६. पत्र : मणिलाल गांधीको

[केप टाउन]

बुधवार, फाल्गुन सुदी ७ [मार्च ४, १९१४]

चि० मणिलाल,

तुम्हारा खत मिल गया है। पानीका डिब्बा खो जानेकी बात तुम्हें मुझसे छिपानी नहीं थी। मैं ऐसी [छोटी-छोटी] बातोंका भी कितना ध्यान रखता हूँ, उसपर विचार करना और उससे सबक लेना। लेकिन सीख तो तुम तभी पाओगे जब मेरे सामने अपना हृदय खोल कर रख दोगे। जबतक एक क्षणके लिए भी अपनी भूल तुम मुझसे छिपाओगे तबतक तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यह समझो कि छिपाना असत्यका रूप है और असत्य शरीरमें जहरके समान है। [जहर] किसी वस्तुमें विद्यमान अच्छे तत्वोंको भी जहरमें बदल देता है। दूधमें तिलभर भी संखिया मिल जाये तो दूध पीने लायक नहीं रहता। हमेशा सवेरे चार बजे उठनेका आग्रह रखना। सर्दी हो तो घरमें रहो। खूब वस्त्र पहनो लेकिन उठो जल्दी; सो जाओ चाहे जितनी जल्दी, उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं।

खानेमें, तीन वक्त खानेकी आवश्यकता महसूस हो तो तीन वक्त खाओ। भोजन [के परिमाण आदि]को प्रतिबन्धित करनेकी [उतनी] जरूरत नहीं है। भोजनमें क्या लेना है क्या नहीं, इस सम्बन्धमें संयम काफी है।

बा की तबीयत आज कुछ अच्छी है। लेकिन अभी हालत गम्भीर है; और वह बिस्तरपर पड़ी है। श्रीमती गुल और उनके बच्चे बहुत मदद करते हैं।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १५००) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

२८७. पत्र : देवदास गांधीको

[केप टाउन]

फाल्गुन सुदी ८, १९७० [मार्च ५, १९१४]

चि० देवदास,^१

तुम अपने अक्षर सुधारो। बा की तबीयत फिलहाल तो बहुत खराब है। डॉक्टरी दवासे उसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा हम दोनोंका ही खयाल है। वैसे डॉक्टरी इलाज किया जाये, यह उसीकी इच्छा थी। पर दो-तीन खुराक दवा पीनेके बाद ही बीमारी बढ़ गई। अब तो कुछ खाया ही नहीं जाता। और आखिर मृत्यु

१. गांधीजीके सबसे छोटे पुत्र।

ही हो जाये तो हमने तो उससे भयभीत न होनेका निर्णय कर लिया है। सो चिन्ता तो करनी ही नहीं है। यह देह तो नाशवान ही है। और फिर नष्ट भी उसी दिन होता है जिस दिन उसे होना है। और हमें इलाज आदि भी तदनुसार सूझते हैं। फिर आत्मा तो अमर है। वैसे यद्यपि हम लोग सम्बन्ध तो शरीरका ही रखते जान पड़ते हैं तथापि सच्चा सम्बन्ध तो आत्माके प्रति ही होना चाहिए। शरीर ज्यों ही निर्जीव हुआ कि हम उसे घड़ी-भरके लिए भी सँजोकर नहीं रखना चाहते, यह तो देखी-भाली बात है। यही सोच-समझकर और बाके शरीरके लिए सारी खटपट कर चुकनेके बाद मैं तो निश्चिन्त हो गया हूँ और तुम सब भी निश्चिन्त बन जाओ, यही चाहता हूँ। शरीरके इस अवश्यम्भावी परिणामको जानकर हमें साधु-वृत्ति और उदासीनता अपनानी चाहिए। साधुताके मानी स्थूल वैराग्य या संसारमें भटकना नहीं है। इसका सम्बन्ध तो चरित्रकी शुद्धताके साथ है। और उदासीनताका मतलब भी दिलगीरी नहीं बल्कि उसका सही अर्थ है विषयोंके प्रति तिरस्कार और संसारके प्रति निर्मोह। बाकी बीमारीसे तुम सभीको यह सीख मिल सके तो यह बाके प्रति तुम्हारी सच्ची भक्तिका प्रतीक होगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

जीवननुं परोढ

२८८. पत्र : सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनको

केप टाउन

मार्च ६, १९१४

प्रिय सर बेंजामिन,

आप सहपत्रसे देखेंगे कि सर्लके फैसलेसे जिन परिणामोंके निकलनेकी आशंका थी वे सरकारके इस कदमसे ही सामने आते जा रहे हैं। मूल मामला 'इंडियन ओपिनियन'में प्रकाशित हुआ है। परन्तु मैं आपको 'प्रिटोरिया न्यूज'की कतरन भेज रहा हूँ। मैं सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेका इन्तजार कर रहा था। जैसा कि आप देखेंगे, इसकी माँग सरकारकी ओरसे की गई थी। अब सबसे बड़ी अदालतने निचली अदालतके फैसलेको उलट दिया है और हकीकतमें जो एक-पत्नी विवाहके बच्चे हैं उन्हें कानूनन अवैध और इसलिए निषिद्ध प्रवासी घोषित कर दिया है। अब ऐसे बच्चों और उन पत्नियोंके बच्चोंको, जिन्हें प्रशासनिक रूपसे संघमें प्रवेश करनेकी अनुमति दी जानी है,

१. यहाँ प्रवासी अधिकारी बनाम मुहम्मद हसनके एक मामलेका उल्लेख है जो ११-२-१९१४ और ११-३-१९१४ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ था। इसमें यह फैसला किया गया था कि बहुविवाह प्रथाके अन्तर्गत संघसे बाहर सम्पन्न विवाहकी सन्तानको १९१३ के कानून २३ खण्ड ५ (छ) की रूसे छूट नहीं मिल सकती, इसलिए वह एक निषिद्ध प्रवासी है।



प्रस्तावित समझौतेमें संरक्षण दिया जायेगा। इस मामलेपर गौर करनेकी कृपा करें और इतना करवा दें कि समझौता होने तक बच्चेका निर्वासन न हो। चूंकि मैं आपको लिख रहा हूँ इसलिए इस मामलेमें सरकारको खुद कुछ नहीं लिखूंगा।

अपने इस तथा पहले पत्रकी^१ प्रतियाँ भेज सकें तो बड़ा अनुग्रह हो।

आपका,

मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी पत्रकी नकल (एस० एन० ५९४६ और ५९५४) की फोटो-नकलसे।

२८९. पत्र : रावजीभाई पटेलको

केप टाउन

फाल्गुन सुदी १० [मार्च ७, १९१४]

प्रिय श्री रावजीभाई,

आपके पत्रको मैंने बार-बार पढ़ा। शंकराचार्यका एक श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि समुद्रके किनारे बैठकर कोई घासके तिनकेसे समुद्रका पानी उलीचना चाहे तो इसके लिए उसे कितना धैर्य और समय चाहिए; ठीक उतना ही समय और धैर्य मनको मारनेमें यानी मोक्षकी प्राप्तिके लिए आवश्यक है। लगता है, आप उतावले हो चले हैं।

वैसे मृत्युके भयसे तो मैं भी मुक्त नहीं हो पाया हूँ — यद्यपि मैंने इस सम्बन्धमें बहुत चिन्तन किया है। पर तो भी मैं अधीर नहीं हुआ हूँ। मैं सतत प्रयत्नमें हूँ और अवश्य ही किसी दिन मुक्त हो जाऊँगा। प्रयत्नका एक भी सुअवसर आप हाथसे न जाने दें। हमारा यही कर्तव्य है। परिणामकी इच्छा या प्राप्ति तो प्रभुके अधिकारकी बात है। और इसलिए यह बखेड़ा क्यों? बच्चेको दूध पिलाते समय माता उससे होनेवाले परिणामका विचार नहीं करती, पर तो भी उसका परिणाम तो होता ही है। मृत्युके भयको दूर करनेके लिए — मनोविकारोंको नष्ट करनेके लिए — प्रयत्न करना चाहिए और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। ऐसा करनेसे वे दूर हो जायेंगे। नहीं तो वह बात चरितार्थ होगी कि बन्दरका स्मरण न करनेके प्रयत्नमें उसका खयाल बना ही रहा।

हम लोग पाप योनिसे उत्पन्न हुए, और पाप कर्मोंके परिणामस्वरूप ही देहाधीन हुए हैं। आप यह सारा मल पल-भरमें कैसे धो डालनेकी अपेक्षा करते हैं!

सुगम पड़े उस ढंगसे रहो।

जैसे-तैसे प्रभुको लहो ॥

१. इनकी टाइप की हुई प्रतियाँ बादमें सर बेंजामिनने भेजी थीं।

अखाभगतने^१ ऐसा उपदेश दिया है। तुलसीदास भी कहते हैं कि संकट हो या न हो पर राम-नामका जप निरन्तर जारी रखो। ऐसा करनेसे ही हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। और हमें जो स्वार्थ सिद्ध करना है वह यही [ईश्वरकी प्राप्ति] है। अतः जप निरन्तर चलता रहे। और राम कौन है, यह तो हमें स्वयं सोचकर निर्णय कर लेना है। राम तो निरंजन है, निराकार है। राक्षसी वृत्तियोंका समूहरूपी जो रावण है, दैवी वृत्तियोंके अनेक शस्त्रों द्वारा उसका संहार करनेवाली शक्ति ही राम है। इस शक्तिकी प्राप्तिके लिए स्वयं रामको भी १२ वर्षकी तपश्चर्या करनी पड़ी। अस्तु; आप मन और तन दोनोंको एक क्षणके लिए भी निष्क्रिय न रहने दें। दोनों ही को उत्साहपूर्वक कार्यमें लगाये रहें, इसीसे सारे उपद्रव शान्त हो जायेंगे। बाकी प्रभुपर तो दृढ़ विश्वास बनाये ही रखना चाहिए। मुझपर भरोसा करनेमें तो कोई साहस नहीं है। यह तो तभी काम आ सकता है जब आप ऊपर जो-कुछ कहा गया है, उसे जीवनमें उतारें।

हृदय पवित्र होना चाहिए। विकारेन्द्रियोंसे विकारको बचानेका उपाय यही है। पर हृदय है क्या चीज? इसे पवित्र कब माना जाये? हृदय स्वयं आत्मा है; या आत्मा का स्थान है। इसका पवित्र हो जाना ही आत्मज्ञानकी प्राप्ति है। इसके पवित्र हो जानेपर इन्द्रियोंके विकार आदि ठहर ही नहीं सकते। लेकिन साधारण रूपमें हम ऐसा मानते हैं कि हृदयको पवित्र करनेका प्रयत्न करना ही हृदयका पवित्र हो जाना है। मुझे आपसे स्नेह है, इसका मतलब इतना ही हो सकता है कि मैं इस स्नेहको बनाये रखनेमें प्रयत्नशील हूँ। प्रेमकी वृत्ति यदि अखण्ड हो जाये तब तो मैं ज्ञानी ही हो गया। पर मैं ज्ञानी तो नहीं हो पाया हूँ। जिस-किसी व्यक्तिके प्रति मेरा सच्चा प्रेम होगा, वह मेरे कथन अथवा हेतुके अर्थका अनर्थ कदापि नहीं करेगा। और वह मेरी उपेक्षा तो कर ही नहीं सकेगा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि कोई मनुष्य हमें अपना शत्रु मानता है तो इसमें सर्वप्रथम दोष तो हमारा ही है। यह बात गोरोंके साथ हमारे जो सम्बन्ध हैं, उनपर भी लागू होती है। इसलिए पूर्ण रूपसे हृदयकी पवित्रता तो अन्तिम स्थिति—चरम स्थिति है। इस बीच ज्यों-ज्यों हमारी अन्तरकी पवित्रतामें वृद्धि होगी, विकारोंका शमन होता जायेगा। इन्द्रियोंमें तो विकार है ही नहीं।

“मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः।”^२

इन्द्रियाँ तो मनोविकारकी अभिव्यक्तिके स्थान हैं, उन्हींके जरिये हम मनो-विकारोंको पहिचान पाते हैं।

१. १७ वीं शताब्दीके रहस्यवादी गुजराती कवि; इनकी कविता अपने व्यंग्यके लिए प्रसिद्ध है। उद्धृत पंक्तियाँ मूलमें इस प्रकार हैं:

सुतर आवे तेम तुं रहे;

जेम तेम करीने हरिने लहे ।

कहनेका अभिप्राय कदाचित् यह है कि जीवन-यापनके साधन जुटानेके लिए बहुत झंझट न करो; अधिकसे-अधिक सरल जीवन-पद्धति अपनाओ; किन्तु प्रभुकी प्राप्तिकी दिशामें निरन्तर जागृत रहकर साधना करो।

२. मन ही मनुष्यके बन्धन अथवा मोक्षका कारण है।

मतलब यह हुआ कि इन्द्रियोंका नाश करनेसे मनोविकार नष्ट नहीं हो जाते। हिजड़ोंको देखिए, उनमें मनोविकारोंकी कमी नहीं होती। जो जन्मसे ही नपुंसक हैं, वे भी वासनाग्रस्त रहकर अनेक कुकर्म करते हुए देखे जाते हैं। मेरी घ्राणशक्ति मन्द है, परन्तु सुवासके लिए तो मन होता ही है। जब कोई गुलाब आदि किसी फूलकी बात करता है तो गधेकी तरह यह मन उसी ओर खिंच जाता है और तब बड़ी जोर-जबरदस्तीके बाद काबूमें आ पाता है।

ऐसे मनुष्योंके उदाहरण सुननेमें आये हैं जिनका अपने मनपर काबू नहीं—पर जिनकी विचारशक्ति बड़ी तीव्र थी। निदान उन्होंने इन्द्रिय-छेदन कर दिया। सम्भव है ऐसी परिस्थितिमें वही करणीय हो। मेरा मन चंचल हो उठे और अपनी बहनपर ही मैं कुदृष्टि डाल दूँ किन्तु इतना कामदग्ध होकर भी एकदम विमूढ़ न हो गया होऊँ तो ऐसे प्रसंगमें बचनेका कोई दूसरा उपाय न होनेपर मुझे लगता है, इन्द्रिय-छेदन कर डालना ही सम्भवतः पवित्र कार्य हो। लेकिन धीरे-धीरे प्रगति करनेवाले मनुष्यका यह हाल नहीं होता। यह तो उसीके लिए सम्भव है जिसके मनमें एकाएक तीव्र वैराग्य पैदा हो उठा हो और जिसका पिछला जीवन अच्छा न रहा हो। विकार उत्पन्न ही न हों और न इन्द्रियाँ चंचल बनें, इसके लिए किसी तत्काल-परिणामी उपायकी खोज ऐसी ही है जैसे बंध्याके द्वारा पुत्रकी चाह करना। यह कार्य तो बहुत समय तक धैर्यपूर्वक साधना करनेसे ही सध सकता है। तत्काल होनेवाली मनःशुद्धि तो वैसी ही है जैसे जादूका आम—जो केवल देखने-भरके लिए होता है, हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि मन पवित्र बन जानेकी स्थितिमें हो और व्यक्ति संत-समागम-रूपी पारसमणिकी तलाशमें रहे तो उसका स्पर्श पाते ही उसे अपने पवित्र स्वरूपका दर्शन हो जाये और अपवित्रता तब बीते-स्वप्नकी स्मृति-जैसी लगने लगे। पर इसे तत्काल या चटपट हो जाना नहीं कहा जा सकता। परन्तु जिसे साधारण उपाय कहा जाये और जो सहज यानी तात्कालिक भी माना जा सकता है, वह यह है:

एकान्त सेवन, सत्संगकी खोज, सत्कीर्तन, सद्वाचन, शरीरको लगातार परिश्रम-रत रखना, अल्पाहार, फलाहार, अल्प निद्रा, और भोग विलासका त्याग—जो व्यक्ति यह सब कर सकता है, उसे मनोराज्य हस्तामलकवत् सहज ही प्राप्त है। इतना करते रहना चाहिए और दूसरे उपायोंकी तलाशमें रहना चाहिए। जब-जब मनोविकार सिर उठाये तब-तब उपवास आदि व्रतोंका पालन करना चाहिए। . . . का काम तो रावणकी प्रवृत्तिका-सा था। उसने तपश्चर्या करके राक्षसी-वृत्ति उपलब्ध की। रामचन्द्रने तपश्चर्या करके दैवी-वृत्तिका सम्पादन किया। इस प्रकार क्रिया एक-सी हो तो भी हेतुकी भिन्नताके कारण भिन्न-भिन्न फल प्राप्त होते हैं।

खेतका काम यदि ठीक ढंगसे न चल रहा हो और उसमें तुम्हारा ही दोष नजर आता हो तो उसे हाँसलेके साथ दूर करो। तुम लोग जो बड़ी उम्रके हो—बालकोंकी जीवनपद्धति तुम्हारे ही रहन-सहनपर आधारित है।

१. यहाँ साधन-सूत्रमें ही कुछ अंश छोड़ दिया गया है।

इसे नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जैसी याचना होगी वैसे ही देव हमें प्राप्त होंगे। तुलसीदासन रामकी मांग की इसीलिए कृष्ण श्री राम बने। और लक्ष्मीजी सीता। मगनभाईकी खाँसी दूर करो, उसके कारणकी खोज करो।^१

मोहनदासके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महात्मा गांधीना पत्रो और जीवनना श्ररणा

२९०. पत्र : मगनलाल गांधीको

७, बिटेनसिगल

रविवार, फाल्गुन सुदी १०, [मार्च ८, १९१४]^२

चि० मगनलाल,

आशा है, तुम श्री ऐंड्र्यूजको ४४ सिटी रोड, बरमिघमके पतेपर 'इंडियन ओपिनियन' की छः प्रतियाँ भेजते जा रहे हो। अगले अंकके बाद उन्हें ये छः प्रतियाँ उनके शान्ति-निकेतन, बोलपुर, बंगालके पतेपर भेजना। श्री पियर्सनको उसी पतेपर एक प्रति भेजना ठीक होगा।

नेपालके जल मरनेके सम्बन्धमें मैंने कुछ-एक विचार रावजी भाईको लिखे हैं। वह पत्र तुमने न पढ़ा हो तो पढ़नेके लिए माँग लेना।

हमारे साथ [भारत] जानेवाले व्यक्तियोंकी सूची संलग्न है। वे सबके-सब साथ जायेंगे अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। जिन व्यक्तियोंके सामने प्रश्न-चिह्न लगाया है उनके सम्बन्धमें निश्चय करना बाकी है। मैंने कुप्पुको लिखा है। तुम उससे फिर कहना कि वह अपने पितासे पूछकर निश्चित करे। छगनलालके साथ सलाह करना। इस सूचीमें सम्भवतः और नाम भी जोड़े जायें। जिन नामोंके आगे मैंने प्रश्न-चिह्न लगाया है उनके अतिरिक्त सभीके बारेमें मैंने तय कर लिया है। मैं जानता हूँ कि यह सब बालूकी भीत खड़ी करनेके समान होगा। सम्भवतः समझौता न हो और अन्य अनेक घटनाएँ भी घट सकती हैं। फिर भी, यदि समझौता हो तो हमें तुरन्त प्रस्थान कर देना है। इसकी पूरी तैयारी कर रखना आवश्यक है। केलेका आटा यहाँ बनाया जाता है। इसके लिए यहाँ पर्याप्त सुविधाएँ हैं और केले भी मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि रास्तेके लिए केलेके आटेके बिस्कुट होनेपर किसी अन्य चीजकी आवश्यकता नहीं रहेगी और यदि केले न हों तो भी हम काम चला सकते हैं। सबके

१. अन्तिम चार अनुच्छेद जीवननुं परोढसे लिये गये हैं, जिसमें यह पत्र दो भिन्न तिथियोंके अन्तर्गत दो हिस्सोंमें दिया गया है।

२. यह पत्र श्री सी० एफ० ऐंड्र्यूजके दक्षिण आफ्रिकासे रवाना होनेके बाद लिखा गया था। फाल्गुन सुदी १० जिस दिन पढ़ी थी उस दिन शनिवार था; लेकिन यहाँ रविवारका उल्लेख है; इसलिए यहाँ जो अंग्रेजी तारीख दी जा रही है वह वारके अनुसार दी जा रही है, तिथिके अनुसार नहीं।

लिए टाटके बिछावन तैयार करवा लेने चाहिए। वे देशमें भी काम आयेंगे। इसलिए उन्हें सीकर और घोकर तैयार रखना चाहिए। उनके किनारे भी सी लिये जायें। [प्रत्येकके लिए] ऐसे दो बिछावन हों तो और भी अच्छा। एक नीचे और दूसरा ऊपर बिछाया जा सकता है। और यदि इन्हें किसी रंगसे रंगा जा सके तो बहुत अच्छा हो; इसपर विचार करना। पानीके लिए मैं जो कलसा लाया हूँ उस तरहके बहुत-से कलसे हमें चाहिए। हमारे पास जैतूनके तेलके [खाली] डिब्बे पड़े हैं, यदि उनकी मरम्मत करवाकर ढक्कन लगा दिये जायें तो शायद सस्ता पड़े। ये इस तरह बनवाये जायें कि उनका देशमें भी इस्तेमाल किया जा सके। कम्बल तो सबके लिए होंगे ही। [प्रत्येकके लिए] कमसे-कम दो और अधिकसे-अधिक तीन कम्बल होने चाहिए। [अपने पास] भारी सामान रखना व्यर्थ है। मैं चाहता हूँ कि [जहाजसे] प्रत्येक लड़का देशमें स्वदेशी पहरावेमें उतरे। छोटे बच्चोंको एक लुंगी, एक कुर्ता तथा हमारे पास मखमलकी जैसी गोल टोपी है वैसी टोपी पहननी चाहिए तथा अन्य लोगोंको धोती, कुर्ता और टोपी। तुम जैसे बड़े लड़कोंको साफा और अंगरखा पहनना चाहिए। लेकिन इसपर तुम्हें खुद विचार करना चाहिए। मेरे ही विचारोंके अनुरूप करनेकी खास जरूरत नहीं है। मैं लड़कोंके लिए जूतोंकी जरूरत महसूस नहीं करता। फिर भी चप्पलें हों तो उन्हें रख सकते हैं; नई चप्पलें नहीं बनवानी चाहिए। लेकिन इसपर मेरा आग्रह नहीं है। उसपर भी विचार करना। प्रत्येक [लड़का] दायें हाथसे भोजन करना सीख ले तथा जमीनपर पलथी मारकर बैठ सके तो अच्छा हो। यह सब देशमें जाकर सीखना तो उचित न होगा। थाली भी गोदमें न रखें। यह सब [नियम] हमारे साथ आनेवालोंपर लागू होते हैं। सब लोगोंके जमीनपर बैठकर भोजन करनेमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करोगे तो तुम्हें दिनमें तीन बार गीले कपड़ेसे फर्श भी पोंछना होगा। लेकिन यह उचित ही होगा। इसपर भी विचार करना। बड़ोंका कैसे सम्मान किया जाता है, यह भी सीख लेना चाहिए। हम जो काम छोटे बच्चोंसे करवाना चाहते हैं वह हमें स्वयं करके दिखलाना पड़ेगा। आरम्भमें कुछ कठिनाई होगी, लेकिन वह उठाई ही जानी चाहिए। उन्हें पवित्र और अपवित्रमें भेद करना आना चाहिए। अपने भारत जाने या न जानेकी परवाह किये बिना हमें सब आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए। हमने लड़कोंके लिए पाखानोंमें इस्तेमाल किये जानेवाले कागज कुछ दिनोंके लिए बन्द कर दिये थे पर बादमें ढीले पड़ गये। इनका इस्तेमाल अब फिरसे बन्द कर देना ही ठीक जान पड़ता है। बड़े लड़कोंको, धैर्यपूर्वक इन परिवर्तनोंका उद्देश्य समझाना चाहिए। उन्हें बम्बई प्रदेशकी भौगोलिक स्थितिकी जानकारी भी होनी चाहिए। स्टीमरसे ही धोती पहननेका अभ्यास शुरू कर देना है। हमें अपने साथ क्या-क्या खानेकी चीजें, कितनी मात्रामें तथा कैसे ले जानी चाहिए, इसपर भी विचार करना। एनेमलके बर्तन जितने कम हों उतना ही अच्छा। पानी आदिके प्याले पीतलके होनेसे काम चलेगा। भोजनमें नीबू आदि डालना पड़े तो उसके लिए एनेमलके जो बर्तन पड़े हैं, उन्हें साथ ले लेंगे, लेकिन जहाँतक बने इनका त्याग करना है। इन बर्तनोंके बनानेमें कितने लोगोंका विनाश ही हो जाता है। शरीरको मार-पीटसे जो क्षति पहुँचती है, उससे भी अधिक क्षति इन बर्तनोंके

कारीगरोंको उस परिस्थितिमें काम करनेसे होती है, जिनमें रहकर उन्हें ये बर्तन बनाने पड़ते हैं, इस बातपर विचार करके जैसा चाहो वैसा करो।

बा की तबीयतमें आज अच्छा सुधार दिखाई पड़ता है। अगर बच जाये तो यह समझना कि उसका एकमात्र कारण हमारा प्राकृतिक उपचार और ईश्वरके प्रति आस्था है। हालत बिगड़नेका कारण डॉक्टरोंकी दवा थी। बा भी इस बातको समझती है। उसे डॉक्टरी दवा खानेका मोह हुआ और मैं बीचमें नहीं पड़ा। उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा और सबक भी सख्त मिला। बाने धीरज धरनेकी हद कर दी। मुझे जरा भी परेशान नहीं किया। गुल-परिवारने बहुत प्रेम दिखाया। डॉक्टर भला आदमी है। वह मेरे बीचमें नहीं पड़ता। उसको खुश करनेका बहुत मोह था; लेकिन बादमें बा अडिग रही। मैं उसके सामने हमेशा रामायण पढ़ता और भजन गाता हूँ। वह ध्यानपूर्वक सुनती है। राम-नामका जाप भी करता हूँ। उसका उद्देश्य यह नहीं है कि वह बच जाये; उद्देश्य यह है कि वह जिये अथवा मरे, लेकिन उसका मन पवित्र तथा कोमल रहे। बा के मरनेके बाद जो-कुछ करना पड़ेगा, उसके सम्बन्धमें सारी तैयारी और पूछताछ मैंने कर रखी है। श्मशान भूमि यहीं है और वहाँका प्रबन्ध ठीक है। यहाँसे चार मील दूर है।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७६५) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

२९१. पत्र : छगनलाल गांधीको

केप टाउन

फाल्गुन सुदी १४, १९७० [मार्च ११, १९१४]

चि० छगनलाल,

अभी मुझे फुरसत है। जोहानिसबर्गमें फिर मेरे प्राण लेनेके प्रयत्न किये जा रहे हैं, ऐसा मेढने मुझे लिखा है। यदि ऐसा हो तो स्पृहणीय है। ऐसी मृत्यु मिले तो समझना चाहिए कि मेरा काम पूरा हो चुका। इस कारण डरकर जोहानिसबर्ग छोड़कर और कहीं रहना ठीक नहीं। ऐसा संयोग बन पड़े अथवा अन्य किसी कारणसे मेरी अचानक मृत्यु हो जाये, इसे लेकर मेरे हृदयमें जिन अनेक विचारोंका उदय हुआ है और जिन्हें मैं तुम्हें नहीं बता पाया हूँ, उन्हें यहाँ व्यक्त कर देना चाहता हूँ।

यह कथन परमार्थकी दृष्टिसे भी बहुत सही है कि सर्वप्रथम कुटुम्ब-सेवा की जाये। जो लोग अपने कुटुम्बकी ठीक-ठीक सेवा कर पाते हैं वे कौम या देशकी सेवा कर सकते हैं। अवश्य ही इतना समझ लेना जरूरी है कि कुटुम्ब-सेवा किसे कहा जाये। मुझे लगता है कि अपने पवित्र व्यवहारसे हम उसको समझ सकते हैं।

मुझे यह पता लगता है कि हम लोग जो नौकरी और हुकूमतकी जिन्दगीका उपभोग करते आये हैं, सो तो निकृष्ट बात ही है। हमारा खानदान जग-जाहिर है, यानी हम लुटेरोंकी टोलीमें शरीक माने जाते हैं। यह बात तो अपने पूर्वजोंको बिना दोष दिये भी कही जा सकती है कि उन्होंने रियायाकी सेवा तो अवश्य की परन्तु वह की स्वार्थवश ही। साधारण तौरसे देखनेपर यही प्रतीत होगा कि उन लोगोंने उचित न्याय ही किया, यानी जनतापर अधिक जोर-जुल्म नहीं किया। पर आज तो अपना कुटुम्ब अत्यन्त हीनावस्थामें है। यदि हमें नौकरी न मिले तो हम सभी मारे-मारे भटकें। नारणदास, जो हमारी नजरमें सबसे ऊँचा है, बम्बईमें गुलामी कर रहा है। दूसरे कुटुम्बीजन या तो भटक रहे हैं या राज्य-कारोबारमें लिप्त रहकर उदर-निर्वाह कर रहे हैं। हम सभी विवाह-शादियाँ करने-करानेमें लगे रहते हैं। माताएँ और बहुएँ अपने बच्चोंका विवाह कर देनेके महान् मोहमें पड़ी हैं।

इससे हमारा उद्धार कैसे हो? बन पड़े तो भरसक हमें अपना मार्ग बदलना चाहिए। सर्वोपरि बात तो किसान बनना ही है। पर हमारे दुर्भाग्यसे कृषक जीवनमें अपार कष्ट हों तो हमें जुलाहे या बुनकरका उद्योग करना चाहिए और जिस ढंगका जीवन हम फीनिक्समें बिताते हैं उसी तरहका जीवन बिताना चाहिए। अपनी आवश्यकताएँ हम कमसे-कम रखें। भोजन-पद्धति भी जहाँ तक बन पड़े, वही रखें जिसके बारेमें निर्णय किया जा चुका है। दूध यद्यपि पवित्र वस्तु माना गया है, परन्तु उसे अपवित्र मानकर ही उसका सेवन किया जाये। यह एक महान् परिवर्तन होगा। परन्तु उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं और इससे होनेवाले परिणाम स्थायी हैं। यह बात और है कि सभी इसे स्वीकार न करें। यह जानकर भी दूध त्याज्य है कि वह असंख्य लोगोंको नसीब नहीं होता। दूध शुद्ध मांस है और [उसका सेवन] अहिंसा धर्मका विरोधी है—यह विचार मेरे मनसे कभी नहीं हटेगा। इस शरीरसे दूध-धी आदिका सेवन अब किया जा सकेगा, यह सम्भव प्रतीत नहीं होता। जहाँतक बन पड़े, अग्निके प्रयोगके बिना काम चलाया जाये। अपने कुटुम्बके जो बालक यहाँ आना चाहें उन्हें रखना स्वीकृत किया जाये; परन्तु रखे वे तभी जा सकेंगे जब ऊपर लिखे विचारोंका अनुसरण करनेके लिए राजी हों। जो विधवाएँ इस प्रकारका जीवन अपना देनेके लिए राजी न हों, उन्हें सम्मानपूर्वक बताया जाये कि इस प्रकार जीवन-निर्वाह करनेमें जो खर्च होता है उससे उन्हें ड्योढ़ा खर्च दे दिया जायेगा। उस ऋणसे इस प्रकार मुक्त हो जायें। इससे अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता। शादी-विवाहके बखेड़ेमें तो, वह किसीकी क्यों न हो, पड़े ही नहीं। बड़े होनेपर जो विवाह करना चाहेंगे—स्वयं देख लेंगे। जो कन्याएँ हैं उनके लिए वरोंकी तलाश करनी ही पड़े तो जो तुलसी-दल स्वीकार करके कन्या ग्रहण करना चाहेंगे, उन्हें देंगे। एक पाईका भी खर्च नहीं करेंगे। जबतक ऐसा वर नहीं मिलता तबतक राह देखेंगे और लड़कीको भी वर्य रखनेकी सीख देंगे। ऐसा करनेमें [लोगोंकी] चर्चाएँ सुननी पड़ेंगी। तिरस्कार भी होगा पर यह सब प्रेमपूर्वक सहन करेंगे। यदि हमारा आचरण सुदृढ़ रहा तो कोई कठिनाई नहीं होगी। सन्तानोत्पत्ति करना हमारे धर्मका कोई अंग नहीं है और न संसारका विस्तार करना हमारा कर्तव्य है। जैसा-कुछ यह संसार है, उसमें लिप्त हुए बिना इस प्रकार रहा

जाये कि जिससे हमें और दूसरोंके लिए भी मोक्ष-प्राप्ति सुगम हो सके। जिन्दगीका रहस्य यही जान पड़ता है और इसीमें खुद अपनी सेवा, कुटुम्ब-सेवा, समाज और राज्यकी सेवा आदिका समावेश हो जाता है। पर जबतक यह स्थिति प्राप्त न हो जाये तबतक हमें रुकना नहीं है।

इस प्रकारके आचरण और व्यवहारमें जो लोग शरीक होंगे वे भी कुटुम्बी ही माने जायेंगे। इसमें रावजीभाई, मगनभाई, प्रागजी और जो भी अन्य शामिल होना चाहेंगे, उन्हें ले लिया जायेगा। और जो कहीं मेरी अकाल-मृत्यु हो जाये तो मेरा यही कहना है कि तुम सभीको इसी ढंगसे जीवन-यापन करना चाहिए। तुम्हें फीनिक्स एकाएक नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इन उद्देश्योंको ध्यानमें रखकर यहीं रहना चाहिए। मगनलालपर तो मुझे पूरा भरोसा है। जमनादासको ढाला जाये तो उसमें वह सत्व है। उसमें लगन भी है।

मेरी मृत्यु हो जानेकी हालतमें जिन विधवाओंका मुझपर भार है, उनके लिए तुम्हें डॉ० मेहतासे पैसा लेना होगा। यदि उनसे यह पैसा न मिल पाये तो तुम लोग, जो ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्योंको अपनाता स्वीकार करते हो, अनेक कष्ट सहन करते हुए प्रयत्नपूर्वक इसे पूरा करना। हरिलालको अपना निर्वाह स्वयं करना होगा। वह बच्चोंको तुम लोगोंके पास या देशमें किसीके पास छोड़ दे। फूलीके पास पैसा है, अतः उसे देनेकी बात ही नहीं रह जाती। अब बचीं गोकुलदास^१, नन्दकोर भाभी^२ और गंगा भाभी^३ तथा गोकुलदासकी बहू^४ वे यदि साथमें रहना चाहें तो उनकी मेहरबानी; बल्कि उनके लिए गौरवास्पद! यदि न रहें तो प्रत्यकके जुदा-जुदा निर्वाहकी व्यवस्था की जाये। बच्चे उन्हींको सौंप दिये जायें; पर उनका दूसरोंके साथ रहनेको आना अधिक अच्छा होगा। यदि यह सम्भव हो जाये तो उनके पोषणका भार कुल मिलाकर ४० रुपये मासिकसे अधिक नहीं पड़ेगा। बा का भी यही खर्च माना जाये। बा को तो यह समझ लेना चाहिए कि उसे इनके साथ ही रहना है। वह भी बच्चोंको [सम्मिलित व्यवस्थामें] सौंप दे। जो लड़के अपनी माँका भार उठाना चाहें उन्हें तो छूट है ही। ऊपरके ये सुझाव उन लड़कोंके लिए हैं जो हमारी मदद चाहते हैं। हरिलाल यदि बा का भार उठाना चाहे और उसे अपने साथ रखे तो अच्छा है। नन्दकोर भाभीको रखे तो और भी ठीक। फिर तो रह जाती हैं गोकुलदासकी बहू और गंगा भाभी। काकू यदि अपनी माँका भार उठा ले तो भी ठीक, और शामलदास^५ अपनी माँका। अब जो निराधार रह जायें उनके लिए ऊपर सुझाया मार्ग ही बचता है। तुम लोगोंकी जैसी रहन-सहन होगी उससे अधिककी आशा न किसीको रखनी चाहिए और न कोई रखेगा ही। मैं तो इसी प्रणालीको श्रेष्ठ मानता हूँ और इसलिए मुझे ऊपर लिखे

१. रब्बियातबेन, गांधीजीकी बहन ।

२. लक्ष्मीदास गांधीकी विधवा ।

३. करसनदासकी विधवा ।

४. गांधीजीके भांजे जिनका अपने विवाहके पन्द्रह दिनके बीच ही देहान्त हो गया ।

५. गांधीजीके बड़े भाई लक्ष्मीदास गांधीके पुत्र ।

ये विचार कठोर नहीं प्रतीत होते। ये विचार गरीबीकी भूमिकापर प्रतिष्ठित हैं, और यही समुचित भूमिका जान पड़ती है।

मेरे न रहनेपर यह पत्र चाहे जिसे दिखाया जा सकता है। अभी तो मगनलाल, रावजीभाई, मगनभाई, प्रागजी और जमनादास पढ़ लें। मेरी इतनी ही अपेक्षा है कि तुम लोग इसकी अन्यत्र चर्चा न करो। और यदि तुम्हें लगता हो कि इन सबको न पढ़ाया जाये तो जिन्हें तुम उचित समझो, केवल उन्हींको दिखाओ।

मुझे लगता है कि यह पत्र अपनेमें इतना परिपूर्ण है कि तुम्हारे मनमें आनेवाले दूसरे प्रश्नोंका जवाब भी इसीमें मिल सकेगा। फिर भी अगर तुम्हें कुछ छटा हुआ प्रतीत हो तो मुझे अवश्य पूछ लेना। यदि मेरे साथ चर्चा करनी हो तो अपने प्रश्न लिख रखना। जहाँ मतभेद हो, निर्भयतापूर्वक उसे भी सूचित करना। यदि स्वयं तुम्हें यह जवाबदारी भारी जान पड़े तो वह भी सूचित करना। तुम्हें जो-जो ठीक जान पड़े उस सबकी चर्चा करना।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

मणिलाल वहाँ नहीं है, अन्यथा उसे भी इसे पढ़ जानेकी इजाजत दी होती। अभी इस पत्रकी नकल कर लेना और यदि उचित समझो तो डाकसे रजिस्ट्री करके उसके पास पढ़नेके लिए भेज देना और वापस मँगवा लेना।

[गुजरातीसे]

गांधीजीनी साधना

२९२. पत्र : सी० एफ० ऐंड्र्यूजको

केप टाउन

मार्च १३, १९१४

प्रिय चार्ली,

जहाजसे भेजा तुम्हारा सन्देश और लन्दनसे भेजा तुम्हारा तार — दोनों मिल गये। रायटरके प्रतिनिधिसे तुम्हारी भेंटके विवरणका सारांश रायटरके तारमें भी दिया गया

१. यह भेंट श्री ऐंड्र्यूजके लन्दन पहुँचनेके बाद मार्च १० को हुई थी। श्रीमती सरोजिनी नायडूके तत्त्वावधानमें भारतीयोंने उनके स्वागतमें एक समारोह किया था। समाचार पत्रोंमें कहा गया था कि “... श्री ऐंड्र्यूजने रेलवे हड़तालके दौरान सरकारको परेशानीमें न डालनेके लिए सत्याग्रह बन्द कर देनेकी श्री गांधीकी शूरतापूर्ण देशभक्तिकी सराहना की। उन्होंने भारतीयोंके धैर्य और वीरताकी सराहना की और साथ ही संघ सरकार द्वारा उनके अपने साथ किये गये उदार तथा समुचित व्यवहारकी भी। उन्होंने कहा कि वे जनरल बोथाने खरे चरित्र और उनके स्वभावकी सरलतासे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। साथमें यह भी कहा कि जनरल बोथाने उनको आश्चर्य किया है कि भारतीयोंके साथ न्याय करानेकी दिशामें वे जो भी कर सकते हैं, करेंगे।”

था। जहाजसे भेजे, तुम्हारे पत्रको विस्तृत रूपसे लिखकर मैंने 'इंडियन ओपिनियन' को भेज दिया था। मैंने उसमें श्रीमती गांधी और मणिलालका नाम नहीं दिया, क्योंकि वे तो तुम्हारे अपने ही हैं। मैंने कैलेनबैक, पोलक और वेस्टके नाम भी उसमें इसलिए शामिल नहीं किये कि दूसरे नामोंके साथ उनको रखना ठीक नहीं जँचा। यदि तुमने उनको अभीतक अलगसे पत्र न लिखा हो तो समय निकालकर लिख ही देना। बादके तीन नाम छोड़कर मैंने ठीक किया या नहीं, इसका निर्णय मैं नहीं कर पाया हूँ। ऐसे मामलोंमें मैं वही बात मानता हूँ जो पहले-पहल दिमागमें आती है।

आशा है कि अपने लोगोंमें तुम्हारा समय अच्छा कटा होगा। मैं पिछले दो हफ्तोंसे तुम्हारे पिताजीको एक पत्र लिखनेकी बात सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि मेरा पत्र लिखना घृष्टता मान ली जाये। वैसे पत्र तो मैं अभी लिख सकता हूँ किन्तु इसके बारेमें मैं तुम्हारा ही निर्णय सही मानूँगा। यदि मेरा लिखना ठीक जान पड़े तो पिताजीका पूरा नाम लिख भेजना।

पिछले हफ्ते श्रीमती गांधी मृत्युकी ऐन देहरी तक पहुँच गई थीं। इसलिए पिछले दस दिनोंमें मैंने उनकी परिचर्याके अलावा और कुछ किया ही नहीं। अभी दो दिनसे इनकी हालतमें सुधार होना शुरू हुआ है। सुधार अभी जारी है। बीमारीके कारण मुझे घरपर ही रहना पड़ा।

आज सर बेंजामिनसे बातचीत हुई थी। वे मुझे बतला रहे थे कि रिपोर्ट उनको दिखलाई गई थी और वह कुल मिलाकर अच्छी थी। पर उनकी रायको ठीक मानना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, यह तुम जानते हो।

जिनके सम्पर्कमें तुम आये थे उनमें से अधिकांश लोगोंके पास तुम्हारे भाषणकी पुनर्मुद्रित प्रतियाँ भेजी जा चुकी हैं। बिशपने उसकी प्रति पानेपर एक बड़ा सुन्दर पत्र लिखा है। श्रीमती डू कल जहाजसे लन्दन जा रही हैं। उन्होंने सत्याग्रह-कोषके लिए पाँच पौंड भेजे हैं। भाषणकी प्रतियाँ भिजवानेके लिए उन्होंने कुछ नाम मेरे पास भेजे थे। साथमें अखबारकी जो कतरन भेजी जा रही हैं, समाचारपत्रोंने उससे मिलती-जुलती बातें लिखी हैं। रोज ही कुछ और प्रतियोंकी माँग आती रहती हैं। भारतीयोंको इस बातके लिए तैयार करनेकी कोशिश की जा रही है कि वे अपने यूरोपीय मित्रोंमें प्रतियाँ बाँट दें। डब्ल्यू० सी० श्राइनरको एक प्रति भेंटकी गई थी। उन्होंने इंग्लैंडमें अपने मित्रोंको भिजवानेके लिए छः प्रतियोंके दाम दिये हैं। इस प्रकार तुम्हारे कामको दोहरी सफलता मिल रही है। महान् सन्तको और दक्षिण आफ्रिका आनेके तुम्हारे उद्देश्यको मानवताके भलेके लिए बहु-प्रचारित किया जा रहा है।

१. पहली मार्चको भेजे गये इस सन्देशमें दक्षिण आफ्रिकाके मित्रोंको श्री ऐंड्यूजकी ओरसे धन्यवाद दिया गया था। वह इंडियन ओपिनियनके १८-३-१९१४के अंकमें प्रकाशित हुआ था।

२. ऐंड्यूजने महाकवि रवीन्द्रनाथके सम्बन्धमें फरवरी १७को विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंके समक्ष भाषण दिया था।

मुझे तार द्वारा पोरबन्दरसे अपने सबसे बड़े भाईकी मृत्युका समाचार मिला है।^१ वे मेरे लिए पिताके समान थे। उन्होंने ही मुझको लन्दन भेजा था।^२ दक्षिण आफ्रिका चले आनेपर वे मुझसे बड़े नाराज रहा करते थे,^३ लेकिन अपने अन्तिम पत्रमें उनका स्वर फिर बिलकुल स्नेहपूर्ण हो गया था। उससे मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ था। वे मुझे देखना चाहते थे और मैं भी जल्द ही भारत लौटनेके लिए तड़प रहा था। लेकिन होनीको यह मंजूर नहीं था। अब अपने पिताके परिवारकी पांच विधवाओं और उनके बाल-बच्चोंकी देख-रेखका भार मेरे कंधोंपर आ पड़ा है। पर मेरा मन शान्त है। समाजमें इस मृत्युका समाचार फैलनेपर काफी हार्दिकताके साथ लोग मेरे और श्रीमती गांधीके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने आते रहते हैं।^४

आशा है तुम लन्दनमें स्वास्थ्य-लाभ कर लोगे और अपने लोगोंके बीच तुम्हारा समय अच्छा कटेगा।

सप्रेम

तुम्हारा
मोहन

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४०९९) की फोटो-नकलसे।

२९३. पत्र : मणिलाल गांधीको

[केप टाउन,]

फाल्गुन वदी २ [मार्च १४, १९१४]

चि० मणिलाल,

मैंने तुम्हें लिखनेमें देर तो बिलकुल ही नहीं की है। जान पड़ता है, मैं पते गलत लिख देता हूँ। जमनादासके मामलेमें भी यही हुआ। श्लेसिनका पता भी गलत लिख दिया था। आगेसे मैं पते फिरसे पढ़ लिया करूंगा।

बा की तबीयत सुधर रही है। कैलेनबेकको मैंने अपने पत्रमें बापाके बारेमें जो कुछ लिखा था, वह तुमने देख लिया होगा। चि० सामलदासको एक चिट्ठी जरूर लिख देना।

यहाँ जो षड़यंत्र रचे जा रहे हैं उनको लेकर तुम्हें परेशान होनेकी जरूरत नहीं है। मेरी मृत्यु जिस दिन आनी है, उसी दिन आयगी। कोई उसमें एक क्षण भी कम या ज्यादा नहीं कर सकता। अपने आपको मृत्युसे बचानेका सर्वोत्तम मार्ग सदा मृत्युके लिये तैयार रहना ही है। यह ठीक है कि हमें साधारण तौरपर अपने जीवनके प्रति

१. लक्ष्मीदास गांधीका देहावसान मार्च ९ को हुआ था।

२. १८८८ में कानून पढ़नेके लिए लन्दन गये थे।

३. इस सम्बन्धमें गांधीजीपर लक्ष्मीदास गांधीने जो आरोप लगाये थे, उनके गांधीजी द्वारा दिये गये उत्तरके लिए देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४४४-४८

४. गांधीजीने “पत्र : इंडियन ओपिनियनको”, पृष्ठ ३८२-८३ में शोकांजलियोंके लिए आभार व्यक्त किया था।

सावधान रहना चाहिए। हम इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। सच तो यह है कि मौतका हमें हर समय स्वागत ही करना चाहिए।

यदि स्वयं भोजन बनाना बन्द करके तुम समय बचानेकी चेष्टा न करो, तो कोई हज नहीं है। फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है, उसे चलने दो। मैं समझता हूँ, इसमें कमसे-कम तीन घंटे लगेंगे। समय तो तुम तभी बचा सकते हो, जब तुम अपने भोजनमें परिवर्तन करो। फिलहाल परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। कैलेनबैकको भी मैंने तदनुसार लिख दिया है।

अपनी किताबोंकी सूची दुबारा फीनिक्स भेजो।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १४९९) से।

सौजन्य : राधाबहन चौधरी।

२९४. पत्र : जमनादास गांधीको

[केप टाउन]

फाल्गुन बदी ६ [मार्च १७, १९१४]

चि० जमनादास,

गेहूँ और खजूरके विषयमें तुम्हारा लिखना ठीक है। गेहूँका हरएक दाना पौधा पैदा कर सकता है। खजूरके बारेमें ऐसा नहीं है। खजूरका जो हिस्सा हम खाते हैं उसे बोयें तो वह उग नहीं सकता। इसलिए हम जबतक बीचकी स्थितिमें हैं तबतक खजूर खानेमें बहुत दोष नहीं है। मूंगफली खानेमें दोष है, यह तो मैं हमेशा कहता आया हूँ। लेकिन हम ऐसी स्थितिमें नहीं पहुँचे हैं कि उसे छोड़ सकें। जैतूनमें दोष नहीं है क्योंकि जैतूनका बीज [उसके खाद्य हिस्सेसे] अलग होता है। तुम्हारा यह कहना ठीक है कि तिल खानेमें दोष है। अन्तमें [तिलका] तेल हमें छोड़ना ही है और सूखे मेवेसे मिलनेवाला तेल ही लेना है। यों तो सूखे मेवेमें भी मैंने कहा ही है कि इस दोषकी शक्यता है; उदाहरणके लिए बादाम भी तो बीज ही है। फिर भी विचार करनेसे मालूम होगा कि गेहूँ खानेमें और बादामका सेवन करनेमें बड़ा अन्तर है। बादामका पेड़ हमेशा खड़ा रहता है; लेकिन गेहूँके पौधेमें से उसका बीज निकाल दिया जाये तो भूसा ही बच जाता है। उसका फिर और कोई उपयोग नहीं रह जाता। गेहूँ बोनेमें और तत्सम्बन्धी अन्य प्रक्रियाओंमें जो हिंसा है, बादाममें वैसी हिंसा नहीं है। लेकिन इस जाँच-पड़तालमें हम ज्यादा नहीं उतर सकते। मैं स्वयं ज्ञानहीन हूँ और अपनी बुद्धिके अनुसार जो-कुछ मैंने सोचा है उसे ही उसके अधूरे और अपक्व रूपमें मैं तुम्हें कह देता हूँ। मूल सिद्धान्त यह है कि जैसे बने वैसे कमसे-कम वस्तुओंसे अपना काम चलाना और जो-कुछ लेना वह भी कम ही लेना, उसके विषयमें किसी प्रकारकी शंकाका कारण मैं नहीं देखता। देहको केवल निर्वाहके लिए जितना आवश्यक

हो उतना भाड़ा देते रहना चाहिए; उससे अधिक नहीं। यह सूत्र याद रख कर हम अपने आहारके नियम गढ़ें तो उत्तम। मैं जैसा करता हूँ उस प्रकार अनेक फल इकट्ठे करके उनका स्वाद लेनेके बजाय जो मनुष्य दो-तीन तोला गेहूँका दलिया पका-खाकर पाँच मिनटमें निवृत्त हो जाता है वह बहुत ज्यादा उन्नत है। किन्तु जो मनुष्य पाँच केले खा कर निर्वाह कर लेगा वह गेहूँका दलिया खा कर रहनेवालेकी अपेक्षा ज्यादा आगे बढ़ेगा। इसलिए गेहूँ का दलिया खानेवालेके लिए उन्नतिका जितना अवकाश है, फलाहारीको उसकी अपेक्षा अधिक है। किन्तु यहाँ भी मुख्य कारण मन है। अधिक महत्त्व हेतुका ही है।

हम जिसका फल लेते हैं उसके पत्ते, छाल आदि सभी कुछ ले सकते हैं, ऐसा अनुमान नहीं निकाला जा सकता; वह उचित नहीं होगा।

एकादशीके व्रतमें कुछ विशिष्ट हरी साग-भाजियाँ लेनेकी छूट है, किन्तु गेहूँ खानेका निषेध है—इसका कारण सूक्ष्म नहीं, स्थूल मालूम होता है। हरी भाजियोंसे पूरा पेट नहीं भरता और लोग उन्हें अनाज नहीं मानते इसलिए [व्रतके विधायकोंने] कुछ हरी भाजियोंकी छूट दे दी; किन्तु गेहूँका यह कहकर निषेध कर दिया कि वह अनाज है; और इस प्रकार उन्होंने एकादशीका व्रत पालनेके मूल हेतुको यानी अल्पाहारके हेतुको कायम रखा।

लौकी इत्यादि टमाटरोंकी ही की तरह एक प्रकारके फल हैं। टमाटरोंको आहारमें इसलिए रखा गया है कि वे बिना पकाये कच्चे खाये जा सकते हैं। लौकी आदि यदि कच्ची खाई जाये तो, पचेगी या नहीं इसमें शंका है। मूली आदि घास-पातकी जड़ हैं और जड़-मूल खानेको जैन धर्ममें अत्यन्त दूषित माना गया है। बा अदरक खाना चाहती थी; उसका असर कैसा होगा, मैंने जाननेके लिए उसके साथ अदरक खाया। मुझे उसका असर अच्छा जान पड़ा। इसलिए मैं उसे नीम [के रस] के बाद लेता रहा। बा उत्साही है। उसे भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। उसने कोमल अदरक इकट्ठा किया। वे तो जड़ें ही थीं। एक दो दिन मैंने उन्हें खाया और वे मुझे बहुत अच्छी लगीं। लेकिन आज सुबह मेरा मन दयासे द्रवीभूत हो गया और मुझे अपने ऊपर बड़ा तिरस्कार आया। ऐसा लगा, मानो मुझे इन अदरककी जड़ोंमें व्याप्त उनका जीव दिखाई पड़ रहा हो। अदरककी एक-एक गाँठपर कई [छोटी-छोटी] कोमल जड़ें होती हैं। उन्हें खाना तो अनेक कोमल गर्भोंका निपात करने-जैसा है। बहुत दुःखी हुआ और आजसे मैंने अदरक छोड़ दिया। मैंने अदरकका त्याग इससे पहले कभी नहीं किया था, आवश्यकता होनेपर उसके लेनेकी छूट रखी थी। अब मैं उसे लेनेमें दोष मानूँगा और जहाँतक बनेगा नहीं लूँगा। जो बन्धन अपने लिए मैंने स्वीकार किये हैं भारत पहुँचनेके पहले अभी उनसे ज्यादा नहीं लेना चाहता; किन्तु अदरक तो मैं इस देशमें नहीं लूँगा।

आगपर पकाया हुआ आहार लेनेसे जीवका कृत्रिम और इसलिए निर्दय नाश होता है। बिना पकाया हुआ खानेसे जीवका स्वाभाविक नाश होता है। इसके सिवा पकाये हुए आहारमें से उसका पोषक तत्त्व नष्ट हो जाता है। इस तरह सोचें तो हम पके हुए फल ही खा सकते हैं, और कुछ नहीं। कच्चे फल तोड़ना और खाना

दोषयुक्त है। इससे तुम देख सकोगे कि मैंने जितना सोचा-विचारा है वह सब मैं आचरणमें नहीं उतार सका हूँ और उस सीमा तक मेरे रहन-सहनकी रीतिसे विचार कहीं आगे हैं। किन्तु यह तो होगा ही। विचारोंका अनुसरण करनेके लिए तीव्र प्रयत्न तो हमेशा करता रहता हूँ।

गरम-गरम खानेकी इच्छा होती रहती है, इसका कारण हमारी दीर्घकालीन कुटेव है। उसे प्रयत्न करके दबाना ही चाहिए। अनुचित इच्छाएँ तो उठती ही रहेंगी। उनका हम ज्यों-ज्यों दमन करेंगे त्यों-त्यों दृढ़ बनेंगे और हमारा आत्म-बल बढ़ेगा।

बा की तबीयत ऐसी ही चल रही है — न अच्छी, न बुरी। सूजन आज तो कुछ ज्यादा ही है; किन्तु वह हिम्मतसे चल-फिर रही है। मैंने उसे जो अच्छा लगे, खानेके लिए कह दिया है। अब जो हो जाये सो ठीक। फिलहाल वह ऐसी बीमार नहीं है कि बिस्तरपर ही पड़ी रहे।

यहाँ मुझे अभी तीन हफ्ते और लग जायेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६९७) से।

सौजन्य : नारणदास गांधी

२९५. आयोगकी रिपोर्टके बारेमें विचार

[केप टाउन

मार्च १७, १९१४के बाद]^१

आयोगने ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानूनका उल्लेख नहीं किया है। निहित अधिकारोंको मान्यता दी जायेगी, ऐसी घोषणा आवश्यक है। मैं निहित अधिकारोंका अर्थ क्या मानता हूँ, सो पहले ही बता चुका हूँ।

प्रवासी-अधिकारीको विशेष हिदायतें देकर उनपर वित्तीय धारा लागू करवाये बिना दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीय केपसे बाहर नहीं रखे जा सकते। सुझाव दिया गया है कि एक नई स्थिति पैदा होने अर्थात् दक्षिण आफ्रिकामें जन्में अपढ़ भारतीयोंका उपनिवेशमें अपरिमित प्रवेश होने तक ये हिदायतें अधिकारियोंको दे दी जायें।

इस (विवाहके) मुद्देपर आयोगकी रिपोर्टमें अस्पष्टता दिखाई देती है।

(क) अधिवासी भारतीयोंकी एकाधिक पत्नियोंको अपने नाबालिग बच्चोंके साथ प्रवेश करने दिया जाये, चाहे उन्होंने उससे पहले दक्षिण आफ्रिकामें प्रवेश किया हो या न किया हो। ऐसे मामले बहुत थोड़े हैं। ऐसे सभी मामलोंकी सूचना एक निश्चित अवधिके भीतर संघके अधिकारियों अथवा प्रान्तीय अधिकारियोंको दे दी जाये।

१. सॉलोमन कमीशनकी रिपोर्ट विधान-सभाके विचारार्थ मार्च १७, १९१४को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्टके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट २३।

(ख) एकाधिक स्त्रियोंसे विवाह कानूनन वैध न माने जानपर भी भारतीय विवाह-अधिकारियोंको ऐसे विवाह सम्पन्न करानेकी मुमानियत न हो।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७७) की फोटो-नकलसे।

२९६. पत्र : 'इंडियन ओपिनियन' को

सम्पादक

'इंडियन ओपिनियन'

महोदय,

भारतमें मेरे अग्रजकी मृत्युपर मेरी पत्नी और मेरे नाम सहानुभूतिसूचक इतने तार संघके विविध भागोंसे मेरे पास आये हैं कि मेरे लिए अलग-अलग संस्थाओं और व्यक्तियोंके पास धन्यवाद भेजना कठिन है। डबन, मैरिट्सबर्ग, जोहानिसबर्ग तथा अन्य स्थानोंसे बहुत बड़ी संख्यामें शोक-सन्देश प्राप्त हुए हैं। मैं इस सहानुभूतिके लिए सबको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं एक शब्द कहना चाहूँगा। एक सत्याग्रहीके नाते और आत्माकी एकतामें दृढ़ निष्ठा रखनेवाले व्यक्तिकी हैसियतसे मुझे अपने भाईके निधनपर उससे ज्यादा दुःख नहीं होना चाहिए जितना नागप्पन, नारायणसामी तथा हरबर्तसिंहकी मृत्युसे हुआ। ये सब सगे भाईकी तरह ही मेरे आत्मीय थे। उनके निधनके शोकमें भी मेरे मित्र मेरे साथ हैं। मेरे भाईके निधनकी अपेक्षा वलिअम्मा मून-सामीकी आकस्मिक मृत्यु मेरे लिए ज्यादा कष्टदायक है। तथापि मुझमें भी सामान्य मानवी दुर्बलताएँ हैं और अपने भाईकी मृत्युसे मेरे मनमें जो विचार उठते हैं वे उन भावोंकी अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र हैं जो मेरे तीन सत्याग्रही भाइयों तथा एक सत्याग्रही बहनकी मृत्युपर उठे थे। मेरे भाई मेरे लिए पिताके समान थे, और आज मैं जीवनमें जो-कुछ हूँ उसका श्रेय मेरी स्वर्गीया माताके पश्चात् उन्हींको है। इस समय मेरे मनमें जो विचार सबसे ऊपर है वह यह है कि यदि हमें जीवनमें भगवानका भय रहा है और हमने अपनी आत्माकी आवाजके खिलाफ कुछ नहीं किया है तो हमें मृत्युका कोई भय नहीं होना चाहिए। उस स्थितिमें तो मृत्यु एक बेहतर परिवर्तन-मात्र है; इसलिए वह एक स्वागत-योग्य परिवर्तन है और इससे कोई शोक नहीं होना चाहिए। मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे भाईके लिए मृत्युका ऐसा ही अर्थ होगा। और हम, जो दक्षिण आफ्रिकामें हैं, विशेषतः जो सत्याग्रही हैं, उन्हें तो न केवल मृत्युके प्रति निर्भय रहना सीखना चाहिए, बल्कि उसका सामना करनेको तैयार होना चाहिए और जब कर्तव्यका पालन करते हुए हमारे सामने मृत्यु आये तब उसका स्वागत करना चाहिए। नारायणसामी तथा उनके तीन वारिस इसी तरह मरे हैं। मैं ऐसी ही मौतकी कामना करता हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक सत्याग्रही ऐसी ही मौतकी कामना करता है।

अन्तमें, मेरे इस शोकमें अपनी सहानुभूतिसे मुझे अभिभूत करनेवाले अपने मित्रोंसे मैं अनुरोध करता हूँ कि यदि निकट भविष्यमें सत्याग्रहके सब मुद्दे सन्तोषजनक रूपसे तय हो जायें तो वे भारत लौटनकी मेरी इच्छाकी पूर्तिमें मेरी सहायता करें ताकि मैं अपनी विधवा भाभीके चरण-स्पर्श कर सकूँ और अपने पिताके कुटुम्बकी पाँच विधवाओंकी पारिवारिक जिम्मेदारीका बोझ उठा सकूँ। मृत्युके हाथोंने अब हिन्दू-परम्पराके अनुसार इस परिवारके प्रधानपदकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है।

आपका,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८-३-१९१४

२९७. पत्र : मणिलाल गांधीको

[केप टाउन]

गुरुवार [मार्च १९, १९१४]^१

चि० मणिलाल,

खुराकमें तुमने जो फेरफार किया है, बड़ा विचार करके ही किया होगा। ऐसा न करना कि जो शुरू करो उसे बादमें भूल जाओ और स्वप्नकी तरह उसकी केवल याद ही रह जाये। उसमें से कमसे-कम कुछ तो जीवन-भर टिकना चाहिए। तुमने इतना बड़ा फेरफार किया है कि उस बार चौमासेके बाद तुम्हारी जैसी दशा हो गई थी शायद इस बार भी वैसी ही हो जाये। अधिक आहारसे बचनेका एक ही रास्ता है; अपनी खुराक पहलेसे ही निकाल लेना और अतिरिक्त भोजनके बर्तन अलग रख देना; और फिर खाना। वा ठीक है।

बापूके आशीर्वाद

श्री मणिलाल गांधी

बॉक्स २४९३

जोहानिसबर्ग

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजरातीमें लिखे पोस्टकार्ड (सी० डब्ल्यू० १०४) से।

सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी।

१. यह तिथि डाकघरकी मुहरसे ली गई है

२९८. पत्र : रावजीभाई पटेलको

केप टाउन

फाल्गुन वदी १० [मार्च २१, १९१४]

भाई श्री रावजीभाई,

पत्र मिला। तुम्हारे उपवासकी खबर मैंने सुनी थी। यदि सकारण किया हो तब तो मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। तुम्हें वहाँ एकान्त नहीं मिल सकता। फीनिक्समें बाह्य कर्म अधिक होना चाहिए। उसीमें शान्ति है। वहाँ सेवा-धर्मको प्रधान पद दिया गया है।

‘जे’ की तबीयत बिगड़नेसे मैं चिन्तित हो गया हूँ। जल्दी ठीक हो जाये तो अच्छा है।

मगनभाईके लिए चित्त व्याकुल रहता है। समझमें नहीं आता कि बात ठिकाने क्यों नहीं आती। मैं भी यही ठीक समझता हूँ कि वे मेरे साथ चले आयें। तुम इसी प्रयत्नमें रहना। स्वदेश पहुँचनेपर देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। ऐसा लगता रहता है कि यह किसी मानसिक रोगका परिणाम है। जेलमें तबीयत ठीक क्यों रहती थी, इसका कारण सोचता रहता हूँ लेकिन मुझे तो केवल ऊपरवाला कारण ही दिखाई देता है। वहाँ मन विवश होकर स्थिर हो गया था और उसका परिणाम शरीर-पर हुआ था—इस सीमा तक कि चाहे जो खुराक लेते रहनेके बावजूद तबीयत ठीक रही। क्या अब जेलके बाहर वे वैसा मनोराज्य [मनकी वैसी स्थिरता] प्राप्त नहीं कर सकते? जो भी हो, मगनभाईके लिए अब यही ठीक लगता है कि वे [मेरे साथ] भारत चले चलें। लेकिन वे भी इस प्रस्तावपर विचार कर देखें।

एक उदाहरण यहाँ मैं अपना दिये देता हूँ। बा को अदरक खानेकी इच्छा हुई। मैंने अदरक न खानेका व्रत नहीं लिया था इसलिए उसके गुण-दोष परखनेकी दृष्टिसे मैंने भी उनके साथ खाना शुरू किया। बा की जीभ चटोरी है। बा ने अदरकके नरम अंकुरोंको ढूँढ़ निकाला। मुझे वे भा गये और इस हद तक भा गये कि ४-५ चनों-जितने ये कोमल अंकुर मैं भी चबा डालता था। एक दिन बा ने श्रीमती गुलकी टोकरीमें ऐसे कई अंकुर देखे और उनमें से कुछ चुनकर अपनी कोठरीमें ला रखे। मैं तो उन्हें देखकर त्रस्त हो उठा। रात बीती; सुबह उद्वेगपूर्वक जल्दी उठा। मनमें प्रश्न घूम रहा था—अदरक कैसे खा सकता हूँ? जिसकी एक-एक गाँठसे अनेक अंकुर पैदा हो सकते हैं उसमें अवश्य ही प्रचुर प्राण-तत्त्व है। तब फिर कोमल अंकुर खाना तो सुकुमार बालककी हत्या करने-जैसा हुआ। मुझे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। निश्चय किया कि इस शरीरसे तो अब कभी अदरक नहीं खाऊँगा। मजा तो इसके बाद आया। बा ने देखा कि मैं अदरक नहीं खाता। उसने कारण पूछा। मैंने समझाया। वह समझ गई। वह ज्यादा कोमल अंकुर उठाकर ले गई और

जो शष रह गये उनमें से खानेका आग्रह किया। मैंने इनकार किया। व्रत तो चल रहा है। किन्तु जीभ और आँख कुत्तों-जैसी [लालची] हैं। आँख जब देखती हैं तब अदरक खानेकी इच्छा होती है। जीभ उसके लिए तड़पती रहती है। किन्तु जिस प्रकार जूठनके ऊपर आँख गड़ाये बैठा हुआ कुत्ता अपने स्वामीको देखकर उसपर लपकनेकी हिम्मत नहीं कर सकता उसी प्रकार जीभ भी, यह जानकर कि आत्मारामजी सब देख रहे हैं, उस अदरकको छूनेकी हिम्मत नहीं कर सकती। अदरक तो सारे दिन मेरी आँखोंके सामने पड़ा रहता है; जहाँ मेरे कागज पड़े हुए हैं वहीं वह पड़ा हुआ है। इस समय मेरी दशा ऐसी है कि शकर और नमक छोड़नेमें मुझे जैसी कठिनाई नहीं हुई वैसी कठिनाई अपनी वृत्तिको अदरकसे खींचनेमें हो रही है।

अब तुम अपना दोष क्या निकालोगे? मनको मद्य पी कर मत्त बने हुए बन्दरकी उपमा दी गई है, सो गलत नहीं है। तुम मेरे पाससे ज्ञान सीखनेकी बड़ी-बड़ी आशाएँ रखते हो, लेकिन कैसे? हम सब एक ही टूटी नावमें बैठे हैं; उसमें अनुभव-रूपी ज्ञान मेरे पास कुछ अधिक होगा और यदि इसलिए मैं जहाँ बताऊँ तुम वहाँ पाँव रखो तो भले रखो। [लेकिन सच तो यह है कि] हम सब अँधेरेमें हैं और उसी एक वस्तुकी खोज कर रहे हैं। हो सकता है, मेरे पाँव ज्यादा जोरसे पड़ते हों, उन्हें अपनी शक्तिका ज्यादा विश्वास हो। किन्तु मेरे प्रति इससे ज्यादा सम्मानकी भावना रखना तुम्हारे लिए अपनी उन्नतिका रास्ता रोकने-जैसा होगा। जब मैं अपनी सारी इच्छाओंपर विजय पा लूँगा तब अवश्य मैं तुम्हें या दूसरोंको निस्संकोच ज्ञानका उपदेश करूँगा। अभी तो हम एक साथ ताकत लगाकर मोक्षदाता नारायणकी खोज करें और उस खोजमें, भूल होने, गिरने या चोट खानेकी परवाह न करते हुए, हिम्मत और धीरजके साथ आगे बढ़ते रहें।

मोहनदासका यथायोग्य

[गुजरातीसे]

गांधीजीनी साधना और जीवननुं परोढ़

२९९. पत्र : जमनादास गांधीको

[केप टाउन]

फाल्गुन बदी ११ [मार्च २२, १९१४]

चि० जमनादास,

तुम्हारे दो पत्र आज ही मिले हैं। शनिवारको हमेशा डाक दो बार आती है। नीमके पेड़के बारेमें हस्तमजी सेठ तथा भाई मोतीलालजीको लिखना। मगनलाल उसका पौधा ढूँढ़ कर लगा दें तो अच्छा। श्री कैलेनबैककी खोजके अनुसार मैकरोनी खाई तो जा सकती है किन्तु वह अमुक स्थानकी ही। लेकिन इसमें एक बड़ा दोष यह है कि वह मांसाहारी लोगों द्वारा बनाई गई वस्तु है और उसके बारेमें हम

१. मोतीलाल एम० दीवान; नेटालके एक प्रमुख भारतीय ।

कुछ नहीं जानते। वे जो कहेंगे उसका भरोसा हमें करना पड़ेगा। बनी बनाई खाद्य वस्तुओंके विषयमें हिन्दुओंमें जो रूढ़िगत विरोधका भाव है उसका जहाँतक बने पालन करना चाहिए। गुड़ केवल रस नहीं है, उसमें कोई क्षार या नमक मिलाया जाता है। इसके सिवा गन्नेके रसको पकाकर उसमें से केवल खाँड या गुड़ ही रखा जाता है। आमके रसके साथ भी यदि ऐसा ही किया जाये तो वह भी उसी प्रकार अग्राह्य हो जायेगा। वायुकी तकलीफके लिए यदि काली मिर्च या अदरकके साथ नीमके पत्ते दिये जायें तो लाभ होना सम्भव है। तुम कसरत काफी करते हो या नहीं? हठपूर्वक बहुत जल्दी उठनेकी जरूरत नहीं है।

उपवासके विषयमें मैंने रामदासको जो लिखा था वह तुमने पढ़ा या नहीं? न पढ़ा हो तो पत्र माँगकर पढ़ लेना। मैं लड़कोंको उपवास [के प्रयोग] करनेसे रोकना नहीं चाहता। लेकिन उपवास सोच-समझकर बुद्धिपूर्वक करना चाहिए।

मैं रास्तेमें जोहानिसबर्गके सिवा और कहाँ रुकूँगा, यह अभी निश्चित नहीं है। फार्ममें पड़े हुए अँगरखे मेरे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई तुम्हें दिया जा सकता है। नये बनवाने पड़ेंगे। यह आसानीसे हो सकता है। नमूनेके लिए मेरे अँगरखेका उपयोग करना।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६९९) से।

सौजन्य : नारणदास गांधी।

३००. पत्र : मणिलाल गांधीको

[केप टाउन]

फाल्गुन वदी ११ [मार्च २२, १९१४]

चि० मणिलाल,

तुम्हारे पत्र आते रहते हैं। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा वहाँ जाना लाभकारी ही हुआ है। और यह भी अच्छा है कि तुम वहाँ अकेले हो। फेरफार करनेमें तुम बहुत उतावली करते हो। चाहूँगा कि इनमें से कुछ तो टिके रहें। वहाँ तुम्हारा [दैनिक] जीवन नियमित हो जाये तो भी बहुत हुआ मानूँगा। मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारा मेरे साथ चले-चलना ज्यादा अच्छा है। स्टीमरमें हम २० आदमी हो जायेंगे, इससे कोई असुविधा नहीं होगी। मेरा खयाल है कि स्वदेश पहुँचनेपर फिल-हाल तो जेकी बेन मेरे साथ नहीं रह सकेगी। मेरी इच्छा है कि देशमें तुम उच्च कोटिके ब्रह्मचारी माने जाओ और तुम्हारे व्यवहारमें ऐसा स्वाभाविक संयम दिखाई पड़े कि उसकी छाप दूसरोंपर पड़े बिना न रहे। इसके लिए तुममें परिश्रम और

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

अध्ययनकी वृत्ति होनी चाहिए और तुम्हारा चित्त निर्मल होना चाहिए। केवल दूसरोंपर छाप डालने, उन्हें प्रभावित करनेकी इच्छासे किये गये कार्यकी कोई छाप नहीं पड़ती। छाप ऐसे कार्योंकी ही पड़ती है जो हमें सचमुच प्रिय हों और जो श्रेयस्कर भी हों। इसलिए तुम्हें क्या करना है, इसका विचार अपनी रुचिका खयाल करते हुए तुम्हें ही करना चाहिए और फिर उससे आमरण चिपटे रहना चाहिए।

चिरंजीव हरिलालका पत्र पढ़नेके लिए तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। उसकी दशा कैसी दयनीय हो गई है, इसका विचार करना। इसमें दोष उसका नहीं, मेरा है। उसके बचपनमें मेरे रहन-सहनमें संयमका अभाव था; उसके चित्तपर उसीकी छाप रह गई है। पत्र पढ़कर फाड़ देना।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०३) से।

सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी।

३०१. पत्रका अंश

[केप टाउन]

रविवार [मार्च २२, १९१४]^१

आत्माके सिवा बाकी सब क्षणभंगुर है। प्रतिक्षण हमें न केवल इसका विचार करते रहना चाहिए; उसके अनुरूप कार्यमें सदा रत भी रहना चाहिए। ज्यों-ज्यों विचार करता हूँ त्यों-त्यों मैं सत्य और ब्रह्मचर्यकी महिमा अधिकाधिक महसूस कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य और नीतिके सब सिद्धान्तोंका समावेश सत्यमें हो जाता है। तब भी मुझे लगता है, ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसे सत्यकी बराबरीका आसन दिया जा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन दोनोंके द्वारा किसी भी कठिनाईपर विजय पाई जा सकती है। वास्तविक कठिनाइयाँ तो हमारे मनोविकारोंकी हैं। यदि हम सुखके लिए बाह्य सम्बन्धोंपर बिलकुल निर्भर न रहें तो लोग क्या कहेंगे, इसके बजाय हम इसी बातका विचार करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए।

[गुजरातीसे]

गांधीजीनी साधना और जीवन प्रभात

१. मूलमें यह पत्र १९१४ का माना गया है, लेकिन उसकी ठीक तिथिका पता नहीं लगता। किन्तु जान पड़ता है कि यह और मणिलाल गांधीको लिखित पत्र (देखिए पिछला शोर्षक) लगभग साथ ही लिखे गये होंगे।

३०२. आयोगकी रिपोर्ट और सिफारिशें'

पिछले हफ्ते [भारतीय जांच] आयोगकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। हमें मानना पड़ेगा कि इस रिपोर्टसे सदस्योंकी न्यायबुद्धि प्रकट होती है। तीनों सदस्योंने उसपर एकमत होकर हस्ताक्षर किये हैं। उसके लिए श्री एसेलेन और श्री वाइली बघाईके पात्र हैं। कभी हमें उनकी नियुक्तिकी कड़ी आलोचना करना अपना कर्त्तव्य जान पड़ा था। किन्तु, उन्होंने अपने पहलेके विचारोंको एक ओर रख दिया और न्याय किया। हमारा खयाल है कि इस शुभ परिणामका कारण भारतीय समाज द्वारा किया गया आन्दोलन ही है।

श्री गांधीने, और उन्हींकी सलाहपर भारतीय समाजके एक बहुत बड़े भागने, आयोगके सम्मुख गवाही नहीं दी, इसलिए आयोगके सदस्यों और लॉर्ड हार्डिंजने भी उनकी आलोचना की है। आयोगने आलोचना की, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। उसे तो जैसे बने वैसे भारतीयोंकी गवाहियाँ चाहिए थीं। यह भी समझमें आने लायक बात है कि वाइसराय महोदयने आलोचना क्यों की। उन्होंने पहले जो सलाह दी थी, उसपर भी उन्हें दृढ़ रहना था और आयोगको अपना समर्थन भी देना था। किन्तु, इस सबके होते हुए, आज भी हमारा यही खयाल है कि भारतीय समाजने गवाही न देकर बहुत बुद्धिमानी की। यह तो स्पष्ट है कि जो सौगन्ध एक बार ले ली, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। यदि उन्होंने गवाहियाँ दी होतीं तो यह सत्याग्रहके मूलपर ही आघात करने-जैसा होता। इतना ही नहीं, परिणामसे भी यह सिद्ध होता है कि गवाहियाँ नहीं देकर उन्होंने ठीक किया। हमारे पास कमसे-कम तीन सौ साक्षी थे। दक्षिण आफ्रिकाका प्रत्येक भारतीय मण्डल अपनी शिकायतोंके समर्थनमें गवाही दे सकता था। गोरे लोग गवाही देते, सो अलग। इस तरह हमारी गवाहियाँ लेनेमें छः महीने बीत जाते। उसके बाद उनके बारेमें अपना निर्णय देनेमें आयोग भी कुछ समय लेता। इसका परिणाम यह होता कि संसदके वर्तमान सत्रमें [हमारी शिकायतोंको दूर करनेके लिए] जो विधेयक पेश किये जानेकी सम्भावना है, वह पेश नहीं किया जा सकता। और हमारे लिए इससे अधिक दुःखकी बात और क्या होती? फिर, यदि हमने गवाही दी होती तो आज जो शान्ति और पारस्परिक सद्भावनाका वातावरण छाया हुआ है, वह नहीं होता। श्री ऐंड्र्यूजने नम्रता तथा प्रेमके साथ काम करते हुए चुपचाप सुलहके बीज बोये हैं—यह भी नहीं हो पाता। क्योंकि गवाही देनेसे दुर्भाव बढ़ता। हम भी कड़े वचन कहते और गोरे भी। हमारी गवाहियोंके विरुद्ध गोरे और भी सख्त गवाहियाँ तैयार करते और उस हालतमें श्री एसेलेन और वाइलीमें वह दायित्व-भाव नहीं आता जो अन्यथा आया। वैसी स्थितिमें आज हमें समझौतेकी जो पूरी आशा हो चली है, वह नहीं हो पाती। इस प्रकार हमने लॉर्ड हार्डिंज तक की सलाहकी

१. यह सम्पादकीय टिप्पणीके रूपमें प्रकाशित हुआ था।

परवाह न करते हुए, कर्तव्य मानकर अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहनेका जो पवित्र कार्य कर दिखाया, उसमें से दूसरे सुन्दर और सरस फल भी हमें अनायास ही प्राप्त हो गये। ऐसी है सत्यकी महिमा, ऐसा है सत्याग्रहका प्रताप! जो ईश्वरसे डर कर चलता है उसे मनुष्यसे डर रखनेकी कोई जरूरत नहीं, यह बात करोड़ों बार सिद्ध हो चुकी है।

आयोगकी रिपोर्ट देखनेसे भी ऐसा ही सिद्ध होता है। तीन-पाँड़ी कर तथा विवाहके सम्बन्धमें हमारी ओर से बहुत कम गवाहियाँ दी गईं। किन्तु, ये दोनों बातें हमारी लड़ाईका मुख्य हेतु थीं और उनके सम्बन्धमें आयोगने जो सिफारिशें की हैं, उनसे अच्छी सिफारिशें हमारे लाख गवाहियाँ देनेपर भी नहीं की जा सकती थीं। यदि हमने तीन-पाँड़ी करके विषयमें गवाहियाँ दी होतीं तो, हमें लगता है, यह भी हो सकता था कि आयोगने इस करकी जितनी कड़ी आलोचना की उतनी कड़ी आलोचना वह नहीं करता। जिन बातोंके सम्बन्धमें भारतीयोंने नासमझी अथवा अज्ञान-वश गवाहियाँ दीं, उन बातोंके सम्बन्धमें समाजको कुछ खोना ही पड़ा है। एक भारतीयने यह शहादत दी कि उसे पीटा गया, किन्तु उसकी शहादतको आयोगने बिलकुल उड़ा ही दिया है। प्रवासी कानूनके सम्बन्धमें जो गवाहियाँ दी गईं, वे इतनी कमजोर थीं कि श्री पोलक द्वारा सर बेंजामिनको भेजे गये जोरदार नोटके असरपर भी पानी फिर गया और आयोगके सामने जो कमजोर गवाहियाँ दी गईं हैं उनका परिणाम यही हुआ है कि लोगोंके हाथोंमें झुनझुने थमा कर उन्हें बहला दिया गया है। जिन छोटी-छोटी बातोंके सम्बन्धमें समाज किसी भी समय — चाहे वह समझौता हो जानेके बाद होता या समझौतेकी रूसे ही — राहत पा सकता था, उन्हीं बातोंके सम्बन्धमें उसने आयोगको आलोचना करनेका अवसर देकर अपना ओछापन सिद्ध किया। अब एक-दो उदाहरण लीजिए। आयोगने एक-साला प्रमाणपत्रोंके बदले तीन-साला प्रमाण-पत्र जारी करनेकी सिफारिश की है। सच तो यह है कि हम [अधिवासके] स्थायी प्रमाणपत्र पानेके हकदार हैं, और हमने सर बेंजामिनसे यही माँग की थी। आयोगसे तीनसाला प्रमाणपत्रकी माँग करनेके कारण हमारी स्थायी प्रमाणपत्रकी माँग दब गई। व्यापारिक परवानोंके बारेमें आयोगके सामने दी गई बेसिर-पैरकी गवाहियोंका परिणाम यह हुआ कि उसने इस सवालको बिलकुल उड़ा ही दिया। गवाहियाँ देनेवाले लोगोंने ट्रान्सवालके स्वर्ण-कानूनके साथ और भी सवाल जोड़ दिये, जिससे आयोगने इसे भी किनारे कर दिया। इस प्रकार जिन बातोंके सम्बन्धमें गवाहियाँ दी गईं हैं, उनमें तो हमें बहुत कमपर ही सन्तोष करना पड़ेगा। समाजको स्मरण होगा कि उपर्युक्त सारी बातोंका समावेश श्री काछलियाके पत्रकी पाँचवीं माँगमें हो जाता था।^१ उसमें सभी मौजूदा कानूनोंके वाजिब अमलकी माँग की गई थी। यदि यह माँग न होती तो जो गवाहियाँ दी गईं वे भी न दी गईं होतीं। अतः, जिन भाइयोंने उतावलीमें बिना कोई विचार किये गवाहियाँ दे दीं, उन्होंने यदि ऐसा नहीं किया होता तो जो बात तीन-पाँड़ी कर आदि प्रश्नोंके सम्बन्धमें हुई, वही पाँचवीं माँगके बारेमें भी होती।

१. देखिए “पत्र: गृह-सचिवको”, पृष्ठ १७७-८०।

फिर भी, उनकी गवाहियोंसे कोई स्थायी हानि नहीं हुई है, क्योंकि पाँचवीं माँग तो हमेशाकी माँग है। यदि सरकारने वैसा आश्वासन दे दिया—और उसे देना ही पड़ेगा—तो समाज स्वर्ण-कानून, व्यापारिक परवाना कानून आदिके अमलका प्रश्न औचित्यके साथ उठा सकेगा। और ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है कि उस प्रश्नको उठाया जा सके। हमारे प्रश्नके सम्बन्धमें आयोगकी रिपोर्ट कोई ब्रह्म-वाक्य नहीं है। जिस हृदयक वह रिपोर्ट हमारे विरुद्ध है, उस हृदयक सत्याग्रही उससे बँधे हुए नहीं हैं। और यदि समाजके कुछ लोगोंने अज्ञानवश उल्टी-सीधी गवाहियाँ दे दीं तो उससे समाजकी कोई हानि नहीं हो सकती, बशर्ते कि वह यह समझ ले कि उसका इलाज उसके ही हाथोंमें है।

आयोगकी रिपोर्टमें बताया गया है कि सत्याग्रह संघर्ष सर्वथा उचित था; वचन-भंगके बारेमें हमने जो आरोप लगाया वह सही था; और हमारी सारी माँगें वाजिब थीं। इस परिणामको कोई ऐसा-वैसा परिणाम नहीं माना जा सकता, और हम तो मानते हैं कि इस बातसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह सब सत्याग्रहका ही प्रबल प्रताप है।

यदि सरकारने विवाहके सम्बन्धमें आयोगकी सिफारिश स्वीकार कर ली तो परिणाम निम्न प्रकार आयेंगे:

(१) जिस व्यक्तिके एकाधिक पत्नियाँ हों, उसकी एक पत्नीको और उस पत्नीसे उत्पन्न उसके नाबालिग बच्चोंको कानूनी तौरपर प्रवेशका अधिकार होगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति अपने एकपत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता दिलाना चाहे तो वह दिला सकेगा, और तदर्थ नियुक्त मौलवी अथवा ब्राह्मणके सामने या विवाह-अधिकारीके सामने उसका पंजीयन करा सकेगा।

(३) जो व्यक्ति अपने एकपत्नीक विवाहको कानूनी मान्यता दिलाना चाहेगा, वह अपने विवाहका पंजीयन करा कर कानूनी मान्यताका प्रमाणपत्र ले सकेगा और फिर उसकी पत्नीको उतने ही अधिकार प्राप्त होंगे जितने कि किसी यूरोपीय पत्नीको।

(४) नये विवाहोंके लिए मुल्ला अथवा ब्राह्मण विवाह-अधिकारी नियुक्त करनेकी व्यवस्था की जायेगी।

(५) जिस व्यक्तिके एकाधिक पत्नियाँ हैं, वह उन्हें और उनसे उत्पन्न नाबालिग बच्चोंको साथमें ला सकेगा। किन्तु, उन्हें कोई कानूनी हक नहीं मिलेगा।

(६) जिस व्यक्तिका एकपत्नीक विवाह कानूनके अनुसार हो गया हो, वह भी अपने धर्मके अनुसार दूसरा विवाह कर सकेगा। किन्तु, दूसरी पत्नीको कानून-सम्मत नहीं माना जायेगा।

(७) कोई भी भारतीय इनमें से कोई कदम उठानेके लिए बँधा हुआ नहीं है, और न इस कारण वह अपनी पत्नीके अधिकार ही खोयेगा कि उसने वैसा नहीं किया।

हमारा खयाल है, इससे कुछ अधिक न हमने माँगा था और न माँग ही सकते हैं। अन्तमें विवाह तथा तीन-पौंडी करके सम्बन्धमें कानून बननेके साथ-साथ सरकारकी ओरसे केप, फ्री स्टेट तथा मौजूदा कानूनोंके अमलके बारेमें भी निश्चयपूर्वक समाधान होना चाहिए, और जब यह सब हो जायेगा तभी गत आठ वर्षोंसे चल रहे इस महासमरका

अन्त होगा। फिलहाल तो ऐसे बहुत-से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिनसे आशा बँधती है कि उसका अन्त होगा। किन्तु, जब राम-जैसे महापुरुष नहीं जान सके कि कल क्या होनेवाला है तब हमारी क्या बिसात कि भविष्यमें क्या होगा, यह कह सकें?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५-३-१९१४

३०३. भाषण : केप टाउनके स्वागत-समारोहमें^१

[मार्च २५, १९१४]

श्री गांधीने समारोहमें उपस्थित व्यक्तियोंको धन्यवाद दिया तथा श्रीमती गांधीकी बीमारीमें उनकी तथा अपनी सेवाके लिए श्री और श्रीमती गुल तथा उनके परिवारके अन्य सदस्यों तथा समय-समयपर श्रीमती गांधीका समाचार पूछने आनेवाले और फलादि लानेवाले मित्रोंके प्रति भी आभार प्रकट किया। उन्होंने आयोगके प्रतिवेदन (रिपोर्ट)का क्या-कुछ असर हो सकता है, इसे स्पष्ट किया और बहुत जोर देकर समझाया कि हिन्दू और मुसलमान भाई बनकर रहेंगे तो उससे समाजका भला होगा। उन्होंने बताया कि हर कौम अपने धर्मका पालन करते हुए भी एकताके साथ रह सकती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-४-१९१४

३०४. पत्र : महात्मा मुंशीरामको^२

फीनिक्स

नेटाल

मार्च २७, १९१४

प्रिय महात्मा जी,

श्री ऐंड्रयूज मुझे आपके नाम और कामके बारेमें बतला चुके हैं। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी अजनबीको लिख रहा हूँ। आशा है, इस सम्बोधनके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। क्योंकि मैं और श्री ऐंड्रयूज दोनों ही आप और आपके कामके

१. हिन्दू सभाके तत्वावधानमें भारतीयोंकी एक सभा गांधीजी, श्रीमती गांधी और इमाम अब्दुल कादिर वावजीके सम्मानार्थ आयोजित की गई थी। पाटीदार समितिने गांधीजीको इस अवसरपर ७ पौंड और १० शिलिंगकी एक रकम उनके निजी उपयोगके लिए भेंट की।

२. (१८५६-१९२६); बादमें स्वामी श्रद्धानन्दके नामसे प्रसिद्ध; हरिद्वारके निकट कौंगडीमें गुरुकुलके संस्थापक; एक प्रगतिशील हिन्दू नेता, जिनको एक धर्मान्ध मुसलमानने मार डाला था।

बारेमें चर्चा करते समय यही सम्बोधन इस्तेमाल करते रहे हैं। श्री ऐंड्रयूजने मुझे यह भी बतलाया था कि आपका, गुरुदेवका^१ और श्री रुद्रका^२ उनपर कितना अधिक प्रभाव पड़ा है। उनसे मुझे पता चला कि आपके शिष्योंने सत्याग्रहियोंके लिए कितना काम किया था। उन्होंने गुरुकुलके जीवनके इतने सुन्दर शब्द-चित्र खींचे थे कि यह पत्र लिखते समय लगता है, जैसे मैं गुरुकुलमें ही पहुँच गया हूँ। श्री ऐंड्रयूजने मेरे मनमें उक्त तीनों स्थानोंको देखने और इन संस्थाओंके प्रधान, भारतके तीन महान् सुपुत्रोंके प्रति सम्मान प्रकट करनेकी उत्कट अभिलाषा जगा दी है।

आपका
मोहनदास क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२०४) की फोटो-नकलसे।

३०५. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

फीनिक्स

नेटाल

अप्रैल १, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

मुझे आपके दो तार मिले। फिलहाल मैं बादवाले तारका जवाब दे रहा हूँ। मुझे इसमें सन्देह है कि श्रीमती गांधी समझौता होने तक जीवित रहेंगी। मैं यह पत्र उनके पलंगके पास बैठा लिख रहा हूँ। स्वयं मुझे उनका डॉक्टर, नर्स और सब कुछ होना पड़ा है। फिर मेरे भाईकी मृत्युसे पाँच विधवाओं और उनके बच्चोंकी पूरी जिम्मेदारी मुझपर आ गई है। डॉ० मेहता अभी अन्य लोगोंका खर्च दे रहे हैं। मुझे इसमें संदेह नहीं कि इसमें वे मेरे भाईकी विधवाका खर्च भी जोड़ देंगे। परन्तु स्वाभाविक है कि वे और अन्य लोग मुझे यथासम्भव शीघ्र अपने साथ देखनेको उत्सुक हैं। अतएव आप इसे नितान्त आवश्यक ही न समझें तो मैं लन्दन जानेमें हिचकिचाऊँगा। यदि आप आवश्यक समझते हैं तो श्रीमती गांधीके देहावसान होने या उनकी तबीयत थोड़ी सुधरनेपर मैं अवश्य आऊँगा; कहनेका अर्थ यह है कि कमसे-कम दो महीनेके लिए उनसे दूर रहना तभी सम्भव होगा।

मैं आपको पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि भारतीय कानूनपर २२ तारीखको संघ-संसदके फिर शुरू होनेसे पूर्व विचार नहीं होगा।

मुझे पूरी आशा है कि आपको विशीमें इलाजसे वास्तविक लाभ होगा।

१. रवीन्द्रनाथ टैगोर ।

२. सुशील कुमार रुद्र, प्रिंसिपल, सेण्ट स्टीफेन्स कॉलेज, दिल्ली (१९०९-२३) ।

मैं जानता हूँ कि आपसे मेरे या मेरे भविष्यके बारेमें चिन्ता न करनेकी प्रार्थना करना व्यर्थ है। मैं भारतमें चाहे जहाँ रहूँ, हमारे बीच जो समझौता हुआ है उसपर कायम रहूँगा; यानी मुझे भारत पहुँचनेके बाद एक साल तक दक्षिण आफ्रिकाके प्रश्नके अलावा बिलकुल चुप रहना है। अन्य बातोंके बारेमें भी मैं वादा कर चुका हूँ।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७५) की फोटो-नकलसे।

३०६. पत्र : मणिलाल गांधीको

[फीनिक्स
नेटाल]

चैत्र सुदी ८, १९७० [अप्रैल ३, १९१४]

चि० मणिलाल,

तुमने जो फेरफार किया है वह बहुत अच्छा है। दृढ़तापूर्वक उसका पालन करते रहोगे तो वह तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। प्रातःकाल उठनेकी महिमा बहुत सुनी है। अप्रैलकी पहली [तारीख] से क्यों डरते हो? चैत्र शुक्ल ५ तो पर्वकी पंचमी मानी जाती है। अर्थात् तुमने उक्त परिवर्तनके लिए एक शुभ दिन चुना है। और आखिरकार अपनेको मूर्ख तो हम स्वयं ही बना सकते हैं। यदि हम तेजस्वी हों तो किसी दूसरेमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह हमें मूर्ख बना सके।

सुबहका समय बहुत उपयोगी कार्योंमें लगाना। उस समय गणितके सवाल जरा जमकर कर लिया करो तो भी काफी होगा। और अधिक में बादमें बताऊँगा। तुम्हें किताबें भेज रहा हूँ। संस्कृतको खूब पक्का कर डालना।

बा गेहूँके आटेकी काफी, दूधके बिना, ले रही है। इसके सिवा वह और कुछ नहीं लेती। चलने-फिरनेमें असमर्थ है। लगता है, सृजन उतर जायेगी। कहना कठिन है कि क्या परिणाम होगा।

बापाके पत्रका क्या किया? उनके बारेमें अंग्रेजीमें कुछ लिखा था, उसका क्या हुआ।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ९५) से।

सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी।

३०७. विवाह-सम्बन्धी एक घोषणा

संघ-सरकारके २४ मार्चके गज़टमें एक विवाह-सम्बन्धी घोषणा निकली है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय विवाहोंके प्रश्नपर जो कानून बन रहा है उसपर इसका प्रभाव पड़ता है। हम घोषणाका पाठ अन्यत्र छाप रहे हैं। इस घोषणाके अनुसार वर्तमान नेटाल कानूनके अन्तर्गत प्रस्तावित मुसलमानी तथा यहूदी विवाहोंकी पूर्व-सूचनाका प्रकाशन आवश्यक होगा। यदि अमली तौरपर घोषणाका मतलब केवल यहूदी विवाहोंसे हो तो हमें कुछ नहीं कहना है। परन्तु यदि यह घोषणा भावी भारतीय विवाह कानूनका पूर्वाभास है और लोगोंकी प्रतिक्रिया जाननेके लिए प्रकाशित किया गया है तो यह अनिष्टका सूचक है। क्योंकि भारतीय प्रस्तावका सार तो यह है कि भारतके महान धर्मोंमें विवाहकी जो धार्मिक विधियाँ निर्दिष्ट की गई हैं उनके अनुसार सम्पन्न विवाहोंको दक्षिण आफ्रिकाके कानूनमें मान्यता मिलनी चाहिए, बशर्ते कि वे एकपत्नीक हों। भारतीय धर्मोंमें सगाईकी पूर्व-सूचनाके प्रकाशनकी आवश्यकता नहीं मानी जाती। भावी विवाहको व्यापक रूपमें विज्ञापित करनेका हमारा अपना ढंग है (जो हमारी रायमें विवाहकी पूर्व-सूचनाके प्रकाशनसे कहीं श्रेष्ठ है)। यदि विवाहके विरुद्ध धार्मिक प्रथा या कानूनकी दृष्टिसे कोई आपत्ति हो तो कोई प्रतिष्ठित भारतीय पुरोहित विवाह नहीं करायेगा। और स्वयं जाति या विरादरीका रूख आचार-सम्बन्धी नियमोल्लंघनके मामलोंमें बहुत सख्त होता है। यद्यपि हम एकपत्नीत्वके विषयमें दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंकी भावनाको ठेस नहीं पहुँचाना चाहते किन्तु हम अपने धार्मिक सिद्धान्तोंको रस्ती-भर भी छोड़नेका इरादा नहीं रखते। हम प्रस्तावित कानून प्रकाशित होनेसे पहले ही यह चेतावनी दे देना उचित समझते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-४-१९१४

३०८. पत्र : ई० एम० जॉर्जसको

[फीनिक्स
नेटाल]

अप्रैल ८, १९१४

प्रिय श्री जॉर्जस,

मैं आपका ध्यान निम्नलिखित बातकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। श्री पोलकने आपके पास कुछ अस्थायी प्रमाणपत्र भेजे थे, जो १९११ के अस्थायी समझौतेके अनुसार ट्रान्सवालमें बसनेकी अनुमति-प्राप्त शिक्षित भारतीयोंको दिये गये थे। उनके बदलेमें आपको १९१३ के प्रवासी विनियमन अधिनियमके अनुसार स्थायी प्रमाणपत्र भेजने थे। मुझे मालूम हुआ है कि श्री चैमनेने लिखा है कि अभी स्थायी प्रमाणपत्र

जारी नहीं किये जा रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि वे क्यों जारी नहीं किये जा रहे हैं?'

आपका सच्चा,

ई० एम० जॉर्जेस
गृह-मंत्रीका कार्यालय
केप टाउन

टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९५८) की फोटो-नकलसे।

३०९. पत्र : ई० एफ० सी० लेनको

[फीनिक्स
नेटाल]

अप्रैल ८, १९१४

प्रिय श्री लेन,

मैंने संघ-सरकारके 'गज़ट' में विवाह-सम्बन्धी एक घोषणा देखी है। उसके अनुसार मुस्लिम या हिन्दू विवाह-अधिकारियों द्वारा अपने विवाह सम्पन्न करानेके इच्छुक व्यक्तियोंको विवाह करनेकी अपनी इच्छाकी सूचना पहलेसे प्रकाशित करा देनी पड़ेगी। मुझे नहीं मालूम कि यह घोषणा सरकारकी भावी नीति बतलानेके लिए जानबूझकर निकाली गई है, या हिन्दू लोगोंके लिए ही यह घोषणा अपेक्षित थी, लेकिन उसमें उल्लिखित नेटाल विवाह-कानूनके सिलसिलेमें मुसलमानोंका जिक्र करना जरूरी हो गया था। यदि पहली बात सही हो, तो मैं जनरल स्मट्सका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैंने भारतीय समाजकी ओरसे यही कहा था कि भारतीय धार्मिक विधिसे वस्तुतः सम्पन्न पहलेके एकपत्नीक विवाहोंको वैध करार दिया जाना चाहिए और भविष्यमें भी ऐसे विवाहोंको वैध माना जाना चाहिए। उल्लिखित विवाह-सम्बन्धी घोषणा द्वारा विवाहकी इच्छा की पूर्व-सूचना प्रकाशित करानेकी प्रथा लागू की जा रही है। यह एक ऐसी प्रथा है जो हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ही के रीति-रिवाजोंके सर्वथा विपरीत है, क्योंकि दोनों ही धर्मोंकी अपनी-अपनी विधियाँ इतनी विस्तृत हैं कि उनमें धोखेबाजीके विवाहोंकी गुंजाइश ही नहीं। मैं समझता हूँ कि मुझे इस विषयकी ओर जनरल स्मट्सका ध्यान इस समय आकर्षित कराना ही चाहिए जब कि आयोगकी सिफारिशको प्रभावी बनानेवाले विधानका मसविदा तैयार किया जा रहा है।

श्री मेलरको दिये गये श्री बर्टनके उत्तरसे मुझे यह भी पता चला है कि रेलवे विभागने अपने गिरमिटिया भारतीय कर्मचारियोंकी मजदूरीसे तीन-पौंडी करकी आंशिक अदायगीकी किश्तें काट ली हैं। आयोगने इस करके बारेमें जो रुख अपनाया था उससे यह तरीका बिलकुल मेल नहीं खाता। आयोगसे जिन मुख्य-मुख्य विषयोंपर सलाह

१. इसका यह उत्तर दिया गया था कि मामला विचाराधीन है और एशियाई विधान पास हो जानेके बाद ही उसपर कार्रवाई की जायेगी।

मांगी गई थी, उनमें तीन-पौंडी कर भी एक था और इसलिए सरकारको कमसे-कम आयोगका प्रतिवेदन आने तक इस करकी किस्ते काटना बन्द ही रखना चाहिए था। अब आयोगका प्रतिवेदन आ चुका है और उसमें इस करको रद्द करनेकी बड़ी जोरदार सिफारिश की गई है; इसलिए मुझे विश्वास है कि सम्बन्धित अधिकारियोंको इस करकी किस्ते काटनेपर आग्रह न करनेके लिए यदि अभी तक हिदायतें नहीं दी गई हैं तो अब दे दी जायेंगी; क्योंकि मैं समझता हूँ कि यदि सरकार करको रद्द करनेका विधेयक पेश करेगी तो करकी वकाया राशि माफ कर दी जायगी।

आपका सच्चा

श्री अनैस्ट एफ० सी० लेन
गृह-मन्त्रीका कार्यालय
केप टाउन

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९५७) की फोटो-नकलसे।

३१०. पत्र : मणिलाल गांधीको

[फीनिक्स,
नेटाल

रविवार, चैत्र वदी २, अप्रैल १२, १९१४]^१

... श्री कैलेनबैंक चाहें जब सोयें, परन्तु तुम्हें तो एक ही नियम रखना चाहिए। खानेके बारेमें भी यही बात है। तुम जिन वाक्योंको न समझ सको उनका अर्थ यह है: “जो कर्म सिर्फ नियमसे (अक्षरार्थ करके) किये जाते हैं उनके लिए तो शाप है। फिर भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो नियममें बताये हुए कर्म नहीं करते रहते वे सब शापित हैं।”^२ भावार्थ यह है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पानेवाले लोग कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा ही वचन गीताजीमें है, उसपर विचार कर लेना। “त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन” — यह वाक्य अर्जुनसे श्री कृष्णने कहा था। इसका यह अर्थ नहीं कि शास्त्रविहित कर्म न किये जायें। परन्तु उन्हें करना ही काफी नहीं है। अर्थ यह है कि उनका गूढ़ अर्थ समझकर, उनका हेतु समझकर हम उससे आगे बढ़ें। जो आदमी विहित कर्म छोड़कर शुष्क ब्रह्मवादी बन जाता है, वह न तो इधरका रहता, न उधरका। वह शास्त्रका सहारा खो बैठता है; और ज्ञानका आधार उसे मिलता नहीं, इसलिए वह गिरता ही है। इसीलिए “गेलेशियनों” को सन्त पालने कहा था: “तुम लोग शास्त्रके अनुसार कर्म तो करो ही; परन्तु ईसापर श्रद्धा रखकर उनकी शिक्षाका अनुसरण नहीं करोगे तो शापित रहोगे।” यही भावार्थ “बाँण्ड मेड” और “फ्री वुमैन” के सम्बन्धमें है। बाँण्ड यानी बन्धन। शास्त्रको स्थूल माताकी उपमा दी

१. तिथि श्री रावजी भाई पटेल द्वारा प्राप्त।

२. जान पड़ता है, मूल सूत्रमें यहाँ कुछ शब्द छोड़ दिये गये हैं।

३. बाश्विल।

गई है और कहा गया है कि वह तो गुलामीके दर्जेकी है, इसलिए उसकी सन्तान भी गुलाम ही होती है।

श्रद्धा अर्थात् भक्तिको दिव्य माताकी उपमा दी गई है और दिव्य माताकी सन्तान देवरूप होती है। यह भावार्थ समझकर आगे-पीछेके वाक्योंपर विचार करना और लिखना कि अच्छी तरह समझमें आया या नहीं। पहले 'कॉरिन्थियन्स' के १५ वें प्रकरणके ५६ वें श्लोकका अर्थ यह है कि पाप ही मौतका डंक है, यानी पापी मनुष्यके लिए ही मौत डंकके रूपमें है। और दूसरे वाक्यका अर्थ यह है कि पुण्यशालीके लिए मृत्यु मोक्षका साधन है; और शास्त्रोंके शुष्क ज्ञानमें शापका बल होता है। यह हम पग-पग पर देखते हैं। शास्त्रोंके नामपर सैकड़ों पाप होते हैं। पाँचवें 'रोमन्स' के २० वें श्लोकका अर्थ आसान है। उसके सिवा, शास्त्र घुसा और अपराध बढ़े। लेकिन जब-जब पापका पुंज बढ़ा, तबतब ईश्वरकी कृपा भी बढ़ी। यानी ऐसे कलिकालके समय भी शुष्क ज्ञानके बन्धनसे छूटनेवाले आदमी मिल गये। उन्होंने भक्तिमार्ग बताकर शास्त्रोंका गूढ़ार्थ सिखाया, यह ईश्वरकी कृपा है। 'सेण्ट जॉन' के १५ वें प्रकरणके तीसरे श्लोकका अर्थ यह है: "जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, उन वचनोंके अनुसार चलनेसे तुम शुद्ध बनोगे" "Are" को भविष्यका वाचक समझो और "Through" का अर्थ 'अनुसार चलनेसे' करो।

'जीवनमें सुधार-सम्बन्धी परिवर्तन करनेसे पहले विचार करना। पर मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन करनेके बाद उनसे जोककी तरह चिपटे रहो। श्री कैलेनबैंकके गुणोंपर मुग्ध रहो। उनकी कमजोरी दिखाई दे तो उसे समझकर उससे दूर रहो। तुमने जो नया परिवर्तन किया है, वह विचारपूर्वक नहीं किया। जितने परिवर्तन श्री कैलेनबैंक करें वे सब करनेको तुम बँधे हुए नहीं हो। तुम्हें स्वतन्त्र विचार करना और उनपर दृढ़ रहना चाहिए। ऐसा करनेमें कभी भूल भी होगी। उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। निर्मल चित्तसे खूब विचार करनेके बाद तुम्हें मेरे विचारोंका विरोध करनेका भी अधिकार है। और जहाँ ऐसा करनेमें नीति दिखाई दे वहाँ विरोध करना तुम्हारा फर्ज है। तुम मोक्षका तत्त्व समझो और मोक्षेच्छु बनो, यह मेरी तीव्र इच्छा है। और यह तब तक कभी नहीं होगा जब तक तुममें स्वतन्त्र विचार करनेकी शक्ति और दृढ़ता नहीं आयेगी। अभी तो तुम्हारी हालत किसी लताकी जैसी है। लता जिस वृक्षपर चढ़ती है, उसीका रूप ले लेती है। यह दशा आत्माकी नहीं है। आत्मा तो स्वतन्त्र है और मूल रूपमें सर्व-शक्तिमान है।

“काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्॥

जब अर्जुनने श्रीकृष्ण भगवानसे पूछा कि मनुष्य इच्छाके विरुद्ध भी किसलिए पाप करता है, तो भगवानने उसे उपरोक्त उत्तर दिया। इसका अर्थ यह है कि "पापका कारण काम है, क्रोध है; वह रजोगुणसे उत्पन्न होता है। वह बहुभक्षी है और बहुत पाप करानेवाला है। उसे जरूर अपना बैरी समझो।" यह सिद्धान्त है। इसलिए जब भी कैलेनबैंकको गुस्सा आया, तुम्हें शान्त रहना चाहिए था। अपने बड़े-बूढ़े क्रोध करें

तब हम नम्र रहें, चुप रहें, और जवाब देना पड़े तो कहें कि “मैं अपनी भूल सुधारूँगा, अब मुझे माफ कीजिए।” इसमें यह स्वीकार करनेकी बात नहीं है कि तुमने जान-बूझकर अपराध किया है। फिर जब बड़े लोग शान्त हों तब जहाँ शंका हो वहाँ विनय-पूर्वक उनसे पूछा जाय। श्री कैलेनबैक शान्त हो जायें तब तुम उनसे पूछ सकते हो कि सेव सड़े जा रहे थे, अतः उनमें से कुछ देनेमें क्या दोष हुआ?”

डेविडकी स्तुति समझने लायक हैं। उनमें उन्होंने दुष्टोंका नाश करनेकी जो इच्छा बताई है उसका रहस्य यह है कि उनसे बुराई सहन नहीं हो सकती थी। यही विचार रामायणमें है। राक्षसोंका संहार देवताओं और मनुष्योंने भी चाहा है। “जय राम रमा” की स्तुतिमें भी यही भावना है। उसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि डेविड (अर्जुन — दैवी सम्पत्ति) अपने शत्रु (दुर्योधन आदि — आसुरी सम्पत्ति) का नाश चाहता है। यह सात्त्विक वृत्ति है और भक्तिभावमें यह दशा रहती है। जब ज्ञानदशा उत्पन्न होती है तब दोनों प्रवृत्तियाँ दब जाती हैं और सिर्फ शुद्ध भाव — केवल ज्ञान — रहता है। इस दशाका वर्णन बहुत करके बाइबलमें नहीं आता। डेविड दोषयुक्त होनेपर भी भक्त थे। और उनकी स्तुतिमें उनके जो उद्गार हैं उनकी भाषा सरल है। वे महान होनेपर भी ईश्वरके सामने दीन बनकर रहते हैं और अपनेको तिनकेके बराबर समझते हैं।”

[गुजरातीसे]

गांधीजीनी साधना

३११. पत्र : मणिलाल गांधीको

फीनिक्स

नेटाल

शुक्रवार चैत्र वदी ८ [अप्रैल १७, १९१४]

चि० मणिलाल,

तुम्हारे पत्र मिले। वा की तबीयत अभी तो फिर सुधरती दिख रही है।

वहाँ भी नीचे [फर्शपर] बैठकर खाना लाभकारी होगा, ऐसा लगता तो है। जिस जगह हम बैठें उसे साफ कर लें तो फिर आपत्ति न होगी। हम नीचे तो सोते ही हैं इसलिए (नीचे बैठकर) खा भी सकते हैं। जिस जगह खायें वहाँ लीप दिया जाये तो काफी होगा। यदि हमने यह अभ्यास स्वदेशमें पहुँचनेके बाद शुरू किया तो अटपटा मालूम होगा। फर्शपर बैठकर खानेमें नम्रता है; और इसका यह मतलब हुआ कि हम भी वही कर रहे हैं जो करोड़ों लोग करते हैं। टेबिलपर बैठकर खाने-वाले लोग दुनियामें बहुत थोड़े हैं।

मेरी खुराकमें १८ खजूर, ९ केले, ३ [?] कच्ची मूँगफली, ४ आमाटुंगुलु और २ नींबू होते हैं। इनमें मैं २ चम्मच तेल मिला लेता हूँ। जो चबाते बन जाये, ऐसा

नरम खोपरा भी ले लेता हूँ। टमाटर मँहगा है, इसलिए केवल उन लोगोंके लिए मँगाया जाता है जिनका काम उनके बिना नहीं चलता। सभी एक समय खाकर नहीं रहते। रावजी भाई और मैं, केवल दो ही, एक समय खाते हैं। रामदासने भी एक महीने तक एक वक्त खाकर काम चलाया। सोमवार और शुक्रवारको सभी अलोना भोजन करते हैं।

मैं यह तो नहीं समझ पाया कि लोग १० वें दिनकी बजाय हर पखवाड़ेके ११ वें दिन, एकादशीको उपवास क्यों करते हैं। किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि १५ दिनमें एक बार सामान्य भोजन छोड़ देनेसे शरीर और मन शुद्ध हो जाता है। हम चाहते हैं कि स्वादेन्द्रियको जीत लें; किन्तु पूरी तरह नहीं जीत पाते, इसलिए १५ दिनमें एक बार मानो प्रायश्चित्त करते हैं। इसके सिवाय हम अनेक मानसिक पाप करते हैं और इस प्रकार हर १५ वें दिन उसका जमा-बाकी करके अपनी अधम स्थितिका अनुभव करते हैं। एकादशीका व्रत केवल उपवास करनेसे ही पूरा नहीं हो जाता। वह दिन धर्म-विचारमें व्यतीत होना चाहिए।

मैंने तुम्हें दो किताबें भेजनेके लिए कह दिया है। उनके साथ ही गीताजीकी जो नकल तुमने की है वह भी भेज दी जायेगी।

“सच पासेथ फ्रॉम ऑल, प्लेनिंग टु ब्लेस्ट निर्वान” — यह “स शान्तिमधिगच्छति” का अनुवाद है। अर्थात् उसे शान्ति मिल जाती है। जो मनुष्य कामरहित हो जाता है, ममत्वरहित हो जाता है, अहंकाररहित हो जाता है, उसे शान्ति मिल जाती है। अंग्रेजीमें केवल “प्लेनिंग” है। “एक्स” लुप्त है। अर्थात् वह “एक्सप्लेनिंग” है। ऐसा व्यक्ति सब झंझटोंसे (अर्थोंसे) मुक्त हो जाता है और सुखपूर्ण निर्वान प्राप्त करता है।

जो हमेशा सवेरे उठता है, उसे रविवारको अपवाद नहीं मानना चाहिए। यदि हम ऐसा करें, तो हम बड़ी फिक्रसे रविवारका रास्ता देखने लगेंगे। इसलिए यदि तुम यह आदत डालना चाहते हो, तो तुम्हें दूसरे दिनोंकी तरह रविवारको भी उसी समय उठना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

स्वामी मंगलानन्दपुरी दो दिनसे यहाँ आये हुए हैं। कल चले जायेंगे।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९६) से।

सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी

३१२. तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स
नेटाल]

अप्रैल २२, १९१४

गृह-मन्त्री

वेरुलम न्यायाधीशके न्यायालयमें तीन-पौंडी करसे सम्बन्धित सजाओंका विवरण मुझे अभी मिला। ये सजाएँ इसी महीने सुनाई गईं। भारतीय समाजको सरकारसे कमसे-कम इतनी आशा तो है कि विधान पास होने तक करकी जबरिया वसूली स्थगित की जायेगी। आश्वासनपूर्ण उत्तर मिलनेपर काफी परेशानी और कटुतासे बच सकेंगे।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-४-१९१४

३१३. पत्रका अंश

[फीनिक्स
नेटाल]

चैत्र वदी १३ [अप्रैल २२, १९१४]

... आजतक मैंने ऐसी मानसिक उथल-पुथलके दिन कभी नहीं बिताये। मेरा बोलना, चलना, हँसना, फिरना, खाना-पीना, सभी काम यन्त्रवत् चल रहे हैं। कुछ भी लिख नहीं पाता। हृदय, ऐसा जान पड़ता है, बिलकुल शुष्क हो गया है। मेरी इन दिनोंकी वेदनाका पार नहीं है। कई बार तो ऐसा जी हुआ कि चाकू निकाल कर पेटमें भोंक लूँ। कई बार सामनेकी दीवारपर सिर दे मारनेका खयाल आया। और कई बार इस संसारसे भाग जानेका विचार किया। किन्तु बादमें सोचा कि अरे भले आदमी, अरे मूर्ख प्राणी, तू इतना पागल क्यों हो रहा है? यदि तू ऐसी मानसिक वेदनाके समय सन्तुलित नहीं रह सका, तो जो थोड़ा-बहुत ज्ञान मिला है, वह किस कामका? इसी विचारसे मैं अपने ये दिन काट रहा हूँ। जो मेरे हितैषी हैं उनसे इस समय मैं यही कहना चाहता हूँ: "देखो भाई, जे० ने भयंकर पाप किया है।"

फीनिक्स आश्रमके एक ऐसे निवासीके नैतिक पतनका प्रमाण मिलने के कारण, जिसपर गांधीजीको बड़ा भरोसा था।

जब मुझे यह सब मालूम हुआ, तो मैंने सोचा कि मैंने एक अपात्रपर विश्वास किया, उसका प्रायश्चित्त मुझे भोगना चाहिए। १५ दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा लेते-लेते रुक गया। बा का खयाल आया। यदि मैं १५ दिन तक न खाऊँ, तो बा का साथ-ही-साथ मरण समझो। इसी भयसे मैंने फिलहाल वह विचार छोड़ दिया है। परन्तु बादमें निश्चय हुआ कि जे . . . 'को भी . . . 'जाना ही चाहिए। वहाँ जाकर रहना ही उसका मुख्य कर्तव्य है। यहाँ रहनेमें उसका कल्याण नहीं है . . . ।' समझमें नहीं आता कि मुझमें ऐसी कौन-सी बात है। दूसरे लोग जो कहते हैं उसके अनुसार तो मुझमें एक ऐसी कठोरता है कि जिसके कारण सामनेवाले व्यक्ति मेरा मन रखनेके लिए पूरी ताकत लगाकर काम करते हैं और जो उनसे करते नहीं बनता ऐसा काम करनेका प्रयत्न भी करते हैं। और चूँकि उनमें उन कामोंको सम्पन्न करनेकी शक्ति नहीं होती, इसलिए वे झूठका सहारा लेकर मुझे छलते हैं। गोखलेजीने भी कई बार मुझसे कहा, "आपमें एक ऐसी कठोरता है कि सामनेके व्यक्तिके मनमें भय उत्पन्न कर देती है और आदमी डरके मारे आपकी इच्छा पूरी करनेके लिए एड़ी-चोटीका पसीना एक करता रहता है। और जो व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, वह अन्तमें झूठका सहारा लेता है। आप लोगोंपर बड़ा बोझ डाल देते हैं। यहाँतक कि मैं भी आपका कोई काम होता है, तो वशके बाहर होनेपर भी पूरी ताकत लगाकर उसे करता हूँ।"

[गुजरातीसे]

गांधीजीनी साधना

३१४. तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स
नेटाल]

अप्रैल २४, १९१४

तीन-पौंडी करके बारेमें तुरन्त आश्वासनके लिए मेरा धन्यवाद।^१ मेरा सुझाव कि किस्तें अदा न करने या अदा कर न पानेके लिए हालके मुकदमोंके दौरान वेरुलम या कहीं और बन्दी बनाये गये लोग रिहा कर दिये जायें।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-४-१९१४

१. इन स्थलोंपर मूलमें ही कुछ शब्द छूटे हुए हैं।

२. गांधीजीके अप्रैल २२ के तारके उत्तरमें जनरल स्मट्सने तार भेजा था : "तीन-पौंडी परवाने न लेनेके लिए भारतीयोंपर चले मुकदमोंके बारेमें आपका तार मिला। भारतीय जाँच आयोगकी सिफारिशोंपर संसद् द्वारा विचार होने तक मुकदमोंके सम्बन्धमें कार्रवाई स्थगित करनेके लिए न्याय-मन्त्रीको लिखा गया है।"

१२-२६

३१५. हिन्द स्वराज्य'

'हिन्द स्वराज्य' मैंने १९०९ में इंग्लैंडसे [दक्षिण आफ्रिका] वापिस आते हुए जहाजपर लिखी थी। किताब बम्बई प्रेसीडेंसीमें जप्त कर ली गई थी इसलिए सन् १९१० में मैंने उसका [अंग्रेजी] अनुवाद प्रकाशित किया। पुस्तकमें व्यवत विचारोंको प्रकाशित हुए इस प्रकार पाँच वर्ष हो चुके हैं। इस बीच, उनके सम्बन्धमें अनेक व्यक्तियोंने मेरे साथ चर्चा की है। कई अंग्रजों और भारतीयोंने पत्र-व्यवहार भी किया है। बहुतोंने उससे अपना मतभेद प्रकट किया। किन्तु अन्तमें हुआ यही है कि पुस्तकमें मैंने जो विचार व्यक्त किये थे, वे और ज्यादा मजबूत हो गये हैं। यदि समयकी सुविधा हो तो मैं उन विचारोंको युक्तियाँ और उदाहरण देकर और विस्तार दे सकता हूँ; लेकिन उनमें फेरफार करनेका मुझे कोई कारण नहीं दिखता।

'हिन्द स्वराज्य' की दूसरी आवृत्तिकी माँग कई लोगोंकी ओरसे आई है, अतः फोनिक्सके निवासियों और विद्यार्थियोंने अपने उत्साह और प्रेमके कारण जब-तब समय निकालकर यह दूसरा संस्करण छापा है।

यहाँ मैं सिर्फ एक बातका उल्लेख करना चाहूँगा। मेरे कानमें यह बात आई है कि यद्यपि 'हिन्द स्वराज्य' लगातार यही सीख देता है कि हमें किसी भी स्थितिमें, किसी भी समय शरीरबलका आश्रय नहीं लेना चाहिए और अपना साध्य सदा आत्मबलसे ही प्राप्त करना चाहिए; लेकिन सीख जो भी रही हो, परिणामकी दृष्टिसे उससे अंग्रेजोंके प्रति तिरस्कारका भाव और उनके साथ हथियारोंसे लड़कर या और किसी तरह मारकर उन्हें भारतसे निकाल देनेका विचार पैदा हुआ है। यह सुनकर मुझे दुःख हुआ। 'हिन्द स्वराज्य' लिखनेमें यह हेतु बिलकुल नहीं था। और मुझे कहना पड़ेगा कि उसमें से जिन लोगोंने यह निष्कर्ष निकाला है वे उसे बिलकुल नहीं समझे हैं। मैं स्वयं अंग्रेजोंके या अन्य किसी भी राष्ट्रकी जनता या व्यक्तियोंके प्रति तिरस्कारकी दृष्टिसे नहीं देखता। जैसे किसी महासागरकी जल-राशिकी सारी बूँदें एक ही अंग हैं उसी प्रकार सब प्राणी एक ही हैं। मेरा विश्वास है कि प्राणिसागरमें रहनवाले हम सब प्राणी एक ही हैं और एक-दूसरेसे हमारे सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ़ हैं। जो बिंदु समुद्रसे अलग हो जाता है वह सूख जाता है, उसी प्रकार जो जीव अपनेको दूसरोंसे भिन्न मानता है वह नष्ट हो जाता है। मैं तो यूरोपकी आधुनिक सभ्यताका शत्रु हूँ और 'हिन्द स्वराज्य' में मैंने अपने इसी विचारको निरूपित किया है। और यह बताया है कि भारतकी दुर्दशाके लिए अंग्रेज नहीं बल्कि हम लोग ही दोषी हैं, जिन्होंने आधुनिक सभ्यता स्वीकार कर ली है। इस सभ्यताको छोड़कर हम सच्ची धर्म-नीतिसे युक्त अपनी प्राचीन सभ्यता पुनः अपना लें तो भारत आज ही मुक्त हो सकता है। 'हिन्द स्वराज्य' को समझनेकी कुंजी

१. यह हिन्द स्वराज्य के दूसरे गुजराती संस्करणकी प्रस्तावनाके रूपमें लिखा गया था। यह पुस्तक मई, १९१४ में प्रकाशित हुई थी। प्रथम संस्करणकी प्रस्तावना और पाठके लिए देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६-६९।

इस बातमें है कि हमें दुनयवी प्रवृत्तिसे निवृत्त होकर धार्मिक जीवन ग्रहण करना चाहिए। ऐसे जीवनमें काले या गोरे किसी भी मनुष्यके प्रति हिंसक व्यवहारके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-४-१९१४

३१६. तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स

मई ६, १९१४ के पूर्व]

गृहमन्त्री

प्रान्तमें प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाली भारतीय पत्नियोंके फोटो देनेके नियमके बारेमें इस्लामिया अंजुमन द्वारा डर्वन भेजे गये तारको मैंने देखा है। मैं प्रवासी विभागकी फोटो माँगनेकी जरूरतको समझनेमें असमर्थ। ध्यान दिलाता हूँ कि जब कुछ साल पहले ट्रान्सवालमें केवल पुरुषोंके बारेमें यह सवाल उठा था तब भी इससे बड़ी कटुता फैली थी और सरकारने कृपापूर्वक वह शर्त उठा ली थी। औरतोंके बारेमें तो यह बात बहुत खतरनाक है। आशा करता हूँ मन्त्री महोदय कृपापूर्वक प्रवासी अधिकारीको इस शर्तको हटाने और सम्बन्धितजनों द्वारा दिये गये स्थानीय प्रमाणोंको स्वीकार करनेका आदेश देंगे। यह भी मालूम हुआ है कि भारतीय प्रवेशार्थियोंके बारेमें प्रवासी विभाग आम तौरसे कठोर तरीके बरत रहा है। एक शिकायत यह है कि जो भारतीय एकसे अधिक प्रान्तोंमें निवासका अधिकार रखते हैं उनपर एक ही प्रान्तका चुनाव करनेके लिए दबाव डाला जाता है। निवेदन है कि यह शर्त मनमानी और अनावश्यक है। आज तक दोहरे या तिहरे निवासाधिकारकी प्रथापर कभी आपत्ति नहीं की गई और आशा करता हूँ कि १९१३ के प्रवासी अधिनियमकी कानूनी व्याख्याके बावजूद सरकारका इरादा वर्तमान परम्परासे हटनेका नहीं है।^३

गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-५-१९१४

१. डर्वनकी इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्षने गृह-मन्त्रीको एक तार भेजकर सूचित किया था कि भारतीय पत्नियोंके फोटो देनेकी शर्तपर भारतीय कौमोंको धार्मिक आपत्ति है, और यह अनुरोध किया था कि शिनाख्तके लिए स्थानीय प्रमाणोंको पर्याप्त माना जाये।

२. इसके उत्तरमें गृह-मन्त्रीने तारसे यह जवाब दिया: “आपका तार आज मिला। मामलेकी जाँच की जा रही है।”

१७. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

फीनिक्स

नेटाल

मई ६, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

आपका तार मिला; फिर आपका अत्यन्त स्नेहपूर्ण पत्र और डॉ० मेहताका पत्र भी। बड़ी इच्छा है कि आपकी बीमारीके दिनोंमें मैं आपके पास रहूँ; हालाँकि हो सकता है, मैं किसी कामका भी साबित न हो सकूँ। आपके तारसे मुझे बड़ी शान्ति मिली, सुविधा भी हुई। श्रीमती गांधीका स्वास्थ्य अब पहलेसे काफी अच्छा है। यदि इसी गतिसे सुधार होता चला गया तो एक महीनेमें ही उनका स्वास्थ्य लगभग पहले-जैसा हो जायेगा। तब और नहीं, तो ऐसे भी मैं उनको साथ लेकर लन्दन आ सकूँगा। वहाँ आपसे परामर्श करनेके बाद हम दोनों सीधे भारतके लिए रवाना हो सकते हैं और हम दोनोंकी रवानगीके बाद साथके दूसरे लोग यहाँ लौट सकते हैं। इस तरह मैं बिना अधिक समय गँवाये भारत पहुँच सकता हूँ। ज्यादासे-ज्यादा तीन ही हफ्ते लगेंगे। कृपया तार द्वारा सूचित कीजिए कि अब मेरा आना ठीक रहेगा या नहीं। आपका और डॉ० मेहताका पत्र पढ़नेके बाद मेरी तो आनेकी बड़ी इच्छा हो रही है। यदि आप मुझे वहाँ आनेसे रोकेंगे, तो बड़ी निराशा होगी। इसलिए यदि आप मुझसे पहले भारत पहुँचनेके लिए रवाना न हो रहे हों तो आशा है कि मुझे आपके पास आनेकी इजाजतका ही तार मिलेगा।

विधेयकका प्रारूप^१ अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। इसलिए हो सकता है कि मैं जूनके अन्त तक भी यहाँसे न हिल सकूँ। और यह भी सम्भव है कि अन्तिम रूपसे समझौता होनेकी सम्भावनाकी नौबत ही न आये। तब तो संघर्ष फिर शुरू होगा ही और मैं भारत जानेकी सोच भी नहीं सकूँगा। मैं दोनोंके लिए पूरी तरह तैयार हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७६) की फोटो-नकलसे।

१. यहाँ उल्लेख भारतीय राहत विधेयकका है।

३१८. तार : गृह-मन्त्रीको^१

[फीनिक्स]

मई ७, १९१४ या उसके बाद]

कृपया भारतीय पत्नियोंके फोटो-सम्बन्धी मेरे तारका अनुकूल उत्तर दें। समाजके लोग उत्तेजित। यदि निर्णयमें विलम्ब कृपया अधिकारीको अस्थायी अनुमति-पत्रोंकी अवधि बढ़ानेकी हिदायत दें।

गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७४) की फोटो-नकलसे।

३१९. तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स]

मई १९, १९१४

गृह-मन्त्री
केप टाउन

लोग पूछ रहे ह भारतीय कानून पेश होनेकी सम्भावना कब।^२ कृपया सूचित करें।

गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७०) से।

१. लगता है कि यह तार "तार : गृह-मन्त्रीको", पृष्ठ ३९९ के संदर्भमें है और स्पष्ट ही ६ मई, १९१४ के कुछ समय बाद भेजा गया था।

२. मन्त्रीने २० मईको तार द्वारा उत्तर दिया: "यहाँ आकर मन्त्रीके साथ विधेयकके मसविदेपर बात करनेकी आपकी इच्छापर निर्भर, चाहे तो अगले हफ्तेके प्रारम्भमें कोई दिन निश्चित किया जाये। विधेयक शायद उसके बादके हफ्ते पेश हो जायेगा।"

३२०. स्वर्गीय श्रीमती मेयो

हमें यह सूचित करते हुए दुःख हो रहा है कि श्रीमती मेयो' गत सप्ताह दिवंगत हो गईं। यह समाचार श्री कैलेनवैकको तार द्वारा भेजा गया था और फिर उन तमाम लोगोंको खबर लगी जो श्रीमती मेयोको आदर और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे थे। वास्तवमें वे एक महान आत्मा थीं। उनका जीवन अन्तिम क्षण तक अत्यन्त कर्मठताका जीवन रहा। उनकी गिनती टॉलस्टॉयके सिद्धान्तोंके इनेगिने सही व्याख्याकारोंमें की जाती थी, और संसारमें वे अन्य बातोंकी अपेक्षा इसी हैसियतसे अधिक याद की जायेंगी। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंने अपने संकट कालमें उनसे अत्यन्त ही हार्दिक एवं स्नेहपूर्ण सहानुभूति पाई थी, इसलिए वे उनकी स्मृतिको एक अमूल्य निधिकी भाँति सहेजेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-५-१९१४

३२१. तार : गृह-मन्त्रीको

[फीनिक्स,
नेटाल]

मई २२, १९१४

गृह-मन्त्री
केप टाउन

आज शाम केप जा रहा हूँ बुधवारके सुबह पहुँचकर सेवामें उपस्थित।

गांधी

हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९७२) की फोटो-नकलसे।

१. श्रीमती इसाबेला फायवी मेयो !

३२२. पत्र : 'ट्रान्सवाल लीडर' को'

[जोहानिसबर्ग]

मई २३, १९१४

[महोदय]

आपने 'लीडर' के आजके अंकमें न्यायमूर्ति मैसनके कुछ उद्गार 'गवाहीकी विश्वसनीयता', और 'भारतीयोंके विषयमें न्यायाधीशके उद्गार' शीर्षकसे प्रकाशित किये हैं।

मैं न्यायाधीश महोदयके उस वक्तव्यका खण्डन नहीं करना चाहता, जो समय-समयपर उनके सामने प्रस्तुत किये गये तथ्योंके प्रकाशमें सही हो सकता है; किन्तु जनताको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जस्टिस मैसनने अपने उद्गार केवल एक वर्ग-विशेषके भारतीयों तक सीमित रखे थे और उन्हें तो मेरा संघ भी इस आरोपसे मुक्त नहीं करना चाहता। श्री ग्रीनबर्ग यह कल्पना करते प्रतीत होते हैं कि न्यायमूर्ति मैसनने राष्ट्रीय या जातिगत आधारपर भारतीय साक्ष्यकी निन्दा की है; बात ऐसी नहीं है। गैर-भारतीयोंमें भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इसी प्रकार अदालतको गुमराह करनेका प्रयत्न करते हैं। पर मैं नहीं समझता कि आप ऐसी परिस्थितिमें यूरोपीयोंके विषयमें भी न्यायाधीशके उद्गारोंसे इस प्रकारका निष्कर्ष निकालेंगे। कहावत है कि डॉक्टरोंकी भाँति, वकील भी जीवनके बाह्य पक्षको ही देखते हैं और निश्चय ही वे इस देखे हुएके आधारपर ही अपने निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ अपेक्षाकृत किसी कम न्यायप्रिय आदमीको अतिशयोक्ति करनेका प्रबल लोभ हो सकता था; किन्तु न्यायमूर्ति मैसनन अपने उद्गारोंको समाजके उसी वर्ग तक सीमित रखा जिसे वह अपराधी मानते थे और उन्होंने सम्पूर्ण भारतीय समाजके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया, जैसा कि आपकी रिपोर्टकी कुछेक प्रथम पंक्तियोंसे ध्वनित होता है।

मुझे विश्वास है कि आप इस पत्रको प्रकाशित कर सकेंगे जिससे यदि कोई गलत-फहमी फैली हो तो दूर की जा सके।

[आपका आदि]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-६-१९१४

१. यह पत्र श्री अ० मु० काठलियाके हस्ताक्षरसे ट्रान्सवाल लीडरमें प्रकाशित इस समाचारके जवाबमें भेजा गया था: "कल विटवॉट्सरैंड लोकल डिवीजनमें जज और वकीलने भारतीय गवाहोंकी अविश्वसनीयताके बारेमें कुछ कठोर बातें कहीं। . . ."

३२३. भाषण : प्रार्थना सभामें

[जोहानिसबर्ग
मई २३, १९१४]

गीताके श्लोकोंको कंठस्थ कर लेने भरसे मैं खुश नहीं हो सकता। मुझे इस बातकी भी चिन्ता नहीं है कि तुम इतिहास पढ़ते हो या नहीं; अथवा गणितके सवाल करते हो या संस्कृत सीखते हो। जरूरी तो यह है कि तुम आत्म-संयम सीखो। यही मैं चाहता हूँ। मैं शायद किसी अन्य मनुष्यकी गुलामी स्वीकार कर लूँ पर अपने मनकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मनका गुलाम बन जानेसे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए समझदार बनो और अपने दिमागपर अनुशासन करना सीखो; तभी तुम मेरे साथ रह सकोगे। अन्यथा मुझे किसीकी जरूरत नहीं है। और न मुझे यह दम्भ ही है कि मैं तुम्हें या अन्य किसीको सिखा सकता हूँ। मेरे पास तो पहले ही से एक ऐसा विद्यार्थी मौजूद है जिसको सिखाना बहुत कठिन कार्य है; उसे सिखानेपर ही मैं तुम्हारा, भारतका और संसारका कुछ भला कर सकता हूँ और वह विद्यार्थी मैं खुद हूँ; अर्थात् वह है मेरा अपना मन। जो इस तरह अपने शिष्य बन सकते हैं वे ही यहाँ रह सकने योग्य हैं। वे जो इस प्रकारका जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छा यही है कि वे यहाँ न रहें। उनके लिए यह जगह छोड़ देना ही ठीक होगा। किसी भी कामको अन्धविश्वासके कारण (निरुद्देश्य और यान्त्रिक रूपसे) करना पाप है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता।

[गुजरातीसे]

गांधीजीनी साधना

३२४. भेंट : ई० एम० जॉर्जसे^१

प्रिटोरिया
मई २७, १९१४

श्री गांधीने धारा १ के बारेमें बतलाया कि उनके विचारमें इसका महत्व मुख्यतः बानक बनाये रखनेकी दृष्टिसे ही है। उनके खयालसे एक बड़ी संख्यामें भारतीय पुरो-

१. गवर्नर जनरल ग्लैडस्टनने मई ३०, १९१४ को उपनिवेश-मन्त्रीके नाम एक खरीता भेजा था, जिसके साथ भारतीय राहत विधेयकके मसविदेकी छपी हुई प्रतियाँ भी थीं। मसविदेमें किये गये कुछ शाब्दिक संशोधनोंकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गवर्नर-जनरलने खरीतेमें कहा था: “श्री गांधीको नेटालसे बुलाया गया है। गृह-मन्त्रीने बुधवारकी सुबह उनको विधेयककी एक पेसी ही छपी हुई प्रति दे दी थी। श्री गांधीने उसको देखकर बुधवारको ही दोपहर बाद श्री जॉर्जसे फिर् मुलाकात की थी। मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर वे सन्तुष्ट ही लगते थे। उनकी भेंटका सारांश निम्नलिखित है।” अन्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

हितोंको विवाह-अधिकारी नियुक्त कर देनेपर कई बुराइयोंको बड़ी आसानीसे बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अपने-आपको पुरोहित कहनेवाले कुछ व्यक्ति ऐसे भी निकल सकते हैं जिनका चरित्र बहुत ऊँचा न हो। इसीलिए उनका मत था कि ऐसी नियुक्तियाँ बहुत सोच-समझकर की जायें और वे ही पुरोहित चुने जायें जिनके नामपर उंगली उठाना सम्भव न हो। उनका खयाल था कि व्यवहारमें तो भारतीय विवाहोंको बंध बनानेका आम तरीका धारा २ के अन्तर्गत उनका पंजीयन कराना ही होगा या होना चाहिए; इसी आधारपर उन्होंने बंधताके अधिकारको अधिनियमके लागू होने तक सम्पन्न हो चुके विवाहों तक सीमित करनेका जोरदार विरोध किया था।^१

. . . श्री जॉर्जसे और श्री गांधीने भेंटके दौरान दूसरे इस विषयपर भी विचार किया कि क्या धारा २ के अन्तर्गत भारतीय विवाहोंको पंजीयित करनेकी सत्ता आम तौर पर मजिस्ट्रेटोंको प्रदान करना उपयुक्त है, चाहे वे विवाह अधिकारी नियुक्त किये गये हों या नहीं।^२

लगता है श्री गांधीने धारा ३के बारेमें उप-धारा (२) के उपबन्ध (ख) पर कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन उन्होंने यह अवश्य कहा कि इस धाराके अन्तर्गत प्रवेश पानेकी अधिकारिणी दिवंगत महिलाओंकी सन्तानको इसकी सुविधाओंसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। श्री जॉर्जसेने मेरे सचिवको बतलाया कि वे मन्त्रीके सामने कुछ इस प्रकारका एक संशोधन रखेंगे: धाराके अन्तमें, "पारिभाषित" शब्दके पश्चात् कुछ इस प्रकारकी शब्दावली जोड़ दी जाये जैसे कि "या विमुक्त किये गये किसी व्यक्ति और ऐसी एक मृत महिलाकी सन्तान, जो यदि जीवित रहती तो इस खण्डके अर्थके अनुसार पत्नी मानी जाती या जिसका विवाह इस अधिनियमके खण्ड २की व्यवस्थाओंके अन्तर्गत पंजीयित हो सकता था।" मेरी जानकारीके अनुसार तो श्री गांधीने विधेयकके बारेमें केवल यही मुद्दे उठाये थे।^३

हाँ, प्रशासन सम्बन्धी प्रश्नोंके बारेमें उन्होंने निम्नलिखित बातें कही थीं। उनकी माँग थी कि संघके विधि-सम्मत भारतीय निवासियोंकी सभी एकाधिक मौजूदा पत्नियोंको

१. खरीतेमें आगे कहा गया था: मैं बतला दूँ कि मैंने श्री जॉर्जसेसे पहले ही कहलवा दिया था कि मैं "इस अधिनियमके लागू होने तक" इन शब्दोंको सम्मिलित करने पर खेद प्रकट करता हूँ। श्री जॉर्जसेने कहा था कि ये शब्द जनरल स्मट्सके आदेशसे जोड़े गये थे; परन्तु उनको यह नहीं मालूम था कि इस विषयमें मन्त्रीका निर्णय अटल माना जाये या नहीं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस धाराके सम्बन्धमें श्री गांधी द्वारा किये गये अनुरोध एकदम बेकार चले जाएँगे। कुछ ही दिनोंमें उनको जनरल स्मट्सके साथ इस विषयपर चर्चा करनेका अवसर मिलेगा।

२. यहाँ खरीतेमें यह भी कहा गया था: "मुझे मालूम है कि श्री जॉर्जसे जनरल स्मट्सको इसमें एक यह उपबन्ध जोड़नेका सुझाव देंगे कि इस धाराके प्रयोजनके लिए 'विवाह अधिकारी' शब्दकी परिभाषामें कोई भी मजिस्ट्रेट सम्मिलित किया जा सकेगा।"

३. गांधीजीके साथ मई ३० की भेंटमें जनरल स्मट्स गांधीजी द्वारा उठाये तीनों वैधानिक मुद्दोंपर सहमत हो गये थे। भेंटका कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं है। हाँ, गवर्नर-जनरलके जून ५, १९१४के खरीतेमें उसका उल्लेख है। देखिए परिशिष्ट २४।

प्रवेश और पंजीयनकी सुविधाएँ दी जायें, फिर चाहे वे दक्षिण आफ्रिकामें हों या उससे बाहर। आप देखेंगे कि यह माँग आयोगके प्रतिवेदनके पृष्ठ ३९ पर की गई उस दूसरी सिफारिशका ही कुछ विस्तृत रूप है, जिसमें इस देशमें सचमुच पहलेसे उपस्थित एकाधिक पत्नियोंको ही ऐसा विशेषाधिकार देनेकी बात कही गई है। श्री जॉर्जसको शायद यह माँग अनुचित नहीं लगी, परन्तु उन्होंने मेरे सचिवसे कहा था कि उनको मालूम नहीं कि इसके बारेमें जनरल स्मट्स क्या कहेंगे। श्री गांधीने इस आश्वासनके लिए फिरसे अनुरोध किया कि जबतक नेटालमें उत्पन्न भारतीय प्रवासियोंकी संख्या, केपमें अपनी वर्तमान सीमासे अधिक नहीं होती, तबतक ऐसे भारतीयोंके प्रवेशपर शैक्षणिक परीक्षाकी शर्त नहीं लगायी जानी चाहिए और विशेषकर पिछले वर्षके प्रवासी विनियमन अधिनियमके खण्ड ४ (१) (क) की व्यवस्थायें लागू नहीं की जानी चाहिए। श्री गांधीने इसके सम्बन्धमें विधान बनानेकी माँग नहीं की, इसलिए कि वे शायद भली प्रकार समझते हैं कि यदि संसद्में केप-प्रवेशका प्रश्न फिरसे उठाया जाये, यहाँ तक कि यदि इसे आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदनके पृष्ठ १६ पर सुझाये गये एक छोटेसे संशोधनकी सिफारिशको स्वीकार करनेके लिए भी उठाया जाये तो सरकारको कितनी बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ेगा। मुझे मालूम हुआ है कि आयोगने इस सिफारिशको कोई अधिक महत्त्व नहीं दिया और जब उनको पूरी स्थिति समझा दी गई और १९१३ के अधिनियम २२ के खण्ड ४ (२) (क) में “इस अधिनियमके लागू होनेतक” शब्दोंको रखनेका कारण उनको बतला दिया गया तो आयोगने सूचित कर दिया था कि यह ऐसा संशोधन है जिसपर वे बहुत जोर देना चाहेंगे।

फ्री स्टेटमें प्रवेश करनेवाले भारतीयोंको उस प्रान्तके कानूनके अन्तर्गत जो ज्ञापन देना पड़ता है उसके सम्बन्धमें सन्तोषजनक वक्तव्य दिये जानेकी आवश्यकताकी बात श्री गांधीने फिर उठाई। इसमें कोई कठिनाई नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि इसके बारेमें श्री गांधी और जनरल स्मट्स पहले ही सहमत हो चुके हैं।

इसके पश्चात्, श्री गांधीने दो नये मुद्दे पेश किये।

(१) उन्होंने कहा कि ऐसी एक घोषणा की जानी चाहिए या आश्वासन दिया जाना चाहिए कि ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारोंको मान्यता और संरक्षण मिलेगा। श्री जॉर्जसने उनसे कहा कि इसका सम्बन्ध तो वास्तवमें खान-विभागसे है। उन्होंने सुझाव दिया कि वे [श्री गांधी] इसके बारेमें जनरल स्मट्ससे बात करें।

(२) श्री गांधीने आग्रह किया कि सभी सच्चे सत्याग्रहियोंको, सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान हिंसाके अपराधोंके अतिरिक्त, सत्याग्रहसे सम्बन्धित सदाशयतापूर्ण कानून-भंगके कारण दी गई सजाएँ बिना शर्त माफ की जानी चाहिए। मन्त्री महोदय इस अनुरोधको न माननेका रुख अख्तियार करें इसका कोई सबब तो नहीं दिखता, परन्तु फिर भी मुझे उनके ठीक-ठीक विचार मालूम नहीं हैं।

विधेयककी धारा ४के बारेमें, मेरी जानकारी यह है कि सरकार, नेटाल अधिनियमोंके अन्तर्गत गिरमिटिया भारतीयोंको जो दर्जा मिला हुआ है उसे विनियमित

करनेवाले विशेष कानूनमें, तीन-पाँडी करको रद्द करनेके अलावा अन्य किसी भी प्रकारसे हस्तक्षेप करना अवांछनीय समझती है। इसी कारण सरकार धारा ४में उल्लिखित किसी भी व्यवस्थामें रद्दोबदल नहीं करना चाहती। मेरा खयाल है कि श्री गांधीने इस धाराके बारेमें कुछ भी नहीं कहा था।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स ५५१/५७

३२५. पत्र : मणिलाल गांधीको

[केप टाउन]^१

गुरुवार, [मई २८, १९१४]

चि० मणिलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। जिस पत्रमें तुम पश्चात्ताप प्रकट कर रहे हो उसी पत्रमें यह भी लिख रहे हो कि उसी दिन तुम साग-जैसी मुख्य वस्तु परोसना भूल गये थे। कहते हो कि वह रह गया लेकिन यह नहीं समझाते कि कैसे रह गया? दोष किसका था? उसकी जिम्मेदारी तुमने किसी दूसरेको क्यों सौंपी? साग प्रेमपूर्वक बनाया तो उसे ले जानेका काम भी तुम्हें ही करना चाहिए था। इसमें से भी कुछ सबक लो तो अच्छा। बीती बातपर दुःख करनेकी जरूरत नहीं है किन्तु उससे सबक अवश्य लेना चाहिए। वहाँ कर्तव्यपरायण बनो और आत्मसंयमकी साधना करो। लेकिन यह सब तबतक नहीं हो सकता जबतक विचार करना न सीखो।

वहाँ सबके प्रति प्रेमभाव रखो। और दूसरोंके दोष देखनेके बजाय गुण देखो और अपने दोष देखो। बेकारकी बातचीतमें समय न गँवाकर विचार करते रहो; एक क्षण भी व्यर्थ गँवाना अपने जीवनका उतना अंश खोने और ईश्वरसे उसकी चोरी करनेके बराबर है। इसे समझकर अपने हरएक क्षणका सदुपयोग करना। शरीरको कसना।

विधेयक प्रकाशित हो गया है इसलिए संभव है अगले हफ्ते^२ उसपर विचार हो। लेकिन यह तो अनुमान ही है—देखें, क्या होता है। अभी जनरल स्मट्ससे भेंट नहीं हुई।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०६) से।

सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी।

१. पत्रमें भारतीय राहत विधेयक (इंडियन्स रिलीफ बिल)के प्रकाशनका उल्लेख है। यह विधेयक गुरुवार, २८ मई, १९१४को प्रकाशित हुआ था। इससे जाहिर है कि पत्र उसी दिन लिखा गया था।

२. यह जून २को पेश किया गया था।

३२६. राहत विधेयक

बहुत प्रतीक्षित भारतीय विधेयक प्रकाशित हो गया है। हम अनुसूची सहित उसका पूरा पाठ छाप रहे हैं।^१ यह एक सादा और संक्षिप्त-सा विधेयक है और जिस हदतक कानून बनाना आवश्यक है उस हदतक भारतीय आयोगकी सिफारिशोंको कार्यान्वित करता प्रतीत होता है। यह विधेयक वैवाहिक कठिनाईको दूर करता है और भारतीय विवाहोंको वही प्रतिष्ठा प्रदान करता है जो सर्ल-निर्णयके पूर्व वर्तमान थी। यह ३ पौंडी करको मंसूख करनेके साथ बकाया रकमकी भी माफी देता है। अन्तमें यह नेटालके अधिवास-प्रमाणपत्रोंको वैध करार देता है बशर्ते कि उसका स्वामी उसपर के अँगूठेके निशानको अपना साबित करके उस प्रमाणपत्रको अपना सिद्ध कर दे। विधेयकमें एक और धारा भी है जिससे हमारे समाजका सम्बन्ध नहीं है। यह वह अनुच्छेद है जो सरकारको अधिकार देता है कि वह साधनहीन ऐसे भारतीयके लिए, जो नेटाल अथवा संघके किसी दूसरे प्रान्तमें अपने तथा अपने कुटुम्बके अधिवास सम्बन्धी सब दावोंको छोड़ दे, मुफ्त यात्राका प्रबन्ध कर दे। अबतक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी।

विधेयकमें कुछ परिवर्तनोंकी जरूरत है। वर्तमान विवाहोंको वैध करार देनेके लिए विधेयकमें जिस साधनकी व्यवस्था की गई है, भावी विवाहोंको वैध करार देनेके लिए उसका उपयोग करना उचित होगा। ऐसी मृत पत्नियोंके बच्चोंकी हिफाजतके लिए भी विधेयकमें संशोधनकी आवश्यकता पड़ेगी, जो यदि जीवित होतीं तो वर्तमान विधेयकके अन्तर्गत उन्हें मान्य किया गया होता।

मान लीजिए कि सुझाये गये परिवर्तनोंके साथ यह विधेयक कानून बन जाता है तो भी ऐसे कुछ दूसरे मामले बच रहेंगे जिनकी सिफारिश आयोगने की है या जो श्री काछलिया और श्री गांधीके पत्रोंमें बताये गये हैं। इनके लिए प्रशासनिक कार्रवाईकी आवश्यकता है और इनमें फ्री-स्टेटका प्रश्न, केपमें प्रवेशका सवाल तथा वर्तमान कानूनोंके प्रशासनका सवाल शामिल है। यदि इनके बारेमें सन्तोषजनक आश्वासन दे दिये जाते हैं तो वर्षोंसे चलनेवाली वह लड़ाई, जिसके कारण हमारे समाजको अपार हानि और कष्ट सहन करना पड़ा है, समुचित और सम्मानजनक ढंगसे समाप्त हुई मानी जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-६-१९१४

१. देखिये परिशिष्ट २५ ।

३२७. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

[केप टाउन]

जून ५, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

आपका तार पाकर कृतज्ञ हुआ। श्रीमती गांधीकी हालत पहलेसे काफी अच्छी है, लेकिन कमजोरी अभी है। यदि आ सकीं तो मैं उनको अपने साथ लेता आऊंगा और श्री कैलेनबैकको भी, जिससे कि वे अपने लोगोंसे विदाई ले लें और मेरे साथ भी रह सकें। यदि आप मुझे परिचर्याके लिए अपने पास रहनेकी अनुमति नहीं देंगे, तो मैं आपसे परामर्श लेनेके बाद तुरन्त भारत चल दूंगा।

नहीं जानता, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है; इसलिए इच्छा होनेपर भी मैं आपको लम्बा पत्र नहीं लिखना चाहता। फिर भी, मैंने सोराबजीको लिखा है कि यदि आप ठीक हो गये हों तो पत्रमें उल्लिखित विषयोंके सम्बन्धमें वे आपसे बात कर लें। उस हालतमें वे आपसे हिदायतें ले लेंगे।

भारतीय विधेयकका प्रथम वाचन हो चुका है; वह काफी सन्तोषजनक है और अन्य विषयोंके सम्बन्धमें मैं जनरल स्मट्ससे फिर मुलाकात करनेवाला हूँ। इसलिए संघर्षके अन्तिमरूपसे बन्द होनेकी पूरी सम्भावना है। तब तो मैं मध्य जुलाईके आसपास और बना तो उससे भी पहले लन्दनके लिए रवाना हो सकता हूँ।

इस पत्रको पाते ही अपने स्वास्थ्यके बारेमें तार भेजनेकी कृपा कीजिएगा। श्री कैलेनबैक अभी इस समय मेरे साथ हैं और आपको अभिवादन कह रहे हैं।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२४८) की फोटो-नकलसे।

३२८. पत्रका अंश

केप टाउन

मंगलवार, ज्येष्ठ वदी २ [जून ९, १९१४]

श्री सिन्हाके बारेमें हम इतनी दूर बैठे हुए केवल अखबार पढ़कर कोई मत कायम नहीं कर सकते। श्री नॉर्टन भी ऐसे मामलोंमें एक बार सरकारी वकील थे। नेता किसे कहें और किसे नहीं, यह तो अपने-अपने मतकी बात है। सामान्यतः सत्याग्रही [ऐसे सवालोंने] तटस्थ रहता है। तुमने जिसका उल्लेख किया है, वैसी स्थितिमें सत्याग्रह किया गया हो और फलस्वरूप जेल जाना पड़ा हो तो

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

सत्याग्रहका हेतु पूरा हुआ माना जा सकता है। हमें ऐसे मामलोंमें अपना मत प्रकट करना ही चाहिए; ऐसा नियम नहीं है। सत्याग्रह कब कर्तव्य है, इस प्रश्नका उत्तर एकाएक नहीं दिया जा सकता। सत्याग्रही पहलेसे विचार करनेके बाद सत्याग्रह नहीं करता। जहाँ वह अपनी आत्माकी आवाजके विरुद्ध कोई कार्य हुआ देखेगा वहाँ वह आत्मबलका प्रयोग करेगा। मैंने जब [पहली बार] सत्याग्रह शुरू किया तब उसे धर्मका अंग-मात्र माना था। अनुभवसे मालूम हुआ कि यही धर्म है और यही चिन्तामणि है; और इसीलिए वह धर्मके रूपमें मुझमें विशेष खिला है। सत्यके सिवा कुछ और करना ही नहीं है, ऐसा निश्चय जिसने किया है, वह सत्याग्रही है और ऐसे मनुष्यको उचित उपाय हमेशा सूझ जाता है। सारा जीवन सत्यमय होना चाहिए और यह धीरे-धीरे यम-नियमादिका पालन करते रहनेसे होता है। जैसे स्थूल विषयोंको समझनेके लिए वर्षों तक प्रयत्न करना पड़ता है उसी तरह सत्याग्रहका स्वरूप समझनेके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। ज्यों-ज्यों हमारी और तुम्हारी आत्माके आवरण दूर होंगे त्यों-त्यों आत्मा प्रकाशित होगी और हम बलवान् सत्याग्रहियोंके रूपमें जूझेंगे।

[गुजरातीसे]

महात्मा गांधीजीना पत्रो

३२९. भारतीयोंकी शिकायतें

विधेयक जिस मूल रूपमें प्रसारित किया गया था, पर प्रकाशित [गजट] नहीं, उसमें हमारे पिछले सप्ताहके अग्रलेखमें^१ दिये गये आवश्यक सुझावोंके अनुसार परिवर्तन कर दिया गया है। स्मरणीय है कि मूल मसविदेमें कानूनकी शर्तोंके अनुसार विवाहकी वैधता मान्य करानेका आवेदनपत्र देनेवाले भारतीयोंके लिए विवाह-अधिकारीको इस विषयमें सन्तुष्ट करना आवश्यक था “कि इस अधिनियमके आरम्भके समय उनमें ऐसा सम्बन्ध वर्तमान था जो उस भारतीय धर्मके सिद्धान्तोंके अनुसार, जिसके वे अनुयायी हैं, विवाहके रूपमें मान्य है।” अब जिस संशोधित रूपमें विधेयक गजटमें प्रकाशित किया गया है उसमें कहा गया है कि अधिकारीको सन्तुष्ट करना होगा कि “उनके बीच ऐसा सम्बन्ध है जो उस भारतीय धर्मके सिद्धान्तोंके अनुसार, जिसके वे अनुयायी हैं, विवाहके रूपमें मान्य है।” इस प्रकार इस संशोधनसे संघके भीतर या बाहर किये जानेवाले भावी विवाहोंकी वैधता मान्य करानेकी भी व्यवस्था हो जाती है। फिर, विधेयकके अनुच्छेद २ उपखण्ड २ में भी संशोधन करके ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि “सोलह वर्षसे नीचेके बच्चों” में “छूट-प्राप्त व्यक्ति तथा ऐसी मृत स्त्रीके बच्चे” भी शामिल हैं, “जो यदि जीवित होती तो पत्नी (यहाँ की गई परिभाषाके अनुसार) के रूपमें मान्य होती अथवा छूट प्राप्त आदमीके साथ जिसका विवाह इस अधिनियमके खण्ड २ के अन्तर्गत विवाहके रूपमें पंजीकृत

१. देखिए “राहत विधेयक”, पृष्ठ ४१२ ।

किया गया होता।” यह संशोधनका अर्थ स्पष्ट है और अब जान पड़ता है कि इस विधेयकसे सत्याग्रहियोंकी कानूनी मांगोंकी पूर्ति हो सकेगी। हमें आशा है कि संसद् द्वारा वह शीघ्र ही पास कर दिया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-६-१९१४

३३०. पत्र : रावजीभाई पटेलको

केप टाउन

बुधवार, ज्येष्ठ वदी ३ [जून १०, १९१४]

रामचन्द्रजी वनवास जाने लगे तब दशरथने उनसे कहा कि कैकेयीको दिये हुए वचनकी कोई परवाह नहीं; वचन-भंग होनेपर भी तुम वनमें न जाओ। लौकिक और स्थूल पुत्रप्रेमसे पैदा होनेवाली इस इच्छाका अनादर करके रामचन्द्रजी वनमें गये और सच्ची पितृभक्ति करके उन्होंने राजा दशरथका और अपना भी नाम अमर कर दिया। हरिश्चन्द्रने अपनी स्त्रीको बेचकर और रोहितके गलेपर तलवार रखने तक को तैयार होकर स्त्रीभक्ति और पुत्रप्रेम प्रकट किया। प्रह्लादाने पिताकी आज्ञाका उल्लंघन करके पितृभक्ति की और उनका उद्धार किया। मीराबाईने राणा कुम्भाको त्यागकर उन्हें अपना भक्त बना लिया। दयानन्दने अपने माता-पिताके पाससे भागकर, सगाईका इनकार करके अपने पीछे भेजे गये आदमियोंके हाथसे छूटकर मातृभक्ति और पितृभक्ति ही की। बुद्धदेव अपनी जवान स्त्रीको सोती हुई छोड़कर चल दिये।

ऐसे बहुतसे उदाहरण हमें मिलते हैं। उनका चिन्तन करके तुमपर जो संकट आ पड़ा है उसपर मनन करके सच्ची नीतिके अनुसार जो उचित मालूम हो वही करना। श्रवणके लिए सूक्ष्म और स्थूल भक्ति एक ही प्रवाह की थी, इसलिए हम उसका उदाहरण लेकर प्रायः यह नहीं देख पाते कि सही वस्तु क्या है। सत्य मार्गपर चलनेवालेको संकटके समय हमेशा सत्य मार्ग सूझ जाता है। वैराग्यके पद वगैरा हम जो पढ़ते हैं, वे अगर धर्म-संकटके समय उपयोगी सिद्ध न हों, तो यही माना जायेगा कि हमने उन्हें सिर्फ तोतेकी तरह रट लिया है। उनपर हमने विचार बिल्कुल नहीं किया। गीताजी पढ़कर भी यदि वह अन्त समय हमारी मदद न करे, तो गीताजीका पढ़ना-न-पढ़ना बराबर है। इसलिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ: “थोड़ा पढ़ो। परन्तु जो पढ़ो उसपर विचार करो और उसका रहस्य समझकर उसके अनुसार आचरण करनेको तैयार रहो।”

स्नेहियोंके प्रति वीतराग स्थिति उत्पन्न हो जाये, तभी हृदय सचमुच दयावान बनता है और स्नेहियोंकी सेवा करता है। बाके प्रति मैं जिस हृद तक वीतराग बना हूँ, उसी हृद तक उसकी सेवा अधिक कर सकता हूँ। बुद्धने अपने माता-पिताको छोड़कर उनका भी उद्धार कर दिया। गोपीचन्द्रने वैराग्य लेकर अपनी माताके प्रति अत्यन्त शुद्ध

प्रेम सूचित किया। इसी तरह तुम भी अपने चरित्रका निर्माण करके, अत्यन्त निर्मल नीतिको दृढ़ बनाकर अपने माता-पिताकी सेवा करोगे। जब तुम्हारी आत्मा विशुद्ध होगी तब उसकी परछाई तुम्हारे सब स्नेहियोंपर पड़े बिना रह ही नहीं सकती।”

[मोहनदासका यथायोग्य]

[गुजरातीसे]

गांधीजीनी साधना

३३१. याददाश्तके लिए^१

[केप टाउन

जून १०, १९१४ के आसपास]

विवाह पहले हुआ हो या बादमें उसे वैधता दी जानी चाहिए।

खण्ड ३ : अन्य पत्नियोंकी, यहाँ निवास करनेवाली, सन्तानका क्या होगा ?

सन्तानकी परिभाषा

अन्य पत्नियाँ

उनकी सन्तान

केप-प्रवेश

फ्री स्टेट

प्रवेशार्थियोंकी संख्या

वर्तमान कानूनोंका प्रशासन — स्वर्ण-कानून, बस्ती-परवाना कानून, प्रवास

अन्य सिफारिशें

बिनाशर्त क्षमादान

कामे

फिक्सबर्ग

अंजुमन

भायात

१९१३ के अधिनियमसे पहले प्रवेश कर चुकनेवाले शिक्षित भारतीय

पहलेके परवाना प्राप्त व्यक्तियों और नये जरूरतमंदोंके लिए बन्दूकें

कानूनी तौर पर प्रवेश करनेवालोंका पंजीयन

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९६५) की फोटो-नकलसे।

१. स्पष्ट ही इन विभिन्न विषयोंपर गांधीजीको विचार करना था। तियि इस तथ्यके आधारपर निश्चित की गई है कि उन्होंने फिक्सबर्गके भारतीयों और इस्लामिया अंजुमनकी ओरसे गृह-मन्त्रीके पास कुछ अभ्यावेदन १० जूनको भेजे थे।

३३२. पत्र : ई० एम० जोर्जेसको

[केप टाउन]
जून ११, १९१४

प्रिय श्री जॉर्जेस,

संलग्न [कतरन] का आशय स्पष्ट ही है। मेरी समझमें नहीं आया कि 'मर्क्युरी' ने विधानका यह अर्थ कैसे लगा लिया।^१ परन्तु इसका सम्बन्ध एक इतने बड़े सिद्धान्तसे है कि मैं यह आश्वासन पाना चाहता हूँ कि सरकार इस विधेयकका वह अर्थ नहीं लगाती जो 'मर्क्युरी' ने लगाया है।^२

[आपका]
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]



इंडियन ओपिनियन, १-७-१९१४

4666

१. नेटाल मर्क्युरीने अपने एक लेखमें इस बातपर शंका प्रकट की थी कि भारतीयोंको प्रान्तमें रहनेकी अनुमति दी जायेगी। उसकी दलील थी कि तीन-पौंडी कर हटा दिया जानेपर भारतीयोंको इस देशमें रहनेके विशेषाधिकारसे वंचित कर दिया जायेगा, तब उनके लिए यही रास्ता रह जायेगा कि वे या तो फिरसे गिरमिटिया बनें या भारत वापस चले जायें। उसमें यह भी कहा गया था कि प्रवासी विनियमन अधिनियमके अन्तर्गत मन्त्री यदि चाहे तो आर्थिक कारणोंसे सभी एशियाइयोंको "निषिद्ध प्रवासी" घोषित कर सकता है और इस प्रकार भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोंको निर्वासित कर सकता है।

२. ई० एम० जोर्जेसने २२ जूनको इसका उत्तर दिया था: "जनरल स्मट्स चाहते हैं कि मैं आपको लिखूँ कि आयोगके प्रतिवेदनसे यह बिलकुल स्पष्ट है कि सरकारका ऐसा कोई मंशा कभी नहीं रहा जिससे तीन-पौंडी करसे सम्बन्धित मौजूदा कानूनी व्यवस्थाओंको रद्द करके भूतपूर्व गिरमिटिया प्रवासियोंकी स्थिति किसी दूसरे तरीकेसे कठिन बनाई जाये; और माननीय मन्त्रीका निश्चित मत है कि यदि इसके सम्बन्धमें तनिक भी सन्देह होता तो आयोग ने अवश्य ही उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया होता, क्योंकि उसमें तीन बड़े-बड़े वकील बैठे थे। मन्त्री महोदयको पूर्ण विश्वास है कि विधेयककी वर्तमान व्यवस्थाओंका भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोंकी स्थितिपर वैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि मर्क्युरी और आफ्रिकन क्रॉनिकल बतला रहे हैं और चाहते हैं कि हम उसपर विश्वास करें।"

१२-२७



३३३. पत्र : रावजीभाई पटेलको

केप टाउन

शनिवार, [जून १३, १९१४]

भाई श्री रावजी भाई,

आपका पत्र आज ही किन्तु इतनी देरसे मिला कि आजकी डाकसे न आपको पत्रका उत्तर ही भेज सकता हूँ और न तार ही किया जा सकता है। तार तो सोमवार ही को करूँगा।

जहाँ माताके स्नेहकी बात हो, और पुत्रके वात्सल्यका प्रश्न हो ऐसे प्रसंगमें किसी तीसरे व्यक्तिका सलाह देना धर्म-संकट जैसा ही है। तथापि मेरी तो सलाह दिये बिना गति नहीं है। आप अपने पूज्य पिताजीके पत्रसे जिस निर्णयपर पहुँचे थे हम उसी समय इसका अन्दाज कर चुके थे कि आपकी माताजीकी भावनाएँ क्या हो सकती हैं। उनका पत्र आनेसे कोई नई स्थिति उत्पन्न नहीं होती। स्नेहको नया उभार जरूर मिला है और स्वभावतः आपके हृदयमें प्रेमकी भावना प्रबल हो उठी है। ऐसेमें अब यदि आप अपना निर्णय निर्मम बनकर करते हैं, तो आपके प्रेमका यह स्वरूप निर्मल और दिव्य होगा। और आप अपना प्रेम सारे संसारको प्रदान कर सकेंगे। अतः इस दिशामें प्रयत्न किया जा सकता है। मातृ-भक्तिका सही उद्देश्य भी यही है। इससे भिन्न तो स्थूल भक्ति ही होगी जो निरी लौकिक होती है और जो केवल देहसे सम्बन्ध रखती है। जिनमें ऐसी भक्तिसे मुक्त होनेकी बात है सो भजन आप अनेक बार गाया करते हैं। “या संसार असार विचारी” गाते हुए इसकी अन्तर्ध्वनिपर मनन करिये। “जीवका श्वासा तक सम्बन्ध”^१—इसकी अन्तर्ध्वनि क्या है? और स्थानोंसे फीनिक्सकी रहनीमें यही अन्तर है कि यहाँ हम जो-कुछ पढ़ते हैं उसे जीवनमें सुप्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न करते हैं। आपका भारत जानेका परिणाम क्षणिक ही होगा। पाँच या १५ दिन बाद सही, रोना तो है ही, अन्तमें तो विछोह ही होना है।

और फिर हम ऐसी जिन्दगी जीना चाहते हैं कि हम अपने पास एक पाई भी न रखें; अतः आपको यह भी सोच लेना चाहिए कि ऐसे प्रसंगोंमें इस प्रकारका गरीब मनुष्य क्या कर सकता है।

माता-पिताका दर्शन करनेकी आपकी लालसा सदा बनी रहे यह तो श्रेष्ठ बात है परन्तु आज तो उस भावनाको नियन्त्रित करके अपना जीवन वीतराग बनाना ही आपका कर्तव्य है। अपने चरित्रके निर्माणके लिए ही आप यह देशनिकाला भोग रहे हैं। आपके लिए तो यह स्थिति वनवासकी है। ऐसा करके ही आप अपने माता-पिताको गौरवान्वित कर सकेंगे। आपका आचार स्वच्छन्द नहीं हो सकता। आपको तो दिनो-

१. यह संसार असार मानकर।

२. जीवने श्वास तणी सगाई।

दिन आत्मोन्नति करना चाहिए। दिनोंदिन संयमी बनना चाहिए। मतलब यह कि आज तो आप स्वदेश लौट जानेके फर्जसे मुक्त हैं।

यह सब विचार करते हुए मैंने प्रेसकी स्थितिका जरा-भी विचार नहीं किया। मैंने यह सलाह इसी दृष्टिसे दी है कि आपकी आत्मोन्नति किस बातमें है।

इतने पर भी यदि लौकिक मातृभक्ति आपको स्वदेशकी ओर ही खींच रही हो और यहाँ रहकर आपका मन शान्त न रह सकता हो तो आपको खुशीसे चले जाना चाहिए। मैं केवल सलाह दे रहा हूँ, ऐसा समझकर आपको अपना निर्णय स्वतन्त्र रूपसे करना चाहिए और उसीके अनुसार कदम उठाना चाहिए।

मोहनदासका यथायोग्य

[गुजरातीसे]

महात्मा गांधीजीना पत्रो तथा गांधीजीनी साधना

३३४. मणिलाल और जमनादास गांधीको लिखे पत्रका अंश

केप टाउन

शनिवार [जून १३, १९१४ या
उसके बाद]^१

तुम सब मेरे साथ-साथ दौड़ सको, यह इच्छा करना तो ठीक है; लेकिन मैं ऐसा आशा नहीं रखता। मैं जो कुछ करता हूँ वही तुम सब भी करो, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन जो कुछ करनेकी जिम्मेदारी लेते हो उसे तो अवश्य करना पड़ेगा...^२ [इसमें] जबरदस्तीकी तो कोई बात नहीं। अगर तुम अपनी इच्छासे सोच-समझकर... का व्यसन छोड़कर [फिर] मुझे छलो तो इसमें दोष तुम्हारा ही माना जायेगा... उसी प्रकार हम मानते हैं कि लड़के एक सीमा तक पहुँच गये हैं। फीनिक्समें वे कुछ बातोंसे परहेज रखते हैं, उन्हें वहाँ वे त्याज्य मानते हैं। फीनिक्ससे बाहर जानेपर उन्हीं बातोंको वे कैसे कर सकते हैं? कोई भी अलोना भोजन करनेके लिए बाध्य नहीं है। मिर्च-मसाले, व्यसन, मिठाई, अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन, चाय, काफी आदि तो सभीके लिए त्याज्य हैं। विषय-भोग, चोरी, झूठ और देरसे उठना सबके लिए वर्जित है। जिन्हें ये नियम कठोर जान पड़ते हैं, वे [आश्रममें] रहते ही क्यों हैं? प्रत्येक संस्थाके कुछ नियम होते हैं। उन नियमोंका पालन [संस्थाके] अन्दर रहो चाहे बाहर, करना ही चाहिए। जो ऐसा नहीं कर सकते उनके संस्थामें रहनेका कोई अर्थ नहीं है।

तुम्हारे कहनेका यह अभिप्राय है कि लड़के और दूसरे लोग भी स्वेच्छासे नहीं, बल्कि मेरी शरम रखनेके लिए कुछ [बातें] करते हैं और मुझे धोखा देते हैं।

१. पत्रमें नोटनके उल्लेखसे जान पड़ता है कि यह "पत्रका अंश", पृष्ठ ४१३-१४ के बाद लिखा गया होगा।

२. मूल सूत्रमें कई जगह शब्द छोड़ दिये गये हैं।

यह मेरा दोष हो सकता है लेकिन इससे बचनेका एक ही उपाय है कि मैं किसीके साथ न रहूँ। फिलहाल यह मेरा कर्त्तव्य नहीं जान पड़ता। रा . . . मेरे कहे बिना और मेरे सम्मानकी खातिर अलोना भोजन करनेका दिखावाकर मुझे छले तो इससे मैं कैसे दोषी ठहरता हूँ। . . . तुम अलोना नहीं खाते इस कारण मैं तुम्हें कम और . . . बिलकुल फलाहारी है इसलिए उसे विशेष प्यार करता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। लोना-अलोना भोजन करनेमें कोई पाप-पुण्य नहीं है। उसमें जो रहस्य विद्यमान है उसमें पाप-पुण्य है। इमाम साहब कभी अलोना भोजन नहीं करते फिर भी [वे] मुझे प्रिय हैं। कुमारी श्लेसिन सब बातोंमें मुझसे भिन्न आचरण करती हैं तो भी उसके चरित्रको मैं कुछ हद तक तुम सबसे ऊँचा मानता हूँ। हम जितने भी फेरफार करते हैं उन सबमें हमारा उद्देश्य संयम और उसमें वृद्धि करते जाना है। और उस रात मेरे कहे हुए ये वचन कि जिन्हें ये स्वीकार्य न हों, उन्हें मुझको छोड़ना पड़ेगा, [मुझे] उचित ही जान पड़ते हैं। . . . मैं न तो नॉर्टनके कार्यसे प्रसन्न होता हूँ और न बंगाली वकीलोंका तिरस्कार करता हूँ। सत्याग्रही उन दोनोंसे अलग है और उसका कर्त्तव्य भी भिन्न है। [कौन] सच्चा सत्याग्रही है, कौन नहीं, तुम्हारे द्वारा पूछे गये प्रश्नमें यह प्रश्न भी आता है। यदि तुम अभी तक यह नहीं समझ सके हो तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इसकी अनुभूति होती है, कोई अन्य इसे नहीं समझा सकता। और इसे समझनेके लिए ही हम स्वादेन्द्रिय आदिको छोड़नेका प्रयास कर रहे हैं। . . . संयमका अर्थ अलोना आहार लेना नहीं। तुम दो दिनकी सूखी रोटी और चुटकी-भर नमक खाकर जीवन व्यतीत करो तो यह मेरे फलादि खानेसे कहीं अधिक ऊँची चीज हो सकती है। तुम्हारा सूखी रोटी और मेरे फलादि खानेका हेतु क्या है, इसपर कार्यकी शुद्धता निर्भर करती है।

[चारित्र्यकी] पवित्रता आलोचकोंके आक्षेपोंसे लज्जित नहीं, बल्कि और भी प्रबल होती है।

तुमसे जो कुछ भी अनुचित बन पड़ा हो, वह सब-कुछ तुम मुझे कह देना। इसके बिना तुम्हारे उपवास अथवा सैकड़ों प्रायश्चित्त [भी] फलित नहीं होंगे। मैं वहाँ आनको तड़प रहा हूँ लेकिन मेरा कर्त्तव्य मुझे नहीं छोड़ता।

ली हुई प्रतिज्ञा वापस लूँ, यह बात सूर्य पश्चिमसे निकले तो भी नहीं हो सकती।

जिनको मैंने अत्यन्त निष्पाप (व्यक्ति) माना है यदि वे ऐसे पापी हैं तो मैं अपने इस शरीरको क्षण-भरके लिए भी नहीं पालना चाहता।

प्रतिज्ञाओंका पालन आसानीसे नहीं किया जा सकता।

तुम दोनोंको इस पत्रसे रोष होगा। लेकिन मेरे मनमें जो है यदि उसे व्यक्त न करूँ तो मुझमें [जो] सत्य है उसपर आँच आती है और मैं तुम्हारा अहित करनेवाला भी बनता हूँ। तुम्हें दुःख देना इस समय मेरा धर्म जान पड़ता है।

[गुजरातीसे]

महात्मा गांधीजीना पत्रो और गांधीजीनी साधना

३३५. पत्र : कुँवरजी मेहताको

[केप टाउन]

ज्येष्ठ वदी ८, १९७० [जून १५, १९१४]

प्रिय श्री कुँवरजी^१

आपका पत्र मिला उसके लिए आभारी हूँ। उम्मीद है, सूरतके विद्यार्थियोंसे भारत आनेपर मिलूंगा।

मोहनदास करमचन्द गांधीके यथायोग्य

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० २६६०) की फोटो-नकलसे।

३३६. एक ऐतिहासिक बहस

भारतीय राहत विधेयक (इंडियन्स रिलीफ बिल) का द्वितीय वाचन काफी बहुमतसे पास हो गया, और इस अवसरपर सरकारने अपनी भारतीय नीतिके विषयमें एक महत्वपूर्ण घोषणा की।^२ जनरल स्मट्सका भाषण निश्चित रूपसे काफी नरम था और इस विषयपर अतीतकी उनकी कुछ वक्तृताओंके विपरीत, वह अपमानजनक तो था ही नहीं। जनरल बोथाका भाषण भी अवसरके योग्य था। हम उनकी इस घोषणाके लिए कृतज्ञ हैं कि सरकार इस विधेयकको अपने जीवन-मरणका प्रश्न मानती है। विधेयकके समर्थनमें दी गई अन्य वक्तृताएँ भी वैसी ही उच्च कोटिकी थीं और न्याय और मैत्रीकी जो भावना इन भाषणोंमें दिखाई पड़ी उसे यदि वर्तमान कानूनोंके प्रशासनमें भी जारी रखा जाता है तो भविष्यमें कोई भारतीय झगड़ा खड़ा होनेका भय न रहेगा। हम इन भाषणोंको सरकार और संसदके इस इरादेका शुभ-संकेत मानते हैं कि अधिवासी भारतीयोंके साथ न्याय और औचित्यपूर्ण व्यवहार किया जायेगा। पिछले अनुभवके विपरीत जनरल स्मट्सने इस बार यह स्पष्ट कर दिया कि सरकारने न केवल शाही-सरकार और भारत-सरकारके विचारोंका ही खयाल रखा बल्कि भारतीय भावनाओंपर भी ध्यान दिया है। हम विश्वास करते हैं कि इसी नीतिका भविष्यमें भी अनुसरण किया जायेगा।

बहसके स्तरके इतने ऊँचे रहनेका क्या कारण हो सकता है? निश्चय ही सम्राट् सरकारकी सतर्कता और वाइसराय द्वारा इस सवालके प्रति अपनाया गया साहसपूर्ण रवैया। श्री ऐण्ड्र्यूजके 'प्रेमके मिशन' का भी, इस बहसको उच्च स्तरपर रखनेमें, कुछ

१. कुँवरजी विठ्ठलभाई मेहता; सूरतके पाटीदार विद्यार्थी छात्रालयके व्यवस्थापक।

२. यह घोषणा जून ८, १९१४ को की गई।

कम हाथ नहीं था। ऐसा जान पड़ता था कि उनकी आत्मा सदनकी कार्रवाइयोंका निरीक्षण और मार्गदर्शन कर रही थी। पर यदि हमने खुद अपनी मदद न की होती, तो इनमें से कोई भी मदद हमें न मिली होती। यह सत्याग्रहकी ही भावना थी जिससे ये तीनों कारण एकत्र हो सके। इसलिए समाजको समझ लेना चाहिए कि संकटके समय उनका अन्तिम अस्त्र सत्याग्रह ही है, जिसकी शक्ति फिर एक बार प्रमाणित हुई है। किन्तु हम आशा करते हैं, और हमारे पास यह विश्वास रखनेका कारण भी है कि अब समाजको कष्टकी उस भयानक आगसे न गुजरना पड़ेगा जिसके बीचसे पिछले तमाम सालोंमें वह गुजरता रहा है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-६-१९१४

३३७. पत्र : मार्शल कैम्बैलको^१

केप टाउन

जून २०, १९१४

प्रिय श्री मार्शल कैम्बेल,

‘केप टाइम्स’ के आजके अंकमें भारतीय राहत विधेयकके सम्बन्धमें छपे तारके बारेमें आज सुबह हमारी बातचीत हुई थी। मैंने आज सुबह जो कहा था यहाँ फिर वही दुहराता हूँ : जिस भारतीय प्रचारका तारमें उल्लेख है इसके बारेमें मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी भी जिम्मेदार भारतीयने विधेयकपर आपत्ति नहीं की है। मुझे क्षण-भरके लिए भी विश्वास नहीं होता कि यह विधेयक जिन भारतीयोंपर लागू होता है वे निषिद्ध प्रवासी बन जायेंगे—यह तो एक ऐसा परिणाम है कि जिसकी कल्पना तक सम्राटकी सरकार, भारत-सरकार, और मुझे पूर्ण विश्वास है, संघ-सरकारने भी कभी नहीं की थी।

आपका विश्वस्त,

मो० क० गांधी

[पुनश्च :] आप इस पत्रका जो उचित समझें सो उपयोग कर सकते हैं।

मो० क० गांधी

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९९१) की फोटो-नकलसे।

१. रायटरने इसे गांधीजीके एक पत्रके रूपमें उद्धृत किया था और यह इंडियन ओपिनियन, २४-६-१९१४ में भी प्रकाशित हुआ था

३३८. पत्र : गिरमिटिया भारतीयोंको

[केप टाउन,
जून २२, १९१४ के बाद]

१८९५ के अधिनियम १७ के अन्तर्गत आनेवाले भारतीयोंसे
मेरे प्यारे भाइयो,

अबतक आप सब लोग यह जान गये होंगे कि तीन-पाँड़ी कर जो आपको, आपकी स्त्रियों तथा आपके बालिग बच्चोंको प्रतिवर्ष देना पड़ता था, रद्द हो गया है। कानून पास होनेसे पहले जिन लोगोंपर [सरकारकी] रकम बकाया निकलती है उनसे वह वसूल नहीं की जायेगी। अब आप गिरमिटमें फिरसे बँधनेके बजाय इस प्रान्तमें स्वतन्त्रता-पूर्वक रह सकते हैं। १८९५ से पहले आये हुए लोगोंपर १८९१ का जो कानून लागू होता है वही कानून अब आपपर भी लागू होगा। इस स्थितिको लानेके लिए आपने, मैंने और आप-जैसे अन्य सैकड़ों भाइयोंने संघर्ष किया, और उसके कारण दुःख उठाये। लेकिन 'नेटाल मर्क्युरी' ने यह लिखा है कि आपकी स्थिति पहलेसे और भी खराब हो गई है, और अब आपको या तो गिरमिटमें बँधनेको विवश किया जायेगा अथवा नये कानूनकी रूसे वापस हिन्दुस्तान भेज दिया जायेगा। यह बात सच नहीं है। सरकारने अपने एक पत्रमें स्पष्ट रूपसे लिखा है कि 'मर्क्युरी' ने कानूनका जो अर्थ किया है वह गलत है। समझौता — साम्राज्यीय सरकार और भारत सरकार—दो पक्षोंके बीच हुआ है। वे दोनों इसे किस रूपमें समझते हैं, यह मैं जानता हूँ। उन दोनों पक्षोंने ठीक यही समझा है कि करके उठा दिये जानेका अर्थ यह है कि आप स्वतन्त्र [नागरिकोंके रूपमें] रहेंगे; तथा यदि आप स्वतन्त्र व्यक्तियोंकी हैसियतसे नेटालमें तीन वर्ष तक रहेंगे तो आपको भारतसे आनेवाले स्वतन्त्र भारतीयोंके समान ही अधिवासके अधिकार प्राप्त होंगे। अन्तमें, विशेष रूपसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस नये कानूनकी रूसे यदि कभी आपको 'नेटाल मर्क्युरी' में लिखे अनुसार निषिद्ध प्रवासी माना जायेगा, तो मैं दुनियाके चाहे किसी भी भागमें क्यों न होऊँ, फिर अपनी सारी शक्ति इस भयंकर अन्यायको दूर करनेमें लगा दूँगा। लेकिन मुझे विश्वास है, सरकारका ऐसा कोई इरादा नहीं है तथा कानूनका भी वैसा कोई अर्थ नहीं है। मार्शल कैम्बेल भी, जिन्होंने इस तीन पाँड़ी करको रद्द करानेकी दिशामें कठिन परिश्रम किया है, ऐसा ही कहते हैं। इसलिए इस सम्बन्धमें आपको डरना नहीं चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी भारतीय उपनिवेशसे बाहर निकाल दिये जानेके डरसे अब फिर गिरमिटमें नहीं बँधेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-७-१९१४

१. देखिए पा० टि० २, पृष्ठ ४१७।

३३९. स्वर्गीय सर डेविड हंटर

रविवारको डर्बनमें खबर आई कि नेटालके एक अत्यन्त सच्चे तथा उदार विचारों-वाले जन-नेता, सर डेविड हंटर, के० सी० एम० जी०, का एडिनबराके एक सुश्रूषागृहमें, ऑपरेशनके बाद देहान्त हो गया। सर डेविड सदैव दुर्बल और पीड़ितोंका पक्ष लेनेके लिए प्रसिद्ध थे। संसदमें हो, या संसदके बाहर, सदा न्याय और औचित्यके पक्षमें उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी—विशेषतः उन लोगोंकी तरफसे जिनको संसदमें कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। भारतीय समाजको इस हानिसे बड़ा संताप होगा। नेटालकी राजकीय रेलवेमें वे छब्बीस साल तक जनरल मैनेजर रहे। अपने इस कार्यकालमें वे एक मेहरबान हाकिमकी तरह जाने जाते थे। वह सदा अपने भारतीय कर्मचारियोंकी प्रशंसा किया करते थे, और वे लोग भी अपने प्रधानके बारेमें उच्च विचार रखते थे। हमें अच्छी तरह याद है कि श्री गोखलेके आगमनके समय डर्बन ड्रिल हॉलके ऐतिहासिक भोजमें सभापतिके रूपमें बोलते हुए सर डेविडने कहा था कि अपने दीर्घकालीन विविध अनुभव द्वारा मैंने अपने भारतीय कर्मचारियोंको वफादार तथा उपयोगी पाया है और इसलिए मैं उनकी इज्जत करता आया हूँ। मुझे यह विश्वास है कि मेरी उनके प्रति जैसी भावना थी उसके प्रतिदान-स्वरूप वे भी मुझमें वैसी निष्ठापूर्वक आस्था रखते थे। उन्होंने उस सहज गौरव तथा शिष्टताकी भी चर्चा की जो भारतीय जातिकी विशेषता है। अन्य अनेक लोगोंकी तरह, सर डेविड भी मानते थे कि तीन पौंडी कर अन्यायपूर्ण है और हमें स्वयं उनसे यह आश्वासन प्राप्त हुआ था कि वे जितनी जल्दी हो सके उसके रद्द किये जानेका समर्थन करेंगे। अपनी दुर्भाग्यपूर्ण बीमारीके कारण उन्हें रोगमुक्तकी आशामें स्कॉटलैंड जाना पड़ा; नहीं तो मुझे विश्वास है कि वर्तमान भारतीय राहत विधेयक (इंडियन्स रिलीफ बिल) का सर डेविड हंटरसे अधिक निष्ठावान समर्थक दूसरा न मिलता। उनके सम्बन्धियों और मित्रोंके प्रति हम अपनी सच्ची सहानुभूति और सम्वेदना प्रकट करते हैं, और हम जानते हैं कि सम्पूर्ण भारतीय समाज हमारी भावनाओंके साथ है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-६-१९१४

३४०. गृह-मन्त्रीके साथ बातचीतके लिए मुद्दे^१

[केप टाउन
जून २७, १९१४ के पूर्व]

१. दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे हुए भारतीयोंका केप प्रवेश
२. १८९५ के बाद गिरमिटिया भारतीय
३. फ्री स्टेट
४. विवाह
५. कितनोंको प्रवेश दिया जायेगा और कैसे
६. यह आश्वासन कि ऐसी पत्नियोंको प्रवेश दिया जायगा जो दक्षिण आफ्रिकामें अपने पतियोंकी एकमात्र पत्नियाँ हों और बहु-पत्नी विवाहोंको भी मान्यता दी जायेगी
७. पत्नियोंके सम्बन्धमें साक्ष्य
८. ट्रान्सवाल, केप और नेटालमें इस वर्ष प्रवेश पानेवाले

[अंग्रेजीसे]

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५९७३) की फोटो-नकलसे।

३४१. पत्र : ई० एम० जॉर्जेसको

केप टाउन
जून २७, १९१४

प्रिय श्री जॉर्जेस,

मैं आपसे मॉरिशसके अध्यादेशकी^२ प्रति माँगना भूल गया। आप उसे फीनिक्स भेजनेकी कृपा करेंगे? काम पूरा होते ही मैं उसे लौटा दूँगा।

मेरा खयाल है कि प्रस्तावित पत्रके लिए आपन जो नोट तैयार किये थे, उनमें 'पत्नियों और उनकी सन्तान' की बात भी दर्ज की थी। यदि न की हो, तो क्या आप एकाधिक पत्नियों-सम्बन्धी अनुच्छेदमें 'पत्नियों' की 'सन्तान' शब्द भी जोड़नेकी कृपा करेंगे?

१. यह सम्भवतः २७ जूनको जनरल स्मट्सके साथ हुई गांधीजीकी भेंटके सिलसिलेमें (याददास्तके लिए) तैयार किया गया था। भेंटका सारांश ई० एम० जॉर्जेसने ३० जूनको गांधीजीके पास भेजा था; देखिए परिशिष्ट २५; गांधीजीने इसकी पहुँचकी सूचना उसी दिन भेज दी थी; देखिए "पत्र : ई० एम० जॉर्जेसको", पृष्ठ ४२९-३०।

२. अध्यादेश भारतीय विवाहोंके सम्बन्धमें था; देखिए "मॉरिशसका विवाह-कानून", पृष्ठ ४४३-४४।

मुझे विश्वास है कि आपके पत्रकी शब्दावलीमें उदारताका पुट रहेगा। क्योंकि मुझको यहाँ जिस विरोधका सामना करना पड़ेगा उसका कुछ आभास मैं आपको दे ही चुका हूँ।

मैं स्वर्ण-कानून सम्बन्धी चर्चाके बारेमें सोचता रहा हूँ। स्वर्ण-क्षेत्रोंमें व्यापार और निवास करनेवाले लोगोंके प्रदत्त अधिकारोंका (इस शब्दका प्रयोग मैंने जिस अर्थमें किया है, उस अर्थमें) संरक्षण किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और मुझे आशा है कि जनरल स्मट्स इस विषयपर विचार करनेमें उतनी ही उदारतासे काम लेंगे जितनी उन्होंने चर्चाके अन्य विषयोंके बारेमें दिखलाई है, और जिसके प्रति मैं उनका कृतज्ञ हूँ। मुझे विश्वास है कि इसके बारेमें भी मुझे जल्द ही निश्चित उत्तर मिल जायगा जिससे कि मैं अपनी यात्राका सारा प्रबन्ध पक्का कर सकूँ।

सर्वश्री भायात और कामेके बारेमें भी सोमवारको ही मुझे पत्र भेजनेकी कृपा कीजिये।

हमारी चर्चा कुछ लम्बी खिच गई, पर आपने पूरे समय मेरे साथ धैर्य और सौजन्यका ही व्यवहार किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

आपका

मो० क० गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९९६) की फोटो-नकलसे।

३४२. भाषण : बधाई-समारोहमें^१

केप टाउन

जून २७, १९१४

जवाब देते हुए श्री गांधीने इक्कीस वर्ष पहलेकी स्थितिका उल्लेख किया और कहा, तब मैं एक नास्तिकवादीके रूपमें इस देशमें आया था। तथापि उसके बाद मैंने यह स्वीकार करना सीखा कि संसारमें एक ईश्वरीय योजना काम करती रहती है और एक अद्रष्ट हाथ उसके अनुसार घटनाओंको निश्चित रूप देता रहता है। भारतीयोंकी कठिनाइयों और असमर्थताओंको दूर करनेके लिए छोड़े गये इस लम्बे संघर्षमें, जिसमें मेरे जीवनके श्रेष्ठतम वर्ष बीत गये, मुझे कई कठोर प्रहार सहने पड़े और ऐसी कई बातोंकी जिम्मेदारी मुझपर आरोपित की गई जो न कभी मैंने की थीं और न कभी करनेका इरादा ही था। जिस पद्धतिका मैंने सहारा लिया था, उसे अब लोग अधिक

१. भारतीय राहत विधेयक (इंडियन्स रिलीफ बिल)के पास होनेपर गांधीजीको बधाई देनेके लिए संघ्या समय यूरोपीय और भारतीय मित्रोंकी एक सभा हुई थी। इसमें गांधीजीने भाषण किया। इस अवसरपर सिनेटर मार्शल क्लैम्बेल और श्री मेलर, एम० एल० ए० ने तीन पौंडी करके रद्द होने तथा दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी अन्य कठिनाइयोंके दूर होनेपर हर्ष प्रकट किया। गांधीजीका यह भाषण २९ जूनके अंकमें प्रकाशित नेटाल मवर्युरीके संसदीय प्रतिनिधि द्वारा भेजे गये विवरणसे लिया गया है।

अच्छी तरह समझने लगे थे। उसके अन्दर कानूनके विरोधकी या निराशाकी भावना थी ही नहीं; बल्कि मुझे तो सबैव ही यह प्रतीति बनी रहती थी कि हिंसात्मक पद्धतियोंकी अपेक्षा यह नई पद्धति मनुष्यसे कहीं अधिक साहस और कष्ट-सहनकी अपेक्षा रखती है।

श्री गांधीने कहा कि हमारा आन्दोलन एक अधिक कठिन प्रकारका आन्दोलन था। और अगर उनके देशभाई साथ नहीं देते, साथ देना उनका कर्त्तव्य था, तो हम इसमें सफल नहीं हो सकते थे। मैं तो अपनेको केवल एक निमित्त, और सो भी बहुतोंमें से एक निमित्त मानता हूँ। मैं अपने बहुतसे यूरोपीय हितैषियोंको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरी मान्यता है कि वर्तमान सफलतामें इन मित्रोंकी सहायताका बड़ा हाथ रहा। श्री गांधीने कहा, मुझे याद है कि किस प्रकार ट्रान्सवालमें होनेवाले कष्टकारी कूचके दिनोंमें यूरोपीय हितैषी मार्गमें जगह-जगह भारतीय जत्थेसे आकर मिलते थे और उसे प्रोत्साहन देते थे तथा ठोस मदद भी करते थे। परिस्थितिमें सुधार करानेके लिए सत्याग्रह यद्यपि एक शक्तिशाली साधन है—संसारका शायद सबसे शक्तिशाली साधन—फिर भी अगर भारतीय कौम अपनी मांगोंमें संयमसे काम न लेती और औचित्य तथा व्यावहारिकताका ध्यान नहीं रखती तो उसे यह सफलता नहीं मिलती। और यह संयम तबतक आ ही नहीं सका होता जबतक उनमें से कुछ लोग भारतीयोंके अधिकारोंके प्रश्नको यूरोपीयोंके दृष्टिकोणसे न देख सकते।

श्री गांधीने आगे कहा कि मैंने तो अपना लक्ष्य ही यह बना लिया था कि भारतीय प्रश्नोंको उन लोगोंके दृष्टि-बिन्दुसे देखा जाये जो हमारे देशभाइयोंकी नजरमें उनके साथ अन्याय करनेवाले थे। और मेरा खयाल है कि लम्बे अर्सेके प्रयासोंके बाद मुझे इसमें काफी सफलता मिली। विधेयकके बारेमें श्री गांधीने कहा कि उसमें वर्तमान कठिनाइयोंका हल है। मुझे लगता है कि आठ वर्षके संघर्षके बाद हमारे देशभाइयोंको शान्ति और विश्रान्तिके लिए कुछ समय मिलना जरूरी है। संघ-राज्यकी संसद्में विधेयकपर हुए भाषणोंमें राष्ट्रीय और साम्राज्य सम्बन्धी जिस जिम्मेवारीकी भावनाका दर्शन हुआ उससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ, और मेरा विश्वास है कि अगर यही भावना आगे भी कायम रही तो यहाँकी सरकार अपने भारतीय प्रजाजनोंसे सम्बन्धित शेष प्रश्न भी अवश्य हल कर लेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अभी जो शान्ति प्राप्त हुई है उसे आगे कभी भंग करनेकी जरूरत होगी। उन्होंने कहा, अब इस देशमें भारतीयोंकी भीड़ प्रवेश नहीं करेगी। भगवानका धन्यवाद कि गिरमिटिया मजदूरोंकी प्रथा भी हमेशाके लिए बन्द हो गई है। भारतीय अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ किस जातिका प्रभुत्व और शासन है। यूरोपीयोंके साथ सामाजिक समानताकी उन्हें आकांक्षा नहीं है। वे जानते हैं कि उनके विकासका मार्ग भिन्न है। वे तो मताधिकारकी भी इच्छा नहीं रखते। अथवा अगर कहीं यह इच्छा हो भी तो उसका अमल आज ही से हो ऐसी कोई इच्छा किसीके मनमें नहीं है। श्री गांधीका विश्वास था कि जब कभी हमारे देशभाई योग्य होंगे तब

उनको यह मताधिकार भी जरूर मिल जायेगा। परन्तु यह प्रश्न चालू राजनीतिसे सम्बन्ध नहीं रखता। मैं तो अपने देशबाइयोंके लिए इतना ही चाहता हूँ कि हालमें भारतीयोंके लिए जो अधिकार मंजूर किये गये हैं उनके आधारपर उन्हें दक्षिण आफ्रिकाकी जमीन-पर सम्मान और प्रतिष्ठाके साथ रहने दिया जाये।^१

हम सामाजिक समानताकी कामना नहीं करते, और मैं कहूँगा कि हमारे सामाजिक विकासके पथ भिन्न हैं। हम बार-बार कह चुके हैं कि हम फिलहाल पूर्ण मताधिकारकी माँग नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँपर किस जातिकी प्रधानता है। कालान्तरमें जब हम इस योग्य हो जायेंगे तो हमें मताधिकार भी प्राप्त हो जायेगा। किन्तु मैं कहूँगा कि यह प्रश्न व्यावहारिक राजनीतिका नहीं है। ईश्वरकी कृपा है कि अब भारतसे भारतीयोंका और आब्रजन नहीं होगा। इसलिए अब कुल सवाल उस भारतीय आबादीके साथ न्यायपूर्ण और उचित व्यवहारका है जो इस देशमें है। यदि इस आबादीको यहाँ शान्तिपूर्वक रहना है तो उसे कमसे-कम ये हक अवश्य हैं कि उसे पूर्ण शान्ति, सम्मान और गौरवसे रह सकनेका अवसर प्राप्त हो। अगर हम इसके भी हकदार नहीं हैं तो समझमें नहीं आता कि हम किस चीजके हकदार हैं।^२

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २९-६-१९१४ और ३०-६-१९१४

१. इसके बाद आगेकी रिपोर्टपर २९ जूनकी तारीख है और यह ३० जूनके अंकमें प्रकाशित किया गया था। इसके पहले गांधीजीके भाषणके एक भागका निम्न सार दिया गया था: “यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने दक्षिण आफ्रिकामें यूरोपीय समाजमें से कई ऐसे सच्चे साथी और मित्र बनाये जो मेरे लिए भाइयोंके समान हैं। सिनेटर मार्शल कैम्बेल-जैसे सच्चे और सज्जन मुझे कहाँ मिलेंगे? सिनेटर मार्शल कैम्बेलने भारतीयोंकी तकलीफों और दुःखोंमें हाथ बँटाया था। लड़ाईके सबसे ज्यादा खतरनाक दौरमें वे सीखने और लाभ उठानेके लिए आये, और निःसन्देह जिसने इस लड़ाईमें हिस्सा लिया उसने सीखा और लाभ उठाया। वह हिंसात्मक लड़ाई तो थी ही नहीं। भारतीयोंने सत्याग्रहका उपयोग कभी निर्बलके अल्लके रूपमें नहीं किया। हिंसात्मक अल्लकी अपेक्षा इस अल्लका सदुपयोग करनेके लिए कहीं ज्यादा प्रबल मनोबलकी आवश्यकता थी। विधेयकको पास करनेमें दोनों सदनोंका और भारतीयोंके सभी मित्रोंका जिस भावनासे मार्गदर्शन किया था, यदि उसी भावनासे आगेकी समस्याओंपर विचार किया जाये तो सत्याग्रह पुनः आरम्भ करनेकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। आठ वर्षके बाद भारतीयोंको कुछ शान्तिकी आवश्यकता है; और यूरोपीयोंके लिए यह उचित होगा कि वे सहानुभूतिका रवैया अपनायें।

२. इसके बाद श्री कैलनवैकने अपना भाषण दिया।

३४३. पत्र : ई० एम० जॉर्जेसको

केप टाउन
जून ३०, १९१४

प्रिय श्री जॉर्जेस,

आपका आज ही की तारीखका लिखा पत्र^१ प्राप्त हुआ। इसमें आपने उस मुलाकातका सारांश दिया है, जो जनरल स्मट्सने अनेक आवश्यक कार्योंमें व्यस्तताके बावजूद पिछले शनिवारको मुझे देनेकी कृपा की थी। मेरे द्वारा पेश की गई कुछ बातोंपर विचारके समय मन्त्री महोदयने जिस धैर्य और शिष्टताका परिचय दिया उसके लिए मैं हृदयसे कृतज्ञ हूँ।

भारतीय राहत विधेयक (इंडियन्स रिलीफ बिल) के पास हो जाने और इस पत्र-व्यवहारके कारण सत्याग्रहकी वह लड़ाई अन्तिम रूपसे समाप्त हो गई जो सितम्बर १९०६ में शुरू हुई थी और जिसके कारण भारतीय समाजको काफी शारीरिक कष्ट और आर्थिक हानि और सरकारको काफी चिन्ता और परेशानी उठानी पड़ी।

जैसा कि मन्त्री महोदयको मालूम है, मेरे कतिपय देशभाई चाहते थे कि मैं इससे अधिक अधिकारोंकी मांग करूँ। वे इस बातसे असन्तुष्ट हैं कि विभिन्न प्रान्तोंके व्यापार परवाना कानूनों, ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानून, ट्रान्सवाल कस्बा-कानून^२ तथा १८८५ के ट्रान्सवाल कानून संख्या ३ में ऐसे परिवर्तन नहीं किये गये जिनसे कि भारतीयोंको अधिवास, व्यापार तथा जमीनके स्वामित्वके पूर्ण अधिकार मिलते। कुछ लोग इसलिए असन्तुष्ट हैं कि पूर्ण अन्तर्प्रान्तीय आवागमनकी अनुमति नहीं दी गई, और कुछ इसलिए असन्तुष्ट हैं कि विवाहके सवालपर राहत विधेयक जितनी हद तक जाता है उससे आगे क्यों नहीं गया। मुझसे कहा गया है कि सब विषय सत्याग्रहकी लड़ाईमें शामिल किये जा सकते हैं। मैं उनकी इच्छाओंकी पूर्तिमें असमर्थ रहा। इसलिए यद्यपि ये मांगें सत्याग्रहके कार्यक्रममें शामिल नहीं की जा सकीं, फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी-न-किसी समय इन बातोंपर सरकारको सहानुभूतिपूर्वक विचार करना ही होगा। जबतक अधिवासी भारतीय आवादीको पूर्ण नागरिक अधिकार नहीं दे दिये जाते, पूरे सन्तोषकी आशा नहीं की जा सकती। मैंने अपने देशभाइयोंसे कहा है कि उन्हें धीरज रखना होगा और सभी सम्मानपूर्ण साधनोंसे, जो उन्हें उपलब्ध हैं, जनमतको इस प्रकार शिक्षित करना होगा कि उस समय जो भी सरकार हो वह वर्तमान समझौतेकी शर्तोंसे आगे जा सके। मैं आशा करूँगा कि जब दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय इस तथ्यको भली-भाँति समझ लेंगे कि अब भारतसे गिरमिटिया मजदूरोंका

१. देखिए परिशिष्ट २६ ।

२. स्वर्ण-कानून और १९०८ के कस्बा-अधिनियमके अन्तर्गत समस्त स्वर्ण-कानून क्षेत्रोंमें भारतीय लोग बस्तियोंके अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं रह सकते थे और न व्यापार ही कर सकते थे ।

आना बन्द कर दिया गया है और पिछले सालके प्रवासी विनियम अधिनियम (इमिग्रेंट्स रेगुलेशन ऐक्ट) ने भविष्यमें अमली तौरपर भारतीयोंका मुक्त आत्रजन बन्द कर दिया है, और मेरे देशभाई किसी राजनीतिक आकांक्षाके लिए प्रयत्नशील नहीं हैं तब वे मेरे देशभाइयोंको उपर्युक्त अधिकार देनेकी न्यायशीलता और आवश्यकताको देख पायेंगे।

इस बीच सरकारने पिछले चन्द महीनोंमें जिस उदार भावनासे समस्याके समाधानका प्रयत्न किया है, वही यदि वर्तमान कानूनोंके अमलमें आगे भी लागू की जाती रही, जैसा कि आपने अपने पत्रमें वादा भी किया है, तो मुझे निश्चय है कि समस्त संघमें भारतीय समाज शान्तिका कुछ सुख उठा सकेगा और सरकारके लिए कभी सिरदर्दका कारण न बनेगा।^१

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९९९) की फोटो-नकलसे।

३४४. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

किम्बर्लेकी ट्रेनसे
जुलाई १, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

मैंने कल तार^२ भेजा था कि सब कुछ तय हो चुका है। मैं पत्र-व्यवहारकी प्रतियाँ या अन्य कोई भी कागजात भेजकर आपको परेशान नहीं करना चाहता।

मैं १८ तारीखको रवाना होनेकी हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। अब तो एक यही इच्छा है कि आपके पास पहुँचूँ और आपके दर्शन करूँ और आपसे आदेश लेकर तत्काल भारतके लिए रवाना हो जाऊँ। यदि मैं १८ को रवाना हो गया तो यह पत्र मेरे रवाना होनेके बाद और यदि २५ को रवाना हुआ तो उससे पहले मिल जायेगा। रवाना होनेकी तिथि मैं अगले हफ्ते तार द्वारा सूचित करूँगा। इसलिए यदि आप मुझे कोई हिदायत करना चाहें तो कृपया केप टाउन या मदीरामें तार भेजें।

आशा है कि आपके स्वास्थ्यमें सुधार होगा।

श्रीमती गांधी और श्री कैलेनबेक मेरे साथ आ रहे हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७७) की फोटो-नकलसे।

१. गवर्नर जनरल लॉर्ड ग्लैडस्टनने, उपनिवेश मन्त्रालयको भेजे गये ४ और १० जुलाई, १९१४के अपने दो खरीतोंमें, समझौतेकी सूचना देते हुए विस्तारसे लिखा था कि गांधीजीकी माँगों किस प्रकार और किस हद तक पूरी की गई हैं। देखिए परिशिष्ट २७।

२. यह तार उपलब्ध नहीं है।

३४५. भाषण : किम्बर्लेके स्वागत-समारोहमें^१

[जुलाई २, १९१४]

सितम्बर १९०६ में जोहानिसबर्गके गेटी हॉलमें हुई सभाके दिनसे लेकर आजतककी घटनाओंका विवरण देने तथा इस अवधिके दौरान भारतीयोंको जो असह्य कष्ट उठाने पड़े उनका मार्मिक शब्दोंमें वर्णन करनेके बाद श्री गांधीने कहा :

इन [कष्टों] के फलस्वरूप हम देखते हैं कि दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंका दिल पिघल गया है। इस संघर्षमें दुःख उठानेवाली सेनाका मैं तो केवल एक सिपाही ही था। [इसका] असली श्रेय तो उन लोगोंको है जिन्होंने असह्य कष्ट उठाये हैं। श्री कैलेनबैक, श्री पोलक तथा अन्य गोरे मित्रोंने, दुःखकी इस अवधिमें हमारी जो सहायता की है उसके लिए हम उनके भी आभारी हैं।

नये विधेयकके सम्बन्धमें बोलते हुए उन्होंने कहा :

यह स्पष्ट है कि संघ सरकारने इस बार नये विधेयकको विधानसभा तथा सीनेटसे पास करवानेका इस तरहसे प्रयत्न किया है जिससे साम्राज्यीय और भारतीय सरकारों तथा दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको सन्तोष हो सके। भारतीयोंके समान विनीत कौमके विचारसे, जनरल बोथानेके इस कथनको देखते हुए कि यदि “विधेयक” पास न हुआ तो वे त्यागपत्र दे देंगे, कह सकते हैं कि जनरल बोथाने हमारे लिए निःसन्देह अच्छा काम किया है। विरोधी पक्षने भी इसे दलीय राजनीतिका प्रश्न नहीं बल्कि साम्राज्यीय समस्या माना, इसलिए हम उसे घन्यवाद देते हैं। साम्राज्यीय सरकार तथा भारतके नेक वाइसराय लॉर्ड हार्डिजने हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। श्री गोखलेके नेतृत्वमें भारतकी प्रजाने तथा श्री ऐन्ड्रघजने हमारी जो अमूल्य मदद की है, वह एक दूसरेसे बढ़कर थी और इन्हीं कारणोंसे इतना सुन्दर समझौता सम्पन्न हो सका है। हमें विश्वास है जिस शुद्ध विवेकबुद्धिसे सरकारने हमें न्याय दिया है उसी न्यायबुद्धिसे वह कानूनको अमलमें लायेगी तथा ऐसा होनेपर फिरसे इस संघर्षकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन मैं अपने भाइयोंसे यह कहनेकी अनुमति चाहता हूँ कि अपने प्रत्येक कष्टको दूर करनेका सबसे पहला उपाय हमारे अपने हाथमें है, और उसके बाद सत्याग्रहका हथियार है। . . . गोरे मित्रोंकी पावन स्मृति तथा मेरे देशभाइयोंने मुझे जो स्नेह दिया है, उसे मैं सदा याद रखूंगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४

१. गांधीजीके सम्मानमें बेकन्सफील्ड टाउन हॉलमें एक सभा हुई थी जिसकी अध्यक्षता कौंसिलर टी० प्रेंटलेने की थी। अंग्रेजीमें दिये गये भाषणकी मूल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

३४६. भाषण : डर्बनकी सभामें^१

[जुलाई ५, १९१४]

श्री गांधी बोलनेके लिए खड़े हुए। उन्होंने बताया : 'मर्क्युरी' आदि पत्रोंमें तीन पौंडी करका जो अर्थ किया है वह एकदम गलत और भ्रमपूर्ण है। उक्त कानूनका ऐसा अर्थ नहीं निकलता। 'मर्क्युरी' के इस सम्बन्धमें लिख चुकनेके बाद जनरल स्मट्ससे भी लिखा-पढ़ी हुई है और उनका भी विश्वास है कि कानूनका वह अर्थ नहीं है जैसा 'मर्क्युरी' कर रहा है।^२

तदनन्तर विवाहके प्रश्नपर बोलते हुए श्री गांधीने कहा :

कई भारतीयोंने यह माँग की है कि विवाहके कानूनको मॉरिशसके कानूनके अनुरूप बना दिया जाये। पर उस कानूनको वे पढ़ चुके हैं; वह तो और भी खराब है। विवाहके सम्बन्धमें जो निर्णय हुआ है वह तो बहुत अच्छा निर्णय है। उससे बढ़कर कोई अन्य निर्णय नहीं हो सकता।

श्री गांधीने आगे बतलाया कि जो उपनिवेशमें पैदा हुए हैं, पहलेकी तरह ही, उन लोगोंके केपमें प्रवेशके सम्बन्धमें तथा ऑरेंज फ्री स्टेटके सम्बन्धमें भी सन्तोषजनक ढंगसे निर्णय हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त कानूनका अमल न्यायपूर्वक हो, अधिक सख्तीके साथ न हो, इस सम्बन्धमें भी सरकारने सहानुभूतिका रुख अपनाया है। अन्तमें उन्होंने सम्मान देनेके लिए इतने अधिक लोगोंके एकत्रित होनेपर आभार प्रकट किया।

[[गुजरातीसे]]

इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४

३४७. तार : 'हिन्दू' को^३

जोहानिसबर्ग

जुलाई ६, १९१४

सत्याग्रह सम्बन्धी समझौता अन्तिम रूपसे सम्पन्न। आठ वर्षीय निरन्तर संघर्ष समाप्त। कानूनी और प्रशासकीय अपेक्षित कार्रवाई द्वारा सत्याग्रह अनुरोध पूरी तरह मंजूर। दोनों सभाओंमें मन्त्रियोंके भाषणों और वाद-विवादमें न्यायशीलताकी भावना। हालाँकि यह सम्मानपूर्ण परिणाम मुख्यतः हजारों

१. यह सभा भारतीय राहत विधेयके पास हो जानेपर जब गांधीजी केप टाउनसे लौटे तब फुटबाल ग्राउंडपर हुई थी।

२. देखिए पाद-टिप्पणी २, पृष्ठ ४१७।

३. इसपर काछलिया, कैलेनबैक, पोलक और गांधीजीके हस्ताक्षर थे।

सत्याग्रहियोंके कष्ट-सहन द्वारा दक्षिण आफ्रिकाका अन्तःकरण जगानेसे ही सम्भव हुआ फिर भी समाज इसके लिए साम्राज्यीय, भारतीय तथा संघ सरकारोंके और गोखलेके पथ-प्रदर्शनमें भारतीय जनताके और ऐन्ड्र्यूज तथा पियरसनके भी कामके प्रति हार्दिक कृतज्ञ। उक्त भावना यदि प्रशासन और वर्तमान कानूनोंमें बनी रही तो संघर्षकी पुनरावृत्तिका भय नहीं।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ८-७-१९१४

३४८. तार : गो० कृ० गोखलेको

[जोहानिसबर्ग
जुलाई ६, १९१४]^१

माननीय श्री गोखले
लन्दन

अन्तिम समझौतेके लिए भारतीय समाजकी ओरसे आपको हार्दिक धन्यवाद बधाइयाँ। आपकी आत्म-त्यागपूर्ण सेवाओंके बिना इतने शीघ्र असम्भव था। हमारा अनुरोध हमारे प्रवक्ताकी हैसियतसे हमारा विनम्र धन्यवाद आप लॉर्ड हार्डिंजको उनकी जबरदस्त सहायता और समझौता सम्पन्न करानेके निर्भयतापूर्ण ढंगके लिए तार द्वारा पहुँचा दें।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४

३४९. पत्र : ई० एम० जॉर्जेसको

फीनिक्स
नेटाल
जुलाई ७, १९१४

प्रिय श्री जॉर्जेस,

स्वर्ण-कानूनके सम्बन्धमें अपना नोट प्रस्तुत करनेके लिए अब मुझे थोड़ा समय मिल पाया है। आप जानते ही हैं कि मैंने अधिक गहराईसे विचार करनेके बाद स्वर्ण-कानून और बस्ती-संशोधन अधिनियमके सिलसिलेमें 'प्राप्त अधिकारों' की परिभाषाके लिए एक विशेष धारा जोड़नेके अपने आग्रहपर जोर नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि उस पत्र-व्यवहारमें एक कोई परिभाषा कर देनेका परिणाम यह भी हो सकता है कि आगे चलकर मेरे देशवासियोंका कार्यक्षेत्र कुछ सीमित हो जाये। परन्तु मेरा खयाल

१. लगता है कि यह तार और "तार : 'हिन्दू' को" — पिछला शीर्षक — एक ही दिन भेजे गये थे।

१२-२८

है कि 'प्राप्त अधिकारों' का मैं जो अर्थ लगाता हूँ उसे एक लिखित रूप दे ही डालना चाहिए। जनरल स्मट्स ने यह कहनेकी कृपा तो की ही थी कि प्राप्त अधिकारोंकी मैंने जो परिभाषा की है उसी रूपमें वे उनको संरक्षण देनेकी कोशिश करेंगे। मैंने सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनके सामने निम्नलिखित परिभाषा पेश की थी, जो मेरा खयाल है उन्होंने जनरल स्मट्सके सामने रखी थी। मैंने ४ मार्च, १९१४ के अपने पत्रमें^१ अन्य विषयोंके साथ यह परिभाषा भी रखी थी कि "मेरी समझमें प्राप्त अधिकारोंका मतलब है भारतीय और उसके उत्तराधिकारियोंका उस बस्तीमें रहने और व्यापार करनेका अधिकार जिसमें वह निवास और व्यापार कर रहा था, फिर चाहे उसने अपनी उसी बस्तीमें अपने निवास या अपने व्यवसायका स्थान कितनी ही बार क्यों न बदला हो।" श्री हरकोर्टने कॉमन्स सभामें २७ जून, १९११ को इस विषयके सम्बन्धमें जो उत्तर दिया था, उससे मेरी इस व्याख्याकी पुष्टि होती है:

उस विधान (स्वर्ण-कानून और बस्ती-संशोधन अधिनियम) के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं और अब दक्षिण आफ्रिकी संघ सरकार उनकी जाँच-पड़ताल कर रही है और उसने हालमें कहा है कि विधान पास होनेकी तिथिसे पहले भारतीयों द्वारा अर्जित किये और चलाये जानेवाले व्यवसायको चलानेके अधिकारमें या व्यवसायमें हस्तक्षेप करनेका उसका कोई मंशा नहीं है।

अब मुझे श्री डी'विलियर्सका वह नोट भी मिल गया है जिसका हवाला मैंने बातचीतके दौरान दिया था। वह लन्दनमें मार्च, १९१२ में प्रकाशित हुए एक श्वेत-पत्रमें दिया गया था। उसमें कहा गया है:

नया अधिनियम (१९०८ का अधिनियम ३५) रंगदार लोगोंको उनके किसी भी मौजूदा अधिकार या विशेषाधिकारसे वंचित नहीं करता।

और, आगे कहा गया है,

संसदमें विधेयक पेश होनेसे पहले जिस खण्ड १३१ के बारेमें इंग्लैंडकी कामन्स सभामें अनेक प्रश्न पूछे गये थे और गवर्नरके नाम मन्त्रीकी ओरसे अनेक खरीते भेजे गये थे, अब उसे समितिने इस तरह संशोधित कर दिया है कि खान-क्षेत्रमें रंगदार भारतीयोंके भू-स्वामित्वके मौजूदा सभी अधिकार सुरक्षित रहें।

जहाँतक मेरी जानकारी है स्वर्ण-कानून पास होनेसे पहले स्वर्ण-क्षेत्रोंमें ब्रिटिश भारतीयोंकी गतिविधि या व्यापारपर निश्चय ही कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगे थे। इसलिए अब प्रतिबन्ध लगानेका कोई औचित्य नहीं हो सकता, विशेषकर उन लोगोंपर जो अपनी-अपनी बस्तियोंमें पहले ही बस चुके हैं।

आपका सच्चा
मो० क० गांधी

श्री ई० एम० जॉर्जेस
प्रिटोरिया

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६००३) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनको", पृष्ठ ३६७-६८।

३५०. भाषण : विदाई-सभामें

डर्बन

जुलाई ८, १९१४

धन्यवादका उत्तर देते हुए श्री गांधीने पहले बताया कि वे शोकसूचक वेशमें क्यों उपस्थित हुए। यह वेश उन्होंने हड़तालके समयसे ही धारण कर रखा था।^१ उन्होंने आशा प्रकट की कि उपस्थित सज्जन वह विचित्र वेश पहन कर सभामें आनेके लिए उन्हें क्षमा करेंगे। उन्होंने कहा, अपनी सजाकी अवधि समाप्त होनेसे पहले छोड़ दिये जानेपर शोक-चिह्नके रूपमें मैंने यह पहनावा शुरू किया था। वह शोक तो अब नहीं रहा। परन्तु फिर भी मैंने इस वेशको कायम रखा है। आज मुझे साधारणतया उस पोषाकमें आना था जो शामको धारण की जाती है। परन्तु मुझे लगा कि इस समय मेरे मनकी जो अवस्था है उसमें यदि दूसरा वेश पहनूँ तो उससे उपस्थित लोगोंके प्रति कोई अधिक आदर प्रकट नहीं होगा। (हर्ष-ध्वनि)। भेंट किये गये मानपत्रोंका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, इन मानपत्रोंको मैं बहुत मूल्यवान मानता हूँ। परन्तु मेरी दृष्टिमें इन मानपत्रोंसे भी अधिक मूल्यवान वह प्रेम और सहानुभूति है, जो इनमें प्रकट की गई है। मैं नहीं जानता कि मैं कभी इस प्रेमका उचित मुआवजा भी चुका सकूँगा या नहीं। मेरी जो प्रशंसा की गई है मैं उसका पात्र नहीं हूँ। मेरी पत्नी भी नहीं मानती कि उनके बारेमें जो-कुछ कहा गया है वे उसकी पात्र हैं। बहुत-सी भारतीय स्त्रियोंने लड़ाईमें श्रीमती गांधीकी अपेक्षा अधिक सेवा की है। श्री कैलेनबैंक मेरे भाईके समान हैं। अतः मानपत्रके लिए उनकी तरफसे भी मैं कौमको धन्यवाद देता हूँ। समाजने कैलेनबैंकके गुणोंका सम्मान करके बड़ा अच्छा किया है। श्री कैलेनबैंक खुद लाभान्वित होनेकी दृष्टिसे लड़ाईमें शरीक हुए थे। श्री कैलेनबैंक मानते हैं कि भारतीयोंका पक्ष लेकर वस्तुतः सच्चे अर्थोंमें स्वयं उन्हें बहुत लाभ हुआ है। न्यू कैसिलकी हड़तालके दिनोंमें श्री कैलेनबैंकने बड़ा शानदार काम किया था और जब

१. गांधीजी, कस्तूरबा और कैलेनबैंक द्वारा इंग्लैंड होते हुए भारतके लिए प्रस्थान करनेके अवसरपर उन्हें विदाई देनेके लिए टाउन हॉलमें एक सभा आयोजित हुई जिसमें बहुत बड़ी संख्यामें भारतीयों और यूरोपीयोंने भाग लिया। डर्बनके मेयर श्री डब्ल्यू० होम्सने अध्यक्षता की। कैलेनबैंक सभामें उपस्थित नहीं हो सके, उनका भेजा हुआ धन्यवादका तार पढ़ कर सुनाया गया। समस्त दक्षिण आफ्रिकाकी विभिन्न संस्थाओंकी ओरसे गांधीजीको मानपत्र दिये गये और इसके बाद गांधीजीने भाषण किया। इसकी जो रिपोर्ट नेटाल मकर्युरीके ९-७-१९१४ के अंकमें प्रकाशित हुई उसे इंडियन ओपिनियनकी रिपोर्टसे मिला कर यहाँ दिया जा रहा है।

२. नेटाल मकर्युरीने लिखा : “श्री गांधी हिन्दुओंके शोक-वस्त्रोंमें उपस्थित थे। उन्होंने उस शाम शोक-वस्त्र पहननेका कारण बताते हुए भाषण आरम्भ किया”।

उनकी बारी आई तब वे प्रसन्नतापूर्वक जेल भी गये। इससे भी वे ऐसा मानते हैं कि उन्हें हानि नहीं, लाभ ही हुआ है। श्री गांधीने उस समयका भी जिक्र किया जब वे १८९७ में दक्षिण आफ्रिका आये थे और उनके मित्र श्री लॉटनने उनका साथ दिया था और भीड़का मुकाबला किया था।^१ श्री गांधीने डर्बनके दिवंगत सुपरिंटेंडेंटकी पत्नी श्रीमती अलेक्जेंडरका भी कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख किया, जिन्होंने भीड़ द्वारा फेंके जानेवाले पत्थरों आदिसे अपने छाते द्वारा उनकी रक्षा की थी। सत्याग्रहके बारेमें बोलते हुए उन्होंने उसे शुद्धतम प्रकारका हथियार बताया और कहा, वह कमजोरोंका हथियार नहीं है। मेरी रायमें शरीरबलसे प्रतिकार करनेवाले व्यक्तिकी अपेक्षा इसमें कहीं अधिक हिम्मतकी जरूरत होती है। शान्तिके साथ कष्ट सहन करते हुए मृत्युका स्वागत ईसा, डैनियल, क्रैनमर, लैटिमर और रिडले-जैसे पुरुष ही कर सकते हैं। और रूसके जारोंकी अवज्ञा करनेका साहस टॉल्स्टॉय-जैसे लोगोंमें ही पाया जाता है। ऐसे ही व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुष गिने जाते हैं। मुझे पता है कि मेयर महोदयको इस आशयके कुछ तार मिले हैं कि भारतीय राहत विधेयक सन्तोषजनक नहीं है।^२ इस संसारमें ऐसी वस्तुका मिलना असम्भव है कि जिससे सबको सन्तोष हो। परन्तु मेरा निश्चित मत है कि दक्षिण आफ्रिकामें आजकी स्थितिमें इससे अधिक अच्छा कानून हमें नहीं मिल सकता था।

इसका श्रेय मुझे नहीं है। वह तो नागप्पन, नारायणसामी और वलिअम्मा जैसे नौजवानों और लड़कियोंको है जिन्होंने सत्यके अनुष्ठानमें अपनी जान देकर दक्षिण आफ्रिकाके सदसद् विवेकको जगाया। उसके लिए हमें संघराज्यकी सरकारको भी धन्यवाद देना चाहिए। जनरल बोथाने यह घोषणा करके कि उनकी सरकारका अस्तित्व इस विधेयकके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत श्रेष्ठ राजनयिकताका परिचय दिया। उस ऐतिहासिक बहसको मैंने बहुत ध्यानसे पढ़ा है। वह बहस मेरे लिए तो ऐतिहासिक है ही, परन्तु मेरे देशभाइयोंके लिए, और शायद दक्षिण आफ्रिका तथा संसारके लिए भी ऐतिहासिक है।

श्री गांधीने आगे कहा कि सरकारने किस प्रकार न्यायका पालन किया और विरोधी दल भी किस तरह सरकारकी मदद करने लग गया, यह सब मुझे खूब अच्छी तरहसे ज्ञात है। इसी प्रकार साम्राज्यीय सरकार तथा भारत सरकारकी तरफसे भी, हमें अच्छी सहायता मिली है और उसके पीछे उस उदारचेता वाइसराय, लॉर्ड हार्डिजका हाथ रहा है। (हर्षध्वनि)। दक्षिण आफ्रिकामें बसे अपने हजारों देशभाइयोंके हृदयकी पुकारपर भारतने अपने महान और सुप्रसिद्ध पुत्र श्री गोखलेके नेतृत्वमें जो अच्छा जवाब दिया वह भी सत्याग्रह आन्दोलनका ही एक परिणाम था। और मुझे आशा है कि इस लड़ाईने कटुताका कोई चिह्न तक नहीं छोड़ा है। (हर्षध्वनि)।

१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १७९।

२. नेटाल मर्व्युरीकी रिपोर्टमें यहाँ लिखा है: “श्री गांधीने सत्याग्रहका समर्थन किया और कहा कि यह शुद्धतम अस्त्र था जिसका प्रयोग वे कर सकते थे”।

मैं यह भरोसा दिला देना चाहता हूँ कि मैं एक भी यूरोपीयके प्रति कोई दुर्भाव लेकर नहीं जा रहा हूँ। मुझे जीवनमें कई कठोर प्रहार सहने पड़े हैं। परन्तु मैं स्वीकार करता हूँ कि यहाँ यूरोपीयोंसे मुझे प्रेम और सहानुभूतिकी अनमोल भेंटें भी प्राप्त हुई हैं।” (हर्ष-ध्वनि)।

श्री गांधीने कहा कि यह समझौता आठ वर्षके संघर्षके बाद सम्भव हुआ है। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखते। और जहाँतक सामाजिक प्रश्नका सम्बन्ध है भारतीयोंके बारेमें वह कभी खड़ा नहीं हो सकता।

मैं एक क्षणके लिए भी नहीं मान सकता कि पूर्व और पश्चिम कभी नहीं मिल सकते। मैं तो मानता हूँ कि वह दिन आ रहा है जब पूर्वको पश्चिमसे या पश्चिमको पूर्वसे मिलना ही होगा। परन्तु मेरी राय है कि आज तो पश्चिमके विकासकी धारा एक है और भारतीयोंकी दूसरी। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय यूरोपीयोंकी सामाजिक संस्थाओंमें अनधिकृत रूपमें घुसनेकी जरा भी इच्छा नहीं रखते। (हर्ष-ध्वनि)। अधिकांश भारतीय स्वभावतः व्यापारी होते हैं। इस कारण व्यापारिक ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धासे उत्पन्न होनेवाली बातें तो होंगी ही। इस अत्यन्त कठिन समस्याका कोई हल मैं अभीतक नहीं पा सका हूँ। यह तो जब परस्पर टकरानेवाले हितोंके बीच सामंजस्य स्थापित करनेके लिए सरकार न्याय और विशाल हृदयतासे काम लेगी तब हल होगी।

अपने दक्षिण आफ्रिकाके इतने लम्बे निवासके बारेमें बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि इस भूमिके मेरे संस्मरण अत्यन्त पवित्र हैं और वे मुझे सदा याद रहेंगे। मैं अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँपर मैं भारतीयों और यूरोपीयोंके साथ चिरस्थायी मित्रता स्थापित कर सका। अब मैं पुण्य भूमि भारतको लौट रहा हूँ जो युगोंसे (ऋषियोंकी) तपश्चर्याके कारण पुनीत बनी हुई है। अन्तमें श्री गांधीने आशा प्रकट की कि यहाँपर जो प्रेम और सहानुभूति उन्हें प्राप्त हुई है, वे कहीं भी क्यों न हों, वह उन्हें प्राप्त होती रहेगी। उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि जिस समझौतेको भारतीय राहत विधेयकका रूप दिया गया है उसका अमल भारतीयोंके सम्बन्धमें हाल ही में बनाये तमाम कानूनोंके पालनमें शासन द्वारा उदारतापूर्वक होगा।

अगर ऐसा हुआ तो मेरे देशभाइयोंको अपने सामाजिक विकासमें कोई डरनेकी बात नहीं रहेगी। समझौतेके सबकोंमें से यह भी एक सबक है।^१

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-७-१९१४

१. सभाकी समाप्तिसे पहले श्री आर० के० खानने मेयरके प्रति धन्यवादका प्रस्ताव रखा जो सर्वसम्मतिसे पास किया गया। राष्ट्रीय गानके साथ सभाकी कार्यवाही समाप्त हुई।

आठ सालसे चलनेवाली लड़ाई अन्ततः अन्तिम रूपसे समाप्त हो गई। भारतीय राहत विधेयक (इंडियन्स रिलीफ बिल) तथा सरकार और श्री गांधीके बीच हुए पत्र-व्यवहारसे^१ उन समस्याओंका एक पूर्ण तथा दोनों पक्षोंके लिए सन्तोषजनक और सम्मानपूर्ण समाधान हो गया है, जो सत्याग्रह आन्दोलनसे प्रभावित थीं। इस सुखद अन्तके लिए हमें साम्राज्यीय सरकार, भारत सरकार, संघ सरकार, तथा श्री गोखले, द्वारा पथप्रदर्शित एवं आन्दोलित अपनी मातृभूमि, और श्री ऐन्ड्र्यूजके मिशनको धन्यवाद देना चाहिए। हजारों सत्याग्रहियोंके कष्ट-सहन तथा बलिअम्मा, नारायणसामी, नागप्पन तथा हरबतसिंहके बलिदानसे उक्त शक्तियाँ प्रादुर्भूत हुईं। इस प्रकार, एक कानून सम्मत अस्त्रके रूपमें, सत्याग्रह पुनः विजयी हुआ। समझौतेके बारेमें लॉर्ड ग्लैड्स्टनने जो लम्बा हवाला दिया है उससे उसके महत्वका बोध होता है। साम्राज्यीय पहलूको स्पष्ट रूपमें दक्षिण आफ्रिकाकी जनताके सामने उपस्थित करनेके लिए हम गवर्नर जनरल महोदयके कृतज्ञ हैं।

एक जटिल समस्याके सुखद समाधानके बाद, भारतीय समाजको प्रभावित करनेवाले कानूनोंको सहानुभूतिपूर्ण व न्यायपूर्ण ढंगसे अमलमें लाना अब संघ सरकारके हाथमें है। इसी प्रकार यह दिखा देना कि वह न्यायोचित व्यवहारके सर्वथा योग्य है, भारतीय समाजका काम है। अगर समाजको शान्तिपूर्वक विश्राम लेने दिया गया तो श्री गांधीने अपने पत्रमें जिन विषयोंका उल्लेख किया है उनको सुलझानेका भी कोई सरल उपाय निकल आयगा। अधिवासियोंको नागरिकताके सामान्य अधिकार प्राप्त हो सकें इस दृष्टिसे कभी-न-कभी उन विषयोंपर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। अधिवासियोंको यह न भूलना चाहिए कि यद्यपि सबसे बड़ी शिकायतोंके दूर हो जानेपर हमारे लिए यह कृतज्ञ होनेका अवसर है, पर अब भी ऐसी कानूनी नियोग्यताएँ हमपर रहेंगी जो प्रबल वर्ण-विद्वेषके कारण पैदा हुई हैं। मुख्यतः जातिगत आधारपर व्यापारिक परवानोंका नियमन, ट्रान्सवालमें जमीनपर स्वामित्वके अधिकारका अपहरण, ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानूनके अन्तर्गत भारतीयोंकी नाजुक स्थिति, अन्तर्प्रान्तीय प्रतिबन्ध—ये तथा हमारी स्वतन्त्रतापर इसी प्रकारके अन्य प्रतिबन्ध प्रदर्शित करते हैं कि लॉर्ड ग्लैड्स्टनके ये शब्द कितने सच थे कि भारतीय राहत विधेयकने भारतीयोंके साथ कमसे-कम न्याय किया है। इसे तो सिर्फ पहली किस्त अथवा भविष्यमें प्राप्त होनेवाले न्यायके बयानके रूपमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए यदि सत्याग्रहकी लड़ाईने सरकारकी दमनपूर्ण नीतिको बदलकर ऐसी प्रगतिशील नीतिके रूपमें परिवर्तित कर दिया हो जिससे हम भविष्यमें बराबर सुधारकी आशा

१. देखिए पृष्ठ ४०८-११, ४१७-१८, ४२५-२६, ४२९-३०, ४३३-३४ ।

कर सक, तो समझना चाहिए कि उसने हमें विधेयक तथा प्रशासकीय कार्रवाइयोंके अलावा और भी बहुत कुछ दिया है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४

३५२. संघर्षकी समाप्ति

जो संघर्ष पिछले ८ वर्षोंसे चलता आ रहा था उसका अन्त हो गया और हमारी यह मान्यता है कि इस युगके दूसरे किसी संघर्षका शायद ही ऐसा सुन्दर समापन हुआ हो। संघर्षका श्रीगणेश सन् १९०६ के सितम्बर मासमें जोहानिसबर्गमें हुआ था। उस समय तो प्रश्न केवल पंजीयन सम्बन्धी कानूनका था। सरकारने हमारी पुकार नहीं सुनी; इसपर जेल जाना शुरू हो गया और अभी यह संघर्ष पूरा भी नहीं हो पाया था कि इसी बीच प्रवासी कानून पास कर दिया गया। कुछ शर्तोंके साथ समझौता हो गया। पर जिन शर्तोंका पालन सरकारको करना था उन्हें उसने तोड़ा। संघर्ष पुनः छिड़ गया और चूँकि प्रवासी कानूनका असर पंजीयन कानूनपर भी पड़ता था, अतः वह मुद्दा भी संघर्षमें जोड़ दिया गया। प्रवासी कानूनमें रंग-भेदको स्थान न रहे यह विशेष प्रश्न इसी कारण उठ खड़ा हुआ। और इससे स्वाभाविक ही हमारी भावनाएँ तीव्र हो उठीं। संघर्ष लम्बा हो चला, दूसरा शिष्टमण्डल विलायत गया,^१ परन्तु संघ-सरकारने रंगभेदको दूर करनेसे साफ इनकार कर दिया। संघर्षकी अवधि खिचती तो रही पर १९११ में एक कच्चा समझौता हुआ। इसमें एक तीसरी माँगपूरी की गई थी। चूँकि ट्रान्सवाल द्वारा गढ़ा गया कानून संघ संसद ही बदल सकती है अतः सत्याग्रहियोंका कहना था कि हम ऐसे किसी कानूनको स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारी माँगों तो पूरी करता है किन्तु जिसके कारण दूसरोंके हक मारे जाते हों। इसलिए १९११ के अस्थायी समझौतेमें यह शर्त शामिल की गई कि संघ राज्यके समस्त भारतीयोंके मौजूदा हकोंको किसी प्रकारकी हानि न पहुँचने पाये। परन्तु सन् १९१३ तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। इसी बीच माननीय श्री गोखले पधारे। सरकारने उन्हें वचन दिया कि तीन पौंडी कर हटा दिया जायेगा। फिर भी यदि सन् १९१३ में, जब सत्याग्रहकी माँगोंका निबटारा किया जानेको था, सरकार उक्त सारी माँगें पूरी कर देती तो संघर्ष पुनः शुरू नहीं होता, और तीन पौंडी करकी बात-पर अलगसे विचार होता रह सकता था।

इस समय न्यायमूर्ति सर्लके फैसलेके कारण वैध-विवाहका प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ। उससे भी प्राप्त अधिकारोंका हनन होता था। सन् १९१३ में हमारे विरोधके बावजूद स्वर्गीय श्री फिशरने प्रवासी कानून पास कर दिया। उसमें हमें बहुत-कुछ मिला और थोड़ा-बहुत रह भी गया; किन्तु विवाह सम्बन्धी समस्या न सुलझ पाई और कुछ दूसरे

१. शिष्टमण्डल १९०९ में विलायत गया; देखिए खण्ड ९।

मौजूदा हकोंमें अड़चनें आने लगीं। इसीलिए चौथी बार फिर सत्याग्रह शुरू करना पड़ा। स्वाभाविक था कि हमने इस बार और भी कुछ माँगें कीं। और अब कहीं सरकारने ये सारी माँगें मंजूर की हैं और इस प्रकार संवर्षका समापन हो पाया है।

इस सबसे, यदि हम देखना चाहें तो यह देख सकते हैं कि सरकारने जब-जब [हमारे साथ] धोखा किया तब-तब उसे हमें अधिक अधिकार देने पड़े। इसीलिए यह कहावत है कि 'दगा किसका सगा'। धोखेवाजी तो तभी छिपी रह सकती है जब दोनों पक्ष थोड़ी बहुत धोखाधड़ी करते हों। पर सत्याग्रहमें तो धोखा एकपक्षीय ही हो सकता है; सत्याग्रही तो धोखा कर ही नहीं सकता।

सत्याग्रहसे दूसरी यह बात भी समझमें आ सकती है कि ज्यों-ज्यों संघर्ष बढ़ता गया, लोगोंकी ताकत भी बढ़ती गई और साथ ही उनकी कष्टसहिष्णुता भी। और वह इस हद तक कि पिछले वर्षके अन्तमें जैसी कुछ मसीवतें हमने झेलीं आजके इतिहासमें उनके मुकाबलेमें पेश करने योग्य कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। और ज्यों-ज्यों हमने कष्ट उठाये त्यों-त्यों हमें राहत मिलती गई। इससे प्रकृतिका एक दूसरा अटल सिद्धान्त भी प्रतिष्ठित होता है कि मनुष्यको उतना ही सुख प्राप्त होता है जितना दुःख वह उठा पाता है। जमीनको ऊपर-ऊपरसे छीलनेवालेके हाथ निरी घास ही आयेगी, [पुष्ट] अन्नकी फसल तो जमीनकी गहरी जुताई करनेवाला ही पायेगा। अतः बिना दुःख उठाये सुखकी आशा करना दुराशामात्र है। संसारमें तपश्चर्या, फकीरी आदि इसी प्रकार सुप्रतिष्ठित हुए हैं और इसी प्रकार उनकी महत्ता गई गई है।

समाजने दुःख उठाकर जो-कुछ हासिल किया है उसे सुरक्षित भी दुःख सहन करनेकी शक्तको अक्षुण्ण रखकर ही बनाया जा सकेगा और इसी प्रकार उसमें वृद्धि भी की जा सकेगी। और यदि यह शक्ति जाती रही तो जो हासिल किया है सो तो जायेगा ही, कुछ और भी चला जायेगा। यह बात समझमें तो सहज ही आ जाती है; परन्तु अनेक बार हम उसे भूल जाया करते हैं।

कानून

अब हमने जो-कुछ हासिल किया है उसकी जाँच करें। इस नये कानूनमें दो बातोंका समावेश होता है। प्रथम तो यह कि तीन पाँडी कर रद्द हो गया। जिन लोगोंपर इस करकी रकम चढ़ गई थी वह भी माफ कर दी गई। इस विषयमें 'मर्क्युरी' आदि पत्रोंने अपनी टिप्पणीमें कहा है कि लेने जाकर हम लोग खो आये हैं' क्योंकि सरकारने कर तो हटा दिया है पर उसके बदलेमें या तो बेचारे गिरमिटियोंको यह मुल्क छोड़ना पड़ेगा या फिर उन्हें सदाके लिए गिरमिटमें बँधा रहना पड़ेगा। परन्तु ऐसी शंका करना निराधार है, स्वयं जनरल स्मट्सके पत्रसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात है विवाहोंके बारेमें। यों यह हल कुछ इस प्रकार फलित हुआ है कि इसमें हमें अपनी माँगोंसे कुछ अधिक ही मिला है, कम नहीं। इस कानूनके कारण हमारी स्थिति अब बिलकुल स्पष्ट हो चुकी है जबकि न्यायमूर्ति सर्लके निर्णयसे पूर्व उसको केवल मान्यता ही प्राप्त थी। न्याय-मूर्ति सर्लके निर्णयसे पूर्व हमें यह कहना था कि स्थानीय कानून सभी धर्मोंके एक पत्नीवाले विवाहोंको मान्य करता है और उसमें हमारे धर्मसम्मत विवाहोंका भी समावेश हो

जाना चाहिए, परन्तु उन्होंने इससे कुछ दूसरा ही निर्णय दिया और कहा कि यद्यपि ईसाई आदि धर्मोंके अनुसार एक औरतसे शादी कानूनसम्मत है तथापि हिन्दू और मुसलमान धर्मके एक पत्नी विवाहको भी मान्यता नहीं दी जा सकती। इसमें तो उपर्युक्त धर्मोंका सरासर अपमान है। इसलिए श्री काछलियाने कानूनमें परिवर्तनकी माँग की। और वह अब मंजूर हो गई है। इस कानूनसे अन्य किसी प्रकारकी तबदीली नहीं होती। तलाक, वारिसी हक और एकाधिक पत्नियोंके प्रश्नकी स्थितितो पूर्ववत् ही रहेगी। इस कानूनसे मृत पत्नीकी सन्तानका बचाव भी अवश्य होता है। यह कानून ऐच्छिक है। किसीको कानूनन अपनी शादीका पंजीयन करवाना आवश्यक नहीं है। और जो भारतसे आते हैं उनके लिए तो शादीके पंजीयनका प्रश्न ही नहीं उठता। शादी पंजीयित करवानेका मुख्य हेतु तो यह था कि बच्चोंके लिए किसी बातमें अड़चन पैदा न हो। और अब जब कि यह अड़चन दूर हो चुकी है, किसी भी भारतीयको शादीका पंजीयन करवाना जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, हमारी तो यह सलाह है कि पंजीयन न करवाया जाये। कानून बनना आवश्यक था। इसके बिना [हमारे] धर्मोंका जो अपमान हो रहा था उसका प्रतिकार किया जाना आवश्यक था। हमें यह इतना मिल सका, यही काफी है। कानूनकी रचना कुछ इस प्रकार हुई है कि विवाहका पंजीयन बिना करवाये ही बच्चोंको संरक्षण मिल जाता है। और इसमें एक या दो स्त्रियोंसे विवाहका प्रश्न ही नहीं उठ पाता। और इतना तो निश्चित है कि यदि कोई व्यक्ति एकाधिक विवाह करनेका इरादा करता हो उसे तो अपने एक पत्नी विवाहका पंजीयन नहीं करवाना चाहिए। इस सम्बन्धमें हमें केवल ऐसा अधिकार चाहिए था कि उसके आधारपर हमारे धर्मगुरु ही विवाह पंजीयन करनेवाले अधिकारी नियुक्त हो सकें। पर हम इस अधिकारको अमलमें लानेकी सलाह नहीं देना चाहते। हमारी मान्यता है कि ऐसी नियुक्तियोंके परिणामस्वरूप समाजमें धोखेबाजी फैलेगी और हमारे धर्मगुरु प्रलोभनोंमें पड़ जायेंगे। फिर जो शादियाँ हो चुकी हैं उनके लिए तो इन नियुक्तियोंकी आवश्यकता ही नहीं रहती; क्योंकि कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेटके पास जाकर अपने विवाहका पंजीयन करवा सकता है। यही नियम भविष्यमें होनेवाले विवाहोंपर भी लागू होता है। अर्थात् शादी हम किसी भी मौलवी या धर्मगुरुकी मारफत करवायें और जब इच्छा हो तब मजिस्ट्रेटके पास जाकर उसका पंजीयन करवा लें। इस तरह समाजसे हमारा आग्रहपूर्वक यह कहना है कि वह शादीके लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करवानेकी पंचायतमें न पड़े। इस प्रश्नका उपसंहार करनेसे पूर्व हम यह भी कहना चाहते हैं कि इस सम्बन्धमें यहाँ जिस प्रकारका कानून बना है वैसा अन्य किसी उपनिवेशमें नहीं है। मॉरिशसमें एक या एकाधिक भारतीय विवाह जायज माने जाते हैं ऐसा सुननेमें आया है; परन्तु वहाँ भी ऐसा नहीं है और न वहाँका कानून यहाँ की तरह अच्छा ही है। यह बात हम इसी अंकमें अन्यत्र बता ही चुके हैं।

इस कानून द्वारा जो तीसरा प्रश्न हल हो पाया है वह यह है कि यदि किसी नेटाल निवासीके अधिवास प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें कभी कोई प्रश्न उठ खड़ा हो और उक्त पासकी अँगूठा-निशानी यदि प्रवासी अधिकारीकी दफ्तरी नकलसे मिलती हो तो उक्त पास अधिकृत माना जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि आज जिस प्रकार व्यर्थकी

पूछताछ की जाती है और अँगूठा निशानी ठीक सिद्ध होनेपर भी लोगोंको झूठा करार दिया जाकर निकाल दिया जाता है—यह सब अब नहीं होगा। जो लोग अँगूठा निशानी सही सिद्ध कर सकेंगे उनके हक सुरक्षित रह सकेंगे। परन्तु कानूनकी इस धाराका अर्थ यह नहीं होगा कि एक मनुष्य जो अनेक वर्षों तक नेटालसे बाहर रहा है वह केवल प्रमाणपत्रके आधारपर बच जायेगा। यह तो प्रत्येक व्यक्तिको सिद्ध करना होगा कि वह इस मुल्कको सदाके लिए नहीं छोड़ चुका था।

अमली-राहत

ऐसी राहतोंके सम्बन्धमें जो कानूनकी सीमासे बाहर हैं—श्री गांधी और सरकारके बीच पत्र-व्यवहार हुआ है। उसीसे तत्सम्बन्धी जानकारी मिल सकती है। इनमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीय, फ्री स्टेट तथा मौजूदा कानूनोंके अमली स्वरूपका समावेश होता है। हमें यहाँ इनमें से एककी ही चर्चा अभीष्ट है। चूँकि सरकार इस बातके लिए वचनबद्ध है कि प्रचलित कानूनोंका न्यायपूर्वक अमल हमारे मौजूदा हकोंको सुरक्षित रखते हुए ही होगा, अतः जहाँ-जहाँ अन्याय हो [भारतीय] समाजके लिए राहत पाना सम्भव होगा। हमारा विश्वास है कि यह धारा भविष्यमें अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगी। परन्तु इसकी उपयोगिता समाजके नेताओंके कर्तव्यपर अवलम्बित है। यदि वे सोते रहे तो इस धाराका होना-न-होना समान ही है। जिन कानूनोंका अधिकसे-अधिक ध्यान रखना है वे दो हैं: एक तो सारे प्रान्तोंसे सम्बन्ध रखनेवाला परवाना-कानून और दूसरा ट्रान्सवालका स्वर्ण-कानून। श्रीगांधीने अपने पत्रमें यह भी कहा है कि इन कानूनोंमें परिवर्तन करवानेके लिए निकट भविष्यमें आन्दोलन करना होगा। ऐसा आन्दोलन करते समय समाजको कानूनके अमली स्वरूपका बड़ा खयाल रखना होगा और यदि समाजने इतना किया तो फिलहाल शान्ति बनी रहेगी।

हमें यह तो स्वीकार करना ही चाहिए कि सरकारने इस बार न्याय बुद्धिसे काम लिया है। संसद्के प्रमुख सदस्योंने भी अपने भाषणोंमें न्यायवृत्तिका ही परिचय दिया है और मन्त्रियों और खासतौरसे जनरल स्मट्सके भाषणसे यह जान पड़ता है कि उनका रुख भी आगे न्याय करनेका ही है। हम कौमको आगाह करना चाहते हैं कि वह इस रुखका लाभ उठानेका प्रयत्न करे और ऐसा लाभ तभी मिल सकता है जब समाजमें संगठन, बहादुरी और सच्चाई हो।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४

३५३. मॉरिशसका विवाह-कानून

हम सुन रहे हैं कि मॉरिशसके भारतीयोंको वहाँका स्थानीय कानून एकसे अधिक विवाहित स्त्रियोंकी मान्यता देता है। इसके आधारपर हमने जाँच की है। वहाँके कानूनकी प्रति हमें नहीं मिल पाई है। वैसे यह कानून वहाँके भारतीयोंके आन्दोलनका ही परिणाम है। और यह १७ दिसम्बर १९१२ में पास हुआ था। इस कानूनमें हिन्दू या मुसलमान धर्म गुरुओंको विवाह-सम्बन्धी अधिकारीकी सत्ता प्राप्त है। वहाँ ऐसा कोई भारतीय विवाह जायज नहीं माना जा सकता जो १८९० के स्थानीय विवाह सम्बन्धी कानूनकी शर्तें पूरी न करता हो। मतलब यह हुआ कि मॉरिशसका वह विवाह कानून जो सबपर लागू होता है, भारतीयोंपर भी लागू होगा। कानूनमें साफ तौरसे यह बतलाया गया है कि इस सार्वजनिक कानूनकी ४६ से ५१ तककी व्यवस्थाओंमें विवाह सम्बन्धी जो धाराएँ दी गई हैं वे भारतीय विवाहपर भी लागू होती हैं। यदि मर्द २१ वर्षसे कम उम्रका और स्त्री १८ से कमकी हो तो [उनके विवाहके लिए] उन दोनोंके माता-पिताकी स्वीकृति चाहिए। कानूनकी अन्य धाराएँ विवाह-सम्बन्धी अफसरोंके कर्तव्य क्या-क्या हैं, रजिस्टर आदि रेकार्ड किस प्रकार रखे जायें इत्यादि, बातोंसे सम्बन्ध रखती हैं। यदि कोई व्यक्ति कानूनकी शर्तोंको तोड़ता है या गैर कानूनी शादी रजिस्टर करवाता है तो उसे पाँच सौ रुपये तक दण्ड दिया जा सकता है। धर्म गुरुओंको इस कानूनसे सम्बन्धित जिन शर्तोंका पालन करना है उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :—

१. गवर्नरकी इजाजतके बिना १८ वर्षसे कम उम्रका लड़का और १५ से कम उम्रकी लड़कीका विवाह नहीं हो सकता।
२. एक स्त्री मौजूद हो और उसका कानूनन तलाक न हो चुका हो तो दूसरी स्त्रीसे विवाह नहीं किया जा सकता।
३. जिस व्यक्तिका तलाक व्यभिचारके कारण हुआ हो उस तलाकशुदा व्यक्तिका विवाह सम्बन्धित व्यभिचारमें भागी व्यक्तिसे नहीं हो सकता।
४. विधवा या तलाकशुदा स्त्री दस मास तक शादी नहीं कर सकती।
५. पुरुष और उसकी भतीजी, स्त्री और उसका भतीजा, या पुरुष और उसके भाईकी पत्नी, इनके बीच विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता, भाईकी पत्नी विधवा हो तो भी नहीं।

इनके अलावा भी कुछ धाराएँ हैं किन्तु उनका उल्लेख हम यहाँ नहीं कर रहे हैं।

ऊपर हम जो कुछ दे चुके हैं उससे स्पष्ट है कि मॉरिशसमें वहाँका स्थानीय विवाह कानून तलाक, एकसे अधिक शादियाँ, किस उम्रमें विवाह किया जाये तथा अन्य जरूरी बातोंमें भारतीयोंपर भी लागू होता है। नये कानूनसे केवल इतना-भर परिवर्तन हो

पाया है कि पहले धर्मगुरु शादी रजिस्टर नहीं कर सकता था पर अब उनकी भी नियुक्ति इस कामके लिए हो सकती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९१४

३५४. भाषण : गुजराती समाजकी सभामें^१

डर्वन

[जुलाई ९, १९१४]

[गांधीजीने] कहा कि इस अवसरपर मैं उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोंसे कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता, इसके लिए मुझे आगे कोई अवसर मिलेगा या नहीं। आपके सामने मैं पहले-पहल जब दक्षिण आफ्रिका आया था तब बोला था; और अन्तिम बार जब यहाँसे जा रहा हूँ तब बोल रहा हूँ। आपने ही दक्षिण आफ्रिकामें मेरे प्रथम राजनीतिक कार्यमें हाथ बँटाया था। उस अवसरपर हमने भारतीयोंके मताधिकार-अपहरणके विरुद्ध तत्कालीन उपनिवेश-मन्त्री लॉर्ड एलगिनके नाम कोई १०,००० भारतीयों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थनापत्र^२ भेजा था। सम्बन्धित विधेयकपर निषेधाधिकारका प्रयोग हुआ और इस तरह हमारा प्रार्थनापत्र देना सफल रहा था। अलबत्ता तत्कालीन सरकारने आगे चलकर दूसरे रूपमें अपना मंशा सिद्ध कर लिया था। उसीके बादसे आप लोग समाजके कार्यमें सहयोग देते रहे, किन्तु यदि आप चाहें तो और भी बहुत-कुछ कर सकते हैं। आप लोग ही दक्षिण आफ्रिकाके स्थायी भारतीय निवासी हैं। दक्षिण आफ्रिका आप लोगोंके लिए जन्म-भूमि है, आपका अपना घर है; और समाजके शेष सब अंगोंके कल्याणके लिए यह आवश्यक है कि वे उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोंके साथ मिलकर काम करें। आपका दायित्व बहुत बड़ा है। समझौतेके इस पौधेको सींचना, यूरोपीय और भारतीय समुदायोंके बीच स्थापित आजके अपेक्षाकृत सौहार्द्रपूर्ण वातावरणकी रक्षा करना और दक्षिण आफ्रिकामें जो पूर्वग्रह आज भी मौजूद हैं, उन्हें अपने आचार-व्यवहारसे दूर करना आप ही लोगोंका काम है। यदि आप बराबर कर्तव्यरत रहे तो समय आनेपर यह सब कुछ हो जायेगा। उन्होंने नागप्पन और वलिअम्माका उल्लेख करते हुए कहा कि ये दोनों उपनिवेशमें उत्पन्न हुए थे, और वे महिलाएँ भी, जिन्होंने न्यू कैसिलमें उत्कृष्ट कार्य करके दिखाया, उपनिवेशमें ही उत्पन्न हुई थीं। उन्होंने अनुरोध किया कि वे अपने राष्ट्रीय गुणोंको बनाये रखें, अपनी मातृभाषा सीखें और अपनी मातृभूमिके इतिहास और परम्पराओंका

१. अपने अंग्रेजीमें दिए भाषणमें अपना और वा का स्वागत करनेके लिए लोगोंको धन्यवाद देते हुए गांधीजीने बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीचके मैत्रीपूर्ण सम्बन्धकी चर्चा की।

२. यह प्रार्थनापत्र मई, १८९५ में भेजा गया था। देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२१४।

अध्ययन करें। अन्तमें उन्होंने उपस्थित लोगोंमें से कुछसे मातृभूमिमें मिलनेकी आशा व्यक्त करके अपना भाषण समाप्त किया।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-७-१९१४

३५५. भाषण : गुजराती सभाके उत्सवमें^१

[डर्बन

जुलाई, ९, १९१४]

समय ज्यादा नहीं है, अतः मुझे दो शब्द उन भारतीय नवयुवकोंसे कहने हैं जो दक्षिण आफ्रिकामें ही पैदा हुए हैं। सत्याग्रह संघर्षमें प्रधान भाग यहीं जन्मे भारतीयोंने लिया है और उनमें भी गरीब और सर्व-साधारण लोगोंने ही अधिक सेवा की है। श्रीमन्त लोग तो और अधिक धनवान बननेकी धुनमें व्यस्त रहे। मेरे स्वर्गीय भाई नाग-प्पन और बहन वलिअम्मा यहीं पैदा हुए थे। भाई नारायणसामी भी यहीं पैदा हुआ था। मैं आप सबसे उनके कदमोंपर चलनेकी प्रार्थना करता हूँ। मैं आपको यह सलाह भी देता हूँ कि आपको चाहे जैसी मुसीबतें उठानी पड़ें आप भारतकी यात्रा अवश्य करें।

आप सब भाइयोंने जो मान और प्रेम हम दोनोंके लिए व्यक्त किया है, इसके लिए मैं आपका उपकार मानता हूँ। जब कभी मुझे सम्मान दिया जाता है तभी मेरी आत्मा एक प्रकारके भयका अनुभव करती जान पड़ती है। और जब-जब मुझपर मार पड़ी है और मेरा अपमान हुआ है, तब-तब मुझे अपनी भूलोंका ज्ञान हुआ है और नया ज्ञान मिला है। पर अब तो मेरी मनःस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि प्रशंसासे मुझमें कोई विकार पैदा नहीं हो सकता है। आप लोगोंसे विदा होते हुए मुझे बड़ा दुःख हो रहा है; परन्तु देर-सबेर जुदा तो होना ही था। मैं अब भोग-भूमिसे कर्म-भूमिमें जा रहा हूँ। मेरी मुक्ति भारतको छोड़कर अन्य भूमिमें नहीं है। यदि मोक्षकी इच्छा हो तो मनुष्यको भारत भूमिमें जाना ही चाहिए। मेरी ही तरह प्रत्येकके लिए भारत भूमि दुखियोंका 'विश्राम स्थान' है और इसीलिए स्वदेश जानेके लिए मैं इतना उत्सुक हूँ। जाते-जाते मैं आप सबसे विनयपूर्वक कहता हूँ कि आप प्रत्येक मनुष्यके साथ प्रेमका बरताव करें, फिर चाहे वह किसी भी समाजका या धर्मका क्यों न हो।

मैं आज तक हिन्दू और मुसलमान दोनोंको एक-जैसा सम्मान देता आया हूँ। हिन्दू धर्मकी सीख भी यही है। और यदि ऐसा करनेके कारण कोई कह बैठे कि मैं तो हिन्दू नहीं हूँ तो मैं उसके विरुद्ध सत्याग्रह करूँगा। मैं बड़े विश्वासके साथ कहता हूँ कि यहाँ मुझसे बढ़कर कोई हिन्दू नहीं हो सकता शायद मेरी बराबरीका भी न हो। हमारे घर जब कोई आता है तो हम उसका आदर-सत्कार करते हैं, ठीक उसी

१. विक्टोरिया स्ट्रीटमें स्थित हिन्दू धर्मशालामें गुजरातियोंकी सभा द्वारा गांधीजीकी विदाईका आयोजन किया गया था। गांधीजी पहले अंग्रेजीमें और फिर गुजरातीमें बोले थे।

प्रकार दूसरे समाजके व्यक्तिको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। यदि प्रत्येक भारतीय इस प्रकार मिल-जुलकर रहेगा तो दक्षिण आफ्रिकामें हमारी स्थितिमें बड़ी प्रगति होगी इसमें शंकाकी तनिक भी गुंजाइश नहीं है।

मुझे अभी जो सम्मान यहाँ दिया गया है उस सम्बन्धमें मुझे इतना ही कहना है कि मुझे जब-जब सम्मान प्राप्त हुआ है तब-तब मैंने अपने भीतर किसी कमजोरीका अनुभव किया है और जब-जब मुझपर मार पड़ी है तब-तब मैंने अपनेमें एक विशेष बलका अनुभव किया है, मैं आगे बढ़ सका हूँ और सुदृढ़ बना हूँ। अतः वे लोग जो आज मेरे विरुद्ध बात करते हैं वे वास्तवमें मेरे हितैषी हैं। वैसे मैं तो अपना सच्चा सम्मान तब मानूँगा जब प्रत्येक भारतीय बन्धु सत्याग्रही बनेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-७-१९१४

३५६. भाषण : खेल-कूद समारोहमें^१

डर्बन

[जुलाई ९, १९१४]

श्री गांधीने कहा कि बच्चोंके खेलोंका यह आयोजन करने, इसके लिए आजका पूरा दिन रखने और इतना कम समय होनेपर भी उन्हें एकत्र कर लेनेके लिए मैं विदाई-समितिका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नगरके टाउन हॉलमें जो दूसरा समारोह किया गया था मुझे उससे इतनी प्रसन्नता नहीं हुई।^२ उस समारोहमें मुझे कोई विशेष रस नहीं मिला; किन्तु तीसरे पहरके ये खेल आदिके कार्यक्रम मेरे मनमें सदा दक्षिण आफ्रिका निवासकी कुछ मधुर स्मृतियोंमें से एक बनकर रहेंगे। श्री गांधीने कहा, मैं दक्षिण आफ्रिकाके समाजको जानता हूँ, परन्तु भारतके समाजको नहीं जानता। अगर कोई मुझसे पूछे कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंका मन किसी खास मौकेपर किस तरहसे काम करेगा तो मुझे निश्चय है कि मैं सही तौरपर वह बात बता सकता हूँ। परन्तु स्वयं भारतमें भारतीयोंका मन अमुक अवसरपर कब किस तरह काम करेगा इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इतना अधिक मैं अपने दक्षिण आफ्रिकावासी भाइयोंको जानता हूँ। इसलिए आज दक्षिण आफ्रिका, अपने प्यारे देशभाइयों, बच्चों और बच्चियोंसे विदा लेते समय सबको एकत्र देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके बाद श्री गांधीने बच्चोंको सम्बोधित किया। उन्होंने कहा, आज तुम लोग खेल खेलनेके लिए आये हो। खेल अच्छे होते हैं। और अगर तुम इनका अर्थ—हेतु—जान लो तो

१. गांधीजीने डर्बनके एल्बर्ट पार्कमें आयोजित बच्चोंके एक समारोहमें भाषण किया था; समारोहकी संक्षिप्त रिपोर्ट १५-७-१९१४ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुई थी।

२. देखिए “भाषण : विदाई सभामें”, पृष्ठ ४३५-३७।

सचमुच वे बहुत अच्छे होते हैं। परन्तु आज मैं इन खेलोंके बारेमें नहीं, जीवनके असली खेलके बारेमें कुछ कहूँगा। इनामके लिए तुमने दौड़ आदिमें भाग लिया। परन्तु जैसा कि अभी श्री वेलीने कहा, इनामोंका असर शिक्षण देनेवालोंपर तथा स्वयं बच्चोंपर भी अच्छा नहीं होता। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। परन्तु आज यदि तुमने दौड़ोंमें यह बतानेके लिए भाग लिया हो कि इन दौड़ोंके पीछे एक उद्देश्य है—यह कि पिछले कुछ वर्षोंसे तुम इस यत्नमें हो कि अपने शरीरको अच्छी—काम करने योग्य—स्थितिमें रखना चाहते हो, तो इससे उद्योग करनेका महत्व सिद्ध होता है; और एक निश्चित ध्येयके लिए अनुशासनबद्ध रीतिसे अमुक समय तक लगातार एकाग्रतापूर्वक काम करना अपने आपमें एक अच्छी चीज है। परन्तु जीवनमें बच्चोंके लिए और खुद मेरे लिए एक और भी अच्छी दौड़ है। क्या तुम जानते हो कि वह क्या है? जो बच्चे ईसाई हैं वे अगर गिरजाघरोंमें जाते हैं अथवा जो बच्चे हिन्दू हैं और यहाँ उन्हें यह बतानेके लिए कुछ ऐसे हिन्दू हों कि उनका धर्म क्या कहता है, और इसी प्रकार जो बच्चे मुसलमान हैं और उनके धर्मकी शिक्षा देनेवाले कोई मौलवी हों तो मुझे निश्चय है कि ये सब उन्हें यही बतायेंगे कि जीवन एक दौड़ है जिसमें उन्हें अच्छे उतरनेकी तैयारी करनी है और बड़े होनेपर पुरुषोचित्त और स्त्रियोचित्त काम करने हैं। श्री गांधीने कहा, चूँकि मैं खुद कुछ वर्ष तक शिक्षण देता रहा हूँ इसलिए मैं शिक्षकोंसे भी दो शब्द कहना चाहूँगा। मेरा खयाल है कि सच्ची शिक्षा इसमें नहीं है कि आप बच्चोंको अक्षरोंका ज्ञान करा दें। सच्ची शिक्षा तो बच्चोंके चरित्र-निर्माणमें है। जबतक बच्चे छोटे होते हैं और उनकी बुद्धि कोमल होती है तभी तक उन्हें इच्छानुसार मोड़ा या ढाला जा सकता है। इसलिए शिक्षक यदि इसी उम्रमें बच्चोंको समझा दें कि जीवनमें चरित्र ही सबसे पहली, और आखिरी वस्तु है और यह कि अक्षर-ज्ञान तो चरित्र गठनका साधन मात्र है, तो मैं शिक्षकों और बच्चों दोनोंका पाठशालाओंमें जाना सार्थक समझूँगा और माता-पिताओंका भी ऐसी शालाओंमें बच्चोंको भेजना उचित मानूँगा। परन्तु अगर माता-पिता बच्चोंको केवल अक्षर-ज्ञान लेनेके लिए पाठशालाओंमें भेजें और बच्चे भी वहाँ केवल इसीलिए जायें कि पढ़-लिखकर वे भविष्यमें किसी-न-किसी प्रकार कुछ अधिक द्रव्य कमा लेंगे तो मेरी समझमें वह शिक्षा सच्ची शिक्षा नहीं होगी। मुझे लगा कि आज यह छोटीसी बात मैं सबसे कह दूँ।

श्री गांधीने कहा, थोड़ी ही देर बाद बच्चोंको इनाम मिलनेवाले हैं। किन्तु मुझे बताया गया है कि नेटाल प्रान्तके क्रीड़ा-मण्डल (स्पोर्टिंग एसोसिएशन) को श्री रुस्तमजीकी तरफसे पुरस्कार देनेके लिए एक घूमनेवाली "ट्रॉफी" मिलनेवाली है। मैं समझता हूँ कि यह ट्रॉफी अपने आपमें भी कोई साधारण मूल्यकी वस्तु नहीं है। इसकी कीमत ३० पाउंड है। मुझे आशा है कि नेटालका क्रीड़ा-मण्डल इस भेंटका पात्र होगा। परन्तु इस ट्रॉफीका जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वह एक कीमती चीज है। मुझे उम्मीद है कि नेटालका क्रीड़ा-मण्डल सारे काम खिलाड़ीकी भावनासे करेगा, और जीवनके सच्चे खेलों और दौड़ोंमें इन बच्चोंके सामने एक उदात्त उदाहरण पेश करेगा। इसी प्रकार ये लड़के और लड़कियाँ भी जो यहाँ एकत्र हुए हैं, अकेले एक रुस्तमजीसे ट्रॉफी प्राप्त करके नहीं, बल्कि अपने आपको क्रीड़ाकी भावनासे समर्पित करके अपनी

सेवा द्वारा दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए अपने प्रत्येक देशवासीसे शाबाशीकी ट्राँफी प्राप्त करके एक सुन्दर उदाहरण पेश करेंगे। और जिस प्रकार इन विद्यालयोंने इस समय दौड़ोंमें भाग लिया है और उनमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी है, इसी प्रकार मुझे आशा है यह मण्डल भी करेगा। मेरी समझमें जिस योग्यतासे आजकी कार्यवाहीका संचालन किया गया और व्यवस्था की गई उसीसे यह प्रकट हो जाता है कि आप आगे किस प्रकार काम करेंगे। मेरा खयाल है कि भविष्यमें सारा भार आप ही के कंधोंपर पड़नेवाला है। और इसमें पहलेकी भाँति अब भी रस्तमजी ही आपके नेता रहनेवाले हैं। और अब दो शब्द रस्तमजीके विषयमें भी कहूँगा। श्री रस्तमजी मेरे मित्र, मुवकिल तथा फीनिक्स आश्रमके ट्रस्टी रहे हैं, इतना होते हुए भी मैं उनकी सेवाओंकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस विदाई समारोहमें रस्तमजीने बहुत ही अधिक परिश्रम किया है। मुझे आशा है कि रस्तमजीका इतना काम करनेका कारण यह नहीं है कि उनका एक मित्र दक्षिण आफ्रिका छोड़कर जा रहा है। बल्कि इसके द्वारा वे दिखा देना चाहते हैं कि भविष्यमें दक्षिण आफ्रिकामें किस प्रकार काम करनेकी जरूरत है, दिखा देना चाहते हैं कि दक्षिण आफ्रिकाका और दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंका गौरव अपनी मातृभूमिके गौरवको बनाये रखनेमें है। अपने उत्साहसे और इस प्रकारकी सब हलचलोंमें हाथ बँटा कर श्री रस्तमजीने यह भी बता दिया कि भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकामें क्या-क्या करना है। श्री गांधीने कहा, मैं यह भी जानता हूँ कि कभी-कभी रस्तमजीको राजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परन्तु मैं यह भी जानता हूँ कि यदि एक बार आप रस्तमजीको राजी कर लें तो फिर उनके समान काबिल और एकनिष्ठ दूसरा नेता समस्त दक्षिण आफ्रिकामें नहीं मिल सकेगा। रस्तमजी जाति और धर्मके भेदको जानते ही नहीं। वे पारसियोंमें पारसी हैं। परन्तु मुसलमानोंमें मुसलमान भी हैं। क्योंकि वे मुसलमानोंके लिए जीने और मरनेके लिए भी तैयार रहते हैं। इसी प्रकार वे हिन्दुओंमें हिन्दू भी हैं और उनके लिए भी यह सब कुछ करनेके लिए तैयार रहते हैं। यों दक्षिण आफ्रिकामें मैं कई आदमियोंके नाम गिना सकता हूँ जो अनेक बातोंमें रस्तमजीकी बराबरी कर सकते हैं और किसी-किसी बातमें उनसे बढ़कर भी हैं। परन्तु साहस और एकनिष्ठतामें उनतक कोई नहीं पहुँच सकता। इसलिए डर्बनका बन्दरगाह छोड़नेसे पहले अपने अन्तिम सन्देशके रूपमें मैं ये शब्द छोड़ जाना चाहता हूँ कि अगर सार्वजनिक सेवाके रूपमें भारतीय कौम कोई काम करना चाहती है तो वह रस्तमजीपर भरोसा करे। परन्तु इसके साथ ही वह रस्तमजीकी आज्ञाका पालन भी करे। और अगर आप रस्तमजीपर भरोसा करते हैं तो उनके दोषोंको भी दर-गुजर कर दें। संसारमें ऐसा कौन है जिसमें कोई-न-कोई दोष नहीं है? सूर्य और चन्द्रमामें भी दाग हैं। केवल ईश्वर ही निष्कलंक है। कोई भी मनुष्य पूर्णतः निर्दोष नहीं हो सकता। अपने दोषोंकी चिन्ता रस्तमजी खुद कर लेंगे। भारतीय तो उनके गुणोंका ध्यान रखें। आप सब जानते हैं कि उस महान हड़तालमें उन्होंने आपके लिए कितना काम किया है। अन्तमें श्री गांधीने श्रोताओंसे अपने लिए परमात्मासे प्रार्थना करनेकी विनती की, उनके स्नेहकी माँग की और अच्छे-अच्छे समाचार भेजते

रहनेको कहा; और आश्वासन दिया कि इसके बदलेमें वे संसारमें जहाँ-कहीं भी होंगे अपने उन देशभाइयोंको नहीं भूलेंगे जिनके साथ वे दक्षिण आफ्रिकामें रहे और जिन्होंने उनपर इतना स्नेह बरसाया। उन्होंने कहा, मैं परमात्मासे प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे बल दे कि मैं भी अपने देशभाइयोंपर ऐसा ही स्नेह कर सकूँ। परमात्मा ही मुझे जानता है और मेरे हृदयमें क्या है सो देख सकता है। सम्भव है मेरा प्रेम ज्ञानयुक्त रहा हो, सम्भव है वह अज्ञानयुक्त भी रहा हो और इसके अनुसार मैंने अपने देशवासियोंकी सेवा अथवा कुसेवा भी की हो। यदि कोई कुसेवा बन गई हो तो ईश्वर परम दयालु है, वह मुझे क्षमा कर देगा। परन्तु अपने देशभाइयोंके प्रति मेरे प्रेममें और स्नेहमें कोई कमी रह गई हो और मुझसे अपने देशभाइयोंकी ठीक सेवा न बन पड़ी हो तो वे भी मुझे क्षमा करें। अपनी तरफसे मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि मैंने जो-कुछ भी किया है अथवा करनेका प्रयास किया है वह अपने हृदयके अन्तस्तलसे किया है। अवश्य, मुझसे भूलें भी जरूर हुई हैं। परन्तु मेरे देशभाई मुझे क्षमा करें। और यदि आप देखें कि मेरे मनमें देशभाइयोंके प्रति प्रेमका लेश भी है तो आप परमात्मासे प्रार्थना करें कि मेरे हृदयका यह प्रेम खूब बढ़े और मेरे देशभाइयोंने घोरसे-घोर संकटकालमें मुझपर जो स्नेह दिखाया है, हृदयकी जो विशालता मेरे प्रति प्रकट की है और मेरे सब दोषोंको जिस तरह सह लिया है उसके तुच्छ बदलेके रूपमें मेरा यह प्रेम आप तक पहुँचता रहे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-९-१९१४

३५७. भाषण : ढेड़ों द्वारा आयोजित स्वागत-समारोहमें

[डर्बन

जुलाई ९, १९१४]

श्री गांधीने बताया : आज प्रातःकाल ढेड़ जातिके कुछ सज्जन निमन्त्रण देने आये थे किन्तु उस समय मुझे इस बातकी जानकारी नहीं थी कि वे किस जातिके हैं; दूसरे, समयकी भी कमी थी अतः मैं निमन्त्रण स्वीकार नहीं कर सका। पर यदि मैं यह जान पाता तो अवश्य ही तुरन्त उपस्थित होनेके लिए तैयार हो जाता। आजकल इस जातिसे मिलकर मुझे गर्व होता है। ये सब अपने ही भाई हैं। इन लोगोंकी तरफ जरा भी हल्की नजरसे देखनेमें हमारा अपना ही ओछापन प्रकट होता है। इतना ही नहीं ऐसा करना अधर्म भी है। क्योंकि यह भगवद्गीताकी शिक्षाके विरुद्ध है।

इसके बाद श्री गांधीने समझाया कि बच्चोंके लिए अक्षर-ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रिक शिक्षाकी अधिक आवश्यकता है। भले ही पढ़ाई थोड़ी हो पर हो विवेकपूर्वक। तभी शिक्षा सार्थक होगी

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-७-१९१४

३५८. भाषण : प्रिटोरियाके विदाई समारोहमें^१

जुलाई १०, १९१४

अभिनन्दनपत्रों और भाषणोंका जवाब देते हुए श्री गांधीने पहले श्री स्टेंट द्वारा सभाका सभापतित्व करनेपर खुशी प्रकट की और कहा कि श्री स्टेंट सदा हमारे पक्षकी हिमायत करते रहे। मैं व्यक्तिगत रूपसे अपनेको उनका आभारी मानता हूँ। श्री चैमनेके प्रति भी श्री गांधीने वैसे ही भाव प्रकट किये जैसे चैमनेने किये और कहा कि मैं श्री चैमने और उनके कार्यालयके प्रबन्धका विरोध जरूर करता था परन्तु मेरे दिलमें श्री चैमनेके प्रति कभी दुर्भाव नहीं रहा। श्री चैमने भी मेरे साथ अत्यन्त सौजन्य-पूर्वक पेश आते थे। जब मैं दो हजार स्त्री-पुरुषोंको लेकर कूच कर रहा था, तब मुझे गिरफ्तार करनेके लिए श्री चैमने केवल एक आदमीको साथ लेकर गये थे। इसे मैं अपने प्रति श्री चैमनेका सम्मान मानता हूँ; क्योंकि इससे प्रकट होता था कि एक सत्याग्रहीके रूपमें श्री चैमने मुझमें कितना विश्वास करते थे। श्री गांधीने अपनेको भेंट की गई थैलीके लिए उपस्थित सज्जनोंको धन्यवाद देते हुए कहा कि दूसरी थैलियोंकी भाँति इसका उपयोग भी मैं खुद अपने लिए नहीं बल्कि प्रथमतः दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए भारतीयोंकी सेवामें और फिर भारतमें जाकर मैं जो कार्य करूँगा और जिसके प्रति परस्पर बातचीतमें हमने अपनी रुचि प्रकट की है, उसमें करूँगा। श्री गांधीकी राय थी कि जो समझौता हुआ है वह एक तरहका अधिकारपत्र (मंगना कार्टा) ही है। यह समझौता अन्तिम समझौता नहीं कहा जा सकता, इसका यह अर्थ नहीं है कि इसके हो जानेसे अब भारतीयोंके सब दुःख मिट चुके। इन दुःखोंको दूर करनेके लिए तो धीरजसे काम लेना होगा और यूरोपीय लोकमतको शिक्षित करना होगा, और हमें स्वयं इस प्रकार रहना होगा कि श्री स्टेंट-जैसे सज्जनोंके हृदयोंमें जो सहानुभूति है, वह बनी रहे। कुमारी श्लेसिनने भारतीयोंके हितार्थ जो काम किया उसके लिए श्री गांधीने उनकी प्रशंसा की।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-७-१९१४

३५९. सत्याग्रहका सिद्धान्त और व्यवहार

[जुलाई ११, १९१४ से पूर्व]

इस विशेषांकके प्रकाशित होते-होते, मैं यदि मातृभूमि तक नहीं तो कमसे-कम फीनिक्ससे तो काफी दूर पहुँच ही चुकूँगा। परन्तु जिसके कारण यह विशेषांक निकालना जरूरी हो गया है उसके बारेमें अपने अन्तरंग विचार प्रकट करके जाऊँगा। यदि अनाक्रामक प्रतिरोध (पैसिव रेजिस्टेंस) न होता तो 'इंडियन ओपिनियन' का इतने चित्रोंसे सुसज्जित इतना महत्वपूर्ण यह विशेषांक न निकल पाता। 'इंडियन ओपिनियन' बिना किसी दिखावेके, विनीत भावसे पिछले ग्यारह वर्षोंके दौरान मेरे देशवासियों और दक्षिण आफ्रिकाकी सेवाका प्रयत्न करता रहा है, और एक ऐसे कालमें जो उसका सबसे नाजुक दौर रहा है; शायद आगे कभी उसे ऐसे कालसे नहीं गुजरना पड़ेगा। 'पैसिव रेजिस्टेंस' इसी कालमें शुरू हुआ, आगे बढ़ा और उसने सारे सँसारका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भारतीय समाजके पिछले आठ वर्षोंके संघर्षके लिए यह शब्द उपयुक्त नहीं। भारतीय भाषामें इसे "सत्याग्रह" कहते हैं। मेरा खयाल है कि टॉल्स्टॉयने इसे आत्मिक-बल या प्रेम-बल भी कहा है, और यह है भी वही। अपनी विशुद्धतम अवस्थामें यह बल आर्थिक या अन्य किसी भी प्रकारकी भौतिक सहायताकी अपेक्षा नहीं रखता और अपनी प्रारम्भिक अवस्थामें भी यह निश्चय ही शारीरिक बल अथवा हिंसासे अलग रहता है। हिंसा तो वास्तवमें इस महान् आत्मिक बलका अभावात्मक पक्ष है। वे ही लोग इस बलको अपनेमें पैदा कर सकते और इसका उपयोग कर सकते हैं जो हिंसाको बिलकुल ही त्याग दें। इस बलका उपयोग एक व्यक्ति भी कर सकता है और समाज भी। इसे राजनीतिके क्षेत्रमें भी उतना ही प्रयुक्त किया जा सकता है जितना घरेलू मामलोंमें। इस बलकी सार्व-भौमिकता इसका स्थायित्व और इसकी अजेयता सिद्ध करती है। पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे सभी समान रूपसे इसका उपयोग कर सकते हैं। यह कहना बिलकुल गलत है कि इसका प्रयोग केवल निर्बल लोग ही करते हैं और सो भी तबतक जबतक वे हिंसाका जवाब हिंसासे देनेके योग्य नहीं हो पाते। इस भ्रान्तिकी जड़में अंग्रेजी भाषाके [इसके समानार्थी] शब्दके अर्थकी अपूर्णता ही है। सत्याग्रह वे लोग कर ही नहीं सकते जो पशु बलका उपयोग करनेकी दिशामें अपन-आपको कमजोर समझकर इसे अपनाना चाहते हैं। सफल सत्याग्रही वही बन सकता है जो यह महसूस कर ले कि मनुष्यमें कुछ ऐसा बल है जो उसकी पशु-प्रवृत्तिसे कहीं श्रेष्ठ है और जिसके आगे पशु-प्रवृत्ति सदा ही घुटने टेक देती है। इस बलका हिंसासे और इसीलिए सभी प्रकारके उत्पीड़नसे वही सम्बन्ध है जो प्रकाशका अन्धकारसे है। राजनीतिके क्षेत्रमें इस बलका उपयोग इस सनातन सिद्धान्तपर आधारित है कि जनताकी सरकार तभी तक सम्भव है, जबतक जनता जाने या अन-

१. गांधीजी ११ जुलाईको फीनिक्ससे भारतके लिए रवाना हुए थे।

जाने उससे शासित होनेके लिए सहमत हो। हम ट्रान्सवालके १९०७ के एशियाई अधिनियमसे शासित नहीं होना चाहते थे, इसलिए इस विराट् शक्तिके सामने उसे मुँहकी खानी पड़ी। हमारे सामने दो रास्ते थे— उस अधिनियमके पालनके लिए विवश किये जानेपर हम या तो हिंसाका सहारा लेते, या फिर अधिनियममें विहित दण्ड भोगते और एक लम्बे अर्सेके दौरान कष्ट-सहन करते हुए अपने अन्दर मौजूद आत्मिक बलका तबतक प्रदर्शन करते रहते जबतक वह शासकों या कानून बनानेवालोंके हृदयमें सहानुभूतिका भाव जगानेमें सफल न हो जाता। हम जिसके लिए प्रयत्नशील थे, उसे हासिल करनेमें हमें काफी लम्बा समय लग गया। क्योंकि हमारा सत्याग्रह सोलहों आने खरा नहीं था। सभी सत्याग्रही इस बलका पूरा महत्त्व नहीं समझते, और न हमारे पास ऐसे आदमी हैं जो हर हालतमें [अहिंसामें] अपने पूर्ण विश्वासके कारण हिंसासे दूर रहते हों। इस बलके प्रयोगके लिए यह अपेक्षित है कि हम गरीबीको अपनायें, अर्थात् हमारे पास पहिननेके लिए कपड़े और खानेके लिए भोजन है या नहीं, इसके प्रति हम उदासीन रहें। पिछले संघर्षके दौरान सभी सत्याग्रही तो इस सीमा तक जानेके लिए तैयार नहीं थे; शायद एकाध ही कोई ऐसा रहा हो। और कुछ तो नाममात्रके ही सत्याग्रही थे। वे विश्वाससे प्रेरित होकर इसमें नहीं आये थे; अधिकांशके उद्देश्य सर्वथा विशुद्ध नहीं थे और कुछ तो खोटे भी थे। यदि इतनी सतर्कतासे उनपर नजर न रखी जाती तो उनमें कुछ ऐसे भी थे जो संघर्षके दौरान बड़ी खुशीसे हिंसाका सहारा ले लेते। संघर्ष लम्बा खिंचनेका कारण यही था, वरना सर्वथा पूर्ण और विशुद्धतम आत्मिक बलके प्रयोगसे तो तुरन्त राहत मिलती है। इस बलका प्रयोग करनेमें समर्थ होनेके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आत्माको एक लम्बे अर्से तक प्रशिक्षित करे, इसलिए कि सोलहों आने खरा सत्याग्रही बननेके लिए उसे यदि सोलहों आने नहीं तो चौदह-पन्द्रह आने खरा इन्सान बनना ही पड़ेगा। हम सभी एकाएक तो इतने खरे इन्सान नहीं बन सकते, परन्तु यदि मेरी बात सही है— और मैं जानता हूँ कि सही है— तो हमारे अन्दर सत्याग्रहकी भावना जितनी गहरी होगी, हम उतने ही अच्छे इन्सान बन जायेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी उपयोगिता निर्विवाद है; और यह एक ऐसा बल है जो यदि सार्वभौमिक बन जाये तो सामाजिक आदर्शोंमें क्रान्ति ला देगा और उस निरंकुशता तथा निरन्तर पैर पसारते जानेवाले सैन्यवादकी कपाल-क्रिया कर देगा जिसके जुएके नीचे पाश्चात्य देश कराह रहे हैं, जिसके बोझसे उनका दम घुटा जा रहा है और जो लगता है कि पूर्वके देशोंकी ओर दिन-ब-दिन मुँह बाये बढ़ता जा रहा है। पिछले संघर्षने यदि मुट्ठीभर भी ऐसे भारतीय पैदा कर दिये हों जो अपना जीवन यथासम्भव अधिकसे-अधिक खरे सत्याग्रही बननेके लिए अर्पित करनेको तैयार हों, तो वे सच्चे मायनेमें अपनी ही नहीं समूचे मानव-समाजकी सेवा करेंगे। इस दृष्टिसे, सत्याग्रह ही सबसे उच्चतर और सर्वोत्तम शिक्षा है। ऐसी शिक्षा बच्चोंको साधारण पढ़ाई-लिखाईके बाद नहीं बल्कि उससे पहले दी जानी चाहिए। इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चोंको अक्षर-ज्ञान और संसारकी जानकारी हासिल करनेसे पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा, सत्य और प्रेम क्या है और आत्मामें

कौन-सी शक्तियाँ छिपी पड़ी हैं। वास्तविक शिक्षाका यह एक अत्यावश्यक अंग होना चाहिए कि बच्चा सीख ले कि जीवन-संघर्षमें प्रेम द्वारा घृणा, सत्य द्वारा असत्य और कष्ट-सहन द्वारा हिंसापर आसानीसे विजय पाई जा सकती है। मैंने इस सत्यका बल महसूस किया है। इसलिए मैंने संघर्षके उत्तरार्द्धमें पहले टॉल्स्टॉय फार्म और बादमें फीनिक्समें बच्चोंको इसी ढंगसे प्रशिक्षित करनेका यथाशक्य प्रयास किया है; और मेरे भारत जानेका एक यह भी कारण है कि मैं सत्याग्रहीके रूपमें अपनी अपूर्णताको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकूँ—जिसे मैं एक हृद तक महसूस करता भी हूँ— और फिर मैं अपने-आपको पूर्ण बनानेका प्रयास करूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि पूर्णताके निकटतम पहुँचनेकी सम्भावना भारतमें ही सबसे अधिक है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन : स्वर्ण अंक १९१४

३६०. भाषण : डर्बनके भोजमें^१

[जुलाई ११, १९१४]

श्री गांधीने उपस्थित सज्जनोंको अपने प्रति की गई आरोग्य कामनाके लिए धन्य-वाद देते हुए कहा कि मेरी बहुत अधिक प्रशंसा की गई है; अधिक प्रशंसासे मनुष्यमें अहंकार आ जानेका अन्देश रहता है। जब किसी मनुष्यकी बहुत अधिक प्रशंसा होने लगे तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। समझौतेके बारेमें उन्होंने कहा कि यह वर्तमान कठिनाइयोंका हल तो है, परन्तु पूरा समझौता नहीं है। कोई उसे सम्पूर्ण स्वाधीनताका परवाना न समझे।^२ अभी बहुतसे प्रश्न बचे हैं जिनको हल करनेके लिए धीरजकी जरूरत है। इनमें से एक सवाल परवानोंका है। मैं इसका हल कभी नहीं ढूँढ पाया। उसे हल करनेके लिए सरकारको बहुत कुशलता और न्याय-बुद्धिसे काम लेना होगा। भारतीयोंको भी सफाई और इमारतों सम्बन्धी उपनियमोंका ध्यान रखनेकी जरूरत है। भारतीयोंमें एक वर्ग ऐसा है जो जन्मतः व्यापारी है। अगर इन लोगोंसे उनकी रोजीका साधन छीन लिया जायेगा तो एक कठिन समस्या खड़ी हो जायेगी। इस समझौतेका सहत्व समझौतेके लिए किये गये संघर्षमें है। इस संघर्षने दक्षिण आफ्रिकाकी विवेक-बुद्धिको जगा दिया है। और आज जो सारा रुख पलटा हुआ दिखता है उसका कारण भी यही संघर्ष ही है। (हर्ष-ध्वनि)। इस रुखको कायम रखना भारतीयोंके

१. गांधीजीके सम्मानमें डर्बनमें एक भोजका आयोजन किया गया था जिसमें मेयर, अन्य प्रमुख यूरोपीय तथा लगभग ३० भारतीयोंने भाग लिया। अध्यक्षता श्री रॉबर्ट जेम्सन, जे० पी० ने की। इस अवसरपर विदाई-समिति द्वारा गांधीजी और कुमारी श्लेसिनको मानपत्र भेंट किये गये।

२. १३-७-१९१४के नेटाल मन्चुर्युरीमें इस जगह इतना और जोड़ा गया था: “कई चीजोंके त्यागके बदलेमें उन्हें इसका केवल एक अंश ही मिला है।”

हाथमें है। जो-कुछ प्राप्त हुआ है वह तो अंशमात्र है और अभी बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। भारतीयोंको जिस विरोधका सामना करना पड़ रहा है, उसके बारेमें बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि यद्यपि उनके प्रति बहुत अधिक दुर्भाव है, और वह अकारण तथा अनुचित भी है तथापि उस दुर्भावके पीछे भी न्यायकी भावना है।^१ श्री गांधीने अपने देशभाइयोंसे अपील की कि वे धीरजसे काम लें और उन दुर्भावोंको अपने आचरणसे गलत साबित कर दें। यह सच है कि जितना उन्हें मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। परन्तु उन्हें अपने हककी सारी चीजोंका मिलना बहुत हद तक खुद उन्हींपर निर्भर करता है। प्रान्तीय रुकावटोंके बारेमें बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि जबतक भारतीय अपने ही प्रान्तमें कैद रहेंगे तबतक संघ-राज्य उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। वे (भारतीय) जहाँ चाहें वहाँ जानेकी उन्हें स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए अपील की है और वह उन्हें मिलनी चाहिए। अन्तमें श्री गांधीने ब्रिटिश संविधान और ब्रिटिश आदर्शोंके बारेमें बोलते हुए कहा कि जबतक यह इसी रूपमें रहेंगे और परम्पराएँ कायम रहेंगी तबतक तो ठीक है। परन्तु वह दिन एक दुर्दिन होगा जब संविधान ढह कर गिर जायेगा और आदर्श बदल जायेंगे। (करतल-ध्वनि)। यद्यपि मैं स्वदेशको लौट रहा हूँ -- जो मुझे प्रिय है, तथापि मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं दक्षिण आफ्रिकाको कभी नहीं भुला सकूँगा। अपनी मातृभूमिके बाद मुझे सदा इसीका खयाल रहेगा। (करतल ध्वनि)।

कुमारी श्लेसिनको अभिनन्दनपत्र तथा पुस्तकें भेंट करनेवालोंके प्रति, कुमारी श्लेसिनकी तरफसे, धन्यवाद देनेके लिए श्री गांधी फिर उठे। उन्होंने कहा कि सत्याग्रहकी लड़ाईमें कुमारी श्लेसिनने बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया है। उन्होंने अपने-आपको पूरी तरहसे लड़ाईमें झोंक दिया था; वे दिन-रात काम करती थीं। जेल जानेका प्रयत्न करनेमें भी उन्होंने कभी कुछ उठा नहीं रखा। परन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। कई वर्षों तक वे मेरी सचिव रहीं। और सार्वजनिक कामोंमें मेरी बहुत मदद करती रहीं। वह मेरे लिए बहनसे कम नहीं हैं। उन्होंने ट्रान्सवाल-महिला-संघका संगठन किया और प्रारम्भसे ही उसकी अवतनिक मन्त्राणीका काम करती रही हैं।

अध्यक्ष महोदय (माननीय आर० जेम्सन) ने उस घटनाका उल्लेख किया है जिसे मैं समझता था कि वे भूल चुके होंगे। मैं उस दिन उनके कार्यालयमें काँपता हुआ, किन्तु मनमें यह विश्वास लिये दाखिल हुआ था कि वे समाजके हितैषी हैं। उन्होंने बिलकुल ठीक ही कहा है कि जैसे कोई पिता अपने बच्चेका मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार उन्होंने (श्री जेम्सनने) उन बहुतसे कामोंमें मेरा मार्गदर्शन किया जो मैं एक तुच्छ नागरिककी हैसियतसे दक्षिण आफ्रिकाके उद्यान-जैसे सुन्दर इस नगरमें करना चाहता था।

१. नेटाल मक्वुरीके अनुसार गांधीजीने यहाँ कहा था : “व्यापारका प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, और अगर भारतीय समाजको शान्तिपूर्वक रहने देना है तो इस प्रश्नको सद्भावके साथ न्यायोचित ढंगसे तय करना जरूरी होगा।”

सबसे पहले मैं उनसे एक आहत-सहायक-दल (एम्बुलेंस कोर) बनाने सम्बन्धी अपना प्रस्ताव लेकर मिला था, किन्तु उन्होंने एक सैनिक होनेके नाते जैसा कि स्वाभाविक था, मुझे हतोत्साह कर दिया था। उन्होंने सावधानीसे विचार करनेकी सलाह दी थी। मैं वहाँसे दुरुस्त मिजाज लेकर निकला, लेकिन फिर एक अन्य मित्रके पास गया। मुझे यह पता नहीं था कि वह मित्र सैनिक हैं या नहीं, लेकिन मैं यह जानता था कि वह साम्राज्य-भक्त हैं और मेरे लिए उसके हृदयमें स्थान है। वह मित्र थे श्री लॉटन। उनकी आँखें खुशीसे चमक उठीं, क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई भारतीय इस प्रकारका प्रस्ताव रख सकता है। उन्होंने कहा कि जेम्सनने जो-कुछ कहा है उसकी परवाह मत करो, और अपना प्रस्ताव सरकारके सामने रखो। मैं (श्री लॉटन) कोशिश करूँगा कि वह उसे स्वीकार कर ले। न भी करें तो भी तुम्हारे इस प्रस्तावसे नेटालके उपनिवेशियोंकी नजरमें तुम्हारे देशवासियोंकी इज्जत बढ़ जायेगी। इस एक बातने हमारे भाग्यका निर्णय कर दिया। मैंने प्रस्ताव किया, किन्तु वह रद्द कर दिया गया। तब मैं डॉ० बूथके पास गया जो उस समय सेंट एडंस मिशनके प्रधान थे और उनसे अनुरोध किया कि वे हमें प्राथमिक चिकित्साकी शिक्षा दें। उन्होंने एक कक्षा चलाकर हमें तीन या चार सप्ताह तक उसकी शिक्षा दी। हम शिक्षा लेते रहे। सेवाएँ अर्पित करनेवालोंमें ज्यादातर उपनिवेशमें जन्मे भारतीय थे। उस समय हम सबको यह भय था कि शत्रु, जो अब ब्रिटिश साम्राज्यके मित्र हैं, मैरिट्सबर्गपर चढ़े आ रहे हैं और शीघ्र ही डर्बनका बन्दरगाह भी ले लेंगे। हमने फिर आशा बाँधकर अपना प्रस्ताव सामने रखा। डॉ० बूथ नेटालके बिशपके पास गये जिन्होंने हमारी और सिफारिश की—और उनका इतना आग्रह रहा कि अन्तमें हमारा प्रस्ताव न केवल स्वीकार कर लिया गया बल्कि हम एक बहुत ही अच्छी कोटिके डोली-वाहक दलका संगठन करनेमें सफल हुए और उसने, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, अपना तुच्छ कर्तव्य निभाया। श्री गांधीने कहा कि इस विषयपर इतने विस्तारसे चर्चा करनेके पीछे मेरा मंशा अपने यूरोपीय मित्रोंको अपनी नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना है और यह बताना है कि उस अवसरपर और बादमें भी अनेक अवसरोंपर भारतीयों और यूरोपीयोंके बीच सहयोगपूर्ण तादात्म्य और पूर्ण मैत्रीकी भावना रही थी, और उस समय भी हमारे साथ यूरोपीयोंकी सहानुभूति थी, उनमें हमारे मित्र थे। ऐसी सुखद स्मृतियाँ मनमें हैं, इसलिए मैं अत्यन्त भारी मनसे दक्षिण आफ्रिका छोड़ूँगा। उपर्युक्त घटनाके उल्लेखसे मेरा एक उद्देश्य अपने देशवासियोंको यह बताना भी है कि यदि वे अपने अधिकारोंके लिए शोर मचाते हैं, यदि वे अपने अधिकारोंके अतिक्रमणका विरोध करना चाहते हैं तो उन्हें राज्यके नागरिककी हैसियतसे अपने उत्तरदायित्वोंका भी ध्यान रखना जरूरी है। वह अवसर एक ऐसा ही अवसर था कि जब भारतीय समाजने अपने उत्तरदायित्वको स्वीकार किया, और यद्यपि हमारी संख्या केवल कुछ हजार ही थी फिर भी जो-कुछ हमारे वशमें था हमने किया।

मैं अपने देशवासियोंको उस अवसरकी याद दिलाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वे समझें कि समझौतेसे उनके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व भी आये हैं।'

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९१४ और २३-९-१९१४

३६१. भाषण : वेरुलममें

जुलाई १२, १९१४

भाइयो और बहनो,

मैंने जब वेरुलम आना स्वीकार किया तब मेरे मनमें यह ख्याल बिलकुल भी नहीं था कि यहाँ मुझे मानपत्र स्वीकार करना होगा। मैं तो केवल अपने गिरमिटिया भाइयोंका दर्शन करने और उन्हें नये कानूनका अर्थ समझानेके लिए आया था। इसके सिवा यहाँ आना मुझे किसी तीर्थ-स्थानकी यात्रा करने जैसा मालूम हुआ है। कारण, पिछली हड़तालमें यहाँके भारतीयोंने बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया है और सो भी कितने आश्चर्यजनक रूपमें। जिस समय सारे तथाकथित नेता अपने-अपने घरमें आराम कर रहे थे या पैसा कमानेमें लगे हुए थे, उस समय ज्यों ही यहाँके गिरमिटिया भाइयोंको यह समाचार मिला कि चार्ल्सटाउनमें और दूसरी जगहोंमें भी तीन-पौड़ी करके बारेमें हड़ताल हुई है त्यों ही उन्होंने भी काम करना बन्द कर दिया। उन्हें किसी नेताकी जरूरत नहीं पड़ी। वेरुलम, टोंगाट और इसीपिंगोमें नेता लोग तो पैसा इकट्ठा करते हुए घूम रहे थे। किन्तु यहाँ किसीको समझानेकी कोई जरूरत ही नहीं हुई और सब भाइयोंने हड़ताल कर दी। इससे सिद्ध हो जाता है कि गरीबी ही सच्चा धन है। गरीब लोग राजा हैं। गरीब जो चाहें सो कर सकते हैं। हमारा उद्धार यहाँ, भारतमें, या अन्य किसी भी जगह गरीबीके द्वारा ही सम्भव है। ऐसे महान् आन्दोलनकी आत्मा गरीब ही हैं।

आप सब लोगोंने यहाँ जो मेरा सम्मान किया है, उसे स्वीकार करते हुए मुझे धर्म[शास्त्र]की आज्ञा याद आ रही है: "रे मनुष्य, जहाँ तेरी प्रशंसा हो रही हो वहाँ से तू भाग जा और यदि भाग न सके तो रुई लगाकर अपने कान बन्द कर ले।" जब-जब कहीं कोई मेरी प्रशंसा करने लगता है तब-तब मैं अपने हृदयमें इस शास्त्र-वचनको दोहराता हूँ। किन्तु इस आज्ञाके अनुसार मैं अभी यहाँ तो चल नहीं सका। उपर्युक्त आज्ञामें जो दो उपाय बताये गये हैं वे यदि सम्भव न हों तो उसीमें यह कहा

१. १७-७-१९१४ के ट्रान्सवाल लीडर और स्टारमें प्रकाशित संक्षिप्त रिपोर्टोंमें कहा गया था: "श्री गांधीने इस आशयकी एक महत्वपूर्ण बात कही कि राहत विधेयकसे भारतीयोंकी नियोग्यताएँ आंशिक रूपसे दूर हुई हैं, और बराबरीके दर्जेका सवाल आगे चल कर उठना अवश्यम्भावी है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ वर्षोंके लिए दक्षिण आफ्रिका छोड़ कर जा रहा हूँ लेकिन फिर लौट सकता हूँ।"

गया है कि "हे जीव यदि तू इस आज्ञाके अनुसार न चल सके तो यह सारी प्रशंसा तू कृष्णार्पण कर दे।" और वैसा मैं कर रहा हूँ। धर्मकी ऐसी आज्ञाओं और नीतिके पालनसे निश्चय ही किसी भी कार्यमें जीत मिलती है। मेरा मतलब यह है कि आप यह जो कहते हैं कि मेरे कारण ही हम सबको जीत मिली है सो सही नहीं है। जीतका कारण तो मेरे इन गिरमिटिया भाइयोंका बल है। भारी काम उन्होंने ही किया है। मैं और मेरे स्वजन और स्नेही सब आज तक जेलमें रहे होते तो भी समझौता इतनी जल्दी न हुआ होता।

[इसके बाद गांधीजीने समझाया कि अब कर या पहलेकी बाकी रकम उनसे वसूल नहीं की जायेगी और कहा :]

करके समाप्त हो जानेसे भारतीयोंको लगातार या तो गिरमिटमें रहना पड़ेगा या उन्हें स्वदेश लौट जाना होगा — यह बात बिलकुल गलत है। गिरमिटकी अवधि पूरी करनेके बाद आप लोग स्वतन्त्र व्यक्तियोंकी तरह रह सकते हैं। मेरी तो आप लोगोंको यही सलाह है कि आप अब गिरमिटके बन्धनमें दुबारा कदापि न बँधें। बेशक, अपनी मौजूदा गिरमिटकी अवधि तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी; उसमें से कोई छूट नहीं सकता। गिरमिटसे मुक्त होकर जो लोग स्वतन्त्र होते हैं उन्हें डर्बनके प्रोटेक्टरसे पास मिल सकेगा। जो स्वतन्त्र भारतीय तीन वर्ष तक यहाँ रहेगा उसे यहाँका अधिवासी माना जायेगा। तीन वर्ष रहनेके बाद यदि उसे भारत जाकर यहाँ वापस आना हो तो वह वापस आ सकेगा। ऐसे मनुष्यको अपने खर्चसे वापस जाना चाहिए। सरकारसे यह खर्च नहीं माँगा जा सकता। किन्तु जिस मनुष्यको यहाँ बिलकुल आना ही न हो वह अपनी भारत-यात्राका खर्च सरकारसे माँग सकेगा और वह खर्च उसे मिल जायेगा।

तीन-पौंडी करके समाप्त होनेमें श्री मार्शल कैम्ब्रैलका बड़ा हाथ था; विक्टोरिया काउंटीमें आनेके इस अवसरपर मैं उनका आभार मानता हूँ। उस करको समाप्त करानेमें उन्होंने सीनेटमें अथक परिश्रम किया और उसमें उन्होंने अपने स्वार्थका कोई विचार नहीं किया।

मेरे जानेपर आप लोग खेद प्रकट करते हैं, इस बातसे आपके प्रेमके बन्धनमें मैं और ज्यादा बँधता हूँ। किन्तु, मैं अपने पीछे यहाँ फीनिक्स संस्था छोड़कर जा रहा हूँ। किसी कानूनके फलस्वरूप या दूसरे किसी कारणसे होनेवाली तकलीफमें आप फीनिक्स जाइए; वहाँ श्री वेस्ट और जो दूसरे लोग रहते हैं, उनसे पूछिए। वे आपको आश्वासन तथा सलाह देंगे और आपका काम करेंगे। वे आप लोगोंसे पैसा भी नहीं लेंगे और यदि काम ऐसा हो जो उनसे न बने तो सलाहके लिए आपको सही आदमीके पास भेजेंगे। जिस समय फीनिक्समें वे लोग आपसे पैसा माँगने लगे उस समय आप उसकी ओर नजर भी न करना। मैं तो आपके लिए काम करता ही रहूँगा। आपका गिरमिटका करार तो एक आदमीके साथ केवल पाँच वर्षके लिए है, किन्तु मेरा गिरमिट तीस करोड़ लोगोंके साथ है और जीवन-भरके लिए है। अपनी यह सेवा मैं सदा करता रहूँगा। और आपको अपने हृदयसे कभी

दूर नहीं करूँगा। मुझे यहाँ जो पैसा मिला है, उसका उपयोग मैं यहीके कार्यमें करूँगा, और पुस्तकोंका उपयोग निजी अध्ययनके लिए।

पिछली हड़तालके समय आपके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ इसलिए अथवा किसी और कारणसे क्षुब्ध होकर आपने भी [अत्याचारियों पर] अपना हाथ उठाया था, यह जानकर मुझे बहुत दुःख हुआ। यदि मैं आपके साथ होता तो अपना सिर फूट जाने देता, किन्तु वैसा न होने देता। अब भविष्यके लिए मैं एक महत्त्वकी सलाह दे जाता हूँ। यदि कभी ऐसा अवसर आये कि सरकार आपके ऊपर अत्याचार करे, या आपका मालिक आपके ऊपर अत्याचार करे तो निर्भय होकर काम छोड़ दीजिए, स्थिरतापूर्वक एक जगह बैठ जाइए, खानेको न दे तो भूखे रह जाइए, गालियाँ बके तो सहन कर लीजिए, लात मारे तो क्षमा कर दीजिए, और अन्तमें फाँसीपर चढ़ने या गौलीसे बिघनेका समय आ जाये तो उसे भी झेल लीजिए, किन्तु भगवानके प्रति अपनी निष्ठामें कभी न डिगिये। यदि ऐसा करेंगे तो चाहे जैसा कठोर हृदय भी पिघल जायेगा। ऐसा सत्याग्रहका प्रताप है। इसके ऊपर आप श्रद्धा रखें। यही शुद्ध सत्याग्रह है। यह हथियार सब हथियारोंसे—आपकी लाठियों और शस्त्रोंसे बढ़कर है। इसलिए आप इसी हथियारको अपनायें और आवश्यकताके समय वह अवश्य आपकी सहायता करेगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९१४

३६२. भाषण : वेरुलममें

जुलाई १२, १९१४

श्री गांधीने सभाके अध्यक्षसे पहले हिन्दुस्तानीमें और फिर जितना हो सके उतने संक्षेपमें अंग्रेजीमें बोलनेकी अनुमति माँगी, जिससे कि तमिलमें उसका रूपान्तर हो सके, क्योंकि वे तमिलमें नहीं बोल सकते थे। उन्होंने कहा, वे केवल उस क्षेत्रके गिरमिटिया भारतीयोंसे मिलने और उनको राहत विधेयकका मतलब समझानेके उद्देश्यसे वेरुलम आये हैं। इस बार भी उनका बड़ा सत्कार किया गया। उन्होंने कहा कि वेरुलम उनके लिए एक तीर्थके समान है और वह सदा ही उनकी दृष्टिमें पवित्र रहेगा, क्योंकि वे वेरुलमके ही लोग थे जिन्होंने न्यूकंसिलके अपने भाइयोंकी हड़तालके समय उनके पक्षमें एक होकर आवाज उठाई थी। उन्होंने अपने हिन्दी-भाषणमें लोगों द्वारा की गई उनकी प्रशंसा और भेंट की गई वस्तुओंके सम्बन्धमें जो कहा था, उसे अंग्रेजी-भाषणमें सविस्तार रूपान्तरित नहीं किया। उन्होंने कहा कि भेंटके रूपमें मिला धन भारत पहुँचनेपर उन सार्वजनिक कार्योंमें लगाया जायेगा जो उनको उचित जँचेंगे। हाँ, उसमें दक्षिण आफ्रिकाके कामोंको प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने आगे कहा :

मेरे गिरमिटिया देशवासियो ! इतना समझ लीजिए कि यह राहत मेरे या आपके जेल जानेके कारण मिली है, ऐसा सोचना गलत होगा ; यह राहत मिली इसलिए

है कि आपके अन्दर अपना जीवन होम करनेका, अपने-आपको बलिदान करनेका साहस था। और इस सिलसिलेमें मैं आपको यह भी बतला दूँ कि इस राहतके मिलनेके अन्य भी कई कारण हैं। मुझे माननीय सिनेटर मार्शल कैम्बैल द्वारा की गई बहुमूल्य सहायताका उल्लेख विशेष रूपसे करना पड़ेगा। मेरा खयाल है कि सीनेटमें यह विधेयक पास होनेके दौरान उन्होंने वहाँ जो कार्य किया था, उसके लिए वे मेरे और आपके धन्यवादके पात्र हैं। जो राहत मिली है वह इस प्रकारकी है : आपको तीन-पौड़ी कर अदा नहीं करना पड़ेगा, उसकी बकाया राशि माफ कर दी जायेगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने मौजूदा गिरमिटसे मुक्त हो गये हैं। मौजूदा गिरमिटकी अवधि तो आपको सचाई और ईमानदारीके साथ पूरी करनी ही है; हाँ, इसके पूरा होनेपर आप उतने ही स्वतन्त्र हो जायेंगे जितने कि १८९१ के अधिनियम २५ के अन्तर्गत अन्य भारतीय स्वतन्त्र हैं; और उस अधिनियममें उनको जो संरक्षण दिया गया है वह आपको भी मिल सकेगा। भारत लौटना या फिरसे गिरमिटिया बनना अनिवार्य नहीं रहेगा। आपको गिरमिटसे मुक्त होनेके प्रमाणपत्र बिना कोई फीस लिये दे दिये जायेंगे। यदि भारत जानेके बाद आप वहाँसे वापस आना चाहें, तो आपको नेटालमें पहले तीन वर्ष स्वतन्त्र भारतीयोंके रूपमें बिताने पड़ेंगे। और यदि आप गरीबीके कारण भारत जानेका खर्च जुटानेमें असमर्थ हों और उसके लिए सरकारको प्रार्थना-पत्र देकर चाहें तो सहायता हासिल कर सकते हैं; लेकिन उस सूरतमें आपको वापस लौटनेकी इजाजत नहीं दी जायेगी। यदि आप वापस आना चाहें तो सहायता मत लीजिये, अपनेसे खर्च जुटाइये या मित्रोंसे उधार ले लीजिए। यदि आप फिरसे गिरमिटिया बनें, तो आप फिर उसी १८९१ के अधिनियम २५ के अधीन हो जायेंगे। आपको मेरी यही सलाह है कि फिरसे गिरमिटिया तो मत बनिए, परन्तु देशके सामान्य कानूनके अन्तर्गत अपने मौजूदा मालिकोंकी सेवा ठीक ढंगसे अवश्य करते रहिये। और यदि कभी कोई नई परिस्थिति सामने आई (जो मैं समझता हूँ नहीं आयेगी) तो आपको पता चल जायेगा कि क्या करना चाहिए।

विक्टोरिया काउन्टी हिंसासे उतना मुक्त नहीं रहा, जितना कि न्यूकैसिल जिला। आपने बदलेमें चोट की थी। मैं इस बातको कोई महत्व नहीं देता कि आपको उत्तेजित किया गया था या नहीं, पर आपने बदलेमें चोट तो की, आपने लाठियों और पत्थरोंका प्रयोग तो किया; आपने गन्नेमें आग तो लगाई। यह तो सत्याग्रह नहीं है। यदि उस समय मैं आपके साथ होता तो मैं आपकी निन्दा करता; एक भी लाठी या पत्थरका इस्तेमाल होने देनेसे पहले मैं अपना सिर फुड़वाना ज्यादा पसन्द करता। सत्याग्रहका अस्त्र संसारकी सभी लाठियों, पत्थरों और बन्दूककी बारूदसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि आपपर हिंसा थोपी जाये, तो आपको कष्ट-सहन करते जाना चाहिए, चाहे उसमें आप काम ही क्यों न आ जायें। यही है — सत्याग्रह। इसलिए यदि मैं माननीय श्री मार्शल कैम्बैल, या श्री सॉण्डर्स या अन्य किसी मालिकके यहाँ एक गिरमिटिया भारतीयके रूपमें काम करता होता, और यदि मेरे साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव किया जाता, तो मैं संरक्षकके पास नहीं जाता; मैं तो अपने मालिकके पास जाकर न्याय माँगता

और यदि उससे न्याय न मिलता, तो मैं कहता कि जबतक मेरे साथ न्याय नहीं किया जायेगा मैं अन्न-जल ग्रहण किये बिना वहीं रहूँगा। मुझे पूरा भरोसा है कि सत्याग्रह पत्थरसे-पत्थर दिलको भी पिघला देगा। इस सत्यको आप अपने हृदयकी गहराईमें उतार लीजिये। यही सबसे अचूक और सबसे कारगर दवा है। यह रामबाण है।

यदि आप मेरी सलाह माँगे या मुझसे पथ-प्रदर्शन चाहें, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि आप श्री लैंग्टन या अन्य किसी वकीलकी फीस नहीं भरना चाहते, तो फीनिक्समें श्री वेस्टके पास जाइये [या श्री छगनलाल गांधीके पास]।^१ मुझे इसमें तनिक भी शंका नहीं कि यदि आप श्री वेस्ट [या श्री छगनलाल गांधी] की एक ऐसी चिट्ठी लेकर श्री लैंग्टनके पास जायेंगे कि आप अपनी गरीबीके कारण वकीलकी फीस देनेकी स्थितिमें नहीं हैं तो श्री लैंग्टनके अन्दरकी फीस लेनेवाली भावना चुप हो जायेगी, उनके हृदयकी मानवीयता उभर आयेगी और वे कोई फीस लिये बिना ही आपको कानूनी सलाह दे देंगे। किसी भी कागजपर तबतक दस्तखत मत कीजिये जबतक आप फीनिक्स जाकर सलाह न ले लें और वहाँ आपको दस्तखत करनेकी सलाह न दी जाये। यदि फीनिक्स आपको सलाह न दे या सलाहके लिए एक कौड़ी भी माँगे तो फीनिक्सकी ओर कभी झाँकिये तक नहीं।

अब मैं वेरुलम और आप सभीसे विदा लेता हूँ। मैं यहाँसे कितनी भी दूर क्यों न चला जाऊँ पर यह दृश्य मेरी स्मृतिमें सदा हरा रहेगा। ईश्वर सभी संकटोंमें आपका सहायक रहे। आपका अपना आचरण भी ऐसा रहे कि ईश्वर आपकी सहायताको आ सके।

इसके बाद श्री गांधीने कुछ मध्यम स्वरमें अपने पास बैठे यूरोपीयोंसे कहना शुरू किया। उन्होंने अपने यूरोपीय मित्रोंसे उन भारतीयोंको माफ कर देनेके लिए कहा जिन्होंने उस कठिन समयमें बदलेकी भावनासे चोट की थी। श्री गांधीने कहा कि वे स्वयं बदलेकी ऐसी कार्यवाहीसे कोई सरोकार नहीं रखते, पर जीवनमें ऐसे भी अवसर आते हैं जब व्यक्ति अपने आपसे बाहर हो जाता है, उसकी पशु-प्रवृत्ति उसपर हावी हो जाती है और वह जिसकी लाठी उसकी भैंसवाली बातमें यकीन करके 'इँटके बदले पत्थर' के हिंसापूर्ण सिद्धान्तमें अमल करने लगता है। उन्होंने एक बार फिर अनुरोध किया कि उनको माफ कर देना चाहिए और कहा कि कभी-कभी यूरोपीय मालिक अपने स्वार्थको ज्यादा महत्व देने लगते हैं; उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि गिरमिटिया भारतीय भी आखिर इन्सान ही हैं। मालिकोंकी तरह उनकी भी भावनायें हैं। वे पशु तो नहीं हैं; उनमें भी, तो सभी तरहकी कसजोरियाँ और यदि उभरनेका मौका दिया जाये, तो सभी तरहके गुण हैं। श्री गांधीने अपील की कि गिरमिटिया भारतीयोंके लिए साफ-सुथरे मकानोंकी व्यवस्था होनी चाहिए और यूरोपीयोंको उनके साथ सहयोगी मनुष्योंकी तरह पेश आना चाहिए, उनको ऐसे एशियाई नहीं समझना चाहिए जिनके साथ उनका कोई नाता नहीं। गिरमिटिया भारतीय भी अच्छे-बुरेका विवेक रखता है।

१. इंडियन ओपिनियनके स्वर्ण अंक, १९१४ में ये शब्द यहाँ जोड़े गये थे।

उसे ऐसी परिस्थितियोंमें मत डालिये कि वह घृणित अनैतिकतासे ऊपर न उठ पाये। ऐसा मत समझिये कि उसमें सुधारकी कोई गुंजाइश ही नहीं है; नैतिकताके हर आग्रहको मानने और नैतिकताके ऊँचेसे-ऊँचे स्तर तक उठनेकी क्षमता उसमें मौजूद है।^१

उनमें जो कमजोरियाँ हैं, उनके लिए उनको पूरा-पूरा दोषी ठहराइए, पर साथ ही कमसे-कम इतना तो मानिये कि उनमें सभी सद्गुणोंकी भी सम्भावना है। इतना मान लेनेपर क्या आप अपने भारतीय कर्मचारियोंके साथ अपने भाइयों-जैसा ही व्यवहार नहीं करेंगे? इतना काफी नहीं कि आप अपने पशुओंकी तरह उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। इतना ही पर्याप्त नहीं कि आप उनपर दयाकी दृष्टि रखें; जरूरी यह है कि आप अपनेको मालिकसे कहीं ज्यादा समझें, आप अपने कर्मचारियोंको सहयोगी मनुष्योंके रूपमें देखें, ऐसे एशियाइयोंके रूपमें नहीं जिनसे यूरोपीयोंका कोई नाता ही नहीं। तब, उनका ध्यान रखे जानेपर, कर्मचारी भी क्रमशः और अच्छा रवैया अपनाते जायेंगे। आप अपने कर्मचारियोंकी भौतिक और शारीरिक ही नहीं उनकी नैतिक उन्नतिका भी विवेकपूर्ण ढंगसे ध्यान रखें। आप उनके आचरणपर नजर रखें, उनके बच्चों, उनकी शिक्षा और सफाई आदिका भी ध्यान रखें; और यदि पशुओंकी भाँति उनको एक जगह रख देनेपर वे घृणित, अनैतिकतापूर्ण आचरणके दलदलमें ही फँस जायें तो आपको खुद यह सोचकर ग्लानि होने लगोगी कि आपकी निगरानीमें रहनेवाले लोग उस प्रकारके वातावरणमें रहनेके कारण कितने अनैतिक हो गये हैं। यह मत समझिये कि ये लोग चूँकि समाजके निम्नतम वर्गके हैं, इसलिए ये सुधर नहीं सकते। वे आपका हर नैतिकतापूर्ण आग्रह मानेंगे और वे निश्चय ही नैतिकतामें उतना ऊँचा उठकर दिखलायेंगे जितना कि किसी अन्य रंगके मानवके लिए सम्भव है।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, १४-७-१९१४ और इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अंक, १९१४

३६३. भाषण : डर्बनकी सभामें^२

[जुलाई १२, १९१४]

बहनो और भाइयो,

आज मुझे अपने जीवनका सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त हुआ है। आप सबने आज मेरे प्रति जो प्रेम व्यक्त किया है वह अवर्णनीय है। और आप इतने सारे गिरमिटिया भाई-बहनोंको देखकर तो मेरे आनन्दकी सीमा ही नहीं रही है। आप लोगोंने समझौतेके सम्बन्धमें अनेक बातें सुनी होंगी; इनमें कुछ झूठ भी हैं। गिरमिटिया बन्धु अपनी गिरमिटि पूरी होनेपर अब स्वतन्त्र होकर रह सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं; परन्तु मेरे यहाँसे चले जानेके बाद यदि आप लोग सावधान नहीं रहे और कमजोर होते चले गये तो सरकार उसका लाभ उठाये बिना नहीं रहेगी।

१. इसके बादका विवरण इंडियन ओपिनियनके स्वर्ण अंक, १९१४ से लिया गया है।

२. गिरमिटिया तथा अन्य भारतीयोंकी यह सभा डर्बनके फुटबाल ग्राउंडपर हुई थी।

अतः अपने दुःखोंको दूर करनेके लिए आप लोगोंने पिछले वर्ष जैसे प्रयत्न किये वैसे ही प्रयत्न हर संकटके समय अपनाये जाने चाहिए। इसमें मेरी या अन्य नेताओंकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। संकटके समयमें मेरे-जैसे लोगोंकी तलाश करनेकी अपेक्षा सत्याग्रहकी तलाश की जानी चाहिए; उसमें आपकी विजय अवश्यम्भावी है।

अब मैं आपसे कुछ और निवेदन करूँगा। वे भारतीय जो इस देशमें पैदा हुए हैं उनकी जन्मभूमि तो यही है। दूसरे भारतीयोंकी अपेक्षा उनका यहाँ विशेष अधिकार है। उनका भविष्य भी इसी भूमिसे जुड़ा है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे सावधान रहें। वकील बनने या दूसरे दफ्तरोंको भरनेकी अपेक्षा आप अपना ध्यान जमीनकी ओर ज्यादा लगाएँ। और एक समाजके नाते आपको जब-जब सत्ताका सामना करना पड़े तब-तब आप उसी हथियारको पुनः हाथमें लें जिसका प्रयोग आप पिछले आठ वर्षोंसे करते आये हैं।

गिरमिटिया भाई-बहनो, आप लोगोंकी हालत बहुत खराब है। मुझे अनेक लोगोंने कहा कि तीन पाँडी करके न रहनेसे लाभ? ये बचे हुए पैसे तो कलाल या सुनारके यहाँ चले जायेंगे। ये लोग इन दो स्थानोंपर लूट लिये जायेंगे। यह बात सच है। सुनारोंको तो मैं कह सकता हूँ कि भाइयो! यह लूटनेका घन्घा छोड़ दो। इसका परिणाम ठीक नहीं है। तुम लोग अपने ही भाइयोंकी दशा हीन न बनाओ। सोनेमें तांबा या पीतल मिलाकर अपने ही भाइयोंको मत लूटो। पर कलालसे कुछ नहीं कह सकता। वह बात आप लोगोंसे ही कहूँगा। यदि आप लोग नशा न करनेकी प्रतिज्ञा कर लें तो कलालोंको अपनी दूकानें बन्द करनी पड़ेंगी। मैंने अनेक भाई-बहनोंको कई बार नशेमें चूर आम रास्तोंपर झगड़ते हुए या लड़खड़ाते चलते देखा है। ऐसे समय मैं सोचता हूँ, हाय मेरे भाई-बहनोंकी यह दशा! और शराबकी इसी बुरी लतके कारण हम लोग इस देशमें कितने तुच्छ हो गये हैं। हमने अपनेपनसे बेखबर हो दुराचार और अनीतिके मार्गको पकड़ लिया है। हमें यह स्थिति खत्म करनी चाहिए और इसके लिए आगे आना चाहिए हमारे नौजवानोंको। उन्हें चाहिए कि जो नासमझ हैं उन्हें वे समझाएँ, उनसे अनुनय-विनय करें, आजिजीके साथ शराब न पीनेके लिए कहें। उन्हें चाहिए कि वे कलालीके पास कहीं खड़े रहें और वहाँ जानेवाले भारतीयोंको वापस लौटाएँ। ऐसा करनेमें उन्हें अपमान सहन करना होगा; मार भी खानी होगी। परन्तु यह सब सहन करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो अवश्य ही इस बुरी लतका अन्त हो जायेगा। और आप सबकी स्थिति सुधरेगी। यहाँके गोरे निवासी भी हमें सम्मानकी नजरसे देखने लगेंगे। लोगोंकी माली हालत भी सुधरेगी और सन्मार्गका अनुसरण भी होगा। मेरी आपसे याचना है कि आप लोग इस लतको छोड़ दें।

आप सबका मेरे प्रति जो स्नेह है उसे मैं कभी नहीं भूलूँगा और भारतमें आपके प्रति मेरा जो फर्ज है उसका सदा ध्यान रखूँगा। मैं तो आप सभीका आजीवन गिरमिटिया हूँ अतः अपने हृदयसे आपको कभी दूर नहीं कर सकूँगा। आप भी मुझे न भुलायें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९१४

३६४. विदाई सन्देश^१

[डर्वन

जुलाई १२, १९१४]

आप हिन्दू, मुसलमान, पारसी, अथवा ईसाई कुछ भी क्यों न हों— भारतीय होनेके नाते मिलकर काम करें। कौमी भेद-भावको भुला दें और अपने दिलमें कभी संकीर्णता न लायें। [भारतीय] समाजको जो सम्मान हासिल हुआ है वह तभी कायम रखा जा सकेगा, जब आप सभी मिल-जुलकर काम करेंगे। दक्षिण आफ्रिकामें रहते हुए यदि मुझसे किसीकी कोई हानि हुई हो तो वे मुझे क्षमा करें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९१४

३६५. भाषण : जोहानिसबर्गमें^२

[जुलाई १३, १९१४]

श्री गांधी ने . . . कहा, आखिरकार एक ऐसा समझौता तो हो गया जो दोनों पक्षोंके लिए सम्मानपूर्ण और सत्याग्रहियोंकी प्रतिष्ठाके अनुरूप है, क्योंकि सरकारने वे सारीकी-सारी बातें मान ली हैं जो पिछले वर्ष वार्ता बन्द होनेके पहले श्री काछलियाने अपने पत्रमें^३ उसके सामने रखी थी। सरकारसे कुछ और ज्यादा करनेके लिए कहना सत्याग्रहियोंकी ओरसे विश्वासघात होता, जिसमें मैं कतई साथ नहीं दे सकता था।

[अंग्रेजीसे]

ट्रान्सवाल लीडर, १४-७-१९१४

१. गांधीजीने डर्वनसे जोहानिसबर्ग जाते समय यह सन्देश दिया था।

२. गांधीजी और कस्तूरबाके पार्क स्टेशन पहुँचनेपर भारतीयोंके विशाल समुदायने उनका स्वागत किया था। उनके प्रशंसकोंने एक जुलूस बनाकर बड़े उछाहसे वह गाड़ी खींची जिसमें दोनों बैठे थे। गांधीजीने बादमें 'सोसाइटी थियेटर' में आयोजित एक सभामें भाषण किया।

३. देखिए "पत्र : गृह-सचिवको", पृष्ठ १७७-८०।

३६६. भाषण : विदाई-भोजमें^१

जोहानिसबर्ग
जुलाई १४, १९१४

श्री गांधीने कहा कि आपने, अथवा कहिए परिस्थितियोंने, मुझे आज बड़े असमंजसकी स्थितिमें डाल दिया है। जोहानिसबर्गमें जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने ऐसे समारोहोंमें मुझे अबतक एक मेजबानके रूपमें देखा है। परन्तु आज दुर्भाग्यसे मैं मेहमान बना हुआ हूँ और समझमें नहीं आता कि मैं इस कर्त्तव्यको कैसे निभा सकूंगा। मेजबानके रूपमें मैं समझता हूँ कि मैं अपने लम्बे अनुभवके कारण उसके उपयुक्त था और यदि मैं अत्यन्त नम्रताके साथ कह सकूँ तो कहूँगा कि मैं उसे बखूबी निभाता था; परन्तु मौजूदा स्थिति मेरे लिए और श्रीमती गांधीके लिए सर्वथा नई है और मैं बहुत डर रहा हूँ कि जो नया कर्त्तव्य मुझपर डाला गया है, उसे मैं कैसे निभाऊँगा। श्रीमती गांधीके और मेरे बारेमें, हमारी निष्ठा और आत्मोत्सर्ग एवं अन्य अनेक बातोंके सम्बन्धमें भी बहुत-कुछ कहा गया है। मेरे धर्ममें एक हिदायत है, और मैं समझता हूँ कि वह सभी धर्मोंके लिए सत्य है। हिदायत यह है कि जब किसी व्यक्तिकी तारीफ हो रही हो तब उस व्यक्तिको उस जगहसे दूर चले जाना चाहिए, और यदि वह वैसा न कर सके तो उसे अपने कान बन्द कर लेने चाहिए; और यदि वह इन चीजोंमें से एकको भी न कर सके तो उसे वह सब-कुछ जो उसके सम्बन्धमें कहा गया हो, उस सर्वशक्तिमान दैवी तत्त्वको समर्पित कर देना चाहिए जो विश्वके प्रत्येक जीव और पदार्थमें व्याप्त है। मुझे आशा है कि श्रीमती गांधी और मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे हम, जो-कुछ हमारे बारेमें आज कहा गया है, वह सब उस दैवी तत्त्वको समर्पित कर सकेंगे।

हमें जो मूल्यवान उपहार दिये गये हैं, उनमें सबसे अधिक मूल्यवान हैं वे चार लड़के। शायद श्री चंमने आपको भारतमें गोद लेनेके कानूनके बारेमें तथा श्री एवं श्रीमती नायडूने जो कि पुराने जेलवासी हैं, क्या किया है, इसके बारेमें कुछ बता सकेंगे। हम गोद लेनेकी रस्म पूरी कर चुके हैं और वे अपने चार बच्चोंपर अपना अधिकार त्याग चुके हैं तथा उन्होंने उनकी जिम्मेदारी हमारे (श्री और श्रीमती गांधीके) हाथों

१. कैलेनवैक, कस्तूरवा और गांधीजीको मैसॉनिक हॉल, जेप्पी स्ट्रीटमें एक विदाई-भोज दिया गया था। इस अवसरपर उन्हें ब्रिटिश भारतीय संघ, चीनी संघ, तमिल कल्याण समिति, ट्रान्सवाल भारतीय महिला संघ तथा गुजराती, मुस्लिम तथा पारसी समाजोंकी ओरसे अभिनन्दनपत्र भी भेंट किये गये थे। समारोहमें एक उल्लेखनीय घटना घटी थी। अपने ४ पुत्र गांधीजीको अर्पित करते हुए सी० के० टी० नायडूने कहा— “ मैं और पत्नी अपने चार पुत्रोंको भारतकी सेवामें समर्पित करते हुए गौरवका अनुभव करते हैं। ”

सौंप दी है। कौन जाने हम उन बच्चोंकी जिम्मेदारी लेने योग्य हैं या नहीं। मैं केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जब मैं टॉल्स्टॉय फार्ममें और बादको फीनिक्समें सत्याग्रहियोंके लिए स्कूल चला रहा था तब ये चारों बालक मेरे शिष्य रह चुके हैं। जब श्रीमती नायडू कैद हो गईं और बच्चे जोहानिसबर्ग ले जाये गये तब मैंने सोचा कि मैंने ये चारों रत्न गँवा दिये; परन्तु वे रत्न मेरे पास फिर वापस आ गये हैं। मुझे आशा है कि हम दोनों इस बहुमूल्य उपहारकी जिम्मेदारी निभा सकेंगे।

मेरे लिए जोहानिसबर्ग नई जगह नहीं है। यहाँ मुझे कई जाने-पहचाने चेहरे दीख रहे हैं जिनमें से बहुतेरे मेरे साथ जोहानिसबर्गके कई संघर्षोंमें भाग ले चुके हैं। मैंने जीवनमें बहुत-कुछ देखा है। मेरे भाग्यमें बहुत-से दुःख और कष्ट रहे हैं, किन्तु इन तमाम वर्षोंमें मैंने जोहानिसबर्गको प्यार करना भी सीखा है। यद्यपि यह शहर केवल खनिकोंका एक केन्द्र है, पर मुझे अपने सबसे अधिक मूल्यवान मित्र यहीं मिले। जोहानिसबर्गमें ही सितम्बर १९०६ में सत्याग्रहके महान् संघर्षकी नींव पड़ी। जोहानिसबर्गमें ही मुझे स्वर्गीय श्री डोकके रूपमें एक मित्र, पथ-प्रदर्शक और अपना जीवन-वृत्तान्त-लेखक मिला। जोहानिसबर्गमें ही मुझे श्रीमती डोकके रूपमें एक स्नेहमयी बहन मिलीं, जिन्होंने उस समय जब कि मेरे एक देशभाईने मेरे उद्देश्यको तथा जो-कुछ मैंने किया उसे गलत समझकर मुझपर आक्रमण किया था, मेरी परिचर्या कर मुझे जीवन-दान दिया था। जोहानिसबर्गमें ही मुझे कैलेनबैक, पोलक, कुमारी श्लेसिन और कई अन्य लोग मिले, जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की और मुझे तथा मेरे देशवासियोंको प्रोत्साहन दिया। इसलिए हम दोनों जिन पवित्र स्मृतियोंको अपने साथ वापस भारत ले जायेंगे, उनमें सबसे पवित्र स्मृतियाँ जोहानिसबर्गसे सम्बन्धित होंगी। और जैसा मैंने पहले अन्य कई जगह कहा है, मेरे और मेरे परिवारके लिए भारतके बाद सबसे पवित्र भूमि दक्षिण आफ्रिका होगी, क्योंकि तमाम कटुताओंके बावजूद, इसने हमें जीवन-भरके ये साथी दिये हैं। और फिर जोहानिसबर्गमें ही, उस समय जब कि भारतीय अपने इति-हासके सबसे अँधेरे कालसे गुजर रहे थे, यूरोपीय समितिका गठन हुआ। श्री हॉस्केन उसके अध्यक्ष तब भी थे और अब भी हैं। अन्तमें एक और बात है जो कम महत्त्वकी नहीं है—जोहानिसबर्गने वह छोटी लड़की वलिअम्मा दी, जिसका चित्र अभी बोलते समय भी मेरे सामने उभर आया है और जिसने सत्यके लिए अपने जीवनका उत्सर्ग किया। सरल स्वभावकी इस श्रद्धालु बालिकाका ज्ञान वैसा नहीं था, जैसा मेरा है—उसे यह नहीं मालूम था कि सत्याग्रह क्या चीज है, वह यह भी नहीं जानती थी कि इससे समाजको क्या लाभ होगा, किन्तु देशवासियोंके प्रति प्रेमकी प्रबल भावनासे वह अभिभूत हो गई—जेल गई, वहाँसे लौटी, तब उसका शरीर बिलकुल जर्जर हो चुका था और कुछ ही दिनोंमें वह चल बसी। फिर, जोहानिसबर्गने ही नागप्पन और नारायणसामी जैसे दो प्यारे नवयुवक दिये, जो मुश्किलसे किशोरवय

ही पार कर पाये होंगे। वे भी देशकी वेदीपर चढ़ गये। परन्तु श्रीमती गांधी और मैं दोनों आप लोगोंके सामने जीवित खड़े हैं। मैंने और श्रीमती गांधीने तो गोया मंचपर प्रसिद्धि और सराहनाका आनन्द लेते हुए अपना काम किया, किन्तु उन्होंने नेपथ्यमें अज्ञात रहकर अपना काम किया। उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल इतना ही जानते थे कि वे जो-कुछ भी कर रहे हैं वह ठीक और उचित है; अतः यदि किसीकी प्रशंसा करनी ही हो तो वे तीन, जो नहीं रहे, इनमें सर्वाधिक प्रशंसाके पात्र हैं। आप लोग हरबर्तसिंहके नामसे भी परिचित हैं। मुझे उनके साथ जेलमें रहनेका सौभाग्य मिला था। हरबर्तसिंह ७५ सालके थे। वे भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीय थे और जब मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आये हैं तब उस बहादुर व्यक्तित्वने जवाब दिया कि “मैं यहाँ अपनी मृत्यु खोजने आया हूँ। मुझे मरनेकी परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ, आप किसलिए लड़ रहे हैं। आपको तीन पाँडी कर नहीं देना पड़ता, परन्तु मेरे साथी भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोंको वह कर देना पड़ता है। अगर मैं यहाँ मर जाऊँ तो मेरे लिए उससे अधिक शानदार मौत और कौनसी हो सकती है?” उन्हें यह मौत डर्बनकी जेलमें मिली। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि सत्याग्रहने दक्षिण आफ्रिकाकी चेतनाको जागृत और प्रोत्साहित किया; और इसलिए जब-कभी मैं बोला हूँ, मैंने कहा है कि यदि भारतीय समाजने इस समझौतेसे कुछ पाया है तो वह सत्याग्रहके जरिये। किन्तु यह भी निश्चित है कि जो-कुछ मिला है वह केवल सत्याग्रहसे ही नहीं मिला। मेरा खयाल है कि जो तार आज पढ़कर सुनाया गया है, उससे स्पष्ट है कि हमें महान् वाइसराय लॉर्ड हार्डिजको भी उनके महान् प्रयत्नोंके लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि साम्राज्यीय सरकार भी धन्यवादकी पात्र है जो पिछले कुछ वर्षोंसे समय-समयपर जनरल बोथाको खरीतेपर-खरीता भेजती रही और उनसे माँग करती रही कि वे उसका दृष्टिकोण—साम्राज्यीय दृष्टिकोण—समझें। हमें संघ सरकारको भी धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने इस बार न्याय-भावनाको अपनाया है। हमें संसदके दोनों सदनोंके उन उदारमना सदस्योंको भी धन्यवाद देना है, जिन्होंने वे ऐतिहासिक भाषण दिये और समझौता करवाया। अन्तमें हमें विरोधी दलको भी धन्यवाद देना है, जिसने नेटाली सदस्योंके असहमति-सूचक रुखके बावजूद विधेयक पास करवानेमें सरकारका साथ दिया। इन सब बातोंपर विचार करें तो समझमें आ जाता है कि जो सेवाएँ मैंने और श्रीमती गांधीने की होंगी वे बहुत मामूली ही हैं। हम तो उन तमाम उपकरणोंमें से, जिनके जरिये समझौता हुआ, दो उपकरण-मात्र थे। और वह समझौता क्या था? मेरी नज़र रायमें यदि हम इस बातपर ध्यानसे विचार करें तो समझौतेका महत्व उन चीजोंमें नहीं जो हमें मिली हैं, बल्कि उन दुःखों और कष्टोंमें है जो एक लम्बे अरसे तक उठाये गये, और जो इन वस्तुओंकी उपलब्धिके लिए आवश्यक भी थे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आये और उसे मालूम हो कि दो साधारण व्यक्तियोंको इसलिए दावत दी जा रही है कि उन्होंने एक ऐसे समझौतेमें छोटा-सा

काम किया, जिससे गिरमिटिया भारतीयोंको एक ऐसे करसे मुक्ति मिली, जिसे अदा करनेके लिए उनसे कभी कहना ही नहीं चाहिए था, और यदि उस आगन्तुकसे यह भी कह दिया जाय कि विवाहके सम्बन्धमें भी उन्हें कुछ राहत दी गई है और उनकी पत्नियाँ, जिनके साथ उनका अपने धर्मके अनुसार विवाह हुआ है और जो अबतक उनकी वैध पत्नियाँ नहीं मानी जाती थीं, अब इस समझौतेके कारण दक्षिण आफ्रिकाके कानूनके अनुसार वैध पत्नियाँ मानी जायेंगी, तो वह हँसेगा और समझेगा कि वे भारतीय या यूरोपीय, जो इस भोजमें हमारे साथ शामिल हुए हैं और जो प्रशंसाओंके पुल बाँध रहे हैं, सब मूर्ख हैं। एक ऐसे असहनीय बोझको हटवा देनेमें, जो वर्षों पहले हटा दिया जाना चाहिए था, इतने फूल उठनेकी क्या बात है? दक्षिण आफ्रिका-जैसे स्थानमें वैध पत्नीको मान्यता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु, आज मैं श्री डंकनके उस लेखसे सहमत हूँ जो उन्होंने कुछ वर्ष पहले लिखा था। उसमें उन्होंने संघर्षका वास्तविक निरूपण करते हुए लिखा था कि ठोस अधिकारोंके उस संघर्षके पीछे एक उदात्त मनोभाव निहित है जो न्यायके अमूर्त सिद्धान्तका आग्रह करता है और जो संघर्ष १९०६ में शुरू किया गया था वह यद्यपि एक विशेष कानूनके विरुद्ध छेड़ा गया था, फिर भी उसका मन्शा उस भावनाका मुकाबला करना था जो सारे दक्षिण आफ्रिकापर हावी होती जा रही थी तथा जिससे उस शानदार ब्रिटिश संविधानकी जड़ें खोखली होती दिखाई देती थी जिसके बारेमें अध्यक्षने आज इतने उदात्त विचार व्यक्त किये हैं। उनके इन विचारोंसे मैं भी सहमत हूँ। मेरा ब्रिटिश संविधानके विषयमें सही अथवा गलत ज्ञान ही मुझे साम्राज्यसे बाँधे है। उस संविधानकी धज्जियाँ उड़नेपर मेरी राजभक्तिकी भी धज्जियाँ उड़ जायेंगी। संविधानको ज्योंका-त्यों बनाकर रखिए और आप देखेंगे कि मैं संविधानका दास बन जाऊँगा। जब यह भावना दक्षिण आफ्रिकापर हावी हो गई थी तब मैंने महसूस किया कि मेरे और मेरे देशभाइयोंके सामने दो मार्ग हैं, जिनमें से हमें एकको चुनना है। या तो हमें अपनेको ब्रिटिश संविधानसे बिलकुल अलग कर देना है या उस संविधानके आदर्शोंको बनाये रखनेके लिए संघर्ष करना है, किन्तु केवल आदर्शोंको बनाये रखनेके लिए ही। श्री डोककी पुस्तककी भूमिकामें^१ लॉर्ड एंम्टहिलने कहा है कि यदि ब्रिटिश साम्राज्यको उन भूलोंसे बचाना है जो पूर्ववर्ती साम्राज्योंने की हैं, तो ब्रिटिश संविधानके सिद्धान्तोंको हर मूल्यपर बनाये रखना चाहिए। सम्भव है कि स्थानीय परिस्थितियोंके कारण मजबूर होकर कुछ समयके लिए अस्थायी तौरपर व्यवहारमें नियम भंग करना पड़े, सम्भव है कि तर्कहीनता और अनुचित पूर्वग्रहोंके सामने व्यवहारमें झुकना पड़े, किन्तु संविधानके आधारभूत सिद्धान्तसे, एक बार उसे मान लेनेपर, कदापि दूर नहीं हटा जा सकता और यह सिद्धान्त हर मूल्यपर बनाये रखना चाहिए। और यही सही भावना है जिसे संघ-सरकारने स्वीकार किया है—और कितने भव्य और उदात्त ढंगसे स्वीकार किया

१. देखिए खण्ड ९, परिशिष्ट १८।

है! वे शब्द, जिनपर जनरल स्मट्स अक्सर जोर देते थे, अब भी मेरे कानोंमें गूँज रहे हैं। उन्होंने कहा था—“गांधी, इस बार हम कोई गलतफहमी नहीं चाहते, हम कोई भी दिमागी या अन्य प्रकारके दुराव-छिपाव नहीं चाहते, सभी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आपको जहाँ भी ऐसा लगे कि कोई लेखांश या शब्द आपके अर्थसे मेल नहीं खाता तो आप वहाँ मुझे बता दें”। और ऐसा ही हुआ। इसी भावनाको लेकर उन्होंने बातचीत चलाई। मैं उस समयके जनरल स्मट्सको याद करता हूँ, जब कि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने लॉर्ड क्रूको कहा था कि “दक्षिण आफ्रिका अपनी प्रजातीय भेदभावकी नीतिसे हटेगा नहीं, उसे भेदभाव जारी रखना ही पड़ेगा और इसलिए इस प्रवासी कानूनमें जो बंश है उसे हटाया नहीं जायेगा।” बहुत-से मित्रोंने जिसमें लॉर्ड एंम्टहिल भी थे, हम लोगोंसे प्रश्न किया कि क्या आप लोग फिलहाल अपनी कार्रवाई मुलतवी नहीं कर सकते? मैंने जवाब दिया ‘नहीं।’ मेरा कहना था कि यदि भारतीय वैसा करते हैं तो इससे मेरी राजनिष्ठाकी नींव ढह जायेगी और चाहे मैं अकेला ही क्यों न रह जाऊँ, मैं लड़ता रहूँगा। लॉर्ड एंम्टहिलने मुझे बधाई दी और उस महान और श्रेष्ठ व्यक्तित्वने इस संघर्षमें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा—उस समय भी नहीं, जब उसका वेग बहुत मन्द हो गया था। और इसका परिणाम हमें आज नजर आ रहा है। अपनेको विजयी मानकर हम अपनेको बधाई देने लगे, इसका कोई कारण नहीं है। विजय प्राप्तिका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न था एक सिद्धान्तकी स्थापनाका और वह सिद्धान्त यह है कि जहाँतक कमसे-कम दक्षिण आफ्रिकी संघका सम्बन्ध है, उसका विधान कभी भी जातीय भेदसे दूषित नहीं होगा, और न उसमें रंगकी निर्योग्यता ही होगी। व्यवहार निश्चय ही भिन्न प्रकारका होगा, जैसा कि प्रवासी-कानूनमें है। वह जातीय भेदभाव स्वीकार नहीं करता, परन्तु कार्यरूपमें हमने व्यवस्था कर ली है। हमने वचन दिया है कि भारतसे आवश्यकतासे अधिक आव्रजन नहीं होना चाहिए। मौजूदा पूर्वग्रहकी तुष्टिके लिए गोया हमने उसे यह छूट दी है। ऐसा करना सही था या गलत, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। मुख्य बात यह है कि संघर्षका उद्देश्य इस सिद्धान्तकी स्थापना करना था और इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्यमें वह महत्त्वपूर्ण बन गया था, और इसीलिए हमारा यह कष्ट झेलना पूर्ण रूपसे उचित तथा हमारे लिए सम्मानप्रद था। और मैं समझता हूँ कि यदि हम संघर्षपर इस दृष्टिसे विचार करें तो अवश्य ही किसी भी सभाके लिए यह सर्वथा उचित है कि वह ब्रिटिश संविधानके सिद्धान्तोंकी इस प्रकार स्थापनाके लिए अपनेको बधाई दे। समझौतेके बारेमें मैं एक बात सावधानीके तौरपर कहना चाहता हूँ। वह यह कि समझौता दोनों ही पक्षोंके लिए सम्मानपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि उसमें गलतफहमीकी कोई गुंजाइश शेष नहीं रह गई है, परन्तु जहाँ वह इस अर्थमें अन्तिम है कि उससे एक बड़े संघर्षका अन्त हो गया है, वहाँ इस अर्थमें अन्तिम नहीं है कि उसने भारतीयोंको वह सब-कुछ दे दिया है जिसे पानेका उन्हें अधिकार है। अभी भी स्वर्ण-कानून है, जिसमें बहुत-सी दुखदायी

बातें हैं। संघ-भरमें परवाना कानून भी अभी मौजूद है और उनमें भी यही दोष है। ऐसा ही एक और मामला है, जिसे खासकर उपनिवेशमें जन्मे भारतीय समझ या पसन्द नहीं कर सकते; उन्हें अपने-अपने प्रान्तकी सीमाके अन्दर ही रहना पड़ता है। यूरोपीयोंके लिए प्रान्तोंके बीच आने-जानेकी तथा अन्तर्वासकी स्वतन्त्रता है, किन्तु भारतीयोंको अपने ही प्रान्तोंमें बंधा रहना पड़ता है। फिर उनकी व्यापारिक गतिविधियोंपर अनुचित नियन्त्रण है। जमीन-जायदाद रख सकनेकी ट्रान्सवालमें मनाही है जो अपमानजनक है और ये सब चीजें भारतीयोंको हर प्रकारके अवांछनीय तरीकोंकी ओर ले जाती हैं। ये सब नियन्त्रण हटाने होंगे। परन्तु मेरे विचारमें इसके लिए पर्याप्त धैर्यका उपयोग करना होगा। अब हमारे पास समय है और लहजेमें आश्चर्यजनक तबदीली आ गई है। यहाँ केप टाउनमें मुझे बताया गया है, और मुझे उसपर पूरा विश्वास है कि श्री एन्ड्र्यूजके व्यक्तित्वका प्रभाव उन सब राजनयिकों और प्रमुख व्यक्तियोंपर पड़ा है जिनसे वे मिले थे। वे आये और थोड़े ही समय बाद चले गये, परन्तु निश्चय ही उन्होंने उन लोगोंमें, जिनसे वे मिले, उस साम्राज्यके प्रति कर्तव्यकी भावनाको, उभारा, जिसके वे सदस्य हैं। परन्तु कुछ भी हो, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियोंके कारण वह स्वस्थ लहजा आया हो, वह आया अवश्य है। मैंने उसे उन यूरोपीय मित्रोंमें पाया जिनसे मैं केप टाउनमें मिला; डर्बनमें उसे मैंने और भी सम्पूर्ण रूपमें देखा और इस बार मुझे रेलगाड़ीमें बहुत-से ऐसे यूरोपीयोंसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ जो सर्वथा अपरिचित थे। उन्होंने मुस्कराते हुए आगे बढ़कर मुझे "इस बड़ी विजय" पर -- बकौल उनके -- बधाई दी। वह स्वस्थ लहजा मैंने हर जगह पाया। मैंने यूरोपीय मित्रोंसे कहा कि वे यूरोपीय समितिके जरिये या अन्य जरियोंसे उस कार्य-विधिको जारी रखें, मेरे देशभाइयोंको मदद दें और साथ ही उन्हें यह सहानुभूति भी दें ताकि वे अपनी मुक्तिके लिए प्रयत्न कर सकें और उसे प्राप्त कर सकें।

मैं अपने देशभाइयोंसे कहूँगा कि आप इन्तजार करें और समझौतेका पालन करें। मेरे विचारमें परिस्थितियों आदिका खयाल करते हुए इस समझौतेसे अधिककी आशा नहीं की जा सकती थी। मुझे आशा है, आप देखेंगे कि हमारे यूरोपीय मित्रोंके सहयोगसे जो वायदा किया गया है वह बराबर पूरा किया जा रहा है; मौजूदा कानूनोंको न्याय-पूर्वक लागू किया जा रहा है; और निहित अधिकारोंको प्रशासनमें मान्यता मिलती है और जब ये सब बातें पूरी तरह रूढ़ हो जायें तब यदि आप यूरोपीय लोकमतको अपने अनुकूल बनाकर तत्कालीन सरकारके लिए यह सम्भव कर देते हैं कि वह वे दूसरे अधिकार भी आपको वापस दे दे जो आपसे छीने गये हैं; तो फिर मैं नहीं समझता कि भविष्यमें डरका कोई कारण रह जाता है। मैं समझता हूँ कि यदि परस्पर सहयोग और सद्भावना रहे तथा दोनों ओरसे समुचित प्रतिक्रिया होती रहे तो भारतीय समाज उस सरकार या किसी अन्य सरकारके लिए कमजोरीका कारण कभी भी नहीं बन सकता। बल्कि मुझे अपने देशभाइयोंपर पूरा भरोसा है कि यदि उनसे अच्छा व्यवहार

किया गया तो वे हमेशाके अनुरूप योग्य व्यवहार करेंगे और मौजूदा सरकारकी मदद करेंगे। अनेकों अवसरोंपर यदि हमने अपने अधिकारोंपर जोर भी दिया है तो मैं आशा करता हूँ कि उपस्थित यूरोपीय मित्रोंको यह भी स्मरण होगा कि हमने अपने उन उत्तरदायित्वोंको भी निभाया है जो हमारे सामने आये।

और अब समय हो गया है जब मुझे अपना भाषण समाप्त करना है और विदाईके सम्बन्धमें ही कुछ शब्द कहने हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं उन शब्दोंको कैसे कहूँ। मेरे जीवनके उत्तम वर्ष दक्षिण आफ्रिकामें बीते हैं। जैसा कि मेरे ख्यातिप्राप्त देश-भाई श्री गोखलेने मुझे स्मरण दिलाया था, भारत मेरे लिए एक अनजान देश हो गया है। मैं दक्षिण आफ्रिकाको जानता हूँ, किन्तु भारतको नहीं। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या चीज भारत जानेको विवश कर रही है। परन्तु मैं यह भली-भाँति जानता हूँ कि आप सबसे जुदा होना, उन यूरोपीय मित्रोंसे अलग होना, जिन्होंने मुझे अच्छे-बुरे समयमें मदद दी—एक भारी प्रहार है; यह एक ऐसा प्रहार है जिसे सहन करनेमें मैं बिलकुल असमर्थ हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ कि मुझे आप सबसे जुदा होना है। मैं केवल अलविदा कह सकता हूँ और आप लोगोंसे आशीर्वाद देनेके लिए कह सकता हूँ। मैं आप लोगोंसे अपने लिए यह प्रार्थना करनेको कहूँगा कि हमें जो प्रशंसा मिली है उससे हमारी बुद्धि भ्रमित न हो; हमें अपनी योग्यताके अनुसार अपना कर्तव्य निभानेका ज्ञान बना रहे और हम अभी भी यही याद रखें कि हम जो भी करें उसमें हमारा पहला, दूसरा और अन्तिम लक्ष्य अपने अन्तःकरणकी स्वीकृति पाना ही होना चाहिए और तब जो भी हमारा प्राप्य होगा वह हमें अपने समयपर मिल जायेगा।'

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अंक, १९१४ ।

३६७. भेंट : 'ट्रान्सवाल लीडर' के प्रतिनिधिको

[जोहानिसबर्ग]

जुलाई १४, १९१४]

मैं हमेशाके लिए भारत जा रहा हूँ। और इस इरादेसे जा रहा हूँ कि कभी लौटकर नहीं आऊँगा, और यदि कभी मुझे दक्षिण आफ्रिका आना पड़े या भारत छोड़ना पड़े तो यह ऐसी ही परिस्थितियोंमें होगा जिनपर मेरा वश न हो। फिलहाल मुझे उन परिस्थितियोंका कोई अन्दाज नहीं है।

मैं समझता हूँ कि समझौता दोनों पक्षोंके लिए नितान्त सम्मानजनक है। मेरा खयाल है कि जनरल बोथा और जनरल स्मट्स—दोनोंने अधिकसे-अधिक न्याय

१. इसके बाद सभाको कैलेनबैकने धन्यवाद दिया। कुमारी इथेसिनको एक अभिनन्दन पत्र समर्पित किया गया। डॉ० क्राउज़के भाषणसे कार्यक्रम समाप्त हुआ।

किया है। उन्होंने किसी भी तरहका कोई मानसिक दुराव नहीं रखा। जनरल स्मट्सकी यही एक इच्छा थी कि कोई भी गलतफहमी न रहने पाये और इसीलिए उन्होंने अत्यधिक व्यस्त रहने पर भी मुझे हर बार खुशीसे भेंट दी और प्रत्येक स्थितिमें भारतीय दृष्टिकोणको समझनेकी कोशिश की।

और मैं यह निश्चित रूपसे महसूस करता हूँ कि विरोधी दलने पूरे मनसे जो सहयोग दिया उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता था।

वास्तवमें सिनेट और विधान सभा दोनोंमें हुई बहसकी सम्पूर्ण भावना, नेटालकी विसंवादी टिप्पणीके बावजूद ऊँचे शाही ढंगकी थी। और यदि फाजिल आन्दोलनसे मेरे ही देशवासियों अथवा यूरोपीयोंने वातावरण दूषित करके समझौतेके अच्छे प्रभावको नष्ट कर दिया तो यह बड़े खेदकी बात होगी। प्रवास और ऐसे ही अन्य मामलोंमें समझौता यूरोपीयोंकी सभी उचित माँगोंका ध्यान रखते हुए उस मुद्देको पूरी तरह स्वीकार करता है, जिसके लिए भारतीय पिछले आठ वर्षोंसे संघर्ष और कष्ट सहन करते आ रहे थे। मुझे अपनी पूरी यात्रामें जो यूरोपीय सज्जन मिले उनका रुख आदर्श था। उनमें से बहुतोंको इस समस्याके बारेमें कुछ भी नहीं मालूम था और वे लोग मुझे भी बिलकुल नहीं जानते थे।

[संवाददाता:] क्या संघर्ष, वास्तवमें, समाप्त-प्राय है—क्या भारतीय यहाँ राजनीतिक समानताके लिए, अलबत्ता वैधानिक ढंगसे, संघर्ष नहीं करेंगे?

हमने कभी भी राजनीतिक समानताकी माँग नहीं की। हमें उसके मिलनेकी आशा नहीं है।

आप मताधिकार चाहते हैं?

नहीं; उस सम्बन्धमें मेरा विचार है कि राजनीतिक मताधिकारका प्रश्न बिलकुल अलग छोड़ दिया जाये; और मेरी दृढ़ धारणा है कि सत्याग्रह मताधिकारसे सहस्र-गुना बढ़कर है। मैंने कभी मताधिकारकी माँग नहीं की। मैंने हमेशा जिस बातपर जोर दिया वह है जातीय भेदभावको दूर करना। मैंने समानतापर जोर नहीं दिया।

इसके बाद श्री गांधीने अपने जीवनकी कुछ असाधारण घटनाएँ सुनाईं; विशेषकर उन्होंने पिछले वर्ष नवम्बरमें भारतीय सत्याग्रहियों द्वारा ट्रान्सवालके कूचके बारेमें बताया और कहा कि दक्षिण आफ्रिकामें मुझे इसी घटनाने आश्चर्य-चकित किया है।

उस कूचके कारण मैंने मानव प्रकृतिको और अधिक प्यार करना सीखा और इसीके कारण यह बात मेरी समझमें आई कि अगर मानवीय भावना विकसित है तो फिर लोग चाहे भारतके हों चाहे यूरोपके, धरती पूर्वकी हो चाहे पश्चिमकी, मनका तार एक ही स्वरमें झंकृत होगा।

कूच सम्बन्धी अपने और भी अनुभवोंकी चर्चा करते हुए श्री गांधीने उस समय जो कठिनाइयाँ आई थीं उनके बारेमें तो कुछ नहीं कहा, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वे उन्हें भूल ही गये हों; किन्तु अज्ञात व्यक्तियोंने दयाभावसे जो छोटे-छोटे कार्य किये थे उन्हें याद किया और बताया कि एक स्टेशन मास्टर मेरे लिए एक ग्लास दूध, दो एक

उबले अंडे और अन्य बहुत-सी ऐसी स्वादिष्ट चीजें ले आया जो एक भूखे आदमीको ललचा सकती थीं।

उन्हें लेनेसे इनकार करना हृदयदर्शकी कृतघ्नता मालूम पड़ती थी, परन्तु मैं अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहा और मैंने स्टेशन मास्टरको समझाकर बताया कि मैं कदाचित् ही अंडे खाता हूँ और जो दूध एवं अन्य वस्तुएँ आप लाये हैं उनका उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने साथ वही बरताव स्वीकार करना है जो अन्य साधारण लोगोंके साथ होता है। ऐसा लगा कि उन्हें इससे ठेस पहुँची और इसके लिए मुझे खेद भी हुआ, परन्तु मेरे मनमें अकृतज्ञताकी भावना नहीं थी। आशा करता हूँ कि वे दयावान सज्जन भी मेरा भाव समझ गये होंगे।

एक अन्य स्थानपर एक होटलके मालिकने मुझसे कहा — “आप काँप रहे हैं। मेरे होटलमें आइये, मैं आपको जगह दूँगा।” मैंने उसे धन्यवाद दिया, किन्तु उसकी बात नहीं मानी और अपने साथियोंकी ओर इशारा करते हुए कहा, “वे भी ठंड महसूस कर रहे हैं और काँप रहे हैं” उसने कहा, “मगर आप यह क्यों समझ रहे हैं कि मैं आपको बरामदेमें रखूँगा; मैं आपको एक कमरा दूँगा।” मैं उसका दयापूर्ण प्रस्ताव न माननेके लिए मजबूर था।

एक अन्य स्थानपर हम पहुँचे, वहाँ एक महिलाने जो एक छोटा-सा स्टोर चला रही थी, जो-कुछ भी उसके पास था हमारे सामन रख दिया। मेरे समझाने-बुझाने-पर भी वह अपनी ही कहती रही। उसने कहा — “यद्यपि, आप सब भारतीय हैं, आप कष्ट सहन कर रहे हैं और मेरी समझमें मुझमें मदद करनेकी सहानुभूतिपूर्ण पुरानी ब्रिटिश-भावना पर्याप्त मात्रामें शेष है।” चार्ल्स टाउन और न्यूकैसिलमें पूरे समाजने हमारी और हमने उनकी मदद की। किसी प्रकारकी बदमजगी नहीं हुई, न किसी प्रकारका दुराव-छिपाव ही रहा।

कूच शुरू करनेसे पहले मैंने लोगोंको समझाया कि यदि आप अपना बोझ दूसरोंके कंधोंपर न रखकर स्वावलम्बी रहें तो विजय आपकी ही होगी। इसे समझनेमें उन्हें कुछ समय लगा, परन्तु इसी शर्तपर मैंने उन्हें अपने साथ आनेकी अनुमति दी। इस तरह हमारी सेना अपने मार्गपर दृढ़ रही। हम सुबह सूर्योदयसे पूर्व उठ खड़े होते और दिनके खानेसे पहले अधिकसे-अधिक जितना रास्ता तय कर सकते, तय करते। उसके बाद खुराकमें थोड़ी-सी रोटी और चीनी लेनेके लिए ठहर जाते। आप मानेंगे कि यह एक आश्चर्यजनक बात है कि दो हजार लोगोंने बिना कानून भंग किये, बिना कुछ चुराये या उपद्रव किये यात्रा की।

उन्होंने यह भी कहा कि संघर्षके उन दिनोंमें व्यक्तिगत रूपसे मुझे तथा उनके परिवारको जैसा व्यवहार प्राप्त हुआ इसकी प्रशंसाके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।

[अंग्रेजीसे]

ट्रान्सवाल लीडर, १५-७-१९१४

S.N. 6005

108
To
**Ghohandes Karamchand
Gandhi Esq.**

Dear Dr. Gandhi,

On the eve of your departure for India, we, the undersigned members of the European Committee of sympathisers with the Indian Community during the recent Passive Resistance Struggle, desire to convey to you the expression of our most sincere regards for your qualities of self-sacrifice, moderation, devotion to duty, and statesmanlike action.

During these troublous times, in which it was our very great privilege to co-operate with you, and use such influence as we possessed to procure a settlement honourable to all parties, we had your loyal assistance and most valuable advice.

It must be a matter of intense satisfaction to you to know that your self-sacrifice, and that of the community of which you are an ornament, have resulted in complete success to the cause that you have consistently and conscientiously advocated, and we tender you our sincere congratulations upon this happy event.

We wish you and yours long life and happiness and many opportunities of extending your energies on behalf of your countrymen and suffering humanity at large.

We are, dear Dr. Gandhi,
Yours very sincerely

Charles Phillips *and Chairman.*

John H. Rogers

J. Howard

A. Brown

D. Pollock

C. E. Nelson

H. Robins

A. S. Udd

H. Kallonbach


R. I. Hall

H. S. Polak

Dated at Johannesburg 14th July 1914.



यूरोपीय समिति द्वारा दिया गया मानपत्र



शहीद-स्मारकका उद्घाटन

३६८. पत्र : दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको

[जोहानिसबर्ग
जुलाई १५, १९१४के पूर्व]

प्यारे भाई अथवा बहन,

मैं दक्षिण आफ्रिका छोड़कर जा रहा हूँ। इस समय मेरा मन दो शब्द लिख जानेको चाहता है।

इस देशमें [अपने प्रति] भारतीयोंके प्रेमका मैंने जो अनुभव किया है वह अगाध है। मेरा विश्वास है कि ऐसा प्रेम दिखानेवाली प्रजा सदैव उन्नति करेगी। 'हमारा समाज अकृतज्ञ है', मैं ऐसे शब्द सुनता हूँ। मेरा अन्तःकरण यह साक्षी देता है कि ये अज्ञानवश और उतावलीमें कहे हुए शब्द हैं। यदि भारतीय समाज ऐसा होता तो मुझे भारतका पुत्र कहलानेमें अभिमान न होता और 'हिन्द दुनियानो विसामो छे' यह भव्य कविता [भी] मैं शुद्ध मनसे नहीं गा सकता।

मैंने भारतीयोंके अलौकिक प्रेमका अनुभव किया है, फिर भी कुछ-एक व्यक्तियोंने यह मान लिया है—और दूसरोंने उनके इस विश्वासको उत्तेजन दिया है कि वे मेरे शत्रु हैं। लेकिन मैं उनको अपना शत्रु नहीं मानता। विरुद्ध बोलनेवाले लोग अनेक बार सच्चे मित्र साबित होते हैं। मेरे सम्बन्धमें भी वैसा ही है या नहीं, फिलहाल मैं इसपर विचार नहीं करता। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं, इसमें मैं सर्वथा निर्दोष नहीं हूँ। मेरे [मन] में यदि उनके प्रति पूर्ण प्रेम-भाव हो तो वे मुझपर कटाक्ष कर ही नहीं सकते। किन्तु ऐसा सम्पूर्ण प्रेम करनेवाला भाग्यवान व्यक्ति विरला ही हो सकता है। जबतक ऐसा सम्पूर्ण प्रेम मुझे नहीं सघता तबतक मैं उनका विरोध सहन करूँगा; उनको मैं अपना शत्रु नहीं मानूँगा।

इस देशमें भारतीयोंके शान्तिसे रहनेके सरल और उत्तम उपाय हैं। [अमुक] हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसी [है] इस धर्म-द्वेषको भूल जाओ। बंगाली, मद्रासी, गुजराती, पंजाबीके प्रान्तीय भेदको नष्ट कर दो; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि वर्णोंमें विभाजित करनेवाले ऊँच-नीचके विचारोंको त्याग दो। सब भारतीयोंको एक ही कानूनका मुकाबिला करना है; उसके विरुद्ध हम अलग-अलग होकर कैसे लड़ सकते हैं?

हमको सत्यका पालन तो करना ही होगा। इस देशमें [रहनेवाले] सब भारतीय सत्यका पालन करेंगे, ऐसी आशा करना व्यर्थ है, यह मैं समझता हूँ। लेकिन इतना तो किया ही जाना चाहिए कि हम मोटे तौरपर सत्यका पालन करनेमें समर्थ बनें। नहीं तो भारतीय, भारतीय तथा मनुष्यकी हैसियतसे यहाँ रह ही नहीं सकते।

१. भारत संसारकी विश्रामस्थली है।

जब-जब दुःख पड़ेंगे तब-तब धीरजके साथ उनके विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा। स्वार्थमें अन्धे होकर तथा दुर्बलतावश यदि भारतीय दुःखोंसे नहीं जूझेंगे तो दुःख उन्हें एक-न-एक दिन अवश्य घेर लेंगे।

यदि नेतागण स्वार्थी-लोभी, आलसी, झूठे और विषय-भोगी हों तो आम जनता कभी भी उन्नति नहीं कर सकती। इसी प्रकार अगर जनता पिछड़ी हुई हो तो दोष इसमें नेताओंका माना जायेगा, और वे ही पापके भागी भी होंगे।

बम्बईसे आनेवाले भारतीय, कलकत्ता तथा मद्रासके निवासी भारतीयोंके प्रति बहुधा बेरुखी और उदासीनताका भाव प्रकट करते हैं। अभी तक अपनी भाषामें 'कोलचा' शब्दका प्रयोग होता है। ऐसा व्यवहार भयानक है और यदि इसका अन्त न हुआ तो इससे समाजको कष्ट होगा। बम्बईवाले यह तो जानते ही हैं कि कलकत्ता तथा मद्रासके भाई उनसे कहीं अधिक हैं। इसलिए स्वार्थको देखते हुए भी कलकत्तिया तथा मद्रासी भाइयोंके प्रति हमें मैत्रीका भाव प्रदर्शित करना जरूरी है।

सभी भारतीय उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोंका तिरस्कार करते हैं। इसे मैं उनकी भूल मानता रहा हूँ और आज भी मानता हूँ। उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोंमें दोष हैं, लेकिन दोष किसमें नहीं हैं? उनमें गुण भी बहुत हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सत्याग्रहकी लड़ाई इस देशमें जन्मे भारतीयोंके कारण ही चमकी है। यहीं पैदा हुए अनेक भारतीय और स्त्रियाँ जेल गये हैं। मुझे पूरा विश्वास है और मेरा ऐसा अनुभव है कि उपनिवेशमें जन्मे शिक्षित और अशिक्षित भारतीयोंको उत्तेजन देकर समाज पुण्य कमायेगा और आगे जाकर इसका उसे फल मिलेगा।

हम लोग बहुत गन्दे हैं और पैसेके लोभसे इतनी नीचताका व्यवहार करते हैं कि गोरी प्रजा खीझ उठती है, इसमें उनका दोष नहीं है। यदि नेतागण प्रयत्न करें तो जो गन्दगी देखनेमें आती है वह दूर हो सकती है। एक-एक कोठरीमें अनेक व्यक्ति सोते हैं। उसीमें अनाज और मेवा आदि रखते हैं। कोठरीको कभी साफ नहीं करते। पाखाने भी बहुत ही गन्दे रहते हैं। चारपाइयोंको कभी धूपमें नहीं डालते, खिड़कियाँ नहीं खोलते, धूल नहीं झाड़ते [और] एक ही कोठरीमें सोते, भोजन पकाते, नहाते व बैठते हैं—यह स्थिति करुणाजनक है। इससे हम इसी संसारको नरक बना डालते हैं। इस स्थितिमें परिवर्तन होना ही चाहिए।

समाजमें सोनेके तस्कर व्यापारका अपराध बढ़ता जाता है। कुछ भारतीय एकदम धनवान बननेके लिए उतावले हो रहे हैं। वे [स्वयं] कष्ट उठायेंगे और समस्त समाज पर कलंकका टीका लगायेंगे। मैं कामना करता हूँ कि वे अपने ऊपर अंकुश लगायें।

तमिल और कलकत्तिया भारतीयोंकी भाँति गुजराती भी शराब पीनेकी बुरी आदतके गुलाम हो गये हैं। जो भारतीय उन्हें इससे उबार लेगा वह बहुत बड़ा पुण्य-कार्य करेगा। यदि व्यापारी भाई चाहें तो उनका इन दयनीय [और] अपंग भारतीयोंपर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है।

मैं यह मानता हूँ कि जो समझौता हुआ है वह हमारी स्वतन्त्रताका अधिकार-पत्र है। इससे हमें जितना प्राप्त हुआ है उससे कम तो हम ले नहीं सकते थे और उससे

अधिक फिलहाल मिल नहीं सकता। इसीसे मेरा आग्रह है कि जो मिला है उसे सँभाल कर रखना चाहिए और यदि उसमें से कुछ सरकार वापस ले तो उसके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। समझौतेका जो अर्थ हम करते हैं, अथवा यों कहिए मैं करता हूँ, यदि सरकार अथवा अदालत उसका विपरीत अर्थ करे, और सरकार उस अर्थमें संशोधन करनेसे इनकार कर दे तो संघर्षका समुचित कारण उपस्थित हो जायेगा तथा सरकार-पर वचन-भंग करनेका आरोप लगेगा।

फिलहाल सबसे बड़ी कठिनाई व्यापारी परवाना अधिनियमके सम्बन्धमें होगी। उसमें भी जहाँ संघ-सरकारका शासन है वहाँ हमें अधिक राहत प्राप्त हो सकेगी। लेकिन जहाँ परवाने नगरपालिकाके हाथमें हैं वहाँ बहुत दिक्कत होगी। इसका एक ही उपाय है और वह यह कि जहाँ-जहाँ परवाने छीने जायें वहाँ-वहाँ संघर्ष करें, अदालतोंमें अपील करें, सरकारको प्रार्थनापत्र दें तथा सभाएँ करके विरोधमें प्रस्ताव पास किये जायें। फिर भी यदि कोई सुनवाई न हो तो सत्याग्रह ही एक उपाय बच जायेगा। परवानोंको लेकर सत्याग्रह बड़ी आसानीसे किया जा सकता है। फेरीवाले भी हिम्मत कर लें तो परवानोंसे सम्बन्धित संघर्ष थोड़ा-बहुत सफल हो सकता है। सम्भव है कि व्यापारियोंको कुछ काल तक दुःख सहन करने पड़ें। मुझे उम्मीद है, वे संकटकी घड़ीमें अपने कर्तव्यका पालन करनेसे नहीं चूकेंगे। हमें व्यापार करनेके सम्बन्धमें पूरी स्वतन्त्रताकी माँग करनी चाहिए और वह हमें मिलनी चाहिए। [यह] सब कुछ व्यापारियोंपर निर्भर करता है।

ट्रान्सवालका स्वर्ण-कानून बहुत कष्टदायी है। जो व्यक्ति विभिन्न स्थानोंमें इस समय व्यापार कर रहे हैं, समझौतेमें उनके व्यापार करते रहनेकी व्यवस्था है। वे उन्हीं नगरोंमें अपनी दूकानोंकी जगह बदलते रह सकते हैं लेकिन दूसरे नगरोंमें नहीं जा सकते। “वर्तमान अधिकारों” की धारामें यह बात आ जाती है। सरकार यदि इससे कम दे तो समझौता भंग हुआ माना जायेगा। इससे अधिक लेनेके लिए अलगसे मेहनत करनी पड़ेगी और वह भी मेरे विचारसे फिलहाल एक दम नहीं। हमें इस बातका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अन्धकारमें रखकर कहीं इससे सम्बन्धित कोई कठोर कानून न बन जाये। स्वर्ण-कानूनको लेकर भी यदि बहुत अत्याचार हो तो सत्याग्रह आसानीसे छेड़ा जा सकता है।

मुझे फिलहाल ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती कि हम ट्रान्सवालके १८८५ के कानूनके सम्बन्धमें कुछ कर सकें।

विवाहके प्रश्नको लेकर हमें जो-कुछ मिला है अभी उससे अधिक मिलना सम्भव नहीं है। इसके लिए प्रयत्न करना, दूसरे अन्य महत्वपूर्ण कार्योंमें खलल डालनेके समान है। अभी जो कानून बना है, दूसरी जगह उससे अच्छा कानून नहीं है।

मताधिकार अथवा भारतसे आनेवाले भारतीयोंके लिए प्रवेशाधिकारके सम्बन्धमें संघर्ष करनेकी हमें आवश्यकता नहीं। मेरा विचार है, हमें फिलहाल इसी बातसे सन्तोष करना होगा कि कानूनसे यह कालिख पुछ गई।

लेकिन यदि समाज दृढ़ तथा साहसी बना रहे, सत्य बोले और एकतासे रहे तो पन्द्रह वर्षके भीतर निम्नलिखित उद्देश्य पूरे हो सकेंगे —

१. व्यापार करनेकी पूर्ण स्वतंत्रता,
२. समस्त प्रान्तोंमें भू-स्वामित्वके पूर्ण अधिकार; और
३. एक-दूसरे प्रान्तमें आने-जाने तथा रहनेकी छूट।

इन परिणामोंकी उपलब्धिके लिए परवाना-कानून, स्वर्ण-कानून, कस्बा आदि नियम, १८८५ का कानून ३ तथा प्रवासी कानून; इतने कानूनोंमें संशोधन होना चाहिए। इसके लिए दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंका समर्थन प्राप्त करना होगा। ऐसा करना मुश्किल नहीं है।

गिरमिटियोंके सम्बन्धमें समाजको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं। नये कानूनका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें सरकार बाहर निकाल देगी।

मैं विनयपूर्वक सब भारतीयोंको सलाह देता हूँ कि वे श्री पोलककी सहायता करें और उनसे मदद लें। श्री पोलकको हमारी समस्याओंकी जितनी जानकारी है उतनी अन्य किसीको नहीं है। उनमें समाजके प्रति सच्चा प्रेम-भाव है। उनमें उत्साह है और वे कार्य-कुशल भी हैं। मैं सभी प्रान्तोंके भारतीयोंसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि वे श्री पोलक [की सेवाओं] का लाभ उठायें और उनके कहनेके अनुसार चलें। उन्हें प्रार्थनापत्र तैयार करनेकी जो विधि आती है वह अन्य किसीको नहीं आती। वे सार्वजनिक कार्योंके लिए पैसा नहीं लेते। इसलिए यदि वकालतसे उन्हें जीवन-निर्वाहके लिए पैसा मिलता रहा तो वे दक्षिण आफ्रिकामें रहेंगे; नहीं तो इंग्लैंड चले जायेंगे। अब भी उन्हें खर्च चलाने लायक पैसा नहीं मिलता, यह मैं जानता हूँ। इसी कारण मैं ट्रान्सवालके भारतीयोंसे विशेष रूपसे कहता हूँ कि वे अपने मुकदमे आदि श्री पोलकको सौंपे।

‘इंडियन ओपिनियन’ समाजकी सेवा करनेके लिए ही प्रकाशित किया जाता है। फीनिक्सकी संस्था भी इसी कारण चलाई जाती है। वहाँ जो लोग रहते हैं वे वहाँ धन कमानेके उद्देश्यसे नहीं रहते। वे केवल उतना ही धन लेते हैं जिससे वे सादा और गरीबीका जीवन व्यतीत कर सकें। यदि समाजने इन परिस्थितियोंमें काम करनेवाले लोगोंकी सेवाओंका फायदा नहीं उठाया तो वह धोखा खायेगा। अब दक्षिण आफ्रिकामें फीनिक्सकी सम्पत्तिके मालिक तथा उसके न्यासी [व्यवस्थापक] श्री उमर झवेरी तथा पारसी रुस्तमजी हैं। समाज, फीनिक्सके सम्बन्धमें पूरी जानकारी उनके द्वारा अथवा सीधे ही प्राप्त कर सकता है। मैं सब भारतीयोंसे, फीनिक्सका हेतु क्या है, यह समझनेका अनुरोध करता हूँ। मैं यह लिखे बिना नहीं रह सकता कि जो लोग भारतकी सेवा करना चाहते हैं उनके लिए फीनिक्स महान् क्षेत्र है। मेरा फीनिक्सके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण कुछ लोग मेरा यह सब लिखना अनुचित मानेंगे, लेकिन मैं दृढ़ विश्वासके कारण यह सब लिख रहा हूँ।

मैं भारत जा रहा हूँ, किन्तु दक्षिण आफ्रिकाको नहीं भूलूंगा। मैं यह चाहता हूँ, जो भाई यहांसे भारत पहुँचें वे वहाँ मुझसे मिलें। भारतीयोंपर यहाँ जो कष्ट हैं उनके सम्बन्धमें, मैं भारतमें अवश्य काम करूंगा। यदि आप लोग मेरी सेवाओंका लाभ उठाना चाहेंगे तो मैं और भी अधिक काम कर सकूंगा। वहाँ काम करते समय कागज,

टिकट और प्रकाशन आदिका जो खर्च होगा, मेरी समझमें वह यहाँसे मिलना चाहिए। मुझे जो धन दिया गया है उसका उपयोग मैं इसी कार्यमें करूँगा।

और अन्तमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाजका छुटकारा उसके अपने हाथ है और उसका उपाय है सत्याग्रह।

मेरी कामना है कि मेरे हाथों जाने-अनजाने यदि किसी भारतीयका अहित हुआ हो अथवा किसीको कष्ट मिला हो तो वह और भगवान मुझे क्षमा करें।

मैं सत्याग्रही तो हूँ ही और उम्मीद है कि रहूँगा भी; लेकिन गत दिसम्बरमें मुझपर 'गिरमिट' का विशेष प्रभाव पड़ा; यहाँतक कि मुझे गुजराती लोग "गिर-मिटिया" कहने लगे; इसलिए—

मैं हूँ

समाजका गिरमिटिया

मोहनदास करमचन्द गांधी

[गुजरातीसे]

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०२०)की फोटो-नकलसे।

३६९. श्रद्धांजलि : सत्याग्रही शहीदोंको'

ब्रामफांटीन

जुलाई १५, १९१४

श्री गांधीने कहा, मेरा खयाल है कि जोहानिसबर्गमें मेरे निकटके यूरोपीय मित्रोंमें श्रीमती फिलिप्स सबसे अधिक बुजुर्ग हैं। इसलिए सब भारतीयोंका उन्हें अपनी माताके समान समझना उचित ही है। आज सुबह इन दो स्मारकोंका अनावरण करके श्रीमती फिलिप्सने भारतीयोंकी इस भावनाको सार्थक साबित कर दिया है। श्री गांधीने कहा कि अभी मैंने जो कहा कि श्रीमती फिलिप्सने इस कार्यके लिए बड़ा कष्ट किया है तो यह केवल एक सीधी-सादी सच बात है। परन्तु वास्तवमें कष्टका अर्थ यहाँ शारीरिक कष्ट नहीं है। ऐसा कहनेमें मेरा हेतु यह है कि इस समय श्रीमती फिलिप्सके हृदयमें भी उतना ही दुःख हो रहा है जितना कि किसी भी भारतीयको। इस अवसरपर उन्होंने जो हार्दिक और उदात्त भाव प्रकट किये हैं, मुझे आशा है कि, वे यहाँ उपस्थित हर मनुष्यके हृदयमें अंकित हो जायेंगे। व्यक्तिगत रूपसे मैं अपनी इस प्यारी बहनके बारेमें बात करते कभी नहीं अघाया हूँ, जो श्रीमती फिलिप्सके लिए तो बेटी और मेरे लिए बहिनके समान थीं। इसी प्रकार मैं प्यारे भाई नागप्पनके बारेमें भी कहता रहा हूँ।

१. जुलाई १५ को ११॥ बजे दिनमें ब्रैमफांटीनके कब्रिस्तानमें नागप्पन और वलिभम्माके सम्मानमें उनकी कब्रोंपर स्मृति-शिलाओंकी स्थापनाका समारोह हुआ जिसमें गांधीजी उपस्थित थे। श्रीमती कस्तूरबा, कुमारी इलेसिन, और श्रीमती पोलक भी उपस्थित थीं। यूरोपीय समितिके अध्यक्ष रेवरेंड सी० फिलिप्सकी पत्नी श्रीमती फिलिप्स द्वारा स्मृति-शिलाओंके अनावरणके बाद गांधीजीने भाषण किया।

जब कभी उन दोनों हुतात्माओंकी याद करता हूँ और नारायणसामीकी उपेक्षित समाधिका मुझे खयाल आता है, जिनकी अस्थियाँ अब लारेंको मार्क्सिसमें पड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि इन हुतात्माओंकी सेवाओंकी तुलनामें हम सबोंकी सेवाएँ तुच्छ हैं। श्रीमती पोलकने अभी-अभी मुझे याद दिलाया है कि हम लोगोंने इस लड़कीकी बीमारीकी तरफ कितना कम ध्यान दिया था, जिसका पार्थिव शरीर समाधिमें सोया हुआ है। श्री गांधीने डर्बन छोड़नेके समयके दृश्यका जिक्र किया जब वे पोलकके साथ वलिअम्माको जल्दीमें देखने गये थे। उन्होंने कहा कि वह अत्यन्त मार्मिक दृश्य था। वलिअम्मा बाहर आ रही थी। उसकी माँ वहाँ थी। उसकी माँ बहुत ही मृदुल और स्नेही स्वभावकी थीं। वे जल्दी मचा रही थीं कि वलिअम्मा बाहर निकले। ऐसे वक्त भी किसी प्रकारकी जल्दी की जानेपर मुझे लज्जा आ रही थी। वलिअम्माको बाहर लाया गया। वह लगभग मूर्छित अवस्थामें थी। हम तीनों मिलकर जितनी सावधानीसे सम्भव था उसे उठाकर बाहर लाये। उसके कमरेमें न तो कोई गद्दा था, और न कोई स्ट्रेचर। जिस कमरेमें वह पड़ी थी वहाँ केवल लकड़ीका फर्श था। यह बात नहीं कि वे लोग उसके प्रति कोई निष्ठुरता बरत रहे थे। परन्तु उस समय उनका अनुशासन ही ऐसा कड़ा और कष्टकर था। जिन थम्बी नायडूके सिपुर्द यह काम था वे और कोई चीज रखने या साथमें लेनेका विचार तक करनेको तैयार नहीं थे। जेलके भीतर और बाहर उसकी यही हालत थी। खुद उसका अपना उत्साह भी ऐसा ही था। वलिअम्माके साथ, वैंसी ही दशामें, एक और महिला थी जिसके उसी समय बच्चा हुआ था। उसका उत्साह भी ऐसा ही था। श्री गांधीने कहा, मैं नहीं जानता कि हम लोगोंसे तब कहीं-कोई बहुत भारी अपराध तो नहीं हुआ! दूसरी तरफ सत्याग्रहीकी हैसियतसे अपने कर्त्तव्यका खयाल होता है तब मैं असमंजसमें पड़ जाता हूँ, क्योंकि सत्याग्रहीके नाते हम आत्माको अमर समझते हैं। और शरीर तो आत्माके अधीन है। इसलिए आत्माकी पूर्णता प्राप्त करनेके लिए अगर शरीरको गँवाना भी पड़े तो वह ठीक ही है। अगर वलिअम्माको मैं थोड़ा भी जानता हूँ तो कहूँगा कि वह खुद कभी यह न चाहती कि अपनी दूसरी बहनोंकी अपेक्षा उसके साथ अच्छा व्यवहार हो। इन दृश्योंको मैं कभी भुला नहीं सकूँगा। नागप्पनका चेहरा उन्हें इतनी अच्छी तरह याद नहीं है, जितना वलिअम्माका। परन्तु उन्हें इतना जरूर मालूम है कि उस भयानक शिविर-जेलमें उस बहादुर लड़केको कड़कड़ाती सर्दियोंमें कितना भयंकर कष्ट उठाना पड़ा था। उसे वहाँ भेजनेकी जरा भी जरूरत नहीं थी। परन्तु उस समय तो सरकारकी इच्छा सिर्फ यह थी कि जैसे-बने-वैसे सत्याग्रहियोंकी हिम्मत तोड़ दी जाये। परन्तु आज वे समझने लगे हैं कि नागप्पनका हृदय फौलादका बना हुआ था। जर्जर शरीरको लेकर वह जेलसे बाहर आया। परन्तु उसने कहा: चिन्ताकी क्या बात है? मुझे एक ही बार तो मरना है। अगर जरूरत हो तो मैं फिर जेल जानेको तैयार हूँ। इस तरह उस बहादुर लड़केने अपना बलिदान दे दिया। परन्तु ये लोग मरे नहीं हैं। प्रत्येक भारतीयके

हृदयमें स्मृतिके रूपमें वे सदा अमर रहेंगे। यह बात अवश्य दुःखकी है कि वे लोग आज अपने उदाहरणसे सबको प्रेरणा देनेके लिए हमारे बीचमें नहीं हैं। परन्तु जब मैं इस प्रश्नपर गहराईके साथ विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि यह हमारे लिए हर्ष ही की बात है कि हमारे बीच ऐसी तीन महान आत्माएँ थीं जिन्होंने सत्यके लिए -- मैं देशके लिए नहीं कहूँगा -- अपने जीवनका सदुपयोग किया। देशको तो वे जानते ही नहीं थे। उससे तो वे पूर्णतः अपरिचित थे, क्योंकि उनका जन्म इस उपनिवेशमें हुआ था। अपनी मातृभूमिकी उन्हें कल्पना तक नहीं थी। उनके लिए तो दक्षिण आफ्रिका ही मातृभूमि थी। परन्तु हाँ, वे इतना जरूर जानते थे कि यह लड़ाई एक पवित्र लड़ाई है, धर्म-युद्ध है, सत्यकी लड़ाई है। वे सत्यके लिए जिये और सत्य ही के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी; और इसीलिए मुझे लगता है कि यह रोनेकी नहीं, खुश होनेकी बात है। और यह भी कि इन वीरात्माओंके अमर स्मारक ईट-पत्थरसे नहीं, बल्कि प्रत्येकको अपने हृदयमें बनाने चाहिए। और जब कभी हमें लगे कि प्रलोभनोंके सामने कहीं हमारी आत्मा झुक न जाये तब हम इन तीनों शहीदोंके नाम-स्मरण कर लें। अगर हम ऐसा कर सके तो सच्चे अर्थोंमें कहा जा सकेगा कि हम इनकी समाधियोंका सम्मान कर रहे हैं और तभी श्रीमती फिलिप्सका इतनी दूर यहाँ यह विधिसम्पन्न करनेके लिए आना सार्थक हो सकता है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-७-१९१४

३७०. भाषण : ट्रान्सवाल भारतीय महिला-संघमें^१

जोहानिसबर्ग

जुलाई १५, १९१४

श्री गांधीने कहा : वक्ताओंने आज मेरा वर्णन संरक्षक और गुरु कहकर किया; परन्तु मुझे लगता है कि मैं इन पदवियोंका पात्र नहीं हूँ। हाँ, अगर आप मुझे अपने प्रिय भाईके रूपमें स्वीकार कर लें तो इसे मैं अपना सबसे-बड़ा सम्मान समझूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं कहीं भी रहूँ, आप सबका अपनी बहनोंके रूपमें स्मरण करना अपना परम सौभाग्य मानूँगा। आपका सह-कार्यकर्ता तथा सहयोगी सत्याग्रही होनेके नाते, और आपकी अपेक्षा कुछ अधिक अनुभव होनेके नाते मैं आपको केवल यही सलाह देना चाहता हूँ कि जिस कामको आपने शुरू किया है, उसे बराबर जारी रखें। आपने अभी तक शानदार काम किया है। आप लोग सम्पूर्ण एकता बनाये रहें और जब कभी कर्त्तव्यकी पुकार सुनें, तब उसके पालनमें कभी गफलत न करें। जरूरत देखें

१. गांधीजीको विदाई देनेके लिए एबनजर चर्च हॉलमें ट्रान्सवाल भारतीय महिला संघकी सभा हुई थी। संघकी अध्यक्ष श्रीमती रामा मूदलीने सभापतित्व किया।

तो बलिअम्माकी तरह अपने प्राण अर्पण करनेमें भी न चूकें। आप लोग श्रीमती वाँगलको न भूलें। उन्होंने निःस्वार्थ भावसे बहुत काम किया है। आज भी आप सिलाई-कक्षा चलाने तथा दूसरे कामोंमें उनसे मदद ले सकती हैं। उनका साथ भी कम लाभदायक नहीं। वे एक नेक महिला हैं, जिनके दिलमें हम लोगोंके लिए बड़ा प्रेम है। अगर उनका बस चले तो वे और भी बहुत-कुछ कर सकती हैं। और उनसे जो बन सकता है उसे करनेमें कभी चूकती नहीं। श्रीमती वाँगलका हमपर बड़ा ऋण है। परन्तु श्रीमती वाँगलका सम्मान करनेका सबसे उत्तम तरीका यह नहीं होगा कि भेंटोंसे उन्हें लाद दिया जाये; बल्कि यह है कि उनकी सलाहपर चलें और उनकी मदद लें, जो कक्षाएँ आदि चलानेके सम्बन्धमें देनेके लिए वे सदा उत्सुक रहती हैं। भारतमें बहनें अपने छोटे और बड़े भाइयोंको भी बिदा करते समय अपने आशीर्वाद देती हैं। श्री गांधीने आशा प्रकट की कि वे संसारके किसी भी भागमें पहुँच जाएँ, बहनें उन्हें अपने आशीर्वाद देती रहेंगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९१४

३७१. भाषण : मुसलमानोंकी सभामें^१

[फ्रीडडॉप]

जुलाई १५, १९१४]

कुछ श्रोताओंने तालियाँ बजाकर श्री गांधीका अभिनन्दन किया। श्री गांधीने प्रश्नोंका उत्तर देनेसे पहले श्रोताओंको विश्वास दिलाया : आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसे

१. यह भाषण गांधीजीने हमीदिया इस्लामिया हॉलमें समझौतेके प्रति मुसलमानोंका असन्तोष व्यक्त करनेके लिए आयोजित एक विशाल सभामें दिया था। हॉल खचाखच भरा था। इसप इस्माइल मियाँ उसके सभापति थे। गांधीजीका भाषण मुख्यतः उन विभिन्न प्रश्नोंका उत्तर ही था, जो सभाके अध्यक्ष और अन्य वक्ताओंने उनसे पूछे थे। रैंड डेली मेलने १६-७-१९१९के अपने अंकमें इसप मियाँ द्वारा कही गई बातोंका विवरण इस प्रकार दिया था : सभापतिके भाषणका अनुवाद किया गया। श्री गांधीने भी जब-तब अनुवादमें सहायता की। सभापतिने पूछा कि सरकारके साथ समझौता करनेका अधिकार उनको किसने दिया था। इसके बाद उन्होंने प्लेग अस्पतालके कोषका उल्लेख किया और श्री गांधीसे पूछा कि उस कोषकी राशिका क्या हुआ। भारतीय संवने शुरूसे ही उस कोषमें चन्दा दिया था और वे चाहते हैं कि उसका हिसाब जनताके सामने रखा जाये तथा श्री गांधी उसकी स्थिति स्पष्ट करें। हमने चार माँगें पेश की थीं और श्री गांधीने स्वयं कहा है कि उनमें से केवल डेढ़ ही स्वीकृत हुई हैं। विवाहकी समस्याके सिलसिलेमें एक ऐसा प्रश्न उठा था, जिसका मुसलमानोंपर प्रभाव पड़ता है, और जिसकी व्याख्या अपेक्षित है। श्री गांधी व्यवसायी वर्गके अपने मित्रोंको बतलायेंगे कि आठ वर्षके संघर्षसे उनको क्या मिला है। श्री गांधीने डर्बनमें कहा था कि सभीको तो कोई भी व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं कर सकता। मैं तो कहूँगा कि श्री गांधीने उनको एक ऐसी जगह ला पटका है जहाँ उनको अपना संघर्ष फिर नये सिरेसे शुरू करना पड़ेगा। विवाहके प्रश्नके सिलसिलेमें तो मुसलमानोंका ही नहीं हिन्दुओंका भी कहना है कि उनको कुछ भी नहीं मिला है।

मैं अपना एक बड़ा सम्मान मानता हूँ; क्योंकि मैं जानता हूँ, आपमें से कुछ लोग समझौतेके विरुद्ध थे और उन्होंने अन्तिम रूपसे समझौता सम्पन्न न होने देनेके लिए जमीन-आसमान एक कर दिया था। मुझे अभी आशा है कि मैं अपने उन देशवासियोंको भी नाराज नहीं रहने दूँगा। पहला प्रश्न यह था कि मैंने किस हैसियतसे सरकारके साथ यह समझौता किया या इसे स्वीकार किया, मुझे यह हक किसने सौंपा था? यह हक मुझे समस्त दक्षिण आफ्रिकाके सामान्य भारतीयोंने सौंपा था, क्योंकि श्री काछलियाका अन्तिम पत्र ब्रिटिश भारतीय समाजकी ओरसे भेजा गया था।^१ उसके मन्त्रीकी हैसियतसे ही मैंने सारी वार्ता चलाई थी और जब देखा कि समझौता करनेमें हम अपनी ओरसे कुछ भी नहीं खोते हैं, बल्कि हम जो भी कुछ माँग रहे थे वह सब मिल रहा है, तो मैंने समाजसे उसके बारेमें फिरसे पूछना अनावश्यक समझा।^२ कोई भी दूसरा सार्वजनिक कार्यकर्ता इसके अतिरिक्त कुछ कर भी नहीं सकता। यदि वह यह न करता तो अयोग्य कार्यकर्ता सिद्ध हो जाता। उस पत्रमें कही गई सभी बातोंपर अमल करके मैंने अपना कर्त्तव्य निभाया है। हाँ, जनरल स्मट्स चाहते थे कि यह समझौता सामान्यतया समाजके सभी लोगोंके द्वारा स्वीकृत हो—वे इसमें कोई त्रुटि नहीं रहने देना चाहते थे। अभीतक जितनी सभायें हुई हैं लगभग उन सभीमें सर्वसम्मतिसे इसपर सहमति मिली है। दूसरा प्रश्न था: समझौतेसे हमको क्या मिला है? श्री गांधीने कहा कि हमने जो कुछ माँगा था वह सभी पूरा-पूरा और अधिकतम उदारताके साथ दिया गया है।

अगला प्रश्न था: मैंने अस्पतालके कोषका क्या किया? इसके बारेमें कुछ गलतफहमी रही है। यह कोष शुरू इस प्रकार हुआ था: पुराने स्थानोंसे बाड़े हटा दिये गये थे और उनमेंसे कुछ दावेदारोंकी ओरसे नगर परिषद्के विरुद्ध^३ मुकदमा लड़ा गया था। मैंने उनसे वकालतकी पूरी फीस नहीं ली थी, जो यदि ली जाती तो ४० या ५० पाँड होती। मैंने उनको बतला दिया था कि मैं प्रत्येक बाड़ेदारसे थोड़ी-सी निश्चित फीस लूँगा और जो सारीकी-सारी मेरे ही लिए नहीं होगी। मैं उसमेंसे ५ पाँड

१. ट्रान्सवाल लीडरने इसी तिथिके अपने अंकमें जो समाचार छपा था, उसमें यहाँ ये शब्द दिये गये थे: “. . . एक भी शब्द विरोधमें नहीं कहा गया। सभी लोगोंने सब तरहसे उसका स्वागत किया।”

२. ट्रान्सवाल लीडरके समाचारमें कहा गया है: “. . . मेरी समझमें समझौतेका द्वार खुला रखने या समझौता सम्पन्न करनेके बारेमें मुझे किसी भी तरहकी हिचकिचाहट दिखानेका कोई कारण नहीं था। हमने खोया तो कुछ भी नहीं है; पा सब कुछ लिया है।”

३. ट्रान्सवाल लीडरमें छपे समाचारमें यहाँ ये शब्द भी मिलते हैं: “. . . ९९ में से ७५ ने अपने दावे उनको सौंप दिये थे। उनको नगरपरिषद्से मुकदमेके खर्चका एक हिस्सा मिला था और उनको वकालतकी फीस लेनेके लिए भी अधिकृत कर दिया गया था! . . .”

अपने लिये लूंगा और शेष राशिसे अस्पताल-कोष शुरू करूँगा। इंग्लैंड जाते समय मेरा खयाल डाक्टरों पास करके उस रूपमें जनताकी सेवा करनेका था, लेकिन वे सब हवाई महल ही रहे। इस तरह वह न तो कोई सार्वजनिक कोष था और न कोई धर्मार्थ दान ही।^१ वह सारी राशि सत्याग्रह आन्दोलनके दौरान सार्वजनिक कार्यों और दक्षिण आफ्रिकी जनताके लाभार्थ खर्च की जा चुकी है; परन्तु उस निधिके बारेमें मैं अपनेको जनताके प्रति जिम्मेदार नहीं मान सकता। वैसे यदि एक बच्चा भी चाहे तो मेरे सार्वजनिक कार्योंका हिसाब-किताब आकर देख सकता है।

मुझे ब्रिटिश भारतीय संघके हिसाब-किताबके बारेमें भी आपसे यही कहना है कि उसकी समितिकी हर बैठकमें मैं खर्चका हिसाब पेश करता था। बादमें तो मेरे पास कई चन्दोंका काम आ गया था— भारतीय-विरोधी कानून कोष, सत्याग्रह कोष और बम्बईके कई कोष। मैंने उन सभीका हिसाब-किताब पेश किया था, कुछका हिसाब तो समाचारपत्रोंके स्तम्भोंमें भी प्रकाशित कराया था। उनकी बहियाँ मौजूद हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति, चाहे जब, श्री पोलकके पास जाकर उन चन्दोंके खर्चका ब्यौरा पूछ सकता है। यदि आप लोगोंके मनमें कोई बेजा बात न हो तो आप कभी भी जाकर उन बहियोंकी जाँच कर सकते हैं।

अगला प्रश्न है, हमारी कितनी माँगें मंजूर हुईं। श्री काछलियाके पत्रमें उठाये गये मुद्दे ये थे: विवाहकी समस्या, तीन-पाँड़ी कर, ऑरेंज फ्री स्टेट और केपमें प्रवेशका प्रश्न, मौजूदा कानूनको भारतीयोंकी भावनाओंका ध्यान रखते हुए लागू करना। ये पाँचों माँगें तो मंजूर हो ही गई हैं, इनके सिवा कुछ और भी मिला है। अब सवाल है, व्यवसायियोंको क्या मिला? जो-कुछ समाजको मिला है वही व्यवसायियोंको भी मिला है; उनको तो शायद सबसे अधिक ही मिला है। समस्त दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंकी दृष्टिमें भारतीय समाजने अपना मान बढ़ाया है। जनरल बोथा और अन्य लोग उनको अब कुली नहीं कह सकते। इस शब्दको अपमानजनक मानकर चुपचाप और कारगर तरीकेसे हटा दिया गया है। यदि हमने पिछले आठ वर्ष तक संघर्ष न किया होता तो भारतीयोंका आज किसी आत्म-सम्मानपूर्ण समाजकी हैसियतसे कोई अस्तित्व ही न रह जाता। वे बस्तियोंमें कुलियों और कुत्तोंकी भाँति रहकर ही किसी कदर अपना पेट भरते रह सकते थे। उससे अधिक माँगनेपर उनको कुछ नहीं मिलता। उन्हें न्यायालयोंसे बाहर खदेड़ दिया जाता और उनको अविश्वसनीय करार दिया जाता।

१. ट्रान्सवाल लीडरके समाचारमें ये शब्द भी मिलते हैं: “. . .केवल उनकी फीस थी और उस राशिकी अस्पतालके काममें नहीं लिया गया था. . .।

श्री गांधीने श्रोताओंको बतलाया कि विवाहकी समस्याके बारेमें उनको समझौतेसे क्या लाभ हुआ है।^१ और अन्तमें कहा : मैं समाजकी सेवा करता रहूँगा। यही मेरा धर्म है।^२

१. ट्रान्सवाल लीडरके समाचारमें इस स्थानपर इस सम्बन्धमें गांधीजीके उत्तरका व्यौरा दिया गया है : “मेरी तो अभीतक किसी ऐसे हिन्दूसे बात नहीं हुई जो विवाहके प्रश्नपर सन्तुष्ट न हो। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उनको अपनी माँगसे कुछ अधिक ही मिला है। पोर्ट एलिजावेथके मुकदमेसे पहले, मेरा खयाल था कि एक ही भारतीय पत्नीको मान्यता दी जायेगी, फिर धर्म चाहे जो हो। लेकिन फिर मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि हमें समस्त दक्षिण आफ्रिकामें एक-पत्नी विवाहको बंध बनानेकी माँग सरकारसे करनी चाहिए। इस देशमें बहु-पत्नी विवाहकी समस्या पिछले पचास वर्षोंसे मौजूद है, लेकिन इस समझौतेके सिलसिलेमें केवल एक-पत्नी विवाहका प्रश्न ही उठा था। इस सम्बन्धमें हमारी जो माँग थी वह तो मंजूर हुई ही है, उससे कुछ अधिक भी मिला है और वह यह है कि मजिस्ट्रेटोंको विवाह कानूनी करार देनेकी अनुमति दे दी गई है। बहुपत्नी विवाह किये तो जा सकते हैं पर वे कानूनी नहीं होंगे। वतनी लोग एक ही पत्नी रख सकते हैं। सर विलियम सॉलोमन तो भारतीयोंके लिए भी व्यवस्था करना चाहते थे, लेकिन इसपर मैंने कहा : “नहीं, यदि आप वैसा करेंगे तो हम यही संघर्ष करेंगे।” मैंने कहा कि हम केवल इतना चाहते हैं कि दक्षिण आफ्रिकी सरकार बहु-पत्नी विवाहको सहन करे, भले ही उसे कानूनी न बनाये।

२. इसपर एच० ओ० अलीने अनेक प्रश्न उठाये। वे १९०९ में एक प्रतिनिधि-मण्डलमें गांधीजीके साथ इंग्लैंड गये थे। रैंड डेली मैगज़ीनने उसका समाचार इस प्रकार दिया था : “उचित यही है कि श्री गांधी एक सार्वजनिक सभा बुलायें और उसके सामने समझौतेकी व्यवस्था करें। उनके केप टाउनके भाषणोंमें एक बात मिलती है और डर्बनके भाषणोंमें बिल्कुल दूसरी ही। मेसॉनिक हॉलके भाषणमें श्री गांधीने स्वीकार किया था कि उपनिवेशमें जन्में लोगोंकी समस्या हल नहीं हुई है। समस्याएँ तो कई ऐसी हैं जिनका हल नहीं हुआ, लेकिन जब श्री गांधी यहाँ कहते हैं कि “अन्तिम रूपसे सम्मानपूर्ण समझौता” हो गया है तब कोई भी किस मुँहसे, किस अधिकारके बलपर भविष्यमें जनरल स्मट्ससे कह सकेगा कि कुछ नियोग्यताएँ और कुछ कष्ट ऐसे हैं जिनके भारके नीचे जनता पिसी जा रही है ?

गोखले, साम्राज्यीय सरकार और भारतके बीच तारों और बधाइयोंका आदान-प्रदान हो चुका है। फिर अपनी शेष शिकायतें दूर करवानेके लिए किससे कहा जाये ? मैं चाहता हूँ कि श्री गांधी बतलायें कि आगे चलकर हमारा जीवन किस प्रकारका रहेगा। हमने श्री गांधीपर पूरा भरोसा किया था। मैं स्वयं भी श्री गांधीके प्रशंसकोंमें से एक हूँ। श्री गांधी स्वयं जानते हैं कि मैं उनके एक बड़े भाईकी तरह हूँ, उनसे ईर्ष्या करनेवाला नहीं। श्री गांधी स्वयं भी एक कट्टर देशभक्त हैं और अपने आलोचकोंको उन्होंने यही उत्तर दिया है। परन्तु मैं यह बिल्कुल भी नहीं जानता था कि श्री गोखलेने श्री गांधीको इस आशयका एक तार भेजा था कि समस्त ट्रान्सवालके भारतीयोंके वास्तविक कष्टोंको आयोगके सामने न रखना भूल होगी। मुझे तो अब मालूम हुआ कि श्री गांधीको वैसा एक तार मिला था और उन्होंने भी चारों माँगोंपर समझौता न होनेतक सत्याग्रह जारी रखनेकी शपथके बारेमें बम्बईको एक लम्बा तार भेजनेपर लगभग दो सौ पौंड खर्च किये थे। इस समझौतेके सिलसिलेमें कोई भी समझदार आदमी संघ सरकारसे यह आशा तो नहीं करता कि वह, बहु-पत्नी विवाहोंको कानूनी करार देगी। लेकिन श्री गांधीको यह तो भली-भाँति जानना ही चाहिए कि मुसलमान लोग अपनी कुरान शरीफके एक-एक हर्फसे बंधे हुए हैं, वे उसके खिलाफ नहीं जा सकते, श्री गांधी यह जानते हैं; क्योंकि इसी हॉलसे एक ऐसा सन्देश उनके पास भेजा गया था। उसमें साफ कहा गया था कि विवाहकी समस्याके सिलसिलेमें और चाहे जो करें पर

श्री गांधीने उत्तर देते हुए कहा कि दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे बच्चोंके लिए पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। सोलह वर्षकी अवस्था तक वे पूर्णतः स्वतन्त्र हैं। यदि [इस संघर्षमें] सभी सत्याग्रही काम आ जाते और मैं एक अकेला ही बच रहता तो भी मैं मृत्युपर्यन्त इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिए लगा रहता। आगेके लिए मैं कह ही चुका हूँ कि समझौता इस अर्थमें अन्तिम रूपसे सम्पन्न हो चुका है कि सत्याग्रह समाप्त हो चुका है। मैंने जनरल स्मट्सके नाम अपने पत्रमें^१ वार्ताका द्वार खुला रखा था। समझौता उन माँगोंके बारेमें हुआ है जिनको आगे रखकर हमने सत्याग्रह शुरू किया, संघर्ष किया और कष्टसहन किया था। अन्य किसी भी मुद्देपर यह समझौता लागू नहीं होता और इस समझौतेसे अन्य किसी माँगको समाप्त हुई नहीं मान लेना चाहिए। यह समझौता हमें विशाल जन-सभाएँ करने, उनमें प्रस्ताव पास करने और नया सत्याग्रह शुरू करनेसे तो नहीं रोकता। अन्तर-प्रान्तीय प्रवासके प्रश्नपर तो अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। समझौतेकी शर्तोंमें यह शामिल नहीं था और इसे लेकर प्रचार-आन्दोलन करना भारतीय समाजके लिए औचित्यपूर्ण भी है।

यदि भारतीय समाज इस निष्कर्षपर पहुँचे कि अभीतक उनकी कुछ ऐसी शिकायतें बनी हुई हैं जिनको लेकर फिरसे सत्याग्रह छोड़ना औचित्यपूर्ण होगा, तो वह फिरसे सत्याग्रह छोड़ सकता है। यह समझौता मुझपर या भारतीय समाजपर इस सम्बन्धमें कोई बन्दिश नहीं लगाता। उदाहरणके लिए, फ्री स्टेटका प्रश्न, परवाना कानून, स्वर्ण-कानून और बस्ती-कानून आदिके प्रश्न हैं। परन्तु ऐसा कोई कदम उठानेसे पहले मेरे देशवासियोंको इन विषयोंके सम्बन्धमें यूरोपीयोंको सारी स्थिति भली प्रकार समझा देनी चाहिए। विवाहकी समस्याके क्षेत्रमें यह समझौता कुरान शरीफ द्वारा निश्चित किये गये नियमोंको किंचित् भी भंग नहीं करता। मैं यह मानकर चला हूँ कि हम ईसाई समाजसे कहीं भी आशा नहीं कर सकते कि वह बहु-पत्नी विवाहको कानूनी करार देगा। इसलिए इसमें कोई विवादग्रस्त प्रश्न था ही नहीं। मेरा चौबीसों घंटेका कार्यक्रम

एक-पत्नी विवाहके बारेमें मुसलमानोंकी ओरसे कोई वचन न दें। इसलिए कि वह खुदाके कानूनके खिलाफ होगा। और कुरान शरीफमें कहा गया है कि “खुदाके कानूनके खिलाफ जानेवालेको हमेशाके लिए दोजखकी आगमें डाल दिया जायेगा।” इसलिए वे इस सरकारी कानूनको नहीं मान सकेंगे और इस देशमें अविवाहित ही रहेंगे। केपके १८६० के कानूनको एक भी मुसलमानने स्वीकार नहीं किया था। इसलिए उचित यही है कि श्री गांधी अन्तिम रूपसे एक सम्मानपूर्ण समझौतेकी बात करनेसे पहले एक सार्वजनिक सभा बुलाते। वक्ताने श्री गांधीको चुनौती दी कि वे एक सार्वजनिक सभा बुलाकर उसमें ब्रिटिश भारतीय संघकी कार्यवाहीका विवरण पेश करें। श्री गांधीने १९०९ के सत्याग्रह आन्दोलनके समय कहा था कि वे तबतक लड़ते रहेंगे जबतक कि सभी बच्चे स्वतन्त्र नहीं हो जाते, फिर चाहे उस संघर्षमें वे अकेले ही क्यों न रह जायें।

१. देखिए “पत्र: ६० एम० जॉर्जसको”, पृष्ठ ४२९-३०।

इतना व्यस्त रहा है कि मुझे भोजन तकके लिए समय नहीं मिल पाता था। पिछले कुछ दिनों तो मैंने एक-एक दिन बीस-बीस सार्वजनिक सभाओंमें भाषण किये हैं।^१

हिन्दुस्तानी, गुजराती और तमिल भाषामें अनेक वक्ताओंके बोल चुकनेपर, श्री गांधीने उनका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि उनको जो पत्र मिला है वह उनके खयालमें भुसलमान जनताके विचारोंका प्रतिनिधित्व नहीं करता। यदि वे सभा बुलाना चाहते हैं तो उनका कर्त्तव्य है कि वे सभा आयोजित करें और मुझे भी उसमें बुलाएँ। १,२०० पाँडकी राशिके बारेमें श्री गांधीने कहा कि 'इंडियन ओपिनियन' तो सभी भारतीयोंकी सार्वजनिक सम्पत्ति है—वह केवल नामके लिए उनके नाममें पंजीयन कराया गया है। वह राशि जनताकी ओरसे खर्च की गई है और उन्होंने उसका हिसाब रखा है और उसे प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि वे लोग चाहें तो श्री पोलकके पास जाकर उसके खर्चका व्यौरा मालूम कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय उद्देश्यके लिए श्री पोलकके कार्य और आत्म-त्यागकी सराहना की। वे (श्री पोलक) ब्रिटिश भारतीय संघके मन्त्री होंगे। श्री पोलक सत्याग्रह-कोषसे अपने निर्वाहका खर्च अवश्य लेते रहे हैं, लेकिन सत्याग्रह-कोषमें उन्होंने स्वयं तो अपना सर्वस्व दे दिया है।

[अंग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल, १६-७-१९१४

३७२. भाषण : तमिल समाजकी सभामें^२

जोहानिसबर्ग

जुलाई १५, १९१४

श्री गांधीने कहा कि अपने तमिल भाइयों और बहनोंसे मिलनेके लिए आनेमें मुझे ऐसा लगता है मानो मैं अपने सगे-सम्बन्धियोंसे मिलने आया हूँ। पिछले अनेक वर्षोंसे मुझे ऐसा ही लगता रहा है। और इसका कारण सीधा-सादा है। मेरी समझमें भारतीय समाजके विभिन्न वर्गोंमें से संघर्षका सीधा प्रहार तमिल भाइयोंने ही सहा है। सत्याग्रहकी

१. इतना बोल चुकने पर, गांधीजीसे कुछ और भी प्रश्न पूछे गये थे। ट्रान्सवाल लीडरके समाचारके अनुसार : “श्री स्ट्रेटने श्री गांधीसे पूछा कि वे भारतीयोंके प्रतिनिधित्वका दावा कैसे करते हैं जबकि हमीदिया इस्लामिया अंजुमन और हमदाद अंजुमनने ३१ मार्चको एक प्रस्ताव पास करके कहा था कि उनको और उनके मित्रोंको उनकी ओरसे कोई कदम उठानेका हक नहीं है? इन दोनों संस्थाओंने जान-बूझकर उनको अपना प्रतिनिधि माननेसे इनकार किया है। और श्री गांधीने जब सत्याग्रह आन्दोलनके लिए कुछ चन्दा लिया है, तो उनको ही उसका हिसाब पेश करना चाहिए। हबीब मोटनने श्री गांधीसे पूछा कि क्या उन्होंने फीनिक्सके एक समाचारपत्रके लिए १,२०० पाँड नहीं लिये थे ?

२. गांधीजीने तमिल समाजके सदस्योंकी एक सभामें भाषण किया था। सभामें श्रीमती कस्तूरबा, कुमारी श्लेसिन, बहुत बड़ी संख्यामें महिलाएँ और यूरोपीय उपस्थित थे। सभाकी अध्यक्षता श्री थम्बी नायडू कर रहे थे।

लड़ाईमें सबसे अधिक संख्यामें मौतें तमिल-समाजमें ही हुईं। आज ही सुबह हम एक बहन और एक भाईके स्मारकका अनावरण करनेके लिए गये थे। वे दोनों तमिल थे। नारायण सामीकी अस्थियाँ डेलागोआ-बेमें पड़ी हैं। वे भी तमिल ही थे। निर्वासित किये गये लोग भी तमिल थे। लड़ाईमें सबसे अन्ततक लड़नेवाले और सबके बाद जेलसे छूटनेवाले भी तमिल ही थे। जो फेरीवाले बरबाद हो गये वे भी सब तमिल ही थे। टॉल्स्टॉय फार्मपर रहनेवाले सत्याग्रहियोंमें से अधिकांश तमिल हैं। श्री गांधीने कहा, इस तरह तमिलोंने सिद्ध कर दिया है कि वे हर क्षेत्रमें उत्तमोत्तम भारतीय परम्पराओंके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मेरे इस कथनमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है। ईश्वरमें और सत्यमें तमिल भाइयोंकी विपुल श्रद्धा ही संघर्षके इन लम्बे वर्षोंमें भारतीयोंको टिकाये रखनेवाली एक मुख्य शक्ति रही है। जेल जानेवाली बहनोंमें भी अधिकतर तमिल रही हैं। और गिरफ्तार करनेके लिए आनेवाले अधिकारियोंकी परवाह न करके न्यू कैसिलकी बारकोंमें और घर-घर जाकर मजदूरोंको काम छोड़ कर हड़तालके लिए समझानेके लिए जानेवाली बहनों कौन थीं? वे भी तमिल ही थीं। एक पौंड पावरोटी और एक औंस (ढाई तोला) चीनी खाकर कौन रहे? ये भी ज्यादातर तमिल ही थे। यद्यपि यहाँ न्यायके खातिर मुझे उन भाइयोंकी भी तारीफ करनी चाहिए जो कलकत्तावाले कहे जाते हैं। आखिरी लड़ाईमें इन्होंने भी अच्छा भाग लिया था। परन्तु मैं उसे तमिलोंके जितना अच्छा नहीं कह सकता। हाँ, साहस उनका भी लगभग वैसा ही रहा जैसा कि तमिल भाइयोंका। परन्तु यह नहीं भुलाया जा सकता कि तमिल भाई पिछले आठ वर्षसे लगातार लड़ते रहे हैं और उन्होंने शुरूसे ही बता दिया कि वे किस धातुके बने हुए हैं। यहाँ जोहानिसबर्गमें तो उनकी संख्या बहुत कम है। परन्तु फिर भी मेरा खयाल है जो लोग बार-बार जेल गये उनमें सबसे अधिक संख्या तमिलोंकी ही है। अगर जेल जानेवालोंकी कुल संख्या जानना चाहें तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या तमिलोंकी ही मिलेगी। इसीलिए तो जब मैं किसी तमिल सभामें जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मानों मैं अपने सगे-सम्बन्धियोंके बीच ही आया हूँ। तमिलोंने इतनी अधिक हिम्मत, इतनी श्रद्धा, इतनी कर्तव्यनिष्ठा और इतनी महान् सादगी दिखाई है, और फिर भी उनमें यशका कोई लोभ नहीं है। मैं तो उनकी भाषा भी नहीं बोलता, हालाँकि चाहता बहुत हूँ, और फिर भी वे (तमिल तो) लड़ाईमें डटे ही रहे हैं। यह सारा अनुभव ऐसा भव्य और अमूल्य है कि जिसकी याद मैं सदैव संजो कर रखूँगा। अब ऐसे लोगोंको मैं समझौता किस प्रकार समझाऊँ? वे तो समझौता चाहते ही नहीं हैं। किन्तु अगर समझाना ही है तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि तमिल भाई और उनके प्रियजन जिस चीजके लिए लड़े हैं वह प्राप्त हो गई है। और वह प्राप्त हुई है उस चरित्र-बलसे जो उन्होंने प्रदर्शित किया है। और इतना सब करनेपर भी तमिल भाइयोंको कोई पुरस्कार पानेकी कभी कोई इच्छा नहीं

१. देखिए “श्रद्धांजलि: सत्याग्रही शहीदोंको”, पृष्ठ ४७७-७९।

रही। वे तो सिर्फ अपने अन्तःकरण द्वारा दिया गया पुरस्कार चाहते थे। दक्षिण आफ्रिकामें जन्म पानेके नाते केप-प्रान्तमें प्रवेश पानेके अधिकारके लिए वे लड़े हैं। यह अधिकार उन्हें मिल गया है। कानूनोंके न्याययुक्त अमलके लिए वे लड़े। वह भी उन्हें मिल गया है। फ्री-स्टेटके कानूनमें से जातीय भेदको हटानेके लिए वे लड़े। वह भी वे पा गये हैं। तीन-पौंडी कर तो अब भूतकालकी वस्तु बन ही गया है। और विवाहके प्रश्नके बारेमें जो प्यारी बहनें जेलमें गई थीं वे सब अब अपने पतियोंकी ही पत्नियाँ कहला सकेंगी; जब कि कल तक [यूरोपीय] मित्र केवल शिष्टाचारके खातिर उन्हें ऐसा कह सकते थे, परन्तु कानूनके अन्दर वे पत्नियाँ नहीं मानी जाती थीं। लड़ाईके उद्देश्योंमें से यह भी एक था और उसमें सफलता मिली। तमिल भाई सत्यके लिए लड़ रहे थे और सत्यकी विजय हुई है—मेरी या उनकी नहीं। कलको वे चाहें तो एक असत् उद्देश्यके लिए भी लड़ सकते हैं, परन्तु उसमें उनकी निश्चय ही हार, और करारी हार होगी। सत्य अजेय है। और जब-जब भी उसके लिए लड़नेका निमन्त्रण मिलेगा, मुझे आशा है कि तमिल भाई अवश्य ही दौड़ पड़ेंगे। एक बात और है। कौमके हर भागकी तरह उनके अन्दर भी कभी-कभी ईर्ष्याकी भावना दिख जाती है। ये तुच्छ राग-द्वेष लड़ाईसे सम्बन्धित नहीं, दूसरी बातोंसे सम्बन्धित हैं जिनका लड़ाईसे कोई वास्ता नहीं है। मुझे आशा है कि ये सब ईर्ष्या-द्वेष और मतभेद दूर हो जायेंगे और वे अपनी और उन दूसरोंकी नजरोंमें भी, जो उन्हें तथा उनके चरित्रकी गहराईको जानने लगे हैं, और ऊपर उठ जायेंगे। अन्य भारतीयोंकी भाँति तमिलोंमें ईर्ष्या-द्वेष ही नहीं, स्वार्थ-भरे छोटे-छोटे आपसी झगड़े भी हैं। मैं चाहता हूँ कि वे उन्हें विशेष रूपसे अपने बीचसे निकालकर बाहर कर दें। क्योंकि उन्होंने अपने आपको मातृभूमिके लिए समर्पित करनेमें इतना अधिक योग्य साबित किया है। और भारतकी सेवाकी शिक्षा पानेके लिए अपने चार पुत्रोंको समर्पित करनेवाले भी तो एक तमिल गृहस्थी ही हैं।^१ मुझे विश्वास है कि श्री और श्रीमती नायडू अच्छी तरह जानते हैं कि वे कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वे सारे जीवन-भरके लिए अपने इन बच्चोंपर से अपना अधिकार छोड़ रहे हैं। और ये बच्चे भी अपने माता-पिताकी आर्थिक दशा सुधारनेके लिए सम्भवतः कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्हें तो सदा भारतके सेवक ही बनकर रहना है। यह कोई हँसी-खेल नहीं है। फिर भी श्री और श्रीमती नायडूने यह बड़ा काम किया है। श्री गांधीने कहा, मेरी सबसे बड़ी अपील तो यह है कि सभी वर्गों और भागोंके भारतीयोंको अपने आपसी लड़ाई-झगड़े और ईर्ष्या-द्वेष बिलकुल छोड़ देने चाहिए। इसी प्रकार जब कभी वे किसीको अपना सभापति या अध्यक्ष चुनें तो उनको सभापतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिए तथा उनका अनुसरण करना चाहिए और कभी इसकी और कभी उसकी बातोंपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर वे दूसरोंके कहनेमें लग जायेंगे तो अपनी उपयोगिता बहुत घटा लेंगे। अगर उनकी जगह उनके

१. देखिए “भाषण : विदाई-भोजमें”, पृष्ठ ४६४ ।

कामका लाभ कोई दूसरा उठा ले जाये तो उन्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। अगर वे पार्थिव पुरस्कारकी इच्छा नहीं रखेंगे तो उनको और भी अधिक लाभ होगा। सच्चा सत्याग्रही तो भौतिक पुरस्कारका खयाल भी नहीं करता। भौतिक वैभवकी उन्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिए बल्कि सदा अपने सामने ऊँचे आदर्श रखने चाहिए। वे इस तरह रहेंगे तभी समाजमें एक ऐसे सुमनका काम कर सकेंगे जिससे सारा समाज सुवासित हो उठेगा और उसे इतना ऊँचा उठा सकेंगे कि लोग उसका अनुकरण करनेकी इच्छा करें। यह विशेषाधिकार निःसन्देह उनका ही प्राप्य है, और इसके लिए उनके पास समय भी है। अगर वे इस समयका अच्छा उपयोग कर सकें तो वह समस्त दक्षिण आफ्रिकाके लिए और खुद उनके लिए भी एक शानदार चीज होगी। श्री गांधीने कहा, भारत पहुँचनेपर जब कभी मैं यह सुनूँगा कि जिन छोटी-छोटी बातोंकी तरफ मैंने ध्यान दिलाया है उन्हें भारतीय समाजने छोड़ दिया है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक बात और। मद्रासके बारेमें मुझे कुछ जानकारी है और मैं जानता हूँ कि वहाँ जात-पाँतका भेदभाव कितना तीव्र है। मुझे लगता है कि यहाँ आनेपर भी इन भेद-भावोंको यदि वे कायम रखेंगे तो उनका दक्षिण आफ्रिका आना व्यर्थ ही साबित होगा। जाति-प्रथाकी अपनी उपयोगिताएँ हैं परन्तु उसे यहाँ चिपकाये रखना तो उसका दुरुपयोग ही है। अगर जातीय भेदभावोंको वे बेवकूफीकी हदतक खींचे, एक दूसरेको ऊँच-नीच कहने लगें तो इससे हमारा नाश ही होगा। याद रखना चाहिए कि न तो कोई ऊँचा और न कोई नीचा, बल्कि सब भारतीय हैं, सब तमिल हैं। तमिलका नाम तो केवल उदाहरणके लिए लिया। यों तो यह बात सारे भारतीय समाजपर लागू होती है। लेकिन उनपर सबसे ज्यादा लागू होती है, क्योंकि उन्हींसे सबसे ज्यादा आशा की जाती है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९१४

३७३. भाषण : प्रिटोरियामें^२

जुलाई १६, १९१४

श्री गांधीने जवाब देते हुए श्री स्टेंटके अध्यक्ष पद स्वीकार करनेपर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि श्री स्टेंटने जिस ढंगसे हमारे उद्देश्यकी वकालत की है उससे स्पष्ट है कि इस पदके लिए उनसे अधिक उपयुक्त कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता था। जब मैं पहले प्रिटोरिया आया तो मैंने 'प्रिटोरिया न्यूज'में अपने उद्देश्यके समर्थनमें टिप्पणियाँ देखीं। मैंने पूछताछ की, तो मुझे बताया गया कि श्री स्टेंट एक नीग्रो-प्रेमी हैं जो प्रायः बहुत बड़ा व्यक्तिगत खतरा मोल लेकर काम करते रहते हैं और

१. गांधीजीके बाद सर्वश्री कौलेनबैक, पोलक, पी० के० नायडू और थम्बी नायडूने भी भाषण किया

२. गांधीजी सुबह ८ बजे मोटरसे प्रिटोरिया पहुँचे। भारतीय बस्तीमें उन्हें एक अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया। श्री चैमने, स्टेंट, हाजी हबीब और कई अन्य लोगोंने गांधीजीकी प्रशंसामें कुछ शब्द कहे।

आम जनता जानती तक नहीं है। श्री स्टॅटने हमारे उद्देश्यकी बराबर वकालत की है और मैं व्यक्तिगत रूपसे उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। श्री चैमने जो भावनाएँ प्रकट की हैं मेरी भी वही भावनाएँ हैं। निश्चय ही मैंने श्री चैमने और उनके कार्यालयके प्रबन्धकोंका विरोध किया; परन्तु इसमें कोई व्यक्तिगत दुर्भाव मेरी ओरसे नहीं रहा और श्री चैमनेने भी हमेशा मेरे साथ शिष्टसे-शिष्ट व्यवहार किया। उस समय जब मैं २,००० आदमी और औरतोंका नेतृत्व कर रहा था, श्री चैमने केवल एक आदमीके साथ मुझे गिरफ्तार करने आये। इससे उनका मेरे प्रति जो आदर प्रकट हुआ, मैं उसकी कद्र करता हूँ। इससे यह जाहिर होता है कि एक सत्याग्रहीके रूपमें श्री चैमने मुझपर कितना विश्वास करते हैं। मैं चन्देकी थैलीके लिए धन्यवाद देता हूँ। इसकी सारी निधिका उपयोग अन्य थैलियोंसे प्राप्त रकमकी भाँति, मेरे किसी कामके लिए नहीं होगा बल्कि, दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके हितोंको आगे बढ़ानेके लिए और आवश्यकता हुई तो भारतमें किसी कामके लिए होगा जिसे मैं करना चाहूँ और जो हमें अपने बीच हुई चर्चाओंमें उचित जान पड़ा हो। वे जिन यूरोपीय मित्रोंको छोड़कर जा रहे थे, उनके बारेमें उन्होंने प्रेमभरे शब्द कहे, और कहा कि अपने स्मरणीय कूचके समय मुझे यूरोपीयोंसे बहुत हमदर्दी और प्रोत्साहन मिला; और इसी कारणसे उस कूचने मुझे दक्षिण आफ्रिकाको पहलेसे भी अधिक प्यार करनेके लिए प्रेरित किया। इसी अवधिमें मुझे यह ज्ञात हुआ है कि यद्यपि दक्षिण आफ्रिका एक ऐसा देश है जिसपर अधिकतर भौतिकवाद छाया हुआ है, फिर भी निराशाकी कोई बात नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि जो समझौता हुआ है वह एक तरहका अधिकार-पत्र (मैग्ना कार्टा) है। वह इस खयालसे कोई अन्तिम समझौता नहीं है कि अब कोई बुराइयाँ ही नहीं बची हों। हमें धैर्यसे काम लेना है और यूरोपीयोंकी राय ऐसी बनानी है कि शेष बुराइयाँ भी दूर की जा सकें। श्री स्टॅट-जैसे लोग हमारे प्रति जैसी सहानुभूति रखते हैं, हमें वह बनाये रखनी है। श्री गांधीने सत्याग्रहकी महान् शक्तिके बारेमें कहा और आशा व्यक्त की कि शायद उसे दुबारा प्रयोगमें लानेकी जरूरत न पड़े। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीतिको धर्मसे अलग नहीं कर सकते; उनके लेखे वे दोनों चीजें एक हैं। उन्होंने भारतीय उद्देश्यकी प्राप्तिमें कुमारी श्लेसिन द्वारा किये कामकी जोरदार शब्दोंमें सराहना की।'

[अंग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल, १७-७-१९१४

१. इसके बाद गांधीजी हिन्दीमें बोले और समाजके नेताओंके साथ एक बैठकके बाद, जोहानिसबर्गके लिए चल दिये।

३७४. भाषण : गुजरातियोंकी सभामें^१

जोहानिसबर्ग

जुलाई १६, १९१४

मेरे गुजराती बन्धुओंने मेरी और श्रीमती गांधीकी बहुत सेवा की है। परन्तु इतना तो मुझे कहना पड़ता है कि हमारे संघर्षमें जैसी सेवा तमिल लोगोंने की वैसी गुजराती बन्धु नहीं कर सके। मुझे उम्मीद है कि [इस दिशामें] गुजराती बन्धु तमिल समाजसे सबक लेंगे। मैं तो तमिल लोगोंकी भाषा भी नहीं जानता पर तो भी उन्होंने संघर्षमें मुझे बड़ी भारी मदद की है। चूंकि मैं गुजराती समझता हूँ अतः मैं अपनी बात गुजराती बन्धुओंको सबसे अधिक और सुगमतापूर्वक समझा सकता हूँ। फिर भी गुजराती बन्धु अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर पाये। वे तो पैसेके पीछे पड़े हैं। यह जानकर तो मुझे और भी दुःख है कि कुछ लोगोंको शराबकी लत लग गई है। मुझे उनपर दया आती है। हममें जो समझदार हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि वे ऐसे लोगोंका इस बुरी आदतसे उद्धार करें। कुछ लोग सोनेका तस्कर व्यापार करते हैं। उनका खयाल है कि ऐसा करनेसे अपने देशमें पैसा जाता है। परन्तु अधर्म द्वारा कमाया हुआ पैसा कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता। मैं यद्यपि अभी ऐसी स्थिति तक नहीं पहुँचा हूँ कि पैसेकी सहायता न माँगूँ पर यदि इस स्थिति तक पहुँच पाऊँ तो खास तौरसे ऐसे धनकी सहायता कभी स्वीकार न करूँ जो अन्यायसे कमाया गया हो। आप लोगोंको लगता होगा कि मैं जब कभी आपसे कुछ कहता हूँ मेरे शब्द सख्त ही होते हैं। पर मेरे ये कड़वे बोल आपके लिए अन्तमें मीठा फल देंगे। मैं आप लोगोंसे दूर—मातृ-भूमिको जा रहा हूँ परन्तु आप लोगोंका स्नेह मैं कभी भी भुला नहीं सकूँगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९१४

३७५. कानूनी स्थिति

[जुलाई १८, १९१४ के पूर्व]^२

तीन-पौंडी करके हटाये जानेके कारण यह आशंका हो गई है कि इससे वे भारतीय जिनपर इसका असर पड़ा है, निषिद्ध प्रवासी बन जायेंगे और इस कारण उनकी स्थिति पहलेसे बदतर हो जायगी। इसीलिए हमारा वास्तविक कानूनी स्थितिपर विचार करना उपयुक्त होगा। क्योंकि, यदि यह सच है कि हर करके हटाये जानेपर वे निषिद्ध

१. गांधीजी और कस्तूरबाको विदा देनेके लिए जोहानिसबर्गमें गुजरातियोंकी यह सभा हुई थी।

२. जाहिर है कि यह लेख १८ जुलाईसे पहले उस समय लिखा गया था जब गांधीजीने इंग्लैंड छोटे हुए भारत जानेके लिए प्रस्थान किया था।

प्रवासी बन जाते हैं तो गृह-सचिवने गांधीजीको जो पत्र^१ लिखा है उसके पैरा २ का पहला ही वाक्य जिसमें ऐसे भारतीयोंको मुक्ति-पत्र (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) जारी करनेकी व्यवस्था होती है, 'नेटाल मर्क्युरी' के कथनानुसार, उस श्रेणीसे उन्हें अलग नहीं करता। वह धारा, जैसा कि 'मर्क्युरी' शायद हमें विश्वास दिलाये, इस उद्देश्यसे नहीं जोड़ी गई थी कि इन गरीब लोगोंको अधिवासका अधिकार उपलब्ध हो। वह तो महज इसीलिए जोड़ी गई थी कि ये लोग पुलिसकी तंग करनेवाली पूछताछसे मुक्त होकर प्रान्तमें घूम-फिर सकें तथा पार-पत्र न होनेके कारण गिरफ्तारीसे बच सकें। अब 'मर्क्युरी' का तर्क यह है कि यदि ये लोग कर नहीं देते तो अपने अनुबन्धकी दो अन्य शर्तोंमें से एकको पूरी करें, अर्थात् या तो ये फिर गिरमिटमें बँध जायें या भारत लौट जायें। यदि ये इन दोनोंमें से एक भी शर्त पूरी नहीं करते तो यह दलील दी जाती है कि वे पिछले वर्षके प्रवासी विनियमन अधिनियमके खण्ड ३० के अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासी घोषित किये जा सकते हैं। उक्त खण्ड उन लोगोंको, जिन्होंने संघमें कुछ शर्तोंके साथ निवासके लिए प्रवेश किया हो, निषिद्ध प्रवासी घोषित करके 'अधिवास' शब्दकी व्याख्या करता है। यदि उपर्युक्त तर्क ठीक होते तो जिन भारतीयोंने वर्षोंसे कर नहीं दिया वे सब प्रवासी विनियमन अधिनियमके पास होने पर तुरन्त ही निषिद्ध प्रवासी घोषित किये जा सकते थे और प्रान्तसे बाहर खदेड़े जा सकते थे। परन्तु ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुबारा गिरमिटकी या वापस लौट जानेकी शर्त रखनेवाले अनुबन्ध प्रवासी न्यास निकायके साथ होते हैं जो एक गैर-सरकारी संस्था है। कानूनका यह एक सुविदित सिद्धान्त है कि जो अनुबन्ध सार्वजनिक नैतिकताके प्रतिकूल हैं या जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगाते हैं, वे अवैध हैं। इसलिए वापस लौट जानेवाली धारा सार्वजनिक नैतिकताके प्रतिकूल होने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगानेके कारण अवैध है, और उसे कानूनके अनुसार वैध और प्रभावशाली बनानेके लिए एक विशेष संविधि (स्टेट्यूट) की आवश्यकता होगी। नेटालकी पिछली सरकारने यही तो कोशिश की थी किन्तु वह भारत सरकारसे ऐसा करानेमें असफल रही; और तत्कालीन भारत सरकार केवल एक यह चीज करनेको राजी हुई कि जो व्यक्ति वापस न लौटें वे कर देनेके लिए बाध्य होंगे। वैसे यह बात भी गलत और शर्मनाक थी। अतएव करके हटा लिये जाने-पर स्वदेश भेजे जाने या दुबारा गिरमिटमें बँधनेकी धारा प्रभावहीन और निरर्थक हो जाती है। कानूनका एक और सिद्धान्त कि कोई भी संविधि, जो जनतापर डाले गये दायित्वके पूरे न किये जानेपर दण्डका विधान नहीं करती उस दायित्वको पूरा करानेके लिए जनताको बाध्य भी नहीं कर सकती। इसी बातको ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयने एक मामलेमें, जो कि १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत चलाया गया था, स्पष्ट रूपसे निर्धारित किया था। उक्त कानूनके अनुसार भारतीयोंको बस्तियोंमें रहना चाहिए। यदि वे उस तरह बस्तियोंमें नहीं रहते तो इसके लिए उक्त कानूनमें किसी दण्डका विधान नहीं है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालयने यह माना है कि भारतीयोंको बस्तियोंमें रहनेके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और वह स्थिति ज्योंकी-त्यों

१. देखिए परिशिष्ट २६।

बनी है, तथा उल्लिखित खण्डके बावजूद, भारतीय ट्रान्सवालमें जहाँ चाहें वहाँ रहते हैं। इसलिए यह बिलकुल स्पष्ट है कि जहाँतक कानूनी पहलूका सम्बन्ध है, वे भारतीय जिनपर कर रद होनेका असर पड़ा है, हूबहू उसी स्थितिमें हैं जिसमें कि वे लोग हैं जो १८९१ के कानून २५ के अन्तर्गत आये थे। इसके अलावा यह तथ्य भी है कि स्वयं आयोगने, जिसमें तीन ख्यातिप्राप्त वकील थे, १८९५ के इस विवादास्पद कानूनके छठे खण्डको रद करनेकी सिफारिश की और इस कानूनके अन्तर्गत आनेवाले लोगोंको उसी स्थितिमें रखनेके लिए जिसमें कि १८९१ के कानून २५ के अन्तर्गत आनेवाले लोग हैं, इसे रद करना ही पर्याप्त समझा। भारत सरकार और साम्राज्य-सरकारकी भी वही राय है जो आयोगकी है और उन्होंने स्पष्ट रूपसे यही समझा है कि कर रद होनेके बाद उन लोगोंको अपने-अपने वर्तमान गिरमिटकी अवधि पूरी कर लेनेपर प्रान्तमें बसनेकी स्वतन्त्रता होगी और संघ सरकारने स्वयं यह घोषणा की है कि वह भी कानूनका यही अर्थ लगाती है। इन सब बातोंको ध्यानमें रखते हुए हमें शंका करनेका कोई कारण नजर नहीं आता। 'मर्क्युरी' ने आगे सुझाव दिया है कि संघ सरकारका आश्वासन पर्याप्त भले ही हो, किन्तु यदि उसपर आधारित कानूनी अर्थ सही हुआ और हर्टसॉंग प्रधानमंत्री बन गये तो उस आश्वासनका कोई मूल्य नहीं होगा। भारतीय प्रश्नपर जनरल हर्टसॉंगकी चाहे जो भी नीति हो हम इस आशंकामें शामिल नहीं हो सकते। एक संविधानिक राज्यमें जैसा कि दक्षिण आफ्रिकी संघ है, जनरल हर्टसॉंग उस वादेसे बँधे होंगे जो उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रीने तीसरे पक्षसे किया है। वे नीति बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं, परन्तु अपने पूर्ववर्ती पदाधिकारियोंके तीसरे पक्षके लिये दिये गये वादेको नहीं तोड़ सकते और वे ऐसा करनेका साहस भी नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा कर सके तो यह स्पष्ट है कि सरकारका ही अन्त हो जाता है और जहाँ भी उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल है वहाँ जनता सरकारके साथ किसी भी आश्वासनके बावजूद सरोकार नहीं रख सकती। अन्तमें हमारे देशभाइयोंको भविष्यके सम्बन्धमें कोई भी भय करनेकी जरूरत नहीं है। होनेको तो बहुत-सी बातें हो सकती हैं; किन्तु उनके होनेकी सम्भावना बहुत ही कम है। सम्भव है, सर्वोच्च न्यायालय कानूनका वैसा ही अर्थ निकाले जैसा कि 'मर्क्युरी' ने निकाला है। यद्यपि यह नितान्त असम्भव है फिर भी हो सकता है कि भावी सरकार या मौजूदा सरकार भी जान-बूझकर किये गये वादेको तोड़े। निश्चय ही इन परिस्थितियोंमें विशुद्ध आत्मासे और संसारके सामने पूरे औचित्यके साथ भारतीय इसी दुर्दमनीय अस्त्र — सत्याग्रहका प्रयोग कर सकते हैं, जैसा उन्होंने अबतक किया है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९१४

३७६. विदाईका पत्र^१

[केप टाउन
जुलाई १८, १९१४]

भारत रवाना होते समय, मैं दक्षिण आफ्रिकाके अपने देशभाइयोंसे, यूरोपीय समाजसे भी, चन्द शब्द कहना चाहता हूँ। यूरोपीय और भारतीय मित्रोंने अपनी कृपासे जिस प्रकार मुझे अभिभूत कर दिया है उसके कारण मैं उनका ऋणी होकर भारत जा रहा हूँ। भारतमें रहकर जो-कुछ सेवा वहाँ मुझसे हो सकेगी उसे करके, मैं इस ऋणको चुकानेका यत्न करूँगा, और यदि दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय समस्याके बारेमें बोलते हुए मुझे उन अन्यायोंका जिक्र करना पड़ा जो मेरे देशबन्धुओंके साथ यहाँ हुए हैं या आगे होंगे तो मैं वादा करता हूँ कि जान-बूझकर उसमें अतिशयोक्ति नहीं करूँगा और सत्यका ही बयान करूँगा—सत्यके अतिरिक्त और कुछ नहीं करूँगा।

समझौते और उसके अर्थके बारेमें भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। मेरी तुच्छ सम्मतिमें यह इस देशमें हमारी स्वतन्त्रताका अधिकार पत्र^२ (मैग्ना कार्टा) है। मैं इसे यह ऐतिहासिक नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि इसने हमें कोई ऐसे अधिकार दिये हैं जिनका हमने कभी भोग नहीं किया है, या जो स्वयंमें नये और महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि यह आठ वर्षके ऐसे निरन्तर कष्ट-सहनके बाद प्राप्त हुआ है जिसमें भौतिक सम्पत्ति तथा मूल्यवान प्राणोंकी हानि उठानी पड़ी है। मैं इसे 'मैग्ना कार्टा' इसलिए कहता हूँ कि यह हमारे प्रति सरकारकी नीतिमें परिवर्तनकी सूचना देता है, और हमें प्रभावित करनेवाले मामलोंमें न केवल हमारी सलाह लेने बल्कि हमारी विवेक-सम्मत आकांक्षाओंका आदर किये जानेके हमारे अधिकारकी स्थापना करता है। इसके अलावा वह ब्रिटिश संविधानके इस सिद्धान्तकी भी पुष्टि करता है कि सम्राट्की विविध प्रजाओंके बीच कानूनी तौरपर कोई जातिगत असमानता नहीं होनी चाहिए फिर चाहे स्थानीय परिस्थितियोंके अनुसार इसके अमलमें कितनी भी विविधता क्यों न पाई जाये। इस सबसे बढ़कर इस समझौतेको हमारा 'मैग्ना कार्टा' इसलिए कहा जाना चाहिए कि इसने सत्याग्रहको एक कानून-सम्मत स्वच्छ अस्त्रके रूपमें प्रमाणित कर दिया है, और समाजको सत्याग्रहकी शकलमें एक नई शक्ति दी है; और मैं इसे उस मताधिकारकी अपेक्षा कहीं ऊँची शक्ति मानता हूँ जिसे इतिहासमें अक्सर ही, प्रायः स्वयं मतदाताओंके ही विरुद्ध काममें लाया गया है।

समझौता अन्तिम रूपसे उन सब बातोंका निबटारा कर देता है, जिनको लेकर सत्याग्रह किया गया था, और ऐसा करके उसने न्याय और औचित्यकी भावनाको

१. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके और यूरोपीयोंके नाम लिखा गया यह पत्र गांधीजीने केप टाउनमें रायटरके जरिये प्रकाशित कराया। यह पत्र रैंड डेली मेलके २०-७-१९१४के अंकमें और ट्रान्सवाल लीडरके २४-७-१९१५के अंकमें भी प्रकाशित हुआ था।

प्रकट किया है। यदि उसी भावनासे वर्तमान कानूनोंका अमल किया गया तो मेरे देशबन्धुओंको पहलेकी अपेक्षा अधिक शान्ति मिलेगी और दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय समस्याके ऐसे उग्र रूपके दर्शन नहीं होंगे।

मेरे कुछ देशभाइयोंने समझौतेका विरोध किया है। इन विरोधियोंकी संख्या बहुत कम है, और, प्रभावकी दृष्टिसे, वे बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। जो-कुछ दिया गया है वे उसका विरोध नहीं करते बल्कि उनकी आपत्ति यह है कि इतना पर्याप्त नहीं है। इसलिए उनके साथ सहानुभूति न हो, यह तो असम्भव है। मुझे उनसे बातें करनका अवसर मिला है और मैंने यह बतानेकी चेष्टा की है कि यदि हम इससे ज्यादा कुछ माँगते, तो पिछले सालके अन्तमें ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे श्री काछलियाने सरकारको पत्र लिखकर जो-कुछ निवेदन किया था उसका भंग होता और तब हमपर यह आरोप लगाया जा सकता था कि हम नई माँगे पेश कर रहे हैं।

किन्तु मैंने उनको यह भी विश्वास दिलाया है कि वर्तमान समझौता उन्हें उन अन्य शिकायतोंको दूर करनेके लिए आन्दोलन करनेसे नहीं रोकता (जैसा कि पिछली १६ तारीखको लिखे अपने एक पत्रमें मैंने गृह-सचिवको स्पष्ट भी कर दिया है) जिनके कारण, स्वर्ण-कानून, कस्बा-अधिनियम, ट्रान्सवालके १८८५ के कानून तथा नेटाल तथा केपके व्यापारिक परवाना कानूनोंके अन्तर्गत, इस सुधारके बाद भी, हमारा समाज कष्ट पाता रहेगा। जनरल स्मट्सने मौजूदा कानूनोंपर न्यायपूर्वक और निहित हितोंका ध्यान रखते हुए अमल करनेका जो वादा किया है उससे हमारे समाजको जरा सांस लेनेका मौका मिल गया है। किन्तु ये कानून स्वयं अपनेमें ही त्रुटिपूर्ण हैं और उनको उत्पीड़नके यंत्र-रूपमें प्रयुक्त किया जा सकता है; जैसा कि पहले किया भी जाता रहा है। उन्हें अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा ऐसे अस्त्रोंके रूपमें परिवर्तित किया जा सकता है जिससे दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीय निकाल बाहर किये जायँ। हमने नये प्रवासियोंके आब्रजनका प्रशासनिक उपायों द्वारा प्रायः पूर्ण निषेध किया जाना तथा सारी राजनीतिक शक्तिसे स्वयंका च्युत किया जाना स्वीकार करके जन-विद्वेषकी भावनाका आदर किया है; हमसे इससे अधिककी आशा नहीं की जानी चाहिए। दोनों बातें निश्चित हो जानेके बाद, मैं यह निवेदन करनेका साहस करता हूँ कि हम निकट भविष्यमें व्यापार, अन्तर-प्रान्तीय आवागमन तथा भू-सम्पत्तिपर स्वामित्वके पूर्ण अधिकार पानेके हकदार हैं। मैं इस आशाके साथ दक्षिण आफ्रिका छोड़ रहा हूँ कि आज दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय समाजमें जो स्वस्थ प्रवृत्ति फैल रही है वह बनी रहेगी और इसके कारण यूरोपीयोंको हमारे निवेदनकी न्यायसंगतता स्वीकार करनेमें मदद मिलेगी। गत एक पखवारेमें मैंने जिन विविध सभाओंमें भाषण किये हैं उनमें से कई सभाओंमें हजारों आदमी रहे हैं। अपने भाषणोंमें मैंने देशभाइयोंसे कहा है—“समझौतेका पोषण करो। देखो कि जो वादे किये गये हैं, उनका पालन किया जा रहा है। अन्दरसे वृद्धि और विकासकी चेष्टा करो। उन सब कारणोंको उत्साहपूर्वक दूर कर दो जिनसे भारत-विरोधी विद्वेष या आन्दोलनको उठने और बढ़नेका मौका मिलता हो, और यूरोपीय मतको इस प्रकार सुसंस्कृत एवं उद्बुद्ध करो कि उस समयकी सरकार और संसद हमें हमारे अधिकार देनेमें समर्थ हो सकें।” सिर्फ पारस्परिक सहयोग और

सद्भावनाके द्वारा ही उन ध्यान देने योग्य शेष नियोग्यताओंका, जिन्हें सत्याग्रहकी माँगोंमें शामिल नहीं किया गया था, स्वाभाविक रूपमें और तीव्र रूपमें, आन्दोलन या संघर्ष किये बिना, समाधान निकल सकता है।

नेटालमें गिरमिटिया तथा भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोंकी बहुत बड़ी संख्या एक गम्भीर समस्या है। अनिवार्य रूपसे उन्हें वापस भेजना शारीरिक और राजनीतिक दृष्टिसे असम्भव है, और जैसा कि मेरा अनुभव मुझे बतलाता है, वापसी यात्रा मुफ्त करने तथा इसी प्रकारके अन्य प्रलोभन देनेसे भी स्वेच्छापूर्ण वापसीमें कुछ विशेष सफलता नहीं मिल सकती। इस महान राज्य द्वारा ग्रहण करने योग्य सच्चा और प्रभावशाली उपाय एक ही है — और वह है, न्याय और औचित्यके साथ जिम्मेदारीका सामना, गिरमिटिया प्रथाके बचे-खुचे रूपकी समाप्ति और आबादीके इस भागको ऊपर उठाकर संघकी सामान्य भलाईके लिए उसका उपयोग। जो स्त्रियाँ और पुरुष बड़ी संख्यामें संगठित रूपसे प्रभावपूर्ण हड़ताल कर सकते हैं; जो एक समान प्रयोजनके लिए अवर्णनीय कष्ट उठा सकते हैं; जो अनुशासनहीन होते हुए भी, पुलिसकी निगरानीके बिना कई दिनों तक शहादतके दुःख भोगते रह सकते हैं और फिर भी किसी व्यक्ति या सम्पत्तिको कोई हानि नहीं पहुँचाते; और जो आवश्यकताके समय अपने राजाकी सेवा निष्ठा और योग्यताके साथ कर सकते हैं, जैसी कि पिछले युद्धमें आहत-सहायक दल बनाकर की थी; (उसमें अन्य वर्गोंके सिवा १,५०० गिरमिटिया भारतीय भी थे), वे निश्चय ही ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवनमें यदि सर्वसाधारण लोगों-जैसे अवसर दिये जायें, तो वे किसी भी राष्ट्रके सम्मानपूर्ण अंग बन सकते हैं।

यदि आदमियोंका कोई वर्ग अपने सम्बन्धमें विचार किये जानेका विशेष दावा कर सकता है तो वह यही गिरमिटिया भारतीय और उनके बच्चे हैं, जिनके लिए दक्षिण आफ्रिका उनके द्वारा गृहीत देश या जन्मभूमि है। उन्होंने संघमें साधारण स्वतन्त्र प्रवासियोंके रूपमें प्रवेश नहीं किया; वे निमन्त्रित किये जानेपर और दक्षिणी आफ्रिकी मालिकोंके एजेंटोंके बहुत समझाने-बुझानेपर आये। मैंने अपनी शक्तिभर सच्चाई और न्यायके साथ, इस पत्रमें भारतीय स्थितिका, तथा पिछले महोनेकी अवधिमें अनेक यूरोपीय मित्रोंने मेरे प्रति जो असाधारण शिष्टता, कृपा और सहानुभूति प्रकट की है, उसका वर्णन करनेकी चेष्टा की है। जनरल स्मट्सने, मुझे दी गई भेंटोंमें, जिस स्पष्टता और उदारताके साथ, सम्बन्धित विषयपर विचार किया, और संसदके दोनों सदनोंके अनेक प्रतिष्ठित सदस्योंने जिस प्रकार समस्याके साम्राज्यीय पहलूको महत्त्व दिया, उससे मुझे यह विश्वास करनेके लिए पर्याप्त कारण मिल जाता है कि मेरे जिन देशभाइयोंने दक्षिण आफ्रिकाको अपना घर बना लिया है, उनको प्रायः पूर्ण न्याय प्राप्त होगा और वे संघमें स्वाभिमान और गौरवके साथ रह सकेंगे।

अन्तमें दक्षिण-आफ्रिकासे विदा लेते हुए मैं उन बहुतसे मित्रोंसे क्षमा माँगना चाहूँगा, जिनसे अत्यधिक कार्य-व्यस्तताके कारण मैं व्यक्तिगत रूपसे जाकर नहीं मिल सका। एक बार मैं फिर कहता हूँ कि यद्यपि इस देशके अपने लम्बे निवासमें मुझपर अनेक कठोर आघात हुए हैं, फिर भी यह मेरा सौभाग्य रहा है कि सैकड़ों यूरोपीय मित्रों, हितैषियों और हमदर्दोंसे मुझे अत्यधिक निजी सद्भाव और सौहार्द्र प्राप्त हुआ

है। मैंने एसी घनिष्ठतम मैत्री कायम की है जो चिरस्थायी रहेगी। इस कारण और ऐसे ही अन्य अनेक कारणोंसे, जिन्हें यदि अखबारोंके सौजन्यका दुरुपयोग होनेका भय न होता तो मैं लिखना चाहता, यह उप-महाद्वीप मेरे लिए एक पवित्र और प्रिय देश बन गया है, और मेरी मातृभूमिके बाद मेरे मनमें उसीके लिए स्थान है। मैं भरे-हृदय दक्षिण आफ्रिकाके तटोंको छोड़ रहा हूँ, और जो दूरी मुझे दक्षिण आफ्रिकासे अलग रखेगी वही मुझे उसके और भी निकट लायेगी। मुझे उसकी भलाईकी चिन्ता सदा रहेगी, और मेरे देशभाइयोंने मुझपर प्रेमकी जो वर्षा की है और यूरोपीयोंने मेरे प्रति जैसी उदारतापूर्ण सहिष्णुता और कृपा दिखाई है वह मेरी स्मृतिमें सदैव एक बहुमूल्य निधिकी भाँति सुरक्षित रहेगी।

आपका,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-७-१९१४

३७७. भाषण : केप टाउनके विदाई-समारोहमें^१

जुलाई १८, १९१४

श्री गांधीने कहा कि मेरा तथा मेरी पत्नीका आज दक्षिण आफ्रिकासे विदा होनेके अवसरपर आपने जो सम्मान किया है उसके लिए मैं हृदयसे आपको धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने यह सुन्दर अभिनन्दनपत्र तैयार किया है और उसमें जैसे उद्गार प्रकट किये हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने दक्षिण आफ्रिकामें की गई मेरी तुच्छ सेवाओंके लिए उदारतावश मेरी प्रशंसामें जो शब्द कहे उसके दशमांशके योग्य भी मैं होता तो मुझे खुशी होती। श्री गुल और डॉ० अब्दुर्रहमानके भाषणोंमें भी मेरी प्रशंसा की गई है, किन्तु मैंने दक्षिण आफ्रिकामें अपने देशभाइयोंकी जो-कुछ थोड़ी-सी सेवा की है, वह स्वयं ही अपने आपमें मेरे लिए पर्याप्त पुरस्कार है।

आपने मुझे बहुमूल्य उपहार भेंट किये हैं। यदि आपने मेरे जीवनका तनिक भी अवलोकन किया है तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षोंसे मैंने जैसा जीवन बितानेका प्रयास किया है उसके साथ ये उपहार मेल नहीं खाते। मैंने भारतमें भी ऐसा ही जीवन बितानेका निश्चय किया है। फिर भी, ये उपहार आपके प्रेम, आपकी सहानुभूति

१. गांधीजी कस्तूरबा, कैलेनबैक, श्री और श्रीमती पोलक और कुमारी श्लेसिनके साथ 'इम्पीरियल मेल' से पहुँचे। स्टेशनपर बहुत बड़ी संख्यामें यूरोपीय और भारतीय मित्रोंने उनका स्वागत किया, और फिर एक जुलूसमें उन्हें बन्दरगाहकी गोदीपर ले जाया गया। वहाँ मद्रास भारतीय संघ और अन्य संगठनोंकी ओरसे मानपत्र और उपहार दिये गये। डॉ० अब्दुर्रहमान और डॉ० जे० एच० गुलने अपने भाषणोंमें गांधीजीकी सेवाओंका बखान किया, और इस सबके बाद गांधीजीने अपना यह भाषण दिया।

और आपके सहयोगके प्रतीक हैं; अतः मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। ईश्वरसे कामना है कि मैं भारतमें भी ऐसे ही काम कर सकूँ और आपके प्रेमका अधिकारी बना रहूँ। ईश्वर करे कि यह प्रेम समयके साथ हमारे-आपके बीचकी दूरीके बावजूद बढ़ता ही जाये।

आगे बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि आपने “श्रेष्ठ वाइसराय और हमारे हित-चिन्तक मित्र” लॉर्ड हार्डिजकी शोकजनक क्षतिका^१ उल्लेख करके ठीक ही किया है। मैं उनतक आपकी हार्दिक शोक-भावना, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, पहुँचानेका प्रयास करूँगा।

उन्होंने कहा, आपसे अलग होनेमें मुझे बहुत मुश्किलका अनुभव हो रहा है; लेकिन शारीरिक रूपसे दूर होकर भी भावनाकी दृष्टिसे मैं सदैव आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आजसे २१ वर्ष पूर्व जब मैं नेटालके तटपर उतरा था, उस समय मैं एक अजनबीके रूपमें आपके बीचमें आया था। मैं यहाँ अपने किसी देशवासीको नहीं जानता था; और न वे मुझे जानते थे। मैं एक भी यूरोपीयसे परिचित नहीं था।^२ मुझे यहाँके भूगोलकी बहुत मोटी जानकारी थी। अब मैं देखता हूँ कि मैं एक ऐसा देश छोड़ रहा हूँ जो अत्यन्त साधन-सम्पन्न है, जहाँ रमणीक प्राकृतिक स्थल हैं, जिसकी जलवायु स्वास्थ्यवर्द्धक है, और इसके बावजूद कि मुझे जहाँ कई आघात भी सहने पड़े हैं, जहाँके लोगोंका दृष्टिकोण निश्चय ही आध्यात्मिक है। जिस देशने ऑलिव श्राइनर जैसे लोगोंको जन्म दिया है उससे निराश या भयभीत होनेकी जरूरत नहीं है — (हर्षध्वनि) — डब्ल्यू० पी० श्राइनर और जॉन एक्स० मेरीमन। (हर्षध्वनि) ऐसे श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष सदैव जीवित रहेंगे और इन श्रेष्ठ स्त्री-पुरुषोंको जन्म देनेवाली इस भूमिका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है।

अपना भाषण जारी रखते हुए श्री गांधीने कहा, दक्षिण आफ्रिकासे दूर जाकर भी मेरे मनमें अपने अनेक यूरोपीय मित्रोंकी सुखद स्मृतियाँ सदैव बनी रहेंगी।

घूमकर अपना हाथ श्री कैलेनबैकके कन्धेपर रखते हुए उन्होंने कहा :

देखिए, मैं अपने साथ अपना रक्त-भाई नहीं, बल्कि अपना यूरोपीय भाई ले जा रहा हूँ। क्या यह इस बातका प्रमाण नहीं है कि दक्षिण आफ्रिकासे मुझे बहुत कुछ मिला है, और क्या दक्षिण आफ्रिकाको एक क्षणके लिए भी भूल सकना मेरे लिए सम्भव है! (हर्षध्वनि)।

हमारी-आपकी कठिनाइयाँ समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन मुझे आशा है कि यह उदार समझौता जिस भावनासे आपको दिया गया है उसी भावनासे आप इसे ग्रहण करेंगे; क्योंकि इसके पीछे आठ वर्षतक बराबर भोगे गये कष्टोंका, संसदके दोनों सदनोंमें हुई ऐतिहासिक बहसका, और साम्राज्यीय सरकार तथा भारत सरकारका बल और समर्थन है — ऐसा सुचिन्तित और सदुद्देश्यपूर्ण यह समझौता सुन्दर भविष्यकी सम्भावनाओंसे

१. अभिप्राय लेडी हार्डिजकी मृत्युसे है।

२. २९-७-१९१४ के इंडियन ओपिनियनकी रिपोर्टमें, इसके, बाद उन्होंने यह भी कहा : “तबसे अबतक मैंने बहुत-से मित्र बनाये हैं, और उनमें से कुछ घनिष्ठतम और निष्ठावान् मित्र यूरोपीय हैं। मैं इस देशको, इसकी प्राकृतिक शोभाको और इसकी सुखद जलवायुको प्यार करने लगा हूँ।”

भरा हुआ है। लेकिन भविष्य सर्वथा आपके हाथोंमें है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्यके गर्भमें हमारे लिए जो-कुछ भी छिपा है, हम अपने आचरणसे उसके योग्य सिद्ध होंगे।

दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंके मामलेमें दिलचस्पी रखनेवाले अपने मित्रोंसे मैं एक अन्तिम अपील करना चाहूँगा। मैं उनसे अपील करूँगा कि वे भारतीयोंके सवालको मानवीय दृष्टिकोणसे, साम्राज्यीय दृष्टिसे देखें। यह चाहें सही हो या गलत, भला हो या बुरा, अंग्रेज और भारतीय एक-दूसरेसे बँध गये हैं, और दोनों जातियोंको यही शोभा देता है कि वे अपनेको इस प्रकार ढालें कि आनेवाली पीढ़ियोंके लिए अपनी शानदार मिसाल छोड़ जायें और दिखा दें कि हालाँकि न जाने कितने साम्राज्योंका उत्थान और पतन हुआ है, लेकिन यह साम्राज्य सम्भवतः एक अपवाद है, और इसकी बुनियादे भौतिकतापर नहीं बल्कि आध्यात्मिकतापर रखी गई हैं।

मेरे मनको इस बातसे बराबर आश्वासन प्राप्त होता रहा है, और मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि ब्रिटिश संविधानके आदर्शोंमें कोई अत्यन्त सूक्ष्म और भव्य तत्व विद्यमान है। यदि ब्रिटिश संविधानसे उन आदर्शोंको अलग कर दिया जाये तो उस संविधानमें मेरी निष्ठा भी खत्म हो जायेगी। जबतक वे आदर्श बने हुए हैं तबतक मैं संविधानका दास हूँ। (हर्षध्वनि)। दोनों जातियोंका यह कर्त्तव्य है कि वे उन आदर्शोंको पवित्र थाती मानकर उनकी रक्षा करें।

मैं नमस्कार करता हूँ; और आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा। दक्षिण आफ्रिकामें अपनी कठिन परीक्षाओं और संघर्षोंके बावजूद आपके असीम प्रेम और सहानुभूतिसे मैं अभिभूत हो गया हूँ। और अपने देशवासियोंसे ही नहीं बल्कि अपने यूरोपीय मित्रोंसे मिलनेवाला यह प्रेम और यह सहानुभूति मैं कभी नहीं भूलूँगा। मेरे मनमें यह प्रेम और सहानुभूति पवित्र स्मृति बनकर रहेंगे। (हर्षध्वनि)

[अंग्रेजीसे]

केप टाउन, २०-७-१९१४

३७८. भेंट : 'केप आर्गस' के प्रतिनिधिको'

[केप टाउन

जुलाई १८, १९१४

अच्छा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने साथ अत्यन्त सुखद स्मृतियाँ लिये जा रहा हूँ, और मुझे आशा है कि वहाँ दूर रहते हुए मुझे यह जानकर खुशी होगी कि दक्षिण आफ्रिकामें मेरे देशभाइयोंके साथ न्यायपूर्ण बरताव हो रहा है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-७-१९१४

१. एस० एस० किनफॉन्स कैसिलके, रवाना होनेके पूर्व — गांधीजी इसी जहाजसे यात्रा कर रहे थे — केप आर्गसका प्रतिनिधि उनके पास पहुँचा और उसने उनसे चलते-चलते विदाईके सन्देशके रूपमें कुछ अन्तिम शब्द कहनेका आग्रह किया।

३७९. धन्यवादका सन्देश^१

केप टाउन

जुलाई १८, १९१४

मैं, श्रीमती गांधी, श्री कैलेनवैक और अपनी ओरसे उन सैकड़ों लोगोंको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ जिनके तार यहाँ हमारे जहाजपर पहुँचनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दक्षिण आफ्रिकाके सभी भागोंसे आये हुए ये तार, जिनमें प्यार और सहानुभूतिके सन्देश हैं, हमें और भी याद दिलायेंगे कि दक्षिण आफ्रिकाका हमारे लिए क्या अर्थ है। हमें विश्वास है कि बहुतसे यूरोपीय मित्रोंने हमारे प्रति व्यक्तिगत रूपसे जो सद्भावना प्रदर्शित की है, वह अब उन लोगोंको दी जायेगी जिनके हितके लिए दक्षिण आफ्रिकामें हमारे जीवन समर्पित थे।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २०-७-१९१४

३८०. अन्तिम सत्याग्रह संघर्ष : भूमिका

[एस०.एस० किनफॉन्स कैसिल

जुलाई २३, १९१४]

मैंने दक्षिण आफ्रिका तो छोड़ दिया किन्तु इस देशके साथ अपना सम्बन्ध नहीं छोड़ा है। यह बात दक्षिण आफ्रिकाके अपने अन्तिम दिनोंके कई भाषणोंमें मैंने कही भी थी। इस वचनके पालनका कुछ प्रमाण 'इंडियन ओपिनियन'के लिए मैं जो लेख लिखूंगा उनसे मिलता रहेगा। अपने इन लेखोंमें मैं [समय-समयपर] मुझे जो विचार सूझेंगे उन्हें प्रकट करूंगा और यह आशा रखूंगा कि पाठकोंको वे अच्छे लगेंगे और उपयोगी भी सिद्ध होंगे।

यह लेख मैं किनफॉन्स कैसिल नामक स्टीमरपर शुरू कर रहा हूँ। आज हमें केप छोड़े पाँच दिन हो चुके हैं। श्री कैलेनवैक, मेरी धर्मपत्नी और मैं तीसरे दर्जेके यात्री हैं। इंग्लैंडकी समुद्री यात्रा तीसरे दर्जेमें करनेका यह मेरा पहला अनुभव है। पहले दर्जेकी यात्राका अनुभव तो बहुत है। मुझे कहना पड़ेगा कि पहले दर्जेकी अपेक्षा तीसरे दर्जेमें हम ज्यादा सुखी हैं। यहाँ हमारे ऊपर परिचारक निगरानी नहीं करते रहते; और इस पश्चात्तापसे भी बचे हैं कि हम गरीब वर्गसे अलग रहकर [सुख-सुविधाका] विशिष्ट जीवन बिता रहे हैं। पहले दर्जेमें मनको जिस संकोचका अनुभव होता है वह

१. गांधीजीने यह सन्देश बेतारके तारसे रायटरकी एजेंसीको रवाना होनेके अनतिपश्चात् जहाजसे भेजा था।

इसमें नहीं होता। निरर्थक रूढ़ियोंका पालन भी नहीं करना पड़ता। असुविधाएँ भी यहाँ कुछ खास नहीं हैं। और गरीबीके जीवनमें जो सामान्य असुविधाएँ भोगनी पड़ती हैं वे अन्तमें सुखद सिद्ध होती हैं। यह टीका करनेमें मेरा मतलब यह नहीं है कि हरएक भारतीयको तीसरे दर्जेमें ही यात्रा करना चाहिए। मुझे यह हमेशा लगा है कि जिनके पास पैसा है और जो पैसेवालोंके ही बीचमें रहना चाहते हैं उन्हें तो कर्त्तव्यके खातिर भी पहले दर्जेमें ही यात्रा करनी चाहिए। यदि वे ऐसा न करें तो हमारे ऊपर कंजूसीका आरोप लगाया जा सकता है। किन्तु यह तो निश्चित है कि विशेष सुखके लिए पहले दर्जेकी यात्रा करना पाप है। और मेरे जैसे व्यक्तियोंको जो सार्वजनिक पैसेपर मुसाफिरी करते हैं और जिनकी यात्राके ढंगका उनके समाजकी प्रतिष्ठासे कोई सम्बन्ध नहीं है उन्हें तो अवश्य तीसरे दर्जेमें ही, बल्कि उससे भी घटिया दर्जेमें—यदि वैसा कोई दर्जा हो तो—यात्रा करनी चाहिए।

हम तीनों लगभग फलाहारी हैं किन्तु कच्चे फलोंको हम पका लेते हैं और मूंगफली-जैसी चीजोंको उबाल लेते हैं। मेहनतका यह काम ज्यादातर श्री कैलेनबैक करते हैं। मेहनत-मजदूरीके कार्यको आजकल उन्होंने धर्म मान लिया है और उसमें वे आनन्दका अनुभव करते हैं। श्री कैलेनबैक और मेरी धर्मपत्नीका यह पहला अनुभव है जब कि इन दोनोंको जहाजी बीमारी नहीं हुई। इस फर्कका कारण मेरा खयाल है, उनकी सादा रहन-सहन और उनका फलाहार है। फलाहार उत्तम खुराक है, इस बातका हम दिन-दिन विशेष अनुभव कर रहे हैं। दूसरे यात्रियोंके साथ हमारा मिलना-जुलना क्वचित् ही होता है। हमने अपने समयका ठीक-ठीक विभाजन कर लिया है और उसके अनुसार हम जिस समयके लिए जो कार्य नियत कर रखा है सो करते रहते हैं। इस तरह हमारा समय ठीक बीत रहा है।

अपने हजारों भारतीय भाइयोंकी प्रीति और उनके द्वारा अर्पित आदर-सत्कारका हमें सतत स्मरण रहता है। उनका यह प्रेम मुझे आत्माकी अद्भुत शक्तिका और उसके महान् गुणोंका भान कराता है। डब्लु, वेरुलम, जोहानिसबर्ग, किम्बर्ले और प्रिटोरियाके विदाई-समारम्भ भूलते ही नहीं। केप टाउनके भाइयोंने तो जुलूस निकालकर हमें अपने आभारके बोझसे बिलकुल विनत कर दिया है। जहाँ असंख्य लोगोंने अपार प्रेम प्रकट किया हो वहाँ किसका नाम लेकर धन्यवाद दिया जाये? गोरी जनताने भी अपने प्रेमका सुन्दर प्रदर्शन किया। अन्तिम दिनोंमें उनके प्रेमका प्याला भी हमने भरपूर पिया। परिचित और अपरिचित, सब लोगोंने खूब प्रेम दिखाया। ऐसी घटनाओंसे सिद्ध होता है कि गोरों और कालोंके बीच कोई स्थायी भेद नहीं है और यदि दोनों पक्ष समुचित प्रयत्न करें तो दक्षिण आफ्रिकामें प्रचलित यह बुराई दूर हो जाये। यदि प्रत्येक अवसर पर एक पक्ष भी हर तरहसे सत्याग्रहका अवलम्बन करता रहे तो एक पक्षके प्रयत्नसे भी रंगद्वेषकी यह बुराई दूर की जा सकती है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास और अनुभव है। इतना प्रस्तावनाके रूपमें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-८-१९१४

३८१. अन्तिम सत्याग्रह संघर्ष : मेरे अनुभव'

[जुलाई २३, १९१४ के बाद]

अन्तिम लड़ाई हुए काफी दिन हो गये। उसके अनुभवोंको लिखनेका मुझे समय ही नहीं मिला। अपने इन अनुभवोंका लाभ 'इंडियन ओपिनियन' के पाठक-वर्गको देना तो था। पाठकोंको याद रखना चाहिए कि आखिरी लड़ाई सत्याग्रहका तीसरा प्रकरण थी। पहला प्रकरण खत्म हुआ तब हमने—मैंने तो अवश्य ही—उसे आखिरी माना था। जब दूसरा प्रकरण शुरू करनेका अवसर आया तब अनेक भाई मुझसे कहने लगे कि अब कौन लड़ेगा? कौम बार-बार इतना जोर नहीं दिखा सकेगी। यह सुनकर मैं हँसा था। सत्यपर मेरी अचल आस्था थी। मैंने जवाब दिया: "लोगोंने एक बार उसका रस चख लिया है, इसलिए अब तो वे ज्यादा लड़ेंगे।" ऐसा ही हुआ भी। पहली बार सौ-दो-सौ हिन्दुस्तानी जेल गये। दूसरी बार सैकड़ों गये। इतना ही नहीं, नेटाल जागा और वहाँके अग्रणी व्यक्ति लड़ाईमें भाग लेनेके लिए आये। लड़ाई बहुत लम्बी चली। फिर भी लोगोंका उत्साह कायम रहा और हम आगे बढ़े। आखिरी लड़ाई आई तब तो मैंने लोगोंको हारकी ही बातें करते हुए सुना। "सरकार आपको बार-बार धोखा देती है और आप धोखा खाते हैं; ऐसी हालतमें यह नहीं हो सकता कि लोग बार-बार नुकसान सहें।" ऐसे कड़वे वचन मुझे सुनने पड़ते थे। मैं खूब समझता था कि सरकारके धोखेके खिलाफ मेरा या किसीका भी कोई उपाय चल ही नहीं सकता था। हम प्रॉमिसरी नोट लिखवा लें, लेकिन यदि उसपर सही करनेवाला इनकार कर दे या अपना वचन तोड़ दे, तो उसमें लिखवानेवालेका क्या दोष? मैं तो जानता था कि यदि सरकार वचन-भंग करेगी, तो जिस तरह हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसी तरह उसे भी पहलेसे ज्यादा देना पड़ेगा। कर्जदार कर्ज चुकाते समय जितना ज्यादा समय लगाता है उतना ही ज्यादा बोझ उसे उठाना पड़ता है। यह अचल कानून जिस तरह संसारी कर्जको लागू होता है, उसी तरह धार्मिक कर्जको भी लागू होता है। मैंने तो यह जवाब दिया कि "सत्याग्रहकी लड़ाई ऐसी है कि उसमें हारने या पछतानेकी कोई बात ही नहीं है। इस लड़ाईमें तो मनुष्य हमेशा अधिक बलवान ही बनता है। उसमें थकावट महसूस नहीं होती और हरएक मंजिलपर लड़नेवालेकी शक्ति बढ़ती

१. प्रस्तावना लेख तैयार कर चुकनेके बाद (देखिए पिछला शीर्षक) गांधीजीने जहाजसे यात्रा करते समय यह लेख लिखना शुरू किया था। दो या दोसे भी अधिक किस्तोंमें इसे छगनलाल गांधीको भेजा गया था। स्पष्टतः गांधीजीकी अस्वस्थताके कारण और लन्दनमें "भारतीय आहत सहायक दल"से सम्बन्धित कार्योंमें अत्यधिक व्यस्तताके कारण यह लेख पूरा नहीं किया जा सका था। छगनलाल गांधीने लेखके विभिन्न अंशोंको संकलित करके इंडियन ओपिनियनके स्वर्ण-जयन्ती अंकमें प्रकाशित करनेके लिए तैयार किया था। इस विशेषांकमें इंडियन ओपिनियनके सम्पादक द्वारा लिखित 'दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय संघर्ष और उसके प्रभाव' का सिंहावलोकन भी प्रकाशित किया गया था। देखिए परिशिष्ट २८।

ही जाती है। यदि हममें सत्य होगा तो भारतीय समाज इस बार ज्यादा काम करेगा और अपना नाम ज्यादा उज्ज्वल करेगा।” यह जवाब मैंने दिया उस समय मैंने स्वप्नमें भी नहीं सोचा था कि गरीब हिन्दुस्तानी इतनी जागृति दिखायेंगे, बीस हजारकी बड़ी संख्यामें लड़ाईमें शामिल होंगे और अपना तथा अपने देशका नाम अमर करेंगे। जनरल बोथाने अपने एक भाषणमें कहा है कि हिन्दुस्तानी जनताने जैसी हड़ताल की और चलाई वैसी गोरे नहीं कर सके और न चला सके। अन्तिम लड़ाईमें स्त्रियाँ शरीक हुईं, सोलह वर्षके किशोर लड़के तो अनेक शामिल हुए और लड़ाईको बहुत ज्यादा धार्मिक स्वरूप मिला। दक्षिण आफ्रिकाके हिन्दुस्तानियोंकी बात सारी दुनियामें फैली। हिन्दुस्तानमें गरीब और धनवान, जवान और बूढ़े, पुरुष और स्त्रियाँ, राजा और प्रजा, हिन्दू-मुसलमान, पारसी और ईसाई तथा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और लाहौर सब जगहोंके लोग जागे, सब हमारे इतिहाससे वाकिफ हुए और हमें मदद करने लगे। विलायतकी बड़ी सरकार चौकी, भारतके वाइसरायने प्रजाका रुख पहचानकर प्रजाका पक्ष लिया। यह सब सारी दुनिया जानती है। मैं यहाँ इन बातोंका उल्लेख इस लड़ाईका महत्व बतानेके लिए कर रहा हूँ। लेकिन यह लेख लिखनेमें मेरा मुख्य हेतु तो उन बातोंकी वर्चा करनेका है, जिनका मुझे विशेष ज्ञान है, जिनकी हिन्दुस्तानको कोई खबर नहीं है और जिनका भान दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले हिन्दुस्तानी भाइयोंको भी पूरा-पूरा नहीं है।

टॉलस्टॉय फार्ममें जो तालीम ली गई थी, वह सब इस अन्तिम लड़ाईमें काम आई। सत्याग्रहियोंने वहाँ जिस जीवनका अनुभव लिया, वह इस लड़ाईमें अमूल्य सिद्ध हुआ। उसी जीवनका अनुकरण और ज्यादा अच्छे रूपमें फीनिक्समें किया गया। जिस समय टॉलस्टॉय फार्म बन्द किया गया उस समय उसमें रहनेवाले जो विद्यार्थी आनेके लिए तैयार थे वे फीनिक्समें आये। फीनिक्समें नियम और कड़े हो गये; हरएक विद्यार्थी तथा उसके माँ-बापके साथ यह शर्त की गई कि जो विद्यार्थी फीनिक्समें रहेगा उसे, यदि हमारी लड़ाई फिर शुरू हो और विद्यार्थी बालिग उम्रका हो तो, लड़ाईमें शामिल होना चाहिए। सच पूछिए तो फीनिक्समें जो तालीम दी जाती थी, वह मुख्यतः सत्याग्रहकी ही थी। फीनिक्समें रहनेवाले कुटुम्बोंको भी यह नियम लागू होता था। केवल एक ही कुटुम्ब ऐसा था जो इससे अलग रहा। इसलिए परिणाम यह आया कि फीनिक्स चलानेके लिए जितने आदमियोंकी जरूरत थी उनके सिवा बाकी सब लोग जब लड़ाईका अवसर आया तब उसके लिए तैयार थे। इसलिए तीसरी लड़ाईका आरम्भ फीनिक्सवालोंसे ही हुआ। जब स्त्रियाँ, पुरुष और बालक लड़ाईके लिए निकले, उस समयका दृश्य मैं कभी भूल नहीं सकता। हरएकके मनमें यही एक भाव हिलोरें ले रहा था कि हमारी यह लड़ाई एक धर्म-युद्ध है और हम इस धर्म-युद्धकी यात्रापर निकले हैं। जाते समय उन्होंने भजन गाये, कीर्तन किया। उनमें से एक प्रख्यात भजन यह था : ‘सुख-दुःख मनमां न आणीए’—सुख और दुःखका विचार मनमें कभी न आने दें। उस समय बालकों, स्त्रियों और पुरुषोंके मुँहसे जो आवाज निकल रही थी, उसकी गूँज मेरे कानोंमें अभी भी उठ रही है। इसी संघके साथ महान् पारसी रुस्तमजी थे। कई लोग ऐसा समझते थे कि रुस्तमजीने पिछली बार इतना दुःख भोगा है कि इस बार

अब वे लड़ाईमें शामिल नहीं होंगे। ऐसा कहनेवाले लोग रुस्तमजीकी महानताको पहचानते नहीं थे। स्त्रियाँ और बालक जायें और वे घर बैठे रहें, यह स्थिति उनके लिए असह्य थी। इसी समयके दो और प्रसंग मुझे याद आते हैं। श्री रुस्तमजी और उनके सिंह जैसे बालक सोराबजीमें प्रतिस्पर्धा चली। सोराबजी कहते थे कि “बाबाजी, मुझे जाना है; या तो अपने बदले मुझे जाने दो या मुझे भी साथ ले चलो।”

दूसरा दृश्य जो मुझे याद आता है वह स्वर्गीय हुसैन मिर्याके साथ श्री रुस्तमजीके मिलनका है। जब श्री रुस्तमजी उनसे मिलने गये तब उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह निकली और उन्होंने कहा, “काकाजी, यदि मैं स्वस्थ होता, तो मैं भी आपके साथ जेल चलता।” भाई हुसैनका देश-प्रेम बहुत जबरदस्त था। उन्होंने रोगशय्यापर पड़े-पड़े लड़ाईको अपने समर्थनका बल दिया; उनसे जो कोई भी मिलता उससे वे लड़ाईकी ही चर्चा करते थे।

फीनिक्समें जो लोग रह गये, उनमें सोलह वर्षसे कम उम्रके बालक भी थे। उन लोगोंने और आश्रमके व्यवस्थापकोंने जेलके बाहर होते हुए भी जेलमें जानेवालोंकी अपेक्षा ज्यादा काम कर दिखाया। उन लोगोंने काममें रात-दिनका भेद मिटा दिया। अपने साथी और बुजुर्ग जबतक जेलसे न छूटें तबतकके लिए उन्होंने कठोर व्रत लिये, अलोना आहार खाकर रहे, और जोखिमके काम भी बिना किसी डरके उन्होंने अपने सिरपर लिये। जिस समय विक्टोरिया काउन्टीमें हड़ताल हुई उस समय सैकड़ों गिर-मिटियोंने फीनिक्समें आश्रय लिया। उस समय उन्हें सम्भालना और उनकी व्यवस्था करना एक महान् कार्य था। इन गिरमिटियोंके मालिकोंकी तरफसे हमला होनेका डर होते हुए भी अपना कार्य निडरतासे करते जाना उनकी दूसरी सफलता थी। वहाँ पुलिस पहुँची, श्री वेस्टको पकड़कर ले गई; ऐसी सम्भावना थी कि दूसरोंको भी पकड़ कर ले जायेगी— इन सब आपत्तियोंके मुकाबलेके लिए वे तैयार रहे। लेकिन एक भी आदमी फीनिक्ससे हटा नहीं। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि इसमें सिर्फ एक ही कुटुम्ब अपवादरूप रहा। फीनिक्सके व्यवस्थापकोंने इस अवसरपर समाजकी जो सेवा की है, हिन्दुस्तानी समाज उसका हिसाब कभी नहीं लगा सकता। यह अप्रकट इतिहास अभी लिखा नहीं गया है, इसलिए उसका कुछ अंश मैं यहाँ दे रहा हूँ। और वह इस आशासे दे रहा हूँ कि किसी दिन कोई जिज्ञासु ज्यादा जानकारी इकट्ठी करके फीनिक्सके व्यवस्थापकोंके कार्यकी कीमत कुछ अंशमें आँक सके। मैं तो ज्यादा लिखनेके लिए ललचा रहा हूँ, लेकिन इस लोभका संयम करके फीनिक्सकी बात यहीं समाप्त करता हूँ।

फीनिक्सकी टुकड़ी जेल गई, इसलिए जोहानिसबर्गसे भी नहीं रहा गया। वहाँकी स्त्रियाँ अघीर हो गईं। उन्हें जेल जानेकी लगन लग गई। श्री थम्बी नायडूका सारा कुटुम्ब तैयार हो गया। उनकी स्त्री, साली, सास, श्री मुरगनके सगे-सम्बन्धी, श्रीमती पी० के० नायडू, अपना नाम अमर कर जानेवाली बहिन वलिअम्मा और कई दूसरी स्त्रियाँ तैयार हुईं। वे अपनी गोदमें बालक लेकर निकलीं। श्री कैलेनबैक उन्हें लेकर फ्रीनिखन गये। वहाँ जानेमें ऐसी उम्मीद थी कि फ्री स्टेटकी सरहदपर पहुँचनेके बाद वापिस आते समय पकड़ लिये जायेंगे। लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई।

उन्होंने कुछ दिन जैसी भी सुविधा-असुविधा उन्हें मिली उसे सहते हुए फ्रीनिखनमें बिताये। वहाँ उन्होंने टोकरियाँ लेकर फेरी की और इस तरह पकड़े जानेका प्रयत्न किया, किन्तु किसीने उन्हें पकड़ा नहीं।

इस निराशामें अमर आशा छिपी हुई थी। यदि स्त्रियोंको सरकारने फ्रीनिखनमें ही पकड़ा होता, तो शायद हड़ताल न हुई होती, इतना तो निश्चित है कि हड़ताल जिस पैमानेपर हुई उस पैमानेपर वह कभी न हुई होती। लेकिन समाजपर ईश्वरका हाथ था; वह हमेशा सत्यका रक्षक है। स्त्रियाँ पकड़ी नहीं गईं, इसलिए ऐसा निर्णय हुआ कि वे नेटालकी हदका उल्लंघन करें। अगर फिर भी न पकड़ी जायें तो वे भी थम्बी नायडूके साथ न्यू कैसिलमें छावनी डालें। वे नेटालकी ओर रवाना हुईं। सीमापर पुलिसने उन्हें पकड़ा नहीं। अतः उन्होंने न्यू कैसिलमें पड़ाव डाला। वहाँ श्री डी० लाजरसने अपना घर स्त्रियोंको सौंप दिया और उनकी पत्नी तथा साली कुमारी टॉमसने इन सत्याग्रही स्त्रियोंकी सेवा-सहायता आदि करनेका काम अपने ऊपर उठा लिया।

योजना यह थी कि स्त्रियाँ न्यू कैसिलमें गिरमिटियोंकी स्त्रियोंसे और गिरमिटियोंसे मिलेंगी। उन्हें उनकी दशाका भान करायेंगी और तीन पाँडी करके सबालपर हड़ताल करनेके लिए समझायेंगी। बादमें जब मैं न्यू कैसिल पहुँचूँ तब यह हड़ताल की जाये। लेकिन स्त्रियोंकी उपस्थिति तो सूखी लकड़ीमें आगकी चिनगारी लगने-जैसी सिद्ध हुई। कोमल शय्याके बिना न सोनेवाली और कदाचित् ही मुँह खोलनेवाली इन स्त्रियोंने गिरमिटिया लोगोंमें खुले आम व्याख्यान दिये। वे जागे और उन्होंने मेरे पहुँचनेके पहले ही हड़ताल करनेका आग्रह किया। काम बहुत जोखिमवाला था। मुझे श्री नायडूका तार मिला कि कैलनबैंक न्यूकैसिल गये और हड़ताल शुरू हुई। मैं न्यूकैसिल पहुँचा उस बीच तो कोयले की दो खानोंमें भारतीयोंने काम बन्द कर दिया था।

श्री हॉस्केनकी अध्यक्षतामें संगठित यूरोपीय सहायक समितिने मुझे बुलाया। मैं उनसे मिला। उन्हें हमारा आन्दोलन पसन्द आया और उन्होंने उसे प्रोत्साहन देनेका प्रस्ताव किया। मैं एक दिन जोहानिसबर्गमें रुक कर न्यूकैसिल पहुँचा और वहाँ रहा। मैंने देखा कि लोगोंमें उत्साहका पार नहीं है। सरकार स्त्रियोंकी उपस्थितिको सहन न कर सकी और अन्तमें ऐसा आरोप लगाकर कि वे यों ही भटकती फिरती हैं उसने उन्हें जेलमें भेज दिया। श्री लाजरसका घर अब सत्याग्रहकी धर्मशाला बन गया। वहाँ सैकड़ों गिरमिटियोंके लिए खाना पकानेकी व्यवस्था करनी पड़ी। उससे भी श्री लाजरस घबड़ाये नहीं। न्यूकैसिलके भारतीयोंने एक समिति नियुक्त की। श्री सीदत उसके प्रमुख चुने गये। काम खूब तेजीसे, दिन दूना और रात चौगुना चला। दूसरी खानोंके भारतीय मजदूरोंने भी काम बन्द कर दिया।

खानोंके भारतीय मजदूर इस तरह काम बन्द करन लगे, इसलिए कोयलेकी खानोंके मालिकोंकी सभा हुई। मुझे उसमें बुलाया गया।^१ वहाँ बातचीत तो बहुत हुई, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उनका कहना यह था कि यदि हम हड़ताल बन्द रखें तो वे सरकारको तीन पाँडी करके बारेमें लिखेंगे। सत्याग्रही इस शर्तको स्वीकार नहीं कर

१. देखिए “वक्तव्य: वाणिज्य मण्डलमें”, पृष्ठ २४४।

सकते थे। हमारा खानोंके मालिकोंसे कोई बैर नहीं था। हड़तालका हेतु मालिकोंको दुःख देनेका नहीं था, बल्कि खुद ही दुःख उठानेका था। इसलिए खानोंके मालिकोंकी यह सलाह मान्य नहीं की जा सकती थी। मैं वापिस न्यू कैसिल आया। मैंने उपरोक्त सभाका परिणाम लोगोंको बताया। उससे उनका उत्साह और ज्यादा बढ़ा। और अधिक खानोंमें काम बन्द हुआ।

आजतक मजदूर अपनी-अपनी खानोंमें रहते थे। न्यू कैसिलकी व्यवस्थापक समिति इस निश्चयपर पहुँची कि जबतक गिरमिटिया अपने मालिककी जमीनमें रहते हैं, तबतक हड़तालका पूरा असर नहीं पड़ेगा। वे ललचाकर अथवा डरकर काम शुरू कर देंगे, ऐसी आशंका थी। और मालिकका काम न करना और फिर भी उसके घरमें रहना अथवा उसका नमक खाना—यह तो अनीति होगी। गिरमिटियोंका खानोंपर रहना दोषरूप था। यह अन्तिम दोष सत्याग्रहके शुद्ध प्रयासको मलिन करनेवाला मालूम हुआ। दूसरी ओर, हजारों भारतीयोंको कहाँ रखना, कहाँ खिलाना-पिलाना, यह बहुत बड़ी समस्या थी। श्री लाजरसका मकान अब बहुत छोटा मालूम हुआ। बेचारी दोनों स्त्रियाँ रात-दिन मेहनत करती थीं, लेकिन काम उनकी शक्तिके बाहर मालूम हुआ। इन सब कठिनाइयोंके बावजूद चाहे जो जोखिम उठाकर भी सही चीज करनेका निश्चय हुआ। गिरमिटियोंको अपनी खानें छोड़कर न्यू कैसिल आनेका सन्देशा भेजा गया। ज्यों ही यह खबर पहुँची त्यों ही खानोंमें से भारतीय मजदूरोंकी कूच शुरू हो गई। बेलंगीकी खानोंके भारतीय सबसे पहले पहुँचे। न्यू कैसिलमें सदा मानो तीर्थ-यात्रियोंका संघ चला आ रहा हो, ऐसा दृश्य दिखाई देता था। जवान, बूढ़े और स्त्रियाँ—कोई खाली और कोई गोदमें बच्चा लिए हुए—सब अपने सिरपर पोटलियाँ उठाये चले आ रहे थे। पुरुषोंके सिरपर सन्दूक दिखाई देते थे। कोई दिनमें आते तो कोई रातको आ पहुँचते। उन सबके लिए भोजनका प्रबन्ध करना पड़ता था। इन गरीब लोगोंके सन्तोषका मैं क्या वर्णन करूँ? जो मिल जाये उसीमें वे सुख मानते थे। शायद ही कोई रोता दिखता था। सबके चेहरोंपर हँसी की छटा दिखाई पड़ती थी। मेरे लिए तो वे तैंतीस कोटि देवताओंमें से थे। स्त्रियाँ देवीरूप थीं। उन सबको ठहरानेके लिए सिरपर छप्पर तो कहाँसे दिया जाता? सोनेके लिए घासकी चटाइयाँ थीं। छप्पर आकाशका था। रक्षक उनका ईश्वर था। एक भाईने बीड़ीकी माँग की। मैंने समझाया कि वे गिरमिटियोंकी तरह नहीं, हिन्दुस्तानके सेवकोंकी तरह निकले हैं। वे एक धर्म-युद्धमें हिस्सा ले रहे हैं; ऐसे समय शराब, तम्बाकू इत्यादि व्यसन उन्हें छोड़ने चाहिए। और जो न छोड़ सकें उन्हें अपनी ऐसी जरूरतोंकी पूर्ति सार्वजनिक पैसेसे होनेकी आशा नहीं करनी चाहिए। इन साधु पुरुषोंने मेरी यह सलाह मान ली और बादमें किसीने भी बीड़ीके लिए पैसेकी माँग मुझसे नहीं की। इस तरह खानोंसे हिन्दुस्तानी मजदूरोंकी कतारें निकलना शुरू हुई। उनमें से एक गर्भवती स्त्रीको रास्तेमें ही गर्भपात हो गया। ऐसे अनेक दुःख उन्होंने उठाये। लेकिन न तो कोई थका और न कोई पीछे हटा।

न्यूकैसिलमें हिन्दुस्तानियोंकी संख्या बहुत बढ़ गई। हिन्दुस्तानियोंके पास जितनी भी जगह थी सब भर गई। उनसे जो भी घर-मकान आदि मिले, उनमें स्त्रियाँ और वृद्ध ठहरा दिये गये। यहाँपर कहना चाहिए कि न्यू कैसिलके गोरे नागरिकोंने इस मौकेपर

बड़ी सज्जनताका परिचय दिया। उन्होंने हमारे साथ सहानुभूति भी दिखाई। किसी भी हिन्दुस्तानीको हैरान नहीं किया। एक भली बहिनने तो अपना मकान हमारे उपयोगके लिए मुफ्त दे दिया। अनेक गोरोंसे हमें छोटी-बड़ी कई तरहकी दूसरी सहायता भी मिली।

परन्तु इन हजारों हिन्दुस्तानियोंको हमेशाके लिए न्यूकैसिलमें तो नहीं रखा जा सकता था। वहाँका मेयर घबड़ाया। वहाँकी आबादी सामान्यतः तीन हजार की थी। ऐसी गाँव-जैसी जगहमें दूसरे दस हजार आदमी किसी तरह समा ही नहीं सकते थे। दूसरी खानोंके मजदूर भी काम बन्द करने लगे। इसलिए यह सवाल पेश हुआ कि अब क्या करना चाहिए। हड़ताल करनेमें जेल जानेका उद्देश्य था। सरकार चाहती तो इन मजदूरोंको पकड़ सकती थी। लेकिन इन हजारों लोगोंको रखनेके लिए उसके पास जेलें ही नहीं थीं। इसलिए उसने मजदूरोंपर अभी हाथ नहीं डाला। अब ट्रान्स-वालकी सीमाका उल्लंघन किया और इस तरह गिरफ्तार हुआ जाये, यही एक उपाय रह गया। यह भी लगा कि वैसा करनेसे न्यूकैसिलमें भीड़ कम होगी और हड़तालियोंकी ज्यादा कठिन कसौटी होगी। न्यूकैसिलमें खानोंके जासूस हड़तालियोंको ललचा रहे थे। लेकिन एक भी मजदूर लालचमें फंसा नहीं। फिर भी उन्हें उस लालचसे दूर रखना व्यवस्थापक मण्डलका फर्ज था। इसलिए न्यूकैसिलसे चार्ल्सटाउनकी ओर कूच करना ठीक मालूम हुआ। रास्ता लगभग ३५ मीलका था। हजारों लोगोंके लिए रेल भाड़ेका खर्च नहीं किया जा सकता था। इसलिए ऐसा निश्चय हुआ कि सब सशक्त पुरुष और स्त्रियाँ पैदल ही चलें। जो स्त्रियाँ चल न सकती हों उन्हें रेलमें ले जाना तय हुआ। रास्तेमें ही गिरफ्तारी होनेकी सम्भावना थी। इसके सिवा, इस प्रकारका यह हमारा पहला ही अनुभव था। इसलिए तय हुआ कि पहली टुकड़ी मैं ले जाऊँ। इस पहली टुकड़ीमें लगभग ५०० आदमी थे। और इनमें बच्चोंवाली ६० स्त्रियाँ थीं। इस टुकड़ीका दृश्य मैं कभी भूल नहीं सकता। 'द्वारकाधीशकी जय', 'रामचन्द्रकी जय', 'वन्देमातरम्'— इस तरह जय-जयकार करती हुई टुकड़ी आगे बढ़ती जाती थी। उनके साथ दो दिन तक चले इतना पका हुआ दाल-चावल बाँध दिया गया था। सब अपनी-अपनी पोटलियाँ बाँधकर निकले थे। कूचके पहले उन्हें निम्नलिखित शर्तें सुनाई गई थीं :

१. यह संभव है कि मैं पकड़ा जाऊँ। ऐसा हो तो भी टुकड़ीको अपनी कूच जारी रखना है। और जब तक वे खुद न पकड़े जायें तबतक उन्हें चलते ही रहना है। रास्तेमें खाने-पीने आदिका बन्दोबस्त करनेकी पूरी कोशिश होगी। लेकिन किसी कारण से यदि किसी दिन खानेको न मिले तो भी सन्तोष रखना होगा।
२. जबतक इस लड़ाईमें शामिल हैं, शराब आदि व्यसन छोड़ने होंगे।
३. मरण-पर्यन्त पीछे नहीं हटेंगे।
४. जहाँ रास्तेमें रात पड़े वहाँपर घरकी आशा नहीं रखेंगे, बल्कि घासमें पड़े रहेंगे।
५. रास्तेमें पड़नेवाले पेड़-पौधोंको कोई नुकसान नहीं पहुँचायेंगे और दूसरेकी वस्तु बिलकुल नहीं छुएँगे।

६. सरकारी पुलिस पकड़नेके लिए आये तो खुशीसे गिरफ्तार हो जायेंगे।
७. पुलिसके अथवा किसीके भी सामने झुकेंगे नहीं; मार पड़े तो उसे सहन करेंगे, मारका जवाब मारसे देकर अपना बचाव नहीं करेंगे।
८. जेलमें जो दुःख सहना पड़े, उसे सहेंगे और जेलको महल समझकर अपने दिन बितायेंगे।

इस टुकड़ीमें सब वर्णोंके लोग थे। हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। कलकतिया थे और तमिल थे। कुछ पठानों और उत्तरकी ओरके सिंधियोंको मार खाकर भी अपना बचाव न करनेकी शर्त बहुत कठिन मालूम हुई। लेकिन उन्होंने वह शर्त खुशीसे स्वीकार की। इतना ही नहीं, पर जब उनकी कसौटीका समय आया, तब उन्होंने इस शर्तका पालन किया और अपना बचाव नहीं किया।

ऐसी परिस्थितियोंमें पहली टुकड़ीकी कूच शुरू हुई। पहली रातको ही एक वीरान प्रदेशमें घासपर सोनेका प्रसंग आया। रास्तेमें लगभग १५० मनुष्योंके नाम वारंट मिले। वे लोग खुशीसे गिरफ्तार हो गये। पकड़नेके लिए केवल एक पुलिस अधिकारी आया था। उसके साथ उसकी मददके लिए और कोई नहीं था। जो लोग पकड़े गये उन्हें कैसे ले जाना, यह एक सवाल था। हम चार्ल्स टाउनसे सिर्फ छः मील दूर थे। इसलिए मैंने उस अधिकारीसे कहा कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वे अभी मेरे ही साथ कूच करें और उनका कब्जा वह चार्ल्स टाउनमें ले अथवा अपने ऊपरी अधिकारीसे पूछकर उसे जैसा हुक्म मिले वैसा करे। अधिकारीने यह बात स्वीकार की और वह चला गया। हम लोग चार्ल्सटाउन पहुँचे। चार्ल्स टाउन बहुत छोटा गाँव है। उसकी आबादी मुश्किलसे १,००० आदमियोंकी होगी। उसमें एक ही मुख्य रास्ता है। हिन्दुस्तानियोंकी संख्या बहुत थोड़ी है। इसलिए हमारी टुकड़ी देखकर गोरोंको आश्चर्य हुआ। चार्ल्स टाउनमें इतने हिन्दुस्तानी पहले कभी गये ही नहीं थे। गिरफ्तार किये गये लोगोंको न्यूकैसिल ले जानेके लिए रेलगाड़ी तैयार नहीं थी। पुलिस उन्हें कहाँ रखे? चार्ल्सटाउनके थानेमें इतने कैदियोंको रखनेके लिए जगह नहीं थी। इसलिए पुलिसने पकड़े हुए लोगोंको मुझे सौंपा और उनकी खुराकका बिल चुकाना स्वीकार किया। इसे सत्याग्रहका काफी अच्छा सम्मान माना जा सकता है। साधारणतः हमारे पाससे ही पकड़े हुए कैदी हमें नहीं सौंपे जा सकते। उनमें से कोई चला जाये तो जिम्मेदारी हमारी नहीं थी। लेकिन सत्याग्रहीका तो काम ही गिरफ्तार होनेका है, ऐसा सब समझने लगे थे। इसलिए विश्वास बैठ गया। इस तरह चार दिन तक पुलिसके गिरफ्तार किये हुए आदमी हमारे ही साथ रहे। जब उन्हें ले जानेके लिए पुलिस तैयार हो गई, तब वे खुशीसे उसके अधीन हो गये।

टुकड़ियोंकी भरती जारी रही। किसी दिन चार सौ तो किसी दिन उससे भी ज्यादा। अधिकांश पुरुष पैदल चलते थे और स्त्रियाँ मुख्यतः गाड़ीसे आती थीं। चार्ल्सटाउनके हिन्दुस्तानी व्यापारियोंके घरमें जहाँ भी जगह मिली वहाँ उन्हें ठहरानेकी व्यवस्था की गई। वहाँकी कारपोरेशनने भी अपने मकान दिये। गोरे हमें किसी भी तरह हैरान नहीं करते थे। इतना ही नहीं, वे मदद भी करते थे। वहाँके डॉक्टर ब्रिस्कोने हमारे बीमारोंकी सेवा-

सँभाल मुफ्त करना स्वीकार किया और जब हम चार्ल्सटाउनसे आगे बढ़े उस समय उन्होंने हमें कुछ कीमती दवाएँ और उपयोगी औजार मुफ्त दिये। रसोई मस्जिदके मकानमें होती थी और चूल्हा चौबीसों घंटे जलाये रखना पड़ता था। रसोइये हड़तालियोंमें से ही तैयार हुए थे। आखिरी दिनोंमें प्रतिदिन चारसे पाँच हजार तक आदमियोंको भोजन कराना पड़ता था। फिर भी इन कार्यकर्ताओंने कभी हिम्मत नहीं हारी। सबेरे मकईके आटेकी राब शक्कर डालकर दी जाती थी और उसके साथ डबल-रोटी; तथा शामको चावल, दाल और साग दिया जाता था। दक्षिण आफ्रिकामें अधिकांश लोग तीन बार खानेवाले होते हैं। गिरमिटिये तो तीन बार खाते ही हैं। लेकिन इस लड़ाईमें उन्होंने दो ही बार खाकर सन्तोष माना। वे तरह-तरहके स्वादके प्रेमी होते हैं, परन्तु यहाँ उन्होंने सब स्वाद छोड़ दिये।

विशाल समुदायमें इकट्ठे हुए इन आदमियोंका क्या करना, यह सवाल विचारणीय हो गया। चार्ल्सटाउनमें जैसे-तैसे इतने ज्यादा आदमियोंको लम्बे समय तक रखा जाये, तो रोगके फूट निकलनेका डर था। इतने हजार आदमी, जो हमेशा काममें ही लगे रहते थे, निकम्मे बैठे रहें यह भी ठीक नहीं था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इतने गरीब आदमी एक जगह इकट्ठे हुए लेकिन चार्ल्स टाउनमें उनमें से किसी एकने भी चोरी नहीं की। पुलिसकी जरूरत किसी भी समय नहीं हुई और न पुलिसको उनके कारण कभी ज्यादा काम करना पड़ा। फिर भी उत्तम रास्ता यह मालूम हुआ कि अब ज्यादा दिन चार्ल्सटाउनमें नहीं ठहरना चाहिए। इसलिए ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेका और यदि पकड़े न जायें तो अन्तमें टॉल्स्टॉय फार्म पहुँचनेका निर्णय किया। कूच करनेके पहले सरकारको खबर दी कि हम लोग गिरफ्तार होनेके लिए ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेवाले हैं। हमें वहाँ रहना नहीं है, वहाँके अधिकार पानेकी भी हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन जबतक सरकार पकड़ेगी नहीं तबतक हम अपनी कूच जारी रखेंगे और अन्तमें टॉल्स्टॉय फार्मपर मुकाम करेंगे। सरकार यदि तीन पाँडी कर उठा लेनका वचन दे, तो हम पीछे जानेके लिए तैयार रहेंगे। सरकारकी मनःस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह हमारे इस नोटिसपर ध्यान देती। उसके जासूस उसे बहकाते थे। वे सरकारसे कहते थे कि आन्दोलन करनेवाले लोग शीघ्र ही थक जायेंगे। सरकारने सब भाषाओंमें नोटिस छपाकर हड़तालियोंमें बाँटे थे।

अन्तमें चार्ल्सटाउनसे भी आगे बढ़नेका अवसर पास आ पहुँचा। ६ नवम्बरको तीन हजारका दल सुबह रवाना हुआ। पूरी कतार एक मीलसे भी ज्यादा लम्बी थी। श्री कैलेनबैंक तथा मैं पीछेके भागमें थे। हमारी टुकड़ी सीमापर पहुँची। वहाँ पुलिसका दल हाजिर था। हम दोनों वहाँ जा पहुँचे और पुलिसके साथ हमारी बातचीत हुई। उन लोगोंने हमें पकड़नेसे इनकार किया। इसलिए हमारा जुलूस व्यवस्था और शान्तिके साथ फोक्सरस्टमें से गुजरा। शहरके बाहर स्टैण्डर्टन रोड़पर पहुँचकर सबने पड़ाव डाला। सबने खाना खाया। स्त्रियाँ कूचमें शामिल न हों, ऐसी योजना की गई थी। फिर भी उनके जोशको रोकना मुश्किल हुआ और कुछ स्त्रियाँ भी उसमें शामिल हो गईं। परन्तु कुछ स्त्रियाँ और बालक अभी चार्ल्सटाउनमें ही रह गये थे। उनकी सँभालके लिए श्री कैलेनबैंकको फोक्सरस्टकी सीमा पार करनेके बाद वापस भेजा।

दूसरे दिन पामफर्डमें पुलिसने मुझे पकड़ा। मेरे ऊपर, जिन्हें हक नहीं था ऐसे लोगोंको ट्रान्सवालमें दाखिल करनेका, आरोप था। दूसरोंको पकड़नेका उसे हुक्म नहीं था, इसलिए फोक्सरस्ट पहुँचनेके बाद सरकारको मैंने नीचे लिखे अनुसार तार किया।^१

जुलूस आगे बढ़ा। मुझे फोक्सरस्टके न्यायाधीशके सामने पेश किया गया। मुझे अपना बचाव तो कुछ करना नहीं था। लेकिन जो लोग पामफर्डसे आगे गये थे तथा जो अभी चार्ल्सटाउनमें पड़े हुए थे, उनकी कुछ व्यवस्था करनी थी। इसलिए मैंने समय माँगा। सरकारी वकीलने उसका विरोध किया। परन्तु न्यायाधीशने कहा कि बेल (जमानत) सिर्फ खूनके ही आरोपमें नामंजूर की जा सकती है। इसलिए उसने ५० पौंडकी जमानत माँगकर एक हफ्तेका समय दिया। जमानत फोक्सरस्टके एक व्यापारीने तुरन्त ही दे दी। मैं छूटकर सीधा कूच करनेवालोंसे जा मिला। उनका उत्साह दुगना बढ़ गया। इस बीच प्रिटोरियासे तार आ गया कि मेरे साथके भारतीयोंको पकड़ने का सरकारका इरादा नहीं है। सिर्फ नेताओंको ही पकड़ा जायेगा। इसका अर्थ यह नहीं था कि बाकी सबको छूट दी जायेगी। लेकिन सबको पकड़कर सरकार हमारा काम आसान नहीं करना चाहती थी और न यही चाहती थी कि भारतमें खलबली मच जाये।

पीछेसे एक दूसरी बड़ी टुकड़ी लेकर श्री कैलेनबैंक आ रहे थे। हमारी दो हजारसे भी ज्यादा लोगोंकी टुकड़ी स्टैण्डर्टन पहुँची। वहाँ मुझे फिर गिरफ्तार किया गया। मुकदमेकी पेशी ता० २१ की पड़ी। हम और आगे बढ़े। लेकिन सरकार यह सब अब ज्यादा दिन नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने पहले तो मुझे इन सबसे जुदा करनेका कदम उठाया। इस समय श्री पोलकको शिष्टमण्डलके रूपमें हिन्दुस्तान भेजनेकी तैयारी हो रही थी। रवाना होनेके पहले वे मुझसे मिलनेके लिए आये। लेकिन 'मेरे मन कछु और है, विधनाके कछु और'। रविवारके दिन मुझे फिर तीसरी बार ग्रेलिंगस्टाडमें पकड़ा गया। इस बारका वारंट डंडीसे निकाला गया था और आरोप गिरमिटियोंको काम छोड़नेके लिए उकसानेका था। यहाँसे मुझे बिलकुल चपचाप डंडी ले जाया गया। ऊपर मैं कह चुका हूँ कि श्री पोलक हमारे साथ कूचमें थे। उन्होंने मेरा काम संभाल लिया। डंडीमें मंगलवारको केस चला। मेरे ऊपर लगाये गये तीनों आरोप मुझे पढ़कर सुनाये गये। मैंने उन्हें स्वीकार किया और अदालतकी अनुमति लेकर कहा।^२

मैं तो जेलमें निश्चिन्ततासे बैठ गया। बादमें मेरे ऊपर फोक्सरस्टमें मुकदमा चला और डंडीमें हुई नौ माहकी सजाके सिवा तीन माहकी सजा वहाँ और हुई।

इसी समय मुझे खबर मिली कि श्री पोलक पकड़े गये हैं और हिन्दुस्तान जानेके बजाय जेलमें जाकर बैठे हैं। मैं तो खुश ही हुआ, क्योंकि मेरी दृष्टिमें तो पहले शिष्टमण्डलसे इस शिष्टमण्डलका महत्व ज्यादा था। उसके बाद शीघ्र ही श्री कैलेनबैंक पकड़े गये और वे भी श्री पोलककी तरह तीन माहके लिए जेलमें जा बैठे। नेताओंके पकड़े जानेपर लोग झुक जायेंगे, ऐसा माननेमें सरकारने भूल ही की। सब हड़तालियोंको

१. देखिए " तार : गृह-मन्त्रीको ", पृष्ठ २५२-५३ ।

२. यहाँ नहीं दिया गया । बयानके लिए देखिए " डंडीमें मुकदमा ", पृष्ठ २५५-५७ ।

चार विशेष ट्रेनोंमें भरकर डंडी तथा न्यूकैसिलमें वापिस खानोंपर ले जाया गया। वहाँ उनपर बड़ा अत्याचार हुआ। उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। लेकिन कष्ट सहन करनेके लिए तो वे सब निकले ही थे। सच तो यह है कि सब अपने नेता खुद ही थे। जिन्हें नेता कहा जाता था उनकी गैरहाजिरीमें अब उन्हें अपना बल बताना था और वह उन्होंने बता दिया। कैसे बताया, यह तो सारी दुनिया जानती है।

कवि दयारामने ठीक कहा है कि :

महान् कष्ट सहे बिना कृष्णको किसने पाया ?

चारों युगोंके साधुओंका जीवन देखो।

वैष्णवके लिए प्रीति किसी बिरलेको ही होती है।

भक्तिके विरोधी लोग तो इन्हें पीड़ा ही देते हैं।

ध्रुव, प्रह्लाद, भीष्म, बलि, विभीषण,

विदुर, कुन्ती और उनके पुत्र — सबको दुःख भोगना पड़ा;

बसुमति, देवकी, नन्दजी, यशोदामाता,

और ब्रजका सारा भक्त-मण्डल, सब दुःखी रहे

— भक्तिमें ही उनका सुख था।

नल, दमयंती, हरिश्चन्द्र, तारामती,

रुक्मांगद, अम्बरीष और अन्य अनेक — कष्टसे कोई बचा नहीं;

नरसिंह मेहता, जयदेव और मीरा

— पहले तो सबको दुःखकी आगमें तपना पड़ा,

सुखकी वृष्टि तो बादमें हुई।

व्यास भी आधि-व्याधिके शिकार हुए; इसी प्रकार तुलसी और माधवादि;

शिवकी कपाली विद्याके लिए सारा विश्व उनकी निंदा करता है;

जगज्जननी जानकीको दुस्तर दुःख सहना पड़ा,

पापका लेश भी जिन्हें छू नहीं गया उन्हें भी ताप!

उन्हें जिनकी सारा जगत् वन्दना करता है।

प्राक्तन कर्मोंसे फलित प्रारब्ध जिन्हें नहीं होता,

उन्हें भी त्रिविध ताप सताते हैं।

ईश्वरकी गति अज्ञेय है; उसका हेतु समझमें नहीं आता,

उसकी इच्छा प्रबल है; सब उसके अधीन है।

पाप और पुण्य तो कहनेकी बातें हैं।

असलमें नन्दकुँवरका नचाया यह सारा जगत् नाचता है।

प्रभु इच्छाके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता।

परन्तु हमारे इस अज्ञ मनका भ्रम दूर नहीं होता।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अंक, १९१४

[जहाजसे]

१. गुजरातके एक प्रसिद्ध वैष्णव कवि (१७७७-१८५३), जिन्होंने अनेक गीत लिखे हैं ।

३८२. पत्र : छगनलाल गांधीको

[जहाजपर]

श्रावण सुदी ६ [जुलाई २८, १९१४]^१

चि० छगनलाल,

नायककी तरफ जो रकम है उसके सम्बन्धमें उसे लिखते रहना। इसमें मोतीलालकी मदद भी लेना। नायकको मैं भी लिख रहा हूँ।

यह पत्र शुरू तो आज कर रहा हूँ। ऊपरकी बात तो इसलिए लिख छोड़ी थी कि भूल न जाऊँ। हम तीनोंकी^२ ही तबीयत अच्छी चल रही है। बा तो आशा-तीत [परहेज] कर रही है। खाने-पीनेके मामलेमें जरा भी तकलीफ नहीं देती। गेहूँका उपयोग तो बहुत ही थोड़ा करती है। वह विशेष रूपसे कच्चे केले, भापसे पकाई हुई फलियाँ तथा दूधपर ही रह रही है। वहाँसे गेहूँकी जो बाटियाँ साथ लाये थे उनके खत्म हो जानेपर वह गेहूँ भी छोड़ देनेको कहती है। मैं घंटा-भर श्री कैलेनबैंकको गुजराती सिखाता हूँ। और एक घंटा यानी सायंकाल ७ बजे बा को गीताका अर्थ और रामायण सुनाता हूँ। दोनों ही वह बड़े प्रेमसे सुनती है। तीसरे दर्जेकी असुविधाएँ तो मुझे दिखाई ही नहीं देतीं। हाँ, सुविधाएँ बहुतेरी नजर आती हैं। हम लोगोंका दूसरे मुसाफिरोसे सम्पर्क नहीं है इसलिए समय बहुत बचता है। हमने अपना दैनिक कार्यक्रम निश्चित कर लिया है; इसके कारण सब कुछ नियमित चलता है। सब प्रकारका मेवा कम्पनीने ले ही रखा है सो केला, नारंगी आदि फल खूब मिल जाते हैं। कम्पनी बादाम आदिकी जरूरत भी पूरी करती है। और जो कुछ पकाना होता है वह श्री कैलेनबैंक करते हैं।

देश जानेवाला दल निकल चुका होगा अतः उनमेंसे किसीको कुछ नहीं लिख रहा हूँ।^३

इस बार अलग होनेका दुःख बहुत अधिक महसूस हो रहा है। फीनिक्समें मैंने बड़ा स्नेह अनुभव किया है। “अँसुवन जल सींच-सींच प्रेम बेल बोई” — अपने निजी अनुभवसे मैं यही उद्गार अभिव्यक्त कर सकता हूँ; मैं इसके बड़े मीठे फल चख पाया हूँ।

लेखादि काफी भेज रहा हूँ फिर भी सभी नहीं भेज पाया हूँ, यह तो तुमने देख ही लिया होगा। दूसरी किस्त मदीरा छोड़नेके बाद लिखूंगा और इसलिए वह साउदैम्प्टनसे रवाना की जा सकेगी। सामग्रीकी कमी नहीं होने देनेकी उम्मीद करता हूँ।

१. प्रथम अनुच्छेदको छोड़कर यह पत्र जुलाई २७ को लिखा गया था।

२. श्री कैलेनबैंक, कस्तूरबा और गांधीजी।

३. फीनिक्ससे २५ विद्यार्थियोंका एक दल, जिसमें मगनलाल गांधी और कुछ शिक्षक भी थे, अगस्त १९१४ को भारतके लिए रवाना हुआ था। इन्हें महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी संस्था शान्तिनिकेतनमें भर्ती होना था।

तुम्हें मैंने बचपनसे ही अपने पास रखा है। न जाने किसी दैवी प्रेरणाके कारण ही मेरी नजर तुमपर पड़ी। और तुमने मुझे अभीतक तो निराश नहीं किया है। मैं प्रभुसे यही याचना करता हूँ कि तुम्हारे कारण मुझे कभी निराशा न हो। पाँचों यमोंका आजीवन पालन करना।

फीनिक्समें सभीका प्रेम सम्पादन करना। इसीमें दया-धर्म निहित है। दयाका अर्थ अत्यन्त गूढ़ है, इसपर विचार करना। 'योग दीप' अभी-अभी पढ़कर समाप्त किया है। इसमें पढ़ा कि आत्माके अनुकूल कार्य किये जायें तो वह उन्नत होती है और विपरीत कार्यसे पतित होती है। 'स्वधर्म' की यह व्याख्या अधिक ठीक जँचती है। लिखता ही जाऊँ ऐसी तबीयत हो रही है पर अपने कार्यक्रमको देखते हुए इतना समय नहीं है। खैर, तुम ऊपर व्यक्त विचारोंको [मनन करके] खूब विकसित करना।

यह पत्र तुम तीनों ही पढ़ जाना। भाई रावजी^१ और प्रागजीको^२ इसीलिए संक्षेपमें लिखकर सन्तोष मानूंगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०४८) की फोटो-नकलसे।

३८३. पत्र : रावजीभाई पटेलको

[लन्दन]

श्रावण सुदी ७, १९७० [जुलाई २९, १९१४]

प्रिय श्री रावजीभाई,

आपका स्नेह भुलाया नहीं जाता। आपने बा को जीत लिया यह तो मेरी समझमें महाभारत जीत लेनेके समान हो गया। मैं अनुभव करता हूँ कि बा ने अपने स्वभावमें बहुत परिवर्तन कर लिया है।

तुमने जो व्रत लिये हैं उनपर दृढ़ रहना, जोंककी तरह उनसे चिपके रहना, फिर तुम म[णि भाई] को अवश्य जीत लो, सारे जगत्को जीत लो और स्वयं स्वराज्य प्राप्त करके हिन्द-स्वराज्य भी प्राप्त कर सकोगे। हमारा धर्म ही कुछ ऐसा दिव्य है। उसमें समग्र विजयकी एक ही कुंजी है। हमारा यह धर्म इतना प्रौढ़ है कि इसकी सरलता और इसकी विषमताका कोई पार नहीं है।

हम लोग जिस सादगीसे रहते थे उसमें और वृद्धि करना। जबतक मैं वहाँ था, तुम मुक्त थे। अब कैदमें हो यही समझना। स्वादेन्द्रिय [की माँगों] को व्यापक मत बनने देना। यह मत सोचना कि यह लिया ही जा सकता है और वह भी लिया जा सकता है; बल्कि यों सोचना कि एक यह उपाधि तो छूटी अब दूसरीसे पिण्ड छुड़ाना

१. "स्वधर्मों निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह" — गीता ।

२. देखिए अगला शीर्षक ।

३. यह पत्र उपलब्ध नहीं है ।

है—इसी प्रकार विजय प्राप्त करते जाना। अपनी रहनीसे मुझे वाकिफ करते रहना। तुम और भाई प्रा . . . दोनों सगे भाइयोंकी तरह रहना। खेतीमें मन लगाना। सारे फीनिक्समें सुवास फैलाकर उसे एक घर्मक्षेत्र बना देना। जहाँतक बने मौन धारण करना।

तमिलका अध्ययन न छोड़ना। मुतु आदिके साथ बोलनेका अभ्यास रखना।

मोहनदासके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

गांधीजीनी साधना

३८४. पत्र : छगनलाल गांधीको

६०, टालबोट रोड,
बेजवाटर डब्ल्यू०,
[लन्दन]
अगस्त ७, १९१४

प्रिय छगनलाल,

मैं अपनी बाईं टांगकी पुरानी पीड़ासे इस समय विस्तरपर पड़ा हुआ हूँ और इसलिए तुम्हें गुजरातीमें नहीं लिख सकूंगा। मैं बोल रहा हूँ और मेरी तरफसे कुमारी पोलक पत्र लिख रही हैं। इस पत्रके साथ पोलकको लिखे मेरे पत्रकी नकल है, जिससे तुम्हें यहाँकी परिस्थितियोंके बारेमें सारी जानकारी मिलेगी। मैं तुम्हें गुजराती लेखका शेषांश नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसके खो जानेका भय है। मैं देखूंगा कि अगले सप्ताह हालात कैसे रहते ह।

फीनिक्समें सबको मेरी याद दिला देना। साथमें भेजी जा रही पत्रकी नकलसे तुम्हें मालूम हो जायेगा कि मैं इस हफ्ते अपने पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँ। मेरी टांगकी पीड़ाके विषयमें चिन्ताका कोई कारण नहीं है। यह कलके अधिक परिश्रमके कारण है। मैं अभी लम्बे उपवासके प्रभावसे मुक्त नहीं हो पाया हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

छगनलाल गांधी
फीनिक्स (नेटाल)
दक्षिण आफ्रिका

गांधीजीके गुजराती हस्ताक्षरसे युक्त मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०४०) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य : छगनलाल गांधी।

१. यह उपलब्ध नहीं है।

२. सम्बद्ध लेखके लिए देखिए पृष्ठ ४९९-५१०।

३८५. भाषण : लन्दनके स्वागत-समारोहमें^१

अगस्त ८, १९१४

श्री बसु, मैं आपसे और श्रीमती सरोजिनी नायडूसे तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप दोनोंने अपने प्रेमसे मुझे अभिभूत कर दिया है। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह मैं कह भी सकूँगा या नहीं सो मैं नहीं जानता। साम्राज्यके ऊपर जो महान् संकट छाया हुआ है, उसका मैं अत्यन्त संक्षेपमें उल्लेखमात्र करूँगा।^२ जब से हम लोग इंग्लैंड पहुँचे और हमने [युद्ध छिड़नेका] समाचार सुना है, मैं उसके बारेमें बराबर पढ़ता और सोचता रहा हूँ। मुझे उन पत्तियों और बेटोंका खयाल आ रहा है, जो लड़ाईपर गये हैं—और उन माताओं, पत्नियों और बहनोंका भी खयाल आ रहा है जिन्हें वे विलखता छोड़ गये हैं। मैं अपने-आपसे पूछ रहा हूँ: 'इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? २१ वर्षसे मैं अपनी मातृभूमिसे बिछुड़ा हुआ हूँ। मेरे मित्रोंका कहना है कि मैंने भारतकी एक काल्पनिक तस्वीर अपने मनमें बना ली है। इसलिए मैं अपनी कल्पनाके भारतके प्रतिनिधिके रूपमें नहीं बोल सकता।' अगर मैं दक्षिण आफ्रिकामें होता तो जरूर मैं अपने देशभाइयोंके प्रतिनिधिके रूपमें कुछ कह सकता था। अभी मैं किसी नतीजेपर नहीं पहुँचा हूँ। परन्तु मुझे विश्वास है कि हम कुछ ठोस काम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपमें से जो लोग मेरी उम्रके हैं और जो मेरी तरह विद्यार्थी हैं—मैं अभी विद्यार्थी ही हूँ—वे सोचेंगे कि इस समय क्या किया जा सकता है। वे अपने गुरुजनोंकी भी सलाह लेंगे और यदि वह उनकी सदसद्-विवेक-बुद्धिको पसन्द हो तो उसपर अमल भी करेंगे।

श्रीमती गांधीके और मेरे दिलमें आप सबके प्रति जो कृतज्ञता उमड़ रही है उसे शब्दोंमें प्रकट करना असम्भव है। आपके बीच हम लगभग "जंगली" हैं। शहरोंसे दूर एक छोटेसे खेतपर हम रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि हम "जंगली" हैं। प्रसिद्धिके प्रकाशमें हमने जो कुछ थोड़ा-सा काम किया वह आपके सामने बड़े-चढ़े रूपमें पेश हुआ है। अगर आपकी नजरोंमें हम लोग प्रशंसाके पात्र बन गये तो उन लोगोंकी कितनी प्रशंसा होनी चाहिए जो हमारे पीछे रहे हैं, जिन्होंने सरल श्रद्धाके साथ संघर्ष किया है और जिन्होंने सराहे जानेकी बात कभी सोची तक नहीं।

१. अगस्त ४ को गांधीजी, कस्तूरबा और कैलेनबैकके इंग्लैंड पहुँचनेपर उनके अंग्रेज और भारतीय मित्रोंने होटल सेसिलमें एक स्वागत-समारोह आयोजित किया। इस अवसरपर अन्य लोगोंके अतिरिक्त श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री सच्चिदानन्द सिन्हा, लाला लाजपतराय, श्री जिन्ना, श्रीमती वाईवर्ग और श्री अल्बर्ट कार्टराइट उपस्थित थे। माननीय श्री भूपेन्द्रनाथ बसुने अध्यक्षता की। श्रीमती सरोजिनी नायडूने प्रमुख अतिथियोंको मालाएँ पहनाईं और अपने भाषणमें गांधीजीके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

२. अभिप्राय प्रथम महायुद्धसे है जो इस समय छिड़ चुका था।

हरबतसिंह नामका एक ७५ वर्षीय गिरमिटिया मजदूर फोक्सरस्ट जेलमें मेरे साथ था। उसे आप क्या कहेंगे? उसका क्रद पूरे छः फीटका था और उसका शरीर भव्य था। उससे मैंने पूछा, “आप क्यों आ गये?” उसने जवाब दिया, “मैं आये बिना कैसे रह सकता था? अपने भाइयोंको छुड़ानेके लिए मेरी उम्रके आखिरी दिन जेलमें बीत जायें तो मेरी आत्माको बड़ी तसल्ली होगी।” यही हुआ। वह जेलमें ही मर गया।

नौजवान नारायणसामीके बारेमें आपका क्या खयाल है? उसके माता-पिता मद्रास प्रान्तसे आये थे, जिसे लोग भ्रमवश अज्ञानके अंधकारसे विजड़ित प्रान्त मानते हैं। निर्वासित होनेसे पूर्व नारायणसामीने भारत देखा भी नहीं था। उसे कुछ दिन भूखा रहना पड़ा और इसके बाद उसका देहान्त हो गया।

इसी तरह मद्रासका एक लड़का था जिसका नाम नागप्पन था। वह भी जेल गया था। एक कैदीके रूपमें आफ्रिकाके एक मैदानमें जाड़ेकी कड़कड़ाती सर्दियोंमें कई दिन तक उसने सूर्योदयसे पहले उठकर काम किया। आपको लन्दनके जाड़ेका तो अनुभव है, परन्तु सूर्योदयके पहले आफ्रिकाके मैदानोंमें जैसी कड़कड़ाती हुई सरदी पड़ती है उसकी कल्पना आपको शायद ही होगी। काम करनेकी शक्ति नहीं होने पर भी वह वहाँ काम करता रहा, और अन्तमें मर गया।

फिर एक अठारह वर्षकी लड़की थी—बहन वलिअम्मा। वह जेल गई और वहाँसे जब छोड़ी गई तब वह मौतके दरवाजे तक पहुँच गई थी। जब श्री पोलक और मैं उसे देखने गये थे तबकी बात मुझे अच्छी तरह याद है। बड़ी सावधानीके साथ हमने उसे उठा कर दरीपर लिटाया और अपने बस-भर उसकी सुश्रूषा की। परन्तु दक्षिण आफ्रिकाके अपने हजारों भारतीयोंको रोता छोड़कर वह भी चल बसी।

उधर मजदूरोंके कानोंपर भनक आई कि कहीं कोई गड़बड़ी है। बस, इतने पर २०,००० मजदूर अपने औजारोंको फेंककर, काम छोड़कर बाहर निकल आये। इस कथनमें, लोगोंने कहा कि वे जानते ही नहीं कि उन्होंने हड़ताल क्यों कर दी है, सत्यका कुछ अंश था। वे विश्वासके वश होकर बाहर आए। हिंसाका कहीं नामोनिशान नहीं था। ये पुरुष और स्त्रियाँ भारतके रत्न हैं। इन्हींके बलपर नये भारतीय राष्ट्रका निर्माण होनेवाला है। इन वीरों और वीरांगनाओंकी तुलनामें हम तो तुच्छ मानव हैं।

परन्तु विजय केवल इनकी बहादुरीके कारण भी नहीं मिली है। निश्चय ही उन्होंने दक्षिण आफ्रिका और साम्राज्यकी सदसद्-विवेकबुद्धिको जगा दिया। अपने पुत्र और पुत्रियोंकी परीक्षाकी घड़ीमें साधुमना राजनयिक श्री गोपाल कृष्ण गोखलेके नेतृत्वमें मातृभूमिसे भी जो मदद आई उसको भी इस सफलताका श्रेय है। भारतने इस समय जो रुख दिखाया और महान वाइसराय लॉर्ड हार्डिजने जो सामयिक कदम उठाये, विजयमें उनका भी हाथ रहा है। परन्तु इन सबके बावजूद अगर दक्षिण आफ्रिकाकी विवेक-बुद्धि नहीं जागी होती, पशुबलके मुकाबलेमें भारतीयोंने जिस नैतिक शक्तिसे काम लिया उसे अगर वहाँके लोगोंने समझा नहीं होता, तो विजय असम्भव थी।

जब हम लोग गत नवम्बरमें मैदानोंसे कूच करते हुए जा रहे थे तो यूरोपीयोंने हमारी मदद की। किसी दूसरे अवसरपर मैं बता चुका हूँ कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके प्रति बड़ा दुर्भाव था। उसमें न तो कोई समझदारी थी, और न कोई समझनेके लिए तैयार ही था। परन्तु सामान्य जनता इस दुर्भावसे अलिप्त रही। उसकी ओर से हमें कोई चिन्ता नहीं थी। हमारे कूचके दरमियान वह बराबर हमारी मदद करती रही और अपने व्यवहारमें ठोस ढंगसे सहानुभूति प्रकट करती रही।

बोयाकी सरकारने भी ईमानदारीके साथ काम किया। जनरल स्मट्सने मुझे कहा — “हम नहीं चाहते कि किसी किस्मकी गलतफहमी हो। सब अपनी-अपनी बातें साफ-साफ बता दें। ये दस्तावेज लीजिए। इन्हें पढ़ जाइए। और अगर आपको कहीं जरा-सा भी असन्तोष हो तो जितनी बार चाहें मेरे पास आइए। हम उनमें आवश्यक संशोधन कर लेंगे।” और उन्होंने ऐसा ही किया।

इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समझौता करनेमें कितनी ही चीजें कारण बनीं। परन्तु एक और कारण मुझे बता देना चाहिए — श्री ऐंड्र्यूज; उन्होंने जो कुछ किया उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने निःस्वार्थ भावसे और उत्साहके साथ उन्होंने काम किया। अपने गुरु, बोलपुरके कवि और संत — रवीन्द्रनाथ ठाकुर — के द्वारा भारतके प्रति प्रेमका वे अनवरत प्रचार कर रहे थे। कविका परिचय तो मुझे श्री ऐंड्र्यूजकी मार्फत ही हुआ है।

मैंने इस समझौतेको दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंका “मेग्ना कार्टा” (महाधिकार-पत्र) कहा है। इसे बहुत विचारपूर्वक मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। उसके अन्दर बहुत बड़ी बातें हैं। परन्तु इन बड़ी बातोंके कारण ही वह ब्रिटिश भारतीयोंका ‘मेग्ना कार्टा’ नहीं है, बल्कि उसकी उस भावनाके कारण है जो दक्षिण आफ्रिका और उसकी सरकारके रुखमें जबर्दस्त परिवर्तन प्रकट करती है। हमारे देश-भाइयोंके कष्ट-सहनने उस समझौतेपर मुहर लगा दी है। हम लोगोंको लगा कि भारतके पुराने बलका प्रयोग दक्षिण आफ्रिकामें किया जा सकता है। और आठ वर्षके लम्बे कष्टोंने हमें उसकी अमोघताका निश्चय करा दिया। सरकारने देख लिया कि भारतीय जनता जब किसी चीजको मनमें धार लेती है तो दुर्घर्ष हो जाती है, और यह भी कि अपनी कमसे-कम पेश की गई माँगोंमें कोई तिल-भर भी कम करना चाहे तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगी।

श्री कार्टराइट यहीं हैं। वे शुरूसे हमारे पक्के हितैषी रहे हैं। और उन्होंने हमारी जो मदद की है उसके लिए मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। परन्तु मैं यहाँ उनसे कहूँगा कि उन्होंने हमें लगभग कमजोर करनेका यत्न किया। मुझे याद है, और उन्हें भी याद होगा कि किस तरह वे जोहानिसबर्ग जेलमें मेरे पास आये और कहने लगे — “क्या इस पत्रसे काम नहीं चल सकता?” तब मैंने उनसे कहा — “नहीं, श्री कार्टराइट, जबतक इतना फेरफार नहीं कर लिया जाता तबतक नहीं।” श्री कार्टराइटने फिर समझाया कि “समझौतेकी वृत्ति रखनेसे सब-कुछ मिल जाता है।” मैंने कहा, “सिद्धान्तोंमें समझौता नहीं हो सकता।” और सन् १९०६से लेकर १९१४ तक सिद्धान्तोंमें कभी समझौता नहीं किया गया।

हमने जिन-जिन मुद्दोंपर सत्याग्रह शुरू किया था उन सबको समझौतेमें अन्तिम रूपसे तय कर दिया गया है। परन्तु अभी हमारे सब दुःखोंका अन्त नहीं हुआ है। अभी शिकायतें बाकी हैं जिन्हें निकट भविष्यमें दूर करवाना होगा। लेकिन मुझे आशा है कि सत्याग्रहकी जरूरत नहीं होगी। उनका निपटारा भारतीय लोकमतके दबावसे, तथा डाउनिंग स्ट्रीट और दिल्ली अथवा कलकत्ताके दबावसे ही हो सकता है। दक्षिण आफ्रिकाके रुखमें परिवर्तन हो गया है। हमारे पक्षमें यह सबसे बड़ी बात हुई है। दक्षिण आफ्रिकामें अगला समझौता हमारे व्यवहारपर निर्भर करेगा।

अपनी तरफसे और श्रीमती गांधीकी तरफसे मैं श्री बसु और श्रीमती नायडूको उनके प्रेमभरे शब्दोंके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ। परन्तु आपके सामने अभी हमारा केवल उजला पहलू ही आया है। हमारी अपूर्णताओंको आप अभी नहीं जानते। भारतीय कुल मिलाकर अत्यधिक उदारहृदय होते हैं। वे दोषोंकी उपेक्षा करके गुणोंको बढ़ा-चढ़ा कर देखते हैं। इसी कारण तो हमने अपने वीर पुरुषोंको अवतार बना दिया। हमारे शास्त्रोंमें जो लिखा है उसकी मुझे याद आ रही है। लिखा है कि जहाँ हमारी प्रशंसा हो रही हो वहाँसे हमें उठकर चले जाना चाहिए, और उस सारी प्रशंसाको भगवानके चरणोंमें अर्पण कर देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हमें परमात्माने इतना साहस दिया है कि इस सारी प्रशंसाको हम उसके चरणोंमें अर्पित कर दें। उसीके नामपर और भारत-माताके नामपर हमने केवल अपना कर्तव्य करनेका ही यत्न किया है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-९-१९१४

4666

३८६. पत्र : उपनिवेश-उपमन्त्रीको


[लन्दन]

अगस्त १०, १९१४

उपनिवेश-उपमन्त्री
कलोनियल ऑफिस, एस० डब्ल्यू०
महोदय,

श्री हरमान कैलेनबैक जन्मसे एक जर्मन हैं। उनके माता-पिता रूससे आकर जर्मनीके पूर्वी प्रशियाके सीमावर्ती शहर रसमें बस गये थे। जन्मसे वे यहूदी हैं और पेशेसे वास्तुकार। वे पिछले १८ वर्षोंसे दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए हैं। वे ट्रान्सवालमें टॉल्स्टॉय फार्मके मालिक हैं और इसके अलावा उसी प्रान्तमें उनकी जमीन जायदाद आदि भी है।

वे पिछले १० वर्षोंसे दक्षिण आफ्रिकामें मेरे कामसे सम्बद्ध रहे हैं और चूँकि हम दोनों भारत जा रहे हैं, वे मेरे साथ आये हैं।



श्री कैलेनबैंक कभी औपचारिक रूपसे ब्रिटिश प्रजाजन नहीं बने। परन्तु चूँकि वे हमारे साथ भारत जा रहे थे, हम दोनों ही इस निष्कर्षपर पहुँचे कि उनका नागरिक बन जाना बहतर होगा। इसलिए दक्षिण आफ्रिका छोड़नेसे पहले अर्थात् १८ जुलाईसे पूर्व उन्होंने नागरिकता पानेके लिए अपनी अर्जी गृहमन्त्रीके पास प्रिटोरिया भेजी। वफादारीकी शपथ वे भारतमें लेनेवाले थे। सम्भावना यह थी कि उनके कागजात उनके वहाँ पहुँचनेके बाद पहुँच जायेंगे। वर्तमान संकटके कारण श्री कैलेनबैंक और मैं दोनों ही यहाँ अटक गये हैं और हम दोनों आशा करते हैं कि साम्राज्य-पर जो संकट आ गया है उसके दौरान गैर-फौजीके रूपमें हम अपनी सेवायें शीघ्र ही अर्पित कर सकेंगे।

अस्तु, मैं यह सब इसलिए लिख रहा हूँ कि इस समय 'जर्मन अपना पंजीयन करा लें' इस आशयके नोटिस निकल रहे हैं और कैलेनबैंकके पास अभी नागरिकताका कोई प्रमाणपत्र नहीं है। हम निश्चित रूपसे यह जानना चाहते हैं कि इस बारेमें उन्हें कोई कदम उठाना है या नहीं?

हर हालतमें, श्री कैलेनबैंककी ऐसी इच्छा है कि वे अपनेको पूरी तरह अधिकारियोंके हवाले कर दें।

आपका अत्यन्त आज्ञाकारी सेवक
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स: ५५१/६८

३८७. एक गोपनीय गश्ती-पत्र'

[लन्दन

अगस्त १३, १९१४]

हम लोगोंने जिनके हस्ताक्षर नीचे हैं, अच्छी तरह सोच-विचार कर यह तय किया है कि हम मातृभूमिके और साम्राज्यके लिए बिना किसी शर्तके इस आपत्तिकालमें अपनी सेवाएँ अधिकारियोंको समर्पित कर दें। "बिना किसी शर्तके" शब्दका प्रयोग विचारपूर्वक किया जा रहा है क्योंकि हमारा खयाल है कि ऐसे समयमें, जो भी काम हमें दिया जा सकता हो उसे अपने व्यक्तित्वके या आत्मसम्मानके खिलाफ मानना ठीक नहीं कहा जा सकता।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-९-१९१४

१. यह युद्धकालमें ब्रिटिश सरकारको मदद देनेके भारतीय प्रस्तावके पूर्व कुछ लोगोंमें घुमाया गया था। देखिए अगला शीर्षक। इसपर गांधीजी, कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू और पचास अन्य लोगोंके हस्ताक्षर थे।

३८८. पत्र : भारत-उपमन्त्रीको

[लन्दन]

अगस्त १४, १९१४

सेवामें

भारत-उपमन्त्री

[महोदय,]

हम लोगोंमें से बहुतोंने यह उपयुक्त समझा कि साम्राज्यपर जो संकट छा गया है उसके दौरान—जब अनेकों अंग्रेज अपने जीवनका सामान्य धन्धा त्याग कर साम्राज्यकी पुकारपर आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भारतीय साम्राज्यमें रह रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे जो कुछ कर सकते हों उस कामके लिए अपने आपको बिना किसी शर्तके अधिकारियोंके हाथमें सौंप दें।

अधिवासी भारतीय जनताकी भावनाको निश्चित रूपसे जाननेके लिए हस्ताक्षरकर्ताने एक कानूनी पत्र^१ उन भारतीयोंके पास भेजा जिन्हें वह ३० घंटेके अन्दर, जो समय संगठनकर्ताओंने स्वयं निर्धारित किया था, पहुँच सकता था। प्रतिक्रिया शीघ्र और पर्याप्त हुई है तथा हस्ताक्षरकर्ताकी रायमें वह महामहिमके भारतीय साम्राज्यके उन प्रजाजनोंका प्रतिनिधित्व करती है जो इस समय संयुक्त साम्राज्यके विभिन्न भागोंमें रह रहे हैं।

अपने लोगोंकी ओरसे और उन लोगोंकी ओरसे जिनके नाम संलग्न सूचीमें दिये हैं, हम अपनी सेवाएँ अधिकारियोंको सादर समर्पित करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि परम माननीय मारक्वेस ऑफ क्रू हमारी सेवाएँ स्वीकार करेंगे तथा उपयुक्त अधिकारीसे इसकी स्वीकृति दिला देंगे। हम सादर इस तथ्यपर जोर देंगे कि जो सर्वोपरि विचार हमें प्रेरित कर रहा है वह यह है कि हम जिस थोड़ी बहुत मददके लायक समझे जायें वह कर सकें; चूँकि हम इस महान् साम्राज्यकी सदस्यताके लाभ भी उठाते हैं, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम इसके उत्तरदायित्वोंमें हिस्सा बँटायें।

हम यह भी कह देना चाहते हैं कि जिनके नाम इस पत्रके साथ भेजे जा रहे हैं, उनमें से कुछ तो पहलेसे सरकारकी मददमें लगी हुई कतिपय संस्थाओंके साथ काम कर रहे हैं। हमें जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि हमारा तुच्छ निवेदन स्वीकार हो जाता है तो भारतीय समाजमें इस खबरके फैलते ही और भी बहुतसे स्वयंसेवक आगे आयेंगे।^२

मो० क० गांधी

और अन्य लोग

[अंग्रजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-९-१९१४

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. भारत उपमन्त्री, चार्ल्स रॉबर्ट्सने इस पत्रका उत्तर दिया और सरकारकी स्वीकृति व्यक्त की। देखिए परिशिष्ट २९।

३८९. पत्र : सी० राॅबर्ट्सको

[लन्दन]

अगस्त २४, १९१४

प्रिय श्री राॅबर्ट्स,

आपने श्री हरमान कैलेनबैकका नाम सुना ही होगा; वे पिछले दस वर्षसे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके आन्दोलनसे सम्बद्ध रहे हैं। उनके माता-पिता मूलतः रूस देशसे आकर जर्मनीमें पूर्वी प्रशियाके रस नामक नगरमें बस गये थे। वहीं श्री कैलेनबैकका जन्म हुआ था। वे जर्मन नागरिक रहे हैं। इधर पिछले अठारह वर्षोंसे वे दक्षिण आफ्रिकामें रहकर वास्तुकारके रूपमें काम कर रहे हैं। ट्रान्सवालमें उनकी काफी बड़ी भू-सम्पत्ति है। श्री कैलेनबैकने चूंकि ट्रान्सवाल-वासी जर्मन-नागरिकोंके अपेक्षित कर्तव्योंका पालन नहीं किया, इसलिए जर्मन कानूनके अनुसार जर्मन नागरिकताका उनका अधिकार छिन गया है।

चूंकि वे दक्षिण आफ्रिकासे हमारे रवाना होनेसे पहले मेरे साथ भारत आ रहे थे, इसलिए हम दोनों इसी नतीजेपर पहुँचे कि उनको दक्षिण आफ्रिकाकी नागरिकता ले लेनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने पिछली १५ जुलाईको जोहानिसबर्गमें अपना प्रार्थनापत्र तैयार कर लिया था और अपने वकीलको हिदायत दे दी थी कि उनका प्रमाणपत्र उनके भारतके पतेपर भेज दिया जाये; यह इसलिए कि हमें लन्दनमें ज्यादा नहीं रुकना था। वफादारीकी शपथ उन्हें भारतमें लेनी थी।

चूंकि मुझे पता नहीं कि वैधानिक रूपसे श्री कैलेनबैककी ठीक-ठीक क्या स्थिति है, इसलिए मैंने उनके बचावकी दृष्टिसे ही उपनिवेश-कार्यालयके सामने उपर्युक्त तथ्य पेश कर दिये हैं और अब उसके उत्तरकी राह देख रहा हूँ।

श्री कैलेनबैक भारतीय स्वयंसेवक दलमें शामिल होना और डॉ० कॅन्टलीकी देखरेखमें चलनेवाली कक्षामें प्राथमिक चिकित्साका प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु वे ऐसा कोई कदम तबतक नहीं उठाना चाहते जबतक 'इंडिया ऑफिस' को यह सब बतलाकर उसकी अनुमति प्राप्त न कर ली जाये। आप जानते ही हैं कि कक्षा बुधवारके दिन दस बजे दोपहरको शुरू होती है, इसलिए अच्छा हो कि आप इस मामलेपर विचार करके बुधवारकी सुबहसे पहले अपना उत्तर देनेकी कृपा करें।

आपका,

मो० क० गांधी

श्री चार्ल्स राॅबर्ट्स, संसद-सदस्य
इंडिया ऑफिस

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : ५५१/६८

३९०. पत्र : मगनलाल गांधीको

८४-८५, पैलेस चैम्बर्स,

वेस्ट मिन्स्टर, लंदन

भाद्रपद सुदी ५, [अगस्त २६, १९१४]

चि० मगनलाल,

मेरी स्थिति कुछ ऐसी अस्त-व्यस्त है कि कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा है कि क्या लिखूं? अभी यहाँ घायलोंकी सेवा-सुश्रूषाके वर्ग^१ शुरू किये गये हैं, मैं भी इनमें जाता हूँ। हम कुल मिलकर ५९ भारतीय इस वर्गमें हैं। ये वर्ग तीन सप्ताह तक चलेंगे। इसके बाद मेरे [भारत] आनेके सम्बन्धमें मैं कुछ विचार कर सकूंगा। यह भी सम्भव है कि श्री कैलेनबैंकके^२ आ पानेमें थोड़ी बाधा खड़ी हो। ऐसी स्थितिमें मेरे आनेमें विशेष विलम्ब हो सकता है। मेरे भारत पहुँचनेमें कुछ-न-कुछ विघ्न तो आया ही करते हैं।

मुझे [नियमित] पत्र लिखना तो तुम शुरू कर ही दो। वहाँ तुम सभीकी परीक्षा ही हो रही है। पैसा बहुत सम्हाल कर खर्च करना। खानेपीनेमें सब लोग परहेजसे रहना। इससे तन और मन दोनों शान्त रहेंगे और फीनिक्सका गौरव बढ़ेगा। इस बार तो सबको पत्र नहीं लिख सकूंगा। सम्भव है अगले सप्ताह थोड़ी फुरसत मिले। तुम कौन-कौन लोग एक साथ हो? मुझे पूरी नामावली भेजना। तुम्हारा सभीका डबनमें सम्मान हुआ है यह मैंने 'इंडियन ओपिनियन'में पढ़ा। तुम सभी अपने अध्ययनमें जुटे रहना। मगनभाईकी^३ तबीयत ठीक होगी। यदि किसी बातकी आवश्यकता जान पड़े तो 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी'के श्री देवधरसे^४ मिलना। तुम्हारा रहना तो रेवाशंकर-भाईके^५ साथ ही होगा। मुझे उनका पत्र मिला था। उसमें उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि तुम उन्हींके साथ रहो।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५६) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

१. प्राथमिक सहायता वर्गकी यहाँ जो चर्चा की गई है उससे पता चलता है कि यह पत्र १९१४ में इंग्लैंडसे लिखा गया होगा।

२. इन वर्गोंका संचालन रिजेंट स्ट्रीट पोलीटेक्निकमें रेड क्रॉस कार्यके विशेषज्ञ डॉ० जेम्स कैन्टलीने किया था।

३. श्री कैलेनबैंकको जर्मन होनेके नाते भारतके लिए अनुमति-पत्र देनेसे इनकार कर दिया गया था।

४. तात्पर्य फीनिक्सके निवासियोंके उस दलसे है जो भारत जानेवाला था।

५. मगनभाई पटेल।

६. गोपाल कृष्ण देवधर (१८६९-१९३५); सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने पूनामें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तथा स्त्रियोंका उद्धार करनेवाली संस्था सेवा सदनमें काम किया था।

७. रेवाशंकर जगजीवन शिवेरी, डॉ० मेहताके भाई तथा जीवन-पर्यन्त गांधीजीके मित्र रहे।

३९१. पत्र : मगनलाल गांधीको

[लन्दन]

भाद्रपद सुदी १४ [सितम्बर ३, १९१४]

चि० मगनलाल,

मैं पिछले सप्ताह तुम्हें पत्र लिख चुका हूँ। मेरे सभी पत्र तुम्हें मिल गये होंगे। मैं तो यहाँ काममें गर्क हो गया हूँ। मालूम होता है कि जिसे अपना फर्ज अदा करना है उसे फुरसत ही नहीं मिल सकती।

आज हमारी घायलोंकी प्राथमिक चिकित्सा-सम्बन्धी परीक्षा थी। मुझे भी बहुत पढ़ना पड़ा। परीक्षामें निम्नलिखित प्रश्न पूछे गये थे: “अफीमके जहरको कैसे उतारा जाये?” “यदि घायलकी हँसली टूट गई हो तो उसकी हिफाजत किस प्रकार की जाये?” “हथेलीमें घाव लगा हो तो खूनका गिरना कैसे बन्द किया जाये?” इस वर्गमें हम ७० भारतीय हैं। कलसे दूसरा सत्र शुरू होगा। और फिर जो तमाम स्वयंसेवक आते रहते हैं उनसे मिलना हो जाता है सो अलग। युद्धके परिणामकी फिलहाल कोई खबर नहीं लगती। हमें भी किस विशेष मोर्चेपर जाना पड़ेगा यह नहीं कहा जा सकता। ऐसी कुछ अनिश्चित स्थिति चल रही है। बाका स्वास्थ्य वैसे बहुत अच्छा है परन्तु कमजोरी अभी गई नहीं है। उपवासका प्रताप है। श्री कैलेनबैक गुजराती सीख रहे हैं। यह आशा लगाये बैठा हूँ कि तुम सबके पत्र मिलते रहेंगे।

यह पत्र सभी लोग पढ़ लें। मुझे लगता है कि तुम सबकी परीक्षा अनुमानसे भी कुछ विशेष कठिन होगी। मगनभाई, मणिलाल और जमनादास आदिको अभी तो पत्र नहीं लिख सकूंगा। अगले सप्ताह देखा जायेगा। तुम पत्र लिखते रहना। मगनभाई तथा सन्तोककी तबीयतका हाल जाननेकी राह देख रहा हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (जी० एन० २७६३) की फोटो-नकलसे।

३९२. पत्र : मगनलाल गांधीको

[लन्दन]

भाद्रपद वदी १३ [सितम्बर १८, १९१४]

चि० मगनलाल,

पिछले हफ्ते तुम्हें पत्र नहीं लिख सका; उसके लिए समय ही नहीं मिला। अधिकांश समय बीमारों और घायलोंकी सेवा-सुश्रूषाकी तालीमकी क्लासमें चला जाता है और बाकी श्री गोखलेके साथ। उनकी तबीयत फिलहाल तो ठीक चल रही है। हमें अभी दो माह तक तालीम दी जायेगी और उसके बाद जहाँ लड़ाई चल रही है वहाँ

१. देखिए पिछला शीर्षक।

भेज दिया जायेगा। इसलिए अभी निकट भविष्यमें तो मेरा वहाँ आना हो नहीं सकता। लड़ाई जल्दी ही बन्द हो जाये तो और बात।

तुम सब [सम्भवतः] यह जानना चाहोगे कि मैं घायलोंकी सेवाके काममें भी क्यों पड़ा। दक्षिण आफ्रिकामें अभी कुछ ही दिन पहले तक मैं यह कहा करता था कि सत्याग्रहियोंके रूपमें हम घायलोंकी सेवामें भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वह भी लड़ाईको उत्तेजन देनेके बराबर है। कसाईखाने [कसाईके काम]में जो मदद नहीं करना चाहता वह कसाईका घर साफ करनेके काममें भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा कि इंग्लैंडमें रहते हुए मैं एक दृष्टिसे लड़ाईमें भाग ले ही रहा हूँ। लड़ाईके इस कालमें लन्दनको जो खाद्य-सामग्री मिलती है वह समुद्री बेड़ेकी रक्षाके कारण ही मिलती है। अतः ऐसी खुराक खाना भी दोषयुक्त हुआ और वह दोष तो मैंने किया है। इससे बचनेका एक ही उपाय था। उपाय यह था कि यहाँके पहाड़ोंमें, कन्दराओंमें चला जाऊँ और मनुष्यकी मददके बिना, कुदरतसे जो भी आच्छादन या खुराक मिल जाये उसीसे अपना काम चलाऊँ। चूँकि ऐसा करनेका आत्मिक बल अपने भीतर मैंने नहीं पाया इसलिए हाथ हिलाये बिना युद्ध-दूषित खुराक लेना भी अत्यन्त अनुचित लगा। जब हजारों लोग केवल इसलिए कि उन्हें ऐसा करना अपना कर्तव्य मालूम होता है, अपने प्राण अर्पित करनेके लिए निकल पड़े हैं, तो मैं कैसे बैठा रह सकता हूँ। बन्दूक तो यह हाथ कभी उठायेगा नहीं, इसलिए घायलोंकी सेवाका ही एक काम बाकी रह गया और वही मैंने ले लिया। मनके साथ मेरा जो सम्वाद हुआ उसका यह सारांश है। दृढ़ निश्चयके साथ मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने जो कदम उठाया है, ठीक ही है, किन्तु कई बार विचार करनेके बाद भी कोई दूसरा रास्ता अभी तक मुझे सूझा नहीं है।

मेरा अनुमान है कि यहाँ हमें अभी कमसे-कम चार माह और लग जायेंगे। लड़ाई इससे ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। बाकी तबीयत ठीक रहती है; खूब चल-फिर सकती है। यहाँ तो उसने गेहूँ भी छोड़ दिया है। मैं जो कुछ कहता हूँ उसके सिवा वह केवल दूध और लेती है। श्री कैलेनबैकका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। उनकी गुजरातीकी पढ़ाई चल रही है। भाई सोराबजी हमेशा मिलते रहते हैं। मेरे साथ लड़ाई [के काम]में दाखिल हुए हैं। इस क्लासमें हम ७० व्यक्ति हैं। उन्होंने पहली यानी प्रवेशकी परीक्षा पास कर ली है। बैरिस्टर होनेमें उन्हें तीन वर्ष और लगेंगे। ज्यों-ज्यों अनुभव बढ़ता जाता है त्यों-त्यों मैं देखता हूँ कि यहाँ आना और डिग्रियाँ प्राप्त करना बिल्कुल बेकार है। विद्यार्थियोंकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। पढ़ते शायद होंगे, गुनते तो हैं ही नहीं। चारित्र्यका नाश हो जाता है। बहुत ही थोड़े लोगोंका— और वह भी पक्की उम्रके बाद— यहाँ आना ठीक माना जा सकता है।

यह पत्र तुम सब लोग पढ़ना। इसकी नकल कर लेना और मूल पत्र डॉ० मेहता-को भेज देना। नकल चि० हरिलालको भेज देना। मुझे पत्र नियमपूर्वक लिखते रहो। पता इस प्रकार है:—८४/८५, पैलेस चैम्बर, वेस्ट मिन्स्टर, लन्दन। किसी दूसरेको अलगसे नहीं लिख रहा हूँ इसलिए यह पत्र सबके लिए समझना।

तुम सब लोगोंको अपनी स्थिति विषम महसूस हो रही होगी। ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हारी सहायता करे और अपने कर्तव्यका पालन करनेमें दृढ़ता प्रदान

करे। इस पत्रकी एक नकल सामलदासको^१ भी भेजना। उसे तुम्हारे दलमें शामिल हो जाना चाहिए। भाबियोंके चरणोंमें प्रणाम करनेका अवसर तो कौन जाने कब आयेगा। मगनभाई^२ अपने घर ही आये या नहीं, यह जाननेके लिए आतुर हूँ। फकीरी^३ और कुपुके^४ लिए तमिल सीखनेकी व्यवस्था कर सको तो करना। सी० नटराजनसे^५ मिलना; वे इस सम्बन्धमें तुम्हें ठीक सलाह देंगे। सब लोगोंसे पत्र लिखनेके लिए कहना। कल्याणदासका^६ क्या हाल है—समाचार देना।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजरातीकी प्रतिलिपि (सी० डब्ल्यू० ५७६६ और एस० एन० ६०५२) से।
सौजन्य : राधाबेन चौधरी

३९३. पत्र : छगनलाल गांधीको

[लन्दन]

भाद्रपद वदी १४ [सितम्बर १९, १९१४]

चि० छगनलाल,

जो कुछ लिख गया हूँ वह सब भेजते हुए हिचकिचा रहा हूँ। डाककी ऐसी कुछ दहशत रहती है। तुम्हारी ओरसे इस बार कोई डाक अभी तक नहीं आई। यह देश मुझे तो जहर-जैसा लगता है। मेरा मन तो भारतमें पड़ा है। मजबूरन रहना है, यही समझकर यहाँ पड़ा हूँ। इस सम्बन्धमें कुछ विस्तारसे ही लिखना चाहता हूँ पर अभी न फुरसत है और न इच्छा। यहाँ जबतक हूँ मुझे पत्र बराबर देते रहना। इमाम साहबको सलाम कहना। उन्हें भी जवाब देना है पर जब दे पाऊँ, तब ठीक। रावजीभाई और प्रागजीसे भी कहना कि मुझे पत्र लिखें।

बारमें प्रवेशके लिए मैंने सोराबजीको १९० पौंड दिये हैं। यह रकम डॉक्टर मेहताके खातेमें लिखकर उतनी रकमकी हुंडी रजिस्ट्री करके यहाँ भिजवा देना। यदि मैं यहाँ न रहा तो पत्र भारत आयेगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०५१) की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजीके बड़े भाई लक्ष्मीदास गांधीके पुत्र।
२. मगनभाई पटेल।
- ३-४. विद्यार्थी; मगनलाल गांधीके साथ भारत गये थे।
५. कामाक्षी नटराजन, इंडियन सोशल रिफार्मर, बम्बईके प्रसिद्ध सम्पादक।
६. कल्याणदास जगमोहनदास मेहता, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४७५।

३९४. परिपत्र : प्रशिक्षण दलके सम्बन्धमें

सितम्बर २२, १९१४

यूनाइटेड किंगडममें निवास करनेवाले भारतीय विद्यार्थियोंने देशकी प्रतिरक्षाके लिए देशमें और विदेशोंमें भेजी जानेवाली सैनिक सेवाओंमें सक्रिय रूपसे हाथ बँटानेकी अपनी इच्छा व्यापक तौरपर व्यक्त की है। उसे देखते हुए ही, "रेड क्रॉस सोसाइटी"की देखरेखमें एक 'फील्ड एम्बुलेन्स ट्रेनिंग कोर'का संगठन करने और उस दलके सदस्योंको पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने पर यूरोपमें तैनात भारतीय सेनाके साथ काम करनेका अवसर देनेका निर्णय किया गया है। प्रारम्भिक तौरपर इस दल (कोर) का एक दस्ता लन्दनमें संगठित किया जा चुका है और डॉ० जेम्स कैन्टलीकी देखरेखमें कुछ सप्ताह तक उससे ड्रिल कराई गई है और प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब युद्ध-कार्यालय और 'लन्दन युनीवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर'के अधिकारियोंके सहयोगसे इस प्रारम्भिक दस्तेके सदस्योंकी संख्या बढ़ाने और उसे एक अत्यन्त ही सुसंगठित 'कोर'के रूपमें विकसित करनेके लिए कदम उठाये जा रहे हैं। भारत-सरकारने इसकी इजाजत दे दी है और "इंडियन मेडिकल सर्विस" के [निवृत्त] लेफ्टिनेंट कमाण्डर बेकर इस कोरके कमाण्डर बननेके लिये तैयार हो गये हैं।

इसमें शामिल होनेके इच्छुक भारतीय सज्जनोंको अविलम्ब ही अपने नाम 'इंडियन वालन्टियर कमिटी,' ६०, टालब्रोड रोड, बेज़वाटर, लन्दनके पतेपर भेज देने चाहिए।

वैसे तो यह 'कोर' मुख्यतः लन्दन-निवासियोंके लिए बनाई गई है पर अन्य नगरोंके भारतीय विद्यार्थी भी यदि चाहें तो इसमें शामिल किये जा सकते हैं। वैसे तो शिक्षण पाने और सेवा करनेके इच्छुक सभी व्यक्ति इसमें उपयोगी होंगे किन्तु चिकित्सीय शिक्षण-प्राप्त लोग इसमें विशेष उपयोगी होंगे। प्रार्थियोंको 'इंडियन फील्ड एम्बुलेन्स ट्रेनिंग कोर' का सदस्य बननेके लिए कहा जायेगा और 'मेडिकल बोर्ड' उनकी शारीरिक सक्षमताकी जाँच करेगा। उसमें पास होनेके बाद उनको लन्दनमें लगभग रोज ही किसी ऐसे समय, जो उनके दैनिक काम-काज या अध्ययनमें आड़े न आये घन्टे भर प्रशिक्षित प्रशिक्षकोंकी देखरेखमें कवायद (ड्रिल) करनी पड़ेगी और हर सप्ताहान्तमें शुक्रवारकी रातसे लेकर सोमवारकी सुबह तक आगेके प्रशिक्षणके लिए सामूहिक रूपसे लन्दनसे बाहर जाकर शिविर लगाने पड़ेंगे। ऐसे शिविरोंके लिए लन्दनसे आसानीके साथ आ-जा सकने योग्य एक मैदान लन्दनसे बाहर 'कोर' को दे दिया जायगा और वर्दियॉ तथा साज-सज्जा खरीद ली जायेगी। प्रशिक्षणके दौरान काफी कड़ी मेहनतसे

१. इस लेखका मूल शीर्षक था — "इंडियन फील्ड एम्बुलेन्स ट्रेनिंग कोर"। इसका मसविदा गांधीजी और श्री मैथेयने तैयार किया था; देखिए "पत्र : सी० रॉबर्ट्सको", पृष्ठ ५३४-३५।

डटकर काम करना पड़ेगा। कुछ सप्ताहके शिक्षणके बाद कार्यक्षम हो जानेपर, वे विदेशोंमें तैनात भारतीय सेनाके साथ 'रेड क्रॉस सोसाइटी' की देखरेखमें एक टुकड़ीके रूपमें छः महीने तक काम करनेके लिए अपनी सेवाये अर्पित कर सकेंगे। उस सेवामें काम करनेकी शर्तें, इत्यादि बादमें घोषित की जायेंगी। परन्तु अभी इतनी आशा तो है कि 'रेड क्रॉस सोसाइटी' विदेश भेजी जानेवाली प्रत्येक टुकड़ीमें दस चिकित्सा-अधिकारियोंको और परिचर्या-चपरासियों, मरहमपट्टी करनेवालों, कम्पाउण्डरों, बैरों इत्यादिके रूपमें काम करनेवाले पचास अन्य रंगरूट प्रशिक्षणार्थियोंको काम दिलानेमें सफल होगी। इस प्रकार बाहर भेजे जानेवाले चिकित्सा-अधिकारियोंको शायद बीस शिलिंग प्रतिदिन और शेषको मुफ्त भोजनके साथ चार शिलिंग प्रतिदिन वेतन दिया जायेगा। इन पदोंके लिए चुनावमें उन रंगरूट प्रशिक्षणार्थियोंको ज्यादा योग्य माना जायेगा जिनका प्रशिक्षण कमांडिंग ऑफिसरकी रायमें, सबसे अधिक कार्य-क्षमतापूर्ण होगा।

[अंग्रेजीसे]

छपे हुए अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ६०५३) से।

३९५. पत्र : डॉ० अब्दुर्रहमानको

[लन्दन]

अक्तूबर १, १९१४

प्रिय डॉ० अब्दुर्रहमान,

मेरी समझमें आपको चाहिए कि आप मन्त्री महोदयको सूचित कर दें कि आप केवल मलय समाजका ही नहीं, उन मुसलमानोंका भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो मलायाके नहीं हैं। साथ ही आपके मामलेपर उनको एक बयान अवश्य दिया जाना चाहिए। इस सप्ताहके 'इंडियन ओपिनियन' में आप वकीलकी राय पढ़ेंगे। उससे आपको पता चल जायेगा कि फैसलेका अधिवासी मुसलमानोंपर भी प्रभाव पड़ा है। [आप उन्हें बतायें] कि आप चाहते हैं कि गैर-ईसाइयोंके उन विवाहोंको जो सम्बद्ध पंथोंके धर्ममें विहित रीतिसे सम्पन्न हुए हों, मान्यता मिलनी चाहिए। यदि एक शिष्ट-मण्डलसे भेंट की जा सके तो समस्याका कोई हल निकल सकता है। उस अवस्थामें जो भावना जाग्रत हो गई है उसकी तीव्रताको मन्त्री महोदय समझेंगे। मुझे आशा है कि आप कानूनको बदलवा कर ही सन्तुष्ट होंगे — इससे कम किसी दूसरे कदमसे नहीं। इसपर कोई भी आश्वासन पर्याप्त नहीं माने जा सकते।

आपका,

मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५७५८) की फोटो-नकलसे।

३९६. भाषण : इंडियन फील्ड एम्बुलेन्स कोरके सामने'

[लन्दन

अक्टूबर १, १९१४]

श्री गांधीने हर काममें डॉक्टर कैंटलीके अद्भुत उत्साहकी सराहना की। किन्तु कहा कि डॉक्टर साहबमें एक कमजोरी भी है और वह है उनकी यह उत्कट अभिलाषा कि "अपने शरीरोंको एकदम गर्म बनाये रखनेके लिए हम [चुस्त] घाघरे पहना करें" यह वाक्य सुननेपर सभामें उपस्थित व्यक्तियोंमें से डॉ० कैंटली ही सबसे अधिक और देर तक हँसे। श्री गांधीने पॉलीटेक्निक संस्थाके निदेशकोंके कार्यकी प्रशंसा सुन्दर शब्दोंमें की। वे लोग उस प्रशंसाके अधिकारी भी थे। इस संस्थाने भारतीय सेवा दल (इंडियन कोर) के रहनेके लिए साया प्रदान किया है। इस संस्थाने सेवा दलके सदस्योंको अपने शानदार साज-सामान, भवन इत्यादिका और अन्य अनेक सुविधाओंका लाभ भी उठाने दिया है। और इस सबकी एवजमें पैसा नाममात्रको ही लिया है, क्योंकि उन्हें संचालित करनेवाली प्रधान भावना देशभक्ति और सेवा-परायणता ही है।

श्री गांधीने आगाखाँका "परिचय" देते हुए कहा कि उनका परिचय देना अशिष्टता होगी। खास तौरपर मेरे द्वारा जो बीस वर्षसे भी अधिक असें तक अपनी मातृभूमिसे बाहर रहा हो। आगाखाँ महोदयने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं इस संकट-कालमें ब्रिटिश सेनामें एक सैनिककी हैसियतसे काम करने लूँ। यह सुनते ही श्री गांधीने, जैसीकि आशा थी, अवसरको हाथसे न जाने दिया। उन्होंने कहा कि आगाखाँने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है और उनके लिए सेना-विभागमें प्रत्येक मार्ग सुलभ है। सेना-विभागमें भर्ती होनेके फलस्वरूप भारतीय सेवा-दलका हौसला बढ़ेगा, उन्हें भी प्रसन्नता होगी, और सन्तोष भी होगा। सेवा-दलके सदस्य आगाखाँके नीचे खुशीके साथ काम

१. रीजेण्ट स्ट्रीट, लन्दनमें स्थित पॉलीटेक्निक इन्स्टीट्यूशनके भवनमें एक सार्वजनिक सभा हुई थी। इस सभाका आयोजन डॉक्टर जेम्स कैंटलीकी सेवाओंके लिए उन्हें सम्मानित करनेके उद्देश्यसे किया गया था। उन्होंने 'इंडियन वॉलंटरी एड कोर' नामक सेवा-दलको स्वास्थ्य-विज्ञान, स्वच्छता और प्राथमिक चिकित्सामें प्रशिक्षण दिया था। इस दलको इंग्लैंडके युद्ध-कार्यालयने मान्यता दी थी और इसका नाम 'इंडियन फील्ड एम्बुलेन्स कोर' रखा गया था। कर्नल आर० जे० बेकरने जो कि इंडियन मैडिकल कोरके भूतपूर्व सदस्य थे, डॉ० कैंटलीके बाद प्रशिक्षण कार्यका भार उठाया था। श्री गांधीने इस सभाकी अध्यक्षता की। इसमें आगाखाँने भाषण दिया था। उपस्थित व्यक्तियोंमें श्रीमती कस्तूरबा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री अमीर अली और श्री कैलेनबैकके नाम उल्लेखनीय हैं। इससे पहले इस सभामें गांधीजीने डॉक्टर कैंटलीको उनकी सेवाओंके उपलक्ष्यमें रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी रचनाओंका एक संकलन भेंट किया था।

करेंगे। श्री गांधीने आगाखाँके सम्बन्धमें और भी प्रशंसात्मक शब्द कहे। उन्होंने कहा कि वे दक्षिण आफ्रिकाके संघर्षके दिनोंमें भारतीयोंका उत्साह अनवरत रूपसे बढ़ाते रहे और अच्छी खासी आर्थिक सहायता लगातार पहुँचाते रहे। श्री गोखलेने दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके हितमें जो कठिन परिश्रम किया था उसमें भी उन्होंने हाथ बँटाया था। श्री गांधीने यह भी कहा कि आगाखाँको देखकर उनके अनुयायियोंका -- जिनमें से कुछने हमारे संघर्षमें भाग लिया था -- ही नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीयका हृदय भी प्रसन्न हो उठता है फिर चाहे वह किसी भी धर्मका माननेवाला क्यों न हो।'

इसके उपरान्त श्री गांधीने हिन्दुओंकी ओरसे मुसलमान भाइयोंके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि श्री लायड जाँजके कथनपर जो रोष मुसलमानोंको हुआ है उसमें हम हिन्दू लोग पूर्णतया उनके साथ हैं। उन्होंने सलाह दी कि आप लोग एक-एक पैसा माँगकर कोष एकत्रित करके इंग्लैंडके गृह-मन्त्रीके पास एक ऐसा प्रामाणिक और विश्वसनीय विवरण लिख भेजें जिससे यह प्रामाणित हो जाये कि मुसलमानोंके पैगम्बर बुरात्मा न थे जैसा कि उन्होंने मान रखा है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-११-१९१४

३९७. पत्र : कर्नल आर० जे० बेकरको

लन्दन

अक्तूबर १३, १९१४

प्रिय कर्नल बेकर,

आपकी आजकी तारीखकी चिट्ठीके लिए धन्यवाद। उसीके साथ श्री वेंकटरमण द्वारा आपका मौखिक सन्देश भी मिला। उन्होंने मेरा नोट आपतक पहुँचानेकी कृपा भी की।

मैं यह जानता हूँ कि कठोर सैनिक अनशासनमें यह जरूरी होता है कि एक दल (कोर) के सदस्यों द्वारा की गई सभी शिकायतें वर्ग नेताओं (सेक्शन लीडर्स) के जरिये कमांडिंग ऑफिसरको भेजी जायें। मैं इस तथ्यको भी जानता हूँ कि फौजी अर्थमें मैं एक असैनिक व्यक्ति हूँ; परन्तु मैं ऐसा मानता रहा हूँ कि गैरसरकारी तरीकेसे दलके हितमें मुझे आपके तथा दलके सदस्योंके बीच बातचीतका एक अदना जरिया मानकर बातचीत करनेकी अनुमति दी इसलिए जायेगी कि कोई मतभेद या आग्रह, विशेषतः प्रारम्भिक दशाओंमें, आड़े न आये। प्रारम्भमें इस बातकी गुंजाइश रहती है कि जो सदस्य कभी पहले सैनिक अनुशासनमें नहीं रहे वे एकदम नये अनुभवोंको ठीक तरहसे

१. इसके बाद आगाखाँका भाषण हुआ।

ग्रहण न कर सकें। मैंने यह भी सोचा कि आप स्वयंसेवक दलके अध्यक्षकी हैसियतसे मेरी प्रातिनिधिक हैसियत माननेमें उज्र नहीं करेंगे। और दलपर जिन बातोंका असर पड़ता है अगर उनके बारेमें आपको लिखूँ तो नाराज नहीं होंगे। अपने इसी विचारके आधारपर मैंने एक सर्वथा मामूली व्यक्ति होते हुए भी आपको अपने कमरेमें आनेका निमन्त्रण देनेका साहस किया, ताकि हम परस्पर बातचीत कर सकें; क्योंकि मैंने देखा है कि पारस्परिक वार्ता पत्र-व्यवहारसे कहीं अधिक सन्तोषजनक सिद्ध होती है। यदि आप मेरी यह बात उपयुक्त समझें तो मैं अब भी आपसे आनेकी प्रार्थना करूँगा।

बहरहाल, इस बीच जो शिकायतें मेरे ध्यानमें लाई गई हैं वे ये हैं:

पहली, दल (कोर) के सदस्योंकी भावनाको ध्यानमें रखे बिना वर्ग नेताओं (सेक्शन लीडर्स) की नियुक्तिसे बड़ा असन्तोष पैदा हुआ है। स्वयंसेवक निराश हुए हैं और उनके साथ मुझे भी इस बातपर निराशा हुई है कि नियुक्तिके सम्बन्धमें उनसे किसी तरहकी कोई सलाह नहीं ली गई।^१ भले ही जो नेता नियुक्त हुए हैं वे वांछनीय व्यक्ति हों, मैं उनमें से किसीको भी नहीं जानता, परन्तु मेरा खयाल है कि दलके कुशलतापूर्वक ठीक काम करनेके लिए ऐसे अफसरोंकी नियुक्ति आवश्यक है जो दलके सभी सदस्योंके प्यारे बन सकें। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूँ कि जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं वे रद्द कर दी जायें और इस दलके सदस्योंको उनमें वर्ग नेताओं और अन्य अधिकारियोंका चुनाव करनेको कहा जाये और आप अन्तिम रूपसे मुकम्मिल नियुक्ति करें; यदि आप सदस्योंके चुनावसे सहमत न हों तो उस हालतमें जिनकी नियुक्ति आप अस्वीकृत कर दें, दलके सदस्य उनके स्थानपर अन्य लोगोंको चुनें।^२

अन्य शिकायतें कम महत्त्वकी हैं। जो कम्बल दिये गये हैं वे काफी नहीं हैं और उनकी लम्बाई भी कम है। खुराककी मात्रा और प्रकारमें भी परिवर्तनकी जरूरत है। और भी अन्य मामले हैं, जिन्हें मैं इस नोटमें शामिल नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे ही नोट बहुत लम्बा हो गया है।

आपका हृदयसे,
मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षर युक्त टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 'बी') से।

१. कोर उसी दिन शकटी हुई और एक प्रस्तावमें इसे लिखित रूप दिया।

२. लगता है कि कर्नल बेकरने उसी दिन गांधीजीका नये वर्ग नेताओंकी नियुक्तिवाला सुझाव ठुकरा दिया।

३९८. प्रस्ताव^१

[लन्दन
अक्तूबर १३, १९१४]

‘इंडियन फील्ड एम्बुलेंस ट्रेनिंग कोर’ के भारतीय स्वयंसेवकोंकी यह बैठक कारपोरलोंकी नियुक्तिपर लिखित रूपसे अपना अत्यधिक खेद व्यक्त करती है क्योंकि उनकी नियुक्ति कोरके सदस्योंकी इच्छाओंका ध्यान रखे बिना की गई है। बैठक इस बातपर भी दुःख व्यक्त करती है कि कोरके अध्यक्षने बशर्ते कि कमांडिंग-ऑफिसर इसे स्वीकार कर ले, जो नियुक्तियाँ पहलेसे हो चुकी हैं उन्हें वापस लेने और प्रशिक्षणकी अवधिके दौरान ‘कोर’ के सदस्योंको कारपोरलों तथा अन्य अफसरोंके चुनावका अवसर देनेका जो सुझाव दिया था, कमांडिंग ऑफिसरको उसे स्वीकार करनेकी कोई सूरत नजर नहीं आई। बैठक नम्रतापूर्वक यह भी निश्चय करती है कि जबतक उपर्युक्त नियुक्तियाँ वापस नहीं ली जातीं और ऐसे कोई उपाय नहीं अपनाए जाते जिनके द्वारा नई नियुक्तियाँ करते समय निश्चित रूपसे कोरके सदस्योंकी इच्छा जानी जा सके तबतक सदस्य न चाहते हुए भी कवायद (ड्रिल) करने और सप्ताहान्त कैम्प करनेसे इनकार करनेपर मजबूर होंगे।

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ ‘बी’) से।

३९९. पत्र : कर्नल आर० जे० बेकरको

[लन्दन]
अक्तूबर १४, १९१४

प्रिय कर्नल बेकर,

मुझे बड़े ही खेदके साथ लिखना पड़ रहा है कि मेरे कलके पत्रके जवाबमें आपके उत्तरसे मुझे बहुत ही निराशा हुई। मैं आपको अच्छे स्वभाववाला और सहृदय, एक ऐसा कमांडर मानता रहा हूँ जो लाल फीताशाही और अकड़से मुक्त होनेके कारण अपने सामने आनेवाले प्रत्येक कार्यको सहज ही और यथासम्भव खूबसूरत ढंगसे कर सकता है। परन्तु आपके पत्रसे मैं चक्करमें पड़ गया। मैंने कोरकी भावनाको भली-भाँति जानते हुए एक बहुत ही उचित सुझाव दिया था। अधिकारियों और अपने देशभाइयोंके बीचकी समस्याओंको सहज बनाना मेरे जीवनका एक विशेष कार्य रहा है। मैं आपको यह बता दूँ कि पिछली ‘साउथ आफ्रीकन इंडियन कोर’ में १२००

१. यह प्रस्ताव कोरकी एक बैठकमें जो १३ अक्तूबरको हुई थी, पास किये जानेके बाद कर्नल बेकरको भेज दिया गया था। देखिए अगला शीर्षक।

लोग थे और उसमें मुझे किसी अधिकारका पद प्राप्त नहीं था, परन्तु फिर भी कभी कर्नल गालवे और कोरके बीच कोई झंझट पैदा नहीं हुई।^१ और यद्यपि वहाँ अधिकृत रूपसे कई यूरोपीय पदाधिकारी उनके नीचे थे मगर कर्नल गालवे और मेजर बप्ते कोई भी कदम मुझसे पूछे बिना नहीं उठाते थे। निश्चित रूपसे कोरकी इच्छा जाननेके लिए वे मुझसे सलाह ले लेते थे। शायद आपको ज्ञात होगा कि हम ३०,००० की एक सैनिक टुकड़ीसे सम्बद्ध थे और कठोरतम फीजी अनुशासनके नीचे रहकर काम करते थे। बोअर-युद्धकी अत्यन्त संकटमय स्थितिमें कोरको काम करनेके लिए बुलाया गया था और वह भी उस वक्त जब ब्रिटिश फीजोंको पहले-पहले पीछे हटना पड़ा था। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके पदकी मर्यादा या सत्ताको नष्ट करने अथवा सैनिक अनुशासनके प्रतिकूल कोई काम करनेकी बात सोच भी नहीं सकता; परन्तु यदि आप हमें उस अनुशासनका प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो मेरी रायमें मैंने जो रास्ता सुझाया है उसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इससे आप अपनी कोरको और अच्छी तरहसे जान सकेंगे। और मैं यह निवेदन करूँगा कि मेरी सलाह माननेसे आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

पिछली रातको कोरकी एक बैठक हुई। ५३ सदस्य उपस्थित थे। बैठकमें बड़ा जोश फैला हुआ था। यद्यपि मैं कण्टमें था फिर भी डॉक्टरी हिदायतके खिलाफ मैंने बैठकमें भाग लिया। प्रस्ताव दो मतोंके विरुद्ध ४७ मतोंसे पास हुआ। मैंने उपस्थित सदस्योंसे शामकी कवायदके समय आनेको कहा है। कोरके हितमें यदि आप किसी भी प्रकारसे अपना निर्णय बदल सकें तो कवायद जारी रहेगी। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हममें से जिन लोगोंने प्रस्तावके पक्षमें मत दिये हैं तथा जो इसके साथ आनेवाले हैं उन्हें आपके प्रतिकूल निर्णयकी सूचना दे दी जायगी और वे सादर अपना मत वापस ले लेंगे।

मैं आशा करता हूँ कि आप अपने निर्णयपर पुनः विचार करेंगे और एक अवश्य-म्भावी अनर्थको टाल सकेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको अपने कमांडिंग ऑफिसरके नाते प्रसन्न करनेको उत्सुक हूँ, परन्तु अपने देशभाइयोंकी, जिनमें से अनेकोंने मेरी सलाहपर ही आन्दोलनमें भाग लिया है, सेवा करनेको भी मैं उतना ही उत्सुक हूँ।

श्री गणदेविया, जिन्होंने कृपया यह पत्र आपके पास ले जानेका काम स्वयं हाथमें लिया, आपके उत्तरकी प्रतीक्षा करेंगे।

आपका,

मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ बी०) से।

१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २३३, २३५-४१।

४००. पत्र : सी० रॉबर्ट्सको

[लन्दन]

अक्तूबर १६, १९१४

प्रिय श्री रॉबर्ट्स,

इण्डियन फील्ड एम्बुलेंस ट्रेनिंग कोरके सिलसिलेमें एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसमें यदि सही ढंगसे काम न किया गया तो यह संगठन छिन्न-भिन्न हो जायगा।

कर्नल बेकरने पिछले हफ्ते कोरके सदस्योंकी इच्छाका कोई खयाल किये बिना शाखा कमाण्डरोंकी नियुक्ति की थी। उससे बड़ा असन्तोष फैल गया था और जब मुझे उसका व्यौरा बतलाया गया, तो मुझे भी वह असन्तोष उचित लगा। मैंने मंगलवारकी सुबह कर्नल बेकरसे उन नियुक्तियोंको वापस ले लेनेकी और उनके स्थानपर कोरके सदस्यों द्वारा चुने हुए लोगोंको नियुक्त करनेकी अपील की, और यह भी कहा कि यदि सदस्यों द्वारा चुने हुए लोगोंको कर्नल बेकर स्वीकार नहीं करेंगे तो सदस्यगण दूसरे लोगोंको चुनेंगे। लेकिन आश्चर्य है कि कर्नल बेकरने फिर भी एक ऐसा रुख अख्तियार किया जिसे मेरे खयालसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनका विचार था इन सदस्योंको यदि कोई शिकायत थी तो उसे शाखा कमाण्डरोंके जरिये ही उनके सामने पेश किया जाना चाहिये था और नियुक्तियाँ रद्द करना तो अनुशासनको बिलकुल ही धता बतलाना होगा। इसपर मेरी समितिने तुरन्त ही कोरके सदस्योंकी एक बैठक बुलाई और उसमें बुधवारकी रातको एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्तावमें कर्नल बेकरसे अनुरोध किया गया था कि वे नियुक्तियोंको रद्द कर दें और उनके अनुमोदनके लिए हमें नये नाम पेश करनेकी अनुमति दें। इतना ही नहीं कि उन्होंने हमारा अनुरोध नहीं माना, उन्होंने तो हमारे बैठक बुलानेको ही सैनिक अनुशासन भंग करना बतलाया।

मेरा मत है कि कर्नल बेकरने अपनी स्थितिको और कोरकी स्थितिको भी बहुत ज्यादा गलत समझा है।

मेरा खयाल है कि :

१. अभी इस समय तक हम लोग एम्बुलेंसका काम सीखनेवाले प्रशिक्षणार्थी-भर हैं।
२. हमने अभी तक उस करारपर दस्तखत नहीं किये हैं जो हमें सैनिक अनुशासन माननेके लिए वचन-बद्ध बना देगा।
३. दल (कोर)का अपना अन्दरूनी प्रशासन-कार्य वालन्टियर कमिटीके हाथमें रहना चाहिए।
४. हमारी सेवायें स्वेच्छासे सहायता-कार्य करनेवाली एक टुकड़ीके रूपमें ही स्वीकार की गई हैं और इसलिए हमारे ऊपर पूरा सैनिक अनुशासन लागू नहीं किया जा सकता।

मैं इसके दो पूर्व-दृष्टान्त जानता हूँ। आपकी इजाजतसे मैं उनको आपके सामने पेश करता हूँ। बोअर-युद्धके समय भारतीय आहत सहायक दल (इंडियन एम्बुलेंस कोर) में १,२०० व्यक्ति थे। साथ ही एक 'यूरोपीय एम्बुलेंस कोर' भी थी, जो मेरे खयालमें कहीं बड़ी थी। हम सभी कर्नल गैलवे की कमानमें थे। हमपर सैनिक अनुशासन लागू होता था लेकिन फिर भी कर्नल गैलवेने कभी भी 'कोर' के अन्दरूनी प्रशासनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। और हमारी 'कोर' उन दिनों इस वर्तमान 'कोर' की भाँति केवल प्रशिक्षण देनेकी एक संस्था नहीं थी। युद्धके उस सबसे नाजुक दौरमें हम सभी मोर्चोंपर लड़ रहे थे। कर्नल गैलवेने शाखा-कमाण्डर नियुक्त नहीं किये थे। और संयोग यह कि सारे आदेश आखिरकार मेरे हाथसे ही गुजरा करते थे। इसी तरह नेटालमें जुलू विद्रोहके समय हम कर्नल स्पाक्सकी कमानमें थे।^१ कर्नल स्पाक्स भी हमारी 'कोर' के अधिकारी नियुक्त नहीं करते थे। हम स्वयं ही अपनेमें से अधिकारी नियुक्त कर लेते थे और सैनिक ड्यूटीके बारेमें आदेशोंके पालनका दायित्व पूरी तौरपर हमारे ही ऊपर था। आप जानते ही होंगे कि सरकारी खरीतोंमें दोनों ही 'कोरों' का उल्लेख सम्मानके साथ हुआ है। हो सकता है कि इसके विरुद्ध^२ भी कुछ-दृष्टान्त मौजूद हों। मुझे सैनिक नियमोंकी जानकारी नहीं है। यदि उल्लिखित बैठक बुलानेसे या अन्य किसी प्रकारसे अनुशासन-भंग हुआ है और उसे एक गम्भीर और दण्डनीय अपराध माना जाये तो अकेले मुझको ही उसका जिम्मेदार माना जाना चाहिए और मैं बड़ी खुशीसे उसका दण्ड भोगूंगा। परन्तु मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि यदि 'कोर' को छिन्न-भिन्न होनेसे बचाना है तो शाखा-कमाण्डरोंकी नियुक्तियाँ रद्द की जानी चाहिए और 'कोर' के अधिकारों और शक्तियोंकी ठीक-ठीक परिभाषा की जानी चाहिए। कर्नल बेकर तथा मेरी समितिकी स्थिति सुनिश्चित कर देनी चाहिए।

आपको यह विश्वास दिलानेकी जरूरत नहीं कि मैंने यह पत्र आपको पूरी जिम्मेदारीके साथ लिखा है। मैं जानता हूँ कि यह समय आपसी झगड़ोंमें पड़नेका नहीं, ठोस काम करनेका है। परन्तु मेरा खयाल है कि कर्नल बेकरने अपनी बातपर अड़कर हम लोगोंके लिए तबतक उनके नीचे काम करना असम्भव बना दिया है जबतक कि वे अपना रवैया नहीं बदलते। मुझे भरोसा है कि आप इस समस्याको हल करनेका मार्ग सुझा सकेंगे।

आपका,
मो० क० गांधी

श्री चार्ल्स रॉबर्ट्स, एम० पी०, इत्यादि
इंडिया ऑफिस

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 'बी')से।

१. देखिए खण्ड ५; पृष्ठ ३७८-३८३।

२. मूल अंग्रेजीमें यहाँ कन्ट्री (देश) शब्द है, 'कन्ट्री' (विरुद्ध) नहीं, पर वह यहाँ उपयुक्त नहीं लगता।

४०१. जे० ई० ऐन्ड्रूजको लिखे पत्रका अंश^१

लन्दन

अक्तूबर २०, १९१४

चार्ली मुझे लिखते रहे हैं . . . सम्भवतः उनके पादरीका बाना छोड़ देनेसे आप दुःखी होंगे। किन्तु मेरी समझमें बात ऐसी नहीं है। यह कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि मुझे भरोसा है कि परिवर्धन है। वे अपने आचरणके द्वारा शिक्षा देते हैं, जैसा कि बहुत कम लोग करते हैं; और वे जो शिक्षा देते हैं, शुद्ध प्रेमकी देते हैं . . . जाहिर है कि चार्लीका एक सदुद्देश्य (मिशन) है; और वह कितना महान् है इसके बारेमें उनके बिलकुल निकटके लोगोंको भी कुछ नहीं मालूम। मैं आपसे उनके कामोंको आशीर्वाद देनेकी प्रार्थना करता हूँ। उन्हें यह जानकर बड़ी राहत मिलेगी कि आपको उनके इस कार्यसे दुःख नहीं हुआ है।

[अंग्रेजीसे]

चार्ल्स फ्रीअर ऐन्ड्रूज

४०२. पत्र : सी० राँबर्ट्सको

१६, ट्रेबॉविर रोड, एस० डब्ल्यू०

[लन्दन]

अक्तूबर २२, १९१४

प्रिय श्री राँबर्ट्स,

आपका पत्र मुझे आज सुबह मिला। धन्यवाद!

मैं रेड क्रॉसकी टुकड़ियोंपर लागू होनेवाले विनियमोंसे अनभिज्ञ हूँ। मैं मानता हूँ कि अपने अनोखेपनके कारण भारतीय रेडक्रास 'कोर'के जत्थोंसे जुदा माना जा सकता है। वह रेड क्रॉसका अंश केवल इसलिए माना जाता है कि वाइसरायकी ऐसी इच्छा है [(निस्सन्देह 'कोर' की बेहतर हिफाजतके लिए)]। फिर भी मैं समितिको आपके पत्रमें वर्णित स्थिति स्वीकार कर लेनेके लिए और जो कर्तव्य उसने दुःखी होकर छोड़े थे उन्हें फिर प्रारम्भ करनेकी सलाह देनेको तैयार हूँ। परन्तु इसके पहले कि मैं समितिको सलाह दूँ, मैं एक आश्वासन चाहूँगा कि सलाह-मशविरेका सिद्धान्त जिसे कर्नल बेकर मान्यता देनेवाले हैं, केवल व्यक्तिगत रूपसे मेरे लिए नहीं होगा बल्कि मेरी पूरी समितिपर

१. अगस्त १९१४के प्रारम्भमें, ऐन्ड्रूजने अन्तःप्रेरणपर पादरीका पद छोड़नेका निर्णय किया और उनके पिता तथा कुछ मित्र इस निर्णयसे क्षुब्ध हुए। इसलिए गांधीजीने ऐन्ड्रूजके पिताको पत्र लिखा। किन्तु इस पत्रका पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है।

लागू होगा और उसका दर्जा तथा अस्तित्व कर्नल बेकरको मान्य होगा। सलाह लेनेका यह सिद्धान्त उन सब मामलोंपर भी लागू होगा, 'कोर' के आन्तरिक प्रशासनपर जिनका प्रभाव पड़ता है। मैं यह भी मानता हूँ कि यदि मेरी समिति कर्नल बेकरके साथ पुनः सहयोग आरम्भ कर देती है तो वे गश्तीपत्र जिनमें सम्भवतः कर्नल बेकरने भारतीयोंको अपनी सेवाएँ व्यक्तिगत रूपसे समर्पित करनेका आह्वान किया है, आइन्दा जारी नहीं किये जायेंगे। मुझे विश्वास है कि लॉर्ड महोदय ऐसा मानेंगे कि मैं समितिके लिए जिस मान्यताकी माँग कर रहा हूँ वह निश्चित रूपसे केवल सफलता और कार्य-निपुणताकी प्राप्तिके लिए है।

चूँकि मैं कल 'कोर' के सदस्योंकी एक बैठक बुला रहा हूँ, इसलिए क्या मैं आशा करूँ कि इसका उत्तर एक्सप्रेस डिलीवरीसे मिल जायेगा। यदि आप अपने पत्रमें उल्लिखित सैनिक विनियमोंकी अपनी प्रति मुझे कुछ समयके लिए भेज सकें तो बड़ी कृपा होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 'बी') से।

४०३. पत्र : सी० रॉबर्ट्सको

१६, ट्रेबाँविर रोड
लन्दन, एस० डब्ल्यू०
अक्टूबर २५, १९१४

प्रिय श्री रॉबर्ट्स,

आपने तत्काल ही, २३ तारीखको उत्तर लिख भेजा, इसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। मेरे २२ तारीखके पत्रमें जिस बैठकका उल्लेख है उसमें हमारे बीच हुआ पत्र-व्यवहार पढ़ा गया था। और दो व्यक्तियोंको छोड़कर सारी बैठकमें प्रस्ताव पास करके आपके उस पत्रपर बहुत खेद व्यक्त किया गया जिसका यहाँ उत्तर दिया जा रहा है और साथ ही मुझे अपने पिछले पत्रके अनुसार एक सुलहनामेके लिए बातचीत करनेका अधिकार दिया गया है।

मुझे लगता है कि इंडिया ऑफिस और मेरी समितिके कार्योंके सम्बन्धमें तथा कर्नल बेकर और समितिके परस्पर सम्बन्धोंके बारेमें जबर्दस्त गलतफहमी दिखाई देती है। जिस गश्ती-पत्रका^१ मसविदा श्री मैलेटने और मैंने बनाया था और जिसकी प्रति मैं संलग्न कर रहा हूँ, वह कर्नल बेकरके कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त होनेके साथ ही साथ जारी हुआ था। उस गश्ती-पत्रका ही यह अभिप्राय है कि भर्तीके लिए मेरी समिति ही पूरी तरहसे जिम्मेदार होगी। और इस दुर्भाग्यपूर्ण मतभेदके पहले तक समिति

१. देखिए "परिपत्र : प्रशिक्षण दलके सम्बन्धमें" पृष्ठ ५२५-२६।

ही कर्नल बेकरकी जानकारीमें पूरी तौरपर भर्ती करती रही है। अतएव यह कहना कदापि उचित नहीं कि मैं अब कर्नल बेकरके भर्ती करनेके हकको, जो उनका कभी नहीं था, चुनौती दे रहा हूँ। बल्कि अगर मैं कहूँ, तो हमें ऐसी शिकायत करनेका हक है कि जब हम सम्बन्धोंको सँभालनेकी भर-सक कोशिश कर रहे थे तब कर्नल बेकरने भर्तीकी माँग करते हुए गश्ती-पत्र जारी किये और विद्यार्थी-विभागने भी दखल दिया तथा एक तरहसे उन लोगोंको जो कर्नल बेकरके प्रयत्नोंपर अनुकूल काम करनेवाले थे, औपचारिक रूपसे लिखा भी। इन प्रयत्नोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी हदतक मेरी समितिसे सहयोग बनाये रखनेका कोई इरादा नहीं रखते। निःसन्देह उनका समझौतेके लिए चल रही मेरी बातचीतके परिणामकी प्रतीक्षा करना अधिक शोभाजनक होता। अतएव यदि 'कोर' के काम शुरू कर देनेके बावजूद कर्नल बेकर भर्ती जारी रखते, तो 'कोर' का स्वयंसेवी और राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो जाता; उसके काम हमारे उस गश्ती-पत्र तथा उसपर आधारित प्रयत्नके विरुद्ध होते। इसके अलावा यह आपके १८ अगस्तके पत्रकी भावनाके भी विरुद्ध होगा जिसमें प्रस्तावपर हस्ताक्षर करनेवालोंसे एक समिति बनानेके लिए कहा गया था। समझौता होनपर मेरी रायमें कमसे-कम भर्ती करनेका पूरा हक बरकरार रहना चाहिए।

आपके पत्रसे यह भी जान पड़ता है कि कर्नल बेकरके लिए यह सिद्धान्त स्वीकार करना भी असम्भव होगा कि मेरी समितिसे 'कोर' के आन्तरिक प्रशासनपर असर डालनेवाले मामलोंमें भी सलाह ली जाये। कर्नल बेकर अबतक तो सलाह लेते रहे हैं। उदाहरणके लिए उन्होंने मेरे जरिये सेनाके रसद विभाग (कॉमिसेरियट) के प्रबन्धके बारेमें विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न प्रकारका खाना माँगनेके प्रश्नके सम्बन्धमें और पोशाक जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नके बारेमें समितिकी सलाह और सहयोगको उपयोगी और व्यावहारिक पाया है। मेरे कथनका यह तात्पर्य नहीं कि सेवा और काम सम्बन्धी मामलोंपर मेरी समितिकी सलाह ली जानी चाहिए। मैं इस तथ्यको अच्छी तरह जानता हूँ कि अनुबन्धके जिन प्रारूपोंपर हम सबने स्वेच्छया हस्ताक्षर किये हैं, उनमें हमने यह मान लिया है कि हम अपने कमांडिंग ऑफिसरके सभी न्यायपूर्ण आदेशोंको मानेंगे। परन्तु हमने यह नहीं माना है कि जिन कामोंको हमने उस अफसरके अधिकार-क्षेत्रमें नहीं माना, वह उनको करे और हम उसमें योग दें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं सदासे, आदेशपालन कैसे किया जाता है, सो जानता हूँ और आशा करता हूँ कि इस संकटकालमें यदि किसी कामके योग्य समझा जाऊँ वही काम मिलनेपर सेवा करनेमें पीछे नहीं रहूँगा; और मेरी समझमें मैं अपने साथ काम करनेवालोंके बारेमें भी यही कह सकता हूँ। इस दुर्भाग्यपूर्ण मामलेमें उनकी बराबर यही इच्छा रही कि पत्र तथा जिन अनुबन्ध-पत्रोंपर उन्होंने हस्ताक्षर किये थे उनकी भावना पूरी तरह निबाही जा सके।

मैं जितने विस्तारसे लिखना चाहता था, उससे अधिक विस्तारसे लिख गया हूँ। मेरी समिति तथा मैं इसके लिए उत्सुक हैं कि कोई समझौता हो जाये। और चूँकि मेरी समझमें पारस्परिक सद्भावनाको बल देनेमें व्यक्तिगत बातचीत सर्वाधिक सफल साधन सिद्ध होता है, मैं फिर आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सुझाव दिया भी था कि यदि आवश्यकता पड़े तो मैं आपसे मिल सकता हूँ। मगर मुझे डॉक्टरकी सख्त

हिदायत है कि कमसे-कम एक पखवाड़े तक बिस्तरसे न उठूँ। इसलिए यदि आप आसकनेका समय निकाल सकें तो मैं बहुत आभारी होऊँगा।

कोई भी दिन व समय मेरे लिए उपयुक्त रहेगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ६०६९ 'बी') से।

४०४. पत्र : मगनलाल गांधीको

लन्दन

कार्तिक सुदी ७, १९७१ [अक्टूबर २५, १९१४]

चि० मगनलाल,

मैं तुम्हें पत्र न लिख सका।

आज तबीयत अच्छी है इसलिए लिखने बैठ गया हूँ। वैसे हूँ तो आज भी खाट-पर ही; लगता है अभी और १० दिन पड़े रहना होगा। इस बारकी तकलीफ तो बेहद रही। मेरा खयाल है कारण यही हुआ कि मैंने अपने डॉक्टर मित्रोंका कहना मान लिया। चूँकि सभीका आग्रह था मैंने उन पदार्थोंको लेना स्वीकार कर लिया जिनके बारेमें मैंने अन्तिम रूपसे आपत्ति नहीं की थी। चार दिन तक मैं दाल-भात, और सब्जियाँ खाता रहा, और इस पूरी अवधिमें दर्द भी बढ़ता गया और जिस दर्दके शमनके विचारसे यह सब लेनेको कहा गया था, वह न गया। पाँचवें दिन मैंने नमक ले लिया और उस दिन तो वेदना असह्य हो गई। छठवें दिन मैंने डॉक्टरोंसे पिंड छुड़ाया और अपने ही उपचारोंपर आया। एकदम वेदना कम पड़ गई और बवासीरमें भी लाभ हो गया। परन्तु बीचमें मेरी ही मूर्खताके कारण फिर दर्द उठा। जिस दिन नमक खाया उस दिन जीवनमें पहली बार कफमें खून आया; अभीतक आ जाता है। अतः श्री कैलेनबैंक मेरे एक परिचित शाकाहारी गोरे डॉक्टरको ले आये। उसने कहा कि नमककी जरूरत नहीं है; पर कन्द-मूलकी आवश्यकता बतलाई और कहा कि उपवासके कारण शरीर एकदम क्षीण हो गया है इसलिए अभी तेल, बादाम आदि तो बिल्कुल नहीं दिये जा सकते; और इसलिए अभी मैं जौका पानी, आठ औंस ताजा मेवा और आठ औंस शलजम, गाजर, आलू और पत्तागोभी आदिके पेयपर हूँ। शरीर बहुत ही क्षीण हो चुका है। मुझे तो इस [उपचार] में भी विश्वास नहीं है परन्तु स्वास्थ्यकी कुंजी अभी मेरे हाथ नहीं लगी है इसलिए यह प्रयोग करके देख रहा हूँ। दर्द तो बन्द है पर कफमें खून जारी है। भोजनमें रुचि तो नामको भी नहीं रही इसलिए जीभपर संयम रखनेका यह अच्छा मौका हाथ लगा है। डॉक्टरने नीबू भी बन्द कर दिया है। यों बिना तेलके उबले हुए शलजम, गाजर और गोभीके भोजनमें स्वाद तो नामको भी नहीं रहा। पर मैं प्रसन्नतापूर्वक यह ले रहा हूँ। जौका पानी भी पहले-पहल तो खराब लगा। पर अब तो लगता है उसे

भी चला लूंगा। तुम्हें यह सब विस्तारपूर्वक लिख रहा हूँ, पर घबरानेकी कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत ठिकाने आ जायेगी यह उम्मीद है और मन कहता है कि वह फलाहारसे ही आ सकेगी। अनुभव क्या होते हैं, यह देखना है। दूध लेनेका आग्रह तो मित्र करते ही रहते हैं पर उसके लिए मैं साफ इनकार कर गया हूँ। मैंने उन्हें बतलाया है कि दूध लेनेपर मुझे [धार्मिक] आपत्ति है अतः उसे तो, मौत आ जाये तो भी, नहीं ले सकूंगा।

बाकी शक्ति अजब है। वह मेरे उपचारोंपर विशेष दृढ़ होती जा रही है।

यहाँ मुझे इंडिया ऑफिसके विरुद्ध सत्याग्रह करना पड़ा है उसका हाल दूसरे पत्रमें लिखूंगा।

फीनिक्सके आदर्शोंका पालन असह्य संकटोंके बावजूद भी करना . . . 'सब लोगोंका स्वास्थ्य किस प्रकार रहता है? वहाँ जानेके बाद वातावरण का प्रभाव बालकोंके मनपर किस प्रकार पड़ा है? सारे समाचार विस्तारपूर्वक लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

गांधीजीनी साधना

४०५. पत्र : मगनलाल गांधीको

[लन्दन,
अक्तूबर, १९१४के अन्तमें]^२

. . .^१ पड़ा है, उसका ब्यौरा मैं किसी दूसरे पत्रमें दूंगा। श्री गोखले आखिरी मेल [स्टीमर] से रवाना हो गये। उनसे मिलना। [तुम्हें] पैसेकी मदद चाहिए तो उन्होंने मदद करनेका वचन दिया है। श्री गोखलेकी मान्यता है कि हमारे पास जो कोष है उसका उपयोग वहाँके खर्चके लिए नहीं किया जा सकता और हम सबके देश आनेका खर्च भी उसमें से नहीं निकाला जा सकता। फिर भी, उन्होंने मेरे वहाँ आनेके बाद उसकी समुचित व्यवस्था करनेके लिए कहा है। हम थैलीके पैसेका उपयोग कर सकते हैं। [तुम] असह्य कष्ट सहकर भी अपने उद्देश्योंका पालन करना।

अब तुम तीन जगहोंसे सहायता प्राप्त कर सकते हो: डॉक्टर मेहता, श्री गोखले और श्री ऐन्ड्र्यूजसे। इन सबमें तुम्हें जो अनुकूल जान पड़े उनसे मदद लेना। मेरे विचारानुसार जबतक डॉक्टर मेहतासे मदद मिले, तुम किसी औरकी सहायता न लेना। वहाँ कितना खर्च होता है, भोजनमें क्या-क्या दिया जाता है, सबकी तबीयत कैसी

१. साधन-सूत्रमें यहाँ थोड़ा भाग छोड़ दिया गया है।

२. गोखले १३ नवम्बरको बम्बई पहुँचे थे, पर इसके लगभग तीन सप्ताह पूर्व उनके देश रवाना होनेकी सम्भावना थी।

३. साधन-सूत्रमें पत्रके कुछ अंश गायब हैं।

रहती है, वहाँ जानेके बाद लड़कोंकी आत्मापर वातावरणका क्या प्रभाव पड़ा, आदि-आदि समाचार विस्तारसे देना।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यु० ५७७५) से।

सौजन्य : श्रीमती राधाबेन चौधरी

४०६. पत्र : छगनलाल गांधीको

[लन्दन]

कार्तिक सुदी १३ [अक्टूबर ३१, १९१४]

चि० छगनलाल,

तुम्हें लम्बा पत्र लिख सकूँ ऐसी परिस्थिति ही नहीं है। मैं अभी खाटपर हूँ और भय है कि और पड़ा रहना पड़ेगा। यों डरनेकी कोई बात नहीं है।

श्री पोलक जो रकम उठाते हैं उन्हें उठा लेने दी जाये। दूसरा चारा नहीं है। तुम चाहो तो उनके साथ इस सम्बन्धमें चर्चा कर सकते हो। मैं यहाँसे तुम्हें इस बाबत कोई सलाह दे सकूँ ऐसा नहीं लगता। लक्ष्मीके सम्बन्धमें लिख ही चुका हूँ।^१ मुझे अभी कितना रहना पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता।

यहाँ सत्याग्रहका निबटारा हो चुका है। हमारी माँगें पूरी हो चुकी हैं।

भाई प्राणजी तथा रावजीभाईसे कहना कि मैं उन्हें भी पत्र लिखनेवाला हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०६०) की फोटो-नकलसे।

४०७. पत्र : 'इंडिया' को

[लन्दन]

नवम्बर ४, १९१४

सेवामें

सम्पादक

'इंडिया'

[लंदन]

महोदय,

पिछले इतवारको नेटले अस्पतालमें लगभग ४७० घायल भारतीय सैनिक थे। शीघ्र ही वहाँ और भी बहुतसे घायलोंके पहुँचनेकी सम्भावना है, जो अबतक यदि पहुँच नहीं पाये हों तो पहुँचते ही होंगे। भारतीय स्वयंसेवक परिचारिकों (वालंटियर ऑर्डरली) की जरूरत पहलेसे बहुत अधिक है। स्थानीय भारतीय कोरके लगभग ७० सदस्य वहाँ

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

परिचारकोंका काम पहलेसे ही कर रहे हैं। कोरके चिकित्सक सदस्योंको छोड़कर, अब बहुत कम लोग बच रहे हैं जो भविष्यमें जरूरत पड़नेपर काम कर सकें।

अतएव क्या मैं आपके स्तम्भोंके सौजन्यका इतना लाभ उठा सकता हूँ कि संघ साम्राज्यमें रहनेवाले युवा भारतीयोंसे अपील करूँ कि वे अपना नाम तुरन्त ही इस कामके लिए लिखवा लें। मेरी नम्र रायमें भारतीय सिपाहियोंकी सेवा करके उन्हें स्वस्थ बनाना एक गर्वका विषय होना चाहिए। कर्नल बेकर और परिचारकोंके लिए माँग कर रहे हैं। और पर्याप्त संख्या पूरी करनेके लिए तथा अपने युवकोंको प्रोत्साहन देनेके लिए कतिपय बुजुर्ग भारतीय जो अच्छे ओहदोंपर थे, वे परिचारक बनकर नेटले चले गये हैं, अथवा जा रहे हैं। उनमें काठियावाड़के राजकुमार कालेजके पूर्ववर्ती उपाध्यक्ष श्री एम० ए० तखंड; श्री जे० एम० परीख, बैरिस्टर-एट-लॉ; और इंडियन मेडिकल सर्विसके (निवृत्त) लेफ्टिनेंट कर्नल कान्ताप्रसाद जो पाँच आन्दोलनोंमें भाग ले चुके हैं, शामिल हैं।

मैं आशा करता हूँ कि इन सज्जनोंका दृष्टान्त अन्य लोगोंको ऐसे ही उत्साहसे प्रेरित करेगा और अनेक भारतीय जो किसी भी प्रकारसे ऐसा कर सकेंगे वे इस आगत आपत्तिकालमें सहायक होंगे। जो अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं वे १६, ट्रिबोविर रोड, अल्स कोर्टके पास, इंडियन वालंटियर कमेटीके कक्षमें, कामकाजके समयमें, कभी भी करवा सकते हैं।

आपका,

मो० क० गांधी

अध्यक्ष

भारतीय स्वयंसेवक समिति

[अंग्रेजीसे]

इंडिया, ६-११-१९१४

४०८. एक परिपत्र^१

[लन्दन]

नवम्बर ४, १९१४

पिछले रविवारको नेटले अस्पतालमें लगभग ४७० घायल भारतीय सैनिक थे। शीघ्र ही उनके वहाँ आनेकी आशा है, जो अबतक यदि पहुँच नहीं पाये हों तो पहुँचते ही होंगे। भारतीय स्वयंसेवक दलके सभी उपस्थित सदस्य नेटलेमें नर्स या अर्दलीके रूपमें काम कर रहे हैं। और ज्यादा अर्दलियोंकी माँग है।

समितिका विचार है कि इसे एक गौरवपूर्ण सुअवसर समझना चाहिए कि हमें अपने ही घायल देशबन्धुओंकी सेवा-सुश्रूषाका अवसर मिला है। हमारे सामने जो काम है उसको सँभालनेके लिए कमसे-कम और दो सौ आदमियोंकी भर्ती करनेकी जरूरत है। तीन महीनेसे अधिक सेवा करनेकी जरूरत न पड़ेगी। इसलिए, भर्ती होनेके बाद विद्यार्थियोंको अपने समयमें से तीन माससे अधिक समय नहीं देना पड़ेगा।

१. इस परिपत्रपर गांधीजी और गणदेवियाके हस्ताक्षर थे।

हमारे कई वृद्ध देशबन्धु नेटलेमें अर्दलीके रूपमें गये हैं। श्री एम० ए० तखंड, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, राजकुमार कॉलेज, काठियावाड़; श्री जे० एम० परीख, बैरिस्टर; और लेफ्टिनेन्ट कर्नल कांताप्रसाद, आई० एम० एस० (निवृत्त) जो पहले भी पांच विभिन्न लड़ाइयोंमें सेवा कर चुके हैं, इस समय नेटलेमें अर्दलीका काम कर रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-१२-१९१४

४०९. पत्र : छगनलाल गांधीको

[लन्दन]

कार्तिक वदी २ [नवम्बर ५, १९१४]

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिल गया है।

श्री पोलकको मेरा यहाँसे लिखना ठीक नहीं होगा। तुम और श्री वेस्ट दोनों मिलकर जैसा उचित समझो, कर लेना। इतनेपर भी यदि तुम चाहो कि मुझे लिखना ही चाहिए तो मैं उन्हें लिख दूंगा। मगनलालने जहाँ तक हिसाब किया था उससे आगेके आँकड़े भेजना ताकि समय आनेपर मैं बम्बईमें हिसाब प्रकाशित कर सकूँ। श्री गोखले हिसाबके बारेमें कुछ नहीं कर पाये हैं। वे ऐसा कह गये हैं कि जबतक कमेटीसे मेरी मुलाकात न हो जाये, हिसाबका ब्यौरा प्रकाशित न किया जाये।

मुझे यहाँ तीन महीने तो और रहना होगा। देखें, और क्या होता है। मैंने दूसरा प्रस्ताव भी भेजा है।^१ उसकी नकल श्री पोलक तुम्हें भेजेंगे। उससे तुम्हें पता चलेगा कि मैं दक्षिण आफ्रिका और भारत-स्थित अपने दलको^२ भी सम्मिलित करना चाहता हूँ।

मेरी तबीयत अभीतक ठीक नहीं हो पाई है पर मैं अब खाटपर नहीं हूँ। थोड़ा-थोड़ा चलने-फिरने लगा हूँ। इसका क्या परिणाम होता है सो देखना है। मुझे चलना-फिरना शुरू किये आज तीसरा दिन है।

मैं कराची जा सकूँगा, यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। जहाँ भारतीय घायल लोग हैं वहाँ पहुँचनेकी सम्भावना है। हो सकता है बा और श्री कैलेनबैंक भी मेरे साथ जा सकें। श्री कैलेनबैंक मेरे साथ ही रहते हैं और अभी तो रहेंगे। उन्हें भी अनुमति-पत्र लेना पड़ा है। परन्तु कोई तकलीफ नहीं है।

चि० मगनलालके पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। लेखादि तो तुम्हें भेज ही चुका हूँ। आगे कुछ प्रगति नहीं कर पाया हूँ। यदि तबीयत ठीक रही तो उम्मीद है लिख सकूँगा। कल कुमारी स्मिथ कह रही थीं कि वे सामग्री बराबर भेजती हैं।^३

१. यह उपलब्ध नहीं है।

२. फीनिक्स दलसे मतलब है।

३. वह प्रति सप्ताह " लन्दनकी चिट्ठी " भेजा करती थीं।

बा की तबीयत बहुत अच्छी है। यहाँ तो उसने जीभपर भी बड़ा काबू रखा है। अब बा और मैं थोड़ा घूमने जा रहे हैं।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०६१) की फोटो-नकलसे।

४१०. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

[लन्दन]

नवम्बर ६, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

मैंने श्री कैलेनबैंकके नाम लिखा आपका पत्र देखा। मैं आजसे पाँच दिन पहले बिस्तरसे उठा हूँ और धीरे-धीरे मेरी ताकत लौट रही है। कृपया मेरे विषयमें चिन्ता न करें।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि कर्नल बेकरके साथवाला झगड़ा सुलझ गया है। जिन दो मुद्दोंके लिए हम संघर्ष कर रहे थे उनको उन्होंने मंजूर कर लिया है।

मैं आशा करता हूँ कि समुद्री-यात्रासे आपको लाभ अवश्य हुआ होगा और आप स्वस्थ होंगे।

आपका,

मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२४९) की फोटो-नकलसे।

४११. पत्र : मगनलाल गांधीको

[लन्दन]

कार्तिक वदी ३, [नवम्बर ६, १९१४]

चि० म०,

बहुत लम्बे पत्र लिखनेका यह समय नहीं है। मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है। यदि आगामी सप्ताह तक सुधर गया तो विस्तारसे लिखूंगा। मेरी चिन्ता न करना, मेरा विचार है कि तबीयत ठीक हो जायेगी। बिस्तरसे उठे हुए [मुझे] तीन दिन हो गये हैं।

श्री मगनभाईका पत्र मिला। उन्हें उत्तर लिखा भेजा है।^१ उसे पढ़ना और उसपर अमल करना . . .^२ सोराबजी अस्पताल गये हैं जहाँ हमारे घायल सिपाही पड़े हुए हैं, अस्वस्थ होनेके कारण मैं नहीं जा सका। इसके साथ कुछ कागजात भेजनेका

१. उपलब्ध नहीं है।

२. यहाँ कुछ भाग छोड़ दिया गया है।

विचार है। यहाँ शुरू किया गया सत्याग्रह सफल हुआ है। कुदरत अजीब चीज है। बा की तबीयत ठीक रहती है। श्री कैलेनबैक मेरे साथ ही रहते हैं।

यदि मुझे यहाँ लम्बे असें तक रहना पड़ा तो उसके लिए तुम सबको यहीं लानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। मैंने श्री रॉबर्ट्सको जो पत्र लिखा है उम्मीद है तुम्हें उसकी नकल भेज सकूंगा। उस पत्रसे किसीको विचलित नहीं होना चाहिए और न कोई आशा ही बाँधनी चाहिए। इस पत्रके मिलनेसे पहले अगर तुम्हें मेरा तार न मिला हो तो यही समझना कि मेरे प्रस्तावका कोई परिणाम नहीं निकला।

वहाँ सबसे कहना कि मैं हर एकको जुदा-जुदा पत्र नहीं लिख पाता।

इन दिनों जमनादासका कोई पत्र नहीं है। किसीको ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि यदि मैं पत्र नहीं लिख पाता हूँ तो उन्हें भी पत्र देनेकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ तुम्हारा भोजन-खर्च कितना पड़ता है, मुझे लिखना। यदि तुम्हारे यहाँ आनेकी जरूरत न पड़ी तो आज जैसा कुछ मुझे जान पड़ता है, मेरा विश्वास है, लगभग तीन महीनेके बीच मैं यहाँसे मुक्त हो सकूंगा; किन्तु कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँसे मुक्त होकर जबतक वहाँ न पहुँच जाऊँ तबतक निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

पूज्य कालाभाई या पू० करसनदास भाईके लड़कोंमें से कोई आना चाहे तो अपने साथ रख लेना। नंदकोर भाभीको लिखना कि वहाँ पहुँचनेपर मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७७६) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

४१२. पत्र : मगनलाल गांधीको

लन्दन

कार्तिक वदी १०, १९७१ [नवम्बर १३, १९१४]

चि० मगनलाल,

दिल्लीसे तुम्हारा और मणिलालके पत्र मिले थे। आजकल डाक अनियमित आती है इसलिए पत्र जब-तब मिलते हैं।

तुम सबको अनुभव तो खूब मिल रहा है। शान्तिनिकेतनमें इस तरह रहना जिससे [तुम सब] उनके काम आ सके और उनको जरा भी असन्तोष न हो। तुम्हारे लिए सम्भवतः यह अधिक सुविधाजनक हो कि भोजनकी कुछ ऐसी चीजें जिनके बिना तुम्हारा गुजारा न चल सके बाहरसे मँगवा लो। यहाँ बैठा-बैठा मैं कुछ सुझाव नहीं दे सकता। विचार करनेके बाद तुम्हें जो उचित जान पड़े, करना। तमिल बच्चोंको

१. उपलब्ध नहीं है।

२. इसके भेजेजानेका कोई प्रमाण नहीं मिलता।

झटपट हिन्दी सिखाना, नहीं तो वे बेचैन हो जायेंगे। वहाँ रहते हो इसलिए थोड़ी-बहुत बँगला सीख लेना। उसे सीखनेमें समय नहीं लगेगा। अगर हो सके तो किसी तमिल सज्जनसे सम्पर्क स्थापित करना। यदि डॉ० मेहता भाई राजङ्गमको दे दें तो ठीक होगा। तुम्हारे ऊपर एकाएक बहुत उत्तरदायित्व आ पड़ा। उसे तुम सफलतापूर्वक निभा सको, यही मेरी कामना है।

शान्तिके बारेमें लिखते हो, सो कैसी शान्ति; वा तथा मैं दोनों ही इसपर विचार करते रहते हैं।

भाई सो [राबजी] आदि तो बीमारोंकी सेवा-शुश्रूषा करने चले गये हैं। अपनी तबीयतके कारण मैं नहीं जा सका। अभी जानेके लिए जोर मारता हूँ लेकिन अड़चनें आ जाती हैं।

कविश्री,^१ श्री ऐन्ड्र्यूज तथा श्री पियर्सनकी सेवा करना। इस बातका ध्यान रखना कि सब लोग बड़ोंका सम्मान करें। तुम सब वहाँके रहनेवालोंसे जल्दी उठना।

मुझे नियमपूर्वक पत्र लिखा करना। बम्बईमें खानेपर प्रति व्यक्तिके हिसाबसे अन्दाजन कितना खर्च हुआ, सो बताना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

यह पत्र सबके लिए है, ऐसा समझना। मुझे तुम्हें जितने-कागजात भेजने थे उतने तो नहीं भेज सकता। साथके कागजातोंको पढ़कर [उनपर] विचार करना; जमनादासको भी पढ़ाना और सँभाल कर रखना। श्री ऐन्ड्र्यूज देखना चाहे तो दे देना। उनके सम्बन्धमें बातचीत करना। दूसरे कागजात मैं फिर भेजूंगा।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५७७७) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

४१३. पत्र : जमनादास गांधीको


[लन्दन]

कार्तिक वदी १०/११, [नवम्बर १३, १९१४]

चि० जमनादास,

तुम्हारा पत्र बहुत दिनों बाद मिला। हम तो तुम्हें सदा याद करते रहते हैं।

अब तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। तुम्हारा जीवन शुद्ध हो। मैंने तुमसे जो अपेक्षाएँ की हैं उन्हें तुम पूरा करो, यही मेरी कामना है। अटल बनो और जिसे तुम कर्त्तव्य मानो उसका दृढ़तापूर्वक पालन करो। शान्ति और श्रद्धा होगी तो सब-कुछ ठीक होगा। मुझे विस्तारसे पत्र लिखा करना। फिलहाल मेरे लम्बे पत्रकी बाट न जोहना। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अभी सुधारपर है हालाँकि कमजोरी बहुत



ज्यादा है। मेरा अपना उपचार ही अनुकूल पड़ा है। हम घरमें भारतीय रहन-सहनको बनाये हुए हैं। फर्शपर ही भोजन करते और सोते हैं। अपना भोजन हाथसे बना लेते हैं। मैं सबसे अपनी ही पोशाकमें मिलता हूँ। बाहर जाते समय अंग्रेजी लिबास पहनना पड़ता है।

ऐसा लगता है कि मुझे [यहाँ] तीन महीने लगेंगे ही। भाई सोराबजी आदि रोगियोंकी सार-सँभाल करनेके लिए पहुँच गये हैं। यह सम्भव है कि मेरा जाना अगले हफ्ते हो।

आदरणीय खुशालभाई और देवभाभीको मेरा दण्डवत् कहना। रलियातबेन तथा गंगाभाभीको भी कहना और कहना कि मैं उनके दर्शन करनेके लिए अधीर हो रहा हूँ। मुझे पूरा समाचार देना।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६८८) से।

सौजन्य : नारणदास गांधी

४१४. पत्र : प्रागजी देसाईको

लन्दन

कार्तिक वदी १२, [नवम्बर १५, १९१४]

भाई श्री ५ प्रागजी,

आपका पत्र मिला। आपको जो सन्देह होता है, वह समझा जा सकता है। मैंने आपके प्रश्नोंका उत्तर किसी औरको भी दिया है,^१ फिर भी दुबारा लिखनेका प्रयत्न करता हूँ। यह बात निर्विवाद है कि सत्याग्रही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे युद्धको प्रोत्साहन नहीं दे सकता। मैं वैसा शुद्ध सत्याग्रही नहीं हूँ। वैसा बननेका प्रयत्न करता हूँ। इस बीच जितनी दूर तक पहुँचा जाये उतनी दूर तक उसे [सत्याग्रहीको] पहुँचना चाहिए। मैं यहाँ आया और युद्ध आरम्भ हो गया। मैं कुछ दिन तक अपने कर्त्तव्यका विचार करता रहा। मैं इंग्लैंडमें चुपचाप रहूँ तो भी यह मुझे भाग लेनेके समान जान पड़ा। इस द्वीपकी रक्षा यदि नौ-सेना न करती होती तो लोग भूखों मरते और जर्मनोंके हाथमें पड़ जाते, यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ी। इससे मुझे लगा कि मैंने युद्धको अप्रत्यक्ष रूपसे उत्तेजन दिया। सत्याग्रहीके रूपमें मेरा कर्त्तव्य यह था कि मुझे ऐसे स्थानपर चला जाना चाहिए था जहाँ मुझे नौ-सेनाके संरक्षणकी आवश्यकता न हो और उसके द्वारा रक्षित भोजनके बिना निर्वाह हो सके। ऐसा स्थान यहाँके पर्वत हैं। वहाँ किसीका संरक्षण नहीं माना जा सकता। जर्मन मुझे [पकड़कर] ले जायें तो भी ठीक। मैं पहाड़पर जो फल-फूलादि होते हैं अथवा [वहाँ] उगनेवाली घास और पत्तोंपर अपना निर्वाह करूँ। उस भोजनकी रक्षा नौ-सेना नहीं करती लेकिन इस परिस्थितिके

१. देखिए "पत्र : मगनलाल गांधीको", पृष्ठ ५२२-२४।

लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ऐसा करनेकी मेरी हिम्मत न हुई। उसी हिम्मतको पानेके लिए देश जाता हूँ। देशमें वैसा अवसर है, यहाँ नहीं। और यहाँ ऐसा कर सकनेके लिए मुझे लाख गुना अधिक बलवान आत्माकी आवश्यकता है। तब मेरा दूसरा कर्त्तव्य क्या है? रोती हुई बहनों, पत्नियों और माँओंको छोड़कर भाई, पति और बच्चे जाने-अनजाने मरनेके लिए निकल पड़े हैं। हजारों तो कट भी गये। फिर मैं चैनसे बैठा रहूँ और अन्न खाऊँ? गीतामें कहा गया है कि यज्ञ किये बिना अन्न खानेवाला व्यक्ति चोर माना जाता है। वर्तमान परिस्थितिमें यज्ञ आत्म-बलिदान था और है। तब मैंने देखा कि मुझे भी यज्ञ करना चाहिए। मैं स्वयं बन्दूक तो नहीं चला सकता लेकिन घायलोंकी सार-सँभाल तो कर सकता हूँ। उनमें तो मुझे जर्मनोंकी सार-सँभाल करनेका अवसर भी मिल सकता है। मैं यह काम निष्पक्ष-भावसे कर सकता हूँ। उससे दया-भावनाको आघात नहीं पहुँचता। इससे मैंने अपनी सेवाएँ अर्पित करनेका निश्चय किया। मेरा अपना निजी महत्त्व कुछ नहीं है। अब मैं सामाजिक महत्त्वका व्यक्ति हो गया हूँ। मुझे दूसरोंसे भी बात करनी चाहिए। दूसरे तो लड़नेवाले हैं, और युद्धके विरुद्ध नहीं हैं। मुझे उनके लिए बिना शर्तका पत्र लिखना चाहिए, सो मैंने लिखा।^१ उसमें तुमने यह वाक्य भी देखा होगा कि “हम जिस कामके योग्य [सिद्ध] हों वह काम हम बिना किसी शर्तके करेंगे।” यह बात सब जानते हैं कि मैं युद्धके योग्य नहीं हूँ इसलिए मुझे लड़नेका काम दिया ही नहीं जा सकता। “बिना शर्त” [शब्दों] का खुलासा यह है। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि मैं रोगियोंकी देखभाल कर भी सकूँगा या नहीं। उस कारण मैंने यह बात बहुत विस्तारसे समझाई है। इसपर भी सम्भव है आप समझ न सकें। [ऐसा हो] तो मुझे फिर लिखना। समय-समयपर उत्तर देता रहूँगा। धीरे-धीरे समझ जायेंगे। मैंने तो बहुत विचारपूर्वक कदम उठाया है। मुझसे जब वहाँ प्रश्न पूछे जाते तब मैं कहता कि मुझसे अब एम्बुलैन्सका काम भी न हो सकेगा। आपने देखा है कि मेरी स्थिति अभी तक पहले जैसी ही है। यह बात ठीक वैसी ही है जैसे मुझसे साँप नहीं मारा जाता। लेकिन जबतक मैं कायरकी भाँति साँपसे डरता रहूँगा तबतक मैं यदि उसे मारूँगा नहीं तो पकड़कर कहीं दूर अवश्य छोड़ आऊँगा। यह भी हिंसा है। और दूर ले जाते समय यदि वह संघर्ष करे तो उसे छड़ीसे इतना दबाऊँ कि उसके रक्त बहने लगे या छड़ीसे कुचला-जाकर वह मर जाये तो भी मुझसे साँप मारा नहीं जाता। यह बात तो [कायम] रहती है और रहनी भी चाहिए। जबतक निर्भयताका गुण मुझमें पूरी तरहसे नहीं आता तबतक मैं पूर्ण सत्याग्रही नहीं माना जा सकता। मैं इस निर्भयताको प्राप्त करनेका अथक प्रयत्न कर रहा हूँ और करता रहूँगा। इस दिशामें मुझे सफलता मिलने तक आप सब मेरी भीरुताको सहन करना। आप सब लोग निर्भय बननेके लिए प्रयत्नशील रहना। यह पत्र आप सब पढ़ लें और भाई मेढको पढ़नके लिए भेज दें। बादमें यह पत्र अथवा इसकी प्रति चि० मगनलालको भेज दी जाये ताकि वह भी [मेरी बातोंका] सार समझ जाये।

१. “ एक गोपनीय गस्ती-पत्र ”, पृष्ठ ५१८ ।

मैं यहाँ भी इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैंने यह पत्र तीन किस्तोंमें लिखा है। पिछले हफ्ते शुरू किया था। उसके बाद कल हाथमें लिया और आज [कार्तिक वद]^१ बारहवें दिन पूरा किया है।

अन्य समाचार आपको दूसरे पत्रसे मिलेंगे। भाई सोराबजी घायलोंकी सेवा-सुश्रूषामें हैं।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५७) तथा (जी० एन० २६५९)की फोटो-नकलसे भी।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

४१५. पत्र : ए० एच० वेस्टको

लन्दन, एस० डब्ल्यू०

नवम्बर २०, १९१४

प्रिय वेस्ट,

महीनों बाद तुम्हारा बड़ा प्यारा पत्र मिला। तुम सब लोग लिखते हो कि मैंने अपने समाचार नहीं लिखे। यह विचित्र बात है। वास्तवमें एक भी डाक ऐसी नहीं गई जिससे मैंने या मेरे बदले सोराबजीने किसी-न-किसीको फीनिक्समें पत्र नहीं भेजा हो। इसीलिए जाहिर है कि मेरे सभी पत्र, या उनमें से कुछ रास्तेमें गुम हो गये हैं।

काश कि तुम्हारा अनुमान ठीक होता और मैं अपने घायल सिपाहियोंके बीच काम कर रहा होता। सेवादलके अधिकांश सदस्य जरूर नेटलेमें ऐसा काम कर रहे हैं। जब अन्तिम जत्था गया, मैं बिस्तरपर पड़ा था। मेरी उपस्थिति यहाँ वैसे भी इसलिए जरूरी थी कि पर्याप्त संख्यामें लोगोंको इकट्ठा किया जा सके। खैर; बादमें मेरे जानेकी बात थी परन्तु अब मेरे रास्तेमें अप्रत्याशित कठिनाइयाँ डाली जा रही हैं और मुझे नेटले या अन्य किसी भी ऐसे अस्पतालमें नहीं जाने दिया जा रहा है, जहाँ हमारे घायल सिपाही हैं। क्योंकि अधिकारियोंको भय है कि मैं कहीं शरारत न करूँ। वैसे रोकनेका बनावटी कारण खराब स्वास्थ्य बताया जाता है। हो सकता है कि मेरा ही अन्दाज बिलकुल गलत हो; कुछ भी हो मैंने भारत उपमन्त्री श्री राॅवर्ट्सके सामने सारी बातें रख दी हैं और शायद शीघ्र ही मुझे कोई सूचना मिल जायेगी।

इस प्रकार, तुम देखोगे कि मैं अभीतक श्रीमती गांधी या श्री कैलेनबैकके साथ ही बना हुआ हूँ। हम सब अब श्री गणदेवियाकी छायामें रह रहे हैं। जैसा तुम जानते हो वे सेवादलके सचिव हैं। वे भारतीय विद्यार्थियोंके एक बोर्डिंग हाउसके मालिक हैं। उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छा कमरा दे दिया है।

१. नवम्बर १५, १९१४।

मुझे तुम्हारे वागवानीके कामसे ईर्ष्या होती है। अभी तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया लगता है। मैं महसूस करता हूँ कि उपवासके बाद मैंने शरीरकी बिलकुल चिन्ता नहीं की। मैं अपनी खोई शक्तिको वापस पानेकी जल्दीमें था। इसलिए मैंने शरीरको जरूरतसे ज्यादा खुराक दी और इतनी दूर-दूर तक घूमने जाता रहा कि शरीर थक जाता था; इस तरह मैंने शारीरिक कार्य-प्रणालीपर जरूरतसे ज्यादा बोझ डाला। अब इस अत्यधिक अधीरताका दण्ड भुगत रहा हूँ। मैं जरा भी तेजीसे नहीं चल सकता क्योंकि उससे मूल दर्द उठ आता है। हड्डियाँ तो लगता है जैसे टूट गई हों। हड्डियाँ और जोड़ कोई बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए मैं अधिकतर घर रहने और बिस्तरपर पड़ा रहनेके लिए मजबूर हूँ। खाना मैं बहुत कम खा पाता हूँ — जरा-सी ज्यादातीसे गड़बड़ हो जाती है। किन्तु फिर भी मैं अपना काम देख सकता हूँ। इस सबका यह अर्थ भी नहीं है कि मैं केवल अस्थि-पंजर रह गया हूँ। थोड़ा ध्यान देनेसे जो खराबी आ गई है उसे दूर कर पाऊँगा। मानसिक और नैतिक वातावरण भी बहुत हद तक बाधक हो रहे हैं। यहाँ हर चीज इतनी बनावटी, इतनी भौतिकतावादी और अनैतिक दिखाई देती है कि व्यक्तिकी आत्मा लगभग जड़ हो जाती है।

भारत जानेकी मेरी तीव्र इच्छा है और श्रीमती गांधीकी भी, परन्तु एक कर्त्तव्य-भावना मुझे यहाँ रहनेको मजबूर करती है; और मैं कह नहीं सकता कि इस अवसर-पर यह सही कर्त्तव्य-भावना है या नहीं।

युद्धके सम्बन्धमें मैं तुम्हारे विचारोंसे सहमत हूँ। यदि मुझमें नैतिक बल होता तो मैं निश्चय ही वैसा सत्याग्रह करता जिसका चित्र तुमने अपने पत्रमें प्रस्तुत किया है।

मुझे प्रसन्नता है कि तुम सब वहाँ सानन्द हो और बच्चे वहाँ अच्छी तरह हैं तथा तुम्हारे जीवनके आनन्दको बढ़ा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी कुछ वहाँ शान्तिपूर्वक चल रहा होगा।

सबको हम लोगोंकी याद दिला देना। शायद मैं इस सप्ताह दूसरा पत्र न लिखूँ; इसलिए यह पत्र सबको दिखा देना।

तुमको यह जानकर हर्ष होगा कि यह पत्र एक भारतीय मित्रको बोलकर लिखवा रहा हूँ। जेम्सके बाद यह प्रथम भारतीय मित्र हैं जिन्हें मैंने शीघ्रलिपिमें लिखनेमें समर्थ पाया है। अभी वे मेरे साथ इसी घरमें हैं; और किसी ऐसे अस्पतालमें, जहाँ हमारी भारतीय फौजें हों, जानेके निर्देशकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका नाम मानिकलाल चन्द्र है। वे लगभग चार वर्ष इंग्लैंडमें रहे हैं। जहाँतक मैं जानता हूँ श्री चन्द्र खूब घूमे-फिरे व्यक्ति हैं।

मैं पोलकको लिखनेकी कोशिश करूँगा। परन्तु शायद न भी लिख पाऊँ इसलिए तुम यह पत्र तो उन्हें दिखा ही देना।

तुम्हारा,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४४१६) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : ए० एच० वेस्ट

४१६. पत्र : गो० कृ० गोखलेको

[लन्दन]

नवम्बर २६, १९१४

प्रिय श्री गोखले,

आपका तार^१ मिला। उसका जवाब मैंने दे दिया है। मैं अपनी बीमारीपर काबू नहीं पा सकता; न डॉक्टर ही पा सकते हैं। वे कहेंगे कि यदि मैं उनका कहना पूरी तरहसे मानूंगा तो वे काबू पा सकते हैं। परन्तु वैसा मैं नहीं कर सकता। मैं किन्हीं शर्तोंपर नहीं रह सकता। शाकाहारी डॉक्टर एलिन्सनका^२ खयाल है कि इन परिस्थितियोंमें मेरा अपना इलाज बिलकुल ठीक है। डॉ० मेहता बहुत ही ध्यान देते रहे हैं। मैं जहाँ भी सम्भव होता है उनकी बात मानता हूँ। पिछले सप्ताह बीमारीने फिर गम्भीर रूप धारण कर लिया था। मैं अभी बिस्तरपर हूँ, परन्तु पहलेसे काफी अच्छा हूँ और लगता है स्वास्थ्य-लाभ कर रहा हूँ। कृपया मेरे बारेमें चिन्तित न हों। यदि स्वास्थ्य नहीं सुधरता तो मैं भारतके लिए रवाना होनेकी कोशिश करूँगा।

हम सब यह चाहते थे कि अपने तारमें आपने अपने स्वास्थ्यके विषयमें कुछ लिखा होता। मैं आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अब काफी अच्छा होगा। फिर आप उस वातावरणमें हैं जिसकी आप कामना कर रहे थे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२५०) की फोटो-नकलसे।

१. यह तार उपलब्ध नहीं है।

२. डॉ० टी० आर० एलिन्सन, लन्दन शाकाहारी संस्थाके सदस्य और सन्तति-निरोधके समर्थक, जिनके स्वास्थ्य एवं आरोग्य-सम्बन्धी साहित्यसे गांधीजी प्रभावित थे।

४१७. पत्र : मगनलाल गांधीको

मार्गशीर्ष वदी २ [दिसम्बर ४, १९१४]

चि० मगनलाल,

मैं अभी बिस्तरेमें पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें एक लम्बा पत्र लिखना आरम्भ किया है। जब पूरा हो तभी ठीक। मेरी चिन्ता नहीं करनी है। मुझे श्री ऐन्ड्र्यूजका बहुत मधुर पत्र मिला है। उनका यह कहना है कि गुरुदेव भी तुम सबको शान्तिनिकेतनमें रखकर बहुत खुश होंगे। वे लिखते हैं कि तुम्हारे जानेसे वहाँ रहनेवाले शिष्योंमें [अभी भी] जो थोड़ा-सा जातिभेद है वह खत्म हो जायेगा और कुल मिलाकर शान्तिनिकेतनको लाभ ही होगा। ऐसा ही जाये, यह तुम सबके हाथमें है। यदि फीनिक्सके समस्त आदर्शोंका पालन किया गया तो [हमारे बारेमें] गुरुदेवकी धारणाएँ खरी उतरेंगी। तुम सब सेवा करना, करवाना नहीं। खेतीको न भूलना। अपने बोये हुए वृक्षोंका उपयोग हम नहीं कर सकेंगे, इस विचारको मनमें न आने देना। सब लोगोंके उठनेसे पहले उठना। अपना भोजन तो स्वयं बनाना ही और यदि हो सके तो [वहाँ रहनेवाले] सब लोगोंका भोजन बनानेका काम भी अपने हाथमें ले लेना। गुरुदेवके प्रति सम्मानकी भावनासे और तुम सबको प्रोत्साहन देनेके लिए मैंने बिस्तरमें पड़े-पड़े बँगला सीखना शुरू कर दिया है। श्रीमती मूरत कृत व्याकरण तथा बँगला बाल-पुस्तक पूरी कर ली है। आज पाँच दिन हो गये हैं। अभ्यास सोमवारको शुरू किया था। आज शुक्रवार है। मुझे लगता है कि गुजरातीसे बँगला सीखना अधिक आसान है। तुम सब बँगला सीख लेना। इसकी [वर्णमाला] भी सहल है। गुजराती और तमिलका अभ्यास जारी रहना चाहिए। संस्कृत तो है ही।

तुम्हारे भोजनादिका खर्च गुरुदेव उठा रहे हैं। तमिलके [अभ्यासके] लिए डॉक्टरसे भाई राजङ्गमको माँग लेना। डॉक्टरका कहना है कि उनके पुत्र वहाँ हैं। तुम्हारा उनके साथ पत्र-व्यवहार चल रहा होगा। मगनभाईके पुत्रको बुलवा भेजना। बाकी फिर। यह पत्र सबके लिए है। वा तुम सबसे मिलनेके लिए आतुर है। उसकी सेवाकी तुलना नहीं की जा सकती।

बापूके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५५) से।

सौजन्य : राधाबेन चौधरी

४१८. पत्र : मगनलाल गांधीको

[लन्दन]

मार्गशीर्ष वदी ८ [दिसम्बर १०, १९१४]

चि० मगनलाल,

तुम सबके पत्र मिले हैं। अपनी असहाय अवस्थाके कारण मैं सबको पत्र नहीं लिख सकता। इस कारण यह पत्र सबके लिए समझकर तुम सब मुझे पत्र लिखते रहा करो।

तुम मेरे वहाँ पहुँचनेपर मुझसे छाछकी छूट माँगनेवाले हो। लेकिन वह मैं यहीसे देता हूँ। वहाँकी स्थितिको देखते हुए जो छूट लेनी उचित जान पड़े वह लेना। मुझसे पूछनेकी बाट न जोहना। इतना ही याद रखो [तो] पर्याप्त है कि सर्वत्र संयमका पालन करते हुए काम करो।

तुम्हारा यह निश्चय कि खेती सच्ची प्रार्थना और परोपकार है [सर्वथा] उचित है। खेती करते, खाते, खेलते, घूमते, नहाते अथवा अन्य कोई भी [कार्य] करते समय हरिका नाम लेना उचित ही नहीं, बल्कि कर्त्तव्य है। जो राममय होना चाहे, और उसका प्रयत्न करे, तो उसके लिए अमुक समयकी आवश्यकता नहीं, फिर भी युवकोंके लिए नियमकी जरूरत तो होती ही है, इसलिए जो समय खेती करनेका नहीं है वह समय खास-तौरसे प्रार्थनाके लिए निर्धारित कर लो। अर्थात् प्रातःकाल जब अन्धेरा ही हो तब। शास्त्रोंका कथन है कि सन्ध्यादि सूर्योदयसे पहले करना चाहिए। हमने रातको जो समय रखा है, वह ठीक है।

खेती करनेमें जो उत्साह है उसे और बढ़ाना। फलोंके वृक्ष लगाना।

गेहूँ बम्बईसे मँगाना। देशी चक्कीसे पिसवाना। नारियल अथवा मूँगफलीका तेल घरमें निकालना। पानीवाले नारियलको कूटकर उसे कपड़ेमें दबाकर निचोड़नेसे घी और दूध दोनों ही मिलेंगे। यह बढ़िया होगा, ऐसा जान पड़ता है। वहाँ कुछ असें तक रहना पड़ेगा ही, इसलिए आवश्यक वस्तुओंको इकट्ठा करनेमें कोई हर्ज नहीं है। कलकत्तेमें गेहूँ मिलना चाहिए। [वहाँ लोग] इमलीका इस्तेमाल नहीं करते जान पड़ते।

मैंने पियर्सनको पत्र लिखा है; वे [सम्भवतः] तुम्हें वह पत्र दिखायेंगे। तुममें से बड़े [लड़के] यदि अलग-अलग शिक्षकोंकी सेवाका भार उठा लें तो उत्तम होगा।

तुम लोगोंमें से कुप्पू तथा नायडूके लड़कों और मगनभाईके खर्चका पैसा सत्याग्रह कोषसे निकाला जायेगा। तुम्हारे, मणिलाल आदिके खर्चके सम्बन्धमें मैं देख लूँगा। शिवपूजन, शान्ति और नवीनका खर्चा उनके मां-बाप से लेना है। छोटमका खर्चा सत्याग्रह कोषसे निकालना है।

१. यह उपलब्ध नहीं है।

श्री ऐन्ड्र्यूजके पत्रसे तो ऐसा लगता था कि खर्च गुरुदेव उठायेंगे। परन्तु तुमको उसकी चर्चा नहीं करनी है। वे खर्चका भार वहन करें तो ठीक और न करें तो भी ठीक। जहाँतक बन पड़े सब चीजें अपने हाथसे करना। जो न हो सके तो उसके बिना गुजारा करनेकी आदत डालना।

हम खेती और मेहनत-मजूरीसे अपना निर्वाह करना सीख जायें तो सब कुछ कमा लिया और सब कुछ सीख लिया। मुझे भी यही सीखना है। लेकिन मैं तो कदाचित् बिना सीखे ही प्राण-त्याग करूँगा। तुम्हारे सम्बन्धमें वैसा नहीं होना चाहिए।

वहाँ यदि गुरुदेवको सुभीता न हो और जगहका अभाव हो तो उनसे तम्बूमें रहनेकी अथवा अन्य कोई व्यवस्था किये जानेकी माँग करना।

मुझे यह तो निश्चय हो गया है कि फिलहाल फीनिक्सके समान उच्च आदर्शों अथवा तौर-तरीकोंवाली कोई अन्य संस्था दुनियामें नहीं है। यह अच्छी बात है कि तुम्हारी भी वही धारणा है। मेरा स्वास्थ्य अभी सुधरा नहीं है, तिसपर कलसे बाको तीव्र रक्तस्राव हो रहा है। नहीं जानता कि भगवान्की क्या इच्छा है? वा विस्तर-पर है और मैं जबरदस्ती उठ खड़ा हुआ हूँ। फिर भी तुम सब निश्चित रहना।

मेरी खुराकमें वनस्पति-क्षारकी कमी होनेके कारण डॉक्टर एलिन्सनने कन्द-मूल तथा हरी सब्जियाँ खानेकी सलाह दी है। इसीसे [इस] भयंकर स्थितिमें उनका भी प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी खुराक यह है: प्रातःकाल सूप लेता हूँ, जिसमें वहाँसे लाये हुए दो-तीन चम्मच सूखे केले [का पाउडर] और मूँगफली होती है, टमाटर तथा एक चम्मच तेल भी डालता हूँ। दोपहरको एक छोटी गाजर, कच्चा छोटा आधा शलजम तथा गेहूँ अथवा केलेके आटेके बने हुए आठ बिस्कुट उबालकर खाता हूँ। कभी-कभी गाजर और शलजमके स्थानपर कच्ची बन्दगोभीके कुचले हुए दो पत्ते लेता हूँ। शामको दो चम्मच उबले हुए चावल, उपर्युक्त मात्रामें हरा शाक अथवा पानीमें भीगे हुए अंजीर और साथमें केला तथा गेहूँके आटेकी बनी रोटीका छोटा टुकड़ा लेता हूँ। फिलहाल तो यह दिनचर्या है। [धीरे-धीरे] पके भोजनसे कच्चेपर और गेहूँसे मूँगफली आदिपर आ जानेका इरादा है। सवेरे दो सेव लेता हूँ। हरी सब्जियाँ खाते हुए अब लगभग एक महीना हो गया होगा। उसमें कुछ नुकसान तो दिखाई नहीं दिया। तुम कहा करते थे कि हरा-शाक खाया जा सकता है लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। यहाँ बहुत-से लोग हरी सब्जी खाते जान पड़ते हैं। इसमें बहुत-सी बातें आ जाती हैं। लेकिन वे सब अभी तो नहीं लिखीं जा सकतीं, फिर कभी लिखूँगा। दूध-घीको त्यागनेका प्रण मैंने यहीं लिया है। डॉक्टरोंने बहुत जोर लगाया और मुझे लगा कि कहीं लड़खड़ा न जाऊँ इस कारण [यह प्रण] लिया है। अब मैं तो यह वस्तुएँ इस जन्ममें कभी नहीं खाऊँगा। अन्य व्रत वहाँ लूँगा। इस बीच प्रसंगवश यहीं लेने पड़े तो कह नहीं सकता।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०९७) की फोटो-नकलसे; और गांधीजीनी साधनासे भी।

४१९. पत्र : छगनलाल गांधीको^१

[लन्दन

दिसम्बर १०, १९१४के आसपास]^२

श्री चार्ल्स रॉबर्ट्सके साथ मेरे अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं। वैसे ही उनकी पत्नीके साथ भी। बीमारीकी अवस्थामें उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की।

कुमारी स्मिथकी माँका देहावसान हो गया है। [तुम] अपने तथा प्रेसकी ओरसे शोक प्रकट करते हुए एक पत्र लिखना। प्रेसकी ओरसे लिखते समय श्रीमती वेस्टसे पूछना। वे बहुत भली महिला हैं और सदा हमारी बड़ी सहायता करती रहती हैं। भाई सोराबजी कदाचित् अपनी पत्नीको इंग्लैंड बुलायेंगे। यदि बुलाएँ तो उनके मँगाने पर किरायेके लिए १०० पाँड तक देना।

बैंकका, सत्याग्रहका तथा मगनलालके ले जानेके बाद जो बचा हो, इन सबका हिसाब मुझे तुरन्त लिख भेजना। अब भारतमें, हिसाबका प्रकाशित किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। देरीके लिए हम दोषी नहीं हैं।

यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो 'इंडियन ओपिनियन' के लिए लिखना शुरू करूँगा। शान्ति, शिवपूजन और नवीनके लिए उनके माँ-बापसे पैसा लेना जरूरी है। वे शिवपूजनके लिए न दे सकें तो लिखना। तब उसका [खर्च] सत्याग्रहकोषसे लिया जायेगा। शान्तिपर पहलेसे ही कुछ हिसाब बाकी है। चि० जयशंकरको उसकी याद दिलाना। किन-किन लोगोंसे क्या मिला; थैलीमें कितना पैसा मिला। सबका हिसाब लिख भेजना। आपत्कालीन-कोष (इमरजेंसी फण्ड) का हिसाब भी देना। ट्रान्सवाल [ब्रिटिश] भारतीय संघका हिसाब-किताब मुझे सौंप दिया गया है; यह बात मैंने तुमको नहीं बतलाई। सौंप दिये जानेके कागजात मेरे पास हैं। वह पैसा मेरे हिसाबमें जमा करके उनके खातेमें चढ़ा देना। वह भी थैलीमें दाखिल कर देना। मुझे लगता है कि थैलीका उपयोग भारतकी संस्था चलानेके लिए करना पड़ेगा। जो सत्याग्रही लड़के हैं उनका खर्च सत्याग्रह-कोषमें से किया जायगा, अन्य लड़कोंका नहीं। वैसे भारत पहुँचनेपर मैं इसे अधिक अच्छी तरहसे समझ सकूँगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०४७) की फोटो-नकलसे।

१. विषय-वस्तुसे जान पड़ता है कि यह पत्र छगनलाल गांधीको लिखा गया था। इस पत्रके पहले तीन पृष्ठ उपलब्ध नहीं हैं।

२. पत्रमें शान्ति, शिवपूजन और नवीनके खर्चका जो जिक्र आया है उससे प्रतीत होता है कि यह पत्र लगभग उसी समय लिखा गया होगा जब "पत्र : मगनलाल गांधीको" — पिछला शीर्षक लिखा गया था।

४२०. हिसाब : भारतीय आहत-सहायक दलका

[लन्दन
दिसम्बर १८, १९१४]

प्राप्ति	पौं०	शि०	पें०
महाविभव आगाखाँ	२००.	०.	०
महाविभव बड़ीदाके गायकवाड़	५०.	०.	०
श्री रतन जे० टाटा	५०.	०.	०
श्री करीमभाई आदमजी पीरभाई	१५.	०.	०
डोलीवाहक कक्षाकी फीसके लिए दलके सदस्योंसे चन्दा आदि		३.	६. ६
कुल — पौं०	३१८.	६.	६

व्यय	पौं०	शि०	पें०
लेखन-सामग्री और छपाई	१६.	६.	०
टिकट, तार, फोन आदि	१३.	१७.	७
सदस्योंका यात्रा-व्यय	१८.	१२.	०
डोलीवाहक कक्षाकी फीस आदि	२९.	१७.	८
बाकी	२३९.	१३.	३
पौं०	३१८.	६.	६

[अंग्रेजीसे]

इंडिया, २५-१२-१९१४.

४२१. भेंट : रायटरके प्रतिनिधिको^१

लन्दन

दिसम्बर १८, १९१४

रायटरके प्रतिनिधिसे एक भेंटके दौरान भारतीय नेताने जोर देकर कहा कि दक्षिण आफ्रिकामें जो समझौता हुआ है वह उन भारतीयोंके लिए अत्यन्त प्रसन्नताकी बात है जो महान् संकट कालमें सरकारका साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बोथा और जनरल स्मट्सके साथ मेरी जो अन्तिम मुलाकातें हुईं, मेरे मनमें उनकी बड़ी ही मीठी यादगार हैं।

श्री गांधीने संघ सरकारकी इस बातके लिए सराहना की कि उसने भारतीयोंकी भावनाओंको, यहाँ तक कि छोटे-छोटे मामलोंमें भी, ध्यानमें रखा, और मुझे खुशी है कि मैं भारतमें यह कह सकूंगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-१२-१९१४

४२२. भाषण : लन्दनके विदाई-समारोहमें^२

[लन्दन

दिसम्बर १८, १९१४]

श्री गांधीके, व्याख्यान देनेके लिए खड़े होते ही, श्रोताओंने करतल-ध्वनि की। उन्होंने अपने भाषणमें कहा हम दोनों—मैं और मेरी पत्नी—भारत लौट रहे हैं। हमारा काम पूरा नहीं हो पाया और हमारा स्वास्थ्य भी गिर गया है परन्तु हम आशापूर्ण भाषाका ही प्रयोग करना चाहते हैं। श्री गांधीने यह भी कहा कि यद्यपि दो-दो डॉक्टरोंने काम करनेकी मनाही की है फिर भी मेरा खयाल है कि यदि अब भी सेवाकार्यमें हाथ बँटानेकी अनुमति मिल जाये, तो उस कामसे ही मेरी कमजोरी जाती रहेगी। जब आहत

१. यह रायटरके एक खरीतेसे उद्धृत किया गया है।

२. वेस्टमिन्स्टर पैलेस होटलमें गांधीजी और श्री कस्तूरबाको विदाई-भोज दिया गया। चार्ल्स रॉबर्ट्स, सर हेनरी कॉटन, श्री और श्रीमती जे० एच० पोलक, कुमारी एफ० डब्ल्यू० विंटरबॉटम उपस्थित थे। अध्यक्षका आसन श्री जे० एम० परीखने ग्रहण किया था। सर हेनरी कॉटनके भाषणके पश्चात् श्री जे० एम० परीख, श्री सी० रॉबर्ट्स और श्रीमती आलिव श्राइनरके भाषण हुए थे। गांधीजीने उत्तर दिया था। अमृत बाजार पत्रिकाके लन्दन-स्थित संवाददाताका जो विवरण इंडियन ओपिनियन, (२७-१-१९१५)में प्रकाशित हुआ था। उस विवरणके साथ इस विवरणका मिलान कर लिया गया है।

सहायक दल (एम्बुलेंस कोर) का संघटन हुआ था, तब मुझे इस बातको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई थी कि बहुतसे विद्यार्थी तथा अन्य लोग सामने आये और उन्होंने खुशीसे अपनी-अपनी सेवाएँ अर्पित कीं। कर्नल कामताप्रसाद, श्री तर्खड़ और श्री परीख जैसे व्यक्तियोंसे नेटलेके अस्पतालमें चपरासियोंकी हैसियतसे काम करनेकी कभी आशा नहीं की जा सकती थी परन्तु उन्होंने उसे प्रसन्नतापूर्वक किया। इस प्रकार भारतीयोंने यह प्रमाणित कर दिया है कि यदि हमारे स्वत्वों और अधिकारोंको मान्यता प्रदान की जाती रहे तो हम अपना कर्त्तव्य-पालन करनेमें सक्षम हैं। (हर्ष-ध्वनि)। सेवा-दलको गठित करनेका सम्पूर्ण विचार इसीलिए उत्पन्न हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि भारतीयोंके दिलोंमें साम्राज्यके संकटके अवसरपर सहायता करनेकी जो इच्छा उत्पन्न हुई उसे फलित करनेका कोई मार्ग निकलना ही चाहिये। (हर्ष-ध्वनि)। श्री गांधीने कहा कि श्री रॉबर्ट्स, जिन्होंने हमारे द्वारा की जानेवाली सेवाओंकी कद्र की है, हमारे धन्यवादके पात्र हैं। मैंने परमात्मासे प्रार्थना करते हुए मनन किया कि इस संकट-कालमें भारतीय किस प्रकारकी सहायता कर सकते हैं और इस प्रार्थनाके बाद ही सेवा-दलका प्रादुर्भाव हुआ। वैसे मुझे दुःख है कि मैं इस सेवामें भाग न ले पाऊँगा। मैंने बहुत चाहा कि श्री रॉबर्ट्स मुझे भी कोई काम सौंप देते परन्तु वह मेरे स्वास्थ्यके कारण सम्भव न हो सका और डॉक्टर अपने निर्णयपर कायम रहे। मैंने दलसे इस्तीफा नहीं दिया है। यदि अपनी मातृभूमिमें मेरा स्वास्थ्य सुधर गया और लड़ाई जारी रही, तो मेरा इरादा बुलावा मिलते ही वापस आ जानेका है। (हर्ष-ध्वनि)। दक्षिण आफ्रिकामें जो काम मैंने किया है उसे करना मेरा धर्म ही था, उसका श्रेय लेनेकी कोई बात नहीं है। भारत पहुँचनेपर मेरी यही कामना रहेगी कि जो कर्त्तव्य सामने आता जाये उसे निबाहता जाऊँ। मैं लगभग २५ वर्षसे अपने देशसे बाहर हूँ। मेरे मित्र और मेरे गुरु श्री गोखलेने मुझे सावधान कर दिया कि [भारतमें अभी] भारतीय प्रश्नोंपर जबान न खोलना, क्योंकि भारत तुम्हारे लिए अभी विदेश ही है। (हँसी)। परन्तु मेरे मनमें जिस भारतकी तसवीर है वह भारत संसारमें अपना सानी नहीं रखता। मेरी कल्पनाके भारतमें बहुत ऊँचे दरजेका आध्यात्मिक भण्डार मौजूद है। मैं इस बातका स्वप्न देख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि भारत और इंग्लैंडके ऐसे सम्बन्ध होंगे कि उनसे समस्त संसारको आध्यात्मिक सन्तोष एवं उत्थानका मार्ग मिल सकेगा। अपना भाषण समाप्त करनेके पूर्व मैं श्रीमती सेसिल रॉबर्ट्सको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। उन्होंने मेरी तथा

१. अमृत बाजार पत्रिकाने जो विवरण प्रकाशित किया था, उसमें लिखा था कि गांधीजीने अपने भाषणमें कहा “ आशा करता हूँ कि यदि वापस आया और यदि तबतक युद्ध जारी रहा तो मैं अस्पतालोंमें सेवा-शुश्रूषा और परिचर्या करनेवालेके एक चपरासीकी हैसियतसे काम करनेको तैयार रहूँगा। ”

२. अमृत बाजार पत्रिकामें प्रकाशित विवरण इस प्रकार है—मेरा विश्वास है कि भारत वह देश है जहाँ बड़ेसे-बड़ा आध्यात्मिक भण्डार मौजूद है कि जिसके द्वारा समस्त संसारको राहत मिल सकती है और जिसकी बदौलत वह ऊँचा उठ सकता है। हम सब भारत और ब्रिटेनके बीचके सम्बन्धको सुदृढ़ बनानेकी चेष्टा करें और उसका रास्ता यह है कि एकमें जो-कुछ सबसे सुन्दर हो वह दूसरेको दे।

मेरी पत्नीकी बीमारीके दिनोंमें हम दोनोंका बड़ा खयाल रखा। हम लोग अपरिचित व्यक्तियोंकी भाँति इंग्लैंड आये थे, परन्तु शीघ्र ही हमें अनेक मित्र प्राप्त हो गये। यदि लोग अपने-आप भारतीयोंके प्रति इतनी ममता दिखाते हैं तो इंग्लैंड और भारतके पारस्परिक सम्बन्धोंमें कोई-न-कोई अच्छाई जरूर है।'

हमारा सौभाग्य है कि हमें अनेक ऐसे मित्र मिले, जिन्होंने हमारी सहायता की है और हमारा उत्साह बढ़ाया। हम आशा करते हैं और ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी इस प्रशंसाके अनुरूप अपने कर्तव्योंका पालन करते रहें और इस सभाने जो प्रेमभाव प्रदर्शित किया है तथा आफ्रिकासे विदा होते समय हमारे सम्मानमें जो समारोह वहाँ किया गया था, हम उस सबके योग्य बनें। आशा है कि हमारे अनेक कृपालु मित्रोंसे हमारी यह विदाई अन्तिम विदाई नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

इंडिया, २५-१२-१९१४ और इंडियन ओपिनियन, २७-१-१९१५

४२३. पत्र : ए० एच० वेस्टको

पी० ऐंड ओ० एस० एन० को०,
एस० एस०,
दिसम्बर २३, १९१४

प्रिय वेस्ट,

मैं अब पूरी तरह थक गया हूँ, किन्तु बड़े दिनका त्यौहार निकट आनेके कारण मैं आपको अपने स्नेहपूर्ण विचार भेजे बिना नहीं रह सकता। हम अचानक और जरा जल्दी ही रवाना हो गये। तूफानी मौसमको देखते हुए हमारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। स्वास्थ्यमें सुधार होनेपर आशा करता हूँ कि मैं 'इंडियन ओपिनियन'के लिए फिरसे लिखना शुरू कर दूँगा। कृपया कुमारी स्मिथको उनकी माताके निधनपर समवेदनाका सन्देश भेज दीजिए।

मुझे भारत जाते-जाते इतनी बार रुक जाना पड़ा है कि एकाएक मनको विश्वास नहीं होता कि मैं भारत जानेवाले जहाजमें बैठा हूँ। और मेरी समझमें ही नहीं आता कि वहाँ पहुँचकर मुझे स्वयं क्या करना होगा? फिर भी 'हे सदय प्रकाश, घिरे हुए अन्धकारमें मुझे रास्ता दिखा; मुझे आगे ले चल' यही

१. इसके बादका अंश अमृत बाजार पत्रिकामें प्रकाशित रिपोर्टके आधारपर है।

विचार मुझे ढाढस देता है और सर्वाधिक अन्धकारपूर्ण क्षणोंमें यही विचार आपको भी ढाढस दे।

आप सबको हम दोनोंकी ओरसे प्यार।

आपका हृदयसे,
मो० क० गांधी

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४४१७) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : ए० एच० वेस्ट

४२४. पत्र : छगनलाल गांधीको

‘अरबिया’ स्टीमरपर
पौष सुदी ७, बुधवार, [दिसम्बर २३, १९१४]

चि० छगनलाल,

ईश्वरकी लीला विचित्र है। मैं अप्रत्याशित रूपसे और सहसा ही लन्दन छोड़नेमें समर्थ हो सका हूँ। अब देश पहुँच सकूंगा या नहीं यह देखना अभी बाकी है। जबतक बम्बई नहीं पहुँच जाता देश पहुँचनेकी बातमें सन्देह होता रहेगा। बहुत बार निराश होना पड़ा है। हम दोनोंकी तबीयत अबतक तो ठीक रही है। खूब सँभाल रखते हैं। देखना है, मुझमें पहले जैसी ताकत लौटी है या नहीं। हमारा काम इंग्लैंडसे लिये हुए भोजनपर चल रहा है। दो भाग केलेका आटा और एक भाग घी लेकर हमने विस्कुट तथा रोटी बनाई है। इन्हींके साथ पानीमें भीगे हुए सूखे मेवे लेते हैं। पका हुआ फल स्टीमरसे लेते हैं। पका केला आना बन्द हो गया है; इसलिए वे अघपके केले आँचमें पका कर हमें देते हैं। साथमें मूँगफली, खजूर आदि ले रखे हैं। दूसरे दर्जेका टिकट है। तीसरा दर्जा अर्थात् डेक इस [जहाज] में नहीं है। भीड़ बहुत है। डेकपर [घूमने-फिरनेकी] जगह नहीं है। ग्यारह-बारह जनवरी तक बम्बई पहुँचना चाहिए।

स्टीमरपर बंगाली भाषाका अभ्यास करता हूँ। सर्दी होनेके कारण अबतक बहुत नहीं पढ़ पाया हूँ।

श्री कैलेनबैकके लिए बहुत प्रयत्न किये जा रहे हैं। उन्हें स्वीकृति मिली तो वे तुरन्त आ जायेंगे।

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०९८) की फोटो-नकलसे।

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

सर्ल-निर्णयका पूरा पाठ

अब हम सुविख्यात सर्ल-निर्णयका पूरा पाठ दे सकनेकी स्थितिमें हैं। न्यायमूर्ति श्री सर्लने निर्णय देते हुए कहा: इस मामलेमें निर्णय देनेसे पहले यदि मुझे उसका और अच्छी तरह अध्ययन करनेका समय मिल सकता तो मुझे खुशी होती, किन्तु एक स्थीमरकी रवानगी होनेवाली है। अतः यह फौरी मामला बन गया है और इसपर तत्काल निर्णयकी आवश्यकता है। इसके तथ्योंको लेकर कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी एक भारतीय है जो सन् १९०२ से पोर्ट एलिजाबेथमें रहता आया है। उसने पिछले वर्ष भारत जानेके लिए अनुमतिपत्र प्राप्त किया और वहाँ जाकर उसने मुस्लिम रीतिसे बाई मरियम नामक एक स्त्रीसे “विवाह” कर लिया। यह स्त्री अब १९०६ के अधिनियम ३० के अन्तर्गत प्रार्थीके साथ एक प्रवासीके रूपमें इस देशमें प्रवेश पाना चाहती है। यह बात मान ली गई है कि वह १९०६ के अधिनियम ३० के खण्ड ३ (क) की शर्तोंको पूरा नहीं करती, और जबतक उसे अधिनियमके खण्ड ४ (इ) के अन्तर्गत प्रार्थीकी पत्नी न माना जाये, वह प्रवेशका दावा नहीं कर सकती। प्रतिबन्धीके मामलेमें मुझे जो कठिनाई प्रतीत हुई वह यह थी कि याचिका (पिटीशन) के साथ भारतके एक मजिस्ट्रेटका प्रमाणपत्र संलग्न था जिसमें कहा गया था कि वह बाई मरियम प्रार्थीकी पत्नी है। किन्तु मैं समझता हूँ कि यह प्रमाणपत्र सबूतके तौरपर उस समय स्वीकार किया गया जब प्रार्थीने यह स्वीकार किया कि यह तथाकथित विवाह ऐसा विवाह है जिसे सामान्यतः बहुपत्नीक विवाह कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें, प्रार्थी बाई मरियमके साथ अपने वैवाहिक सम्बन्ध रखते हुए अन्य स्त्रियोंसे भी वैसे ही विवाह कर सकनेको स्वतन्त्र था। तथ्य यह है कि उसने वैसा नहीं किया है, और उभय पक्षोंके बीच विवादका प्रश्न यहींतक सीमित हो गया कि ‘अधिनियमके खण्ड ४ (इ) में ‘पत्नी’ शब्दका क्या अर्थ है’; क्या इसका अर्थ है इस देशके कानूनोंकी रू से वैध माने जानेवाले विवाहसे विवाहिता पत्नी; अथवा इस शब्दका अर्थ इतना व्यापक करना चाहिए कि इसमें वह तथाकथित पत्नी भी शामिल की जा सके जिसका विवाह बहुपत्नीक प्रथाको मान्य करनेवाले रिवाजके अनुसार हुआ है? इस देशकी अदालतोंने तथाकथित मुस्लिम विवाहोंको वैध विवाह माननेसे सदैव इनकार किया है। यद्यपि केप उपनिवेशके सन् १८६० के अधिनियम १६ द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी कि विवाह-अधिकारी ऐसे विवाहोंको पुनः सम्पन्न कराकर उन्हें वैधता प्रदान कर सकते थे, किन्तु जबतक इस प्रकार उन्हें पुनः सम्पन्न न कराया जाये तबतक वे वैध विवाहोंकी श्रेणीमें नहीं आते। यह स्पष्ट है कि इस मामलेमें विवाहको इस प्रकार सम्पन्न नहीं किया गया है, और ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया गया है जिससे इस आशयका कोई श्रदा जाहिर होता हो कि बाई मरियमको उतरनेकी अनुमति दे देनेपर विवाहको पुनः सम्पन्न कराया जायेगा। उक्त कानूनके परिणाम-स्वरूप ही मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत मामलेपर तथा उद्धृत किये इसी प्रकारके अन्य मामलोंपर निर्णय किये गये थे। किसी प्रवासीके साथ उसकी पत्नीको भी देशमें आने देनेका उद्देश्य निस्सन्देह पति और पत्नीके वे पारस्परिक घनिष्ठ वैध सम्बन्ध हैं जिनके कारण वे कानूनकी दृष्टिसे बहुतसे कामोंमें परस्पर भागीदार हैं, और अदालत द्वारा कानूनी सम्बन्ध-विच्छेद न हो जाये तबतक पति अपनी

पत्नीका पूरा भार उठानेको बाध्य है। फिर भी यदि “पत्नियों” के रूपमें ऐसी स्त्रियोंको दाखिल कर लिया जाये जिन्हें पति अगले ही दिन पत्नी माननेसे कानूनी तौरपर इनकार कर सकता हो, और इस देशमें वह किसी अन्यके साथ वैध रूपमें विवाह कर ले, अथवा वह ऐसा न करे तो भी, वैसी स्थितिमें मुझे लगता है कि पत्नीके हकमें दी जानेवाली छूटका उद्देश्य पूरा नहीं होता। कानून तो सामान्यतः सबपर लागू होता है; इसे केवल एशियाइयोंके लिए, या मुख्यतः उन्हींके लिए नहीं बनाया गया है, हालाँकि एशियाई शब्दका उल्लेख प्रसंगवश उसमें किया गया है। फिर भी सभी एशियाई बहुपत्नीक विवाह नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि हर सूरतमें किसी एक मुसलमान दम्पतीकी एक “पत्नी” को प्रवेश करने देना चाहिए, और मैं यह नहीं जानता कि वह पत्नी कौन हो — वह जो इस देशमें पहले आये या वह जो सबसे पहले ब्याही गई थी; लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अन्यथा बहुत कठिनाई होगी और शायद अनैतिकताको प्रोत्साहन मिलेगा। ये मसले विधानमण्डलके तय करनेके हैं, हालाँकि मैं यह नहीं मानता कि प्रतिवादीने अधिनियमकी जो व्याख्या मानी है उसके लाजिमी तौरपर ऐसे परिणाम होंगे। प्रान्तमें ऐसे किसी मामलेपर कोई अदालती निर्णय कभी नहीं हुआ है, लेकिन ट्रान्सवालमें हाल ही में हुए एक निर्णयसे प्रकट हुआ कि न्यायाधीशोंमें इस प्रश्नपर मतभेद है। ट्रान्सवालका कानून १९०६ के अधिनियम ३० जैसा ही है, और वहाँकी अदालत द्वारा बहुमतसे किये गये निर्णयसे मैं सहमत हूँ। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी अन्य देशके निवासियोंके विवाहकी महज धार्मिक रीति इस देशमें आवश्यक समझी जानेवाली रीतियोंसे भिन्न हो; ऐसे मामलोंमें ठीक ही है कि उनपर कानूनी आपत्ति नहीं उठाई जा सकती थी। लेकिन यह तो एक ऐसा मामला है जिसमें स्वयं वादीके अनुसार, वैध विवाह-सम्बन्धके बुनियादी और अनिवार्य तत्त्वोंका ही अभाव है जैसा कि प्रतिवादी पक्षने कहा है, जब इस उपनिवेशके विधान मण्डलका इरादा “पत्नी” शब्दकी इतनी व्यापक व्याख्या करनेका था जिसमें ख्यात पत्नी भी शामिल हो तब अधिनियममें वैसा स्पष्ट कर दिया गया था। यहाँ सिद्ध करनेकी जिम्मेदारी प्रार्थीपर है और मुझे लगता है कि उसने उसे पूरा नहीं किया है। अतः प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसा सुझाव दिया गया था कि अदालत कह दे कि यदि प्रार्थी १८६० के अधिनियम १३ के अन्तर्गत अपने विवाहको वैध कराना स्वीकार कर ले तो बाई मरियमको जहाजसे उतरनेकी अनुमति दे दी जाये, लेकिन यह बात ऐसी नहीं है जिसमें अदालत हस्तक्षेप करे। तथापि यदि मन्त्री महोदय ऐसा आदेश दें तो मुझे उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती। मैं यह भी नहीं जानता कि इस समय ऐसी कानून-रचनाके लिए कोई तन्त्र है भी या नहीं। चूँकि खर्चके लिए आग्रह नहीं किया गया है इसलिए खर्चके विषयमें कोई आशा नहीं दी जा रही है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-६-१९१३

परिशिष्ट २

प्रस्ताव : फ्रीडडॉपकी सार्वजनिक सभामें

जोहानिसबर्ग
मार्च ३०, १९१३

प्रस्ताव १

ब्रिटिश भारतीय संघके तत्त्वावधानमें आयोजित ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सार्वजनिक सभा सर्वोच्च न्यायालयके केप प्रान्तीय डिवीजनके उस निर्णयपर गहरा दुःख और निराशा प्रकट करती है, जिसमें भारतके महान् धर्मोंकी रीतिके अनुसार सम्पन्न गैर-ईसाई भारतीय विवाहोंको, जो भारतमें कानूनी तौर पर मान्य हैं, गैर-कानूनी करार दिया गया है और इस प्रकार भारतके महान् धर्मोंका अपमान किया गया है। यह सभा सरकारसे सादर किन्तु उत्कट अनुरोध करती है कि वह इस विषम स्थितिके निराकरणके लिए एक ऐसा कानून पास करे जिसके द्वारा संघ-भरमें ऐसे विवाहोंको कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाये।

प्रस्ताव २

इस सभाके विचारमें, यदि पहले प्रस्तावमें उल्लिखित निर्णयपर तर्कसंगत ढंगसे अमल किया गया तो उसके परिणाम-स्वरूप भारतीयोंके पारिवारिक सम्बन्धोंमें भारी अव्यवस्था आ जायेगी; बसे-बसाये घर उजड़ जायेंगे; पति-पत्नी एक-दूसरेसे अलग हो जायेंगे; [भारतीयोंकी] वैध सन्तान अपने उत्तराधिकारसे वंचित हो जायेगी या संघके कुछ हिस्सोंमें, विरासत और स्वामित्व-हस्तान्तरण करसे सम्बन्धित उत्तराधिकार कानूनके लाभसे वंचित हो जायेंगी; और जिन भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकामें रहनेका अधिकार है उनके कानून-सम्मत स्त्री-बच्चोंको संघमें प्रवेश नहीं मिलेगा।

प्रस्ताव ३

सभा यह भी सोचती है कि उक्त निर्णयसे पैदा होनेवाले सवाल दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके लिए इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि जबतक मौंगी गई राहत नहीं दे दी जाती तबतक अपनी तथा अपनी स्त्रियोंकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए समाजका यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह सत्याग्रहका सहारा ले।

प्रस्ताव ४

ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा अव्यक्त महोदयको यह अधिकार देती है कि वे उपर्युक्त प्रस्तावोंकी प्रतियां संघ-सरकार, साम्राज्य-सरकार और भारत सरकारको भेज दें।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिलिपि शुद्ध है।

अ० मु० काछलिया
अध्यक्ष

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : ५५१/३९

परिशिष्ट ३

गृह-मन्त्रीका तार

[केप टाउन]

अप्रैल १५, १९१३

आपका ९ तारीखका पहला तार। मन्त्रीके आदेशानुसार आपके मुद्दोंका निम्नलिखित उत्तर दे रहा हूँ। खण्ड तीनकी हद तक, अधिवासके मामलोंको छोड़कर अपील निकाय सभी मामलोंमें अदालतोंका स्थान ले लेंगे। पहले भी ऐसा किये जानेकी काफी पुख्ता नजीरें हैं। खण्ड ४, उपखण्ड १ की धारा (क) के बारेमें आपने जो पहला मुद्दा उठाया है वह खण्ड ५ (च) से पूरा हो जाता है। फ्री स्टेटमें प्रवेश-निषेधका प्रस्ताव नया नहीं है और उसे पहलेवाले विधेयकमें भी रखा गया था। खण्ड ४, उपखण्ड ३ में एक ही बन्दरगाहपर उतरनेकी बन्दिश सम्बन्धी व्यवस्था अनुभवके आधारपर प्रशासनिक सुविधाकी दृष्टिसे आवश्यक है; इसका मंशा उन बन्दरगाहोंसे अनधिकृत प्रवेशको रोकना है जहाँ सरकार निषिद्ध प्रवासियोंकी गतिविधियोंपर कोई सन्तोषजनक नियन्त्रण नहीं रख पाती। खण्ड ५ के उपखण्ड (च) में आपके सुझाये परिवर्तनका अर्थ तो एक ऐसा नया अधिकार देना ही जायेगा जिसका अभीतक अस्तित्व नहीं था। जहाँतक उस खण्डके उपबन्धोंका सवाल है, मन्त्री महोदयकी रायमें अधिवासके प्रमाणपत्र नेटालके मामलेमें कोई अधिकार प्रदान नहीं करते। ट्रान्सवालके मामलेमें १९०८ के अधिनियम ३ का खण्ड २ ऐसे अधिकार देता है; और उनका अवश्य सम्मान किया जायेगा। किन्तु मन्त्री महोदय यह नहीं मानते कि किसी भारतीयके मामलेमें ये अधिकार किसी यूरोपीयसे कुछ बढ़कर हो सकते हैं; क्योंकि यूरोपीय लम्बी अनुपस्थितिके कारण दक्षिण आफ्रिकामें अधिवास खो सकता है।

वर्तमान शैक्षणिक परीक्षा पास कर सकनेवाले शिक्षित भारतीयों द्वारा केपसे नेटाल और नेटालसे केपमें जा बसनेके सवालपर मन्त्री महोदयने पिछले वर्ष विधेयकके द्वितीय वाचनके समय अपने भाषणमें स्थिति स्पष्ट शब्दोंमें बता दी थी। उन्होंने कहा था कि दक्षिण आफ्रिकामें एशियाइयोंके आन्तरप्रान्तीय आवागमनपर जो वर्तमान नियन्त्रण हैं, उन्हें और अधिक कठोर नहीं बनाया जायेगा। इस नीतिको छोड़नेका कोई मंशा नहीं है, यह नीति कुछ राहत देकर अथवा प्रशासनिक कार्रवाईको नरम बनाकर कार्यान्वित की जायेगी। सर्ल-निर्णयके बारेमें सरकार पहले ही कह चुकी है कि पत्नियों और नाबालिग बच्चोंके बारेमें उसका वर्तमान नीतिको छोड़नेका कोई इरादा नहीं है। आपके दूसरे तारके संदर्भमें चुने गये शिक्षित प्रवेशार्थीकी पत्नी और नाबालिग बच्चोंको उसके साथ आनेपर प्रवेश मिलेगा और यदि वे प्रवेशार्थी द्वारा अधिवासका अधिकार प्राप्त कर लेनेके बाद आते हैं तो वे छूटके अन्तर्गत माने जायेंगे। शापनके बारेमें, जैसा कि पिछले वर्ष आपको बताया गया, शपथपूर्वक शापन देना प्रवेशकी व्यवस्था नहीं है, और मन्त्री महोदय ऐसा नहीं मानते कि इससे कोई कठिनाई उत्पन्न होगी। फ्री स्टेटमें एशियाई समाज निवास ही नहीं करता, इसलिए ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि जिन सम्पूर्ण शिक्षित भारतीयोंको भारतीय समाजके हितमें प्रवेश दिया जायेगा वे किसी भी दिन उस प्रान्तमें बसना चाहेंगे। यदा-कदा वहाँ जानेकी अनौपचारिक व्यवस्था है। अन्तिम मुद्देके विषयमें, पिछले वर्षका मसविदा दोषपूर्ण था इसलिए उसमें कुछ शब्द जोड़े गये हैं। अन्तमें, मन्त्री महोदय आपके तारों और पत्रादिमें सत्याग्रहके उल्लेखकी जोरदार भर्त्सना करते हैं। विचाराधीन प्रश्नके बारेमें सारे संघमें भावनाकी तीव्रताको देखते इसीकी पूरी सम्भावना है कि तारों आदिमें जो-कुछ सोचकर धमकियाँ दी गई थीं, नतीजे उसके बिल्कुल उल्टे निकलें।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३

परिशिष्ट ४

अ० मु० काछलियाका भाषण

जोहानिसबर्ग

अप्रैल २७, १९१३

अभी हाल ही में चिर-प्रतीक्षित प्रवासी विधेयक प्रकाशित हुआ है। उसे समझनेके लिए फिर एक सार्वजनिक सभाका आयोजन करना आवश्यक हो गया। सरकारको संघकी ओरसे आदरपूर्वक एक विरोधका तार भेजा जा चुका है। उसमें विधेयकके प्रति हमारी सारी आपत्तियाँ बता दी गई हैं। उसके उत्तरमें सरकारने लिख भेजा है कि इन आपत्तियोंपर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है। इसलिए हम आशा कर सकते हैं कि विधेयकमें हमारी आपत्तियोंके अनुसार संशोधन कर दिया जायेगा। किन्तु, इस अवसरके गम्भीर महत्त्वको देखते हुए ट्रान्सवाल्के सम्पूर्ण भारतीयोंकी राय जान लेना और इस प्रश्नपर विचार कर लेना उचित समझा गया कि यदि सरकारने हमें सन्तुष्ट करनेसे इनकार कर दिया या वह उसमें असमर्थ रही तो क्या कदम उठाया जाये।

विधेयक यदि वर्तमान रूपमें ही कानून बना दिया गया तो हमारी स्थिति १९०६ में संघर्ष आरम्भ करनेके पूर्वकी स्थितिसे भी बुरी हो जायेगी। यह स्थिति ऐसी होगी जिसको हम एक आत्म-सम्मानी जातिके नाते कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त आप यह भी देखेंगे कि यह न केवल बाल्गा लोगोंके उन अधिकारोंको गम्भीर रूपसे क्षति पहुँचाता है, जिनका वे अबतक उपभोग करते रहे हैं, बल्कि स्त्रियों और बच्चोंके ऐसे अधिकारोंको भी हानि पहुँचाता है। यह अमीरों और गरीबों सबको समान रूपसे प्रभावित करता है। जनरल बोधाकी इस घोषणाके बावजूद कि सरकारका दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए भारतीयोंको तंग करनेका कोई इरादा नहीं है, यह दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीयोंके अधिकारोंको भी छीन लेता है। जो विधेयक स्वयं हमारे अस्तित्वकी जड़पर ही आघात करता है, उसका सम्बन्धित व्यक्तियोंको हर कीमतपर विरोध करना चाहिए।

संसदमें हमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, यद्यपि उसकी सार-सँभालके खर्चमें हम भी हाथ बँटाते हैं। अब ऐसे लोगोंके लिए अपनी शिकायतें दूर करानेका एक ही तरीका है, वह है सत्याग्रह। और चूँकि हमें सत्याग्रहका पर्याप्त अनुभव प्राप्त है, इसलिए हम अपनी शक्ति और दुर्बलताओंको परखनेकी स्थितिमें भी हैं और अपनी समस्याके समाधानके रूपमें सत्याग्रहका मूल्य आँकनेकी स्थितिमें भी हैं। परन्तु साथ ही मैंने यह भी देखा कि संघर्षकी चार वर्षोंकी सुदीर्घ अवधिके अन्तिम दिनोंमें उस चीजको झेलनेके लिए, जो तब लगभग अनन्त कारावास-सी प्रतीत होती थी, अपेक्षाकृत कम लोगोंका ही एक दल तैयार था; किन्तु यह दल मुख्यतः उत्साही और दुर्दमनीय लोगोंका दल था, और उन्हीं लोगोंके कष्टसहनके परिणाम-स्वरूप वह चीज सम्भव हो सकी जिसे अस्थायी समझौता कहा जाता है। इसे “अस्थायी” इसलिए कहा गया कि यद्यपि इसकी रूसे हमें वह सब-कुछ प्राप्त हो गया जिसके लिए हम लड़ रहे थे, किन्तु इसे कानूनी रूप देकर पक्का नहीं किया गया था। वर्तमान विधेयकसे यही अपेक्षा की जाती है कि उसमें उस समझौतेका समावेश होगा; किन्तु जैसा कि आपने अपनी समिति द्वारा तैयार किये गये आपत्ति-पत्रमें देखा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अब हम सरकारसे अनुनय-विनय कर रहे हैं और जबतक आशा है तबतक ऐसा करते रहेंगे; किन्तु, जब कोई उपाय शेष नहीं रह जायेगा तो यह स्पष्ट है कि जिस उपायका अवलम्बन करनेसे अस्थायी समझौता सम्भव हो पाया, अन्तमें इस समझौतेमें समाहित वार्दोंको कानूनी मान्यता दिलानेके लिए भी उसी उपायका अवलम्बन करना पड़ेगा।

यदि हमारे प्रयत्नोंके बावजूद समाजको तीसरा संघर्ष प्रारम्भ करना पड़ा तो वह निश्चय ही बहुत कठु और दुःखदायी होगा और उसमें पहलेसे अधिक कष्ट झेलने पड़ेंगे । यह स्पष्ट है कि ऐसे कठिन संघर्षमें भाग लेनेके लिए हजारों लोग तैयार नहीं होंगे, किन्तु विधेयककी मंशाको समझते हुए जितने लोग भी उसके विरुद्ध हैं, वे सब उन लोगोंके कार्योंका समर्थन तो कर ही सकते हैं जिनमें कारावास या उसके सिवा सरकार कोई अन्य कठिनतर दंड देना चाहे तो उसके कष्टोंको सहनेकी इच्छा और क्षमता हो । उन्हें केवल इसीलिए अलग नहीं खड़े रहना है कि वे जेल नहीं जा सकते । वे उन लोगोंकी देखभाल कर सकते हैं, जिन्हें कष्ट-सहन करनेवाले अपने पीछे छोड़ कर जायेंगे । वे सरकारको यह सूचित कर सकते हैं कि राहतकी माँग करनेमें वे उन लोगोंके साथ हैं, और वे पूरे मनसे आन्दोलनका समर्थन करते हैं । मैं मानता हूँ कि इस सभामें ऐसे दो वर्गोंके लोग ही मौजूद हैं, और चूँकि विचाराधीन विधेयकसे इसके सभी सदस्य समान रूपसे प्रभावित होते हैं, इसलिए इसमें एक ही भावना व्याप्त है । आशा है, मैंने जिस तारका उल्लेख अपने भाषणके प्रारम्भमें किया उसपर सरकार ध्यान देगी । किन्तु, यदि दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर पाई तो मुझे आशा है कि यह सभा उस एकमात्र प्रस्तावको पास कर देगी, जो इसके समक्ष पेश किया जायेगा ।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स : ५५१/३९

परिशिष्ट ५

(१) गृह-मन्त्रीका तार

[केप टाउन]

मई २९, १९१३

आपका इसी माहकी २७ तारीखका तार । आपके द्वारा उठाये गये सभी मुद्दोंपर सरकार और संसदने पूरी तरह विचार किया । विवाहके प्रश्नपर लोकसभा (हाउस ऑफ असेम्बली) हालमें स्वीकृत संशोधन द्वारा जिस हदतक गई है उससे आगे जानेको तैयार नहीं है । और यदि भारतीय समाजको वह सन्तोषजनक न लगे तो मन्त्री महोदयको गम्भीरतापूर्वक सीनेटसे यह कहनेके लिए सोचना पड़ेगा कि सम्बन्धित व्यवस्था हटा दी जाये, और मामले भविष्यमें उन्हीं तरीकोंसे प्रशासनिक स्तरपर तय करनेके लिए छोड़ दिये जायें जिन्हें मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि वे अपनानेको तैयार हैं, और वस्तुतः इस समय अपना रहे हैं । मन्त्री महोदयने लिहाजके तौर पर ही श्री अलेक्जेंडर द्वारा प्रस्तावित संशोधनपर विचार किया था और इसी आश्वासन पर उसे स्वीकार किया था कि उससे भारतीयोंकी शिकायतें दूर हो जायेंगी । दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंके केप प्रान्तमें प्रवेश और निवास करनेके अधिकारके बारेमें अब आप जो बात कह रहे हैं उसे संसद स्वीकार नहीं करेगी । जिन प्रश्नोंको लेकर समझौता हुआ था उनमें से केपमें भारतीयोंकी स्थितिसे किसीका सम्बन्ध नहीं था, और केपकी संसदको यह असंदिग्ध अधिकार था कि वह अपने बनाये हुए प्रवासी-कानूनकी व्यवस्थाओंमें ऐच्छिक परिवर्तन कर सके, संसद केप प्रान्तके जनमतके ध्यानसे ही आपके उठाये हुए मुद्दोंपर आपकी माँग पूरी करनेमें असमर्थ रही । आपको यह तो मानना ही चाहिए

कि केपकी जनताका रख बिलकुल उचित है। मौजूदा यूरोपीय भाषाओं सम्बन्धी शर्तें पूरी कर सकनेवाले शिक्षित भारतीयोंके लिए सरकारने दरवाजे खुले रखे हैं; और इस प्रकार उसने शिक्षित व्यक्तियोंके आन्तरप्रान्तीय आवागमन सम्बन्धी आपकी बड़ी माँगको पूरा कर दिया है। किन्तु संसदने पूरी तरह विचार करनेके बाद नेटालमें जन्मे प्रत्येक भारतीयके केपमें प्रवेशके अधिकारको अस्वीकार किया है। जैसा कि पहले सूचित किया जा चुका है, फ्री स्टेटके कानूनोंके अध्याय ३३ के अन्तर्गत शापनके प्रश्नको प्रशासनिक तौरपर निपटाया जा सकता है, और निपटाया भी जायेगा। कानूनकी शर्तोंमें परिवर्तन करनेका कोई निश्चित सुझाव देनेका परिणाम होगा और जेम्स फ्री स्टेट द्वारा उनका कड़ा विरोध, सम्भवतः विधेयकको भी वापस लेना पड़े और यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सरकार इस समय सामना करनेको तैयार नहीं है। आपने स्वयं केप टाउन आनेका जो प्रस्ताव रखा है उसकी मन्त्री महोदय बड़ी कद्र करते हैं, किन्तु वे उसकी आवश्यकता नहीं समझते; क्योंकि आपने जो मुद्दे उठाये हैं उनके बारेमें विधान मण्डलके सभी सदस्योंके रखसे वे पूरी तरह अवगत हैं, और ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि संसद विचाराधीन मुद्दोंमें से किसी एकके अनुसार भी विधेयकमें कोई परिवर्तन करेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-६-१९१३

(२) उपनिवेश कार्यालयको गवर्नर जनरलका तार

गोपनीय

मई २९, १९१३

सम्भव है कि प्रवासी विधेयकमें रियायतें दिये जानेके बाद भी आन्दोलनकारी अपने निजी कारणोंवश भारतीय समाजमें आन्दोलन जारी रखें। यदि इसके फलस्वरूप सत्याग्रहका पुनरारम्भ हुआ तो दक्षिण आफ्रिकाके लोकमतपर खराब प्रभाव पड़ेगा और शायद ऐसा समझा जायेगा कि भारतीयोंने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारका हक खो दिया है। मुझे आशा है आप भारत सरकारको इसकी सूचना देंगे और उससे गांधी तथा अन्य लोगोंपर अपने प्रभावका उपयोग करनेको कहेंगे। मुझे फिशरसे ज्ञात हुआ है कि लगभग सभी स्त्रियों और बच्चोंको नेटालके तीन-पौंडी करसे मुक्ति दी जायेगी, मैं इस करको बिलकुल खरम करानेकी भरसक कोशिश कर रहा हूँ। मामला अभी तक विचाराधीन है।

ग्लैडस्टन

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : ५५१/४०

परिशिष्ट ६

प्रवास-नियमन विधेयक और अधिनियमका मसविदा^१

विधेयक जैसा पेश किया गया

३. संघकी किसी भी अदालतको, संघ अथवा किसी प्रान्तमें अधिवासके प्रश्नके अलावा अन्य किसी भी मामलेमें मन्त्री, किसी निकाय (बोर्ड) प्रवासी अधिकारी, या किसी [न्यायालयके] मास्टरकी किसी कार्रवाई, कार्य, आदेश अथवा वारंटपर पुनर्विचार करने, उसे खण्डित करने, उलटने, उसके विरुद्ध निषेधादेश देने या उनमें अन्यथा हस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं होगा बशर्ते कि ऐसी कार्रवाई या कार्य, इस अधिनियमके अन्तर्गत किया गया हो या ऐसा आदेश या वारंट इस अधिनियमके अधीन जारी किया गया हो और जिस व्यक्तिके खिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जा रही हो उसकी नजरबन्दी या उसे संघ अथवा किसी प्रान्तसे हटानेके सिलसिलेमें हो।

अधिनियम जैसा गजटमें प्रकाशित हुआ

३. (१) संघकी किसी भी अदालतको, ऐसे कानूनी प्रश्नोंको छोड़ कर जिन्हें किसी निकायने इस खण्डमें बताये अनुसार [न्यायालयके निर्णयके लिए] सुरक्षित रखा हो, अन्य किसी भी मामलेमें मन्त्री, किसी भी निकाय, प्रवासी अधिकारी या मास्टरकी किसी कार्रवाई, कार्य, आदेश अथवा वारंटपर पुनर्विचार करने, उसे खण्डित करने, उलटने, उसके विरुद्ध निषेधादेश देने या उनमें अन्यथा हस्तक्षेप करनेका कोई अधिकार नहीं होगा; बशर्ते कि ऐसी कार्रवाई या कार्य इस अधिनियमके अन्तर्गत किया गया हो, या ऐसा आदेश या वारंट इस अधिनियमके अधीन जारी किया गया हो और जिस व्यक्तिके खिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जा रही हो, उसकी नजरबन्दी या उसे संघ अथवा किसी प्रान्तसे हटानेके सिलसिलेमें हो।

(२) कोई निकाय स्वेच्छासे, या अपील करनेवाले व्यक्ति अथवा किसी प्रवासी अधिकारीके अनुरोधपर किसी ऐसे कानूनी प्रश्नको, जो उस निकाय द्वारा पिछले खण्डके अन्तर्गत सुनी गई किसी अपीलके फलस्वरूप उत्पन्न हो, [ऐसे मामलोंके सम्बन्धमें] न्यायाधिकार रखनेवाले किसी उच्चतर न्यायालयमें सुनवाईके लिए सुरक्षित रख सकता है; और ऐसे प्रश्नको एक विशेष मामलेके रूपमें उक्त ढंगकी अदालतकी राय लेनेके उद्देश्यसे उस अदालतके रजिस्ट्रारको भेजेगा; इस प्रकार विचारार्थ भेजे गये प्रश्नपर उक्त अदालत सुनवाई कर सकती है और वह जो जरूरी समझे वह निकायसे माँग सकती है। वह इस मामलेपर यदि उसके सम्बन्धमें उक्त ढंगकी कोई सूचना प्राप्त हुई हो तो उसको ध्यानमें रखते हुए अन्यथा उसके

१. इंडियन ओपिनियनमें विधेयकका मसविदा (जिस रूपमें उसे संसदमें पेश किया गया था) और गजटमें प्रकाशित अधिनियमकी विभिन्न धाराओंको समानान्तर स्तम्भोंमें प्रकाशित किया गया था ताकि एक ही नजरमें देखा जा सके कि उनके रूपमें क्या-क्या संशोधन किये गये।

बिना ही, जो ठीक समझे वह उत्तर दे सकता है और उस मुकदमेके खर्चके सम्बन्धमें जैसा उचित समझे वैसा आदेश दे सकती है।

(३) इस खण्डके उद्देश्योंके लिए — 'कानूनका प्रश्न' में अन्य बातोंके अलावा अधिवासका कोई प्रश्न भी सम्मिलित माना जायेगा; और 'न्यायाधिकार रखनेवाले किसी उच्चतर न्यायालयका मतलब होगा सर्वोच्च न्यायालयका वह प्रान्तीय डिवीजन — जिसे, निकाय जहाँ स्थित है, वहाँ न्यायाधिकार प्राप्त है — या ऐसे डिवीजनका कोई न्यायाधीश, या ऐसा न्यायाधिकार रखनेवाला पूर्वी जिलोंका स्थानीय डिवीजन, या उसका कोई न्यायाधीश; और 'अपील करने-वालों' में विदेशियोंको सम्मिलित नहीं माना जायेगा

(४) यदि पूर्वलिखित विशेष मामला अपील करनेवालेके अनुरोधपर न्यायालयके सामने भेजा जाता है तो वह, यदि वह ऐसा व्यक्ति है जो संघमें पहली बार प्रवेश करनेकी अनुमति चाहता है, रजिस्ट्रार द्वारा नियत की जानेवाली जमानतकी अमुक रकम रजिस्ट्रारके पास जमा करेगा ताकि अदालत प्रार्थीको मुकदमेके खर्चकी जितनी रकम देनेका आदेश दे उसका भुगतान हो सके।

४. (१) इस उपखण्डके किसी भी अनुच्छेदमें वर्णित कोई भी व्यक्ति, जो संघमें प्रवेश करता है या संघके अन्दर पाया जाता है, या जो, यद्यपि एक प्रान्तका वैध निवासी है लेकिन ऐसे किसी अन्य प्रान्तमें जिसका वह वैध निवासी नहीं है, प्रवेश करता है या वहाँ पाया जाता है, संघमें या उस अन्य प्रान्तमें (जैसा भी प्रसंग हो), निषिद्ध प्रवासी होगा, अर्थात् —

(क) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियोंका वर्ग जिसे मन्त्री आर्थिक कारणोंसे, या रहन-सहनके स्तर और तौर-तरीकोंके कारण संघ अथवा उसके किसी प्रान्त-विशेषकी आवश्यकताओंके लिए अनुपयुक्त समझें;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो अपर्याप्त शिक्षाके कारण कोई यूरोपीय भाषा इतनी अच्छी तरह नहीं लिख-पढ़ सकता; जिससे प्रवासी अधिकारी सन्तुष्ट हों; और इस अनुच्छेदकी

४. (१) इस उपखण्डके किसी भी अनुच्छेदमें वर्णित कोई भी व्यक्ति, जो संघमें प्रवेश करता है या संघके अन्दर पाया जाता है, या जो, यद्यपि एक प्रान्तका वैध निवासी है लेकिन ऐसे किसी अन्य प्रान्तमें, जिसका वह वैध निवासी नहीं है, प्रवेश करता है या वहाँ पाया जाता है, संघमें या उस अन्य प्रान्तमें (जैसा भी प्रसंग हो), निषिद्ध प्रवासी होगा, अर्थात् —

(क) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियोंका वर्ग, जिसे मन्त्री आर्थिक कारणोंसे, या रहन-सहनके स्तर और तौर-तरीकोंके कारण संघ अथवा उसके किसी प्रान्त-विशेषकी आवश्यकताओंके लिए अनुपयुक्त समझें;

(ख) कोई भी व्यक्ति जो अपर्याप्त शिक्षाके कारण कोई यूरोपीय भाषा इतनी अच्छी तरह नहीं लिख-पढ़ सकता जिससे प्रवासी अधिकारी — या यदि अपील की गई हो

दृष्टिसे घीडिश भाषाको यूरोपीय भाषा समझा जायेगा;

(ग) कोई भी व्यक्ति जिसके यदि वह संघमें प्रवेश करे तो दिमागी या शारीरिक विकारके कारण या इस कारण कि उसके पास अपना और अपने आश्रितोंका निर्वाह करनेके साधनोंका अभाव है राज्यके ऊपर भाररूप सिद्ध होनेकी सम्भावना हो;

(घ) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी भी सरकार (ब्रिटिश अथवा किसी विदेशी सरकार) से, सरकारी या राजनयिक सूत्रों द्वारा, प्राप्त सूचनाके आधारपर मन्त्री संघमें अवांछित निवासी या अभ्यागतुक समझें;

[(ङ) से (ज) तकके अनुच्छेद छोड़ दिये गये हैं]

प्रवासी अधिकारी संघमें या ऐसे किसी प्रान्तमें, जहाँ अमुक व्यक्तिका प्रवेश करना या पाया जाना अवैध है, प्रवेश करने पर, या वहाँ पाये जानेपर उस व्यक्तिको संघ या प्रान्तसे निकलवा देगा; बशर्ते उसकी यह कार्यवाही खण्ड २ या ३ की व्यवस्थाके विपरीत न पड़े ।

(२) इस अधिनियमके अन्तर्गत जो व्यक्ति संघ या किसी प्रान्तमें निषिद्ध प्रवासी घोषित किये गये हों और जिन्हें वहाँसे निकाल दिया गया हो, अथवा संघ या प्रान्तमें जिनका प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया गया हो, उनकी एक सूची मन्त्री संसदका प्रत्येक सत्र आरम्भ होनेके चौदह दिनोंके अन्दर दोनों सदनोंकी मेजपर रखेगा । ऐसी हर सूची सत्र आरम्भ होनेसे एक माह पहले तककी अवधिसे सम्बन्धित होगी और उसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्तिका नाम, लिंग और राष्ट्रीयता, तथा उसे निकालने या प्रतिबन्धित करनेका कारण दिया होगा ।

(३) मन्त्री समय-समयपर 'गजट' में नोटिसके जरिये घोषित कर सकता है कि इस खण्डके उपखण्ड (१) के अनुच्छेद (क) में वर्णित व्यक्ति, जब उन्हें इस अधिनियमके अन्तर्गत संघ अथवा किसी प्रान्तमें

तो निकाय— सन्तुष्ट हो; और इस अनुच्छेद की दृष्टिसे घीडिश भाषाको यूरोपीय भाषा समझा जायेगा;

[(ग) से (ज) तकके अनुच्छेद छोड़ दिये गये हैं ।]

जब-कभी मन्त्री इस उपखण्ड द्वारा प्रदत्त अपने किसी अधिकारका उपयोग करेगा तब वह अपनी कार्रवाईकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रवासी अधिकारी और प्रत्येक निकायको भेज देगा । प्रवासी अधिकारी संघमें या ऐसे किसी प्रान्तमें, जहाँ अमुक व्यक्तिका प्रवेश करना या पाया जाना अवैध है, प्रवेश करनेपर या वहाँ पाये जानेपर उस व्यक्तिको संघ या प्रान्तसे निकलवा देगा; बशर्ते कि उसकी यह कार्रवाई खण्ड दो और तीनकी व्यवस्थाओंके विपरीत न पड़े ।

(२) उपखण्ड (१) (क) में कही गई किसी बातका ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे—

(क) किसी ऐसे व्यक्तिको केप ऑफ गुड होप या नेटालमें निषिद्ध प्रवासी बताया जा सके, जो इस अधिनियमके लागू होनेके समय किसी प्रान्तमें निवासका अधिकारी हो, और जो यह सिद्ध कर देता है या जिसने यह सिद्ध कर दिया हो कि वह केप ऑफ गुड होपके १९०६ के अधिनियम ३० के खण्ड तीन (क) या नेटालके १९०३ के अधिनियम ३० के खण्ड पाँच (क) में वर्णित शर्तोंको पूरा करनेमें समर्थ है; या

(ख) ट्रान्सवालके १९०८ के अधिनियम ३६ में निर्धारित पंजीयन प्रमाणपत्र रखनेवाले किसी व्यक्तिका उसे उक्त अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया, कोई अधिकार रद्द या विपरीत ढंगसे प्रभावित होता हो ।

(३) इस अधिनियमके अन्तर्गत जो व्यक्ति संघ या किसी प्रान्तमें निषिद्ध प्रवासी घोषित किये गये हों, अथवा संघ या प्रान्तमें जिनका प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया गया हो, उनकी एक सूची मन्त्री संसदका

प्रवेश करने या वापस आनेकी अनुमति प्राप्त हो जाये तब, उक्त नोटिसमें उल्लिखित बन्दरगाह या बन्दरगाहोंसे ही प्रवेश करेंगे या वापस आयेंगे, अन्य किसी बन्दरगाहसे नहीं, और ऐसे नोटिसके बाद वैसे किसी अन्य बन्दरगाहसे प्रवेश करना या वापस लौटना गैरकानूनी होगा।

प्रत्येक सत्र आरम्भ होनेके चौदह दिनोंके अन्दर दोनों सदनोंकी मेजपर रखेगा। ऐसी हर सूची सत्र आरम्भ होनेसे एक माह पहले तककी अवधिसे सम्बन्धित होगी, और उसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्तिका नाम, लिंग और राष्ट्रीयता, तथा उसे निकालने या प्रतिबन्धित करनेका कारण दिया होगा।

(४) मन्त्री समय-समयपर 'गजट' में नोटिसके जरिये घोषित कर सकता है कि इस खण्डके उपखण्ड (१)के अनुच्छेद (क) में वर्णित वर्गोंमें आनेवाले व्यक्ति, जब उन्हें इस अधिनियमके अन्तर्गत संघ अथवा किसी प्रान्तमें प्रवेश करने या वापस आनेकी अनुमति प्राप्त हो जाये तब, उक्त नोटिसमें उल्लिखित बन्दरगाह या बन्दरगाहोंसे ही प्रवेश करेंगे या वापस आयेंगे, अन्य किसी बन्दरगाहसे नहीं; और ऐसे नोटिसके बाद वैसे किसी व्यक्तिका किसी अन्य बन्दरगाहसे प्रवेश करना या वापस लौटना गैरकानूनी होगा।

(५) इस अधिनियमकी रूसे निम्नलिखित व्यक्ति या वर्गोंके व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी नहीं समझे जायेंगे, अर्थात्—

(५) इस अधिनियमकी रूसे निम्नलिखित व्यक्ति या वर्गोंके व्यक्ति निषिद्ध प्रवासी नहीं समझे जायेंगे, अर्थात्—

[(क) (ख) (ग) और (घ) तकके अनुच्छेद छोड़ दिये गये हैं।]

[(क) से (घ) तकके अनुच्छेद छोड़ दिये गये हैं।]

(ङ) संघमें शामिल दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागमें जन्मा कोई भी व्यक्ति;

(ङ) इस अधिनियमके लागू होनेसे पूर्व संघमें शामिल दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागमें जन्मा कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता उसके जन्मके समय यहाँके वैध निवासी थे, और उस समय प्रचलित किसी कानूनकी रूसे मात्र अस्थायी तौरपर या शर्त निवास नहीं कर रहे थे, और कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियमके लागू होनेके बाद चाहे किसी भी जगह पैदा हुआ हो लेकिन उसके माता-पिता उसके जन्मके समय संघमें शामिल दक्षिण आफ्रिकाके किसी भागके अधिवासी रहे हों;

(च) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रान्तका अधिवासी है;

(च) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रान्तका अधिवासी है, बशर्ते कि वह पूर्ववर्ती खण्डके उपखण्ड (१)के अनुच्छेद (ङ) या (च) में वर्णित वर्गका व्यक्ति नहीं है, या जो इस अधिनियमके खण्ड बाईसके अन्तर्गत निकाला नहीं जा चुका है;

(छ) कोई भी व्यक्ति जिसके बारेमें प्रमाणोंसे प्रवासी अधिकारीको यह सन्तोष हो जाये कि वह इस खण्डके अनुच्छेद (च) में वर्णित किसी व्यक्तिकी पत्नी है, अथवा सोलह वर्षसे कम आयुकी सन्तान है, बशर्ते कि ऐसी पत्नी या सन्तान (जैसा भी प्रसंग हो) पूर्ववर्ती खण्डके उपखण्ड (१) (घ) (च) (छ) (ज) या (ञ) में वर्णित व्यक्ति न हो;

[अनुच्छेद (ज) छोड़ दिया गया है ।]

लेकिन शर्त यह है कि इस खण्डमें कही गई किसी बातका ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे पूर्ववर्ती खण्डके उपखण्ड (१) (क) की धाराओंसे प्रभावित होनेवाले किसी व्यक्तिको किसी ऐसे प्रान्तमें प्रवेश करने और निवास करनेका अधिकार प्राप्त होता हो जिसमें उसका पहले वैध निवास न रहा हो; और फिर शर्त यह है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी प्रान्तमें पहले वैध ढंगसे निवास कर चुका हो किन्तु वहाँसे तीन वर्ष तक, या इस अधिनियमसे रद किये जानेवाले किसी कानूनके अधीन जारी किये गये अनुमतिपत्रमें निर्दिष्ट अवधिसे अधिक समय तक अनुपस्थित रहनेके बाद, प्रवेशका दावा करता है, या उस प्रान्तमें पाया जाता है तो उसे इस खण्डमें उल्लिखित छूटोंका अधिकारी नहीं माना जायेगा ।

७. कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका वर्णन ऑरेंज फ्री स्टेटकी विधि-पुस्तिकाके अध्याय ३३ में किया गया है, इस तथ्यके बावजूद कि वह किसी प्रान्त-विशेषका वैध निवासी है अथवा उसे संघमें प्रवेश करनेकी अनुमति दे दी गई है, अब भी उपर्युक्त अध्याय ३३ के खण्ड सात और आठकी व्यवस्थाओंके सभी तरह अधीन होगा, और यदि वह उन व्यवस्थाओंके विपरीत कोई काम करेगा तो उसके ऊपर इस अधिनियमके अन्तर्गत ऑरेंज फ्री स्टेटमें निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जायेगी ।

८. (१) किसी भी निषिद्ध प्रवासीको संघमें या (जैसा भी प्रसंग हो) किसी प्रान्तमें, जहाँ उसका निवास अवैध है, कोई व्यापार करने या अन्य कोई

(छ) कोई भी व्यक्ति जिसके बारेमें प्रमाणोंसे प्रवासी अधिकारीको, या अपीलका मामला हो तो निकायको यह सन्तोष हो जाये कि वह इस खण्डके अनुच्छेद (च) के द्वारा बरी कर दिये गये व्यक्तिकी पत्नी या सोलह वर्षसे कम उम्रकी सन्तान है और इसमें संघसे बाहर भी किसी धार्मिक मतके अनुसार सम्पन्न हुए एकपत्नीक विवाहवाली हर पत्नी और ऐसे विवाह-सम्बन्धसे उत्पन्न हर सन्तान (जैसा भी मामला हो) पूर्ववर्ती खण्डके उपखण्ड (१) (घ), (च), (छ), (ज), या (ञ) में वर्णित व्यक्ति न हो;

[अनुच्छेद (ज) छोड़ दिया गया है ।]

लेकिन शर्त यह है कि इस खण्डमें कही गई किसी बातका ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे पूर्ववर्ती खण्डके उपखण्ड (१) (क) की धाराओंसे प्रभावित होनेवाले किसी व्यक्तिको किसी ऐसे प्रान्तमें प्रवेश करने और निवास करनेका अधिकार प्राप्त होता हो जिसमें उसका पहले वैध निवास न रहा हो

७. कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका वर्णन ऑरेंज फ्री स्टेटकी विधि-पुस्तिकाके अध्याय ३३ में किया गया है, इस तथ्यके बावजूद कि वह किसी प्रान्त-विशेषका वैध निवासी है अथवा उसे संघमें प्रवेश करनेकी अनुमति दे दी गई है, अब भी उपर्युक्त अध्याय ३३ के खण्ड सात और आठकी व्यवस्थाओंके सभी तरह अधीन होगा, और यदि वह व्यवस्थाओंके विपरीत कोई काम करेगा तो उसके ऊपर इस अधिनियमके अन्तर्गत ऑरेंज फ्री स्टेटमें निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जायेगी ।

८. (१) किसी भी निषिद्ध प्रवासीको संघमें या (जैसा भी प्रसंग हो) किसी भी प्रान्तमें, जहाँ उसका निवास अवैध है, व्यापार करने या अन्य कोई धन्धा

धन्या करनेका परवाना पाने अथवा जमीन या अन्य किसी अचल सम्पत्तिका पट्टा या पूर्ण स्वामित्व पानेका अधिकार नहीं होगा।

(२) ऐसा कोई भी परवाना (यदि वह किसी निषिद्ध प्रवासी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो) या कोई भी करार, पट्टा या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज, जिसके जरिये ऐसा कोई हित इस खण्डका उल्लंघन करके प्राप्त किया गया है, उसी दिनसे रद्द माना जायेगा जिस दिनसे ऐसा परवाना या हित प्राप्त करनेवाले व्यक्तिके खिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जायेगी।

९. (१) ऐसे हर व्यक्तिको, जिसे उचित आधारों-पर निषिद्ध प्रवासी समझा जाये, प्रवासी अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंटके गिरफ्तार कर सकता है, और उसके खिलाफ इस अधिनियमके अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

(२) कोई भी मजिस्ट्रेट, यदि उसे हलफिया सूचना दी जाये कि अमुक स्थानपर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे निषिद्ध माननेके उचित कारण हैं, तो, एक वारंट जारी करके साजेंट या इससे ऊपरके ओहदेके किसी पुलिस अधिकारीको उस स्थानमें प्रवेश करके उसको तलाश करने और उसे गिरफ्तार करनेका अधिकार दे सकता है।

२५. (१) इस अधिनियममें उल्लिखित किसी भी विपरीत व्यवस्थाके बावजूद, मन्त्री अपने विवेकाधिकारसे किसी भी व्यक्तिको खण्ड चारकी व्यवस्थाओंसे बरी कर सकता है, या खण्ड सातकी शर्तोंके बन्धनोंका खयाल रखते हुए किसी भी निषिद्ध प्रवासीको संघमें या प्रान्त-विशेषमें प्रवेश करने और निवास करनेका अस्थायी अनुमतिपत्र दिये जानेकी आशा दे सकता है, और निवासकी अवधि अथवा जो धन्या या पेशा वह संघ या प्रान्तमें करेगा उसकी शर्त अनुमतिपत्रमें निर्दिष्ट कर दी जायेगी।

करनेका परवाना पाने अथवा जमीन या अन्य किसी अचल सम्पत्तिका पट्टा या पूर्ण स्वामित्व पानेका अधिकार नहीं होगा।

(२) ऐसा कोई भी परवाना (यदि वह किसी निषिद्ध प्रवासी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो) या कोई भी करार, पट्टा या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज, जिसके जरिये ऐसा कोई हित इस खण्डका उल्लंघन करके प्राप्त किया गया है, उसी दिनसे रद्द माना जायेगा जिस दिनसे ऐसा परवाना या हित प्राप्त करनेवाले व्यक्तिके खिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जायेगी।

९. (१) ऐसे हर व्यक्तिको, जिसे उचित आधारों-पर निषिद्ध प्रवासी समझा जाये, प्रवासी अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी यदि ऐसा माननेका कारण हो कि वारंट उपलब्ध करनेमें इतनी देर लग सकती है जिसमें निषिद्ध प्रवासी इस अधिनियमकी व्यवस्थाओंसे बच निकल सकता है तो, बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकता है, और उसके खिलाफ इस अधिनियमके अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

(२) कोई मजिस्ट्रेट, यदि उसे हलफिया सूचना दी जाये कि अमुक स्थानपर अमुक नाम या अमुक प्रकारके हुलियेका एक ऐसा व्यक्ति है जिसे निषिद्ध माननेके उचित कारण हैं तो, एक वारंट जारी करके साजेंट या उससे ऊपरके ओहदेके किसी पुलिस अधिकारीको उस स्थानमें प्रवेश करके उस वारंटमें बताये गये अमुक नाम या अमुक हुलियेके व्यक्तिकी तलाश करने और उसे गिरफ्तार करनेका अधिकार दे सकता है।

२५. (१) इस अधिनियममें उल्लिखित किसी भी विपरीत व्यवस्थाके बावजूद, मन्त्री अपने विवेकाधिकारसे किसी भी व्यक्तिकी खण्ड चारके उपखण्ड (१)के अनुच्छेद (क), (ख), (ग), (घ) से छूट दे सकता है, या खण्ड सातकी शर्तोंके बन्धनोंका खयाल रखते हुए विनियमों द्वारा वैध ढंगसे लगाई गई शर्तोंपर किसी भी निषिद्ध प्रवासीको संघ या प्रान्त-विशेषमें प्रवेश करने और निवास करनेका अस्थायी अनुमतिपत्र दिये जानेकी आशा दे सकता है।

(२) मन्त्री अपने विवेकाधिकारसे किसी ऐसे व्यक्तिको शिनाख्ती प्रमाणपत्र देनेकी आज्ञा दे सकता है जो संघमें या किसी प्रान्तमें वैध ढंगपर निवास कर रहा है, और जो वहाँ वापस आनेकी नीयत रखते हुए वहाँसे बाहर जाना चाहता है किन्तु किसी भी वजहसे उसे यह आशंका है कि वापस लौटनेपर वह यह सिद्ध नहीं कर सकेगा कि वह निषिद्ध प्रवासी नहीं है ।

(२) मन्त्री अपने विवेकाधिकारसे किसी ऐसे व्यक्तिको शिनाख्ती प्रमाणपत्र देनेकी आज्ञा दे सकता है जो संघमें वैध ढंगपर निवास कर रहा है और जो वहाँ वापस आनेकी नीयत रखते हुए वहाँसे बाहर जाना चाहता है किन्तु किसी भी वजहसे उसे यह आशंका है कि वापस लौटनेपर वह यह सिद्ध नहीं कर सकेगा कि वह निषिद्ध प्रवासी नहीं है ।

(३) मन्त्री संघसे बाहर किन्हीं व्यक्तियोंको यह अधिकार दे सकता है कि वे किसी भावी प्रवासीको इस आशयका प्रमाणपत्र दे दें कि वह खण्ड चारके उपखण्ड (१) (क) से बरी है, किन्तु ऐसा कोई प्रमाणपत्र संघके अन्दर तबतक मान्य नहीं किया जायेगा जबतक प्रमाणपत्रका मालिक प्रवासी अधिकारीको विनियमों द्वारा निर्धारित शिनाख्ती प्रमाण देकर यह सिद्ध न कर दे कि जिस प्रवासीको वह प्रमाणपत्र मूलतः दिया गया था, वह व्यक्ति वही है ।

२८. ट्रान्सवालके १९०८ के अधिनियम ३६ की किसी विपरीत व्यवस्थाके बावजूद, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियमके खण्ड चारकी व्यवस्थाओंसे बरी कर दिया गया है, या जिसे इस अधिनियमके खण्ड पच्चीसके उपखण्ड (१) के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थायी अनुमतिपत्रके आधारपर संघके किसी भी भागमें प्रवेश करने और निवास करनेकी अनुमति दे दी गई है, उपर्युक्त ट्रान्सवाल अधिनियमकी व्यवस्थाओंके अन्तर्गत पंजीयन करनेकी शर्तसे बरी माना जायेगा ।

२८. ट्रान्सवालके १९०८ के अधिनियम ३६ की किसी विपरीत व्यवस्थाके बावजूद ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियमके खण्ड चारके उपखण्ड (१) के अनुच्छेद (क), (ख), (ग), (घ) की व्यवस्थाओंसे बरी कर दिया गया है, या जिसे इस अधिनियमके खण्ड पच्चीसके उपखण्ड (१) के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थायी अनुमतिपत्रके आधारपर संघके किसी भी भागमें प्रवेश करने और निवास करनेकी अनुमति दे दी गई है, उपर्युक्त ट्रान्सवाल अधिनियमकी व्यवस्थाओंके अन्तर्गत पंजीयन करनेकी शर्तसे बरी माना जायेगा ।

(३०) इस अधिनियमसे और इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमोंमें, यदि वह संदर्भके विपरीत अर्थ न देता हो, तो — “अधिवास” का अर्थ होगा वह स्थान जहाँ किसी व्यक्तिका वर्तमान घर है, या जिसमें वह रहता है, या जिसे वह अपना वर्तमान स्थायी रहनेका घर मानकर उसमें लौटता है, न कि केवल किसी विशेष या अस्थायी उद्देश्यसे; और इस अधिनियमकी रूसे और किसी व्यक्तिका संघमें या किसी प्रान्तमें (जैसा भी प्रसंग हो) अधिवास तब-

तक नहीं माना जायेगा जबतक कि वह उसमें तीन वर्ष तक रह न चुका हो। ऐसे निवासमें इस अधिनियम या किसी अन्य कानूनकी अनुमतिसे किये गये सशर्त निवासको या अस्थायी निवासको या किसी जेल, सुधार-घर (रिफॉरमेटरी) या पागलखानेमें कैदीकी हैसियतमें किये गये निवासको शामिल नहीं माना जायेगा; और इस अधिनियमके उद्देश्योंकी हद-तक, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छासे संघ या प्रान्तके (किसी विशेष या अस्थायी कारणोंको छोड़कर) बाहर रहने लगे और उसका मंशा संघ या प्रान्त (जैसा भी प्रसंग हो) से बाहर घर बसानेका हो तो, ऐसा माना जायेगा कि उसने संघमें या किसी प्रान्तमें (जैसा भी प्रसंग हो) अधिवासका अधिकार खो दिया है।

[यह एक नई व्याख्या है।]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-६-१९१३

परिशिष्ट ७

प्रवासी अधिनियमके विनियम

प्रवासी विनियमन अधिनियमके अन्तर्गत विनियमोंका प्रकाशन १५ तारीखके 'गज़ट' में किया गया था। उनको ३१ खण्डोंमें बाँटा गया है।

उनमें से, खण्ड १ से ६ तकका सम्बन्ध जहाजोंकी जॉच-पड़ताल और उनके नियन्त्रणसे है।

खण्ड ७ से १५ तकका सम्बन्ध यात्रियोंकी जॉच-पड़तालसे है।

खण्ड ७ में व्यवस्था की गई है कि संघके बन्दरगाहोंपर उतरनेवाले सभी यात्रियोंकी जॉच-पड़ताल साधारणतया संघके उस बन्दरगाहपर की जायेगी जहाँ जहाज सबसे पहले रुकेगा।

खण्ड ८ में व्यवस्था है कि प्रवासी अधिकारी जहाजपर ही या अन्य किसी सुविधाजनक स्थान-पर यात्रियोंकी जॉच-पड़ताल करेगा। प्रत्येक व्यक्तिको जहाजसे उतरनेकी अनुमति मिलनेसे पहले द्वितीय अनुबन्धमें बतलाये गये रूपमें एक हलफनामा भरना पड़ेगा।

खण्ड ९ में अधिकारीको यह सत्ता दी गई है कि वह यात्रियोंको अपने हाथसे हलफनामा लिखनेके लिए कह सकता है और इस सम्बन्धमें किसी दुभाषियेसे सहायता ले सकता है।

खण्ड १० की यह अपेक्षा है कि अधिकारी निषिद्ध प्रवासी पाये जानेवाले लोगोंके सम्बन्धमें जहाजके मास्टरको सूचित कर देगा; उसके बाद उनको सही-सलामत हिरासतमें बनाये रखनेकी जिम्मेदारी मास्टरकी होगी।

खण्ड ११ में व्यवस्था है कि सारी जॉच-पड़तालकी लिखित रूप दिया जायेगा।

खण्ड १२ द्वारा अधिकारीको प्राधिकृत किया गया है कि सन्देह होनेपर वह कुछ समयके लिए जॉच-पड़ताल स्थगित कर सकता है।

खण्ड १३ अधिकारीको यह सत्ता प्रदान करता है कि वह इस बातके यथेष्ट प्रमाणके रूपमें किसी यात्री द्वारा जुटाया साक्ष्य मंजूर कर सकता है कि जहाजसे उतरनेपर उस यात्रीका निर्वाह-व्यय उसके मित्र उठा सकते हैं और वह सरकारपर भार नहीं बनेगा ।

खण्ड १४ इस प्रकार है :—

प्रवासी अधिकारी अधिनियमके खण्ड पाँचके अनुच्छेद (छ) के अन्तर्गत किसी पत्नी या बच्चेके सम्बन्धमें पेश किये गये प्रार्थनापत्रके सिलसिलेमें, प्रसंगानुसार विवाह या जन्मके प्रमाणपत्रकी विधिपूर्वक प्रमाणित प्रति माँग सकता है; या यदि ऐसे विवाह-प्रमाणपत्र या जन्म-प्रमाणपत्रकी प्रति पेश न की जा सकती हो तो प्रवासी अधिकारी एक ऐसा सरकारी प्रमाणपत्र पेश करनेके लिए कह सकता है जिसपर—

- (क) वैसा प्रमाणपत्र देनेके लिए सक्षम किसी अधिकारीके हस्ताक्षर हों और जिसमें उस अधिकारीने अपनी व्यक्तिगत जानकारीके आधारपर कहा हो कि अमुक तिथिको उल्लिखित परिस्थितियोंमें दोनोंका विवाह सम्पन्न हुआ था; या (यथास्थिति) यह कि प्रमाणपत्रमें उल्लिखित माता-पिताके अमुक तिथिको, अमुक स्थानपर वह सन्तान हुई थी; या
- (ख) एक ऐसा प्रमाणपत्र पेश करनेके लिए कह सकता है जिसपर वैसा प्रमाणपत्र देनेके लिए सक्षम एक अधिकारीके हस्ताक्षर हों और जिसमें कहा गया हो कि विवाहकी परिस्थितियों और तिथिके सम्बन्धमें या बच्चेकी जन्म-तिथि और माता-पिताके सम्बन्धमें उसके सामने शपथपूर्वक मौखिक साक्ष्य या अन्य साक्ष्य पेश किया गया है, और वह मौखिक साक्ष्य या अन्य साक्ष्य, उसके सम्बन्धमें उस अधिकारीकी रायके साथ, उस प्रमाणपत्रसे संलग्न है ।

‘प्रवासी अधिकारी इस विनियममें उल्लिखित किसी भी प्रमाणपत्रमें उल्लिखित व्यक्तियोंकी शिनाख्तके सिलसिलेमें उस प्रमाणपत्रके साथ अधिक सन्तोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करनेके लिए कह सकता है, और सन्देह होनेपर प्रवासी अधिकारी इस सम्बन्धमें आश्वस्त होनेके लिए आवश्यक और अधिक साक्ष्य माँग सकता है कि उस प्रमाणपत्रमें उल्लिखित किसी पत्नी या सन्तानको सचमुच ही इस अधिनियमके खण्ड पाँचके अनुच्छेद (छ) के अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासी नहीं ठहराया जा सकता ।’

खण्ड १५ द्वारा अधिकारीको यह सत्ता प्रदान की गई है कि वह किसी व्यक्तिके निषिद्ध प्रवासी होनेका सन्देह होनेपर उसकी गिरफ्तारीका वारंट निकाल सकता है ।

खण्ड १६ से १८ तक का सम्बन्ध रोगों और डॉक्टरी जॉच-पड़तालसे सम्बन्धित है ।

खण्ड १९ काफी बड़ा है; उसका विषय अपीलकी विधि है । उसमें अपीलकी सूचनाका स्वरूप निश्चित किया गया है । अपीलकी सुनवाईके कालमें प्रार्थीको नजरबन्दीके लिए नियत स्थानपर रखा जा सकता है ।

खण्ड १९ का उपखण्ड (३) थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम नीचे उसे पूरा उद्धृत करते हैं:—

‘यदि किसी प्रवासी अधिकारीके अपने मुकाममें कोई ऐसा बोर्ड न हो, जिसकी बैठक सामान्यतः वहाँ होती हो या हो रही हो या होनेवाली हो, तो [जहाँ ऐसा बोर्ड हो] उस क्षेत्रके लिए जिम्मेदार प्रवासी अधिकारीसे तार द्वारा लिखा-पढ़ी करेगा और अपीलकर्ताको सूचित करेगा कि यदि वह अपनी अपीलकी सुनवाईके दौरान उपस्थित रहना चाहे तो उसे प्रवासी अधिकारी द्वारा अपने ऊपर लगाई जानेवाली शर्तोंके अधीन और उसीके द्वारा तैनात पहरेमें जल अथवा थल-मार्गसे जिस स्थानपर क्षेत्राधिकारसे युक्त बोर्डकी बैठक होनेवाली हो उस स्थान तक जाना होगा और आवश्यक हुआ तो उसी पहरेमें लौटना होगा । अपने यातायात और पहरेका खर्च उस अपीलकर्ताको देना पड़ेगा । उस स्थानपर पहुँचनेके बाद अपीलकर्ताके साथ इस विनियमके उपखण्ड (२) की व्यवस्थाके अनुसार कार्रवाई की जायेगी ।

उपखण्ड (४) के अन्तर्गत अधिकारी अपीलकर्ताको एक अस्थायी अनुमतिपत्र दे सकता है । अपील-बोर्ड गवाह तलब कर सकता है; अपीलकर्ता साक्ष्य पेश कर सकता है; वकील उसका प्रतिनिधित्व कर

सकता है, और अधिकारी भी गवाहोंसे जिरह कर सकता है और उसका प्रतिनिधित्व भी वकील कर सकता है ।

२० से २४ तकके खण्ड अनुमतिपत्रों और अस्थायी अनुमतिपत्रोंसे सम्बन्धित हैं । स्थायी अनुमतिपत्रोंपर एक पौंडकी फीस लगेगी और शर्तोंका उचित पालन सुनिश्चित बनानेके लिए १० से १०० पौंड तक जमा कराने पड़ेंगे ।

खण्ड २० के उपखण्ड (३) में कहा गया है :—

‘ प्रत्येक अनुमतिपत्रकी यह एक अनिवार्य शर्त रहेगी कि अनुमतिपत्र-धारी व्यक्ति अपने अनुमतिपत्रमें उल्लिखित अधिकारियोंके सामने उसमें नियत समयों और स्थानोंपर उपस्थित होता रहेगा; और यदि वह कोई झूठा या भ्रामक पता देगा, तो उसका अनुमतिपत्र और जमा की हुई राशि जप्त की जा सकेगी और उसे निषिद्ध प्रवासी मानकर उसपर कार्यवाई की जा सकेगी ।’

मन्त्रीकी मंजूरीके बिना एक वर्षसे अधिक अवधिके लिए कोई भी अनुमतिपत्र जारी नहीं किया जायेगा । अनुमतिपत्रधारी व्यक्तिको अपनी रवानगीकी सूचना कमसे-कम एक दिन पहले अवश्य देनी होगी ।

खण्ड २१ के उपखण्ड (१) में कहा गया है :—

‘ अधिनियमके खण्ड पञ्चीसके उपखण्ड (२) के अनुसार, संव या किसी प्रान्तके विधि-सम्मत निवासियोंके नाम जारी किये जानेवाले शिनाख्ती प्रमाणपत्र इन विनियमोंके पाँचवें अनुबन्ध द्वारा निश्चित रूपमें और निर्धारित शर्तोंके अधीन होंगे । ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्रके लिए एक पौंड फीस अदा की जायेगी और प्रत्येक प्रमाणपत्रमें ऐसी तफसीलें और निशान मौजूद रहेंगे, जो शिनाख्तके लिए जरूरी समझे जायें ।’

गुमशुदा अनुमतिपत्रोंकी नकल लेनेके लिए दो पौंडकी फीस भरनी पड़ेगी ।

यदि कोई व्यक्ति शर्तें भंग करे या उसने छल-प्रपंचसे अनुमतिपत्र प्राप्त किया हो, तो अधिकारी उसका अनुमतिपत्र रद्द कर सकेगा ।

२५ से ३० तकके खण्ड निषिद्ध प्रवासियोंकी नजरबन्दीसे सम्बन्धित हैं ।

खण्ड ३१ में व्यवस्था है कि इन विनियमोंको भंग करनेका दण्ड ५० पौंडका जुर्माना या तीन महीनेकी कठोर अथवा सादी कैद है ।

द्वितीय अनुबन्ध

यात्री या अन्य व्यक्तियों द्वारा हलफनामा

(इसके अन्तर्गत अपेक्षित सूचना अंग्रेजी या डच भाषामें दी जानी चाहिए)

यात्रारम्भका बन्दरगाह

गन्तव्य बन्दरगाह

आयु

(यदि २१ वर्षसे अधिक हो, तो लिखिए ‘पूरी’)

लिंग

जाति

(यूरोपीय, एशियाई, या आफ्रिकी)

राष्ट्रीयता

(ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, इत्यादि)

यदि पत्नी साथ हो, तो उसका नाम लिखिए

यदि सोलह वर्षसे कम आयुके अपने बच्चे या संरक्षित बच्चे साथ हों, तो प्रत्येकका नाम और आयु बताए।

(यदि पत्नी या बच्चोंके बिना यात्रा कर रहे हों, तो प्रश्न ८ और ९ के उत्तरमें लिखिए 'अकेले यात्रा')
गन्तव्य बन्दरगाहमें पूरा पता

दक्षिण आफ्रिकामें (यदि पहले निवास किया हो तो) पहले निवासकी अवधि

(यदि न किया हो, तो लिखिए 'बिल्कुल नहीं')

पेशा

जीविकाका साधन, आपकी अपनी वास्तविक सम्पत्ति? (यदि बीस पौंडसे अधिक हो, तो लिखिए बीस पौंड। यदि बीस पौंड या इससे कम हो, तो पूरा व्यौरा लिखिए और बताए कि निश्चित तौरपर काम देने या आर्थिक सहायता देनेका वचन मिलनेका आपके पास क्या लिखित प्रमाण है; और दक्षिण आफ्रिकामें कौन लोग आपकी तसदीक कर सकते हैं?)

आप कौनसी यूरोपीय भाषा लिख सकते हैं?

क्या आपका इस प्रान्तमें प्रवेश कभी निषिद्ध किया गया या आपको निष्कासित किया गया था?

क्या आपको किसी देशमें किसी अपराधमें सजा हुई थी?

मैं घोषित करता हूँ कि मैं उपर्युक्त प्रश्न समझता हूँ और मैंने उनके सही-सही उत्तर दिये हैं।

यात्रीके हस्ताक्षर या अँगूठा-निशानी:

मेरे समक्ष में के दिन घोषित किया गया।

प्रवासी अधिकारी

पाँचवाँ अनुबन्ध

शिनाख्ती प्रमाणपत्र: फीस - एक पौंड

प्रमाणित किया जाता है कि
यहाँ नीचे उल्लिखित शिनाख्ती व्यौरा देनेके लिए
के समक्ष उपस्थित हुआ/हुई और उसके यह सूचित करने पर कि वह की यात्रा पर जानेके कारण प्रान्तसे अवधि तक अनुपस्थित रहेगा/रहेगी, कथित के नाम यह प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और पड़ताली प्रवासी अधिकारी, नीचे बताई गई शर्तोंके पालनका ख्याल रखते हुए और शिनाख्ती व्यौरा ठीक पाये जाने पर, इस प्रमाणपत्रको, अधिक कोई साक्ष्य माँगे बिना, कथित के लौटने पर उसकी शिनाख्तीका प्रमाण मान लेगा।

प्रभारी प्रवासी अधिकारी

तिथि

स्थान

प्रमाणपत्रकी शर्तें

१. कि उल्लिखित व्यक्तिके प्रान्तमें लौटनेपर यह प्रमाणपत्र पढ़ताली प्रवासी अधिकारीको लौटा दिया जायेगा ।

२. कि यदि उल्लिखित व्यक्ति इसमें उल्लिखित तिथिसे एक वर्ष पूरा हो चुकनेके बाद प्रान्तमें पुनः प्रवेश करना चाहेगा, तो इस प्रमाणपत्र द्वारा दिया गया संरक्षण समाप्त हो गया माना जायेगा और उल्लिखित व्यक्तिको अधिनियमकी अपेक्षाएँ पूरी करनी पड़ेंगी ।

३. यदि प्रवासी अधिकारीके सामने यह सिद्ध कर दिया जाये कि इसमें उल्लिखित व्यक्तिके प्रमाणपत्र देते समय किसी खास बातमें झूठा शिनाख्ती ब्यौरा दिया था, तो यह प्रमाणपत्र अमान्य करार दिया जा सकेगा ।

शिनाख्ती निशानियाँ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-७-१९१३

परिशिष्ट ८

ई० एम० जॉर्जेसका पत्र

प्रिटोरिया

अगस्त १९, १९१३

प्रिय श्री गांधी,

प्रवासी विनियमन अधिनियम, १९१३के विषयमें हमारे बीच हुए पत्र-व्यवहारके सिलसिलेमें निवेदन है कि आपके द्वारा उठाये गये मुद्दोंपर मंत्री महोदय पूरी तरह विचार कर चुके हैं; और मैं जनरल स्मट्सके अनुरोधपर आपको उनका मत सूचित कर रहा हूँ ।

१. आपने पहला मुद्दा यह उठाया था कि भविष्यमें गिरमिटिया भारतीयोंकी सन्तान अधिनियमके खण्ड ५ की परन्तुक धाराका लाभ उठाकर केप प्रान्तमें प्रवेश नहीं कर सकेगी । मैं जनरल स्मट्सके अनुरोध पर ही लिख रहा हूँ कि यह एक बिल्कुल ही नया मुद्दा है; जनवरी-फरवरी १९१२ में जनरल स्मट्सके साथ अपने पत्र-व्यवहारमें आपने भारतीयों और सरकारके बीच सभी विवादग्रस्त मुद्दे उठाये थे पर इसके बारेमें आपने तब कुछ भी नहीं लिखा था । आपने निजी सचिवके नाम अपने २९ जनवरीके पत्र और १ फरवरीके तारमें केप और नेटाल प्रान्तके प्रवासी कानूनोंमें व्यवस्थित शैक्षणिक परीक्षा पास करनेपर संघके अन्य भागोंसे इन प्रान्तोंमें प्रवेश करनेके शिक्षित भारतीयोंके अधिकारका हवाला दिया था और १५ फरवरी, १९१२ के अपने पत्रमें आपने स्पष्ट कहा था कि यदि वर्तमान वैधानिक स्थिति बरकरार रखी जाये अर्थात् प्रान्तोंके तत्सम्बन्धी कानूनों द्वारा व्यवस्थित शैक्षणिक परीक्षाएँ पास करनेपर शिक्षित एशियाईयोंके ट्रान्सवालसे नेटाल या केप (और शायद नेटालसे केप और केपसे नेटाल ?) में प्रवेश करनेके अधिकारको बरकरार रखा जाये, तो सत्याग्रहियोंको कोई शिकायत नहीं रह जायेगी ।

१२-३७

संघ-सरकार सदासे यही समझती आई है कि नेटालमें जन्मे भारतीयोंको केपमें प्रवेश करनेकी पूरी छूट देना असम्भव है और इसे स्पष्ट करनेके लिए मन्त्रीकी दिनांक २० दिसम्बर, १९१० की टिप्पणी, ९०२ ए० के अनुच्छेद ७ और ८ का हवाला देना ही काफी होगा। वह टिप्पणी श्वेत पुस्तिका (सी० डी० ५५७९) में सह-पत्र संख्या ८ के रूपमें प्रकाशित की गई थी। आपने ही मेरे नाम इसी वर्ष ९ अप्रैलके अपने तारमें यह मसला पहले-पहल उठाया था। तबतक मन्त्रीको तो जानकारी भी नहीं थी कि इस विषयमें आपके समाजके कोई अपने विचार भी हैं या नहीं।

हाल ही में रद्द किये गये, केप और नेटालके प्रवासी कानूनों द्वारा विहित शैक्षणिक परीक्षा पास करके इन दोनों प्रान्तोंमें प्रवेश करनेके सभी प्रान्तोंके शिक्षित भारतीय निवासियोंके अधिकारोंको हमारे नये कानूनके खण्ड ४ के उप-खण्ड (२) में पूरी तौर पर सुरक्षित रखा गया है, और फिर आपने स्वयं ही अपने पिछले (दूसरी जुलाईके) पत्रमें बतलाया था कि नेटालके उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोंमेंसे अधिकांशने भारतीय सरकारी स्कूलोंमें शिक्षा प्राप्त की है, और उनमें केपकी शैक्षणिक परीक्षा पास करने लायक पर्याप्त योग्यता मौजूद है। आपने यह भी लिखा था कि सभी जानते हैं कि केप अधिनियम लागू रहनेकी सारी अवधिमें दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे शायद ही किसी भारतीयने, केपका निवासी न होने पर भी, केपमें जाकर बसनेकी कोशिश की होगी, क्योंकि वहाँ उनके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। सरकार इन सभी तथ्योंको देखते हुए यह सोच भी नहीं सकती कि अब भारतीय समाज नये कानून द्वारा प्रान्तीय सीमायें बरकरार रखनेकी बातको लेकर क्यों शिकवा-शिकायत करना चाहता है। जनरल स्मट्सको आशा है कि नये कानून द्वारा उत्पन्न स्थिति लोगोंको स्वीकार्य होगी। आपको यह भी मालूम होगा कि संसदके पिछले सत्रमें इस विषयपर विस्तृत चर्चा हुई थी और केप प्रान्तके निर्वाचन-क्षेत्रोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्योंने नेटालमें जन्मे अशिक्षित भारतीयोंको किसी भी प्रकारसे केपमें प्रवेश करनेकी अनुमति देनेकी बातपर जोरदार आपत्ति की थी।

दूसरी चीज यह कि नये अधिनियममें की गई "अधिवासी" की परिभाषाके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें सरकारका मत है कि अधिनियमके खण्ड ५ के अनुच्छेद (च) की व्यवस्थाएँ उन भारतीयोंपर लागू होंगी जो अपने गिरमिटकी अवधि समाप्त होनेके बाद तीन वर्ष या इससे अधिक काल तक वार्षिक परवाने या "पास" लेकर नेटालमें रह चुके हों या जो लौटनेका विचार रखकर प्रान्तसे बाहर गये हों, और यह भी कि यह मत अधिनियमके खण्ड ३० में की गई अधिवासीकी परिभाषाको ध्यानमें रखकर स्थिर नहीं किया गया है।

तीसरे यह कि जनरल स्मट्सको ऑरेन्ज फ्री स्टेट विधि-पुस्तिकाके परिच्छेद ३३ द्वारा अपेक्षित शापनके प्रश्नके सम्बन्धमें कोई कठिनाई नहीं पड़ी, और उनका तो ख्याल है कि आफ्रिकामें प्रवेश पानेवाले सभी शिक्षित भारतीयोंको ऑरेन्ज फ्री स्टेटमें भारतीयोंकी नियोग्यताएँ बतला देना लाभकारी रहेगा। इन नियोग्यताओंको अधिनियमके खण्ड १९ के अन्तर्गत अपेक्षित शापनके प्रपत्रपर ही मुद्रित करवानेका प्रबन्ध किया जायेगा।

चौथे यह कि जनरल स्मट्स इसपर बिल्कुल तैयार हैं कि संघ-भरके विवाह सम्बन्धी कानूनोंके सम्मेलनका उपयुक्त अवसर मिलनेपर और यह सिद्ध हो जानेपर कि विभिन्न धार्मिक समुदायोंके लोग विशेष विवाह अधिकारियोंकी नियुक्तियाँ चाहते हैं और इन विभिन्न समुदायोंमें ऐसे पदोंपर नियुक्तियोंके लायक उपयुक्त व्यक्ति मौजूद हैं, वे मुसलमानोंके अतिरिक्त, अन्य सभी समुदायोंके लोगोंके लिए ऐसे अधिकारियोंकी नियुक्तियोंके लिए व्यवस्था करेंगे। वर्तमान प्रथा यह है कि संघके किसी भी प्रान्तमें इस समय निवासके अधिकारी या आगे चलकर संघमें प्रवेशकी अनुमति पानेवाले प्रत्येक भारतीयकी एक पत्नीको प्रवेशकी अनुमति दी जाती है, चाहे उस पत्नीसे उसका विवाह जिस धार्मिक रीतिसे सम्पन्न हुआ था उसमें बहुपत्नी-विवाहोंकी अनुमति रही हो, या वह पत्नी उसकी विदेशोंमें रहनेवाली अनेक पत्नियोंमें से

एक हो। जिन लोगोंकी एक ही पत्नी दक्षिण आफ्रिकामें हो, उनके लिए यही प्रथा जारी रखी जायेगी। परन्तु जनरल स्मट्सको खेद है कि वे इस सम्बन्धमें इससे अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे; वे दक्षिण आफ्रिकाके वर्तमान निवासी भारतीयोंकी एकाधिक पत्नियोंको प्रवेशकी अनुमति नहीं दे सकेंगे।

आपका सच्चा,
ई० एम० जॉर्जेस

श्री मो० क० गांधी
फीनिक्स
नेटाल

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५८३५) की फोटो नकलसे।

परिशिष्ट ९

उपनिवेश-कार्यालयको भेजे गये गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश

प्रिटोरिया

अक्टूबर २३, १९१३

इसी महीनेकी तारीख १७ को श्री गांधी नेटालके कोयला खानोंमें गये और उन्होंने स्थानीय खानों और होटलोंमें काम करनेवाले अनेक गिरमिटिया भारतीयोंको हड़ताल करनेपर उकसाया। उन्होंने कहा कि संसदके आनेवाले सत्रमें जबतक सरकार ३ पौंडी करको रद्द कर देनेका वचन न दे दे तबतक वे लोग कामपर न जायें। श्री गांधीने इस प्रकार संघर्षके एक नये पहलूका उद्घाटन किया। गत मास तारीख २८ को श्री गांधीने श्री जॉर्जेसको जो पत्र लिखा था और जिसे मैंने अपने खरीते, गोपनीय (२) के साथ नत्थी किया है, उससे इस बातका आभास मिल जाता था कि अब हड़तालकी नीति अपनाई जायेगी। हड़तालकी यह हलचल वैसे तो मेरी समझमें सरकारको किसी बड़ी चिन्तामें नहीं डाल सकी है; फिर भी इसकी प्रगतिकी पर्याप्त तफसील मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ आजके 'रैंड डेली मेल' और 'ट्रान्सवाल लीडर' के कुछ अंक संलग्न किये जा रहे हैं। उनसे इस विषयपर कुछ प्रकाश पड़ेगा। इनसे स्पष्ट हो जायेगा कि श्री गांधीके अनुसार हड़तालियोंकी संख्या २,००० है और इसका असर ६ खानोंपर पड़ा है। किन्तु 'ट्रान्सवाल लीडर' का डर्बन-संवाददाता कहता है कि इसका असर ९ खानोंपर पड़ा है। श्री जॉर्जेसने आज मेरे सचिवको कहा कि न्याय-विभागकी ओरसे जो सबसे ताजा रिपोर्ट मिली है, उसमें हड़तालियोंकी संख्या लगभग १,५०० बताई गई है। तथापि, इस बातका उनको निश्चय नहीं था कि यह अनुमान हड़तालके पूरे क्षेत्रपर लागू है अथवा नहीं। और इसलिए उनकी समझमें यह संभावना भी है कि श्री गांधी द्वारा दी गई संख्या ठीक हो। इसके बारेमें बिल्कुल ठीक जानकारी तो प्राप्त नहीं है। सचिवने मुझसे यह भी कहा कि न्याय-विभागके सचिवोंको बताया गया है कि संघर्षके कमजोर पड़ते जानेके लक्षण दिखाई दे रहे हैं; हड़ताली कामपर वापस लौटने लगे हैं। नेटालके रेलवे विभागमें काम करनेवाले कुछ भारतीयोंसे भी हड़ताल करनेकी कोशिश की गई जान पड़ती है। किन्तु इस मामलेमें इससे ज्यादा कोई खबर नहीं मिली; और इसलिए जान पड़ता है कि अभी तक तो इस प्रयत्नको कहने लायक सफलता नहीं मिली है।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स: सी० ओ० ५५१/४५

परिशिष्ट १०

उपनिवेश-कार्यालयको भेजे गये गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश

प्रियोरिया

नवम्बर ६, १९१३

जान पड़ता है कि सरकारके चुप बैठे रहनेसे श्री गांधी उलझनमें पड़ गये हैं और उन्होंने सरकारको लिखा है कि प्रदर्शनकारियोंको गिरफ्तार करके उनके रहने और खानेका प्रबन्ध करना सरकारका काम है।

जनरल स्मट्सने गत सोमवारको अपनी नीतिके विषयमें मेरे सचिवसे बात की। उन्होंने बताया कि ट्रान्सवालके निष्क्रिय प्रतिरोधियोंकी ओर बिल्कुल ध्यान न देनेकी उनकी नीतिका तात्कालिक असर तो यही हुआ था कि प्रतिरोध बिल्कुल ठप हो गया था। उनकी समझमें यदि नेटालके हड़तालियोंके बारेमें भी वैसी ही नीति बरती जाये तो परिणाम भी वैसा ही निकलेगा। जान पड़ता है कि श्री गांधी बड़ी अड़चनमें पड़ गये हैं। फ्रेंकैस्टोनकी तरह वे अपने द्वारा रचे गये इस असुरसे त्रस्त हो गये हैं और यदि अब इसकी कोई जिम्मेदारी उन्हें न उठानी पड़े, तो उन्हें बड़ी राहतका अनुभव हो। विभाग उन्हें गिरफ्तार करना चाहता था, किन्तु मन्त्रीने इस नीतिको उचित नहीं समझा। यदि श्री गांधी गिरफ्तार कर लिये जाते, तो उन्हें हड़तालियोंकी अपनी सेनाके भरण-पोषणकी जिम्मेदारीसे छुटकारा मिल जाता। जबतक वे बाहर हैं, भारतीय अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए उन्हींकी ओर देखेंगे। इसलिए जनरल स्मट्सने हस्तक्षेप न करनेकी अपनी नीतिपर दृढ़ रहनेका प्रस्ताव किया और यह तय कर लिया कि वे ट्रान्सवालमें आनेवाले हड़तालियोंके मार्गमें कोई बाधा नहीं डालेंगे। ये हड़ताली व्यापारी वर्गके नहीं हैं और इसलिए वे किसी प्रकारकी हानि पहुँचानेमें असमर्थ हैं। इसके सिवा अगर सब नहीं, तो इनमें से ज्यादातर लोगोंको बादमें नेटाल भेजनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी वे बिल्कुल शान्त हैं और यदि बादमें भूख या अन्य कष्टोंके कारण उपद्रव भी मचाने लगे, तो उसका आसानीसे शन्तजाम किया जा सकता है। अन्तमें यह भी सम्भव है कि जब उन्हें रसद आदि मिलना बन्द हो जाये, वे अपने-अपने कामोंपर नेटाल जानेकी खुद ही मॉग करने लगे। ऐसी परिस्थितिमें हम उनके लौटनेके लिए वाहन आदिका प्रबन्ध कर देंगे। श्री स्मट्सका ख्याल है कि श्री गांधी कोयला खानोंमें हड़तालके सफल हुए बिना चीनी बनानेके काममें लगे हुए मजदूरोंके बीच भी हलचल फैलानेकी कोशिश नहीं करेंगे।

अनुमान है कि इस समय कूच करनेवाले हड़तालियोंकी संख्या ४,००० है। श्री जॉर्जेंसने आज मेरे सचिवको बताया कि आज सवेरे लगभग २,४०० लोगोंने ट्रान्सवालमें प्रवेश किया, जिनमें से १३० स्त्रियाँ और ४० बच्चे भी थे। जब वे प्रान्तमें काफी दूर तक पहुँच चुकेंगे, ख्याल है कि उस समय अधिकारियोंकी नरमीको देखकर श्री कैलेनबैक और पोलक अन्य दलोंका नेतृत्व करके सीमा पार करेंगे। उस हालतमें निषिद्ध प्रवासियोंको प्रान्तमें प्रवेश करनेपर उकसाने और उम्में मदद करनेके अभियोगमें ये दोनों सज्जन गिरफ्तार कर लिये जायेंगे — विभाग इन्हें पकड़नेकी फिक्रमें है। जहाँतक बनेगा, दलके साधारण लोगोंसे छेड़छाड़ नहीं की जायेगी। श्री पोलककी गिरफ्तारी इसलिए और भी जरूरी है कि निधि शकट्टी करनेके लिए उनका भारत भेजा जाना तय किया जा चुका है।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : ५५१/४५

परिशिष्ट ११

महान कूच

[फोक्सरस्ट

नवम्बर ८, १९१३]

समय और जगहकी कमीके कारण अपने पिछले अंकमें हम ट्रान्सवालके कूचका पूरा विवरण देनेमें असमर्थ रहे। इस कूचका एक बहुत ही दिलचस्प वर्णन 'ट्रान्सवाल लीडर' के विशेष संवाददाता द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। संवाददाता फोक्सरस्ट उसकी कार्यप्रवृत्ति देखनेके लिए गया था। न्यायाधीशके सामने मामलेका विवरण देते हुए संवाददाता लिखता है:—

अपनी सफाई पेश करनेके पहले श्री गांधीने अपनेको पुनः रिमांडपर छोड़ देनेके लिए मजिस्ट्रेटसे कहा ताकि वे कूच जारी रख सकें। इस मौगके समर्थनमें उन्होंने वही दलीलें पेश कीं, जो उन्होंने जनरल स्मटसेके नाम अपने तारमें पेश की थीं। सरकारी वकील गवाहियोंके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने प्रार्थना की और उसे मोहलत दे दी गयी। उसके बाद श्री गांधीकी ओरसे जमानतकी प्रार्थना की गई; सरकारी वकीलने इसका विरोध किया। फिर भी न्यायाधीशने कहा कि ऐसा कोई भी अभियुक्त जिसपर कल्लेके अपराधका आरोप न हो, कानूनन जमानतपर छोड़ा जा सकता है; श्री गांधीको भी इस अधिकारसे वंचित नहीं किया जा सकता। जमानतकी रकम ५० पौंड निश्चित की गई और स्थानीय भारतीय दूकानदारोंने तत्काल ही उसका प्रबन्ध कर दिया और श्री गांधीको एक हफ्तेकी जमानतपर छोड़ दिया गया।

वे लगभग उसी समय मोटरगाड़ीसे कूच करनेवालोंके दलमें शामिल होनेके लिए रवाना हो गये। इसलिए अगर ऐसा माना जाये कि सरकारने भारतीय जनताके नेताको गिरफ्तार करके प्रदर्शनको समाप्त कर देनेकी आशा की थी और सोचा था कि लोगोंका उत्साह ठंडा हो जायेगा और वे 'रैंड' तक जानेका संकल्प छोड़ देंगे, तो उस आशापर पूरी तरह पानी फिर गया है। जिस मोटरमें बैठकर श्री कैलेनबैक और श्री गांधी कूच करनेवालोंके दलसे जाकर मिले, उस मोटरमें मैं भी उनके साथ था। यह स्थान फोक्सरस्टसे कोई ३३ मील दूर होगा। दलका मुकाम उस दिन क्रोमड्राई स्टेशनपर जो स्टैंडर्टनके पास है, होना था। दल इस समय तक उसके करीब पहुँच चुका था। रैंडकी घाटियों तक जानेवाला यह रास्ता हरे-भरे सुन्दर प्रदेशसे होकर गुजरता है। मौसम सुहावना था और कूच करनेवाले बेफिक्रीसे चलते चले जा रहे थे। उनके चेहरेपर थकानके कोई चिह्न नहीं थे। जब मोटरगाड़ी उनके पास पहुँची, उस वक्त वे लोग जनरल बोथाके फार्मसे थोड़ी ही दूर रह गये थे। गांधीजी जब उनके पास जाकर उतरे, तो सारा दल असाधारण उत्साहसे भर गया। इसके पहले गाड़ी पारडेकराल पर रुकी थी। उस समय श्री गांधीने स्त्रियोंसे उनका उत्साह बढ़ानेवाली दो-चार बातें कहीं। वहाँ बूढ़े और कमजोर लोग चलते-चलते थककर रुक गये थे। श्री गांधीने न्यू कैसिलके एक डॉक्टर द्वारा भेजी कुछ दवाएँ उन लोगोंके लिए वहीं छोड़ दीं। रास्ते-भर दलसे पिछड़े हुए लोग मिलते रहे। वे गांधीजीको देखते ही पंक्तिमें खड़े हो जाते और 'बापू' कहकर उन्हें पुकारते।

रसद

कूच करनेवालोंको जो रसद दी जाती है, उसमें प्रति व्यक्ति डेढ़ पौंड रोटी और एक औंस चीनी दी जाती है। इस न-कुछ रसद]के बावजूद कूच करनेवाले प्रसन्न हैं और उनकी शान्ति तो

असाधारण है। यद्यपि कूच करनेवालोंके दलोंमें कोयला खानों और इसी तरहके अन्य स्थानोंके गिर-मिटिया मजदूर ही हैं और उन्हें दण्ड-भयके अभावमें अनुशासित रहनेकी आदत नहीं है, तो भी श्री गांधीके प्रति उन्हें अटूट विश्वास है और वे उनकी इच्छाओंका अक्षरशः पालन करते हैं। श्री गांधीके सहयोगियोंमें जोहानिसबर्गके अनेक तरुण भारतीय हैं जिन्होंने पिछले सत्याग्रह संघर्षमें प्रमुख रूपसे भाग लिया था। दलके साथ जो घुड़सवार पुलिस थी, उसने मुझे बताया कि उनमेंसे कुछ लोगोंको क्रोमट्राईमें गिरफ्तार कर लेनेका हुक्म उनके पास है और वे उन्हें गिरफ्तार करके स्टैंडर्टन ले जायेंगे।

आन्दोलनका खर्च

श्री गांधीने मुझे बताया कि सत्याग्रह आन्दोलनपर रोज २५० पौंड खर्च हो रहा है और यदि आन्दोलनको सफल बनाना है, तो इस समय प्राप्त होनेवाले चन्देकी अपेक्षा उन्हें भारतसे अधिक रकम माँगनेकी जरूरत पड़ेगी। इस समय प्रतिमास ३,००० पौंड मिल रहा है। उन्हें इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत हमारी इस जरूरतको पूरा करेगा। चार्ल्सटाउन क्षेत्रकी स्त्रियों और हड़तालसे प्रभावित अन्य क्षेत्रोंमें लोगोंकी मदद की जाती है। इसके सिवा कूचमें रैंड तक जानेवाले दलके प्रत्येक व्यक्तिपर एक शिलिंग रोजका खर्च बैठ रहा है। फोक्सरस्टके रोटी बनानेवालोंको रोटियाँ पहुँचानेका ठेका दे दिया गया है और ये रोटियाँ रोज एक निश्चित स्टेशनसे रवाना की जा रही हैं। चीनी इस दृष्टिसे दी जा रही है कि वह स्फूर्तिदायक और शक्ति संरक्षक है। लगभग ५ बोरे चीनी रोज खर्च हो रही है। हड़ताली अपनी रोटियोंमें एक छेद कर लेते हैं और उसमें मुट्ठीसे अपने हिस्सेकी चीनी डाल लेते हैं। हर एक आदमीके पास पानी पीनेके लिए एक-एक गिलास भी है। वे उसे जहाँ मौका मिलता है, भर लेते हैं। पिछली रात हमारा दल पाउंडकॉपमें ठहरा था। वहाँ उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। स्थानीय भारतीय दूकानदारोंने पूरे दलको, जिसमें २,००० से ऊपर हड़ताली थे, चाय पिलाई। गांधीजीने उन्हें बताया कि चाय हमारी नित्य रसदका अंग नहीं है, एक नैमित्तिक वस्तु है। जब श्री गांधी दलके साथ रैंडके लिए रवाना हो गये, तब श्री कैलेनबैंक और मैं फोक्सरस्ट लौट आये। नगरसे १३ मीलकी दूरीपर हमें १०० कुलियोंका एक दल और मिला। उन्होंने भी अपने पहले हड़ताली भाइयोंकी तरह आज सवेरे बड़ी आसानीके साथ सीमाको पार कर लिया था। मुझे मालूम हुआ कि जोहानिसबर्ग जानेवाले इन लोगोंमें से कुछ वे हैं जिनपर न्यूकैसिलमें अपना गिरमिट भंग करनेके आरोप लगाये गये थे और जेलोंमें जगह न होनेके कारण उन्हें उनकी अपनी व्यक्तिगत जमानतपर छोड़ दिया गया था। वे भोजन और निवासकी सुविधा मिलनेपर मुकदमा चलने तक वहीं रुके रहनेके लिए तैयार थे, किन्तु स्थानीय न्यायाधीशने इसे स्वीकार नहीं किया और इसलिए वे कूचमें शामिल होनेके लिए जोहानिसबर्ग रवाना हो गये।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९१३

परिशिष्ट १२

जनरल बोथाने के भाषणका अंश^१

[नाइलस्टम
नवम्बर १, १९१३]

जनरल बोथाने कहा कि उनकी समझमें एशियाई प्रश्नको निपटानेका एक ही रास्ता है और वह रास्ता सही है। दक्षिण आफ्रिकाके बाहर रहनेवाले लोगोंसे उन्होंने यह आशा की कि वे एशियाईयोंसे सम्बन्धित आफ्रिकी सरकारके रुखको समझेंगे और समझेंगे कि उसकी मंशा एशियाईयोंको निकाल बाहर करना नहीं है, बल्कि वह एक सिद्धान्तपर आधारित है। दक्षिण आफ्रिकामें रंगदार कौमोंका सवाल तो उपस्थित है ही अतः वे नहीं चाहते कि स्थिति और उलझनपूर्ण बन जाये। उनका एक ही उद्देश्य है, परिस्थितिको साफ-सुथरी बनाये रखना। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है, आज न्यूकैसिलसे फोक्सरस्टके लिए एशियाई एक बड़ा कूच प्रारंभ करनेवाले हैं। उन्होंने आशा प्रकट की कि इस समय वे जिस सलाहपर चल रहे हैं, उससे अच्छी सलाहको सुनकर उसके मुताबिक काम करेंगे। अभी-अभी जनरल स्मट्सने एक वक्तव्य दिया था और उसमें बताया था कि जब श्री गोखले यहाँ आये, तब क्या-क्या हुआ। श्री गोखलेने इसका जवाब दिया और जो-कुछ हुआ था उसका दूसरा पहलू पेश किया। जनरल बोथाने कहा कि मैं श्री गोखलेकी भेंटके समय उपस्थित था। वह मेरे दफ्तरमें हुई थी और वहाँ जनरल स्मट्स, श्री फिशर और श्री गोखले उपस्थित थे। श्री बोथाने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनरल स्मट्सने इस भेंटके विषयमें जो कुछ लिखा है मैं उसके एक-एक शब्दका समर्थन करता हूँ। जनरल बोथाने अन्तमें कहा कि कुछ भी क्यों न हो जाये, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपके अधिकारोंकी हानि हो।

इससे स्पष्ट हो जायेगा कि जनरल बोथाने भी जनरल स्मट्सकी इसी बातका समर्थन करते हैं कि श्री गोखलेको ३ पौंडी कर रद्द किये जानेके सम्बन्धमें कोई निश्चित वचन नहीं दिया गया था।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : ५५१/४५

परिशिष्ट १३

लॉर्ड एंस्टहिलके नाम पोलकका पत्र

फोक्सरस्ट जेल
नवम्बर १२, १९१३

प्रिय लॉर्ड एंस्टहिल,

अब तक भेजे गये तार निस्सन्देह मिल चुके होंगे और इसलिए मेरे ऊपरके पतेसे आपको आश्चर्य नहीं होगा। किन्तु परिस्थितियोंमें गिरफ्तारी हुई, सो आप 'इंडियन ओपिनियन' से जान लेंगे। अंशतः पूरी घटना एक संयोग है, फिर भी सरकारने वास्तवमें अनुचित लाभ ही उठाया है। इसके पहले कि मैं अगले शुक्रवारको भारतके लिए रवाना हो जाऊँ, कुछ बातोंकी चर्चाके विचारसे मैं श्री गांधीके पास ब्रेलिंगस्टाड

१. कलोनियल ऑफिसके नाम गवर्नर जनरलके नवम्बर ६, १९१३ के खरीतेसे।

पहुँच गया था। उस समय वे ३ पौंडी करके खिलाफ सत्याग्रह करनेवालोंके दलका नेतृत्व कर रहे थे। दलमें १,५०० व्यक्ति थे। चूँकि सरकारने उनसे किसी अन्य स्थितिमें वास्ता रखनेसे इनकार कर दिया था और उनके भोजन आदिका जबरदस्त बोझ हम लोगोंपर डाल दिया था, वे लोग अपनी गिरफ्तारीके लिए ट्रान्सवालकी अदालतमें दाखिल हो गये थे। श्री गांधीने मुझे सावधान कर दिया था कि अगर मैं नेटालसे ट्रान्सवाल जाता हूँ, तो मेरी गिरफ्तारीकी सम्भावना है। एक विदेशीकी हैसियतसे मैंने भारतीय सत्याग्रहियोंको गिरफ्तार किये जानेकी धमकीका मुकाबला करनेकी प्रायः सलाह दी थी और इसे देखते हुए मुझे लगा कि एक अंग्रेज होकर मेरे लिए यह शर्मकी बात होगी कि मैं अब ऐसे जोखिमसे डरकर पीछे पाँव हटा लूँ और इसलिए मैं बेझिझक श्री गांधीके पास जा पहुँचा। हम लोगोंको चर्चा करते हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि एक पुलिस सब-इन्स्पेक्टर और एक मुख्य प्रवासी-अधिकारी वहाँ पहुँचे और डंडीका एक वारण्ट दिखाकर उन्होंने श्री गांधीको गिरफ्तार कर लिया। श्री गांधीपर नेटालसे गिरमितिया भारतीयोंको हटानेका अभियोग लगाया गया था। वे लोग उन्हें तत्काल गाड़ीमें बिठाकर ले गये। और ये सैकड़ों व्यक्ति नेताके अभावमें कुछ न समझ पाये कि उन्हें रातको कहाँ ठहरना है अथवा दूसरे दिनकी रसद उन्हें कैसे प्राप्त होगी। अधिकारियोंने तो उनकी देखरेख अथवा व्यवस्थासे इनकार कर ही दिया था, तब मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं बच रहता था कि मैं उन लोगोंको ग्रेलिंगस्टाड तक ले जानेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूँ। हमने रात ग्रेलिंगस्टाडके खुले मैदानमें बिताई और दूसरे दिन बालफोरमें, जो वहाँसे १३ मील आगे पड़ता है। पुलिस सब-इन्स्पेक्टर और मुख्य प्रवासी-अधिकारीने मुझसे परिस्थिति विषयक चर्चा करनी चाही। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें आदेश है कि वे सभी व्यक्तियोंको ट्रान्सवालमें निषिद्ध प्रवासी होनेके अभियोगमें गिरफ्तार करें और उन्हें नेटालके चार्ल्सटाउनमें निष्कासित कर दें। उसके बाद नेटालके अधिकारीगण स्थानीय अभियोगमें उन्हें वहाँ गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सत्याग्रहियोंको रेलगाड़ीमें ले जाकर बिठानेमें उनकी मदद करूँ, ताकि किसी तरहका उपद्रव न होने पाये और जो पुलिसका दस्ता आया हुआ है, उसकी मदद न लेनी पड़े। मैंने कहा कि जो परिस्थिति है, उसमें मैं बड़ी खुशीसे उनसे सहयोग करूँगा, क्योंकि उन्होंने दलके सब लोगोंको खिलाने, ठहराने आदिकी व्यवस्थाका भार अपने ऊपर ले लिया था। मेरी यह जिम्मेदारी उन्होंने ली है या नहीं, इसके विषयमें उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था। इसलिए मैंने उनसे कहा कि जबतक वे लोगोंको अथवा मुझे गिरफ्तार नहीं कर लेते, तबतक मैं उनके साथ कूच करता रहूँगा। और अगर वे मुझे गिरफ्तार करना चाहें, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने जवाबमें कहा कि उनकी ऐसी कोई मन्शा नहीं है और मुझे मेरी इस बातके लिए धन्यवाद दिया। बादमें जब लोग गिरफ्तार कर लिये गये, तो उनमें कुछ लोग जो अपेक्षाकृत जोशीले थे और जो मुझे नहीं जानते थे, उन्होंने श्री गांधी द्वारा हिदायत मिले बिना रेलगाड़ीमें चढ़नेसे इनकार कर दिया और दलके लोगोंको अपने साथ लेकर पुनः कूच करने लगे। मैं फौरन उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और उनसे प्रार्थना की कि वे सत्याग्रहियोंके रूपमें अपनी स्थितिका स्मरण करें। अन्ततोगत्वा वे मेरे साथ स्टेशनपर चलनेके लिए राजी हो गये और शान्तिपूर्वक गाड़ीमें चढ़ गये। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मैं उनके साथ न होता, तो उन्हें गाड़ीमें बिठाना सम्भव नहीं था और पुलिसकी बैकली और सेनाकी पशुतासे तंग होकर शायद वे हिंसापर आमादा हो जाते। व्यवस्थाके लिए जिम्मेदार पुलिस अफसरों और बादमें यहाँके न्यायाधीशने मुझे इस कामके लिए विशेष धन्यवाद दिया। चूँकि मैं ठीकसे नहीं जानता था कि चार्ल्सटाउनमें क्या-कुछ हो सकता है, इसलिए आवश्यकता पड़नेपर अधिकारियोंको शान्ति बनाये रखनेमें मदद करनेकी दृष्टिसे सत्याग्रहियोंकी पहली गाड़ीके साथ ही मैं रवाना हो गया। थोड़ी देरके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और फोक्सरस्ट ले जाया गया। कल श्री कैलेनबैक (निस्सन्देह लॉर्ड महोदय इस नामसे सुपरिचित हैं। आप टॉल्स्टॉय फार्मके मालिक हैं, जहाँ पिछले संवर्षमें सत्याग्रहियोंके भरण-पोषणका इन्तजाम किया गया था। श्री कैलेनबैककी राष्ट्रीयता जर्मन है।

वे धर्मसे बहूदी हैं और धन्धेसे वास्तुकार ।) और मुझपर न्यायाधीशके सामने ट्रान्सवालमें निषिद्ध प्रवासियोंको प्रवेश करनेके लिए उकसाने और प्रवेश करनेमें मदद करनेके आरोप लगाये गये । सरकारी वकीलने एक दिनकी मोहलत माँगी । चूँकि हमने संवर्षमें भाग न लेनेका वचन नहीं दिया, इसलिए हमें जमानत नहीं दी गई । इस समय हम जेलमें हैं और मुकदमेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । हमें आशा है कि कल हमें सजा मिल जायेगी । यह तो नहीं कहा जा सकता कि सजा सपरिश्रम होगी या सादी, किन्तु बहुत करके हम लोगोंको लगभग तीन-तीन महीनेकी सजा दी जायेगी । यह ठीक ही है कि इसके बदले जुरमाना देनेका विकल्प हुआ, तो हम जुरमाना देनेसे इनकार कर देंगे । मैंने तत्काल गृह-मन्त्रीको तारसे परिस्थितिकी सूचना दी और बताया कि मैं श्री गोखलेके कहनेपर शुक्रवारको भारत रवाना होनेवाला था । अब यह सोचना उनका काम रह गया कि मुझपर मुकदमा चलाया जाये या नहीं । उन्होंने जवाब दिया कि मुकदमा चलते रहना चाहिए । इसलिए अब मैं भारत नहीं जाऊँगा । मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि साम्राज्यीय सरकारके सामने यह विषय रखा जाये और उसमें यह तथ्य स्पष्ट किया जाये कि संघ-सरकारने श्री गोखलेके पास मेरे पहुँचनेमें बाधा डाली है । मैं उनकी प्रार्थनापर भारत-सरकारके सामने दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय प्रश्नको रखनेमें उनकी मदद करनेके खयालसे भारत जाना तय कर चुका था ।

मुझे यकीन है कि लॉर्ड महोदय इस बातसे सहमत होंगे कि मैं जिन परिस्थितियोंमें पड़ गया था, उनमें मैंने जो-कुछ किया, उसके सिवा कुछ भी न करना गौरवास्पद न होता । भारतीय समाजपर मेरा जो प्रभाव है, कमसे-कम वह तो तत्काल ही समाप्त हो जाता ।

मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि समुद्री किनारे (दि कोस्ट) बागानोंमें जो हड़ताल फैली है, वह बिल्कुल स्वयंस्फूर्त है और सच कहें तो हमारी सलाहके एकदम खिलाफ है । क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वह इतनी बढ़ जाये कि हम व्यवस्था न कर सकें । बहरहाल अब सरकारको इसकी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी । श्री फौलनबैक और मुझे आशा है कि हम दोनोंको अब काफी दिनों तक कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी और हम जेलमें आरामसे रहेंगे । विशेष तौरपर श्री गांधी और हम लोगोंपर पिछले कुछ हफ्तोंमें कामका बड़ा बोझ पड़ा है और कुछ ही दिनोंके लिए क्यों न हो, हमारा सार्वजनिक जीवनसे विश्राम हमें बहुत राहत देगा । श्री गांधीपर कल डंडीमें गिरमिटिया कानूनके अन्तर्गत तीन अलग-अलग अभियोग लगाकर उन्हें ९ महीनेकी सपरिश्रम सजा दी गई । मुझे लगता है कि इस बीचमें जबतक मैं जेलसे बाहर नहीं आ जाता, लॉर्ड महोदयको संवर्षके सारे समाचार 'इंडियन ओपिनियन' से ही प्राप्त करते रहना पड़ेगा ।^१

विनयपूर्वक आपका

हेनरी एस० एल० पोलक

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स; ५५१/५२

१. लॉर्ड एंस्टहिलने इसकी एक प्रति कलोनियल ऑफिसको दिसम्बर ५ को भेजी थी और सारी परिस्थितिपर अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा था कि संघ सरकारको गांधीजीके साथ समझौतेका रुख अपना लेनेमें ही संवर्षकी समस्या हल हो सकती है, जैसा कि साम्राज्य सरकारका भी मत प्रतीत होता है ।

(१) उपनिवेश-कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार

दिसम्बर १, १९१३

गोपनीय

कल जोहानिसबर्गमें भारतीयोंकी जो सभा हुई, उसके अध्यक्ष काछलियाने कहा कि तीन-पौंड़ी कर तो एक व्यापक और गहरी बुराईका आभास देनेवाले अनेक प्रकट घावोंमें से केवल एक घाव है; ब्रिटिश भारतीय गिरमिटिया प्रथाकी पूर्ण समाप्तिके सिवा और किसी भी बातसे सन्तुष्ट नहीं होंगे। इससे स्पष्ट है कि भारतीयोंने फिर अपनी स्थिति बदल दी है। मैं जे० सी० स्मट्सके डर्बनसे लौटनेपर आज ही सुबह उनसे मिला हूँ। स्थानीय अधिकारियोंका खयाल है कि हड़ताल लगभग इस सप्ताह-भर चलेगी। कोयलाखानों और दक्षिण तटपर भारतीय कामपर लगे हुए हैं। उत्तर-तटपर कोई २,५०० अब भी हड़तालपर हैं। जे० सी० स्मट्सका कहना है कि हड़तालके कारण नेटालका रूख कड़ा हो गया है। तीन-पौंड़ी करकी मंजूरीका विरोध हो रहा है और [भारतीय मजदूरोंको] पुनः अपने देश भेज देनेकी चर्चा गरम है, हालाँकि सरकारको अभी ऐसा करनेका अधिकार प्राप्त नहीं है। इस बातका श्तमीनान कर लिया गया है कि जेलोंके अह्रातोंमें कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता पुलिसको दंगाश्योंके विरुद्ध कभी-कभी लाठियोंका प्रयोग खुलकर करना पड़ा और उससे निःसन्देह कई लोगोंपर चोटके निशान भी आ गये। सरकारी जेल-निरीक्षक मारडलको न्यू कैसिल और डंडी जिलों [की जेलों]की व्यवस्थाके बारेमें रिपोर्ट देनेके लिए भेजा गया, लेकिन भारतीय संघ उसको सहायता देनेसे इनकार करता है। जे० सी० स्मट्सने कहा कि [मामलेकी] अदालती जाँच तो करवानी ही है, और उन्होंने तदर्थ आयोगके अध्यक्षके रूपमें नेटालके न्यायाधीश डोव विल्सनका नाम सुझाया। मैंने कहा कि यह तो बिल्कुल ही बेकार होगा। अगर आयोग नियुक्त करना हो तो उसे काफी सत्ता देनी चाहिए और उसमें कमसे-कम तीन सदस्य तो रखे ही जाने चाहिए। मैंने आग्रह किया कि सॉलोमनको अध्यक्ष नियुक्त किया जाये और डोव विल्सन तथा ट्रान्सवालके किसी एक अच्छे प्रतिनिधिको सदस्य। मैंने बताया कि यह जाँच ट्रान्सवालके दंगोंके मामलेकी जाँचसे बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण होगी। जे० सी० स्मट्सका रूख अनुकूल जान पड़ा। मैंने उनसे आग्रह किया कि यदि ऐसा जान पड़ा कि भारत-सरकारसे कोई समझौता किये बिना मन्त्रिगण [भारतीयोंको] पुनः अपने वतनमें भेज देनेके पक्षमें हैं तो यहाँके भारतीय कदाचित् यही कहेंगे कि मन्त्रियोंका उचित शिकायतोंको दूर करनेसे इनकार करना ब्रिटिश प्रजाजनोंको उनके घर-बार और रोजगार-धन्धेसे वंचित करके उन्हें देशसे निकाल बाहर करनेके बराबर है। जे० सी० स्मट्स इस बातसे सहमत हो गये कि किसी

भी हालतमें इस प्रस्तावपर भारत सरकारके साथ समझौतेकी कोई व्यवस्था किये बिना ध्यान नहीं दिया जा सकता ।

ग्लैडस्टन

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : ५५१/४६

(२) उपनिवेश-कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार

दिसम्बर १९, १९१३

गोपनीय

अपने कल्लेके गोपनीय तार संख्या २ के बारेमें । जे० सी० स्मट्स बताते हैं कि सॉलोमन उनकी कठिनाइयोंका निराकरण नहीं कर सके लेकिन औपचारिक घोषणाके बाद कुछ करनेको नहीं बच रहता । उनका खयाल है यहाँके भारतीयोंके लिए इन्शुर-जैसा कोई योग्य दक्षिण आफ्रिकी वकील रख लेना सर्वोत्तम बात होगी । इससे भारत-सरकारका उद्देश्य सिद्ध हो जायेगा लेकिन अगर भारत-सरकार ही कोई कानूनी सलाहकार नियुक्त करना चाहे तो भारत-सरकारके सूत्रधारोंके दृष्टिकोणसे इन्शुर अथवा दक्षिण आफ्रिकाके किसी अन्य योग्य वकीलको रख लेना बहुत ही बेहतर होगा । स्वयं सॉलोमन भी यही रास्ता अपनानेपर जोर देते हैं क्योंकि भारतसे सलाह भेजनेमें जो जवर्दस्त देरी होगी उसके कारण आयोगको, जिसकी बैठक कल ही स्थगित हुई है और जो फिर १२ जनवरीसे डर्बनमें अपना कार्य प्रारम्भ करनेवाला है, बहुत असुविधा होगी । गांधी सूचित करते हैं कि यहाँके भारतीयोंने अभी यह तय नहीं किया है कि वे आयोगको स्वीकार करेंगे या नहीं । अगर उन्होंने गवाही न देनेका निश्चय कर लिया तो बहुत सम्भव है कि आयोग भंग कर दिया जाये । और अगर उसके बाद फिर सत्याग्रह और हड़ताल प्रारम्भ की जायेगी तो यहाँके लोग बहुत चिढ़ जायेंगे और फिर शायद स्थिति बहुत खतरनाक हो जायेगी । मेरे मन्त्रियों और आयोगने भारतीय तथा साम्राज्याय सरकारोंके विचारोंको तुष्ट करनेके लिए यथासम्भव पूरी कोशिश की है । मुझे भरोसा है कि आप भारत कार्यालयके माध्यमसे भारत-सरकारको यह बात समझानेकी कोशिश करेंगे कि आयोगको स्वीकार करना कितना अधिक महत्त्वपूर्ण है, और दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंका हर प्रकारकी उत्तेजनारमक कार्रवाईसे हाथ खींचे रहना कितना अधिक जरूरी है ।

ग्लैडस्टन

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : ५५१/४६

परिशिष्ट १५

(१) गृह-विभागकी ओरसे पत्र

प्रिटरिया

दिसम्बर २४, १९२३

सज्जनो,

आपका पत्र, जिसपर २१ तारीख पढ़ी है और जिसे आपने तुरन्त ही समाचारपत्रोंको दे दिया था, गृह-विभागको आज जाकर मिला है। मन्त्रीने उसे देख लिया है।

मुझे उसके उत्तरमें तुरन्त ही यह लिखनेका आदेश मिला है कि मन्त्री आपकी वे शर्तें स्वीकार करनेमें असमर्थ हैं जिनके पूरी होनेके बाद ही आप आयोगके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने और आयोगका कोई निर्णय होने तक सत्याग्रह स्थगित करनेके लिए कहते हैं, और खासकर आपकी उस शर्तको, जिसमें आपने भारतीय समाजके हितोंकी दृष्टिसे आयोगमें कुछ और सदस्योंकी नियुक्तिकी बात कही है। मंशा एक ऐसा आयोग बनानेका था जो निष्पक्ष और न्यायिक हो, इसीलिए सरकारने उसे गठित करते समय न तो भारतीय समाज और न नेटालके कोयला-खान मालिक तथा गन्ना-उत्पादक संघसे ही कोई सलाह-मशविरा किया था और न वह आपका बतलाया हुआ तरीका अपनाकर आयोगमें नियुक्त दो सदस्यों-पर बेवजह लगाये आपके आक्षेपोंको एक क्षणके लिए भी कोई अहमियत दे सकती है।

आप जो मार्ग अपनाने जा रहे हैं, उसे हमने समझ लिया है और उसपर — भारतीय समाजके हितोंके खयालसे भी — हमें हार्दिक खेद है। आपके कामके अराजकतापूर्ण ढंगसे भारतीय समाजके हितोंको गहरी ठेस पहुँचेगी ही और निर्दोष गोरे तथा भारतीय लोगोंको बेमतलब ही बड़े-बड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे और उस सबके फलस्वरूप समूचे संघका लोकमत उसके विरुद्ध भड़क उठेगा।

आपका

एच० बी० शा
कार्य-वाहक गृह-सचिव

सर्वश्री मो० क० गांधी,
कैलेनबैक और
एच० एस० एल० पोल्क,
११०, फील्ड स्ट्रीट
डर्बन

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स : ५५१/४६

(२) उपनिवेश-कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार

प्रिटोरिया

दिसम्बर २२, १९१३

गौपनीय

उन्नीस दिसम्बरका मेरा गुप्त तार। समाचार है कि गांधीने कल डर्वनमें भारतीयोंकी सार्वजनिक सभामें कहा कि भारतीय दृष्टिकोणसे आयोगके गठनके सम्बन्धमें गम्भीर आपत्तियोंके कारण भारतीय उसे स्वीकार नहीं कर सकते। उनकी सलाह थी कि आयोगको मौजूदा रूपमें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीयोंका उसमें कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं। वे कई शिकायतें दूर करानेके लिए लड़ रहे हैं। संवर्षकी मूल भावना यह है कि सरकार भारतीयोंके इस अधिकारको पक्की मान्यता दे कि भारतीय हितोंसे सम्बन्धित प्रत्येक बातमें उनसे सलाह-मशविरा किया जाना चाहिए। यदि सरकार इस हदतक झुकने और भारतीय भावनाओंको समझने तथा उनका सम्मान करनेके लिए तैयार नहीं होगी, तो साम्राज्यके वफादार लेकिन वीर नागरिकोंके रूपमें भारतीयोंके लिए यह असम्भव होगा कि वे उनसे पूछे बिना पास किये गये कानूनोंकी व्यवस्थाओंका पालन करें। आयोगके बारेमें दूसरी आपत्ति यह थी कि वह एक-पक्षीय है और इसीलिए भारतीय चाहते हैं कि उनके पक्षके लोग भी उसमें लिये जायें। उनकी यह माँग शायद पूरी न हो, परन्तु वे चाहते हैं कि आयोग निष्पक्ष हो। जबतक एशियाइयोंके प्रति अविरोधी विचार रखनेवाले लोगोंको नामजद नहीं किया जाता, तबतक भारतीय और अधिक कष्ट-सहनके बिना संकट समाप्त करनेमें सरकारकी सहायता नहीं कर सकते। उन्होंने प्रस्ताव किया कि यदि सरकार इस अनुरोधको न माने तो उन सभीको नये सालके पहले दिन फिरसे संवर्षके कारण कष्ट-सहन करने और फिरसे जेल काटने तथा कूच करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। मुक्त और गिरमिटिया भारतीयोंको उनकी यही सलाह थी। यदि वे संवर्षसे अलग रहकर शान्त बने रहे तो उनकी मातृभूमिमें उनके सभी देशवासी और समूचा ब्रिटिश साम्राज्य उनको नीची नजरसे देखने लोंगे। उनको अपनी अन्तरात्माकी आवाजके मुताबिक चलना और बिना किसी हिचकके आगे बढ़ चलना चाहिए। उन्होंने जब अपने मनमें कुछ ठान लिया है, तो उनको उसपर दृढ़ रहना चाहिए, भले ही उन्हें अपने प्राणोंसे ही हाथ क्यों न धोना पड़े। कैलेनवैक, पोलक और रिचने भी भाषण किये। प्रस्ताव पास हुए कि (१) समाज अपनी प्रतिष्ठाके विचारसे आयोगके सामने साक्ष्य प्रस्तुत न करे, क्योंकि उसके सदस्योंके चुनावके मामलेमें उनसे परामर्श नहीं किया गया और क्योंकि समाजके हितोंका प्रतिनिधित्व करनेके लिए किसीको भी नहीं लिया गया है। (२) सुझाव रखते हुए कि आयोगमें झाइन्स और रोज-इन्स या यूरोपीय जातिके अन्य ऐसे प्रमुख दक्षिण आफ्रीकियोंको सम्मिलित किया जाये, जिनकी नामजदगीसे भारतीय समाज सहमत हो। (३) अनुरोध करते हुए कि यदि सभी सम्बद्ध हितोंको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देनेके लिए सरकार अतिरिक्त सदस्योंको सम्मिलित करनेकी बात मंजूर करे तो सभी सत्याग्रही कैदियोंको तुरन्त रिहा कर दिया जाना चाहिए। तब भारतीय समाज आयोगका प्रतिवेदन प्रकाशित होने तक के लिए सत्याग्रह स्थगित कर देगा, लेकिन यदि सरकार इन अनुरोधोंको माननेसे इनकार कर देगी, तो समाजको तुरन्त ही नई

स्फूर्ति और संकल्पके साथ संघर्ष छेड़ देना पड़ेगा। मुझे ऐसी सम्भावना नहीं दिखती कि सरकार इन माँगोंको मान सकेगी।

ग्लेडस्टन

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स: ५५१/४६

(३) उपनिवेश-कार्यालयको गवर्नर-जनरलका तार

प्रिटोरिया

दिसम्बर २३, १९१३

निजो एयं यैयवितक

मेरा २२ दिसम्बरका गुप्त तार। यदि भारतीय गांधीकी सलाहपर चले तो स्थिति गम्भीर हो जायेगी। सरकार आयोगसे यथासम्भव पड़ताल करनेका आग्रह करेगी। परन्तु साथ ही ट्रान्सवालमें सामूहिक रूपसे अनधिकृत प्रवेश, हड़तालें और हिंसाकी आग फिर भड़क उठेगी। यदि ऐसा हुआ तो कामसे इनकार करने और कानून तोड़नेवाले गिरमिटिया भारतीयोंको भारत वापस भेजनेके लिए वैधानिक सत्ता ग्रहण करनेका प्रश्न फौरन उठेगा। मेरा खयाल है कि भारतके वाइसराय, एम्प्टहिल और गोखलेने आम तौरपर स्वदेश वापसीकी बात उठाई भी है। जे० सी० स्मट्सने मुझसे कहा है कि यदि भारतीय सरकारने ऐसा प्रस्ताव रखा, तो मंत्रिगण उसका स्वागत करेंगे। वे आगे कहते हैं कि नेटाल्के बागान और कोयला खानोंके मालिक अब कुछ-कुछ महसूस करने लगे हैं कि शायद यही एक हल है। परन्तु यहाँके भारतीय इसे बिल्कुल नहीं चाहते। वे यदि यह समझ लें कि कानून तोड़नेवालोंको ही स्वदेश वापस किया जायेगा, तो शायद कानून तोड़ना बन्द ही हो जायेगा। इस समय गांधी और यहाँ तथा भारतमें उनके सहयोगियोंका विश्वास है कि कुलियोंके बिना नेटाल्का काम नहीं चल सकता और यही मानकर वे असम्भव-सी माँगें रख रहे हैं। ये माँगें स्वीकृत होना असम्भव है। अव्यवस्थाका दमन करना अपेक्षाकृत आसान है पर वह कोई इलाज तो नहीं है। उससे तो भारतकी जनताकी भावनाओंमें कटुता आ जायेगी।

मन्त्रियोंका विचार है कि उनको समस्याकी जड़ तक जाना होगा। क्या आप समझते हैं कि कानून तोड़नेवाले और गिरमिटिया भारतीयोंको पूर्णतः या आंशिक रूपसे स्वदेश वापस करनेमें भारतीय सरकारका सहयोग प्राप्त हो सकेगा?

यदि ऐसा नहीं होता, तो इस सिलसिलेमें यहाँ वैधानिक कार्रवाई करनेके बारेमें आपके क्या विचार हैं? सम्पत्तिके बारेमें हर्जाना अदा करना होगा।

ग्लेडस्टन

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स: ५५१/४६

परिशिष्ट १६

लॉर्ड हार्डिजका भाषण^१

मद्राससे आये एक संदेशमें कहा गया है कि वाइसराय (लॉर्ड हार्डिज) ने भारतीयों द्वारा दिये गये मानपत्रोंके उत्तरमें भाषण करते हुए कहा कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें राज्य पिछले कई वर्षोंसे काफी चिन्तित रहा है और अपनी शक्ति-भर प्रयास करता रहा है कि उनके साथ समुचित वर्तव हो ।

उन्होंने यह भी कहा: “ आप जिस संघ-अधिनियमकी शिकायत करते हैं उसका नतीजा यह हुआ कि व्यवहारतः दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंका प्रवास बन्द हो गया है हालाँकि उसमें एशियाइयोंके साथ भेदभावकी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है । फिर भी, हम प्रतिवर्ष एक सीमित संख्यामें शिक्षित भारतीयोंके लिए प्रवेशकी सुविधा हासिल करनेमें सफल हो गये हैं, और हमने संघके मौजूदा निवासी भारतीयोंको अधिकसे-अधिक सहूलियतें दिलानेके लिए भी विशेष प्रयत्न किया है । हमारे प्रयत्नोंका ही फल है कि विधिके प्रश्नोंपर न्यायालयमें अपील करनेके अधिकारकी व्यवस्था और अधिवासकी ऐसी परिभाषा सम्मिलित कर ली गई है जिसके अनुसार गैर-गिरमिटिया भारतीयोंकी स्थिति सन्तोषप्रद ढंगसे निश्चित की गई है ।

“ इस समय हम अधिनियम द्वारा लगाये गये उन अन्य प्रतिबन्धोंके बारेमें लॉर्ड क्रूके साथ लिखा-पढ़ी कर रहे हैं, जिसपर आपको आपत्ति है और हमें भरोसा है कि हमारी लिखा-पढ़ीका कुछ परिणाम अवश्य निकलेगा । आपने कहा कि राज्यको बदलेकी कार्रवाई करनी चाहिए, परन्तु आपने यह नहीं बतलाया कि ठीक-ठीक कौनसे कदम उठाये जाने चाहिए । हमने १९११ में गिरमिटिया भारतीयोंका नेटाल भेजा जाना बन्द कर दिया था, और तब नेटालके बागान-मालिकोंने अपना एक प्रतिनिधि भारत भेजकर हमसे अपने उस निर्णयपर पुनः विचार करनेके लिए कहा था । इससे पता चलता है कि उनका निष्क्रमण बन्द कर देनेसे बागान-मालिकोंको कितनी मुश्किल हो गई थी, लेकिन मेरा खयाल है कि कुल मिलाकर पूरे दक्षिण आफ्रिकापर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था । दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि हमें आसानीसे ऐसा कोई साधन नहीं सूझता जिसके जरिये दक्षिण आफ्रिकी सरकारके सत्ताधीशोंको भारत अपने क्षोभसे अवगत करा सके ।

“ हालमें दक्षिण आफ्रिकामें आपके देशवासियोंने अपनी समस्याओंका फैसला स्वयं ही करानेका प्रयत्न किया है । उन्होंने अपने हिसाबसे आपत्ति-जनक और अन्यायपूर्ण कानूनोंके खिलाफ सत्याग्रह आन्दोलनका संगठन किया है । हम लोग भी, जो दूरसे उनके संघर्षको देख रहे हैं, उन कानूनोंको आपत्तिजनक और अन्यायपूर्ण कहे बिना नहीं रह सकते । उन्होंने दण्डकी पूरी जानकारी रखते हुए ही उन कानूनोंको भंग किया और वे पूरे साहस तथा धैर्यके साथ उसका दण्ड भोगनेके लिए तैयार हैं । अपने इस प्रयासमें उनको भारतीय जनताकी हार्दिक तथा उत्कट सहानुभूति प्राप्त है, और उन लोगोंकी भी जो मेरी तरह भारतीय न होते हुए भी इस देशकी जनताके साथ सहानुभूति रखते हैं । परन्तु बिल्कुल हालकी घटनाओंसे परिस्थितिमें एक बड़ा गम्भीर मोड़ आ गया है । हमने देखा है कि इस बातका बड़ा व्यापक प्रचार किया गया है कि सत्याग्रहके विरुद्ध ऐसे कदम उठाये जाते हैं जो अपनेको सभ्य कहनेवाले किसी भी देशमें एक क्षणके लिये भी बरदाश्त नहीं किये जायेंगे । दक्षिण आफ्रिकाकी जिम्मेदार सरकारने इससे दो ठूक श्ककार किया है, हालाँकि उसके श्ककारमें भी श्ककार है, जिससे मुझे यह नहीं लगता कि सरकारने कुछेक कदम

१. यह भाषण २४ नवम्बर, १९१३ को दिया गया था ।

उठाकर कोई बड़े विवेकका परिचय दिया हो। अभी यही स्थिति है। मैं समझता हूँ कि यदि दक्षिण आफ्रिकी सरकार भारत और संसारके आगे अपनेको न्यायोचित ठहराना चाहती है तो उसके लिये एक ही रास्ता रह जाता है कि वह बड़ी बारीकीसे जाँच-पड़ताल करानेके लिए एक ऐसी शक्ति-सम्पन्न, निष्पक्ष समिति नियुक्त करे जिसमें भारतीय हितोंको भी प्रतिनिधित्व दिया जाये। आप भरोसा रखिए कि राज्य ये सुझाव साम्राज्यीय सरकारके सामने रखना बन्द नहीं करेगा। ”

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-१२-१९१३ ।

परिशिष्ट १७

गो० कृ० गोखलेके नाम वाइसरायका तार

दिसम्बर २८, १९१३

आदरणीय श्री गोखले

सर्विडिया

पूना

गांधीके दिये वचन और एक शान्तिपूर्ण समझौता करानेकी मेरी उत्कट इच्छाको ध्यानमें रखते हुए सर बेन्जामिन रॉबर्ट्सन पहली जनवरीको बम्बईसे रवाना होंगे। वे शायद ११ या १२ को डर्वन पहुँच जायेंगे। मैंने उपनिवेश सचिवसे कहा है कि वे संघ सरकारके साथ ऐसा प्रबन्ध करें कि आयोगकी बैठक कुछ समयके लिए मुलतवी हो जाये। मुझे राबर्ट्सनकी इस यात्रासे किसी बड़े परिणामकी आशा नहीं है परन्तु मैं शांति स्थापित कर सकनेका कोई अवसर खोना नहीं चाहता। मेरी समझमें आपका गांधीको यह कह रखना उचित होगा कि यदि वे तथा उनके साथी भारतीय सत्याग्रह-छेड़ेंगे या हिंसाका सहारा लेंगे तो रॉबर्ट्सन तत्काल अपने आपको उनसे अलग घोषित कर देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि रॉबर्ट्सनके पहुँचनेपर गांधी उनसे खुलकर बातचीत करेंगे।

वाइसराय

[अंग्रेजीसे]

नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, फाइल नं० ४५

सौजन्य : सर्वेण्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, पूना

परिशिष्ट १८

(१) गृह-मन्त्रीका तार

प्रिठोरिया
जनवरी ५, १९१४

गांधी
११०, फील्ड स्ट्रीट
डर्बन

३२३६६ आपके २९ दिसम्बरके तारके जवाबमें विलम्बके लिए खेद है परन्तु उसका कारण डर्बनसे इस विरोधी सूचनाका मिलना था कि सत्याग्रह फिर शुरू होगा और फिर ट्रान्सवालकी ओर नया कूच होगा। खैर बादकी सूचनासे विदित हुआ है कि पहली जनवरीको नेटालकी कुछ भारतीय संस्थाओंके कामके बारेमें गलतफहमी हो गई थी^१। आपके तारमें दिये हुए सुझावोंके बारेमें मन्त्रीको खेद है कि आयोगके सदस्योंकी संख्यामें वृद्धि या कमीकी प्रार्थना उन कारणोंसे मंजूर नहीं की जा सकती जिनका उल्लेख मैं अपने २४ दिसम्बरके पत्रमें कर चुका हूँ। आयोगके गठनके बारेमें जो खूब आपने अपनाया है उसे देखते हुए मन्त्रीने सरकारका इस बातपर विचार करना आवश्यक नहीं समझा कि सत्याग्रहियोंको दण्ड दिये जानेके बारेमें गवर्नर जनरलको क्या सलाह दी जाये। सरकारने नेताओंके बारेमें आयोगकी सिफारिशके अनुसार काम करनेका निर्णय कर लिया है। नेताओंने रिहाईके तुरन्त बाद जो रास्ता अपनाया वह ऐसा नहीं था कि उससे सरकारको शेष सत्याग्रहियोंकी रिहाईसे कुछ लाभप्रद परिणाम निकलनेकी सम्भावना दिखाई देती। यदि आप अब भी मन्त्रीसे मिलनेको इच्छुक हों तो वे इस सप्ताह आपको भेटका समय देनेको तैयार होंगे।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : ५५१/५३

१. संकेत डर्बनके निकट पाइनटाउनमें पहली जनवरीको (जो तारीख गांधीजीने पहले ट्रान्सवालमें कूच प्रारम्भ करनेके लिए घोषित की थी) शकट्टा हुए भारतीयोंके एक समूहकी गतिविधियोंके बारेमें प्रकाशित गलत रिपोर्टकी ओर है। बादमें ज्ञात हुआ कि उस भारतीय समूहको गांधीजीकी इस घोषणाका पता नहीं था। नये वर्षके प्रथम दिन सत्याग्रह शुरू नहीं किया जायेगा।

१२-३८

(२) गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश^१

प्रिटोरिया

दिसम्बर ३१, १९१३

आप देखेंगे कि श्री गांधीका वर्तमान रूप उतना सख्त नहीं है जितना उन्होंने अपने रिहा होनेके तुरन्त बाद आम जनतामें बोलते समय अपनाया था। जनरल स्मट्स श्री गांधीके अन्तिम सुझावोंके सम्बन्धमें क्या उत्तर दें, इसपर अब भी विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सम्भवतः वे निजी मुलाकातका अवसर देनेकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। फिर भी आयोगके गठनके सम्बन्धमें श्री गांधीके सुझाव स्वीकृत किये जानेके विषयमें मुझे सन्देह है। भारतीय समाज तथा भारतीय मजदूरोंके मालिकों द्वारा नामजद दो और सदस्योंको आयोगमें लेनेसे आयोगका न्यायसे सम्बन्धित स्वरूप समाप्त हो जायेगा और शायद इसपर सर विलियम सॉलोमन इस्तीफा दे दें। इस वैकल्पिक सुझावपर कि आयोगको केवल एक व्यक्ति-आयोग कर दिया जाये और उसमें केवल सर विलियम सॉलोमन रहें, उपर्युक्त आपत्ति नहीं की जा सकती: श्री एसेलन और कर्नल वाश्ली, दोनों सदस्यतासे इस्तीफा देनेमें आनाकानी भी नहीं करेंगे तथापि मात्र श्री गांधीके कहनेपर सरकारके लिए अपने आयोगका पुनर्गठन करना आसान नहीं होगा; क्योंकि इसका तो यह अर्थ होगा कि सरकार यह स्वीकार करती है कि जिन दो सदस्योंको आयोगसे हटानेकी प्रार्थना की गई थी वे वास्तवमें पूरी तरह निष्पक्ष नहीं थे। सम्भव है जनरल स्मट्स और श्री गांधी मिलकर समस्याका कोई हल खोजनेमें समर्थ हो सकें।

पिछले सोमवारको जनरल स्मट्सने मेरे सचिवको बताया कि मुझे सर विलियम सॉलोमनका एक निजी पत्र मिला है जिसमें उन्होंने इस बातपर खेद व्यक्त किया है कि श्री गांधी, श्री पोलक और श्री कैलेनबेकने अपनी स्वतन्त्रताका नाजायज फायदा उठाया है। पत्रमें यह भी सूचना दी गई है कि यदि भारतीयोंने जिनके हितके लिए आयोगकी नियुक्ति की गई है, उसका बहिष्कार किया तो जाँच एकपक्षीय ही साबित होगी। सर विलियमने आगे यह भी लिखा है कि मैंने यह नियुक्ति अपने व्यक्तिगत सम्मानके विपरीत केवल एक कर्तव्य भावनासे स्वीकार की क्योंकि मेरे सामने इस प्रकार वर्णन किया गया कि अध्यक्षका काम करनेसे मुझे जनताकी सेवाका अवसर मिलेगा। चूँकि अब ऐसा लगता है कि आयोग कोई लाभप्रद काम नहीं कर सकेगा, मेरा ऐसा सन्देह करनेको मन करता है कि मैं काम करता रहूँ इसका क्या औचित्य है? जनरल स्मट्सने कहा कि मैं अपने जवाबमें इस बातकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि भारतीयोंका गवाही देनेसे अपनेको रोकनेमें और पुनः सत्याग्रह, हड़ताल तथा कानून भंग करनेमें अन्तर है। यदि दुबारा अशान्ति ही करनी थी तब तो यह प्रश्न उठता है कि क्या जाँच की भी जाये। तथापि, यदि भारतीय केवल यही नीति रखें कि वे गवाही नहीं देंगे, तब भी आयोग सरकारी और अन्य यूरोपीय गवाहियोंकी, हड़ताल तथा बुरे बर्तावके आरोपोंकी, वारदातोंको सुन सकेगा और जो भी लिखित सामग्री सरकार आयोगके सामने रख सके उसके सहारे शिकायतके आम प्रश्नपर विचार कर सकेगा। फिर यह भी बौद्ध्युक्त है कि भारत-सरकार जिस सरकारी गवाहको भेजे उसे सुननेका मौका दिया जाये। ऐसा लगता था कि जनरल स्मट्सको आशा थी कि ये तर्क सर विलियमको काम करते रहनेमें प्रेरक होंगे। स्पष्टतः उन्हें यह भय था कि अन्यथा श्री गांधी कहीं उस सरकारी आयोगको जिसके गठनको वह पहलेसे ठीक नहीं मानते थे, भंग करके अपनी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ानेमें मदद पा जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स (सी० ओ० ५५१/४६)।

१. गवर्नर-जनरलने उपनिवेश-कार्यालयको एक खरीतेमें गांधीजी और गृह-मन्त्रीके बीच हुए पत्र-व्यवहारकी प्रतियाँ और विभिन्न अखबारोंकी कतरनें भेजी थीं। यह उसीका एक अंश है।

गो० कृ० गोखले द्वारा जारी किया गया वक्तव्य

[दिसम्बर ३१, १९१३]

दक्षिण आफ्रिकाकी वस्तु-स्थितिके बारेमें देशमें जो चिन्ता व्याप्त है और इस विषयपर मुझसे जो पूछ-ताछ की जा रही है, उसको देखते हुए मैं निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित करना जरूरी समझता हूँ:

दिसम्बर १८ को कलकत्तेमें मुझे नेटाल भारतीय संघका तार मिला। उसमें यह लिखा था कि दक्षिण-आफ्रिकाके भारतीयोंमें एक तीव्र भावना है कि जिस जॉच आयोगकी नियुक्ति की गई है, उसे स्वीकार न किया जाये, क्योंकि उसके तीन सदस्योंमें से दो के बारेमें यह सर्व विदित है कि वे भारतीय समाजके विरोधी हैं। मुझसे सलाह माँगी गई है कि क्या किया जाना चाहिए। श्री गांधी और अन्य सत्याग्रही नेता उस समय जेलमें थे और यह आभास नहीं मिला था कि आयोगका किस ढंगसे काम करनेका इरादा है। ऐसी परिस्थितिमें मेरे लिए कोई निश्चित सलाह दे पाना सम्भव नहीं था और कलकत्तेके दो प्रतिष्ठित मित्रोंसे — जिनसे मैं आसानीसे मिल सकता था, जल्दीसे सलाह लेकर मैंने वापस तारसे जवाब दिया कि जो भी रास्ता अपनाया जाये, वह इस बातकी ध्यानमें रखते हुए ही कि समाजकी यह भावना कितनी प्रबल है और दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय मित्र इस सम्बन्धमें क्या सलाह देते हैं। मैंने संघसे यह भी कहा कि वह सावधानीसे यह अंदाजा लगाये कि कौन-सा रास्ता भारतीयोंके उद्देश्यके लिए अधिक हानिकारक होगा: यानी गवाही देनेसे इनकार करना या सविरोध कार्यवाहीमें भाग लेना। साथमें मैंने यह भी लिखा कि बम्बईमें सर फीरोजशाह मेहतासे सलाह लेकर मैं फिर तार दूँगा। मैं कलकत्तेसे उसी दिन रवाना हो गया और २० को बम्बई पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही मैंने समाचार-पत्रोंमें उस वक्तव्यका सारांश पढ़ा जो सर विलियम सॉलोमनने कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए दिया था और श्री गांधी तथा अन्य सत्याग्रही नेताओंकी रिहाईका समाचार भी पढ़ा। रायटरके समाचारसे मालूम हुआ कि रिहा नेता मंत्रियोंसे मिलनेके लिए प्रिटोरियाको रवाना हो गये हैं; इसलिए मैंने स्वभावतः यह निष्कर्ष निकाला कि संघ-सरकार समाजके साथ किसी समझौतेपर पहुँचनेको इच्छुक है और समाचारोंमें जो यह बताया गया है कि श्री गांधी प्रिटोरिया जा रहे हैं, उसका सम्बन्ध भी इस सिलसिलेमें प्रारम्भ हो चुकी किसी बातचीतसे है। मैंने तुरन्त ही श्री गांधीसे तार द्वारा सम्पर्क स्थापित किया और पिछले दस दिनोंमें हमारे बीच अनेक तारोंका आदान-प्रदान हुआ है। सभी तारोंको प्रकाशित करना सम्भव नहीं है, परन्तु मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ इतना तो कह ही सकता हूँ कि इस तार-सम्पर्कमें श्री गांधीको उस दृष्टिकोणसे सहमत करानेका हर प्रयत्न किया गया जो अब स्पष्ट ही इस देशमें जोर पकड़ता जा रहा है — यानी यह कि सर विलियम सॉलोमनके वक्तव्य, नेताओंकी रिहाई और आयोगको सर बेंजामिन राबर्ट्सनके शिष्टमण्डल द्वारा भारत-सरकारकी ओरसे दी गई मान्यताके बाद आयोगका बहिष्कार करना एक व्यावहारिक अकुशलता होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा, बड़ी कठिनाईके बाद भारतीय मामलेको सारे संसारके सामने खोलकर रखनेका जो एक महत्त्वपूर्ण अवसर मिला है उसे खो देना और शायद उन लोगोंको भी रूढ़ कर देना, जिनसे, इस देशमें और इंग्लैंडमें भी, हमारे उद्देश्यको बड़ी कारगर मदद मिल रही है। तथापि श्री गांधी इस दृष्टिकोणके अनुसार काम करनेमें अपने-आपको तबतक असमर्थ पाते हैं जबतक कि संघ-सरकार आयोगके गठनमें किसी प्रकारसे सुधार नहीं कर देती और जो सत्याग्रही जेलमें हैं, उन्हें रिहा नहीं कर देती। उनका कहना है कि वे और भारतीय समाज

इस शपथते बंधे हैं कि वे अमुक शर्तोंपर ही आयोगको स्वीकार करेंगे। फिलहाल यही स्थिति है। इस बीच सर बेंजामिन रॉबर्टसन १ जनवरीको दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना हो रहे हैं। चूंकि यह आवश्यक है कि देश श्री गांधीकी स्थितिको ठीकसे समझ ले इसलिए मैंने उनसे उस स्थितिके सम्बन्धमें तार द्वारा एक पूरा वक्तव्य प्रकाशनार्थ भेजनेको कहा। यह वक्तव्य, जिसमें उनके कुछ पहलेके तार भी शामिल हैं, इस प्रकार है:

श्री गांधी कहते हैं: आयोगकी सिफारिशपर हम बिना किसी शर्तके १८ तारीखको रिहा कर दिये गये। रिहाईके समय हमें यह नहीं बताया गया कि हमें क्यों रिहा किया जा रहा है। यह सच नहीं है कि रिहा होनेके बाद हम मन्त्रियोंसे मिलने प्रिटोरिया गये। श्री एसेलेन और कर्नल वाश्ली भारतीयोंके प्रति जो भावना रखते हैं उसे जानते हुए हमारे लिए यह नामुमकिन है कि हम तीव्रतासे यह महसूस न करें कि आयोग हमारे साथ सच्चा न्याय करनेके लिए नियुक्त नहीं किया गया है। बल्कि यह [दक्षिण आफ्रिकाकी सरकारके] मनपसन्द व्यक्तियोंसे युक्त एक ऐसी परिषद् है जिसका उद्देश्य इंग्लैंड और भारत-सरकार तथा जनताकी आँखोंमें धूल झाँकना है। अध्यक्षकी ईमानदारी और निष्पक्षता असंदिग्ध है; किन्तु, श्री एसेलेन और कर्नल वाश्ली तो आम तौरपर उन्हीं लोगोंके रूपमें जाने-माने हुए हैं, जो दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके प्रबल और उग्रतम विरोधी हैं। श्री एसेलेनने अनेक अवसरोंपर सार्वजनिक मंचोंसे जोरदार शब्दोंमें एशियाइयोंके विरुद्ध विचार व्यक्त किये हैं, और संघके मन्त्रियोंसे उनका इतना घनिष्ठ राजनीतिक सम्बन्ध है कि यहाँ उन्हें पूरी तरहसे मंत्रालयका एक गैर-सरकारी सदस्य ही माना जा रहा है। अभी हाल-ही में उन्होंने निजी तौरपर संघ-संसदके एक सदस्य श्री मेल्करके सामने भारतीयोंके विरुद्ध बड़े तीव्र विचार व्यक्त किये थे, और श्री मेल्करने सार्वजनिक रूपसे उनकी नियुक्तिका विरोध किया है। कर्नल वाश्ली गत बीस वर्षोंसे अधिक समयसे नेटालमें हमारे अत्यन्त कट्टर विरोधी रहे हैं। सन् १८९६ में ही उन्होंने दो जहाजोंमें डर्बन आनेवाले भारतीयोंके वहाँ उतरनेके विरुद्ध प्रदर्शन करनेवाली एक भीड़का नेतृत्व किया था। उन्होंने एक सार्वजनिक सभामें कहा कि इन जहाजोंको भारतीयों सहित डुबा देना चाहिए और एक दूसरे वक्ताके इस कथनकी प्रशंसा करते हुए कि वह भारतीयोंपर एक गोली चलानेके लिए खुशी-खुशी अपनी एक महीनेकी तनखाह दे देगा, पूछा कि आप लोगोंमें से कितने लोग इन्हीं शर्तोंपर इसी प्रकार अपना एक महीनेका वेतन दे देनेको तैयार हैं। और तबसे आजतक वे बराबर हमारे शत्रु रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे प्रतिरक्षा सेनाके कर्नल हैं, जिसके कार्य-कलाप जाँचका विषय है, वे अनेक जमींदारोंके कानूनी सलाहकार भी हैं और मौजूदा आन्दोलनके दरम्यान उन्होंने साफ-साफ कहा है कि तीन पौंडी करको रद्द नहीं करना चाहिए। आयोग केवल न्यायिक ही नहीं राजनीतिक भी है, और वह मात्र दुर्व्यवहारके मामलोंकी जाँच ही नहीं करेगा, बल्कि भावी नीतिकी भी सिफारिश करेगा। किन्तु यह असम्भव है कि अध्यक्ष नीतिके सम्बन्धमें अपने साथियोंके विचारोंपर नियन्त्रण रख सकेंगे। हमारी शिकायतोंकी जाँच करनेके लिए सर्वश्री एसेलेन और वाश्लीको नियुक्त करना और उनकी नियुक्तिपर हमारे विरोधोंको उनकी निष्पक्षतापर अनावश्यक आक्षेप बताकर हमें बदनाम करना जलेपर नमक छिड़कना है। दक्षिण आफ्रिकाके लगभग सभी समाचार-पत्र आयोगमें और भी सदस्योंको शामिल करनेके हमारे सुझावोंका औचित्य स्वीकार करते हैं, और कई प्रभावशाली पादरी तथा अन्य यूरोपीय मित्र वर्तमान गतिरोधको दूर करके हमें न्याय दिलानेका प्रयत्न कर रहे हैं। यदि बात सिर्फ कोड़े लगाने, सैनिकोंकी कार्रवाइयों तथा अन्य दुर्व्यवहारोंके आरोपोंकी जाँच तक ही सीमित होती तो हम मात्र विलियम सॉलोमनके सामने गवाहियाँ देनेको तैयार हो जाते, किन्तु इस जाँचमें तो हमारी शिकायतोंकी जाँच भी शामिल है। हमारी रिहाईसे पूर्व सारे दक्षिण-आफ्रिकामें सभी भारतीय केन्द्रोंमें सार्वजनिक सभाएँ की गईं, जिनमें आयोगके सदस्योंके विरुद्ध जोरदार विरोध प्रकट किया गया और सर्वश्री एसेलेन और वाश्लीके कुप्रभावको प्रति-संतुलित करनेके लिए इन्साइन्स और न्यायमूर्ति रोज-इन्स की

नियुक्तिकी माँग की गई। अपनी रिहाईके तुरन्त बाद स्थितिको ठीकसे समझते ही, हमने मंत्रालयको एक पत्र लिखा, जिसमें आयोगमें इन लोगोंको शामिल करनेकी माँग की। जिस रूपमें हमने यह माँग प्रस्तुत की, उसपर आपत्ति की गई है, परन्तु हमारे सामने बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया है और ऐसे मौकोंपर कोई कदम उठानेके तरीकेकी अच्छाई-बुराईका ठीकसे ध्यान रखना बराबर आसान नहीं होता। भारतीय सदासे इस बातपर जोर देते आये हैं कि चूँकि भारतीय समाज मताधिकारहीन है, इसलिए जिन मामलोंमें समाजके महत्त्वपूर्ण हितोंका सम्बन्ध हो, उनके बारेमें कमसे-कम अनौपचारिक रूपसे तो अवश्य ही उससे सलाह-मशविरा कर लिया जाये। वर्तमान आयोगके गठनमें न केवल भारतीयोंकी भावनाका कोई खयाल ही नहीं रखा गया, बल्कि उसे बुरी तरह कुचला गया है। यूरोपीय रेलवे कर्मचारियोंकी शिकायतोंके सिलसिलेमें हालमें जो गतिरोध पैदा हो गया था, उसमें तो मत-संग्रहकी व्यवस्था करके उन्हें अपना एक प्रतिनिधि चुननेकी अनुमति दे दी गई। हम तो केवल अनौपचारिक रूपसे हमसे सलाह-मशविरा करनेकी माँग कर रहे हैं। जेलसे निकलनेपर हमने अपने देश भाष्योके क्षोभको अपनी परकाष्ठापर पाया। उसका कारण था कोड़े लगानेकी वे वारदातें, जिन्हें उन्होंने अपनी आँखोंसे देखा था, गोलियों चलनेकी वे घटनाएँ, जिनका कोई औचित्य नहीं था और इसी प्रकारके और भी अनेक दुर्ब्यवहार। और अपनी सजाकी अवधि पूरी करके जेलसे आनेवाले लोगोंने समाजके सामने जेलमें सत्याग्रहियों—जिनमें महिलाएँ भी शामिल थीं—के साथ किये जानेवाले व्यवहारके जो हृदय-विदारक विवरण प्रस्तुत किये थे, उनसे उसकी क्षोभकी भावना और भी उग्र हो उठी थी। अबतक हमें इस देशमें जेलके जितने भी अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनमें कभी भी हमारे साथ ऐसी बेमिसाल क्रूरताके साथ व्यवहार नहीं किया गया। वार्डर हमारा अपमान करते थे। जूल् वार्डर जब-तब हमें मार बैठते थे, कम्बल तथा अन्य आवश्यक सामान नहीं दिये जाते थे और हमें जूल् लोगों द्वारा बुरी तरह पकाया हुआ खाना दिया जाता था। इस सबसे भूख हड़ताल करनेकी जरूरत पड़ी, जिसमें बहुत ही कष्ट सहना पड़ा। आपके लिए इन बातोंको जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप भारतीयोंकी उस मनोदशाको नहीं समझ सकेंगे, जिस मनोदशामें वे स्थितिपर विचार करने और अपना आगेका कदम निश्चित करनेके लिए २१ दिसम्बरको एक आम सभामें एकत्र हुए थे। सभामें केवल एक ही भावना व्याप्त थी और वह यह कि यदि हममें जरा भी आत्मसम्मान है तो हमें आयोगको तबतक स्वीकार नहीं करना चाहिए जबतक उसमें कुछ इस ढंगका संशोधन नहीं कर दिया जाता जो भारतीयोंको अनुकूल पड़े। इसके अतिरिक्त हम वास्तविक सत्याग्रही कैदियोंको—जिनमें हम उन लोगोंको शामिल नहीं करते जिन्हें सचमुच हिंसात्मक कार्रवाईके कारण सजा देकर उचित ही किया गया—छोड़नेकी माँग करेंगे। हम सबने ईश्वरकी साक्षी मानकर यह गम्भीर शपथ ली कि यदि ये शर्तें पूरी नहीं की जाती तो हम पुनः अपना सत्याग्रह संवर्ष जारी कर देंगे। अब हमारा यह निश्चय है कि चाहे जो भी हो, हम इस शपथपर कायम रहेंगे। इस संवर्षमें हम आत्मिक अस्त्रोंसे लड़ रहे हैं, और हमारे लिए अपनी पवित्र शपथसे पीछे हटनेका कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा, इस मामलेमें ऐसा नहीं है कि नेता लोग समाजको उकसाकर यह सब करवा रहे हों। इसके विपरीत अपनी शपथपर डटे रहनेका समाजका निश्चय इतना दृढ़ है कि यदि किन्हीं नेताओंने आयोगमें जिस ढंगसे सुधार सुझाये गये हैं उस ढंगके सुधार किये बिना उसे स्वीकार करनेकी सलाह दी तो निसन्देह वे मार डाले जायेंगे; और मैं कहूँगा कि ऐसा करना उचित भी होगा। मेरा खयाल है हम सफल हो रहे हैं। कई प्रभावशाली यूरोपीय, जिनमें कुछ पादरी भी हैं, हमारी स्थितिको न्यायोचित मानते हुए हमारी मददके लिए काम कर रहे हैं और हमने अभी यह आशा नहीं छोड़ी है कि शायद समस्याका कोई हल निकल आये। अपनी बात खत्म करनेसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इस सारे संकटमें दो चीजोंसे हमें बहुत ढाढ़स बँधा है और हमारा उत्साह बना रहा है। एक तो परम-श्रेष्ठ वाइसरायका वह अप्रतिम साहस है जिसके साथ उन्होंने हमारे उद्देश्यकी जबरदस्त वकालत की है,

और दूसरी चीज है वह हार्दिक सहायता, जो हमें भारतसे मिली है। अब हम तबतक कुछ नहीं करेंगे जबतक कि सर बेन्जामिन रॉबर्ट्सन यहाँ पहुँच नहीं जाते। यहाँ हम पूरे सम्मान तथा विश्वासके साथ उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि एक तो आपने हमें बताया कि उनमें हम एक घनिष्ठ मित्र पायेंगे और दूसरे उन्हें वाइसरायने नियुक्त किया है, जिनके हम बहुत कृतज्ञ हैं। परन्तु जबतक आयोगकी किसी तरह ऐसा रूप नहीं दे दिया जाता कि वह हमें और अधिक स्वीकार्य हो, तबतक तो मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे सत्याग्रहकी पुनरावृत्तिको टाला जा सके। हम जानते हैं कि इसके परिणाम-स्वरूप बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम यह सब नहीं चाहते हैं, परन्तु यदि ऐसा करना आवश्यक हुआ तो हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, १-१-१९१४

परिशिष्ट २०

गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश

प्रिटोरिया

जनवरी २२, १९१४

बादमें हम दो के बीच हुई बातचीतमें जनरल स्मट्सने मुझे बताया कि श्री गांधीने शासनसे सम्बन्धित जो दो मुद्दे उठाये उनके कारण तो कोई कठिनाई नहीं होगी और अगर विवाह-सम्बन्धी प्रश्नके बारेमें उनके प्रस्तावका आशय हमने ठीक समझा है तो उसके बारेमें भी नहीं होगी। लेकिन तीन-पौंडी कर खत्म करना काफी मुश्किल होगा, यद्यपि अन्तमें उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए श्री गांधीको उनकी माँगकी सारभूत वस्तु तो दी जा सकती है लेकिन जनरल स्मट्सका कहना था कि [इस सुलहके शाब्दिक] रूपके विषयमें वे श्री गांधीकी इच्छाओंकी पूर्ति कैसे करेंगे, यह उन्हें अभी साफ नजर नहीं आ रहा है। वे कहते थे कि अगर वे नीतिके विषयमें सरकार द्वारा नियुक्त आयोगकी उपेक्षा करके और हाल ही में जो-कुछ हुआ है उसे नजर-अन्दाज करके श्री गांधीसे समझौता कर लेते हैं तो वे और उनके साथी बड़ी अशोभन और शायद असह्य स्थितिमें पड़ जायेंगे; साथ ही अगर कोई ऐसा समझौता शक्य है जिसे सब पक्ष अन्तिम मानकर स्वीकार कर लें तो उन्होंने कहा कि उसे कार्यान्वित करनेमें वे अनावश्यक देर नहीं लगाना चाहेंगे और तदर्थ जरूरी कानून अगले ही सत्रमें पास करा लेना चाहेंगे। लेकिन जबतक उन्हें आयोगकी सिफारिशोंका बल प्राप्त न हो तबतक उन्हें इस बातमें सन्देह है कि वे वैसा कानून पास करा सकेंगे। इसी तरह उन्हें इस बातमें भी सन्देह है कि यदि पेश की जानेवाली हर एक भारतीय शिकायतपर गवाही ली जानी हो तो आयोग अपनी सिफारिशों समय रहते दे सकेगा। सवालपर इस दृष्टिसे विचार किया जाये तो श्री गांधीका विकल्पके रूपमें दिया हुआ दूसरा सुझाव मान लेनेसे, यानी, आयोगमें सर जेम्स रोज-इन्स या श्री झाश्नरकी वृद्धिसे भी स्थितिमें कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए यदि श्री गांधीके इस सुझावके खिलाफ कोई दूसरी आपत्ति न भी होती तो भी वह स्वीकार्य नहीं ठहरता। जनरल स्मट्सकी राय यह है कि अगर श्री गांधीके साथ कोई प्रगट वादा किये बिना ऐसा किया जा सके तो नीतिके प्रश्नके विषयमें आयोगकी जाँच-पढ़तालका कार्य उनके द्वारा निर्दिष्ट चार मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए।

मन्त्रिमण्डलसे और विचार-विमर्श करनेके बाद जनरल स्मट्सने श्री गांधी तक पहुँचा देनेके लिए सर बेन्जामिन रॉबर्ट्सनको अपना निर्णय सूचित किया। उनके निर्णयका सारांश यह था कि सरकार

आयोगके गठनमें या उसे जॉचके लिए जो मुद्दे सौंपे गये हैं उनमें परिवर्तन करनेके लिए राजी नहीं हो सकती और न वह उन्हें [जनरल स्मट्सको] ऐसा अधिकार दे सकती है कि वे श्री गांधीको आयोगकी रिपोर्टके बारेमें उनके माँगें हुए आश्वासन पहलेसे देकर उनके साथ समझौता कर लें। आयोग अपना काम जैसा तय हो चुका है उसी प्रकार करता रहेगा, लेकिन उससे यह कहा जायेगा कि वह नीतिके बारेमें अपनी सिफारिशें इतनी जल्दी पेश कर दे कि सरकार तत्सम्बन्धी कानून संसदके आगामी सत्रमें ही पेश कर सके। ऐसी परिस्थितियोंमें यदि श्री गांधी अपनी प्रतिज्ञाके कारण [आयोगके सामने] गवाही देनेमें अपनेको असमर्थ पायें तो वे उसकी कार्रवाईमें भाग न लें, लेकिन उन्हें अपने चार मुद्दोंपर आयोगकी सिफारिशों और सरकारके श्राद्धोंके बारेमें कोई विशेष आशंका नहीं रखनी चाहिए। हाँ, आयोग अपनी रिपोर्ट दे और सरकारको उसपर उचित कार्रवाई करनेका मौका मिले, तबतक के लिए श्री गांधीको सत्याग्रह-संग्राम पुनः शुरू न करनेका वचन देना चाहिए। मन्त्रीने अपना यह आश्वासन भी फिरसे दुहराया कि उन्हें कर्नल वाश्लिके विचारोंकी तो कोई जानकारी नहीं है किन्तु उन्होंने कुछ ही समय पूर्व आयोगके अध्यक्ष और श्री एसेलेनका मन ट्योलनेकी कोशिश की थी और उनका [मन्त्रीका] विश्वास है कि उनकी सिफारिशें श्री गांधीको सन्तोष देनेवाली होंगी।

इसके बाद मन्त्रीके साथ श्री गांधीकी भेंट और बातचीत होती रही, जिसके फलस्वरूप दोनोंके बीच एक समझौता हो गया है। यह समझौता विगत कलकी तारीखके पत्र-व्यवहारमें, जो साथमें भेजा जा रहा है, शब्द-बद्ध हुआ है। आप देखेंगे कि उसमें श्री गांधीको कोई आश्वासन तो नहीं दिया गया है, किन्तु सरकारने यह जरूर कहा है कि वह चाहती है कि समझौता जल्दी ही हो जाये। श्री गांधी और उनके मित्र, आयोगके सामने गवाही देनेके लिए नहीं आयेंगे, किन्तु जनरल स्मट्सने श्री गांधीसे भेंट करना मंजूर करके उन्हें अपने विचार सुनाने और समझानेका जो मौका दिया है उसके एवजमें वे [श्री गांधी और उनके मित्र] सर वेंजामिन राबर्ट्सनको उनकी अपनी गवाही तैयार करनेमें मदद करेंगे। वे लोग आयोगकी रिपोर्ट की और संसदमें तत्सम्बन्धी विधेयक पेश होनेकी राह देखेंगे और तबतक के लिए सत्याग्रह स्थगित रहेगा। उसमें प्रामाणिक सत्याग्रहियोंकी रिहाईकी माँग की गई है और मन्त्रीने उसके उत्तरमें समझाया है कि वह तो सरकार कर ही चुकी है। भारतीयोंकी हड़तालके समय, हड़तालियोंके साथ किये गये दुर्व्यवहारके आरोपोंके सम्बन्धमें, श्री गांधीके अपने-ही सुझावपर, उन्होंने और उनके मित्रोंने अब आगे और कोई कार्रवाई न करनेकी बात कही है। सरकार इन आरोपोंका जोरदार खण्डन करती रही है और अब भी उसका वही मत है, किन्तु इस सम्बन्धमें अपने पक्षमें अब वह गवाही पेश नहीं करेगी। लेकिन साथ ही उसने आयोगसे एस्पेरेन्जा और माउण्ट एजकम्बमें गोली चलनेकी वारदातोंकी जाँच करनेको कहनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। इस पत्र-व्यवहारमें आप देखेंगे, श्री गांधीने अपने पुराने चार मुद्दोंमें एक नया मुद्दा और जोड़ दिया है; उन्होंने माँग की है कि कानूनका न्यायोचित अमल हो और निहित अधिकारोंका समुचित आदर किया जाये। माँग इतनी अस्पष्ट है कि उससे किसी हानिकी संभावना नहीं है और उसके कारण कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सन् १८९५ के नेटाल अधिनियम १७ के मातहत दिये जानेवाले परवानेके विषयमें भी अपनी माँगमें थोड़ा-सा फर्क किया है। पहले उनकी माँग यह थी कि वार्षिक परवानेकी जगह स्थायी परवाना दिया जाये, लेकिन अब मालूम पड़ता है वे यह चाहते हैं कि भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीय गिरमिटकी अवधि समाप्त करके लगातार तीन साल तक यहाँ रहकर, अधिवासका अधिकार प्राप्त करें, और उसके बाद — सुत्रायनके मामलेमें हुए निर्णयके अनुसार — परवाना लेनेकी फिर जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह तो तफसीलकी बात है और सरकार इस सम्बन्धमें निःसन्देह आयोगकी सिफारिशसे प्रभावित होगी। मैं यह भी कहता हूँ कि कल शामको जब श्री गांधीको श्री जॉर्जेंसका पत्र मिला तो जिस हेतुसे उन्होंने भारतीयोंके प्रति दुर्व्यवहारके आरोपोंके सम्बन्धमें आगे कुछ कार्रवाई न करनेका निश्चय किया है उसका उस

पत्रमें कोई स्पष्ट उल्लेख न देखकर वे बहुत क्षुब्ध हुए थे। उनके असन्तोषको दूर करनेके लिए जनरल स्मट्सने पत्रमें आवश्यक शब्द और डलवाये। ये शब्द पत्रके तीसरे वाक्यमें हैं। उन्हें श्री गांधीने खुद ही सुझाया था। सुना है कि उससे उन्हें सन्तोष हो गया है और आज वे नेटाल जा रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स : ५५१/५४

परिशिष्ट २१

गृह-मन्त्रीका पत्र

प्रिटोरिया

जनवरी २१, १९१४

महोदय,

आपके आज-ही के पत्रके संदर्भमें मन्त्री महोदयके आदेशानुसार मुझे उत्तरमें यह कहना है कि आपका यह कथन ठीक है कि नेटालमें अभी हालमें होनेवाली भारतीयोंकी हड़तालकी जाँच करनेके लिए नियुक्त आयोग (कमीशन) के सदस्योंमें या उसके विचारार्थ विषय-सूचीमें परिवर्तन करनेका कोई विचार नहीं है। मन्त्री महोदयको खेद है तथापि वे यह अवश्य समझते हैं कि कमीशनके बारेमें दी गई अपनी सार्वजनिक घोषणाओंसे आप इतने बँध चुके हैं कि आपका उसके सामने उपस्थित होना सम्भव नहीं रहा। आप जिस कारण किसी अन्य न्यायाधिकरणके सामने अपने विरुद्ध मानहानिका दावा पेश करके पुराने घावोंको हरा नहीं करना चाहते, उसका भी वे अनुमान लगा सकते हैं।

भारतीय सत्याग्रहियों और हड़तालियोंके विरुद्ध निर्दय या अनुचित कार्रवाईके आरोपोंका सरकार इससे पहले भी खण्डन कर चुकी है और आज भी उतने ही जोरदार शब्दोंमें दृढ़तापूर्वक उसका खण्डन करती है। किन्तु चूँकि आपने और आपके मित्रोंने आयोगके सामने उपस्थित न होने और उन आरोपोंके समर्थनमें सबूत पेश न करनेका निश्चय कर लिया है, इसलिए सम्भावना तो यह है कि आयोगके सामने जाँच करनेके लिए कोई आरोप ही न रहे। सरकारको इस बातका खेद रहेगा कि [आप लोगोंके असहयोगके] फलस्वरूप उसे अपने अपत्सरोके आचरणको निर्दोष सिद्ध करनेके लिए जवाबी सबूत पेश करनेका अवसर नहीं मिलेगा। किन्तु वह सोचती है कि अगर जवाब देने योग्य कोई ठोस मामला-ही न हो तो आयोगके सामने उन आरोपोंकी चर्चासे समय ही नष्ट होगा। सरकार चाहती है कि भारतीयोंकी शिकायतोंसे सम्बन्धित अधिक व्यापक प्रश्नोंपर आयोगकी सिफारिशें यथासम्भव जल्दी-ही प्राप्त हो सकें ताकि उनके सम्बन्धमें संसदके आगामी सत्रमें प्रस्ताव रखे जा सकें। ऐसी आशा की जाती है कि ये प्रस्ताव यदि संसद द्वारा स्वीकार कर लिये गये तो सन्तोषजनक और स्थायी समझौता होना निश्चित हो जायेगा। सरकारकी दृष्टिमें यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लम्बे अरसेसे चले आ रहे विवादोंका निपटारा हो जाये। वह आयोगकी कार्रवाशियोंमें व्यापक प्रश्नोंके मुकाबले अपेक्षाकृत छोटे-मोटे और नगण्य मुद्दोंकी जाँचके कारण विलम्ब पैदा करके — क्योंकि अप्रत्याशित कारणोंसे पहले ही विलम्ब हो चुका है — अपनी उपलब्धियोंको खतरेमें नहीं डाल सकती। आयोगकी जाँच तो मजबूरन एकतरफा ही होगी। अतः यदि हालमें हुए उपद्रवोंके दौरान सत्याग्रहियों और हड़तालियोंके साथ दुर्व्यवहारके ठीक-ठीक मामले आयोगके सामने रखनेसे भारतीयोंने इनकार किया तो सरकार अपने और अपने अधिकारियोंके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंका खण्डन करनेके लिए कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझती, किन्तु उक्त कार्योंको उचित समझने

या आयोगसे उन घटनाओंकी जाँच करनेको कहनेका उसे अधिकार रहेगा, जिनके फलस्वरूप एस्पेरेन्जा और एज़कम्बमें कुछ लोगोंकी प्राणहानि हुई थी।

जहाँतक प्रामाणिक सत्याग्रही हड़तालियोंको साधारण अथवा घोर अपराधियोंके लिए बनी जेलोंसे छोड़नेकी आपकी प्रार्थनाका प्रश्न है, न्याय-विभागने आपका पत्र आनेसे पहले ही जो थोड़ेसे कैदी जेलोंमें रह गये थे उनकी रिहाईके लिए आदेश दे दिया था।

अपने पत्रके अन्तमें आपने जिन शिकायतोंको संक्षेपमें कहा है उनके बारेमें, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सरकार कोई कदम उठानेसे पहले आयोगकी सिफारिशोंकी प्रतीक्षा करेगी।

आपका,

ई० एम० जॉर्जस

गृह-सचिव

श्री मो० क० गांधी

प्रिटोरिया

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९२६) की फोटो-नकलसे।

परिशिष्ट २२

गवर्नर-जनरलसे ऐण्ड्र्यूजकी मुलाकात^१

[प्रिटोरिया

जनवरी १३, १९१४]

मंगलवारको बिलकुल निजी तौरपर ऐण्ड्र्यूजसे मेरी बातचीत हुई। मैं उनसे प्रभावित हुआ और मुझे यह लगा कि श्री गांधीके सोचनेके ढंगसे उनका घनिष्ठ परिचय है। उन्होंने कहा कि श्री गांधीकी दो महत्वपूर्ण माँगें हैं : (१) किसी भी व्यक्तिकी एक पत्नीको कानूनी मान्यता प्राप्त हो, और (२) तीन-पौंडी कर रद्द कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि इससे कुछ ही कम महत्वपूर्ण बात यह मानी जाती है कि कोई ऐसा समझौता हो जाये जिससे दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंको केप प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत केप प्रान्तमें निर्बाध रूपसे प्रवेश करनेका जो अधिकार प्राप्त था, वह पुनः स्थापित हो जाये। श्री ऐण्ड्र्यूजने मुझे भरोसा दिलाया कि श्री गांधी समान-मताधिकारका कोई दावा नहीं करेंगे; और वे एशियास्थियोंको दक्षिण आफ्रिकासे बाहर रखनेकी नीतिको भी पूरी तरह स्वीकार करते हैं। श्री ऐण्ड्र्यूजका कहना है कि जहाँ तक दंगोंकी जाँचका सवाल है, श्री गांधी आयोगको स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं। अगर राजनीतिक शर्तें मान ली जाती हैं तो उससे स्थितिका हल निकल आयेगा और फिर आयोगको आगे कुछ करनेकी जरूरत नहीं रह जायेगी। अगर वे स्वीकार नहीं की जाती तो उससे एक बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो जायेगी, क्योंकि श्री गांधीने अन्य अनेक देशभाषियोंके साथ यह प्रतिज्ञा ली है कि जब तक बुनियादी बातोंमें उन्हें संतुष्ट नहीं कर दिया जाता तबतक वे आयोगको स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूपसे मुझे तो आपके कथनानुसार श्री गांधी जो-कुछ चाहते हैं, उसको स्वीकार कर लेनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह हो सकता है कि मन्त्रिगण बिना किसी शर्तके वादे कर देनेमें अपने-आपको असमर्थ पायें, क्योंकि सम्भव है, राजनीतिक परिस्थितिके कारण वे इस

१. यह उपनिवेश-कार्यालयको १४ जनवरी, १९१४ को भेजे गये गवर्नर-जनरलके खरीतिका अंश है।

बातकी पूरी गारंटी नहीं दे पायें कि राहत-सम्बन्धी कानून पास कर दिया जायेगा। श्री ऐण्ड्यूजने कहा, मुझे लगता है कि शायद श्री गांधीकी प्रतिज्ञा [आयोगके सामने बयान देनेमें] एक दुस्तर बाधा सिद्ध हो। मैंने कहा कि श्री गांधी दंगोंके बारेमें तो गवाही दे सकते हैं; क्योंकि गवाही देनेकी ऐसी तत्परता तो स्वयं उन्होंने व्यक्त की है। इस परिस्थितिमें वे अनुमति लेकर अदालतमें भी अपनी शर्त पेश कर सकते हैं, दलीलें दे सकते हैं और कह सकते हैं कि यद्यपि मैं तथ्यके मामलोंमें निर्णय देनेकी आयोगकी क्षमता और सत्ताको पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने और अपने साथियोंके लिए यह अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रखता हूँ कि राजनीतिक सिद्धान्तके मामलेमें तथा अन्तरात्माके निर्देशसे सम्बन्धित बातोंमें हम चाहे जो रास्ता अपना सकते हैं। मुझे आशा है कि आयोग सही निर्णय ही देगा, लेकिन न मैं और न मेरे साथी ही आगे कोई गवाही दे सकते हैं। श्री ऐण्ड्यूजने कहा कि इस सुझावसे कुछ आशा तो बँधती है; किन्तु जहाँ अन्तरात्माके निर्देशका सवाल हो, वहाँ श्री गांधीको कोई बात डिगा नहीं सकती। इस सुझावके बावजूद प्रतिज्ञाके कारण बहुत बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। पहले एक अवसरपर जोहानिसबर्गमें दो पठानोंने श्री गांधीको मार डालनेकी कोशिश की थी, क्योंकि प्रतिज्ञा लेनेके बाद उन्होंने समझौता कर लिया था। लेकिन, अगर सरकारके आश्वासन सन्तोषजनक नहीं हुए तो मैं श्री गांधीको यह रास्ता अपनानेके लिए प्रेरित करनेकी पूरी कोशिश करूँगा। आगे उन्होंने कहा कि यों तो श्री बेंजामिन रॉबर्टसन एक सुयोग्य अधिकारी हैं, किन्तु वे, श्री गांधीका मस्तिष्क जिस सूक्ष्म और संवेदनशील तरीकेसे काम करता है, उसे समझ नहीं पायेंगे। मैंने यह सूचना जनरल स्मट्सको दे दी है। मैं नहीं कह सकता कि श्री ऐण्ड्यूजने श्री गांधीके विचारोंका जो स्पष्टीकरण किया है वह कहीं तक सही है, लेकिन उन्होंने जो-कुछ कहा वह यदि सही जानकारीपर आधारित हो तो स्थिति अपेक्षाकृत अधिक आशाजनक जान पड़ती है। इसके अतिरिक्त आज सरकार भी ऐसी स्थितिमें है कि वह सारे मामलेपर पहलेकी अपेक्षा अधिक आसानीसे उदार दृष्टिकोण अपना सकती है। पिछली कुछ घटनाओंके कारण सरकारकी सत्ता और प्रतिष्ठामें कुछ कमी-सी आ गई थी किन्तु उसने इङ्गलैंडके सिलसिलेमें जिस दृढ़ता और साहससे काम लिया, उससे परिस्थिति फिर जैसीकी-तैसी हो गई है। श्री गांधीके सरकारकी परेशानीके दिनोंमें शांति बनाये रखनेकी बातकी सरकार काफी कद्र करती है। अगर अब ब्रिटिश भारतीयोंके साथ रियायत की जाती है तो कोई नहीं कहेगा कि वह डरकर की गई है। अतएव, मेरा हार्दिक विश्वास है कि परिणाम सन्तोषजनक हो सकता है।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स: ५५१/५३

परिशिष्ट २३

सॉलोमन-आयोगकी रिपोर्टके अंश

चूँकि आयोग (कमीशन) की सिफारिशोंपर आधारित विधेयकके शीघ्र ही प्रकाशित होनेकी आशा है, इसलिए हम उस रिपोर्टसे यहाँ ज्यादा उद्धरण नहीं देंगे। इसके अलावा, पूरी रिपोर्टकी प्रति केप-टाउनमें ९ पैसे देकर प्राप्त की जा सकती है। यहाँ हम उसके कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे अवश्य दे रहे हैं। विवाह और ३ पौंडी कर सम्बन्धी प्रश्नोंके बारेमें रिपोर्टकी विस्तृत योजनाका संक्षिप्त सार प्रस्तुत कर सकना हमारे लिए सम्भव नहीं हो सका है, इसलिए हम इन दोनों मुद्दोंपर कमीशनकी सिफारिशोंका पूरा पाठ ज्योंका-त्यों दे रहे हैं। रिपोर्ट ३८ फुलस्केप पृष्ठोंकी है और हम उसमें से निम्नलिखित अंश यहाँ ले रहे हैं:

समाजके असहयोगके प्रश्नपर

सर्वश्री गांधी, पोलक और कैलेनवैककी रिहाईकी सिफारिश आयोगने जिस उद्देश्यको दृष्टिगत रखकर की थी, दुर्भाग्यवश वह उद्देश्य इन नेताओं द्वारा अपनाये गये रवैयेसे बहुत हद तक विफल हो गया।

भारतीय समाजकी कथित शिकायतोंको दूर करानेकी गरजसे आयोगके सामने समाजका मामला पेश करके, और हड़तालके सिलसिलेमें जेलकी सजा पानेवाले व्यक्तियोंपर अत्याचारके गम्भीर आरोपोंको सिद्ध करनेके लिए सबूत देकर उसकी सहायता करनेके बजाय नेताओंने विभिन्न कारणोंसे, जिनका उल्लेख करना अनावश्यक है, उसकी सर्वथा उपेक्षा करनेका निश्चय किया। फलस्वरूप आयोगके सामने भारतीय समाजकी ओरसे कोई वकील ही नहीं बल्कि श्री गांधीकी सलाहपर अत्याचारके आरोप सिद्ध करनेके लिए कोई गवाह भी उपस्थित नहीं हुआ।

भाग्यवश, हमारी बैठकोंके अन्तिम अवसरपर कुछ थोड़ेसे भारतीय मुख्यतः भारतीय समाजके मुस्लिम वर्गके सदस्य, जो नेटाल भारतीय कांग्रेसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हमारे सामने उपस्थित हुए और काफी मूल्यवान और महत्त्वपूर्ण बयान दिये। जॉचके अगले दौरमें, २३ से २७ फरवरी तक आयोगकी बैठक केप टाउनमें हुई, और इसमें अन्य बहुतसे भारतीयोंने, जो विभिन्न संस्थाओंके प्रतिनिधि होनेका दावा करते थे, बयान दिये। इनमें से तीन व्यक्ति तो इसी उद्देश्यसे ट्रान्सवालसे आये थे। हम समझते हैं कि इन लोगोंने श्री गांधी द्वारा आयोगकी उपेक्षा करनेकी अपने देशवासियोंको दी गई सलाह अस्वीकार करके ठीक ही किया। उपस्थित होकर और बयान देकर उन्होंने हमें कतिपय विषयोंपर महत्त्वपूर्ण सूचना दी, और इस प्रकार हमारी रायमें उन्होंने भारतीय समाजकी काफी सेवा की।

हड़तालके कारणोंके बारेमें

हमें जो विभिन्न नीली पुस्तिकाएँ उपलब्ध हुईं उनमें संकलित प्रमाणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हड़तालका तात्कालिक कारण १९१३ के प्रवासी नियन्त्रण अधिनियमकी व्यवस्थाओंसे भारतीय समाजके नेताओंका असन्तोष था।

श्री गांधी जब इन मुद्दोंपर मन्त्रीसे सन्तोषजनक आश्वासन पा सकनेमें विफल हो गये तब उन्होंने जान-बूझकर एक ऐसा गंभीर कदम उठानेका निश्चय किया जिसका तात्कालिक परिणाम हड़ताल और उन दंगोंके रूपमें प्रकट हुआ जो इस जॉचके विषय हैं। २८ सितम्बरके अपने पत्रमें, जिसके साथ ही मन्त्री महोदय और श्री गांधीके बीच पत्र-व्यवहार समाप्त हो गया, श्री गांधीने मन्त्री महोदयको सूचित किया है कि अब मेरा मंशा जिन लोगोंको ३ पौंडी कर देना पड़ता है उनसे पूरी शक्ति लगाकर आग्रह करते रहनेका है कि वे कर देनेसे इनकार कर दें और कर न देनेकी सजा भोगें। इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग इस वक्त गिरमिटके अधीन काम कर रहे हैं, और इसलिये गिरमिटकी अवधि समाप्त होनेपर तीन पौंडी कर देनेको बाध्य होंगे, वे भी तबतक हड़तालपर रहें जबतक कि यह कर रद्द नहीं कर दिया जाता।

यह पहला अवसर है जब कि उपर्युक्त पत्र-व्यवहारमें ३ पौंडी करका उल्लेख किया गया था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक ऐसा कर था जिसपर बहुतसे भारतीयोंको बहुत सख्त आपत्ति थी, और सन् १९१२ में जब श्री गोखले दक्षिण आफ्रिका आये थे उस समय उनके और संघ-सरकारके बीच हुई बातोंमें यह एक मुख्य विषय था। भारतीयोंमें तब नेताओंने यह बात फैलाई कि संघ-सरकारने श्री गोखलेसे वादा किया था कि करको रद्द करनेके लिए संसदके अगले सत्रमें एक विधेयक पेश किया जायेगा।

इसीलिए, जब ऐसा कोई विधेयक नहीं पेश किया गया और यही नहीं, जब सरकारने ऐसा वादा करने तक का खण्डन कर दिया तब भारतीय समाजको बड़ी निराशा हुई, विशेष रूपसे नेटालमें श्री गोखलेको वचन दिया गया था या नहीं इसे लेकर जो विवाद उठ खड़ा हुआ है उसपर इस जॉचमें विचार कर सकता

हमारे लिए असम्भव है। हम इतना ही कह सकते हैं कि भारतीयोंको [उनके नेताओं द्वारा] विश्वास दिलाया गया था कि ऐसा वचन दिया गया है, और अपेक्षित विधेयक न पेश किये जानेपर उनके मनमें सरकारके प्रति रोषकी ऐसी प्रबल भावना थी।

भारतीयोंसे सम्बन्धित कुछ अन्य मामले थे जिनकी जाँच करनेका अनुरोध कुछ गवाहोंने हमसे किया; किन्तु हमारी रायमें ये मामले हमारे विचारार्थ निर्धारित विषयोंकी परिधिमें नहीं आते थे। कथित शिकायतोंके बारेमें हमारी जाँच केवल उन शिकायतों तक ही सीमित है जिनका हड़ताल होनेमें कोई हाथ रहा हो। संघमें भारतीयोंकी सामान्य स्थिति और उनपर थोपी गई नियोग्यताओंकी जाँच करना और उनके बारेमें अपनी सिफारिशें देनेका अधिकार हमें नहीं है।

हमारे सामने एक ऐसा मामला भी था जिसके बारेमें यद्यपि आरम्भमें हमें यह दुविधा हुई कि शायद वह हमारे विचारार्थ निर्धारित विषयकी परिधिमें नहीं आता, किन्तु अन्ततः हमने उसके ऊपर गवाहोंके बयान ले लिये। इस आशयकी शिकायतों की गई कि संघके कानूनोंकी, विशेष रूपसे प्रवासी और परवाना अधिनियमोंको भारतीयोंके खिलाफ बहुत सख्ती और निर्ममताके साथ लागू किया जा रहा है। यह उन विषयोंमें से एक था जिनका ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष श्री काछलियाने गृह-सचिवको लिखे गये अपने १२ अगस्त १९१३ के पत्रमें विशेष रूपसे उल्लेख किया था। 'नीली पुस्तिका' सी० डी० ७१११ के पृष्ठ ३६ पर प्रकाशित इस पत्रमें उन्होंने औपचारिक रूपसे सरकारको सूचित किया है कि भारतीय समाज फिरसे सत्याग्रह करनेका विचार कर रहा है और यह भी कहा है कि जबतक इस पत्रमें उल्लिखित वर्तमान कानूनोंके अमलमें अन्य बातोंके अलावा उदारता और न्यायकी भावनासे काम नहीं लिया जाता तबतक यह संघर्ष जारी रखा जायेगा।

भारतीय नेताओं और सरकारके बीच हुए अन्य पत्र-व्यवहारोंमें भी उसी विषयका उल्लेख किया गया है, और २१ जनवरी, १९१४ के अपने जिस पत्रमें गांधीजीने मन्त्री महोदयको कमीशनकी कार्रवाईमें भाग न लेनेके अपने इरादेकी सूचना दी है, उसीमें उन्होंने निम्नलिखित मुद्दोंके बारेमें राहतकी माँग भी की है :

- (१) ऑरेंज फ्री स्टेटका सवाल
- (२) केप कॉलोनीका सवाल
- (३) विवाहका प्रश्न
- (४) तीन पाँडी करको रद्द करनेका प्रश्न
- (५) इस आशयका आश्वासन कि भारतीयोंको विशेष रूपसे प्रभावित करनेवाले मौजूदा कानूनोंको न्यायपूर्वक और निहित अधिकारोंको ध्यानमें रखते हुए अमलमें लाया जायेगा।

इन परिस्थितियोंको देखते हुए हम इस नतीजेपर पहुँचे कि अपनी जाँचकी परिधिमें प्रवासी और परवाना कानूनोंके प्रशासनके मामलेकी जाँचकी भी शामिल कर लेना न्यायसंगत है।

जाँचकी शर्तोंको देखते हुए हम अपनी जाँच उपर्युक्त जाँच-विषयों तक ही सीमित रखनेकी बाध्यता अनुभव करते हैं, और निम्नलिखित ऐसे प्रश्नोंपर विचार नहीं कर सकते जिन्हें कई गवाहोंने हमारे विचारार्थ प्रस्तुत किया था :

- (क) कि एशियाइयोंपर अचल सम्पत्तिका स्वामित्व पाने और स्वर्ण-कानूनके अन्तर्गत अधिकार अर्जित कर सकनेकी रोक लगानेवाले ट्रान्सवालके कानूनोंको रद्द किया जाये।
- (ख) कि सरकारका एक धारा द्वारा ट्रान्सवालके कस्बोंमें भूमिके अस्थायी पट्टों और स्वामित्वके दस्तावेजोंमें सम्पत्तिको एशियाइयोंके नाम भूमि हस्तान्तरित करने या उन्हें भूमिका उपयोग करने देनेका निषेध गैर-कानूनी माना जाये।
- (ग) ऐसे सामान्य प्रश्न — जैसे एशियाइयोंके बच्चोंकी शिक्षाकी उचित सुविधाओंका कथित अभाव; ट्रान्सवालमें पिस्तौल या बन्दूक रखने और ट्रामगाड़ियोंपर सवारीकी मनाही, आदि।

हमारी रायमें इनमें से किसी भी बातका हड़ताल होनेमें कोई हाथ नहीं था, और इनमें से अधिकांश ऐसी थीं जिनका समाधान कानून बनाकर ही किया जा सकता था, प्रशासनिक कार्रवाईसे नहीं; और इसलिए हम ऐसा नहीं मानते कि ये हमारी जाँचके विषय हो सकते हैं।

ऐसी स्थितिमें अब हम उन पाँच विषयोंपर विचार करेंगे जिन्हें श्री गांधीने २१ जनवरी, १९१४ के अपने अन्तिम पत्रमें गिनाया है।

ऑरेंज फ्री स्टेटका सवाल

इसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, और मन्त्री महोदयने इस विषयमें जो आश्वासन दिये हैं उन्हें देखते यह समझ सकना मुश्किल है कि इसे फिरसे उठानेकी क्या जरूरत थी। इसके बारेमें एक ही बात कही जा सकती है और वह यह कि चूँकि १९१३ के अधिनियमके खण्ड ७ के अन्तर्गत शिक्षित भारतीय फ्री स्टेटमें प्रवेश करते ही फ्री स्टेटकी विधि-पुस्तिकाके अध्याय ३३ के खण्ड ८ के अधीन हो जाते हैं। इस खण्डके अन्तर्गत अन्य बातोंके अलावा आवश्यक है कि प्रवेशार्थी किसी रेजिडेंट मजिस्ट्रेटके सामने एक ज्ञापन दे, और चूँकि मन्त्री महोदयने यह मान लिया है कि भविष्यमें ऐसा कोई ज्ञापन देना आवश्यक नहीं होगा, अतः यह वांछनीय होगा कि इस बातको बिलकुल स्पष्ट करनेके लिए अधिनियमके खण्ड ७ में आवश्यक संशोधन कर दिया जाये।

केपमें प्रवेशका सवाल

यह बात स्पष्ट है कि यदि १९११ के अस्थायी समझौतेसे भारतीयोंके मौजूदा अधिकारोंकी रक्षा होती थी, तो शुद्ध कानूनकी दृष्टिसे कहा जाय तो उस समझौतेका उल्लंघन हुआ है। दुर्भाग्यवश इस समझौतेकी शर्तें किसी औपचारिक दस्तावेजमें स्पष्ट रूपसे लिखी हुई नहीं हैं। उन्हें उन दो पत्रोंमें ही देखा जा सकता है जिनका आदान-प्रदान २३ अप्रैल, १९११ को मन्त्री महोदयके निजी सचिव और श्री गांधीके बीच हुआ था।

कहा गया है कि निजी सचिवके २२ अप्रैलवाले पत्रमें मौजूदा अधिकारोंकी बरकरार रखनेका कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया था। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि श्री गांधी और भारतीय समाजने मोटे तौरपर ऐसा समझा कि समझौतेकी शर्तोंमें से एक यह भी है। बादमें लिखे गये श्री गांधीके कई पत्रोंसे, विशेषरूपसे १९१२ में जनवरी और फरवरीमें, और इसके बाद १९१३ में जुलाई और अगस्तमें उनके और निजी सचिवके बीच हुए पत्र-व्यवहारसे यह बात स्पष्ट होती है। उदाहरणार्थ, २४ अगस्त, १९१३ के अपने पत्रमें श्री गांधीने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि “१९११ के अस्थायी समझौतेका निर्धारण करनेवाले पत्र-व्यवहारमें ब्रिटिश भारतीयोंके सभी मौजूदा अधिकारोंकी रक्षाकी व्यवस्था थी।” अन्य पत्रोंमें भी इसी आशयकी बात कही गई है, और कभी किसी अवसरपर मन्त्री महोदय द्वारा इस दावेका खण्डन नहीं किया गया। सच तो यह है कि पत्रोंको पढ़नेसे ऐसी धारणा बनती है कि दोनों पक्ष इस विषयमें एकमत थे, और उसपर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ।

यदि परिस्थिति ऐसी हो तो सहज ही यह निष्कर्ष निकलता है कि दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे ऐसे भारतीयोंका, जो १९०६ के अधिनियम ३० की शिक्षा विषयक शर्त पूरी कर सकते हैं, केप कॉलोनीमें प्रवेश नियन्त्रित करके १९११ के अस्थायी समझौतेका उल्लंघन किया गया है। साथ ही श्री गांधी द्वारा मन्त्री महोदयको लिखे गये पत्रसे यह भी स्पष्ट है कि इस कथित शिकायतमें बहुत दम नहीं है।

इस सारे विषयपर व्यावहारिक दृष्टिसे विचार करनेके बाद हम इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि हमारे यह सिफारिश करनेसे कोई लाभ नहीं होगा कि इस काल्पनिक शिकायतको दूर करनेके लिए १९१३ के अधिनियममें ऐसा संशोधन किया जाये जिसे दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंको अधिनियममें निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा दिये बिना केपमें प्रवेश करनेका जो अधिकार प्राप्त था वह पुनः मिल जाये।

इस विषयको समाप्त करनेसे पहले हम एक मुद्देका उल्लेख करना चाहेंगे जिसकी ओर सर बेंजामिन रॉबर्ट्सनने हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। १९१३ के अधिनियमके खण्ड ४, (२) (क) में जो केप और नेटाल प्रान्तोंमें शैक्षणिक शर्तके बारेमें है, उन लोगोंके लिए व्यवस्था है जो अधिनियम लागू होनेके समय कानूनकी रूसे किसी भी प्रान्तमें निवास करनेके अधिकारी थे। हमारा ध्यान इस ओर दिलाया गया कि यह खण्ड जो अधिकार प्रदान करता है उनका लाभ उन लोगोंको प्राप्त नहीं होगा जो अधिनियम लागू होनेके बाद किसी प्रान्तमें रह सकनेके वैध अधिकारी हुए हों, मसलन दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी भारतीयोंका वह बच्चा जो अधिनियम लागू होनेके बाद पैदा हुआ हो।

निश्चय ही यह समझना मुश्किल है कि इस खण्डमें “अधिनियम लागू होनेके समय” शब्दोंको शामिल करनेसे क्या उद्देश्य पूरा होता है, और इसलिए उन्हें निकाल ही दिया जाना चाहिए।

मौजूदा कानूनोंका प्रशासन

अब हम पाँचवी और अन्तिम शिकायतपर आ पहुँचे हैं। श्री गांधीने इसे मन्त्री महोदयको लिखे गये अपने २१ जनवरी, १९१४ के पत्रमें शामिल किया है, और इसमें उन्होंने माँग की है कि भारतीयोंको विशेषरूपसे प्रभावित करनेवाले मौजूदा कानूनोंको न्यायपूर्वक और निहित अधिकारोंका ध्यान रखते हुए अमलमें लानेका आश्वासन दिया जाये। इस विषयपर हमारे सामने जो आवेदनपत्र प्रस्तुत किये गये हैं वे मुख्यतया प्रवासी और परवाना अधिनियमोंके बारेमें हैं, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हमारा विचार अपनी जाँच इन्हीं विषयों तक सीमित रखनेका है।

प्रवासी अधिनियम

प्रवासी विभागके प्रशासनिक तरीकोंके खिलाफ शिकायतोंकी संख्या बहुत ज्यादा थी, मुख्यतः केप कॉलोनीमें। इनमें से कुछके बारेमें हमारी राय है कि वे सिद्ध नहीं की जा सकी हैं; हमारा इरादा उन शिकायतोंका उल्लेख करनेका नहीं है। कुछ अन्य शिकायतें हैं जो हमारी रायमें मुनासिब हैं, और उनके बारेमें हम यथासम्भव संक्षेपमें विचार करेंगे।

परवाना अधिनियम

केप कॉलोनी और नेटालमें व्यापार या धन्धा चलानेके उद्देश्यसे जारी किये जानेवाले परवानोंके सिलसिलेमें परवाना अधिनियमोंके प्रशासनके विरुद्ध आयोगको आवेदनपत्र दिये गये हैं।

इस विषयपर कोई ऐसी सिफारिश करना हमें सम्भव नहीं लगता जिसका कुछ लाभ हो सके।

केप कॉलोनीके अन्य कस्बोंमें, या भीतरी जिलोंमें परवाना कानूनोंके प्रशासनके बारेमें हमारे सामने कोई सबूत नहीं रखे गये, इसलिए उस विषयपर हम कोई बात नहीं कहेंगे।

जहाँतक नेटालका प्रश्न है, वहाँकी प्रणाली केप कॉलोनीमें प्रचलित प्रणालीसे थोड़ी भिन्न है।

हमारे सामने जो सबूत हैं उनसे पता चलता है कि नेटालके नगरोंमें परवाना कानूनका प्रशासन भारतीयोंके खिलाफ उतनी सख्तीसे नहीं होता जितना कि केप टाउनमें, लेकिन भारतीयोंके लिए नगरके उन हिस्सोंको छोड़कर जहाँ लगभग सभी निवासी भारतीय ही हैं और जिन्हें एक तरहसे पशियाई बस्तियाँ माना जा सकता है, नये परवाने पा सकना उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है। कस्बोंके कुछ अन्य भागोंमें अब भारतीयोंके लिए नये परवाने पा सकना लगभग असम्भव है।

नेटालके नगरों और कस्बोंके अलावा शेष नेटालमें एक परवाना अधिकारी है जो सरकारी कर्मचारी है, और जिसके निर्णयोंके विरुद्ध परवाना निकायोंमें अपील की जा सकती है। इस परवाना अधिकारीकी नीति भारतीयोंके प्रति नगरोंके परवाना अधिकारियोंकी अपेक्षा कहीं अधिक उदार है। वस्तुतः उसने हमें बताया है कि वह यूरोपीयों और भारतीयोंके बीच कोई अन्तर नहीं करता।

इस गवाहसे यह एक दिलचस्प तथ्य मालूम हुआ कि जब कोई भारतीय परवानेके लिए प्रार्थनापत्र देता है तो उसके विरुद्ध ५० प्रतिशतसे अधिक आपत्तियाँ दूसरे भारतीयों द्वारा ही उठाई जाती हैं।

इस अधिकारीके विरुद्ध नये परवानोंके बारेमें कोई शिकायत नहीं थी। जो शिकायतें थीं वे केवल नगरों और कस्बोंमें अधिनियमके प्रशासनके तरीकेके विरुद्ध थीं। किन्तु इस विषयपर हम कोई सुझाव नहीं दे सकते। इसमें केवल कानून बनाकर ही कोई कारगर कार्रवाई की जा सकती है, और जो कारण हमने केप टाउनमें परवानोंके प्रश्नकी चर्चा करते हुए दिये हैं उन्हीं कारणोंसे कानूनोंमें कोई संशोधन करनेका सुझाव देनेमें हम असमर्थ हैं।

अब हम श्री गांधी द्वारा गृह-मन्त्रीको लिखे गये अपने पत्रमें गिनाई गई सब शिकायतोंपर विचार कर चुके, किन्तु समाप्त करनेसे पहले हमारी रायमें यह उचित होगा कि रिपोर्टके विभिन्न हिस्सोंमें जो सिफारिशें की गई हैं उन्हें संक्षिप्त रूपमें यहाँ रख दिया जाये।

कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिन्हें अमलमें लानेके लिए कानून बनाना जरूरी होगा; और बाकी दूसरी ऐसी हैं जिनके लिए केवल प्रशासनिक कार्रवाई ही पर्याप्त होगी।

ये सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(१) १९१३ के प्रवासी-नियन्त्रण अधिनियमके खण्ड ५ (छ) को इस प्रकार संशोधित किया जाये ताकि कानून और प्रवासी-विभागकी प्रचलित नीतिमें अनुरूपता स्थापित हो जाये। यह नीति है : “ किसी ऐसे भारतीयकी, जिसे अभी किसी प्रान्तमें निवासका अधिकार है, अथवा जिसे भविष्यमें संघमें प्रवेशकी अनुमति दी जा सकती हो, पत्नी और उसकी नाबालिग सन्तानको प्रवेशकी अनुमति दे दी जाये, फिर चाहे उस भारतीयका विवाह ऐसी पत्नीसे ऐसे धर्मके अनुसार हुआ हो जिसमें बहु-विवाह मान्य है, अथवा चाहे वह पत्नी उन एकाधिक पत्नियोंमें से एक है जिनके साथ उस भारतीयने दक्षिण आफ्रिकासे बाहर विवाह किया हो, बशर्ते कि दक्षिण आफ्रिकामें वह उसकी अकेली पत्नी हो। ”

(२) प्रवासी अधिकारीको प्रत्येक प्रान्तमें रजिस्टर खोलनेके आदेश दे दिये जायें जिसमें दक्षिण आफ्रिकामें तीन या तीनसे अधिक वर्षोंसे निवास कर रहे वे भारतीय, जिनके साथ दक्षिण आफ्रिकामें इस समय एकाधिक पत्नियाँ रहती हैं या पहले कभी रहती थीं, उनके नाम दर्ज कराने होंगे जो, जबतक कि ऐसे भारतीय इस देशमें निवास करते रहें तबतक अपने नाबालिग बच्चोंके साथ भारत जाने या भारतसे आनेको स्वतन्त्र होंगी।

(३) केप कॉलोनीके १८६० के अधिनियम १६ के ढंगका हर-एक कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें भारतीय समाजके भिन्न धार्मिक वर्गोंके पुरोहितोंमें से विवाह-अधिकारियोंकी नियुक्ति करनेकी व्यवस्था हो ताकि ये विवाह-अधिकारी विवाहकी इच्छा रखनेवाले स्त्री-पुरुषका विवाह उन्हींकी धार्मिक रीतियोंके अनुसार सम्पन्न करा सकें।

(४) यथार्थमें जो सम्पन्न हो चुके हैं ऐसे एकपत्नीक विवाहोंको पंजीयनके जरिये वैधता प्रदान करनेके निमित्त कानून बनाया जाये। यहाँ एकपत्नी-विवाहका अभिप्राय किसी पुरुष द्वारा एक स्त्रीसे ऐसी प्रणालीके अन्तर्गत किये गये विवाहसे होगा जो पुरुषको एक अथवा एकाधिक पत्नियोंसे विवाह करनेके अधिकार प्रदान करती है।

(५) नेटाल्के १८९५ के अधिनियम १७ के खण्ड ६ को रद्द कर दिया जाये जिसके अधीन नेटाल्के कतिपय भारतीयोंके लिए प्रतिवर्ष अनुमति या परवाना लेना और ऐसे परवानेके लिए प्रतिवर्ष तीन पौंड शुल्क देना आवश्यक है।

(६) १९१३ के प्रवासी नियन्त्रण अधिनियमके अन्तर्गत शिनाल्ती प्रमाणपत्र जारी करनेकी शर्तोंमें संशोधन करके ऐसी व्यवस्था कर दी जाये जिससे ये प्रमाणपत्र एक सालकी जगह तीन साल तक वैध रहें।

(७) केप टाउनमें प्रवासी-विभागमें एक दुभाषियेकी नियुक्ति की जाये और वह पूरे समयके लिए सरकारी कर्मचारी हो।

(८) किसी प्रार्थी द्वारा इच्छा प्रकट किये जानेपर प्रवासी-विभागसे प्राप्त होनेवाले अनुमतिपत्रों, प्रमाणपत्रों आदिके प्रार्थनापत्रके फार्म उससे जानकारी लेकर कार्यालयके बल्कको भरना चाहिए।

(९) केपटाउन-स्थित प्रवासी विभागमें कुछ मामलोंमें प्रार्थियोंके केवल अँगूठा-निशानी लेनेकी जगह दोनों हाथोंकी सारी अँगुलियोंके निशान लेनेका जो वर्तमान नियम है उसे समाप्त कर देना चाहिए।

(१०) जिस जिलेमें कोई प्रवासी-अधिकारी न हो, वहाँके रेजिडेंट मजिस्ट्रेटको यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह अपने जिलेमें रहनेवाले उन भारतीयोंको अस्थायी रूपसे अनुमति दे सके जो अपने प्रान्तसे संघके किसी अन्य प्रान्तकी यात्रा करना चाहते हैं।

(११) शिनाख्तीके प्रमाणपत्र या अस्थायी अनुमतिपत्रपर जो वर्तमान १ पौंडका शुल्क है, उसे घटाकर बहुत कम कर देना चाहिए और उनकी अवधि बढ़वानेके लिए कोई शुल्क नहीं होना चाहिए।

(१२) किसी भारतीय द्वारा एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तकी यात्राके लिए अनुमतिपत्र जारी करनेकी प्रार्थना करनेपर इस समय यह नीति प्रचलित है कि एक प्रान्तका प्रवासी-अधिकारी दूसरे प्रान्तके प्रवासी-अधिकारीसे तार द्वारा सम्पर्क स्थापित करता है। यह प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए।

(१३) नेटाल प्रान्तके प्रवासी-अधिकारी द्वारा भारतीयोंको दिये गये अधिवास प्रमाणपत्रोंकी, प्रवेशके अधिकारका निर्विवाद प्रमाण माना जाना चाहिए और शिनाख्त होते ही उनके मालिकोंको संघमें प्रवेश मिल जाना चाहिये जिनपर उन्हें पानेवाले भारतीयोंकी अँगूठा-निशानी होती है।

(१४) यदि सम्भव हो तो भारत-सरकारके साथ एक ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि दक्षिण आफ्रिका अपने पतियोंके पास जानेके लिए भारतसे रवाना होनेवाली पत्नियों और बच्चोंकी सरकारी जाँच भारतमें किसी मजिस्ट्रेट या अन्य किसी सरकारी अधिकारी द्वारा की जाये। यदि जाँचके बाद उस अधिकारीको सन्तोष हो कि वह स्त्री और बच्चे दक्षिण आफ्रिकाके उसी आदमीकी पत्नी और बच्चे हैं जिसकी पत्नी और बच्चे होनेका वे दावा करते हैं, तो उसे इस आशयका एक प्रमाणपत्र देना चाहिए, और प्रवासी-अधिकारीको चाहिए कि वह ऐसे प्रमाणपत्रको उसमें उल्लिखित तथ्योंका निर्विवाद प्रमाण माने।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५-३-१९१४

परिशिष्ट २४

गवर्नर-जनरलके खरीतेका अंश

केप टाउन

५ जून, १९१४

महोदय,

पिछले माहकी ३० तारीखके अपने गोपनीय खरीतेमें मैंने निवेदन किया था कि भारतीय राहत-विधेयक और कुछ प्रशासनिक प्रश्नोंपर श्री गांधीने जो मुद्दे उठाये थे उनपर बातचीत करनेके लिए वे जल्दी ही जनरल स्मट्ससे मुलाकात करेंगे। वे पिछले शनिवारको उनसे मिल चुके हैं। मेरी जानकारीके अनुसार जनरल स्मट्सने श्री गांधीको सुझाव दिया कि विधेयकको जल्दी पास करनेकी तात्कालिक आवश्यकताको देखते हुए पहले उससे सम्बन्धित प्रश्नोंपर विचार किया जाये, और प्रशासनिक प्रश्नोंको थोड़े समय तक के लिए उठा रखा जाये; इससे मन्त्री महोदयको उनपर विचार करनेके लिए कुछ ज्यादा समय मिल जायेगा। श्री गांधी इस सुझावसे सहमत हो गये। परिणाम-स्वरूप जनरल स्मट्सने श्री

गांधी द्वारा विधेयकके सम्बन्धमें उठाये गये वे तीनों मुद्दे जिनका उल्लेख मेरे उपर्युक्त खरीतेके अनुच्छेद ३ में है, स्वीकार कर लिये और विधेयकको लोकसभा (हाउस ऑफ असेम्बली) में पेश करनेसे पहले उसमें आवश्यक संशोधन करनेका निर्देश दे दिया ।

२. इसी माहकी तीन तारीखके मेरे तारसे आपको ज्ञात हो गया होगा कि विधेयक गत मंगलवारको पेश किया गया और उस दिन उसका प्रथम वाचन पूरा हो गया; उसके द्वितीय वाचनके लिए यही ८ तारीख नियत की गई है । विधेयकके मूल पाठमें किये गये परिवर्तन भी तार द्वारा आपको भेज दिये गये हैं । वह अब जिस रूपमें पेश किया गया है उसकी प्रतियाँ मेरे इसी ५ तारीखके खरीता-संख्या ३६२ के साथ भेजी जा रही हैं ।

३. धारा २ (१) (क) में से “ इस अधिनियमके लागू होनेके समय ” शब्द निकालकर, और “ मौजूद थी ” की जगह “ मौजूद है, ” शब्द डालकर श्री गांधीका मुद्दा पूरा कर दिया गया । “ मान्यता-प्राप्त ” के पहले “ उस समय ” शब्द बरकरार रखा गया है, लेकिन मुझे यह पता नहीं कि इसे जान-बूझकर रखा गया है या भूलसे रह गया है । मैं इसकी जाँच कर रहा हूँ; बहरहाल, यह कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती कि इसे महत्व दिया जाये । गत माह १६ तारीखके गोपनीय खरीते, संख्या ४, के साथ भेजे गये पिछले मसविदेमें भारतीय विवाहके पंजीयनसे सम्बन्धित जो सुविधाएँ दी गई थीं उन्हें अनुच्छेदके वर्तमान स्वरूपमें बहाल कर दिया गया है । धारा २ (१) में एक और संशोधन द्वारा नई प्रतिमें पृष्ठ २ की २५ वीं पंक्तिमें “ मजिस्ट्रेट या ” शब्द जोड़ दिये गये हैं । ऐसा हो जानेसे अब सभी मजिस्ट्रेट धारा २ के अंतर्गत भारतीय विवाहोंका पंजीयन कर सकेंगे, चाहे वे विवाह-अधिकारीके रूपमें भी नियुक्त हों अथवा नहीं । इससे श्री गांधीका दूसरा मुद्दा पूरा हो जाता है । उनका तीसरा मुद्दा (किसी ऐसी मृत स्त्रीके बच्चोंको प्रवेश देनेसे सम्बन्धित है जो यदि जीवित होती तो धारा ३ के अन्तर्गत प्रतिबन्धसे छूट पानेकी अधिकारिणी होती, नई प्रतिमें पृष्ठ ४ पर ३३ वीं पंक्तिमें “ पारिभाषित ” (डिफाइंड) शब्दके बाद जोड़े गये शब्दोंसे पूरा हो जाता है ।

४. मेरे पास ऐसा माननेका कारण है कि जनरल स्मट्स द्वितीय वाचन जल्दीसे-जल्दी पूरा करनेको उत्सुक हैं । अतः ऐसी आशा है कि सोमवारको वित्तीय मामलोंके कारण विधेयकपर विचार स्थगित नहीं किया जायेगा । सदनमें नेटाल्के सरकारी और विरोधी, दोनोंही पक्षोंके सदस्यों द्वारा कड़ा विरोध किये जानेकी सम्भावना प्रतीत होती है । सर टॉमस स्मार्ट तथा यूनियनिस्ट पार्टीके अन्य प्रमुख सदस्योंसे विधेयकके समर्थनकी आशा है । हर्ट्सोर्गके गुटके सदस्यों और मजदूर-दलका क्या खूब रहेगा उसका अभी कोई आभास नहीं मिल पाया है ।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : ५५/५८

परिशिष्ट २५

भारतीय राहत-अधिनियम, १९१४

१९१४ का अधिनियम संख्या २२

संवमें महामहिम सम्राट्की भारतीय प्रजाकी कतिपय शिकायतोंको दूर करने और कतिपय नियोग्यताओंको हटाने तथा इनसे सम्बन्धित अन्य मामलोंके लिए

महामहिम सम्राट्, दक्षिण आफ्रिकाकी सीनेट और लोक-सभा (हाउस ऑफ असेम्बली) द्वारा निम्न-लिखित विधान किया जाता है:—

किसी भारतीय धर्मके अनुसार विवाह सम्पन्न करानेके लिए विवाह-अधिकारीकी नियुक्ति

१. (१) गृह-मन्त्री (आगे सब जगह मन्त्री कहा जायेगा) समय-समयपर किसी भी भारतीय धर्मके धर्माधिकारीको विवाह-अधिकारी नियुक्त कर सकता है जिन्हें उस धर्मके विधि-विधानोंके अनुसार भारतीयोंके विवाह सम्पन्न करानेका अधिकार होगा।

(२) इस प्रकार नियुक्त विवाह-अधिकारी द्वारा विधि-विधानके अनुसार दो भारतीयोंके बीच सम्पन्न कराये गये विवाह वैध और पक्के होंगे और ऐसे विवाहमें बंधे लोगोंको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो कानून द्वारा वैध और मान्य समझे जानेवाले विवाहसे प्राप्त होते हैं।

(३) इस खण्डके अन्तर्गत नियुक्त किये गये किसी विवाह-अधिकारीपर रजिस्टर रखने और उसके द्वारा सम्पन्न कराये गये विवाहोंके विवरण दर्ज करनेकी वैसी ही जिम्मेदारी होगी जैसी कि, जिस प्रान्तमें वे विवाह सम्पन्न कराये जाते हैं उनमें प्रचलित किसी भी अन्य कानूनके अन्तर्गत नियुक्त किये जानेवाले विवाह-अधिकारियोंपर लगाई गई है; और इन रजिस्ट्रोंको रखने और उनकी जाँच करने, उनकी प्रतियों प्राप्त करने, उनकी प्रमाणित प्रतियोंके सबूत, और ऐसे रजिस्ट्रों या ऐसी प्रमाणित प्रतियोंके खो जाने, उनके नष्ट होने या उनमें गलत इन्द्राज सम्बन्धी ऐसे कानूनकी व्यवस्थाएँ इस खण्डमें सम्मिलित मानी जायेंगी।

वास्तवमें एक-पत्नीक विवाहोंका पंजीयन द्वारा वैधीकरण

२. (१) यदि कोई भारतीय पुरुष और भारतीय नारी किसी मजिस्ट्रेट या विवाह-अधिकारीको (चाहे वे इस अधिनियमके अन्तर्गत नियुक्त हुए हों अथवा अन्य किसी कानूनके अन्तर्गत) प्रार्थनापत्र देकर उसे यह इत्मीनान करा दें—

(क) कि जिस धर्मके वे माननेवाले हैं उस धर्मके नियमोंके अनुसार उनके पारस्परिक सम्बन्ध विवाहके रूपमें मान्य हैं; और

(ख) कि उन दोनोंमें से किसीका एक अन्य किसी तीसरे व्यक्तिसे कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं है जो उक्त धार्मिक नियमोंके अनुसार विवाहके रूपमें मान्य हो अथवा कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं है जो कानूनकी दृष्टिमें विवाहके रूपमें मान्य हो; और

(ग) कि दोनों ही इस बातके इच्छुक हैं कि उनके सम्बन्धोंको कानूनकी दृष्टिमें वैध और पक्के विवाहके रूपमें मान्य किया जाये,

तो उक्त अधिकारी उनके पूरे नाम, निवासस्थान, जन्मस्थान, और पुरुष तथा नारीका आयु-सम्बन्धी विवरण; और वे सब अन्य विवरण जो इस खण्डके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित किये

जायेंगे, माँग लेगा, और पूर्वोक्त ढंगसे स्थापित किये गये सम्बन्धको उन दोनोंके बीच हुए विवाहके रूपमें दर्ज कर लेगा। बावजूद इसके कि वे दोनों स्त्री-पुरुष जिस धर्मके माननेवाले हैं उस धर्ममें बहुपत्नीक विवाह वैध और मान्य है, उनके सम्बन्ध पंजीयन करानेके फलस्वरूप उस दिनसे जब उनमें सम्बन्ध स्थापित हुआ था, दोनों पक्षोंके बीच वैध और पक्की शादी मानी जायेगी और इस विवाहसे उन्हें वे सब अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कानूनकी दृष्टिमें वैध और पक्के विवाहके रूपमें मान्य सम्बन्धोंके अन्तर्गत प्राप्त होंगे, और यह विवाह उस जगह हुआ माना जायेगा जहाँ पंजीयनसे पहले उससे सम्बन्ध स्थापित किया गया था।

(२) मन्त्रीको इस खण्डके अन्तर्गत प्रार्थनापत्र देनेकी विधिके सम्बन्धमें, तत्सम्बन्धी रजिस्ट्रारोंको रखनेके सम्बन्धमें और उन रजिस्ट्रारोंमें दिये जानेवाले विवरणके सम्बन्धमें विनियम बनानेका अधिकार होगा। जिस प्रान्तमें ये सम्बन्ध विवाह-रूपमें पंजीयित किये जाते हैं उस प्रान्तमें लागू विवाह-कानूनोंकी धारायें, जहाँतक उन कानूनोंका रजिस्ट्रारोंको रखने और देखने, उनकी नकलें या उनमें से उद्धरण, उनकी प्रमाणित नकलोंके प्रमाण प्राप्त करने, उन रजिस्ट्रारों, प्रमाणित नकलों या उद्धरणोंके खो जाने, नष्ट हो जाने या दूषित हो जाने या कट-फट जानेसे सम्बन्ध है, उचित परिवर्तनोंके साथ, इस खण्डके अन्तर्गत रखे गये रजिस्ट्रारोंपर भी लागू होंगी।

१९१३ के अधिनियम सं० २२ के खण्ड ५ (छ) का संशोधन और अर्थ

३. (१) सन् १९१३ के प्रवासी-नियन्त्रण अधिनियम (१९१३ के अधिनियम सं० २२) के खण्ड ५ के अनुच्छेद (छ) में से निम्न शब्द निकाल दिये जायेंगे —

“इसमें वह पत्नी जिसका विवाह संघके बाहर किसी भी धर्मके रीति-रिवाजोंके अनुसार उचित रूपमें वैध और एकपत्नीक विवाहके रूपमें हुआ हो या उसके अन्तर्गत उत्पन्न बच्चा शामिल हैं।” —

(२) यहाँ संशोधित रूपमें दिये गये इस अनुच्छेदकी व्याख्यामें — “पत्नी”के अन्तर्गत ऐसी कोई भी स्त्री आ जायेगी जिसका यहाँ उल्लिखित विमुक्त पुरुषसे ऐसा सम्बन्ध है जिसे किसी भारतीय धर्मके आदेशोंके अन्तर्गत विवाह मान्य किया गया है। साथ ही उन आदेशोंके अनुसार उस विमुक्त पुरुषका सम्बन्ध दूसरी स्त्रियोंसे भी मान्य कर लिया जायेगा। व्यवस्था की जाती है कि कोई भी स्त्री ऐसे विमुक्त पुरुषकी पत्नी नहीं मानी जायेगी —

(क) यदि उस पुरुषका ऐसा सम्बन्ध किसी प्रान्तमें रहनेवाली किसी दूसरी स्त्रीसे हो; या

(ख) यदि ऐसे विमुक्त पुरुषकी किसी दूसरी स्त्रीसे, जो अभी जीवित है, कोई सन्तान मौजूद हो; “सोलह वर्षसे कम आयुके बच्चेका अर्थ होगा वह बच्चा जो विमुक्त पुरुष और यहाँ बताई गई स्त्रीकी सन्तान हो, या वह बच्चा जो विमुक्त पुरुष और मृत स्त्रीकी, जो जीवित होती तो (यहाँ दी गई परिभाषाके अनुसार) पत्नी मान्य की जा सकती थी या उसका विमुक्त पुरुषसे सम्बन्ध इस अधिनियमके खण्ड २ के अन्तर्गत विवाह रूपमें पंजीयत किया जा सकता था।”

नेटालके भारतीय प्रवासी-कानूनको विवाह-सम्बन्धी वर्तमान धाराओंका संरक्षण

४. इस अधिनियमके इससे पहलेके खण्डोंके किसी भी विधानका अर्थ ऐसा न किया जायेगा जिससे नेटालके भारतीय-प्रवासी कानून १८९१ (१८९१ के कानून सं० २५) के पैसठसे नवासी तकके खण्ड रद्द हो जायें या किसी भी तरह बदल जायें।

१८९५ के नेटालके अधिनियम १७ के तीसरे खण्डका संशोधन

५. नेटालके भारतीय प्रवासी-संशोधन विधेयक, १८९५ के खण्ड तीनके अन्तमें निम्न शब्द जोड़कर संशोधित किया गया है “यदि वह इस तारीखके बीत जानेके बाद बारह महीनेके भीतर उसके लिए प्रार्थनापत्र दे।”

भारतीयोंकी प्रार्थनापर भारत जानेका मुफ्त टिकट देनेका अधिकार

६. मन्त्री चाहे तो किसी भी भारतीयको संघके किसी बन्दरगाहसे भारतके किसी बन्दरगाह तक संसद द्वारा तदर्थ स्वीकृत रकममें से मुफ्त टिकट दिला सकता है, बशर्ते कि वह मुफ्त टिकटके लिए प्रार्थनापत्र दे। इसमें संघके बन्दरगाह तक जानेका रेल-किराया शामिल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यह भारतीय ऐसा न हो जो नेटाल्के १८९१ के कानून सं० २५ के या उसके किसी संशोधनके अन्तर्गत मुफ्त टिकटका अधिकारी हो या अधिकारी हो सकता हो, और

(क) इस प्रार्थनाकी स्वीकृतिकी शर्तके तौरपर इस वक्तव्यपर हस्ताक्षर करे कि वह अपनी ओरसे, अपनी पत्नीकी ओरसे और अपने अवयस्क बच्चोंकी ओरसे अपने या उनके संघके किसी भागमें प्रवेश करने या रहनेके उन समस्त अधिकारोंको छोड़ता है जो उसे उसका अधिवासी होनेके कारण प्राप्त होते हैं; और

(ख) मन्त्री द्वारा नियुक्त अधिकारीको अपनी, अपनी पत्नीकी और अपने अवयस्क बच्चोंकी (यदि बच्चे हों तो) शिनाख्तके मन्त्री द्वारा बताए हुए प्रमाण दे।

इस प्रकार हस्ताक्षर की हुई शर्त इस बातका निश्चित प्रमाण होगी, कि उस भारतीयने उसकी पत्नीने और उसके अवयस्क बच्चोंने (यदि कोई हो तो) अपने या उनके संघमें प्रवेश करने या रहनेके वे सब अधिकार छोड़ दिये हैं जो उसे या उन्हें उसका अधिवासी होनेके फलस्वरूप मिले हों।

नेटालमें भारतीयोंके निवास या अधिवासका प्रमाण

७. यदि किसी कानूनके प्रशासनमें यह प्रश्न उठता है कि जो भारतीय नेटालमें अपने निवासपर अधिवासका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है वह वही व्यक्ति है जो वैध रूपसे उस प्रमाणपत्रको प्राप्त करनेका अधिकारी था, उस अवस्थामें यदि उस प्रमाणपत्रपर, प्रवासी-अधिकारी द्वारा उसके जारी करते वक्त, उसने जो अँगूठेका निशान लगाया था, वह उस भारतीयके जो उस प्रमाणपत्रको पेश करता है, अँगूठेके निशानसे मिलता है तो वह उस भारतीयके नेटालमें निवास या अधिवासका निश्चित प्रमाण होगा।

भूतपूर्व गिरमिटियोंके वार्षिक पासों या परवानोंसे सम्बन्धित कानूनोंकी धाराओंकी रद्दगी

८. इस अधिनियमके परिशिष्टमें बताये गये कानून उस परिशिष्टके चौथे स्तम्भमें दी गई हद तक इसके द्वारा रद्द किये जाते हैं और उन कानूनोंकी वे धारायें, जो इसके द्वारा रद्द की गई हैं, जहाँतक जुद्धलैंडमें लागू की गई हैं वहाँ लागू नहीं रहेंगी।

इस कानूनके लागू होनेसे पूर्व रद्द की गई धाराओंके अन्तर्गत भारतीयोंसे जो रकमें लेनी वाजिब होंगी उन्हें वसूल करनेके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

९. यह अधिनियम समस्त उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए भारतीय [छोटा नाम] राहत-अधिनियम, १९१४ कहा जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स : सी० डी० ७६४४/१४

परिशिष्ट २६

ई० एम० जॉर्जसका पत्र

केप टाउन
जून ३०, १९१४

प्रिय श्री गांधी,

आपने अभी कुछ दिनों पहले संघमें भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें जनरल स्मट्सके साथ चर्चा की थी। पहली बैठमें आपने भारतीय राहत-विधेयककी व्यवस्थाओंके प्रति सन्तोष प्रकट किया था और माना था कि भारतीय समाज और सरकारके बीच जिन मुद्दोंपर विवाद है और जिनपर प्रशासनिक कार्रवाईकी आवश्यकता है, यह विधेयक निश्चय ही उन्हें हल कर देता है। दूसरी बैठमें आपने सरकारके सामने कुछ दूसरी बातोंकी भी एक सूची पेश की थी, जिनके सम्बन्धमें प्रशासनिक कार्रवाईकी आवश्यकता है। ये बातें उन मुद्दोंसे अलग थीं, जिनपर विधेयकमें निश्चित कार्रवाई की जा चुकी है। जनरल स्मट्सके आदेशानुसार मैं उन्हींके विषयमें यहाँ लिख रहा हूँ:

(१) भविष्यमें नेटाल्के भारतीय प्रवासियोंके संरक्षक द्वारा ऐसे प्रत्येक भारतीयको जो नेटाल अधिनियम १७, १८९५ की व्यवस्थाओंके अन्तर्गत आता है, अपनी गिरमिट या पुनः गिरमिटकी अवधि पूरी कर चुकनेपर निःशुल्क छुटकारा-प्रमाणपत्र दिये जानेमें, उनकी समझमें तो कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। छुटकारेका यह प्रमाणपत्र १८९१ के नेटाल-कानून-संख्या २५ के खण्ड १०६ की व्यवस्थाओंके अन्तर्गत जारी किये गये प्रमाणपत्रके जैसा ही होगा।

(२) आप कहते हैं कि एकाधिक पत्नियों और उनके बच्चोंकी संख्या बहुत कम है। यदि यह परिस्थिति जाँच करनेपर सही उतरती है, तो इन एकाधिक पत्नियों [या बच्चों] को अपने पतियों [या पिताओं] के साथ रहने देनेके मार्गमें सरकार कोई बाधा नहीं डालेगी।

(३) दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न जो भारतीय केपमें प्रवेश करना चाहते हैं यदि उक्त प्रान्तमें इसके पहले ऐसे लोगोंका जितना प्रवेश होता रहा है, उतना ही होता रहे, वह बढ़े नहीं, तो संघके १९१३ के प्रवासी-विनियम अधिनियम २२ खण्ड ४ (१) (अ) की व्यवस्थाओंपर आज-ही की तरह अमल होता रहेगा; किन्तु जैसे ही प्रवासियोंकी यह संख्या बढ़ती नजर आयेगी, सरकार प्रवासी-अधिनियमकी व्यवस्थाओंको लागू करनेका अधिकार सुरक्षित रखती है।

(४) संघमें जिनके प्रवेशपर विशेष छूट दी गई है (अर्थात् सीमित संख्यामें आनेवाले वे लोग जो प्रतिवर्ष भारतीय समाजके सर्वसामान्य हितसे सम्बद्ध होनेके कारण सरकार द्वारा संघमें प्रवेशकी आशा पाते रहेंगे) उन व्यक्तियोंको प्रान्तीय सीमाओंपर ज्ञापन देना आवश्यक नहीं होगा और उनके लिए प्रवासी-विनियम अधिनियमके खण्ड १९ के अन्तर्गत प्रवेश करते समय बन्दरगाहपर दिया हुआ ज्ञापन ही पर्याप्त माना जायेगा।

(५) १९१३ के अधिनियम २२ के लागू होनेके पहले जो प्रवासी-कानून अमलमें लाया जा रहा था, उसके मुताबिक शिक्षा-परीक्षा पास करनेके बाद केप अथवा नेटालमें पिछले ३ वर्षोंके भीतर जिन भारतीयोंको प्रवेश दिया गया है, किन्तु जो उक्त अधिनियमके खण्ड ३० की शब्द-रचनाके कारण, जिस अर्थमें यह शब्द उक्त अधिनियममें पारिभाषित हुआ है, उस अर्थमें अभी तक “अधिवासी” नहीं माने गये हैं वे यदि कुछ समयके लिए उस प्रान्तसे अनुपस्थित रहते हैं, जिसके वे वैध अधिवासी रहे हैं,

तो उनके विषयमें यही माना जायेगा, मानो “अधिवासी” शब्द आजकी परिभाषाके अनुसार उनपर लागू है।

(६) जनरल स्मट्स न्याय-मन्त्रियोंके सामने उन व्यक्तियोंके मामले भी पेश करेंगे जिनको उक्त कालमें “निष्क्रिय प्रतिरोधी” (हम परस्पर इस शब्दका अर्थ समझते हैं) होनेके कारण सजाएँ मिली थीं और श्री डेविडको, जनरल स्मट्सकी समझमें इस सुझावमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए कि इन व्यक्तियोंके खिलाफ इन सजाओंका सरकार भविष्यमें कोई दुरुपयोग न करेगी।

(७) १९१३ के अधिनियम संख्या २२ के खण्ड २५ के अन्तर्गत मन्त्रीकी विशिष्ट हिदायतके साथ ऐसे प्रत्येक “शिक्षित प्रवासीके नाम जिसे खास तरीकेसे छूट दी गई है” और जिसे प्रवासी-अधिकारी मंजूर कर चुका है, एक दस्तावेज जारी किया जायेगा।

(८) भारतीय राहत आयोगने अपने विवरणके अन्तमें जो सिफारिशें की हैं, वे सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय राहत-विधेयकके साथ-साथ लागू की जायेंगी और इस पत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें जो-कुछ कहा गया है, उसके मुताबिक इन सब मामलोंमें तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू की जायेगी।

जहाँतक वर्तमान कानूनोंको अमलमें लानेका प्रश्न है, मन्त्री महोदय यह सूचित करनेका आदेश देते हैं कि सरकारका सदा यही मंशा रहा है और रहेगा कि उनका अमल न्याय तथा निहित स्वार्थोंको दृष्टिमें रखकर हो।

अन्तमें जनरल स्मट्सके आदेनुशासार निवेदन है कि वे इस मामलेमें कोई दुविधा अथवा शंका नहीं रहने देना चाहते। संघकी संविधि-पुस्तकमें भारतीय राहत-विधेयक और फिलहालकी वार्ताओंमें उल्लिखित मुद्दोंको पूरा करनेके बारेमें इस पत्रमें जो वचन दिया गया है, उसे मिलाकर सारे विवादका परिपूर्ण और अंतिम हल निकलना चाहिए। दुर्भाग्यवश एक दीर्घ कालसे यह विवाद हमारे सामने उपस्थित है। वे ऐसा हल चाहते हैं, जिसे भारतीय समाज बिना किसी शिष्टकके पूरी तरह स्वीकार कर सके।

भवदीय,

ई० एम० जॉर्ज

श्री मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : ५५१/५८

परिशिष्ट २७

(१) उपनिवेश-कार्यालयके नाम गवर्नर-जनरलका खरीता

केप टाउन

जुलाई ४, १९१४

महोदय,

जैसा कि आपको इसी १ तारीखके तार द्वारा सूचित किया जा चुका है, जनरल स्मट्स और श्री गांधीके बीच सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दोंपर समझौता हो गया है। यह समझौता, सचमुच, भारतीय राहत-विधेयकके व्यवस्थापनकी सुखद परिसमाप्ति है, और मुझे विश्वास है कि यह, भारतीयोंके जिन कष्टोंको लेकर इस देशमें लगभग मेरे पूरे प्रवास-कालमें लिखा-पढ़ी चलती रही है, उन कष्टोंसे कुछ कालके लिए मुक्तिका पूर्वाभास देता है।

२. साथमें उन दो पत्रोंकी^१ प्रतियाँ भेज रहा हूँ, जिनका सार मेरे तारमें दिया गया था। मन्त्री महोदयने जो रियायतें देनेका वादा किया है, वह उनकी उदारता और राजनयिकताका परिचायक हैं। मेरे ३० मईके गुप्त खरीतेमें उल्लिखित श्री गांधीकी सारी शर्तें पूरी कर दी गई हैं; यद्यपि मौजूदा कानूनों और विशेषकर ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानूनके अमलमें निहित अधिकारोंकी रक्षा करनेके सम्बन्धमें श्री जॉर्जसेके पत्रके अन्तमें दिया गया सामान्य आश्वासन श्री गांधी जितना चाहते थे उतना सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है। मेरा खयाल है इस मुद्देपर सहमति होनेमें सबसे अधिक कठिनाई हुई। पिछले रविवारको जनरल स्मट्सने कहा कि उससे एक दिन पूर्व श्री गांधीने उनसे मुलाकात की थी। उनकी बातचीत दो घंटे चली थी और स्वर्ण-कानूनके अमलके अलावा अन्य सभी प्रश्नोंपर सहमति हो गई ही दीखती थी। किन्तु, स्वर्ण-कानूनके सम्बन्धमें जैसा कि मन्त्री महोदयका खयाल था, श्री गांधी निहित अधिकारोंकी पुष्टि नहीं, बल्कि उनके विस्तारकी माँग कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि उनसे जो सुनिश्चित आश्वासन माँगा जा रहा है, वह दे सकना उनके लिए सम्भव नहीं है। वे समझौतेके लिए बहुत उत्सुक थे और इसलिए अब भी यह सोच रहे थे कि क्या-कुछ किया जा सकता है, किन्तु उन्हें इस बातमें सन्देह था कि वे श्री गांधी जितना चाहते थे, उतना-कुछ कर पायेंगे। आगेकी बातचीत श्री जॉर्जसेने की और अन्तमें श्री गांधी प्रस्तावित फार्मूलेको स्वीकार करने और सौदा तय कर देनेको तत्पर हो गये — इसका कारण चाहे उनका मूढ़ रहा हो, या मधुर विवेक अथवा उन्हें जो-कुछ प्राप्त हो गया था उसे अप्राप्यके लिए खो देनेकी उनकी अनिच्छा। फिर दोनोंके बीच कुछ लिखा-पढ़ी हुई और दूसरे दिन सुबह, यानी इसी १ तारीखको, श्री गांधी केप टाउनसे डर्बनके लिए प्रस्थान कर गये। मेरे सचिवको, जिसकी संयोगवश उनके प्रस्थानके समय उनसे मुलाकात हो गयी, उनके अभी हालके उपवासके कारण उनकी मुखाकृतिमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। उसने थोड़ी देर तक उनसे बातचीत भी की, जिसके दौरान उन्होंने बड़ी नम्रताके साथ समझौतेमें अपने योगदानकी चर्चा करते हुए दूसरोंके योगदानकी मुक्त-कण्ठसे प्रशंसा की।

३. श्री गांधी सत्र समाप्त होनेके शीघ्र बाद, संलग्न पत्र-व्यवहारको, शायद, प्रकाशित करेंगे। राष्ट्र-वादियोंके बीच सरकारकी लोकप्रियतामें कोई वृद्धि हो पानेकी सम्भावना नहीं है, और अन्य हलकोंमें भी, विशेषकर नेटालमें, इसकी मिली-जुली प्रतिक्रिया हो सकती है। इन परिस्थितियोंमें संसदका सत्र समाप्त होनेके पूर्व इसके प्रकाशनसे असुविधा हो सकती है। और जनरल स्मट्सने जिस साहसके साथ अपने दलके एक बहुत बड़े हिस्सेकी भावनाओंकी उपेक्षा कर दी, उसके सम्बन्धमें तो कुछ कहना बेकार ही है।

४. श्री जॉर्जसेके पत्रमें बताये गये प्रथम मुद्देके सम्बन्धमें दिये गये आश्वासनसे तीन पौंडी परवानेकी पद्धतिकी समाप्तिके प्रभावके सम्बन्धमें नेटालमें जो आशंकाएँ उत्पन्न हो गई हैं, उन्हें काफी हदतक दूर हो जाना चाहिए। इन्हीं मिथ्या धारणाओंके कारण डर्बनसे विधेयकपर “निषेधाधिकारका प्रयोग” करनेका आग्रह करते हुए वे मूर्खतापूर्ण तार आये हैं, जो मैंने आपको अपने इसी २ तारीखके ४६७ और ४६८ नम्बरके खरीतोंके साथ प्रेषित किये हैं। इनमें से एकके प्रेषक हैं श्री के० के० पिल्ले, जो अपने-आपको “तीन-पौंडी कर समितिका अध्यक्ष” बताते हैं। किन्तु, कहते हैं, वे कोई स्तबेवाले आदमी नहीं हैं। मुझे बताया गया है कि इसमें भी सन्देह ही है कि दूसरे तारके प्रेषक श्री एम० सी० कुवाडियाका नेटाल-भारतीय कांग्रेसके सदस्योंके बीच भी कोई बड़ा समर्थन है। मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने अभी-हालमें जो तथाकथित “सार्वजनिक सभा” बुलाई, उसमें भी मात्र कोई तीस भारतीय ही उपस्थित थे। हाँ, मैं इस कथनकी यथार्थताके सम्बन्धमें कोई हलफ नहीं ले सकता। उन्होंने इस कानूनके खण्ड ७ के पुनः रचित रूपकी आलोचना की है। इस आलोचनामें कुछ बल अवश्य है। किन्तु, ऐसा नहीं है कि इस मुद्देको नजरअन्दाज कर दिया गया था। मैंने इस नई धाराको सर्वप्रथम, जब वह

१. देखिए परिशिष्ट २६ और “पत्र : ई० एम० जॉर्जसेको”, पृष्ठ ४२९-३०।

अन्य संशोधनोंके साथ कार्य-सूचीमें प्रकाशित हुई तब, देखा। मैंने तुरन्त इस बातकी जाँच शुरू करवा दी। आयोगकी सिफारिशमें ऐसा अन्तर कैसे कर दिया गया जिसके परिणाम-स्वरूप अधिवास-प्रमाणपत्र पेश करनेवाले भारतीयसे न केवल उसकी शिनाख्तके प्रमाण माँगे जा सकते हैं, बल्कि आदातके उसे प्राप्त करनेके कानूनी अधिकारकी पुष्टिके सम्बन्धमें भी प्रमाण माँगे जा सकते हैं। मुझे बताया गया कि कुछ मामलोंमें ऐसे प्रमाणपत्र जालसाजीसे भी प्राप्त किये गये हैं और सरकार इन प्रमाणपत्रोंको संरक्षण देना ठीक नहीं मानती। मैं मूल धाराको ज्यादा पसन्द करता, परन्तु चूँकि सरकारका दृष्टिकोण अपने-आपमें अनुचित नहीं था और चूँकि श्री गांधीने इसपर कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए मुझे इस अपेक्षाकृत महत्त्वहीन तफसीलपर आग्रह करके परेशानी पैदा करना बेकार ही लगा। अन्य बातोंमें श्री कुवाडियाका तार निरर्थक ही है। इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, फिर भी ऐसा माना जा सकता है कि इस आन्दोलनके पीछे नेटालके उन चन्द यूरोपीयोंका हाथ रहा हो, जिन्हें भारतीयोंकी आशंकित मनःस्थिति और भोलेपनको इस विश्वासमें परिवर्तित करनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई कि तीन पौंडी करके अभावमें उनके अनिवार्य देशगमनके विरुद्ध एकमात्र सुरक्षा पुनः गिरमिटमें बंध जाना है। ऐसी आशा की जा सकती है कि श्री गांधीके नेटाल लौटनेपर उनके प्रभावसे स्थितिमें सुधार आ जाये।

५. श्री जॉर्जेसके पत्रके दूसरे मुद्देके सम्बन्धमें जो रियायत दी गई है, वह आयोगकी सिफारिशसे भी अधिक है — सो इस तरह कि अब बहुपरनीक विवाह-प्रथाके अनुसार ब्याही गई पत्नियोंके सम्बन्धमें यह अपेक्षा समाप्त कर दी गई है कि इस कानूनका लाभ इस श्रेणीमें आनेवाली उन्हीं पत्नियोंको मिलेगा जो पहले कभी दक्षिण आफ्रिकामें रह चुकी होंगी। और इस बातपर तो दोनों पक्ष सदासे सहमत रहे हैं कि यह सुविधा तभी दी जायेगी जब, जिन लोगोंके उससे लाभ उठानेकी सम्भावना है, उनकी संख्या कम हो।

६. तीसरे मुद्देकी रूसे श्री गांधीको “केपमें प्रवेश” के प्रश्नपर वांछित प्रशासनिक आश्वासन दिया जा रहा है। चौथे मुद्देकी रूसे उनकी ओरेंज फ्री स्टेट घोषणा-सम्बन्धी कठिनाईका निराकरण हो जाता है। जिस बातपर पाँचवें मुद्देमें विचार किया गया है, वह मेरे जानते तो अबतक कभी उठाई नहीं गई। इसका निपटारा बहुत ही न्यायसंगत और उचित ढंगसे कर दिया गया है। छठे मुद्देपर श्री गांधीके इस तर्कका समझौतापूर्ण और अनुकूल उत्तर दे दिया गया है कि “सचमुच सत्याग्रहके अपराधमें” अतीतमें दिये गये दण्डोंका प्रयोग भविष्यमें इस प्रकार दण्डित व्यक्तियोंके विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। सातवें मुद्देमें, “जिन प्रवेशार्थियोंको विशेष रूपसे छूट दी गई हो,” उनके प्रवेशसे सम्बन्धित प्रक्रियाकी तफसीलोंका सन्तोषजनक नियमन किया गया है। आठवें मुद्देमें जनरल स्मट्सने विधान-सभामें आयोगकी रिपोर्टके अन्तमें सार-रूपमें प्रस्तुत प्रशासनिक सिफारिशोंको समग्रतः अंगीकार कर लेनेका जो वचन दिया था, उसे दुहराया गया है। इस अतिरिक्त शर्तके जोड़ दिये जानेपर किसीको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो वैधानिक कार्यवाई की जा चुकी है, उसके साथ-साथ इन आश्वासनोंको इसी भरोसे पूरा किया जा रहा है कि भारतीय समाज इस समझौतेको पूर्ण और अन्तिम मानकर स्वीकार कर लेगा।

७. श्री गांधी अपने उत्तरमें स्पष्ट रूपसे कहते हैं कि विधेयकके पारित हो जानेकी बात और इस पत्र-व्यवहारसे सत्याग्रह-संघर्ष अन्तिम रूपसे समाप्त हो जाता है। पत्रके अन्तमें वे अपना यह विश्वास व्यक्त करते हैं कि यदि सरकार अपने वादेके अनुसार मौजूदा कानूनोंके अमलमें उसी उदार दृष्टिकोणसे काम लेती रही जो अभी हालमें उसने दिखाया है, तो संघके भीतर निवास करनेवाला भारतीय समाज एक हदतक शान्तिका उपभोग कर पायेगा और फिर वह कभी भी सरकारके लिए परेशानीका कारण नहीं बनेगा। इससे अधिककी अपेक्षा श्री गांधीसे नहीं की जा सकती थी; और जनरल स्मट्सको शायद बड़ी प्रसन्नता होती, यदि पत्रको इन दो उक्तियों तक ही सीमित रखा जाता। किन्तु, जहाँ यह आभास

दिया गया है कि अन्य बातोंका निबटारा भविष्यमें किया जायेगा, वहाँ शब्द-योजना बड़ी कुशलतापूर्ण है, और हो सकता है श्री गांधीको अपने-आपके प्रति न्याय करने तथा शीघ्र ही और रियायतोंकी माँग करनेकी सम्भावनाको टालनेके लिए इसे शामिल करना आवश्यक लगा हो। ऐसा खयाल है कि जब वह पत्र जनरल स्मट्सको दिया गया तो उन्होंने उसे कूटनीति और विचक्षणताका एक सराहनीय करतब बताया। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इसे समझौतेकी शर्तोंका कोई गम्भीर परित्याग माना, किन्तु अबतक मैं व्यक्तिगत रूपसे इस प्रश्नपर उनके विचार नहीं जान पाया हूँ।

८. साथमें अखबारोंके दो उद्धरण भेज रहा हूँ। पहलेमें शनिवारको श्री गांधीके सम्मानमें आयोजित बवाई-समारोहकी कार्यवाही की रिपोर्ट दी गई है। मेरा खयाल है, सिनेट-सदस्य मार्शल कैम्बेल, श्री मेल्जर और श्री गांधीके भाषण आपको दिलचस्प लगेंगे। दूसरेमें जोहानिसबर्गकी एक मुस्लिम-संस्थाके क्षोभ और असन्तोषका विवरण है। उनकी शिकायत शायद यह है कि यह कानून बहुपत्नीक विवाहोंको मान्यता नहीं देता, और मुझे भय है कि कमसे-कम अभी हालमें तो उस शिकायतको दूर नहीं किया जा सकता। मुसलमानोंके एक शिष्टमण्डलने जनरल स्मट्सका ध्यान मारिशसके कानूनकी ओर आकृष्ट किया है। किन्तु, गृह-विभागका खयाल है, और मैं भी उससे सहमत हूँ, कि इस मानेमें वह कानून संघ-संसद द्वारा पास किये गये भारतीय राहत अधिनियमकी व्यवस्थाओंसे कम उदार है।

भवदीय
गवर्नर जनरल

[अंग्रेजीसे]

4666

कलोनियल ऑफिस रेकॉर्ड्स : ५५१/५८

(२) उपनिवेश-कार्यालयके नाम गवर्नर-जनरलका खरीता

केप टाउन
जुलाई १०, १९१४

महोदय,

मैं साथमें गृह-विभाग और श्री गांधीके बीच हुए पत्र-व्यवहारको, अखबारोंमें प्रकाशित प्रति भेज रहा हूँ। इस पत्र-व्यवहारका विषय वे कुलेक प्रशासनिक मुद्दे हैं, जिनका निपटारा भारतीय राहत-विधेयक पास किये जाने तक स्थगित रखा गया है। यह कानून, जो अब विधि-पुस्तकमें शामिल कर लिया गया है, भारतीय जांच-आयोगकी उन सिफारिशोंको कार्यरूप देता है जिनके कारण इसे पास करना आवश्यक हो गया था। शेष सिफारिशें ऐसी थीं जिनके सम्बन्धमें विभागीय तौरपर कार्रवाई की जा सकती थी। संलग्न पत्र-व्यवहारमें उनके सम्बन्धमें आवश्यक कार्रवाई करनेका वादा किया गया है, और इस वादेके अतिरिक्त उन अन्य मुद्दोंके सम्बन्धमें श्री गांधीको मान्य होने लायक आश्वासन भी दिये गये हैं, जिन्हें उन्होंने संतोषजनक समझौतेके लिए आवश्यक बताया था।

२. आपको श्री गांधीका यह वक्तव्य पढ़कर बड़ा संतोष होगा कि यह प्रस्ताव तथा इस विधेयकके पास हो जानेकी बात, दोनों मिलकर, आजसे फोर्ड आठ वर्ष पूर्व प्रारम्भ किये गये संघर्षको समाप्त कर देते हैं। मुझे अपना पद छोड़ते समय यह जानकर सचमुच बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि दक्षिण आफ्रिकाके जिस भारतीय सवालको लेकर न केवल इस देशकी सरकार और जनता इतनी परेशान रही है, बल्कि महामहिमकी सरकार तथा भारत-सरकार भी उतनी ही परेशान रहीं, अब उसके हल हो जानेकी आशा की जा सकती है। मेरे विचारसे मन्त्रियों तथा संघ-संसदने और साथ ही सर विलियम सॉलोमन तथा



उनके सहयोगी आयुक्तोंने भी मौजूदा समझौतेके सम्पादनमें अपने-अपने योगदानके द्वारा साम्राज्यकी महान् सेवा की है ।

३. आप देखेंगे कि जहाँ श्री गांधी अपने तर्क समझौतेको स्वीकार करते हैं, वहाँ वे अपने पत्रमें कुछ ऐसे मुद्दोंका भी उल्लेख करते हैं जिनका, उनके विचारसे, भविष्यमें कभी निवटारा हो जाना चाहिए । फिर भी, वे संवर्षकी पुनरावृत्तिका कोई पूर्वाभास नहीं देते, और मैं नहीं समझता कि भारतीय समाजका कोई बड़ा हिस्सा, उसे जो सुविधाएँ दी गई हैं, उन्हें आधार बनाकर फिर नई माँगें पेश करनेकी नासमझी करेगा । जान पड़ता है, इस सम्बन्धमें ऐसी ही कुछ आशंका 'केप आर्गस' के एक अग्रलेखमें लेखकको है । लेखकी एक प्रति मैं साथ भेज रहा हूँ । लेकिन, ऐसा नहीं लगता कि इतना-कुछ प्राप्त कर लेनेके बाद भारतीय-मात्र इसलिए अधैर्य प्रदर्शित करनेकी भूल करेंगे कि उन्हें और अधिक नहीं मिला ।

४. अखबारोंके शेष उद्धरण भी आपको दिलचस्प लगेंगे ।

इनमें से पहलेमें जोहानिसबर्गसे भेजे दो तारोंका पाठ दिया गया है — एक श्री गोखलेके नाम इंग्लैंड भेजा गया था और दूसरा बम्बईके पतेपर किसी व्यक्तिको भेजा गया था । प्रथमपर श्री काछलियाके हस्ताक्षर हैं । ये वही काछलिया हैं, जिनकी सरकारको दी गई आखिरी चुनौतीसे, आपको याद होगा, पिछले वर्षके अन्तिम दिनोंमें नेटालकी हड़ताल और उससे सम्बद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हुए थे । दूसरे तारपर सर्वश्री काछलिया, गांधी, कैलेनबैक और पोलकके हस्ताक्षर हैं । दोनों तारोंमें “अन्तिम समझौता” शब्द-समुच्चयका प्रयोग किया गया है, और दोनों ही की भावना और शब्द योजना ऐसी हैं जिनपर किसी कटुसे-कटु आलोचकको भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती ।

दूसरे उद्धरणमें श्री गांधीके डर्बन आगमन और नेटाल-भारतीय संघ द्वारा उनके कार्यसे सहमति व्यक्त करते हुए एक प्रस्तावकी स्वीकृतिकी रिपोर्ट दी गई है ।

तीसरेमें इसी ८ तारीखको डर्बनके टाउन हॉलमें मेयरकी अध्यक्षतामें श्री गांधीके सम्मानमें आयोजित एक समारोहमें श्री गांधी द्वारा दिये गये विदाई भाषणका सार प्रस्तुत किया गया है । आप देखेंगे कि वे उसमें संघ-सरकारके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अन्य हलकोंसे प्राप्त सहायताके लिए आभार व्यक्त करते हैं, और समझौतेके सम्बन्धमें बोलते हुए कहीं भी ऐसा कहते प्रतीत नहीं होते कि उन्होंने यह नहीं किया, वह नहीं किया ।

एक बात और भी है कि उनका इरादा अगले हफ्ते दक्षिण आफ्रिका छोड़ देनेका है । इसका, कदाचित्, यह अर्थ लगाया जा सकता है कि वे अब इस देशमें अपने कठिन प्रयासोंको सम्मानपूर्ण ढंगसे निष्पन्न हो गया समझते हैं ।

भवदीय

गवर्नर जनरल

परिशिष्ट २८

संघर्ष और उसके परिणाम

(सम्पादकीय)

कितनी-ही बार ईश्वरकी इच्छासे छोटी-छोटी सेनाओंने बड़ी-बड़ी सेनाओंको पराजित किया है। ईश्वर उनके साथ है जो धैर्यपूर्वक निरन्तर उद्योग करते हैं। — कुरान तुम्हारे पूर्ववर्तियोंकी तपस्याकी जिस आगसे गुजरना पड़ा उससे तो तुम्हें गुजरना नहीं पड़ा। तब तुम स्वर्गमें प्रवेश करनेकी इच्छा क्यों करते हो? दुर्भाग्य और विपत्तियोंके प्रहारोंने उनकी कड़ी परीक्षा ली थी। — कुरान

एक सीमित स्थानमें ऐसे आन्दोलनकी उत्पत्ति और घटना-क्रमका पर्यावलोकन जो दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके इतिहासमें आठ वर्ष तक चलता रहा, एक ऐसा काम है जिसे संतोषजनक ढंगसे कर सकना असंभव है। अतएव इस खाकेमें शीघ्रतासे खींची हुई रूपरेखाका संकेत कर दिया गया है जिसमें यत्र-तत्र विशिष्ट घटनाओंपर कुछ अधिक जोर दे दिया गया है और इस प्रकार बुनियादी रूपरेखाका संकेत कर दिया गया है।

सत्याग्रह आन्दोलनकी उत्पत्तिके कारण १९०६ के आन्दोलनमें नहीं खोजने चाहिए; वे खोजे जाने चाहिए उस आन्दोलनमें जिसका पहला दौर ट्रान्सवालमें १८८५ में और दूसरा नेटालमें १८९४ में शुरू हुआ। १८८५ का पुराना रिपब्लिकन कानून ३, आफ्रिकामें रहनेवाले एशियाइयोंपर अनेकों बोझ डालनेके साथ-साथ यह भी अपेक्षा रखता था कि उनमें से जो व्यापारके लिए आये हों वे एक निश्चित फीस देकर अपना पंजीयन करायें और यह भी कि सफाईकी रक्षाके खयालसे वे उन बस्तियोंमें रहें जो खास-करके उनके लिए अलग रखी गई हैं। किन्तु बहुत हद तक ये दोनों अपेक्षाएँ कानूनमें ही रहीं। अलबत्ता उनके कारण ब्रिटिश सरकारके साथ झगड़ा शुरू हो गया। अन्तमें इस झगड़ेके निपटारेके लिए युद्धकालमें साम्राज्यीय हस्तक्षेप हुआ और ब्रिटिश प्रजाके नाते अधिवासी-भारतीयोंसे यह वायदा किया गया कि उनकी शिकायतोंको पूरी तरह दूर किया जायेगा।

ब्रिटिश उपनिवेश नेटालमें स्थिति इसलिए काफी उलझ गई थी कि वहां यूरोपीय उपनिवेशियोंके कहनेपर गिरमिटकी शर्तमें बांधकर बहुत बड़ी संख्यामें भारतीय मजदूर लाये गये थे और वहाँके लोगोंकी अब उनकी उपस्थिति खलने लगी थी। यह विरोध इतना बढ़ा कि अनिर्बन्ध एशियाई आत्रजनकी समाप्ति तथा एशियाइयोंके मताधिकारके अपहरणके लिए एक आन्दोलन खड़ा हो गया। सवाल यह था कि यह उद्देश्य एक जातीय भेदभाववाले कानूनसे हासिल किया जाये या एक साधारण कानूनके भेदमूलक अमलके द्वारा। इन दो दृष्टिकोणोंमें कुछ समय तक संघर्ष होता रहा परन्तु अन्तमें श्री चेम्बरलेनकी राजनीति-पटुताके फलस्वरूप सन् १८९७में दूसरावाला तरीका अपनाया गया और प्रसिद्ध “नेटाल ऐक्ट” पास हो गया जिसने जातीय भेद-भावकी जगह एक शैक्षणिक परीक्षा लागू कर दी। उसके बादसे नेटालमें जाति-भेदवाले कानूनोंका बनना बन्द हो गया और इसीलिए फिर नई मुसीबतके प्रथम चिह्न ट्रान्सवालमें उदय हुए क्योंकि वहाँ रंगदार लोगोंके दर्जेकी राजनीतिक कल्पना भिन्न होनेके कारण कानूनी समानताका सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया गया था।

युद्धके बाद दुबारा जो समझौता हुआ उसमें ऐसी आशा की गई थी कि ब्रिटिश भारतीयोंके धर्मोंपर जो बोझ है वह हटा दिया जायेगा, परन्तु भारतीयोंको यह देखकर बहुत निराशा हुई कि युद्ध-कालमें उन्होंने जिस काले कानूनका जोरदार विरोध किया था उसे लागू करनेके लिए साम्राज्यीय

अधिकारी जोर-शोरसे प्रयत्न कर रहे हैं; लॉर्ड सेल्बोर्नने वादमें इस नीतिका बचाव करनेकी कोशिश की थी और जैसा कि अनिवार्य था बचाव बहुत शिथिल था। भारतीयोंके प्रवासपर शान्ति-सुरक्षा अध्यादेशसे कठोर प्रतिबन्ध लग गया। लॉर्ड मिलनरने १८८५ के कानून ३ के अधीन लगभग सभी बालिग भारतीय पुरुषोंके पंजीयनका आग्रह किया और अन्तमें भारतीय नेताओंने इसे एक सर्वथा स्वेच्छया किये जानेवाले कामके रूपमें मान लिया। क्योंकि लॉर्ड मिलनरने निश्चित वचन^१ दिया कि यह पंजीयन सम्पूर्ण और अन्तिम माना जायेगा और जो प्रमाणपत्र जारी होंगे उनके धारकोंको निवासका स्थायी हक होगा और इच्छानुसार बाहर आने-जानेका भी हक होगा।

इसी बीच १८८५ का कानून ३ लागू किया जा रहा था ताकि सभी भारतीयोंको बस्तियों (लोकेशन्स) में रहने और वहीं व्यापार करनेपर मजबूर किया जाये। अतः युद्धके पहलेका पुराना झगड़ा फिर चल पड़ा। उसका परिणाम यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालयमें एक अपील हुई जिसने रिपब्लिकन हाईकोर्टके पुराने निर्णयको उलट दिया और ऐसा माना कि भारतीय जहाँ चाहें वहाँ व्यापार कर सकते हैं और बस्तियोंमें न रहना कानून द्वारा दण्डनीय अपराध नहीं है। यूरोपीय जनतामें जो भारत-विरोधी तबका था, उसके लिए यह निर्णय एक कठोर आघात था। उस तबकेका सरकारमें भी प्रतिनिधित्व था और सरकारने ऐसा कानून बनानेका प्रयत्न किया जिससे सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयका प्रतिकार हो जाये। किन्तु तत्कालीन उपनिवेश-सचिव स्वर्गीय श्री लिट्ल्टनके हस्तक्षेपसे वह प्रयत्न असफल रहा। परन्तु आम जनताको झूठे आँकड़ोंसे यह विश्वास दिलाया गया कि ट्रान्सवालमें एशियाइयोंका अनधिकृत आगमन बहुत ज्यादा है। १९०४ में प्लेगके प्रकोपके समय जोहानिसबर्गकी भारतीय बस्तिके जला दिये जानेपर वहाँके निवासी भारतीयोंके पूरे उपनिवेशमें तितर-बितर हो जानेसे जनताके उस विश्वासको और भी बल मिला। ट्रान्सवालमें सब जगह इस उद्देश्यसे सभाएँ की गईं कि एशियाइयोंके प्रवासके सभी द्वार बन्द कर दिये जायें और भारतीयोंको बस्तियोंमें ही रहने तथा वहाँ व्यापार करनेको मजबूर किया जाये। इस प्रकार पूर्वग्रह और भयका जो वातावरण बना, उसमें भारतीय समाजके लिए अपनी निर्दोषताकी बात कहना सम्भव नहीं रह गया और उसकी इस माँगकी, कि शाही आयोग द्वारा या किसी अन्य तरीकेसे इस सवालकी खुली और पक्षपात रहित जाँच होनी चाहिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अतएव १९०९ में जब १८८५ के कानून ३ के “संशोधन” के लिए उस अध्यादेशका मसविदा प्रकाशित हुआ जिसमें समूचे भारतीय समाज — आदिमियों, औरतों और बच्चोंका दुबारा पंजीयन कराना जरूरी माना गया था तो यूरोपीय जनताने उसका बड़े शोरगुलके साथ स्वागत किया, जब कि उन भारतीयोंपर जो इससे पीड़ित होनेवाले थे वज्रपात-जैसा हुआ। अधिकारियोंने जो इसकी जरूरत समझी उसका मूल कारण यह था कि उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि भारतीयोंका गैर-कानूनी किस्मका प्रवास अत्यधिक हो रहा है और उसमें अधिवासी भारतीयोंका हाथ भी अवश्य है। जहाँतक आम जनताका सम्बन्ध था उसने इस अध्यादेशको भारतीयोंको उपनिवेशसे पूरी तरह बाहर भगानेकी योजनाका पहला कदम मानकर उसका भरपूर स्वागत किया। पड़ोसी उपनिवेशों और प्रदेशोंके यूरोपीय इस घटनाको उत्सुक दर्शकोंकी तरह देखते रहे जैसा कि उन्होंने १९०३ में किया था जब कि लॉर्ड मिलनरने भारतीयोंको बस्तियोंमें रहने और व्यापार करनेपर मजबूर करनेका असफल प्रयास किया था। उनकी मंशा यह थी कि वे भी इस नई नीतिके परिणामोंका लाभ अपने आपको एशियाई “दुःस्वप्न” से मुक्त करनेमें उठा सकें।

समाजपर जिस भयानक विपत्तिका खतरा था उपस्थित हुआ था, उससे आतंकित होकर भारतीय नेताओंने, यदि सम्भव हो तो, उसे टालनेके लिए शीघ्रतासे कार्रवाई प्रारम्भ कर दी। उन्होंने सरकारके जिम्मेदार सदस्यसे भेंट माँगी। किन्तु उन्हें केवल इस कानूनके व्यवहारसे स्त्रियोंको छूट दिलानेमें ही सफलता मिली, और अन्तिम उपायके रूपमें ठीक उसी समय, जबकि विधान-परिषदमें इस अध्यादेशके

मसविदेपर बहस चल रही थी, भारतीयोंकी एक सार्वजनिक सभा^१ बुलाई। उधर परिषद्में— जिसकी बहस बिल्कुल दिखावटी और पूर्व-निश्चित थी, दो घंटेसे भी कम समयमें सारी कार्रवाई समाप्त कर दी गई, और इधर भीड़से खचाखच भरा एम्पायर थियेटर सरकारकी उस नीतिकी भर्त्सनामें दिये गये जोशीले भाषणोंसे— गूँज उठा, जो एक ओर तो लॉर्ड मिलनरके गम्भीर वचनको झुठला रही थी और दूसरी ओर बिना किसी सुनवाई-शहदादतके भारतीय समाजको दोषी ठहराते हुए इस उपनिवेशसे, और अन्ततः दक्षिण आफ्रिकासे उसके निष्कासनका सामान जुटा रही है। इस नीतिसे उत्पन्न क्षोभ इतना तीव्र था कि जब प्रसिद्ध चौथा प्रस्ताव^२— जो उपस्थित लोगों और जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे, उन सबको भी उस विधेयकके पारित हो जानेपर तबतक के लिए जेल जानेकी प्रतिज्ञासे बाँध देता था जबतक कि उक्त कानून रद्द अथवा अस्वीकृत नहीं कर दिया जाता— पेश किया गया तो तीन हजारके उस विशाल जनसमुदायने एक स्वरसे उसका समर्थन किया और जब सत्याग्रहकी शपथ दिलाई गई तो सबने गम्भीररूपसे “तथास्तु” का स्वर उच्चारित किया। किन्तु, साथ ही एक भयानक संघर्षकी सम्भावनाको टालनेके लिए इंग्लैंडको एक शिष्टमण्डल भेजनेकी व्यवस्था भी की गई। प्रतिनिधिगण साम्राज्यीय अधिकारियोंसे मुलाकात करने और जनमतको जगानेके लिए चल दिये। उनके प्रयत्नोंके परिणामस्वरूप, ट्रान्सवालमें स्वशासनका समारम्भ निकट देखते हुए विधेयकपर शाही स्वीकृति स्थगित कर दी गई, और यह भी उन्हींके प्रयासोंका सुफल था कि प्रसिद्ध दक्षिण आफ्रिका-ब्रिटिश-भारतीय समितिका गठन किया गया, जिसके कार्यपालक अध्यक्ष हुए सर मंचरजी भावनगरी, मन्त्री श्री एल० डब्ल्यू० रिच और बादमें चलकर उसके सभापति (प्रेसिडेंट) पदका दायित्व संभाला लॉर्ड एंस्टहिलने।

किन्तु, कानूनपर शाही अस्वीकृति अस्थायी छुटकारा ही थी; क्योंकि उपनिवेशकी यूरोपीय आबादीने साम्राज्य सरकारकी इस कार्रवाईका, जिसे उसने लगभग एक स्वशासित उपनिवेशके मामलेमें धृष्टतापूर्ण हस्तक्षेपके रूपमें देखा, बहुत बुरा माना, और फिर उसने धुब्ध होकर यह माँग की कि इस अध्यादेशको शीघ्र ही पुनः कानूनी रूप दिया जाये। परिणामतः नयी संसदका लगभग पहला कार्य यह हुआ कि उसने सर्वसम्मतिसे एक ही अधिवेशनमें प्रस्तुत विधेयकपर सारी कार्रवाई समाप्त करके उसे कानूनका रूप दे दिया। उसने भारतीय जनमत और भारतीय विरोधोंका कोई खयाल नहीं किया; क्योंकि भारतीयोंका ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए जान पड़ता है, किसीको भी उनकी भावनाओंका खयाल रखना आवश्यक नहीं लगा।

संघर्ष यद्यपि अब अवश्यंभावी हो गया था, फिर भी भारतीय नेताओंने सरकार और संसदसे यह अनुरोध किया था कि विधेयकको पास न किया जाये और पुनः पंजीयनके स्वेच्छया प्रयत्नको स्वीकार कर लिया जाये। और उनका कहना था कि इस पुनः पंजीयनका स्वरूप, जेसा दोनों पक्ष मिलकर तय कर दें, वैसा ही हो। वे इस कार्यमें हर सम्भव सहायता देनेको तैयार थे। किन्तु, उनकी एक न सुनी गई, और भारतीय समाजपर एक सुदीर्घ संघर्षकी सारी भीषण सम्भावनाएँ थोप दी गईं। जुलाई १९०७में नया कानून लागू कर दिया गया, और इसके अन्तर्गत सरकारी तौरपर पंजीयनकी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई। विभिन्न हिस्सोंमें बारी-बारीसे पंजीयन होने लगा, और पंजीयन-अधिकारी पूरे उपनिवेशमें एक नगरसे दूसरे नगरका दौरा करने लगे। किन्तु लोगोंको पंजीयनके लिए प्रेरित करनेके उनके सारे प्रयास सर्वथा विफल रहे, और इस कानूनकी शर्तोंके अनुसार आचरण करनेका एक अन्तिम अवसर देनेके विचारसे सरकारने पंजीयनकी विज्ञापित अवधिको बढ़ा दिया। किन्तु, भारतीय समाजके ९५ प्रतिशत लोग अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहे। इस बीच सरकारके नाम एक प्रार्थनापत्र^३ लिखकर इस स्थितिसे उत्पन्न परेशानियोंको समाप्त

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४३०-३८ तथा ४५१-५६।

२. खण्ड ५, पृष्ठ ४३४।

३. देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ३२०-२१।

करनेके लिए नेताओंने एक प्रयत्न और किया था। इस प्रार्थनापत्रपर ३००० भारतीयोंने हस्ताक्षर किये थे, और इसमें सरकारसे भारतीय समाजके जिस अथाह करार-सागरमें डूब जानेकी आशंका उत्पन्न हो गई थी, उसकी गहराईको महसूस करनेका अनुरोध किया गया था। समाजने कानून रद्द कर दिये जानेपर एक बार फिर स्वेच्छयासे पुनः पंजीयन करानेकी अपनी तत्परता व्यक्त की थी। परन्तु यह प्रार्थनापत्र तिरस्कारपूर्वक अस्वीकृत कर दिया गया, और वर्षके अन्तमें अनेक नेताओंको गिरफ्तार करके उन्हें उपनिवेशसे निकल जानेका आदेश दे दिया गया, और उनके इनकार करनेपर उन्हें विभिन्न कालावधियोंके लिए कारावासकी सजा दे दी गई। इस प्रक्रियाकी पुनरावृत्ति होती रही और आखिर सभी वर्गोंके सैकड़ों लोग जेलोंमें ठूस दिये गये। किन्तु, जब सरकारने देखा कि समाजका दमन करनेकी नीति असफल हो गई तो उसने “ट्रान्सवाल लीडर” के सम्पादक श्री अल्बर्ट कार्टेराष्टके द्वारा बातचीत प्रारम्भ की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस समय महाविभव आगाखों बम्बईमें आयोजित सार्वजनिक विरोध-सभाकी अध्यक्षता कर रहे थे, लगभग उसी समय एक समझौतेपर हस्ताक्षर हो गये। इसके अनुसार तय पाया गया कि सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया जायेगा, स्वेच्छया पुनः पंजीयनकी कार्रवाई तीन महीने तक चालू रहेगी, और इस अवधिमें कानूनका अमल स्थगित रहेगा, तथा, जैसा कि भारतीय हस्ताक्षरकर्त्ताओंको स्पष्ट लगे, यदि पुनः पंजीयन सम्पन्न हो जायेगा तो यह घृणित कानून रद्द कर दिया जायेगा। इस बीच एक प्रवासी-कानून पास कर दिये जानेके कारण स्थिति उलझ गई थी। इस कानूनको एशियाई कानून-संशोधन-अधिनियमसे संयुक्त करके लागू करनेका परिणाम यह होता कि सभी एशियाईयोंके आत्रजनपर, चाहे आत्रजनके इच्छुक भारतीय कितने भी सुसंस्कृत हों, पूरा प्रतिबन्ध लगा जाता। इस प्रकार प्रजाति-भेदसे रहित विधि-निर्माणकी जिस नीतिकी श्री चैम्बरलेनने शतनी जोरदार हिमायत की थी, उसे एक ही प्रहारमें ध्वस्त कर दिया गया। फिर भी, समाजको लगा कि एशियाई कानून रद्द कर देनेपर प्रजाति-भेदका कलंक अपने-आप दूर हो जायेगा, और तदनुसार सारे प्रयत्न उसी ओर केन्द्रीभूत कर दिये गये। इधर स्वेच्छया पुनः पंजीयन प्रारम्भ हुआ और उधर श्री गांधीके एक दिग्भ्रमित देशभाईने उनपर घातक प्रहार कर दिया,^१ और कुछ समयके लिए सब कुछ उलझनमें पड़ गया। किन्तु, समाजके नाम विशेष अपील जारी की गई, और तब पुनः विश्वास उत्पन्न होने और कानूनकी मंजूरीका वचन मिलनेपर मई महीनेके मध्य तक पुनः पंजीयनका कार्य विधिवत् सम्पन्न हो गया, और लॉर्ड सेल्बोर्नने स्वयं इसके सन्तोषजनक होनेका साक्ष्य भरा। और तब सरकारसे समझौतेका अपना दायित्व पूरा करनेको कहा गया; किन्तु वह मंजूरीके वादेसे मुकर गई, और उसके इस आचरणसे भारतीय समाजमें शीघ्र खलबली मच गई। सरकारने कहा कि वह कानून तो रद्द कर देगी, किन्तु इस शर्तपर कि कुछ विशिष्ट वर्गोंके भारतीयोंको निषिद्ध-प्रवासी माना जाये और प्रवासी-कानूनमें प्रजातिगत प्रतिबन्ध बना रहे। स्वभावतः इन शर्तोंको समाजने क्षोभके साथ अस्वीकार कर दिया, और वह सत्याग्रह संघर्षको पुनः आरम्भ करनेके लिए तैयार हो गई। नेटालसे आनेवाले एक शिक्षित पारसी श्री सोराबजी शापुरजीको प्रजातिगत भेदका विरोध करनेके कारण कारावासकी सजा दे दी गई। नेटालके भारतीयोंने अपने भाई-बन्दोंके साथ सहयोग करनेके लिए ट्रान्सवालमें प्रवेश किया; और उन्हें भी निषिद्ध-प्रवासियोंके रूपमें गिरफ्तार करके उपनिवेशसे निकल जानेका आदेश दिया गया। किन्तु जोहानिसवर्गमें आयोजित एक सार्वजनिक सभामें,^२ जिसमें वे भी उपस्थित थे, सैकड़ों स्वेच्छया पंजीयन-प्रमाणपत्रोंको सार्वजनिक रूपसे अग्निकी भेंट कर दिया गया और सरकारको सामूहिक कारावास देनेकी चुनौती दी गई। अब सरकार चौंक उठी, और श्री अल्बर्ट कार्टेराष्टकी मध्यस्थतामें प्रिटोरियामें सरकार और विरोधी दलके प्रमुख सदस्यों तथा भारतीयों और चीनी समाजोंके प्रतिनिधियोंकी एक बैठक बुलाई गई। किन्तु, बैठक असफल सिद्ध हुई; क्योंकि यद्यपि सरकार उन अनेक मुद्दोंको छोड़

१. देखिए खण्ड ८ पृष्ठ ९१-९२

२. देखिए खण्ड ८ पृष्ठ ४५०-५४ और ४६८-७१।

देनेके लिए तैयार थी, जिनपर वह पहले आग्रह करती रही थी; किन्तु दो प्रमुख मुद्दोंपर वह दृढ़पूर्वक डटी रही। उसने एशियाई अधिनियमको रद्द करने या प्रवासी कानूनसे प्रजातिगत प्रतिबन्ध हटानेसे दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। संसदके दोनों सदनोंमें एक संशोधन विधेयक पास किया गया, जिसके अनुसार स्वेच्छया पंजीयनको कानूनी-मान्यता दे दी गई और कुछ बातोंमें भारतीयोंकी स्थितिमें भी सुधार किया गया। किन्तु, चूँकि उपर्युक्त कारणोंसे यह कार्यवाई भी मुख्यतः असन्तोषजनक ही रही, इसलिए सत्याग्रहियोंने इसे कोई मान्यता नहीं दी और जोर-शोरसे संघर्ष पुनः प्रारम्भ कर दिया। नये कानूनसे सरकारके हाथ मजबूत हो गये थे, क्योंकि उसमें उसे निर्वासन-दण्डके अधिकार दिये गये थे। किन्तु, प्रारम्भमें उसके ये अधिकार बेकार ही सिद्ध हुए। कारण, वह सत्याग्रहियोंको नेटालकी सीमाके पार करती नहीं कि वे उतनी ही जल्दी लौट आते जितनी जल्दी उन्हें निर्वासित किया जाता था।

इस अवस्थामें संघर्षके विभिन्न व्यौरोंका विश्लेषण करना अनावश्यक ही होगा। इतना याद कर लेना ही काफी है कि पुर्तुगीज सरकारने डेलागोआ-बेमें ट्रान्सवाल लौटनेवाले ऐसे भारतीयोंका प्रवेश रोकनेमें ट्रान्सवालके साधनका काम किया जो उस उपनिवेशके वैध निवासी थे; सरकारके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमें अनेक परीक्षात्मक मुकदमे दायर किये गये, जिनमें से कुछमें वादियोंकी पराजय हुई और कुछमें विजय भी; ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष श्री अ० मु० काष्ठलियाने, जो धनोपार्जनकी क्षुद्र वासनाकी तुलनामें अपनी प्रतिष्ठापर दृढ़ रहना और सम्मानकी रक्षा करना अधिक श्रेयस्कर समझते थे, स्वेच्छासे दिवालियापन स्वीकार किया; सभी वर्गोंके हजारों भारतीयोंको कारावासकी सजा दी गई। भारतसे अपीलें की गईं, जिनके उत्तरमें उस देशके विभिन्न भागोंमें विरोध-सभाओंका आयोजन किया गया; नेटालसे आर्थिक सहायता मिली; सारे देशके भारतीयोंमें उत्साहकी एक प्रबल भावना जाग्रत हो गई; लन्दनमें लॉर्ड एंस्टहिलकी समिति और ब्रिटिश अखबार सक्रिय हो उठे; ट्रान्सवालके अखबारोंमें बड़े तीव्र विवाद उठ खड़े हुए; उधर ट्रान्सवालके अनेक यूरोपीयोंकी प्रच्छन्न सहानुभूतिका परिणाम हॉस्केन समितिके गठनके रूपमें प्रकट हुआ, जिसने अनेक प्रकारसे ऐसी शानदार और देशभक्तिपूर्ण सेवाएँ कीं; 'टाइम्स' में एक खुला पत्र छपा; नेटाल और दक्षिण रोडेशिया द्वारा पास किये गये भारतीय-विरोधी कानूनोंपर शाही स्वीकृति नहीं दी गई; जोहानिसबर्ग और सारे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी सार्वजनिक सभाएँ आयोजित की गईं; इस बीच भारतीय समाजके कुछ वर्गोंकी हिम्मत टूटने लगी, किन्तु कुछमें और भी दृढ़ता आ गई; तमिल लोगोंकी शक्ति और सहिष्णुताका आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन हुआ; भारतीय महिलाओंने बड़ी ओजस्वी श्रमशीलताका परिचय दिया; बहुत-से कारोबार और घर बरबाद हो गये, बिलर गये; सत्याग्रहियोंके उत्साहको तोड़नेके लिए जेलोंमें उन्हें भीषण यातनाएँ दी गईं; कारावासकी यातनाओंको बार-बार आमन्त्रित करनेवाले लोगोंने अप्रतिम साहसका परिचय दिया; संघर्ष मंजिलपर-मंजिल तय करता गया और उसीके साथ संघर्षकर्त्ताओंमें एक शानदार धार्मिक भावना विकसित होती गई; आशाओं और आशंकाओंकी आँख-मिचौनी चलती रही। नेताओंने इस बातमें अपना विश्वास दृढ़ रखा कि वे अन्ततः सफल होंगे — यह सब ऐसी घटनाओंकी शलकियाँ प्रस्तुत करता है, जिन्होंने सत्याग्रह-संघर्षको महानताके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया, और जो इस संघर्षकी सबसे बड़ी विशेषताएँ थीं।

सन् १९०९ के मध्य आन्दोलनमें एक नये जीवनका संचार हुआ, जब दो अलग-अलग शिष्टमण्डलोंको जनमत तैयार करने और सहायता प्राप्त करनेके लिए इंग्लैंड और भारत जानेके लिए प्राधिकृत किया गया। जब प्रतिनिधिगण रवाना होनेको थे, तभी उनमें से अधिकांशको सत्याग्रहियोंके रूपमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। स्पष्ट ही इसमें उद्देश्य यह था कि शेष प्रतिनिधि भी नहीं जा सकें। किन्तु, समाजका आग्रह था कि शिष्टमण्डल जायें ही। इंग्लैंडमें इस प्रश्नमें लोगोंकी अभिरुचि फिर बड़े तीव्र ढंगसे जग उठी और चूँकि उस समय संघ-अधिनियमके मसविदेके सिलसिलेमें ट्रान्सवालके मन्त्रिगण वहीं थे, साम्राज्यके अधिकारियोंने भरसक समझौता करानेका प्रयत्न किया। किन्तु, जनरल स्मट्सने बड़ा दुराग्रह दिखाया,

और वैधानिक रंग-भेदको दूर कर उसके बदले सर्वसामान्य ढंगके कानून बनानेसे उन्होंने साफ इनकार कर दिया, यद्यपि यह स्पष्ट था कि एशियाई अधिनियमका भविष्य अन्धकारमय है। इसलिए शिष्टमण्डल, जिसके नेता श्री गांधी थे, दक्षिण आफ्रिका लौट आया। उसे अपने उद्देश्यमें आंशिक सफलता ही मिली थी, किन्तु, वह ऐसे स्वयंसेवकोंके एक दलकी व्यवस्था कर आया था, जिन्होंने चन्दा करने और इस विषयको जनताके समक्ष रखनेका दायित्व अपने सिर ले लिया था।

भारत जानेवाले शिष्टमण्डलका स्वरूप इससे भिन्न था। इसके प्रस्थानके पूर्व एक महत्त्वपूर्ण घटना यह घटी कि जेलसे बाहर आते ही नागप्पनकी मृत्यु हो गई। उक्त शिष्टमण्डलके एकमात्र शेष सदस्य थे श्री पोलक। उन्होंने अपने-आपको पूरी तरह माननीय श्री गोखलेके हवाले कर दिया। उनकी 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' ने बम्बईसे रंगून और मद्राससे लाहौर तक सारे देशमें श्री पोलकके लिए सभाओंका आयोजन कराया। लोगोंमें बड़ा प्रबल उत्साह फैल गया, दक्षिण आफ्रिकामें कष्ट सहन करनेवाले लोगोंके रूपमें भारतका राष्ट्रीय अभिमान जाग उठा, और बड़ी तत्परतासे चन्दा किया जाने लगा। लोगोंने भी रतन जे० टाटाके उदाहरणसे प्रेरणा ली, देशी रजवाड़ोंने बड़ी उदारतासे दान दिया और संघर्ष चलानेके लिए १०,००० पौंडकी धनराशि एकत्र हो गई। सभी वर्गोंके लोगोंने एक स्वरसे साम्राज्य-सरकारके हस्तक्षेपकी मांग की, और शाही परिषदके ऐतिहासिक कलकत्ता-अधिवेशनमें भारत-सरकारने श्री गोखलेके प्रस्तावकी स्वीकृतिकी घोषणा की। सर्वसम्मतिसे पास किये गये इस प्रस्तावमें सरकारसे यह अनुरोध किया गया था कि वह भविष्यमें नेटाल्लेके लिए भारतमें गिरमिटिया मजदूरोंकी भर्तोंको रोकनेकी सत्ता अपने हाथोंमें ले। तेरह महीनोंके प्रचार-प्रसारके परिणामस्वरूप दक्षिण आफ्रिकी भारतीय प्रश्नके सम्बन्धमें भारतीय जनमत इतना प्रबुद्ध हो गया कि वहाँकी सरकार भी सजग और चिन्तित हो उठी। और जब देशके कोने-कोनेसे ट्रान्सवाल सरकारकी, संघर्षको कमजोर करनेके उद्देश्यसे, सत्याग्रहियों (जिनमें से बहुतोंका जन्म ही दक्षिण आफ्रिकामें हुआ था) को भारी संख्यामें निर्वासित करके भारत भेजनेकी कार्रवाईके खिलाफ विरोधकी आवाज आने लगी तो भारत-सरकारके आग्रहपूर्ण निवेदनपर साम्राज्य-सरकारने ट्रान्सवाल सरकारसे — और बादमें संघ सरकारसे — निर्वासनकी कार्रवाई बन्द करनेका अनुरोध किया और वह उसमें सफल भी रही। आगे चलकर निर्वासित लोग दक्षिण आफ्रिका लौट गये, किन्तु उन्हें नारायणसामी-जैसे व्यक्तिको खोना पड़ा। उसे कानूनका कोई खयाल न रखते हुए ब्रिटिश क्षेत्रमें कहीं भी नहीं उतरने दिया गया और डेलगोआ-वेमें उसकी मृत्यु हो गई।

इस बीच चारों दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेश दक्षिण आफ्रिका-संघके प्रान्त बन गये थे। साम्राज्य-सरकारने अन्ततः भारतीयोंके पक्षकी न्याय्यताको स्वीकार करते हुए और नई परिस्थितियोंकी सम्भावनाओंका लाभ उठाकर ७ अक्टूबर, १९१० को संघ-सरकारके नाम वह स्मरणीय खरीता भेजा, जिसमें उसने इस बातकी जोरदार सिफारिश की थी कि १९०७ के अधिनियम २ को रद्द कर दिया जाये और प्रजातिगत प्रतिबन्धको दूर करके उसके बदले भारतीयों द्वारा सुझाया हुआ प्रजातीय भेद-भावसे रहित ऐसा कानून बनाया जाये जिसमें प्रशासनिक भेद-भावके द्वारा भावी भारतीय आब्रजनकी एक न्यूनतम वार्षिक संख्या निश्चित हो जाये, और इस न्यूनतम संख्याके अनुसार ऐसे उच्च शिक्षा प्राप्त लोग ही आयें, जिनकी सेवाएँ भारतीय समाजकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए आवश्यक हैं। इस खरीतेके साथ एक शर्त यह भी जोड़ दी गई थी कि ट्रान्सवालके विवादको सुलझानेके लिए ऐसे किसी भी कदमको साम्राज्य-सरकार सन्तोषजनक नहीं मानेगी, जिससे तटीय प्रान्तोंमें रहनेवाले भारतीयोंके हितोंकी हानि होती हो। संघके मन्त्रियोंपर इसकी प्रतिक्रिया अनुकूल हुई; संघर्षकी भीषणता कम हो गई, और आखिर १९११ में एक संघीय प्रवासी-विधेयक प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्य इतने दिनोंसे चले आ रहे विवादको सुलझाना था। परन्तु स्पष्ट ही नया कानून अपने उद्देश्यको पूरा नहीं करता था; क्योंकि वह सर्वोच्च न्यायालयके अपील विभाग द्वारा छोटाभाईके मामलेमें दिये गये निर्णयके अनुसार नाबालिगोंको प्राप्त अधिकारोंकी रक्षा

करते हुए १९०७ के एशियाई अधिनियमको रद्द करता था परन्तु प्रजातिगत प्रतिबन्धको दूर नहीं करता था; बल्कि सच तो यह है कि ऑरेंज फ्री स्टेटमें प्रवेशके सवालको लेकर वह उसके प्रभावको संव्यापी बना देता था। इसके अतिरिक्त वह न केवल ट्रान्सवालके भारतीयोंके अन्य अधिकारोंका अपहरण करता था बल्कि तटीय प्रान्तोंके निवासियोंसे भी ऐसे अधिकार छीन लेता था। इसका एक स्वरसे विरोध किया गया, बातचीत फिर प्रारम्भ की गई और सत्याग्रही नेताओंने यह सुझाव दिया कि इस विधेयके बदले एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाये जिसका सम्बन्ध केवल ट्रान्सवालसे ही हो। किन्तु यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया। आखिर यह विधेयक पास करना असम्भव जान पड़ा और एक अस्थायी समझौता हो गया जिसके अनुसार भारतीयोंने सत्याग्रह-संवर्ष स्थगित करनेका वचन दिया और सरकारने संसदके १९१२ के अधिवेशनमें एक सन्तोषजनक विधेयक पेश करनेका वादा किया। यह भी तय पाया गया कि सरकार इस बीच कानूनका ऐसा अमल करेगी मानो उसमें परिवर्तन कर दिया गया हो — विशेषरूपसे इससे पहलेके समझौतेकी शर्तोंका खयाल रखते हुए एक सीमित संख्यामें शिक्षित प्रवेशार्थियोंको ट्रान्सवालमें आनेकी छूट दे देगी।

भारतमें सम्राटके अभिषेकके अवसरपर सद्भावनाका और भी अच्छा वातावरण तैयार हो गया; उसका लाभ उठाकर एक और शिष्टमण्डल वहाँ भेजा गया। इसका उद्देश्य था दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके प्रश्नपर जनमतकी रुचिको बनाये रखना और सरकारके सामने उन मुद्दोंको पेश करना जिनका कि भारतीय समाज आग्रह कर रहा था। किन्तु १९१२ के कानूनकी भी वही हालत हुई जो इससे पहलेके कानूनकी हुई थी और अस्थायी समझौतेकी अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गई। उसी समय सारे दक्षिण आफ्रिकामें माननीय श्री गोखलेके स्वागतकी तैयारियाँ होने लगीं। इस महाद्वीपमें उनकी यात्राकी स्मृति अब भी सबके मनमें ताजी है। वे भारतीय समस्यासे सम्बन्धित विचार-विमर्शको साम्राज्यीय धरातलपर ले जानेमें सफल हुए। यह एक ऐसी सफलता थी जिससे अब तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका था। अपने उदार विचारों और राजनयिकताके कारण वे अपने विरोधियोंके भी प्रशंसाके पात्र बन गये थे। इसी यात्राके दौरान बादमें भारतीयोंने यह दावा किया कि सरकारने इस तथ्यको देखते हुए कि पिछले चार वर्षोंसे अधिक समयसे भारत-सरकार द्वारा भारतसे गिरमिटियोंका प्रवास बन्द कर दिया गया है, अन्यायपूर्ण तीन पौंडी करको रद्द करनेका वादा किया है।

किन्तु जब १९१३ का विधेयक संसदमें पेश किया गया और भारतीय नेताओंने भारतीय प्रश्नके सम्बन्धमें, संघके मन्त्रियोंका रवैया देखा तो इस बातकी गम्भीर आशंकाएँ उत्पन्न हो गई कि यह स्थिति, जो भारतीय विवाहोंको लगभग अवैध ठहरानेवाले सर्ल-निर्णयके कारण पहले ही और अधिक उलझ गई है, एक बार फिर किसी भारी विपदाका रूप ले लेगी। सरकारको चेतावनी दी गई कि यदि वह शान्ति चाहती है तो विवादके प्रश्नका समाधान हो जाना चाहिए और कानूनसे प्रजातीय प्रतिबन्ध सदाके लिए समाप्त हो जाना चाहिए। सरकारने कुछ संशोधन पेश किये और वे स्वीकार भी कर लिये गये। उसका उद्देश्य वास्तविक एकपत्नीक विवाहोंको मान्यता देकर विवाहके विवादको तय करना था। किन्तु, विधेयक जिस रूपमें पास किया गया, उस रूपमें फिर भी वह सत्याग्रहियोंकी माँगोंको पूरा नहीं कर सका, और उधर तीन पौंडी कर भी बरकरार ही रहा। भारतीय नेताओंने संवर्षको पुनः आरम्भ करनेकी सम्भावनाओंको टालनेके लिए फिर एक अन्तिम प्रयास किया। संसदके अगले अधिवेशनमें एक राहत-कानून पास करानेका वचन प्राप्त करनेके उद्देश्यसे एक बार फिर बातचीत प्रारम्भ कर दी गई। किन्तु, तभी यूरोपीयोंकी हड़ताल शुरू हो गई, और श्री गांधीने सत्याग्रहियोंके प्रवक्ताकी हैसियतसे इस उत्तेजनापूर्ण स्थितिमें कुछ काल तक भारतीयोंकी माँगोंपर जोर न देनेका वचन दे दिया। इस बीच श्री गोखलेके आग्रहपूर्ण निमन्त्रण-पर उनके प्रयत्नोंमें हाथ बँटानेके लिए एक शिष्टमण्डल इंग्लैंड रवाना हो गया था। इन प्रयत्नोंका उद्देश्य साम्राज्य-सरकार और ब्रिटिश जनताको यह समझाना था कि परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर है, और यदि

शगड़ेके मुद्दोंका शीघ्रातिशीघ्र निपटारा नहीं किया जाता तो सत्याग्रहियोंकी माँगोंमें वृद्धि होना निश्चित है। किन्तु, ये सारे निवेदन-आवेदन संव-सरकारको रास्तेपर लानेमें असमर्थ रहे। वह अपने हठपर डटी रही। और तब उसके पास एक अन्तिम चेतावनी भेजी गई कि यदि अगले सत्रमें ऐसे वैधानिक और प्रशासनिक कानून पेश करनेका आश्वासन नहीं दिया गया, जिनकी रूसे वास्तविक एकपत्नीक विवाह कानूनन वैध मान लिये जायें, फ्री स्टेटके सम्बन्धमें प्रजातिगत प्रतिबन्ध दूर हो जाये, दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंको केप कॉलोनीमें प्रवेश करनेका अधिकार पुनः प्राप्त हो जाये, तीन पौंडी कर रद्द हो जाये, और भारतीयोंके विरुद्ध जिन वर्तमान कानूनोंका कठोरताके साथ प्रयोग किया जा रहा है, उनका अमल, निहित स्वार्थोंका ध्यान रखते हुए, न्यायपूर्ण ढंगसे होने लगे, तो सत्याग्रह-संघर्ष फिर तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जायेगा। किन्तु, सरकारने इस चेतावनीकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और संघर्ष अपनी समस्त कटुताके साथ पुनः प्रारम्भ कर दिया गया — और पहलेसे भी अधिक व्यापक पैमानेपर। लोगोंके दिमागमें उससे सम्बद्ध घटनाएँ इतनी ताजी हैं कि संक्षेपमें उनका उल्लेख-भरकर देना पर्याप्त होगा; अर्थात् — उन भारतीय महिलाओंका संघर्ष, जिनके विवाहोंकी, सरकारकी प्रेरणापर, सर्वोच्च न्यायालयने अवमानना कर दी थी; सारे नेटालमें स्वतन्त्र और गिरमिटिया मजदूरोंका जागरण; जबरदस्त हड़तालें; हड़तालियोंका अद्भुत और ऐतिहासिक कूच करते हुए ट्रान्सवालमें प्रवेश; हड़तालियोंको कुचलने और फिर कामपर जानेको मजबूर करनेके लिए बादमें किये गये नृशंस कृत्य; प्रमुख नेताओं और सैकड़ों — बल्कि हजारों — सामान्यजनोंकी गिरफ्तारी और कैद; डर्बन, जोहानिसबर्ग और संघके अन्य भागोंमें आयोजित भारतीयोंकी विशाल सार्वजनिक सभाएँ; भारतमें उत्पन्न क्षोभकी भयंकर और प्रबल भावना; मातृभूमिके सभी हिस्सोंसे संघर्षकर्ताओंको प्राप्त विशाल धनराशियाँ; मद्रासमें लॉर्ड हार्डिंजका वह प्रसिद्ध भाषण, जिसमें उन्होंने भारतीय जनमतके स्वरमें-स्वर मिलाकर उसका समर्थन किया और फिर उनकी जाँच-आयोगकी माँग; लॉर्ड एंम्टहिलकी समितिके उत्साहपूर्ण प्रयत्न; साम्राज्य-सरकारका तत्परताके साथ हस्तक्षेप करना; भारतीय समाजकी भावनाका कोई खयाल न करते हुए एक ऐसे आयोगकी नियुक्ति जिसके सदस्य भारतीयोंको कतई सन्तुष्ट नहीं कर सकते थे; नेताओंकी रिहाई, जिनकी आयोगकी उपेक्षा करनेकी सलाह लगभग पूर्णतः स्वीकार कर ली गई; श्री एंड्रयूज और पियर्सनका आगमन और समझौतेके लिए उनका अद्भुत कार्य; हरबतसिंह और वलिअम्माकी मृत्यु; वह तनावपूर्ण स्थिति, जिसमें सिर्फ यूरोपीयोंकी दूसरी हड़तालके कारण ही हलकापन आ सका, क्योंकि श्री गांधीने एक बार फिर तय कर लिया कि जबतक सरकार इस नई मुसीबतमें फँसी हुई है तबतक उसे परेशान न किया जाये; और सरकारके इस स्थितिपर काबू पा जानेपर सौहार्द्र, विश्वास और सहायगकी वह भावना जो महान् भारतीय नेताकी उदार नीति और अपने महान् साम्राज्यीय उद्देश्यकी सफलताके लिए प्रयत्न करते हुए श्री एंड्रयूजके उनपर स्नेहपूर्ण प्रभावके कारण निर्मित थी।

ये सारी घटनाएँ अभी हालकी हैं। और उसी प्रकार अभी बहुत दिन नहीं हुए जब आयोगने उन सारे मुद्दोंपर, जो उसे सौंपे गये थे और जिनको लेकर सत्याग्रह-संघर्ष छेड़ा गया था, हमारे अनुकूल सिफारिशें पेश कीं; सरकारने उसके प्रतिवेदनको समग्रतः स्वीकार कर लिया; भारतीय राहत-विधेयक पेश किया गया और विधानमण्डलके दोनों सदनोंमें लम्बी और महत्त्वपूर्ण बहसके बाद उसे पास कर दिया गया; श्री गांधी और जनरल स्मट्सके बीच वह पत्रव्यवहार हुआ, जिसमें जनरल स्मट्सने सरकारकी ओरसे उन प्रशासनिक सुधारोंकी कार्यान्वितिका वचन दिया जो नये अधिनियममें शामिल नहीं किये गये थे, और सत्याग्रह-संघर्षके भारतीय नेताने संघर्षकी समाप्तिकी विधिवत् घोषणा की और उन मुद्दोंको सामने रखा जिनके सम्बन्धमें भारतीयोंको सन्तुष्ट कर देनेपर ही उन्हें पूर्ण नागरिक समानताका दर्जा प्राप्त हो सकता है। और फिर आते हैं सारे देशमें आयोजित हमारे नेताकी विदाईके वे दृश्य जिनने संसारके सामने भारतीय शहीद नागप्पन, नारायणसामी, हरबतसिंह और वलिअम्माके कष्टों और मृत्युका औचित्य और पुनीत स्वरूप सिद्ध कर दिया।

[यहां यह बात महत्त्वपूर्ण है कि जैसे-जैसे सत्याग्रह-संघर्ष जोर पकड़ता गया और जैसे-जैसे वह पवित्रसे-पवित्रतर होता गया, वैसे-वैसे वह यूरोपीय और भारतीय, दोनों समुदायोंके श्रेष्ठतम प्रतिनिधियोंको अधिकाधिक पास लाता गया। हर चरण अपने साथ एक नई विजय और नई मैत्रियों लेकर आता था।] संघर्षके अन्तमें भौतिक उपलब्धिके रूपमें हमने जो कुछ पाया है वह वही है जो हमसे छीन लिया गया था; इसी प्रकार सैद्धान्तिक लाभके रूपमें हमने जो पाया है वह वही है जो हमें मिलना तो चाहिए था किन्तु दिया नहीं गया था। सैद्धान्तिक विजय पहले अस्वीकृत की गई मांगको स्वीकार करना था। [संघर्षका प्रारम्भ भारतीय समाजके प्रति सर्वत्र व्याप्त अविश्वास और तिरस्कारकी व्यापक भावनाके विरोधसे हुआ। अब उस अविश्वास और तिरस्कारका स्थान विश्वास और आदरकी भावनाने ले लिया है।] इसका प्रारम्भ भारतीय भावनाकी पूर्ण उपेक्षासे हुआ। धीरे-धीरे वह नीति भी बदल गई। हाँ, बीचमें जब आयोग नियुक्त किया गया तब एक बार फिर इस नीतिने बड़ा जोर पकड़ा था। कारण यह था, कि आयोगकी नियुक्ति करते समय, जिन लोगोंका उसकी सिफारिशोंसे मुख्य सम्बन्ध था, उनकी भावनाका कोई खयाल नहीं रखा गया था। किन्तु, आज तो जिन मामलोंसे भारतीय समाजके महत्त्वपूर्ण हितोंका सम्बन्ध रहता है, उनमें उसके नेताओंसे सलाह-मशविरा किया जाता है। दरअसल सत्याग्रहने इन मताधिकारहीन लोगोंको, मताधिकार प्राप्त हो जानेपर जो-कुछ मिलता उससे बहुत अधिक और वह भी कम समयमें ही दे दिया है। [यह आन्दोलन १९०७के ट्रान्सवाल अधिनियम २ की मंजूरीकी मांगसे प्रारम्भ हुआ। कानून मंजूरी कर दिया गया और इसके समस्त दक्षिण आफ्रिकामें लागू कर दिये जानेकी जो आशंका उत्पन्न हो गई थी, उसका पूर्णतः निवारण हो गया। प्रारम्भमें भारतीयोंको इस उपनिवेशसे निकाल बाहर करनेके उद्देश्यसे उनके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानेकी आशंका थी। समझौतेने साम्राज्यके किसी भी भागमें भारतीयोंके विरुद्ध प्रजातिगत कानून बनाये जानेकी सारी सम्भावना समाप्त कर दी। गिरमिटिया मजदूरोंके रूपमें भारतीयोंका आत्रजन जो दक्षिण आफ्रिकेके अर्थतन्त्रका लगभग एक स्थायी अंग माना जाता था, समाप्त कर दिया गया है। घृणित तीन पौंडी कर समाप्त कर दिया गया है और उसके साथ ही उससे सम्बद्ध कष्टों और अपमानोंका भी अन्त हो गया है। निहित स्वार्थ—जिनके सर्वत्र अस्त हो जानेके आसार दिखाई दे रहे थे—अब सुरक्षित और नरकरार रखे जानेको हैं। अधिकांश भारतीय विवाहोंको, जिन्हें पहले कभी-भी दक्षिण आफ्रिकेके कानूनकी मान्यता प्राप्त नहीं थी, अब पूरी तरह कानूनी मान्यता दी जानेको है। परन्तु इन सबके अलावा जो बात सबसे महत्त्वपूर्ण है वह है सत्याग्रहियोंकी कठिनाइयों, कष्टों और बलिदानोंसे उद्भूत समझौते और मेल-जोलकी नई भावना।] वैधानिक दृष्टिसे प्रजातिगत समानताके फन्देको ऊँचा रखा गया है, और अब यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीयोंके भी अपने कुछ अधिकार हैं, आकांक्षाएँ और आदर्श हैं, और उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। [इस संघर्षने व्यक्तिकी तुलनामें अधिकार, पशुबलकी तुलनामें आत्म-बल और घृणा तथा अमर्षकी तुलनामें प्रेम तथा विमर्शकी असीम श्रेष्ठताकी अत्यन्त स्पष्ट रूपसे सिद्ध कर दिया है।] राष्ट्रोंके बीच भारतका स्थान ऊँचा उठ गया है, दक्षिण आफ्रिकामें उसकी सन्तानोंकी प्रतिष्ठा कहींसे-कहीं पहुँच गई है, और अब उनके लिए शान्ति और मेल-जोलके वातावरणमें रहते हुए अपनी क्षमताओंका विकास करने, और इस प्रकार दक्षिण आफ्रिकी महाद्वीपमें जो एक महान राष्ट्रका निर्माण हो रहा है, उसमें अपना अंशदान देनेका मार्ग प्रशस्त हो गया है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, स्वर्ण अंक १९१४

परिशिष्ट २९

सी० राबर्ट्सका पत्र

[अगस्त १४, १९१४ के बाद]

प्रिय श्री गांधी,

लॉर्ड क्रूके आदेशानुसार मैं उनकी ओरसे आपके १४ वीं तारीखके पत्रके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और आपने स्वेच्छापूर्वक अपनी सेवाओंको अर्पित करनेका जो प्रस्ताव किया है उसके लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ ।

प्रस्ताव जिस भावनासे किया गया है उसी भावनासे वे उसे स्वीकार कर लेना चाहते हैं और साम्राज्यके हितमें भारतीय समाजकी इन सेवाओंके उपयोगका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, इस विषयपर उन्होंने बहुत विचार किया है ।

उनका ऐसा खयाल है कि भारतीय विद्यार्थियोंका किसी भी सैनिक कार्यमें लगाना, जिसकी उन्होंने अपनी ओरसे माँग की है, समीचीन नहीं होगा । लॉर्ड क्रिचनर अभी जो सैनिक संगठन खड़ा कर रहे हैं उसमें यदि वे दाखिल होते हैं तो फिर वे उसे तीन साल तक नहीं छोड़ सकेंगे । लॉर्ड महोदय उन्हें, उनके माता-पिताओंकी अनुज्ञाके बिना, एक ऐसा कदम उठानेमें बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना चाहते जो उनके इस देशमें आनेके उद्देश्यमें बाधक होगा और जो सम्भवतः उनके सारे भावी जीवनको स्थायी क्षति पहुँचा सकता है । इसी तरह उन्हें 'प्रादेशिक सेना' (टेरीटोरियल फोर्स) में भरती होनेकी सलाह भी नहीं दी जा सकती क्योंकि इस सेनामें जितने लोग लिये जाने थे लिये जा चुके हैं और जो नहीं लिये जा सके हैं ऐसे अतिरिक्त प्रार्थियोंकी एक लम्बी सूची बन गई है । गरज यह कि फिलहाल इस सेनामें प्रवेश पाना असंभव है । लेकिन सार्वजनिक कार्यका उतना ही महत्त्वपूर्ण एक दूसरा क्षेत्र भी है जिसमें हम इंग्लैंडवासियोंको बड़ी हदतक स्वयंसेवकोंकी सहायतापर निर्भर होनेकी आदत है । यह क्षेत्र है — बीमारों और घायलोंकी सेवा-शुश्रूषाका । ऐसा अंदेशा है कि इस युद्धमें उनकी संख्या काफी बड़ी होगी और अगर यह अंदेशा सही सिद्ध होता है तो सैनिक अस्पतालों और सैनिक कर्मचारियोंपर जो भार आ पड़ेगा उसे वहन करनेमें उन्हें काफी कठिनाई होगी । अतः इस आकस्मिक परिस्थितिसे निपटनेके लिए स्वेच्छाके आधारपर संगठित अस्थायी संस्थाओंको खड़ा करनेकी जरूरत है । ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटीकी स्वेच्छा-सहायता टुकड़ियोंमें अनेक अंग्रेज पुरुष और स्त्रियाँ इस कार्यको आज भी कर रहे हैं । आपका ध्यान उसीकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं ।

लॉर्ड महोदयकी सलाह है कि लंदनके भारतीय निवासी और प्रवासी एक समिति बनायें और यह समिति भारतीयोंकी एक स्वेच्छा-सहायता टुकड़ी खड़ी करे । ज्ञात हुआ है कि श्री जेम्स कैटलीने, जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटीकी स्वेच्छा-सहायता टुकड़ियोंके संगठनमें सक्रिय हिस्सा लिया है, उक्त भारतीय टुकड़ीको आवश्यक तालीम देनेकी तैयारी बताई है — शर्त यह है कि ऐसी तालीम लेना चाहनेवाले भारतीयोंकी संख्या काफी होनी चाहिए । लॉर्ड क्रूका ध्यान इस बातपर गया है कि आपके पत्रपर सही करनेवालोंमें कई तो डॉक्टरकी शिक्षा पाये हुए लोग हैं । अगर ये लोग श्री कैटलीके साथ सहयोग करें तो यह

आशा की जा सकती है कि भारतीयोंकी यह टुकड़ी इंग्लैंडमें विद्यमान ऐसी उत्तम टुकड़ियोंमें अपना स्थान बना लेगी ।

बेशक, यह तो अभी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि भारतीयोंकी इस स्वेच्छा-सहायता टुकड़ीकी सेवाएँ अमुक दिशामें ली ही जायेंगी । अगर सौभाग्यवशात् घायलों और बीमारोंकी संस्था ज्यादा न हुई तो हमारे सैनिक और सेवार्य अस्पताल उनकी देखभाल कर ही लेंगे । लेकिन अभी तो यहाँ लोगोंका यह खयाल है और जैसा आपके पत्रसे विदित होता है भारतीय भी यही मानते हैं कि अगर जरूरत पड़ जाय तो उत्तम सेवा कर सकनेके लिए हम सब लोगोंको अपनी तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए ।

भवदीय

चार्ल्स रॉबर्ट्स

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-९-१९१४

सामग्रीके साधन-सूत्र

केप आर्गस : केप टाउनका दैनिक समाचारपत्र ।

केपटाइम्स : केप टाउनका दैनिक समाचारपत्र

चार्ल्स फ्रीयर ऐन्ड्रूज : लेखक बनारसीदास चतुर्वेदी तथा मार्जरी साइक्स, प्रकाशक जॉर्ज एलेन ऐंड अनविन, लन्दन, १९४९ ।

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स : उपनिवेश कार्यालय, लन्दनके पुस्तकालयमें सुरक्षित कागजात । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९ ।

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली : गांधी-साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९ ।

गांधीजीनी साधना : लेखक रावजीभाई पटेल, प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९३९ ।

इंडियन ओपिनियनका, स्वर्ण अंक : दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रहके स्मारकके रूपमें दिसम्बर, १९१४में प्रकाशित, १९०६-१४ ।

हिन्दू : मद्राससे प्रकाशित समाचार पत्र; १८७८में साप्ताहिकके रूपमें प्रारम्भ, १८८३में त्रिसाप्ताहिक बना, और १८८९ से दैनिक ।

इंडिया (१८९०-१९२१) : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी लन्दन स्थित ब्रिटिश समिति द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र । देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१० ।

इंडियन ओपिनियन, (१९०३-६१) : सितम्बर २०, १९१३ तक शनिवारको निकलनेवाला साप्ताहिक पत्र; किन्तु उसके बाद सितम्बर २४ से बुधवारको प्रकाशित; इसकी डर्वनमें स्थापना हुई, किन्तु बादको फीनिक्स ले जाया गया । इसमें अंग्रेजी और गुजराती दो विभाग थे । प्रारम्भमें हिन्दी तथा तमिल विभाग भी थे ।

जीवन प्रभात (हिन्दी) : लेखक प्रभुदास छगनलाल गांधी, प्रकाशक सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, १९५४ ।

जीवनना झरणा (गुजराती) : लेखक प्रभुदास छगनलाल गांधी, प्रकाशक नव-जीवन कार्यालय, अहमदाबाद; पहला संस्करण १९४५, दूसरा संस्करण, १९५९ ।

जीवननुं परोढ (गुजराती) : लेखक प्रभुदास गांधी, प्रकाशक नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, १९४८ ।

महात्मा गांधीजीना पत्रो (गुजराती) : डी० एम० पटेल द्वारा सम्पादित, सेवक कार्यालय, अहमदाबाद, १९२१ ।

नेटाल मर्क्युरी (१८५२-) : डर्वनका दैनिक समाचारपत्र ।

भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया) : भारतके

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्लीमें सुरक्षित अभिलेख।

प्रिटोरिया न्यूज़ : प्रिटोरियाका दैनिक समाचारपत्र।

रेंड डेली मेल : जोहानिसबर्गसे प्रकाशित होनेवाला दैनिक समाचारपत्र।

साबरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय जिसमें गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी कालकी और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०।

सर्वेण्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी, पूना : श्री गोखले द्वारा जून १२, १९०५ में संस्थापित।

स्टार : जोहानिसबर्गका सान्ध्य दैनिक पत्र।

टाइम्स ऑफ इंडिया : १८३८ से बम्बईसे प्रकाशित होनेवाला दैनिक पत्र, बादको दिल्ली और बम्बईसे एक साथ प्रकाशित।

ट्रान्सवाल लीडर : जोहानिसबर्गका दैनिक।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(अप्रैल १९१३ — दिसम्बर १९१४)

- अप्रैल १ : १९१३ का वित्तीय सम्बन्ध अधिनियम, संख्या १० अमलमें आया।
- अप्रैल ३ : नये प्रवासी विधेयकका पाठ संघके विशेष गजटमें प्रकाशित।
- अप्रैल ९ : गांधीजीने गृह मन्त्रीको तार दिया कि भारतीयोंके दृष्टिकोणसे विधेयकमें भयानक आपत्तियाँ हैं, क्योंकि इसका असर बहुतसे वर्तमान अधिकारोंपर पड़ता है; ई० एफ० सी० लेनको लिखा कि भारतीय विवाहोंपर सर्ल द्वारा दिये गये निर्णयने दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय समाजकी नींवको ही हिला दिया है।
- अप्रैल ९ के बाद : ब्रिटिश भारतीय संघको दिये गये तारमें प्रवासी विधेयकके प्रति विरोध व्यक्त।
- अप्रैल १० : मार्च ३० की सार्वजनिक सभामें पारित प्रस्तावोंकी प्रतियाँ गृहमन्त्रीको भेजीं।
- अप्रैल १२ : 'इंडियन ओपिनियन'में नये विधेयक द्वारा १९११ के अस्थायी समझौतेकी शर्तें पूरी न होनेके बारेमें विस्तारसे प्रकाश; सरकारके राहत देनेमें असफल होनेपर ब्रिटिश भारतीयोंको "कष्टमें आनन्द प्राप्त करने" का पाठ याद करनेको कहा।
- अप्रैल १४ : विधान-सभामें प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका प्रथम वाचन।
- अप्रैल १५ : गृह-मन्त्रीको लिखे एक पत्रमें गांधीजीने नेटाल प्रवासी अधिनियमको कायम रखने तथा शिक्षित भारतीयोंकी पत्नियों व नाबालिग बच्चोंको संरक्षण देनेका आग्रह किया; सत्याग्रहके उल्लेखका अर्थ घमकी देना लगानेके लिए खेद व्यक्त। गृह-सचिवको लिखा कि गैर-ईसाई विवाहोंको वैध करार देनेके लिए संघके विवाह-कानूनोंमें संशोधन किया जाये।
- अप्रैल १६ : गवर्नर जनरल ग्लैडस्टनने यह आशा व्यक्त करते हुए सरकारको लिखा कि "बिना विधान पास किये किस प्रकार छोटी-मोटी व्यावहारिक रियायतें दी जा सकती हैं, इसपर मन्त्री विचार कर रहे होंगे।"
- अप्रैल १९ के पूर्व : कस्तूरबा गांधी द्वारा संघर्षमें शामिल होने तथा अपनेको गिरफ्तारीके लिए पेश करनेका निर्णय।
- अप्रैल १९ : गांधीजीने कस्तूरबाके निर्णयके बारेमें गोखलेको सूचना दी। गोखलेका जहाजसे इंग्लैंडके लिए प्रस्थान।
- अप्रैल २६ : विधान-सभामें प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका दूसरा वाचन।
- अप्रैल २७ : गांधीजी फीनिक्ससे जोहानिसबर्ग पहुँचे, फ्रीडडॉर्पकी सार्वजनिक सभामें भाषण और सभा द्वारा प्रवासी विधेयकके खिलाफ प्रस्ताव पास।
- अप्रैल २७ के बाद : प्रवासी विधेयकके बारेमें अपनी आपत्तियोंको दोहराते हुए चैपलिन, मॅरीमैन, स्मार्ट, अलैक्जेंडर, श्राइनर तथा एंम्टहिलको तार भेजे और लिखा कि सरकार राहत देनेमें असफल रही तो सत्याग्रह पुनः चालू किया जायेगा।

- अप्रैल २८ के पूर्व : जोहानिसबर्गमें यूरोपीय समितिके साथ प्रवासी विधेयकके बारेमें सलाह की; 'स्टार'ने भेंट ली।
- अप्रैल ३० : गृहमन्त्री द्वारा विधानसभामें एशियाइयोंकी बाढ़को नियन्त्रित करनेवाले विधेयकका समर्थन।
- मई ३ : गांधीजीने 'इंडियन ओपिनियन'में लिखा : "यदि संघर्षको पुनरुज्जीवित किया गया तो आनेवाला तीसरा संघर्ष सभी संघर्षोंसे शुद्धतम, अन्तिम और शानदार होगा।"
- मई ४ : ट्रान्सवाल भारतीय महिला-संघकी मन्त्रिणी सोन्जा स्लेशिनने गृह-मन्त्रीको तार देकर भारतीय विवाहोंके प्रश्नपर संघके सत्याग्रह करनेके निर्णयके बारेमें बताया।
- मई ८ : गांधीजी द्वारा वेरुलममें हिन्दू-मन्दिरका उद्घाटन। उपनिवेश मन्त्रीने गवर्नर जनरलको तार भेजा कि भारतीयोंकी कानूनी नियोग्यताएँ दूर करनेके लिए तुरन्त कानून बनाना साम्राज्यीय महत्त्वका मामला है।
- मई ११ : केप-ब्रिटिश भारतीय संघकी सभाने प्रवासी विधेयक तथा सर्ल-निर्णयका विरोध किया।
- मई १४ : गांधीजीने चैपलिनको एक पत्रमें लिखा, इस बातका डर है कि साम्राज्य-सरकारको विधेयकके पूरे पाठके बारेमें सूचना नहीं दी गई।
- मई १६ : उपनिवेशमें पैदा हुए भारतीयोंने जोहानिसबर्गमें सभा कर विधेयकका विरोध किया।
- मई १७ : गांधीजीने 'इंडियन ओपिनियन'में लिखते हुए माँग की कि ब्रिटिश-भारतीयोंकी माँगोंको समग्र रूपसे स्वीकार कर लिया जाये।
- मई १९ : गृह-मन्त्रालयको एक पत्र लिखकर घोषित किया कि यदि सरकार राहत देनेके वचनको पूरा करनेमें असमर्थ रही तो सत्याग्रह निश्चित है; ब्रिटिश-भारतीय संघने एक पत्रमें एकपत्नीक भारतीय विवाहोंको कानूनी स्वीकृति देनेकी अपनी माँगको स्पष्ट किया।
- मई २४ : चैपलिन तथा दूसरोंको तार भेजा कि विधेयकमें सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन अपर्याप्त हैं।
- मई २६ : विधान-सभामें विधेयकका तीसरा वाचन, और सहमतिके लिए उसे संसद (सीनेट)में भेज दिया गया।
चैपलिनने गांधीजीको तार दिया कि सरकारने विवाहके प्रश्नको हल करनेके लिए संशोधन करना स्वीकार कर लिया है।
- मई २७ : गांधीजीने डंकन, श्राइनर तथा अन्योको तार भेजकर बताया कि संशोधन अपर्याप्त है, क्योंकि इसमें विवाहोंको पंजीकृत करना आवश्यक है, विधेयक समझौतेकी भावनाके विरुद्ध है।
तार देकर गृह-मन्त्रीका ध्यान समझौतेकी उन शर्तोंकी ओर खींचा जिन्हें पूरा नहीं किया गया।
- मई २८ : चैपलिनने गांधीजीको तार देकर बताया कि जनरल स्मट्स वह सब-कुछ करनेके लिए तैयार हैं जो वे भारतीयोंके लिए कर सकते हैं।

प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका, जिसका प्रवासी विनियम विधेयकके नामसे पुनः नामकरण किया गया, संसद (सीनेट) में प्रथम वाचन।

मई २९ : गांधीजीने श्राइनर तथा एलैक्जेंडरको तार दिया कि दक्षिण आफ्रिकामें अवांछनीय स्त्रीके प्रवेशके मामलेके अभावमें भारतीय विवाहोंको पंजीकृत करना बेकार है।

गृह-मन्त्रीने भारतीय विवाहोंको वैध करार देनेके लिए कोई विधान बनानेकी सम्भावनासे या इस बातसे कि भारतीयोंको यह स्वीकृति दे दी गई है कि वे एकाधिक विवाहित पत्नियोंको ला सकते हैं, इनकार किया।

गवर्नर जनरल ग्लैड्स्टनने तार देकर उपनिवेश-मन्त्रीपर जोर दिया कि वे गांधीजीको पुनः सत्याग्रह प्रारम्भ करनेसे रोकनेके लिए भारत सरकारको प्रेरित करें; विश्वास दिलाया कि तीन-पौंडी कर रद्द करनेके लिए वे पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

मई ३० : गांधीजीने गृह-मन्त्रीको तार द्वारा बताया कि भारतमें विवाह प्रमाण-पत्रोंका प्रचलन नहीं है, इसलिए विवाह-कानूनकी अस्थायी समझौतेकी शर्तोंके साथ संगति होनी चाहिए।

गृह-मन्त्री द्वारा द्वितीय वाचनके लिए विधेयक संसद (सीनेट) में पेश।

जून २ : गांधीजीने डर्वनसे वक्तव्य दिया कि प्रवासी विधेयक १९११के समझौतेकी दो प्रमुख शर्तोंका उल्लंघन करता है और वे आशा करते हैं संसद विधेयकमें संशोधन कर देगी।

विनवर्गकी भारतीय महिलाओंने अपने साथ पास न ले जानेकी प्रतिज्ञा की।

जून ५ : तीन-पौंडी करके सम्बन्धमें नेटाल प्रवासी कानून-संशोधन विधेयक विधान-सभामें पेश।

संसदमें प्रवासी विनियम विधेयकका द्वितीय वाचन पारित।

गांधीजीने तार देकर गृह-मन्त्री तथा संसदके सदस्योंपर जोर दिया कि महिलाओंके साथ ही पुरुषोंको भी तीन पौंडी करसे छूट मिलनी चाहिए।

जून ७ : एक पत्रमें गोखलेको संकेत दिया कि यदि सत्याग्रह पुनः प्रारम्भ हो गया तो उनके भारत आनेकी तारीख अनिश्चित है।

‘इंडियन ओपिनियन’में, लिखते हुए घोषित किया कि यदि शिकायतें दूर नहीं की गईं तो सत्याग्रह अनिवार्य है।

जून ९ : संसदमें प्रवासी विनियम विधेयकका तृतीय वाचन।

जून ११ के पूर्व : गांधीजीने वक्तव्य दिया कि केवल महिलाओंको तीन-पौंडी करसे मुक्त करनेका प्रस्ताव गोखलेको दिये गये रद्द करनेके आश्वासनके साथ धोखा करना है।

जून ११ : प्रवासी विनियम विधेयक पारित।

जून १२ : डर्वनके उपनिवेशमें उत्पन्न भारतीयोंके संघने प्रवासी विधेयकका विरोध करते हुए प्रस्ताव पास किया; निर्णय किया कि भारतीयोंको कर न देनेकी सलाह दी जाये।

- जून १३ : प्रवासी विनियम विधेयकपर विधानसभामें अन्तिम बहस।
गांधीजीने उपनिवेश-मन्त्री द्वारा ११ जूनको ब्रिटिश लोकसभामें दिये गये वक्तव्यकी आलोचना की, संघ-सरकारपर आरोप लगाया कि उसने प्रवासी विधेयकके बारेमें साम्राज्य सरकारको धोखा दिया।
- जून १४ : 'इंडियन ओपिनियन'के जरिये भारतीयोंको प्रेरित किया कि वे प्रवासी अधिनियमको लागू करनेका विरोध करें।
- जून १६ : तार देकर गवर्नर जनरलसे आग्रह किया कि वे इस आधारपर विधेयकको स्वीकृति देना रोक लें कि यह भारतीयोंको उन अधिकारोंसे वंचित करता है जिनका उपभोग वे अबतक करते आये हैं।
- जून १८ : लॉर्ड एंम्टहिलने 'लन्दन टाइम्स'को लिखे एक पत्रमें प्रवासी विधेयक पारित करनेकी निन्दा की, आशा की कि सम्राट्के स्वीकृति देनेसे पहले ब्रिटिश संसदको उसपर बहस करनेका अवसर मिलेगा।
- जून १९ : विलियम वेडरबर्नने गांधीजीको गोखलेके स्वास्थ्यकी खतरनाक स्थितिके बारेमें लिखा, सार्वजनिक कार्य पुनः प्रारम्भ करनेके लिए भारत वापस जानेके गोखलेके निर्णयपर चिन्ता व्यक्त की।
- जून २० : गांधीजीने एक पत्रमें गोखलेको विधेयककी पेचीदगियोंके बारेमें बताया; फिशरके शिकायतें दूर करनेका वचन देनेपर सत्याग्रह प्रारम्भ न करनेका इरादा जाहिर किया और लिखा कि भारतमें गोखलेसे मिलने, उनके चरणोंमें बैठने, उनके अधीन काम करने तथा उनसे शिक्षा ग्रहण करनेके लिए वे उत्सुक हैं।
- जून २१ : ट्रान्सवाल जाते हुए डर्बनसे गोखलेको तार देकर गृह-मन्त्रीके पास भेजे जानेवाले मिशनकी सफलतामें सन्देह व्यक्त किया।
- जून २२ : गांधीजीके दूसरे भाई करसनदास गांधीकी राजकोटमें मृत्यु।
- जून २८ : गांधीजीने गृह-मन्त्रालयको लिखा कि वे सत्याग्रहसे बचनेके लिए बातचीत करनेको तैयार हैं।
- जुलाई १ : प्रवास और भारतीय विवाहोंके सन्दर्भमें १९१३के अधिनियम २२के सम्बन्धमें विशेषज्ञोंकी कानूनी राय उपलब्ध की।
- जुलाई २ : उपनिवेश-सचिव जॉर्जसे भेंट।
- जुलाई ५ : ऑरेंज फ्री स्टेटकी महिलाओंने पास कानूनोंके प्रतिरोधका निर्णय किया।
- जुलाई १० : दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके मामलेको प्रस्तुत करनेमें गोखलेकी सहायताको पोलक लन्दनके लिए रवाना।
- जुलाई १२ : गांधीजीने गोखलेको लिखते हुए सूचित किया कि स्मट्स पहलेसे ही अन्य समस्याओंमें व्यस्त हैं और कार्यकर्ता लम्बे संघर्षके लिए तैयार खड़े हैं; समझौता होनेकी स्थितिमें उन्हें पोलककी सेवाएँ देनेका वचन दिया।
- जुलाई १५ : प्रवासी विनियम अधिनियमके अन्तर्गत विनियम गज़टमें प्रकाशित।
- जुलाई १७ के पूर्व : स्मट्सने गांधीजीको लिखा कि जबतक रेलवे-हड़ताल समाप्त नहीं हो जाती बातचीत स्थगित रखें।

- जुलाई १९ : हड़तालकी स्थितिके कारण बातचीत करनेमें स्मट्सकी असमर्थताको देखते हुए गांधीजी रैंडसे लौट ।
- जुलाई २१ : जे० बी० पेटिटको एक पत्रमें लिखा कि स्वेच्छया दिया गया चन्दा स्वीकार कर लिया जायेगा; ८,७२० पाँडकी प्राप्ति स्वीकार की ।
- जुलाई २६ : 'इंडियन ओपिनियन' ने सूचना दी कि गांधीजीने "सरकारके सामने अनेक असम्भावित मुसीबतें आनेके कारण स्मट्सकी इच्छानुसार कोई भी कार्यवाही नहीं की।"
- जुलाई २९ : गांधीजीने डबनसे तार देकर गोखलेको सूचित किया कि औद्योगिक संकट-ने समझौता विषयक बातचीतकी प्रगतिमें बाधा डाली है । जोहानिसबर्ग पहुँचे ।
- जुलाई ३० : लॉर्ड एम्टहिलने लॉर्ड सभामें कहा कि प्रवासी विनियम विधेयक अस्थायी समझौतेके अनुसार नहीं है और साम्राज्य-सरकारसे प्रार्थना की कि वह संशोधन होने तक विधेयकको रोके रखे ।
- अगस्त १ : प्रवासी विनियम अधिनियम अमलमें आया ।
- अगस्त २ के पूर्व : ब्लूमफॉन्टीनमें ३४ महिलाओंको अपने पास पास न रखनेके कारण कैदकी सजाएँ ।
- अगस्त ७ : लन्दनमें गोखलेने तीन पाँडी कर तथा भारतीय विवाहोंके प्रश्नपर फिशर-से बातचीत की ।
गांधीजीने जमनादास गांधीको लिखा कि कैलेनबैक और मणिलाल गांधी उनके साथ भारत जायेंगे और प्रेस अपना काम जारी रखेगा ।
- अगस्त ११ : जे० बी० पेटिटने सत्याग्रह कोषमें भारतकी ओरसे चन्देके रूपमें ४०० पाँड तार द्वारा भेजे ।
- अगस्त १२ : दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिने भारतके अवर सचिवसे १९१३के वित्तीय सम्बन्ध अधिनियमके खिलाफ शिकायत की कि वह भारतीय व्यापारियोंके लिए क्लेशप्रद है ।
- अगस्त १५ : जोसेफ जे० डोककी उमतलीमें मृत्यु ।
- अगस्त १६ के पूर्व : संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस समितिके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरूने वाइस-रायको तार दिया कि प्रवासी विधेयकपर शाही स्वीकृतिको रोक रखनेके लिए साम्राज्य सरकारपर जोर दिया जाये ।
- अगस्त २३ : 'इंडियन ओपिनियन'में डोकके बारेमें लिखा ।
- अगस्त २४ : गांधीजीने जोहानिसबर्गसे गृह-मन्त्रीके निजी सचिवको लिखा कि नये अधिनियमकी सरकारी व्याख्या द्वारा भारतीयोंके "वर्तमान तथा अर्जित अधिकारोंके लिए" खतरा पैदा हो गया है ।
जोहानिसबर्गमें बैप्टिस्ट गिरजाघरमें डोककी आत्माकी शान्तिके लिए की गई प्रार्थनाके अवसरपर भाषण ।
- अगस्त २९ : तीन-पाँडी करकी अवशिष्ट रकम न चुकानेके कारण अपराधी, भूतपूर्व गिरमिटिया मजदूर सरजूको कामपर रखनेके कारण मगनलाल गांधीपर समन जारी । पोलकका इंग्लैंडसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए प्रस्थान ।

सितम्बर ४ : गांधीजीका जोहानिसबर्गसे फीनिक्सके लिए प्रस्थान ।

मगनलाल गांधीको सरजूके मामलेमें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया ।

सितम्बर १० : गांधीजीने बहुपत्नीक विवाहोंके प्रश्नके सम्बन्धमें गृहमन्त्रीके निजी सचिवको तार दिया; कानूनमें संशोधन न होनेपर सत्याग्रह पुनः प्रारम्भ करनेको अनिवार्य करार दिया ।

सितम्बर ११ : डर्बनकी पारसी अंजुमनने गृह-सचिवको पत्र लिखकर प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत आनेवाले विनियमोंपर आपत्ति व्यक्त की ।

सितम्बर १२ : काछलियाने सत्याग्रह पुनः प्रारम्भ करनेके भारतीयोंके निर्णयके बारेमें सरकारको सूचना दी ।

सितम्बर १३ : गांधीजीने 'इंडियन ओपिनियन'में घोषित किया कि बातचीत "निष्फल साबित हुई" ।

सितम्बर १५ : सत्याग्रह पुनः प्रारम्भ; सत्याग्रहियोंका अग्रिम दल, जिसमें १२ पुरुष व कस्तूरबा गांधी-समेत ४ महिलाएँ थीं, सीमा पार करनेके लिए रेल द्वारा डर्बनसे फोक्सरस्ट गया । ट्रान्सवालके प्रमुख भारतीय व्यापारियों द्वारा स्वर्ण-कानून तथा कसबा-अधिनियमके विरुद्ध संघर्ष छेड़नेका निश्चय ।

सितम्बर १६ : पारसी रुस्तमजी तथा अन्य सत्याग्रहियोंपर नये अधिनियमके अन्तर्गत निषिद्ध प्रवासी होनेका आरोप ।

गांधीजीने हरिलाल गांधीको अपनी पत्नीके साथ दक्षिण आफ्रिका वापस आनेके लिए लिखा, सत्याग्रहीके रूपमें जेलके लिए तैयार रहनेकी सलाह दी ।

कस्तूरबा अन्य सत्याग्रहियोंके साथ गिरफ्तार ।

सितम्बर २० : भारतीयोंको सलाह दी कि बिना परवानेके फेरी लगाकर या व्यापार करके अपनेको गिरफ्तार कराएँ; जब परवाना दिखानेके लिए कहा जाये तब वैसा करनेसे इनकार कर दें ।

सितम्बर २१ : 'नेटाल मर्क्युरी'में सत्याग्रहका सहारा लेनेके भारतीयोंके निश्चयको स्पष्ट किया ।

सितम्बर २२ : सत्याग्रहियोंको नेटालकी सीमापर निर्वासित किया गया, किन्तु सीमाको पुनः पार करनेपर उन्हें फिरसे गिरफ्तार कर लिया गया ।

सितम्बर २३ : कस्तूरबाको तीन मासकी तथा दूसरे सत्याग्रहियोंको एकसे तीन मास तककी सख्त कैदकी सजा ।

सितम्बर २४ : गांधीजीने 'इंडियन ओपिनियन'में दृढ़तासे कहा कि तीन-पौंडी कर संघर्षका सबसे जटिल अंश है ।

सितम्बर २५ : डर्बनसे जोहानिसबर्गके लिए प्रस्थान । मैरिट्सबर्ग तथा लेडी स्मिथमें भारतीयोंसे संघर्षमें सहायता देनेका आश्वासन प्राप्त । लेडीस्मिथमें कंडक्टरके आदेशपर यूरोपीयोंके लिए सुरक्षित रेलके डिब्बेको छोड़नेसे इनकार किया । बदरी और अन्य तीन सत्याग्रही जो गांधीजीके साथ गये थे, फोक्सरस्टमें गिरफ्तार ।

सितम्बर २७ : गांधीजी जोहानिसबर्ग पहुँचे ।

सितम्बर २८ : संघर्षकी गम्भीरताके बारेमें गृह-मन्त्रालयको लिखा और पुनः विचार करनेकी अपील की।

ब्रिटिश-भारतीय संघ द्वारा आयोजित फ्रीडडॉपकी सार्वजनिक सभामें गांधीजी, कैलेनबैक तथा रिचका भाषण। सरकार द्वारा शिकायतें दूर करने तक संघर्ष जारी रखनेका निश्चय।

सितम्बर २९ : एक भेंटमें गांधीजीने 'ट्रान्सवाल लीडर'को संकेत दिया कि संघर्ष करीब १०० सत्याग्रहियों तक ही सीमित रहेगा। सीमा पारकर तथा बिना अनुमति पत्रके फेरी लगाकर सत्याग्रह करनेके और उदाहरण।

सितम्बर ३० : गांधीजीने 'ट्रान्सवाल लीडर'की इस रिपोर्टका खण्डन किया कि प्रभावशाली भारतीय व्यापारी इस संघर्षके विरुद्ध हैं।

बदरी और उसके साथी निर्वासित; पुनः सीमा पार करनेपर पुनः गिरफ्तार, तीन मासकी सख्त कैदकी सजा।

एस० बी० मेढ, प्रागजी के० देसाई तथा मणिलाल गांधी फेरी लगानेके कारण गिरफ्तार, ७ दिनकी सख्त कैदकी सजा।

जोहानिसबर्गके भारतीय व्यापारियोंने 'ट्रान्सवाल लीडर'को लिखे एक पत्रमें उसके द्वारा लगाये गये अभियोगसे इनकार किया।

अक्तूबर १ के पूर्व : पारसी अंजुमनने गृह-मन्त्रीको तार देकर बताया कि वह सत्याग्रह-आन्दोलनसे सम्बद्ध है।

अक्तूबर १ : अंजुमन इस्लाम, डर्बनके तत्वावधानमें भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा; आन्दोलनका समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास।

अक्तूबर २ : कैलेनबैक और १२ महिलाओंका गिरफ्तारीके लिए जोहानिसबर्गसे मैरिट्सबर्गके लिए प्रस्थान।

अक्तूबर ३ : अंजुमन इस्लामने डर्बनकी ग्रे स्ट्रीट मस्जिदमें सभा बुलाई; विवाह कानूनोंका विरोध करते हुए प्रस्ताव पास। पोलक जोहानिसबर्ग पहुँचे। "रैंड डेली मेल"ने भेंट ली।

अक्तूबर ५ के पूर्व : पारसी रुस्तमजी तथा अन्य बन्दियों द्वारा मैरिट्सबर्ग जेलमें जेल-अधिकारियोंके यज्ञोपवीत वापस न करने तथा अनिवार्य टीका लगाना बन्द न करने तक अनशन करनेका निश्चय।

अक्तूबर ५ : गांधीजीका जोहानिसबर्गकी पाटीदार संघकी सभामें भाषण, सभा द्वारा सत्याग्रह आन्दोलनके समर्थनमें प्रस्ताव पास; जर्मिस्टन तथा पीटर मैरिट्सबर्गमें भी इस प्रकारकी सभाएँ।

अक्तूबर ६ : डर्बनकी दो मुसलमान महिलाएँ फोक्सरस्टमें सीमा पार करती हुई गिरफ्तार।

अक्तूबर ७ : एस० बी० मेढ, प्रागजी देसाई तथा मणिलाल गांधीने जेलकी सजा समाप्त होनेपर जोहानिसबर्गमें फेरी लगाई, हथकड़ियाँ डाले न्यायालयमें ले जाये गये; उनपर प्रमाणपत्र न दिखानेका आरोप; अपने ही मुचलकोंपर छोड़ दिये गये।

अक्तूबर ८ : बाईं फातिमा महताब, उनकी माता, उनका पुत्र तथा नौकर गिरफ्तार होनेके लिए डर्बनसे फोक्सरस्ट गये।

अक्तूबर ९ : गांधीजी जोहानिसबर्गके हिन्दुओंकी सभामें शामिल हुए। सभा द्वारा सत्याग्रहकी सहायताका दावा। मेड, प्रागजी देसाई तथा मणिलाल गांधीको १० दिनेके कठिन कारावासकी सजा।

अक्तूबर १० : चार्ल्सटाउन जाते हुए ७ सत्याग्रही फोक्सरस्टमें रोके गये, किन्तु गिरफ्तार नहीं किये गये।

अक्तूबर १३ : पी० के० नायडू, जीवन प्रेमजी तथा ९ अन्य व्यक्ति गिरफ्तार होनेके लिए जोहानिसबर्गमें फेरी लगाते रहे।

अक्तूबर १४ : श्रीमती महताब और उनके दलको तीन मासके कठोर कारावासकी सजा।

नायडू, भवानीदयाल तथा रामनारायण रेलवे कार्यकर्त्ताओंको उपद्रव करनेके लिए भड़कानेके आरोपमें जेल भेज दिये गये।

अक्तूबर १५ के पूर्व : चैपलिनने डर्बनकी एक सभामें तीन-पौंडी कर तथा अपील-निकायमें प्रवासी अधिकारियोंको नियुक्त करनेकी नीतिकी आलोचना की।

अक्तूबर १५ : गांधीजीने भारतीयोंकी माँगोंको दोहराते हुए, विवाहोंके प्रश्न तथा तीन-पौंडी करपर नये विधानकी आवश्यकता बताते हुए वक्तव्य दिया।

यूरोपीय समितिके अध्यक्ष हॉस्केनने गृह-मन्त्रीको पत्र लिखकर भारतीय माँगका समर्थन किया और मध्यस्थता करनेके लिए अपनी सेवाएँ अर्पित कीं।

अक्तूबर १६ : न्यू कैसिलके उपनिवेशमें उत्पन्न भारतीयोंने गांधीजीकी नीतिका समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किया।

प्रिटोरियासे प्राप्त हिदायतोंपर मेड, प्रागजी देसाई, मणिलाल गांधी, वीरासामी, फ्रांसिस और ७ अन्योंने विरुद्ध एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत लगाये गये आरोप वापस लिये गये।

अक्तूबर १७ : गांधीजी न्यू कैसिलके पास कोयला खानोंके क्षेत्रमें गये। उन्होंने गिरमिटिया भारतीयोंपर जोर दिया कि वे सरकारके तीन-पौंडी कर हटानेका वादा न करने तक हड़ताल करते रहें। संघर्षने नया मोड़ लिया। ७८ मजदूरोंने हड़ताल की; गिरफ्तार करनेपर चारको २ सप्ताहके कठिन कारावासकी सजा। ३,००० से भी अधिक गिरमिटिया भारतीय खान-मजदूरों द्वारा हड़तालका निर्णय। डर्बनके हिन्दुस्तानी संघ द्वारा सत्याग्रहके समर्थनमें सभा, गांधीजीके नेतृत्वमें विश्वास की घोषणा। लन्दनमें रायटरकी एजेन्सी द्वारा भेंट लेनेपर फिशरने बताया कि यदि भारतीय सैद्धान्तिक प्रश्नको छोड़ दें और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएँ तो अस्थायी समझौता सम्भव।

अक्तूबर १८ : पन्द्रह सत्याग्रही गिरफ्तार होनेके लिए न्यू कैसिलसे फोक्सरस्ट रवाना। पोलकने न्यू कैसिलके मजिस्ट्रेट तथा खानोंके प्रबन्धकोंको आश्वासन दिया कि भारतीय शारीरिक शक्तिका उपयोग नहीं करेंगे।

- अक्तूबर १९ : गांधीजी डर्बनकी भारतीय सभामें शामिल। सभा द्वारा उनकी नीतिकी आलोचना और उनके खिलाफ अविश्वास-प्रस्ताव पास।
डर्बनसे न्यू कैसिलके लिए रवाना।
हमीदिया इस्लामिया अंजुमन द्वारा फ्रीडडॉर्पमें आयोजित सभामें स्मट्स द्वारा मुस्लिम तलाक-कानूनके बारेमें किये गये अपमानजनक उल्लेखका विरोध।
- अक्तूबर २० : डैनहॉज़रमें २२ रेलवे मजदूरोंने काम छोड़ा। न्यू कैसिल, कैम्ब्रियन तथा डर्बनकी जहाज-सम्बन्धित कोयला खानोंके करीब ३,००० मजदूर हड़तालपर।
- अक्तूबर २१ : यूरोपीय समितिकी बैठकमें शामिल होनेके लिए गांधीजीका न्यू कैसिलसे जोहानिसबर्गके लिए प्रस्थान।
लॉर्ड एंमॉटसे निजी तथा अनौपचारिक भेंट।
११ भारतीय महिलाएँ न्यू कैसिलमें गिरफ्तार। उनके यह स्वीकार करनेपर कि उन्होंने शान्तिपूर्ण ढंगसे खनिकोंको काम छोड़नेकी सलाह दी, उन्हें आवारा-गर्दी अधिनियमके अन्तर्गत तीन मासके कठोर कारावासका दण्ड।
- अक्तूबर २२ के पूर्व : डैनहॉज़रकी सभामें १,००० से अधिक भारतीयों द्वारा हड़ताल करनेका निर्णय।
डर्बनमें हड़तालियोंके लिए घन तथा अन्न एकत्र करनेके उद्देश्यसे दाऊद मुहम्मदकी अध्यक्षतामें एक समितिका निर्माण।
- अक्तूबर २२ : गांधीजीने जोहानिसबर्गसे गोखलेको तार दिया कि यदि सरकार तीन-पाँडो कर हटानेका वादा करे तो हड़ताली फिर कामपर चले जायेंगे।
'रैंड डेली मेल'के प्रतिनिधिको बताया कि २,००० मजदूर बेकार हैं, पक्षपात-पूर्ण रिपोर्ट देकर भारतीयोंमें मतभेद पैदा करनेके प्रयत्नोंके लिए पत्रकी निन्दा की। हड़तालके क्षेत्रमें हैटिंगस्पूट, एलैंडस्लागावेका दौरा करके न्यू कैसिल लौटे।
डैनहॉज़रमें १,५०० हड़तालियों द्वारा सीमापर जाकर गिरफ्तार होनेका निर्णय।
- अक्तूबर २३ के पूर्व : गांधीजीने न्यू कैसिलसे बोथाको तार दिया कि यदि सरकार तीन-पाँडो कर हटानेका वादा करे तो उसके विरोधमें की गई हड़ताल समाप्त कर दी जायेगी।
अखबारोंको दिये गये तारमें बताया कि वे स्वयं खनिकोंको खानें छोड़कर गिरफ्तार होनेकी सलाह दे रहे हैं।
फोक्सरस्टमें फेरी लगानेके आरोपमें मणिलाल गांधी और ४ अन्य गिरफ्तार।
- अक्तूबर २३ : गांधीजीने अखबारोंको सूचना दी कि हड़तालियोंको खानें छोड़कर गिरफ्तार होने या फोक्सरस्ट जानेका आन्दोलन सन्निकट।
'नेटाल मर्क्युरी'ने रिपोर्ट दी कि हड़तालके कारण ९ खानें बन्द।
- अक्तूबर २४ : गांधीजीने मगनलाल गांधीको लिखा कि उनका संकल्प २,००० व्यक्तियोंको ट्रान्सवाल ले जानेका है।
उनके साथ जोहानिसबर्ग जानेवाले ६ भारतीय निवॉसित; वापस प्रवेश करनेपर

उन्हें पुनः गिरफ्तार कर तीन मासके कठिन कारावासकी सजा। न्यू कैसिलके १६ हड़तालियोंको दो मासके कारावासकी सजा।

अक्तूबर २५ के पूर्व : गांधीजीने जी० ए० नटेशनको तार देकर बताया कि सत्याग्रहके प्रश्न पर भारतीयोंके बीच मतभेद होनेके बारेमें 'टाइम्स ऑफ इंडिया'में छपी रिपोर्ट गलत।

अक्तूबर २५ : डर्वन व्यापार मण्डलमें भारतीय श्रमिकोंके नियोजकोंके बीच भाषण। नेटाल मक्युरी'को दी गई एक भेंटमें बताया कि कोयला खानोंमें हड़ताल होनेका कारण यह है कि सरकार तीन-पाँड़ी कर हटानेमें असफल रही।

अक्तूबर २६ : गांधीजीका डंडीके हिन्दू-मन्दिरमें भारतीय खान-मजदूरोंके बीच भाषण। ८०० खान मजदूर और हड़तालमें शामिल।

जर्मिस्टन भारतीय संघ द्वारा एशियाई बाजार तथा वतनी वस्तीके बीच दुहरी बाड़ खड़ी करनेके लिए नगरपालिकाके विरुद्ध सत्याग्रह करनेका निश्चय।

लेडीस्मिथके भारतीयों द्वारा हड़तालका समर्थन; सत्याग्रहियोंके परिवारोंकी सहायताके लिए समिति स्थापित।

अक्तूबर २७ : नेटाल भारतीय कांग्रेसने सभा करके गोखलेको तार दिया कि वह आन्दोलनका समर्थन करती है।

फोक्सरस्टमें ६ सत्याग्रही गिरफ्तार, ४ को ३ मासकी कड़ी कैद की सजा। उपनिवेशमें उत्पन्न ५ भारतीय, जिनमें अल्बर्ट क्रिस्टोफर तथा रूबेन जोसेफ भी शामिल थे, डर्वनसे हड़तालवाले क्षेत्रमें गये।

सत्याग्रहियोंकी 'सेना'को सूचित किया गया कि दूसरे दिन कूच प्रारम्भ होगा।

अक्तूबर २८ : गांधीजीने गृह-मन्त्रीसे तार द्वारा मूल समस्याओंपर जोर देते हुए कर सबन्धी प्रश्नपर उसका औचित्य देखते हुए पुनःविचारकी अपील की। न्यू कैसिलसे कूच प्रारम्भ।

जनरल स्मट्सने दक्षिण आफ्रिकी दलकी बैठकमें इस बातसे इनकार किया कि उन्होंने गोखलेको तीन-पाँड़ी कर हटानेका वचन दिया था।

अक्तूबर २८ के बाद : नेटाल भारतीय कांग्रेसने तीन-पाँड़ी कर हटानेके वादेसे सरकारके इनकार करनेके सम्बन्धमें गोखलेको तार दिया; गोखलेने पुष्टि की कि निश्चित रूपसे वादा किया था।

अक्तूबर २९ : गांधीजीका बैलेंगीशके भारतीय खान मजदूरोंके साथ इंगोगोसे फोक्सरस्टके लिए प्रस्थान।

गोखलेको सूचना दी कि वे गिरफ्तार होनेके लिए हड़तालियोंके साथ कूच कर रहे हैं; प्रार्थना की कि वे पोलकको लन्दनमें बसनेमें मदद दें।

भारतीय हड़तालियों द्वारा काम पुनः प्रारम्भ करनेकी सरकारी हिदायतोंको स्वीकार करनेसे इनकार।

नेटाल भारतीय कांग्रेसने सरकारपर आरोप लगाया कि उसने कर हटानेके वादेका निराकरण कर विश्वासघात किया है।

प्रागजी देसाईको न्यू कैसिल खान भू-सम्पत्तिमें अवैध हस्तक्षेप करनेका आरोप लगाकर तीन मासकी कैदकी सजा।

अक्तूबर ३० : गांधीजी २०० व्यक्तियोंके साथ चार्ल्स टाउन पहुँचे; महिला कैदियोंको जबरदस्ती टीका लगानेकी जाँच करनेके लिए गृह-मन्त्रीको तार दिया; 'इंडियन ओपिनियन'को तार दिया कि हड़तालके क्षेत्रमें ५,००० भारतीयों पर असर, ४,००० को भोजन और सहायता दी जा रही है, इनमें ३०० महिलाएँ और ६०० बच्चे शामिल; ३०० सत्याग्रही जेलमें। थम्बी नायडूके नेतृत्वमें ३०० तथा अल्बर्ट क्रिस्टोफरके नेतृत्वमें २०० कूच करनेवाले लोगोंका न्यू कैसिलसे प्रस्थान; बैलेंगीश कोयला खानके करीब १५० भारतीय जेलमें।

अक्तूबर ३१ : गांधीजीने न्याय-सचिवको सूचित किया कि यदि उन भारतीयोंको जिन्होंने स्वयं अपनेको पेश किया है, गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वे ट्रान्सवालमें कूच करेंगे। ए० डी० पिल्लेके नेतृत्वमें करीब २०० स्त्री-पुरुषोंका न्यू कैसिलसे फोक्सरस्टके लिए प्रस्थान, अन्य ५०० व्यक्तियोंका रेलगाड़ीसे प्रस्थान।

नवम्बर २ : गांधीजीकी देख-रेखमें १,५०० सत्याग्रही थे, जो चार्ल्स टाउनमें रखे गये थे।

नवम्बर ३ : रायटरको सूचना दी कि उन्होंने १,५०० व्यक्तियोंको लेकर ट्रान्सवालमें कूच करनेका इरादा किया है; यदि गिरफ्तार नहीं किये गये तो वे टॉल्स्टॉय फॉर्म जायेंगे।

'नेटाल एडवर्टाइज़र',ने सूचना दी कि वहाँ २,००० से अधिक भारतीय पड़ाव डालें बैठे हैं, जिनमें से ५०० लेडीस्मिथसे आये।

नवम्बर ४ के पूर्व : गांधीजीने कूचकी स्थितिके बारेमें सूचना देते हुए गोखलेको तार दिया।

नवम्बर ४ : न्यू कैसिलसे १,७०० सत्याग्रहियोंने कूच प्रारम्भ किया।

नवम्बर ५ के पूर्व : रेलवे कर्मचारी हड़तालमें शामिल।

बैलेंगीशके १७५ हड़ताली १० नवम्बर तकके लिए हिरासतमें; उन्हें स्थान देनेमें सरकार असमर्थ रही, इसलिए छोड़ दिये गये।

नवम्बर ५ : गांधीजीने तीन-पाँड़ी कर हटानेका आश्वासन देनेके लिए स्मट्सको तार दिया, ताकि 'कूच' बन्द कर दिया जाये; स्मट्सकी इनकारी।

गांधीजी द्वारा कूचका नेतृत्व करनेके अपने निश्चयकी 'नेटाल मर्क्युरी' में पुनः पुष्टि। ७०० भारतीय सत्याग्रहियोंका न्यू कैसिलसे प्रस्थान। लन्दनमें भारतीयोंकी सभाने घोषणा की कि उपनिवेशोंमें भारतीयोंको नागरिकताके अधिकार नहीं दिये जाते; वे शाही दायित्वोंमें हाथ नहीं बँटा सकते; श्रीमती गांधी तथा अन्य लोगोंकी वीरताकी प्रशंसा की।

इंडीमें बहुतसे भारतीयोंको तीन-पाँड़ी कर न हटाने तक काम करनेसे इनकार करनेके कारण जुर्माने, कैदकी सजा।

नवम्बर ६ के पूर्व : गांधीजीने हड़तालकी स्थितिके बारेमें गोखलेको तारसे सूचना दी कि वे ६ नवम्बरको 'महान् कूच'का नेतृत्व करेंगे।

नवम्बर ६-३० : बजे प्रातःकाल २,३०३७ व्यक्तियोंके 'महान् कूच'का चार्ल्स टाउनसे नेतृत्व; इनमें १२७ महिलाएँ और ५७ बच्चे; चार्ल्स टाउन और फोक्सरस्टके बीच आधे मार्गमें कूच करनेवालोंमें भाषण।

फोक्सरस्टमें सीमा पुलिसके अधीक्षक तथा प्रवासी अधिकारीने गांधीजी तथा कैलेनबैकके बयान लिये। कूच करनेवालोंने पुलिसका घेरा तोड़कर सीमा पार की। पामफोर्ड रेलवे स्टेशन पर ८-३० बजे शामको गांधीजी गिरफ्तार; कूच करनेवालोंकी यात्रा जारी।

नवम्बर ७ : गांधीजी फोक्सरस्ट न्यायालयके सामने पेश; ५० पाँडकी जमानतपर रिहा; मामला १४ नवम्बर तकके लिए स्थगित; ३३ मील मोटरसे गये; कूच करनेवालोंमें पुनः शामिल हुए, मार्गमें पाडेक्रॉलके स्थानपर सत्याग्रहियोंमें बूढ़े तथा कमजोर लोगोंको दवाइयाँ दीं।

अन्य कूच करनेवालोंके साथ कूच जारी रखनेकी अनुमतिके लिए गृह-मन्त्रीको तार; अन्यथा सरकारको कूच करनेवालोंकी देखभाल करनेकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए।

उमलोटी घाटी चीनी कम्पनीके भारतीय मजदूर हड़तालपर।

नवम्बर ८ : गांधीजी स्टैंडर्टन पहुँचे; गिरफ्तार और ५० पाँडकी जमानतपर रिहा; मामला २१ नवम्बर तकके लिए उठा दिया गया। टुकड़ीने कूच जारी रखा। रायटरने भेंट ली, गांधीजीने महसूस किया कि सरकार जरूर तीन-पाँडी कर हटा देगी।

नवम्बर ९ : डंडीके वारंटपर ग्रेलिंगस्टाडके निकट टीकवर्थमें गिरफ्तार, हड़तालको प्रोत्साहन देनेका आरोप; सत्याग्रहियोंसे बातचीत करनेकी अनुमति नहीं; रात-भरके लिए गुप्त रूपसे बालफोर ले जाये गये।

कूच करनेवालोंका पोलकके नेतृत्वमें ग्रेलिंगस्टाडकी ओर कूच।

नवम्बर १० : गांधीजीकी मामला उठा रखने, कूच करनेवालोंको टॉल्स्टॉय फॉर्म ले जानेकी अनुमतिके लिए प्रार्थना मजिस्ट्रेट द्वारा अस्वीकृत, सरकारको आगे भेजी गई। 'कर हटानेका वादा करने तक' गांधीजीकी दिनमें एक बार खानेकी प्रतिज्ञा। दलने कूच जारी रखा, बालफोर पहुँचा; २,००० कूच करनेवाले निषिद्ध प्रवासी घोषित, गिरफ्तार और विशेष रेलगाड़ीसे नेटालमें निर्वासित; पोलक, कैलेनबैक निषिद्ध प्रवासियोंका पक्ष लेने, तथा उन्हें ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेके लिए उकसानेके आरोपमें गिरफ्तार। मामले १३ नवम्बर तकके लिए उठा रखे गये।

मैरिट्सबर्गमें जेलमें सत्याग्रहियों द्वारा तीन दिनका उपवास।

नवम्बर ११ के पूर्व : गांधीजीने एक सन्देशमें, कूच करनेवालोंके साहस तथा बलिदानकी प्रशंसा की; जेल न जानेवालोंसे अपील की कि हड़तालियोंको खाना उपलब्ध करनेके लिए दिनमें एक वक्तका खाना छोड़ दें।

नवम्बर ११ : डंडी मजिस्ट्रेट द्वारा गांधीजीको ५० पाँड जुमाने या ९ मासकी कड़ी कैदकी सजा; कैदकी सजा पसन्द की; एक सन्देशमें हड़तालियोंसे अपील की कि तीन-पाँडी कर हटाने तक हड़ताल जारी रखें।

- डंडी जेलसे मगनलालको लिखते हुए वित्तीय प्रबन्धके सम्बन्धमें हिदायतें दीं; फलाहारकी अनुमति दे दी गई। पोलक, कैलेनबैंक हिरासतमें।
- नवम्बर १२ : वेरुलम १,५०० हड़तालियोंसे विमुक्त; टोंगाटसे लेकर उमगेनी तकके हजारों गिरमिटिया मजदूरों द्वारा बागानोंमें हड़ताल।
- नवम्बर १३ : गांधीजी फोक्सरस्ट जेलमें, जहाँ पोलक और कैलेनबैंकको रखा गया था, परिवर्तित।
- नवम्बर १४ : फोक्सरस्ट न्यायालयके सामने वक्तव्य दिया; स्वयं प्रस्तुत साक्ष्यपर अपराधी ठहराये गये; ३ मासकी और सजा।
- नवम्बर १५ : कैलेनबैंकके विरुद्ध शाही गवाहके रूपमें उपस्थित; कैलेनबैंकको तीन मासकी सजा।
- सत्याग्रही माउंट एजकम्बमें बैरकोंके अन्दर बन्द, खाना नहीं दिया गया; नेटाल भारतीय कांग्रेस द्वारा तारसे हड़तालियोंको खाना देनेकी अनुमति प्राप्त।
- नवम्बर १६ : डर्बनमें रेलवे, चीनी-कारखाने, डाक तथा निगमके सभी भारतीय मजदूर हड़तालपर; हड़तालियों और पुलिसके बीच टक्कर; कुल १६ भारतीय घायल, एककी मृत्यु।
- नवम्बर १७ : गांधीजी पोलकके मामलेमें गवाहके रूपमें उपस्थित; पोलकको तीन मासकी सजा।
- नवम्बर १८ : गांधीजी मैरिट्सवर्ग जेलमें, कैलेनबैंक क्रूगर्सडॉर्प जेलमें और पोलक बॉक्सवर्ग जेलमें परिवर्तित। डर्बनमें ७,००० से ८,००० तक हड़तालपर। भारत-मन्त्रीने उपनिवेश-मन्त्रीके सामने नेटाली भारतीयोंके साथ किये जानेवाले क्रूर व्यवहारके सम्बन्धमें भारतकी नाराजगीपर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की, और वक्तव्य देनेके लिए कहा।
- नवम्बर १९ : जमनादास गांधी तथा ४ अन्यो द्वारा किम्बर्लसे ट्रान्सवालकी सीमा पार।
- नवम्बर २० : हार्वरके २६४ हड़तालियों, ५ नेताओंको ७ दिनकी सख्त कैदकी सजा।
भारत सेवक समिति-भवनमें बम्बईकी महिला-सभा द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके लिए हमदर्दी, घन जुटानेका निश्चय।
- नवम्बर २१ : सोराबजी रुस्तमजी, क्रिस्टोफर गिरफ्तार।
मैरिट्सवर्गमें हड़ताल; थम्बी नायडू गिरफ्तार।
- नवम्बर २४ : लॉर्ड हार्डिंजने, मद्रासमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके सम्बन्धमें समवेदना-पूर्ण वक्तव्य दिया।
- नवम्बर २५ : 'इंडियन ओपिनियन'के कार्यवाहक सम्पादक वेस्ट, फीनिक्समें गिरफ्तार, "गिरमिटिया लोगोंको शरण देने" का आरोप।
बेनवा बागानमें पुलिस द्वारा गोलीसे दो भारतीयोंकी हत्या। वेरुलम तथा अन्य स्थानोंमें हड़ताली गिरफ्तार; ७ दिनकी कैदकी सजा।
- नवम्बर २६ : वेस्ट न्यायालयमें पेश, एक सप्ताहके लिए हिरासतमें।
प्लॉट्सके चीनी बागानके ९४ हड़तालियोंको ७ दिनकी कैदकी सजा।

नवम्बर २७ : नेटाल भारतीय कांग्रेसका सरकार द्वारा सत्याग्रहियोंका भयानक दमनके बारेमें गोखलेको तार; भारत, साम्राज्य सरकारोंपर हस्तक्षेप करनेके लिए जोर; भारतीयोंपर पुलिसके आक्रमणके बारेमें जाँच करनेकी सुविधा देनेके लिए न्याय-मन्त्री, प्रिटोरियाको भी तार। माउंट एजकम्बमें हड़तालियों और पुलिसके संघर्षका परिणाम ६ भारतीयोंकी मृत्यु।

नवम्बर २८ : दिल्लीमें भाषण देते हुए गोखले द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी भीषण दुर्दशाका उल्लेख।

नवम्बर ३० : डर्वन, जोहानिसबर्ग (त्रि० भा० सं०) मैरिट्सबर्ग, न्यू कैसिल, दूसरे नगरोंमें सार्वजनिक सभाओं द्वारा नेताओंके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त; शाही जाँचके लिए गोखलेकी माँगका समर्थन।

दिसम्बर १ : अखिल भारत तथा दक्षिण आफ्रिका संघके शिष्टमण्डलकी दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी शिकायतोंके सम्बन्धमें भारत-मन्त्रीसे भेंट।

दिसम्बर २ : २५ व्यक्तियोंका चार्ल्सटाउनसे ट्रान्सवालमें प्रवेश, तीन मासकी कड़ी कैदकी सजा; ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षने भारतीयोंकी सार्वजनिक सभाके प्रस्तावको गवर्नर-जनरलके पास भेजा।

दिसम्बर ३ : ५० से ६० तक सत्याग्रही मैरिट्सबर्ग जेलसे डर्वन भेजे गये, सभी ३० नवम्बरसे भूख हड़तालपर, एन० आई० ए०को सूचना प्रदान। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और ए० सी० मजूमदारके कलकत्तेमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके समर्थनमें भाषण।

दिसम्बर ४ : डर्वन जेल अधीक्षकने वेस्टकी मुलाकातमें बताया कि जेलमें भूख-हड़ताल नहीं, मुख्य मजिस्ट्रेट द्वारा मामलेकी जाँच-पड़ताल।

दिसम्बर ६ : श्लेसिन, वेस्टको भूख-हड़तालियोंसे मुलाकात करनेकी अनुमति देनेसे इनकार।

दिसम्बर १० : बम्बईकी सार्वजनिक सभा द्वारा दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके साथ होनेवाले दुर्व्यवहारकी निन्दा करते हुए प्रस्ताव पास; सर फिरोजशाह मेहताका भाषण।

दिसम्बर ११ : अशान्तिकी जाँच करनेके लिए सरकार द्वारा आयोगकी नियुक्ति; सर विलियम सॉलोमन उसके अध्यक्ष, एवालड एसेलेन, जे० एस० वाइली सदस्य नियुक्त।

दिसम्बर १४ : गांधीजीने ब्लूमफॉन्टीन जेलसे फीनिक्समें कुमारी वेस्टको लिखा।

दिसम्बर १५ : जोहानिसबर्ग, केपटाउन, डर्वन, मैरिट्सबर्ग, किम्बर्ले और पाँचेफस्ट्रमकी सार्वजनिक सभाओं द्वारा आयोगकी रचनाका विरोध।

दिसम्बर १६ : बम्बईके गवर्नर, लॉर्ड विलिंग्डन द्वारा दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नका "अपनी ही अनिवार्य विशेषताओंके कारण उच्च-स्तरीय शाही प्रश्न"के रूपमें उल्लेख।

दिसम्बर १७ के पूर्व : गोखलेने गांधीजीको तार दिया कि भारतीयोंकी जाँचके लिए सी० एफ० ऐंड्र्यूज तथा डब्ल्यू० डब्ल्यू० पियर्सन दक्षिण आफ्रिका आयेगे।

हिलहेड बैरकों तथा माउंट एजकम्ब जायदादमें २७ नवम्बरको हुई भारतीय मृत्युओंकी वेरुलममें जाँच प्रारम्भ।

दिसम्बर १८ : सॉलोमन आयोगकी सिफारिशपर गांधीजी, पोलक और कैलेनबैक प्रिटोरियामें रिहा। गांधीजी शामको जोहानिसबर्ग पहुँचे; सार्वजनिक सभामें भाषण; आयोगके सामने गवाही न देनेका प्रस्ताव पास; वादको 'नेटाल मर्क्युरी' द्वारा मुलाकात।

जाँच आयोगका अधिवेशन प्रिटोरियामें प्रारम्भ।

३६ सत्याग्रहियोंको जिनमें ५ महिलाएँ भी शामिल थीं सीमा पार करनेके अपराधमें ३ मासकी सजा।

दिसम्बर १९ : गांधीजी, पोलक और कैलेनबैकका डर्बनके लिए प्रस्थान।

दिसम्बर २० : जुलूसके साथ एन० आई० ए० के दफ्तर ले जाये गये; गांधीजी द्वारा दूसरे दिन आयोगके सामने गवाही देनेके बारेमें निर्णय करनेके लिए सार्वजनिक सभाकी घोषणा। 'नेटाल मर्क्युरी'को भेंटमें बताया कि जबतक सरकार भारतीय विरोधी भावनासे रहित यूरोपीयोंको नियुक्त नहीं करती, भारतीय समाज आयोगका बहिष्कार करेगा।

ट्रान्सवालकी महिला-सत्याग्रही डर्बन जेलसे रिहा।

दिसम्बर २१ : गांधीजी डर्बनके भारतीयोंकी सार्वजनिक सभामें गिरमिटिया भारतीयोंकी वेशभूषामें गये; हड़तालके दौरानमें गोलीसे मारे गये भारतीयोंके लिए "आंतरिक शोक" के चिह्नके रूपमें दिनमें एक बार भोजन करनेके निर्णयकी घोषणा। समाज द्वारा गवाही न देने तथा संघर्ष पुनः चालू करनेका निर्णय; सिफारिश की कि डब्ल्यू० पी० श्राइनर तथा सर जेम्स रोज-इन्स आयोगमें शामिल किये जायें; सत्याग्रहियोंकी रिहाईपर जोर दिया।

गांधीजीने वादको सार्वजनिक सभामें पारित प्रस्तावोंको भेजते हुए गृह-मन्त्रीको लिखा।

आयोगका बहिष्कार न करनेके बारेमें गोखलेका तार प्राप्त।

दिसम्बर २२ : पारसी हस्तमजी, छगनलाल गांधी, रामदास गांधी, डर्बन जेलसे रिहा; कस्तूरबा गांधी, श्रीमती छगनलाल गांधी, श्रीमती मगनलाल गांधी, सॉलोमन रायप्पन और दूसरे लोग मैरिट्सबर्ग जेलसे रिहा।

गांधीजीका रिहा हुए सत्याग्रहियोंके स्वागतमें की गई सभामें भाषण, भारतीयोंसे अपील की कि शोक चिह्नके रूपमें वे विलासको छोड़ दें।

आयोगके पुनर्निर्माणके सम्बन्धमें किये गये निर्णय तथा सत्याग्रहमें सार्वजनिक उत्साहके बारेमें गोखलेको तार दिया।

दिसम्बर २२ के बाद : सत्याग्रहियोंके साथ जेलमें किये गये दुर्व्यवहारके बारेमें 'नेटाल एडवर्टाइजर'को लिखा।

दिसम्बर २३ : एसेलेन और वाइलीके एशियाई विरोधी रुख तथा सरकार द्वारा सत्याग्रही कैदियोंके दमनके बारेमें उदाहरण देते हुए गांधीजीने गोखलेको तार दिया।

गोखलेने गांधीजीको तार दिया कि पोलकको इंग्लैंड भेजें। गांधीजी तथा साथियों-का सॉलोमन आयोगके विरुद्ध भारतीय समाजके रोषके बारेमें लॉर्ड एंम्टहिलको तार।

‘नेटाल मर्क्युरी’को लिखे एक पत्रमें अपने उद्देश्यको दक्षिण आफ्रिकी हमदर्दीसे भी बढ़कर बताया।

दिसम्बर २४ : स्मट्सने आयोगमें और सदस्य नियुक्त करनेसे इनकार करते हुए गांधी-जीको लिखा। गांधीजीने संघर्षको वापस लेनेकी असमर्थता व्यक्त करते हुए गोखलेको तार दिया; धार्मिक नेताओं, अखबारों, यूरोपीय समितिकी ओरसे लॉर्ड एंम्टहिल द्वारा सहायताका विश्वास दिलानेके बारेमें गोखलेको बताया।

दिसम्बर २५ : इस बातसे इनकार करते हुए कि संयुक्त पत्र अन्तिम चेतावनीके रूपमें था, गांधीजीने गृह-मन्त्रीको तार दिया, भारतीय मजदूरोंके नियोजकोंके हितोंकी रक्षाका वचन दिया, भेंटकी मांग की।

दिसम्बर २६ : आयोगमें बागान मालिकों तथा भारतीयोंकी ओरसे अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करनेके लिए साम्राज्य सरकारके साथ-साथ वाइसरायके हस्तक्षेपपर जोर देनेके लिए गोखलेसे अपील की।

तीन-पौंडी कर रद्द करानेके बारेमें प्रयत्न करनेके लिए धन्यवाद देते हुए गांधीजी-ने सिनेटर कैम्बेलको लिखा। गोखलेको सूचना दी कि सत्याग्रहियोंकी शपथने संघर्षको पुनः चालू करनेके लिए १ जनवरीकी तारीख निश्चित नहीं की। दूसरे तारमें गोखलेको सलाह दी कि वे धन भेजना मुत्तवी कर दें, क्योंकि आन्दोलनके स्थगित होनेकी सम्भावना है।

भारतीय कांग्रेस द्वारा कराचीमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके साथ दुर्व्यवहारकी निन्दा; गांधीजीके वीरतापूर्ण नेतृत्वकी प्रशंसा; गिरमिटिया प्रथापर प्रतिबन्ध लगानेकी मांग और शिष्टमण्डल इंग्लैंड भेजनेका निर्णय।

दिसम्बर २७ के पूर्व : गांधीजीने रायटरकी एक भेंटमें संघ तथा साम्राज्य सरकारोंके प्रति भारतीयोंकी राज-भक्तिपर जोर दिया तथा सत्याग्रहको पुनः प्रारम्भ करनेसे वचनेके लिए उत्सुकता व्यक्त की।

दिसम्बर २७ : राबर्ट्सनके दक्षिण आफ्रिका पहुँचने तक कूच मुत्तवी रखनेके बारेमें तार द्वारा गोखलेको विश्वास दिलाया। आशा की कि वाइसराय अथवा भारत-मन्त्री यूरोपीयोंकी हमदर्दीको नष्ट नहीं करेंगे। मैरिट्सबर्गके भारतीयोंकी सार्व-जनिक सभाको बातचीतके बारेमें सूचना दी, किन्तु उन्हें संघर्षके लिए सजग रहनेको कहा।

दिसम्बर २८ : गोखलेका राबर्ट्सनके दक्षिण आफ्रिका पहुँचने तक कूचको पुनः प्रारम्भ न करनेके गांधीजीके वादेके बारेमें वाइसरायको तार। वाइसरायने गोखलेको सूचना दी कि राबर्ट्सन १ जनवरीको जा रहे हैं। दुर्व्यवहार, तथा आयोगके सदस्योंके खिलाफ आपत्तियोंका विवरण भेजनेके लिए गांधीजीको गोखलेका तार।

दिसम्बर २९ : गांधीजीने गोखलेको लम्बा वक्तव्य भेजा। गृह-मन्त्री द्वारा गांधीजीके २५ दिसम्बरके तारका उत्तर देते हुए भारतीय नेताओंके मंत्रीपूर्ण-लहजेकी प्रशंसा, गांधीजीसे बातचीतके मुद्दोंको लिखकर भेजनेके लिए कहा।

गांधीजीने आयोगमें २ और सदस्य मनोनीत करनेके लिए गृह-मन्त्रीपर जोर दिया, व्यक्त किया कि वे जाँचके विषयोंको विस्तृत करके सॉलोमनके अधीन एक व्यक्ति-आयोग स्वीकार करनेकी सलाह देनेके लिए तैयार हैं; कैदियोंको रिहा करने तथा समझौतेके सम्बन्धमें मुलाकातकी वकालत की।

‘नेटाल मर्क्युरी’को स्पष्ट किया कि कूच १ जनवरी १९१४को पुनः प्रारम्भ नहीं होगी।

गवर्नर जनरल द्वारा उपनिवेश कार्यालयको समझौतेके सम्बन्धमें प्रयत्न किये जानेके बारेमें तार।

दिसम्बर ३० : गांधीजीने गोखलेको विश्वास दिलाया कि भारतीय एक सप्ताह या उससे भी अधिक देर तक जबतक कि राबर्ट्सनको स्थितिकी जाँच करनेका अवसर नहीं मिलता, प्रतीक्षा करेंगे।

‘नेटाल मर्क्युरी’के सम्पादकीयकी आलोचना करते हुए, सत्याग्रहके जरिये अपने सम्मानकी रक्षाके बारेमें भारतीय समाजके निश्चयको दोहराया।

दिसम्बर ३१ : गांधीजीने गोखलेको सूचित किया कि स्थितिको देखते हुए पोलक इंग्लैंड नहीं भेजे जा सकते।

गोखले द्वारा सॉलोमन आयोग तथा सम्बन्धित मामलोंपर दिये गये गांधीजीके वक्तव्य प्रकाशित।

१९१४

जनवरी १ : आन्दोलनका समर्थन करते हुए तथा इस बातसे इनकार करते हुए कि सत्याग्रहमें हिंसा भी शामिल है, गांधीजीने सिनेटर कैम्बेलको लिखा। सर बेन्जामिन राबर्ट्सनका बम्बईसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए प्रस्थान।

जनवरी २ : सी० एफ० एन्ड्र्यूज तथा डब्ल्यू डब्ल्यू० पियर्सन डर्वन पहुँचे। एन्ड्र्यूज-के पहुँचने तथा आयोगमें निष्पक्ष यूरोपीय नियुक्त करनेके लिए किये जानेवाले प्रयत्नोंके बारेमें गोखलेको तार।

जनवरी ३ : गोखलेको भेजे गये एक तारमें सत्याग्रहमें शामिल होनेके लिए हरिलालको वापस भेजनेका आग्रह।

जनवरी ४ : एन्ड्र्यूज और पियर्सनके सम्मानमें भारतीय फेरीवालोंके संघ द्वारा राय-टरको भेंट दी।

जनवरी ५ : ७० वर्षके सत्याग्रही हरबर्तसिंहकी, जो तीन मासकी सजा काट रहा था, फोक्सरस्ट जेलमें निमोनियासे मृत्यु।

जनवरी ७ : गांधीजी व एन्ड्र्यूजका स्मट्ससे मुलाकातके लिए प्रिटोरिया प्रस्थान।

जनवरी ८ के पूर्व : ब्लैकवर्न बागानमें पुलिसकी गोलीसे बहुतसे भारतीयोंकी मृत्यु।

जनवरी ८ : गांधीजीका स्मट्ससे मुलाकात करनेका प्रयत्न।

जनवरी ९ : गांधीजी व ऐन्ड्र्यूज प्रिटोरिया पहुँचे, एक भेंटमें 'प्रिटोरिया न्यूज'को विश्वास दिलाया कि रेलवे-हड़ताल समाप्त होने तक सत्याग्रही सरकारको तंग नहीं करेंगे।

जनवरी ११ : बेंजामिन राबर्टसन डर्वन पहुँचे।

जनवरी १२ : श्रीमती शेख मेहताव तथा उनकी माता, हनीफा बीबी मरित्सबर्ग जेलसे रिहा।

जनवरी १३ : स्मट्सने एक संक्षिप्त भेंटमें गांधीजीको राबर्टसनके प्रिटोरिया पहुँचने तक प्रतीक्षा करनेके लिए कहा, ऐन्ड्र्यूजकी गवर्नर-जनरल रलैड्स्टनसे मुलाकात।

जनवरी १६ : गांधीजीकी स्मट्ससे मुलाकात; सुझाव पेश किये।

जनवरी २० : गांधीजीको प्रिटोरियाके मुसलमानों और हिन्दुओंका लिखित वक्तव्य मिला, जिससे उन्होंने सत्याग्रहके प्रश्नपर मतभेद होनेका निराकरण किया था।

जनवरी २१ : गांधीजी बेंजामिन राबर्टसनसे मिले; गृह-मन्त्रालयको लिखकर सत्याग्रह पुनः प्रारम्भ न करने या आयोगके कार्यमें बाधा न डालनेका विश्वास दिलाया।

जनवरी २२ : ऐन्ड्र्यूज स्मट्ससे मिले। गांधीजी और स्मट्सके बीच अस्थायी समझौता, सरकार द्वारा भारतीयोंकी सलाह लेनेका सिद्धान्त स्वीकार। गांधीजीका प्रिटोरियासे फीनिक्सके लिए प्रस्थान, सत्याग्रह स्थगित।

जनवरी २३ : जोहानिसबर्ग पहुँचे; 'रैंड डेली मेल' को भेंट दी; अस्थायी समझौतेके बारेमें गोखलेको तारसे सूचना; १५, एडर्सन स्ट्रीट, जोहानिसबर्गमें कार्यालय स्थापित; डर्वन जेलसे बहुतसे सत्याग्रही रिहा।

जनवरी २५ : गांधीजी द्वारा डर्वनकी सार्वजनिक सभामें समझौतेके आशयपर प्रकाश; सभा द्वारा उसका अनुमोदन। भारतीय सुनारों द्वारा ऐन्ड्र्यूजके सम्मानमें किये गये स्वागत-समारोहमें शामिल।

जनवरी २६ : भारतीय जाँच आयोगकी पहली बैठक डर्वनमें हुई।

जनवरी २८ : रायटर तथा एस० ए० प्रेस एजेंसीने नेटाल भारतीय कांग्रेसकी बैठक द्वारा जाँच-आयोगके सामने गवाही देनेका निर्णय किये जानेके बारेमें रिपोर्ट दी। बहुत-से भारतीय संघों द्वारा अस्थायी समझौतेके समर्थनमें गोखलेको तार।

जनवरी २९ : बेंजामिन राबर्टसनने आयोगके सामने गवाही दी।

जनवरी ३० : गांधीजी व ऐन्ड्र्यूजने संयुक्त रूपसे गोखलेको तार दिया कि नेटाल भारतीय कांग्रेसकी बैठक २८ जनवरीको यों ही बुला ली गई थी, उसका कोई महत्त्व नहीं।

ऐन्ड्र्यूज व मणिलाल गांधी पीटर मैरित्सबर्ग पहुँचे।

जनवरी ३१ : मैरित्सबर्गके भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा द्वारा ऐन्ड्र्यूजका सम्मान और गांधी-स्मट्स समझौतेका अनुमोदन।

फरवरी ४ : राबर्टसन फीनिक्स बस्ती गये।

फरवरी ६ : गांधीजीको ट्रान्सवाल तथा नेटालके सत्याग्रहियोंकी रिहाईके बारेमें सरकारके निर्णयकी सूचना दी।

फरवरी ७ : डर्बनमें भारतीय महिला-सभाका उद्घाटन, कस्तूरबा तथा श्रीमती पोलक संरक्षक निर्वाचित।

जाँच आयोगकी नेटालकी बैठक समाप्त।

फरवरी ८ : गांधी-स्मट्स समझौतेके समर्थनके लिए स्टैंजरमें भारतीयोंकी सभा।

फरवरी ९ : हमीदिया इस्लामिया अंजुमनने मुसलमानी धर्मके अनुसार विवाहके प्रश्नको तय करनेकी माँग करते हुए एक प्रस्ताव राबर्ट्सनको दिया।

फरवरी १२ : केपटाउन सिटी हॉलमें आयोजित एक सार्वजनिक सभामें ऐन्ड्र्यूजका टैगोरपर भाषण।

फरवरी १७ : गोखलेका इंग्लैंडके लिए प्रस्थान।

फरवरी २० : ऐन्ड्र्यूजका केपटाउनके विश्वविद्यालयके छात्रोंमें भाषण।

फरवरी २१ : गांधीजीका ऐन्ड्र्यूजको विदाई देनेके समारोहमें भाषण; ऐन्ड्र्यूजका बादको जहाजसे इंग्लैंडके लिए प्रस्थान।

फरवरी २२ : कुमारी वल्लीअम्मा मूनसामी मुदलियर नामक एक सत्याग्रहिणीकी, जो मरित्सबर्ग जेलमें बीमार थी, मृत्यु।

फरवरी २४ : मद्रास लीग द्वारा इंग्लैंडमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंका मामला पेश करनेके लिए गोखले, श्रीनिवास शास्त्री और अन्य नियुक्त।

फरवरी २६ : स्मट्सने गांधीजीसे प्रार्थना की कि जाँच आयोगकी रिपोर्ट प्रकाशित होने तक भेंट स्थगित रखें।

फरवरी २७ : गांधीजीने केपटाउनसे गोखलेको लिखा कि समझौता होनेपर उनकी भारत लौटने, एक वर्ष तक विलकुल मौन धारण करने और गोखलेके चरणोंमें शिक्षा ग्रहण करनेकी इच्छा है।

मार्च २ : गांधीजीने हरिलालको कस्तूरबाकी बीमारीके बारेमें लिखा कि वे “जीवन और मरणके बीच झूल रही हैं।”

सोराबजीने छगनलालको लिखा कि उनकी मृत्यु हो जानेपर उनके पारिवारिक मामलोंको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाय।

मार्च ४ : विशिष्ट शिकायतोंके सम्बन्धमें भारतीयोंको राहत पहुँचानेके बारेमें राबर्ट्सनको लिखा।

मार्च ७ : सॉलोमन आयोगकी रिपोर्ट सरकारको पेश।

मार्च ९ : पोरबन्दरमें लक्ष्मीदास गांधीकी मृत्यु।

मार्च ११ : संसदमें भाषण देते हुए स्मट्सने कहा कि गांधीजीको पहलेकी तरह कार्य करनेकी अनुमति इसलिए दी गई कि “राज्यको उलटनेके लिए उन्होंने हिंसक तरीकोंकी कभी भी वकालत नहीं की।”

मार्च १३ : गांधीजीने एक पत्रमें ऐन्ड्र्यूजको लिखा; “गत सप्ताहमें श्रीमती गांधी मृत्युके निकट पहुँच गई थीं, इसलिए पिछले १० दिनोंमें मैंने उनकी परिचयके सिवा और कुछ नहीं किया।”

मार्च १६ : दक्षिण आफ्रिकाके लिए नियुक्त बम्बई समितिने आयोगकी सिफारिशोंके

सम्बन्धमें रायटर द्वारा की गई भविष्यवाणीपर अपने विचार भेजनेके लिए गांधीजीको तार दिया; प्रार्थना की कि समितिसे सलाह लिए बिना कोई वादान करें।

- मार्च १७ : आयोगकी रिपोर्ट संसदमें पेश। राबर्टसन भारत जाते हुए डेलागोआ-बेके लिए रवाना। वाइसरायका जाँच आयोगके विषयपर शाही विधान परिषद्में भाषण।
- मार्च १९ : दक्षिण आफ्रिकाके लिए नियुक्त बम्बई समिति द्वारा आयोगकी सिफारिशोंपर सन्तोष व्यक्त, आशा व्यक्त की कि सत्याग्रह पुनः प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
- मार्च २२ : ट्रान्सवालके मुसलमानोंकी सभा द्वारा मुस्लिम विवाहोंके प्रश्नपर सॉलोमन आयोगकी सिफारिशोंकी निन्दा; हमीदिया इस्लामिया अंजुमनने भारत-मन्त्री तथा अन्योको तार दिया कि सिफारिशें धर्मका उल्लंघन करती हैं।
- मार्च २३ : स्मट्सने विधान सभामें घोषणा की कि सरकार आयोगकी रिपोर्टपर विचार कर रही है और उसी अधिवेशनमें आवश्यक विधान पेश किया जायेगा।
- मार्च २४ : मुसलमानी तथा यहूदी विवाहोंके लिए विवाह-घोषणाका प्रकाशन आवश्यक करनेके लिए संघ-सरकारके 'गजट'में घोषणा प्रकाशित।
- मार्च २५ : केपके भारतीयों द्वारा कस्तूरबा गांधी व इमाम अब्दुल कादिर बावजीरका हिन्दू सभामें स्वागत।
गांधीजीको केपटाउनका विधान भेंटमें दिया गया; सत्याग्रह कोषके लिए चन्दा भी दिया गया। गांधीजी द्वारा 'इंडियन ओपिनियन' में आयोगकी रिपोर्टके उपबन्धोंका विश्लेषण।
- मार्च २६ : कस्तूरबा तथा इमाम बावजीरके साथ केपटाउनसे फीनिक्सके लिए रवाना।
- मार्च ३० : फीनिक्स पहुँचे। डर्वन महिला संघ द्वारा पोलक तथा श्रीमती पोलकको विदाई।
- अप्रैल १ : गोखलेको लिखे एक पत्रमें गांधीजीने कस्तूरबाके जीवित रहनेमें सन्देह व्यक्त किया।
एन्ड्रयूज भारत जाते हुए मारसेल्सके लिए रवाना।
- अप्रैल ८ : गांधीजीने गृह-मन्त्रालयसे आग्रह किया कि सिफारिशोंको देखते हुए तीन-पाँडी करके लिए गिरमिटिया मजदूरोंके पारिश्रमिकमें से कटौती करना बन्द किया जाये।
- अप्रैल २२ : मन्त्रालयको तार दिया कि वह जबरदस्ती कर वसूलीको बन्द करनेका आदेश दे। स्मट्सने उत्तर दिया कि करके मुकदमे बन्द करनेके बारेमें न्याय-मन्त्रीसे सिफारिश कर दी गई है।
- मई ६ के पूर्व : मन्त्रालयसे आग्रह किया कि ट्रान्सवालमें प्रवेश चाहनेवाली भारतीय स्त्रियोंसे फोटो न माँगे जायें, बल्कि स्थानीय प्रमाण ही स्वीकार कर लिया जाये।
- मई ६ : गोखलेको लिखकर पूछा कि यदि अन्तिम समझौता हो गया तो क्या वे और कस्तूरबा भारत जाते हुए उन्हें लन्दनमें मिलें।
- मई १६ : ग्लैडस्टनने भारतीय राहत विधेयकके उपनिवेश-मन्त्रीको भेजा।
- मई १९ : गांधीजीने मन्त्रालयसे विधेयक पेश करनेकी तारीखके बारेमें पूछा।

- मई २० : मन्त्रालयने गांधीजीको सूचना दी कि विधेयकपर बातचीत करनेके लिए स्मट्ससे मुलाकात सम्भव।
- मई २२ : गांधीजी स्मट्ससे मिलनेके लिए फीनिक्ससे केपटाउन खाना।
- मई २३ : जोहानिसबर्गमें 'ट्रान्सवाल लीडर'ने भेंट ली।
- मई २७ : गृह-सचिवसे मिले और विधेयकका मसविदा प्राप्त किया।
- मई २८ : भारतीय राहत विधेयक प्रकाशित। जोहानिसबर्गमें रायटरके भेंट लेनेपर पोलकने गांधीजीके तारका उल्लेख किया कि विधेयक सन्तोषजनक मालूम पड़ता है।
- मई २९ : पोलकने 'स्टार'को लिखा कि यदि विधेयक अमलमें लानेके लिए प्रशासनिक उपाय काममें लाये गये तो उनका पूर्वानुमान है कि संघर्ष समाप्त हो जायेगा।
- जून १ : स्मट्सने विधान सभाको सूचित किया कि विधेयक दूसरे दिन पेश होगा।
- जून २ : फिक्सबर्गके भारतीय समाज द्वारा फ्री स्टेटमें प्रवेशकी माँग करते हुए गांधीजीको तार।
- जून ५ : गांधीजीने गोखलेको लिखा कि यदि सन्तोषजनक समझीता हो गया और संघर्ष समाप्त कर दिया गया तो वे जुलाईके मध्यमें भारतके लिए खाना हो जायेंगे।
- जून ८ : विधेयकका दूसरा वाचन, अंजुमन इस्लामने गांधीजीको तार दिया कि वे शिनाख्तके लिए अँगूठोंकी छाप स्वीकार करनेपर जोर दें।
- जून ९ : गांधीजीने नेटालमें प्रवेश पानेके लिए प्रार्थना करनेवालोंकी प्रवासी अधिकारियों द्वारा की जानेवाली जाँच-पड़तालके प्रश्नको जॉर्जसेके सामने उठाया।
- जून ११ : राँदेरीने गांधीजीको तार दिया कि विधेयक सरकारको ७४,००० गिरमिटिया भारतीयोंको निषिद्ध प्रवासी घोषित करनेका अधिकार देता है। गांधीजीने विधेयककी व्याख्याके सम्बन्धमें जॉर्जसेसे पुनः आश्वासन माँगा।
- जून १५ : रुस्तमजी द्वारा विधेयकके अन्तर्गत गिरमिटिया भारतीयोंकी स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए गांधीजीको तार।
- जून १७ : विधेयकका तीसरा वाचन संसदमें प्रेषित।
छः वर्षके लिए बर्मामें निर्वासनके बाद भारतमें लोकमान्य तिलककी रिहाई।
- जून १८ : संसदमें विधेयकका प्रथम वाचन।
- जून १९ : संसदमें विधेयकका दूसरा वाचन।
- जून २० : गांधीजीने विधेयकके प्रति भारतीयोंके विरोधके बारेमें इनकार करते हुए कैम्ब्रेलको लिखा; इस बातसे इनकार किया कि विधेयकको भारतीयोंको निषिद्ध प्रवासी घोषित करनेका अधिकार है। रुस्तमजीने 'मर्क्युरी'की इस व्याख्याकी ओर गांधीजीका ध्यान आकर्षित किया कि वह गिरमिटिया भारतीयोंके लिए अनिष्टकारी है।
- जून २१ : एडिनबरोमें सर डेविड हंटरकी मृत्यु।
- जून २२ : जॉर्जसेने गांधीजीसे इनकार किया कि सरकारका विधेयकको गिरमिटिया भारतीयों पर प्रतिकूल ढंगसे लागू करनेका इरादा है।

- जून २२ के बाद : गांधीजीने एक खुले पत्रमें जोर देकर कहा कि वे विधेयकसे होने-वाले किसी भी अन्यायके विरुद्ध संघर्ष करेंगे।
- जून २४ : जॉर्जस द्वारा गांधीजी बातचीतके लिए आमन्त्रित।
- जून २६ : संसदमें राहत विधेयकका तीसरा वाचन।
- जून २७ : गांधीजीकी केप टाउनमें स्मट्ससे दो घंटे तक बातचीत। विधेयककी स्वीकृति-म गांधीजीकी सहायताके लिए बुलाई गई यूरोपीय सभामें भाषण।
- जून ३० : जॉर्जसको लिखा कि 'भारतीय राहत विधेयकके पास होनेपर . . . सत्याग्रह संघर्ष, जो १९०६ के सितम्बरमें प्रारम्भ हुआ था, अन्तिम रूपसे बन्द कर दिया गया।'
- जुलाई १ : कैलेनवैक और कस्तूरबाके साथ केप टाउनसे फीनिक्सके लिए रवाना। राहत विधेयकपर गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति; बादको उपनिवेश कार्यालयको तार दिया कि 'महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दोंपर' समझौता।
न्यूजीलैंड द्वारा एशियाइयोंके प्रवेशमें बाधा डालनेके उद्देश्यसे भाषाकी परीक्षा लागू करनेके लिए विधेयक पेश।
- जुलाई ५ : गांधीजीका डर्बन स्वागत-समारोहमें भाषण; विदाई भोजमें कहा कि विधेयक ऐसा न्याय्य-विधेयक है जिसकी साम्राज्यके हितके लिए नितान्त आवश्यकता थी।
- जुलाई ८ : डर्बनके टाउन हॉलमें विदाई सभाके अवसरपर अभिनन्दनपत्र भेंट।
- जुलाई ९ : गुजरातियों एवं डेड़ों द्वारा गांधीजी व कस्तूरबाका सम्मान; खेल-कूद समारोहमें भाषण।
- जुलाई १० : प्रिटोरियाकी एशियाई बस्तीमें विदाई-सभामें भाषण।
- जुलाई ११ : फीनिक्स बस्तीसे विदाई।
- जुलाई १२ : वेरुलममें विदाई-सभामें भाषण; जोहानिसबर्गके लिए रवाना।
- जुलाई १३ : शामको जोहानिसबर्ग पहुँचे, जलूसमें ले जाये गये, गेटी थियेटरमें सार्व-जनिक सभामें भाषण।
- जुलाई १४ : जोहानिसबर्गके मैसॉनिक हॉलमें विदाई भोजन; सी० के० टी० नायडू द्वारा राष्ट्रीय सेवाके लिए उन्हें अपने चार पुत्र भेंट।
गांधीजी यूरोपीय समितिसे मिले, अस्थायी समझौतेके बारेमें बातचीत; 'ट्रान्सवाल लीडर'को भेंट दी। नेटाल भारतीय कांग्रेस तथा हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके एक दलने 'मर्क्युरी'के इस आशयका पत्र भेजा कि गांधीजीके कार्य सन्तोष-जनक नहीं हैं और राहत विधेयक मान्य नहीं।
- जुलाई १५ के पूर्व : गांधीजीने दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंको विदाई-पत्र लिखा।
- जुलाई १५ : ब्रूमफाँटीन कन्नगाहमें स्मारक उद्घाटन समारोहके अवसरपर वलिअम्मा, नागप्पन तथा सत्याग्रहियोंको श्रद्धांजलि दी।
ट्रान्सवाल भारतीय महिला-संघ, तमिलों तथा मुसलमानोंकी सभामें भाषण।
- जुलाई १६ : सुबह ८ बजे प्रिटोरिया पहुँचे; भारतीय बस्तीमें भाषण; केपटाउन रवाना।
- जुलाई १७ : वेरीनिगिंग (फ्रेनिखन) पहुँचे।

- जुलाई १८ : केपटाउन पहुँचे; मानुमेंटसे डॉक्स तक जलूसमें ले जाये गये; अभिनन्दन पत्र भेंटमें उपलब्ध; 'केप आर्गस' ने भेंट ली। दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंको लिखा विदाई-पत्र प्रकाशनके लिए दिया, इंग्लैंडके लिए रवाना; 'किनफॉन्स-कैसिल' जहाजमें सवार।
- जुलाई २० : गांधीजीका विदाई-पत्र अखबारोंमें प्रकाशित।
- जुलाई २२ : संघर्षकी यादगारमें 'इंडियन ओपिनियन'का 'स्वर्ण अंक' प्रकाशित करनेकी योजना घोषित।
- जुलाई २४ : 'संघ गजट' में भारतीय राहत-अधिनियमके अन्तर्गत विवाहोंके पंजीयनके सम्बन्धमें विनियम प्रकाशित।
- जुलाई २८ : प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत आगेके विनियम 'गजट' में प्रकाशित।
- अगस्त २ : जर्मनी द्वारा बेल्जियमकी तटस्थताका उल्लंघन।
- अगस्त ३ : मगनलालके नेतृत्वमें भारत जानेवाले फीनिक्स दलको डर्बनमें विदाई।
- अगस्त ४ : विश्वयुद्ध प्रारम्भ; इंग्लिश चैनलमें गांधीजीको समाचार उपलब्ध, लन्दन पहुँचे।
- अगस्त ५ : वाइसराय द्वारा युद्ध-घोषणा।
- अगस्त ७ : छगनलालको लिखे एक पत्रमें गांधीजी द्वारा टाँगकी पुरानी पीड़ासे फिर पीड़ित होनेकी शिकायत।
- अगस्त ८ : अंग्रेज तथा भारतीय मित्रों द्वारा होटल सेसिलमें गांधीजीका स्वागत; उपस्थित होनेवालोंमें जिन्ना, लाला लाजपतराय, सरोजिनी नायडू भी।
- अगस्त १० : नेटाल भारतीय कांग्रेस तथा हमीदिया इस्लामिया अंजुमनका शिनाख्तके लिए सरकार द्वारा फोटो माँगनेका विरोध।
- अगस्त १३ : साम्राज्यकी बिना शर्त सेवा करनेके निश्चयको दृढ़ करते हुए गांधीजी, कस्तूरबा तथा सरोजिनी नायडूके हस्ताक्षरोंसे समर्थकोंके हस्ताक्षर प्राप्त करनेके लिए एक परिपत्र जारी।
- अगस्त १४ : गांधीजी द्वारा घायलोंकी शुश्रूषाके लिए एक भारतीय स्वयंसेवक दल खड़ा करनेका प्रस्ताव।
- अगस्त १४ के बाद : गांधीजीकी अध्यक्षतामें भारतीय स्वयंसेवक समितिकी स्थापना।
- अगस्त २४ : गांधीजी द्वारा दलमें कैलेनबैंकको शामिल करनेके बारेमें भारत कार्यालयसे पूछताछ।
- अगस्त २६ के पूर्व : घायल सैनिकोंकी शुश्रूषाके लिए कक्षामें जाना प्रारम्भ।
- सितम्बर ३ : प्राथमिक सहायता परीक्षामें बैठे।
- सितम्बर १८ : गोखलेसे लन्दनमें मिले।
- सितम्बर २२ : स्वयंसेवकोंके लिए अपील करते हुए सामान्य परिपत्र जारी किया।
- अक्तूबर १ : स्वेच्छा-सहायक दलकी बैठककी अध्यक्षता; अन्य लोगोंके साथ आगाखाँ, कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू तथा अमीर अली भी उपस्थित।

अक्तूबर ३ : ईस्टकोर्टमें भारतीय आहत-सहायक दलका शिविर स्थापित। गांधीजीने सदस्योंको " चुने हुए उच्च श्रेणीके फलों तथा विभिन्न गरी-फलोंका विशेष प्रकारका दोपहरका भोज दिया। "

अक्तूबर ६ : विशीमें आराम-उपचार करनेके बाद गोखले लन्दन लौटे।

अक्तूबर १३ : कर्नल बेकरको लिखे एक पत्रमें भारतीय समितिकी सलाह लिए बिना कार्पोरलोंकी नियुक्तिके लिए दुःख प्रकट किया; उसीके आधारपर समितिमें एक प्रस्ताव पास किया गया।

अक्तूबर १४ : प्रस्ताव कर्नल बेकरके पास भेजा गया।

अक्तूबर २३ : आहत-सहायक दलकी बैठक।

अक्तूबर २५ : मगनलाल गांधीको लिखा : " मुझे भारत कार्यालयके विरुद्ध सत्याग्रह प्रारम्भ करना है। " गांधीजी बीमार, विश्राम करनेकी सलाह।

अक्तूबर ३१ : कर्नल बेकर द्वारा भारतीय समितिसे सलाह लेनेका सिद्धान्त स्वीकार। गांधीजीने लिखा : " सत्याग्रह समाप्त; जो हम चाहते थे वह हमें मिल गया। "

नवम्बर ३ : गांधीजी बीमारीके बाद पहली बार उठे; थोड़ी दूर तक घूमना प्रारम्भ।

नवम्बर ४ : अखबारोंके जरिये आहत-सहायक दलके लिए स्वयंसेवकोंकी मांग।

फीनिक्स दल गुरुकुल कांगड़ीसे शान्तिनिकेतन पहुँचा।

नवम्बर ९ : गांधीजीके साथी तथा सत्याग्रही, गैब्रियल तथा इसाककी मृत्यु।

नवम्बर ११ के पूर्व : गांधीजीने दलके साथ सप्ताहान्त ईस्टकोर्टके शिविरमें बिताया।

'इंडियन ओपिनियन' ने सूचना दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष पदके लिए गांधीजीका नाम उम्मीदवारोंमें शामिल है।

नवम्बर १३ : गोखले बम्बई पहुँचे, सूचना मिली कि आहत-सहायक दल साउदैम्टनके पास मेटले अस्पतालमें कार्य कर रहा है।

नवम्बर २६ : गांधीजी फिरसे बीमार; गोखलेको लिखा : " मैं किसी भी शर्तपर रहना नहीं चाहता। "

दिसम्बर १ : 'इंडियन ओपिनियन'का स्वर्ण अंक प्रकाशित।

दिसम्बर ४ : गांधीजी अब भी बीमार, विस्तरकी शरणमें।

दिसम्बर १८ : रायटरको भेंट दी; भारत रवाना होनेकी शामको वेस्टमिन्स्टर पैलेस हॉटलमें विदाई भोज।

दिसम्बर १९ : कस्तूरबाके साथ भारतके लिए जहाजसे रवाना, जहाजमें बँगलाकी पढ़ाई।

दिसम्बर २८-३० : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका मद्रासमें अधिवेशन।



शीर्षक-सांकेतिका

अन्त, ४३८-३९

अन्तिम सत्याग्रह संवर्ष : भूमिका, ४९९-५००; -मेरे

अनुभव, ५०१-१०

अपील-निकाय किसलिये? २००

अमर-पुरुष हरवतसिंह, ३१६

औंगलियाकी गवाही, ३४७-४८

आयोगकी रिपोर्ट और सिफारिशें, ३८८-९१

आयोगकी रिपोर्टके बारेमें विचार, ३८१-८२

आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१४], ४-६;

[-१५], २१-२४; [-१६], ३७-३९; [-१७],

४४-५०; [-१८], ६०-६२; [-१९], ६५-६७;

[-२०], ७१-७३; [-२१], ७८-७९; [-२२],

९३-९५; [-२३], ९८-१००; [-२४], १०६-८;

[-२५], १११-१३; [-२६], ११४-१५; [-२७],

१२४-२६; [-२८], १३०-३२; [-२९], १३६-

३८; [-३०], १४३-४४; [-३१], १४६-४७;

[-३२], १४९-५३; [-३३], १५६; [-३४],

१५७-५९

इसे कैसे किया जाये? १८९

एक अधिकृत वक्तव्य, २३२-३४

एक ऐतिहासिक वृत्त, ४२१-२२

एक गोपनीय गद्दी-पत्र, ५१८

एक तरुण महिला सत्याग्रहीकी असामयिक मृत्यु, ३५२

एक परिपत्र, ५४०-४१

एक महत्वपूर्ण सलाह, ३१८

और भी मित्र चल बसे, १७१

कस्तूरबा गांधीसे बातचीत, ३०

[श्री] काठलियाका पत्र, १८६-८८

कानूनी स्थिति, ४९०-९२

कुलसम बीबीका मुकदमा, २३५-३६

[श्री] गांधी लगभग गिरफ्तार! २०६-७

गृह-मन्त्रीके साथ बातचीतके लिए मुद्दे, ४२५

जनरल स्मटसे मेट, ३१८-२१

जनूबीका मामला, १८-१९

जमानतकी दरखास्त, २५३

जोहानिसवर्गमें उपद्रव, १२७-२९

डंडीमें मुकदमा, २५५-५७

तार : अखबारोंको, २४०; -कैलरेको, ४१; -गवर्नर-

जनरलको, १०८; -गुल और गुलमुहम्मदको,

५०; -गृह-मन्त्रीको, ७, ८, २६-२७, ८२,

८४-८५, ८७-८८, ९७, २४७, २४८, २५२-५३,

२८८-८९, २९७-९८, ४००, ४०१, ४०३,

४०५, ४०६; -गृह-सचिवको, १५४, १७६;

-गो० कृ० गोखलेको, ११३-१४, १४५, २३६,

२३७, २५०, २५१, २७७-७८, २८१-८२,

२८२-८३, २८६-८७, २८७, २८९, २९०-९१,

२९१, २९१-९२, २९५, २९५-९६, २९८,

२९९-३०२, ३०४, ३०७, ३०९, ३१०, ३१०-

११, ३११, ३२४, ३२६, ३३१, ३३३, ३४८,

३४९, ३५०, ३५६, ४३३; -जनरल बोथाको,

३४०; -जी० ए० नटेसनको, २४४; -डुमंड

चैपलिन और दूसरोंको, ५२, ८०; -वैटिक डंकनको,

८१-८२; -ब्रिटिश भारतीय संघको, १०; -मॉरिस

अलेक्जेंडरको, ८५-८६; -मार्शल कैम्बेलको, ८१;

-लॉर्ड एंस्टहिलको, ५३-५४, २८३-८४, ८५,

८७-८८; आइजर और कैम्बेलको, ८३-८४;

-सर डैविड हंटरको, ८३; -सिनेटर आइजरको,

८६, ८६-८७; -'हिन्दू' को, ४३२-३३

तीन-पौंडी कर, १९८-९९, २००-२; -सम्बन्धी निराशा,

४१-४२

तूफानका संकेत, २-३

देश निकाला किन्हें होगा? ३३६

द्वितीय वाचन, ७०-७१

धन्यवादका सन्देश, ४९९

नया और पुराना विधेयक, १६-१८

नया प्रवासी विधेयक, १३५

नया विधेयक, १३, ३५

नये कानूनका एक असर, १५५

नये विधेयक, ४३-४४

नाबालिगोंके अधिकार, ३४३-४४

नेटाली भारतीयो, सावधान! ३३
नेताओंसे अपील, ३३९-४०

न्याय-सचिवको लिखे पत्रका सारांश, २४९

पत्र : ऑलिव डोकको, २२९; -'इंडिया' को ५३९-४०; -'इंडियन ओपिनियन' को, ३१४-३१५, ३८२-८३; -ई० एफ० सी० लेनको, ८-९, ३९५-९६; -ई० एम० जार्नेसको, ३९४-९५, ४१७, ४२५-२६, ४२९-३०, ४३३-३४; -उपनिवेश-उपमन्त्रीको, ५१७-१८; -ए० एच० वेस्टको, ५४७-४८, ५५७-५८; -एच० एस० एल० पोलकको, १४५-४६; -एशियाई-पंजीयकको, १२, १४२-४३, १७३; -कर्नल आर० जे० बेकरको, ५२८-२९, ५३०-३१; -कुँवरजी मेहताको, ४२१; -कुमारी देवी वेस्टको, २६२-६४; -क्लीमेंट डोकको, २०२; -खुशालचन्द्र गांधीको, ३५८-५९; -गवर्नर-जनरलके निजी सचिवको, १०, ५५-५६; -गिर-मिटिया भारतीयोंको, ४२३; -गृह-मन्त्रीके निजी सचिवको, ११५-१८; -गृह-मन्त्रीको, १-२, २४१-४२, २७१-७४; -गृह-सचिवको, ११-१२, २५-२६, २८-२९, ६२-६३, ७४-७५, ७५-७६, ११८-२१, १२३, १६६-६८, १७६-७७, १७७-८०, १९४-९५, २०७-८, ३२१-२३; -गो० कृ० गोखलेको, ३९-४०, १००-२, १०९-११, १३२-३३, २४८, ३५४-५५, ३९२-९३, ४०४, ४१३, ४३०, ५४२, ५४९; -छगन-लाल गांधीको, ३७३-७६, ५११-१२, ५१३, ५२४, ५३९, ५४१-४२, ५५३, ५५८; -जमनादास गांधीको, ८८-९०, १२१-२३, १३९-४१, १४७-४९, ३५२-५३, ३५६, ३७९-८१, ३८५-८६, ५४४-४५; -जेल निदेशकको, २३१; -'ट्रान्सवाल लीडर' को, २१२-१४, ४०७; -डा० अब्दुर्रहमानको, ५२६; -डमंड नैपलिनको, २९-३०, ६९; -दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको, ४७३-७७; -दक्षिण आफ्रिकी रेलवेको, २०४-५; देवदास गांधीको, ३६६-६७; -'नेटाल ऐडवर्टाइजर' को, २७९-८०; -'नेटाल मर्क्युरी' को, १९१-९४, २८५-८६, ३०५-०६; -प्रवासी अधिकारीको, १५४; -प्रागजी देसाईको, ५४५-४७; -सर बेंजामिन राबर्ट्सनको, ३६४-६५,

३६७-६८; -भवानीदयालको, ६८, १४१-४२, ३२६; -भारत उपमन्त्रीको, ५१९; -भारतीय परिवेदना आयोगको, ३३१; -भारतीयोंको, २५४-५५; -मगनलाल गांधीको, २०३-०४, २१०, २१४-१५, २२८, २३०, २४३, २५८-५९, ३७१-७२, ५२१, ५२२, ५२२-२४, ५३७-३८, ५३८-३९, ५४२-४३, ५४३-४४, ५५०-५२, -मणिलाल गांधीको, १५९-६०, १८५-८६, ३१२-१३, ३३५, ३५२-५४, ३५७-५८, ३६६, ३७८-७९, ३८३, ३८६-८७, ३९३, ३९६-९८, ३९८-९९, ४११; -महात्मा मुन्शीरामको, ३९१-९२; -मार्शल कैम्बेलको, २९२-९३, ३०८-९, ४२२; -रावजीभाई पटेलको, ३२३-२४, ३४६-४७, ३४९-५०, ३५०-५१, ३५९-६०, ३६८-७१, ३८४-८५, ४१५-१६, ४१८-१९, ५१२-१३; -सहायक गृह-सचिवको, १७३-७४; -सी० एफ० ऐन्ड्रयूजको, ३७६-७८; -सी० राबर्ट्सको, ५२०, ५३२-३३, ५३४-३५, ५३५-३७; -हरिलाल गांधीको, १८३-८५, २३४, ३६१-६३

पत्रका अंश, ३६१, ३८७, ४००-०१, ४१३-१४; -प्रवासी अधिकारीको, २४९; -मणिलाल गांधीको, १८२; -मणिलाल और जमनादास गांधीको, ४१९-२०; -जे० ई० ऐन्ड्रयूजको, ५३४

परिपत्र : प्रशिक्षण दलके सम्बन्धमें, ५२५-२६

[श्रीमती] पैकहर्स्टका त्याग, ३६

पोलकके मुकदमेमें गवाही, २६१

प्रवासके महत्वपूर्ण मामले, ३४१-४२

प्रवासी अधिनियम, ३३७-३८

प्रवासी कानून-सम्बन्धी विनियम, १३३-३५

प्रवासी विधेयक, ३१-३२

प्रस्ताव, ५३०

प्रस्ताव : पाटीदार संघकी सभामें, २२९

फोक्सरस्टके सत्याग्रही, १९६-९७

फोक्सरस्टमें मुकदमा, २५९-६०

भाषण : इंडियन फील्ड एम्बूलेन्स कोरके सामने, ५२७-

२८; -किम्बर्लैंके स्वागत समारोहमें, ४३१;

-केपटाउनके विदाई समारोहमें, ४९६-९८; -केप

टाउनके स्वागत समारोहमें, ३९१; -खेलकूद

समारोहमें, ४४६-४९; -गुजराती सभाके उत्सवमें,

- ४४५-४६; -गुजराती समाजकी सभामें, ४४४-४५; -गुजरातियोंकी सभामें, ४९०; -जोहानिस-बर्गमें, २६५, ४६३; -टान्सवाल भारतीय महिला संघमें, ४७९-८०; -डर्बनकी सभामें, ४३२, ४६१-६२; -डर्बनके भोजमें, ४५३-५६; -डर्बनमें, २६६; -ट्रेडों द्वारा आयोजित स्वागत-समारोहमें, ४४९; -तमिल समाजकी सभामें, ४८५-८८; -प्रार्थना सभामें, ४०८; -प्रिटोरियाके विदाई समारोहमें, ४५०; -प्रिटोरियामें, ४८८-८९; -फ्रीडडार्वेकी सभामें, २०८-१०; -फ्रीडडार्वेमें, ५१-५२; -बधाई समारोहमें, ४२६-२८; -मुसल-मानोंकी सभामें, ४८०-८५; -मैरिस्बर्गकी सभामें, २७५; -मैरिस्बर्गकी सार्वजनिक सभामें, २७६; -मैरिस्बर्गमें, २९६; -लन्दनके विदाई समारोहमें, ५५४-५७; -लन्दनके स्वागत-समारोहमें, ५१४-५१७; -विदाई-भोजमें, ४६४-७०; -विदाई सभामें, ४३५-३७; -वेरूलममें, ४५६-५८, ४५८-६१; -शोक-सभामें, १६८-७०; -श्रीमती गांधीकी रिहाई पर, २७६; -सार्वजनिक सभामें, २६७-७०, ३२७-३०; -सी० एफ० ऐन्ड्यूजके स्वागत समारोहमें, ३१२
- भारतके पितामह, १७०-७१
- भारतीय महिलाएं सत्याग्रहीके रूपमें, ६३-६४
- भारतीयोंकी शिकायतें, ४१४-१५
- भेंट : ई० एम० जार्जसे, ४०८-११; -'ईवनिंग क्रॉनिकलको', २३५; -'केप आर्गस'के प्रतिनिधिको, ४९८; -'टान्सवाल लीडर'के प्रतिनिधिको, २११-१२, ४७०-७२; -'नेटाल मवर्युरी'को, २४५-४६, २५१, २६६-६७, ३०२-३०३; -'प्रिटोरिया न्यूज'के प्रतिनिधिको, ३१६-३१७; -रायटरके प्रतिनिधिको, ३१३-१४, ५५५; -रायटरको, २५०, २५४, २९४-९५; -'रैंड डेली मेल'के प्रतिनिधिको, ३२५; -'रैंड डेली मेल'को, २३७-३९; -'स्टार'के प्रतिनिधिको, ५४-५५
- मॉरिशसका विवाह-कानून, ४४३-४४
- मुनियनका मामला, ९२-९३
- षादगारमें, ३५१
- षाददास्तके लिए, ४१६
- राहत विधेयक, ४१२
- लड़ाईके समाचार, २५२
- लॉर्ड पेंटहिलकी समिति, ३२-३३
- लॉर्ड सभाकी बहस, १७४-७५
- वक्तव्य : तीन-पौंडी करके सम्बन्धमें, १०२-३; -प्रवासी विधेयकके सम्बन्धमें, ९५-९७; -प्रवासी विधेयक पर, १०३-४; -वाणिज्य मण्डलमें, २४४-४५
- वह विधेयक, ४२
- विदाई; -का पत्र, ४९३-९६; -सन्देश, ४६३
- विधेयक, ५६, ७६-७७, ९७-९८, १०४-०५; -का परिणाम, १५-१६
- विवाह; -का प्रश्न, २२१-२३; -की समस्याके बारेमें विचार, ३३४; -के बारेमें एक महत्वपूर्ण फैसला १७२; -के सम्बन्धमें, ३४०-४१; -समस्या, २१८-२०; -सम्बन्धी एक घोषणा, ३९४
- वैवाहिक उल्लंघन, १४-१५
- व्रतका महात्म्य, २३०
- शिकारीका जाल, ३४-३५
- श्रद्धांजलि : सत्याग्रही शहीदोंको, ४७७-७९
- संघको उत्तर, २०-२१
- संवर्ष, ५७-६०; -की समाप्ति, ४३९-४२; -कैसे किया जाये? १८९-९१
- सत्याग्रहका सिद्धान्त और व्यवहार, ४५१-५३
- समझौता न हो सका, १८०-८२
- सम्भावना, ९१-९२
- स्त्रियोंका प्रस्ताव, ६४-६५
- स्मट्स गांधी पत्र-व्यवहार, ३३२-३३
- स्वर्गीय रेवरेंड जोसेफ डोक, १६०-६४, १६४-६५, १६५-६६
- स्वर्गीय श्री हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद, १९७, २१५-१७
- स्वर्गीय श्रीमती मेयो, ४०६
- स्वर्गीय सर आदमजी पीरभाई, १५५
- स्वर्गीय सर डेविड हंटर, ४२४
- हड़तालियोंको सन्देश, २५७
- हथियारोंके बिना असहाय, २२३
- हमारी आशाएं, ३४४-४६
- हाजी हुसेन दाउद मुहम्मद, २२४-२७
- हिन्द स्वराज्य, ४०२-०३
- हिन्दी और तमिल, ३०६-३०७
- हिन्दुओंसे, १९
- हिसान : भारतीय आहत सहायक दलका, ५५४

सांकेतिका

अ

अंजुमन, इस्लामिया, ४०३, ४१६
अढाजानिया, सोराबजी, २३४, ५०३, ५२३, ५२४,
५४४, ५४७, ५५२

अधिनियम

केप प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम, ७, ८०, ९१,
११८

ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम (१९०७का
अधिनियम २), ३१, १७८, ४५२; -के
विरुद्ध सत्याग्रहका निर्णय, १७७-८०

ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम
(१९०८ का अधिनियम ३६), १८, १५४, १५५
नेटाल भारतीय प्रवासी कानून संशोधन अधिनियम
(१८९५ का अधिनियम १७), ३२, ३३,
११६, ३१८

संव प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम, ३१, ११५,
१३३, २२०, ३३७, ४१०; -का जुरथुस्ती
अंजुमन द्वारा विरोध, १७६-७७; -के अन्तर्गत
न्यायमूर्ति ब्रूमका प्रवासी अधिकारीके विरुद्ध
निर्णय, ३४१; -के अन्तर्गत प्रवासी अधि-
कारियोंको अनुचित अधिकार दिये गये, ३३८;
-के अंतर्गत स्थायी प्रमाणपत्रके देनेका प्रश्न,
३९४; -के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध, १८६;
-दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंके केप-
प्रवेश अधिकारको छीन लेता है, ९१; -पर
लार्ड सभाकी बहस, १७४; -पर लार्ड सभामें
लॉर्ड एम्प्टहिलका भाषण, १८६; -भारतीयोंको
परेशान करनेके लिए, ३३८

अधिवास, ५४, १०९, ११६

अपील निकाय, २००; -में प्रवासी अधिकारियोंकी
सदस्योंके रूपमें नियुक्तिका विरोध, १७७

अब्दुर्रहमान, डॉ०, ४९६, ४९६ पा० टि० ५२६

अमृत बाजार पत्रिका, ५५५ पा० टि०

अम्बरीष, ५१०

अर्जुन, ३९६, ३९७

अली, अमीर, ५२७ पा० टि०

अली, एच० ओ०; -द्वारा गांधीजीके समझौतेपर
आपत्ति, ४७९ पा० टि०

अलेक्जेंडर, मॉरिस, ४१, ८०, ८१, ८५, ८६, ९१,
९६; -का विवाह-कानूनमें संशोधन, ७६, २१९,
२२२

अलेक्जेंडर, श्रीमती; -द्वारा सन् १८९७ में गांधीजीकी
सुरक्षाका उल्लेख, ४३६

अवतार; -एक आश्चर्यकता, १२२

अश्वत्थामा, ९०

अस्थायी समझौता (१९११), २६, ८६, ९५, ३२४,
३२६; -की शर्त, ३२७, ३५२, ४३९; -की
शर्त संव प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३)
द्वारा पूरी नहीं होती, ८३, ११५; -की शर्तोंको
सरकारको अपनानेके लिए कहा गया, ८८, ९१;
-के अन्तर्गत जातीय रोक हटानेपर ध्यान, ८४;
-के अन्तर्गत प्रति वर्ष छः भारतीय आ सकते
हैं, ११; -के अन्तर्गत ब्रिटिश भारतीयोंके समस्त
वर्तमान अधिकार सुरक्षित, १६६; -के अंतर्गत
शिक्षित भारतीय किसी भी प्रान्तमें निवासके
लिए स्वतन्त्र, ११; -भारतीयोंकी सार्वजनिक
सभा द्वारा समर्थन, ३२७; -यदि ज्वलन्त प्रश्नोंको
बिना हल किये छोड़ दिया जायेगा तो, ८३;
-सरकारपर भंग करनेका आरोप, १०३

अस्वात, २८१

आ

आंगलिया, ३४७; -की भारतीय परिवेदना आयोगके
सामने बयान देनेपर आलोचना, ३३९

आगाखॉ, ५२७ पा० टि०, ५५३

आत्मसंघम; -का महस्व, ४०८

आत्मा; -अनन्त है, ८९

आनन्दजी, ठक्कर दामोदर, २४३

ऑर, २३६

आर्रेंज फ्री स्टेट, ८, १६, २६, ५४, ८४, १०५, १३५, १९२, २३२, ३१९, ४१६, ४४२; भारतीय दृष्टिकोणके अनुसार संघ प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम (१९१३) में शामिल नहीं है, २०९; —में जातीय भेदभाव हटानेके लिए कहा गया, ८५; —में प्रवेश करनेवाले भारतीयोंसे ज्ञापन लेना अपमानजनक, ८, ९, १६, १६७; —में संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३)के अन्तर्गत सैद्धान्तिक अधिकारकी मॉँग, २६; —में सरकारका उदार प्रशासनके लिए आश्वासन, ४३२

आरोग्य, ४, २१, ३७, ४४, ६०, ६५, ७१, ७८, ९३, ९८, १०६, १११, ११४, ११४, १३०, १३६, १४३, १४६, १४९, १५६, १५७

आहार; —चिकित्सा, १६४; —मणिलाल गांधीको मसालेदार भोजन खानेके विरुद्ध चेतावनी, ३३५

इ

इंडियन ओपिनियन, १ पा० टि०, ४ पा० टि०, ७ पा० टि०, ५४ पा० टि०, ६८, ८६, १०१, १०८ पा० टि०, ११०, १२० पा० टि०, १५९, १६२, १६८, १७५, १८९, २४३, २५९ पा० टि०, ३१४-३१५ ३२१ पा० टि०, ३२६ पा० टि०, ३४७, ३६७, ३७१, ३७७, ३८२, ३९१, ४२२ पा० टि०, ४८८, ४९९, ५०१, ५२१, ५२६, ५५२, ५५६; —का विशेषांक, ४५१; —का संचालन समाज-सेवा-हितार्थ है, ४७६; —हिन्दी और तमिलमें समाचार-प्रकाशनका पुनरा-रम्भ, ३०६-७

इंडियन सोशल रिफार्मर, ५२४ पा० टि०

इंडिया, ५३५

इस्लाम, —धर्मकी पद्धतिसे सम्पन्न विवाह सर्ल-फैसलेके अनुसार वैध नहीं, ३

ई

ईवनिंग क्रॉनिकल, २३५

ईवान्स, मॉरिस, २००

ईसप, १९३

ईसा मसोह, १२२, १५९, ४३६; —के बुराईका प्रतिरोध न करनेके सिद्धान्तमें हमारा समान विश्वास, १७०

ईसाइयत; —में डोककों श्रद्धा, १७०

ईस्ट लन्दन डिस्पैच; —का सरकारसे भारतीय परिवेदना आयोग विषयक मॉँगकी स्वीकृतिके लिए अनुरोध २८७

उ

उत्तर रामचरित, २६४

उपनिवेश उपमन्त्री, ५१७

उपवास, ५; —पर डॉ० ड्यूवी के विचार, ६

उमतली, एस० एस०, ३०९ पा० टि०

उस्मान, दादा; —की आलोचना, ३३९; —की भारतीय परिवेदना आयोगके सम्मुख गवाही, ३४७

ऋ

ऋग्वेद; —पर दयानन्दका भाष्य, २६४

ए

ए गाइड टू हैल्य, ४ पा० टि०

एडम्स, डॉ०, २१६

एडीसन, २६४

एम्प्टहिल, लार्ड, ३२, ५३, ७०, १६१, १७४, १८६, २०४, २०९, २३३, २३९, २८३, २८४, २८७, २८९, पा० टि०, ३३०, ४६७; — द्वारा लार्ड सभामें भारतीयोंके पक्षका समर्थन, १७४

एलगिन, लार्ड, ४४४

एल्डिसन, डॉ० टी० आर०, ५४८, ५५१

एशिथाई पंजीयक, १२, १४२, १७३

एसेलेन, एवाल्ड, २६७, २६९, २७७, पा० टि०, २८३, ३००, ३२०, ३८८; —पर भारतीय परिवेदना आयोगके सदस्यके नाते भारतीयोंका आपत्ति, २९६

एस्कम्ब, सर हैरी, ३७४

ऐ

ऐन्ड्रयूज, चार्ल्स फ्रीअर, २९२, ३०९ पा० टि०, ३१० पा० टि०, ३१२, ३१६ पा० टि०, ३१९ पा० टि०, ३२४, ३२४ पा० टि०, ३२४, ३२७, ३२८, ३३० पा० टि०, ३३५, ३५४, ३५७, ३५७ पा० टि०, ३७१, ३७६, ३८८, ४३१, ४३३, ४३८, ४६९, ५३८, ५४४, ५४९, ५५१; —का टैगोरपर व्याख्यान, ३४८,

३७६, ३७७, पा० टि०; -का पादरी-पद छोड़नेका निश्चय, ५३४ पा० टि०; -का स्वागत, ३१०, ३१२; -के इंग्लैंड जानेका असर, ३५०
एन्ड्रयूज, जे० ई०, ५३४

ओ

ओलसन पेंड कम्पनी, २४१

क

कबु; -की गिरफ्तारी, १८४
कब्ज; -का कारण तथा इलाज, ९८
कराची; -का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ३०२ पा० टि०, ३०६
कर्कोटक, १५०
कर्जन, लॉर्ड, १७४
कसरत; -की आवश्यकता, २१
काछलिया, अहमद मुहम्मद, २, ३, ७ पा० टि०, १०, १४, २०, ५१, ५५, ५७, ७४ पा० टि०, ७६, १०८, १८०, १८६, १८८, २०९, २२२, २२९, २४७, २५८, २६१, ३२५, ३४०, ३८९, ४३२, पा० टि०, ४४०-४१, ४६३, ४८१, ४९४
कॉटन, सर हेनरी, ५५४ पा० टि०
कामा, श्रीमती, १४
कॉरेली, मैरी, ८९
कॉर्टिन, डॉ०, २६४
कार्टराइट, अल्बर्ट, ५१४ पा० टि०
कार्लिस, रैम्से, १७१
काली, देवी, १४८
किनफॉन्स कैसिल, एस० एस०, ४९८ पा० टि०, ४९९
क्रिपलिंग; -का खिलाड़ियोंका विवरण मस्तिष्कके शत्रुके रूपमें, २३
किम्बल, ३५६, ४३१
कुन्ती, ५१०
कुम्पु, ३७१, ५२४, ५५१
कुरान, १५९, ४८३
कुलसम बीबी, १६८, १८८, २२२, २३५, ३४४;
-का विवाह-कानूनके अन्तर्गत मुकदमा, २३५
कूच; -का पुनरारम्भ यदि सरकार भारतीय परिवेदना आयोग विषयक मॉग स्वीकार नहीं करती, ३०४;

-के प्रति यूरोपीयों द्वारा सहानुभूति, ४२७, ४७१, ४८१; -निष्क्रिय प्रतिरोधियोंका ट्रांसवालमें, २५१; -राबर्ट्सनके आनेके एक सप्ताह पश्चात् तक स्थगित रहेगा, ३०४; -सत्याग्रहियोंका ट्रांसवालमें, ५०७

कूले, १४०

कृष्ण, श्री, ९०, १२२, १४८, १४९, १५९, २६२, ३९६, ४५७, ५१०

केप, ७४, ८१, ९५, १०८, १६६, २३२, २४७, ३१९, ३८७, ४१०; -प्रवासी भारतीयोंको संव प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके विरुद्ध सत्याग्रहमें सम्मिलित होनेके लिए कहा गया, ५८; -में दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीयोंका प्रवेश अधिकार, ४१६, ४२५; -में परवाना कानून के न्यायोचित प्रशासनकी माँग, १८८; -में भारतीयोंकी शिक्षाकी उपेक्षा, ३६५

केप आर्गस, ४९८

केप टाइम्स, ८७, ९५ पा० टि०, २८७, ३४९, ४२२

केप टाउन, ३९१, ४९६; -में सभा गांधीजीकी विदाई देनेके लिए, ४९६; -में स्वागत समारोह, ३८७

केमें, (कामे) ४१६

केशू, २६२

कॅटली, डॉ० जेम्स, ५२१ पा० टि०, ५२५, ५२७, ५२७, पा० टि०

कैम्ब्रेल, मार्शल, ८० पा० टि०, ८१, ८३, २९२, ३०८, ४२२, ४२६ पा० टि०, ४५९; -का

तीन पौंडी करको समाप्त करानेके लिए किया गया कार्य, २९३, ४२३, ४५७; -को भारतीय परिवेदना आयोगको स्वीकार करनेके लिए गांधीजीसे अपील, ३१३; -की भारतीयोंकी माँगोंके प्रति सहानुभूति, ४२८ पा० टि०; -के गांधीजीपर आरोप, ३०८ पा० टि०; -के बागानमें हड़तालके लिए दुःख, २९२

कैलरे, ४१

कैलेनवैक, हरमान ५२ पा० टि०, १०१, ११०, १४८, १४९, १६२, २०३, २०६ पा० टि०, २१२ पा० टि०, २२८, २५०, २५८, २६१ पा० टि०, २६५, २६६ पा० टि०, २७४, २७५ पा० टि०, २७८, २८४, २८८, २९३, ३३० पा० टि०,

३७१, ३७७, ३८५, ३९६, ३९८, ४०६, ४१३,
४२८ पा० टि०, ४३२ पा० टि०, ४६४, ४६४,
पा० टि०, ४८८ पा० टि०, ४९६, पा० टि०,
४९७, ४९९, ५०४, ५०८, ५०९, ५१४
पा० टि०, ५१७-१८, ५२०, ५२२, ५२३,
५२७ पा० टि०, ५३७, ५४२, ५४३, ५४७,
५५७; -का सत्याग्रहके समय भन्ध कार्य, ४३५;
-का हाथके कामके प्रति प्रेम, ४९९-५००;
-औपनिवेशिक भारतके लिए अनुमतिपत्रकी मनाही,
५२१ पा० टि०

कोतवाल, १४९, २६४

क्राउज, डों, ४७० पा० टि०

क्रॉस, जे० डब्ल्यू०, २५५

कू, लॉर्ड, १७५, २९५, पा० टि०, २९६, २९८, ४६८,
५१९

कौनमर, ४३६

ख

खाँ, अब्दुल फजल; - का संघ प्रवासी अधिनियम
(१९१३) के अन्तर्गत देश-निकाला, २४१

खान मालिक-संघ, ५०४

खुराक, -नमकरहित, ४२०; -फल सर्वोत्तम, ३८०;
-फीनिक्समें, १८४, ५०५

खेतसी, २४३

खेती; -में अधिक दिलचस्पी लेनेका मगनलाल गांधीको
परामर्श, ५५०

ग

गज्जर, २३०

गणेशन, एस०, ४ पा० टि०

गणदेविबा, ५३१, ५४७

गर्भावस्था तथा प्रसूति; -में महिलाओंकी देखभाल, १३०

गवर्नर जनरल, १०८; -के निजी सचिव, १०, ५५

गांधी, करसनदास, ३७५ पा० टि०

गांधी, कस्तूरबा, ३०, ४० पा० टि०, २१०, २३४,
२६३, २७२ पा० टि०, ३३५, ३४९, ३५३,
३५७, ३७५, ३७७, ३८१, ३९१ पा० टि०,
४०१, ४१५, ४३०, ४३५, ४४४ पा० टि०,
४६४ पा० टि०, ४७७ पा० टि०, ४८५
पा० टि०, ४९०, ४९६ पा० टि०, ५००,

५११, ५१२, ५१४, ५२२, ५२७ पा० टि०,
५३८, ५४२, ५४७, ५४९; -का प्रथम महा-
युद्धमें लड़ाईके अतिरिक्त कार्योंके लिए सेवार्थ
समर्पित करनेका प्रस्ताव, ५१९; -की गिरफ्तारी,
१८४; -की बीमारी, ३५३, ३६१, ३६७, ३७७,
३७८, ३८३, ३९२, ३९३, ३९८, ४०४,
४१३; -जेलमें, २०२

गांधी, काशी, १८४, २६३

गांधी, खुशालचन्द्र, ८८ पा० टि०, २६३, २६४,
३५८, ५४५

गांधी, गंगाबाई, ३७५, ५४५

गांधी, चंचलबेन, १८३, ३६२

गांधी छगनलाल, ८९, ९०, १९६ पा० टि०, २१०,
२६३, ३५९, ३५९ पा० टि०, ३७३, ४६०,
५११, ५१३, ५२४, ५३९, ५४१, ५५२, ५५७

गांधी, जमनादास, ८८, १२१, १३९, १४७, १७३,
१८४, २२८, २५७, २६३, ३१३, ३४९, ३५२,
३५६, ३७५, ३७६, ३७८, ३७९, ३८५, ४१९,
५२२, ५४४; -के निष्क्रिय प्रतिरोधके समय
व्यवहारकी सराहना, ३५४; -को शादीके बाद
भी ब्रह्मचर्य व्रत रखनेका परामर्श, १३९

गांधी, देवदास, १८४, २६२, ३१३, ३६६

गांधी, देवभाभी, ५४५

गांधी, नन्दकौर ३७५

गांधी, नारणदास, १४९, ३५८, ३५८ पा० टि०, ३७४

गांधी, प्रभुदास, २६२, ३१३

गांधी, मगनलाल, ८८, २०३, २१०, २१४, २२८,
२३०, २४३, २५७, २५८, २६२, २६३,
३५९ पा० टि०, ३७१, ३७५, ४२४, ५११
पा० टि०, ५२१, ५२२, ५३७, ५३८, ५४२,
५४३, ५४६, ५४९, ५५०

गांधी, मणिलाल, १४१, १४८, १५९, १८२, १८४,
१८५, २३१, ३१२, ३३५, ३४९, ३५२, ३५३,
३५६-५७, ३६६, ३७६, ३७७, ३७८, ३८३,
३८६, ३९३, ३९६, ३९८, ४११, ४१९,
५४३, ५५१; -का जेलमें अपमान, २८१; -
का बिना परवाना फेरी लगाकर सत्याग्रह करना,
२१०, २१४; -की गिरफ्तारी, २१५, २४३
गांधी, मोहनदास करमचन्द्र; -अदालतमें, २५५, २५९
-का अप्रैल १९१४में भारतके लिए रवाना

होनेका प्रस्ताव, ३५५; -का इंडिया आफिसके विरुद्ध सत्याग्रह, ५३८, ५३९; -का कोमल जड़ोंको देखकर अदरकके सेवनका त्याग, ३८०; -का गोखलेके साथ समझौता कि भारतमें आनेके एक वर्ष बाद तक सार्वजनिक विषयोंपर मौन रखेंगे, ३५५, ३९३; -का दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके नाम विदाई-पत्र, ४९३-९६; -का फीनिक्समें आहार, ३९८; -का भारतीय परिवेदना अयोगके सम्मुख गवाही न देनेका निश्चय, २६५ पा० टि०, ३३१, ३३२; -का युद्ध समर्थनका कारण, ५४५; -का रेल हड़तालके जारी रहने तक निष्क्रिय प्रतिरोध बन्द करनेका निश्चय, ३१६ पा० टि०, ३१८; -का लक्ष्मीदास गांधीकी मृत्युपर आये शोक सन्देशोंपर कृतज्ञता ज्ञापन, ३८२; -का विदाई समारोह डर्बनमें, ४६१-६२; -का हड़तालके बीच गोलीसे मरे व्यक्तियोंके मातम मनानेके लिए गिरमिटिया भारतीयोंकी पोशाक धारण करनेका निश्चय, २६७; -की खेतीमें रुचि, ५५०; -की गोखलेकी सेवा करनेकी अभिलाषा, ३५५; -की तीन पौंडी कर रद्द न होने तक एक समय भोजन करनेकी प्रतिज्ञा, २६८; -की माँग कि भारतीय आहत सहायक दलके सदस्योंको अपने अधिकारी चुननेका अधिकार मिलना चाहिए, ५३९; -की माँग मान ली गई, ५३९; -की बीमारो, ५२७, ५३९, ५४२, ५४३, ५५०; -के साथ स्मट्सकी सहानुभूति, ३१८ पा० टि०, -केप टाउनमें, ४२२, ४९३; -कैलनबैक, पोलक तथा अन्य यूरोपीय मित्रोंको निष्क्रिय प्रतिरोधके समय सहायताके लिए धन्यवाद, ४३१; -को सजा, २५७, २५८, २६१; -गिरफ्तार, २५४ पा० टि०, -जमानत पर, २५३; -जोहानिसबर्गमें, ४६३, ४६४; -टान्सवाल भारतीय महिला संघमें, ४७९-८०; -दक्षिण आफ्रिकासे जहाजमें रवाना, ४९८ पा० टि०, -द्वारा इस दोषारोपणका खण्डन कि वे बहु-पत्नी-विवाहको कानूनी मान्यता देना चाहते हैं, १९४, १९५; -नेटाल कोयलेकी खानोंमें हड़तालपर "नेटाल मक्युरी"के प्रश्नोंका उत्तर, २४५; -प्रथम महायुद्धमें असैनिक कार्य-

वाहीके लिए अपनी सेवाएँ समर्पित, ५१९; -प्रिटोरियामें, ४८८; -बागानमें हड़तालके लिए खेद प्रकट करते हैं, २९२; -बीमार लन्दनमें, ५५२; -भारतीय आहत सहायक दलके लिए स्वयंसेवकोंका आवाहन; -५४०-४१; -'रैंड डेली मेल'को डर्बनकी सार्वजनिक सभाके उपद्रवके विषयमें स्पष्टीकरण, २३७

गांधी, रामदास, २६३, २६४, ३१३, ३६२, ३८६; -की गिरफ्तारी, १८४

गांधी, लक्ष्मीदास, ३७८ पा० टि०, ३५९, ३७५ पा० टि०

गांधी, सन्तोक, ३५९, ५२२; -की गिरफ्तारी, १८४

गांधी, सामलदास, ३७५, ३७८, ५२४

गांधी, सुशीलाबेन, १६०

गांधी, हरिलाल, १४७, १८३, २३४, ३१३, ३५९, ३५९ पा० टि०, ३६१, ३६२, ३७५, ३८७, ५२३; -को इम्तिहानोंका मोह छोड़ने तथा दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहमें सम्मिलित होनेकी सलाह, २३४, ३११

गाडफ्रे, जे० डब्ल्यू, २५५, २५८, ३११

गाडिनर, जस्टिस, ७७; -का भारतीयोंके विवाहोंके पंजीयनके पक्षमें निश्चय, १७२; -द्वारा ईसाई ढंगसे की गई शादियोंको मान्यता देनेसे इन्कार, २१८, २२१

गिरमिटिया; -४२३, ४२५; -भारतीयोंका टान्सवालमें जाना, २६०; -भारतीयोंके सत्याग्रहमें कार्यकी प्रशंसा, ४५७-५८; -भारतीयोंके वंशजोंकी स्थितिको मान्यता देनेकी बात, ११६; -भारतीयोंको तीन पौंडी करको रद्द करवानेके लिए हड़तालकी सलाह; २३३; -भारतीयोंको शराब पीनेसे घृणा करनेकी सलाह, ४६२; -भारतीयों द्वारा हड़ताल, २७०, ५०३-०४

गिरमिटिया प्रणाली; -के विषयमें रैम्जे मैकडानल्ड को विवरण, ३०७ पा० टि०; - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मिटानेकी मांग, २९८ पा० टि० गुजराती; - लोगोंको सलाह, ४९०

गुल, डॉ० जे० ऐच० ५०, ३७३, ४९६ पा० टि०

गुल मुहम्मद, आदम; -को संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३)के विरुद्ध प्रतिरोध करनेके लिए परामर्श, ५०

गुल, श्रीमती, ३६६, ३८४, ३९१
 गृह-मन्त्री, १, ७, ८, २६, ८२, ८४, ८७, ९७,
 २४१, २४७, २४८, २५२, २७०, २८८, २९७,
 ३२१, ४०३, ४०४, ४०५-६, ४२५; - के
 निजी सचिव, ११५
 गृह-सचिव, ११, २५, २८, ६२, ७४, ७५, ११८,
 १२३, १५४, १६६, १७६, १७७, १९४, २०७
 गेलवे, कर्नल, ५३३
 गोकुलदास, ३७५
 गोखले, गोपाल कृष्ण, ७ पा० टि०, २९, ३९, ४१,
 ५३, ६०, ८५, १००, १०२, १०३, १०९,
 ११३, १३२, १४५, १४९, १९९, २०८, २३६,
 २३७, २३९, २४७, २४८, २५०, २५१, २५६,
 २५८, २७७, २८१, २८२, २८६, २८७, २८९,
 २९०, २९१, २९३, २९५, २९६, २९९, ३०४,
 ३०७, ३०९, ३१०, ३११, ३२४, ३२६, ३३१,
 ३३३, ३४८, ३४९, ३५०, ३५४, ३५६, ३९२,
 ४०१, ४०४, ४१३, ४२४, ४३०, ४३१, ४३३,
 ४३६, ४३८, ४८३ पा० टि०, ५१५, ५२२,
 ५२६, ५३८, ५४१, ५४२, ५४८; - का सुझाव
 कि भारतीयों को भारतीय परिवेदना आयोग
 मान लेना चाहिए, २७७ पा० टि०; -को संघ
 शासनका वचन कि तीन पौंडी कर समाप्त कर
 दिया जायेगा, १८७, १९३, २३२, २३३,
 २४०, २४४, २५४, ३१४; -द्वारा दक्षिण
 आफ्रिकाका निरीक्षण, १७९

गोपीचन्द्र, ४१६

गोविन्दसामी, श्रीमती, २०४

गोविन्दू, २६३; -की गिरफ्तारी १८४

ग्रीन, एल० एच०, २७५ पा० टि०

ग्रीनबर्ग ४०७

ग्रेलिंगस्टॉड; -में गांधीजीकी गिरफ्तारी, ५०९

ग्लैडस्टन, लॉर्ड, ९५ पा० टि०, १०८, १२९, २०८

३१७ पा० टि०, ३२० पा० टि०, ४०८

पा० टि०, ४३० पा० टि०, ४३८; -द्वारा
 भारतीय सभ्यताकी प्रशंसा, ३४८

च

चडले, १२८

चन्द्र, मानिकलाल, ५४८

चरित्र; -का निर्माण ही सच्ची शिक्षा, ४४७;

साहित्यिक शिक्षासे अधिक आवश्यक, ४४९

चार्वाक, १४८

चीनी संघ, -द्वारा गांधीजीको मानपत्र, ४६४ पा० टि०

चेचक, १११, ११४; -का इलाज, १२४; -का टीका

जंगली रिवाज तथा अन्धविश्वास, १०७, ११२;

-का टीका जेलमें महिला निष्क्रिय प्रतिरोधियोंको,

२४८; -के टीकेपर आपत्ति, १११, ११४

चैपलिन, डूमूड, ७ पा० टि०, २९, ४१, ५२,

६९, ७६, ८०

चैमने, ३९४, ४५०, ४६४, ४८९

छ

छोटाभाई, ३१

छोटम, २०४, २६२

ज

जनूबी, बाई, २०; -का मामला, १४, १८-१९;

-की शादीपर टैथमकी राव, १८

जयन्ती अंक; -'इंडियन ओपिनियन' का ४५१

जयशंकर, ५५२

जरथुस्ती अंजुमन; -द्वारा संघ प्रवासी प्रतिबन्धक

अधिनियम (१९१३) के अन्तर्गत पारित विनिमय

का विरोध, १७६

जलने; -का इलाज, १४६

जातीय रोक, ८४; -का निष्क्रिय प्रतिरोधके अन्तर्गत

हटाया जाना विचारणीय, १८१; -संघ प्रवासी

प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) में, १०३

जाफर, २३०

जॉर्जिस, ई० एम०, १२३, १७४, १९४, २०७, ३१९,

३६४, ३९४, ४०८, ४१०, ४१७, ४२५,

४२९, ४३३

जिन्ना, एम० ए०, ५१० पा० टि०,

जुस्ट, ४० २५९, २६१ पा० टि०; -का दावा कि

मिट्टीका इलाज सर्प-दंशको ठीक कर सकता है,

१५३

जुद्ध विद्रोह, ५३३

जूबर्ट, २६१ पा० टि०

जेनर, डॉ०, ११२

जेम्स, ५४८

नेम्सन, रॉबर्ट, ४५३ पा० टि०, ४५४

नेल-निर्देशक, २३१

जोहानिसबर्ग, २६५, ४६३; -की सभाका संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३)के विरुद्ध सत्याग्रहका निश्चय, ५७-६०; -में खानोंमें काम करनेवाले गोरोंकी हड़ताल तथा दंगा, १२७; -में भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा द्वारा अस्थायी समझौतेका अनुमोदन ३३१

ज्वर; -की प्राकृतिक चिकित्सा, ९३

झ

झवेरी, उमर हाजी भामद, २१५, २६४; -नेटाल

भारतीय समितिके मन्त्री निर्वाचित, २३८

झवेरी, रेवाशंकर जगजीवन, ५२१ पा० टि०,

ट

टाइम्स ऑफ इंडिया, ३२४ पा० टि०

टाउनशिप एमेंडमेंट एक्ट, ३४४, ४१६

टाटा, रतनजी, ५५३

टॉमस, कुमारी, ५०४

टॉल्स्टॉय, ८९, ४०६, ४३६, ४५१; -फार्म, २५१, ५०८

टैथम, एफ० एस०, २६४; -की जूनबी बाईकी शादी-पर राय, १८

ट्रास्टन, ७१

ट्रान्सवाल, २४३; -में भारतीयोंकी शिक्षाकी अवहेलना ३६५; -में सत्याग्रहियोंका कूच, २५२, २५४, ५०८

ट्रान्सवाल भारतीय महिला समिति, ६३, ४५४, ४७९; -द्वारा गांधीजीको विदाई, ४७९-८०; -द्वारा मानपत्र, ४६४ पा० टि०

ट्रान्सवाल लीडर, २११, २१२, २५३ पा० टि० ४०७, ४५६ पा० टि०, ४७०, ४७२, ४८१ पा० टि०; -को भेंट निष्क्रिय प्रतिरोधके विषयमें, २१२, २१२ पा० टि०

ड

डंकन पैट्रिक, ८०, ८१, ४६७

डंडी; -में गांधीजीका मुकदमा, २५५

डर; -एक प्रकारकी नैतिक कमजोरी, ८९

डर्बन, २६९, ४३२, ४५३, ४६१; -की सार्वजनिक सभामें गद्दबद्द, २३७

डावर, ३६२

डी' विलियर्स, ४३४

डूबना; -श्लाल, १४३

डैनियल, ४३६

डेविड, ३९८

डोक, ऑलिव, १६४, २२९

डोक, कम्बर, १६४

डोक, क्लीमेंट, १६०, १६४, २०२

डोक, रेवरेंड जोसेफ जे०, १६०, १६४, १६५, १६६, २०२ पा० टि०, २२९ पा० टि०, ४६५; -का

जीवन, १६९; -की आक्रमणके पश्चात् सुश्रूषा और सत्याग्रहमें किये गये कामकी प्रशंसा १६२, १६६, १६९; -की ईसाइयतमें श्रद्धा, १७०

डोक, विलियम एच०, १६२, १६५

डोक, श्रीमती जोसेफ जे०, १६०, १६४, १६५, १७०

ड्यूवी, डॉ०; -द्वारा उपवासके लाभोंपर विचार, ६

डूकूल, श्रीमती, ३७७

ढ

ढेड़, ४४९

त

तमिल, ४८५; -समाज द्वारा सर्ल फैसलेके विरुद्ध सभा, ३; -कल्याण समिति द्वारा गांधीजीको मानपत्र, ४६४ पा० टि०

तखंड, एम० ए०, ५४०, ५४१, ५५५

तारामती, ५१०

तीन पीढी कर, ४१, १०२, १९६, १९८, २००,

३१६, ३२७, ४११, ४५६, ४६६; -का इतिहास,

१९८-९९, २००-२०२; -का प्रवासी प्रतिबन्धक

विधेयकमें रद्द करना, ४१२, ४४०; -का सर

डेविड हंटर द्वारा विरोध, ४२४; -का स्थगित

किया जाना, ४१; -की अदायगी न करनेके जुर्ममें

दण्डित लोगोंकी रिहाईकी मांग ४०१; -की बकाया

वसूली, ३९६, ४००, ४५९; -के रद्द करनेके

लिए स्मट्स तैयार, ३१४; -के रद्द करानेके

लिए गिरमिटिया भारतीयोंकी नेटालमें हड़ताल,

२३६, २३८; -के विरोधमें ट्रान्सवालमें कूच,

५०८; -के हटानेका वचन, १९८, २३३, २४०,

३१४, ४३९; -के हटानेकी मांग, ९७, १८१,

२३६, २३९, २५६, ३२२, ३२७; -न चुकानेका मुनिषनके विरुद्ध मामला, ९२; -न हटाने तक सत्याग्रह जारी रहेगा, १७९-८०, १८७; -पर भारतीय परिवेदना आयोगकी रिपोर्ट, ३८९; -पर मार्शल कैम्बेलका समर्थन पानेका प्रयत्न, २९३; -पर यूरोपीय लोग, २३६; -पर रैम्जे मैकडानल्डको भेजा जानेवाला वक्तव्य, ३०७ पा० टि०; -पर विचार, २१८; -सत्याग्रहका श्येय, १८६, २००, ४८७; -सरकारका इरादा केवल महिलाओं-परसे हटानेका, ९७, १०२

तुलसी, २६४

तुलसीदास, ३६९

थ

थोरो, हेनरी डेविड, २३

द

दुंगा; -जोहानिसबर्गकी खानोंमें काम करनेवालोंमें, १२७, १२९; -विनौनीमें, १२७

दक्षिण आफ्रिका, ४७३

दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, ३० पा० टि०, ६५ पा० टि०, ३१५ पा० टि०, ३२२ पा० टि०

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय संघ, ३२, ४० पा० टि०, १०१, ११०; -को चन्दा देनेकी अपील, १९१

दक्षिण आफ्रिका बैपटिस्ट संघ, १६२, १६३

दमयन्ती, ५१०

दयानन्द, स्वामी, ४१५; -को ऋग्वेदकी टीका, २६४

दयाराम, ५१०

दयाल, भवानी, ६८, १४१, ३२६

दयाल, श्रीमती भवानी; -को तीन माहके कठोर कारावासका दण्ड, २३७

दशरथ, ४१५

दाउद, हसन, २६४

दो सिक्रेट सिटी, १६१

दुबे, २४८

दूध; -के बिना रहनेकी इच्छा, १४०, ३७४

देवकी, ५१०

देवधर, गोपाल कृष्ण, ५२१

देवी बहन, २०४, २६२

देसाई, १८४

देसाई, एम० सी०, २५२

देसाई, पुरुषोत्तम, २०३

देसाई, प्रागजी खण्डूभाई, २४३, ३३५, ३४३, ३७५, ५१२, ५३९, ५४५; -द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोधमें बिना परवाना फेरी, २१०; -पर जेलमें आक्रमण तथा दुर्व्यवहार, २३१, २७९, २८१

ध

धर्म; -की तुलना अनुचित, १२२

धर्मराज, ९०

ध्रुव, ५१०

न

नजीर, २२५

नटराजन, सी०, ५२४

नटेसन, जी० ए०, २४४

नन्दजी, ५१०

नल, १५०, ५१०

नवीन २०४, ५५१, ५५२

नागप्पन, ३८२, ४४४; -का बलिदान, ४३८, ४६६, ४७८

नाबालिग बच्चे, १, १२, ३४३, ३४४; -की सुरक्षाकी माँग की गई, २७; -नेटाल प्रवासी अधिकारी द्वारा आने देनेकी मनाही जबतक माता-पिता जन्म-प्रमाणपत्र नहीं दिखाते, १; -संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) अधिकारोंकी सुरक्षा नहीं करता, १७

नायक, ५११

नायडू, थम्बी, ४८७, ४८८ पा० टि०, ५०३, ५०४

नायडू, पी० के०, २७३ पा० टि०, ४८८, ५०३

नायडू, श्रीमती थम्बी; -को तीन मासके कठोर कारावासका दण्ड, २३७

नायडू, श्रीमती पी० के०; -को तीन मासके कठोर कारावासका दण्ड, २३७ पा० टि०

नायडू, श्रीमती सी० के० टी०, ४६४, ४८७

नायडू, सरोजिनी, ३७६ पा० टि०, ५१४, ५२७ पा० टि०

नाथद्व, सी० के० टी०, ५५१; -का अपने चार पुत्रोंको
भारतकी सेवाके लिए समर्पण, ४६४ पा० टि०
नारायणसामी, ४४५; -का बलिदान, ४३६, ४३८,
४६६, ४७८, ४८६

नॉर्टन, ४१३, ४१९ पा० टि०, ४२०

नेटाल; -भारतीयोंके विषयमें साम्राज्य सरकार द्वारा
घोषणा, ९५; -भारतीयोंको संघ प्रवासी प्रतिबन्धक
विधेयक (१९१३) के विरुद्ध सत्याग्रहमें सम्मिलित
होनेके लिए आवाहन, ५७-६०; -में गिरमिटिया
भारतीयोंकी हड़ताल, २३६, २७०; -में भारतीय
अधिकारोंकी सुरक्षाकी माँग, ८४; -में भारतीय
जन-संख्या, ११६; -में भारतीयोंकी शिक्षाकी
उपेक्षा, ३६५; -में भारतीयोंके अधिवासके अधि-
कारपर संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३)
का प्रभाव, ५४; -में भारतीयोंको अस्थायी
अनुपस्थितिके बाद पुनः प्रवेशका अधिकार है, १८७

नेटाल ऐडवर्टाइज़र, २७९

नेटाल कोयला खान संघ, २४७

नेटाल खेलकूद समिति, ४४७

नेटाल भारतीय संघ, २६७ पा० टि०, -द्वारा अस्थायी
समझौतेका अनुमोदन, ३३० पा० टि०

नेटाल मक्खुरी, ७७, ९५ पा० टि०, १७१, १८६,
१९१, २००, २४५, २५१, २६६, २७७ पा०
टि०, २८५, ३०२, ३०५, ४२३, ४२६ पा०
टि०, ४३२, ४३५ पा० टि०, ४३६ पा० टि०,
४४०, ४५३ पा० टि०, ४९१; -का लेख
निराधार तथा भ्रामक, ४१७ पा० टि०; -ने
तीन पौंडके करकी छूटके पश्चात् भूतपूर्व गिरमिटिया
भारतीयोंको निषिद्ध प्रवासी कहा, ४९१; -से
नेटाल कोयलेकी खानोंमें हड़तालके विषयमें भेंट,
२४५-४६

नेटाल विटनेस; -द्वारा संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक
(१९१३) के अन्तर्गत सर्वोच्च-न्यायालय तक पहुँचके
अधिकारको वापस लेनेकी आलोचना, ४२

नेपाल; -की मृत्युपर विचार, ३५९, ३७१

नैयर, डॉ० सुशीला, ४ पा० टि०

नौरोजी, दादाभाई, १७०

न्याय-सचिव, २४९

न्यूटन, सर आइज़क, १४०

प

पटेल, गोर्धनभाई, २१५

पटेल, मगनभाई, ३२३, ३४९, ३७५, ३८५, ५२२,
५४१ ५५१; -की गिरफ्तारी १८४

पटेल, रावजीभाई मणिभाई, २१५, ३२३, ३४६, २४९,
३५०, ३५९, ३६८, ३७१, ३७५, ३८४, ३९८,
४१५, ४१८, ५१२, ५३९; -की गिरफ्तारी, १८४

परमात्मा; - का मकान, शरीर, १५८; - चैतन्य, १८४,
- मोक्ष प्राप्त आत्मा, १२१; - शुद्ध चेतन, ८९

परीख, जे० एम०, ५४०, ५४१, ५५५ पा० टि०,

पाश्चेल, श्रीमती, २६२

पाटीदार समिति; -द्वारा ट्रान्सवाल लीडरकी हस
रिपोर्टका खण्डन कि भारतीय व्यापारी निष्क्रिय
प्रतिरोध में सम्मिलित न होंगे, २२९

पानीका इलाज, ७१; -अनेक रोगोंके लिए ६५, ७१
पारेख, इस्माइल, २६४

पियर्सन, डब्ल्यु० डब्ल्यु०, ३०९ पा० टि०, ३१०,
३५०, ३५४, ३७१, ४३३, ५४४, ५५१

पियर्सन, रेव० डब्ल्यु०; - का स्वागत, ३१०

पिल्ले, श्रीमती एम०, २३७ पा० टि०,

पिल्ले, श्रीमती एम० एस०, २३७ पा० टि०,

पिल्ले, श्रीमती एम० बी०, २३७ पा० टि०,

पिल्ले, श्रीमती के० सी०, २३७ पा० टि०,

पीटर्सन एंड फं०, २४१

पीरभाई, आदमजी; -की मृत्यु, १५५

पीरभाई, करीमभाई आदमजी, ५५३

पीरभाई, वली, २५२

पुरी, स्वामी मंगलानन्द, १४१

पुरुषोत्तम, दया; -का मामला, ३३७

पेंकहर्ट, श्रीमती, ३६

पोलक, एच० एस० एल०, १९, ४०, ६८, १००,

१०१, ११३, १२३, १३२, १४५, १४८, १४९,

२०४, २३६, २४८, २६४, २६६, २६६ पा० टि०,

२७४, २८४, २८८, २९३, २९६ पा० टि०,

३०६, ३२६, ३३० पा० टि०, ३६४, ४३१,

४३२ पा० टि० ४६५, ४८५, ४८८, पा० टि०,

५०९, ५१५, ५४१, ५४८; - का मुकदमा और

सजा, २६१ पा० टि०; -की गिरफ्तारी, २६१

५०९; - की सहायताके लिए भारतीयोंसे कहा गया, ४७६
 पोलक, जे० एच०, ५५५ पा० टि०,
 पोलक, मॉड, ५१३; -की गलतफहमी, ४०
 पोलक, मिली ग्राहम, १३२, २६५, २७६, ४७७,
 ४९६ पा० टि०,
 पोलक, श्रीमती जे० एच०, ५५५ पा० टि०
 पोल्डट, २५९
 पोशाक, ३७
 प्रवासी-अधिकारी, १३४, १५४, २४९
 प्रवासी-निकाय, १६
 प्रसाद, कर्नल कान्ता प्रसाद, ५४०, ५४१, ५५५
 प्रह्लाद, ४१५
 प्राकृतिक चिकित्सा; - चेचक तथा अन्य चर्म रोगोंके लिए, १२४-२६
 प्राटले, टी०, ४३१ पा० टि०
 प्रिटोरिया, ४५०, ४८८; - में आमसभा द्वारा अस्थायी समझौतेका समर्थन, ३२७; -में विदाई समारोह, ४८८-८९
 प्रिटोरिया न्यूज, ३१६, ३६७, ४८८; -द्वारा सत्याग्रहियोंको छोड़नेकी भारतीय मॉगका समर्थन, ३८६
 प्लेग; -का प्राकृतिक इलाज, १२४

फ

फकीर, जोगी, २१०, ५२४
 फिट्जजेराल्ड, श्रीमती; - दंगेके कारण गिरफ्तार, १२७
 फिट्ज साश्मन, १५२
 फिलिप्स, रेव० चार्ल्स, ४७६ पा० टि०
 फिलिप्स, श्रीमती, ४७७
 फिशर, ए०, १ पा० टि०, ५५, ५६, ६४, ६९, ७०,
 ७४ पा० टि०, ७६, ८१, १००, १०३, १०४,
 १०९, ११७, १४६, १६७
 फोनिक्स, ३५६; - में दिनका प्रोग्राम, १८४; - में बिना नमककी खुराक, ४९९
 फोक्सरस्ट, १९६, २५९; - में गांधीजीका मुकदमा, २५९-६०; - में सत्याग्रहियोंकी गिरफ्तारी, १८४, १९६-९७
 फौजदार, वालजी, १४०

फ्रीडडॉर्प, ५१, २०८; - में ब्रिटिश भारतीयोंकी सार्व-जनिक सभा, १०; -में शि भारतीय संघ द्वारा संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) पर प्रस्ताव पारित, ५५

ब

बडौदा, गायकवाड, ५५३
 बदात, २५२
 बट्टी, २०४
 बट्टे, मेजर, ५३१
 बर्टन, ३९५
 बलि, ५१०
 बसु, भूपेन्द्रनाथ, ५१४
 बसुमति, ५१०
 बाइवल, ८९, १५०, १५९
 बाकू, २०४
 बापा, ३७८, ३९३
 बाबुल, श्रीमती नूरमुहम्मद, २१०
 बावजीर, इमाम अब्दुल कादिर, ३२७ पा० टि०,
 ३४९, ३९१ पा० टि०; ५२४
 बिन्स; २००, ३३७, ३४२
 बुद्ध, १२२, १४०, ४१५
 बूथ, डॉ०, ४५५
 बेकर, कर्नल आर० जे०, ५२५, ५२९, ५२९
 पा० टि०, ५३०, ५३२, ५३५, ५४२
 बेनोनी; -में दंगा, १२७
 बेली, रेवरेंड, २७० पा० टि०, ४४७
 बेसेन्ट, श्रीमती एनी, १४०
 बैन्टिक, लॉर्ड, विलियम, ३३०
 बोअर युद्ध, ५३१, ५३३
 बोथा, लुई, ४३, १२८, १६८, २४०, ३४४, ३७६
 पा० टि०, ४६५, ५०२, ५१६, ५५५; -की इस्तोफा देनेकी धमकी यदि प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक पारित न हुआ, ४३१; तथा हर्ट्सोर्गका झगडा, ४२
 ब्रह्मचर्य, ३४९, ३८७; -शादीके बाद जमनादास गांधीको परामर्श, १३९
 ब्रिटिश भारतीय संघ, ७ पा० टि०, १०, ५१, ५१
 पा० टि०, ५४ पा० टि०, १७७, १८०, १९१,

१९५, २०९, २२०, ४०७, ४६४ पा० टि०,
४८४ पा० टि०, ५५२; —का संघ प्रवासी
प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) के विषयमें प्रस्ताव
५५; —की निधिका हिसाब, ४७७; —द्वारा गांधीजी-
को मानपत्र, ४६४ पा० टि०

त्रिस्को, बॉ०, २५२

ब्रूम, जस्टिस, ३४१; —की संघ प्रवासी प्रतिबन्धक
अधिनियम (१९१३) की प्रवासी अधिकारीके
विरुद्ध निषेधाज्ञासे सम्बन्धित व्याख्या, ३३७

ब्लेयर, श्रीमती, २१४

अ

भगत, अखा, ३६९

भगवद्गीता, १५९, ३९६, ४०८, ४४९, ५११, ५४५
भायात, २१५

भायात, इस्माइल, १८

भारत, ५३५; —पीढ़ितोंका 'विश्राम स्थान', ४४५

भारत-उपमन्त्री, ३६४, ५१९

भारत-सरकार, १६३, २०१, २१०, ४२१, ४२३,
४३३; —द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी
सहायता, ४३६, ४३८

भारतीय आहत-सहायक दल, ४५५, ५२७, ५३०,
५३३, ५५३; —की घायलोंके लिए सेवा, ५४०,
५४७; —की माँग मान ली गई, ५३९; —के द्वारा
भारतीय स्वयंसेवकोंका कवायद करनेसे इनकारिका
प्रस्ताव, ५३०; —को आन्तरिक प्रशासनमें
स्वतन्त्रताकी माँग, ५३२; —में स्वयंसेवकोंकी तरह
भरती होनेकी अपील, ५४०-४१; —द्वारा अपना
अधिकारी चुननेकी स्वतन्त्रताकी माँग, ५३३;
—द्वारा घायलोंकी सेवा, ५४०-४४

भारतीय परिवेदना आयोग (आइ० जी० सी०), २६५,
२७९, ३३१, ३३२, ३३३ पा० टि०, ४१२;
—का भारतीयों द्वारा बिरोध, ३२१; —को नियुक्ति,
२६५; —की रिपोर्टकी आलोचनाके विषयमें दक्षिण
आफ्रिकी अखबारोंकी टीका, २९८, ३८८; —के
सामने गवाही देनेके कारण दादा उस्मान तथा
आंगलियाकी टीका, ३३९; —के सामने भारतीयोंको
जबतक माँग स्वीकार न हो, गवाही न देनेके
लिए कहा गया, २६७, ३३२; —को स्वीकार

करनेकी मार्शल कैम्बेलकी अपील, ३१३ —गोखलेका
सुझाव कि भारतीयोंको स्वीकार करना चाहिए,
२७७ पा० टि०; —में भारतीय भावनाओंकी
अवहेलना की गई, ३००, ३२५; —में भारतीय
सदस्योंको सम्मिलित करनेकी माँग, २७०, २७७-
७८; —में आईनर और रोज-इन्सके नामका सुझाव,
२७२, ३२०; —में स्वर्ण-कानूनका कोई निर्देश
नहीं, ३८१; —से सम्बन्धित भारतीय माँगें अस्वीकृत
२८१, ३२७; —हास्केन द्वारा माँगका समर्थन,
२८७, २८८

भारतीय फेरीवाल्लो; —के संघ द्वारा ऐन्ड्रयूज और
पीयर्सनका स्वागत, ३१२ पा० टि०; —को बिना
परवाना फेरी लगाने तथा गिरफ्तार होनेका
परामर्श, १९०

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस; —द्वारा भारतीयोंके लिए
ब्रिटिश साम्राज्यमें नागरिक अधिकारकी माँग,
३०२ पा० टि०, ३०६; —द्वारा भारतीय हिंदुओंकी
भारतीय परिवेदना आयोगमें प्रतिनिधित्वकी
माँग, ३०२

भीखा, भगवान, १७२

भीष्म, ५१०

भ्रमण, —की थोरो द्वारा प्रशंसा, २३

स

मकदूम, शेख, २५२

मद्रास भारतीय समिति, ४९६ पा० टि०

मन्छी, बाई, —के विवाहका पंजीयन होनेपर अपील
स्वीकृत, १७२

मरियम बाई, २०; —का मुकद्दमा, २

सहायता गांधीजीना पत्रो, ८९ पा० टि०

महिलाओं; —का निष्क्रिय प्रतिरोधके लिए समर्पण,
२०८, २१०, २२३, २२८, ५०२; —की गिरफ्तारी
तथा कारावास, २३७; —द्वारा जेलमें उपवास, २२८
माधव, ५१०

मॉरिशस, ४४३; —का विवाह-कानून, ४४३; —दक्षिण
आफ्रिकासे खराब, ४४१

मावजी, पुरुषोत्तम; —का पंजीयन प्रमाणपत्र वापस ले
लिया जाता है, १५४; —का भारत जाना, १७३
मिट्टीका श्लाज, ७८

मियां ईसप, -समझौतेकी उपयोगिता तथा गांधीजीके वार्ता करनेके अधिकारपर प्रश्न करता है, ४८०
पा० टि०
मिलनर, लॉर्ड, १५
मिलीगन, १७१
मीराबाई, ४१५, ५१०
मुदलियार, आर० मूनसामी, ३५२
मुत्तु, २४३, २६२, ५१३
मुनियन, ९२; -का मामला, १०३ पा० टि०; -के विरुद्ध मुकदमा तीन पौंडके करकी अदायगी न करनेके लिए, ९२
मुन्शीराम, महात्मा, ३९१
मुरगन, विली, २२७, ५०३
मुसलमानों, -की सभा, ४८०
मुहम्मद दाउद, २१५, २१७, २२५; -नेटाल भारतीय संघके प्रधान निर्वाचित, २३८
मुहम्मद, हाजी हुसेन दाउद, १९७, २१५, २२४; -की मृत्यु, १९७; -के सद्गुणोंकी प्रशंसा, २२४, २२७, ५०३
मूदळे, श्रीमती रामा, ४७९ पा० टि०
मूनसामी, वलिअम्मा, ३८२, ४४४, ४४५, ४६५, ४७८, ५०३; -का बलिदान, ३५१, ४३६, ४३८, ५१५
मूर, डॉ० १४४, १५६
मूरत, श्रीमती, ५४९
मृत्यु, -का भय, ३६६-६७, ३६८
मेढ, सुरेन्द्रराय बापूभाई, १०१, १८४, २४३, ३१३, ३३५, ३७३, ५४६; -की गिरफ्तारी, २१५; -द्वारा बिना लाइसेंसके फेरी, २१०, २१४
मेघो, श्रीमती इसावेला फायवी, ४०६, ४०६ पा० टि०
मेलर, ह्यूग, एम०, २८३, ३९५, ४२६ पा० टि०
मेसर्स जैगर एंड कं०, २४१
मेहता, कल्याणदास जगमोहनदास, ५२४
मेहता, कुंवरजी, ४२१
मेहता, डॉ० प्राणजीवन, ११०, २३४, २६४, ३५०, ३७५, ३९२, ४०४, ५२३, ५२४, ५३८, ५४३, ५४९
मेहता, नरसिंह, १२१, ५१०
मैकडॉनल्ड, रैम्जे, ३०७, ३०७ पा० टि०

मैकिंटायर, २६३
मैकेंजी, २१७
मैरिस्बर्ग, २९६
मेरीमैन, जॉन एक्स०, ४१, ५२, ८०, ३४८, ४९७
मैलेट, ५३५
मैसन, जस्टिस; -“ भारतीयोंकी विश्वसनीयता ” के विषयपर, ४०७
मोक्ष; -का अर्थ, ८९; -पर शंकराचार्य ३६८; -विषयक गांधीजीकी साधना १४९
मोटन, हबीब, २२८
मोतीलाल, ५११

य

यशोदा, ५१०
युधिष्ठिर, ९०
यूनियनिस्ट पार्टी, २३६; -द्वारा संघ प्रवासी बन्धक विधेयक (१९१३) का विरोध, ५८, ७०, ९८, १००
यूरोपीय, ५४ पा० टि०; - समिति, १७१ पा० टि०; - सहायक समिति, ५०४
योगदीपिका, ५१२

र

रलियातबेन, ३७५ पा० टि०, ५४५
रवीन्द्रनाथ, ३९२ पा० टि०, ५११ पा० टि०, ५१६, ५२७ पा० टि०, ५४४, ५४९, ५५१; - पर ऐन्ड्यूजका व्याख्यान, ३४८
राजू, २२८ पा० टि०
राजेंगम, ५४९
राधा, २६२
रानडे, महादेव गोविन्द, १८४
राबर्ट्स, चार्ल्स, ५२०, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५४७, ५५२, ५५४ पा० टि०
राबर्टसन, सर बेंजामिन, २९५, २९६, २९९ पा० टि०, ३१९ पा० टि०, ३२२, ३२४ पा० टि०, ३२६, ३२९, ३३२, ३५४, ३६४, ३६७, ३७७, ३८९, ४३४; - की वाइसरायके प्रतिनिधिके रूपमें दक्षिण आफ्रिकाकी यात्रा, ३०४ पा० टि०, ३११ पा० टि०
राबिन्सन, सर जॉन, १७१

रामचन्द्र, श्री;— १२२, १४८, १५९, ३६९, ३७०,
४१५, ५५०

रामतीर्थ, १४०

रामलिंगम, श्रीमती, २३७ पा० टि०

रामायण, १५९, ३९८, ५११;—कस्तूरवा के लिए
गांधीजी पढते हैं, ३७३

रायटर, २५०, २५४, २९४, ३१२, ५५४

रायप्पन, जोजेफ, २१० पा० टि०, २७५ पा० टि०,

रावण, ३६९

रॉस डॉ०;— की मृत्यु, १७१;— की निष्क्रिय प्रतिरोधमें
सेवायें;— १७१

रिच, एल०डब्ल्यू०, ३, ५२, १०१, १०९, पा० टि०,
२१२ पा० टि०, २४२, २८४, २८७

रिपन, लॉर्ड, ३३०

रुक्मांगद, ५१०

रुद्र, सुशील कुमार, ३९२

रुस्तमजी, पारसी, १०१, १०८ पा० टि०, १३२, २०४,

२१५, २१६, २२७, २३०, २३८, २९६,

पा० टि०, ३३० पा० टि०, ३८५, ४७६, ५०३;

—की गिरफ्तारी, १८४;—की प्रवृत्ति, ४४७-

४८;—के साथ जेलमें दुर्घवहार, २७९, २८२

रेलों;—में भारतीयों की कठिनाश्यों, ३४४

रेड क्रॉस सोसाइटी, ५२५

रेंड क्लब, १२८

रेंड डेली मेल, २३७, २८८, ३२५, ४८० पा० टि०;

—की टिप्पणी डर्वनकी सार्वजनिक सभाकी

गडबडीपर, २३९ पा० टि०;—द्वारा भारतीय

परिवेदना आयोग विषयक भारतीय मांग स्वीकार

करनेका अनुरोध, २८७-८८;—से भेंट, डर्वनमें

सार्वजनिक सभामें गडबडके बारेमें, २३७-३९

रोज-इन्स, सर जेम्स, ४२;—की भारतीय परिवेदना

आयोगमें नियुक्तकी मांग, २७०, ३२०

रोमन कैथोलिक्स;—उपवासके दिनोंमें, ६

रोहित, ४१५

ल

लक्ष्मी, ३७०-७१, ५३९

लन्दन, ५१४, ५५४

लॉर्ड जॉर्ज, ५२८;—का स्त्री मतान्दोलिका द्वारा
मकान जला दिया गया, ३६

लाजरस, डी०;— २४३, ५०४, ५०५

लॉटन, ४३६, ४५५

लाल बहादुरसिंह, ३३५

लालचन्द, २६४

लेन, ई० एफ०सी, ८, ९, १५४, ३९५

लेंगस्टन, ई०एच०, ४६०

लैटिमेर, ४३६

व

वाश्ली, कर्नल, २६७, २६९, २७१-७२, २७३, २८३,
३८८;—के भारतीय परिवेदना आयोगके सदस्य

होनेपर आपत्ति, २९९ पा० टि०, ३००

वाईवर्ग, श्रीमती, ५१४ पा० टि०

विटरबोटम, कुमारी एफ० डब्ल्यू० ५५४ पा० टि०

विडन, २०६

विक्रेता परवाना, ३६४, ४१६;—का प्रश्न भारतीय

परिवेदना आयोग द्वारा रद्द, ३९०;—के विरोधमें

भारतीय आन्दोलन करनेके लिए स्वतंत्र, ४९४;

—प्रत्येक प्रान्तमें भिन्न, ३६४

विदुर, ५१०

विधेयकः—

भारतीय राहत विधेयक— (आई० आर० बी०);

४०४ पा० टि०, ४११, ४१२, ४२६, ४३६-

३९;—के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध उत्तरदायी,

४२२;—पर संव-संसदमें विवाद, ४२१;—भार-

तीय परिवेदना आयोगकी सिफारिशोंको लागू

करता है, ४१२;—में मृत पत्नियोंके शिशुओं-

की सुरक्षाकी दृष्टिसे संशोधनकी मांग, ४१२;

संतोषजनक, ४१३, ४३८

संव प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक, ११, १३, १५,

१८, ३५, ४२, ४३, ५६, ७६, ९५, ९७,

१०३, १०४, १३५, १५५;—का यूनियनिस्ट

पार्टी द्वारा विरोध, ५८, ७०, ९८, १००;

—के अन्तर्गत दक्षिण आफ्रिकामें उत्पन्न भारतीय

केप प्रवेश अधिकारसे वंचित, ५४, ८३, ९५,

१०५, १०८, ११६;—के विरुद्ध निष्क्रिय

प्रतिरोध, १८०-८१;—के विरुद्ध निष्क्रिय

प्रतिरोधकी आवश्यकता, ५६, ५७, ७०, ९५,

९८, १०१, १०४;—गैर-ईसाई विवाहोंको

वैध नहीं मानता, ११६; -द्वारा अस्थायी अनुपस्थितिके बाद प्रान्तमें पुनःप्रवेशकी सुविधाका हनन, १०८; -द्वारा अस्थायी समझौतेकी शर्त लागू नहीं होती, ९५, १०८; -द्वारा ऑरेंज फ्री स्टेटमें भारतीयोंके प्रवेशपर रोक ५४, १०५; -नेटाल भारतीयोंके अधिवास अधिकारोंकी रक्षा नहीं करता, ९५, १०८; -पर फिशरका वक्तव्य, ६९; -पर हरकोर्टका बयान, १०३; -में अलेक्जेंडरका संशोधन, ७६

विनकॉल, ३३९

विभीषण, १४८, ५१०

विवाह, २-३, ९, १४, ६३, ७७, ८१, २४७; -ईसाई पद्धतिके अतिरिक्त अन्य वैवाहिक पद्धतियोंको मान्यता न देनेका न्यायमूर्ति सर्लका निश्चय, १, ६२, २१८; -और कुलसम बोबी, २१८, २२२; -और संघ प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम (१९१३), १९४; -का तरीका, ४०९; -का प्रश्न, २२१; -कानून अस्पष्ट, ३८१; -कानूनका ब्रिटिश भारतीय संघ विरोध करता है, ३; -कानूनके विरुद्ध भारतीयोंको लड़नेके लिए कहा गया, २३५-३६; -की समस्याके बारेमें विचार, ३३४; -के बारेमें एक महत्त्वपूर्ण फैसला, १७२; -को कानूनी मान्यता देनेकी माँग, ७५, ८०, ११७, १३५, १६७, २०९, २२३, २४६, ३२२, ३४०, ४१६, ४२५; -ट्रान्सवाल प्रवासी कानूनके संशोधन द्वारा, ५२; -पर भारतीय परिवेदना आयोगकी रिपोर्ट, ३९०; -बहुपत्नीक, ८०, १७६, १९२, १९४, २०९, २२२, २३२; -भारतीय विवाहको सरकार द्वारा मंजूर करनेसे इनकार, २६ पा० टि०, ७५, २२१; -विवाह समस्या, २१८; -विषयक अलेक्जेंडरका संशोधन, ७६; -विषयक मारिशसका कानून, ४४३; -संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक द्वारा, २०, २५, २९, ५४, ८३, १०४; -संशोधन अस्वीकृत, ८६, ८७, ९६, ९८; -सरकारी गजटमें घोषणा कि भारतीयोंके लिए विवाह-ज्ञापन आवश्यक ३९४, ३९५; -१८७१ के ट्रान्सवाल विवाह कानूनके समान कानूनकी माँग, ८३, ८४, ८७

विश्व-युद्ध, प्रथम, ५१४ पा० टि०; -में गांधीजी द्वारा अपनी सेवाएँ अर्पित, ५१८

विसर, डॉ०; -की जेलमें निष्क्रिय प्रतिरोधियोंके प्रति रक्षता, २३१

वूडहाउस, रेवरेंड, १६३

वेबर, १६३

वेरुलम, ४५६; -में गांधीजीको विदाई, ४५८-६१

वेसेल्स, न्यायमूर्ति, २५, ८१, २२०, २२२

वेस्ट, ए० एच०, २४३, २५८, ३७७, ४५७, ४६०, ५०३, ५४१, ५४७, ५५२, ५५६, ५५७

वेस्ट, कुमारी (देवी), २६२

वेंकट रमण, ५२८

वैलेस, १४०

वॉंगल, श्रीमती, ४८०

व्रत; -का महत्त्व, २३०; -का महात्म्य, २३०

व्यास, ५१०

श

शंकराचार्य, ३६८

शंकरानन्द, स्वामी, ६८

शकूर, तैयब, २४३

शान्ति, २१४, २६५, ५५१, ५५२

शास्त्री, २९९ पा० टि०

शिक्षा; -दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय भाषाओंकी उपेक्षा, ३६५

शिक्षित भारतीय, ७, २०७, ४१६

शिव, १५९, ५१०

शिवपूजन, ५५१; -की गिरफ्तारी, १८४

शिवप्रसाद, २६२

शेषनाग, १४९

श्रद्धानन्द, स्वामी, ३९१ पा० टि०

श्रवण, ४१५

श्राइनर, ऑलिव, ८३, ४९६, ५५४ पा० टि०

श्राइनर, डब्ल्यू० पी०, ८३, ८५, ८६, १०१, १०९, ३७६, ४९७; -का संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३)के विरुद्ध संघर्ष जारी, १०४; -को भारतीय परिवेदना आयोगमें शामिल करनेकी माँग, २७०, ३२०

श्राइनर, थियो, ५२, ८०

श्लेसिन, सौजा, ६२ पा० टि०, ९०, ११०, १४८, २२९, २५८, २६३, ३५६, ३७८, ४२०, ४५३ पा० टि०, ४६५, ४७७ पा० टि०, ४८५

पा० टि०, ४९६ पा० टि०; —की भारतीय कार्यके लिए सेवारत, ६३, ६४, ४५४

स

संघ-सद, ११०, ३९२

संघ सरकार, ३४, ४१, ४३, ५५, १०५, १७५, २१०, २९६, ३६४, ४२२, ४६७; —की भारतीय विवाहोंके विषयमें घोषणा, ३९४, ३९५; —ने गोखलेको तीन-पौंडी कर हटानेका वचन दिया, २४४ सत्यदेव, १४२

सत्याग्रह, ७५, २४४ पा० टि०, ३४५; —अन्तिम शस्त्र, ४७५; —का अर्थ सत्यकी शक्ति, आत्मिक शक्ति, प्रेमकी शक्ति, ४५२; —और शरीरबलमें अन्तर, ३३६; —कमजोरोंका अस्त्र नहीं, ४३६; —कष्ट-निवारणका एकमात्र अस्त्र, ३०९; —का प्रताप, ४५८; —का सिद्धान्त और व्यवहार, ४५१; —किस प्रकार आयोजित हो, १८९-९१; —की अन्तिम लड़ाई, ४५१-५३; —की घोषणा, १८६; —की सीमा, ३४५; —के निर्णयकी सरकारको सूचना, १७७-८०; —के समर्थनमें सभा, २४४, २८५; —के फिरसे छेड़नेका निश्चय, १८०-८२; —गोरोंकी वृत्ति बदलनेका सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका, १८१; —महान प्रतिष्ठा, २३०; —में हार नहीं, ५०१; —यदि अस्थायी समझौतेमें सम्मिलित प्रश्न बिना सुझाये छोड़ दिये जायें, ८४; —यदि संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१३) भारतीयोंको सन्तुष्ट करनेके लिए संशोधित न किया गया, ५२, ५३, ७४, ८०, ८१, ९५, ९८; —हर परिस्थितिमें प्रभावशाली, ४४

सत्याग्रह-निधि, —२३०; इकट्ठा करनेकी आवश्यकता, २१०

सत्याग्रही, ८८; —आत्माकी आवाजके अनुसार चलता है, ४१४; —को भारी यातना सहनेके लिए तैयार रहना चाहिए, ५९; —युद्धका समर्थन नहीं कर सकता, ५४५; —सत्याग्रहियोंकी गिरफ्तारी तथा सजा, १९६-९७, २०७; —की रिहाईकी मांग, ३२५; —के प्रति दुर्व्यवहार, २७९, ३०३

सन्त पाल, ३९६

समझौता; —एकप्रकारका 'मैग्ना कार्टा', ४५०, ४८९, ४९३; —अपूर्ण, ४५३

सरजू; —का तीन पौंड कर न देनेका मामला, १९९ सर्प-दंश; —का श्लाघ, १५१; —जुस्टिका दावा कि मिट्टीके श्लाघसे ठीक, १५३; —से प्रतिवर्ष मृत व्यक्तियोंकी संख्या, १५२

सल, न्यायमूर्ति, १, २, १४, १९, २०, २९, ८६, १९४, २०९; — का गैर-ईसाई विवाहोंको अमान्यता देनेका फैसला, २५, ५३, ६२, ७, ६ २१८, २२१, ३२७, ४४०; — का निर्णय बहु-विवाहसे सम्बन्ध नहीं रखता, ७५; —का निर्णय भारतीयोंको उत्तराधिकारियोंसे वंचित करता है, ३५; — द्वारा खड़े किये प्रश्नको सुलझानेके लिए विवाह कानूनके संशोधनकी आवश्यकता, २७, २९; — नाबालिग बच्चोंके अधिकारोंपर, ७

सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ५२१

सर्वोच्च न्यायालय, ७, १४, १५, ७४, १०९, ११७, १९२, १९४, २१८, ३४४, ४९१; —की नेटाल विटनेस द्वारा आलोचना, ४२

सर्वोच्च-न्यायालय (नेटाल डिबीजन), १४, ३४१; — का निश्चय कि गैर-ईसाई शादियोंको वैध होनेकी मान्यता नहीं दी जा सकती, २१८; —गैर-ईसाई शादियोंसे उत्पन्न उत्तराधिकारियोंको मान्यता न देनेके प्रश्नपर प्रश्न उठाता है, २८; —जनूबीके मामलेमें, १९, २५

सॉडर्स, ४५९

साम्राज्य सरकार, ३१, ४४, ६९, ७० ८७, १००, १७५, १९३, २१०, ४२१, ४२३, ४३१, ४३३, ४८३ पा० टि०; —की घोषणा कि किसी प्रकारका समाधान जो केप और नेटालके भारतीयोंके वर्तमान अधिकारोंमें खलल डालता है, स्वीकार न होगा, ८८, ९५; —की दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी सहायता, ४३६, ४३८, ४६६; —की संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकपर भारतीयोंको दिये गये वचनकी अवहेलना, १०३-०४

सॉलोमन, सर विलियम, २७७ पा० टि०, ३२०, ४८३ पा० टि०; —को भारतीय एक सदस्यीय-आयोगके रूपमें माननेको तैयार, २९७

सावर, जे० डब्ल्यू०, ४३, ९२

सिडेनहम, लॉर्ड, १७४, १७५

सिन्हा, ४१३

सिन्हा, सच्चिदानन्द, ५१४ पा० टि०

सिक्रेट सिटी, २०२
 सीता, ३७०-७१
 सुभाषन, १२३; -का मामला, १२३
 सुकर, ३३९
 सेंट फ्रान्सिस, १५०
 सोढा, रतनसी, १८४ पा० टि० २३२,
 सोढा, रेवाशंकर गिरफ्तार, १८४
 स्टार, ५४, १२८, २२८, ४५६ पा० टि०
 स्टेट, ४५०
 स्टैंडर्टन; -में गांधीजीकी गिरफ्तारी, ५०९; -में
 परीक्षा, २५४
 स्पावर्स, कर्नल ५३५
 स्प्रिंग, सर गॉर्डन, ६५
 स्मट्स, जॉन क्रिश्चियन, ८, ४१, ५५, ८३, ८४,
 ८६, १०२, ११७, ११९, १२८, १५४, १६७,
 १७१, १७४, २५६, २८८, २८९, २९३, २९५,
 २९६, ३०१, ३०४, ३१६ पा० टि०, ३१८,
 ३१९, ३२३, ३२४, ३२७, ३३२, ३९५, ४०१
 पा० टि०, ४०९ पा० टि० ४११, ४१३,
 ४२१, ४२६, ४३२, ४३४, ४४०, ४६८,
 ४७१, ४८३ पा० टि०, ४९४, ५१६, ५५४;
 -एक ही विवाह करनेवाले पत्नियोंकी पत्नियोंको
 संवैधानिक रूपसे मान्यता देनेको राजी, ३१९;
 -की निगाहमें गांधीजी असाधारण व्यक्ति, ३१९
 पा० टि०
 स्मार्ट, सर थॉमस, ७ पा० टि०, ४१, ५२
 स्मिथ, कुमारी, ५४१, ५५२, ५५६
 स्वर्ण-कानून, १७८, २४६, ३४४, ४१६, ४४२;
 -अपवादात्मक, १८८; -ऐसा हो जो निहित
 अधिकारोंमें बाधा न डाले, २३२, ३६५; -का
 प्रशासन ४१६; -की स्थिति यूरोपीयोंको समझाने-
 की आवश्यकता, ४८४; -के विरुद्ध भारतीयोंको
 लड़ना चाहिये, ४७५; -से जातीय भेदभाव
 प्रदर्शित, १८१; -में संशोधन आवश्यक, ४७६

ह

हंटर, सर डेविड, ८०, ८३, ९२, ४२४; -का गैर-
 ईसाई-विवाह सम्बन्धी कानूनी संशोधनके विषयमें

अश्वारथन, ८३ पा० टि०; -की मृत्यु, ४२४
 इहताल, -के बीचमें निष्क्रिय प्रतिरोध स्थगित करनेका
 निश्चय, ३१७ पा० टि०; गिरमिटिया भारतीयों-
 की नेटालमें, २७४, ४५६, ५०४; -जोहानिसबर्ग-
 में, १४१ पा० टि०; -तीन पौंडी कर हटवानेके
 ध्येयको लेकर, २३८, २४०; -रेल कर्मचारियोंकी
 ३३६

हमीदिया इस्लामिया संघ; -का गांधीजीके प्रतिनिधित्वके
 विरोधमें प्रस्ताव नहीं, ४८० पा० टि०

हरकोर्ट, ९५, १०३, १०५, १२९, ४३४; -का
 कथन कि कोई भी ऐसा समाधान जिससे नेटाल
 और केप भारतीयोंकी वर्तमान स्थिति कमजोर
 हो, महामहिमकी सरकारको स्वीकार न होगा, ८७
 हरबतसिंह, ३१४, ३१५, ३१६, ३८२, ४३८,
 ६४६, ५१५

हरिश्चन्द्र, ४१५, ५१०

हर्ट्सोग, जेम्स बैरी, एम०, ४३, ४९२; -और बोवाका
 झगडा, ४१

हसन, महमूद, ३६८ पा० टि०

हाजी, एच० हबीब, ४८८ पा० टि०

हॉयोन, न्यायमूर्ति, ९२

हानहाउस, कुमारी, २९१

हार्डिज, लॉर्ड, ३८८, ४६६, ५१५; -का भाषण,
 २९० पा० टि०; -की दक्षिण आफ्रिकी भारतीयों-
 को सहायता, ४३१, ४३३, ४३६; -“नेक
 वाइसराय तथा वफादार दोस्त”, ४९७

हार्डिज, लेडी, ४९७ पा० टि०

हॉस्केन, विलियम, २९, १६२, २६५ पा० टि० ४६५,
 ५०४; -की भारतीय परिवेदना आयोग विषयक
 भारतीयोंकी माँगोंके समर्थनमें अपील, २८७, २८८

हिंद स्वराज्य, १४१, ४०२

हिन्दी; -और तमिल, ३०६, ३०७; -में पुनः
 ‘इंडियन ओपिनियन’ में समाचार प्रकाशन, ३०७

हिन्दू, १९, ४३२, ४३३ पा० टि०

हिन्दू सभा, ३९१ पा० टि०

होम्स, डब्ल्यू०, ४३५ पा० टि०

